सम्पूर्ण गाधी वाङ्मय

५

(१९०५–१९०६)

गाधीजी

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

५

(१९०५–१९०६)

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

भारत सरकार

भूमिका

प्रस्तुत खण्डमे जुलाई १९०५ से अक्तूबर १९०६ तक की सामग्री दी गई है। यह समय गाधीजीके व्यक्तिगत जीवन और दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजके जीवनमे महत्त्वपूण परिवतनोका है। यद्यपि ट्रासवालके भारतीयोकी सेवाके व्रत और 'इडियन ओपिनियन' के खचकी दष्टिसे वे स्वय अभीतक जोहानिसबगमे रहकर बैरिस्टरी कर रहे थे, फिर भी उनका फीनिक्स आश्रम सहयोगियोके लिए घर बन गया था। इन सहयोगियोमे श्री वेस्ट जैसे कुछ यूरोपीय भी सम्मिलित थे। जोहानिसबगमे उनका पारिवारिक जीवन अपेक्षाकृत अधिक स्थिर हो गया था, सहयोगी और सहकारी भी परिवारके सदस्य थे। भोजनके बाद रातको वे तथा अय सदस्य धार्मिक अध्ययन और दाशनिक चर्चा करते थे। अपने धधेके लिए उहोने जो सरत आचार नीति अपनाई थी उसके बावजूद उनकी वकालत बढती गई। जीवनमे सादगीके साथ-साथ सयम और शारीरिक श्रमपर जोर बढ गया। घरसे दफ्तर तक का छ मीलका फासला वे आते और जाते पैदल ही तय करते थे। उनके आहार-सम्बधी प्रयोग भी चलते रहे। अपने बडे भाई श्री लक्ष्मीदासके नाम पत्र (मई २७, १९०६) मे उहोने लिखा था, "कुछ भी मेरा है, यह मेरा दावा नही है। मेरे पास जो कुछ भी है, वह सब लोक-सेवामे लगाया जा रहा है मुझे किसी किस्मके दुनियाई सुख भोगकी इच्छा बिलकुल नही है।"

सावजनिक कायकर्ताके जीवनमे ब्रह्मचयकी आवश्यकतापर उनका विश्वास अधिकाधिक बढता गया — यह दूसरा महत्त्वपूण विकास हुआ। तब उहे आत्मज्ञानकी दिशामे उसके उपयोगकी प्रतीति नही हुई थी। किन्तु जूलू विद्रोहके समय, जब उहे डोलीवाहक दलके साथ कठिन मजिलोपर जाना पडा, उन्होने लिखा है "मेरे मनमे विचार उदित हुआ कि यदि मै इस तरह समाजकी सेवामे सलग्न होना चाहता हूँ तो मुझे धन और सन्तानकी इच्छा छोड देनी चाहिए और सासारिक काम काजसे अलग होकर वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए।" ('आत्मकथा', भाग ३, अध्याय ७) उहे विश्वास हो गया कि वे "आत्मा और शरीर दोनोके लिए साथ-साथ नही जी सकते", और उन्होने जीवनके ३७ वे वषमे आजम ब्रह्मचयका व्रत ले लिया। अतत उहे सितम्बर ११, १९०६ की सावजनिक सभामे उस व्रतकी सुन्दरता और शक्तिका साक्षात्कार हुआ, जो ईश्वरको साक्षी रखकर बुरे कानूनके सामने न झुकनेके कारण मिलनेवाले दण्डको झेलनेके लिए लिया गया था, और उसी दिन उस सिद्धान्तका जम हुआ जो बादमे "सत्याग्रह" कहलाया।

उनके हाथोमे 'इडियन ओपिनियन' उनके प्रभावकी उत्तरोत्तर वद्धिका साधन बन गया था। विशेषत गुजराती विभागके द्वारा उन्होने दक्षिण आफ्रिकी भारतीय समाजको आत्म-सयम, स्वच्छता और अच्छी नागरिकता सिखाने और सत्याग्रहके योग्य बनानेका प्रयत्न किया। उसमे उन्होने टॉलस्टॉय, लिंकन, मैजिनी, एलिजाबेथ फ्राइ, फ्लॉरेन्स नाइटिंगेल, ईश्वरचद्र विद्यासागर और टी० माधवराव जैसे महान् पुरुषो और स्त्रियोके जीवन चरित लिखकर अपने पाठकोको अनुप्रेरित करनेका प्रयास किया। कुछ व्यावहारिक कठिनाइयोके कारण बादमे उहे 'इडियन ओपिनियन' के हिन्दी और तमिल विभाग बन्द कर देने पडे। छगनलाल गाधीको लिखे उनके पत्रोसे प्रकट होता है कि वे उक्त पत्रकी सामग्री, स्तर और रूप-विन्यास आदिके बारेमे तफसीलसे हिदायते देते थे। पत्रका आर्थिक सकट अभीतक बना हुआ था और गाधीजीको उसके लिए समाजसे अधिकाधिक सहयोगकी अपील करनी पडती थी।

उन्होंने बार बार ब्रिटिश भारतीय संघके माध्यमसे ट्रान्सवालके भारतीय समाजकी समस्याओंको लेकर जोरदार शब्दोंमें निवेदन प्रस्तुत किये। उदाहरणार्थ ट्रान्सवाल लौटनेवाले भारतीय शरणार्थियोंसे उन्हें जाननेवाले यूरोपीयोंके नाम पूछनेकी प्रथा और ट्रामगाड़ियों तथा रेलगाड़ियों द्वारा भारतीयोंके सफरपर लगे हुए कठोर प्रतिबन्धों की उन्होंने आलोचना की। जब मार्च १९०६ में संविधान समितिकी नियुक्ति हुई, तब गांधीजीके नेतृत्वमें संघने जोरदार तरीकेसे उसके सामने भारतीय दृष्टिकोण रखा। अनुमतिपत्रोंकी समस्या इतनी तीव्र हो गई थी कि संघने कतिपय परीक्षात्मक मुकदमे दायर करना भी तय किया। किन्तु चरम स्थिति तब आई जब लार्ड मिलनरके आश्वासनपर स्वेच्छापूर्वक दुबारा पंजीयन करा लेनेके बाद भी सरकारने भारतीयोंको तीसरी बार पंजीयन करानेके लिए बाध्य करनेका कानून बनाना निश्चित किया। जिस दिन एशियाई अध्यादेशका मसविदा प्रकाशित हुआ उसी दिनसे दक्षिण आफ्रिकामें घटनाओंकी गति बढ़ गई। अगस्त २५,१९०६ को ब्रिटिश भारतीय संघने अध्यादेशका विरोध किया। ८ सितम्बरका गांधीजीने 'इंडियन ओपिनियन' में अध्यादेशकी भर्त्सना करते हुए उसे "मानवताके विरुद्ध अपराध" कहा, साथ ही उसे सरकारका भारतीयोंको ट्रान्सवालसे भगानेका तरीका घोषित किया। गांधीजीने "खूनी कानून" के विषैले प्रभावोंको स्पष्ट किया और लोगोंमें फिर पंजीयन न करानेका अनुरोध किया। ११ सितम्बरकी सार्वजनिक सभा एक युगान्तरकारी घटना थी। प्रसिद्ध चौथे प्रस्तावकी सिफारिश करते हुए गांधीजीने अध्यादेशके सम्मुख न झुकने और परिणामस्वरूप जेल जानेके लिए समाजका आह्वान किया। सारी परिस्थितियोंसे समाज बहुत व्यग्र हो उठा था और यह तय किया गया कि साम्राज्य सरकारके सामने भारतीय दृष्टिकोण पेश करनेके लिए एक शिष्टमण्डल इंग्लैंड भेजा जाये।

नेटालके भारतीयोंके सामने भी अपनी समस्याएँ थीं। भारतीयोंके व्यापारिक परवाने फिरसे जारी करनेसे इनकार करना मामूली और रोजमर्रेकी बात हो गई थी। गांधीजीने इस परिस्थितिको गोरों और भारतीयोंके बीच स्पष्ट स्पर्धा माना। दादा उस्मानके मामलेकी अपील उपनिवेश मन्त्रीके सामने की गई। डर्बन नगर परिषदने भारतीय व्यापारियों और फेरीवालोंको नये परवाने जारी न करनेका निश्चय किया। इसके पहले गांधीजीने सुझाव रखा था कि परवानोंके मामलोंकी जाँच-पड़तालके लिए नेटाल भारतीय कांग्रेस एक समिति बनाये। दूसरी परेशानियाँ भी थीं, जैसे १६ वर्षसे अधिक उम्रके भारतीयोंपर १ पौंडका कर लाद दिया गया था, पासों और प्रमाणपत्रोंपर प्रतिषेधात्मक शुल्क लगा दिये गये थे। इस प्रकार इंग्लैंडको शिष्टमण्डल भेजना एक अनिवार्य आवश्यकता प्रतीत हुई और नेटाल भारतीय कांग्रेसने गांधीजीका भेजना तय किया। किन्तु जब फरवरी १९०६ में जूलू विद्रोह भड़क उठा तब गांधीजीने तमाम भारतीय शिकायतोंपर से ध्यान हटा लिया और न केवल भारतीयोंको आहत सहायकोंके रूपमें अपनी सेवाएँ प्रदान करनेका औचित्य समझाया, बल्कि वास्तवमें नेटाल सरकारके सामने ऐसा प्रस्ताव भी पेश किया, जिसे मईके अन्ततक उसने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शिष्टमण्डल मुलतवी हुआ और गांधीजीने अपने १९ सहयोगियोंके साथ लगभग छः हफ्ता तक डोली-वाहकके रूपमें काम किया।

जुलाईमें गांधीजी मोर्चेसे लौट आये। उन्होंने लौटकर देखा कि सरकार अभीतक अनिवार्य पुनः पंजीयनके प्रस्तावपर दृढ़ है, जिससे प्रश्नने पहलेसे भी अधिक गम्भीर रूप धारण कर लिया है। कुछ हफ्तों तक गांधीजी इसको लेकर व्यस्त रहे। लॉर्ड सेल्बोर्नने एशियाई अध्यादेशके बारेमें भारतीय पक्षको मंजूर करनेसे इनकार कर दिया और लॉर्ड एलगिनने अपना यह विचार व्यक्त किया कि शिष्टमण्डल भेजनेसे कोई लाभ नहीं होगा। किन्तु इससे भारतीय समाजका गांधीजी और अलीको इंग्लैंड भेजनेका निश्चय और भी दृढ़ हो गया। एक अन्तिम बैठकमें

गाधीजी जानेके लिए तयार हो गये, किन्तु उन्होने पहले प्रमुख भारतीयोसे यह वचन ले लिया कि वे पुन पजीयन कराना मजूर नही करेगे। उनके विचारमे भारतीय समाजके लिए वह समय कसोटीका था। इग्लैड जाते समय जहाजपर भी वे सघषके बारेमे ही विचार करते रहे और वहासे 'इडियन ओपिनियन' के लिए उन्होने जो लेख भेजे उनमे से एकमे सघषके विधि निषेधका ब्यौरा दिया।

दक्षिण आफ्रिकाके सामने जो बडे बडे प्रश्न थे उनपर अपना मत स्पष्ट करनेमे गाधीजी कभी नही चूके। खदानोमे काम करनेवाले चीनी मजदूरोके प्रति कठोर बर्तावकी उन्होने निस्सकोच भर्त्सना की। जब ट्रासवाल और आरेज रिवर कालोनीका नया विधान बननेवाला था तब "रगदार" लोगोने उस सविधानके अतगत मताधिकार पानेके लिए प्राथनापत्र दिये। गाधीजीने उस आदोलनके साथ पूरी सहानुभूति दिखाई।

इस अवधिमे गाधीजीने ट्रासवाल और नेटालके प्रमुख समाचारपत्रोमे अनेक लेख लिखे। 'नेटाल मक्युरी' के आमन्त्रणपर जून १९०६ मे उन्होने भारतीयोकी मुख्य मुख्य शिकायतो और उनके निराकरणके उपायोका सक्षिप्त तथा सुस्पष्ट ब्योरा दिया। 'रैड डेली मेल' को लिखे पत्रमे उन्होने भारतीयोके लिए पूण नागरिक स्वतन्त्रताकी माग की। जब पुनिया नामकी एक भारतीय स्त्रीपर इसलिए मुकदमा चलाया गया कि उसके पास अलग अनुमतिपत्र नही था तब उन्होने अखबारोमे उसके विरुद्ध लिखकर जबदस्त हलचल पैदा कर दी, जिससे सरकारी पक्षका खोखलापन तो जाहिर हुआ ही, वहाके अखबारोको वह वक्तव्य भी वापस लेना पडा जिसमे दक्षिण आफ्रिकामे रहनेवाली भारतीय स्त्रियोको लाछित किया गया था।

गाधीजी भारतीयोके साथ बरती जानेवाली भेद-नीतिके विरुद्ध आन्दोलन चलानेके अतिरिक्त उनका रचनात्मक मागदशन भी करते रहते थे। जब नेटाल सरकारने स्थानीय रूपसे वस्तुओके निमाणकी सम्भावनाकी जाचके लिए एक आयोग बिठाया, तब उन्होने भारतीय व्यापारियोको उसके सामने गवाही देनेके लिए प्रेरित किया। बडौदाकी शक्षणिक प्रगतिके उदाहरण देकर और गोखलेके सुझावोका समथन करके वे भारतीयोको शिक्षण प्राप्त करनेकी आवश्यकता निरन्तर समझाते रहते थे। दक्षिण आफ्रिकामे भारतीय व्यापार मघकी स्थापनाके प्रस्तावका भी उन्होने अनुमोदन किया था।

भारतकी घटनाओसे भी वे घनिष्ठ सम्पक बनाये रहे। भारतकी आवश्यकताएँ सदा उनके ध्यानमे रहती थी। उन्होने नमक कर समाप्त करनेकी माग की। बग भग आदोलनके तीव्र होनेपर उन्होने सयुक्त विरोध और अग्रेजी मालके बहिष्कारका आह्वान किया। स्वदेशी आदोलनकी प्रगतिपर प्रसन्नता प्रकट की और साम्प्रदायिक एकताकी आवश्यकतापर जोर दिया। उन्होने 'वन्दे मातरम' को भारतका राष्ट्र गीत और देशको एक राष्ट बनानेके लिए हिन्दुस्तानीको राष्ट्र भाषा स्वीकार करनेकी सलाह दी। भारतीय नेतागण भारतमे जो कुछ कर रहे थे उसपर वे ध्यान रखते रहे और काग्रेसकी अध्यक्षताके लिए उन्होने श्री गोखलेके निर्वाचिनका समथन किया। "साम्राज्यका अविभाज्य अग" होनेके नाते उन्होने भारतकी आकाक्षाओपर अधिक गहराईसे सोचनेकी आवश्यकता बताई और न्याय तथा मानवताके नामपर स्वराज्य (होम रूल) की माग पेश की।

वे बाहरी दुनियाकी महत्त्वपूण घटनाओपर भी नजर रखते रहे। निर्वाचनके सिद्धान्तोपर आधारित नये रूसी विधानको उन्होने प्रगतिकी दिशामे एक कदम माना। १९०५ की क्रान्तिके विषयमे उन्होने कहा कि यदि यह क्रान्ति सफल हो गई तो "इस शताब्दीकी सबसे बडी विजय

और सबसे बड़ी घटना" मानी जायेगी। जापानकी महानताका श्रेय उन्होंने उसके द्वारा मिकाडोके शिक्षा सम्बन्धी आदेशोंके निष्ठापूर्ण पालन और सेनाके आचारको दिया।

यह खण्ड उस विस्तृत भूमिकाको प्रस्तुत करता है जिसमें गांधीजीने वानप्रस्थ जीवन अपनाया और वे मानव-समाजके ऐसे मार्गदर्शकके रूपमें प्रकट हुए जिसे इस बातकी प्रतीति हो गई थी कि "किसी नये तत्त्वका आविर्भाव हुआ है।" यह तत्त्व था — सत्याग्रह, संवैधानिक आन्दोलनका पूर्ण संतोष प्रदान करनेवाला निर्मल विकल्प।

पाठकोको सूचना

इस खण्डमे कुछ ऐसे प्रार्थनापत्र सम्मिलित किये गये ह जिनपर यद्यपि दूसरोके हस्ताक्षर है, तथापि वे गाधीजीके लिखे हुए माने गये हैं। इसके कारण खण्ड १ की भूमिकामे स्पष्ट किय जा चुके है। ये प्रार्थनापत्र गाधीजीके आत्मकथा-सम्बन्धी लेखोके सामान्य साक्ष्य, उनके सहयोगी श्री एच० एस० एल० पोलक और श्री छगनलाल गाधीकी सम्मति तथा अन्य उपलब्ध प्रमाणोके आधारपर 'इडियन ओपिनियन' से लिये गये हैं।

अग्रेजी तथा गुजराती सामग्रीसे अनुवाद करनेमे हिन्दीको मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है। किन्तु साथ ही अनुवादको सुपाठ्य बनानेका भी ध्यान रखा गया है। छापेकी स्पष्ट भूले सुधारकर अनुवाद किया गया है और मलमे व्यवहृत शब्दोके सक्षिप्त रूप हिन्दीमे पूरे करके दिये गये ह। नामोको लिखनेमे सामान्यत प्रचलित उच्चारणोका ध्यान रखा गया है। शकास्पद उच्चारणोके सम्बन्धमे गाधीजीके गुजरातीमे लिखे गये उच्चारणको स्वीकार किया गया है।

प्रत्येक शीर्षककी लेखन-तिथि, यदि वह उपलब्ध है, दाहिने कोनेमे ऊपर दी गई है। यदि मूलमे कोई तिथि नही है तो चौकोर कोष्ठकोमे अनुमानित तिथि दे दी गई है, और जहा जरूरी समझा गया है वहा उसका कारण भी बता दिया गया है। सूत्रके साथ अन्तमे दी गई तिथि प्रकाशन की है।

मूलकी भूमिकामे छोटे टाइपमे और मूल सामग्रीके भीतर चौकोर कोष्ठकोमे जो कुछ सामग्री दी गई है, वह सम्पादकीय है। मूलमे आये गोल कोष्ठकोको कायम रखा गया है। गाधीजी द्वारा उद्धृत अनुच्छेद हाशिया छोडकर गहरी स्याहीमे छापे गये हैं।

'सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा' और 'दक्षिण आफ्रिकाना सत्याग्रहनो इतिहास' के विभिन्न सस्करणोमे पृष्ठ सख्याकी भिन्नताके कारण जहा आवश्यक हुआ है, केवल भाग और अध्यायका ही हवाला दिया गया है।

साधन-सूत्रोमे एस० एन० सकेत साबरमती सग्रहालय, अहमदाबादमे उपलब्ध कागजपत्रोका सूचक है। इसी प्रकार जी० एन० गाधी स्मारक निधि और सग्रहालय, नई दिल्लीमे उपलब्ध कागज पत्रोका तथा सी० डब्ल्यू० सम्पूर्ण गाधी वाङ्मय द्वारा प्राप्त कागजपत्रोका सूचक है। सामग्रीके सूत्रोमे यदा कदा जो सकेत आये है, उनमे "सी० एस० ओ०" कलोनियल सेक्रेटरीके आफिस के लिए "सी० ओ०" कलोनियल ऑफिसके लिए तथा "एल० टी० जी०" या "एल० जी०" लेफ्टिनेंट गवर्नरके लिए आये है।

इस खण्डकी सामग्रीके साधन सूत्र और सम्बन्धित अवधिका तारीखवार वृत्तान्त पुस्तकके अन्तमे दिये गये हैं।

आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम साबरमती आश्रम सरक्षक तथा स्मारक टस्ट ओर सग्रहालय, गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय और नवजीवन टस्ट, अहमदाबाद, गाधी स्मारक निधि तथा सग्रहालय और अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी पुस्तकालय, नई दिल्ली, भारत सेवक समिति, पूना, कलोनियल आफिस पुस्तकालय तथा इडिया ऑफिस पुस्तकालय, ल दन, फीनिक्स आश्रम, डबन, प्रिटोरिया आर्काइव्ज, प्रिटोरिया, नगर-परिषद, क्रूगसडाप, श्री दी० गो० तेडुलकर तथा 'महात्मा' के प्रकाशक, श्रीमती सुशीलाबहन गाधी तथा झवेरी परिवार, डबन, श्री छगनलाल गाधी, अहमदाबाद, श्री अरुण गाधी, बम्बई तथा 'इडियन ओपिनियन', 'इडिया', 'नेटाल मक्युरी', 'रड डेली मेल', 'स्टार' और 'ट्रासवाल लीडर' समाचारपत्राके आभारी ह।

अनुसधान तथा सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओके लिए गाधी स्मारक सग्रहालय, इडियन कोसिल आफ वल्ड अफेयस पुस्तकालय, केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय तथा सयुक्त राज्य सूचना सेवा पुस्तकालय, नई दिल्ली साबरमती सग्रहालय तथा गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद, सावजनिक पुस्तकालय जोहानिसबग, ओर ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय, ल दन हमारे धन्यवादके पात्र ह।

विषय-सूची

चित्र-सूची

१ नेटालके विधेयक

नेटाल सरकारके २१ जूनके खास 'गजट' मे चार विधेयक प्रकाशित किये गये ह। वे सभी थोडे या बहुत आपत्तिजनक है। पहला विधेयक उन कानूनोमे सशोधन करनेके लिए रखा गया हे जो कि जूलूलैड प्रातमे शराबके परवाने ओर दूसरे परवानोमे सम्बधित हे। यह विधेयक अधिकतर ब्रिटिश भारतीयोको लक्ष्यमे रखकर बनाया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक फेरीवालेको प्रतिमास परवाना लेना पडेगा, और यह उन फेरीवालोपर भी लागू होगा जो आयातित माल नही बेचते, यद्यपि ऐसा माल बेचनेके परवानेका कोई शुल्क नही देना पडता। जो फेरीवाला आयातित माल बेचनेका परवाना लेगा उसे प्रतिमास १ पौड शुल्क देना पडेगा। इसके अतिरिक्त १८९७ के कानून १८ के अनुसार परवाने तबतक न्ही दिये जायेगे जबतक कि उपनिवेश सचिव उनकी मजूरी न दे दे। इस सम्बन्धमे उनका निणय सवथा अतिम होगा ओर "उनके निणयके खिलाफ किसी भी अदालतमे या उच्चाधिकारीके सामने अपील नही की जा सकेगी।"

दूसरा विधेयक भी ब्रिटिश भारतीयोसे ही सम्बन्धित है। इसके द्वारा अनधिकृत देहाती जमीनोपर कर लगाया जायेगा। यह उसी विधेयककी नकल है जिसपर हम पहले विचार कर चुके ह[1]। इसके अनुसार वह जमीन जिसपर स्वय उसका मालिक या कोई यूरोपीय, प्रत्येक वषमे जनवरीसे दिसम्बर तक के बारह महीनोमे से कमसे कम दो महीने लगातार नही रहा हे, अनधिकृत मानी जायेगी।

तीसरे विधेयकका उद्देश्य निजी बस्तियामे भी परवानोकी व्यवस्था करना हे। इसमे 'निजी बस्ती' की व्याख्या की गई है "किसी निजी जमीनपर अथवा बिकती हुई सरकारी जमीनपर बनी कितनी भी झोपडिया या मकान जिनमे वतनी या एशियाई रहते हो।" इस प्रकार जमीनका प्रत्येक टुकडा, जिसपर भारतीयोका अधिकार होगा, कलमकी एक रगडसे 'निजी बस्ती' मे बदल दिया जायेगा, और उस स्थानके मालिकको एक परवाना लेना पडेगा और उसके लिए १० शिलिंग प्रति झोपडी या मकान प्रतिवप देने होगे। जिन झोपडियोमे एशियाई या वतनी कमचारी रहते होगे उनका कोई परवाना शुल्क नही लिया जायेगा। इसका शुद्ध परिणाम यह होगा कि ऐसे प्रत्येक कमरेपर, जो खुद मालिक या मालिकके नौकरके अलावा, किसी अन्य भारतीयके अधिकारमे होगा, १० शिलिंग सालाना कर लग जायेगा — फिर उस अपमानका तो कुछ कहना ही नही जो कि एशियाइयोके निवास स्थानोको 'बस्ती' के नामसे पुकारनेमे निहित है।

चौथा विधेयक आबाद रिहायशी मकानोपर कर लगानेके सम्बन्धमे है। यह सबपर लागू होगा। शायद विधेयकके निर्माताओका ध्यान विधेयकका मसविदा बनाते समय ब्रिटिश भारतीयो पर बिलकुल नही था, फिर भी, अतमे इसका प्रभाव अन्य किसी जातिकी अपेक्षा उनपर कही अधिक पडेगा। इसमे, ७५० पौडसे कम मूल्यके प्रत्येक मकानपर १ पौड १० शिलिंग कर लगानेका प्रस्ताव है। यह कर ४,००० पौडसे अधिक कीमतके रिहायशी मकानोपर बढकर २० पौड हो जाता है। और 'रिहायशी मकान' का अथ हे ऐसा कोई भी मकान या मकानका भाग जो रहनेके काम आता हो — इसमे घरेलू नौकर-चाकरोके कमरे, अस्तबल, कोठियोके बाहर अहातोमे बने कमरे, और अन्य वे सब तामीरात शामिल है जो रिहायशी

१ देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ४७०।

मकानके साथ लगी हो, बशर्ते कि वे रिहायशके काम आती हो। यह कर मकानोके मालिकोसे नही, उनमे जो रहते है उनसे वसूल किया जायेगा। इसलिए उसमे रहनेवाले व्यक्तिको भी १ पौड १० शिलिग वार्षिक कर देना पडेगा, चाहे किसी कमरेकी कीमत केवल ५० पौड ही क्यो न हो। बहुत से कमरे केवल लकडी और लोहेके बने है, और उनका किराया शायद केवल पाच शिलिग मासिक दिया जाता है। इस किरायेमे भी सरकार आधा क्राउन [ढाई शिलिग] मासिककी वृद्धि करना चाहती है। ओर कुछ नही तो, उसे छूटकी एक सीमा बाँध देनी थी और उससे नीचे कोई कर नही लगाना था। वतमान रूपमे विधेयकपर सब प्रकारकी गम्भीर आपत्तिया की जा सकती है। ये चारो विधेयक नये मन्त्रिमण्डलकी[1] कारवाइयोका एक नमूना है। हम यह कहनेके लिए विवश है कि इनमेसे प्रत्येकपर अनुभवहीनताकी छाप दिखाई दे रही है। सरकार इस उपनिवेशको आर्थिक कठिनाइयोसे उबारनेके जो प्रयत्न कर रही है उनमे प्रत्येक सच्चे नागरिकको उसके साथ सहानुभूति है, परन्तु उसने आय बढानेके जो साधन अपनाये है उनका उदाहरण युद्धकालको छोडकर आजके जमानेमे प्राय कही नही मिलता। ये चोखे आर्थिक सिद्धान्तोके भी विरुद्ध है। हमे आशा है कि इस उपनिवेशकी नेकनामी और यशकी रक्षाकी खातिर विधानसभा और विधान-परिषद इन विधेयकोको एकदम अस्वीकार कर देगी।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १–७–१९०५

२ श्री ब्रॉड्रिक[2] और ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय

सर मचरजीके[3] प्रश्नपर श्री ब्रॉड्रिकने ट्रान्सवालमे ब्रिटिश भारतीयोकी स्थितिके विषयमे एक बडा महत्त्वपूण उत्तर दिया है। बेथनल-ग्रीनके सदस्यने जोर दिया कि भारतीय समस्याका कुछ-न कुछ हल निकाला जाना चाहिए और श्री ब्रॉड्रिकने जोर देकर कहा कि युद्धसे पहले भारतीय जिन अधिकाराका उपभोग करते थे उनमे कमी नही की जायेगी, और, ट्रान्सवालको जितना भी हो सकता है उतना दबाया जा रहा है, परन्तु कोई स्वशासित उपनिवेश जिन लोगोका अपने यहा प्रवेश करना अवाछनीय मानता है उनके सम्बन्धमे उसकी कारवाइयोमे दखल देना मुश्किल है। श्री ब्रॉड्रिककी पहली बातका एकमात्र अथ यह हो सकता है कि साम्राज्य सरकारका इरादा यह ध्यान रखनेका है कि भारतीयोके उन अधिकारोमे कमी नही होने दी जाये जो उन्हे 'बोअर शासन' के समय प्राप्त थे। परन्तु उस इरादेपर इस समय अमल नही किया जा रहा है। केवल एक उदाहरण ले ले। पहले ब्रिटिश भारतीयोके प्रवेशपर कोई पाबन्दी नही थी। पर अब — जैसा कि इन स्तम्भोमे बार बार दिखाया जा चुका है — किसी नये भारतीयको तो ट्रान्सवालमे प्रविष्ट होने ही नही दिया जाता, पुराने निवासियोको भी केवल थोडी सख्यामे आने दिया जाता है, और वह भी थकाऊ, असुविधाजनक और खर्चीले जाब्तामे से गुजरनेके

१ जिसके प्रधान सी० जे० स्मिथ थे।

२ जॉन ब्रॉड्रिक भारतमन्त्री (१९०३–५)।

३ सर मचरजी मेरवानजी भावनगरी (१८५१–१९३३) भारतीय बैरिस्टर जो इंग्लैडके निवासी बन गये थे, ब्रिटिश ससद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी लन्दन स्थित ब्रिटिश समितिके सदस्य। देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४२०।

बाद। साम्राज्य सरकार ट्रासवालको दबा रही है, यह हम जानते है और उसकी सराहना भी करते है। परन्तु हमे इसमे सन्देह है कि यह दबाव, परिस्थितिकी गम्भीरताके अनुसार, पर्याप्त है। माननीय मन्त्रीकी तीसरी बातसे अनेक सन्देह उत्पन्न होते है। उससे उनकी असहाय अवस्थाका पता चलता है। ट्रासवाल अभीतक स्वशासित उपनिवेश नही बना[१], परन्तु छिपे हुए अथसे, श्री ब्रॉड्रिकने उक्त बात वैसा ही मानकर कही है। श्री ब्रॉड्रिकने उन वादोसे इनकार नही किया जिनकी चर्चा सर मचरजीने की थी। और न इस बातसे इनकार किया जा सकता है कि जब ये वादे किये गये ये तब जिम्मेदार मन्त्री भलीभाति जानते थे कि आगे क्या होनेवाला है। वे जानते थे कि युद्धका एकमात्र परिणाम क्या होगा और शान्तिकी घोषणाके पश्चात ट्रासवालको स्वशासन देना पडेगा। इसलिए इसका मतलब यह निकला कि ट्रासवालके यूरोपीयोको खुश करनेकी उत्सुकतामे, अब ब्रिटिश सरकार अपने वादोसे मुकर जानेके लिए भी तैयार हो गई है। यहा यह प्रश्न करना सवथा सगत होगा कि युद्ध समाप्त होते ही, भारतीयोके साथ किये गये वादे तुरन्त पूरे क्यो नही किये गये। और अब भी, सर विलियम वेडरबनके[२] सुझावके अनुसार ट्रासवालको वास्तविक स्वशासन मिलनेसे पहले ही, ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारतीयोपर से पुरानी पाबन्दिया क्यो नही हटा देती? वह ऐसा करके इस कानूनको उलट देनेकी बदनामी और वैसा करनेकी आवश्यकता सिद्ध करनेका बोझ, उस परिषदके सिरपर क्यो नही डाल देती जो पूण स्वशासन मिल जानेपर चुनी जायेगी?

जिस समय श्री ब्रॉड्रिकने उपयुक्त बाते कही थी उसी समय उन्होने, एक अन्य स्थानपर, परन्तु भारत मन्त्रीकी हैसियतसे ही, अपने श्रोताओको बताया था कि उनपर, ब्रिटेनके बाद, पहला दावा भारतका ही है, क्योकि भारतके साथ ब्रिटेनका व्यापार उसकी अपेक्षा ज्यादा है जितना कैनेडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिण आफ्रिकाके साथ मिलकर होता है। यदि युद्धकी समाप्ति-पर ट्रासवालके ब्रिटिश भारतीयोके हितोपर इसी भावनासे विचार किया जाता तो लॉड मिलनर[३] ट्रासवालके भारतीय विरोधी कानूनोपर भी ठीक उसी प्रकार बिना झिझके कलम फेर देते जिस प्रकार उन्होने ब्रिटिश सिद्धान्तोसे असगत अन्य बीसियो अध्यादेशोपर फेरी है। यह मामला ऐसा नही कि इधर उनका ध्यान ही न गया हो, क्योकि देशमे आवागमन आरम्भ होते ही भार-तीयोने लॉड मिलनरसे भारतीय विरोधी कानून रद कर देनेकी प्राथना की थी। यदि वे यह कदम उठाते तो आज जो भारत विरोधी आन्दोलन चल रहा है वह शायद सुनाई भी न देता। और हमारी सम्मतिमे श्री ब्राड्रिककी कल्पनापर अमल भी किया जा सकता है। अभी कोई बहुत देर नही हुई है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १–७–१९०५

१ स्वशासन १९०६ में मिला।

२ भारतीय नागरिक सेवाके विशिष्ट सदस्य, इनका पीछे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेससे सम्बन्ध रहा। देखिए खण्ड १ पृष्ठ ३९६।

३ सर अल्फ्रेड मिलनर दक्षिण आफ्रिकाके उच्चायुक्त १८९७–१९०५, केप उपनिवेशके गवर्नर, १८९७–१९०१ तथा ट्रान्सवालके १९०१–५।

३ लॉर्ड सेल्बोर्न[1] और स्वशासन

श्री ब्राड्रिकके वक्तव्यके[2] बारेमे हम जो कुछ कह चुके है, उसे देखते हुए आरेंज रिवर कालोनीमे लार्ड सेल्बोर्न द्वारा एक शिष्टमण्डलको, जो पिछले हफ्ते उनसे मिला था, दिये गये जवाबकी मीमासा करना दिलचस्पीकी बात होगी। शिष्टमण्डल उनसे उक्त उपनिवेशका स्वशासन देनेकी प्रार्थना करनेके लिए गया था। परमश्रेष्ठने परिभाषा करते हुए कहा

ब्रिटिश साम्राज्यमे उत्तरदायी शासनका अर्थ शुद्ध स्थानीय मामलोमे पूर्ण स्वतन्त्रता होता है। जबतक यह स्वतन्त्रता ब्रिटिश साम्राज्यके आम मेलजोलमे दखल नही देती अथवा उन सिद्धान्तोको जिनपर उसकी नीव है, अथवा साम्राज्यकी किन्ही अन्य भावनाओको जो उसे एक साथ बाँधती है, भग नही करती, तबतक उसका अर्थ पूर्ण स्थानीय स्वराज्य है।

यह परिभाषा सम्राटके एक विशिष्ट प्रतिनिधिके योग्य है और यह साम्राज्यके उपनिवेश मन्त्रियोके द्वारा बार-बार की गई घोषणा ोसे मेल खाती है। तब प्रश्न उठता है कि क्या ब्रिटिश भारतीयो पर ट्रान्सवालमे जो निर्योग्यताएँ लादी गई है, वे साम्राज्यके आम मेलजोलमे दखल नही देती, अथवा उन साम्राज्यीय भावनाओको जो उसे एकताके सूत्रमे बाधती है, भग नही करती? प्रश्नका उत्तर स्पष्ट है। हम आशा करते है कि जब परमश्रेष्ठके सामने भारतीय प्रश्नोपर विचार करनेका अवसर आये, तब वे अपने द्वारा दी गई इस परिभाषाको लागू करेगे और आजकी विसगतिको दूर करेगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १-७-१९०५

४ सरकारी नौकरियोमे भेद-भाव

लार्ड कर्जनने[3] बहुत बार कहा है कि वे नौकरिया देनेमे गोरो और कालोके बीच कोई भेद नही करते। उन्होने एक बार बडे आवेशसे कहा था कि नौकरिया पानेके सम्बन्धमे ऐसी कोई बात नही जिसके बारेमे भारतीय शिकायत कर सके। ओर यह साबित करनेके लिए कि भारतीयोको बहुत सी नौकरिया दी जा रही है, उन्होने एक ब्योरा भी प्रकाशित कराया था। किन्तु वह ब्योरा बनावटी था, क्योकि उसमे ७५ रुपये वेतन पानेवाले अनेक भारतीय शामिल कर लिये गये थे। माननीय गोपालकृष्ण गोखलेने[4] भी उनके इस झूठे दावेका भडाफोड[5] कर दिया है।

१ दक्षिण आफ्रिकामें उच्चायुक्त तथा ट्रान्सवाल और ऑरेंज रिवर उपनिवेशके गवर्नर, १९०५-१०।

२ देखिए पिछला शीर्षक।

३ भारतके वाइसराय और गवर्नर जनरल, १८९९-१९०५।

४ गोपालकृष्ण गोखले (१८६६-१९१५) भारतके एक प्रतिष्ठित नेता और राजनीतिज्ञ। १९०५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके बनारस अधिवेशनके अध्यक्ष। देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४१७।

५ शाही विधान परिषदमें दिये अपने एक बजट सम्बन्धी भाषणमें।

उन्होंने यह बता दिया है कि बड़े बड़े वेतन पानेवाले लोग प्राय सभी यूरोपीय ह, और जो नई जगहे निकली है, वे भी सब यूरोपीयोको ही मिली है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १–७–१९०५

५ मैक्सिम गोर्की[1]

रूसके लोगो और हमारे देशके लोगोके बीच एक हदतक तुलना की जा सकती है। जैसे हम गरीब है वैसे ही रूसकी जनता भी गरीब ह। जैसे हमे राजकाज चलानेका कुछ भी अधिकार नही है और चुपचाप कर चुकाने पडते ह, उसी प्रकार रूसके लोगोको भी करना पडता है। रूसमे ऐसे कष्टोको देखकर कुछ अत्यन्त वीर पुरुष सामने आ जाते है। कुछ समय पहले रूसमे विद्रोह हुआ। उसमे जिन्होने मुख्य भाग लिया उनमे मैक्सिम गोर्की भी थे। वे बहुत गरीबीमे पले थे। शुरूमे वे एक मोचीके यहा नौकरीपर रहे। वहासे उनको छुट्टी दे दी गई। फिर उन्होने कुछ समय तक सिपाहीगीरी की। उस समय उन्हे अध्ययन करनेकी तीव्र अभिलाषा हुई। लेकिन गरीब होनेके कारण किसी अच्छी पाठशालामे प्रवेश नही मिल सका। उसके बाद उन्होने एक वकीलके यहा नौकरी की और अन्तमे एक नानबाईके यहा फेरीदारका काम किया। इस बीच सारे समय उन्होने निजी परिश्रमसे शिक्षा प्राप्त करनेका काय जारी रखा। उन्होने १८९२ मे अपनी पहली पुस्तक लिखी जो इतनी रोचक थी कि उससे उनकी ख्याति तुरन्त फैल गई। उसके बाद उन्होने बहुत सी रचनाए की है। इन सबके पीछे उनका एक ही उद्देश्य था कि लोगोको उनके ऊपर होनेवाले अत्याचारोके खिलाफ उकसाया जाये, सत्ताधीशोके कान खडे किये जाये और यथासम्भव जनताकी सेवा की जाये। वे पैसा कमानेकी कुछ भी परवाह न करके ऐसे तीखे लेख लिखते ह कि उनपर अधिकारियोकी कडी निगाह रहती है। वे लोकसेवा करते हुए जेल भी हो आये है, किन्तु इसे अपना सम्मान समझते है। ऐसा कहा जाता है कि यरोपमे लोगाके हकोकी रक्षा करनेवाला मैक्सिम गोर्कीके समान कोई दूसरा लेखक नही है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १–७–१९०५

१ अलेक्सी मैक्सीमोविच पीशकोव गोर्की (१८६८–१९३६) रूसी उपन्यासकार और लेखक।

६ सिगापुरमे चीनी और भारतीय

सिगापुर जितना हमारे नजदीक है उतना ही चीनियोके नजदीक भी कहा जा सकता है। उस मुल्कमे चीनियोको जितनी सुविधाएँ है उतनी ही भारतीयोको भी ह। फिर भी हम लोग सिगापुरमे चीनियोका मुकाबला नही कर पाते। बहुत से चीनी सरकारी नौकरीमे है, सरकारी निर्माण विभागमे है, ठेकेदार ह, और बहुत सम्पन्न ह। कुछ तो मोटरे भी रखते है। सन १९०० मे २,००,९४७, सन १९०१ मे १,७८,७७८, सन् १९०२ मे २,०७,१५६ और सन् १९०३ मे २,२०,३२१ चीनी सिगापुरके इलाकेमे गये, जब कि भारतीय हर साल सिफ २१,००० के हिसाबसे ही गये। इन भारतीयोमे अधिकतर मद्रासी थे। इस उदाहरणसे ज्ञात होता है कि हम लोगोको बाहरके देशोमे जाकर अभी कितना काम करना बाकी हे। हमारे लिए यह बहुत शमकी बात हे कि हम लोग चीनियोकी बराबरी नही कर सकते।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १–७–१९०५

७ पत्र उच्चायुक्तके सचिवको

जोहानिसबग
जुलाई १, १९०५

सेवामे
निजी सचिव
परमश्रेष्ठ उच्चायुक्त
जोहानिसबग

महोदय,

रगदार व्यक्तियोके बारेमे ऑरेज रिवर कालोनीके परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेट गवनर द्वारा समय-समयपर स्वीकृत उपधाराओके सम्बन्धमे उक्त कालोनीकी सरकार और मेरे सघके बीचमे जो पत्रव्यवहार[१] हुआ हे, उसकी प्रतिया मै इस पत्रके साथ सलग्न कर रहा हूँ। मेरा सघ परम श्रेष्ठका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करनेकी धष्टता करता हे कि मेरे पत्रमे किसी नये विधानकी माग नही की गई है। मेरे सघकी नम्र रायमे लेफ्टिनेट गवनरका जो अधिकार प्राप्त है उनके बलपर वे ऐसी उपधाराओका निषेध कर सकते ह जो ब्रिटिश परम्पराओ और अधिकार पत्र (लैटस पेटट)के विरोधमे हो। मेरे सघको सूचित किया गया है कि नगरपालिकाओको जो कानून बनानेकी आज्ञा मिली हे उसे यदि विधान परिषद स्वीकार कर ले तो फिर महामहिम सम्राटकी स्वीकृति उसपर प्राप्त करनी होगी। मेरे सघका यह खयाल भी है कि स्थानापन्न उपनिवेश सचिव द्वारा लिखित पत्रका अन्तिम अनुच्छेद मेरे सघ द्वारा की गइ शिकायतका औचित्य

१ देखिए "पत्र उपनिवेश सचिवको", खण्ड ४, पृष्ठ ४३३४। सरकारने इसके उत्तरमें सूचित किया कि उपनिवेशमें नगरपालिकाओंके अधिकार सीमित करनेके उद्देश्यसे कानून बनानेका कोई विचार नहीं है।

पूरी तरहसे सिद्ध करता है, क्योंकि यदि ब्रिटिश भारतीयोंकी अत्यल्प सख्याके कारण उठाया गया प्रश्न कोई व्यावहारिक महत्ता नही रखता, तो मेरे पत्रमे उल्लिखित ढगका विधान स्वीकृत करनेका भी कोई व्यावहारिक अर्थ नही हो सकता। वह उपनिवेशके लिए किसी प्रकार उपयोगी न होकर भी निरर्थक रूपसे दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीय समाजकी भावनाओंको चोट पहुँचाता है और इसलिए मेरा सघ ऐसी आशा करता है कि परमश्रेष्ठ उन उपधाराओंकी, जो ऑरेंज रिवर कालोनीकी विभिन्न नगरपालिकाओंमे पास की गई है तथा स्वीकृत की गई है, उदारतापूर्वक जाच कराने और, राहत देनेकी कृपा करेंगे।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

अब्दुल गनी

अध्यक्ष,

ब्रिटिश भारतीय सघ

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ८–७–१९०५

८ पत्र कैखुसरू व अब्दुल हकको

[जोहानिसबर्ग]

जुलाई ३, १९०५

भाई श्री ५ कैखुसरू व अब्दुल हक,

आपका पत्र मिला। मुझे आपके उत्तरसे[1] सन्तोष है। आप लिखनेवालेका नाम जाननेकी इच्छा करते है, यह ठीक नही है। मैंने आपको लिखा है कि आपको उसे जाननेकी कोई जरूरत नही है। आपके लिए सचेत रहनेकी भी कोई बात नही है। यह सब भूल जाना है। जिसे अपना कर्तव्य पालन करना है उसे दूसरे जो भी कहे उससे निर्भय रहना चाहिए।

खातेमे मेरे नामे जो पैसा निकलता है उसका हिसाब मुझे भेजे। जो पैसा छापाखानेके लिए दिया गया है वह अभी मैंने जमा नही किया।

मो० क० गाधीके सलाम

श्री जालभाई सोराबजी ब्रदर्स
११० फील्ड स्ट्रीट
डर्बन

गाधीजीके स्वाक्षरोंमे गुजरातीसे, पत्र पुस्तिका (१९०५), सख्या ५११

१ यह गाधीजीके २७ जून १९०५ के पत्रका उत्तर था। देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ५१२।

९ ऑरेंज रिवर उपनिवेशके कानून

इस अकमे हम ऑरज रिवर उपनिवेशके ब्रिटिश भारतीयोकी स्थितिके विपयमे दो महत्त्वपूण पत्र प्रकाशित कर रहे है। पहला पत्र उक्त उपनिवेशके उपनिवेश सचिवका वह सक्षिप्त और विलम्बित उत्तर है, जोकि उन्होने जोहानिसबगके ब्रिटिश भारतीय मघ द्वारा एशियाई-विरोधी नगरपालिका कानूनाके विरुद्ध की गई आपत्तिपर भेजा है। ये कानून समय समयपर आरेज रिवर उपनिवेशकी नगरपालिकाओने बनाये है और लेफ्टिनेट गवनरने स्वीकृत किये है। दूसरा पत्र आदिवासी-रक्षक सभाके मत्री श्री एच० आर० फाक्सबोनका है जो उन्होने श्री लिटिलटनके[1] नाम लिखा है। ये दोनो एक-दूसरेसे बिलकुल उलटे है। उपनिवेश सचिवने लिखा है कि सरकारका इरादा ऐसा कोई कानून बनानेका नही है जिससे कि आरेज रिवर उपनिवेशकी नगरपालिकाओके वतमान स्थानिक शासन अधिकारोमे किसी प्रकारकी कमी हो। हमारी सम्मतिमे यह इस प्रश्नकी सचाई स्वीकार कर लेना है। ब्रिटिश भारतीय सघने इन अधिकारोको कम करनेकी माग कभी नही की, क्योकि लेफ्टिनेट गवनरको पहले ही निषेधाधिकार प्राप्त है। जबतक लेफ्टिनेट गवनर मजूरी न दे तबतक कोई भी उपनियम लागू नही होता, और ऑरेज रिवर उपनिवेश तक मे हमे ऐसे किसी कानूनका पता नही जो लेफ्टिनट गवनरको किसी नगर पालिकाके बनाये हुए उपनियमोपर मजूरी देनेके लिए मजबूर करता हो। इसके विपरीत, परम-श्रेष्ठ लेफ्टिनेट गवनरको हिदायते दी गई है कि वे किसी भी रगभेदकारी कानूनपर मजूरी न दे। और यह सभी मानेगे कि जब वे सारे उपनिवेशके कानूनोके विषयम ऐसा नही कर सकते, तब वे उपनिवेशकी किसी खास नगरपालिकामे लागू कानूनाके विषयमे भी ऐसा नही कर सकते। उपनिवेश सचिवने जो कारण बताया हे वह व्यग्यात्मक है। उन्होने लिखा है, "चूकि उपनिवेशमे ब्रिटिश भारतीयाकी सख्या इतनी थाडी है इसलिए मेरा खयाल है कि, आप भी मानेगे कि आपके उठाये प्रश्नका 'व्यावहारिक' महत्त्व बहुत नही हे।" 'व्यावहारिक' शब्दके नीचे, पत्रमे रेखा खिची हुई है। इसका अथ क्या है? इससे सिफ यह प्रकट होता है कि आरज रिवर उपनिवेशके दरवाजे ब्रिटिश भारतीयोके लिए सदा बन्द रहेगे। और जो कोई ब्रिटिश भारतीय वहा आयेगा वह इन प्रतिबन्धक अधिकारोके बावजूद वैसा करेगा, और यदि वह आपत्ति करता है तो उससे यह कह दिया जायेगा कि ये कानून रद नही किये जा सकते, मुहतोड जवाब दिया जायेगा "अब तो मौका निकल गया है।" क्या हम उपनिवेश सचिवसे पूछ नही सकते कि यदि आरेज रिवर उपनिवेशमे इतने थोडे ब्रिटिश भारतीय है तो उनका यह अनावश्यक अपमान क्यो किया जाता हे? क्या किसी प्रकारका औचित्य न होते हुए भी किसी समूचे राष्ट्रकी भावनाओको ठेस पहुँचाना व्यावहारिक नीति-निपुणता है? ऑरज रिवर उपनिवेशकी नगरपालिकाएँ निस्सन्देह इतना अनुचित काम नही करेगी कि स्वय उपनिवेश-सचिवके कथनानुसार जो मामला उनके लिए महत्त्वका नही हे उसपर लेफ्टिनट गवनर तक की आपत्ति सुननेसे इनकार कर दे। ऐसा वे तभी करेगी जबकि उन्हे अपनी कुछ भी हानि न पहुचानेवाले लोगोका अकारण अपमान करनेमे आनन्द आता हो। परतु उपनिवेश सचिवके पत्रकी चर्चा हम अधिक नही करेगे। हमे प्रसन्नता है कि ब्रिटिश भारतीय सघ इस मामलेम पहले ही कदम उठा चुका है और उच्चायुक्तकी सेवामे प्राथनापत्र भेज चुका है।

१ अल्फ्रेड लिटिल्टन, उपनिवेश मन्त्री, १९०३–५।

उपनिवेश सचिवको भेजे गये श्री फॉक्सबोनके पत्रको उक्त पत्रसे विपरीत देखकर हमें प्रसन्नता हुई। हम इस महत्त्वपूर्ण पत्रकी ओर, जिसे हमने अपने सहयोगी 'इंडिया' से उद्धृत किया है, सभी दक्षिण आफ्रिकी साम्राज्य हितैषियोंका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। आदिवासी रक्षक सभाके विरुद्ध दक्षिण आफ्रिकामें अक्सर बहुत कुछ कहा गया है। परन्तु हमें आशा है कि दक्षिण आफ्रिकाके समाचारपत्र और उनके पाठक प्रत्येक बातका निर्णय उसके गुणावगुणके आधारपर करेंगे, और अपनी पहलेसे बनी द्वेष भावनाके कारण आदिवासी रक्षक सभाके कार्यकी निन्दा न करेंगे। आखिर, उसके सदस्योंमें कई उदात्ततम अंग्रेज भी तो हैं। इस मामलेमें श्री फाक्सबोनको कई आश्वासन भी दिये गये थे जो अभी पूरे होने शेष हैं। उन्होंने उपनिवेश-सचिवको याद दिलाया है कि युद्धसे पहले उनके संघके प्रार्थनापत्रोंके उत्तरमें कुछ वादे किये गये थे। इस कारण, वे "आशा करनेका साहस करते हैं कि उन वादोंको पूरा करनेमें बिलकुल विलम्ब न किया जायेगा।" और लार्ड मिलनरके कथनसे उनकी "यह आशा बढ़ी है कि कमसे कम उन रंगदार लोगोंके सम्बन्धमें तो ये वादे पूरे कर ही दिये जायेंगे, जो ब्रिटिश प्रजाजन हैं और असभ्य नहीं हैं।" साम्राज्य सरकारको एक पेचीदा सवाल हल करना है। या तो उसे सर आर्थर लालीकी[1] सलाह माननी पड़ेगी और साहसके साथ वादा खिलाफी करनी पड़ेगी, या ब्रिटिश परम्पराओंके अनुसार अपने वादे पूरे करने होंगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८-७-१९०५

१० चीनी और गन्दी भाषा

ट्रान्सवालकी खानोंके गोरोंका एक शिष्टमण्डल लार्ड सेल्बोनसे १ जुलाईको मिला था। उसने उनसे माँग की कि चीनी मजदूरोंसे गोरोंकी रक्षा की जानी चाहिए। उसने उन्हें बताया कि गोरे चीनियोंसे खराब बर्ताव नहीं करते। एक गोरेके नियन्त्रणमें ३० या ४० चीनी काम करते हैं, इसलिए दंगेके समय चीनियोंके लिए एक गोरेकी जान ले लेना कठिन नहीं है। चीनी बार बार गन्दी भाषाके प्रयोगसे, इशारोंसे और मुँह बिचकाकर गोरे अधिकारीका अपमान करते हैं। वह भाषा इतनी गन्दी होती है कि शिष्टमण्डलके दुहराने योग्य नहीं है। शिष्टमण्डलके सदस्योंने बताया कि कोई भी गोरा ऐसा अपमान सहन करके चुप बैठा नहीं रह सकता। उत्तरमें लार्ड सेल्बोनने कहा कि ४०,००० चीनी मजदूरोंमें शारीरिक हमले करनेके मामले अबतक केवल २० हुए हैं। उनकी भाषा सम्बन्धी शिकायत वजनदार नहीं है, क्योंकि खुद गोरे गन्दी भाषाका व्यवहार करके बुरा उदाहरण उपस्थित करते हैं। उनके सामने शराब पीना और अनुचित आचरण करना, खुद अपने लिए नुकसानदेह हो जाता है। ये भाषासे बिलकुल अनजान लोग अपने प्रति प्रयुक्त गन्दे शब्दोंको तोतोंकी तरह रट लेते हैं, और फिर उन्हें सुधारना बहुत कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि गोरोंका गोरापन गोरी चमड़ीमें ही नहीं है, उन्हें अपने भीतर भी गोरा होना चाहिए, अर्थात् उनमें अपने अच्छे बर्तावसे सामनेके मनुष्यके मनमें आदर, आज्ञाकारिता और भय उत्पन्न करनेकी खूबी होनी चाहिए। तभी वे गोरे कहे जा सकते हैं। संक्षेपमें चीनियोंके खराब बर्तावके लिए उन्होंने गोरोंको ही जिम्मेवार माना और अच्छे बर्तावमें चीनियोंको वशमें करनेकी जरूरत बताई।

१ ट्रान्सवालमें भूतपूर्व उच्चायुक्त।

शिष्टमण्डलने कुछ और भी दिक्कत बताई जिनपर लार्ड सेल्बोनने आवश्यक ध्यान देनेका वचन दिया है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८–७–१९०५

११. भारतमें नमकपर कर

डॉ० हचिन्सन द्वारा कड़ी आलोचना

भारतमें नमकपर कर है, इसके विरोधमें हमेशा आलोचनाएँ हुआ करती हैं। इस बार सुविख्यात डॉ० हचिन्सनने इसकी आलोचना की है। वे कहते हैं कि जापानमें इस प्रकारका कर था, वह अब समाप्त कर दिया गया है। फिर भी ब्रिटिश सरकार इसे कायम रखती है, यह बड़ी शर्मकी बात है। यह कर तुरन्त बन्द कर देना चाहिए। नमक ऐसी चीज है जिसकी आहारमें आवश्यकता होती है। भारतमें कुष्ठ रोग बढ़ रहा है उसका कारण नमक कर है, ऐसा कुछ अंशमें कहा जा सकता है। डॉ० हचिन्सन मानते हैं कि नमक कर एक जंगली रिवाज है और ब्रिटिश सरकारके लिए अशोभनीय है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८–७–१९०५

१२ पत्र : दादा उस्मानको

[जोहानिसबर्ग]
जुलाई ८, १९०५

सेठ दादा उस्मान,

आपका पत्र मिला। मुझे लगता है, आपके फ्राइहीड जानेकी पूरी जरूरत है। वहाँ व्यवस्था किये बिना आप कुछ नहीं कर सकेंगे, ऐसी आशंका है। मुझसे यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होता। यदि जुर्माना हुआ तो आपकी गैरहाजिरीमें दूकान खुली रखनेकी सिफारिश नहीं कर सकूँगा।

हुंडामलकी अपीलपर[1] बहुत कुछ निर्भर रहेगा। उस अपीलके सम्बन्धमें पूरी पूरी सावधानी रखवाएँ। उस अपीलमें कौन पैरवी करेगा यह लिखें। उसमें जीत हो तो दूकान फिर खोल सकेंगे। बीचमें आप टाउन क्लार्क आदिसे जाकर मिलेंगे तो फायदा होना सम्भव है।

अब्दुल्ला सेठ हिसाब न दें तो मुझे घबरानेकी जरूरत दिखाई नहीं देती। दादा सेठको ज्यादा पैसा मिलेगा, यह आशा तो छोड़ ही दी है। इसलिए घबरानेका कारण तनिक भी नहीं है।

मो० क० गांधीके सलाम

सेठ दादा उस्मान
बाक्स ८८
डर्बन

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे, पत्र-पुस्तिका (१९०५), संख्या ५८२

१ देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ३७५, ३८५–८६ और ३९४।

१३ पत्र पारसी कावसजीको

[जोहानिसबग]
जुलाई ८, १९०५

रा० रा०[1] पारसी कावसजी,

आपका पत्र मिला। मुझे दु ख है कि आपको मझसे पैसेकी मदद मिले, ऐसी मेरी स्थिति नही है।

मो० क० गाधी

श्री पारसी कावसजी
११५ फील्ड स्ट्रीट
डबन

गाधीजीके स्वाक्षरोमे गुजरातीसे, पत्र पुस्तिका (१९०५), सख्या ५८४

१४ पत्र जे० डी विलियर्सको

[जोहानिसबग]
जुलाई १२, १९०५

सेवामे
श्री जे० डी विलियस
१८ एजिस बिल्डिग्ज़
जोहानिसबग

प्रिय महादय,

विषय इस्माइल और ल्यूकस

इस आशासे कि मै किसी समय स्वय आपसे मिलकर बिलकी रकममे कमी करा सकूगा, मैंने अभीतक जानबूझकर आपको चैक भेजनेमे देर की है। कितु अत्यधिक कामके दबावसे मै अभीतक दफ्तर छोडकर निकल नही पाया हूँ। सैयद इस्माइलके पास जो कुछ भी सम्पत्ति थी वह इस दावेकी ही थी। इसलिए १,३०० पोडका नुकसान और मुकदमेके खचकी अदायगी उसके लिए बहुत बडा घाटा है। इसलिए मै आपसे अपने हिसाबमे खासी कमी करनेकी प्राथना करना चाहता हूँ। मैने श्री ल्यूनाडसे भी प्राथना की थी और उन्होने कमी करनेकी उदारता दिखाई है।

मै इसके साथ आपका बिल भेज रहा हूँ।

आपका विश्वासपात्र,
मो० क० गाधी

सलग्न[2]

[अग्रेजीसे]

पत्र पुस्तिका (१९०५), सख्या ६३०

१ राज्यमान्य राजेश्री—श्रीमान्।
२ यह उपलब्ध नही है।

१५ पत्र उपनिवेश-सचिवको

जोहानिसबर्ग
जुलाई १३, १९०५

सेवामें
माननीय उपनिवेश सचिव
प्रिटोरिया

महोदय,

तारीख ७ के 'गवर्नमेंट गजट' के पूरकमें प्रकाशित अध्यादेशके मसविदेकी उपधारा ३ का, जो उपनिवेशके कानूनोंको "नगरपालिकाकी विधि संहिताको सामान्य रूपमें संशोधित करने" के विषयमें है, मुझे विनयपूर्वक अपने संघकी ओरसे विरोध करना पड़ रहा है।

यह देखते हुए कि एशियाई विरोधी कानून स्थानीय सरकार और साम्राज्य सरकारके विचाराधीन है, मेरा संघ यह निवेदन करनेकी धृष्टता करता है कि नगरपालिकाओंको एशियाई 'बाजारों' के संचालनका अधिकार देना असामयिक है और वैसा करनेका मंशा उपनिवेशके ब्रिटिश भारतीयोंकी भी मान प्रतिष्ठाको नुकसान पहुँचाना है। १८८५ के कानून ३ में सरकारी अंकुशका विधान है और यह देखते हुए कि ट्रान्सवालकी नगरपालिकाएँ बहुत हद तक रंग विद्वेषसे परिचालित होती हैं, मेरा संघ नम्रतापूर्वक निवेदन करता है कि एशियाई 'बाजारों' के संचालनका अधिकार नगरपालिकाओं या स्थानीय निकायोंको देना ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति अन्याय होगा।

इसलिए मेरा संघ आशा करता है कि सरकार उक्त धाराको वापस ले लेगी और जबतक उपनिवेशमें ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थितिके प्रश्नको कोई अन्तिम आधार नहीं दे दिया जाता, इस मामलेको रोक रखा जायेगा।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
अब्दुल गनी
अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२-७-१९०५

१६ पत्र जालभाई व सोराबजी ब्रदर्सको

[जोहानिसबर्ग]
जुलाई १३, १९०५

श्री जालभाई व सोराबजी ब्रदर्स
११० फील्ड स्ट्रीट
डर्बन

प्रिय महोदय,

छापाखानेकी मदमें मेरे नामे जो हिसाब है, उसका उतारा आप मुझे भेजना भूल गये हैं। मेहरबानी करके उसे अपने सुभीतेसे मेरे पास भेज दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रेससे ताल्लुक रखनेवाला जो काम दिया जाता है, उसे आप मुस्तैदीके साथ करनेकी मेहरबानी करेंगे, क्योंकि फीनिक्समें अभीतक सब बातोंकी ठीक व्यवस्था नहीं हो पाई है।

आपका सच्चा,
मो० क० गांधी

[पुनश्च]

आपका ११ तारीखका पत्र मिला। मुझे खुशी है कि श्री लॉटनसे[1] आपको उधारी मिल गई है। मैं उसे वापस भेज रहा हूँ। आपने छगनलालको १०० पौंड दिये, इसके लिए धन्यवाद। श्री रुस्तमजीको[2] आपने ८० पौंडका ड्राफ्ट भेजा, यह जाना।

[अंग्रेजीसे]

पत्र पुस्तिका (१९०५), संख्या ६३३

१ एफ० ए० लॉटन, जोहानिसबर्गके एक प्रमुख वकील। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९६।
२ पारसी रुस्तमजी, भारतीय व्यापारी और गांधीजीके सहकार्यकर्ता। देखिए खण्ड १ पृष्ठ ३९५।

१७ पत्र हाइन व कारूथर्सको

[जोहानिसबग]
जुलाई १३, १९०५

श्री हाइन व कारूथस
पो० आ० बॉक्स २६१
जोहानिसबग

प्रिय महोदय,

विषय मृत अब्दुल करीमकी जायदाद

मुझे अफसोस है कि आपने जो प्रलेख अनुवादके लिए मेरे पास छोड दिया था, उसे मैंने अभी बहुत थोडा ही किया है। अब भी २४ घने लिखे हुए पन्ने अनुवादके लिए शेष हैं। मुझे कदाचित् यह कहनेकी जरूरत नही हे कि यह अनुवाद बहुत ही महँगा पडेगा। जितना काम मने किया है उसकी रकम २ पोडसे अधिक हो गई है और समाप्त करते-करते वह लगभग १२ पौड हो जायेगी। फिर भी मैंने जो कुछ अबतक पढ लिया हे, उमसे जान पडता है कि पोरबन्दरमे मेरे प्रतिनिधिको प्रमाणित नकल पानेमे बहुत चक्करका रास्ता अख्तियार करना पडा हे। उसका कारण कानूनका परिवतन है, जिसके मुताबिक उन सम्बन्धित व्यक्तियोके अतिरिक्त जो अदालतके अधिकारक्षेत्रमे आते ह, कोई दूसरा व्यक्ति प्रमाणित नकले नही पा सकता। बहरहाल, यदि आप मुझे अनुवादका काम जारी रखनेको कहे, तो मै वैसा करूँगा। आपका पूरा अनुवाद देनेमे मुझे लगभग एक हफ्ता लग जायेगा। क्योकि मेरी वतमान व्यस्तताओके कारण मेरे लिए उसपर पूरे दो दिन लगाना सम्भव नही हे, जो इस कामके लिए आवश्यक हैं। मै सिफ थोडा सा समय रोज इस कायमे लगा सकता हूँ।

आपका विश्वासपात्र,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

पत्र पुस्तिका (१९०५), सख्या ६४९

१८. पत्र उमर हाजी आमदको

[जोहानिसबग]
जुलाई १३, १९०५

सेठ श्री उमर हाजी आमद,

आपका पत्र मिला। अखबारकी कतरन वापस भेजता हूँ। इससे मालम होता ह कि 'ओपिनियन'का प्रभाव बढता जा रहा है।

इसके साथ अग्रेजीका पत्र वकीलको पढानेके इरादेसे भेज रहा हूँ। वसीयतसे अनुसार अदालतकी तरफसे किसी ट्रस्टीकी नियुक्ति होनी चाहिए। बादमे जब कागज पत्र यहा आयेगे तब जायदाद आप दोनोके नाम होगी। फिर पट्टा दज होगा। मने जो अग्रेजीमे लिखा है वह आप समझ जायेगे, इसलिए ज्यादा विस्तारसे नही समझाता।

मो० क० गाधीके सलाम

सेठ उमर हाजी आमद झवेरी[1]
बॉक्स ४४१
डबन

गाधीजीके स्वाक्षरोमे गुजरातीसे, पत्र पुस्तिका (१९०५), सख्या ६५१

१९ पत्र टाउन क्लार्कको[2]

[जोहानिसबग]
जुलाई १४, १९०५

सेवामे
टाउन क्लाक
जोहानिसबग

महोदय,

विषय भारतीयोकी ट्रामगाडियोमे यात्रा

इस विषयमे हमारी जो बातचीत हुई थी उसपर मैने शान्ति और धीरजसे विचार किया है और अपने मुवक्किलसे सलाह मशविरा कर लिया है। यदि इस बातका निश्चित आश्वासन दिया जा सके कि नई ट्रामगाडियोमे भारतीयोको यात्रा करनेकी सुविधाएँ दी जायेगी, तो मेरा आसामी अदालतमे जाच मुकदमा दायर नही करेगा। किन्तु यदि ऐसा नही हो सके तो यह योग्य जान पडता है कि इस मामलेका निश्चित फैसला करा लिया जाये। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह रहा है कि जहा कुछ अधिकारोका अकारण अभाव मान लिया गया है, वहा ऐसी मान्यताके बलपर ही

१ मूल गुजरातीमें 'जोहरी' है।
२ देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ५०३।

आगेका प्रबन्ध करनेका नियम सा बन जाता है और पहले जिस प्रश्नपर बातचीत हो सकती थी, वहा नया प्रबन्ध हो जानेपर निश्चित रूपसे ऐसे अधिकार या अधिकारोके खिलाफ निर्णय हो जाता है? इसलिए मै यह माननेकी धृष्टता करता हूँ कि ऊपर सुझाया गया प्रस्ताव बिलकुल सगत है।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

पत्र-पुस्तिका (१९०५), संख्या ६५९

२० केप प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियम

केप टाउनकी ब्रिटिश भारतीय समिति (ब्रिटिश इंडियन लीग)ने केप प्रवासी-अधिनियमपर अमलके विषयमे उपनिवेश सचिवको एक प्रार्थनापत्र भेजा था। उसके उत्तरमे उनके दफ्तरसे समितिके अध्यक्षको जो पत्र मिला है उसे हम इसी अकमे अन्यत्र प्रकाशित कर रहे है। समितिने भारतीय भाषाओको मान्यता देनेके विषयमे जो प्रार्थना की थी उसे उपनिवेश-सचिवने एक वाक्यमे ही उडा दिया है। हमे आशा है कि समिति इस प्रश्नको यही न छोड देगी। उपनिवेश-सचिवके पत्रमे 'निवासी' शब्दका जो अर्थ लगाया गया है वह अत्यन्त असतोषजनक है। उपनिवेशका प्रत्येक भारतीय यह साबित नही कर सकता कि वह उपनिवेशमे अचल सपत्तिका मालिक है या उसके स्त्री और बाल बच्चे यहा मौजूद है। यदि इसी अर्थपर आग्रह किया जाता है तो, उपनिवेश-सचिवका इरादा वैसा करनेका न होते हुए भी, इससे अनावश्यक कठिनाइयां हुए बिना न रहेगी। हो सकता है कि कोई व्यक्ति केपमे अपना रोजगार छोड दे, केवल कुछ समयके लिए भारत चला जाये, और अपने आपको सदाके लिए केपसे निष्कासित पाये, क्योकि उसकी स्त्री और उसके बाल बच्चे उपनिवेशमे नही है या वह अचल सम्पत्तिका मालिक नही है। इसका अर्थ होगा उस गरीब दूकानदारकी बिलकुल बरबादी, जो भ्रमवश अपने आपको सुरक्षित समझकर, अपना रोजगार अस्थायी रूपसे अपने मैनेजरके सुपुर्द करके भारत चला गया हो। यह उदाहरण काल्पनिक भी नही है, क्योकि हम जानते है कि ऐसे अनेक भारतीयोको केपमे फिर आनेसे इनकार करनेकी घटनाएँ सचमुच घटित हो चुकी है। इस कारण न्यायका तकाजा पूरा करनेके लिए, कर्नल क्रू[1] कमसे कम जो कुछ कर सकते है वह है उन लोगोके अधिकार मान्य कर लेना जो फिर यहा लौटनेके इरादेसे अपना रोजगार या नौकरी छोडकर चले गये हो। तब वे नर्मीसे व्यवहार करनेकी बात कह सकेगे, क्योकि अभीतक तो उनकी व्याख्याके अनुसार कानूनके व्यवहारमे नर्मी बिलकुल नही है, कठोरता ही है। और तभी ब्रिटिश भारतीय समिति सरकारके रुखको मुनासिब मान सकेगी। अब तो हम, उनका अधिकतम सम्मान करते हुए भी, यह खयाल करते है कि यह कानून अन्यायपूर्ण और अनुचित है और केपवासी ब्रिटिश भारतीयोको अवश्य ही भारी कठिनाइयोमे डाल देगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५-७-१९०५

१ केप कालोनीके उपनिवेश सचिव।

२१ श्री वाछा[1] और भारतीय

राष्ट्रीय महासभाके सयुक्त मत्री श्री वाछाने हमे एक पत्र लिखा है, जो प्रोत्साहन, आशा और सुझावसे भरा है। हम उसका मुख्य भाग अन्य स्तम्भमे प्रकाशित करते है। उन्होने एक मिलता जुलता उदाहरण दिया है, जो दक्षिण आफ्रिकामे ब्रिटिश भारतीयोके दर्जेके सबधमे चालू विवादकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। उन्होने लिखा है

> **आपके यहाँके प्रवासी यूरोपीय यह भूल गये मालूम पडते है कि खुद व्यापारी और व्यवसायी ईस्ट इडिया कम्पनीके विरुद्ध, जो उन्हे १८३३ का कानून बनने तक भारतमे व्यापार करनेसे मना करती थी, बडी तीखी भाषामे शिकायत किया करते थे। यहा जो आते थे वे 'अनधिकारी' कहे जाते थे, परन्तु, अनधिकारियोमे धीरता और लगन थी।**

और हम जानते है कि वे सफल हुए। दक्षिण आफ्रिकाकी हालतोमे भी लगन और धीरता आवश्यक है। १८३३ मे न्याय जितना उनके पक्षमे था उसकी अपेक्षा अब हमारे पक्षमे अधिक है। दक्षिण आफ्रिकामे ब्रिटिश भारतीयोको अपने दर्जेमे सुधार करवानेका तिहरा अधिकार है। १८५८ की घोषणाके विरुद्ध कुछ भी क्यो न कहा जाये, उसमे उन्हे ब्रिटिश प्रजाके सम्पूर्ण अधिकारोका आश्वासन दिया गया है। वे यह दिखा चुके है कि दक्षिण आफ्रिकामे उनका जीवन परिश्रमी, सयमी, कानूनका पालन करनेवाला और ईमानदारीका रहा है, और जैसा बहुत बार माना जा चुका है, वे देशका विकास करनेमे बहुत उपयोगी सिद्ध हुए है। जिम्मेवार मन्त्रियोने उनसे बार बार वादे भी किये है कि दक्षिण आफ्रिकामे उनके साथ, विशेषत उनके नागरिक अधिकारोके बारेमे, न्याय और समानताका बरताव किया जायेगा।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १५–७–१९०५

२२ नेटालमें मकान-कर

नेटाल 'गवर्नमेंट गज़ट' मे मकान करके सम्बन्धमे जो विधेयक प्रकाशित हुआ है उसके विरुद्ध लोगोकी भावना बढती जाती है। मैरित्सबर्गमे १० तारीखकी रातको इस विषयपर विचार करनेके लिए एक आम सभा की गई थी। डर्बनमे गुरुवारकी शामको सभा की गई है। इस विधेयकके विरुद्ध कदम उठानेके लिए बहुत से लोगोने अलग-अलग अर्जियोपर हस्ताक्षर किये है। प्रस्तावित मकान-कर व्यक्ति करसे भी अधिक अप्रिय हो गया है। इस विधेयकमे सूचित प्रस्ताव बहुत ही अपूर्ण है और हमेशाके लिए तो सम्भव है ही नही, उसे थोडे समयके लिए मजूर कराना जोखिम भरा है। यदि यह कर न्यायपूर्वक लगाया जाये तो स्थायी करके रूपमे वह व्यक्ति करसे बेहतर कहा जा सकता है। व्यक्ति कर तो सदाके लिए सहन करनेके योग्य है ही नही, यद्यपि कुछ देशोमे वह वसूल किया जाता है। मकान करके विरुद्ध लोगोकी जो

1 दिनशा एदुलजी वाछा (१८४४–१९३६) १९०१ में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके कलकत्ता अधिवेशनके अध्यक्ष, वाइसरायकी विधान परिषदके नामजद सदस्य, देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४२१।

विरोधी भावना है उसकी वजहसे या तो उसका रूप बदल देना चाहिए और ऐसा न हो तो उसे हटा ही देना चाहिए, ताकि व्यक्ति करके प्रति विरोधी भावना पैदा न हो।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५–७–१९०५

२३ जापान द्वारा संधिकी तैयारी

सदेलियन टापूकी जीत

जापानियोंने सदेलियन नामके रूसी टापूपर कब्जा करके उसमें अपनी फौजें उतार दी हैं। यह टापू ६७० मील लम्बा और २० से लेकर १५० मील तक चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल २४,५५० वर्ग मील है, अर्थात् यह सौराष्ट्रसे अधिक विस्तृत है। इस टापूका दक्षिणी भाग सन् १८७५ तक जापानके कब्जेमें था, परन्तु इसके बाद इसे जापानने क्यूराइल टापूके[1] बदलेमें रूसियोंको दे दिया था। इसमें मिट्टीके तेलके बहुतसे कुएँ हैं। यहाँ कोयला भी बहुत निकलता है। इतने बड़े टापूपर जापानी अधिकार हो जानेका चालू संधिकी तैयारीपर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। 'टाइम्स' पत्रका कहना है कि इस सारे युद्धके दौरानमें अन्य किसी घटनाने रूसी लोगोंको इतना दुःख नहीं पहुँचाया था। इस घटनाने यह बता दिया है कि रूसी अपनी सीमाकी रक्षा करनेमें सर्वथा असमर्थ हैं। इस टापूके रूसके हाथमें आये हुए भी ५० वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। रूसने इसको राजनीतिक दावपेचोंसे अपने कब्जेमें लिया था और इससे जापानको नुकसान उठाना पड़ा था। यदि इस भारी युद्धका प्रसंग न आता तो यह टापू आज भी रूसके हाथमें ही रहता। बहुत अरसेसे जापानने इस टापूपर अपनी नजर लगा रखी थी, और इस सामयिक जीतसे यह खयाल किया जा रहा है कि वाशिंगटनकी संधि-वार्तामें जापानकी स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। संधि-समितिकी बैठक होते होते हमें यह समाचार सुननेको मिल सकता है कि मार्शल ओयामाने रूसी सेनाध्यक्ष लिनविचको करारी चोट दी है। जापानी सेना अल्पकालिक युद्ध विराम करनेसे इनकार करती है और जोरदार लड़ाईसे रूसको वास्तविक संधिके लिए मजबूर करनेका उसका इरादा है। और वह साहसके साथ कहती है कि संधिके सिवा दूसरा चारा नहीं है, यह वह दिखा देगी और संधिकी वार्ता करनेवाले रूसी प्रतिनिधियोंको अन्तमें जापानकी माँगें मंजूर करनी ही पड़ेंगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५–७–१९०५

१ उत्तर प्रशान्त महासागरमें एक छोटा सा द्वीप-समूह।

२४ पत्र छगनलाल गाधीको

२१–२४ कोट चेम्बस
नुक्कड, रिसिक व ऐडसन स्टीटज़
पो० आ० बाक्स ६५२२
जोहानिसबग
जुलाई १५, १९०५

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे पास आज तक का हिसाब भेजा जा चुका है। उसपर से भूकम्प कोषमे[1] जो रकमे मिली है तुम्हे उनकी जानकारी हो जायेगी। कुमारी न्यूफ्लीस द्वारा भेजी गई डबन बाढ कोषकी रकमे भी उसमे शामिल है। वे तुम श्री उमरको दे सकते हो। पत्रोके लिए कोरे पुरौनी कागज और कच्ची लिखाईके लिए गड्डिया मिल गई है। तुम्हारे निरीक्षण सम्बन्धी उल्लेखको म ठीक-ठीक नही समझा। तुम्हे चाहिए कि मुझे निश्चित उदाहरण भेजो। तब मै काय पद्धतिको अच्छी तरह समझ सकूगा। मै यह भी जानना चाहूँगा कि नुकसान कहा हुआ हे या कहा होता आ रहा है। डाह्या जोगीका पैसा मिल गया है। वह रकम १ पौड २ शि० ६ पे० है। मुझे मालूम है कि सामग्री देरसे भेजी गई थी। जितनी मुमकिन है, उतनी सामग्री आज भेज रहा हूँ। यदि कुछ बची तो वह कल भेज दी जायेगी। वेस्टने[2] मुझे लिखा है कि मगनलालको सितम्बरके करीब रवाना होना और दिसम्बरमे लौटना चाहिए। उन्होने यह भी कहा है कि तुम्हारी ऐसी राय है। यदि मगनलालके बिना काम चलाया जा सकता हो, तो मुझे कोई आपत्ति नही है। काबा और आनन्दलालका क्या हाल है? क्या पिल्ले अब बिलकुल अच्छा हो गया है? मगनलालको तमिल पुस्तके मिल गइ? उसने पढाई शुरू कर दी है?

मोहनदासके आशीर्वाद

[पुनश्च]

वाई० एम० सी० ए०, जोहानिसबगको एक सालके लिए 'इ० ओ०' भेजो। पैसा श्री मैकिटायरसे[3] मिल गया है।

मो० क० गा०

भूकम्प और कुमारी न्यूफ्लीसके हिसाबके परचे अलग अलग बनेगे।

श्री छगनलाल खुशालचद गाधी
माफत, इटरनेशनल प्रिटिग प्रेस
फीनिक्स

मूल अग्रेजी प्रतिकी फोटो नकल (एस० एन० ४२४५) से

१ देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ४५८।

२ अलबर्ट वेस्टसे गाधीजीकी मुलाकात १९०४ में जोहानिसबर्गके एक उपाहार गृहमें हुई थी। वे प्लेगके समय रोगियोंकी शुश्रूषाके लिए जोहानिसबर्गमें गाधीजीके पास आये थे। परन्तु उसके बजाय गाधीजीने **इंडियन ओपिनियन** और उसके छापेखानेका प्रबन्ध उनके हाथों सौंप दिया। गाधीजी उनके विषयमें लिखते हैं 'उस दिनसे लेकर मेरे दक्षिण आफ्रिका छोड़नेके दिन तक वे मेरे सुख दुखके साथी रहे।' देखिए, **आत्मकथा** भाग ४, अध्याय १६।

३ एक स्कॉट थियॉसोफिस्ट जो गाधीजीके मुंशी थे। देखिए, **आत्मकथा** (गुजराती) भाग ४, अध्याय **२१**।

२५. पत्र उमर हाजी आमद झवेरीको

[जोहानिसबग]
जुलाई १७, १९०५

सेठ श्री उमर हाजी आमद झवेरी,

आपका पत्र मिला। सेठ हाजी इस्माइलके[1] दोनो पत्र वापस भेजता हूँ। उनके लिखनेका ढग मुझे जरा भी पसन्द नही आया। इससे अनुमान होता है कि उनके खचपर नियन्त्रण रखना मुश्किल होगा। यदि वहा किरायेके बराबर खच हो जाता हो तो इस सम्बन्धमे क्या करना उचित होगा, यह सोचनेकी बात है।

व्यापारमे पोरबन्दरका खच पूरा करने लायक मुनाफा न हो तो यह मूल पूजीको खाना ही है। मुझे लगता है कि फिलहाल कलहमे वद्धि रोकनेके लिए पोरबन्दरको १०० पौडके हिसाबसे भेजना पडेगा। म आज सेठ हाजी इस्माइलको पत्र[2] लिख रहा हूँ।

मो० क० गाधीके सलाम

गाधीजीके स्वाक्षरोमे गुजरातीसे, पत्र पुस्तिका (१९०५), सख्या ६७८

२६ पत्र हाजी इस्माइल हाजी अबूबकरको

[जोहानिसबग]
जुलाई १७, १९०५

श्री सेठ हाजी इस्माइल हाजी अबूबकर,

उमर सेठका पत्र आया है। वे उसमे लिखते है कि यह खच ज्यादा है। आपके पिछले दो पत्र भी मैंने पढे। मुझे लगता है कि आपने जो पत्र लिखे है वे जितने चाहिए उतने शिष्टतापूण नही है। उमर सेठ आपके काका है। इसलिए आपकी तरफसे उनको लिखा पत्र आपके खानदानी गोरवके अनुकूल शिष्टतापूण होना चाहिए।

खचके बारेमे जो उमर सेठ कहते है वह विचारणीय है। जब उमर सेठ विलायत गये तबमे और आजके समयमे बडा अन्तर है। इस समय किराये आधे हो चुके है और अभी घटेगे। यहाका खच किरायेकी आयमे से पूरा होता है। इसलिए मूल पूजीपर गुजारा करनेका वक्त आ गया है। मुझे लगता है कि आपकी जायदाद ऐसी है कि मूल पूजीपर गुजारा करनेकी बात नही उठनी चाहिए। जिन्होने पूँजीपर गुजारा किया है ऐसे करोडपतियोका पैसा भी खत्म हो गया है। इसलिए आपको मेरी खास सलाह है कि अपने घरका खच विचार कर करे। मुझे

१ उमर हाजी आमदके भतीजे।
२ देखिए अगला शीर्षक।

लगता है कि बहुत कुछ खच कम हो सकता है। अपने स्वास्थ्यका ध्यान रखे। कसरत और नियमित भोजनकी खास जरूरत है।

मो० क० गाधीके सलाम

श्री हाजी इस्माइल हाजी अबूबकर आमद झवेरी
पोरबदर
काठियावाड
बरास्ता बम्बई

गाधीजीके स्वाक्षरोमे गुजरातीसे, पत्र-पुस्तिका (१९०५), सख्या ६९३

२७ पत्र . 'डेली एक्सप्रेसको'

जोहानिसबग
[जुलाई १७, १९०५ के बाद]

सेवामे,
सम्पादक
'डेली एक्सप्रेस'

महोदय,

आपके एक पत्र लेखकने आपके पत्रके इसी १७ तारीखके अकमे **'सिकरैमसैम' के** ठाटदार उपनामसे ब्रिटिश भारतीयोपर आक्रमण किया है। मुझे भरोसा है कि आप मुझे उसका उत्तर देनेका अवसर देगे। एक सीधी सादी भारतीय कहावत है कि "आप घोडेको पानीके पास ले जा सकते है, पर उसे पानी पीनेके लिए बाध्य नही कर सकते।" इसी तरह जो लोग अपने सम्मुख उपस्थित तथ्योसे आखे मूद लेते है उनकी गलत धारणाएँ मिटाई नही जा सकती। मुझे बहुत आशका है कि आपका पत्र लेखक उसी श्रेणीका है। तथापि, उसकी जानकारीके लिए मै फिरसे यह प्रश्न पूछता हूँ—अगर युद्धके पहले केवल तेरह भारतीय ('कुली' नही, जैसा कि आपका पत्र लेखक लिखना पसन्द करता है) 'दूकानदार, छोटे व्यापारी या फेरीवाले' थे तो फिर ब्रिटिश भारतीय सघके अध्यक्षकी चुनौती[1] श्री क्लाइनेनबगने मजूर क्यो नही की? याद रखिये कि इन दूकानदारोके नाम समाचारपत्रोको भेज दिये गये है। मै देखता हूँ कि आपका पत्र-लेखक एक कदम और आगे बढ गया है। वह साहसपूवक यह कहता है कि इस तेरहकी सख्यामे दूकानदार, छोटे व्यापारी और फेरीवाले भी शामिल है। दुर्भाग्यसे उसने एक अशुभ[2] सख्या पसन्द की है। मै आपके पास १०० पौड जमा करनेको तैयार हूँ। अगर मै दो मध्यस्थोके सामने यह साबित न कर सकू कि युद्धके पूव पीटसबगमे भारतीय दूकानदारो, छोटे व्यापारियो और फेरीवालोकी सख्या आपके पत्र लेखककी बताई सख्याकी दुगुनीसे भी ज्यादा थी, तो वह रकम आपके पत्र-लेखकके सूचित किये हुए किसी भी भारतीय विरोधी सघको

१ देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ३५६।
२ पश्चिमके ईसाई देशोमें १३ की सख्या अशुभ मानी जाती है।

दे दी जाये। शर्त सिर्फ यह है कि अगर निर्णय मेरे पक्षमें हो तो आपका पत्र लेखक भी ब्रिटिश भारतीय संघको उतनी ही रकम देनेके लिए तैयार हो। इन दो मध्यस्थोंमें से एकका चुनाव आपका पत्र लेखक करेगा और दूसरेका मैं। एक सरपंच चुन लेनेका अधिकार उन दोनोंको होगा। यह हुआ 'सिकरैमसैम' के आकड़ोंके बारेमें।

जहाँतक इस आरोपका सम्बन्ध है कि वतनी ब्रिटिश भारतीयों द्वारा मूँडे जा रहे हैं, मैं आपके पत्र लेखकका ध्यान सर जेम्स हुलेटकी इस साक्षीकी[1] ओर दिला सकता हूँ, जो उन्होंने वतनी कार्य आयोगके सामने इस विषयमें दी थी कि अधिक बड़ा कुकर्मी कौन है — यूरोपीय या भारतीय? आपके पत्र लेखकके अन्य आरोपोंके बारेमें, जो उसे दी गई 'जानकारी' पर आधारित हैं, मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि समझदार लोग उनकी सच्ची कीमतको समझकर ही उनका मूल्य आँकेंगे। अगर भारतीय कोई भी बेईमानीका व्यापार कर रहे हैं और पत्र लेखकको उसकी जानकारी है तो निश्चय ही उसका इलाज उसीके हाथोंमें है। और अगर व्यापारिक परवानोंका प्रश्न अबतक अन्तिम रूपसे तय नहीं हुआ तो उसका कारण यह है कि 'सिकरैम-सैम' और उनके साथी ब्रिटिश भारतीयोंके सुझाये हुए उस अत्यन्त उचित समझौतेको भी मान्य करनेको तैयार नहीं हैं जिसके द्वारा नये परवानोंका नियन्त्रण नगर परिषदके सदस्योंको सौंप दिया जायेगा और इस परिषदका चुनाव अधिकतर 'सिकरैमसैम' और उनके साथी ही करेंगे। महाशय, युद्धके पूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रश्नका रूप जैसा था उसका थोड़ा-बहुत अनुभव आपको है। साथ ही आपको ब्रिटिश भारतीयोंका अनुभव भी है। पत्रकारितामें आपने स्वतन्त्र रुख अख्तियार किया है। मुझे निश्चय है आप यह नहीं चाहते कि ब्रिटिश साम्राज्यके संघटक अंगोंके बीच जातीय विद्वेष बढ़े। सम्भवतः आप यह भी जानते होंगे कि आपके पत्र-लेखकने जिन तथ्योंको पेश किया है उनमें से कुछ असत्य हैं। जिन वक्तव्योंके प्रत्यक्ष मिथ्या होनेमें कोई सन्देह नहीं है उनकी भूल सुधारकर क्या आप अपने शुभव्रतका ही पालन नहीं करेंगे? भारतीय केवल न्याय चाहते हैं, अनुग्रह नहीं। ब्रिटिश झंडेके नीचे न्याय दुर्लभ वस्तु नहीं होनी चाहिए।

आपका, आदि,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-७-१९०५

१ देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ४८८-८९।

२८ पत्र रेवाशंकर झवेरीको

[जोहानिसबग]
जुलाई १८, १९०५

आदरणीय रेवाशकरभाई,[1]

आपका पत्र मिला। आप मेरे खातेमे ४५ रु० नामे लिखकर कैप्टन मैकग्रेगरके जमा कर ले। उतना मने उनके खाते नामे लिखकर आपका जमा कर लिया है।

चि० हरिलालको यही भेजनेमे कुशल दिखाई देती है। वहाका खच जैसे बने वैसे कम करना बहुत जरूरी हे। यहा मेरे ऊपर बोझा इतना है कि वहाका खच उठाना मुश्किल है। उससे हरिलालका हित सधता हो, मुझे ऐसा भी नही दिखाई देता। रलियात बहनको[2] लिखे कि उन्हे अपना खच २० रु० से २५ रु० तक मे चलाना चाहिए। मैने भी उन्हे खच कम करनेके लिए लिखा है।[3]

चि० मणिलाल[4] और सूरजकी खबर पढकर सन्तोष हुआ है।

मोहनदासके प्रणाम

श्री रेवाशकर जगजीवन ऐड क०
झवेरी बाजार
खारे कुआके पास
बम्बई

गाधीजीके स्वाक्षरोमे गुजरातीसे, पत्र पुस्तिका (१९०५), सरया ६९६

२९ पत्र रविशकर भट्टको

[जोहानिसबग]
जुलाई २१, १९०५

भाई श्री ५ रविशकर भट्ट,

आपका पत्र मिला। मेरे विचारसे कोई भी भारतीय विद्वान आये हम सब उसका सम्मान करनेके लिए बाध्य है। उनके धर्मोपदेशसे हमारा सम्बन्ध नही है। उसका सम्मान करनेमे हिन्दू और मुसलमान दोनोको शामिल होना चाहिए। इसलिए मै समझता हूँ कि प्रोफेसर परमानन्दका[5]

१ डॉ० प्राणजीवन मेहताके सगे भाई। इनके जीवन कालमें गाधीजी बम्बई जानेपर इनके ही घरमें ठहरते थे।

२ गाधीजीकी बड़ी बहन।

३ यह पत्र उपलब्ध नही है।

४ रेवाशकरके पुत्र।

५ आर्यसमाजके प्रमुख नेता, जो पीछे भाई परमानन्दके नामसे अधिक प्रसिद्ध हुए। वे दक्षिण आफ्रिका भी गये थे, जहाँ उन्होने कुछ भाषण दिये थे। देखिए 'प्रो० परमानन्द', पृष्ठ ५१ और "प्रो० परमानन्दको मानपत्र', पृष्ठ ११३

सम्मान करना हम सबका फर्ज है। उनके धर्मोपदेशके सम्बन्धमे, जो उसमे उनके साथी हैं वे बादमे जो करना चाहेंगे वह करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आपको उनका सम्मान करनेमे पीछे नही हटना चाहिए। चन्दा उगाहने आदिके लिए मैने अपनी अनुमति नही दी है और न देनेका विचार है।

मो० क० गाधीके यथायोग्य

श्री आर० पी० भट्ट
बॉक्स ५२९
डर्बन

गाधीजीके स्वाक्षरोमे गुजरातीसे, पत्र पुस्तिका (१९०५), सख्या ७२७

३० पत्र: मेघराज व मूडलेको

[जोहानिसबर्ग]
जुलाई २१, १९०५

प्रिय महोदय,

आपका ९ तारीखका पत्र मिला। मेरी समझमे अभीतक जोहानिसबर्गमे चन्दा इकट्ठा करनेकी कोई जरूरत नही है। मेरे पास एक शिकायत भी आ चुकी है कि वहा चन्दा इकट्ठा[1] करनेके सिलसिलेमे मेरे नामका उपयोग किया जा रहा है। मै चाहता हूँ कि आप इस स्वागतको कोई धार्मिक रूप न दे। आप जानते ही होंगे कि आर्यसमाजके उपदेश और सनातन हिन्दू धर्मके उपदेशोमे अन्तर है, और सनातनियोंकी ओरसे एक शिकायत मेरे पास भेजी गई है। भारतसे आनेवाले किसी भी विद्वान भारतीयका आदर करना हमारा कर्तव्य है। मै तो आपसे यह चाहूँगा कि भारतीयोके सब वर्गोकी ओरसे ऐसे व्यक्तियोका उचित स्वागत किया जाये, किन्तु यह तभी हो सकता है जब उसमे कोई साम्प्रदायिक तत्त्व न हो, और, उसके बाद जो आर्यसमाजके उपदेशोमे दिलचस्पी लेते हो वे उसे विशेष रूपसे देख लें।

आपका विश्वस्त,
मो० क० गाधी

श्री बी० ए० मेघराज व ए० मूडले
पो० ऑ० बॉक्स १८२
डर्बन

[अंग्रेजीसे]

पत्र-पुस्तिका (१९०५), सख्या ७३०

१ प्रो० परमानन्दके लिए, देखिए पिछला शीर्षक।

३१. पत्र : कैप्टन फॉउलको

[जोहानिसबर्ग]
जुलाई २१, १९०५

कैप्टन फाउल
पो० ऑ० बॉक्स ११९९
जोहानिसबर्ग

प्रिय कैप्टन फॉउल,

देखता हूँ कि खुफिया पुलिसके लोग अभीतक बिना अनुमतिपत्रवाले भारतीयोंकी खोजमें लगे हुए हैं। अपनी खोजमें उन्होंने १६ सालकी उम्रके लड़कोंकी भी जाँच की है। वे उपनिवेशमें आपके आश्वासनपर रह रहे हैं — विशेषतः वह एक लड़का जिसके बारेमें मैंने आपको लिखा है। महोदय, वे देखनेमें १६ सालसे कमके हैं। या, जब वे यहाँ आये थे तब तो अवश्य ही इसी उम्रके रहे होंगे। दोष इतना ही है कि उनके माता पिता यहाँ नहीं हैं। या तो वे अनाथ हैं, और अपने स्वाभाविक अभिभावकोंकी देख-रेखमें रहते हैं, या ऐसे हैं, जिनका लालन-पालन उनके माता पिताकी जगह ले सकनेवाले रिश्तेदार कर रहे हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप खुफिया पुलिसके लोगोंको यह आज्ञा देनेकी कृपा करेंगे कि जबतक मामला तय नहीं होता तबतक वे इन लोगोंको न छेड़ें।

आपका सच्चा,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

पत्र पुस्तिका (१९०५), संख्या ७२९

३२. श्री ब्रॉड्रिकका बजट

भारत-मन्त्रीने ब्रिटिश लोकसभामें भारतीय राजस्व लेखेपर विचारके लिए लोकसभाको समितिका रूप देनेके प्रस्तावपर जो बजट विषयक वक्तव्य दिया, उसमें कई विशेषताएँ हैं। यह एक शुभ लक्षण है कि हालके वर्षोंमें श्री ब्रॉड्रिकने अपना वक्तव्य, सदाकी भाँति अधिवेशनके अन्तमें पेश करनेके बजाय, जब कि बेंचें खाली पड़ी होती हैं और भारत-मन्त्री उनके सामने भाषणका स्वांग पूरा करते हैं, प्रायः प्रथम बार, उसके मध्यमें पेश किया है। यह परिवर्तन सोच-समझकर किया गया है। श्री ब्रॉड्रिकने कहा, "जल्द विचारका लाभ होगा — उपयोगी आलोचना और अच्छा शासन।" उन्होंने यह आशा भी प्रकट की कि इस उदाहरणका आगे भी अनुसरण किया जायगा, चाहे वे भविष्यमें इस उच्च पदपर रहें अथवा विरोधी पक्षकी बेंचोंपर बैठें। श्री ब्रॉड्रिकने इस अवसरपर अत्यन्त स्पष्ट रूपसे बताया कि बहु-निन्दित भारतने साम्राज्यकी कितनी सेवा की है, और जिन दोनों सेवाओंपर उन्होंने इतना जोर दिया है वे ऐसी हैं कि उनकी ओर दक्षिण आफ्रिकाका ध्यान जाना चाहिए और उनकी सराहना होनी चाहिए।

उन्होंने कहा

१९०२ और १९०३ में भारतके चौदह करोड तीस लाख पौंडके व्यापारमें से छ करोड बीस लाख पौंडका व्यापार सीधा ब्रिटेनके साथ था। और गत वर्षके सत्रह करोड, सतालीस लाख और अडतालीस हजार पौंडके व्यापारमें से सात करोड सत्तर लाख पौंडका माल सीधा ब्रिटेनमें आया या ब्रिटेनसे गया था। ब्रिटेनके व्यापारमें यह मात्रा छोटी नहीं है। कुछ लोग, कई दृष्टियोंसे, इस समय, उपनिवेशोंके व्यापारकी भारतके व्यापारके साथ तुलना कर रहे हैं। इसलिए यदि हम इन अंकोंकी तुलना करें तो मैं बतला सकता हूँ कि १९०२ में भारतको ब्रिटेनसे तीन करोड पैंतीस लाख पौंडका माल गया था। और यह निर्यात, कनेडा, ब्रिटिश उपनिवेशों, उत्तरी अमेरिका और आस्ट्रेलियाको किये गये कुल निर्यातके बराबर था। गत वर्ष भारतको किये गये निर्यातका परिमाण बढकर चार करोड पौंड हो गया था, और वह, इस देशसे आस्ट्रेलिया, कनेडा और केप उपनिवेशको किये गये कुल निर्यातके बराबर था।

श्री ब्राड्रिकको इस सबका स्वाभाविक परिणाम निकालनेमें कोई कठिनाई नहीं हुई। इसलिए उन्होंने आगे कहा

मुझे विश्वास है कि जब मैं यह कहूँ कि ब्रिटेनके साथ भारतका व्यापार बढतीपर है, तो मुझे आशा है, इस सभाका प्रत्येक सदस्य मेरा समर्थन करेगा। भारतके व्यापारमें ब्रिटेनका और ब्रिटेनके व्यापारमें भारतका भाग इतना अधिक है कि साम्राज्यके अन्तर्गत व्यापारके सम्बन्धमें जो भी विवाद हो उन सबमें हम भारतको प्रथम स्थान देनेका दावा कर सकते हैं।

श्री ब्राडिकने जो दूसरा वक्तव्य दिया वह साम्राज्यकी रक्षाके विषयमें था। भारत पचहत्तर हजार ब्रिटिश सैनिकोंके प्रशिक्षणका और एक लाख चालीस हजार ब्रिटिश भारतीय सैनिकोंकी भर्तीका स्थान है, और साम्राज्य इन सब सैनिकोंका किसी भी संकटके समय उपयोग कर सकता है। इन सबका खर्च भारत उठाता है, जो उसकी आठ करोड बीस लाख पौंडकी आमदनीमें दो करोड पाँच लाख पौंड बैठता है। लार्ड रॉबर्ट्ससे लेकर अबतक के सब नामी सेनापतियोंने भारतीय सेनाकी कुशलताकी पुष्टि की है। सर जॉर्ज व्हाइट और उनकी सेनाने बोअर युद्धके समय, अपनी इस तत्परताका प्रभावशाली उदाहरण उपस्थित किया था। ये सब तथ्य अर्थपूर्ण हैं। दक्षिण आफ्रिकाके राजनीतिज्ञोंको इन सबका अध्ययन और मनन करना चाहिए। और जब वे ऐसा कर चुकें तब हम उन्हें आदरपूर्वक सलाह देंगे कि वे अपने-आपसे यह प्रश्न करके देखें कि क्या विशुद्ध स्वार्थकी दृष्टिसे भी, भारतके निवासियोंके साथ, निरन्तर, बिलकुल ऐसे विदेशियोंका-सा व्यवहार करना लाभप्रद होगा जो कि उनकी ओरसे किसी भी प्रकारके लिहाजके अधिकारी न हों।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२-९-१९०५

३३ ट्रान्सवालमें एशियाई 'बाजार'

ट्रा सवालके 'गवनमेट गजट'के हालके अकमे एक अध्यादेशका मसविदा प्रकाशित किया गया है। उसकी कुछ धाराएँ ये है

> **(१) परिषद लेफ्टिनेट गवनरकी मजूरीसे, केवल एशियाई लोगोके लिए, बाजारो या अ य स्थानोको अलग कर सकती है, कायम रख सकती है और चला सकती है, लेफ्टिनेट गवनर द्वारा समय समयपर बनाये गये नियमोके अनुसार, उनका नियन्त्रण और निरीक्षण कर सकती है, और उनकी जमीनो या उनपर बनी इमारतो या अन्य निर्मित चीजोको, उन शर्तोपर एशियाइयोको पट्टेपर दे सकती है जो समय-समयपर ऊपर कहे नियमोके अनुसार तय की जाये।**
>
> **(२) लेफ्टिनेट गवनर १८८५ के कानून ३ या उसके किसी सशोधनकी धाराओमे निर्दिष्ट किसी भी बाजारकी जगहो या अ य स्थानोको, नगरपालिकाकी किसी भी परिषदके नाम हस्ता तरित कर सकता है, पर तु ऐसा करते हुए उसके वतमान पट्टोका खयाल रखा जायेगा, और ऐसे किसी भी हस्ता तरणपर हस्ता तरणके स्टाम्पका कर या रजिस्ट्रीका खच या कोई अ य खच नही लगेगा, और इस प्रकार हस्ता तरित किया गया कोई भी बाजार या स्थान, इस खण्डके उपखण्ड (१) के अ तगत पृथककृत बाजार या क्षेत्र माना जायेगा।**
>
> **(३) इस अध्यादेशके खण्ड २ के नियमोके अनुसार आवश्यक परिवतनोके साथ, किसी परिषदको अधिकार है कि वह चाहे तो ऐसे बाजारो और स्थानोको ब द कर दे और इनके लिए दूसरी उपयुक्त जमीनका बन्दोबस्त करे।**
>
> **(४) इस खण्डका "परिषद" शब्द किसी भी नगरपालिकाकी परिषदका सूचक होगा, फिर वह नगरपालिका चाहे १९०३ के नगर निगम अध्यादेशके अ तगत बनी हो, चाहे १९०४ के सशोधित नगर निगम अध्यादेश या किसी अ य विशेष कानूनके अन्तगत।**

जोहानिसबगके ब्रिटिश भारतीय सघने, 'बाजारो'का निय त्रण नगरपालिकाओको हस्ता-तरित कर देनेके विचारका अविलम्ब प्रतिवाद[१] किया है। हमारी सम्मतिमे, ऐसे हस्ता तरणके विरोधमे की गई आपत्तिया अकाट्य ह। सारा ही एशियाई प्रश्न अभी विचाराधीन है, और उसके सम्ब धमे साम्राज्य सरकार और स्थानीय सरकारके बीच पत्र-व्यवहार हो रहा है। १८८५ का कानून ३, जैसा दोनो पक्षोने कहा है, अस्थायी है और यथाशीघ्र हटा दिया जायेगा। इसलिए कोई भी ऐसा विधान, जिसका आधार यह कानून हो और जिससे पाबन्दिया बढती हो, उस उदार नीतिके अनुरूप नही हो सकता जिसका पालन करनेके लिए स्थानीय सरकारे बाध्य है। यदि यह बात नही है तो श्री लिटिलटनके इस वक्तव्यका क्या अथ होगा कि कमसे कम युद्धसे पहलेकी अवस्थाएँ जैसीकी तैसी रहने दी जायेगी। इसके अतिरिक्त रगके प्रश्नपर ट्रा सवालकी नगरपालिकाओ और स्थानिक निकायोके पूवग्रह बडे प्रबल है। वे इसका ढोल पीटनेमे सकोच

१ देखिए "पत्र उपनिवेश सचिवको", पृष्ठ १२।

नही करते, और कुछ नगरपालिकाएँ और निकाय, सभव होता है तो, इसके लिए हिंसा तक करनेको तैयार रहते है। इन परिस्थितियोमे, जब कि भावी स्थिति अनिश्चित है, ट्रासवाल सरकार द्वारा नये कानूनका बनाया जाना अजीब मालूम होता है, मानो १८८५ का कानून ३, कानूनकी किताबमे से कभी हटाया ही नही जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२–७–१९०५

३४ एक गुप्त बैठक

हमारे सहयोगी 'ट्रासवाल लीडर' ने अपने प्रिटोरियाके सवाददाताका भेजा हुआ इस आशयका एक सवाद प्रकाशित किया है कि परमश्रेष्ठ सर आथर लालीने एशियाई-विरोधी सम्मेलन (एटी एशियाटिक कनवेंशन)के नेताओको निजी तौरपर मुलाकात दी। मुलाकातियोमे श्री लवडे और श्री बोक भी शामिल थे। सवाददाताने यह भी लिखा है कि मुलाकात देर तक चली और मुलाकाती सर आथरके पाससे पूरे सन्तोषके साथ लौटे। मुलाकातमे दरअसल क्या हुआ, इसे प्रकट नही किया गया। लाड सेल्बोनने बोअर नेताओ और 'जिम्मेदार सघ' (रिस्पॉ-सिबल असोसिएशन)के सदस्योसे मिलनेपर दूसरा ही रुख अपनाया। उन्होने पत्र प्रतिनिधियोको निमन्त्रित किया और कारवाई प्रकाशित कराई। तो फिर, एशियाई मामलोको इतना लुकाने-छिपानेकी क्या जरूरत थी? यदि मुलाकाती यह चाहते थे, तो क्या इसका मतलब यह है कि वे अपने कृत्यो और वक्तव्योपर रोशनी पडने देनेसे डरते थे? और यदि सर आथरने गोप-नीयता पसन्द की थी तो हम अदबके साथ जानना चाहते है कि ऐसा करनेमे उनका मशा क्या था? उन्हे क्या यह आशका थी कि श्री लवडे बिलकुल अधाधुध वक्तव्य देंगे और इसलिए उन्हे अपनी शमपर परदा डालनेकी फिक्र थी? ब्रिटिश भारतीय चाहते है कि उनके विरुद्ध या पक्षमे जो कुछ भी कहा जाये वह पूरी तरह खुल्लमखुल्ला कहा जाये। उन्हे किसी बातका डर नही है, वे किसी बातको न बढाकर कहना चाहते है न घटाकर, क्योकि उनका पक्ष सवथा न्यायपूण है। इसलिए हम आशा करे कि ट्रासवालके ब्रिटिश भारतीयोको कमसे-कम उन बातो-पर विचार करनेका अवसर अब भी दिया जायेगा जो उनकी पीठ पीछे, मुलाकातियोने परम-श्रेष्ठ लेफ्टिनेट गवनरसे कही।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२–७–१९०५

३५ क्रूगर्सडॉर्पके भारतीय

क्रूगसडापमे भारतीयोके बारेमे सभा[1] हो जानेपर नगरपरिषदके नाम वहाके डॉक्टरकी रिपोट आई है। उन्हाने उसमे लिखा हे कि भारतीयोके मकान अधिकतर ग दे पाये जाते है, वे चाहे जहा थूक देते है, उनके पाखाने बडे ग दे होते है, पाखानोकी जमीनपर पानी भरा रहता है जो बिलकुल नही सूखता है, वे दूकानपर ही बैठते और सोते है, इत्यादि। हम जानते ह कि इसका बहुत-सा हिस्सा झूठ है और क्रूगसडापके भारतीयोका कतव्य है कि वे इसके खिलाफ रिपोट प्राप्त करे। फिर भी हमे ऊपरके आक्षेप एक हद तक स्वीकार करने पडेगे। इस बातसे कोई इनकार नही कर सकता कि हम लोग चाहे जहा थूक देते ह और अपने पाखाने ग दे रखते है। हम लोग पाखानोकी सफाईकी ओरसे आम तौरपर उदासीन रहते है। हम यह अनुभव करते ह कि हमे उदासीनता छोड देनी चाहिए। पाखानोमे से अनेक रोग लगते है, यह बात साबित हो सकती है। पाखाने साफ रखना बहुत आसान बात है। पाखानेके बाद हर बार बाल्टीमे सूखी मिट्टी या राख डाली जाये और तरतोको हमेशा ज तुनाशक पानीसे धोकर साफ किया जाये। यदि हमेशा ऐसा किया जाये तो इसमे समय खच नही होता और बहुत घिन करनेका कारण भी नही रह जाता।

हमे थूकनेके बारेमे भी विचार करना चाहिए। घरमे अथवा दूकानमे चाहे जहा थूकनेके बजाय रूमालमे अथवा थूकदानमे थूकनेकी आदत डालना हर तरह जरूरी है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२–७–१९०५

३६ ट्रान्सवालमें भारतीय होटल

ट्रा सवालमे भारतीय होटलोके बारेमे आजतक कोई कानून नही बना है। काफिरोके भोजन-गहो या गोरोके होटलोके परवाने लेने पडते है। ट्रा सवालमे चीनियोकी सख्या बढ जानेसे चीनी होटल खुलने लगे। इनके लिए परवानेकी कोई जरूरत नही थी। डरके मारे चीनियोने सरकारसे परवाने मागे। सरकारने लिखा कि परवानोकी जरूरत नही है। चीनियोने यह समझा कि परवानेके बिना होटल खुल ही नही सकता, इस कारण उन्होने सरकारको अर्जी भेजी कि परवानेका कानून बनना चाहिए। कहावत हे, अपनी करनी, पार उतरनी। तदनुसार, अब इस सम्बन्धमे 'गवनमेट गजट'मे विधेयक प्रकाशित कर दिया गया है। अब होटलोके भारतीय मालिकोको भी परवाने लेने पडेगे। इस विधेयकका विरोध भी नही किया जा सकता। इसलिए ट्रा सवालमे जो लोग भारतीय भोजनालय चलाते है उनको बहुत सावधानीसे चलना होगा। हमारा खयाल यह है कि मकान बहुत स्वच्छ होगे तभी परवाने मिलेगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२–७–१९०५

१ जून २३, १९०५ को।

३७. जोजेफ मैजिनी

जानने योग्य कायकलाप

इटली एक नवोदित राष्ट्र हे। सन् १८९० से पहले वह बहुतसे छोटे छोटे भागामे बँटा था और उनमे से प्रत्येकका शासक एक सरदार था। जैसा इन दिनो भारत या काठियावाड है वैसा सन् १८७० से पहले इटली था। लोग एक भाषा बोलते थे। एक स्वभावके थे, फिर भी सबके सब छोटी छोटी रियासतोके अधीन थे। आज इटली यूरोपका एक स्वतन्त्र देश हे और इटलीके लोगोकी एक पथक जातीयता कही जाती है। यह कहा जा सकता है कि यह सब एक ही पुरुषके हाथसे हुआ हे। उस पुरुषका नाम था जोजेफ मैजिनी।

मैजिनी जेनोआमे १८०५के जून महीनेकी २२ तारीखको जन्मा था। वह ऐसा सच्चरित्र, भला और स्वदेशाभिमानी पुरुष था कि उसके जन्मसे सौ वष बाद उसकी जन्म-शताब्दी मनानेका आन्दोलन यूरोप भरमे किया जा रहा था और वह अब भी जारी हे, क्योकि, यद्यपि उसने इटलीकी सेवा करनेमे अपना सारा जीवन बिताया, फिर भी उसका मन इतना उदार था कि वह हर देशका निवासी गिना जा सकता हे। प्रत्येक देशके लाग उन्नत हो और मिलकर रहे, यह उसकी सतत सीख थी।

मैजिनीकी प्रखर प्रतिभा १३ वषकी आयुमे ही दिखाई देने लगी थी। उसने बडी विद्वत्ता प्रदर्शित की, किन्तु फिर भी अपने देशके लिए उसके दिलमे जो आग थी उसके कारण उसने अन्य पुस्तक छोडकर कानूनका अध्ययन शुरू किया ओर अपने कानूनी ज्ञानका उपयोग गरीबोको मुफ्त सहायता देनेमे करने लगा। फिर वह उस गुप्त सगठनम शामिल हो गया जिसका उद्देश्य इटलीको सगठित करना था। उसका पता इटलीकी रियासताको चल गया, अत उन्होने उसे जेलमे भेज दिया। जेलमे भी उसने अपने देशकी मुक्तिका आयोजन जारी रखा। अन्तमे उसे इटली छोडना पडा। वह मार्सेल्जमे जा रहा। रियासतोने अपना प्रभाव काममे लाकर उसको वहासे भी निर्वासित करा दिया। इस प्रकार भटकते रहनेपर भी उसने हार नही मानी। वह लेख लिख लिखकर गुप्त रूपसे इटली भेजता रहा। इसका प्रभाव धीरे धीरे लोगोके मनपर पडने लगा। यह सब करते हुए उसने बहुत कष्ट सहन किये। उसे जासूसोसे बचनेके लिए गुप्त वेशमे भ्रमण करना पडा था। कई बार उसकी जान भी जोखिममे पड जाती थी, लेकिन इसका उसे डर नही था।

अन्तमे वह सन १८३७मे ब्रिटेन गया। वहा उसे बहुत कष्ट तो नही था, किन्तु गरीबी बहुत भुगतनी पडती थी। इग्लडमे वह बहुत बडे बडे व्यक्तियोके सपकमे आया। उसने उनसे मदद मागी।

सन् १८४८ मे वह गैरीबाल्डीको साथ लेकर इटली गया और वहा स्वराज्य स्थापित किया। किन्तु षडयन्त्रकारी लोगोके कारण वह देरतक नही टिक सका और उसे दुबारा भागना पडा। फिर भी उसका बल नही टूटा। उसने ऐक्यका जो बीज बोया था, वह बना रहा। और यद्यपि वह स्वय देशसे निर्वासित रहा फिर भी सन १८७० मे इटली एक राज्य बन गया। उसका राजा विक्टर इमेन्यूयल हुआ। इस प्रकार उसे अपने देशके सगठित हानेसे सतोष मिला। फिर भी उसे स्वदेशमे लौटनेकी इजाजत नही थी। इसलिए वह छद्म वेषमे इटली जाया करता

था। एक बार उसे पुलिस पकडनेके लिए आई। तब उसने स्वय दरबानका वेश बनाकर दरवाजा खोला ओर इस प्रकार पुलिसको चकमा दिया।

यह महान पुरुष सन १८७२के माच महीनेमे चल बसा। इस समय उसके शत्रु भा मित्र हो गये थे। लोग उसकी सच्ची खूबियोको पहचान गये थे। उसकी अर्थीके साथ अस्सी हजार लोग गये थे। जेनोआमे वह सबसे ऊँची जगहपर दफन किया गया। इटली ओर यूरोपके शष देश आज इस पुरुषकी पूजा करते है। इटलीके महापुरुषोमे उसकी गिनती है। वह सदा स्वाथ रहित, अहकार रहित, अत्यन्त पवित्र ओर धमनिष्ठ पुरुष रहा। गरीबी उसका आभूषण थी। वह पराये दु खको अपना दु ख मानता था। ससारमे ऐसे उदाहरण विरले ही दीख पडते है जहा एक ही मनुष्यने अपने मनोबलसे और अपनी उत्कट भक्तिसे, अपने देशका अपने जीवनकालमे उद्धार किया हो। ऐसा पुरुष तो मैजिनीकी माने ही उत्पन्न किया था।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २२–७–१९०५

३८ ट्रान्सवाल आनेवाले भारतीयोको महत्त्वपूर्ण सूचना[1]

ट्रासवालमे आजकल अनुमतिपत्रोके बारेमे भारतीयापर सख्ती की जा रही है। बहुत लोग, जो जाली अनुमतिपत्रोके बलपर यहा ठहरे हुए थे, निर्वासित कर दिये गये है। अनुमतिपत्रोपर जिनके अँगूठेके निशान नही थे ऐसे कुछ लोगोको छ छ सप्ताहकी कैदकी सजा दी गई है। अभी कुछ अन्य लोगोको परेशानी होनेकी सम्भावना है। यह भी खयाल हे कि अनुमतिपत्र अधिकारी विभिन्न गावोमे जाच करनेके लिए जायेगे। इसलिए जिनके पास जाली अनुमतिपत्र हो उनका तुरन्त ट्रासवाल छोडकर चले जाना जरूरी है। जाली अनुमतिपत्रका उपयोग बिलकुल न किया जाये, नही तो जेल भुगतनेकी नौबत आयेगी।

आजतक १६ वषसे कम आयुके लडको और औरतोको अनुमतिपत्रोके बिना जाने देते थे, लेकिन अनुमतिपत्रोकी जाच शुरू होनेके बाद सीमापर बहुत सख्ती की जा रही है। अब १६ वषसे कम आयुका लडका अपने पिताके साथ न हा अथवा स्त्री अपने पतिके साथ न हो तो उसको अनुमतिपत्र न होनेपर रोक लिया जाता है। एक स्त्री अपने पतिके बिना ट्रासवाल जा रही थी। वह फीक्सरस्टमे उतार दी गई। इससे ट्रासवालमे भारतीयोको नीचे लिखी बाते ध्यानमे रखनी चाहिए।

(१) जाली अनुमतिपत्र लेकर यहा प्रवेश न करे।
(२) स्त्रिया अनुमतिपत्र न होनेपर अपने पतिके बिना प्रवेश न करे।
(३) १६ वषसे कम आयुके लडके भी अपने पिताके साथ ही अनुमतिपत्रके बिना प्रविष्ट हो सकते है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २२–७–१९०५

१ यह "हमारे जोहानिसबर्ग सवाददाता द्वारा प्रेषित, रूपमें प्रकाशित हुआ था।

३९ पत्र बीमा कम्पनीके एजेंटको[1]

[जोहानिसबर्ग]
जुलाई २५, १९०५

सेवामें
एजेंट
न्यूयार्क म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसायटी
जोबर्ट स्ट्रीट
जोहानिसबर्ग

प्रिय महोदय,

आपको याद होगा कि श्री आनन्दलाल अमृतलाल गांधी[2] और श्री अभयचन्द अमृतलाल गांधीका[3] मेरी मार्फत बीमा हुआ था। उनकी पालिसियोंका नं० क्रमशः ३३६९००९ और ३३६९००४ है। मुझे मालूम हुआ है कि कुछ दिनोंसे इन पालिसियोंकी किश्तें नहीं दी गई हैं। क्या आप कृपया मुझे यह बता सकेंगे कि इन बीमा पालिसियोंको फिरसे जारी करना सम्भव है या नहीं? और यदि सम्भव है तो किन शर्तोंपर? यदि बीमा करानेवाले सज्जन उन्हें फिरसे जारी न कराना चाहें तो जो किश्तें वे दे चुके हैं, उनमें से उन्हें कुछ रकम वापस मिल सकती है या नहीं?

आपका विश्वस्त,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

पत्र-पुस्तिका (१९०५), संख्या ७७१

४० क्रूगर्सडॉर्पमें भारतीय

क्रूगर्सडॉर्पकी नगर परिषदने सरकारको अर्जी भेजी है कि भारतीयोंको अनिवार्य रूपसे बस्तियोंमें भेजनेका कानून बनाया जाना चाहिए। ट्रान्सवाल सरकारने उत्तर दिया है कि, फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रिटिश सरकारके साथ इस सम्बन्धमें पत्र व्यवहार हो रहा है। इससे मालूम होता है कि श्री लिटिलटन और सर आर्थर लालीके बीच विवाद अभी चल ही रहा है। सर आर्थरकी यह मांग है कि केवल भारतीयोंपर ही लागू होनेवाले कानून बनाये जाने चाहिए। परिणामका पता आगामी वर्षसे पहले लगनेकी सम्भावना नहीं है। इस बीच हम उम्मीद करते हैं कि क्रूगर्सडॉर्पके भारतीय अपने मकान साफ सुथरे रखेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९–७–१९०५

१ गांधीजीने अगस्त ८, १९०५ को इसी तरहका एक पत्र बम्बईके एजेंटको लिखा था। सम्भवतः वह कम्पनीके जोहानिसबर्ग-कार्यालयकी सूचनापर लिखा गया होगा।

२–३ गांधीजीके चचेरे भाई अमृतलाल गांधीके पुत्र और तुलसीदास गांधीके पौत्र।

४१ ट्रान्सवालमे अनुमतिपत्र

हम 'गवनमेट गजट'से लेकर यह छाप चुके ह कि ट्रान्सवालमे कुछ अनुमतिपत्र रद कर दिये गये है[1]। कुछ लोगोने इसका अथ यह लगाया है कि बताई हुई सरयाओके सच्चे अनुमतिपत्रोके मालिकोको भी भागना पडेगा और उनके अनुमतिपत्र अवैध हो गये है। यह विचार भ्रान्तिपूण हे। जिनके अनुमतिपत्र वैव ह और जिनके अँगूठेके निशान उनपर लगे हुए ह उनको बिलकुल नही घबराना चाहिए। 'गजट'मे नाम प्रकाशित होनेपर भी उनके अनुमतिपत्र रद नही होते है। यही बात रजिस्टरोपर भी लागू होती है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २९–७–१९०५

४२ बाल्टिकके बेडेका रहस्य

बाल्टिक बेडेकी हारकी पूरी कहानीपर प्रकाश डालनेवाला रोजदीस्तवेन्स्कीका[2] जारके नाम प्रेषित पत्र सचमुच दयाजनक है। यद्यपि वह पत्र एक हारे हुए सेनापतिने लिखा है, फिर भी कोई यह न मानेगा कि उसमे बताये गये कारण उन्होने अपनी हारके स्पष्टीकरणके लिए बहानेके रूपमे पेश किये है। जो गुप्त तथ्य अब प्रकट हुए है उनसे यह स्पष्टत सिद्ध हो जाता है कि इस बेडेकी जो भीषण पराजय हुई वह अवश्यम्भावी थी। ससारके चतुरसे चतुर सामुद्रिक युद्ध-विशारद कहते थे कि यह बेडा जापानियोकी पूरी पूरी खबर लेगा। ऐसा अनुमान लोग इसलिए लगाते थे कि इस बेडेके युद्धपोत अतिविशाल, शस्त्रास्त्रासे बहुत अच्छी तरह सज्जित और तेजीसे चलनेवाले थे। उनमे नयेसे-नये ढगकी बढिया तोपे लगी थी और उनके सेनापति बडे दक्ष माने जाते थे। लेकिन जैसा कि जल सेनाध्यक्ष रोज़दीस्तवेन्स्कीने लिखा है, उस बेडेकी ऐसी महत्ता केवल कागजी ही थी। उन्होने ज़ारको पत्रमे लिखा है कि शासन-व्यवस्थाकी खराबीके कारण युद्ध पोतोका निर्माण लज्जाजनक ढगसे किया गया था। यही नही, उनमे हथियार और बख्तर आदि लगानेकी भी बडी कमिया थी। तोपे ठीक तरह गोले नही फेक पाती थी, कोयलाघरमे पूरा कोयला नही भरा जा सकता था। उनकी तेज चालका वणन झूठा किया गया था, उनके एजिन सदा ऐसी आवाज करते रहते थे मानो उनका सारा ढाचा ढीला हो गया हो, दो तिहाई नाविक निकम्मे थे, तोपचियोको अपने कतव्योका पता नही था और सबसे खराब वात तो यह थी कि माडागास्करसे आगे चलकर सब लोग विद्रोही हो गये थे। इस प्रकारका बेडा युद्ध करे तो परिणाम उसकी हारके सिवाय अन्य कुछ नही हो सकता। फार्मोसा छाडनेके बाद क्या क्या हुआ इसका यथाथ वणन उस पत्रमे दिया गया है। वह अपने बेडेकी इस स्थितिको पहलेसे ही जानता था और ऐसी स्थितिमे उसने युद्धका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर जो बहादुरी बताई उससे उसकी राज्यभक्ति ही प्रकट होती है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २९–७–१९०५

१ इनकी सूची ८ और १५ जुलाई, १९०५ के **इडियन ओपिनियनमे** दी गई थी।

२ बाल्टिक नौसेनाध्यक्ष रिअर एडमिरल रोजदीस्तवेस्की।

४३ नेटालके गिरमिटिया भारतीय

श्री जेम्स ए० पालकिगहॉनने गत ३१ दिसम्बरको समाप्त हानेवाला अपना वार्षिक विवरण प्रकाशित किया है। जैसा कि एक सहयोगी लिखता है यह विवरण देरसे प्रकाशित हुआ हे। नेटालमे अधिकाश सरकारी विवरण इसी तरह प्रकाशित होते है। इसम सन्देह नही कि इसके परिणामस्वरूप उनमे वह दिलचस्पी नही ली जाती जो उनके तात्कालिक प्रकाशनपर ली जाती। वर्तमान विवरण फिरसे गिरमिटकी शर्त लगानेपर और व्यक्ति करके बारेमे प्रवासी अधिनियमके अमलपर यथेष्ट प्रकाश डालता है। अत वह साधारणसे अधिक दिलचस्पीकी चीज है। भारतीय गिरमिटिया आबादीकी अबतक दी गई सख्याकी अपेक्षा यह अधिक सही सख्या भी देता है। सरक्षक द्वारा दी गई जानकारी 'आखे खोलनेवाली' हे। गत तीन वर्षोमे भारतीय आबादी बहुत काफी बढी है। १८७६ से १८९६ के बीचमे यह ३१,७१२ थी, १९०२ मे यह, ७८,००४ थी और १९०४ के अतमे यह ८७,९८० हो गई। इस तरह दो वर्षमे लगभग १०,००० की वद्धि हुई। और तो भी सरक्षकका अन्यत्र कहना है कि १९०२ म १९,००० गिरमिटियोके लिए प्रार्थनापत्र दिये गये है। वे इस मागकी पूर्ति नही कर सके ह। इस प्रकारके मजदूरोकी माग इतनी बडी हे कि नये प्रार्थनापत्रोको सर्वथा अस्वीकार कर देना आवश्यक हो गया है। इस बडी वद्धिका कारण स्पष्ट हे। इस श्रेणीके मजदूर बहुत लोकप्रिय ह और उपनिवेशमे उनकी लोकप्रियता बढती जा रही है। जो लोग आते ह वे बडा सतोष प्रदान करते हैं और हजारो उपनिवेशियोकी सुखद जीविका भारतसे गिरमिटिया मजदूरोके सतत प्रवाहपर बहुत अशामे निर्भर करती है। इससे जो निष्कर्ष निकलता है वह भी स्पष्ट है। भारतीयोके अवाछनीय नागरिक होनेके बारेमे यहा जो हल्ला है वह अधिकाश रूपसे झूठा अथवा स्वार्थभरा हे। ऊपर दिये गये आकडोसे जो निष्कर्ष निकलता है उसका आश्चर्यजनक समर्थन हमे परमश्रेष्ठ नेटालके गवर्नरके हाल ही के भाषणमे मिलता है। कृषि प्रदर्शनीके उद्घाटनके समय उन्होने कहा था कि नेटालकी तटीय भूमिके विकासके लिए भारतीय कृषक अनिवार्य है।

सरक्षक महोदय व्यक्ति कर और फिरसे गिरमिटमे प्रवेश सबधी कानूनके अमलसे बहुत अधिक असन्तुष्ट ह। वे कहते हैं कि इस कानूनसे लोग बहुत अधिक बच निकलते हैं और जिन भारतीयोकी गिरमिटकी अवधि समाप्त हो जाती है उनको भारत वापस भेजनेमे यह कानून असफल रहा है। जो लोग यहा रह गये हैं उनमे से बहुतेरे व्यक्ति-करसे बचनेम सफल हो गये है। गत वर्ष ८८८ पुरुषो और ३४५ स्त्रियोने नये कानूनके अधीन गिरमिटकी अवधि समाप्त की। इस सख्यामे से केवल १३७ पुरुषो और ३२ स्त्रियोने पुन गिरमिटमे आनेकी अर्जी दी। २०१ पुरुष और ५८ स्त्रिया भारत लौट गये। ३७५ पुरुषो और १४६ स्त्रियोने कर चुकाया और यह लेखा तैयार करते समय १७० पुरुषो और १०५ स्त्रियोके बारेमे कुछ स्थिर नही किया जा सका। इसपर आश्चर्य करनेकी बात नही है। व्यक्ति कर राजस्व बढानेका कोई सन्तोषजनक तरीका नही है। उपनिवेशमे बसनेमे इसके कारण रुकावट नही आई। अधिनियम बनानेवालोने किसी ऐसे परिणामकी आशका नही की थी। गिरमिटिया भारतीयोको इससे खीज उत्पन्न होती है। यह उनसे अनुचित ढगसे धन वसूल करनेका जरिया है और नेटालके सुन्दर नामपर एक धब्बा लगाता है। और इससे भी अधिक दुखकी बात यह है कि यह कर उन

लोगोंपर लगाया गया है, जिनकी सेवाएँ, जैसा कि दिखाया जा चुका है, उपनिवेशकी भलाईके लिए अनिवार्य मानी गई है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५–८–१९०५

४४ जापान कैसे जीता?

न्यूयॉर्कमें संवाददाताओंने बैरन कोमुरासे प्रश्न किया कि जापानकी जीतके कारण क्या हैं? बैरन कोमुराने जो उत्तर दिया वह सदाके लिए मनमें अंकित कर लेने योग्य है। उन्होंने कहा कि जापानकी माँग न्यायोचित है, यह एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि जापानमें ऐक्य है। अधिकारियों और लोगोंमें भ्रष्टाचार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपना-अपना कर्तव्य पूरा करता है। जापानी आलसी अथवा काहिल नहीं हैं और अत्यन्त सादगीसे रहते हैं। जापानी सादगीसे रहनेके कारण रूसियोंसे टक्कर ले सके हैं। थोड़े कपड़े और आहारमें थोड़ी चीजोंकी आवश्यकता इत्यादि कारणोंसे जापानी सैनिकोंकी खाद्य सामग्री आदि कम गाड़ियोंमें ढोई जा सकती है। परिणामस्वरूप जापानियोंको बहुतसे सैनिकोंको दूर तक ले जानेमें कम असुविधा रहती है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५–८–१९०५

४५ पत्र दादा उस्मानको

[जोहानिसबर्ग]
अगस्त ५, १९०५

श्री सेठ दादा उस्मान,

पत्र मिला। श्री वाइलीको हकीकत भेजी है। उसकी नकल आपको भी भेजता हूँ। आपके परवानेके बारेमें आपका चेक मिलनेके बाद मैंने आजतक कोई फीस नामे नहीं लिखी है। मुझे लिखनी चाहिए कि नहीं, जवाब लिखें।

विज्ञापन इकट्ठे किये, यह ठीक किया। चेक लिये या नहीं?

दफ्तरसे श्री लैबिस्टरका मशविरा वगैरह कागजात भेजें।

मो० क० गांधीके सलाम

श्री दादा उस्मान
बॉक्स ८८
डर्बन

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे, पत्र-पुस्तिका (१९०५), संख्या ८७१

४६. पत्र कुमारी बिसिक्सको[1]

[जोहानिसबग]
अगस्त ५, १९०५

प्रिय कुमारी बिसिक्स,

मुझे आपकी परेशानियाके लिए बहुत अफमोस है। मुझे लगता हे कि आपने जिन चीजोका उल्लेख किया है वे वापस नही ली जा सकेगी, क्योकि यासीसे मुझे मालूम हुआ हे कि वे बिक्रीमे शामिल कर ली गई ह। चालू धधेके रूपमे बिक्रीसे केवल २१० पौड वसूल हुए हैं। मुझे पता चला है कि कारोबार ब्राउन बधुआने खरीदा है।

मैंने भगिनी हीलिएलसे कहा था कि शायद मै सोमवारको आपके पास साइकिलसे चला आऊँ, किन्तु मुझे दुख है कि म नही आ सकूगा।

आपका सच्चा,
मो० क० गाधी

कुमारी बिसिक्स
मारफत बाक्स ४२०७

[अग्रेजीमे]

पत्र-पुस्तिका (१९०५), सख्या ८७२

४७ पत्र उमर हाजी आमदको

[जोहानिसबग]
अगस्त ५, १९०५

श्री सेठ उमर हाजी आमद,

आपका पत्र मिला। मैरित्सबगमे विज्ञापन इकट्ठे किये, यह जानकर खुशी हुई।

आप फीनिक्स गये होगे। नियमित रूपसे जाते रहिए। नीदमे खलल न पहुँचे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

मो० क० गाधीके सलाम

श्री उमर हाजी आमद
बॉक्स [४४१]
डबन

गाधीजीके स्वाक्षरामे गुजरातीसे, पत्र-पुस्तिका (१९०५), सख्या ८७४

१ कुमारी एडा बिसिक्स एक उद्योगी थियोसॉफिस्ट थी। उन्होने एक छोटा निरामिष उपाहार गृह खोला और बादमें उसका विस्तार करनेका निर्णय किया। वह सहायताके लिए गाधीजीके पास आईं। उन्होंने अपने एक मुवक्किलके एक हजार पौंड उमकी मजूरीसे कुमारी बिसिक्सको दे दिये, परन्तु वे उन्हें कभी वापस नही मिले। उसकी क्षतिपूर्ति उन्होंने स्वय की। देखिए **आत्मकथा** भाग ४ अध्याय ६।

४८ पत्र अब्दुल हक व कैखुसरूको

[जोहानिसबर्ग]
अगस्त ५, १९०५

भाई अब्दुल हक व कैखुसरू,

आपका पत्र मिला। रुस्तमजी सेठका पत्र वापस भेजता हूँ। मैं उन्हें लिखूँगा। भाड़ेके बारेमें जो अर्थ आप निकालते हैं सो निकल सकता है। किन्तु उसकी चिन्ता किये बिना घर खाली न रहे, इसपर पर्याप्त ध्यान रखा जाये, इतना काफी है। आजम मूसा हुसेनके मुख्त्यारनामेका अभी उपयोग नहीं हो रहा है। आपने पत्रपर पूरी टिकटें नहीं लगाई थीं।

मो० क० गांधीके सलाम

संलग्न १

पेढ़ी जालभाई सोराबजी ब्रदर्स
११० फील्ड स्ट्रीट
डर्बन

गांधीजीके स्वाक्षरोंमें गुजरातीसे, पत्र पुस्तिका (१९०५), संख्या ८७६

४९ पत्र मुख्य अनुमतिपत्र-सचिवको

[जोहानिसबर्ग]
अगस्त ८, १९०५

सेवामें
मुख्य अनुमतिपत्र सचिव
पो० ऑ० बॉक्स ११९९
जोहानिसबर्ग

महोदय,

विषय अब्दुल कादिरके[1] अनुमतिपत्रकी नकल

पिछले महीनेकी १४ तारीखके आपके पत्र, संख्या ६५० से मुझे सूचना मिली कि अब आपने मेरे मुवक्किलके अँगूठेके निशानकी जाँच कर ली है और उसके अनुमतिपत्र तथा पंजीयनका पता लगा लिया है।

मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे मामलोंमें एक दूसरा अनुमतिपत्र अथवा किसी प्रकारका प्रमाणपत्र जारी करना आवश्यक है, ताकि पंजीकृत निवासी बिना परेशानीके वापस आ सकें। मेरा मुवक्किल भारत जानेवाला है और इसलिए यदि आप उसे प्रमाणपत्र दे दें तो मैं बहुत

१ नेटाल भारतीय कांग्रेसके अध्यक्ष, १८९९–१९०१।

कृतज्ञ हूँगा। इसमे जालसाजीका प्रश्न नही हो सकता, क्योकि जो प्रमाणपत्र आप जारी करेंगे उसपर अँगठेका निशान रहनेके कारण किसी औरके द्वारा उसका उपयोग नही किया जा सकेगा।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

पत्र पुस्तिका (१९०५), सख्या ८८९

५० पत्र अब्दुल हकको

[जोहानिसबग]
अगस्त ८, १९०५

भाई अब्दुल हक,

पारसी कावसजी लिखते है कि उन्हे ५० पोड दिये जाये तो आप उनकी ओरसे एक वषकी जमानत दे देंगे। रुस्तम सेठ क्या कह गये है, यह आपको मालूम होगा। अपने खाते लिखकर उतनी रकम पारसी कावसजीको देना आपको उचित दिखे, तो लिखिए। तब मै उमर सेठको उतने पाडका चेक काटनेको लिखूगा।

आजकल किराया हर माह कितना है, लिखिए।

मो० क० गाधीके सलाम

श्री अब्दुल हक
मारफत पढी जालभाई मोराबजी ब्रदस
११० फील्ड स्ट्रीट
डबन

गाधीजीके स्वाक्षरोम गुजरातीसे, पत्र पुस्तिका (१९०५), सख्या ८९०

५१ पत्र तैयब हाजी खान मुहम्मदको

[जोहानिसबर्ग]
अगस्त ८, १९०५

सेठ श्री तैयब हाजी खान मुहम्मद,

आपके दावेके[1] बारेमे साथकी नकलके मुताबिक जवाब दिया है। मुझे दु ख है। अब लार्ड सेल्बोनको अधिक लिखनेकी जरूरत है, ऐसा मै नही मानता। मुकदमा विलायतमे लडना होगा। या फिर तैयब सेठ आये तो यहा लड सकते है।

मो० क० गाधीके सलाम

सलग्न

पेढी तयब हाजी खान मुहम्मद ऐड क०
बॉक्स ३५७
प्रिटोरिया

गाधीजीके स्वाक्षरोमे गुजरातीसे, पत्र पुस्तिका (१९०५), सख्या ९००

५२ पत्र हाजी हबीबको[2]

[जोहानिसबर्ग]
अगस्त ९, १९०५

श्री सेठ हाजी हबीब,

करोडियाके बारेमे आपका पत्र मिला। मैने नोटिस भेज दिया है।

मो० क० गाधीके सलाम

[पुनश्च]

मै कल रात कामसे प्रिटोरिया गया था। सवेरे ७॥ की गाडीसे आनेके कारण मिल नही सका, इसके लिए माफी चाहता हूँ। श्री केलनबैकके[3] साथ सन्देशा भेजा है।

गाधीजीके स्वाक्षरोमे गुजरातीसे, पत्र पुस्तिका (१९०५), सख्या ९०७

१ यह युद्ध क्षतिके सम्बन्धमें था।

२ मन्त्री, ट्रान्सवाल भारतीय संघ।

३ हरमान केलेनबैक एक धनी जर्मन वास्तुकार थे। श्री खानने उनमें आध्यात्मिक वृत्ति देखी और उनका परिचय गाधीजीसे करा दिया। वे गाधीजीके मित्र बन गये और उनके साथ सादे जीवनके प्रयोगमें शरीक हो गये। उन्होंने दक्षिण आफ्रिकाके अनाक्रमक प्रतिरोध आन्दोलनमें जेलयात्रा की। देखिए, **दक्षिण आफ्रिकाका सत्याग्रह**, अध्याय २३, ३३–३५।

५३ पत्र अब्दुल कादिरको

[जोहानिसबग]
अगस्त १०, १९०५

प्रिय श्री अब्दुल कादिर,

मुझे अभीतक आपको लिखनेका समय नही मिला था। कारोबारकी बातपर आनेके पहले, श्रीमती अब्दुल कादिरने जो कचौडिया भेजी, उनके लिए उन्हे धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैने जो हँसी-हँसीमे मागा था, सचमुच ही मिल गया। आप जानते है कि श्री उमर और श्री दादा उस्मान मेरे साथ थे। हम सबने उन्ही कचौडियोकी ब्यालू की। इसके सिवा एक दुघटना भी हो गई थी। एक इजन पटरीसे उतर गया था और रातको सारे यात्रियोको गाडिया बदलनी पडी थी। आधी रातके बाद गाडी ३ घटे पिछड गई। इसलिए जिन स्टेशनापर भोजन मिल सकता था उनपर भोजन नही दिया गया और उस परिस्थितिमे केवल मैने ही नही, मेरे दूसरे रेलके साथियोने भी — यद्यपि वे यूरोपीय थे — वे कचौडियाँ बहुत पसन्द की। वे बहुत स्वादिष्ट थी। इस तरह जोहानिसबग पहुँचनेके पहले ही टोकरी आधी हो गई। श्रीमती अब्दुल कादिरको उनकी मेहरबानीके लिए मै फिर धन्यवाद देता हूँ।

बक द्वारा लिखाया गया जमानतनामा श्री अब्दुल गनीने[1] मुझे दिखा दिया है। मेरे विचारसे उसकी कोई जरूरत न्ही है। मेरी रायमे बैककी जमानतपर साझेदारीके विघटनकी लिखा पढीका बिलकुल ही प्रभाव नही पडता। बॉडमे परिवतन करनेका कारण मेरी समझमे नही आता। लेकिन चूकि पेढी नये सिरेसे नाम चढाई जानी है, इसलिए इसमे कोई नुकसान नही है। मै आशा करता हूँ कि आप मामलेको जल्दी आगे बढायेगे। श्री मुहम्मद इब्राहीमका नाम वापस लेनेमे कोई कठिनाई नही होनी चाहिए, क्योकि यदि वे राजी न हो तो भी अदालतका हुक्म बिलकुल काफी होगा। मुझे मालम हुआ है कि सभी हिस्सेदारोकी इच्छा साझेदारीके विघटनको 'गजट'मे विज्ञापित करने की है। मै भी ऐसा ही सोचता हूँ। इसलिए मै विज्ञापनका मसविदा[2] भेज रहा हूँ। यदि आप मजूर करे, तो पाचो हिस्सेदार उसपर दस्तखत कर सकते है और वह वहाके और यहाके दोनो 'गजटो'मे तथा दोनो जगहोके एक एक दैनिक पत्रमे विज्ञापित किया जा सकता हे। आपके लन्दनके एजेटोको भेजनेके लिए भी पत्रका मसविदा[3] साथमे हे।

वहा जा बैठके हुई उनमे आपने अत्यन्त चतुराई और शान्तिका परिचय दिया। उसे देखकर मै हदसे ज्यादा प्रसन्न हुआ। यह मेरी हार्दिक आशा और प्राथना है कि दोनो धन्धे बढते जाये ओर आप सबमे पूरा मेल जोल बना रहे। मै यह सलाह भी देना चाहता हूँ कि यद्यपि आगे चलकर दक्षिण आफ्रिकाका भविष्य निश्चय ही अच्छा है तो भी आप जो काम हाथमे ले, उसमे अत्यन्त सावधान रहे। हमे अभी और भी बुरे दिन देखने पडेंगे, जो इस सत्यको समझ

१ अध्यक्ष ब्रिटिश भारतीय संघ।
२ व ३ ये उपलब्ध नहीं हैं।

लेंगे अन्तमे वे सबसे अधिक फायदेमे रहेगे। मुझे इसमे शक नही है कि कारोबार बहुत अधिक करना है, किन्तु इसमे बहुत अधिक विचारशीलताकी आवश्यकता है।

आपका सच्चा,

मो० क० गाधी

श्री अब्दुल कादिर
मारफत श्री एम० ओ० कमरुद्दीन ऐड क०
पो० ऑ० बॉक्स १८६
डबन

[अग्रेजीसे]

पत्र पुस्तिका (१९०५), सरया ९१२

५४ पत्र पर्क्स लिमिटेडको

[जोहानिसबग]
अगस्त ११, १९०५

पेढी पक्स लि०
पो० ऑ० बॉक्स २७८९
जोहानिसबग

प्रिय महोदय,

विषय जगन्नाथ

इस मुकदमेकी सुनवाई आज सुबह हुई। दो गवाहोने इस आशयकी गवाही दी कि १ पौड मक्खन मागा गया था और उसपर जैसी टिकिया श्री लैवीने मुझे दिखाई थी वैसी टिकिया निरीक्षकको दी गई, और जब पैसा दिया जा चुका तब निरीक्षकने टिकिया तोली। टिकिया तोलते समय अभियुक्तने टिकियाके ऊपरकी लिखावटकी ओर इशारा किया। यह कानूनके मुताबिक स्पष्ट ही अपराध था, किन्तु मजिस्ट्रेटने ऐसा माना कि इस मामलेमे अभियुक्त बिलकुल निरपराव है और इसलिए उसपर केवल १ पौड जुर्माना किया गया। मै वतमान परिस्थितियोमे अधिकसे अधिक यही कर सकता था। जान पडता है कि अदालतमे पिछले हफ्ते एक ऐसा ही मामला आया था। उसमे भी गवाहीसे यही जाहिर हुआ कि जो टिकिया बेची गई थी उसपर लिखावट बहुत अस्पष्ट थी, इसलिए मुझे लगता है कि जबतक ऊपर लगे हुए लेबिलपर चारो तरफकी लिखावट बहुत ज्यादा बडी नही होगी, तबतक फुटकर विक्रेताओपर जुर्मानेकी जोखिम रहेगी और वह भी बहुत भारी जुर्मानेकी, क्योकि वजनमे १ पौड मक्खन मागनेपर ग्राहकको उक्त प्रकारकी टिकिया बेचनेपर २० पौड जुर्माना किया जा सकता है। इसलिए मै [सोचता हूँ कि उनपर] लिखावट अधिक अच्छी होनी चाहिए अथवा अपने विक्रेताओको यह कह दे कि वे इन टिकियाको बेचते समय हर बार यह कहे कि वजनकी कोई गारटी नही है।

मै मुकदमेके सम्बन्धमे ३ पौड ३ शिलिंग आपके नाम डालता हूँ।

आपका विश्वासपात्र,

मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

पत्र पुस्तिका (१९०५), सग्या ९२२

५५ कदम-ब-कदम

रैंड अग्रगामी संघ (रेड पायोनियर्स) का धन्यवाद है कि उसकी कारवाईके फलस्वरूप जोहानिसबर्गकी गिरजा परिषद (चर्च कौंसिल) अपने कर्त्तव्यके प्रति जागरूक हो गई है। परिषदके प्रतिनिधियोंका एक शिष्टमण्डल, ट्रान्सवालमें भूमिपर वतनी लोगोंके अधिकारके सम्बन्धमें लॉर्ड सेल्बोनसे यह अनुरोध करनेके लिए मिला था कि वतनियोंको जो अधिकार युद्धसे पहले प्राप्त थे उनको अक्षुण्ण रखना वांछनीय है। ट्रान्सवालके महान्यायवादी यह बता चुके हैं कि ट्रान्सवालमें किस प्रकार युद्धसे पहले वतनी लोग स्वतन्त्रतापूर्वक जमीनके मालिक हो सकते थे। उन्होंने उनके सामने एक उदाहरण भी रखा था कि जब कुछ लोगोंने जमीनके बारेमें वतनियोंके अधिकारोंमें कमी करनेके लिए प्रार्थनापत्र दिया तब अध्यक्ष क्रूगरने[१] उनको सूचित किया था कि वे उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते। यद्यपि यह ठीक है कि व्यवहारतः वतनी लोगोंको अपनी जमीनोंका पंजीकरण स्वयं अपने नाम करानेकी इजाजत न थी, परन्तु, महान्यायवादीने स्पष्ट बताया है कि, उनकी जमीनें वतनी मामलोंके आयुक्तके नाम पंजीकृत होनेपर भी, उक्त अधिकारीको उनके सम्बन्धमें निजी विवेकके प्रयोगका अधिकार नहीं मिल जाता था। वह जमीनको उक्त वतनीके न्यासीकी हैसियतसे ही अपने नाम लिखा सकता था और जमीनके असली मालिकके निर्देशसे उसके स्थानमें किसी दूसरे वतनीका नाम लिखानेके लिए बाध्य था, ताकि वह दूसरा वतनी न्यासके लाभका अधिकारी हो जाये। सर जॉर्ज फेरारके[२] नेतृत्वमें वतनी-विरोधी लोगोंके शोरगुल मचानेपर सर रिचर्ड सॉलोमनने अपनी इच्छाके बहुत कुछ विरुद्ध यह वचन दे दिया है कि वे वतनियोंकी जमीनोंका पंजीयन वतनी मामलोंके आयुक्तके नाम करनेके रिवाजको कानूनका रूप देनेके लिए एक विधेयक पेश करेंगे। रैंड अग्रगामी संघने इसके विरुद्ध फिर आन्दोलन शुरू कर दिया है। उनकी जिद है कि वतनी मामलोंके आयुक्तको उनका न्यासी बननेसे इनकार करनेका अधिकार होना चाहिए। यदि उनकी यह प्रार्थना स्वीकृत हो गई तो वतनियोंको युद्धसे पहले जमीनका मालिक होनेका जो अधिकार था, वह निश्चय ही छिन जायेगा।

गिरजा-परिषदने इसी प्रकारके आन्दोलनके विरुद्ध अपनी आवाज उठाई है। श्री हॉस्केनके नेतृत्वमें उसके शिष्टमण्डलने लॉर्ड सेल्बोनके सामने यह स्पष्ट कर दिया है कि जबसे ट्रान्सवालपर ब्रिटिश अधिकार हुआ है तबसे रंगदार लोगोंके साथ जो व्यवहार हो रहा है वह पहलेकी अपेक्षा ज्यादा बुरा है। उन्होंने और उनके साथी सदस्योंने यह भी कहा कि बहुत-से लोग युद्धको इसलिए ठीक समझते थे कि उनकी सम्मतिमें यह स्वतन्त्रताका युद्ध था। पादरी श्री फिलिप्सने कहा कि वे अपनी गाँठसे धन व्यय करके धर्म युद्धके पक्षमें प्रचार करने इंग्लैंड गये थे, क्योंकि बोअर शासनमें रंगदार लोगोंपर जो ज्यादतियाँ की जा रही थीं उन्हें वे सहन नहीं कर सके थे। परन्तु पादरी साहबने अब अनुभव किया है कि इन जातियोंकी हालत ब्रिटिश शासनमें तनिक भी नहीं सुधरी है।

लॉर्ड सेल्बोनने उत्तर वही दिया जिसकी आशा की जाती थी। उन्होंने इस प्रश्नका अध्ययन पर्याप्त रूपसे नहीं किया था। इसलिए वे कोई मत प्रकट नहीं कर सके। परन्तु परमश्रेष्ठने कहा

यदि ब्रिटिश शासनमें सभ्य अथवा असभ्य वतनियोंके साथ किसी प्रकारका अन्याय होता है तो यह हमारे शासनपर कलंक और धब्बा है और ऐसा विषय है जिसके बारेमें मैं व्यक्तिगतरूपमें अनुभव करता हूँ कि यह अपयशकी बात है।

१ स्टीफेनस जोहानिस पॉलस क्रूगर, (१८२५–१९०४), बोअर नेता, ट्रान्सवालके राज्याध्यक्ष १८८३–१९००।
२ ट्रान्सवाल विधान परिषदके नामजद सदस्य।

ये शब्द उस व्यक्तिने कहे हैं जो ट्रान्सवालका शासक है। ईश्वर करे, परमश्रेष्ठने जिस नीतिका इस प्रकार साहसपूर्वक प्रतिपादन किया है, उसे क्रियान्वित करनेका भी उन्हें यथेष्ठ साहस और बल प्राप्त हो।

ब्रिटिश भारतीयोंके लिए यह मुलाकात महत्त्वहीन नहीं है। शिष्टमण्डलने परमश्रेष्ठसे जो कुछ कहा, वह सब उनपर भी समान रूपसे लागू होता है। और लॉर्ड सेल्बोनने जिस नीतिका प्रतिपादन किया वही नीति समस्त ब्रिटिश प्रजाओंपर लागू होने योग्य है। यह खुशीकी बात है कि लार्ड सेल्बोनके रूपमें ट्रान्सवालको ऐसा गवर्नर और दक्षिण आफ्रिकाको ऐसा उच्चायुक्त मिला है जो कि विरोधी स्वार्थोंके बीच न्यायके लिए कृतसंकल्प है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-८-१९०५

५६. नेटालके नये कानून

नेटाल संसदने बस्तीके सम्बन्धमें और जमीनपर कर लगानेके सम्बन्धमें जो कानून बनानेका विचार किया था वह समाप्त हो गया है। विधान परिषदने इन दोनों विधेयकोंको और वतनियों-पर कर लगाने सम्बन्धी विधेयकको अस्वीकार कर दिया है। इसलिए हमें बस्तीके सम्बन्धमें जो भय था वह फिलहाल तो दूर हो गया है। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि ये विधेयक हमारी अर्जीके कारण समाप्त हुए हैं फिर भी इतना तो निःसन्देह है कि हमारी अर्जीका असर पड़ा है। इसमें हमें यह सबक लेना है कि यदि हम मेहनत करें तो कुछ न कुछ फल मिले बिना नहीं रह सकता।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-८-१९०५

५७. ट्रान्सवालमें वतनियोंको जमीनका अधिकार

ट्रान्सवालका सर्वोच्च न्यायालय सदा काले लोगोंको लाभ पहुँचाया करता है, अर्थात् वह न्यायकी अदालतमें गोरोंकी दहशत माने बिना, काले गोरेको समान समझकर इन्साफ करता है। रुडीपोर्टमें काफिर लोगोंका गिरजाघर है। उस गिरजाघरके उसके न्यासियोंके नाम चढ़ानेकी अर्जी देनेपर उच्च न्यायालयने[1] निर्णय दिया है कि इस प्रकारकी जमीन काले लोगोंके नाम दर्ज की जा सकती है। जमीनका इस प्रकार दर्ज किया जाना कानूनन मना नहीं है। इस मुकदमेसे प्रतीत होता है कि प्रिटोरिया, हाइडेलबर्ग आदि स्थानोंमें जो मस्जिदें हैं, वे न्यासियोंके नामपर चढ़ाई जा सकती हैं। यह प्रश्न प्रिटोरिया आदिकी जमातोंके ध्यान देने योग्य है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२-८-१९०५

१. सर्वोच्च न्यायालयके स्थानपर उच्च न्यायालय शायद भूलसे लिख दिया गया।

५८ इग्लैड और जापानके बीच सन्धि

इग्लैड और जापानके बीच जो सधि हुई थी उसपर पुर्नविचार करनेका समय निकट आ रहा है, इसलिए इस सम्बधमे ब्रिटिश राजनयिक क्षेत्रोमे चर्चा चल रही है। दोनो राज्योके बीच ३० जनवरी १९०२ को पाच वषके लिए सधि हुई थी। लेकिन उसमे यह भी शत थी कि चौथे वषके अत तक किसी भी पक्षकी तरफसे उस सधिको तोडनेकी पूव सूचना न मिले तो वह पाच वषके उपरात भी कायम रहे, और उसके बाद जो पक्ष उसे तोडना चाहे वह एक वष पहले इत्तला भेजे। यदि इस सधिकी समाप्तिके समय कोई पक्ष युद्धमे उलझा हो तो यह सधि तबतक कायम रहे जबतक युद्ध शात न हो जाये।

इसके अतिरिक्त यदि दोनोमें से एक पक्षको किसी शक्तिके विरुद्ध लडाई छेडनी पडे तो दूसरे पक्षको किसी तीसरी शक्तिको उसमे शामिल होनेसे रोकनेका प्रयत्न करना चाहिए। और यदि कोई तीसरी शक्ति लडाईमे उतरे हुए पक्षके मुकाबले विरोधी पक्षको सहायता दे तो दूसरा पक्ष लडाईमे व्यस्त पक्षकी सहायता तुरत करे।

ऊपरकी शर्तोके अनुसार यदि आगामी वषकी ३० जनवरी तक सधि भग करनेकी चेतावनी किसी पक्षको नही मिलती, तो यह सधि पाच वष उपरात भी जारी रहेगी। इसके विपरीत यदि इस बीच सधि भग करनेकी चेतावनी दे दी गई ओर सन्धिकी अवधिका अत होनेपर भी रूसके साथ युद्ध चलता रहा तो भी युद्धकी समाप्ति तक सधि कायम रहेगी।

इग्लैड और जापान दोनो पक्षोके लिए सधि बडी लाभदायक सिद्ध हुई है। वास्तवमे तो इससे सारी दुनियाको लाभ हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। क्योकि, यदि रूसकी सहायताके लिए कोई तीसरी शक्ति मैदानमे आती तो इग्लडको जापानकी मददके लिए लडाईमे आना पडता और ऐसा होनेपर एक बडे पैमानेपर ससारकी शातिमे गहरी बाधा उपस्थित होती, ऐसा दिखाई पड रहा है। इस सबसे ऐसी आशा करनेके पर्याप्त कारण मौजूद है कि यह सधि आगे भी कायम रहेगी।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १२–८–१९०५

५९ पत्र तैयब हाजी खान मुहम्मद ऐंड कम्पनीको

[जोहानिसबग]
अगस्त १२, १९०५

सेठ श्री तैयब हाजी खान मुहम्मद ऐड क०,

आपका पत्र मिला। अब उच्चायुक्तको पत्र नही लिखा जा सकता। विलायत पहुँचना ही बाकी रहा है। अथवा यहा फिर गडबडी हो तो भी सम्भव है। वहाके महापौरसे मिलिए और उनसे पूछिए, क्या कहते है। मै तुरन्त विलायतको लिखनेकी सलाह नही दे सकता। क्योकि अगर तैयब सेठ आते है तो सच्ची लडाई यही लडनी है। ज्यो ज्यो दिन निकलते जायेगे, कठिनाई बढती जायेगी। नीचे लिखे मुताबिक तार करें तो अच्छा होगा

उच्चायुक्त दावेमे हस्तक्षेपसे इनकार करते है। आपको आनेकी जोरदार सलाह देता हूँ[1]।

तयब सेठको अनुमतिपत्रकी जरूरत नही पडेगी, इसलिए उसकी कोई फिक्र नही करनी है।

मो० क० गाधीके सलाम

सेठ तैयब हाजी खान मुहम्मद ऐड क०
बॉक्स ३५७
प्रिटोरिया

गाधीजीके स्वाक्षरोमे गुजरातीसे, पत्र-पुस्तिका (१९०५), सख्या ९३४

६० पत्र हाजी हबीबको

[जोहानिसबर्ग]
अगस्त १४, १९०५

सेक्रेटरी साहब,

आपका पत्र आनेसे मुझे अपने भाषण[2] याद आ रहे है। मने आपसे कहा था कि 'स्टार'की तारीखे भेजूगा। चारो भाषण १०, १८ और २९ माचके 'स्टार' मे प्रकाशित हुए ह। इन सारे भाषणोका चाहे जहा भेजकर इनका खुलासा करानेमे मेरी पूरी रजामन्दी है। मैने इन भाषणोको फिर अग्रेजीमे पढा है। और मुझे कहना चाहिए कि इनमे किसी भी धमके विरुद्ध मैने एक भी कडवा शब्द नही कहा है। इनमे हरएककी तारीफ की है और प्रत्येककी खूबिया बताई है। मुझे स्वप्नमे भी किसीको दुख पहुँचानेका खयाल नही आता। फिर भी ये कितने ही भाइयोको बुरे लगे है, इसका मुझे दुख है। और किसी भी प्रकारसे यदि मै उनका मन शात कर सकू तो ऐसा करना चाहता हूँ। यदि और भी स्पष्टीकरण आवश्यक हो तो लिखिए।

मो० क० गाधीके सलाम

श्री हाजी हबीब
बॉक्स ५७
प्रिटोरिया

गाधीजीके स्वाक्षरोमे गुजरातीसे, पत्र-पुस्तिका (१९०५), सख्या ९५०

१ मूल पत्रमें तारके इस मसविदेका मजमून अग्रेजीमें है।
२ गाधीजीके हिन्दू धर्मपर दिये गये चार व्याख्यान, देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ३९५, ४०२, ४३५।

६१ पत्र मुख्य अनुमतिपत्र-सचिवको

[जोहानिसबर्ग]
अगस्त १५, १९५०

सेवामे
मुख्य अनुमतिपत्र-सचिव
पो० ऑ० बॉक्स ११९९
जोहानिसबर्ग

महोदय,

मै पत्रवाहक जॉन सौकलको उसके अनुमतिपत्र तथा पजीयनके लिए भेज रहा हूँ। मेरी नम्र सम्मतिमे उसके पास जो कागज पत्र है उनसे यह निर्विवाद सिद्ध होता हे कि वह ३१ मई १९०२ को उपनिवेशमे था और तबसे यही है। वह अपने नामके पजीयनके सिलसिलेमे जो तफसील देता हे उससे यह जाहिर होता हे कि उसका पजीयन बोअर सरकारके जमानेमे हुआ होगा। मेरा खयाल भी ऐसा ही है। उसके दर्जेका आदमी किसी हालतमे पजीकरणसे नही बच सकता, विशेषत जब वह इतने लम्बे अरसेसे देशमे रहता हो — ओर पत्रवाहक नि सन्देह यहा लम्बे अरसेसे रहता जान पडता हे। उसने मुझसे कहा हे कि इस समय उसकी पहचानके ऐसे कोई लोग जोहानिसबगमे नही है जो इस बातको प्रमाणित कर सके कि उसने बोअर सरकारके जमानेमे अपना नाम दज कराया था। आदमी मुझे बहुत गरीब लगता था। इसलिए मुझे विश्वास है कि अगरचे वह पहले ३ पोड जमा करनेके सम्बन्धमे हलफिया बयान पेश करनेकी स्थितिमे नही है, आप उसे अनुमतिपत्र दे देगे ओर उसका नाम भी नये सिरेसे दज करवा देगे। मुझे मामला बिलकुल सच्चा और सहानुभूतिके योग्य जान पडता हे।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
मो० क० गाधी

[अंग्रेजीसे]

पत्र पुस्तिका (१९०५), सख्या ९७१

६२ पत्र अब्दुल रहमानको

[जोहानिसबर्ग]
अगस्त १६, १९०५

श्री अब्दुल रहमान
पा० आ० बॉक्स १२
पाचेफस्ट्रूम

प्रिय महोदय,

कल्याणदासको[1] 'इडियन ओपिनियन' के चन्दके सम्बन्धमे आपने जो मदद दी, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपने मुझसे पॉचेफस्ट्रूममे रखे मालके बीमेका जिक्र किया था। एक

१ कल्याणदास जगमोहनदास मेहता १९०३ में गाधीजीके साथ दक्षिण आफ्रिका गये थे और वहाँ वे उनके साथ ५ वर्ष रहे। उन्होने १९०४ में जोहानिसबर्गके प्लेगके समय बहुत काम किया था।

कम्पनी है जो, अगर इमारत अच्छी और उपयुक्त हो तो, मेरा खयाल है ७ पौंड ६ शिलिंगके हिसाबसे, ऐसे मालका बीमा कर सकती है। अगर कोई अपने मालका बीमा करानेके इच्छुक हो तो मेहरबानी करके मुझे खबर कीजिये।

आपका सच्चा,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

पत्र पुस्तिका (१९०५), संख्या ९८१

६३ क्या भारत जागेगा?

कर्जन साहब बंगालके दो भाग करके एक भाग असममें जोड़ देनेकी कोशिशें काफी अरसेसे कर रहे हैं। वे इसका कारण यह बताते हैं कि बंगाल इतना बड़ा प्रान्त है कि उसका सारा कामकाज एक गवर्नर नहीं देख सकता। असम एक छोटा सा प्रान्त है, उसकी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन यह बंगालसे लगा हुआ है। इसलिए माननीय गवर्नर जनरलका इरादा है कि बंगालका कुछ हिस्सा असममें मिला दिया जाये। बंगाली लोग कहते हैं कि बंगाली और असमी दोनों बिलकुल अलग अलग हैं। बंगाली अत्यन्त शिक्षित हैं। वे एक जमानेसे एक साथ रहते आये हैं। उनको विभक्त करके उनका बल तोड़ देना और उनमें से बहुतोंको असमके साथ मिला देना, यह बड़े अन्यायकी बात है। इस बारेमें बहुत चर्चा हो चुकी है। कुछ दिन पहले श्री ब्राड्रिकने बताया था कि उनको कर्जन साहबका विचार पसन्द आया है। यह समाचार जबसे भारत पहुँचा है तबसे बंगालमें गांव गांव सभाएँ की जा रही हैं। उनमें सभी लोगोंने भाग लिया है। सुना है, चीनी व्यापारी भी इनमें शरीक हुए हैं। ये सभाएँ इतनी विशाल हुईं बताई जाती हैं कि इनके बारेमें तार ठेठ दक्षिण आफ्रिका तक पहुँचे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन सभाओंमें प्रथम बार ही ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं कि सरकार घबड़ा जायेगी। मालूम होता है, भाषणोंमें यह कहा गया है कि यदि सरकार न्याय न करे तो भारतके व्यापारी विलायतके साथ बिलकुल व्यापार न करें। यह बात हम लोगोंने चीनसे सीखी, यह हमें स्वीकार करना चाहिए। किन्तु यदि सचमुच ही इसके अनुसार अमल कर दिखाया जाये तो हमारे कष्टोंका अन्त शीघ्र हो जायेगा और इसमें कोई आश्चर्यकी बात न होगी। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो विलायतको बड़ा नुकसान पहुँचेगा। इसके खिलाफ सरकारको कोई उपाय भी न मिलेगा। लोगोंसे व्यापार करनेकी जबरदस्ती नहीं की जा सकती। यह उपाय बहुत सीधा और सरल है। लेकिन क्या हमारे लोग बंगालमें इतना ऐक्य बनाये रखेंगे? देशके हितके लिए व्यापारी लोग हानि सहन करेंगे? यदि हम इन दोनों प्रश्नोंके उत्तरमें हाँ कह सकें तो मानना होगा कि भारत सचमुच जाग गया है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९-८-१९०५

६४ सर मचरजी और श्री लिटिलटन

ट्रासवाल्मे भारतीयोपर पडनेवाली मुसीबतोके सम्बन्धमे गत वष विवान परिषदमे यह प्रस्ताव किया गया था कि श्री लिटिलटन आयोगकी नियुक्ति करे। सर मचरजीने लिखा था कि वे इस आयोगकी नियुक्तिके सम्बन्धमे अपनी सम्मति दे रहे ह। उन्हाने इस बारेमे फिर जो प्रश्न किया है उसके उत्तरमे श्री लिटिलटनने कहा है कि अभी इस सम्बन्धमे परामश हो रहा हे। इससे पता चलता हे कि श्री लिटिलटनके साथ ट्रान्सवालकी सरकार झगडती रहती है और दोनो एकमत नही है। श्री लिटिलटनकी माग यह है कि नेटाल उपनिवेशके लिए प्रवासी अधिनियमके समान कानून बनाये जाय, और सर आथर लाली चाहते है कि केवल भारतीयोपर ही लागू होनेवाले कानून बनाये जाये।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १९–८–१९०५

६५ एलिजाबेथ फ्राइ[1]

अग्रेज लोग हमपर शासन करते है और हमारी हालत खराब है, इसके कई कारण है। इनमे से एक कारण यह हे कि इस जमानेमे अग्रेजोमे, हमारी अपेक्षा बहादुर, धार्मिक और पवित्र स्त्री पुरुष अधिक हुए मालूम पडते है। कुछ भी हो, पवित्र स्त्री पुरुषोके जीवन वत्तान्त जाननेसे और उनपर सतत मनन-चिन्तन करनेसे हमे लाभ होगा ही, ऐसा समझकर समय समयपर हम इस प्रकारके जीवन वत्तान्त देते रहेगे। हमे आशा हे कि इस अखबारके पाठक इन्हे पढकर और वैसा ही आचरण करके हमको प्रोत्साहित करगे। हम पहले लिख चुके है कि '**इडियन** ओपिनियन'की फाइल प्रत्येक ग्राहक रखे। हम इस अवसरपर उस बातकी याद पुन दिलाते ह।

इग्लैडमे एक शताब्दी पहले श्रीमती एलिजाबेथ फ्राइ हो गई है। वे अत्यन्त धार्मिक महिला थी ओर उनका ध्यान मानव जातिके दुख दूर करनेकी ओर रहता था। वे खुद हमेशा बीमार रहा करती थी, किन्तु इस बातकी उन्होने परवाह नही की। अपने ऊपर कष्टोके आनेसे वे हारती न थी। इग्लैडम न्यूगेट नामका एक कारागह हे। उसमे सौ वष पहले कैदी स्त्री-पुरुष बुरे ढगसे रखे जाते थे। उनकी सार सँभाल कोई नही करता था। उनकी दशा बहुत खराब थी। उनमे अपराध घटनेके बदले बढते थे। उनका जीवन बहुत-कुछ जानवरो जसा था। नतीजा यह होता था कि जो लोग न्यूगेटमे कैद काटकर बाहर आते थे उनकी दशा दयनीय हो जाती थी। यह कष्ट साधु प्रकृति एलिजाबेथ फ्राइसे देखा नही गया। उनका जी सतप्त हो उठा और उन्होने अपना जीवन इस प्रकारके कैदियोकी हीन दशा सुधारनेमे अर्पित कर दिया। वे अधिकारियोकी स्वीकृति प्राप्त करके, मुख्यत स्त्री कैदियोकी सहायता करने लगी। वे उनको सुख सुविधाएँ दिलाती। इतना ही नही, उन्होने लेख लिखकर तथा अपने परिश्रमसे

१ एलिजाबेथ फ्राइ, १७८०–१८४५, सोसाइटी ऑफ फ्रेंडसकी सदस्या थीं। वे जेल-सुधारकी अग्रणी थीं।

अधिकारियो द्वारा अनेक सुधार करवाये। इस प्रकारके परिश्रमके फलस्वरूप कैदियोकी स्थिति बहुत सुधर गई। किन्तु उनके लेखे यह पर्याप्त नही था। उन दिनो कैदियोको आस्ट्रेलिया भेजा जाता था। जहाजमे उनको बडा कष्ट दिया जाता था। स्त्री कैदियोकी आबरू भी न रह पाती थी। एलिजाबेथने देखा कि अपने किये कराये सारे कामपर इन कैदियोको ले जानेमे पानी फिर जाता है। इस कष्टको मिटानेके लिए वे स्वय बडी मुसीबते झेल कर जहाजोपर आया-जाया करती थी। अन्तमे उन्होने जहाज यात्राके कष्टोको भी दूर कराया। फिर आस्ट्रेलियामे कैदियोको जो कष्ट होता था उसमे भी सुधार करवाया और अन्तमे कानून बना कि आस्ट्रेलियामे पहुँचनेपर छ महीने तक तालीम देनेके बाद कैदियोको दूसरोकी नौकरीमे सौप दिया जाये। इस प्रकार दुखियोके दुखमे बहुत भाग लेनेवाली यह भली महिला अपना दुख भूलकर ईश्वरका भजन करती हुई परलोक सिधारी।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १९–८–१९०५

६६ ब्रिटिश सघ[1] एक सुझाव

दक्षिण आफ्रिकाका अपनी भूमिपर प्रतिष्ठित वैज्ञानिकोके इस सघका स्वागत करनेका अभूतपूर्व सम्मान प्राप्त हुआ है। ब्रिटिश विज्ञान प्रगति सघ (ब्रिटिश असोसिएशन फार द एडवासमेंट आफ साइन्स) एक ऐसी सस्था है जिसपर साम्राज्य गर्व कर सकता है। दक्षिण आफ्रिकी सघ (साउथ आफ्रिकन असोसिएशन)ने अपनी सहधर्मी सस्थाको इस देशमे बुलानेका विचार किया, यह खुशीकी बात है। इसके परिणाम दूरगामी हो सकते है। इससे सघका मुख्य उद्देश्य — यानी विज्ञानका प्रचार — तो सिद्ध होगा ही, उसमे भी एक बडा लाभ यह होगा कि ब्रिटेन, दक्षिण आफ्रिका और अन्य उपनिवेश एक दूसरेके निकट आ जायेगे। यह तीसरा अवसर है कि सघकी बैठक ब्रिटिश द्वीप-समूहके बाहर हो रही है। ऐसी यात्राओके महत्त्व तथा, जिस सहृदयतासे सदस्योका स्वागत किया गया है, उसे देखते हुए यह नही लगता कि यह क्रम अब टूटेगा। हम उस दिनकी प्रतीक्षामे है जब यह बैठक भारतमे होगी। हमे विश्वास है कि ऐसी बैठकसे न केवल भारतका हित होगा, बल्कि सघको भी लाभ होगा।

हमे एक नम्र सुझाव रखना है। हमने कहा है कि बाहरके देशोको ऐसी यात्राएँ साम्राज्यके दूर दूर तक फैले हुए उपनिवेशोको जोडनेमे बहुत सहायक होगी। और इसलिए कि सघको सर्वत्र उसके वास्तविक रूपमे मान्य किया जाये, अर्थात यह कि सघ साम्राज्यकी एक बडीसे बडी सपत्ति है, हम चाहेगे कि उसका वर्तमान नाम बदल कर 'ब्रिटिश साम्राज्य विज्ञान प्रगति सघ' कर दिया जाये।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २६–८–१९०५

1 १८३१ में स्थापित।

६७ लॉर्ड कर्जन

होनी होकर रही। लार्ड कर्जन अब भारतके वाइसराय नहीं रहे। यह भाग्यकी विडम्बना है कि जब उनका हटाया जाना अशक्य मालूम पडता था तभी उन्हें अत्यन्त अपमानजनक परिस्थितियोंमें जाना पड़ा। वे ऐसे वाइसराय थे जिनके लिए प्रतिष्ठा ही सब कुछ थी और जो अपने हाथमें लिये हुए कामोंमें सफलता प्राप्त करनेके लिए अपनी प्रतिष्ठापर बहुत ज्यादा भरोसा रखते थे। अब उन्हें भारतसे जाना पडा है तब उनकी प्रतिष्ठा नामके लिए भी शेष नहीं रही है। उनपर यह दुर्भाग्य युद्ध मन्त्री द्वारा लगाये गये लाञ्छनके कारण आया। इससे वह अधोगति और भी स्पष्ट हो जाती है जो उन्हें सहनी पड़ी। ऐसा लगता है मानो यह उन करोडों पीड़ितोंकी प्रार्थनाका ही फल था जो उनके स्वेच्छाचारी शासनमें कराह रहे थे।

हमारा खयाल है कि लार्ड कर्जनने जो कुछ किया, नेकनीयतीसे प्रेरित होकर किया। उनका विश्वास निस्सन्देह यह था कि भारतीयोंके विरोधके बावजूद, वे खुद जिन बातोंको सुधारका नाम देना पसन्द करते उन्हें जबरदस्ती लोगोंके गले उतारकर उनका हित ही कर रहे हैं। पद सँभालते ही उन्होंने जो ऊँची आशाएँ उत्पन्न की थीं वे अन्य किसी वाइसरायने कभी नहीं कीं। उनके भाषणोंसे भारतीय विश्वास करने लगे थे कि वे भारतीय समस्याओंके समाधानके मामलेमें लॉर्ड रिपनसे[1] बाजी मार ले जायेंगे। ब्रिटिश सैनिकोंके व्यवहारके सम्बन्धमें उन्होंने जो सम्मति लिखी थी उसके द्वारा उन्होंने अपने वचनोंको कार्यरूप देकर भी दिखा दिया था। नमक-कर में कमी और दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीयोंके पक्षका समर्थन उनको सदा ही ख्याति देंगे। परन्तु इन बातोंकी पूरी गुंजाइश छोडनेके पश्चात भी, विशुद्ध परिणाम यह है कि उन्होंने अपने कार्यकालका आरंभ लोगोंकी जितनी सद्भावनाके साथ किया था उसके अन्तमें वे उनकी उतनी ही अप्रियता कमा चुके हैं। यद्यपि उन्हें त्यागपत्र एक ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कारणसे देना पडा जो कि असैनिक शासनपर सैनिक निरंकुशताकी जीतका सूचक है, यद्यपि हम यह कल्पना बखूबी कर सकते हैं कि आज हजारों भारतीय घरोंमें आनन्द मनाया जा रहा होगा और ईश्वरको धन्यवाद दिया जा रहा होगा —— इस मुक्तिपर, जो शुभ समझी जायेगी, और वह अकारण नहीं।

लॉर्ड कर्जनकी कारगुजारियोंको देखते हुए किसी नये वाइसरायसे कोई आशाएँ बाँधना बड़ा जोखिम-भरा काम हो गया है। यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो शायद कोई आशा न बाँधना ही ज्यादा निरापद है। परन्तु मनोनीत वाइसराय लॉर्ड मिंटोके रूपमें भारतको एक उदात्त पुरुष मिल रहा है। भारत उनसे अपरिचित भी नहीं है, क्योंकि वे एक ऐसे प्रतिष्ठित वंशके हैं जिसका एक और भी व्यक्ति[2] भारतका वाइसराय रह चुका है। अपने औपनिवेशिक अनुभवसे भारतके शासनमें उन्हें अपरिमेय सहायता मिलनेकी सम्भावना है। उपनिवेशोंके शासनकी परम्पराएँ सदा विशुद्ध वैधानिक रही हैं और यदि भारतमें भी उनका पालन किया गया तो सम्राट एडवर्डके साम्राज्यके उस भागमें अगले पाँच वर्ष तक शान्तिपूर्ण शासनकी आशा की जा सकती है। ईश्वर करे कि ऐसा ही हो। उस देशमें एक बार फिर दुर्भिक्षका खतरा है, वहाँ अब भी लोग प्लेगसे मर रहे हैं, और निर्धनता प्रतिदिन लाखों घरोंको खोखला किये दे रही है। इन तिहरी

१ (१८२७–१९०९) भारतके वाइसराय और गवर्नर जनरल, १८८०–४ और उपनिवेश मन्त्री, १८९२–५।

२ बंगालके गवर्नर-जनरल १८०७–१३

भयकर आपत्तियासे रक्षाका एकमात्र उपाय यह है कि शासितोके साथ अधिकतम सहानुभूति और दयालुताका व्यवहार किया जाये।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २६-८-१९०५

६८ प्रोफेसर परमानन्द

ऐंग्लो वैदिक कॉलेजके प्रतिष्ठित विद्वान, प्रोफेसर परमानदको अब हमारे बीच रहते कुछ सप्ताह हो चुके ह। उन्होने बडी बडी सभाओमे रोचक व्याख्यान दिये है। उनका उद्देश्य आयसमाजकी शिक्षाओका प्रचार करनेका जान पडता है। इस समाजने, इसके धार्मिक सिद्धात कुछ भी हो, अत्यत उपयोगी और व्यावहारिक काय किया है। इसने सच्चे देशभक्त और बहुत से आत्मत्यागी शिक्षक उत्पन्न किये है। कुछ महीने पूव भारतमे जो भयकर भूकम्प आया था, उसमे भी आयसमाज उत्तम काम कर चुका है। प्रोफेसर परमानद कायकर्त्ताओके उसी समाजसे सम्बधित ह, और इसलिए दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोसे उनको हार्दिक स्वागत पानेका हक है। निश्चय ही, हम लोगोके बीच विद्वान और सुसस्कृत भारतीय बहुत नही आ सकते।

लेकिन प्रश्न यह है कि हम ऐसे व्यक्तियोसे क्या लाभ उठाये या वे हमारा क्या उपयोग करे। हम कबूल करते है कि अपने बीच धार्मिक आधारपर तीव्र प्रचार कायके लिए हम अभी परिपक्व नही है। यहाकी जमीन इस कायके लिए तैयार नही है। हरएक मजहब अपने लिए अलगसे अपना प्रचारक और हितरक्षक रख नही सकता, सो बात नही है। आयसमाज भारतके किसी स्थापित रूढिगत धमका प्रतिनिधित्व नही करता। यदि हम यह कहे कि आय-समाज एक ऐसा फिर्का है जो अभी अपने अस्तित्वके लिए सघष और नये अनुयायी बनानेके उपयुक्त परिस्थिति तैयार कर रहा है तो इससे उसका यश कम नही होता। वह हिदू धममे सुधारका प्रतीक है। हम अनुभव करते है कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय अभी सुधारके किसी भी सिद्धातको ग्रहण करनेके लिए तैयार नही है। जहातक भारतीयोमे आतरिक कामका सम्बन्ध है, उनकी आवश्यकता है शिक्षण, और, जितना भी अधिक मिले उतना, ठीक प्रकारका शिक्षण। हमने सदा माना है कि भारतीय गहस्थीमे सुधारकी गुजाइश है। और यह सुधार इन सैकडो भारतीय युवकोके शिक्षणके बिना न होगा जो इस उपमहाद्वीपमे प्राय सवथा उपेक्षित ह। हमारी नम्र सम्मतिमे प्रोफेसर परमानद सबसे अच्छा काय यह कर सकते ह कि वे इस प्रश्नकी ओर अपना ध्यान ले जाये। वे जिस समाजके प्रतिनिधि है उसकी शक्ति, शुद्धता और उपयोगिता प्रदर्शित करनेका यह एक बहुत अच्छा, व्यावहारिक और प्रभावशाली उपाय है। हमारा खयाल है कि दक्षिण आफ्रिकामे भारतीय बालकोको वेतनभोगी अध्यापकोके द्वारा पर्याप्त शिक्षण दिलाना प्राय असभव है। हमे प्रारम्भिक शिक्षण तक के लिए उच्चतम योग्यता, अनुभव और सस्कृतिके अध्यापकोकी आवश्यकता है।

हम इन विचारोको प्रोफेसर परमानन्द और उनके द्वारा आयसमाज अथवा इसी प्रकारकी भारतकी अन्य सस्थाओकी सेवामे — उनका मत या धम चाहे जो हो — हार्दिक विचारके लिए प्रस्तुत करनेका साहस करते है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २६-८-१९०५

६९ विश्व-धर्म[1]

वह जमाना अब नही रहा जब कि किसी एक मतके माननेवाले लोग मोका बे मौका कह दिया करते थे कि हमारा मजहब ही सच्चा मजहब है, दूसरे सब मजहब झूठ है। सभी धर्मोके प्रति सहनशीलताकी बढती हुई भावना, भविष्यके लिए शुभ सूचक ह। लन्दनमे 'क्रिश्चियन वर्ल्ड' नामक एक साप्ताहिक मजहबी अखबार प्रकाशित होता है। इसमे जे० बी०' नामके एक सज्जन इस विषयपर प्राय लेख भेजा करते ह। म इस समाचारपत्रमे अभी हालमे ही प्रकाशित उनके एक लेखसे कुछ उद्धरण यहा देना चाहता हूँ।

लेखक बहुत ही उदार और उदात्त भावनाके साथ ईसाई दृष्टिकोणसे इस प्रश्नका विवेचन करते ह, आर यह दिखाते ह कि किस प्रकार ससारके सब मजहब आपसमे जुडे हुए है और इनमे से प्रत्येकमे कुछ ऐसे लक्षण भी है जो सभीमे विद्यमान है। एक ईसाई मत प्रचारक अखबारमे ऐसे लेखका प्रकाशित होना उल्लेखनीय है और यह प्रकट करता है कि वह समयके साथ चल रहा है। कुछ वष पूव ऐसा लेख धम विरोधी उपदेश ठहराया गया होता और उसका लेखक अपने ही उद्देश्यका द्रोही कहा जाता और निदाका पात्र बन गया होता।

दूसरे मजहबोके प्रति जो नई भावना ईसाइयोकी मनोवृत्तिको बदल रही हे उसका उल्लेख करने और यह दिखानेके बाद कि किस प्रकार कुछ साल पहले यह धारणा फैली हुई थी कि अन्य अनेक झूठे मजहबोके बीच केवल ईसाई धम ही एक सच्चा धम है, उन्होने कहा है

> भारी परिवतन हुए ह, और इन परिवतनोका एक पहलू ओसत आदमीको अत्यधिक चकित कर देनेवाला यह रहस्योदघाटन है कि वह अबतक जिन सिद्धातोके बीच पला है, वे प्रारम्भिक ईसाई धमकी शिक्षा कभी नहीं थे। वह देखता है कि अन्य जातियो और धर्मोके विषयमे उसे अबतक जो राय रखनी पडी है, पुराने धर्मोपदेशकोमे से सबसे उदारचेता उससे बहुत भिन्न विचार रखते थे। वह मसीहा कालके इतने समीपवर्ती जस्टिन मार्टरके विषयमे सुनता है जो सुकरातके ज्ञानको 'दिव्यवाणी' से प्रेरित मानते थे। वह आरिगेन और निसा निवासी ग्रेगरीके सिद्धातोका परिचय प्राप्त करता है जिसकी सीख यह है कि समस्त मानव जाति एक ही दिव्य निर्देशके अधीन है। वह लक्टैन्सके विषयमे भी सुनता हे जो यह मानते थे कि ईश्वरकी सत्तामे विश्वास सभी धर्मोका समान गुण है
>
> दरअसल, प्रत्येक युगमें अपेक्षाकृत सूक्ष्म चितन करनेवाले ईसाइयोने प्राय इसी पद्धतिपर सोचा है। जरूरत सिर्फ इस बातकी रही है कि मनुष्य अन्य जातियोके सम्पर्कमें — चाहे साहित्यके माध्यमसे हो या साक्षात रूपमें — आयें, जिससे वे इस बातकी अनुभूति कर सके कि धर्मोके बीचकी 'अलघ्य खाई' का सिद्धान्त जीवन और आत्मा, दोनो धरातलोपर गलत हे
>
> धम अपने विभिन्न नामो और रूपोमें मानव हृदयमे एक ही बीज बोता आ रहा है — ज्यो-ज्यो उसका मस्तिष्क ग्रहण करने योग्य होता गया है, उसके सामने एक ही सत्यका उद्घाटन करता आया है।

१ यह लेख 'विशेष रूपसे प्रेषित' रूपमें प्रकाशित हुआ।

लेखक आगे कहता है कि अनेक ईसाई संस्थाएँ और सिद्धान्त अन्य धर्मोंके ज्ञानसे ही उत्पन्न हुए हैं। इसके अनेक प्रतीक प्राचीनकालके ध्वंसावशेष ही हैं।

इस दृष्टिसे प्राचीन फारसकी मित्र पूजा कितनी आश्चर्यजनक है! एम० क्यूमोंटके शब्दोंमें, 'ईसाइयोंकी तरह ही मित्र धर्मानुयायी परस्पर एक होकर सुगठित समाजोंमें रहते थे, और एक दूसरेको पिता और भाई कहकर पुकारते थे। ईसाइयोंके समान ही वे 'बप्तिस्मा', 'सहभोज' और 'नामकरण' आदि संस्कारोंका पालन करते थे, सर्वमान्य नैतिकताकी शिक्षा देते थे, चारित्रिक शौच तथा आत्मत्यागका उपदेश करते थे, और आत्माकी अमरता तथा मरणोत्तर जीवनमें विश्वास करते थे'।

अगर लेखक ईसाई धर्मको सर्वोच्च स्थान देना चाहता है तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं। परन्तु यह देखकर सन्तोष होता है कि ईसाई लेखकों तथा समाचारपत्रोंने ऐसी उदार मनोवृत्ति अपनायी है।

सबके हितोंको लक्ष्य बनाकर काम करनेवाले यूरोपीयों तथा भारतीयोंके लिए यह बात विशेष महत्त्व रखती है। भारतका धर्म बहुत प्राचीन है। उसके पास देनेके लिए बहुत कुछ है। हम दोनोंके बीच एकता बढ़ानेका सबसे अच्छा उपाय यह है कि हममें एक दूसरेके प्रति हार्दिक सहानुभूति और एक-दूसरेके मजहबके लिए आदर हो। इस महत्त्वपूर्ण प्रश्नपर और अधिक सहिष्णुताका फल हमारे दैनिक सम्बन्धोंमें अधिक व्यापक उदारताके रूपमें प्रकट होगा और वर्तमान मनमुटाव मिट जायेंगे। और फिर क्या यह एक तथ्य नहीं है कि हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच इस प्रकारकी सहिष्णुताकी महती आवश्यकता है? कभी कभी ऐसा खयाल आता है कि पूर्व और पश्चिमके बीच सहिष्णुताकी स्थापनाकी इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है जितनी हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच। भारतीयोंके ही आपसी संघर्ष और कलहसे उनका मेलजोल नष्ट न होने पाये। जिस समाजमें फूट है वह ढहे बिना रह नहीं सकता। इसलिए मैं भारतीय समाजके सभी अंगोंके बीच पूर्ण एकता और भ्रातृभावनाकी आवश्यकतापर जोर डालना चाहता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-८-१९०५

७० रूसका नया संविधान

रूसके जारने अपनी प्रजाको चुनावपर आधारित संविधान कायम करनेका जो वचन दिया था, वह अमलमें लाया गया है। उसकी धाराओंके बारेमें जो तार दक्षिण आफ्रिका आये हैं, उनसे पता चलता है कि इस समयके प्रजातन्त्रीय राज्य-विधानोंसे वह बहुत कम मेल खाता है। और वह भी भविष्यमें सही रूपसे अमलमें लाया जायेगा या नहीं, यह बहुत सन्देहपूर्ण मालूम देता है। इस विधानमें कानून बनानेकी सत्ता ऊपरी दृष्टिसे तो चुने हुए मण्डलको दी गई है, किन्तु उन सारी धाराओंके बावजूद जारने अपनी राज्यसत्ता कायम रखी है। इसलिए यह विधान अजीब सा दीखता है। चुनी हुई राष्ट्रीय परिषद जिन कानूनोंको स्वीकृत करेगी उनके लिए जारकी सम्मति प्राप्त करना आवश्यक होगा। राजसत्तापर यह परिषद किसी भी प्रकारका नियंत्रण रख सकेगी, ऐसा मालूम नहीं होता। फिर भी आगे चलकर अधिक जोर लगानेके लिए इस प्रकारका विधान सीढ़ीका काम देगा, इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६–८–१९०५

७१ अब्राहम लिंकन

पिछले सप्ताह हमने एलिजाबेथ फ्राइका वृत्तान्त दिया था। इस बार अमेरिकाके एक भूतपूर्व राष्ट्रपतिका वृत्तान्त दे रहे हैं।

ऐसा माना जाता है कि गत शताब्दीमें जो बड़ेसे बड़ा और भलेसे-भला मनुष्य हुआ, वह था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकनका जन्म सन १८०९ में अमेरिकामें हुआ था। उस समय उसके मां-बाप बहुत गरीबीकी हालतमें थे। १५ वर्षकी आयु तक उसे बहुत ही थोड़ा शिक्षण मिल पाया था। उसे शायद ही लिखना आता था और वह जगह जगह चक्कर काटकर गुजारेके लायक थोड़ा-बहुत कमा लेता था।

अन्तमें उसके मनमें आगे बढ़नेका विचार पैदा हुआ। उन दिनों स्टीमरकी या अन्य किसी प्रकारकी सुविधाएँ न थीं। इसलिए वह लकड़ीके तख्तोंपर अमेरिकाकी विशाल नदियोंमें प्रवास करता हुआ कितने ही गांवोंमें गया। एक जगह उसे मुंशीगीरीका काम मिल गया। इस समय उसकी आयु बीस वर्षकी थी। जब उसे यह नौकरी मिली तब उसने मनमें यह समाया कि कुछ अधिक अध्ययन करना चाहिए। इसपर उसने कुछ किताबें खरीद लीं और अपने ही श्रमसे अध्ययन प्रारम्भ किया। इस बीच उसके एक रिश्तेदारके मनमें यह विचार आया कि यदि अब्राहम लिंकन कानूनका अध्ययन कर ले तो और उन्नति कर सकेगा। इस खयालसे उसने अब्राहम लिंकनको एक वकीलके यहां रखा दिया। वहाँ उसने बड़ी लगन और श्रमके साथ काम किया तथा अध्ययन भी किया। उसने अपनी चतुराईका इतना अच्छा परिचय दिया कि उसके अधिकारी बड़े प्रसन्न हुए। स्वयं उसको भी यह लगा कि मेरी स्थिति उस समाजकी सेवा करने योग्य है, जिसमें मैंने जन्म पाया है।

उसके मनमे ज्यो ही यह विचार उठा, उसने अमेरिकी रिवाजके अनुसार ससदका प्रतिनिधि बननेका इरादा किया। उसने अपनी विशेषताएँ जाहिर करनेके लिए पहला लेख लिखा। उसने बडी टक्कर ली, परन्तु वह स्वय अभी इस दिशामे अनभिज्ञ था, और उसका प्रतिस्पर्धी एक प्रख्यात व्यक्ति था। इसलिए उसने पराजय पाई, किन्तु उसका शौर्य पहलेसे बढ गया।

उसकी भावनाएँ और भी तीव्र हो गईं। उस समयके अमेरिकाकी परिस्थितिका सही-सही चित्र जिस व्यक्तिकी कल्पनामे आ सके वही लिंकनके गुणो और उसकी सेवाको समझ सकता है। अमेरिका इस समय उत्तरसे दक्षिण तक गुलामोका पडाव बना हुआ था। आफ्रिकाके नीग्रो लोगोको सरेआम बेचना और उन्हे गुलामीमे रखना जरा भी अनुचित नही माना जाता था। बडे छोटे, अमीर गरीब सभी लोग गुलामोको रखनेमे अनहोनापन नही मानते थे। इसमे किसीको कोई बुराई नही लगती थी। धार्मिक मनुष्य और पादरी आदि लोग गुलामीकी प्रथाको बनाये रखनेमे आगा पीछा नही करते थे। कुछ तो उसे उत्तेजना देते थे और सब यही समझते थे कि गुलामीकी प्रथा भी ईश्वरी नियम है, और नीग्रो गुलामीके लिए ही जन्मे है। केवल थोडे ही मनुष्य देख पाते थे कि यह व्यवसाय अत्यन्त दूषित और अधार्मिक है। जो इस प्रकार देख सकते थे वे मौन साधे रहते थे, ताकत नही आजमाते थे। कुछ लोग गुलामोकी स्थिति सुधारनेमे थोडा सा योग देकर सन्तोष कर लेते थे। उस समय गुलामोपर जो अत्याचार किये जाते थे उसका वृत्तान्त सुनकर आज भी हमारे रोगटे खडे हो जाते है। उनको बाधकर मारा-पीटा जाता था, उनसे जबरदस्ती काम लिया जाता था, उन्हे जलाया जाता था, बेडिया पहनाई जाती थी, और यह नही कि यह सब एक-दो व्यक्तियोपर ही किया जाता हो बल्कि सबपर यही बीतती थी। इस प्रकारके विचार जिन लोगोके दिलोमे गहरी जड जमा चुके थे, उनके विरोधमे खडे होकर उनके विचारोको पलटनेका और इसी व्यवसायपर जिन लाखो मनुष्योकी आजीविका थी उन मनुष्योका विरोध मोल लेकर और उनसे लडाई करके गुलामोको बन्धनसे छुडानेका निश्चय अकेले लिंकनने किया और उसे पार उतारा, ऐसा कहा जा सकता है। ईश्वरपर उसकी आस्था इतनी अधिक थी, उसका स्वभाव इतना अधिक नरम था और उसकी दया इतनी गहरी थी कि रोज रोज अपने भाषणो, लेखो और रहन सहनके द्वारा वह लोगोके मनको बदलने लगा। अन्तमे लिंकनका पक्ष और उसका विरोधी, ऐसे दो पक्ष पैदा हो गये और अमेरिकामे बडा भारी घरेलू युद्ध हुआ। लिंकन इससे जरा भी डरा नही। अबतक वह इतना ऊँचा उठ चुका था कि उसे राष्ट्रपतिका पद मिल चुका था। लडाई कई वर्ष तक चलती रही, परन्तु लिंकन सन् १८५८–५९ से पूर्व ही सारे उत्तर अमेरिकामे गुलामीकी प्रथा बन्द कर चुका था। गुलामोके बन्धन टूटे। जहा जहा लिंकनका नाम लिया जाता वहा वहा वह लोगोके दुःख हरनेवाले मनुष्यके रूपमे पहचाना जाता था। उसने इस सघर्षके समय जो जोशीले भाषण दिये उनकी भाषा इतनी उत्तम थी कि वे अंग्रेजी साहित्यमे बहुत ऊँचे दर्जेके भाषण माने जाते है।

इतना ऊँचा उठ जानेपर भी लिंकन सदैव विनम्र बना रहा। वह हमेशा यह मानता था कि जो प्रजा या व्यक्ति शक्तिशाली हो, उसे अपने बलका उपयोग गरीब अथवा कमजोर लोगोका दुःख मिटानेके लिए करना चाहिए, न कि ऐसे लोगोको कुचलनेके लिए। यद्यपि अमेरिका उसकी अपनी जन्मभूमि थी और वह स्वय अमेरिकी था फिर भी समस्त ससार अपना देश है, ऐसा वह मानता था। वह उन्नतिके शिखर तक पहुँच गया था और उसका व्यक्तित्व इतना श्रेष्ठ था, तिसपर भी कुछ दुष्ट लोग यह मानते थे कि गुलामीकी प्रथाको हटाकर लिंकनने बहुत लोगोको हानि पहुँचाई है। इसलिए एक बार जब यह निश्चित मालूम हुआ कि लिंकन नाटक

घरमें जानेवाला है तब उसको धोखेसे मार डालनेका षड्यन्त्र रचा गया। नाटकघरके पात्रोंको ही फोड़ दिया गया था और एक मुख्य पात्रने उसको गोली मारनेका बीड़ा उठाया था। जब वह नाटकमें अपनी विशेष कोठरीमें बैठा था तब वह दुष्ट मनुष्य उस कोठरीमें गया, दरवाजा बन्द किया और लिंकनको गोली मार दी। यह भला मनुष्य चल बसा। जब लोगोंने यह भयानक घटना देखी तब किसी न्यायकी अदालतमें जानेसे पहले ही उन्होंने उस हत्यारेको चीर[1] डाला। ऐसी करुण रीतिसे अमेरिकाके इस महान राष्ट्रपतिकी मृत्यु हुई। हम कह सकते हैं कि लिंकनने दूसरोंके दुःख मिटानेके लिए अपनी जिन्दगी न्योछावर कर दी। इसके बावजूद कहा जा सकता है कि लिंकन अब भी जीवित है। उसका बनाया हुआ संविधान अबतक अमेरिकामें चल रहा है। और जबतक अमेरिकाका अस्तित्व है तबतक लिंकनका नाम प्रख्यात रहेगा। ऊपरके वृत्तान्तसे पता चला होगा कि लिंकन अमर हो गया है, इसका कारण उसका बड़प्पन, चतुराई अथवा धन नहीं था, उसकी भलाई थी। लिंकन जैसे श्रेष्ठ तत्त्व जिस जिस प्रजामें होते हैं अथवा होंगे वह प्रजा आगे बढ़ सकती है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६–८–१९०५

७२ पत्र गवर्नरके निजी सचिवको

[जोहानिसबर्ग]
अगस्त ३०, १९०५

सेवामें
निजी सचिव,
गवर्नर, ऑरेंज रिवर कालोनी

महोदय,

ऑरेंज रिवर कालोनीके रंगदार लोगोंको प्रभावित करनेवाले नगरपालिकाके कुछ उपनियमोंके सम्बन्धमें मेरे संघने पिछली १ जुलाईको[2] जो निवेदन किया था, उसके उत्तरमें आपका १८ अगस्तका पत्र, नम्बर पी० एस० १५/०५, प्राप्त हुआ।

मेरा संघ आदरपूर्वक निवेदन करता है कि यदि बस्तीमें ब्रिटिश भारतीय हैं ही नहीं तो बस्तीके विनियमोंका वहाँ लागू करना ब्रिटिश भारतीय समाजका अकारण अपमान करना है — विशेषकर उस अवस्थामें जब कि मेरे संघने अभी तक यह आशा नहीं छोड़ी है कि उक्त उपनिवेशमें ब्रिटिश भारतीयोंको किसी-न-किसी दिन प्रवास सम्बन्धी राहत मिलेगी ही। मेरा संघ यह नहीं समझ पाता कि जो बस्ती उपनियम वतनियोंको लक्ष्यमें रखकर बनाये गये हैं उन्हें एक कृत्रिम परिभाषा देकर ब्रिटिश भारतीयोंपर क्यों लागू किया जा रहा है।

वतनी नौकरोंके अनिवार्य पंजीयनके नियमपर मेरे संघने कोई आपत्ति नहीं की है, किन्तु संघकी विनम्र सम्मतिमें ब्रिटिश भारतीयोंको दक्षिण आफ्रिकाके वतनियोंकी बराबरीपर रख

१ वास्तवमें पीछा करनेवाले सिपाहियोंने अस्तबलमें आग लगायी और उसमें छिपे हत्यारे बूथको गोलीसे उड़ा दिया था।

२ देखिए "पत्र उपनिवेश-सचिवको", पृष्ठ ६।

देना सिद्धान्त अनुचित और अन्यायपूर्ण है। अत, मुझे आपसे इस मामलेमें राहतकी प्रार्थना करनेका निर्देश दिया गया है।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
अब्दुल गनी
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रेजीसे]
इंडियन ओपिनियन, २३–९–१९०५

७३ पत्र मुख्य अनुमतिपत्र सचिवको

ब्रिटिश भारतीय संघ

पो० आ० बॉक्स ६५२२
जोहानिसबर्ग
सितम्बर १, १९०५

सेवामें
मुख्य अनुमतिपत्र सचिव
पो० आ० बाक्स ११९९
जोहानिसबर्ग

महोदय,

मेरे संघको सूचना मिली है कि अनुमतिपत्र कार्यालयमें एक नया नियम लागू किया गया है। उसके अनुसार ब्रिटिश भारतीय शरणार्थियोंके लिए आवश्यक हो गया है कि वे बजाय दो ज्ञात सन्दर्भ देनेके, जैसा कि अबतक देते रहे हैं, दो यूरोपीय सन्दर्भ दें। मेरे संघका नम्र निवेदन है कि यह प्रस्तावित नियम पहले तो ब्रिटिश भारतीय समाजके लिए एक अपमान है, क्योंकि इसमें भारतीय साक्षीपर विश्वासकी कमी ध्वनित होती है, और दूसरे यह अव्यावहारिक भी है, क्योंकि बिरले ही भारतीय ऐसे हैं जिनको यूरोपीय लोग नामसे जानते हैं। दूकानदार उनके सहायक, बिक्री कर्मचारी और ब्रिटिश भारतीयोंके घरेलू नौकर यूरोपीयोंके सम्पर्कमें कदाचित् ही आते हैं। उनसे यह आशा करना कि वे यूरोपीय सन्दर्भ प्रस्तुत करें अनुमतिपत्रके लिए उनके प्रार्थनापत्रको अस्वीकार करनेके बराबर है। तीसरे, यह घूसखोरीको बढ़ावा देगा, क्योंकि यह सर्वथा संभव है कि थोड़ेसे नीतिभ्रष्ट भारतीयोंके लिए थोड़े से वैसे ही यूरोपीयोंको खोज लेना कठिन न होगा। ऐसे यूरोपीय किसी भी लाभके खयालसे झूठी कसम खानेको तैयार हो जायेंगे।

इसलिए मेरा संघ नम्र निवेदन करता है कि सुरक्षाका एकमात्र उपाय इसी बातमें है कि सन्दर्भ सम्माननीय हों और इस बारेमें उनकी जाति या रंगका विचार न किया जाये। तब भी बहुत सम्भव है, घूसखोरीके कुछ मामले हों। परन्तु वे विशुद्ध रूपसे ऐसे मामले होंगे जिनमें ऐसा करनेवालोंके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। एक या दो सफल मुकदमोंके बाद ऐसी घटनाओंका निश्चय ही अन्त हो जायेगा। इसके साथ ही मेरा संघ आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर खींचता है कि अनुमतिपत्रोंके सम्बन्धमें व्यापक प्रलोभनोंके होते हुए भी ऐसी,

आपत्तिजनक कार्यवाहियां अपेक्षाकृत कम ही हुई हैं। यह निर्विवाद है कि युद्धसे पहले ट्रान्सवालमें १५,००० से ऊपर ब्रिटिश भारतीय वयस्क पुरुष रहते थे। आपकी पंजिकामें करीब १२,००० ही दिखाई पड़ते हैं। इसलिए यह मानना उचित होगा कि जिन शरणार्थियोंको अनुमतिपत्र मिले हैं, उनमें से अधिकतर युद्धसे पहलेके ट्रान्सवाल निवासी हैं।

मेरा संघ सादर विश्वास करता है कि यह नियम वापस ले लिया जायेगा, और जो शरणार्थी वापस जानेकी अनुमतिकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी अर्जियां जल्द मंजूर कर दी जायेंगी, क्योंकि, मेरे संघके पास जो जानकारी है, उसके अनुसार उन्हें बहुत बड़ी असुविधा और हानि हो रही है।

आपका, आदि,
अब्दुल गनी
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रेजीसे]

प्रिटोरिया आर्काइव्ज़ एल० जी० ९२/२१३२

७४ नेटालके काफिर

विलायतसे ब्रिटिश संघके[1] कुछ सदस्य आजकल दक्षिण आफ्रिका आये हुए हैं। वे सबके-सब विद्वान हैं और उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है। दक्षिण आफ्रिकामें यह संयोग पहली ही बार आया है। कुछ दिन पहले ये लोग नेटालमें थे। तब माननीय मार्शल कैम्बेल उनको अपनी माउंट एजकम्बकी कोठीपर ले गये थे। वहां उन सदस्योंको दो प्रकारके अनुभव कराये। एक तो आदिवासी काफिर कैसे होते हैं, यह बताया और उनके नाच आदिका प्रदर्शन कराया। उसके बाद शिक्षित आदिवासी काफिरोंसे परिचय कराया। उन लोगोंके वरिष्ठ श्री डुबे नामके व्यक्ति हैं। उन्होंने सदस्योंके समक्ष बड़ा प्रभावशाली भाषण किया।

श्री डुबे जानने योग्य वतनी हैं। इन्होंने फीनिक्सके पास अपने परिश्रमसे तीन सौ एकड़से अधिक जमीन ली है। वहींपर ये अपने भाइयोंको स्वयं पढ़ाते हैं। ये उन्हें विविध प्रकारके उद्योग सिखाते हैं और दुनियाके संघर्षसे मोर्चा लेनेके लिए उनको तैयार करते हैं।

श्री डुबेने अपने शानदार भाषणमें बताया कि काफिरोंके प्रति जो तिरस्कारका भाव रखा जाता है वह अनुचित है। आदिवासी काफिरोंकी तुलनामें शिक्षित काफिर अधिक अच्छे हैं, क्योंकि वे लोग अधिक काम करते हैं और उनका रहन-सहन ऊँचे ढंगका होनेके कारण व्यापारियोंमें उनकी साख अधिक है। आदिवासी काफिरोंपर करका बोझ लादना अन्याय है। और ऐसा करना उसी डालको काटनेके बराबर है जिसपर हम खुद बैठे हों। गोरोंके मुकाबले आदिवासी काफिर अपना कर्तव्य अधिक अच्छी तरह समझते हैं और उसका पालन करते हैं। वे परिश्रम करते हैं, और उनके बिना गोरे एक घड़ी भी नहीं टिक पायेंगे। वे सदैव वफादार रहनेवाली प्रजा हैं और नेटाल उनकी जन्मभूमि है। दक्षिण आफ्रिकाके सिवाय उनका कोई दूसरा देश नहीं है, और उनसे जमीन आदिके अधिकार छीनना उन्हें घरसे बाहर करनेके समान है।

१ देखिए, "ब्रिटिश संघ : एक सुझाव", पृष्ठ ४९।

श्री डुबेके इस भाषणका गोरोपर बडा अच्छा प्रभाव पडा और उन्होने कहा कि यदि उन्हे अपने फाममे लोहारी या छापेखानेका काम शुरू करनेमे दिलचस्पी हो, तो वे उन्हे सहायता देगे। ब्रिटिश सघके सदस्योने उसी समय आपसमे ६० पौंड इकट्ठा करके श्री डुबेको दिये। माननीय श्री माशल कैम्बेलने भी इस समय भाषण दिया और उसमे नेटालके आदिवासी काफिरोकी प्रशसा की और कहा कि वे अच्छे और उपयोगी है। उनके प्रति विद्वेष रखना गलतफहमी और भूलसे भरा हुआ है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २–९–१९०५

७५ काउट टॉलस्टॉय

ऐसा माना जाता है कि काउट टॉलस्टॉयके समान धुरन्धर विद्वान, फिर भी फकीरी मनोवत्तिवाला, कोई दूसरा व्यक्ति पश्चिमके देशोमे तो नही है। उनकी आयु आज प्राय अस्सी वषकी हो चुकी है, फिर भी वे बहुत स्वस्थ, परिश्रमशील एव विचक्षण ह।

उनका जन्म रूसके एक उच्च कुलमे हुआ है। उनके माता पिताके पास अपार धन था। वह उन्होने विरासतमे पाया है। वे स्वय रूसके एक उमराव है। अपनी जवानीमे उन्होने रूसकी बहुत अच्छी सेवा की है। क्रीमियाकी लडाईमे वे बडी बहादुरीसे लडे थे। उस समय वे अन्य उमरावोकी तरह ससारके सभी प्रकारके भोगोका भरपूर उपभोग करते थे। वेश्याएँ रखते थे, शराब पीते थे, और तम्बाकू पीनेकी उन्हे बहुत बुरी लत थी। युद्धकालमे जब उन्होने भारी रक्तपात देखा तब उनका मन दयासे भर गया। उनके विचार बदल गये और उन्होने अपने धमका अध्ययन शुरू किया। बाइबिल पढी। ईसा मसीहके जीवनका वृतान्त पढनेसे उनके मनपर बहुत बडा असर हुआ। रूसी भाषामे बाइबिलका अनुवाद था। उससे उनको सन्तोष न हुआ। इसलिए उन्होने मूल भाषाका, अथात हिब्रूका, अध्ययन किया और बाइबिलकी शोध जारी रखी। उनमे लिखनेकी महान शक्ति है, इस बातका पता भी उन्हे इन्ही दिनो चला। उन्होने लडाईसे होनेवाले अनथकारी परिणामपर बडी प्रभावशाली पुस्तक लिखी। सारे यूरोपमे उसकी ख्याति फैल गई। लोगोकी नैतिकता सुधारनेके अभिप्रायसे कई उपन्यास लिखे। इनके मुकाबलेके ग्रन्थ यूरोपकी भाषाओमे बहुत कम माने जाते है। इन सब पुस्तकोमे उन्होने इतने अधिक प्रगतिशील विचार प्रकट किये है कि उनके कारण रूसके पादरी टॉलस्टॉयसे बिगड खडे हुए। उन्हे बिरादरीसे बाहर निकाल दिया गया। इन सब बातोकी कुछ परवाह न करते हुए उन्होने अपना प्रयत्न जारी रखा, और अपने विचाराको फैलाना शुरू कर दिया। उनके लेखोका प्रभाव खुद उनके मनपर भी बहुत पडा। उन्होने अपनी सारी सम्पत्ति त्याग दी ओर गरीबी अपनायी। आज अनेक वर्षोसे वे एक किसानकी तरह रहते है। अपने निजी परिश्रमसे जो पैदा करते है उसीसे अपनी गुजर बसर करते ह। सब व्यसन छोड दिये है, अपना खाना पीना भी बहुत सादा रखा है, ओर मन, वचन अथवा कायासे ऐसा कोई काम नही करते जिससे किसी प्राणीको हानि पहुँचे। सदैव अच्छे कामोमे और ईश्वरकी स्तुति करनेमे समय बिताते है। वे यह मानते है कि

१ दुनियामे मनुष्यको दौलत इकटठी नही करनी चाहिए।

२ दूसरा आदमी चाहे कितना भी बुरा करे फिर भी हमे उसका भला करना चाहिए, यह ईश्वरीय फरमान है, उसी प्रकार नियम भी है।

३　किसीको युद्धमे भाग नही लेना चाहिए।

४　राज्य सत्ताका उपभोग करना पाप है। इससे दुनियामे अनेक दुख उत्पन्न होते है।

५　मनुष्य अपने कर्त्ताके प्रति अपने कर्तव्यका पालन करनेके लिए पैदा हुआ है, इसलिए अपने स्वत्वोकी अपेक्षा उसे अपने कर्तव्यपालनपर अधिक ध्यान देना चाहिए।

६　मनुष्यके लिए सच्चा रोजगार खेती है और बडे नगरोको बसाना, उनमे लाखो मनुष्योको यन्त्रोद्योग आदिमे लगाना और इस प्रकारके लगे हुए मनुष्योकी गुलामी अथवा गरीबीसे लाभ उठाकर थोडेसे मनुष्यो द्वारा अमीरीका उपभोग किया जाना ईश्वरीय नियमके विपरीत है।

उपर्युक्त विचार बहुत प्रतिभाशाली ढगमे विभिन्न धर्मोसे प्रमाण ढूढ-ढूढकर और पुराने ग्रन्थोके आधारपर सिद्ध किये है। इस समय यूरोपमे टालस्टायके सुझाये नियमोके अनुसार चलनेवाले हजारो मनुष्य बसते है। इन मनुष्योने अपना सर्वस्व त्यागकर बहुत सादी जिन्दगी अपनाई है।

टालस्टाय अबतक जोशीले लेख लिखा करते है। स्वय रूसी होनेपर भी रूस और जापानकी लडाइके सम्बन्धमे उन्होने रूसके विरुद्ध बडे तीखे और कडे लेख लिखे है। रूसके सम्राटको टॉलस्टॉयने युद्धके सम्बन्धमे बडा प्रभावशाली और तीखा पत्र लिखा है। स्वार्थी अधिकारी टॉलस्टॉयपर बहुत कटु दृष्टि रखते है, फिर भी वे और स्वय जार भी उनसे डर कर चलते है, और मान देते है। लाखो गरीब किसान उनके कहे हुए वचनोका पालन करते है, यह उनकी भलमनसाहत और ईश्वरपरायण जीवनका प्रताप है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २-९-१९०५

७६　जापानकी उन्नति

ससारमे आज सबकी नजर जापानकी ओर लगी हुई है। कोई भी उस देशकी बहादुरी और चतुराईकी प्रशसा किये बिना नही रहता। जापानके एक भूतपूर्व प्रधानमन्त्री काउट ओकूमाने 'नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू'मे एक लेख लिखा है। उसमे बताया गया है कि इस समयके जापानकी महानता शताब्दियोसे होते आनेवाले सुधारोका परिणाम है। केवल शिक्षण पद्धतिके दोषके कारण ही वह ससारकी नजरमे पिछडा हुआ था। जापानने समझ लिया कि विदेशियोको अपने देशसे दूर रखना उसके वशमें नही है, और इसलिए उसने विचार किया कि अपनी सन्तानोको विदेश भेजकर उन्हे वहाकी विद्या और कला सिखाई जाये। इस काममें उसने जो स्वदेशाभिमान दिखाया उसके कारण उसकी अपनी प्रतिष्ठा कायम रही। जापानने उत्तम विदेशी शिक्षण-प्रणाली अपने देशमें जारी की। बालको और बालिकाओके लिए शिक्षण अनिवार्य कर दिया। साथ ही कला कौशल और उद्योगपर भी ध्यान देनेमे वह नही चूका। जबतक उसके युवक पूरी तरह प्रशिक्षित होकर घर नही लौटे तबतक उसने विदेशी विद्वानोको कामपर लगाये रखा।

जब पाठशालाओकी योजना काफी जोरसे चल पडी तब मिकाडोने प्रत्येक स्कूलमे पढानेके लिए एक आदेश प्रकाशित किया कि "तुम, हमारी प्रजा और अपने माता-पिताके प्रति भक्ति रखना, अपने भाई-बहनके प्रति स्नेहशील बनना, पति पत्नी मेलसे रहना, अपना बरताव सरल

रखना, परमाथ वत्ति बढाते जाना, अपने बुद्धिबल और सद्‌गुणोका विकास करना, परोपकारके कामोसे देशकी कीर्ति बढाना, राज्यके सविधानका अनुसरण करके कानूनोका आदर करना, ओर अवसर आनेपर लोकसेवाके लिए मैदानमे आकर बहादुरी दिखाना।" यूयाकमे भाषण करते हुए बैरेन कैनेकोने बताया था कि जापानकी प्रतिष्ठाकी बुनियाद यही हे।

सैनिको और नाविकोके बीच भी नीचे लिखी सात सीखे प्रचारित की गई थी

१ खरे ओर वफादार बनो और असत्यसे दूर रहो।
२ अपने वरिष्ठ अधिकारीका आदर करो, साथियोके प्रति सच्चे रहो, उद्दण्डता और अन्यायसे दूर रहो।
३ अपने अधिकारीकी आज्ञाके अधीन रहो ओर उसके आदेशोके प्राप्त होनेपर आनाकानी मत करो।
४ साहस और बहादुरीको ग्रहण करो और नामर्दी तथा भीरुताको त्याग दो।
५ क्रूर पाहसकी प्रशसा पत करो तथा दूसरोका अपमान और दूसरोसे कलह मत करो।
६ सदगुण तथा मितव्ययिताको अपनाओ और फिजूलखर्चीसे दूर रहो।
७ अपने गौरवकी रक्षा करो और जगलीपन तथा कजूसीमे अपनेको बचाये रखो।

जापानके सम्राटके इस प्रकारके आदेशोने प्रजा, सैन्य और सत्ताधिकारियोमे सदगुणोका प्रसार करके उन सबको एक बनाया हे और आज समारको उसका जो बडप्पन दिखाई देता है वह उपर्युक्त आदेशोका ही परिणाम हे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २–९–१९०५

७७ पत्र शिक्षा-मन्त्रीको

डबन
सितम्बर ५, १९०५

सेवामे
माननीय शिक्षा मन्त्री

महोदय,

हम, उच्चतर श्रेणी (हायर ग्रेड) भारतीय विद्यालयमे[1] अध्ययन करनेवाले भारतीय बच्चोके माता पिता या अभिभावक, राहत पानेके लिए सादर निम्न लिखित निवेदन करते है।

हमे ज्ञात हुआ है कि सरकारका इरादा डबनके उच्चतर श्रेणी भारतीय विद्यालयको साधारणतया रगदार बच्चोके स्कूलमे बदल देने और बालको और बालिकाओमे कोई भेद न रखनेका हे।

हम सविनय निवेदन करते है कि इस स्कूलको समस्त रगदार बच्चाके लिए खोल देना भारतीय समाजके प्रति अन्याय और तत्कालीन शिक्षा मन्त्री और सर अल्बट हाइम व श्री राबट रसेल द्वारा दिये गये इस आश्वासनकी अवहेलना है कि यह विद्यालय केवल भारतीय

१ देखिए, खण्ड ३, पृष्ठ १८२ और २१२।

बच्चोंके लिए सुरक्षित रखा जायेगा। इसकी स्थापना उस समय हुई थी जब सरकारने भारतीय बच्चोंको उपनिवेशके साधारण स्कूलोंमें भरती न करनेका निर्णय किया था।[१] और हम जानते हैं उस समय भी समस्त रंगदार बच्चोंके लिए एक स्कूल स्थापित करनेका प्रश्न उठाया गया था। परन्तु अच्छी तरह विचार करनेके बाद सरकारने सिर्फ भारतीय बच्चोंके लिए एक स्कूल कायम करनेका निर्णय किया। और यही कारण था कि इस स्कूलका वह नाम पड़ा जो आज है। इसके अतिरिक्त 'रंगदार बच्चे', इन शब्दोंका अर्थ इच्छानुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। 'ब्रिटिश भारतीय', इन शब्दोंका अर्थ सभी लोग जानते हैं परन्तु 'रंगदार व्यक्ति', शब्दोंका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। और यह देखते हुए कि सरकारने भेद करनेकी नीति अपनाई है, यह उचित ही है कि उपनिवेशके इस सबसे बड़े नगरमें ब्रिटिश भारतीयोंके लिए एक स्कूल सुरक्षित रखा जाये। शिक्षा अधीक्षकने उस दिन कहा था कि भारतीय माता पिता नेटालके अन्य स्थानोंमें इस प्रकारके मिश्रणपर आपत्ति नहीं करते। परन्तु हम सादर निवेदन करते हैं कि नेटालके छोटे नगरोंसे इस प्रकारकी तुलना करना कदाचित ही उचित होगा। डर्बन एक ऐसा नगर है जिसमें स्वतन्त्र और सम्पन्न भारतीयोंकी सबसे बड़ी आबादी है। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि ऐसे मामलोंमें डर्बनमें कठिनाई तीव्रताके साथ अनुभव की जाये।

जहाँतक लड़के लड़कियोंको अलग अलग रखनेका प्रश्न है, हम, काफी अनुभव प्राप्त तथा भारतीय भावनाओंसे परिचित माता पिता, इतना ही कह सकते हैं कि इस निर्णयसे बहुत-सी जायज शिकायतें उत्पन्न होने वाली हैं। इस मांगके अनुसरण किये जानेमें केवल व्यावहारिक गम्भीर आपत्तियाँ ही नहीं हैं, बल्कि बहुतसे उदाहरणोंमें धार्मिक भावनापर भी विचार करना है और हमें सन्देह नहीं कि सरकार ऐसी भावनाओंका पूरा खयाल रखेगी।

अन्तमें, हम आशा करते हैं कि उपर्युक्त दोनों मामलोंके बारेमें जो हिदायतें जारी की गई हैं वे वापस ले ली जायेंगी और जब उच्चतर श्रेणी भारतीय विद्यालयकी स्थापना हुई थी तब भारतीय समाजको जो विश्वास दिलाया गया था उसको सरकार बनाये रखेगी।

आपका, आदि,
अब्दुल कादिर
और ९९ अन्य

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१–१०–१९०६

७८ सन्धिपत्र[1]

जापानने जो शर्तें घोषित की थीं उनमें से उसने दो शर्तें उदारतापूर्वक बहुत-कुछ छोड़ दी हैं। एक तो यह कि लड़ाईके खर्चके बदलेमें कुछ न लिया जाये, किंतु रूसी कैदियोंके खर्च तथा आहतोंकी सेवा शुश्रूषाके खर्चके बदलेमें रूस केवल १२,००,००० पौंड जापानको दे, और दूसरी यह कि सखेलियन द्वीपको दोनों पक्ष आधा आधा बाँट लें। यद्यपि रूसी जनतामें इस सन्धिपत्रसे प्रसन्नताकी लहर दौड़ गई है, जापानमें बड़ा असन्तोष फैला है, और उसके कम होनेके कोई लक्षण नहीं दीख रहे हैं। सन्धिपत्र तैयार हो जानेपर बिना ढील ढालके उनपर हस्ताक्षर करनेके उपरान्त दोनों पक्षोंके वकील अपने अपने देश लौट जानेके लिए अधीर हो रहे हैं, ऐसा अन्तिम तारोंसे पता चलता है। जापानके राजदूत स्वदेश लौटनेपर अच्छे स्वागतकी जरा भी आशा नहीं करते, बल्कि उन्हें डर है कि जनता उनको क्रोधपूर्ण दृष्टिसे देखेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९–९–१९०५

७९ चीनी खान-मजदूरोंपर अत्याचार

श्री लिटिलटनसे एक संसद-सदस्यने उक्त विषयमें प्रश्न किया था। उसके उत्तरमें उन्होंने जाँच करनेका तथा कोड़े लगाना बन्द करनेका वचन दिया। चीनियोंको किस प्रकार कोड़े लगाये जाते हैं, उसका वर्णन जोहानिसबर्गके 'डेली एक्सप्रेस' में दिया गया है, वह बहुत करुणाजनक है। उसमेंसे मुख्तसर हाल हम नीचे दे रहे हैं। लेखकने यह बताया है कि जो कुछ उसने लिखा है वह या तो स्वयं अपनी आँखोंसे देखा हुआ है या हजारों मनुष्योंको बेंत या कोड़े लगानेका हुक्म जिन व्यक्तियोंने दिया था, उनकी गवाहीपर आधारित है। इस वर्षके प्रारम्भमें, जोहानिसबर्गकी एक खानमें औसतन बयालीस चीनियोंको प्रतिदिन कोड़े लगाये जाते थे, इसमें अपवाद रविवारका भी नहीं है। यह सब इस प्रकार होता है ऐसे मजदूरके विरुद्ध पहले तो उसका सरदार शिकायत करता है, फिर उसको अहातेके मैनेजरके कार्यालयमें ले जाया जाता है, वे भाई साहब अपराधके अनुसार दस, पन्द्रह अथवा बीस बेंत मारनेका हुक्म देते हैं। फिर दो चीनी सिपाही उसको करीब पन्द्रह कदम दूर ले जाते हैं। सिपाहीका हुक्म होते ही कैदी फौरन रुक जाता है। वह अपनी पतलून आदि कपड़ा उतार देता है और औंधे मुँह जमीनपर लेट जाता है। एक सिपाही उस बेचारेके पैर दबा लेता है और दूसरा उसका सिर पकड़ लेता है। इसके बाद बेंत लगानेवाला आदमी तीन फुट लम्बे और तीन इंच मोटे हत्थेवाले डंडेसे, आदेशके अनुसार धीरे-धीरे अथवा जोरसे उसकी पीठपर प्रहार करता है। यदि इस बीच पीड़ा सहन न हो सकनेसे वह थोड़ा भी हिलता-डुलता है तो एक और आदमी उसे अपने पैरोंसे दबा लेता है और तब गिनती पूरी की जाती है।

१ इस सन्धिपत्रपर ५ सितम्बर १९०५को पोर्ट्‌स्माउथ (संयुक्त राज्य अमेरिका) में हस्ताक्षर किये गये।

किसी-किसी खानमे कोडोके बदले लकडीसे पीटा जाता है। उसकी चोटे इतनी तेज होती है कि उनके कारण मास उभर आता है और चमडी फट जाती है। नोसडीपकी खानमे मने जर कुकके समयमे यदि कोई चीनी बरमेसे ३६ इच गहरा छेद न कर पाता तो वह उसे सजाका हुक्म देता था। सजा देनेका उसका तरीका और भी क्रूर था। वह सरत मजबूत लाठीसे काम लेनेकी आज्ञा देता था ओर उससे जाघोके पीछे जहा, बिलकुल ही सहन न हो ऐसे स्थलपर, चोट मारनेका हुक्म देता था, और खूनकी धार चल जानेपर भी प्रहारोकी सख्या पूरी की जाती थी। कभी कभी तो इतनी सख्त चोट लग जाती थी कि बेचारे चीनीको अस्पताल भेजना पडता था। इस दुष्ट कुककी जगह बादमे प्लेस नामका व्यक्ति नियुक्त किया गया। वह चोरोमे शाह माना जाता था, इसलिए वह लाठीके बदले रबडके टुकडे काममे लेता था। कुछ समय बाद खानके अधिकारियोने देखा कि प्रतिमास जो काम होना चाहिए वह नही हो रहा है इसलिए प्लेसको अधिक सख्ती करनेका हुक्म दिया गया। प्लेसने ऐसा करनेसे इनकार कर दिया और उसे त्यागपत्र देना पडा। इसपर लोकसभामे चर्चा होनेसे अधिकारियोने कोडोके बदले और कोई सजा देनेका निर्देश किया। इसपर प्लेसने, जिसे चीनका अनुभव था, चीनका प्रचलित रिवाज दाखिल किया। वह अपराधी चीनीको बिलकुल नगा कर देता। फिर उसको अहातेमे खडे झडेके साथ उसीकी चोटीसे बँधवा देता ओर वहा, चाहे जितनी ठड अथवा चाहे जसी कडी धूप हो, दो तीन घटे तक खडा रखता। फिर वह दूसरे चीनियोको यह आदेश देता कि वे अपराधीको दात दिखा दिखा कर चिढाये। दूसरा तरीका यह था कि अपराधीके बाये हाथमे एक पतली रस्सी बाधी जाती। फिर उस रस्सीको कडेमे डालकर बेचारे मजदूरको इस प्रकार लटकाया जाता कि उसे केवल पैरोकी अँगुलियोके सिरोके सहारे ही दो-तीन घटे तक खडा रहना पडता था। कही-कही तो बेचारे मजदूरके हाथमे हथकडी डालकर जमीनसे दो फुट ऊचे पाटसे बाध दिया जाता था और इस तरह बिना हिले डुले उसे दो-तीन घटे तक रहना पडता था। इस प्रकारकी सजा तो ताडसे छूटकर भाडमे गिरनेके समान हुई। लोकसभामे बेतकी मारके बारेमे चर्चा हुई तो खानोके निदयी अधिकारियोने बेत लगाना बन्द कर दिया, किन्तु ससदमे यह कहना भुला दिया गया कि उसके बदले अधिक पीडा पहुँचानेवाली सजा निश्चित की गई है।

इस बातको प्रकाशमे लाकर 'डेली एक्सप्रेस के सम्पादक श्री पेकमानने सैकडो चीनियोका मूक आशीर्वाद प्राप्त किया है। यदि वह सब सच हो — और गलत माननेका कोई कारण नही है — तो खानके अधिकारी अपने सिरजनहारके सामने क्या जवाब दे सकेगे? दक्षिण आफ्रिकाके गरीब मजदूरोकी हायसे अगर वे बरबाद हो जाये तो क्या आश्चय? अग्रेजाने लडाई करके ट्रान्सवाल जीता, उसका प्रयोजन क्या यही था?

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ९-९-१९०५

८० फ्लॉरेन्स नाइटिंगेल[1]

हम पिछले एक अकमे नेक महिला एलिजाबेथ फ्राइके कायकलापका वणन कर चुके है। जिस प्रकार उसने कैदियोकी हालतमे परिवतन किया और उनके लिए अपना जीवन अर्पित किया, उसी प्रकार फ्लॉरेन्स नाइटिंगेलने फौजी सैनिकोके लिए अपने प्राण दिये। सन १८५१ मे[2] जब क्रीमियाकी जबरदस्त लडाई हुई तब ब्रिटिश सरकार अपनी परिपाटीके अनुसार सो रही थी। कुछ भी तैयारी नही थी। और जिस प्रकार बोअर युद्धमे हुआ था उसी प्रकार क्रीमियाकी लडाईमे भी आरम्भमे भूले करनेके कारण करारी हार हुई। घायलोकी सेवा शुश्रूषा करनेके जितने साधन आजकल है, उतने पचास वष पूव नही थे। सहायताकायके लिए आज जितने मनुष्य निकल पडते है, उतने उस समय नही निकलते थे। शल्य चिकित्साका जोर जितना आज है उतना उन दिनोमे नही था। घायल मनुष्योकी सेवाके लिए जानेमे पुण्य है, वह दयाका काम है, ऐसा समझनेवाले उस समय बिरले ही थे। ऐसे समय इस महिला — फ्लॉरेस नाइटिंगेल — ने इस प्रकारके काम किये मानो वह फरिश्ता ही बनकर आई हो। सैनिक कष्टमे है, इस बातका पता उसे चला तो उसका हृदय विदीण हो गया। वह स्वय बडे धनी कुलकी महिला थी। वह अपना ऐश-आराम छोडकर रोगियोकी सेवा शुश्रूषाके लिए चल पडी। फिर उसके पीछे-पीछे और भी बहुत सी महिलाऐं निकली। १८५४ के अक्टूबरकी २१ तारीखको वह घरसे चली। इकरमैनकी लडाईमे[3] उसने जबरदस्त मदद पहुँचाई। उस समय घायलोके लिए न बिस्तर थे, न और कुछ सुविधा ही। अकेली इस महिलाकी देखभालमे १०,००० घायल थे। जब यह महिला वहा पहुँची तब मत्यु-सख्या प्रति सैकडा ४२ थी। इसके पहुँचते ही वह एकदम ३१ तक आ गई और अतमे वह सख्या प्रति सैकडा ५ तक आ पहुँची। यह घटना चमत्कारी है, फिर भी सहज ही समझमे आ सकती है। इन हजारो घायल मनुष्योका रक्त बहना रोका जाये, घावपर पट्टी बाधी जाये, और आवश्यक आहार दिया जाये तो निसदेह जान बच सकती है। केवल दया और सेवा शुश्रूषाकी आवश्यकता थी, जो नाइटिंगेलने पूरी कर दी। यह कहा जाता है कि बडे और मजबूत लोग जितना काम नही कर सकते थे उतना नाइटिंगेल करती थी। वह दिन-रातमे मिलाकर २० २० घटे काम किया करती थी। जब उसके हाथके नीचे काम करनेवाली महिलाऐं सो जाती तब वह अकेली मध्य रात्रिमे मोमबत्ती लेकर रोगियोकी खाटोके पास जाती, उनको आश्वासन देती और अगर कुछ खुराक वगैरह आवश्यक होती तो उन्हे अपने हाथसे देती। जहाँ लडाई चलती होती वहा जानेमें भी नाइटिंगेल डरती नही थी। खतरेको वह कुछ समझती ही नही थी। भय केवल भगवानका मानती थी। कभी-न-कभी मरना ही है, ऐसा समझकर औरोका दुख कम करनेके लिए जो भी तकलीफ उठानी पडती, वह उठाती थी।

इस महिलाने कभी ब्याह नही किया। इसी प्रकारके भले कामोम उसने अपना सारा जीवन बिताया। कहा जाता है कि जब उसकी मत्यु हुई तब हजारो सैनिक छोटे बच्चोके समान ऐसे फूट-फूटकर रोये मानो उनकी माँ मर गई हो।

१ (१८२०–१९१०) प्रसिद्ध परिचारिका और अस्पतालोकी अग्रणी सुधारक।

२ वास्तवमें क्रीमियाकी लड़ाई २३ अक्तूबर १८५३ को शुरू हुई।

३ यह ५ नवम्बरको हुई।

जहापर ऐसी महिलाएँ पैदा होती है वह देश क्यो न फले फूले। इग्लड राज्य करता है, सो अपने बलके बूतेपर नही, बल्कि इस प्रकारके स्त्री-पुरुषोके पुण्यबलपर।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ९–९–१९०५

८१ स्वर्गीय कुमारी मैनिग[1]

इडिया 'के ताजा अकसे हमे यह शोकजनक सवाद मिला है कि राष्ट्रीय भारतीय सघ (नेशनल इडियन असोसिएशन) की कमठ मन्त्री कुमारी मैनिगका देहान्त हो गया। उस श्रेष्ठ महिलाके त्याग-पूण कायसे ही इस सघमे जीवन आया था। जो तरुण भारतीय अध्ययनके लिए इग्लैड जाते थे उनकी वे सच्ची मित्र थी और उनके स्वागतके लिए उनका द्वार सदा खुला रहता था।[2] वे उनको माग प्रदर्शित करनेके लिए सदा तयार रहती थी। उनके यहा जो बैठके होती थी वे एक वार्षिक कायक्रममे परिणत हो गई थी। वे बैठके भारतीयो और आग्ल भारतीयोको एक दूसरेके समीप लाती ओर इस प्रकार दोनोमे पारस्परिक सदभाव बढाया करती। कुमारी मनिगमे दिखावा बिलकुल नही था। 'इडिया ने लिखा हे कि वे सावजनिक प्रतिष्ठा प्राप्तिकी कोशिशे करनेकी अपेक्षा पीछे रहना अधिक पसन्द करती थी। उनकी मत्युसे, अध्ययन तथा अन्य कार्योंके लिए वष प्रतिवष अधिकाधिक सख्यामे इग्लैड जानेवाले तरुण भारतीयोकी निश्चित हानि हुई है। इनके सम्बन्धमे अधिक जानकारीके लिए हमारे पाठक हमारी लन्दनकी चिटठी पढे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १६–९–१९०५

१ एलिजाबेथ एडेलेड मैनिंग काउटी अदालतके जज और विद्वान वकील जेम्स मैनिगकी पुत्री थी। वे फ्राबेल सोसाइटीकी मन्त्री और गर्टन कॉलेज कैम्ब्रिजके सस्थापकोमें से थी। वे १८७७ में राष्ट्रीय भारतीय सघकी अवैतनिक मन्त्री चुनी गई और १० अगस्त १९०५ तक, जब वे ७७ वर्षकी आयु पाकर मृत्युको प्राप्त हुई, उस पदपर बनी रही। वे **इडियन मैगजीन ऐड रिव्यूका** सम्पादन करती थी और भारतके समस्त सामाजिक आन्दोलनोंमें भाग लेती थी।

२ प्रतीत होता है गांधीजी जब इग्लैडमें कानूनके अध्ययनके लिए गये थे, तब उनके घर प्राय आते जाते थे। देखिए **आत्मकथा** भाग १, अध्याय २२।

८२ आगामी काग्रेसका अध्यक्ष कौन?

इडिया 'मे खबर प्रकाशित हुई है' कि आगामी काग्रेसके अध्यक्षके चुनावके लिए निम्नलिखित नाम सुने जा रहे है मानतीय श्री गोपालकृष्ण गोखले, श्री अरडली नॉटन[2], राव बहादुर मुधोलकर[3], सर गुरुदास बनर्जी[4], डा० रासबिहारी घोष[5] और बाबू कालीचरण बनर्जी[6]। ये सभी सज्जन बहुत योग्य है और इन्होने भारतकी बडी सेवाएँ की है। उनमे भी श्री गोखलेका नाम आजकल तो सबसे आगे है। बडी लोकसभामे उन्होने लाड कजनसे बहुत अच्छी टक्कर ली है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १६–९–१९०५

८३ बडौदाके महाराजा गायकवाड और उनके दीवान

महाराजा गायकवाडने श्री दत्तको[7] अपना दीवान नियुक्त किया है। यह कजन साहबको पसन्द नही आया। 'बगाली'मे दी गई खबरसे मालूम होता है कि इसलिए उन्होने भारतके हर राजाके पास इस आशयका गुप्त परिपत्र भेजा है कि यदि भविष्यमे नौकरीसे इस्तीफा देनेवाले इडियन सिविल सर्विसके व्यक्तिको कोई अपने यहा नियुक्त करनेका इरादा करे तो वह उसकी नियुक्तिसे पूव सरकारसे अनुमति ले। यह लाड कजनकी आखिरी लडाइयोमे से एक जान पडती है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १६–९–१९०५

१ जैसी **मद्रास मेल**मे दी गई थी।

२ मद्रासके एक बैरिस्टर और लोकसेवक।

३ पीछे १९१२ में काग्रेसके बाकीपुर अधिवेशनके अध्यक्ष बने। मूलमें अकोलकर दिया गया है।

४ भूतपूर्व यायाधीश और बग जातीय विद्या परिषदके अध्यक्ष।

५ सन् १९०८ मे मद्रासके कांग्रेस अधिवेशनके अध्यक्ष हुए।

६ एक भारतीय ईसाई जो कांग्रेसके कार्योमे बहुत दिलचस्पी लेते थे।

७ श्री रमेशचन्द्र दत्त (१८४८–१९०९) भारतीय नागरिक सेवा (इंडियन सिविल सर्विस)के सदस्य, भारतकी प्राचीन सस्कृति और सभ्यताके सूक्ष्म अध्येता और **इकनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया सिन्स द एडवेन्ट आफ द ईस्ट इडिया कम्पनीके** लेखक। १८९९ की लखनऊ काग्रेसके अध्यक्ष हुए और अपने जीवनके अन्तिम पॉच वर्षोमे बडौदाके राजकाजसे सम्बद्ध रहे। पहले मालमन्त्री बने और बादमे दीवान। देखिये, खण्ड ४, पृष्ठ ४८७।

८४. ब्रिटिश मध्य आफ्रिकाके सम्बन्धमें समाचार

परिश्रमी लोगोंके लिए बढ़िया अवसर

ब्रिटिश मध्य आफ्रिकामे रेलकी पटरी बिछानेका काम चल रहा हे। हमे खबर मिली हे कि वहा मजदूरोकी जरूरत है। इस सम्बन्धमे हम और भी जानकारी प्राप्त कर रहे है। तबतक जो लोग उधर जाना चाहते हो वे अपने नाम और पते साफ अक्षरोमे लिखकर हमारे पास भेज दे। हम उनकी सूची बना लेगे और यदि हमे वहाकी परिस्थिति जानेके लिए अनुकूल जान् पडेगी तो इस समाचारपत्रमे खबर दे देगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६–९–१९०५

८५ इटलीमें भूकम्प

कुछ दिन पहले इटलीके कैलेब्रिया[1] नामक स्थानमे एक भारी भूचाल आया था। उससे हजारो लोग बेघर-बार हो गये है और मददके लिए करुण पुकार कर रहे ह। इटलीके राजाने चार हजार पोड सहायतामे दिये ह। पारगेली नामक स्थानमे तीन सौ, गेपलोमे दो सौ और मार-टेरेनोके पास दो हजार लोग मरे या सख्त घायल हुए है। भूचालके इस बडे धक्केके दो-तीन दिन बाद, और एक साधारण-सा धक्का आया था। लोग घबराकर इधर-उधर भाग रहे ह, और कुछ तो देश छोडकर चले जा रहे ह। मरे और घायल हुए लोगाकी सख्या पाच हजार कूती जाती है। १८५७ मे जब विस्तत क्षेत्रमे भूकम्पके धक्के लगे थे तब लगभग दस हजार लागोकी प्राणहानि हुई थी। कलेब्रियापर इस प्रकारके सकट बहुत अर्सेसे पडते चले आ रहे है। १८५७ से ७५ वष पहलेकी अवधिमे कुल मिलाकर एक लाख ग्यारह हजार लोगोकी प्राणहानि हुई जिसकी औसत लगानेपर कहा जा सकता हे कि प्रतिवष पन्द्रह सौ लोगोका विनाश हुआ। पिछले पचास वर्षोमे कलेब्रियामे अनेक बार भूचाल आ चुके है, परन्तु उनमे ऐसा विनाशकारी भूचाल एक भी न था। बहुत-से गाव नष्ट हो गये है और प्राय एक लाख लोग बेघर हो गये है। वहाकी सरकार उन्हे सहायता पहुँचानेकी भरसक कोशिश कर रही है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६–९–१९०५

१ सुदूर दक्षिण पश्चिमी इटलीका पहाड़ी क्षेत्र।

८६. चीनी और भारतीय: एक तुलना[1]

जोहानिसबगमे बहुत-से चीनी रहते है। यह नही कहा जा सकता कि उनकी माली हालत भारतीयोकी अपेक्षा अच्छी हे। उनमेसे अधिकतर तो कारीगर है। मुझे उनका रहन-सहन देखनेका अवसर कुछ दिन पहले मिला था। उसे देखकर और उससे अपने लोगोके रहन-सहनकी तुलना करके मुझे खेद हुआ।

उन लोगोने सावजनिक कामके लिए चीनी सघकी स्थापना की है। उसके लिए उनके पास एक बडा हाल है। उस हालको साफ-सुथरा और सुन्दर रखा जाता है। वह पक्की ईटोका बना हुआ है। वे लोग इसका खच, एक बडी किरायेकी जमीनको दुबारा किरायेपर उठाकर निकालते है। चीनियोके लिए रहने आदिकी सुविधा न होनेके कारण उन्होने 'कैंटनी क्लब' कायम किया है। वह मिलनेकी जगहका, रहनेकी जगहका तथा पुस्तकालयका काम देता है। इस क्लबके लिए उन्होने लम्बे पट्टेपर जमीन ली है और उसपर एक पक्का दुमजिला मकान बनाया है। इसमे सब लोग बडी स्वच्छतासे रहते है। वे जगहका लोभ नही करते। और बाहरसे तथा भीतरसे देखनेपर ऐसा प्रतीत होता है, मानो कोई बढिया यूरोपीय क्लब हो। उसमे बठनेका कमरा, भोजनका कमरा, सभा करनेका कमरा, कमेटीका कमरा, मन्त्रीका कमरा और पुस्तकालयका कमरा इत्यादि जुदा-जुदा रखे गये है जिनका वे दूसरे कामोके लिए उपयोग नही करते। इन कमरोसे लगे हुए जो कमरे है, वे सोनेके लिए किरायेपर दिये जाते है। वह जगह ऐसी साफ और अच्छी है कि कोई भी आगन्तुक चीनी सज्जन वहा टिकाया जा सकता है। उन्होने क्लबका प्रवेश शुल्क ५ पौड रखा है और वार्षिक शुल्क व्यक्तिके रोजगारके अनुसार होता है। इस क्लबमे लगभग १५० सदस्य है। वे हर रविवारको मिलते है और वहा खेलते कूदते है। अन्य दिनोमे भी सदस्य उसका उपयोग कर सकते ह।

हम लोग ऐसी कोई भी सस्था नही दिखा सकते। किसी भी अजनबी भारतीयके ठहरने योग्य स्वतन्त्र जगह सारे दक्षिण आफ्रिकाके किसी शहरमे नही है। हमारी मेहमानदारी अवश्य अच्छी है, फिर भी वह सीमित होती है। अगर एक क्लब जैसी कोई जगह हो तो उसके कई अच्छे उपयोग किये जा सकते है। एक दूसरेके घर अपना समय बितानेके बदले लोग यदि सावजनिक स्थानपर समय बिता सके तो उससे बहुत लाभ होता है। किसी एक व्यक्तिके ऊपर बोझ नही पडता। मैत्री-सम्बन्ध बढ सकता है और इससे हमारी प्रतिष्ठामे वद्धि होती है। स्वच्छता सम्बन्धी नियमोका भी पालन किया जा सकता है। यह काम बहुत कम खचमे किया जा सकता है और यह आवश्यक है, इसमे कोई सन्देह नही।

चीनियोने जो क्लब स्थापित किया है वह बिलकुल ही सबक लेने योग्य और अनुकरणीय है। हमपर गन्देपनका जो आरोप है, वह बिलकुल अकारण नही है। इस प्रकारके क्लबकी स्थापना करना उस आरोपको मिटानेका एक अच्छा उपाय है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-९-१९०५

१ यह "हमारे जोहानिसबर्ग संवाददाता द्वारा प्रेषित" रूपमे छपा था।

८७ ईश्वरचन्द्र विद्यासागर

हम इन स्तभोमे यूरोपके कुछ अच्छे स्त्री-पुरुषोके जीवन वत्तान्त सक्षेपमे छाप चुके है। इन जीवन वत्तान्तोको छापनेमे हमारा उद्देश्य यह है कि इनसे हमारे पाठकोका ज्ञान बढे और वे अपने जीवनमे उनके उदाहरणोका अनुकरण करके उसे साथक बनाये।

बगालमे विलायती मालके बहिष्कारका जो जोरदार आन्दोलन चल रहा है वह मामूली नही है। बगालमे शिक्षा बहुत है और लोग बहुत ही चतुर है, इसलिए वहा ऐसा आन्दोलन हो सका है। सर हेनरी कॉटन कह चुके है कि बगाल कलकत्तासे पेशावर तक शासन चलाता है। इसका कारण जाननेकी जरूरत है।

यह निश्चित है कि प्रत्येक जातिकी उन्नति और अवनति उसके महापुरुषोपर अवलम्बित है। जिस जातिमे अच्छे लोग पैदा होते ह उसपर उन लोगोका प्रभाव पडे बिना नही रहता। बगालमे जो विशेषता दिखाई देती है उसके कारण कई है। किन्तु उनमे एक मुख्य कारण यह है कि बगालमे पिछली शताब्दीमे बहुत महापुरुष उत्पन्न हुए। राममोहन रायके[1] बाद वहा वीर पुरुषोकी एक परम्परा आरम्भ हुई जिससे दूसरे प्रान्तोके मुकाबले बगालकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई। यह कहा जा सकता है कि इन लोगोमे ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महानतम थे। 'विद्या-सागर' ईश्वरचन्द्रकी उपाधि थी। उनका सस्कृत भाषाका ज्ञान इतना ऊँचा था कि कलकत्तेके विद्वानोने उसीके कारण उनको "विद्याके सागर" की उपाधि प्रदान की। परन्तु ईश्वरचन्द्र केवल विद्याके ही सागर नही थे, बल्कि दया, उदारता, और अन्य अनेक सदगुणोके सागर भी थे। वे हिन्दू थे और हिन्दुओमे भी ब्राह्मण। परन्तु उनके मनमे ब्राह्मण और शूद्र तथा हिन्दू और मुसलमान समान थे। वे जो भी अच्छा काम करते थे, उसमे ऊँच और नीचका भेद नही करते थे। उनके प्राध्यापकको हैजा हुआ तो उन्होने खुद सेवा शुश्रूषा की। प्राध्यापक गरीब थे, इसलिए वे उनके लिए अपने खचसे ही डॉक्टर लाये और उनका मल-मत्र भी उन्होने खुद ही उठाया।

वे चन्द्रनगरमे अपने रुपयेसे कुलची[2] और दही खरीदकर गरीब मुसलमानोको जिमाते और जिनको पैसेकी मददकी जरूरत होती उनको पसा भी देते थे। रास्तेमे कोई अपग या दुखी मनुष्य मिलता तो उसको अपने घर ले जाकर उसकी सार सँभाल खुद करते थे। वे पराये दुखमे दुख और पराये सुखमे सुख मानते थे।

उनका अपना जीवन अत्यन्त सीधा-सादा था। शरीरपर मोटी धोती, ओढनेकी वैसी ही मोटी चद्दर और स्लिपर — यह थी उनकी पोशाक। वे ऐसी पोशाक पहनकर ही गवनरोसे मिलते और उसीको पहनकर गरीबोकी आवभगत करते। यह व्यक्ति सचमुच एक फकीर, सन्यासी या योगी था। इसके जीवनपर विचार करना हमारे लिए बहुत ही उचित होगा।

ईश्वरचन्द्र मिदनापुर तालुकेके एक छोटेसे गावमे गरीब मा-बापके घर पैदा हुए थे। उनकी मा बडी साध्वी थी और उनको बहुतसे गुण अपनी माँ से ही मिले थे। उन दिनो भी उनके पिता थोडी अग्रेजी जानते थे। उन्होने अपने पुत्रको अग्रेजीकी उच्च शिक्षा दिलानेका निश्चय किया। ईश्वरचन्द्रका विद्यारम्भ पाच वषकी आयुमे हुआ और आठ वषकी आयुमे उन्हे अध्ययनके लिए

१ (१७७४-१८३३) भारतके महान धर्म सुधारक, ब्रह्मसमाजकी स्थापना की, सती प्रथाका उन्मूलन करवाया, और भारतमे शिक्षा प्रचारके लिए कठिन परिश्रम किया।

२ कुलची एक प्रकारकी खमीरी या पाव रोटी।

साठ मील दूर पैदल कलकत्ता जाना पडा और वे वहा सस्कृत कालेजमे भर्ती हो गये। उनकी स्मरणशक्ति ऐसी अदभुत थी कि उन्होने यात्रामे मीलके अकोको देख देखकर अग्रेजी अक सीख लिये थे। सोलह वषकी आयु तक वे सस्कृतका बहुत अच्छा अध्ययन कर चुके थे और सस्कृतके अध्यापक नियुक्त कर दिये गये थे। वे एक-एक सीढी चढते-चढते अतमे उसी कालेजके आचायके पदपर जा पहुँचे जिसमे वे पढे थे। सरकार उनका अत्यन्त आदर करती थी। परन्तु स्वतन्त्र स्वभावके होनेसे उनको शिक्षा विभागके निदेशककी बात सहन नही हो सकी, इसलिए उन्होने इस्तीफा दे दिया। बगालके लेफ्टिनेट गवनर सर फ्रेड्रिक हैलीडेने उनको बुलाया और कहा कि वे अपना इस्तीफा वापस ले ले, किन्तु ईश्वरचन्द्रने उसको वापस लेनेसे साफ इनकार कर दिया।

इस प्रकार नौकरी छोडनेके बाद ईश्वरचन्द्रकी महानता और मानवता अच्छी तरह विकसित हुई। उन्होने देखा कि बगला बहुत अच्छी भाषा है, किन्तु उसमे नई रचनाएँ नही है, इसलिए वह निधन लगती है। अत उन्होने बगला पुस्तकोकी रचना शुरू की। उन्होने बहुत अच्छी पुस्तके लिखी ह। आज बगला भाषा समस्त भारतमे विकसित हो रही है और उसका बहुत विस्तार हो गया है। इसका मुख्य कारण विद्यासागर ही है।

परन्तु उन्होने देखा कि पुस्तकें लिखना ही काफी नही है। इसलिए उन्होने स्कूल खोले। कलकत्तेका मैट्रोपॉलिटन कालेज विद्यासागरका ही स्थापित किया हुआ है और उसको भारतीय ही चलाते है।

जिस प्रकार ऊँची शिक्षा जरूरी है, उसी प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा भी। इसी कारण उन्होने गरीबोके लिए प्रारम्भिक शालाएँ स्थापित की। यह काम बहुत बडा था। उनको इसमे सरकारकी सहायताकी जरूरत थी। लेफ्टिनेट गवनरने कहा कि इसका खच सरकार देगी। वाइसराय लॉड ऐलनबरो[1] इसके विरुद्ध थे। इस कारण विद्यासागरने जो खचका चिटठा पेश किया वह मजूर नही किया गया। लेफ्टिनेट गवनर बहुत दुखित हुए और उन्होने ईश्वरचन्द्रको सूचित किया कि वे उनपर दावा कर दे। वीर ईश्वरचन्द्रने जवाब दिया "साहब! मै अपने लिए इन्साफ हासिल करनेके उद्देश्यसे कभी अदालत नही गया। तब मै आपके ऊपर दावा करूँ, यह कैसे हो सकता है।' उस समय दूसरे अग्रेज ईश्वरचन्द्रकी मदद किया करते थे और उन्होने उनको रुपये-पैसेकी अच्छी सहायता दी। वे खुद बहुत मालदार नही थे, इसलिए दूसरोका दुख दूर करनेकी खातिर वे बहुत बार खुद कजदार हो जाते थे। फिर भी उन्होन अपने लिए सावजनिक चन्दा करनेकी बात स्वीकार नही की।

उनको ऊँची शिक्षा और प्रारम्भिक शिक्षाकी मजबूत नीव रखकर सतोष नही हुआ। उन्होने देखा कि स्त्री शिक्षाके अभावमे लडकोको शिक्षा देना ही काफी नही है। उन्होने मनुस्मृतिमे से ढढकर एक श्लोक निकाला जिसका आशय था कि स्त्रियोको शिक्षा देना कत्तव्य है। उसका उपयोग करके उन्होने उनके लिए पुस्तके लिखी और बेथ्युन साहबके सहयोगसे स्त्रियोकी शिक्षाके लिए बेथ्युन कालेजकी स्थापना की। परन्तु कालेजकी स्थापनाकी अपेक्षा उसमे स्त्रियोको लाना ज्यादा कठिन था। वे स्वय साधु जीवन व्यतीत करते थे और महान् विद्वान थे। इस कारण सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। इसलिए उन्होने प्रतिष्ठित लोगोसे भेट की और उनको अपनी लडकियाँ कॉलेजमे भेजनेके लिए समझाया। इससे बडे लोगोकी लडकियाँ पढनेके लिए आने लगी। आज इस कॉलेजमे बहुत-सी ऐसी प्रतिष्ठित, बुद्धिमती और सुशील स्त्रिया है, जो इसकी व्यवस्था भी चला सकती है।

१ १८४२–४४ मे भारतके गवर्नर–जनरल।

किन्तु इतनेसे उनको सन्तोष नही हुआ। इसलिए उन्होने उसके अन्तगत छोटी लडकियोकी प्रारम्भिक शिक्षाके लिए शालाएँ खोली। उनमे लडकियोको कपडे लत्ते, खाने पीनेकी चीजे और पुस्तके तक दी। फलस्वरूप आज कलकत्तामे हजारो विदुषी स्त्रिया दिखाई देती है।

शिक्षकोकी भी कमी थी। उसकी पूर्तिके लिए उन्होने स्वय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय शुरू किये।

उन्होने हिन्दू विधवाओकी दयनीय स्थिति देखकर विधवा-विवाहका उपदेश शुरू किया। उसके लिए पुस्तके लिखी और भाषण दिये। बगाली ब्राह्मणोने उनका विरोध किया, किन्तु उन्होने उनकी परवाह नही की। लोग उनको मारनेके लिए खडे हो गये, कितु उन्होने अपने प्राणोका भय नही किया। उन्होने सरकारसे विधवा विवाहकी वैधताका कानून बनवाया। उन्होने बहुत लोगोको समझाया और प्रतिष्ठित लोगोकी बाल विधवा पुत्रियोके विवाह कराये। अपने पुत्रको भी एक गरीब विधवा लडकीसे विवाह करनेकी प्रेरणा दी।

कुलीन ब्राह्मण अनेक स्त्रियोसे विवाह कर लेते थे। उनको २०-२० स्त्रियोसे विवाह करनेमे भी शम न आती। ऐसी स्त्रियोके दुखको देखकर ईश्वरचन्द्र रोया करते। उन्होने इस कुप्रथाको बन्द करानेके लिए जीवन-भर उद्योग किया।

बदवानमे मलेरिया रोगसे हजारो गरीब पीडित होते देखे। उन्होने अपने खचसे एक डॉक्टर रखा। वे उन लोगोको खुद जाकर दवाएँ बाटते और गरीबोको घरोमे जा जा कर मदद पहुँचाते। उन्होने इस तरह दो वष तक सतत मेहनत की और सरकारकी मदद लेकर दूसरे डाक्टर बुलाये।

यह सेवा काय करते हुए उन्होने औषधि ज्ञानकी आवश्यकता अनुभव की। इसलिए होमियोपैथीका अभ्यास किया और उसमे कुशलता प्राप्त की। उसके बाद वे खुद ही दवा दे देते थे। गरीबाकी मदद करनेके लिए लम्बे रास्ते तय करने पडते तो उन्हे कोई परवाह न होती थी।

वे बडे-बडे राजाओके सकट दूर करनेमे भी उतने ही समथ थे। किसी राजाके साथ अन्याय होता अथवा उसपर गरीबी आ जाती तो वे अपने प्रभाव, ज्ञान और धनसे उसका सकट दूर करते थे।

इस प्रकारका जीवन व्यतीत करते हुए विद्यासागर सत्तर वषकी आयुमे सन १८९० मे चल बसे। दुनियामे इस प्रकारके लोग कम ही हुए है। कहा जाता है कि यदि ईश्वरचन्द्र किसी यूरोपीय राष्ट्रमे उत्पन्न हुए होते तो इग्लैडके लोगोने नेल्सनका जैसा महान स्मारक खडा किया है वैसा ही स्मारक ईश्वरचन्द्रकी मृत्युके पश्चात खडा किया जाता। कितु ईश्वरचन्द्रका स्मारक आज बगालके छोटे और बडे, गरीब और अमीर सभी लोगोके हृदयामे स्थापित है।

अब हम समझ सकते है कि बगाल किस प्रकार भारतके अन्य भागोको अपने उदाहरणसे शिक्षा दे सकता है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १६-९-१९०५

८८ पत्र लेफ्टिनेंट गवर्नरके निजी सचिवको

ब्रिटिश भारतीय सघ

बाक्स न० ६५२२
जोहानिसबग
सितम्बर १८, १९०५

सेवामे
निजी सचिव
परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेट गवनर
प्रिटोरिया

महोदय,

मुझे आपके इसी १३ तारीखके पत्र क्रमाक एलजी० ९७/३, की पहुँच स्वीकार करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमे आपने मुख्य अनुमतिपत्र सचिवको[1] लिखे गये मेरे पहली सितम्बरके पत्रके बारेमे कुछ पूछताछ की है।

बीच बीचमे कुछ दिनोको छोडकर इस पत्रका लेखक १८८३ से उपनिवेशमे रहा है और यहाके भारतीय समाजसे उसका घनिष्ठ सम्पक रहा है। उसका प्रतिनिधित्व करनेका सौभाग्य प्राप्त करते हुए उसे अब बारह वषसे भी अधिक हो गये है। इसलिए, युद्धके पहले टान्स-वालमे १५,००० से अधिक ब्रिटिश भारतीय वयस्क पुरुष थे, इस वक्तव्यके समथनमे पहले सबूतके रूपमे लेखकका अपना अनुभव सेवामे प्रस्तुत है।

आगे मेरा सघ निम्नलिखित बाते इस वक्तव्यके समथनमे पेश करता है

१ सन १८९९ मे तत्कालीन ब्रिटिश एजेटने महामहिमकी सरकारको एक प्रतिवेदन पेश किया था जिसमे ब्रिटिश जनसरयाके बारेमे मोटे आकडे दिये गये थे। ये आकडे समाचारपत्रोमे प्रकाशित हुए थे। जहातक लेखकको याद है, उसमे ब्रिटिश भारतीयोकी सरया १५,००० दी गई थी।

२ सन् १८९५ मे ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोने महामहिमके उपनिवेश मन्त्रीकी सेवामे एक प्राथनापत्र प्रस्तुत किया था। वह दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोकी शिकायतोसे सम्बन्धित सरकारी रिपोटमे प्रकाशित हुआ है। उस समय ट्रान्सवालमे ब्रिटिश भारतीयोकी आबादीका जो मोटा अन्दाज दिया गया था उसके मुताबिक तब कमसे कम ५,००० भारतीय वयस्क पुरुष थे। किन्तु सन् १८९५ और १८९९ के बीचमे जो दक्षिण आफ्रिकामे रहे है वे जानते है कि ट्रान्सवालमे भारतीयोकी सख्यामे सर्वाधिक वद्धि इसी अवधिमे हुई। यह वद्धि इतनी भयजनक मानी गई कि आजके कुछ भारतीय-विरोधी आन्दोलनकारियोने भूतपूव राष्ट्रपति क्रूगरसे कारवाई करनेकी प्राथना की, किन्तु जहातक भारतीय प्रवासका सम्बन्ध है, सौभाग्यसे भूतपूव

१ देखिए, "पत्र मुख्य अनुमतिपत्र सचिवको", पृष्ठ ५७।

राष्ट्रपतिने उनके सुझावोंपर कान नहीं दिया। सन १८९६ में भारतमें प्लेग फैला और उसके बाद लगातार दो असाधारण अकाल पड़े। उस समय भारतसे इतना बड़ा प्रव्रजन हुआ जितना लोगोंकी जानकारीमें पहले कभी न हुआ था। बम्बई और दक्षिण आफ्रिकाके बन्दरगाहोंके बीच 'कूरलैंड', 'नादरी', 'हुसैनी', और 'क्रीसेंट' नामके जहाज विशेष रूपसे चलाये गये और इनपर एक-एक बारमें चार चार सौसे भी ज्यादा दक्षिण आफ्रिका जानेवाले भारतीय सवार हुए। तब सभीको मालूम था कि इन लोगोंमें से ज्यादातर ट्रान्सवालमें दाखिल हुए।

३ सन् १८९७ के शुरूमें नेटाल प्रवासी-अधिनियम पास हुआ। सन १८९६ के दिसम्बर महीनेमें 'नादरी' और 'कूरलैंड' से सम्बन्धित डबन-प्रदर्शन[1] हुआ। ये जहाज कुल मिलाकर ८०० से अधिक यात्री लेकर आये थे जिनमें से ५०० यात्री उसी महीनेमें ट्रान्सवाल चले गये। इनमें से एक एक जहाजने हर साल चार-चार खेवे किये। एक एक खेवेमें इनपर, अधिवासी भारतीयोंके अतिरिक्त, तीन-तीन सौ यात्री भी आये हों तो सिर्फ चार जहाजोंसे भारतीयोंकी संख्यामें ४,८०० की वार्षिक अभिवृद्धि हुई होगी। किंग्सलाइन और ब्रिटिश इंडियन स्टीम नेवीगेशन कम्पनीके जहाज भारतके दूसरे हिस्सोंसे जिन लोगोंको लाये, सो अलग। इन जहाजोंमें से हर एकपर आनेवाले यात्रियोंकी तादादकी सचाई जहाजी कम्पनियों या नेटालके बन्दरगाह-अधिकारियोंसे पूछ कर जाँची जा सकती है।

लेखकके इस मतका अनुमोदन उन दूसरे ब्रिटिश भारतीयोंके मतसे भी होता है जो कि ट्रान्सवालके पुराने निवासी हैं।

४ हम जिसे भारतीय-विरोधी दल कह सकते हैं, उसके सार्वजनिक वक्तव्योंको यदि विरोधी मतके रूपमें पेश किया जाये तो उनमें जो कुछ कहा गया है, उसपर संयम रखकर बात करना बहुत कठिन है। उस दलके लोगोंने जितने दोषारोपण किये हैं उनमें से हर एककी सचाईको बार-बार चुनौती दी गई है और वे गलत साबित भी किये जा चुके हैं। और इसके बाद भी वे उन्हें दुहराते रहने और ब्रिटिश भारतीयोंके खिलाफ लोगोंको भड़काते रहनेसे नहीं झिझके हैं। हम इसके केवल तीन उदाहरण लें। उन्होंने युद्धसे पहले और युद्धके बाद पीटसबर्गमें व्यापार करनेवालोंकी संख्याके कुछ आंकड़े दिये थे। इन दोनों आंकड़ोंको चुनौती दी गई है। युद्धसे पहले व्यापार करनेवालोंके नाम पेश कर दिये गये हैं, फिर भी पहला ही वक्तव्य दुहराया गया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय युद्धसे पहले ट्रान्सवालमें आये हों और उन्हें अपने नाम दर्ज न कराने पड़े हों, यह असम्भव है। मेरे संघको यह कहनेमें कोई हिचक नहीं है कि इस कथनमें सचाई नहीं है। इस देशमें जो लोग दाखिल हुए, उनमें से सचमुच मुश्किलसे एक तिहाई लोग दर्ज किये गये। ये केवल वे लोग थे जिन्हें व्यापारके लिए परवाने लेने पड़े थे। फिर इनमें इनके साझेदार अवश्य ही शामिल नहीं थे। मेरा संघ इस बातके असंदिग्ध प्रमाण दे सकता है कि युद्धसे पहले ट्रान्सवालमें ऐसे ब्रिटिश भारतीय थे जिन्होंने कभी पंजीयन शुल्क नहीं दिया। उनमें कई जाने माने लोग हैं जिनकी शिनाख्त गण्यमान्य यूरोपीय व्यापारियोंसे करायी जा सकती है।

१ देखिए, खण्ड २, पृष्ठ १६६।

उनका तीसरा वक्तव्य भारतीयोके बडी सख्यामे नेटालसे पॉचेफस्ट्रूम आनेके बारेमे है। जिन्होने यह वक्तव्य दिया है वे कुछ भी नही जानते कि नेटालमे गिरमिटिया मजदूरोसे सम्बन्धित कानून किस तरह लागू किया जाता है, और फिर भी इस आशयका वक्तव्य दिया गया है कि पाचेफस्ट्रूममे जो लोग बडी सख्यामे आये है वे इसी वर्गके है। जहातक मेरे सघको मालूम है, भारतीय विरोधियोने जो बहुत से वक्तव्य दिये ह, उन्हे सिद्ध करने योग्य कोई प्रमाण देनेमे वे अभीतक सफल नही हुए। और सबसे बडी बात, जिसपर उन्होने कभी ध्यान ही नही दिया, यह है कि युद्धसे पहले जोहानिसबगमे ही सबसे ज्यादा भारतीय रहते थे, और जोहानिसबगसे ही वे उपनिवेशके दूसरे हिस्सोमे फैले है। जहातक भारतीयोका सम्बन्ध है, युद्धसे पहले जोहानिसबगका व्यापार, चूकि डच और वतनियोके हाथमे था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन आज डच और वतनी दोनोका व्यापार बहुत बुरी हालतमे है। इसका नतीजा यह हुआ है कि जिन व्यापारियोके लिए ट्रान्सवालमे अपनी जीविका चलाना असम्भव हो गया था वे अब ट्रासवालके दूसरे हिस्सोमे जा बसे है। जोहानिसबगकी बस्ती बहुत-से भारतीय जमीदारोका अवलम्ब थी। ये लोग न केवल निधन बना दिये गये है बल्कि इन्हे जोहानिस बग छोडकर उपनिवेशके दूसरे हिस्सोमे जानेपर मजबूर किया गया है। यदि जोहानिसबगकी हालत पहले जैसी हो जाये और ब्रिटिश भारतीयोको युद्धके पहले जमीनकी मिल्कियतके बारेमे जो सरक्षण प्राप्त था उसका फिरसे आश्वासन मिल जाये, तो जो भारतीय आबादी उपनिवेशमे इधर-उधर फैल गई है, वह सब जोहानिसबगमे आ जायेगी और भारतीय विरोधी लोगोको यह जानकर सन्तोष होगा कि बहुत से नगर भारतीय विहीन हो गये है।

इस बयानमे जो कुछ भी कहा गया है उसके एक एक शब्दको प्रमाणित करनेके लिए जाच की जाये तो मेरे सघको सबूत देनेमे खुशी होगी। चकि मुख्य अनुमतिपत्र सचिवने मेरा १ सितम्बरका पत्र परमश्रेष्ठके पास निर्देशके हेतु भेजा है, इसलिए क्या मै यह आशा कर सकता हूँ कि यूरोपीयो द्वारा उल्लिखित जिन नियमोको मेरे सघने असाध्य माना है, उन्हे अविलम्ब वापस ले लिया जायेगा? ब्रिटिश भारतीयोके सम्बन्धमे तरह तरहके निराधार वक्तव्य पेश किये जानेसे निर्दोष और ईमानदार आदमियोको बिना अपराध, असुविधा और हानि उठानी पडती है। वे जब पराये झडेके नीचे थे तब भी उन्हे ऐसी कठिनाइया नही झेलनी पडी थी।

आपका, आदि
अब्दुल गनी
अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अंग्रेजीसे]

प्रिटोरिया आर्काइव्ज एल० जी० ९२/२१३२, पत्र सख्या ५०४

८९ हुडामलके मामलेकी फिर चर्चा[1]

सर्वोच्च न्यायालयको नेटालके विक्रेता परवाना अधिनियमके अन्तर्गत उठाये गये एक मुद्देपर फैसला देनेका एक दूसरा अवसर मिला था। इस बार डर्बन नगर परिषदके उस फैसलेपर पुनर्विचार किया गया था जो कुछ समय पूर्व इन स्तम्भोंमें प्रकाशित किया जा चुका है। परवाना-अधिकारीने हुडामलके परवानेका ग्रे स्ट्रीटसे वेस्ट स्ट्रीट स्थानान्तरण दर्ज करनेसे इनकार कर दिया था और परिषदने उसके इस निर्णयको पुष्ट किया था। विद्वान मुख्य न्यायाधीशने जो फैसला दिया है वह अत्यन्त निराशाजनक है। वह काननके अनुसार हो सकता है, परन्तु न्याय या औचित्यसे निःसन्देह मेल नहीं खाता। इसका प्रत्यक्ष उत्तर यह है कि न्याया-धीशोंका काम कानूनकी व्याख्या करना है, कानून बनाना नहीं। परन्तु हम आदरपूर्वक यह विचार व्यक्त करते हैं कि यदि कानूनसे एक सर्वसम्मत बुराईका इलाज नहीं होता है तो कानूनकी यह स्थिति अवश्य ही गम्भीर है। परवाना अधिकारीको उपनिवेशमें व्यापारके परवाने देनेके सम्बन्धमें व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। विद्वान मुख्य न्यायाधीशने कहा है कि कानूनके अनुसार उसे अदालती मामलोंमें अपनी इच्छाका उपयोग न करना चाहिए। अतएव, इसका आशय यह हुआ कि परवाना-अधिकारी अपने व्यक्तिगत शत्रुसे बदला लेनेके लिए किसीको परवाना देनेसे इनकार कर दे और अदालतें उसमें हस्तक्षेप करनेमें असमर्थ होंगी। जहाँतक ऐसे मुकदमोंका ताल्लुक है, राजनीतिक वैमनस्य और व्यक्तिगत शत्रुतामें बहुत ही कम अन्तर रह जाता है। विक्रेता परवाना अधिनियम एक प्रशासनिक कानून है। अब वह किसी भी अर्थमें राजनीतिक कानन नहीं है। परवाना अधिकारीने श्री हुडामलको इसलिए परवाना नहीं दिया है कि वह, निःसन्देह, जिस जातिके हुडामल हैं उससे राजनीतिक वैमनस्य रखता है। वस्तुतः उसने अपने कारणमें यह कहा भी है। वह कारण यह है कि वेस्ट स्ट्रीटमें एशियाइयोंको और अधिक परवाने देना हितकर नहीं है। किन्तु शरारत तो हो गई है। देशका सर्वोच्च न्यायालय इस बुराईको सुधारनेमें अपनेको असमर्थ पाता है। प्रत्येक भारतीय परवाना दाँव-पर चढ़ा है। यदि किसी प्रकारकी राहत प्राप्त करनी है तो ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोंको अवश्यमेव कमर कस लेनी चाहिए, अवसरके अनुकूल काम करना चाहिए तथा जबतक यह लज्जाजनक कानून कानूनकी किताबसे हटा न दिया जाय तबतक लड़ाई बराबर जारी रखनी चाहिए। सरकार, स्थानिक संसद तथा उपनिवेश-सचिवके नाम प्रार्थनापत्र भेजे जाने चाहिए और उनका ध्यान इस मामलेकी ओर आकृष्ट करना चाहिए। यदि स्थानिक संसद, जिसके सदस्यगण, सर जान राबिन्सनके शब्दोंमें, प्रतिनिधित्वहीन ब्रिटिश भारतीयोंके न्यासी हैं, न सुने तो भारत कार्यालय को, जो करोड़ों भारतीयोंके लिए सर्वोपरि न्यासी है, दखल देना चाहिए और नेटाल सरकारको इस बातके लिए राजी करना चाहिए कि वह भारतीयोंके साथ यह छोटा-सा न्याय करे जिसके वे अधिकारी हैं। स्वर्गीय सर हैरी एस्कम्बने इस विधेयकको पेश करते वक्त यह कहा था कि इस कानूनकी सफलता उसके अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारोंके प्रयोगमें बरती गई नरमीके ऊपर निर्भर होगी। यदि स्थानीय अधिकारी नरमीके साथ अपने अधिकाराका प्रयोग न करें तो सम्भवतः वे उनसे वापस ले लेने पड़ेंगे। यह कानून

१ देखिए, "हुंडामलका परवाना", खण्ड ४, पृष्ठ ३०० और ३२५।

आठ वर्षसे भी अधिक समयसे अमलमें आ रहा है ओर इस बातसे कोई भी इनकार नही कर सकता कि बहुत-से अवसरोंपर इसका प्रयोग विवेकहीनताके साथ हुआ है और वह हमेशा ही उपनिवेशके भारतीय व्यापारियोंके सिरपर नंगी तलवारकी तरह लटकता रहा है। इस तलवारको हटा लेने और मुसीबतजदा लोगोको यह अनुभव करनेका अवकाश देनेका समय आ गया है कि वे ब्रिटिश सांविधानिक शासनके अधीन हैं, रूसी निरंकुशताके अधीन नही।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३–९–१९०५

९० श्री गॉश और भारतीय

जोहानिसबर्गके महापौर श्री जार्ज गाँश एक सभामें भाषण देते हुए, यों कहें कि, बहक गये। सभा हाल ही में ट्रान्सवाल प्रगतिशील सघके तत्वावधानमें पाचेफस्ट्रूममें हुई थी। वे जब बोले तो स्वतन्त्र विचारोंके धनी केवल गॉशके रूपमें नही, बल्कि प्रगतिशील सघके प्रतिनिधिके रूपमें और ऐसे व्यक्तिके रूपमें जो सरकारी पक्षके विचार व्यक्त करनेके लिए बाध्य हो, फिर चाहे वे उनके अपने मतसे मेल खाते हों या नही। जिन थोडे से लोगोने जोहानिसबर्ग नगरपालिकाकी कारवाईपर सन १९०३ में ब्रिटिश भारतीयोंके पक्षमें अपनी आवाज उठाई थी उनमें से एक श्री गाँश भी थे। तब उनका खयाल था कि एशियाइयोंकी स्पर्धा बिलकुल स्वस्थ है। वे ब्रिटिश भारतीयोंको वाछनीय नागरिक मानते थे, क्योंकि वे उद्योगी, मितव्ययी और कानूनपालक थे। जोहानिसबर्गके महापौर उन झूठी बातोंको दुहरानेमें भी नही झिझकते जो श्री लवडे और उनके मित्रोंने फैलाई थी। ब्रिटिश भारतीयोंकी बदनामी करनेमें उनको हिचक नही मालूम होती। उनको भारतीयोंमें गोरी जातिके लिए खतरा दिखाई देता है। परन्तु कुछ समय पहले उनका विचार यह था कि जिस समाजमें वे रखे जायेंगे उसको शक्ति ही प्रदान करेंगे। उनकी दृष्टिसे, आज एशियाई लोग

> **सामाजिक स्थितिमें गोरोंसे पूरी तरह भिन्न हैं। उनको गोरे व्यापारियोंसे स्पर्धा करने देना उचित नही है, क्योंकि वे एक दूसरेसे होड नही कर सकते। एशियाई लोगोंमें देशकी नागरिकताका भार उठानेका भाव बहुत कम है। वे तो सभी जरूरी जिम्मेदारियों और कर्त्तव्योंसे बचते हैं और अन्तमें उनका बोझ गोरोंको उठाना पडता है।**

और, फलत, श्री गाँश गर्वसे कहते हैं

> **यह न्यायोचित नही है कि गोरे व्यापारियोंको एशियाई व्यापारियोंके सामने खडा कर दिया जाये और फिर उन्हें इस खींच-तानकी भावनाके आधारपर मिट जाने दिया जाये कि चूंकि एशियाई लोग साम्राज्यके किसी दूसरे भागमें रहनेवाले ब्रिटिश प्रजाजन हैं, इसलिए उन्हें हमारी सहानुभूति प्राप्त करनेका अधिकार है। (श्री गॉश स्वयं १९०३ में इस भावनाके शिकार हो गये थे।)**

श्री गॉशने हमें यह नही बताया है कि नागरिकताके भारका अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ सार्वजनिक भोज देना और शेम्पेनकी बोतलें खोलना है? हम यह स्वीकार करते हैं कि यदि यह बात हो तब तो गरीब एशियाईमें ऐसा भार उठानेकी भावना बहुत कम है। किन्तु

यदि इसका अर्थ देशके कानूनोंका पालन करने, अपना कर चुकाने, जनतापर बोझ बननेके बजाय अपने गाढ़े पसीनेकी कमाईसे अपनी रोटी कमाने, समाजके नैतिक कानूनोंके अनुसार आचरण करने और अपने अधिवासके देशकी रक्षामें सहायता — चाहे वह कैसी और कितनी भी छोटी क्यों न हो — देनेकी तैयारी है, तब तो हमें यह कहनेमें कोई झिझक नहीं है कि भारतीयोंने अपना नागरिकताका भार भलीभांति उठाया है। परन्तु हम समझते हैं कि जो लोग जानबूझकर भ्रम फैलाना चाहते हैं उनसे तर्क बेकार है। हम भारतीयोंके सम्बन्धमें अबतक जो कुछ कहते आये हैं उसे श्री गॉश भलीभांति जानते हैं। किन्तु उन्हें उस समय अपना मोर्चा बदलना अधिक अनुकूल पड़ता था और उनमें मत प्राप्त करनेके लिए उत्सुकता भी थी। श्री गॉशका उदाहरण बताता है कि वर्तमान अवस्थाओंमें सार्वजनिक जीवन कितनी नाजुक हालतमें पहुँच गया है। कुछ भी हो, प्रभावशाली व्यक्तियोंको सन्तुष्ट करना ही होगा। इनको सन्तुष्ट करनेके लिए पवित्रसे पवित्र वस्तुका बलिदान किया जा सकता है। यदि लोक-शासनका परिणाम यही है तब तो वह दिन दूर नहीं जब उससे तेज दुर्गन्ध उठने लगेगी और वह मक्कारी तथा बेईमानीका प्रतीक और घृणित बन जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-९-१९०५

९१ ऑरेंज रिवर उपनिवेशके भारतीय

हम अन्यत्र वह पत्र-व्यवहार[1] प्रकाशित करते हैं जो ऑरेंज रिवर उपनिवेशके ब्रिटिश भारतीयोंके सम्बन्धमें लॉर्ड सेल्बोर्न और जोहानिसबर्गके ब्रिटिश भारतीय संघके बीचमें हुआ था। लार्ड सेल्बोर्नका उत्तर अत्यन्त शिष्ट है, परन्तु है उतना ही निराशाजनक। गवर्नर प्रत्यक्षतः ब्रिटिश भारतीयोंको सान्त्वना देना चाहते हैं। फिर भी वे निश्चय ही उन स्थानीय अधिकारियोंकी रिपोर्टोंसे पथ भ्रान्त हो गये हैं जो असली प्रश्नको बड़ी चतुराईसे घपलेमें डालनेमें सफल हो गये हैं। ब्रिटिश भारतीय संघने भारतीयोंको तमाम किस्मोंके रंगदार लोगोंके साथ, जिनमें दक्षिण आफ्रिकाके वतनी लोग भी शामिल हैं, वर्गीकृत करनेका स्वभावतः ही विरोध किया था। उसने जो कानून इस उपनिवेशके वतनी लोगोंके लिए बनाये गये हैं उनको उप-निवेशमें आनेवाले भारतीयोंपर लागू करनेपर नाराजगी जाहिर की थी। इस कानूनका प्रभाव अमली तौरपर बहुत थोड़े भारतीयोंपर पड़ता है अतः अन्याय और भी अधिक गम्भीर हो जाता है, क्योंकि परिस्थितियोंको देखते हुए उनपर यह कानून लागू करनेकी आवश्यकता ही नहीं है। नौकरोंके पंजीकरणकी आवश्यकताका विरोध हमने कभी नहीं किया। जो कानून समय समयपर इन स्तम्भोंमें उद्धृत किये जाते रहे हैं उनके सम्बन्धमें हम दिखा चुके हैं कि उनसे वैयक्तिक स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्ध लगता है और प्रभावित लोगोंका अपमान होता है। ब्रिटिश भारतीय संघने ऐसे ही कानूनोंके विरुद्ध शिकायत की है, और वह ठीक है। इसके बदलेमें उसे मिला क्या है? नौकरोंके पंजीकरणका औचित्य सिद्ध करनेके लिए श्रीलंकाका एक उदाहरण है जिसका विरोध कभी किया ही नहीं गया। संघने अपने अन्तिम उत्तरमें[2] लॉर्ड

१ और २ देखिए "पत्र : गवर्नरके निजी सचिव को" पृष्ठ ५६।

सेल्बोनका ध्यान इस बातकी ओर उचित ही खीचा है कि उन्हे अवश्य ही निकट भविष्यमे ऑरेंज रिवर उपनिवेशमे प्रवेशका अधिकार प्राप्त होनेकी आशा है, और यदि उनकी यह आशा न्यायपूर्ण हो तो जो प्रतिबन्धक कानून भविष्यमे बनाया जायेगा उसपर आपत्ति की जा सकती है। यह मामला ऐसा है कि इसपर तुरन्त कारवाई करनेकी आवश्यकता है, और हमे आशा है कि लॉर्ड सेल्बोन कृपापूर्वक उन ब्रिटिश भारतीयोके प्रति, जो ऑरेंज रिवर उपनिवेशमे बस गये है या जिन्हे निकट भविष्यमे वहा जाना पड सकता है, न्याय करानेकी व्यवस्था करेगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३–९–१९०५

९२ उपनिवेशमें उत्पन्न प्रथम भारतीय बैरिस्टर[1]

हम श्री बर्नार्ड गैब्रियलका, जो हाल ही मे इंग्लैंडसे पूर्ण बैरिस्टर बनकर लौटे है, हार्दिक स्वागत करते है। साधारण परिस्थितियोमे किसी नवयुवकके बैरिस्टर बन जानेपर खास तौरसे उल्लेख करनेका कोई कारण न होता, परन्तु जिस घटनामे इस समय हमारी दिलचस्पी है वह बहुत अर्थपूर्ण है। श्री गैब्रियलके माता पिता उन भारतीयोमे से है जो इस उपनिवेशमे पहले-पहल आकर बसे थे और जो गिरमिटिया वर्गके थे। उन्होने और उनके बडे पुत्रोने अपने सर्वस्वकी आहुति देकर अपने सबसे छोटे पुत्रको उच्च कोटिकी शिक्षा दिलाई है। यह उनके लिए बडेसे-बडे श्रेयकी बात है। इससे उनकी सार्वजनिक भावना और पैतृक वत्सलता प्रकट होती है। उन्होने उन गरीब भारतीयोको, जिन्हे अपनी जीविकाके लिए गिरमिटिया बनकर काम करना पडा है, सब विचारवान लोगोकी दृष्टिमे ऊँचा उठाया है। श्री बर्नार्ड गैब्रियलने यह भी दिखा दिया है कि इन परिस्थितियोमे भी गरीब भारतीयोके बालक ऊँची योग्यता प्राप्त करनेमे समर्थ है, और हमारा तो खयाल है कि इस घटनापर उपनिवेशियोको भी गर्व करना चाहिए। इसका एक दूसरा पहलू भी है। जहा एक भारतीयके नाते श्री बर्नार्ड गैब्रियलको कानूनकी शिक्षा पाकर बैरिस्टर बन जानेपर अपने आपको बधाई देनेका पूरा अधिकार है, वहा उन्हे मानना चाहिए कि यह उनके उपजीवनका आरम्भ मात्र है। उन्हे चाहिए कि वे अपने आपको जीवनके उसी क्षेत्रके अपने साथी भारतीय युवकोका न्यासी समझे। यदि उन्होने अच्छा उदाहरण उपस्थित किया तो अन्य माता-पिताओको भी अपने बालकाको शिक्षा पूरी करनेके लिए इंग्लैंड भेजनेकी प्रेरणा मिलेगी। उन्होने एक सम्मानित पेशा अपनाया है, परन्तु यदि उन्होने इसे रुपया जोडनेका साधन बनाया तो, सम्भव है, उनके हाथ असफलता ही लगे। यदि उन्होने अपनी योग्यताका उपयोग समाजकी सेवाके लिए किया तो वह अधिकाधिक बढती चली जायेगी। अत हमे आशा है कि श्री गैब्रियल अपने पेशेकी

१ इसी आशयका एक मानपत्र बर्नार्ड गैब्रियलको १९ सितम्बरको कांग्रेस भवनमे डर्बनके भारतीयोकी एक सभामें दिया गया था। (**इंडियन ओपिनियन** २३–९–१९०५)। प्रतीत होता है कि गांधीजी उस सभामें सम्मिलित नही थे और हस्ताक्षरकर्ताओंमें भी उनका नाम नही था। फिर भी असम्भव नही कि मानपत्रका मसविदा बनानेमें उनका हाथ रहा हो। उसमें एक वाक्य यह है 'हमें इसमें कोई सन्देह नही कि आप दक्षिण आफ्रिकामें बड़े उत्साहसे अपने देशवासियोंके हितोंका समर्थन करेंगे और उनकी उन्नतिमें योग देंगे तथा आप अपने प्रभावका उपयोग उनकी सुख-सुविधाके निमित्त करेंगे।'

परम्पराओंकी सच्ची जानकारी अपने साथ लेकर आये हैं और वे जो कुछ भी करेंगे वह विवेक पूर्ण, शान्त, विनम्र और देशभक्तिपूर्ण होगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-९-१९०५

९३ ट्रान्सवालमें अनुमतिपत्र सम्बन्धी विनियम

ब्रिटिश भारतीय संघका कड़ा विरोधपत्र

अभी हालमें अनुमतिपत्र कार्यालयकी तरफसे कानून प्रकाशित हुआ है कि जिन लोगोंको अनुमतिपत्र चाहिए वे दो यूरोपीय गवाहोंके नाम पेश करें। उन्हें तभी अनुमतिपत्र मिल सकेगा। यह कानून अत्याचारपूर्ण है। इसके विरोधमें ब्रिटिश भारतीय संघने बहुत कड़ा पत्र लिखा है। उसमें कहा गया है कि यूरोपीय भारतीयोंको उनके नामसे पहचान सकते हों, ऐसे बहुत ही कम उदाहरण हैं। ऐसा नियम बनानेका अर्थ यह माना जायेगा कि सरकार अब किसी भी भारतीयको ट्रान्सवालमें आने देना नहीं चाहती। फिर इस नियमसे झूठको प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि बहुत से झूठे गोरे निकल आयेंगे और वे कुछ रकम लेकर शपथ लेनेमें जरा भी संकोच न करेंगे। अबतक ट्रान्सवालमें केवल १२,००० भारतीय दाखिल हुए हैं। युद्धसे पहले करीब १५,००० थे। अतः यह माननेका कारण है कि अब भी ३,००० पुराने भारतीयोंका लौटना बाकी है। वे सब बहुत कष्ट उठा रहे हैं और उनको अविलम्ब प्रवेशकी अनुमति देना सरकारका कर्त्तव्य है। अनुमतिपत्र-सचिवने यह पत्र परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेंट गवर्नरको भेजा है। वे यह जानना चाहते हैं कि युद्धसे पहले १५,००० भारतीय थे, यह किस आधारपर कहा गया है। इसका जो उत्तर संघने दिया है उसमें निम्न सबूत पेश किये गये हैं:

(१) अध्यक्ष श्री अब्दुल गनीका निजी अनुभव।

(२) अन्य पुराने भारतीय निवासियोंकी निजी जानकारी।

(३) युद्धसे पहले ब्रिटिश एजेंटकी दी हुई रिपोर्ट, जिसमें भारतीयोंकी आबादी प्रायः १५,००० बताई गई है।

(४) सन् १८९५ में भारतीयोंकी आबादी ५,००० बताई गई थी। सन् १८९५ से १८९९ तक ट्रान्सवालमें १०,००० लोग आये हों तो आश्चर्यकी बात नहीं है। सन १८९६ में भारतमें प्लेग हुआ। सन् १८९७-९८ में भीषण अकाल पड़े। उस समय भारतसे हजारों लोग बाहर गये। सन १८९७ में, नेटालमें सख्त कानून बनाये गये। इन सबका यह परिणाम हुआ कि ट्रान्सवालमें बहुत-से भारतीय आये। यद्यपि उस समय विदेशी राज्य था तब भी भारतीयोंको आनेकी पूरी छूट थी। उन्हें रोकनेके सम्बन्धमें स्वर्गीय श्री क्रूगरसे प्रार्थना की गई थी। वह उन्होंने अनसुनी कर दी। उस समय 'नादरी', 'कूरलैंड', 'हुसैनी', 'क्रीसेंट' ये चार जहाज बम्बई तथा दक्षिण आफ्रिकाके बीच आते जाते थे और प्रत्येक जहाज सैकड़ों भारतीयोंको दक्षिण आफ्रिकामें लाता था। प्रत्येक जहाज वर्षभर में चार फेरे करता था और यदि प्रत्येक जहाजमें तीन सौ भारतीय आये हों तो १६ फेरोंमें एक वर्षमें अवश्य ही ४,८०० भारतीय आये होंगे।

उत्तरमें इस प्रकारके सबूत सरकारको दिये गये हैं और यह भी बताया गया है कि श्री लवडे[1] तथा अन्य लोग जो विवरण देते हैं वह बिलकुल झूठा है। इसलिए सरकारको उसपर ध्यान नहीं देना चाहिए और जो गरीब भारतीय अब भी बाहर हैं उनको तुरन्त प्रविष्ट होने देना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३–९–१९०५

९४ पत्र छगनलाल गांधीको

जोहानिसबर्ग
सितम्बर २३, १९०५

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। किचिनके सम्बन्धमें तुमने जो लिखा है उससे आश्चर्य होता है। उसके स्वभावसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं। वह तुम्हारे ऊपर तो है नहीं। वह जो-कुछ कहे, उसका तुम जवाब दे सकते हो। लेकिन इतना ही जरूरी है कि तुम गुस्सा न करो। तुम दोनों एक समान हो और परस्पर प्रश्नोत्तर कर सकते हो। वह जो कुछ भी कहे उसे सहन करनेका अर्थ यह नहीं कि तुम उसे जवाब न दो, बल्कि इतना ही है कि तुम उसका आवेशपूर्वक विरोध न करो। वेस्टका किस्सा जानता हूँ। इसमें मुझसे भूल हुई है। मैंने उसे कहा था कि वह उनके यहाँ चला जाये। किन्तु मैं यह भूल गया कि किचिन साहब किसीका भी साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनमें यह अवगुण है। इसका खयाल नहीं करना चाहिए।

मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया है कि किचिन या कोई और भी आदमी जाये तो मुझे उसकी परवाह नहीं। इससे छापाखाना बन्द न होगा। मेरा अन्तिम आधार तो तुम और वेस्ट हो। तुम दोनों जबतक बैठे हो तबतक छापाखाना बन्द नहीं होगा। इतनेपर भी यदि तुम्हारे मनमें शंका उत्पन्न होती है तो मैं इसे तुम्हारी कमजोरी मानता हूँ।

छापेखानेमें बिजलीकी रोशनी वगैरापर कितना खर्च हो, यह मुझसे पूछे बिना तय नहीं होगा। फिर भी तुम बैठकमें कह सकते हो कि यह खर्च मुझसे पूछे बिना नहीं किया जायेगा। मैंने इस सम्बन्धमें ज्यादासे ज्यादा ४० पौंड तक की स्वीकृति देनेको कहा है। मैंने उनके[2] घरमें छापेखानेके खर्चसे दफ्तर बनानेकी अनुमति नहीं दी है। टेलीफोनके लिए मैं इनकार नहीं करता।

मेनरिंगको पैसे दिये जायें।

कालाभाईको[3] तुम्हें कहना चाहिए। उसे कितने रुपये दिये गये थे, यह तो मुझे याद नहीं है। लेकिन उसने, सम्भवतः, ५०० रुपये रेवाशंकर भाईसे लिये हैं। तुम कहो तो मैं फिर

१ ट्रान्सवाल विधान परिषदके सदस्य, देखिए ‘श्री लवडे और ब्रिटिश भारतीय’, खण्ड ४, पृष्ठ २२२–२३।

२ किचिन के।

३ गांधीजीके चचेरे भाई परमानन्दके पुत्र गोकुलदास उर्फ कालाभाई।

कालाभाईको कामके सम्बन्धमे लिखू। इस सम्बन्धमे तुम्हे डरना नही चाहिए। मै रेवाशकर भाईको लिखूगा।

हेमचन्दको[1] कामसे हटाया न जाये। रामनाथको भी बहुत विचार किये बिना अलग न करना।

मोहनदास

[पुनश्च]

चि० गोकुलदासके सम्बन्धमे तार मिला। पता नही चलता, वह अपना अनुमतिपत्र साथ लाया है या कल्याणदासके पास छोड आया हे।

हमने जिस रुपयेकी प्राप्ति स्वीकार की हे, सुलेमान इस्माइल उसका बिल मागते ह। वह उन्हे भेज दो।

मूल गुजरातीकी फोटो नकल (एस०एन० ४२५०) से।

९५ पत्र छगनलाल गाधीको

जोहानिसबग
सितम्बर २७, १९०५

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला।

हेमचन्दका पत्र आज आया है। उसमे उसने लिखा हे कि उसको नौकरीसे निकलनकी अन्तिम सूचना दे दी गई है। उसपर मने तार दिया हे कि उसको न निकाला जाये। रामनाथको हटाना भी मुझे अखरता है। लेकिन यदि उसकी व्यवस्था चि० जयशकरके पास हो सकती हो तो कर देना। मेरा हेमचन्दको दोषके बिना अलग करनेका बिलकुल विचार नही हे। मै उसका विशेष उपयोग करना चाहता हूँ। मै तुमको लिख चुका हूँ कि मैने इस सम्बन्धमे किचिनको पत्र लिखा है।

मने वीरजीको आज पत्र[2] लिखा है। उसमे उसे उलाहना दिया है। वष पूरा होने तक कालाभाईको रुपया चुकानेके लिए लिखा है।

मालूम होता है, हेमचन्दको मेरे पत्र[3] नही मिलते। इसके साथ उसके लिए भी एक पत्र सलग्न है। इसे पढकर उसको दे देना। ग्रे स्ट्रीटके पतेसे पत्र मिलते है या नही, लिखना।

हम अखबारमे जिस रकमकी प्राप्ति स्वीकार कर चुके है उसका बिल सुलेमान इस्माइलको भेजनेके लिए मैंने लिखा है, क्योकि उन्होने वह मागा है। इतनेपर भी वे यह रुपया न देगे तो हम उसे बट्टे खाते लिख देगे।

मुझे नही लगता कि मै चि० गोकुलदासको दो महीनेमे गुजरातीमे तैयार कर सकगा। उसका ज्ञान कच्चा मालूम होता है।

१ श्री राजचन्द्रके एक सम्बन्धी।
२ और ३ ये उपलब्ध नही हैं।

तुमने चि० मणिलालका समय विभाजन ठीक रखा हे। उसकी रुचि खेतीमे है तो उसको घरके आसपास काम करनेके लिए कहना। मुख्य बात तो है जमीनके उस बडे टुकडेको साफ करनेकी और उसमे पानी देनेकी। वह पेडोपर ध्यान रखेगा तो उसे अपने-आप विशेष बाते मालूम हो जायेगी। वह क्या पढता है? मै उसे अग्रेजीमे कम्पोज करनेके लिए लिखूगा। वह गुजरातीमें भी प्रशिक्षण ले तो अच्छा होगा।

मुझे तुम्हारा मन कुछ कमजोर होता दिखता है। वास्तवमे कुछ महीने तुम्हारा यही रहना जरूरी है। लेकिन वह सभव नही दिखता। तुम छापेखानेमे रहनेके लिए कृतसकल्प हो, इतना काफी नही है। पने तुमको दो और दो चारकी तरह असदिग्ध रूपमे बता दिया है कि छापा-खाना ब द नही होगा। तुमने तब सहमति प्रकट की थी और अब लिखते हो कि परिस्थितिया दुस्सह और अनिश्चित ह। मै इसीको निबलताका चिह्न समझता हूँ। छापेखानेमे क्या है, तुम्हारा अपना कतव्य क्या है और लोगोको किस तरह सँभाला जावे, इसका विचार तुम नही कर सके। उसके लिए तुम्हे अवकाश नही मिला। और विपरीत परिस्थितियोके कारण तुम्हारी निबलता प्रकट हुई है। ऐसा होना भी मै अच्छा समझता हूँ। लेकिन तुम स्वय उसका तात्पय समझ सको तभी वह अच्छा है। यह सब मै पत्र द्वारा नही समझा सकता। सिफ इतना ही लिखता हूँ कि (१) जबतक एक भी मनुष्यकी अनन्य भक्ति होगी, तबतक छापाखाना टूट नही सकता। (२) तुम्हारे और दूसरोके लिए मै छापेखानेके सिवा दूसरे किसी कामको अनुकूल नही समझता। (३) मनुष्य कितना ही तीखे मिजाजका हो, फिर भी यदि हम उसकी ओर मन, वचन और कायासे निमल प्रेम रख सके तो वह तुरत ठिकानेपर आये बिना नही रहेगा। (४) लेकिन वह ठिकानेपर आये या न आये, हमारा कत्तव्य यही है कि हम निश्चित होकर एक ही दिशामे चलते रहे। मै मानता हूँ कि तुम हेमच दको सिखा लो और चिताओसे कुछ छूट जाओ तो बहुत अच्छा हो। मै यह चाहता भी हूँ।

मोहनदासके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजरातीकी फोटो नकल (एस० एन० ४२५२) से।

९६ पत्र छगनलाल गाधीको

जोहानिसबग
सितम्बर २९, १९०५

चि० छगनलाल,

ऑचडने मुझे लिखा है कि तुमने रामको एक किताबकी जिल्द बाधनेका ऑडर सीधा दे दिया और उनकी शिकायत है कि अगर वे फोरमैन है तो यह अनियमित था। वे यह भी कहते है कि किताबकी जिल्द अच्छी नही बाधी गई है। मैने उनको लिखा है कि अगर तुमने ऐसा किया है और आडर सीधा दिया है तो यह अनियमित है, मगर इसमे सम्भवत तुम्हारा इरादा उन्हे नाराज करनेका या नियम तोडनेका नही हो सकता। मैने उनसे यह भी कहा है कि वे तुमसे आमने सामने बातचीत कर ले। इसलिए मै चाहता हूँ कि तुम उनसे बाते कर लो और मामला क्या हे, यह मुझे भी सूचित करो। यह बात बिलकुल ठीक है कि आडर

उन्हींके पास भेजे जाने चाहिए, सीधे अलग अलग लोगोको नही। करसनदासको 'इडियन ओपिनियन' की एक प्रति रानावाव[2] नि शुल्क भेज दिया करो।

मोहनदासके आशीर्वाद

श्री छगनलाल खुशालचद गाधी
मारफत 'इडियन ओपिनियन'
फीनिक्स

मूल अग्रेजीकी फोटो नकल (एस० एन० ४२५३) से।

९७ ट्रान्सवालमें कानून बनानेकी सरगरमी

यद्यपि ट्रान्सवालके महान्यायवादी सर रिचर्ड सॉलोमनने कहा था कि टान्सवालकी विधान-परिषदके चालू अधिवेशनमे कोई विवादास्पद कानून पेश नही किया जायेगा, तथापि 'गवनमेंट गजट' के ताजे अकमे कई अध्यादेशोकी एक सूची प्रकाशित हुई है। ये अध्यादेश समाप्तप्राय परिषद द्वारा पास किये गये हैं। अगर उन लोगोकी भावनाए कुछ भी महत्त्व रखती हो, जिनपर उनका असर पडेगा तो कहना होगा, इनमे से कुछ निस्सदेह अत्यत विवादास्पद है। उदाहरणार्थ, उनमे एक नगरपालिका कानून सशोधन अध्यादेश है, जिसके द्वारा ट्रान्सवालकी किसी भी नगर परिषदका यह अधिकार मिलता है कि वह चाहे तो "लेफ्टिनेंट गवनरकी स्वीकृतिसे वतनी लोगोकी ऐसी किसी भी बस्तीको, जिसको उसने बसाया है, या जिसकी नियोजना की है, अथवा जो उसके नियन्त्रणमे है, उठा दे"। हा, लेफ्टिनेंट गवनर बस्तीको उठानेकी स्वीकृति देनेसे पहले परिषदको उसके लिए उपयुक्त अन्य जमीनका प्रबन्ध करनेका आदेश दे सकता है। इसमे वतनी लोगोको उनकी झोपडियो आदिका मुआवजा देनेकी व्यवस्था भी की गई है। खण्ड १० मे नगर परिषदका पथक एशियाई 'बाजार' स्थापित करने और कायम रखनेका अधिकार दिया गया है। और उसमे वतनी बस्तियोसे सम्बन्धित उक्त व्यवस्था एशियाई 'बाजारोपर' लागू करनेका विधान भी है। इसका अभिप्राय यह है कि दोनोमे अतर केवल इतना रहेगा कि वतनी लोग बस्तियोमे रहनेके लिए बाध्य किये जा सकेंगे, परन्तु एशियाई सम्भवत उनमे जानेके लिए विवश नही किये जा सकेंगे, जिन्हे 'बाजारो' का नरम नाम दिया गया है। एशियाई बाजार-सम्बन्धी यह कानून प्रिटोरिया नगरपालिकाके उस सघषका परिणाम है जो उसने प्रिटोरियाके एशियाई बाजारको अपने नियन्त्रणमे लेनेके लिए किया था। सिद्धान्तकी दष्टिसे चाहे सरकारके और नगरपालिकाके नियन्त्रणमे कोई अतर न हो, परन्तु व्यवहारमे जिस नगरपालिकाका अधिकार होगा उसके मिजाजपर बहुत कुछ निभर कर सकता है। इसलिए 'बाजारो' के सम्बन्धमे नीति एक सी होनेके बजाय, प्रत्येक नगरपालिकाकी मर्जीके अनुसार भिन्न होगी। यह समझना बडा कठिन है कि सारे एशियाई प्रश्नपर ब्रिटिश सरकार और ट्रान्सवाल सरकारमे पत्र व्यवहार चालू होनेपर भी, वतमान परिषदने अपने अन्तिम दिनोमे इस प्रकारका कानून क्यो पास किया। अन्य बहुतसे महत्त्वपूर्ण और आवश्यक मामले स्वभावत इसी कारण रोक लिये गये हैं कि अगले वर्ष निर्वाचित परिषदकी स्थापना होगी ही। सशोधित अध्यादेशोमे नगरपालिकाओको

१ गांधीजीके भाई।
२ पोरबन्दरके पास एक गाँव।

उन चायघरो या भोजन-गहोको परवाने लेनेके लिए बाध्य करनेका अधिकार दिया गया है, जिनका उपयोग सम्भवत केवल एशियाई लोग करते है। हमारा खयाल है, इसके लिए ट्रान्सवालके एशियाइयोको कुछ चीनी दूकानदारोको धन्यवाद देना चाहिए। य चीनी भोजन गह खोलनेके लिए तो उतावले थे, परन्तु इन्हे यह पता नही था कि उनके लिए परवाना लेनेकी आवश्यकता नही है। इन्होने सरकारको प्राथनापत्र दिया कि उन्हे भोजन-गृह खोलनेकी सुविधाएँ दी जाये। सरकारने इनके साथ वही सलूक किया जिसके वे लायक थे। अब सब एशियाई भोजन गहोके मालिकोको छोटे-छोटे उपाहार गहो तक पर नगरपालिकाओके नियन्त्रणका मजा चखना पडेगा। सफाईके विचारसे नगरपालिकाके नियन्त्रणकी बात हम समझ सकते है और उसका स्वागत भी करते है, परन्तु जहातक ब्रिटिश भारतीयोका सम्बन्ध है, जो रोजगार मुश्किलसे लाभप्रद हो सकते है उनके लिए भी परवानेकी शत रखना सवथा अनुचित हे। परन्तु ब्रिटिश भारतीय भी तो एशियाई ह, इसलिए टान्सवाल सरकारका तक यह हे कि यदि ४५,००० चीनियोकी भोजन-व्यवस्था करनेवाले भोजन गहोपर परवाना लेनेका नियम लागू किया जाता है तो १२,००० भारतीयोके भोजन गहोपर वह क्यो न लागू किया जाये? उसे यह नही सूझा कि भारतीय भोजन-गह ह ही बहुत कम, क्योकि उनके रीति रिवाज ऐसे ह कि उन्हे भोजन-गहोकी आवश्यकता नही पडती। निश्चय ही वे इतने कम है कि उनकी ओर अबतक किसीका ध्यान नही गया था।

इसके अतिरिक्त, राजस्व परवाना अध्यादेश है। उसके अनुसार फेरीवाले और ठेलोपर सौदा बेचनेवाले लोग परवानोके अधिकारी तभी हो सकेंगे, जब पहले वे मजिस्ट्रेटो, शान्ति रक्षक न्यायाधिकारियो (जस्टिस ऑफ द पीस) या पुलिस अधिकारियोसे प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेंगे। अपवाद केवल उन लोगोके लिए होगा जिनके पास पहलेसे परवाने होगे, परन्तु इन भाग्यवान लोगोको भी यह सुविधा तभी मिलेगी जब वे अपने परवाने मियाद खत्म होनेसे पहले चौदह दिनके भीतर अपने जिलेके राजस्व-अधिकारियोको सौप देंग।

जोहानिसबगके भूमि अध्यादेशके अनुसार,

> **लेफ्टिनेंट गवनर इस अध्यादेशके साथ सलग्न अनुसूचीमे वर्णित किसी भी भूमिको जोहानिसबग नगरपालिकाकी परिषदको दे देता है तो वसा करना कानून-सम्मत माना जायेगा, बशर्ते कि यह भूमि इस प्रकारसे, और ऐसी शर्तोपर दी जाये जिस प्रकारसे, और जसी शर्तो पर नगरपालिका परिषद देना उचित समझे, और उस भूमिमे किसी व्यक्तिका उस समय कोई अधिकार हो तो उसका ध्यान रख लिया जाये।**

जिन भूमियोपर इसका प्रभाव पडेगा उनमे जोहानिसबगकी मलायी बस्ती भी है। यह बस्ती बारह वषसे या इससे भी अधिक समयसे वहा बसी हे। इसके विरुद्ध, इसके निवासियोकी आदतो या इसकी स्थितिके कारण, कभी किसीने कोई आपत्ति नही उठाई। युद्धसे पहले विभिन्न ब्रिटिश एजेटोने, जो यहा सरकारका प्रतिनिधित्व करते थे, इस बस्तीके निवासियोमे सुरक्षाकी भावना उत्पन्न कर दी थी, और इसीलिए उन्होने वहा पक्के मकान बना लिये थे। परन्तु कानूनी दष्टिसे वहा उनका अधिकार केवल मासिक किरायेदारके रूपमे है। अब यदि यह कल्पना की जाये कि उनको वहासे हटा दिया जायेगा तो प्रश्न यह उठता है कि उन्हे मुआवजा क्या मिलेगा? हम यहा यह जिक्र किये बिना नही रह सकते कि फ्रीडडापके एक भाग और दूसरे भागमे अत्यन्त ईर्ष्याजनक भेद भाव किया गया हे, क्योकि यह सारी मलायी बस्ती फ्रीडडॉपका भाग है। जिस भागमे पुराने गरीब यूरोपीय नागरिक रहते है उसके साथ सरकारने

भारी रियायतका बरताव किया है। जैसा कि पाठकोको इन स्तम्भोसे ज्ञात हो गया होगा, इन लोगोसे इनकी भूमि नही ली जायेगी। इतना ही नही, बल्कि उनकी मासिक किरायेदारी लम्बे पट्टोमे बदल दी जायेगी। यही सुविधा मलायी बस्तीके निवासियोको भी क्यो नही दी जानी चाहिए? इन लोगोको चाहिए कि ये अपने अधिकारोकी उचित रक्षाका प्रयत्न करे। जिन कानूनोको निर्विवाद बताया जा रहा है उनके ये केवल कुछ उदाहरण हैं। इनके द्वारा किसी-न किसी रूपमे रगदार लोगोके अधिकारोपर प्रहार किया गया है, और उनको अपनी सरकारके चुनावका कोई अधिकार नही है।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३०-९-१९०५

९८ केप प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियम

केपके १९ सितम्बर १९०५के 'गवनमेंट गजट' मे यह प्रकाशित हुआ हे

किसी 'निषिद्ध प्रवासी'को, अधिनियमका उल्लघन करके उपनिवेशमे आजानेकी अवस्थामे, जिस जिलेमें वह मिला हो उसके मजिस्ट्रेट द्वारा तथ्योकी आवश्यक जाचके पश्चात, उपनिवेशकी प्रादेशिक सीमाओमे से निकाल देने तक, उस स्थानमें रोक लेने और रखनेकी आज्ञा देना कानूनकी दष्टिसे उचित होगा जिसका निर्देश समय समयपर मन्त्री करे। और उचित साधन सम्पन्न होनेपर उसको मन्त्री द्वारा निर्दिष्ट बदरगाह या स्थानमे भेजनेका पूरा या आशिक व्यय उसीसे लिया जायेगा।

यह नियम बहुत कठोर है। प्रतिबधक अधिनियम यह मानकर पास किया गया हे कि वह उपनिवेशके हितमे है। यह सवथा कल्पनागम्य है कि कोई आदमी अनजाने इस अधिनियमका उल्लघन करके उपनिवेशमे आ जाये। तब यदि उसके पास वहासे जानेका खच दनेके लायक पर्याप्त रकम पाई जाये तो उसको उसका भार उठानेके लिए विवश करना उचित नही होगा। यद्यपि सिद्धातत, कानूनमे अनजान होना दण्डसे बचनेके लिए उचित तक नही माना जाता, परतु शायद व्यवहारमे ऐसे मामले आ जाते है जिनमे वह उचित तक मान लिया जाता है। इस अधिनियममे पहलेसे ही इस आशयकी एक धारा मौजूद है कि जहाजोके सब मालिक निषिद्ध प्रवासियोको वापस ले जानेकी शतपर ला सकते हैं। यदि कोई निषिद्ध प्रवासी उप-निवेशमे प्रविष्ट हो जाता है तो इससे अधिकारियोकी ओरसे निगरानीकी कभी सिद्ध होती है, और केपमे पूरी-पूरी निगरानी न होने अथवा यात्रियोके चुनावमे जहाजोके मालिकोकी लापरवाहीके कारण किसी निरपराध व्यक्तिको दण्डित करना उचित नही जान पडता। इस कारण हमारा विश्वास है कि केपके ब्रिटिश भारतीय, जिनपर इस अधिनियमका प्रभाव सबसे अधिक पडनेकी सम्भावना है, इसमे सशोधन करानेका आवश्यक प्रयत्न करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३०-९-१९०५

९९ चीनी और अमेरिकी

चीनियो द्वारा अमेरिकी मालके बहिष्कारके फलस्वरूप अमेरिकाको प्राय ५०,००,००० पौडका नुकसान हो चुका है, ऐसा प्रतीत होता है। इससे अमेरिकी व्यापारियोने सरकारसे प्राथना की है कि चीनियोके खिलाफ जो कानून[1] है वे रद कर दिये जाये। इसके विरोधमे अमेरिकाके मजदूर वगके लोगोने बडी बडी सभाएँ करके प्रस्ताव स्वीकार किये ह कि व्यापारियोको चाहे कितना ही नुकसान क्यो न हो, चीनियोके खिलाफ बनाये गये कानून रद नही किये जाने चाहिए। इस प्रकार अमेरिकामे एक ओर व्यापारियो और कारीगरोके बीच फूट चल रही है और दूसरी ओर तारो द्वारा प्राप्त समाचारोसे पता चलता है कि चीनियोने जो ऐक्य कायम किया है, वह और भी मजबूत होता जा रहा है। चीनियोने जो प्रस्ताव किया है वह उन सब देशोके सम्बन्धमे है, जिनमे चीनी विरोधी कानून लागू है। यह भी कहा जाता है कि गोरोके विरुद्ध दुर्भावना इस हद तक भडक उठी है कि चीनके अदरूनी भागोमे जिन गोरोकी रिहाइश है उनके लिए खतरा मालूम दे रहा है। कहा नही जा सकता कि इन सारे आदोलनोका क्या परिणाम होगा।

उन्नीसवी शताब्दीमे जो बडे-बडे काम हुए माने जाते है उन सबकी कसौटी इस बीसवी शताब्दीमे हो रही है। और ऐसा प्रतीत होता है कि इस शताब्दीमे बहुत बडी उथल पुथल होनेकी सम्भावना है। इस सारी हलचलमे यह बात दिखाई देती है कि जहा ऐक्य है, वही बल है और वहीपर जीत है। यह बात ऐसी है जो प्रत्येक भारतीयको अपने मनमे अकित कर लेनी चाहिए। चीनी कमजोर होनेपर भी ऐक्यके कारण बलवान दिखाई देते है और "चीटिया मिलकर काले नागके भी प्राण ले लेती ह" इस कहावतको चरिताथ कर रहे है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ३०–९–१९०५

१०० नेटालमे उद्योगोको प्रोत्साहन देनेका आन्दोलन

गवर्नर द्वारा नियुक्त आयोग

इस बारके गवनमेट गजट'से पता चलता है कि नेटालमे एक आयोगकी नियुक्ति की गई, है जो यह बतायेगा कि नेटालमे जो-जो वस्तुएँ खपती है, वे कैसे बनाई जा सकती है और इसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए तथा इस प्रकार उत्पन्न की गई वस्तुओकी खपतको बढावा देनेके लिए चुगीकी दरमे परिवतन किया जाये या नही। इस आयोगमे सदस्योके रूपमे श्री मूअर, डॉ० गबीन्स, श्री अरनेस्ट ऐक्ट, श्री जेम्स किग, श्री जॉज पेइन, श्री सॉडस और श्री मैकेलिसकरकी नियुक्ति की गई है। हम समझते है कि इस आयोगके सामने हमारे व्यापारी गवाही दे तो बहुत अच्छा हो। ऐसी बहुत सी चीजे है जो नेटालमे पैदा की जा सकती है और अनुभवी व्यापारी इस दिशामे सहायता कर सकते है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ३०–९–१९०५

१ चीनी मजदूरोका प्रवेश रोकनेके लिए बनाये गये।

१०१ नेटालकी पाठशालाएँ

शिक्षा-विभागके अधीक्षककी रिपोर्ट

नेटालके शिक्षा विभागके अधीक्षक श्री मुडीने अपनी वार्षिक रिपोटमे बताया है कि भारतीयो और अन्य काले लोगोकी पाठशालाओमे लडकोकी स्वच्छतापर आवश्यक ध्यान नही दिया जाता। श्री मुडीकी यह बात सदा ध्यानमे रखने योग्य है। यद्यपि श्री मुडी हमारे खैरख्वाह नही है, फिर भी वे जहा हमारी भूल बताये वहा हमे विचार करनेकी जरूरत हे। माता-पिताओको इस बारेमे पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। हम लोग स्वय स्वच्छताके नियमोका पालन न करते हो तो भी बच्चोको वह सिखा देना जरूरी है। अगर वे सीखेगे तो एक पीढीमे ही बडा परिवतन होनेकी सम्भावना है। लडकाके सम्ब धमे निम्नलिखित बाते याद रखने योग्य है

(१) उनके दात साफ होने चाहिए। इसके लिए सुबह और सोनेसे पहले उनसे दत मजन करवाना चाहिए।

(२) उनके बाल साफ होने चाहिए। इसके लिए उनके बाल सदव छोटे, हमेशा धुले हुए और कघी किये हुए रखने चाहिए। तेल डालना आवश्यक नही है।

(३) उनके नख स्वच्छ होने चाहिए, और समय समयपर उ हे काटना और हमेशा धोना चाहिए।

(४) जूते और कपडे, चाहे कितने ही सादे हो, फिर भी साफ होने चाहिए।

(५) उनका बस्ता और उनकी किताबे भी उसी प्रकार साफ होनी चाहिए। और इसलिए उनको चाहिए कि हाथ साफ हो, तभी वे पुस्तकाको उठाये।

यह कहनेकी आवश्यकता नही हे कि इन सूचनाओको याद रखने और लडकोसे उनका पालन करवानेसे लाभ होगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ३०–९–१९०५

१०२ जोहानिसबर्गवासियोको सूचना

हम जोहानिसबगके अखबारामे देखते है कि वहा बुखारका मोसम शुरू हो गया है। नगर-पालिकाने घोषित किया हे कि जो लोग अपने पाखाने ग दे रखेगे उनपर मुकदमा चलाया जायेगा। वहा कायदा यह हे कि प्रत्येक पाखानेमे, जब जब उसका उपयोग किया जाये, मैलेपर सदैव सूखी मिट्टी अथवा राख अथवा ज तु-नाशक भूसी डाली जाये ताकि मैला ढँक जाये। पाखानेमे जरा भी सीलन अथवा बदबू न रहने दी जाये। यदि इसके अमलमे कोई कसर रहती है तो पाँच पौड तक जुर्माना किया जाता है। यह नियम बहुत अच्छा है। राख अथवा सूखी मिट्टीका पैसा नही लगता। हम अपने पाठकोसे खास सिफारिश करते है कि वे पाखानेमे मिट्टीका कनस्तर रखें और जब-जब पाखानेको काममे लाये तब तब मैलेपर डिब्बेमे मिट्टी अथवा राख डाले।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ३०–९–१९०५

१०३ जॉर्ज वाशिगटन

अमेरिकाका पहला राष्ट्रपति

अग्रेजीके छात्र पुस्तकोमे पढ चुके है कि एक दिन बालक जाजने एक नेरका पेड जो उनके पिताको अत्यन्त प्रिय था, खेल खेलमे काट दिया था। पिताने जब अपने पेडका यह हाल देखा तब उसके बारेमे जॉजसे पूछा। जाजने उत्तर दिया, ' पिताजी मुझसे झूठ तो नही बोला जा सकता। यह पेड मने काटा है।" पिताने यह प्रश्न बहुत क्रोधमे किया था। लेकिन जॉजने जब आखोमे आसू भरकर निर्भीक उत्तर दिया तो वे खुश हो गये और उन्होने अपने पुत्रके अपराधको दरगुजर कर दिया। उस समय जाज बहुत ही छोटा था।

जिस लडकेके मनमे सत्य इस तरहसे बद्धमूल था वह अपनी ५५ वषकी उम्रमे अमेरिकाका, जिसका नाम आज दुनियामे फला हुआ है पहला राष्ट्रपति बना। उसके राष्ट्रपति बननेके समय लोग उसे राजा बनाने तथा मुकुट पहनानेके लिए तैयार थे। लेकिन उसने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया।

जाज वाशिगटनका जन्म २२ फरवरी १७३२ को वर्जिनिया राज्यके वेस्ट मोरलैड शहरमे एक धनी घरमे हुआ था। उसके जीवनके पहले सोलह वषका हाल पूरी तरह किसीको मालूम नही है। १६ वषकी उम्र तक उसने बहुत कम पढा लिखा था। उसके बाद वह एक जमीदारीका मैनेजर नियुक्त किया गया। इस समय उसने अपनी होशियारी और बहादुरी दिखाई। यहातक कि २३ वषकी उम्रमे वह वर्जिनियाकी फौजका प्रधान सेनापति बना दिया गया।

उस समय उत्तर अमेरिका इग्लैडके अधिकारमे था। लेकिन अमेरिकाके लोगो और इग्लैडके बीच सघष चला करता था। अमेरिकामे कुछ कर लगाये गये। अमेरिकावासियोको वे ठीक नही लगे। इस समय और भी झगडे थे। इससे आखिरमे अमेरिका और इग्लैडके लोगोके मन इतने खट्टे हो गये कि लडाई शुरू हो गई। अग्रेजी सेना कवायद सीखी हुई और तैयार थी। बेचारे अमेरिकी लोग देहाती थे। उन्हे हथियारोका प्रयोग करना भी पूरी तरह नही आता था। वे फौजके अनुशासित जीवन और कष्टोसे अपरिचित थे। ऐसे लोगोको काबूमे रखने, उनसे काम लेकर अमेरिकाको स्वतत्र करने और अग्रेजोके बन्धनोसे मुक्त होनेका काम वाशिगटनपर आया। लोगोने उसको प्रधान सेनापति बनाया। उस वक्त वाशिगटनने कहा — "मै इस सम्मानके योग्य बिलकुल नही हूँ। फिर भी आप मुझे नियुक्त करते है तो मै लोगोकी सेवाके लिए यह पद बिना वेतन स्वीकार करता हूँ।" ऐसे ही शब्द उसने अपने एक मित्रको भी लिखे थे, इसलिए ये सिफ कहने भरके लिए कहे गये हो, यह बात नही थी। दरअसल, वह खुद मानता था कि उसमे पयाप्त बल नही हे। फिर भी जब उसपर जिम्मेदारी आ ही गई, तब उसने हर तरहकी जोखिम उठाकर और रात दिन काम करके लोगोके मनोपर इतना प्रभाव डाला कि लोग उसकी आज्ञाका पालन तुरन्त करते थे, और वह जो भी कष्ट सहन करनेके लिए कहता, सहन कर लेते थे। आखिर अग्रेजी फौजे हारी और अमेरिका स्वतत्र हुआ। अमेरिकाके स्वतत्र होते ही जाज वाशिगटनने अपना पद छोड दिया। लेकिन लोगोके हाथ तो हीरा लगा था, वे उसे छोडनेवाले न थे। इससे वह स्वराज्य प्राप्त होनेपर सन १७८७ मे अमेरिकाका पहला राष्ट्रपति बनाया गया। इस पदपर बैठनेके बाद भी उसके मनमे स्वाथ भावनेकी बात कभी नही आई। लडाईके बाद अपनी थैलिया भरनेवाले ढोगी देशभक्त हमेशा खडे हो जाते ह। इन सबको वाशिगटनसे

दबकर रहना पडता था। १७९२-९३ में[1] वह फिर राष्ट्रपति चुना गया। उसने जिस तरह युद्धमें वीरता दिखाई थी, उसी तरह अपने राष्टपति कालमे देश-सुधारके कामोमे, लोगोका सगठन करनेमे और देशकी प्रतिष्ठा बढानेमे भी दिखाई। एक लेखकने लिखा हे कि "वाशिगटन जैसे युद्धकालमे अग्रणी था, वैसे ही शान्तिकालमें भी अग्रणी था और उसने लोगोके मनोमे सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया था।" उससे तीसरी बार भी राष्ट्रपति-पद लेनेके लिए आग्रह किया गया। लेकिन उसने इससे इनकार कर दिया और अपनी जमीदारीमे जाकर रहने लगा।

१४ दिसम्बर १७९९ को अकस्मात बीमारीसे इस वीर पुरुषकी मृत्यु हो गई। वह कदमे बहुत ऊँचा था। उसकी ऊँचाई छ फुट तीन इच मानी जाती है। उसके हाथ इतने लम्बे थे जितने कि उसके समयमे किसी अन्य व्यक्तिके नही थे। उसका स्वभाव हमेशा नम्र और दयालु था। उसकी देशभक्तिके फलस्वरूप आज अमेरिका इतना ऊँचा उठा है। और जब तक अमेरिका है तब तक वाशिगटनका नाम भी रहेगा। हमारी प्राथना है कि भारत भी ऐसे वीर पुरुषोको जन्म दे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ३०-९-१९०५

१०४ पत्र छगनलाल गाधीको

जोहानिसबग
सितम्बर ३०, १९०५

चि० छगनलाल,

चि० आनन्दलाल लिखता है कि मर्क्युरी लेनमे दफ्तर लेनेका निणय हुआ हे। यदि यह बात सच है तो ऐसा किया नही जाना चाहिए। इस तरहके परिवतन करने हो तो पहले मुझसे पूछ लेना जरूरी है। मेरा खयाल हे, ग्रे स्टीट या फील्ड स्ट्रीटमे दफ्तर रखनेमे हज नही है।

रामनाथको चि० जयशकरके सुपुद कर दे, बशर्ते कि वह खशीसे जाना चाहे। जयशकरको उसके व्यापारमे कठिनाई होती होगी। मनसुखभाईका यहा आना सभव हे। उनका एक लम्बा पत्र मेरे पास आया है। उससे प्रकट है कि वे यहा आनेको तडप रहे ह। वे केवल अपने माता पिताकी आज्ञाकी प्रतीक्षामें ह।

क्लाक्सडापसे पत्र आया है। उसे म साथ भेज रहा हूँ। वहासे रुपया बिलकुल नही आया है। तुमने रुपयेकी प्राप्ति किस अकमे स्वीकार की है? यह लिखते लिखते मुझे याद आ रहा है कि पहले क्रूगसडापकी रकम एक मुश्त स्वीकार की गई थी। फिर जब मैंने लिखा तो एक-एक व्यक्तिकी रकमे स्वीकार की गइ। इसमे कुछ गडबडी होना सभव है।

तुम्हारा पत्र दोपहर बाद मिला।

मुझे दफ्तरको फिलहाल मर्क्युरी लेन ले जाना ठीक नही मालूम होता।

क्रूगसडॉपसे तुम्हारे पास कोई पत्र आया हो तो भेजना। मुझे जितना भी रुपया मिला है उसकी प्राप्ति स्वीकार कर ली गई है।

इसके साथ सुमार लतीफका पत्र भेज रहा हूँ। उसपर जो लिखना हो लिखकर मुझे भेज देना।

मोहनदास

[पुनश्च]

आज मैंने शेख मेहताबकी लिखी पुस्तक देखी। उसके सम्बन्धमे 'इडियन ओपिनियन'मे कोई टिप्पणी न दे।

मोहनदास

[पुनश्च]

गुजराती सामग्री भेज रहा हूँ। वहा दो जीवनिया इकट्ठी हो गई है इसलिए इस बार नही भेजता।

मोहनदासके आशीर्वाद

मूल गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ८२५४) से।

१०५ पत्र छगनलाल गाधीको

जोहानिसबग

अक्टूबर २, १९०५

प्रिय छगनलाल,

मुझे श्री किचिनने सूचित किया है कि तुम लोगोने अपनी एक बैठकमे, सवसम्मतिसे, हेमचदको बर्खास्त करनेका निणय किया है। जब हेमचदने मुझे लिखा कि उसे बर्खास्तगीकी सूचना मिली है तब मने तुरत उसे आश्वासन दिया कि सूचना वापस ले ली जायेगी, और मने श्री किचिन और छगनलालसे पत्र-व्यवहार शुरू कर दिया। जब हेमचद कामपर रखा गया था, तब मेरी उससे कुछ बातचीत हुई थी, और मैंने कहा था कि उसको प्रेसके कामोका प्रशिक्षण दिया जायेगा, और जबतक उसका व्यवहार और काम अच्छा रहेगा, उसे अपने-आपको स्थायी कमचारी ही समझना चाहिए। म हेमचदको अच्छी तरह जानता हूँ, और उससे भी अच्छी तरह उसके परिवारको। मै उसे अच्छा और उपयोगी कमचारी मानता हूँ। अगर छापेखानेको कठिन परिस्थितियोमे होकर गुजरना पडा तो वह उसका साथ न छोडेगा।

लेकिन, इसके अलावा, जब मुझे हेमचदकी बर्खास्तगीकी बात मालूम हुई तब मैंने अनुभव किया कि मेरा वचन दावपर लगा है। इसी कारण मैंने उसे यह आश्वासन दिया था।

क्या मै तुम लोगोसे कह सकता हूँ कि मै अब जो कुछ कह रहा हूँ उसको खयालमे रखते हुए तुम उसकी बर्खास्तगीके सम्बन्धमे अपने फैसलेको वापस लेकर मेरे आश्वासनकी पुष्टि करो? यदि भविष्यमे ऐसे सभी मामलोमे किसी अतिम निणयपर पहुँचनेके पूव मेरी सलाह ले लेनेका खयाल रखा जायेगा तो मै इस बातको बहुत पसद करूँगा।

तुम्हारा शुभचिन्तक,

मो० क० गाधी

१ स्कूलमें गाधीजीके एक साथी। देखिए आत्मकथा भाग १, अध्याय ६ और ७।

२

[इसके बादका अश गुजरातीमे हाथसे लिखा गया है।]

चि० छगनलाल,

इस पत्रको पढ लेना। ऐसा ही सबको लिखा है। मालूम होता हे, किचिनने इस मामलेको बडा रूप दे दिया है। मैने उन्हे तार भी दिया है। तुम्हे बैठकमे उपस्थित रहना आवश्यक जान पडे तो रहना।

लच्छीरामको अभी अखबार नही मिल रहा है। किस पतेपर भेजते हो, यह लिखना।

मणिलालको पानी भरनेके लिए छोटी बहॅंगी बनवा देनी चाहिए। जान पडता है, उसे पानी उठानेमे कठिनाई मालूम होती है।

मोहनदासके आशीर्वाद

[पुनश्च]

गबरू, बाक्स ५७०९, कहते ह कि उन्हे 'ओपिनियन' एक ही हफ्ते मिला। अब नही मिलता। समझमे नही आया कि मदरसा[1] [कोषके दानियो] के नाम क्यो नही छापे गये? अब आगे ऐसा नही होना चाहिए।

गाधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुई अग्रेजी और स्वहस्त लिखित गुजराती दफ्तरी प्रति (एस० एन० ४३७७) से।

१०६ पत्र छगनलाल गाधीको

जोहानिसबग
अक्तूबर ५, १९०५

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे दफ्तरके सरनामा-छपे कागज और उनके साथ जोडे जानेवाले कोरे कागज भेज देना। उनमे "तारका पता — 'गाधी' छपा देना। नाम पजीकृत करवा लिया है। यह काम जल्दी पूरा कराना।

चि० आनन्दलालके लिए घरके सम्बन्धमे मेरा खयाल यह था कि वह चि० अभयचन्दका मकान लेना चाहता हे। यदि उसे नया ही मकान बनवाना हो तो मेरी राय हे कि फिल हाल खच न किया जाये। म इसी तरहका पत्र उसे लिखता हूँ।

श्री बीनके लिए घरमे रग करा देनेमे ही छुटकारा देखता हूँ।

हेमचन्दसे बराबर काम लेना। वह कैसा चल रहा हे, मुझे लिखते रहना। मेरी रायके बिना निकालने रखने वगैराका फेरफार होना ही नही चाहिए। इस सम्बन्धमे कदम उठा चुका हूँ। ऑचड और साम गुस्सा हुए हा तो उसकी चिन्ता नही।

मनसुखलाल फिलहाल तो हवापानी बदलनेके लिए ही आयेंगे। और यदि आये ही तो मैं उन्हे स्नान [चिकित्सा] वगैराके लिए कुछ समय ही अपने पास रखगा ओर फिर वे कुछ समय वहा रहेगे।

कालाभाईने मुझे लिखा है कि वे हर महीने ३ पौड देगे। बसन्त पण्डितके बारेमे अखबारमे सूचना दे देना। क्या होता है, इसकी जानकारी मिलती ही नही।

मोहनदासके आशीर्वाद

[पुनश्च]

तुम अभी गजट की सभी सूचनाएँ नही दे रह हो। इस बारके 'गजटमे' १७०५ पष्ठपर बहुत सी सूचनाएँ है। सरसरी निगाहसे देखनेमे इतने लोगोके बारेमे सूचनाएँ निकली है (१) ऐय्यर (२) रामस्वरूप (३) बोघा (४) गीसीआवन (५) पारम (६) हुसैन आमद (७) रादेरी। सारी सूचनाएँ तीनो भाषाओमे आनी चाहिए, इसलिए अबसे गजट' बराबर देखते रहना। हेमचन्दको इसमे से कुछ काम सौपा जा सकता हे।

वहाके सरनामा छपे छोटे लिफाफे भेजना।

मोहनदास

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजरातीकी फोटो नकल (एस० एन० ४२५६) से।

१०७ पत्र छगनलाल गाधीको

जोहानिसबग
अक्टूबर ६, १९०५

चि० छगनलाल,

वीरजीकी चिटठी तुम्हारी जानकारीके लिए नत्थी कर रहा हूँ। इसे वापस मेरे पास भेज देना। तुमने अपनी एक चिट्ठीमे जो घटना लिखी थी, मै उसको उसीके सम्ब धमे लिख रहा हूँ[१]। तुम सारी बात उससे कर लेना। मै उसे यह भी लिख रहा हूँ कि मने अपने नाम लिखा उसका पत्र तुम्हे भेज दिया है। उसका यह पत्र, मेरे जिस पत्रका उत्तर हे[२] उसमे मने लिख दिया था कि अगर वह तुमको सन्तुष्ट नही कर सका तो मै इस वषके बाद उसको नही रख सकगा।

तुम यह किसलिए कहते हो कि आनन्दलालको जो २० पौड दिये गये, वे पानीमे गये? अगर बात ऐसी थी तो तुम्हे आन दलालसे कहना उचित था। तुम्हारे पिछले पत्रसे मुझे मालूम हुआ कि वह तुमसे ३० पोड शहरमे कुछ सामान खरीदनेके लिए लेना चाहता था और टोगाटसे खरीदनेका इरादा छोड चुका था।

देसाईका पत्र वापस भेज रहा हूँ। गलती जब तुम्हे मिल गई थी तब मेरे पास पत्र भेजनेकी आवश्यकता नही थी।

तुम्हारा शुभचिन्तक,
मो० क० गाधी

नत्थी[३]
श्री छगनलाल खुशालच द गाधी
मारफत 'इडियन ओपिनियन'
फीनिक्स

मल अग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० ४२५७) से।

१ २ और ३ ये उपल ध नही है।

१०८. भारतमे अनिवार्य शिक्षा

जहा दक्षिण आफ्रिकामे भारतीयोकी शिक्षाको निरुत्साहित करनेका प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा हे, स्वय भारतमे ऐसे लक्षणोकी कमी नही है जिनसे प्रकट होता है कि लोगोके हृदयामे शिक्षा प्रेमने गहरी जड पकड ली हे, ओर सम्भवत कुछ वर्षोमे ही हम देखेगे कि भारतके उन्नत भागोमे अनिवाय शिक्षा अपना ली गई है। मैकालेने शिक्षा सम्ब धी अपना प्रसिद्ध स्मग्णपत्र १८३६ मे लिखा था। भारतमे शिक्षाको वास्तविक प्रोत्साहन तभी मिला था, परन्तु फिर भी "१९०१ की जनगणनामे पता लगा कि प्रति दस स्त्रियोमे से केवल एक स्त्री साक्षर है।" बडौदा रियासतके लोकशिक्षा-निदेशक श्री एच० डी० काटावालाने अगस्तके 'ईस्ट ऐड वेस्ट' मे एक मूल्यवान लेख लिखा है। उसके अनुसार १९०१ मे, भारतमे सब वर्गोके विद्यार्थियोकी सरया ३२ ६८,७२६ थी, और उनके शिक्षणपर दो करोड रुपयेसे कम, अर्थात कोई सवा तेरह लाख पौड, व्यय हुए थे। इसमे से एक चौथाईसे कुछ अधिक व्यय प्रारम्भिक शिक्षापर किया गया था। शिक्षापर व्यय सरकारकी सारी आमदनीका १ ५ प्रतिशत है। यह स्वीकार किया जा चुका हे कि भारतमे प्रारम्भिक शिक्षापर पर्याप्त ध्यान नही दिया गया हे और उसका प्रवान कारण यह है कि भारत-सरकारको अथाभावके कारण इससे अधिक व्यय करना असम्भव लगता है। हम फिलहाल इस प्रश्नपर विचार नही करगे कि शिक्षाकी अविक प्रगतिके लिए वन क्यो उपलब्ध नही हे पर तु हम यह कह सकते है कि यह मामला अब केवल सरकारके हाथमे नही रहा हे।

जो लोग शिक्षाके सुफलका रसास्वादन कर चुके ह वे उत्सुक है कि उसमे मे उनके कम भाग्यशाली बन्धुओको भी हिस्सा मिले। हालमे बम्बई नगर निगमने अनिवाय शिक्षा पद्धतिको स्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव पास किया हे। महाविभव महाराजा गायकवाडने एक अमली कदम उठाया है, और श्री काटावालाने अपने लेखमे प्रधानतया उसी प्रयोगकी चर्चा की है जो कि अनिवाय शिक्षाके सम्बन्धमे इस समय बडौदामे किया जा रहा है। महाविभवने १८९२ मे अपनी रियासतके कुछ भागोमे अनिवाय शिक्षा शुरू करनेका विचार प्रकट किया था और इस कामकी जिम्मेदारी श्री काटावालाको सौपी थी। उन्होने स्वय अपने माग-प्रदशनके लिए निम्न सिद्धान्त स्थिर किये थे

(१) किसी स्थानमे अनिवाय शिक्षा-कानून लागू करनेसे पहले सरकार वहा शिक्षाके साधन उपलब्ध करे।

(२) अनिवाय शिक्षा कानून बालको और बालिकाओ, दोनोपर लागू किया जाये।

(३) अनिवाय शिक्षा कानून लागू करनेके लिए बालकोकी आयु सातसे बारह और बालिकाओकी सातसे दस वषतक रहे।

(४) पाठ्यक्रम प्रारम्भिक हो।

१ टॉमस बेबिंगटन मेकॉले (१८००-५९), भारत सरकारकी सामा य लोक शिक्षा समितिके अध्यक्ष और गवर्नर-जनरलकी कायकारिणी परिषदके कानून सदस्य थे। उन्होंने भारतमें अंग्रेजी शिक्षा शुरू करनेकी सिफारिश अपने २ फरवरी १८३५ के स्मरणपत्रमें की थी। किन्तु, जबतक विभिन्न विचार-पक्षोमें इस सम्ब धमें कोई निर्णय न हो गया तबतक सरकार भारतमें शिक्षाका कोई एक सी योजना आरम्भ नही कर सकी।

(५) अनिवाय उपस्थिति वषमे १०० दिनसे अधिक नही हो।
(६) नियमके उल्लघन-कर्त्ताओके विरुद्ध कारवाई फौजदारी कानूनके अ तगत नही केवल दीवानी कानूनके अन्तगत की जाये और उनपर किये गये जुर्मानेकी वसूली भी दीवानी जाब्तेसे की जाये।

श्री काटावालाने विशेष उत्साह दिखाया और वे उलझन भरी गम्भीर कठिनाइयोसे डरे नही। उन्होने ऐसे दस गाव चुने जो रियासतमे सबसे अधिक पिछडे हुए थे (क्योकि महाराजा गायकवाडकी इच्छा थी कि इस पद्धतिपर अधिकतम प्रतिकूल परिस्थितियोमे अमल करके देखा जाये) और उनमे ऊपर लिखे सिद्धा तोको लागू किया। शिक्षा निदेशकने गावोके पटेलोसे कई बार भेट की। उन्होने लोगोके विरोधका सामना किस प्रकार किया और उनकी जिद भरी भावनाओको अपने विचारोके अनुकल कैसे बनाया, ये सब घटनाएँ बडी रोचक ह। परन्तु यहा हम केवल इस प्रयोगका परिणाम, लेखकके अपने शब्दोमे, बतायेगे।

> **इस प्रकार मै बडौदा रियासतके सबसे पिछडे हुए भागमे बहुत कम समयके भीतर अनिवाय शिक्षा शुरू करनेमे समथ हो गया। मुझे इस योजनाको सफलतापूवक चलानेके लिए महीनो विशेष ध्यान देना पडा। वष समाप्त होते होते, अनिवाय शिक्षाकी आयुके प्राय सभी, अर्थात ९९ प्रतिशतसे अधिक बच्चे स्कूलोमे भर्ती हो गये। यह परिणाम ऐसा है जो इग्लड तथा अ य उन्नत देशोमे भी प्राप्त नही हो सका है। इस कानूनपर सफलतापूवक अमल होनेसे महाराजाको, दस दस नये गावोके समूहोमें अनिवाय शिक्षा लागू करनेकी प्रेरणा मिली। अमरेली ताल्लुकेमे अनिवाय शिक्षा बारह वषसे अधिक समय तक सफलतापूवक कसौटीपर कस कर देखी जा चुकी है, और सदा यह देखा गया है कि शत-प्रतिशत बच्चे स्कूलोमे हाजिर रहे, और लोगोने इसके विरुद्ध कभी कोई गम्भीर शिकायत नही की। हालमे महाराजाने एक योजना स्वीकृत की है कि रियासतके दो भागोमें अनिवाय शिक्षा कानून उन बच्चोपर लागू किया जाये जिनके माता-पिताओकी एक निश्चित वार्षिक आय है।**

यह सफलता ध्यान देने योग्य है। फिर भी भारतके करोडो निरक्षर लोगोका खयाल करते हुए यह एक छोटा-सा अकुर-मात्र है। कोई भी यह भविष्यवाणी नही कर सकता कि कालान्तरमे यह अकुर कितना बडा हो जायेगा। इस प्रयोगसे हम दक्षिण आफ्रिकी लोगोको भी कुछ-न कुछ शिक्षा अवश्य मिलती है। हम विभिन्न सरकारोसे भारतीय बालकोके लिए उपयुक्त शिक्षाकी व्यवस्था करनेकी आशा करे, यह उचित ही है। जिन भारतीयोकी स्थिति अ य भारतीयोसे अच्छी है और जो शिक्षाके लाभोसे परिचित हैं, उनका कतव्य है कि यदि दक्षिण आफ्रिकी सरकारे उनकी सहायता नही करती तो वे स्वय भारतीय बालकोकी शिक्षाकी उपयुक्त व्यवस्था करे।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ७–१०–१९०५

१०९ भारतके 'पितामह'[1]

भारतसे बदलेमे आये हुए समाचारपत्रोसे हमे उन सभाओकी खबर मिली हे जो गत ४ सितम्बरको भारतके पितामह श्री दादाभाई नोरोजीका इक्यासीवा जन्मदिन मनानेके लिए देश-भरमे की गइ थी। हमारी नम्र सम्मतिमे, श्री नौरोजीकी भारतके प्रति की गई सेवाएँ उन सेवाओसे बहुत अधिक हैं जो इग्लडके "पितामह"[2] ने इग्लैडके प्रति की थी। श्री नौरोजीका काम अग्रणीका काम था। उन्होने जब वह काम शुरू किया, तब निश्चय ही उनके सहायक बहुत कम थे। वे जिस त्याग ओर लगनमे अनुकल और विपरीत——सभी परिस्थितियोमे भारतके हितके लिए काय करते रहे, उसका जोड भारतमे कठिनाईसे मिलेगा, और क्या आश्चय कि उनको अपने करोडो देशवासियोकी दष्टिमे सबसे ऊचा स्थान प्राप्त हे! यह बात अत्यन्त करुण और गौरवास्पद हे कि अस्सी वषसे भी ज्यादा आयुका यह वद्ध ब्रिटेनके एक निर्वाचन क्षेत्रमे लोगाको मत देनेके लिए मनाता फिरता है——अपने यश या सम्मानके लिए नही, बल्कि भारतकी सेवा ओर अधिक करनेके लिए। यदि उत्तरी लैम्बेथके निर्वाचक श्री नोरोजीको फिर ससदका सदस्य चुन लेगे तो इसमे उनका अपना ही असाधारण सम्मान होगा। हम भी भारतके करोडो लागाकी भाति श्री नौरोजीके दीर्घायुष्य और स्वास्थ्यके लिए प्राथनाएँ करते ह।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ७–१०–१९०५

११० सर मचरजीका अपमान

अभी हालमे कलकत्तामे सर मचरजी भावनगरीका जो अपमान किया गया, उसे जानकर हमे भारी खेद हुआ हे। बग भग[3] के प्रश्नपर उनका मत [लोगोके] मतसे भिन्न था, इस कारण कालेज चौकमे उनका पुतला जलाया गया। सर मचरजी निश्चय ही अपना स्वतन्त्र मत रख सकते ह, यद्यपि आजकल स्वतन्त्रताके उस मदिर——ब्रिटिश लोकसभा——के सदस्योको अपना वैयक्तिक मत रखनेकी स्वतन्त्रता क्वचित दी जाती है। उस सभाका जो सदस्य भारतके हितमे अपने उत्साहका प्रमाण दे चुका है, उसका ऐसा खुला अपमान करना अबुद्धिमत्तापूण ——नही, मूखतापूण है। भले ही सर मचरजी और भारतीयोका मत चाहे सदा न मिलता हो परन्तु वे इस बातसे इनकार नही कर सकते कि सर मचरजीकी वफादारी सदा अपने देशके साथ रहती हे और वे सदा हृदयसे उसका हित चाहते है। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय इस अपमानको विशेष रूपसे अनुभव करेगे, क्योकि वे यहाके हजारो प्रतिनिधित्वहीन भारतीयोके सच्चे मित्र सिद्ध हो चुके हैं। भारतीय किसी व्यक्तिका मूल्य उसके अग्रेजाके विश्वासघातकी

१ देखिए खण्ड ४ पृष्ठ ५४–५।

२ विलियम एवर्ट ग्लैड्स्टन (१८०९–९८), इग्लडके प्रधानमन्त्री १८६८–७४, १८८०–५, १८८६ और १८९२–४। देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ११४–५।

३ प्रशासनिक सुविधाके नामपर बगालको दो प्रान्तोमें विभक्त कर दिया गया था, जिनमेंसे एकमें हिंदुओकी प्रधानता थी और दूसरेमें मुसलमानोकी। इस विभाजनसे सारे भारतमें विरोधका तूफान खड़ा हो गया, जो ब्रिटिश मालके बहिष्कारके रूपमें प्रकट हुआ। अन्तमें सन् १९११में विभाजन रद कर दिया गया।

भत्सना और तीखी निन्दा करनेके सामथ्यसे लगाने लगेंगे तो यह उनकी भारी भूल होगी। सर मचरजी सरीखे व्यक्तियोकी अधिक नरम सम्मितियोका प्रभाव उत्तेजनशील परिवतनवादी लोगोकी तीव्र अत्युक्तियोसे कही अधिक होता है। भारतको पूण न्यायकी प्राप्ति केवल शाति-युक्त तकजनित समाधानसे हो सकेगी, और इस कारण सर मचरजी अपने देशवासियाकी कृतघ्नताके भाजन होनेके तमाम लोगोमे सबसे कम अधिकारी है।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ७–१०–१९०५

१११ बहिष्कार

भारतसे हालमे आये हुए समुद्री तारो और अखबारोसे स्पष्ट है कि बगालका बहिष्कार आन्दोलन यो ही अगौरवास्पद ढगसे बैठ नही जायेगा। यद्यपि अंग्रेजी मालके बहिष्कारके पीछे बहुत कुछ जोर जबदस्ती दिखाई देती है तथापि आन्दोलन इतना व्यापक है कि उससे पता चलता है कि वह जनताकी तीव्र भावनाका परिणाम है। बग भगके विरुद्ध वतमान आन्दो-लनका परिणाम चाहे जो हो, बहिष्कारका प्रभाव भारतके लिए हितकर ही होगा। इससे देशी उद्योगोको आश्चयजनक प्रोत्साहन मिला है। हमारा विश्वास है कि ये उद्योग निरन्तर बढते ही जायेंगे। यह परिणाम अप्रत्याशित है, परन्तु इसकी वाछनीयता तनिक भी कम महत्त्वपूण नही है। भारतकी महती आवश्यकता यही है कि राष्ट्रीय विशेषताओको आश्रय दिया जाये ओर सुधारा जाये। यदि केवल भारतीय वस्तुओके प्रयोगका सकल्प यथासम्भव स्थिर रखा जाये तो राष्ट्रीय भावनाके विकासमे इसकी सहायता कुछ कम नही होगी।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ७–१०–१९०५

११२ डॉक्टर बरनार्डो

गत मास डाक्टर बरनार्डोके देहान्तकी खबर दुनिया भरमे तारोसे भेजी गई। ये डॉक्टर कौन थे, यह जाननेकी उत्सुकता हमारे पाठकोको अवश्य ही होगी। हम ऐसा समझकर उन भले डॉक्टरका जीवन वत्तान्त इस अकमे दे रहे है।

डाक्टर बरनार्डो अनाथोके नाथ या पिता माने जाते थे। वे अपने जीवनके प्रारम्भ-कालमे बिना मा-बापके बच्चोको देखकर बहुत निराश होते थे। परन्तु उनके पास कुछ भी साधन नही था। वे स्वय गरीब आदमी थे। फिर भी उनके मनमे यह विचार आया कि अनाथ बच्चोका पालन पोषण करके उसीमे से अपना गुजर-बसर भी किया जाये।

"ऐरनकी चोरी करे, करे सुईको दान", इस कहावतके अनुसार हमारी इच्छा यह रहती है कि पहले बहुत-सा पैसा कमा ले और बादमे उसका अच्छा उपयोग करे। किन्तु ऐसा करते-करते बहुतोका पूरा जीवन ही निकल जाता है। कुछ लोग जब पैसे कमा लेते है तब अपने मनमे किया हुआ सकल्प भल जाते है। दूसरे कुछ लोग पैसा कमा लेनेपर उन पैसोका अच्छा उपयोग क्या करे यह नही समझ पाते और फिर उसे तरह तरहके कामोमे बरबाद करके

अच्छे काममे खच करनेका सतोप मान लेते है। चूकि कोई अच्छा काम करनका अनुभव नही होता, इसलिए वे स्वय उनका कोई सदुपयोग नही कर पाते।

यह सब बुद्धिमान डॉक्टर बरनार्डोने देख लिया था। इससे उन्होने यह विचार किया "मेरा मन तो साफ है। जो लोग मुझपर विश्वास करके मुझे पैसा देगे वे समझ सकेगे कि मुझे अपना पेट भी इसके सहारे भरना चाहिए। लेकिन यदि मै बिना मा-बापके बालकोका पालन-पोषण करूँगा तो उनकी अन्तरात्मा दुआ देगी। और लोग भी देख सकेगे कि मेरा इरादा पैसा बटोरनेका नही है।" इस तरह दृढ सकल्प होकर ये बहादुर डाक्टर काममे जुट गये और उन्होने पहला अनाथाश्रम लन्दनके स्टीवेनी काजवेमे खोला। प्रारम्भमे तो सब लोगाने उसका विरोध किया ओर कहने लगे कि यह तो धोखा देकर पैसे पैदा करनेका रास्ता निकाला गया है। डॉक्टर बरनार्डो इससे निराश नही हुए। उन्होने अपनेपर श्रद्धा रखनेवाले लोगोसे चन्दा लेना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चे जमा होने लगे। वे आवारा बननेके बजाय पढे लिखे, मेहनती तथा ईमानदार बने और रोजगारमे लग गये। इस प्रकार जितने भी बच्चे पले उन सभीने डाक्टर बरनार्डोके आश्रमकी ख्याति बढाई। उन बच्चोने महसूस किया कि स्वय डाक्टर बरनार्डो उनके माता-पिताकी अपेक्षा अधिक हिफाजत करते है। डाक्टरने ऐसे आश्रम बढाये और अतमे लन्दनसे छ मीलकी दूरीपर जगलमे, एक गाव बसाया। उस गावमे अच्छे मकानो और गिरजा घर आदिका निर्माण किया और वह स्थान इस समय इतना प्रसिद्ध हो गया कि बहुत लोग उसको ऐसी पवित्र भावनासे देखने जाते है मानो तीर्थयात्रा करने जा रहे हो। उसकी ख्याति इतनी बढ गई है कि ससारके बहुत से भागोमे उस प्रकारके आश्रम बनाये गये है। इस प्रकार डाक्टर बरनार्डोने अपनी जिन्दगीमे ५५,००० बालकोकी परवरिश की थी। कुछ दुष्ट मा-बाप इस सुविधाका अनुचित लाभ भी उठाते थे। वे अपने बच्चोको रातमे मौका देखकर डाक्टर बरनार्डोके अहातेमे डाल जाते थे। डाक्टर बरनार्डो इससे भी हार नही मानते थे। वे उन बच्चोकी यत्नसे परवरिश करते और जब मा-बाप अपने बालकोको वापस मागने आते तब उनको सौप दते थे। हर साल इन बच्चोका मेला लन्दनके विशाल अल्बट हालमे लगता है। हजारो मनुष्य इस मेलेको पैसे देकर देखनेके लिए हर साल आते है। डाक्टरके देहान्तके बाद पता चला है कि उन्होने अपने जीवनका ७०,००० पौडका बीमा करवाया था। वसीयतनामेमे वह लिख गये है कि यह सारा धन उनके स्थापित किये हुए आश्रमोके सचालनमे खच किया जाये।

डॉक्टर बरनार्डो ऐसे महान पुरुष थे। वे स्वय धार्मिक और अत्यन्त दयालु थे। बीमा कराना आदि विचार हमारे धार्मिक मतसे अलग पडते है। फिर भी यह हमें कबूल करना चाहिए कि पश्चिमके उस प्रकारके रिवाजके अनुसार डॉक्टरने जो किया वह सूझ-बूझका काम था।

एक व्यक्ति गरीब होते हुए अपने उत्साह और अपने दया भावके बलपर कितना काम कर सकता है, इसका डाक्टर बरनार्डोने इस युगमे सर्वोत्तम उदाहरण उपस्थित किया है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ७–१०–१९०५

११३ एक भारतीय कवि

श्री वाडने हाली साहबके काव्योका अनुवाद अंग्रेजीमे करके उनका नाम प्रसिद्ध किया है। कहा जाता है कि हाली साहबकी बराबरीका दूसरा कोई कवि नही है। उनका पूरा नाम मौलवी सैयद अलताफ हुसैन अनसारी है। उनका जन्म दिल्लीके पास पानीपतमे हुआ था। उनकी अधिकतर कविताएँ उर्दूमे है, यद्यपि फारसीमे भी उन्होने बहुत लिखा है। १८८७ की जयन्तीके[१] मौकेपर उन्होने ऐसी उत्कृष्ट कविता लिखी कि वह सारे उत्तर भारतमे गूंज उठी। उन्होने जो कुछ लिखा है वह मौज शौकके सम्बन्धमे नही लिखा बल्कि इस जमानेमे मुसलमानोका क्या फर्ज है, हिन्दू और मुसलमान दोनो आपसमे कैसा बरताव रखे और खुदाको किस तरह पहचाना जाये इत्यादि उपयोगी विषयोपर लिखा है। लाहौरके सेठ अब्दुल कादिर लिखते है कि वे जब मदरसेमे थे तब उनका काव्य पढते थे और जब बडे हुए तब भी पढते थे। वे उसे अपनी सभाओमे भी गाते थे और अब अपनी अजुमनोमे भी सुनते है, फिर भी वे उसे पढते और सुनते थकते नही है। हाली साहबने शेख सादीका[२] जीवन वृत्तान्त बहुत सुन्दर भाषामे लिखा है। प्रोफेसर मॉरिसन उनकी रचनाओके सम्बन्धमे लिखते है कि अमीर मुसलमानोने कौमके लिए जितना किया है उससे ज्यादा इस एक गरीब कविने किया है। सरकारने उनकी कौमके प्रति की गई सेवाओकी कद्र करनेके लिए उनको शम्स उल उलेमाका खिताब दिया है। हमे दुःख है कि उनके उर्दू काव्य हमारे हाथमे नही है। लेकिन हम अपने पाठकोसे सिफारिश करते है कि वे उनके काव्य मॅंगवा कर पढे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७–१०–१९०५

११४ पत्र : छगनलाल गांधीको

जोहानिसबर्ग
अक्तूबर ७, १९०५

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। कार्यालय बदल दिया, यह ठीक किया। प्लेगके बाबत स्वच्छता रखनेकी सीख देते रहना। हेमचन्दने कहा रहना तय किया है, सो लिखना। उसके सम्बन्धमे हमारे बीच गलतफहमी हो गई है। लेकिन मैने तुम्हे संक्षेपमे बताया था, इसलिए मै अपना दोष मानता हूँ। वेस्टको पत्र लिखा है। अधिक उसमे देख लेना। हेमचन्द काममे पूरा सन्तोष देता है या नही, लिखना। रामनाथ कहा है? उसे चि० जयशंकरके सुपुर्द किया या नही? जयशंकरके पास आदमियोकी बडी तंगी है। साथके पतेपर 'ओपिनियन' भेजो। उसके पैसे मै यही वसूल करूँगा। मेरे खाते नामे लिख लेना।

मर्क्युरी लेनमे कार्यालय ले जानेसे क्या हिन्दी ग्राहकोकी संख्यामे फर्क नही पडेगा? अब्दुल-कादिर सेठने कुछ कहा? फील्ड स्ट्रीट या ग्रे स्ट्रीटमे कार्यालयके लिए जगह क्यो नही ढूँढी?

गुजराती सामग्री आज भेज रहा हूँ। ज्यादा कल भेजूँगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

गांधीजीके स्वाक्षरोमे गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ४२५८) से।

१ महारानी विक्टोरियाके शासनकी स्वर्ण जयन्ती।
२ १३ वीं शताब्दीका एक फारसी महाकवि।

११५ मानपत्र[१] लॉर्ड सेल्बोर्नको

[पाचेफस्ट्रूम
अक्तूबर ९, १९०५ से पूव]

परमश्रेष्ठकी सेवामे,

हम नीचे, हस्ताक्षर करनेवाले, पाचेफस्ट्रूम निवासी ब्रिटिश भारतीयोके प्रतिनिधि, इस ऐति-हासिक नगरमे परमश्रेष्ठका हार्दिक ओर निष्ठाके साथ स्वागत करते है।

हम आशा करते ह कि आप पाचेफस्ट्रूमके लोगोके बीच अपने निवासकी सुखद स्मतिया अपने साथ ले जायेंगे।

पाचेफस्ट्रूममे हम जिन कठिनाइयोसे पीडित ह वे ब्रिटिश भारतीयोके लिए ट्रान्सवालमे सवत्र एक जैसी ह। पाचेफस्ट्रूममे ब्रिटिश भारतीयोके विरुद्ध, उनके रहन-सहनके तरीके और उनकी व्यापारिक जगहोकी देखभालके बारेमे, एक अभियोग[२] लगाया गया है। इन जगहोका निरीक्षण करने ओर उनके बारेमे स्वय निष्कष निकालनेके लिए हम परमश्रेष्ठको सादर निमन्त्रित करनेका साहस करते हैं। हम यथासम्भव अपना आचरण स्थानीय रीति रिवाजोके अनुसार बनाने और लोक भावनाको सन्तुष्ट करनेके लिए अत्यन्त चिन्तित ह। हम केवल इतना ही चाहते है कि वग-विधान बनाये बिना, जरूरी समझे जानेवाले सामान्य सफाई तथा अन्य नियमित सामान्य विनियमाके अन्तगत, हमे यात्रा, व्यापार निवास ओर सम्पत्तिके स्वामित्वकी स्वतन्त्रता हो।

हम परमश्रेष्ठकी सेवामे इस सम्पूण विश्वासके साथ उपस्थित हो रहे है कि श्रीमानके हाथो हमे न्याय मिलेगा।

हम आपसे प्राथना करते हैं कि आप परम दयालु महामहिम सम्राट ओर सम्राज्ञीकी सेवामे हमारे भक्तिपूण भाव निवेदित कर दे।

एस० डी० रॉबट, अध्यक्ष
ई० एच० गेट्टा
ई० एम० पटेल
एम० ई० नानाभाई
हाजी उमर
ए० ई० गगाट
ए० एम० कासिम
हासिम तैयब
ए० जी० सालेह महम्मद
इब्राहीम ब्रदर्स
मूसा हसन
डी० आई० वग्यावा
ए० रहमान, मन्त्री

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-१०-१९०५

१ यह मानपत्र पॉचेफस्ट्रूमके भारतीय सघ द्वारा दिया गया था। ऐसे ही मानपत्र रस्टेनबग, क्लार्क्सडॉर्प और क्रूगर्सडॉर्पमें दिये गये थे। देखिये, 'लॉर्ड सेल्बोर्नकी यात्रा', **इंडियन ओपिनियन**, १४-१०-१९०५।

२ पॉचेफस्ट्रूमके पहरेदार सघ द्वारा।

११६ पाँचेफस्ट्रूमके भारतीयोका वक्तव्य[1]

[पाँचेफस्ट्रूम
अक्टूबर ९, १९०५ से पूर्व]

परमश्रेष्ठकी सेवामे निवेदन है कि,

यदि हमे यह पता न होता कि तथाकथित एशियाई विरोधी पहरेदार सघकी ओरसे आपकी सेवामे विशेषत पाँचेफस्ट्रमके ब्रिटिश भारतीयोके सम्बन्धमे, प्रार्थनापत्र पेश किया जायेगा तो हम परमश्रेष्ठको किसी भी प्रकारका कष्ट न देते, विशेषत इस कारण कि हम जानते हैं कि परम-श्रेष्ठ शीघ्र ही जोहानिसबगमे ब्रिटिश भारतीय सघके एक शिष्टमण्डलसे मिलनेवाले हैं।

श्री लवडेने कहा है कि पाचेफस्टममे नेटालसे गिरमिटिया भारतीय उमडे चले आ रहे हैं। इसका हम प्रबल प्रतिवाद करना चाहते है। हममे से कुछ लोग नेटालके कानूनसे परिचित ह, और हम जानते हैं कि किसी भी गिरमिटिया भारतीयके लिए बच कर आना प्राय असम्भव है। कुछ भी हो इस बयानको सच्चा सिद्ध करनेके लिए अभीतक एक भी उदाहरण नही दिया गया है।

जोहानिसबगके महापौरने, जब वे यहा थे, एक और बात कही थी। उन्होने कहा बताते है कि जहा एशियाइयोको युद्धसे पहले व्यापारियोके उन्नीस परवाने दिये गये थे, वहा अब उनको छियानवे परवाने व्यापारियोके और सैतीस फेरीवालोके प्राप्त है। जहातक व्यापारियोका सम्बन्ध है, यह कथन सत्य नही है। हमने युद्धसे पहले ब्रिटिश एजेटको पाचेफस्ट्रम नगरके ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोकी एक सूची दी थी, और तब इस नगरमे ब्रिटिश भारतीयोकी बाईस दूकाने थी। जिलेके अन्य स्थानोमे जो दूकाने थी सो अलग। ब्रिटिश एजेटको जो सूची दी गई थी उसकी नकल हमारे पास है और हम आज भी न केवल उनके नाम बता सकते है, बल्कि प्रत्येकका पता भी दे सकते है। श्री गॉश युद्धसे पहलेके उन्नीस परवानोके सिलसिलेमे अब व्यापारियोके छियानवे परवानोका जिक्र करते है। हम समझते ह कि उनका मतलब यह है कि ये छियानवे परवाने पाँचेफस्ट्रूम नगरके ही है। यदि ऐसी बात हो तो यह सवथा असत्य है। आज इस नगरमे ब्रिटिश भारतीयोकी केवल चौबीस दूकानें है। हम यह बात पूरी जिम्मेदारी और जानकारीके साथ कह रहे है, और अपने निन्दकोको इसे अन्यथा सिद्ध करनेकी चुनौती देते है।

तीसरी बात जो पाँचेफस्ट्रममे हमारे विरुद्ध कही गई है वह यह है कि हमारे मकान और दूकान गन्दे रहते है। यो तो इनकी हालत देखनेसे अपने आप मालूम हो जाता है, परन्तु जब यह आक्षेप किया गया तब हमने अपनी जगहे पाँचेफस्ट्रूमके जिला-सजनको दिखलाई थी और उसने यह रिपोट दी थी

> **मुझे यह कहते खुशी होती है कि विभिन्न अहातोको देखनेपर, मेरे मनपर हर जगहका बहुत अच्छा असर पडा। मने अन्दरसे और बाहरसे भी देखा है। कुल बातोका खयाल करते हुए, पीछेके आगन बिलकुल साफ और स्वास्थ्यकर ह। मने कूडेके ढेर लगे नही**

१ यह पॉचेफस्ट्रूम भारतीय सघके मन्त्री श्री अब्दुल रहमानने लॉर्ड सेल्बोर्नको मानपत्र देनेके बाद पढ़कर था।

देखे। मुझे मालूम हुआ कि सारा कूडा रोजाना ठेकेदार ले जाया करता है। शहरके दूसरे हिस्सोके समान यहा बालटी-पद्धति काममें लायी जाती है। इसकी भी कमाईका प्रबन्ध है, जो सफाई विभाग द्वारा किया जाता है। मने जो-कुछ देखा उसमें म कोई दोष नही बता सकता। जहाँतक सोनेके स्थानकी बात है, मुझे कोई भीड भाड दिखलाई नहीं पडती। प्रत्येक व्यापार-स्थानके पीछे, उससे अलग, मने एक प्रकारका भोजनगह-सा देखा, जिसमे ५ से ८ आदमियो तक के बैठनेका स्थान है और हरएकमें उसका रसोईघर है। ये सब भी साफ सुथरे रखे जाते ह।

हमने इन बातोका जिक्र यह दिखानेके लिए किया हे कि हमे कसी विपरीत परिस्थितियोका सामना करना पड रहा हे, और हमारे विरुद्ध कैसी कैसी गलत बाते कही जाती है। हम नि सकोच कह सकते है कि इस सारे एशियाई विरोधी आन्दोलनका कारण व्यापारिक ईर्ष्या है। गोरे दूकानदारोके साथ अनुचित प्रतिस्पर्धामे उतरनेकी हमारी तनिक भी इच्छा नही है।

हमारे रहन सहनके तरीकोके विरुद्ध बहुत कुछ कहा गया हे। हमे इस बातका अभिमान हे कि हमारी आदते सीधी-सादी और सयत है, और यदि उनके कारण हमे प्रतिस्पर्धी गोरे व्यापारियोकी तुलनामे कोई लाभ हो जाता है तो हम किसी प्रकार यह नही समझ सकते कि हमारी निन्दा करने ओर हमें गिरानेके लिए उसका उपयोग हमारे विरुद्ध क्यो किया जाता हे। जो लोग हमारी निन्दा करने है वे इस प्रसगमे यह बिलकुल भूल जाते है कि गोरे व्यापारियाको अनेक ऐसे लाभ होते ह जिनको हम स्वप्नमे भी प्राप्त नही कर सकते। उदाहरणाथ, यूरोपीयोके साथ उनके सम्बन्ध, उनकी अग्रेजी भाषाकी जानकारी और उनकी अच्छी सगठन शक्ति। इसके अतिरिक्त, हम अपना व्यापार, केवल इस कारण कर सकते है कि गरीब गोरोकी हमारे प्रति सदभावना है और हम गरीबसे गरीब ग्राहकोको सन्तुष्ट कर सकते है। हमे थोकफरोश यूरोपीय व्यापारियोकी सहायता भी प्राप्त है। कहा गया हे कि हमारे मुकाबलेके कारण बहुत-सी यूरोपीय दूकाने बन्द हो गइ। हम इसका खण्डन करते है। पहली बात तो यह हे कि जो दूकाने बन्द हुई है उनमे से कई ऐसी थी कि उनसे सम्भवत हमारी स्पर्धा हो ही नही सकती थी, जसे कि नाइयोकी दूकाने आदि। कुछ साधारण माल बेचनेवाली दूकाने भी अवश्य बन्द हुई है परन्तु उनके बन्द होनेका सम्बन्ध एशियाई मुकाबलेके साथ जोडना वैसा ही अनुचित हे जैसा कि इस शहरमे कुछ एशियाई दूकानोके बन्द होनेका सम्बन्ध यूरोपीय मुकाबलेके साथ जोडना। इस समय सारे दक्षिण आफ्रिकामे व्यापारिक मन्दी है, और इसका फल यह हुआ है कि युद्धके तुरन्त पश्चात आवश्यकतासे अधिक जो व्यापार शुरू कर दिये गये थे वे समाप्त हो गये, क्योकि उन्हे भारी अपेक्षाओके आधारपर शुरू किया गया था, जो कभी पूरी नही हुइ।

क्या हम यह निवेदन कर सकते है कि हमारे विरुद्ध बहुत सा आन्दोलन असली ब्रिटिश प्रजाजनो द्वारा नही किया जा रहा, प्रत्युत उन विदेशिया द्वारा किया जा रहा हे जिन्हे वस्तुत हमसे बहुत कम शिकायत हो सकती हे। हमको नगरसे निकालनेके लिए जो नीति अपनाई गई है वह सताप और अपमानोकी नीति है, जो तुच्छ होनेपर भी इतने कटु ह कि हम उन्हे बहुत ज्यादा महसूस करते है।

डाकघरोमें तनिक भी कारणके बिना हमारे लिए पृथक खिडकिया नियत कर दी गई ह। जिस उद्यानको "सावजनिक" उद्यान कहा जाता है और जिसकी सार सँभाल अन्य नागरिकोके साथ-साथ हमसे भी वसूल किये गये करोसे की जाती है, उसकी खुली हवामें सासतक

लेना हमारे लिए निषिद्ध है। हम इन उदाहरणोका जिक्र परमश्रेष्ठका ध्यान उस विषम स्थितिकी ओर खीचनेके लिए कर रहे है जिसमे हम, निर्दोष होनेपर भी, डाल दिये गये है। हमे लाछित और अपमानित करनेका कोई भी अवसर हाथसे जाने नही दिया जाता। हम ऐसे अन्य उदाहरण देकर परमश्रेष्ठको परेशान करना नही चाहते। परन्तु हमारा निवेदन यह है कि ब्रिटिश सरकारसे यह आशा रखनेका हमे अधिकार है कि वह इस अपमानसे हमारी रक्षा करेगी और हमारे लिए उस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित करायेगी जिसके उपभोगके हम, राजभक्त ब्रिटिश प्रजाकी हैसियतसे, जहा-कही भी ब्रिटिश ध्वज फहराता है वहा सवत्र, अधिकारी है।

परमश्रेष्ठने हमारा निवेदन धैयपूवक सुना, इसके लिए हम उनका नम्रतापूवक धन्यवाद करते है, और अन्तमे आशा करते है कि परमश्रेष्ठके इस नगरमे पधारनेके फलस्वरूप हमारी स्थिति सुधरेगी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-१०-१९०५

११७ लॉर्ड सेल्बोर्न और ट्रान्सवालके भारतीय

परमश्रेष्ठ उच्चायुक्तने अपने ट्रान्सवालके दौरेमे, इस उपनिवेशमें ब्रिटिश भारतीयोकी स्थितिके विषयमे दो बहुत महत्त्वपूण भाषण दिये है। इनमे उनका पाचेफस्ट्रूमका भाषण, जो अन्यत्र प्रकाशित किया गया है, अधिक महत्त्वपूण है। लॉड सेल्बोनने उसमे बताया है कि उन्होने अपने अल्पवासमे इस प्रश्नका अध्ययन किया है। उन्हे सरकारकी प्रतिष्ठा बहुत प्यारी है, और वे मानते है कि युद्धसे पहले ब्रिटिश भारतीयोको जो वचन दिये गये थे वे पूरे करने होगे। यह देखकर हमे और भी प्रसन्नता हुई कि लाड महोदयने भारतीय घोषणा[1] का अथ यह लगाया है कि उससे सारी दुनियामे भारतीयोके पूण ब्रिटिश प्रजाके अधिकार सुरक्षित होते है। इस सबके लिए, और इससे भी बहुत अधिकके लिए, हम सचमुच परमश्रेष्ठके कृतज्ञ है। जब परस्पर विरोधी स्वार्थोके बीच न्याय करनेकी इतनी स्पष्ट इच्छा विद्यमान है तब इस आशाके लिए भी काफी गुजाइश है कि निकट भविष्यमे इस कठिन समस्याका ऐसा हल निकल आयेगा, जो सबको स्वीकृत होगा।

परन्तु एक बातसे, जिसका लॉड सेल्बोनने वचन दिया बताते है, हमे बडी बेचैनी हो रही है। खबरके अनुसार, उन्होने ये शब्द कहे

> **युद्धसे पहले जो भारतीय यहा नही थे उन्हे यहाँ तबतक नही आने दिया जायेगा जबतक आपकी अपनी ससद नही हो जायेगी, और आप अपनी सम्मति अपने प्रतिनिधियो द्वारा प्रकट नहीं कर सकेगे। यह वचन मै आपको आपके गवनर और उच्चायुक्तकी हैसियतसे देता हूँ।**

हमे निश्चय है कि परमश्रेष्ठने जब यह वचन दिया तब वे इसकी पूर्तिके परिणामोका अन्दाज भली प्रकार नही लगा सके होगे। जो भारतीय इस देशमे पहलेसे बसे हुए है और अबसे आगे जिनके आनेकी सम्भावना है, उनमे फक करनेकी परमश्रेष्ठको बडी चिन्ता है।

१ महारानी विक्टोरियाकी १८५८की घोषणा।

उन्होंने अपने श्रोताओंको पुराने बसे हुए भारतीयोंके साथ उचित व्यवहार करनेकी आवश्यकता समझाई। अब, भारतीय व्यापारी अपनी विश्वसनीय मुंशियों, प्रबन्धकों और अन्य विश्वासी कर्मचारियोंकी आवश्यकताकी पूर्ति भारतसे ही कर सकते हैं, इस सचाईका विश्वास करवानेके लिए इसका जिक्र भर कर देना काफी है। इन सुविधाओंके बिना उनके लिए सुरक्षापूर्वक व्यापार चलाते रहना प्रायः असम्भव है। तो क्या हम यह समझें कि जबतक ट्रान्सवालकी भावी संसद दूसरा निर्णय नहीं कर देती तबतक भारतीय व्यापारको, विश्वासी आदमियोंके अभावमें संकटग्रस्त रख, घुटने टेक देनेके लिए विवश किया जायेगा?

परमश्रेष्ठने यह भी कहा है कि भारतीयोंको गोरोंके साथ अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धा करते चले जाने देना व्यावहारिक राजनीतिज्ञताकी बात नहीं है। हमने इस प्रस्तावपर इस पत्रमें बहुधा विचार किया है, और हम समझते हैं कि हम इसका खोखलापन दिखला चुके हैं। इसमें जो कुछ सत्य है उसे भारतीय मान चुके हैं, और जो सत्य नहीं है, उसका एकमात्र कारण व्यापारिक ईर्ष्या है। यह स्पष्ट कर दिये जानेके बाद कि नये परवाने देनेका अधिकार, उचित संरक्षणोंके साथ, प्रधानतया व्यापारियों द्वारा गठित स्थानीय निकायोंको ही होगा भारतीय स्थितिका औचित्य अत्यन्त विद्वेषी व्यक्तियोंके अतिरिक्त, सबको स्पष्ट हो जाना चाहिए। परन्तु वे एशियाई विरोधी लोग, जो एक एक भारतीयको इस उपनिवेशसे निकाल बाहर करने पर तुले हुए हैं, तबतक सन्तुष्ट नहीं होंगे जबतक उन्हें भारतीयोंका जीवन बिलकुल असह्य बनानेमें सफलता नहीं मिल जायेगी। लॉर्ड सेल्बोर्नसे इस प्रकारके प्रयत्नोंके विरुद्ध अपनी रक्षाकी आशा करना भारतीयोंका अधिकार है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४–१०–१९०५

११८ लॉर्ड सेल्बोर्नका आगमन

सप्ताहका अधिकांश नेटालमें[1] व्यतीत करनेके बाद लॉर्ड सेल्बोर्न आज डर्बन पहुँच रहे हैं। ब्रिटिश भारतीय समाजके अन्य सदस्योंके साथ साथ हम अत्यन्त विनम्र भावसे उनका नम्रतापूर्वक स्वागत करते हैं। लॉर्ड सेल्बोर्नको दक्षिण आफ्रिकामें आये थोड़ा ही समय हुआ है, परन्तु उनकी अभीसे सभी श्रेणियोंके लोगोंका यह विश्वास प्राप्त हो गया है कि वे बिना किसी भय या मुलाहिजेके प्रत्येक व्यक्तिके प्रति अपना कर्तव्य निभायेंगे। परमश्रेष्ठ अनेक प्रकारसे नेटालको अन्य ब्रिटिश उपनिवेशोंसे भिन्न पायेंगे। नेटालमें अध्ययनके लिए कुछ मनोरंजक समस्याएँ उपस्थित हैं। इसका कारण यह है कि उसमें वतनी लोगोंकी बड़ी आबादी है और गोरे लोग अपेक्षाकृत बहुत कम संख्यामें हैं, जो अपने मुख्य उद्योग धंधोंके लिए भारतीय गिरमिटियाकी बहुत बड़ी आबादीपर निर्भर हैं। इन गिरमिटिया भारतीयोंकी उपस्थितिने स्वभावतः व्यापारी वर्गके भारतीयोंको इस उपनिवेशमें आकर्षित किया है। हमारा विश्वास है कि लॉर्ड सेल्बोर्न अपने अल्पकालिक प्रवासमें अपने बहुमूल्य समयके कुछ क्षण उन नेटालवासी ब्रिटिश भारतीयोंको समझनेमें लगायेंगे, जो सभीकी रायमें सम्राटकी प्रजाके सर्वाधिक राजभक्त और कानूनका पालन

१ स्पष्टतः, भूलसे "ट्रान्सवाल"के स्थानपर "नेटाल" लिखा गया है। लॉर्ड सेल्बोर्नने ट्रान्सवालके भ्रमणमें इस सप्ताहका प्रारम्भिक भाग व्यतीत किया था। देखिए पिछला शीर्षक।

करनेवाले अग है। शेष भारतीय समाजके साथ हम भी यह आशा करते है कि परमश्रेष्ठ तथा उनका परिवार इस सुरम्य उपनिवेशमे रहते हुए प्रसन्नता अनुभव करेगे और अपने साथ इसकी मधुर स्मृतिया ले जायेगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४–१०–१९०५

११९ गिल्टीवाला प्लेग

प्लेगने अड्डा जमा लिया है। यह एक वार्षिक दूत है, जो वर्ष प्रतिवर्ष आकर अधकार, गदगी और अति घनी बस्तीके विरुद्ध चेतावनी दे जाता है। यह जहा कही एक बार दिखाई पडा वहा अबतक, बिना चूके, थोडी-बहुत नियमिततासे फिर फिर आता रहा है। खबर मिली है कि यह चिदे तक पहुँच गया है। वहासे डबन बहुत दूर नही है। इसलिए प्रत्येक अच्छे नागरिकको चाहिए कि वह इस राक्षसको पास न फटकने देनेके लिए आवश्यक एहतियात रखे। इस सचाईको छिपाना नही चाहिए कि भारतीय अन्य जातियोकी अपेक्षा प्लेगकी विनाश लीलाके शिकार ज्यादा होते हैं ठीक वैसे ही जैसे गोरोको मोतीझरा होनेकी सम्भावना भारतीयोकी अपेक्षा ज्यादा रहती है। इस कारण भारतीयोको दुगुनी सावधानी रखनी चाहिए। घरो और दूकानोके आसपासके स्थान पूरी तरह साफ रखे जाने चाहिए। लोगोको जितनी भी हो सके उतनी रोशनी, धूप और हवा मिलनी चाहिए, और सभी सदिग्ध मामले तुरत ही अधिकारियोको सूचित कर देने चाहिए। रोग एक बार आ चुकनेके बाद बहुत सा खर्च करने, बल्कि यो कहना चाहिए धन बरबाद करनेकी अपेक्षा ये कुछ सरल सावधानिया बरतना कही अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगा। इस सम्बधमे भारतीय समाजके नेताओका कर्तव्य स्पष्ट है। प्रत्येक शिक्षित भारतीयको एक अनुपम अवसर प्राप्त है, वह स्वास्थ्य और सफाईका प्रचारक बन सकता है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४–१०–१९०५

१२० नमक-कर

अफवाह है कि आगामी नवम्बर मासमे युवराज (प्रिंस आफ वेल्स) की भारत यात्राके समय उस राजकीय यात्राकी याद हमेशा कायम रखने और साथ साथ भारतके लोगोको सन्तोष देनेके लिए नमक कर बिलकुल माफ कर दिया जायेगा। प्रत्येक भारतीय हृदयसे चाहेगा कि इस अफवाहकी बुनियाद मजबूत हो और यह सही निकले।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४–१०–१९०५

१ डर्बनसे कोई ८०० मील उत्तर पुर्तगाली पूर्वी आफ्रिकाका एक बदरगाह।

१२१ सर हेनरी लॉरेंस

इस महान पुरुषका जन्म श्रीलकामे १८०६ के जूनकी २८ तारीखको हुआ था। वह मथुरा शहरमे जन्मा था, इसलिए उसकी माने विनोदमें उसका नाम 'मथुराका रत्न" रख दिया और वह सचमुच हीरा ही निकला। सन १८२३ मे वह कलकत्ता आया और बगाल तोपची पल्टनमे नौकर हो गया। उसको जिम्मेवारीका पहला काम बर्माकी पहली लडाईमे[२] दिया गया। इस लडाईमे अपना कर्त्तव्य पूरा करते करते वह बीमार पड गया और उसे विलायत जाना पडा। वहा उसने अपना समय खेल कूदमें नष्ट करनेके बजाय अध्ययनमें बिताया। सन १८३० मे वह दुबारा भारतमे आया और अपनी पल्टनमे शामिल हो गया। उस समय उसने हिन्दुस्तानी और फारसीका अध्ययन किया। वह अपना निजी समय एकान्तमें बिताता। इसका एक कारण यह था कि वह अपनी मा के लिए यथासम्भव रुपया बचाना चाहता था। उसको इस बार बहुत बडी जिम्मेदारीका काम दिया गया। उसने इसमें अपनी बीमारीके समय इग्लैडमे जो कुछ सीखा था उसका पूरा उपयोग किया। उसको पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तमे लोगोपर कर लगानेके सम्बन्धमे सर्वेक्षणका काम सौपा गया। लारेसके असली गुण इस समय प्रकाशमे आये। वह सनिक था, फिर भी उसका हृदय बडा कोमल ओर दयालु था। उसे सर्वेक्षणका काम करते हुए गरीब लोगोके सम्पर्कमे आनेका मौका मिला। इससे वह वहाके लोगोकी भावना और रस्म रिवाजोको समझ सका। वह लोगोके साथ समानताका भाव रखकर मिलता-जुलता था। वह स्वय अत्यन्त परिश्रमी और बडे जीवटका व्यक्ति था, इसलिए उसके मातहतोमे जो लोग आलसी थे वे उससे द्वेष करते थे। जो आदमी काम न करता उसपर सख्ती करनेमे वह हिचकिचाता नही था। एक बार एक सर्वेक्षकने एक बडी भूल की। उस भूलको सुधारनेके लिए लारेसने उसको वहा दुबारा जानेका आदेश दिया। उसे जहा जाना था वह स्थान दस मील दूर था, इसलिए उसने वहा जानेमे आनाकानी की। तब लॉरेसने उसे डोलीमे बैठाकर भिजवाया। किन्तु वह व्यक्ति जिद्दी था इसलिए इतना होनेपर भी उसने काम करनेसे इनकार कर दिया। तब लारेसने उसका एक आमके पेडपर बिठा दिया और नीचे नंगी तलवारे देकर दो पहरेदार खडे कर दिये। सर्वेक्षक जब भूख और प्याससे व्याकुल हो गया तब उसने लारेस साहबसे क्षमा मागते हुए काम करना मजूर किया और नीचे उतरनेकी अनुमति मागी। इसके बाद वह सुधर गया और लॉरेसकी मातहतीमे बहुत अच्छा काम करने लगा।

हम लोगोने सुना है कि पुराने जमानेमे भाई भाईके लिए, मित्र मित्रके लिए, मा बेटेके लिए बेटा मॉ-बापके लिए और स्त्री पुरुषके लिए प्राण देनेको तैयार रहते थे। वही लॉरेसने इस जमानेमे करके बताया है। अफगानिस्तानकी लडाईमे उसका बडा भाई गिरफ्तार हो गया। अफगान सरदारने उसको कुछ दिनकी छुट्टी दी। छुट्टी पूरी होनेपर वह लौटकर जानेके लिए बँधा था। भाईकी सेवाएँ अधिक उपयोगी है, ऐसा सोचकर लॉरेसने उसके बदले खुद जेलमे जानेका प्रस्ताव किया। यह उसके भाईने स्वीकार नही किया, परन्तु लॉरेस जो कह चुका था वह करके रहा।

१ श्रीलंकाके दक्षिण तटपर एक बन्दरगाह।

२ १८२४-६।

जब लारेस नेपालमे राजदूत बना, उस समय उसकी भली पत्नी अपना जीवन भलाईके कामोमे बिताया करती थी। उन दोनोने मिलकर अपने धनसे यरोपीय सनिकोके बच्चोके सवधन तथा शिक्षा दीक्षाके लिए हिमालयकी तराईमे एक विशाल सदन बनवाया। उसके बाद तो ऐसे सदन भारतमे जगह जगह बनाये गये है, और उन सभीको "लारेस सदन' कहा जाता है। सन् १८४६ मे सिख युद्ध हुआ। इसमे लारेसने बडी बहादुरी दिखाई। इस समय उसकी पत्नी बीमार थी। उसे युद्धपर जानेका आदेश मिला। आदेशके मिलते ही बीमार स्त्रीको छोडकर वह चौबीस घटेके अदर युद्धमे जानेके लिए तैयार हो गया। युद्धके बाद शाही राजदूतके रूपमे उसने लाहौरमे बडा अच्छा काम किया। इससे उसको सर'का खिताब दिया गया। स १८४९ मे जब पजाब जोड देनेका इरादा हुआ तब लाड डलहौजी जैसे गवनर जनरलके साथ अकेले लारेसने टक्कर ली। वह अपनी बातमे सफल नही हुआ। फिर भी गवनर जनरलको उसपर इतना अधिक विश्वास था कि उसने पजाबमे मुख्य उत्तरदायित्वका काम उसीको सौपा। वह सिख लोगोके बडे घनिष्ठ सम्पकमे आया था। वे लोग उसे बहुत चाहते थे। इसीसे पजाब शात हुआ।

लॉरेंसने सबसे महत्त्वपूण काम १८५७ के विप्लवके समय किया। इस समय तक लॉरेंसका स्वास्थ्य टूट चुका था और उसको छुट्टी मजूर कर दी गई थी। फिर भी गदर शुरू हो जानेसे वह अपनी छुट्टीका लाभ न लेकर लखनऊ गया। कहा जाता है कि उसकी सूझबूझ और बहादुरीकी बदौलत सैनिक उसे बहुत मानते थे। इसीसे लखनऊमे अग्रेजोकी इज्जत बची। लखनऊके घेरेमे ९२७ यूरोपीय और ७६५ देशी सैनिक थे। लॉरेंस दिन रात काम करता था और घिरे हुए लोगोसे भी काम लेता था। जिस कोठरीमे वह बठकर काम करता था उसीपर गोले जाकर गिरते थे और वह उनकी परवाह नही करता था। १८५७ की जुलाईकी दूसरी तारीखको गोलेके एक टुकडेसे वह जरमी हो गया। डाक्टरोने उससे कहा कि घाव घातक है और उसका ४८ घटेसे अधिक जिन्दा रहना सभव नही है। इस समय उसको असहनीय कष्ट हो रहा था, फिर भी वह आदेश देता रहा और ४ तारीखको इस प्राथनाके साथ उसने अपने प्राण त्याग दिये "हे परमेश्वर, तू मेरा दिल साफ रख। तू ही महान है। तेरा यह जगत किसी दिन जरूर पाप रहित होगा। म स्वय बालक हूँ, परन्तु तेरे बलसे बलवान बन सकता हूँ। तू मुझे सदैव नम्रता, न्याय, सुविचार और शान्ति सिखाना। मै मनुष्योके विचार नही चाहता। तू मेरा यायाधीश है और तू मुझे अपने विचार सिखाना, क्योकि मै तुझसे डरता हूँ।" वह भारतीयोसे बहुत प्रेम करता था। विद्रोहके समय जो अत्याचार किये जाते थे वह उनकी बहुत नि दा करता था और वह मानता था कि प्रत्येक अग्रेज भारतका यासी है। यासीके रूपमे अग्रेजोका काम भारतको लूटना नही, बल्कि लोगोको समद्ध बनाना, स्वशासन सिखाना और देशको खुशहाल करके भारतीयोको सौप देना है। लॉरेंस जैसे व्यक्ति अग्रेज जातिमे पैदा हुए है, इसीसे वह आगे बढी हे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १४-१०-१९०५

१२२ पत्र छगनलाल गांधीको

जोहानिसबर्ग
अक्टूबर १८, १९०५

चि० छगनलाल,

मुझे श्री किचिनका तार मिला है। वे चाहते हैं कि मैं यहांसे ऐसे रवाना होऊँ जिससे कमसे कम रविवारको फीनिक्समें रह सकूं। उनका कहना है कि उन्होंने पत्र भी भेजा है जो शायद कल शाम तक मिलेगा। मैं पत्र देख लेनेपर आने-न-आनेका निर्णय करूँगा। अगर आया तो शुक्रवारके सवेरे रवाना होकर वहां[1] दोपहरको १ बजकर १६ मिनटपर पहुँचूंगा और १-२० पर फीनिक्सकी गाड़ी पकड़ूंगा। तुम स्टेशनपर आ जाना और मेरा टिकिट लेकर तैयार रहना। अपना टिकिट वापसी खरीद सकते हो। सोमवारको पहली गाड़ीसे मुझे फीनिक्ससे चल देना चाहिए। डर्बनके मुवक्किल कुड़कुड़ायेंगे, मगर क्या किया जाये! तुम्हें मुझसे जो कुछ पूछना हो सब कागजपर लिख रखना, ताकि करने या कहनेकी कोई बात छूट न जाये। डर्बनमें लोगोंको खबर कर सकते हो कि मुझे सम्भवत: इस तरह लौटना है और उन्हें यह भी कहना कि सोमवारको कुछ घंटे छोड़कर उन्हें ज्यादा वक्त देना मुमकिन नहीं है। मेरे लिए अधिक रुकना गैर-मुमकिन है। मुझे कुछ और कहना जरूरी नहीं है। श्री वेस्ट और दूसरे लोगोंको सूचना दे देना।

तुम्हारा शुभचिन्तक
मो० क० गांधी

श्री छगनलाल खुशालचन्द गांधी
मारफत **इंडियन ओपिनियन**
फीनिक्स

मूल अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० ४२५९) से।

१२३ परवानेका एक और मामला

श्री दादा उस्मान[2] १५ वर्ष या इससे भी अधिक समयसे नेटालमें रहते हैं। वे जमीनके भी मालिक हैं और गणतन्त्र राज्यके जमानेमें एक सामान्य व्यापारीकी हैसियतसे फ्राईहीडमें आकर बसे थे। युद्ध छिड़नेतक तो उन्हें फ्राईहीडमें बिना किसी रोक-टोकके व्यापार करने दिया गया, परन्तु अब, तीन वर्षसे अधिक समय तक ब्रिटिश सत्ताके साथ अकेले संघर्ष करनेके बाद वे अपने-आपको विनाशके समीप खड़ा पाते हैं। और खूबी यह है कि दादा उस्मान ब्रिटिश प्रजा हैं! यदि कोई विदेशी यह पूछे कि किसी ब्रिटिश प्रजाजनके विरुद्ध, अपराधी न होते हुए भी उसको नागरिक अधिकारोंसे वंचित करनेके उद्देश्यसे, ब्रिटिश शासन-तन्त्रका प्रयोग क्यों

१ डर्बन।
२ देखिये खण्ड ३, पृष्ठ १८।

किया जाता है तो इसका उत्तर होगा — ब्रिटिश सविधान ही ऐसा है। जहा यह रक्षा करनेमे बहुधा बलशाली सिद्ध होता है, वही प्राय प्रत्यक्ष अ यायसे बचा सकनेमे असमथ भी होता है। इस बातपर विश्वासतक होना कठिन है कि उस व्यक्तिको, जो बहुत समयतक बाजाब्ता व्यापार करता रहा, उसके आधे दजन प्रतिस्पर्धियोके कहने मात्रसे, अपना व्यापार जारी रखनेके अधिकारसे वचित कर दिया गया। ये प्रतिस्पर्धी इतने कायर है कि वे उसका खुली प्रतिस्पर्धामे मुकाबला नही कर सकते और इसलिए उसको बदनाम और बरबाद करनेके लिए अपने हाथोमे अस्थायी रूपसे आये हुए अधिकारोका प्रयोग करते है। वतमान मामलेमे ठीक यही हुआ है। नेटालके विक्रेता-परवाना अधिनियमका जिक्र इन स्तभोमे कई बार किया जा चुका है।[1] उसके अतगत छोटे-छोटे दूकानदारो और भारतीय व्यापारियोको, उन स्थानीय निकायोकी दया-पर छोड दिया गया है जिनके सदस्य बडे बडे व्यापारी है। और बडे व्यापारियोने इस प्रकार प्राप्त अधिकारोका प्रयोग निदयतापूवक करनेमे बिलकुल सकोच नही किया है। यह कानून बनाया ही गया था भारतीयोको कुचलनेके लिए। जब उनका काम तमाम हो जायेगा या वे रास्ता नाप लेगे तब इसका प्रयोग छोटे गोरे व्यापारियोके विरुद्ध किया जायेगा। वह सघष अत्यत विलक्षण होगा। बेचारे गरीब भारतीय तो वधानिक ढगसे लडते है। उस ढगकी लडाईको स्थानिक निकाय तीव्रतम अवहेलनाकी दष्टिसे देखते है, क्योकि उनके हाथोमे अकस्मात ही जो अधिकार आ गये है, उनके कारण वे मतवाले हो उठे है।

दादा उस्मानके मामलेमे फ्राईहीड निकायने जो कारवाई की है उसमे औचित्य रत्ती भर भी नही है। उस नगरमे वे एकमात्र भारतीय व्यापारी थे। उनका प्राथनापत्र नये परवानेके लिए नही था। उनकी दूकान असाधारण रूपसे सतोषजनक अवस्थामे रखी जाती थी। पर तु निकायके गोरे सदस्योने उनकी दूकान केवल इस कारण कोई मुआवजा दिये बिना ब द कर दी कि उनकी चमडीका रग भूरा था। इतना ही नही, उ होने उनके वकीलका यह प्राथना पत्र भी अस्वीकृत कर दिया कि उनकी दूकान तबतक खुली रहने दी जाये जबतक वे ऊपरके अधिकारियोसे राहत पानेका यत्न कर रहे ह। यह मामला निरा फ्राईहीड स्थानिक निकाय *बनाम* दादा उस्मानका नही है। यह मामला गोरी ब्रिटिश प्रजा और गोरे विदेशी *बनाम* ब्रिटिश भारतीय समाजका है। प्रत्येक भारतीय व्यापारीको यह मामला इसी दष्टिसे देखना चाहिए और श्री लिटिलटनको भी इसी दष्टिसे इसपर विचार करना चाहिए।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २१–१०–१९०५

१ देखिये 'विक्रेता–परवाना अधिनियम', खण्ड ४ पृष्ठ १४७–८ और २९९ ।

१२४ सिगरेटसे हानि

दक्षिण आस्ट्रेलियाकी सरकारके दखनेमे आया है कि सिगरेट पीनेसे लोगाके पैसे खच होते है और उनके शरीरोको बहुत क्षति पहुँचती है। सिगार पीनेसे जितना नुकसान होता हे उससे अधिक सिगरेट पीनेसे होता हे, क्याकि सिगरेट छोटी ओर सस्ती होनेके कारण हदमे ज्यादा पी जाती है। यह सोचकर दक्षिण आस्टेलियाकी सरकारने सिगरेट बनानेके कारखानोकी बदी और सिगरेट बेचनेकी मनाहीका कानून बनानेका निश्चय किया हे।

आजकल हम छोटे बडे सभी लोगोमे सिगरेट पीनेकी लत बहुत घर कर गई है। यह रिवाज अग्रेजोकी नकल हे। पिछले जमानेमे यद्यपि गॉवडी बीडी पीनेका रिवाज था, फिर भी लोग उसमे मर्यादा पालते थे। वे चाहे जहा बीडी पीनेमे शरमाते थे, इसलिए निश्चित समय एकातमे जाकर पीते थे। रास्तेमे अथवा चलते फिरते पीना बुरा माना जाता था ओर घरसे बाहर पीनेका रिवाज कम था। इसीसे कहा हे कि

खाये सो खून बिगाडे, पीये सो घरको,
सघेसो बसन बिगाडे, तमाखू बिस तनको।

अब ता अग्रेज लोग चाहे जहा सिगरेट पीनेमे कुछ विचार ही नही करते और हम लोग भी उनकी नकल करते है। दक्षिण आस्ट्रेलिया जैसे मुल्कमे सिगरेट पीनेकी हानिया समझमे आने लगी ह, तो हमे आशा है कि हम लोग भी इस सम्बधमे कुछ विचार करेगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २१–१०–१९०५

१२५ राजा सर टी० माधवराव

सर माधवराव १८२८ मे कुम्भकोणम शहरमे जन्मे थे। उनके पिता श्री आर० रगराव त्रावण-कोरके दीवान थे और उनके चाचा राय आर० व्यकटराव त्रावणकोरके दीवान तथा कमिश्नरके पदपर रह थे। सर माधवरावने अपनी बाल्यावस्था मद्रासमे बिताई और वही उन्होने शिक्षा प्राप्त की। उन्होने प्रेसिडेसी कालेजमे श्री पॉवेलके पास अध्ययन किया था। माधवराव परिश्रमी विद्यार्थी थे और गणित तथा विज्ञानमे बडे होशियार थे। उन्होने खगोल विद्या श्री पॉवेलके घरकी सीढियोपर बठकर सीखी थी और उसके लिए खुदबीन तथा दूरबीन यत्र बाससे स्वय अपने हाथसे बनाये थे।

श्री पॉवेलने ऐसे होशियार शिष्यको अपने पाससे जाने देना नही चाहा, इसलिए उन्हे अपने यहा गणित और भौतिक शास्त्रके शिक्षकके स्थानपर नियुक्त कर दिया। इसके बाद उनको एकाउटेन्ट जनरलके दफ्तरमे एक अच्छी जगह मिल गई और कुछ समय बाद उनसे त्रावणकोरके राजकुमारके शिक्षककी हैसियतसे काम करनेका प्रस्ताव किया गया जिसे उन्होने स्वीकार कर लिया। पहले पहल वे इस प्रकार एक देशी रियासतकी सेवामे प्रविष्ट हुए। उनके माग दशनमे राजकुमारोका विद्यार्थी जीवन बहुत ही सफल रहा, और शासन भी उन्होने बहुत अच्छा किया।

१ मद्रासमें।

शिक्षकके रूपमे वह चार वष रहे। बादमे दीवानके सहायकके रूपमे उत्तरदायित्वपूण स्थानपर पहुँचे और इसके बाद वे पेशकार दीवान बने। उस पदपर इन्होने अच्छी प्रतिष्ठा पाई, क्योकि उस समय राज्यकी हालत बहुत खराब थी। स्वर्गीय श्री जे० ब्रूस नाटनने उनके बारेमे कहा है कि "वे एक बडे विद्वान और राज काजके कुशल प्रशासक थे। उन्होने एक वषके थोडे से समयमे राज्यमे काफी शान्ति स्थापित कर दी थी। उनके राज्य-कालमे हरएकको निभय, पक्षपात रहित इनसाफ मिलता था और चोरी, गुडागिरी और जालसाजी बहुत ही कम हो गई थी।"

त्रावणकोरके दीवान बडे कमजोर मनके थे और राजा भी बहुत ही नादान था। राज्यका कारोबार कैसे चल रहा है, इसका उन्हे कुछ भी पता नही था। राज्यके अधिकारी बडे गन्दे मनके और नीति भ्रष्ट थे। वेतन भी उनको बहुत कम मिलता था और कभी कभी तो महीनोका वेतन चढ जाता था। अग्रेज सरकारने सहायताके रूपमे जो रकम दी थी वह अभी लौटाई नही गई थी, और कोषमे भी कुछ नही था। कर बहुत होनेसे व्यापार बडी खराब हालतमे था। इसलिए लोग बडे गरीब हो गये थे। इससे लाड डलहौजीका[1] ध्यान उस ओर गया। उन्होने राज्यका कारोबार अग्रेज सरकारके हाथमे लेनेका निणय किया और रियासतको मद्रास इलाकेमे जोड देनेके लिए वे स्वय ऊटकमड गये। इस समय महाराजाने माधवरावको दीवानकी जगह नियुक्त किया और राज्य व्यवस्था सुधारनेके लिए अग्रेज सरकारसे सात वषका समय मागा। इस प्रकार माधवरावने अपनी मेहनत और प्रामाणिकतासे तीस वषकी युवावस्थामे प्रतिष्ठित पद प्राप्त किया। उनके काय कालकी जानने योग्य बात राजस्व सम्बन्धी है। उनके दीवानका पद ग्रहण करते समय राज्यकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। फिर भी उन्होने आते ही पहलेसे चले आ रहे भूमिकर और अन्य ऐसे कर जो राज्यकी समद्धिके लिए हानिकर थे, रद कर दिये। माधवरावने इजारदारीकी प्रथाको हटा दिया। बाहर भेजे जानेवाले मालपर उन्होने १५ प्रतिशत कर लगाकर वार्षिक आयकी कमीको पूरा किया। ज्यो-ज्यो राज्यकी समद्धि बढती गई, त्यो त्यो वे उस करको घटाते गये और आखिर ५ प्रतिशतपर ले आये। इसके बाद उन्होने तम्बाकूका ठेका भी छोड दिया। पहले सरकार अपनी जिम्मेवारीपर ठेकेदारोसे तम्बाकू खरीद लेती थी और बादमे लोगोको बेचती थी। उन्होने इसके बजाय लोगोको बाहरसे तम्बाकू खरीदनेकी इजाजत दे दी। कर बहुत कम होनेसे बाहरसे आनेवाले मालको बहुत उत्तेजन मिलता था। इसके बाद इन्होने और भी बहुत से छोटे छोटे कर समाप्त कर दिये। क्योकि उनसे राज्यको आमदनी नगण्य होती थी, किन्तु व्यापारियोको नुकसान बहुत ज्यादा होता था। एक गावमे भूमि कर बहुत ज्यादा था। उसे उन्होने एकदम कम करवा दिया। १८६५ मे ब्रिटिश सरकार तथा कोचीन और त्रावणकोर राज्योके बीच व्यापारिक समझौता किया। इससे जो माल ब्रिटिश और कोचीन राज्योसे आता था उसपर चुगी प्राय समाप्त हो गई थी।

निपुणतापूवक राज्य सचालन करनेसे उनको ब्रिटिश सरकारने के० सी० एस० आई० का खिताब दिया। मद्रासकी विशाल सभामे यह खिताब देते हुए लाड नेपियरने उनकी बहुत प्रशसा की। सन १८७२ मे उन्होने अपने पदसे त्यागपत्र दे दिया। उन्होने राज्यमे अन्धेरगर्दीकी जगह सुशासन स्थापित किया और इस प्रकार प्रजाके जान और मालको सुरक्षित कर दिया। उन्होने बडी बडी इमारते खडी की और कारीगरोको प्रोत्साहन दिया। उन्होने लोकोपयोगी अन्य निर्माणकाय भी सम्पन्न कराये और कृषिको बढावा दिया। यदि माधवराव न होते तो त्रावण कोरका राज्य राजाके हाथमे न रहता। पेरीक्लीजने एथेन्सकी और आलिवर क्रामवेलने इगलडकी

१ मार्क्विस डलहौजी, (१८१२–६०) भारतके गवर्नर जनरल १८४८–५६।

जैसी सेवाकी, माधवरावने त्रावणकोरकी वसी ही सेवा की है। उन्हे वाइसरायकी परिषदकी सदस्यताके लिए कहा गया था, परन्तु उन्होने उसे स्वीकार नही किया।

कुछ समय बाद इन्दौरके महाराजा तुकोजी राव होलकरने अंग्रेज सरकारसे एक अच्छा प्रशासक देनेकी दरखास्त की। इसपर अंग्रेज सरकारने माधवरावसे पूछा और उन्होने दो वषके लिए वहा जाना स्वीकार किया। वहाका सबसे अधिक उल्लेखनीय काय यह था कि उन्होने "इन्दौर दण्ड विधान" की रचना की। उन्होने दो वष तक यह पद सँभाला। इस बीच उन्होने प्रजाके लिए बहुत अच्छे काम किये और राज्यको समृद्धिशाली बना दिया।

तभी बडौदाके मल्हारराव गायकवाडको राज्य व्यवस्थाकी खराबीके कारण पदच्युत किया गया और राज्यका काम काज चलानेके लिए सर माधवरावकी माग की गई। उन्होने उसे स्वीकार किया। बडौदाकी हालत बडी भयानक थी। खून खराबी, गडागिरी और मार काट जहा तहा दिखाई पडती थी। लोगोका सगठन नही था। जान-मालकी रक्षाका प्रबध नही था। इसलिए राज्यमे अमन कायम करनेके लिए एक मजबूत व्यक्तिकी आवश्यकता थी। राज्यके राजस्वका इजारा बडे-बडे सरदारोके हाथमे था। साहूकार पुलिसकी सहायतासे लोगोपर अत्याचार करते थे। फरेबियोकी राज्यमे भरमार थी। अन्धेरगर्दीका अन्त नही था। परन्तु सर टी० माधवरावने इस स्थितिसे भी हार नही मानी। उन्होने बडी दक्षतासे राज्यका काम सँभाला। उन्होने बदमाशोको राज्यसे निर्वासित कर दिया, सरदारो और साहूकारोसे इजारे छीन लिये और राज्यके राजस्वको अच्छी बुनियादपर लाकर रख दिया। लगान वसूलीमे लगे हुए सिपाहियोको हटाकर दीवानी काममे लगाया। न्यायालयोमे न्यायकी व्यवस्था की। वाचनालय स्थापित किये। बम्बई और मद्राससे योग्य व्यक्तियोको बुलाकर कमचारी वगमे सुधार किया। बडौदामे छोटी छोटी तग गलिया थी, उनको जलाकर गिरवा दिया, और उनकी जगह सुन्दर मकान बनवाये, बगीचे लगवाये और अजायबघर बनवाया। इस प्रकार अथक परिश्रम करते हुए वर्षो तक वे एकके बाद एक सुधार करते रहे। १८८२ मे ब्रिटिश सरकारने उन्हे राजाका खिताब दिया। महाराजा गायकवाडने उन्हे अपनी सेवाओके लिए तीन लाख रुपय पुरस्कार-स्वरूप भेट किये। इसके बाद उन्होने एक साधारण नागरिककी हेसियतसे जीवन बिताया। इस अवधिमे भी वे लोगोके लिए उपयोगी काम करते रहते थे। उनका शिक्षा विभागकी ओर काफी ध्यान रहता था ओर वे लडकियाकी शिक्षापर विशेष ध्यान देनेके हेतु बहुत समझाया करते थे। उनका पत्र-व्यवहार बिस्माकके[1] साथ चलता था। उनकी प्रशासनिक योग्यताकी ख्याति भारतमे ही नही, यूरोपमे भी फैली हुई थी। उनके समान प्रशासक भारतमे बिरले ही हुए है। १८९१ के अप्रैल मासकी ४ तारीखको भारतका यह रत्न ६२ वषकी आयुमे लुप्त हो गया।

[गुजरातीसे]

इण्डियन ओपिनियन, २१–१०–१९०५

१ प्रिन्स ओटो एडवर्ड लियोपोल्ड वॉन बिस्मार्क (१८१५–९८), अपने समयका एक सबसे बड़ा जमन [illegible] जिसने जर्मन राष्ट्रका निर्माण ही नहीं किया, उसे दुनियाकी सबसे बड़ी ताकत भी बना दिया।

१२६ मानपत्र प्रोफेसर परमानदको

जोहानिसबग
अक्टूबर २७, १९०५[1]

सेवामे
प्रोफेसर परमानन्द, एम० ए० इत्यादि
जोहानिसबग

प्रिय महोदय,

हम लोग, जिनके हस्ताक्षर नीचे दिये हुए है, स्वागत समितिकी ओरसे आपके जोहानिस-बग पधारनेके अवसरपर आपका हार्दिक स्वागत करते है।

महोदय, आप उन स्वाथत्यागी कायकर्ताओमे से है जिन्हे भारतने आयसमाजसे पाया है। अपने साथियो और सहयोगियोकी भाति आपने भी धम और शिक्षाके निमित्त अपना जीवन अर्पित कर दिया है। अतएव आपके प्रति आदर प्रदर्शित करनेमे हम लोग गौरव अनुभव करते है।

हम आशा करते ह कि दक्षिण आफ्रिकामे आपके कुछ समयके लिए पधारनेके फलस्वरूप आयसमाज दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोके बीच काम करनेके लिए कुछ त्यागी शिक्षा शास्त्रियोको भेजनेका निणय करेगा। दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोकी एक सबसे बडी आवश्यकता ठीक ढगकी शिक्षा है।

हमे आशा है कि आप जितने दिन यहाँ है उतने दिन आनन्दसे रहेगे और लौटते समय अपने साथ यहाकी कुछ सुखद स्मतिया ले जायेगे।

आपके विश्वस्त,

एम० एस० पिल्ले	वी० एम० मुदलियार, अध्यक्ष
मूलजी पटेल	एन० वी० पिल्ले
जी० ए० देसाई	एन० ए० नायडू
बी० दयालजी	एस० ए० मुदलियार
सी० पी० लच्छीराम	एस० पी० पाथेर
वी० जी० महाराज	एम० ए० पदियाची
सी० केवलराम	त्रीकमदास ब्रदस

मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ४–११–१९०५

१ ४-११-१९०५ के **इडियन ओपिनियनसे** मालूम होता है कि यह मानपत्र २८ अक्तूबरको एक सार्वजनिक सभामें दिया गया था। उस अवसरपर प्रोफेसर परमानन्दने अपना प्रथम भाषण दिया था। गाधीजी उस सभामें थे और उन्होने अध्यक्षके भाषणका अनुवाद किया था।

१२७ जोहानिसबर्गमें प्लेगका इतिहास

गत वष जोहानिसबगमे जा गिल्टीवाला प्लेग फैल। था, उसकी चिर-वाग्दत्त रिपोट जब प्रकाशित हो गई ह। यह एक सौ तीन पृष्ठोकी एक मोटी जिल्द हे। इसमे अनेक नक्शो द्वारा इस महामारीका प्रत्यक्ष चित्र खीच दिया गया हे। इसके लेखक डा० पेक्स हैं। उन्होंने इसे तैयार करोमे भारी श्रम किया हे, और जनताके सामने एक जति विद्वत्तापूण विवेचन उपस्थित कर दिया हे। अवश्य ही रिपोटका वह भाग सर्वाधिक राचक होना चाहिए, जिसमे प्लेगकी उत्पत्ति बताई गई है। डा० पेक्सके तक ठीक हाते ता उनके निकाले हुग निष्कष उचित हाते। परतु हमे सदेह हे कि उनके बहुतसे महत्त्वपूण तक बिलकुल गलत ह।

शायद यह अत्यत दुभाग्यकी बात हे कि रिपोट तयार करनेपर इतना मूल्यवान समय और धन व्यय करनेसे पहले, प्लेगकी शुरुआतके बारेमे मुनासिब अदालती जाच नही कराई गई। डॉ० पेक्सने इसका जो आश्चयजनक कारण बताया है वह वियना-आयोगके निष्कर्षाके विरुद्ध तो हे ही, नेटालमे पहले-पहल प्लेग फलनेपर नेटाल सरकार द्वारा नियुक्त आयोगकी रिपोट और स्वर्गीय श्री एस्कम्बको प्राप्त भारत-सरकारके तारके भी विरुद्ध हे। डा० पेक्सका दावा हे कि "पहले पहल बीमारी बम्बइसे आयातित उस चावलसे शुरू हुई जिसमे प्लेगकी छूत थी।" हमने अभी जिन अधिकारियाका हवाला दिया हे वे सब इस निष्कपपर पहुँचे थे कि चावलसे प्लेगकी छूत नही फलती। डॉ० पेक्सने जिन आधारोपर अपने निष्कष निकाले ह उनमे से कुछ ये ह पहले-पहल यह बीमारी दूकानदारोको हुई, भारतीय दूकानदार दिसम्बर १९०३ मे बम्बइसे चावलका आयात करते थे और उन्होंने निश्चित रूपसे कहा कि "उस चावलमे चूहाकी लेडिया थी", और बम्बईसे उस चावलका नियात रोकनेकी कोई विशेष सावधानी नही बरती गई जिसमे शायद छूत थी।

अब डा० पक्सके सिद्धातके लिए दुभाग्यकी बात यह हे कि उनके ये सब तक निराधार हैं। पहली भल रिपोट तैयार करनेमे उन्होने यह की है कि वे रोग फलनेकी केवल सरकारी तारीखको मानकर चले है, और उन्होने उससे पहलेके सारे ज्ञात इतिहासकी उपेक्षा कर दी है। तब यह कहा गया था, वस्तुत असदिग्ध रूपसे सिद्ध कर दिया गया था, कि जोहानिसबगमे प्लेग १८ माचसे भी पहले वतमान था। जिस पत्र-व्यवहारकी[1] ओर प्लेग अधिकारियाका ध्यान, उनके पदकी हैसियतसे खीचा जा चुका था उस सबको डॉ० पेक्सने अपनी रिपोटमे उपेक्षित कर दना ठीक समझा है। उन्होने स्वर्गीय डा० मरेसके मामलेकी भी उपेक्षा कर दी है, जिससे कि असन्दिग्ध रूपसे यह प्रगट हो जाता है कि यह रोग, प्लेगके कारण स्वय उनका देहान्त होनेसे, बहुत पहले वतमान था। इसलिए यह सिद्धात कि प्लेगका आरम्भ दूकानदारोसे हुआ, झूठा सिद्ध हो जाता है। इतना ही नही, जिन दो व्यक्तियोके नाम डा० पेक्सने दिये हैं और कहा हे कि वे दूकानदार थे, वे वस्तुत दूकानदार थे ही नही, जैसा कि हमे सयोगसे मालूम हुआ है। यदि रोग १८ माचसे शुरू माना जाये तो इस रोगके पहले शिकार वे मजदूर हुए थे, जो खानोसे आये थे।

हम जानना चाहेगे कि यह सूचना उन्हे कहासे मिली कि चावलका आयात बम्बईसे किया जा रहा था। साधारणतया चावल बम्बईसे नही, कलकत्तेसे आयात किया जाता हे, और जब

१ देखिए, पत्र डॉ० पोर्टरको", खण्ड ४, पृष्ठ १३८–९, १४३ तथा १५८ ।

यह बम्बईसे आता है तब भी इसकी बोरी बन्दी कलकत्तेमे ही की जाती है। भारत सरकारपर यह एक गम्भीर आरोप है कि बम्बइमे उस चावलका निर्यात रोकनेके लिए कोई विशेष सावधानी नही बरती गई, जिसमे शायद छूत थी। जिन्हे भारतमे यात्रा करनेकी कुछ भी जानकारी है वे जानते है कि बम्बईमे कितनी कडी सावधानी बरती जाती है। इसलिए डा० पेक्सने जो निष्कर्ष निकाले है उनपर पहुँचानेवाले सभी महत्त्वपूर्ण तर्क, हमारी सम्मतिमे, सत्य सिद्ध नही किये जा सकते। फिर, चावलका आयात तो भारतीय पहले भी किया करते थे, उसके बावजूद जोहानिसबर्ग प्लेगसे कैसे बचा रहा? क्योकि यह नही कहा जा सकता कि जोहानिसबर्गमे चावलका आयात पहले पहल १९०४ मे हुआ था। यह शायद कभी भी ज्ञात नही होगा कि इस महामारीके फैलनेका वास्तविक कारण क्या था, और जबतक यह ज्ञात नही होगा तबतक इसे फैलनेसे रोकनेके उपाय भी असफल होते रहेगे। हम यह नही कहते कि जोहानिसबर्गमे प्लेग फिर फैल जायेगा। जोहानिसबर्ग इतनी ऊँचाईपर बसा है कि वहा, अत्यन्त गम्भीर परिस्थितिया उत्पन्न हुए बिना, प्लेगका फैलना अति कठिन है। डा० पेक्स साधारणतया निष्पक्ष है, परन्तु भारतीयोने अधिकारियोको सन्दिग्ध मामलोकी सारी सूचना और बस्तीका प्रबन्ध नगरपालिकाके हाथमे आनेके बाद उसकी अवस्थाके विषयमे उन्हे चेतावनी देकर रोगको फैलनेसे रोकनेका जो भगीरथ प्रयत्न किया था उसकी सर्वथा उपेक्षा करके, डा० पेक्सने भारतीयोके साथ न्याय नही किया। हमे लगता है कि उन्होने भारतीय बस्तीकी उस समयकी स्थितिके विषयमे अस्वच्छ क्षेत्र-आयोगके सामने दी हुई डा० पोर्टरकी गवाहीके अश उद्धृत करके, असली बातको टाल दिया है। रोगको नष्ट करनेके लिए जो उपाय किये गये थे उन सबका वर्णन इस रिपोर्टमे ठीक ठीक किया गया है, और उनसे योग्य डॉक्टर तथा उनके सहायकोको बहुत अधिक श्रेय मिलता है। बस्ती और जोहानिसबर्ग मार्केटको जिस प्रकार सँभाला गया था वह भारी प्रशसाके योग्य है, और निसदेह डा० पेक्स तथा उनके योग्य सहायक डा० मैकेंजी द्वारा की गई सरगर्म कारवाइयोकी बदौलत ही रोग इतने शीघ्र उन्मूलित हो गया।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-१०-१९०५

१२८ भूल-सुधार

'पाचेफस्ट्रूम बजट'ने लॉर्ड सेल्बोनके उस भाषणपर दी गई हमारी टिप्पणीपर अपना विचार प्रकट किया है जिसमे उन्होने अपने पदकी हैसियतसे वचन दिया था कि ट्रान्सवालमे जबतक प्रातिनिधिक शासन कायम नही हो जाता तबतक, जो युद्धसे पहले यहा मौजूद थे उनके सिवा अन्य भारतीयोको यहा प्रविष्ट नही होने दिया जायेगा। हमारा सहयोगी लिखता है

> **यह 'शिकायतो' का एक नया चरण है, और स्पष्ट है कि एक ऐसी नीतिका सूत्रपात है जिसके कारण, यहा पहलेसे बसे हुए भारतीयोके साथ गोरी आबादीका नरम वर्ग जो सहानुभूति प्रकट करता आ रहा है वह नष्ट हो जायेगी। यदि वे समझदार है, तो स्वय अपने लाभके लिए, हमे यह माननेके लिए विवश करनेसे बाज रहेगे कि उनका अन्तिम लक्ष्य ट्रान्सवालमें हजारो भारतीय प्रजाजनोको भर देना है। 'इंडियन ओपिनियन' बकवास करता है कि एक-एक भारतीयको इस उपनिवेशसे निकाल बाहर करनेका प्रयत्न किया**

जा रहा है। जहाँतक पाचेफस्ट्रूमकी नीतिका सम्बध है, यह बात सवथा मिथ्या है, क्योकि यह भली भाति सिद्ध किया जा चुका है कि पुराने जमे हुए व्यवसायके कारण जिन भारतीयोके यहा निहित अधिकार ह, इस जिलेके लोगोकी इच्छा उनका अधिकसे अधिक लिहाज करनेकी है। परतु जब हमको भारतीयोके ऐसे नये प्रवासको सहन करनेके लिए कहा जायेगा, जिससे कि एक असदिग्ध बुराई और भी मजबूत होगी, तब हमे डर है कि रियायतकी भावना समाप्त हो जायेगी।

हमारी समझमे यह बात नही आती कि केवल कुछ जरूरी मुनीमोको यहा बुलानेसे 'ट्रान्सवालमे हजारो भारतीय प्रजाजन कसे भर जायेगे"? किन्तु शायद 'बजट'से यह आशा भी नही की जा सकती कि वह एशियाई समस्याको थोडी साधारण समझदारीकी नजरसे देखेगा। हमारी टिप्पणीकी न्याय्यता, निश्चय ही, स्वय प्रकट है। नये भारतीयोका आगमन सवथा बन्द करनेका मतलब यह होगा कि अतमे अधिकतर भारतीय उपनिवेशसे निकाल दिये जाये, और यह स्थिति ट्रान्सवालकी आबादीके एक हिस्सेको कितनी ही अभीष्ट क्यो न हो, वह हमसे इस मामलेको उसी दष्टिसे देखनेकी आशा भला कैसे कर सकता है! हम दावेके साथ कहते ह कि हमारी टिप्पणीमे ऐसी कोई बात नही हे जिससे उपयुक्त निष्कषको उचित माना जा सके। हमने कभी इस विचारका समथन नही किया कि ट्रासवालको भारतीयोसे भर देना चाहिए। हा, अपनी इस बातपर हम अवश्य कायम ह कि यदि मामूली न्याय भी करना हो तो ट्रान्सवालमे पहलेसे बसे भारतीयोको, अपनी मुनीमो और ऐसे ही अन्य सहायकोकी आवश्यकता, भारतसे पूरी करनेकी इजाजत होनी चाहिए — फिर चाहे वे ट्रान्सवालके पुराने निवासी हो, चाहे न हो। इन आदमियोकी सख्या प्रतिवष बहुत थोडी ही होगी। शायद हमारे सहयोगीको ज्ञात न हो कि यह सहूलियत केप ओर नेटालके स्वशासित उपनिवेशो तक मे दी जाती है, यद्यपि वहा भी प्रतिबन्धक कानून मोजूद ह। हमे यह कहनेमे सकोच नही कि कुशल सहायकोकी आवश्यकता पूरी करनेके लिए भी भारतपर निभर रहनेका अधिकार भारतीय व्यापारियोको न देनेका निश्चय ही यह अभिप्राय है कि यहा पहलेसे बसी भारतीय आबादीको धीरे धीरे भूखा मारा जाये। हमने जो स्थिति यहा प्रकट की हे वह किसी भी प्रकार नई नही है। हम 'बजट का ध्यान लाड मिलनरके खरीतेकी ओर दिलाते हैं। उसमे उन्होने स्पष्ट शब्दोमे कहा है कि शिक्षित, साधन सम्पन्न और योग्य भारतीयोको — वे चाहे नये प्रवासी हो, चाहे नही — ट्रान्सवालमे आनेसे रोका नही जाना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–१०–१९०५

१२९ नेल्सन-शताब्दी महोत्सव एक सबक[1]

पिछले हफ्ते जो नाम साम्राज्यके एक छोरसे दूसरे छोर तक गूज उठा था, वह था — होरेशियो नेल्सन। इस महीनेकी २१ तारीखको हुए समारोहोसे बहुत ही गम्भीर विचार उत्पन्न होते है। भारतीयोको तो उनसे स्पष्ट ज्ञात हो जाना चाहिए कि ब्रिटेनकी सफलताका रहस्य क्या है। मक्समूलर अपने लेखोमे इस नतीजेपर पहुँचे है कि भारतीय दशनमे जीवनका अथ एक छोटेसे शब्द — स्वधम (कत्तव्य) — से सूत्ररूपमे व्यक्त किया गया है। परन्तु, कदाचित्, आजके औसत दर्जेके भारतीयके आचरणमे जीवनका यह अथ नही झलकता। ऐसी स्थितिमे लॉड नेल्सनके जीवनके अनुशीलनसे आद्योपात स्वधम पालनका अत्यन्त हृदयग्राही उदाहरण उपस्थित होता है।

"इग्लैड अपेक्षा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कतव्यका पालन करेगा" — यह ऐतिहासिक मत्र ब्रिटिश हृदयोमे सुप्रतिष्ठित हो गया हे। यह मत्र अपने उदघोषकके अविचल कतत्वसे पवित्र हो गया था, और अब एक सदी तक कायरूपमे परिणत होते रहनेसे समादरणीय बन गया है। इग्लैडकी सफलताका माप इसी बातका माप तो है कि अग्रेजोने अपने जीवनमे इस मन्त्रको कहातक ग्रहण किया है। यदि उस साम्राज्यमे कभी सूय अस्त नही होता, जिसका एक सस्थापक स्वय नेल्सन था तो इसका कारण यह है कि उसके सपूतोने अबतक कतव्य पथका अनुसरण किया है।

आज साम्राज्यमे नेल्सनकी जितनी पूजा होती है, उतनी और किसीकी नही — इसलिए नही कि वह एक बहादुर नौसैनिक था, इसलिए भी नही कि उसने कभी यह नही जाना कि भय क्या चीज है, बल्कि इसलिए कि वह कतव्य निष्ठाकी सजीव प्रतिमा था। उसकी दष्टिमे उसका देश पहले था, ओर अपना अस्तित्व पीछे। वह लडा, क्योकि लडना उसका कतव्य था। फिर क्या आश्चय कि उसके अनुगामियोने, वह जहा कही भी गया, उसका अनुसरण किया। इग्लडको समुद्रका स्वामी उसीने बनाया था। परतु, उसकी महानता इससे भी अधिक थी। उसकी सेवामे स्वाथका लेश भी न था। उसकी देशभक्तिका स्वरूप शुद्धतम था।

दक्षिण आफ्रिका जैसे महादेशमे हम नेल्सनके बताये सही रास्तेसे बराबर भटकते रहते है। अत, अच्छा हो, अगर हम उसके जैसे महत चरितका स्मरण करे। उससे हमारे पूवग्रह कम होने चाहिए और हमे अपने अधिकारोकी अपेक्षा दायित्वोका खयाल अधिक करनेकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। विशेषत यदि दक्षिण आफ्रिकाके कुछ कुछ अरुचिकर जीवनसे भारतीयोके मनमे अपने साथ कठोर बरताव करनेवाले अग्रेजोके प्रति कटुता पैदा हो गई है तो उनको गत सप्ताहकी घटनाओसे यह भरोसा होना चाहिए कि अग्रेज फिर भी नेल्सनके देशवासी है, और जबतक अपनी स्मतिमे नेल्सनको सहेजे है, तबतक वे कतव्य पथका सवथा त्याग नही कर सकते। इसमे हमारे लिए आशाका एक हेतु, और अग्रेजोके दोषोके बावजूद, ब्रिटेनको प्यार करनेकी प्रेरणा निहित है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २८-१०-१९०५

१ यह 'एक भारतीय द्वारा प्रेषित' संवादक रूपमें छपा था।

१३० विक्रेता-परवाना अधिनियम

श्री दादा उस्मानपर अत्याचारोकी जो वर्षा हुई है उसकी कहानी हम गत सप्ताह लिख चुके है।[1] ऐसी अन्धाधुन्ध वर्षासे किस तरह बचा जाये इसका विचार समय समयपर करना आवश्यक है। गोरोने डटकर कमर कस ली है। आज फ्राईहीडमे अत्याचार किया गया वसा कल दूसरी जगह किया जाये तो उसमे आश्चयकी बात न होगी। कोई भारतीय व्यापारी क्षणभरके लिए भी अपने मनमे यह घमण्ड नही कर सकता कि उसका परवाना तो साल दर साल मिलता ही रहेगा। हम अन्यत्र बता चुके है कि डा० कैम्बेल जैसे जान पहचानवाले व प्रभावशाली गोरे हमारे पीछे डडा लेकर पडे है। ऐसे समय यदि हम सोते रहेगे तो हम बाढमे बह जायेगे। बहुत विलम्ब करके जागेगे तो वह आग लगनेके बाद कुआ खोदनेके समान होगा। छोटे या बडे किसी भी भारतीय व्यापारीको परवानेके सिलसिलेमे परेशानी उठानी पडे तो यह बात उसे तुरन्त प्रकट कर देनी चाहिए। काग्रेसका कत्तव्य है कि एक विशेष परवाना समिति नियुक्त करके जहा जहा परवाना छीना जाये वहा वहा छानबीन करे। आवश्यक हो तो गाव गावमे जाकर उसे ऐसे उदाहरण इकट्ठा करना चाहिए। हम मानते है कि यह अखबार गाव-गाव पहुँचता और पढा जाता होगा। जिन जिनको परवाना न मिला हो उनके बारेमे हमारे पास निम्नलिखित तफसीले भेजी जाये तभी हम यह काम सन्तोषजनक रूपसे पूरा कर सकेगे

(१) जिस व्यक्तिको परवाना न मिला हो उसका नाम।

(२) किस जगह परवानेकी माग की ?

(३) पहले व्यापार किया था या नही ?

(४) पहले व्यापार किया हो तो कहा किया ?

(५) दूकान किरायेकी है या अपनी है ? किराया क्या देते है ?

(६) दूकान इटकी बनी है या टीनकी ? सम्भव हो तो साथ पेसिलका बना नक्शा नत्थी किया जाये।

(७) यदि पूजी बताई गई हो तो वह कितनी थी ?

(८) बहीखाता रखनेका क्या इन्तजाम है ?

(९) अगल-बगलमे गोरोकी दूकाने है या नही ? नजदीकसे नजदीक सबसे पहली गोरेकी दूकान कितनी दूर है ?

(१०) उस शहरमे भारतीय व्यापारियोकी सख्या कितनी है ?

(११) परवाना-अधिकारी परवाना न देनेका कारण क्या बताता है ?

(१२) आपने परवाना अधिकारीके निणयके विरुद्ध स्थानीय निकायमे अपील की थी या नही ?

(१३) इस सम्बन्धमे आपके पास जो कुछ कागजात अथात अर्जी, जवाब आदि हो तो उन्हे या उनकी प्रतिलिपिया साथ भेजे।

(१४) यदि आपके पास किसी प्रतिष्ठित गोरेका प्रमाणपत्र हो तो वह भी भेजे।

१ देखिए "परवानेका एक और मामला", पृष्ठ १०८–९।

[illegible] नेता डॉ० एम० जी० केम्बेल।

(१५) इन सब कागजोको एक लिफाफेमे बन्द करके उसपर "गुजराती सम्पादक, 'इडियन ओपिनियन', फीनिक्स" का पता लिखे और ऊपरके कोनेमे गुजराती अक्षरोमे "परवाने बाबत" लिखकर तुरत भेजे।

इस प्रकार जाने-पहचाने व्यक्ति प्रत्येक स्थानसे सावधानीपूर्वक समाचार भेजेगे तो हमारी धारणा है कि बहुत लाभ होगा। यह काम बहुत सरल है और बिना परिश्रम तथा बिना पैसे हो सकता है। हम इस जानकारीका उपयोग अग्रेजी लेखो और सरकारके साथ पत्र-व्यवहारमे करना चाहते है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८-१०-१९०५

१३१ बहादुर बगाली

जान पडता है कि इस समय बगाल सचमुच जाग उठा है। हर सप्ताह समाचार आते है कि ज्यो ज्यो सरकार बगालके विभाजनके लिए तत्पर हो रही है त्यो त्यो बगाली उसके प्रतिरोधके लिए कमर कस रहे है। उधर सरकारने धूमधामके साथ ढाकामे नया गवर्नर बैठानेकी विधि सम्पन्न की, उसी दिन[१] कलकत्तेमे बगालियोने हडताल की और विराट सभा करके, जिसमे १,००,००० लोग इकट्ठे हुए थे, अपनी एकताके सूचक एक सघ भवनका शिलान्यास किया। स्वदेशी वस्तुएँ ही खरीदने और उन्हीको व्यवहारमे लानेका आन्दोलन जोर पकडता जा रहा है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८-१०-१९०५

१३२ हमारा कर्त्तव्य

हमे मालूम हुआ है कि कुछ भारतीय हमारे प्लेग सम्बन्धी लेखसे नाराज हुए है। इसका हमे खेद है लेकिन इससे आश्चर्य नही होता। सामान्यत लोगोका ध्यान इस ओर दिलानेपर तो हमारी प्रशसा की जानी चाहिए। ऐसा न करके हमारा दोष बताया जाता है, इसकी वजह यह है कि लोग दोष बतानेमे बिलकुल झिझकते नही। भारतमे बहुत से गाव प्लेगसे बरबाद हो गये है, बहुत-से कुटुम्ब बिलकुल मिट गये है और लोगोमे भगदड मची हुई है। भारतके बाहर जहा जहा प्लेग पहुँचा है वहा उसका सबब अकसर हम लोग ही होते है। और उन इलाकोमे से प्लेग जल्दी दूर होनेका सबब यह देखनेमे आता है कि उसे दूर करनेका इन्तजाम दूसरे लोगोके हाथोमे होता है। ऐसे मौकोपर पत्रकारोका यानी हमारा फर्ज क्या है? हम लोगोको खुश रखनेकी खातिर उनके दोषोको छिपाकर वाहवाही लूट सकते है, लेकिन ऐसा करके हम अपने कर्त्तव्यसे च्युत होगे। हमारा काम लोगोकी सेवा करना है। उनके अधिकारोकी रक्षा करते हुए जो भी दोष दिखाई दे वे हमे बताने ही चाहिए। अगर हम ऐसा न करे और झूठी चापलूसी करते रहे तो हमारा यह कार्य शत्रुके समान होगा। हम शुरूमे ही कह चुके है कि हमारे शत्रु जब हमारे बारेमे कोई गलत बात कहेगे तब हम पूरी हिम्मतसे बचाव करेगे। उसी तरह जब हम अपने लोगोमे ही दोष देखेगे तब उसको भी साफ साफ बतायेगे और उसको दूर करनेकी बेखटके

१ अक्तूबर १६ १९०५ को।

हिमायत और विनती करेंगे। अगर यह काम हम न करेंगे तो कौन करेगा? हमारा इरादा लोगोंको खुश करनेके मतलबसे कुछ करनेका न तो था और न है। कड़ुआ घूंट पिलाना हमारा फर्ज है। हम लोगोंमें प्लेग फैलता है और उससे जानें जाती हैं, यह तो साफ नजर आता है। लेकिन इससे सारी कौमको आघात पहुँचता है। जब डर्बन, केप टाउन और जोहानिसबर्गमें प्लेग हुआ था तब भारतीयोंपर जो आघात पहुँचा था,[1] वह भुलाया नहीं जा सकता। प्लेगको खत्म करनेका आसानसे आसान उपाय यह है कि किसीको प्लेगकी बीमारी हो तो उसे तुरन्त जाहिर कर दिया जाये। बम्बईमें सन १८९६ में जब पहली बार प्लेग फैला तब जनता और डाक्टरोंने उसे दबाया नहीं। उस मौकेपर जरूरी कार्रवाई की जाती तो मुमकिन था कि जो लाखों आदमी मरे वे बच जाते। अब भी अगर लोगोंको इस सम्बन्धमें समझाया जा सके तो प्लेग जड़से खत्म हो सकता है। भारतमें ऐसा नहीं किया जा सका, इसके कई कारण हैं। वहाँ जनता कंगाल और नासमझ है। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। जो लोग पांच हजार मीलका सफर करते हैं और दुश्मनोंके बीच रहकर अपनी रोटी कमा सकते हैं उनको नासमझ कहा ही नहीं जा सकता। अगर इस देशमें रहकर हम संक्रामक रोगोंमें तीमारदारी करना नहीं जानते तो इसका कारण केवल हमारा हठ है। इसलिए जो लोग अनपढ़ मनुष्योंका मार्गदर्शन करनेकी स्थितिमें हों, हमारी समझमें उनका इस सम्बन्धमें विशेष कर्त्तव्य यह है कि वे अनपढ़ लोगोंकी आँखें खोलें और उन्हें सही मार्ग दिखायें। यह कहनेमें हमें जरा भी डर नहीं है। अगर हम डरकर झूठी चापलूसी करें तो आजतक हमने जो कुछ लिखा है उसपर पानी फिर जायेगा। हम लोगोंको बार बार अपनी टेक बनाये रखने, सभ्यताको कायम रखने और हिम्मतसे अपना फर्ज अदा करनेके लिए कहते हैं। हर हफ्ते सर हेनरी लारेंस, एलिजाबेथ फ्राइ वगैरह बहादुर स्त्री-पुरुषोंके जीवन-वृत्तान्त देते हैं और ऐसे वीरोंके समान बननेकी सिफारिश करते हैं। अन्तमें सभी पाठकोंसे हमारी यह विनती है कि वे हमारे लेखोंका सही सही अर्थ लगायें। हम लोक सेवा करनेमें कभी भूल भी कर सकते हैं, लेकिन वह जान बूझकर न होगी। जिनकी निगाहमें हमारी ऐसी भूलें आयें वे हमको बता दें और हम इस तरह भूलें बतानेवालोंका अहसान मानेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-१०-१९०५

१३३ आस्ट्रेलिया और जापान

जान पड़ता है, आस्ट्रेलियाकी सरकारने जापानकी शक्तिको समझ लिया है। आस्ट्रेलियामें प्रवासके हेतु जानेवाले जापानी विद्यार्थी और व्यापारियोंको बिना रोक टोक आने देनेका निर्णय जाहिर किया गया है और यह भी बताया है कि जापानकी भावनाको ठेस न पहुँचे, इस तरहका सुधार वह अपने प्रवास कानूनमें कर देगी। इसका लाभ भारतीयोंको भी मिलना सम्भव है। जापानकी जीतकी जड़ें इतनी फैली हुई हैं कि हम इस समय उसके समूचे फलोंको देख नहीं सकते। पूर्वी जनताकी खुमारी टूटती मालूम हो रही है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-१०-१९०५

१३४ एक जागरूक भारतीय

इग्लैडके प्रसिद्ध अखबार डेली मेल'मे एक भारतीयकी भारतमे दिखाई गई ऊँचे दर्जेकी वफादारीका उदाहरण दिया गया है। खान बहादुर मुहीउद्दीन नामके एक सर्वेक्षक थे। उन्हे १९०३ मे राजपूतानेके एक बहुत ही वीरान क्षेत्रमे पैमाइशका काम दिया गया। साथमे चार पथदशक, और चार सहायक सर्वेक्षक और दो ऊँट थे। वे रात रातमे सफर करते थे। एक रातको उनकी मशकमे छेद हो जानेसे सारा पानी बह गया। पथ दशकोने लौटनेकी सलाह दी लेकिन बहादुर मुहीउद्दीन पीछे लौटनेवाले नही थे। उन्होने एक पथदशक पानीकी खोजमे भेजा। पानी आया, लेकिन वह बेहद खारा था। आगे बढनेपर थोडा और पानी मिला, लेकिन वह जल्दी ही खत्म हो गया। खान बहादुर बहुत सोचमे पड गये। आखिर ऊँटवाले ऊँटोपर बाध दिये गये और ऊँटोको उनके इच्छानुसार चलनेके लिए छोड दिया गया। इस बीच प्यासकी खुश्कीके मारे उन्हे बेहोशी आ गई। अन्तमे उन्हे पानीकी जगह मिली, और वे होशमे आये। किन्तु इस प्रयत्नमे मुहीउद्दीन और उनके साथी बिछड गये थे और अन्तमे अपना फज अदा करते हुए मुहीउद्दीनको अपने प्राणोका त्याग करना पडा। उनके साथियोपर उनके इस उत्साहका बहुत गहरा प्रभाव पडा और सबने बडी बहादुरीसे काम किया। ऐसी मिसाले बिरली ही मिलती है। खान बहादुरकी लाश बडे सम्मानके साथ दफनाई गई और जो आदमी जीवित बचे थे उनको सरकारने अच्छा इनाम दिया।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८-१०-१९०५

१३५ इग्लैड कैसे जीता

"दादी, डर क्या चीज है? मैने देखा नही है।" अपनी दादीसे यह सवाल करनेवाले बालकने ही इग्लडको पथ्वीमे जबरदस्त बनाया है।

हमारे मनमे बहुत बार आता होगा कि अग्रेज हमपर क्यो राज करते है? इनको हम कई बार तिरस्कारकी दृष्टिसे देखते होगे। हमारे मनोमे आकाक्षा जगती है कि भारत स्वतन्त्र हो जाये तो कसा अच्छा हो।

ऐसे प्रश्नोका और ऐसी आकाक्षाओका उत्तर हमे पिछले सप्ताह मिला है।

होरेशियो नेल्सन १८०५ के अक्टबर मासकी २१ तारीखको मरा था। उसकी मत्यु शताब्दी, जहा भी अग्रेजी झडा फहराता है, वहा सवत्र इस महीनेकी २१ वी तारीखको मनाई गई थी। वह १७५८ के २९ सितम्बरको जन्मा था। इसका अथ यह हुआ कि उसकी मत्यु ४७ वषकी आयुमे हो गई थी। इतनी छाटी उम्रमे उसने जो काम किया, जो शौय प्रदर्शित किया और जो फज अदा किया, वह दुनियामे कम लोगोने ही किया होगा। यह माना जाता है कि तोजोने[1] जापानके लिए ऐसा किया है। लेकिन तोजोकी जीते अभी नई है। इसलिए इनका परिणाम हम देख नही सकते है। अभी हमारा मन शान्त नही है। इसलिए हम उनपर सही सही विचार नही कर सकते।

१ जापानी नौसेनाध्यक्ष जिसने १९०५ की रूस और जापानकी लड़ाइमें रूसी बेडेको हराया था। देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ४८८-९।

उसी नेल्सनने अपनी बारह सालकी उम्रसे पहले ही "डर क्या चीज है" यह प्रश्न अपनी दादीसे किया था। उसकी दादी जवाब नही दे सकी और वह मरा तबतक उसकी डरसे जान-पहचान नही हुई। उसने बारह वर्षकी उम्रसे समुद्रमे जाना और दूसरे मनुष्योंके लिए अशक्य बहादुरीके काम करना आरम्भ किया।

१७८९ मे फ्रासमे विप्लव हुआ। नेपालियन बोनापार्ट उठ खडा हुआ। उसने समस्त यूरोपको जीत लेनेका निश्चय किया और कहा जाता है कि यदि उस समय नेल्सन न होता तो वह यूरोपको जीत लेता। नेपोलियनको केवल इग्लैड जीतना बाकी रह गया था। उसने अपने कप्तानोसे कहा "मेरे लिए छ घटे तक इंग्लिश चनल मुक्त कर दो, ओर म इग्लैडको जीत लूगा।" नेल्सनने उसकी आशाएँ पूरी नही होने दी। इस समय फ्रासीसी बेडेके साथ अग्रेजी बेडेका भयकर युद्ध हुआ। तीन बडी बडी लडाइयाँ लडी गइ। उनमेसे एकमे नेल्सनका हाथ कट गया, दूसरीमे उसकी एक आख जाती रही और तीसरीमे उसकी जान ही चली गई।

इनमे ट्राफालगरकी लडाइ[1] सबसे बडी थी। अगर इस बार हार हो जायेगी तो इग्लैडकी इज्जत ही चली जायेगी। नेल्सन यह बात समझता था और यह समझकर उसने तैयारी की थी। उसके मातहत अधिकारी और सनिक उसको पूजते थे। ऐसा कोई खतरा न था जो उसने अपने ऊपर लिया न हो। जब उसने नीलकी लडाईमे[2] अपना हाथ खोया तब वह बेपरवाह होकर स्वय अपने घायल सैनिकोकी सार सँभालमे लगा था। उसने अपनी पीडाकी परवाह नही की। इसका अथ यह है कि नेल्सन बिलकुल बेखौफ था। उसका यह निश्चय था कि जबतक एक भी अग्रेज नाविक जीवित रहता है, तबतक हार नही मानेगे। उसकी फौजका जोश भी ऐसा ही था। अपने 'इनविसिबल'[3] जहाजमे वह सिहकी तरह गजता रहता था। अक्टबरकी १९ तारीखको महत्त्वपूर्ण लडाई हुई। नेल्सनने झडा फहरा कर घोषित किया कि "इग्लड अपेक्षा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यका पालन करेगा"। एक फ्रासीसी जहाज और नेल्सनका जहाज एक दूसरेसे भिड गये। गोलोकी वर्षा होने लगी। नेल्सन घायल हो गया। उसने आदेश दिया, "मुझे मेरे केबिनमे पहुँचा दो।" उसने अपने हाथसे अपने बिल्ले और तमगे आदि ढँक दिये ताकि किसीको पता न चले कि नेल्सन घायल हो गया है। लडाई चलती रही। असहनीय वेदना सहते हुए भी उसने आदेश देना जारी रखा। उसे पता चला कि फ्रासीसी जहाज हार रहे हैं और अग्रेजोकी जीत हो रही है। इस प्रकार उसने अपना फर्ज अदा करते हुए और ये अतिम शब्द कहते हुए अपने प्राण त्यागे "हे ईश्वर, मैं तेरा आभारी हूँ कि मैंने अपना फर्ज पूरा किया।"

अग्रेजी बेडा तबसे सर्वोपरि है। नेपोलियन निराश हो गया और अग्रेजोका जोर बढ गया। नेल्सन मर जानेपर भी अमर है। उसकी हर बात और हर नसीहत अग्रेजोके मनामे बस गई है और आज भी उसके गीत गाये जाते हैं। सौ वर्ष बाद नेल्सन मानो कब्रमे मे उठ खडा हुआ हो, ऐसा पिछले सप्ताह दिखाई देता था।

जिस जातिमे इस प्रकारके हीरे पैदा हो और जो जाति इस प्रकारके हीराको इतने यत्नसे सँभाल कर रखे वह जाति आगे क्यो न बढेगी और समृद्ध क्यो न होगी?

हमे उस जातिसे ईर्ष्या नही करनी है परन्तु ऐसी बातोमे उसकी नकल करनी है। जो लोग खुदा या ईश्वरमे श्रद्धा रखते हैं वे समझ सकते हैं कि उसकी मर्जीके बिना अग्रेज राज नही

१ सन् १८०५में जब फ्रासीसी बेड़ा ध्वस्त कर दिया गया और नेल्सन मारे गये।

२ सन् १७९८में जब नेल्सनने फ्रांसीसियोंको हराया।

करते। वे राज्यका उपभोग अपने अच्छे कामोके बलपर कर रहे है। यह भी खुदाई नियम हे। यदि हम ऐसे कामोका अनुसरण करेगे तभी हमारे मनोरथ पूरे हो पायेगे।

हम नेल्सनके समान हिम्मतवर हो, उसके समान अपने फर्जाको समझे। नेल्सनकी जातिकी तरह हममे भी देशभक्ति पैदा हो। मै हिदू, तुम मुसलमान, मै गुजराती, तुम मद्रासी, ये सब भेद भाव भल जाये। मै और मेरा यह खत्म हो और मै भारतीय, तुम भी भारतीय, बस यह बना रहे। दोना साथ साथ उबरेगे अथवा साथ साथ डूबेगे, यह विशिष्ट निश्चय हम बहुत से लोग करेगे, तब स्वतन्त्र होगे। हम जबतक पगु रहेगे तबतक लाठीका सहारा लिए बिना कैसे चल सकेगे?

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–१०–१९०५

१३६ चायसे हानियाँ

इग्लडमे साउथवककी नगर परिषदने चायके लाभो और अलाभोकी जाच करवाई हे। इनमे से कुछ जानने योग्य बाते हम नीचे दे रहे है।

नौवी शताब्दीमे चीनी लोगोने चाय पीना शुरू किया और तबसे वे लोग चाय पीते आ रहे है। सन १६६० मे इग्लैडमे चायका प्रवेश हुआ। अठारहवी शताब्दीमे वहा चाय फैल चुकी थी और उस शताब्दीके अतमे प्रतिवष दो करोड रतल (पौड) चाय वहा आती थी। १९ वी शताब्दीके पहले दशकमे इग्लैडमे चायकी खपत प्रति व्यक्ति डेढ रतल थी लेकिन अन्तिम दशकमे उसकी खपत इतनी ज्यादा बढ गई है कि अब प्रत्येक व्यक्तिके पीछे छ रतल चाय खपती है।

चायके विरुद्ध सबसे पहली आवाज उठानेवाला सुप्रसिद्ध जॉन वेसली था। वह बहुत बडा धम ववता था। उसे चक्कर आया करते थे, परन्तु उसने चायपर सन्देह नही किया। क्योकि सब यही मानते थे कि चाय पीनेसे तो लाभ ही होता है। एक बार वह अचानक बेहोश हो गया। इसपर उसने चाय छोड देनेका निणय किया और उसके बाद उसको चक्कर आना बन्द हो गये। सुप्रसिद्ध डाक्टर सर एड्रचू क्लाकने लिखा है कि चायसे सब ज्ञानतन्तु कमजोर पड जाते है। इग्लैडमे हजारो स्त्रिया वर्षो दुखी रहती है, सिरमे दद रहता हे, पैर टूटते है, चक्कर आते है। इस सबका मुख्य कारण चाय है, ऐसा माना जाता है। साउथवकमे जिस व्यक्तिने चायकी जाच की वह लिखता है कि चायको उबालनेसे तो बडा नुकसान होता है। अगर चायके बिना काम चले तो अच्छा है। यदि चायकी आदत न छट सके तो उसका कहना है कि चायपर उबलता हुआ गम पानी डालकर उसे तुरन्त गिलासमे छान लिया जाये। उसका रग जरा भी लाल नही होना चाहिए, बल्कि घासका-सा होना चाहिए।

हम लोगोमे चाय पीनेका चलन बिलकुल अभी अभी चला है। भारतमे उसकी कुछ भी आवश्यकता नजर नही आती। फिर भी अगर लोगोको गोरोकी नकल करके कोई न-कोई चीज पीनी ही हो तो काफी या कोको पीना कम हानिकर है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–१०–१९०५

१३७ सर टॉमस मनरो

सर टाम्स मनरो १७६१ के मई महीनेमे ग्लासगोमे उत्पन्न हुआ था। सन १७८० मे उसको ईस्ट इडिया कम्पनीने मद्रासमे नियुक्त किया। इस समय अग्रेजोकी हालत बहुत खराब थी, हैदरअली अग्रेजोको निकाल बाहर करनेकी तैयारी कर रहा था। कम्पनीके अग्रेज नोकर आपसमे ही लड रहे थे। ऐसे समयमे सर टॉमस मनरोने बहुत अच्छी सेवा की।

वह पाच वप तक लडाईकी कारवाइयोमे व्यस्त रहा। उसके बाद उसने दीवानीमे मेवा की। वह बहरामपुर तहसीलमे राजस्व विभागमे नियुक्त किया गया। उसने भी सर हेनरी लॉरेंसकी तरह इस अवसरका पूरा लाभ उठाया। वह लोगोके साथ रहने लगा। वह उनसे चाहे जब मिलता, उनके साथ टहलने जाता और गरीब किसानोकी लम्बी लम्बी बाते तथा सुख दु खकी कहानिया सुनता। जब वह लोगोसे बातचीत करता तब अपने पास किसी भी गुमाश्ते या चपरासीको नही रखता था। वह बहुत सादा जीवन बिताता था। एक पत्रमे उसने लिखा है "आज मैंने जईके आटेके बदले गेहूँके आटेका दलिया बनाया और प्रतीत होता है कि कल भी केलेके सिवा कुछ नही खाऊँगा। आजकल मै गाव-गाव फिरता और किसानाका लगान निधारित करता हूँ। इस समय मुझे और कुछ करना सूझता ही नही। मुझे अपने निजी कामके लिए एक घटा भी नही मिलता। यह पत्र लिखते समय मेरे पास दस बारह लोग बैठे है। प्रात सात बजेसे लोगोने आना शुरू कर दिया है। इस समय बारह बजे है।" इस प्रकार मनरोने जिलामे सात वष तक काम किया, लोगोको खुश रखा और सरकारी मालगुजारीको मजबत बुनियादपर रख दिया। अब उसकी बारी इससे भी अधिक उत्तरदायित्वका काम करनेकी आई। उसको कानरा तालुकेमे तालुकेदारकी जगह दी गई। कानराकी हवा बहुत खराब थी, फिर भी उसने वहा दम लिये बिना अपना कत्तव्य समझकर २६ महीने काम किया। वह लोगोके दु ख सुननेमे प्रतिदिन दस दस घटे लगाता था। वह लिखता हे कि मै समुद्रके किनारे किसी बढिया मकानमे रहनेकी अपेक्षा लोगोके बीच छोटी सी छोलदारीमे रहकर उनके मनोको ज्यादा आकर्षित कर सकता हूँ। और आज वे लोग हमारी वफादार रैयत बन रहे है। वह सोनेके लिए एक बासकी चारपाई, एक हल्का गद्दा और एक तकिया रखता था। वह सवेरे-सवेरे उठनेपर बाहर निकलते ही लोगोके जो झुड जमा हो जाते थे उनके साथ बातचीत करता था। फिर वह भोजनके पश्चात तुरत नौकरोको आदेश देता, चिट्ठिया लिखता और फिर कचहरी जाता। शामको पाच बजे थोडा सा कुछ खा लेता और फिर रातको आठ बजे तक कचहरीमे बैठता। और कभी कभी आधी रात तक लोगोकी बाते सुनता। उसने इस प्रकार कानरा तालुकेके लोगोको सुख शान्ति दी। उसके बाद उसको निजामके परगनेमे और भी महत्त्वपूण काम दिया गया। वहाँ पिछले वर्षोमे अकाल पडनेके कारण लोग कगाल हो गये थे। लूटपाट बढ गई थी। बदमाशाका सब जगह बोल बाला था। सर टामस मनरोने अपने सतत उद्योगसे इस राज्यको भी हरा-भरा कर दिया।

इस प्रकार सेवा करते हुए मनरोको २७ वप हो गये थे। इसलिए वह छुट्टीपर इग्लैड चला गया और वहा उसने विवाह कर लिया। सन १८१४ मे मद्रास इलाकेमे न्याय विभागकी जाचके लिए एक आयोग नियुक्त किया गया। वह उसका अध्यक्ष बनकर फिर यहा आया। उसने इस समय हमारे देशवासियोके प्रति अपनी सदभावना भली भाति व्यक्त की। और न्याय-

युद्धके कारण विघ्न आ गया। वह इस लडाईमे फँस गया। उसकी फौज अप्रशिक्षित और कम थी, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा सनिकोमे इतनी अधिक थी कि वे प्रसन्नतापूवक उसके अनुशासनमे रहे। इस लडाईमे मनरो इतना अधिक व्यस्त रहा और उसने अपने शरीरको इतना अधिक कष्ट दिया कि उसका स्वास्थ्य गिर गया। इसलिए वह १८१९ मे लडाई समाप्त होते ही फिर इग्लड लोट गया। १८२० मे उसको सरका खिताब दिया गया ओर वह मद्रास इलाकेका गवनर बना कर भेजा गया। इस पदपर वह अपनी मृत्युके दिन तक रहा। वह जितना कठिन श्रम अपने छोटे पदपर किया करता था उतना ही कठिन गवनर बन जानेके बाद भी करता रहा। तब भी उसकी सादगी पहले जैसी ही थी। वह स्वय अकेला ही टहलने निकल जाता था और जो कोई उससे मिलना चाहता उससे मिलता था। जब कभी मौका मिलता तब भारतीयोको अधिकारी नियुक्त करता और आगे बढाता। सन १८२७ मे यह भला गवनर हैजेकी बीमारीसे चल बसा। उसने कभी अपने स्वाथपर निगाह नही रखी। उसका अपना फज क्या है और वह किस तरह अदा किया जाये, उसने सदा इसीपर ध्यान दिया। उसको भारतीयोसे बहुत प्रेम था और उसका सबसे सही खिताब था "रैयतका दोस्त"। ऐसे सीधे सादे और रहमदिल अग्रेज पहले जमानेमे हो गये और अब भी निकल आते ह, इसीसे बहुत से दोष होनेपर भी अग्रेजी राज्यका सितारा जगमगाता रहता हे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–१०–१९०५

१३८ दु खद प्रसग

जेल सुधार आयोग (प्रिजन्स रिफाम कमिशन) की कारवाईके कारण नेटालकी कुछ जायदादोमे गिरमिटिया भारतीयोकी दशाके विषयमे अनेक आशकाएँ उत्पन्न हो गई है। 'टान्सवाल लीडर'मे प्रकाशित रायटरके एक तारमे बतलाया गया है कि हालमे, वेरुलममे जेल-अधिकारियोने इस आशयकी गवाही दी है कि कुछ जायदादे, जो भारतीयोको बडी सख्यामे नौकर रखती है, अपने कुलियोके बीमार हो जानेपर उन्हे किसी छोटे अपराधके लिए दण्डित करवा देती है, जिससे कि उनका इलाज सरकारी खचपर हो जाये और वे अच्छे होकर कामपर लौटे। यह आक्षेप सुनने तक मे इतना अमानुषिक और अविश्वसनीय लगता है कि इसे यदि किसी बाहरी व्यक्तिने लगाया होता तो उसे निश्चय ही फटकारके साथ अदालतसे बाहर निकाल दिया जाता। हम स्वय इसपर विश्वास करना नही चाहते, परन्तु जिन्होने यह गवाही दी है उन्होने अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह समझकर ही वैसा किया होगा। हम तो यह मानकर चलते ह कि उन्होने तथ्योका वणन बढाकर करनेके बजाय कुछ घटाकर ही किया होगा। यह मामला इतना सगीन है कि इसे जहाका-तहा नही छोडा जा सकता। और यह भी गम्भीर बात है कि नेटालकी जनताको पहले पहल इतने सगीन आक्षेपका समाचार अपनी सीमाओके बाहरसे मिला है। हमारा खयाल हे कि नेटालके सब समाचारपत्र इस मामलेमे चुप्पी साधे रहे, केवल 'नेटाल मक्युरी'ने अपनी एक सपादकीय टिप्पणीमे वेरलम जेलमे ऐसी चौका देनेवाली अवस्था होनेकी चर्चा की। आयोगकी रिपोटके प्रकाशित होनेमे साधारण समय लगेगा ही। तबतक हमे प्रतीक्षा करके ही सन्तुष्ट रहना पडेगा। उससे पहले हम ठीक-ठीक नही जान सकेगे कि गवाही क्या थी।

हमने कहा है, हमें विश्वास नहीं कि इस आक्षेपको सत्य सिद्ध किया जा सकता है। परन्तु इसे कुछ असम्भावित मानते हुए भी हम उन भयंकर बातोंको नहीं भूल सकते जिन्हें लगभग चालीस वर्ष पूर्व ब्रिटिश गियानामें गिरमिटिया भारतीयोंके प्रति व्यवहारके सम्बन्धमें एक आयोगने प्रगट किया था। तब सिद्ध हो गया था कि इससे भी कहीं अधिक अमानुषिक और अविश्वसनीय बातें हुई थीं, और वे भी केवल एकाध अपवादके रूपमें नहीं। खासकर बीमार भारतीयोंके साथ विशेष बुरा बरताव किया जाता था यद्यपि उनकी रक्षाके लिए बहुत अच्छे कानून बने हुए थे। जब हम सोचते हैं कि बीमार गिरमिटिया भारतीय अपने मालिकपर निरा बोझा हो जाता है तब यह बात कुछ कुछ समझमें आने लगती है। आशा है कि स्वयं जायदादाके मालिक, बदनामीसे बचनेके लिए, इस मामलेकी पूरी पूरी जाँच की जानेपर जोर देंगे। यह आक्षेप यदि सत्य सिद्ध हो जाये तो भी यह उचित नहीं कि एक या दो व्यक्तियोंके दुष्कर्मोंके कारण उन सबकी भी बदनामी हो, जिनका उद्देश्य अपने असहाय गिरमिटिया कर्मचारियोंके साथ केवल न्यायोचित ही नहीं, बल्कि अच्छा बरताव करनेका रहता है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४–११–१९०५

१३९. फूट डालो और राज करो

इस लेखका शीर्षक एक कहावत है, जो पहाड़ जैसी पुरानी है। जो नीति इस कहावतसे प्रकट होती है उसका श्रीगणेश भारतपर ब्रिटिश शासनके प्रसंगमें एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञने किया था। हालमें, भारतसे आया हुआ जो तार समाचारपत्रोंमें प्रकाशित हुआ है, उससे इस कहावतका मतलब भली भाँति समझमें आ जाता है। बतलाया गया है कि बंग-भंगसे बने नये प्रान्तकी राजधानी ढाकामें बीस हजार मुसलमानोंने इकट्ठे होकर विभाजनके लिए, और उसके फलस्वरूप हिन्दुओंके अत्याचारसे मुक्ति पा जानेके लिए खुदाकी इबादत की ओर उसका शुक्र माना। हमें विश्वास नहीं होता कि यह आन्दोलन अनायास ही हुआ होगा। यह देखनेमें ही भोंडा है। यदि मान भी लिया जाये कि हिन्दुओंकी ओरसे कोई अत्याचार होता था तो प्रान्तका विभाजन किये बिना भी उससे राहत मिल सकती थी, क्योंकि एक सम्प्रदायको दूसरेसे बचानेके लिए ब्रिटिश राज्यकी शक्ति वहाँ मौजूद थी। इसलिये हमारा खयाल है कि यह सब बंग-भंगके विरुद्ध चलते हुए अत्यन्त प्रबल आन्दोलनका जवाब देनेके लिए किया गया है। बहिष्कार अभूतपूर्व तीव्रताके साथ फैला है। वह खास और आम, दोनों समाजोंमें घुस चुका है, और यदि काफी समय तक चलता रहा तो बंगालके समस्त सम्प्रदायोंको मिलाकर एक कर देगा, मुसलमान भी अलग नहीं रहेंगे। इस कारण, जिन लोगोंका ऊपर उद्धृत कहावतमें विश्वास है उन्हें स्वभावतः ही किसी काटकी तलाश हुई, और उन्होंने उसे ढाकाके थोड़ेसे मुसलमानोंमें पा लिया। करोड़ों मनुष्योंपर शासन करनेके लिए, एक जातिको दूसरीके विरुद्ध खड़ा कर देनेका सिद्धान्त राजनीतिक कूपमण्डकता है। हम जानते हैं कि ऐसे सुझावका तीव्र विरोध किया जायेगा। हम यह भी जानते हैं कि शुद्ध ब्रिटिश राजनीति इस विचारके विरुद्ध विद्रोह करेगी। परन्तु साथ ही, इस नीतिकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इसपर चलकर पहले अस्थायी सफलता प्राप्त की जा चुकी है, और ढाकाका तमाशा इसका विस्तारमात्र है। यदि आंग्ल-भारतीय शासक, जिन्होंने वास्तवमें भारतीय-साम्राज्यका निर्माण किया और जिनका विश्वास था

तो, हमारी सम्मतिमे, वे प्रथम व्यक्ति होगे जो बहिष्कार-आन्दोलनको प्रोत्साहन देगे, और साथ ही वे उस लोकमतको शात करनेका यत्न करेगे जो कि अब इतना भडक चुका है। इससे अधिक स्वाभाविक बात और क्या हो सकती है कि लोग अपने देशमे ही उत्पन्न और निर्मित हुई वस्तुओसे अपना तन ढॅकना, पेट भरना और भोगकी अपनी अन्य आवश्यकताएँ पूरी करना पसन्द करे? हम देखते है कि इस प्रकारके आन्दोलन अन्य उपनिवेशोमे इससे भी अधिक व्यापक रूपमे चल रहे है। जनतामे इन विचारोका फलना न्यायसगत और शुभ है और ब्रिटिश ताजके प्रति निष्ठाकी भावनासे नाममात्रको भी असगत नही है। यह उस भविष्यवाणीकी पूर्तिमात्र है जो भारतके विषयमे मैकालेने की थी।

परन्तु भारतके शासकोको यदि यह आन्दोलन युक्तियुक्त दिखलाई नही पडता तो भारतीयोको भी क्यो न दिखाई पडे? यह सत्य है कि एक हद तक भारतमे ब्रिटिश शासनका प्रवेश आन्तरिक फूटके कारण ही सम्भव हुआ था, परन्तु यह कर्तव्य और अधिकार भी तो ग्रेट ब्रिटेनका ही है कि वह भारतके दो बडे सम्प्रदायोमे मेल करा दे और उनके लिए ऐसी विरासत छोड जाये जिसके कारण न केवल करोडो भारतीय उसके प्रति कृतज्ञ रहे, अपितु सारा ससार नि सकोच भावसे प्रशसा करे। इसलिए दोनो सप्रदायोको चाहिए कि उन्हे जो अवसर मिला है उसका वे पूरा लाभ उठाये और अपने सामूहिक हितके लिए आपसी मतभेद तथा ईर्ष्या-द्वेष भुला दे। कोई तीसरा पक्ष उनके झगडेमे पडकर दोनोसे अपना फायदा कर ले जाये, इससे कही अच्छा तो यह है कि दोनो भाई एक दूसरेके हाथो नुकसान उठा ले। जो भी इन पक्तियोको पढे, उन सबसे हम अनुरोध करेगे कि वे हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करे कि बगालका वर्तमान आन्दोलन बलशाली होता चला जाये, क्योकि उसमे विभिन्न जातियोमे एकता करा सकनेका अकुर विद्यमान है, और ढाका तथा अन्य स्थानोके लोगोको, वे चाहे हिन्दू हो चाहे मुसलमान, यह सुबुद्धि प्राप्त हो कि वे ऐसा कोई भी काम न करेगे जिससे भारतकी जनताका भविष्य उज्ज्वल होनेकी सम्भावना नष्ट हो जाये।

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४–११–१९०५

१४० दादा उस्मानकी अपील

इस अपीलके[1] विषयमे हमारे कथनको उद्धृत करनेके बाद 'फ्राइहीड हेराल्ड'ने कहा है कि प्रश्न यह नही है कि,

> **दादा उस्मानको परवाना मिलना चाहिए या नही, बल्कि यह है कि उन्हे नगरके किसी भी भागमें व्यापार करनेका अधिकार है या नहीं। यद्यपि दादा उस्मानको कुछ बरस तक व्यापार करनेका परवाना प्राप्त था, फिर भी इतने मात्रसे सदाके लिए नगरमे रहनेका उनका निहित अधिकार सिद्ध नहीं होता। १८८६ से पूर्व कुछ भारतीय ट्रान्सवालमे आये थे तब उनको परवाने इस शर्तपर दिये गये थे कि वे केवल उन बस्तियो और स्थानोमें व्यापार करेगे जो सरकारने उन्हे बतला दिये है, और अब प्रश्न यह है कि दादा उस्मानको किसी बस्तीमें चला जाना चाहिए या नही।**

1. देखिये "परवानेका एक और मामला" पृष्ठ १०८–९।

इसके बाद हमारा सहयोगी कहता है कि यह प्रश्न गोरे या गेहुँए रंगवालोंका नहीं है। हमारे कथनको गलत बतलाया गया है। दुर्भाग्यवश, हमने उसके जिस कथनको ऊपर उद्धृत किया है उसके लिए हमें भी उसी शब्दका प्रयोग करना पड़ रहा है। दादा उस्मान परवाना पाने या व्यापार करनेके अधिकारी हैं या नहीं, यह प्रश्न यहां विचारणीय समस्यासे भिन्न है, और दानोंमें अन्तर न होते हुए भी हमारे सहयोगीने उनमें अंतर दिखला दिया है। सचाई यह है कि निकायके फैसलेके कारण श्री दादा उस्मान बरबाद हुए जा रहे हैं, और हमारे कथनमें जोर इसी बातपर दिया गया था। कानूनी अर्थोंमें प्रार्थीके कोई "निहित अधिकार" नहीं है, इस बातसे तो हमारी इस युक्तिका ही बल प्रकट होता है कि कभी-कभी ब्रिटिश संविधान इतना कमजोर पड़ जाता है कि वह अन्यायको सहारा देकर उसका समर्थन करने लगता है। इस मामलेमें ऐसा ही हुआ है। जो आदमी कई वर्षों तक व्यापार करता रहा हो, उसके व्यापार करनेके अधिकारको बिना कोई मुआवजा दिये छीन लेना, किसी साधारण आदमीकी दृष्टिमें बहुत कुछ डकैतीके समान होगा। परन्तु यही काम जब सरकारी नियमकी आड़में किया जाता है तब उसे "कानून" का भ्रान्त नाम दे दिया जाता है। हमारा सहयोगी जब यह कहता है कि प्रश्न यह है कि दादा उस्मानको किसी बस्तीमें चला जाना चाहिए या नहीं, तब हम भी उसका समर्थन करते हैं। हम अपने सहयोगीको बतला दें कि बस्तियोंसे सम्बद्ध १८८५ के कानून ३ की व्याख्या ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्यायालयने यह की है कि वह ब्रिटिश भारतीयोंको बस्तियोंमें व्यापार करनेके लिए विवश नहीं करता। ट्रान्सवालमें किसी भी भारतीयको जहां वह चाहे वहां व्यापार करनेका अधिकार है, और वह रुपया देकर परवानेकी मांग कर सकता है। फ्राइहीडने ट्रान्सवालके कानून अपना लिये हैं, जिनमें भारतीयों-सम्बन्धी कानून भी शामिल हैं, और उसे उनके अनुसार चलना होगा। इसलिए यदि नेटालका विक्रेता परवाना अधिनियम रुकावट न डालता तो आज श्री दादा उस्मान फ्राइहीडमें व्यापार करते होते। इसी विक्रेता-परवाना अधिनियमको उनके विरुद्ध लागू कर दिया गया है, और इसीके बलपर उनके प्रतिस्पर्धी व्यापारी, न्यायकी समस्त भावनाओंको ताकपर रखकर, एक गरीब आदमीको बरबाद करनेमें सफल हो गये हैं, क्योंकि, हम दुहराते हैं, "उसकी खालका रंग गेहुँआ है।" क्या परवाना अधिकारीने परवाना देनेसे इनकार करते हुए यही दलील नहीं दी है कि मैं फ्राइहीडमें डंडीकी दशाकी पुनरावृत्ति होने देना नहीं चाहता? दूसरे शब्दोंमें, वे फ्राइहीड नगरमें एशियाई-व्यापारियोंकी संख्या इतनी अधिक होने देना नहीं चाहते जितनी कि डंडी नगरमें हो गई है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४–११–१९०५

१४१ लॉर्ड मेटकाफ

भारतीय समाचारपत्रोंके तारक

"राज्यकर्ता प्रजाको सुख पहुँचाये तभी उसे राज्याधिकार शोभा देगा," यह कहनेवाले और इसके अनुसार आचरण करनेवाले चार्ल्स थेऑफिलस मेटकाफका जन्म कलकत्तेमें ३० जनवरी, सन १७८५ को हुआ था। १५ वर्षकी आयुमें उन्होंने पढाई छोडी। विलायतमें जैसी-तैसी शिक्षा लेनेके बाद १६ वर्षकी आयुमें वे कलकत्ता [आये]। इस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी अपने कर्मचारियों-पर बहुत सख्ती बरतती थी। इसलिए जो युवक काफी पढे लिखे न होते, उन्हें नौकरीमें नहीं लिया जाता था। अतः लॉर्ड मेटकाफको कलकत्तेके कालेजमें दाखिल होना पडा। इस प्रकार कुछ समय तक शिक्षा लेनेके बाद चार्ल्स मेटकाफको एक छोटीसी जगह मिली। १९ वर्षकी आयुमें वे जनरल लेकके सरिश्तेदार बने। जनरल लेक और उनके मातहत अधिकारी दीवानीके काममें इस कच्चे जवानकी नियुक्तिसे नाराज हुए। चार्ल्स मेटकाफ चेत गये और उन्होंने लडाईके मैदानमें अपनी बहादुरी बतानेका निश्चय किया। डिगके[२] किलेको तोडनेमें उन्होंने पहल की और ऐसा अच्छा काम किया कि उनपर जनरल लेक खुश हो गये। तीन वर्ष बाद मेटकाफको बडे गंभीर कामपर भेजा गया। पंजाबमें महाराजा रणजीतसिंहके साथ फ्रांसीसी लोग साठगांठ कर रहे थे। इस साठगांठको खत्म कर देनेका काम मेटकाफको सौंपा गया और उनकी कोशिशसे अंग्रेज सरकार और रणजीतसिंहके बीच समझौता हो गया। इससे लार्ड लेक इतने प्रसन्न हुए कि उनको दिल्लीमें २६ वर्षकी आयुमें रेजिडेंटका काम सौंपा गया।

अब उन्होंने जनताको सुख पहुँचानेका काम शुरू किया। जमींदारोंके अधिकारोंको ठोस बुनियादपर कायम कर दिया। इस सम्बन्धमें उन्होंने इस प्रकार लिखा है

> **हमें लोगोंकी जमाबन्दी लम्बी मुद्दतके लिए मुकरर कर देनी चाहिए, ताकि लोग काफी मुनाफा कमा सकें और हम लोगोंको दुआ दें। उनकी जमीन आगे चलकर हाथसे निकल जायेगी, ऐसा डर बना रहनेके बजाय उनके मनमें यह विश्वास जमा देना चाहिए कि उनके हाथसे कोई जमीन लेनेवाला नहीं है। यह करेंगे तो लोगोंके मन शान्त होंगे और अपने ही स्वार्थके कारण वे ऐसा मानेंगे कि हमारा राज्य बडा अच्छा है। कुछ व्यक्तियोंकी धारणा है कि यदि लोग स्वतन्त्र और बन्धनमुक्त हो जायेंगे तो भविष्यमें अंग्रेजी राज्यको हानि पहुँचेगी। इस सम्भावनाको मान लिया जाये तब भी प्रजाके अधिकारोंको किस तरह छीना जा सकता है? उदार राज्यकर्ता इस प्रकारकी दलीलोंको महत्त्व कैसे दे सकते हैं? मनुष्यके राज्यके ऊपर खुदाका राज्य चलता है। वह महबूब इतना बडा है कि घडीमें राज्य छीन सकता है और घडीमें दे सकता है। उसके हुक्मके सामने इन्सानकी चतुराई काम नहीं दे सकती। इसलिए राज्यकर्ताओंका केवल यही फर्ज है कि प्रजाकी सुख सुविधा बढाते रहें। इस प्रकार हम अपना फर्ज अदा करेंगे तो भारतीय प्रजा हमारा उपकार मानेगी और दुनिया सदाके लिए हमारी**

१ मूलमें यहाँ वाक्य अधूरा है।

२ आगरेके नजदीक एक किला, मूलमें लिंग दिया है।

तारीफ करेगी। ऐसा करनेपर भविष्यमे अगर बलवा उठा भी तो क्या हुआ? परन्तु आगे चलकर हमारे लिए कुछ खतरा है, ऐसे ओछे अन्देशोंको लेकर हम अपनी प्रजापर सितम ढायेंगे तो हमपर जो हमले हो, उनके हम लायक ही माने जायेंगे। और ऐसी दशामे जब हम पछाडे जायेंगे तब जगत हमे धिक्कारेगा, हमपर थूकेगा और हमे गालियाँ देगा।

ऐसी उमदा बाते जवान मेटकाफने प्रजाके दु खोके लिए अपने दिलमे दर्द रखकर लिखी है। मेटकाफको निजामके रेजिडेटकी जगह भी मिली थी। निजामकी सरकारके पास इस समय पैसेकी बडी कमी थी। कुछ धूर्त परन्तु वसीलेदार अग्रेजाने बहुत पैसा व्याजपर दे रखा था। इससे मेटकाफके दिलको बडी चोट पहुँची। उन्होंने गवर्नर जनरलकी परवाह न कर अपना फर्ज अदा किया और धूर्तोको हटा दिया। १८२७ मे मेटकाफ कलकत्तेकी कौंसिलके सदस्य बने। इस समय नेक लार्ड विलियम बेंटिक वाइसराय थे। लार्ड बेंटिकको अपना स्वास्थ्य खराब होनेके कारण एकाएक विलायत जाना पडा, इसलिए मेटकाफको स्थानापन्न गवर्नर जनरलकी जगह मिली। मेटकाफने सबसे बडा काम इस समय किया। उन्होंने भारतके समाचारपत्रोको स्वतन्त्र करनेका कानून बनाया। इसके कारण उनके वरिष्ठ अधिकारी उनसे नाराज हो गये, परन्तु इस बातकी उन्होंने परवाह नही की। बडे बडे अग्रेजोने उनका विरोध किया। उन्होंने उनको इस तरह उत्तर दिया

यदि मेरा विरोध करनेवाले यह दलील देते हो कि ज्ञानका प्रचार होनेपर हिन्दुस्तानमें हमारे राज्यको धक्का पहुँचेगा, तो मैं कहता हूँ कि चाहे कैसा ही परिणाम क्यो न हो, लोगोको ज्ञान देना हमारा कर्त्तव्य है। अगर लोगोको अनपढ रखनेसे अग्रेजी राज्य टिक सकता हो, तो हमारा राज्य इस देशपर एक कलक है और उसे खत्म हो जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि यदि ये लोग अनपढ रहेंगे तो हमारे लिए अधिक डरकी बात होगी। मै आशा करता हूँ कि उनको ज्ञान मिलनेसे उनके वहम दूर होंगे, अग्रेजी राज्यसे होनेवाले लाभको वे समझेंगे, हमारी आपसकी सद्भावना बढ़ेगी और उनके और हमारे बीच जो अलगाव और असहयोग है वह दूर होगा। फिर भी हिन्दुस्तानके भविष्यके बारेमे खुदाई फरमान क्या है, यह हम नहीं जान सकते। हमारा कर्त्तव्य केवल इतना ही है कि हमारे हाथमे जो काम आया है, वह हमें लोगोकी भलाईके वास्ते कर देना चाहिए।

मेटकाफ इसके बाद कैनेडाके गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। इस समय वे सख्त बीमार हो गये। उन्होंने अपनी बीमारीकी परवाह नही की और अपना कर्त्तव्य समझकर वे अन्त तक काम करते रहे। वे स्वय बडे धार्मिक व्यक्ति थे। सन १८४० मे अपनी रानीकी नौकरी वफादारीके साथ बजाते हुए और लोगोके प्रीति पात्र बनकर वे परलोक सिधारे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४–११–१९०५

१४२ पत्र छगनलाल गांधीको

[जोहानिसबर्ग]
नवम्बर ६, १९०५

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। रेवाशंकरके नामका पत्र वापस भेजता हूँ। अभयचन्दसे पत्रोंको वापस लेनेके लिए कहूँगा। वह प्रिटोरिया गया है।

तुमने किचिनके बारेमें लिखा सो ठीक किया है। तुम्हारी दलील गलत नहीं है। साधारणतः उन्हें जो सुविधाएँ दी गई हैं वे आवश्यकतासे अधिक हैं। उन्हें जो रकम दी जा रही है वह उनकी निपुणताके लिए नहीं, बल्कि मेरी भूलके कारण दी जा रही है। और मेरी भूलको सुधारनेका कोई दूसरा रास्ता न था। मैंने उन्हें जानेकी छूट दे दी थी। परन्तु वे कहने लगे कि मुझसे अब कहीं कोई काम नहीं हो सकता। जोहानिसबर्गमें मैं फिरसे काम शुरू नहीं कर सकता। उनका अपना बड़ा कारोबार था, उसे उन्होंने बन्द कर दिया, इसमें जरा भी शक नहीं। ऐसी परिस्थितिमें, मुझे लगा, मैं उन्हें एकदम बरखास्त कर दूँ, यह हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता यह दीख पड़ा कि उन्हें वेतन दिया जाये और वह केवल उनके खर्च-भरके लिए। फिर भी उनको और मुझे एक माहकी सूचनापर इस व्यवस्थाको भंग करनेकी स्वतन्त्रता है। इसलिए मान लो कि प्रेसकी हालत बिगड़ जाये और आमदनी बिलकुल न हो तो मैं एक माहकी पूर्व सूचना देकर उन्हें हटा सकता हूँ। प्रेसकी हालत अच्छी हो तो भी उन्हें १० पौंडसे अधिक देनेकी न तो बात है और न उसकी जरूरत ही है। इसलिए वे हमेशा इतना ही वेतन लिया करेंगे, ऐसा मान बैठनेका कोई कारण नहीं है। पोलकके लौटनेपर उनकी और इनकी नहीं बनेगी, यह भी हमें नहीं मानना चाहिए। यदि नहीं बनी तो इन्हें जाना पड़ेगा। पोलकको वहाँ आनेमें अभी कमसे कम ढाई वर्ष लगेंगे। इसलिए इतने दूरकी हम आज चिन्ता न करें। तबतक मुझे लगता है कि हमारी स्थितिमें बहुत परिवर्तन होंगे। किचिनको घर और जमीन दिये बिना कोई चारा न था। उनका मन फीनिक्समें है — वहाँका जीवन उन्हें निःसन्देह पसन्द है। उनके सम्बन्धमें तुमको अगर कुछ भी करनेकी जरूरत आ पड़े तो जरा भी संकोच न करना। आदमीके अच्छे गुणोंका मनन करना है, उसके दोषोंका खयाल हम नहीं रख सकते। अगर हमारे असुविधाएँ या संकट भोगनेसे दूसरे सुखी रहें, दूसरोंका कल्याण हो, तो हमें सन्तोष मानना है। दो एकड़ जमीन तो जिसे चाहिए उसे — जैसे तुमको तथा वेस्ट, बीन और आनन्दलालको — देनेमें जरा भी दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है, यह मैंने पहले ही कह दिया है। पोलकने भी दो एकड़ जमीन माँगी है। मैं मानता हूँ कि यदि किचिन रह जायेंगे तो उनका स्वभाव बदल जायेगा और वे अच्छा काम करेंगे। यदि उनके स्वभावमें रद्दोबदल न हुआ तो वे खुद ही हट जायेंगे। और भी खुलासेकी जरूरत हो तो माँगना। हमेशा बेधड़क होकर मुझे लिखना।

चिरंजीव गोकुलदास स्वभावका अच्छा है। परन्तु देशके संस्कारके कारण उसमें तेरा-मेरा बहुत आ गया है। तुम्हारे प्रति उसकी दृष्टि निर्मल नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाया है, परन्तु मैं देखता हूँ कि जवानीके नशेमें उसके दिलमें यह खयाल घर कर गया है कि "मामा पागल हैं"। उसका धन कमानेकी ओर अधिक ध्यान है। उसकी वृत्ति निर्मल बने, इस दिशामें हमें अधिक ध्यान देना है। तुम उसे सँभालना और धीरे धीरे मोड़ना। मेरा खयाल है कि वह परिश्रम

करेगा। फिलहाल प्रेससे वह कुछ न लेगा। और उसी प्रकार वह पूरे दिन काम भी नही करेगा। वह अभी विद्यार्थी है, ऐसा ही उसे समझाया है, और ऐसा ही उससे बरताव करना है। इसलिए वह कुछ समय प्रेसमे काम करे, कुछ खेतमे और शेष समय अध्ययनमे लगाये। उसे गुजराती, अंग्रेजी आर तमिल अच्छी तरह सीख लेनी चाहिए। मैने उससे कहा है कि वह प्रेसमे तमिल टाइप [कम्पोज़ करने] का काम शुरू करे। इस विषयमे मै पिल्लेको भी पत्र लिखूगा। गोकुलदासके वहा पहुँच जाने ओर कामसे परिचित हो जानके पश्चात अब अगर तुम यहा बडे दिनके अवसरपर आ सको ता आ जाना।

वेस्ट जाबका काम किस तरह करते है? परेशान रहते है या प्रफुल्लित? समाचारपत्रका कम्पोज़िग कौन कोन करता हे? वीरजीका बरताव कसा है? सबकी स्थितिके बारेमे लिखना। बीनका काम कसा चल रहा हे? किताबोकी स्थिति अब कसी है? आनन्दलालका क्या हाल है? गोकुलदासके बारेमे मैने उसे लिखा है। मुझे अभी तो लगता है कि तुम तीनो भाई साथ-साथ रहो ता अच्छा हो। परन्तु यदि ऐसा करनेमे अनबन हो जानेकी जरा भी सम्भावना हो ता मेरी लिखी बातापर अमल न करना। गोकुलदास तो तुम्हारे साथ ही रहेगा।

आचड अभी घरमे है या चले गये ह?

तमिलकी सामग्री भेजी ह परन्तु मै देखता हूँ कि उसमे मुझे कठिनाई होगी। जिस व्यक्तिने अनुवाद किया है उसका ज्ञान अल्प ही है, ऐसा मैने अनुभव किया। वह डर गया और कहने लगा, यह काम उसे न दिया जाये ता ठीक हा। गोकुलदास तथा पिल्ले दोनो अगर सिरपच्ची करके भी समझ ले तो बहुत ठीक होगा। गोकुलदासको कुछ आ गया है। मै यहासे जो अंग्रेजी भेजूगा उसका सिफ तर्जुमा ही करना पडेगा। तुम पिल्लेसे पूछ देखना। इस हफ्तेके अकमे किसने लिखा है?

हेमचन्दसे सन्तोष है या नही? वह रकमकी वसूलीके लिए कही जाता है? उसे अच्छी तरह तालीम देना।

रामनाथका क्या हुआ ह? अयोध्याको मैने पत्र लिखा था।

जयशकरको कोई आदमी मिला या अब भी तकलीफ ही है? बीनको जो फुटकर चीजे चाहिए सो दिला देना। मूनकी रिपोट जब आये, भेज देना। जो जमीन जोती जा चुकी है उसमे बोवाई कौन करेगा? छत चूना बन्द हुआ या अब भी जारी है?

मर्क्युरी लेनमे कार्यालय ले जानेके बाद काममे अन्तर पडा है या नही, सो लिखना। गोरे लोग कुछ ज्यादा आते है क्या?

मोहनदासके आशीर्वाद

[पुनश्च]

गोविन्दजी कहते ह कि उन्हे अखबार नियमित रूपसे नही मिलता।

कल मैने और भी गुजराती सामग्री भेजी है।

पहले चार पन्नोके पीछे भी लिखा है, सो देख लेना।

मूल गुजरातीकी फोटो नकल (एस० एन० ४२६२) से।

१४३ तार[1] सम्राटको

[जोहानिसबग
नवम्बर ९, १९०५ से पूव

ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय कृपालु महामहिमका उनके पैसठवे जन्मदिनके उपलक्षमे विनम्रतापूवक अभिनन्दन करते हैं।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ११–११–१९०५

१४४ सम्राट चिरजीवी हो!

गुरुवार ९ तारीखको महामहिम सम्राटका पसठवा जन्मदिवस था। उस दिन उनके विशाल साम्राज्यके सब भागोसे उनकी सेवामे राजभक्तिपूण बधाइया अर्पित की गइ। आधुनिक युगका कोई राजा अपनी प्रजाओके प्रेम और प्रशसाका इतना बडा अधिकारी नही बन सका जितने कि सम्राट एडवड हैं। वे जब सिहासनारूढ हुए तब उनकी स्थिति अत्यन्त कठिन थी, क्योकि वे महान विक्टोरियाके उत्तराधिकारी हुए थे, परन्तु अपने राजत्वके स्वल्पकालमे ही उन्होने उन परम्पराओको कायान्वित किया जिन्हे वह उदात्त महारानी छोड गई थी, और उन्होने सिद्ध कर दिया है कि वैधानिक प्रणालीसे शासित देशमे भी राजाके लिए अपनी प्रजाकी सेवा करनेके अनेक अवसर आते रहते हैं, परन्तु ऐसा वही कर सकता है जिसमे, महामहिमके समान, अपनी उच्च स्थितिके सही ज्ञानके साथ-साथ असाधारण योग्यता भी हो। ठीक निणय कर सकनेकी अपनी शक्ति और कुशलताके द्वारा उन्होने ससारमे शान्तिकी स्थापना करने और ब्रिटिश साम्राज्यको समृद्ध बनानेमे बहुत बडा योग दिया है। वे ससार-भरमे अपनी प्रजाके प्रेम भाजन बन गये हैं, क्योकि सबके स्वामी होते हुए भी उन्होने अपने-आपको सबका सेवक बनाया है। ससारके समस्त इतिहासमे अन्य कोई राजसिंहासन जनताके हृदयोमे इतनी दढतासे प्रतिष्ठित नही हुआ जितना कि हमारे वतमान सम्राटका। ब्रिटिश भारतीय उनकी प्रजाओमे सबसे निम्न होते हुए भी अपनी निष्ठा और भक्तिमे किसीसे भी कम नही हैं। उनकी हार्दिक प्राथना है कि सम्राट चिरजीवी हो और उस सिंहासनको और भी द्युतिमान बनाये।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ११–११–१९०५

१ यह तार ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय सघने उपनिवेश-सचिव द्वारा भेजा था।

१४५. इंग्लैंड जानेवाला भारतीय प्रतिनिधिमण्डल

शाही ससदका आम चुनाव अब होनेवाला है। वह किसी भी दिन हो सकता है। श्री चेम्बरलेनने अपनी सम्मति प्रगट की है कि यह जितनी जल्दी हो जाये उतना ही अच्छा है। भारतीयोंके लिए सबसे बडी दिलचस्पीकी बात वह प्रतिनिधिमण्डल है, जो भारतकी ओरसे ब्रिटिश मतदाताओके सामने भारतके पक्षकी वकालत करनेके लिए इंग्लैंड गया है। जो व्यक्ति इस प्रतिनिधिमण्डलमे गये है उनकी, और जिस प्रयोजनसे वे गये है उसकी, जानकारी शायद हमारे दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय पाठकोके लिए भी अप्रासंगिक नही होगी।

माननीय प्राफेसर गोखले और लाला लाजपतराय[1] राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भेजे हुए प्रतिनिधियोके रूपमे लन्दनमे मौजूद है और इन दोनोके शिरोमणि भारतके पितामह श्री दादाभाई नौरोजी है। उन्हे विशेष रूपसे भेजा नही गया। वे वही रहकर स्वेच्छासे देश-निकालेका जीवन बिता रहे है। निरन्तर आत्मत्यागका यह जीवन बिताते उन्हे आधी शताब्दीसे भी अधिक हो चुका है। श्री गोखलेने उनके विषयमे कहा है

क्या खूब वह जीवन रहा है! उसकी मधुर पवित्रता, उसकी सादगी, उसकी विनम्र सहिष्णुता, उसकी उच्च त्याग वृत्ति, उसका असीम प्रेम, उच्च आदर्शोंके लिए उसकी दृढ प्रवृत्ति — इन सब गुणोका जब ध्यान करते है तब अनुभव होता है, मानो किसी महत्तर विभूतिके सामने खडे हो। जो राष्ट्र ऐसे व्यक्तिको जन्म दे सकता है, उसका भविष्य निश्चय ही आशापूर्ण है, भले ही, जैसा कि श्री रानडेने[2] एक बार कहा था, वह तीस करोड लोगोमे अकेला हो।"

ऐसा है दादाभाईका शीर्षस्थानीय व्यक्तित्व। वे भारतीय देशभक्तोको मन्त्रणा देने और अपनी सलाहसे उनका पथ प्रदर्शन करनेके लिए सदा लन्दनमे विद्यमान रहते है।

श्री गोखले अभी तो बिलकुल जवान ही है, फिर भी भारतकी आशा उनमे केन्द्रित है। वे अनेक बार यश प्राप्त कर चुके है और अभी और करनेवाले है। युवक होते हुए भी वे कलकत्तेकी शाही विधान परिषद (इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल) मे नाम कमा चुके है। जिन लोगोका उनसे मतभेद रहता है वे भी उनकी देशभक्ति और प्रभावशाली वक्तृत्व-शक्तिको मानते है। गणितपर उनका अधिकार अनुपम है। पूनाके फर्ग्युसन कालेजको बीस वर्षके लिए अपनी सेवाएं पुरस्कारके बिना अर्पित करके, उन्होने अपने प्रेममय जीवनको और भी पवित्र बना लिया है।

पंजाबके लाला लाजपतराय भी कुछ कम उदात्तमना नही है। वे पंजाबके माने हुए नेता है। वे अपनी कमाई और शक्ति, आर्य समाजके कार्योंको बढानेमे लगा रहे है — आर्यसमाजसे

1. (१८६५–१९२८) सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता जो 'पंजाब केसरी' कहलाते थे। १९०७ में ब्रिटिश सरकार द्वारा देशनिकाला दिया गया और कई वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिकामें रहे। १९२० में कांग्रेसके विशेष अधिवेशन, कलकत्ताके अध्यक्ष। साइमन कमिशनके बहिष्कारके हेतु किये गये प्रदर्शनके समय पुलिसकी लाठियोंसे घायल, और बादमें उसीके कारण देहावसान।

2. बम्बई उच्च न्यायालयके न्यायाधीश और प्रसिद्ध समाज सुधारक, जिन्हें गोखले अपना गुरु मानते थे। देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४२०।

हमारे पाठक हालमे परिचित हो चुके है[1]। कागडा जिलेमे भयकर भूकम्पके कारण जो विपत्ति आ गई थी उससे लोगोको राहत दिलानेका स्वेच्छया अगीकृत काय उन्होने पूरा ही किया था कि कत्तव्यकी पुकारपर वे इग्लैडके लिए चल पडे। इग्लैडमे माननीय श्री गोखले समयपर उनके साथ नही हो सके, इस कारण वे अमेरिका चले गये और वहाकी महान जनतामे भारतीय परम्पराओका प्रचार करते रहे। 'बोस्टन ट्रासक्रिप्ट'ने उनके विषयमे लिखा है

> **बहुत सप्ताह नहीं हुए कि कनल यगहस्बडने लन्दनमे घोषणा की थी कि अध्यात्म वाद और बौद्धिक जीवनकी सभी बातोके लिए हम ऐंग्लो सक्सन लोगोको हिन्दुओ तथा अन्य प्राच्य लोगोके चरणोमे विद्यार्थी बनकर बठना होगा। जिन बातोको हम सप्ताह भरमे केवल एक बार गिरजाघरके एकान्तमें बिताये हुए एक घटेके लिए पथक रख देते ह उन्हे वे, कितने ही युगोसे, मानव रुचियोके उच्चतम और सर्वाधिक महत्त्वपूण अगके रूपमे पोषित करते रहे ह, और आज भी कर रहे ह। स्वरूपवान और गुण-सम्पन्न हिन्दू युवक श्री राय उच्च वगके हिन्दुओकी सुन्दरता और शक्ति कितनी भव्य हे! भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसका यह प्रतिनिधि, जिसने इस सप्ताह यहॉ दो बार व्याख्यान दिया है, इग्लड जा रहा है।**

ऐसे है हमारे नेता जो इस समय भारतकी वकालत करने इग्लैड पहुँचे हुए है। वे वहा ब्रिटिश मतदाताआको यह बतलाने गये है कि भारतको अधिक अच्छा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और शासकोकी ओरसे उसकी सेवा अधिक अच्छी तरह होनी चाहिए। ससद सदस्य श्री स्वानके शब्दोमे इन प्रतिनिधियोके जिम्मे

> **भारतीय जनताकी आशाओ, आशकाओ, महत्त्वाकाक्षाओ और सुधारकी अभिलाषाओको मुखरित करनेका काम सौपा गया है। भारतके लोगोकी इच्छा अधिक अच्छी शिक्षा पाने, भारतके विभिन्न भागोकी विभिन्न आवश्यकताओके अनुसार जमीनका बन्दोबस्त करने, और स्वशासनके अधिक अधिकार पानेकी है, श्री गोखले जिन लोगोके प्रतिनिधि है वे समझते ह कि बहुत से भारतीय अपने देशके शासनमें भाग लेनेके सवथा योग्य ह।**

यह प्रतिनिधिमण्डल और इस समय भारतमे घटित होनेवाली अन्य अनेक बाते, असन्दिग्ध रूपसे समयकी गतिकी सूचना दे रही है। कही ऐसा न हो कि उपनिवेशके राजनीतिज्ञ उनका गलत अथ लगाये अथवा उनकी उपेक्षा कर दे। यदि वे ब्रिटिश झडेकी शरणमे रहना चाहते है तो भारतको उन्हे साम्राज्यका एक अविच्छेद्य अग और, इसलिए, सब प्रकारके लिहाजका अधिकारी मानकर चलना होगा। साम्राज्य दढतासे एक सूत्रमे ग्रथित रहेगा अथवा परस्पर विरोधी स्वार्थोके कारण छिन्न-भिन्न हो जायेगा, इस प्रश्नका उत्तर बहुत कुछ उस भावनापर निभर करेगा, जिससे प्रेरित होकर उपनिवेशी, ब्रिटिश और भारतीय राजनीतिज्ञ अपना काय करेगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११-११-१९०५

1. इस विषयपर प्रो० परमानन्दके भाषण ४ ११ और १८ नवम्बर, १९०५ के इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुए थे।

१४६. नेटालका प्रवासी-अधिनियम

मुख्य प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिकारी, श्री हेरी स्मिथका ध्यान हम एक भावानुवादकी ओर आकृष्ट कर रहे हैं जो हमने दूसरे स्तम्भमें प्रकाशित किया है। इसमें उन कठिनाइयोंका उल्लेख है जो, कहा जाता है कि, भारतीय यात्रियोंको 'सोमाली' जहाजपर भुगतनी पड़ी हैं। यदि इन आरोपोंमें[1] कुछ भी सचाई है तो ये बड़ी गम्भीर स्थितिके द्योतक हैं। हमारे सामने जो शिकायत है, उसपर शिकायत करनेवाले यात्रीने हस्ताक्षर किये हैं। इस शिकायतको स्वीकार करने और प्रकाशित करनेसे पहले हमने उनसे कड़ी जिरह की थी। हम जानते हैं कि श्री हेरी स्मिथ उन यात्रियोंको, जो प्रवासी अधिनियमसे प्रभावित हों, अनावश्यक कठिनाइयोंसे बचानेके लिए उतने ही चिन्तित हैं जितने कि हम हैं। इसलिए हम निश्चयके साथ अनुभव करते हैं कि हमें उनका ध्यान केवल इस शिकायतकी ओर आकृष्ट कर देना चाहिये, और इसकी पूरी पूरी तहकीकात हो जायेगी। हम यह उल्लेख कर देना चाहते हैं कि यह पहला ही अवसर नहीं है जब हमें इस प्रकारकी शिकायतें मिली हैं। परन्तु अभी तक हमने उनको छापना या शिकायत भेजनेवालोंको अपनी शिकायतें सम्बन्धित अधिकारियोंके पास भेजनेकी सलाह देनेके सिवा और कुछ करना उचित नहीं समझा। परन्तु इस बार हमें जो तथ्य ज्ञात हुए हैं वे इतनी अच्छी तरह सचाईके साथ रखे गये हैं कि उनकी ओर सार्वजनिक ध्यान आकृष्ट करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। प्रवासी अधिकारियोंकी ओरसे इसके खण्डन स्पष्टीकरण अथवा समर्थनमें कुछ आयेगा तो हम उसको भी इतने ही प्रमुख रूपसे सहर्ष प्रकाशित करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११–११–१९०५

१४७. लाल फीता

'नेटाल मर्क्युरी'ने प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियम-सम्बन्धी पत्र व्यवहारको छाप कर एक लोक-सेवा की है। अधिनियम जिस तरह अमलमें आ रहा है उसपर यह पत्र व्यवहार बहुत प्रकाश डालता है। ज्ञात होता है कि श्री ई० वाज नामके एक सुशिक्षित भारतीयको जब वे पिछले ३० सितम्बरको अपने किसी मित्रको एक जर्मन जहाजसे विदा करने गये थे, जहाजपर जानेसे रोक दिया गया था। श्री वाज जिस मित्रको विदाई देने गये थे उसे भी, दूसरे दर्जेका टिकट दिखानेके बावजूद, जहाजपर नहीं चढ़ने दिया गया। शिकायत है कि कामपर तैनात सिपाहीने उन दोनोंके साथ दुर्व्यवहार किया। इसपर श्री वाजने समुद्री पुलिस सुपरिटेंडेंटको लिखा, जिसने जवाब दिया कि सिपाही उसके निर्देशोंका पालन कर रहा था। तब वे मामला उपनिवेश कार्यालयमें ले गये। उपनिवेश कार्यालयने भी वही रस्मी जवाब दिया और बताया कि निर्देश

१. इन आरोपोंका सार यह था कि २७ व्यक्ति, जो नेटाल बन्दरपर २५ अक्टूबरको पहुँचे थे, जहाजकी एक तंग कोठरीमें ३ दिन तक बन्द रखे गये थे। उनमेंसे अधिकांशको निराहार तथा बिना पानीके भी दिन बिताने पड़े थे। देखिए इसी खण्डमें, पृष्ठ १४१।

प्रवासी प्रतिबन्धक विभागकी ओरसे दिये गये थे। इसपर श्री वाजने प्रधान प्रवासी प्रतिबन्धक अधिकारीके पास दरखास्त की। उसने निर्देशोके सम्बन्धमे श्री वाजको कोई भी जानकारी देनेसे इनकार करते हुए मामला खतम कर दिया, और कहा "मै अन्तर्विभागीय प्रबन्धोके सम्बन्धमे बाहरसे की गयी पूछताछका जवाब देना जरूरी नही समझता।" दुव्यवहारकी बातसे इनकार नही किया जाता सिपाहीकी कारवाईको शुरूमे अखीर तक सही करार दिया जाता है, और जब लोग यह जानना चाहते ह कि उनसे जिन विनियमोके पालनकी अपेक्षा की जाती है वे क्या है तब जवाब मिलता हे कि यह पूछना उनका काम नही है। यह प्रशासनका निराला ही तरीका हे। अबतक तो लोगोको उन कानूनोके स्वरूपसे परिचित करा दिया जाता था जिनके पालनकी उनसे अपेक्षा थी, परन्तु अब सरकारने निश्चय किया है कि प्रवासी विभाग अपने विनियमोका प्रशासन गुप्त रूपसे करे और, जिन लोगोपर इन विनियमोका असर पडता हे, उनसे अपेक्षा की जाये कि वे, उन विनियमोका अन्दाजा लगाकर, उनका पालन करे। हम सरकारका उल्लेख विशेष करते है, क्योकि श्री हैरी स्मिथने ऐसा अनुप्रेरित होकर ही लिखा है। जहातक हमे मालूम है, उन्होने जनतासे कभी किसी जानकारीका दुराव नही किया हे। हम नही जानते कि सरकार अपने बहुमूल्य विनियमोको गुप्त रखकर किस लाभकी आशा करती है। परन्तु हम इतना अवश्य जानते है कि सिपाहीकी कारवाई, निसन्देह, गैर कानूनी थी, और वादीको जानकारीसे वचित रखकर किसी गैर कानूनी कारवाईको शह देनेका प्रयत्न, कमसे कम कहा जाये तो, घोर अब्रिटिश है।

हम अपने सहयोगीको एक ऐसी बातको, जो किसी निन्द्य प्रसगसे जरा भी कम नही है प्रकाशमे लानेके लिए बधाई देते है। वह इसलिए और अधिक बधाईका पात्र है कि उसने इसपर कडे शब्दोमे [illegible] टिप्पणी लिखी है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११-११-१९०५

१४८ रूस और भारत

रूसमे इन दिनो जो खलबली मची हुई है, उससे हमे बहुत-कुछ समझना है। रूसका सम्राट[1] इस समय दुनिया भरमे सबसे बडा तानाशाह हे। रूसके लोग बहुत कष्ट भोग रहे है। गरीब लोग कर-भारके नीचे दबे है, पुलिस जनताको कुचल रही है और जारके मनमे जैसा झोका आता है, लोगोको उसीके मुताबिक करना पडता है। हाकिम सत्ताके नशेमें चूर है। जनताके सुखका उन्हे कतई खयाल नही हे। अपना बल कैसे बढे, खुद ज्यादा पैसे कैसे बटोरे, इसे ही वे अपना कर्त्तव्य मानते है। जनताकी मशा बिलकुल नही थी, फिर भी जारने जापानसे[2] लडाई करके रूसी सिपाहियोके खूनकी नदी बहाई, और हजारो मजदूरोके गाढे पसीनेकी कमाईको जापानके समुद्रमे फेक दिया।

१ जार निकोलस द्वितीय (१८६९-१९१८), १८९४ में गद्दीपर बैठा।

२ रूस व जापानकी लड़ाई १९०४की फरवरीमें शुरू हुई था। इसमें रूसकी हारके बाद ५ सितम्बर १९०५ को सन्धि हुई।

यह सब रूसी प्रजा बहुत बरसोसे सहन करती आ रही है। परन्तु अब तो उसके धैर्यका अंत आ गया है। रूसी लोगोने इन सारे अत्याचारोको दूर करनेके लिए बहुत हाथ पैर पटके है। लेकिन उन्हे सफलता नही मिली। उन्होने विद्रोह किये, ताहताहके खून किये, पर इससे कुछ भी काम नही बना। अब उन्होने एक अन्य उपाय ढूढ निकाला है। वह बडा सरल है और विद्रोह व खूनके मुकाबले ज्यादा जोरदार है। रूसी कारीगर और दूसरे सब नौकरोने हडताल करके काम बन्द कर दिया है, सेवाएँ बन्द कर दी है और जारको खबर दी है कि जबतक न्याय नही मिलेगा तबतक वे लोग कामपर बिलकुल नही जायेंगे। इसके खिलाफ जार भी क्या कर सकता है? लोगोसे जबरदस्ती तो काम नही लिया जा सकता। काम न करनेवालोको भालेकी नोकपर चढाना तो रूसके जारके भी अधिकारमे नही है। इसलिए अब जारने ढिढोरा पीटकर ऐलान किया है कि राज्यके सचालनमे प्रजाको भी हिस्सा मिलेगा। प्रजाकी सम्मतिके बिना जार एक भी कानून नही बनायेगा। इन सब बातोका अंतिम परिणाम क्या होगा यह कुछ कहा नही जा सकता। लेकिन जार अपने वादेको अमलमे नही लायेगा तो उससे यह साबित नही होगा कि जनताने इस समय जो उपाय हाथमे लिया है वह ठीक नही है। उससे सिर्फ इतना ही साबित होगा कि लोगोने अपने उपायमे दृढता नही बरती, क्योकि सत्ताधारी भी लोगोकी मददके बिना अपनी सत्ताका उपभोग नही कर सकते। परन्तु यदि रूसी प्रजा कामयाब हो गई तो रूसमे होनेवाला परिवर्तन इस शताब्दीकी बडीसे बडी जीत और बडीसे बडी घटना कहलायेगा।[1]

हमने शीर्षकमे रूस और भारत दोनोको जोडा है। इसलिए अब यह बताना शेष है कि रूसमे होनेवाली घटनाओके साथ भारतका क्या सम्बन्ध है। भारतकी वर्तमान राज्य-व्यवस्था और रूसकी राज्य-व्यवस्थामे बहुत समानता है। वाइसरायकी सत्ता जारकी सत्तासे कुछ कम नही है। जिस प्रकार रूसके लोग कर देते है उसी प्रकार हम दे रहे है। जैसे रूसके करदाताओका राजस्वके उपयोगपर कोई अधिकार नही है, वैसे ही भारतके लोगोका भी नही है। जिस तरह रूसमे सेनाका जोर है उसी तरह भारतमे है। अन्तर केवल इतना है कि रूससे भारतके मुकाबले राज्यसत्ताका उपयोग अधिक बेढंगे तौरसे किया जाता है। रूसी लोगोने अत्याचारका सामना करनेके लिए जो उपाय किया है वह हम भी काममे ला सकते है। बंगालमे स्वदेशी माल इस्तेमाल करनेका आन्दोलन चल रहा है। उसका स्वरूप रूसके आन्दोलनके समान है। यदि भारतवासी संगठित हो जाये, धैर्य रखे, स्वदेशाभिमानी बने और अपने स्वार्थको छोडकर स्वदेशके सुखका खयाल करे, तो आज ही हमारे बन्धन छूट सकते है। भारतका राज्य-कार्य लोगोकी नौकरीके द्वारा ही चल सकता है। रूसके लोगोने जिस शक्तिका परिचय दिया वही शक्ति हम भी बता सकते है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११-११-१९०५

१ १९०५ की क्रांति जिसको बादमें लेनिनने १९१७ की क्रान्तिका पूर्वाभ्यास माना।

१४९ सर टी० मुतुस्वामी ऐयर, के० सी० आई० ई०

सर टी० मुतुस्वामी ऐयरका जन्म तजोरके एक गरीब परिवारमे २८ जनवरी, १८३२ को हुआ था। बहुत ही छोटी उम्रमे पिताका देहान्त हो जानेके कारण बचपनसे ही उनपर पैसा कमानेका बोझा आ पडा। इससे वे एक रुपये मासिक वेतनपर ग्राम शिक्षकके रूपमे काम करने लगे। सन १८४६ तक यह सिलसिला चला। इस बीच इस बालककी बुद्धि और उद्योगशीलता देखकर मुतुस्वामी नायकर नामक एक सज्जनके मनमे स्नेह पैदा हो गया। एक बार किसी गावकी नदीका बाध टूट जानेकी खबर मुतुस्वामी नायकरको मिली। उसने अपने मुशीको बुलाया। वह हाजिर नही था, इसलिए बालक मुतुस्वामीने उत्तर दिया। नायकरने उसको जाच करनेका काम सोपा। मुतुस्वामी सब जगह घूमकर सारी जानकारी ले आये। श्री नायकरको उसपर विश्वास नही हुआ। लेकिन जल्दी थी, इसलिए उन्होने उसकी रिपोटको मजूरी दे दी। बादमे उन्हे खबर मिली कि मुतुस्वामीकी लाई सारी जानकारी सही थी। इसपर श्री नायकर बहुत प्रसन्न हुए।

मुतुस्वामीको अपने इस प्रकारके जीवनसे सन्तोष नही था। उसने दढतापूवक आगे बढनेका निश्चय किया ओर जब जब समय मिलता, वह पाठशालाओमे चला जाता। इससे श्री नायकरने उसको १८ महीने तक नेगापत्तमके एक मिशन स्कलमे रखा। फिर मद्रास हाई स्कलमे भेजा और राजा सर टी० माधवरावके नाम परिचय पत्र दिया। दिना-दिन मुतुस्वामी पढनेमे प्रगति करने लगा। उस समय श्री पावेल मुख्य शिक्षक थे। उन्होने मुतुस्वामीका मूल्य आक लिया था और उसपर विशेष ध्यान देते थे। सन १८५४ मे एक अग्रेजी निबन्ध लिखकर उसने ५०० रुपयेका इनाम लिया। हाई स्कूलमे अपना अध्ययन पूरा करनेके बाद उसको ६० रुपयेपर शिक्षककी जगह मिली। बादमे तरक्की करते करते उसे शिक्षाके अधिकारीकी जगह मिली। इस बीच सरकारने वकालतकी सनदकी परीक्षा शुरू की। मुतुस्वामीने इस परीक्षाकी तैयारी की और उसमे पहले नम्बरपर उत्तीण हुआ। मुनसफोकी जाच करनेके लिए समय समयपर न्यायाधीश दोरा किया करते थे। एक बार न्यायाधीश बोकॉम अकस्मात आ पहुँचा। वह मुतुस्वामी ऐयरका काम देखकर इतना अधिक खुश हुआ कि उसने कह डाला कि मुतु स्वामी उसके बराबरीकी कुर्सी लेने योग्य है। मुतुस्वामीकी योग्यता इतनी अधिक प्रकट होने लगी कि उनको मद्रासमे मजिस्ट्रेटकी जगह दी गई। न्यायाधीश हॉलवे उनपर बडा प्रसन्न हुआ। उसने उनको और भी अध्ययन करनेको कहा। मुतुस्वामीने ऐसा ही किया। अध्ययनमे सहायता मिलनेकी दष्टिसे उन्हाने जमन भाषा सीखी। मुतुस्वामी अत्यन्त स्वतन्त्र प्रकृतिके व्यक्ति थे। एक बार एक भारतीयने उच्च न्यायालयके एक न्यायाधीशपर मार पीटका इलजाम लगाया। मुतुस्वामीने बेखटके उक्त न्यायाधीशके नाम समन जारी कर दिया। बडे मजिस्ट्रेटने सूचना की कि उस न्यायाधीशको पेश होनेके लिए बाध्य न किया जाये। मुतुस्वामीने इसकी परवाह नही की। न्यायाधीशको उपस्थिन रहना पडा और उसपर तीन रुपये जुर्माना हुआ। इसके बाद मुतुस्वामी ऐयर "लघुवाद" न्यायालयके न्यायाधीश बने। सन १८७८ मे उनको के०सी०आई०ई०का खिताब मिला और वे उच्च न्यायालयके न्यायाधीश नियुक्त हुए। इस न्यायालयके न्यायाधीश नियुक्त होनेवालोमे वे प्रथम भारतीय थे। उनके फैसले इतने उत्तम होते थे कि आज तक ऐसा कहा जाता है कि सवश्रेष्ठ अग्रेज न्यायाधीशके साथ वे टक्कर ले सकते है। सुप्रसिद्ध श्री विटली स्टाक्स कहते ह कि मुतुस्वामी ऐयर और सैयद महमूदके फैसलोके मुकाबलेके फसले उन्होने कम देखे

है। उनका काम सब प्रकारसे इतना अच्छा था कि १८९३ मे उनको मुख्य न्यायाधीशकी जगह मिली। सन १८९५ मे सर मुतुस्वामी ऐयरकी केवल कामके बोझसे क्षीण हो जानेके कारण मृत्यु हो गई।

सर मुतुस्वामी ऐयर न्यायमे अद्वितीय थे, इतना ही नही, वे भारतीय जनताकी भलाईके कामोमे जितना सम्भव हो सकता था उतना हिस्सा लेते थे। बाल विवाह, विधवा विवाह, विदेश यात्रा, आदि विषयोपर समय समयपर व्याख्यान देते थे और सुधारकोको प्रोत्साहन देते थे। वे स्वय बडे दयालु और सरल थे। सदा स्वदेशी पोशाक ही पहनते थे। ईश्वर भक्तिमे लीन रहते थे। उन्होने अपने सुयशसे मद्रास इलाकेको जगमगा दिया था।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११–११–१९०५

१५० भारतीय स्वयसेवक-दल

युद्ध कालमे भारतीयोपर सेवाकी जिम्मेवारी डालनेके सम्बन्धमे पिछले सप्ताह हमने, न्यू कसिलकी एक राजनीतिक सभामे हुए कुछ प्रश्नोत्तर 'नेटाल विटनेस' से उद्धृत किये थे।[1]

श्री थारल्डने जोर दिया कि यदि प्रतिरक्षाके लिए प्रथम पक्तिके निर्माणका आह्वान किया जाये तो कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि अरबो और भारतीयोको भी सहायता करनेके लिए कहा जा सके। जब यूरोपीय लोग मोर्चेपर लड रहे हो, तब अरबोको अपनी दूकानोमें बैठे रहकर व्यापार करते रहने देना स्पष्ट ही अनुचित होगा।

श्री थॉरल्ड यदि सरकारकी आन्तरिक कार्य-पद्धतिसे परिचित होते तो वे ऐसे शब्द न कहते जो उनके कहे बतलाये गये है। सरकार भारतीयोको यह दिखलानेका 'मौका ही नही देना चाहती' कि वे भी उपनिवेशकी प्रतिरक्षामे अन्य लोगोके समान भाग ले सकते है। स्मरण रहे कि बोअर युद्धके समय भारतीयोने स्वय यह इच्छा प्रकट की थी कि उन्हे जो भी काम दिया जायेगा उसे वे करनेके लिए तैयार है, परन्तु घायल सिपाहियोको ढोकर लानेके काम तक के लिए अपनी सेवाएँ स्वीकृत करवानेमें उन्हे भारी कठिनाई हुई थी। जनरल बुलरने प्रमाणित कर दिया है कि नेटाल भारतीय आहत-सहायक दलने कैसा काम किया था। यदि सरकार केवल इतना अनुभव कर सकती कि कितनी सुरक्षित शक्ति व्यर्थ नष्ट हो रही है तो वह इसका उपयोग कर लेती और भारतीयोको वास्तविक युद्धके लिए पूर्ण प्रशिक्षणका अवसर देती। कानूनकी पुस्तकमें इसी प्रयोजनका एक कानून भी है, परन्तु निरे विद्वेषके कारण उसे निकम्मा हो जाने दिया गया है। हमारा तो विश्वास है कि उपनिवेशमे जन्मे भारतीयोका एक बडा सुन्दर स्वयसेवक-दल बन सकता है, और वह चुस्ती और मुस्तैदीके लिहाजसे, शान्तिके दिनोमे ही नही, युद्धके समयमे भी नेटालमे किसीसे भी पीछे नही रहेगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १८–११–१९०५

१ देखिए खण्ड ३ पृष्ठ १३८–९।

१५१. बन्दरगाहमें भारतीयोंके साथ दुर्व्यवहार

'सोमाली' जहाजके भारतीय यात्रियोंके[1] साथ नेटाल बन्दरगाह पहुँचनेपर दुर्व्यवहार होनेकी जो बात कही गई है, उसके विषयमें गत सप्ताह हम लिख चुके हैं। इस तथ्यके समर्थनमें हमें एक दूसरे व्यक्तिका पत्र मिला है। उसने गुजरातीमें लिखा है। उसका भाव यह है

> **जिन लोगोंके पास ट्रान्सवालके अनुमतिपत्र नहीं थे, परन्तु जो लोग ट्रान्सवालके शरणार्थी थे, और जिन अन्य लोगोंके पास नेटालके पास नहीं थे, उन्हें बहुत तकलीफ दी गई। तीन दिन तक उन लोगोंको जहाजके गोदाममें रखा गया। वे अपने भोजनके लिए भी किन्हीं चीजोंका प्रबन्ध नहीं कर सके। तीसरे दिन डर्बनके व्यापारी श्री हासम जुमाने वकीलकी मारफत तजवीज की और लगभग पांच लोगोंको उतरवाया। जब श्री हासम जुमा स्वयं जमानत दाखिल करने गये, वह मंजूर नहीं की गई। वकीलके आने-पर ही बड़ी मुश्किलसे वे उतारे गये। जो यात्री डेलागोआ-बेमें नहीं उतर सके थे, उन्हें भी तालेमें रखा गया, और उन्हें भोजन बनानेकी आज्ञा नहीं मिली।**

हम ऊपर कही गयी बातकी ओर श्री हैरी स्मिथका ध्यान आकर्षित करते हैं। यदि यह सच है तो इस दुःखको शब्दोंमें नहीं कहा जा सकता। और यदि यह सच हो कि किसी वकीलके हस्तक्षेपपर ही यात्राके पासोंकी अनुमति मिली तो यह बहुत स्पष्ट है कि कहीं न-कहीं कोई बड़ी खराबी जरूर है। वस्तुस्थिति यह है कि बेचारे भारतीयोंको उपनिवेशमें बसने या अस्थायी तौरपर रहनेके अपने अधिकारोंकी पूर्ति करानेके लिए बहुत परेशानी और खर्च उठाना पड़ता है। प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमको उचित ढंगसे लागू करनेके खिलाफ हमें कुछ नहीं कहना है। किन्तु हम निश्चय ही यह सोचते हैं कि जिन्हें उपनिवेशमें उतरनेका अधिकार है अथवा जिन्हें किसी पड़ोसी उपनिवेशमें जानेके लिए नेटालसे होकर गुजरनेकी प्रत्येक सुविधा दी जानी चाहिए उनपर केवल नियम निर्वाहके लिए वकील करनेका खर्च नहीं लादा जाना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १८–११–१९०५

१ देखिए "नेटालका प्रवासी अधिनियम" पृष्ठ १३६।

१५२ जोहानिसबर्गमें भारतीय बस्ती

जोहानिसबर्ग नगर परिषदने प्रस्ताव किया है कि आगामी वर्षकी पहली अप्रैलको मलायी बस्तीके निकट रहनेवाले काफिरोंको क्लिपस्प्रूट भेजा जायेगा। क्लिपस्प्रूट जोहानिसबर्गसे १३ मील दूर है। अतः इसमें शक है कि इतनी दूर काफिर कैसे रह सकेंगे। क्लिपस्प्रूटमें काफिरोंकी बस्तीके पास ही परिषद भारतीय 'बाजार' बसानेका विचार कर रही है और सोचती है कि इस सम्बन्धमें परिषदको जब सत्ता मिलेगी तब वह 'बाजार' बसाया जायेगा।

मलायी बस्ती ले लेनेकी हलचल चल रही है। इसलिए भारतीयोंको आजसे चेत जाना चाहिए। सबसे अच्छा रास्ता यह है कि जोहानिसबर्गमें ही सारे भारतीयोंका समावेश हो जाये, ऐसी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, यद्यपि हम मानते हैं कि मलायी बस्तीको लेनेमें अभी कुछ समय लगेगा और आगामी जनके पहले भारतीयोंके लिए नये कानून बनना सम्भव नहीं है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १८–११–१९०५

१५३ ट्रान्सवालके भारतीयोंको अनुमतिपत्रके सम्बन्धमें सूचना

हमें पता चला है कि अनुमतिपत्रकी अर्जी देनेवालोंसे जो गोरे गवाहोंके नाम माँगे जाते थे, वह तरीका अब बन्द कर दिया गया है, और अब पहलेकी तरह केवल भारतीयोंकी गवाहीसे काम चल जायेगा। आज तक भारतीय गवाहोंको बुलाकर पूछा नहीं जाता था, परन्तु अबसे भारतीय गवाहोंकी मौखिक गवाही शुरूसे ही ली जायेगी। इसलिए हमारी सिफारिश है कि बहुत सावधानीसे गवाह उपस्थित किये जायें।

लड़कोंके अनुमतिपत्रके सम्बन्धमें भी यह खुलासा हो गया दीखता है कि जिनके माता पिता ट्रान्सवालमें हों और जो १६ वर्षकी आयुसे छोटे हों उनको अनुमतिपत्र मिल सकेगा। उसके सम्बन्धमें जो छपे हुए फार्म हैं उन्हें उनके अभिभावकों या पिताओंको भरना होगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १८–११–१९०५

१५४ जापान और ब्रिटिश उपनिवेश

ब्रिटिश सरकार जापानके साथ अपने सम्बन्धोके बारेमे सकट अनुभव करने लगी हे। ब्रिटिश सरकारने जापानके साथ सन्धि की हे। जापान बडा राज्य हे, यह उसने स्वीकार किया हे। सन्धिपत्रसे जाहिर होता हे कि जापान इग्लैडकी बराबरीका है। नौसेनापति तोजोको अग्रेज नेल्सनके बराबर मानते हैं और जापानके जो प्रजाजन इग्लड जाते है उनका वे लोग आदर मान करते ह।

जब इग्लडमे यह स्थिति है तब न्यूजीलड उपनिवेशके प्रधानमन्त्री श्री सेडन कहते है कि इग्लैड और जापानके बीच जो सन्धि हुई हे उससे हमारा कोई सम्बन्ध नही है। हम जापानके एक भी आदमीको न्यूजीलैडमे घुसने नही देंगे।

पश्चिम आस्ट्रेलियामे जिस प्रकार एशियाके लोगोके लिए सख्त कानून है उसी प्रकार जापानी जनताके लिए भी है। इससे जापानका दिल दुखा है। जापानके राजदूतने लिखा पढी की है कि ये कानून रद हो जाने चाहिए। इसपर उपनिवेश मत्री श्री लिटिलटनने लिखा है कि आस्ट्रेलियाके उस कानूनमे परिवतन किया जाना चाहिए। पश्चिम आस्ट्रेलियाके मत्रीने उत्तर दिया है कि उस कानूनमे परिवतन इस प्रकार किया जायेगा कि जापानका अपमान न हो, परन्तु उसका असर तो ज्यो का त्यो रहेगा। अर्थात, अब जापानको कडवी गोली चादीके वकमे लपेटकर दी जायेगी।

ऐसी हालतमे इग्लैड क्या करेगा? यदि एक ब्रिटिश उपनिवेशकी प्रजा इस प्रकार ब्रिटेनकी राजनीतिके विरुद्ध बरताव करती रहे तो या तो उस उपनिवेशको इग्लडको छोड देना पडेगा या फिर उपनिवेशके साथ बँधकर उसे भी अपनी राजनीतिमे परिवतन करना होगा।

जो बात जापानपर लागू होती है वही बात भारतपर भी लागू होती हे। फिर भारतका हक तो और भी मजबत माना जायेगा, क्योकि वह ब्रिटिश राज्यका एक हिस्सा हे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १८-११-१९०५

१५५ केपका प्रवासी-कानून

केपके प्रवासी काननमे सख्ती बढती जा रही है। अबतक सिफ समुद्री मागसे आनेवाले लोगोपर सख्ती होती थी। अब जो व्यक्ति ट्रान्सवाल पार करके आयेगा उसपर भी सख्ती की जानेवाली हे। केपके 'गजट'मे कानून प्रकाशित हुआ है कि जो व्यक्ति ट्रान्सवालके रास्ते केप पहुँचे, उसके पास यह प्रमाण होना चाहिए कि वह केपका निवासी है। यदि वह केपमे प्रवेश पानेका अधिकार सिद्ध नही करेगा तो उसे वापस भेजनेमे जो व्यय होगा वह उसे केप सरकारको क्षति पूर्तिके रूपमे चुकाना पडेगा। इसलिए[1] केपके सत्ताधीश यह सूचित करते है कि जो लोग केपमे जाना चाहते हो वे पहलेसे केपका पास प्राप्त कर ले। केपमे पास प्राप्त करनेमे बहुत कठिनाइया होती है। जिस व्यक्तिके पास जमीन न हो और उसके बच्चे केपमे न हो, उसको

१ मालूम पड़ता है, मूलमें यहाँ छपाईकी भूल है। वहाँ अकेले के अर्थका शब्द छपा है।

यह साबित करनेमें अनेक बाधाएँ आती हैं कि वह व्यक्ति केपका निवासी है। ऐसे व्यक्तिको तो, यों कहना चाहिए कि, पास मिलता ही नहीं है।

इस सम्बन्धमें ब्रिटिश भारतीय समितिको (ब्रिटिश इंडियन लीग) आवश्यक कारवाई करनी चाहिए, नहीं तो केपकी सख्ती दिनादिन बढ़ती जायेगी। केपमें मोर्चा लेनेकी कतिपय सुविधाएँ हैं। वैसी सुविधाएँ अन्यत्र नहीं हैं। और उन सुविधाओंका ब्रिटिश भारतीय समिति लाभ उठायेगी, ऐसा हमें विश्वास है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १८–११–१९०५

१५६ माउंटस्टुअर्ट एलफिन्स्टन

एलफिन्स्टन परिवार स्काटलैंडमें सुप्रसिद्ध है। अठारहवीं शताब्दीके अन्तमें उस परिवारका एक सदस्य माउंटस्टुअर्ट एलफिन्स्टन, सोलह वर्षकी आयुमें ईस्ट इंडिया कम्पनीकी नौकरीमें कलकत्ते आया। भारतमें समय-समयपर उपद्रव होते ही रहते हैं। वैसा ही १७९६ में भी हुआ। अवधका पदच्युत नवाब वजीरअली बनारसमें नजरबन्द था। उसने बनारसके रेजिडेंटके स्थानपर हमला किया। बनारसके अंग्रेज न्यायाधीशने और कुमक पहुँचने तक भालेसे अपना बचाव किया। एलफिन्स्टन उस समय वहाँ मौजूद था। उसने भी अपना बचाव बहादुरीसे किया। सन् १८०० में पूनाकी ओर उपद्रव हुआ। एलफिन्स्टनको वहाँ नौकरी मिली। इस बीच उसने भाषा-ज्ञान अच्छा प्राप्त कर लिया था। और लड़ाईमें भी शौर्य बताकर उसने जनरल वेलेसलीको प्रसन्न कर लिया था। इसके बाद उसको नागपुरके रेजिडेंटकी जगह मिली। यहाँ उसने अपना ज्ञान बढ़ाया। १८०९ में उसे काबुलके अमीरके पास भेजा गया था। उन्हीं दिनोंमें डरके कारण अमीरकी खुशामद करनेका सिलसिला चलता आ रहा है। उधरसे, अर्थात् काबुलके रास्तेमें, भारतपर आक्रमण किया जायेगा, यह भूत तबसे ही सवार है। और इस बेबुनियाद भयसे बचनेके लिए अंग्रेज सरकारने पानीके समान पैसा बहाया है। इसी डरके कारण अमीरके साथ करार करनेके लिए एलफिन्स्टनको भेजा गया था। परन्तु एलफिन्स्टनका खाली हाथ लौट आना पड़ा। उसके स्थानपर यदि और कोई व्यक्ति होता तो उसे जो काम सौंपा नहीं गया, उसमें हाथ न डालता, और उसमें उसका कोई दोष भी नहीं माना जाता। अक्सर जो काम अपने वेतनपर निगाह न रखकर शौकके कारण किया जाता है वह सिर्फ वेतनवाले कामके मुकाबले ज्यादा अच्छा होता है। एलफिन्स्टनकी स्थिति ऐसी ही थी। काबुलके अमीरको मात देनेकी सत्ता उसके हाथमें नहीं थी तो क्या हुआ? अफगानिस्तानमें अपना समय और ढंगसे व्यतीत करनेका साधन उसके पास मौजूद था। उसने वहाँके लोगों और वहाँकी जगहोंके बारेमें यथावश्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। और इस ज्ञानका लाभ उसने अंग्रेज जनताको दिया। यद्यपि वह अफगानिस्तानमें असफल होकर वापस आया, फिर भी उसकी प्रतिष्ठामें तो वृद्धि ही हुई। १८११ में उसको पूनाके रेजिडेंटकी जगह मिली। इस समय पिंडारी लोग गरीबोंको बहुत सताते थे। उधर, सिंधिया,

१ मूल गुजरातीमें '१८ नो साल' है जिसका अर्थ है, वर्ष १८। यह छपाईकी भूल मालूम होती है।

२ बादमें ड्यूक ऑफ वेलिंग्टन।

३ तब दक्षिणकी रियासतोंमें सेनाके साथ साथ अनियमित सवार रखनेकी प्रथा चली आती थी, जो युद्ध-कालमें तो शत्रु देश पहुँचनेपर लूट पाट करते ही थे, शान्ति कालमें भी खेती बाड़ीके अलावा अपना लूटपाटका काम जारी रखते थे। ये पिंडारी कहलाते थे। केन्द्रीय शक्तियोंके ह्रासके साथ ही इनका जोर बढ़ता गया।

होलकर आदि अंग्रेजोंपर चढाई करनेके लिए अधीर हो उठे थे। पूनाका पेशवा अंग्रेजोंके पक्षमें था। परन्तु वह बहुत कमजोर था। उसका दीवान त्र्यबकजी बडा खटरागी था। उसने कोई घोर कुकर्म किया था, इसलिए पेशवाकी मंशा न होनेपर भी उसे कैद कर दिया गया था। कैदसे वह भाग निकला था और हाथ नहीं आ रहा था। एलफिन्स्टनको पता चला कि स्वयं पेशवा अंग्रेजी राज्यके खिलाफ चाल चल रहा है। उसके पास बचावके लिए साधन-सामग्री बहुत कम थी, फिर भी वह डरा नहीं। यद्यपि उसकी जानकारीमें सारी बातें आती रहती थीं फिर भी वह इतनी गम्भीरतासे रहा कि उसकी तैयारियोंको कोई जान न सका। अंतमें पेशवाने खुल्लम खुल्ला विरोध किया। पेशवाई फौजने अंग्रेजी छावनीपर धावा बोल दिया और एलफिन्स्टनने अपने मुट्ठी भर आदमियोंकी मददसे उस फौजको भगा दिया। इस बीच जनरल स्मिथ एलफिन्स्टनकी सहायताको आ गया। बाजीराव पेशवाकी पूरी हार हुई और पूना अंग्रेज सरकारने ले लिया। बाजीरावको पेंशन दी गई। एलफिन्स्टनकी इस समयकी बहादुरीके बारेमें विख्यात कैनिंग कह गया है

"एलफिन्स्टन दीवानी अधिकारी है। हम अपने दीवानी अधिकारियोंसे युद्धमें पराक्रमकी आशा नहीं रखते। हमारे पास योद्धा हैं। इन योद्धाओंमें एलफिन्स्टन शानदार योद्धा है, यह उसने पेशवाओंकी लडाईमें दिखा दिया है। वह दीवानी काममें सर्वप्रथम है यह सब जानते हैं।"

बाजीरावके साथकी लडाई समाप्त होनेपर एलफिन्स्टनका काम और भी कठिन हो गया। अब उसे लोगोंपर राज्य करना था। उस समयके अंग्रेज शासक जनताके प्रति बडी सद्भावना रखते थे। जनतापर राज्य करते समय नये कानून बनाते थे। वे पहले यह विचार करते कि लोग किस प्रकारके राज्यसे परिचित हैं और उनको किस प्रकारका राज्य पसन्द आयेगा। एलफिन्स्टनने यही किया। पुराने मराठा परिवार किस प्रकार बने रहें, इस सम्बन्धमें उसने बहुत सावधानी बरती। उनकी जागीरोंको हाथ नहीं लगाया और इसी विचारसे उसने शिवाजीके उत्तराधिकारियोंके लिए सतारा राज्यकी स्थापना की। मराठे लोग इससे बहुत खुश हुए। उसने लोगोंकी भावनाओंको जाननेका प्रयत्न किया और उनको ठेस न पहुँचे, यह खयाल रखा।

इस प्रकार सहृदय एलफिन्स्टन सन १८१९ में बम्बईका गवर्नर नियुक्त हुआ। उसने लोगोंके मन हर लिये। शिक्षापर उसने बहुत ध्यान दिया। भारतमें लोगोंको शिक्षा देना अंग्रेज सरकारका प्रथम कर्त्तव्य है, ऐसा समझनेवालोंमें एलफिन्स्टन पहला व्यक्ति माना जा सकता है। इस समय बम्बईमें जो एलफिन्स्टन कॉलेज है वह इस लोकप्रिय गवर्नरकी स्मृतिमें स्थापित हुआ है। न्याय विभागमें भी उसने बहुत सुधार किये हैं। इस प्रकार उसने बम्बईमें आठ वर्ष तक राज्य संचालन किया। जब उसने बम्बईका राज्यपद छोडा तब हर कौमकी ओरसे उसका बहुत सम्मान किया गया। इसके बाद उसने अपना बाकी समय विलायतमें बिताया और भारतका इतिहास लिखा। उस पुस्तककी प्रशंसा आज भी की जाती है। उसको गवर्नर जनरलका पद देनेकी विलायतमें दो बार कोशिश की गई, परन्तु अपने स्वास्थ्यकी खराबीके कारण उसने यह बडा पद लेनेसे इनकार कर दिया। दिसम्बर २१, १८५९ को ८१ वर्षकी आयुमें इस महान पुरुषकी मृत्यु हो गई।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १८-११-१९०५

१५७ तार सर आर्थर लालीको

[जोहानिसबग
नवम्बर २४, १९०५ के बाद]

ब्रिटिश भारतीय सघ परमश्रेष्ठको मद्रासके गवनरके पदपर नियुक्त होनेके उपलक्ष्यमे बधाइया प्रदान करता है।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २-१२-१९०५

१५८ व्यक्ति-कर

व्यक्ति कर लगानेके विषयमे हमारे पास सैकडा भारतीयोकी ओरमे जो शिकायते आई ह, उन्हे प्रकाशित न करना बुद्धिमानी न होगी। व्यक्तिगत रूपसे हमारा विचार है कि उप निवेश जिन कठिनाइयोसे गुजर रहा हे उनमे प्रत्येक अच्छे नागरिकको हिस्सा बॅटाना चाहिए और वैसा करनेका एक सबसे अच्छा और सरल उपाय यह हे कि उपनिवेशके राजस्वमे विशेष रूपसे अशदान किया जाये। सरकारने व्यक्ति कर लगानेका कानून पास करना उचित समझा ह और प्रत्येक व्यक्तिको, चाहे वह किसी सम्प्रदायका हो, उसके सामने सिर झुकाना ओर यथाशक्ति प्रसन्नतासे यह कर अदा करना चाहिए। यह प्रश्न गणितका हिसाब लगाने ओर ऐसा साचनेका नही हे कि गरीब लोगोको भी उतना ही देना पडेगा जितना कि अमीरोको। व्यक्ति-कर कभी भी लोकप्रिय नही रहा हे और इसका बोझ समाजके निधनतम लोगाके लिए बहुत भारी हो जाता हे। दक्षिण आफ्रिकाके लिए यह किसी प्रकार कोई नई बात या नया अनुभव नही हे। ट्रान्सवालमे यह तब भी प्रतिवष वसूल किया जाता था जबकि दश समद्धिके शिखर-पर पहुचा हुआ था, हा, वसूलीमे वहा बहुत सख्ती नही की जाती थी।

आजकल समय मन्दीका है। काम मिलना तो दुलभ है ही, नकद धन और भी दुलभ हे। इसलिए बाल बच्चेदार मजदूर पेशा गरीब आदमीके लिए एक साथ एक पौडकी रकम भी अदा कर देना कोई छोटी बात नही है। स्पष्ट हे कि अधिक गरीब वगके लोगोका ही इस करका बोझ अखरता है। हजारो भारतीय ऐसे हैं जिनके लिए एक पौडकी रकम मामूली बात नही हे। उदाहरणाथ, उन लोगोको लीजिये जो हालमें गिरमिटसे छूटे हैं और जिन्होने उपनिवेशमे बसनेका फैसला किया है। इस उपनिवेशमे बने रहनेकी अनुमतिके मूल्यके रूपमे उन्हे और उनके बालकोको प्रति व्यक्ति तीन पोडका वार्षिक कर देना ही है, अब उन्हे उसके अतिरिक्त एक पौड और देनेको कहा जायेगा। स्पष्ट हे कि इन लोगासे यह रकम वसूल करना भारी अन्याय होगा। बहुत से छोटे भारतीय किसानोकी अवस्था भी लगभग ऐसी ही है। उन्हे अपनी रोटी कमानेके लिए रोजाना बहुत समय तक कठोर श्रम करना पडता है। उनकी इज्जत बढानेके लिए उन्हे किसान कहना बिल्कुल गलत होगा। क्योकि वे तो असलमें निरे मजदूर हैं। बहुधा यह दलील दी जाती है कि भारतीय इस उपनिवेशके राजस्वमे काफी हिस्सा नही देते। जिन लोगोने ऐसा कहा है, उन्होने यह दलील बिना सोचे-समझे दे डाली है। ससारके किसी भी

१ सर आर्थर लाली नवम्बर २४, १९०५ को मद्रासके गवर्नर नियुक्त हुए थे।

देशमे श्रमपर कर नही लगाया जाता, क्योकि श्रम तो स्वय सर्वोत्तम प्रकारका दान है। किसी भी देशकी समृद्धि श्रमपर ही निभर करती हे।

इसमे स देह नही कि व्यक्ति-करका सबसे अधिक प्रभाव वतनी और भारतीय लोगोपर पडेगा। हमारे ट्रान्सवालके सहयोगियोने इस बातको बिना कठिनाईके मान लिया है। यूरोपीयोको तो बीचमे केवल इसलिए लाया गया है कि यह सभी लोगोके लिए बनाया गया आम कानून प्रतीत हो, परन्तु हमारी इच्छा इसे उस दृष्टिसे देखनेकी नही है। कानून बन चुका है, और यद्यपि हम इसके लिए सरकारको उससे ज्यादा बधाई नही दे सकते, जितनी कि स्वय सरकार अपने-आपको दे सकती हे, तथापि हम सबको इस निणयके सामने सिर झुकाना चाहिए। इसके साथ ही हम अधिकारियो और साधारण जनतासे अनुरोध करते है कि वे इसी अकमे प्रकाशित व्यक्ति कर सम्ब धी हमारे विशेष लेखको[1] ध्यानसे पढे।

पर तु इस कानूनको बनानेमे, कानून बनानेवालोका इरादा चाहे कुछ भी रहा हो, हमारा काम शिकायत करनेका नही है, यद्यपि हमारी सम्मतिमे इस कानूनकी कल्पनासे, और जो सत्य हमने ऊपर प्रकट किये है, उनसे भी, असदिग्ध रूपसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग सचमुच कर नही दे सकते, उ हे इससे मुक्त रखनेमे सरकारको अपने अधिकारका विचारपूवक उपयोग करना पडेगा। इस कारण यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस करकी वसूलीके लिए जो नियम प्रकाशित किये जा चुके ह उनपर फिर विचार कर लिया जाये, और वसूल करनेवालोको यह अधिकार दे दिया जाये कि वे अपनी समझके अनुसार समाजके निधनतम व्यक्तियोको अदायगीसे बरी कर दे। इस प्रकारके करकी वसूली, सरकार और उससे प्रभावित समुदायोमे आपसी समझौतेसे ही की जा सकती है, वरना, जैसा कि हालमे एक वतनी वक्ताने चीफ मजिस्ट्रेट द्वारा बुलाई गई सभामे अथगर्भित शब्दोमे कहा था, "सरकारको कर न देने-वालोको बसानेके लिए उपनिवेशकी सडकोको जेलोकी पँक्तियोसे युक्त करना पडेगा।"

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २५-११-१९०५

१५९ श्री हैरी स्मिथ और भारतीय

'सोमाली' जहाजपर भारतीय यात्रियोके साथ हुए दुव्यवहारके विषयमे हमारी सम्पादकीय टिप्पणीके[2] उत्तरमे प्रवासी-प्रतिब धक अधिकारीने जो पत्र लिखा था उसे हमने गत सप्ताह प्रकाशित किया था।

श्री स्मिथने इतना शीघ्र उत्तर दिया, इसके लिए हम उनके कृतज्ञ है। परन्तु हमे कहना पडेगा कि यह उत्तर निराशाजनक है। स्पष्ट है कि जो बाते हमारे सवाददाताने लिखी थी और जिनका समथन एक दूसरे सवाददाताने भी किया था, वे सब प्राय सत्य थी। श्री स्मिथने हमारे सवाददाताकी शिकायतोको छ भागोमे बाटा है। उनमे से तीनका सम्ब ध जहाजपर की व्यवस्थासे हे। श्री स्मिथ इनमे से किसीकी भी जिम्मेवारी लेनेसे इनकार करते है और कहते है कि इनके लिए जिम्मेवार, लाने ले जानेवालेकी हैसियतसे, जहाजी कम्पनी ही है। नि सन्देह नियमोकी

१ देखिए 'नेटालमें व्यक्ति कर , इडियन ओपिनियन, २५-११-१९०५।

२ देखिए "नेटालका प्रवासी अधिनियम , पृष्ठ १३६।

दृष्टिसे श्री स्मिथकी बात ठीक है, परन्तु प्रवासी प्रतिबन्धक कानून जिनपर लागू होता है उन सबके प्रति उचित व्यवहारके लिए जिम्मेवार प्रमुख पदाधिकारीकी हैसियतसे, हमारा खयाल है कि, उनके लिए उन कठिनाइयोंका इस प्रकार टाल देना सम्भव नहीं जोकि असंदिग्ध रूपसे इस कानूनपर अमल करनेके कारण खड़ी हो जाती हैं। यदि श्री स्मिथ द्वारा पेश की गई युक्ति ठीक होती तो वे दूसरे भागोंसे सम्बन्धित शिकायतोंकी जिम्मेवारी लेनेसे भी इनकार कर देते, क्योंकि कानूनकी लीकके अनुसार, जिन यात्रियोंको जहाजी कम्पनी मालखानेमें ठूँस दे, उनको उचित भोजन मिलता है या नहीं अथवा किनारेके लोगोंसे उनकी बातचीत हो सकती है या नहीं, यह देखना उनका काम नहीं है, क्योंकि जहाज-सम्बन्धी सब मामलोंका नियन्त्रण जहाजके मालिक करते हैं। परन्तु श्री स्मिथने ऐसी लचर दलील अपनाना ठीक नहीं समझा। यात्रियोंकी सब शिकायतोंको एक ही मानकर चलना उचित है, इसके अतिरिक्त उनपर विचार हृदयहीनतासे नहीं, बल्कि सहृदयता और सहानुभूतिसे करना चाहिए। श्री स्मिथमें हमने प्राय: सदा ही इस भावनाको विद्यमान पाया है। इसलिए उनका पत्र देखकर हमको धक्का लगा। उसमें हमें उनकी सहृदयता दिखलाई नहीं पड़ी, प्रत्युत उसके स्थानपर सरकारी विभागके ऐसे किसी हिसाबी किताबी अधिकारीकी हृदयहीनताके दर्शन हुए जो लोगोंके कैसे भी कष्टोंको देखकर विचलित नहीं होता। कानून कुछ कहे या न कहे, श्री स्मिथकी प्रकृतिके अधिकारीसे तो हम अति उदार व्यवहारकी आशा करते हैं। इसलिए यह माननेके पश्चात कि शिकायतोंकी सचाई सिद्ध हो चुकी है, प्रवासी विभागके लिए क्या यह सम्भव नहीं है कि वह जहाजी कम्पनियोंके साथ ऐसा समझौता कर ले (और अबसे पहले, कानूनकी लीकके अनुसार अनावश्यक होनेपर भी, ऐसे समझौते किये जा चुके हैं) जिससे यात्रियोंकी कठिनाइयोंका सर्वथा अन्त न हो तो भी वे कुछ कम तो हो ही जायें? आखिर जो यात्री जहाजकी तलीमें रखे गये थे वे केवल संदिग्ध ही तो थे, उनमें से बहुतोंको शायद इस उपनिवेशमें उतर सकनेका अधिकार भी था। उनमें से कइयोंका इस उपनिवेशमें से सुरक्षित गुजरनेका अधिकार भी था, और इसलिए प्रवासी विभागका उनके साथ इतना सम्बन्ध तो था ही कि वह, उनके मामलोंकी जाँच हो जाने तक, उनके साथ उचित व्यवहार होनेका ध्यान रखता। इन यात्रियोंको निगरानीमें रखनेकी कारवाई यदि भिन्न प्रकारसे की जाती, तो कोई असाधारण बात न हो जाती। इसके अतिरिक्त जब उन्होंने किनारेपर जानेके पास माँगे तब उन्हें इनकार क्यों कर दिया गया, और उन्हें वकीलोंकी सहायता क्यों लेनी पड़ी? निस्सन्देह, हम मानते हैं कि, कानूनपर नरमीसे अमल किया जाता तो शायद खर्च कुछ अधिक होता, धीरज अधिक रखना पड़ता और मूल्यवान समय भी नष्ट होता, परन्तु इससे यात्रियोंको जो सुख मिलता उसकी तुलनामें यह सारा व्यय बहुत न होता।

श्री स्मिथके पत्रमें एक गौण प्रश्न भी उठाया गया है। उसपर तुरन्त ध्यान देनेकी आवश्यकता है। जाहिर है कि नीचेके अधिकारियोंको विभागकी ओरसे कुछ हिदायतें दी गई हैं। परन्तु जनताको उनकी कोई जानकारी नहीं होती। जनतासे उनका निकट सम्बन्ध होता है, इसलिए यदि जनताको उनसे परिचित करा दिया जाये तो उससे कानूनका पालन होनेमें सहायता मिलेगी।

श्री स्मिथके पत्रके अन्तिम अनुच्छेदमें लिखा है कि प्रवासी और पुलिस विभागोंके अधिकारी भी कानूनके उतने ही पाबन्द हैं जितने कि और कोई। उसके सम्बन्धमें यह स्पष्ट है कि औसत गरीब भारतीय प्रवासीसे यह आशा शायद ही की जा सकती है कि वह ऐसे मामलोंको अदालतमें ले जायेगा। मुद्दा यह है कि किसीका तो कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह अपमान और

अनुचित व्यवहारसे उनकी रक्षा करे। हम मानते है कि जिन भारतीयोपर इस कानूनका प्रभाव पडता है उनमे से कई तुनुक मिजाज भी होते है, परन्तु इसमे आश्चयकी बात कुछ नही है। शायद यह भी सत्य है कि अपने इस स्वभावके कारण वे कभी कभी अनजाने ही ज्यादती कर बैठते है। परतु दक्षिण आफ्रिकामे भारतीयोको जिन परिस्थितियोमे रहना पडता है उनमे रहनेवाले व्यक्ति इससे भी बहुत आगे बढते देखे गये है। भारतीय उतना आगे न कभी बढे है और न उनसे वसी सम्भावना की जा सकती है। जिस अधिकारीको निरतर लोगोकी स्वाभाविक स्वतत्रताको नियत्रित करते रहनेके अप्रिय कत्तव्यका पालन करते रहना पडता हो उसका स्वभाव ऐसा हो जाना सम्भव है कि वह उस कामको भी अपराध मान बैठे जो परेशानियो और पाबदियोकी परिस्थितिमे किसी भी मनुष्यकी मानसिक अवस्थाका अति स्वाभाविक परिणाम हो सकता है। भारतीयोको जिस विचित्र परिस्थितिमे डाल दिया गया है उसमे रहनेवाले लोगोके साथ अशमात्र भी न्याय करना हो तो सूक्ष्मदर्शी व्यक्तियो तक को उक्त बात सदा अपने ध्यानमे रखनी होगी।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २५–११–१९०५

१६० बदरुद्दीन तैयबजी[1]

बदरुद्दीन तैयबजीका नाम भारतमे सुविख्यात है। बम्बई इलाकेमे तो उनका नाम सभी जानते है। बदरुद्दीन तैयबजीने बहुत छोटी उम्रमे ही अपनी शक्तिका परिचय दिया और पाठशालामे वे बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। उनकी पढाई इतनी अच्छी थी कि उनके बुजुर्गोंने उन्हे विलायत भेजनेका विचार किया। सर फीरोजशाह[2] और बदरुद्दीन तैयबजी हमजोलीके साथी थे और एक ही समयके विद्यार्थी थे।

बम्बईसे विलायत जानेवाले भारतीयोमे वे लगभग पहले व्यक्ति थे। विलायतमे उन्होने बहुत अच्छा विद्याभ्यास किया। वहा सम्मान प्राप्त करके वे बम्बई लौट आये और बैरिस्टरके रूपमे उन्होने बहुत ख्याति प्राप्त की। बदरुद्दीन तैयबजीकी तुलना सदैव बडे अग्रेज बैरिस्टरोसे की जाती थी। उन्होने सुप्रसिद्ध बैरिस्टर ऐन्स्टे तथा इनवेरारिटीसे टक्करे ली थी। जब वे बरिस्टरी करते थे तब क्वचित ही ऐसे बडे मुकदमे होते थे जिनमे दोनो पक्षोमे से किसी एकमे उन्हे न रखा गया हो। उनकी वक्तत्व शक्ति और कानूनी ज्ञान बडे ऊँचे दर्जेका था, इसलिये वे न्यायाधीशोको खुश करते थे और पचोका मन हर लेते थे। सौराष्टमे बडे रियासती मुकदमोके लिए वे बहुत बार आये और विजयी हुए है। किन्तु नवाबजादा नसरुल्ला खाके बचावका मुकदमा उनका सबसे बडा मुकदमा माना जायेगा। सूरतके कलेक्टर श्री लेलीने नवाबजादापर १०,००० रुपयेकी रिश्वत देनेका इल्जाम लगाया था। श्री लेलीने इस सबधमे बहुत कडी गवाही दी और बम्बईके मुख्य मजिस्ट्रेट श्री स्लेटरने बडा कठोर निणय दिया और नवाबजादाको छ महीनेकी कैदकी सजा दे दी। इस निणयके खिलाफ अपीलमे जनाब बदरुद्दीन तैयबजीको खडा किया गया था। उन्होने ऐसी बढिया कानूनी दलीले पेश की कि न्यायमूर्ति

१ (१८४४–१९०६)।

२ देखिए खण्ड १ पृष्ठ ३९५।

पासनने नवाबजादाकी सजा खारिज कर दी और श्री लेलीको बुरी तरह झिडका। ऐसी जीते तो जनाब बदरुद्दीनकी अनेक हुई थी, लेकिन एक इज्जतदार आदमीको बदनामीसे उबार कर जेल जानेसे बचा लिया, इससे बदरुद्दीन तैयबकी शोहरतमे चार चाद लग गये। कुछ समय बाद बम्बई सरकारने उनको न्यायाधीशका पद दिया और उन्होने उसे स्वीकार किया। यद्यपि जजका वेतन प्रति माह ३,७५० रुपया है फिर भी न्यायमूर्ति बदरुद्दीनको तो उस वेतनमे घाटा ही है। कहा जाता है कि वकालतमे उनकी वार्षिक आय १,००,००० रुपया थी। न्यायाधीशकी हैसियतसे न्यायमूर्ति बदरुद्दीनने जो काम किया वह बहुत उत्तम माना जाता है। वे अत्यन्त स्वतन्त्रतापूवक निणय देते है और वकील ओर मुवक्किल सबको सन्तुष्ट करते है।

न्यायमूर्ति बदरुद्दीनने जिस प्रकार विद्वत्ता और अपने पेशेमे नाम पाया है उसी प्रकार सावजनिक कार्योमे भी नाम पाया है। भारतीयोमे, और उनमे भी खासकर मुसलमानोमे, शिक्षा फैलानेके लिए उन्होने बडी मेहनत की है। स्त्रियोकी शिक्षाको वे सदैव बढावा देते है। उनकी धमपत्नी और बेटिया सभी अच्छी शिक्षित है। राजनीतिक कामोमे उन्होने काफी हाथ बँटाया है। न्यायमूर्ति रानडेके साथ उन्होने बहुत काम किया है। भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके वे अग्रणी रहे है और काग्रेसके अध्यक्ष भी बने ह[1]। उनका अध्यक्षीय भाषण इतना अच्छा था कि अबतक उसकी गणना उत्तम भाषणोमे की जाती है। वे न्यायकी कुर्सीपर बैठे है, फिर भी देशाभिमान वसा ही रखते है। शिक्षाके काममे योग देते है। स्वभावसे विनम्र और दयालु है। उनका अग्रेजीका ज्ञान जितना उत्तम हे उतना ही उत्तम उनका हिन्दुस्तानीका ज्ञान हे। उर्दूमे भाषण करनेमे बम्बई इलाकेमे उनका मुकाबला बिरले ही कर पायेगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २५–११–१९०५

१६१ शिष्टमण्डल　लॉर्ड सेल्बोर्नकी सेवामे

टा सवालके ब्रिटिश भारतीयोकी स्थितिपर वक्तव्य देनेके पहले गाधीजीने लॉड सेल्बोनके सामने निम्न निवेदन किया

[जोहानिसबग]
नवम्बर २९, १९०५

इस शिष्टमण्डलके विषयकी चचा आरम्भ करनेसे पूव, मै परमश्रेष्ठका सम्मानपूवक धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने व्यस्त होते हुए भी इस शिष्टमण्डलसे मिलनेके लिए समय निकाल लिया। परमश्रेष्ठकी सेवामे जो प्रश्न उपस्थित किये गये उनमे से प्रत्येकमे आप व्यक्तिश रुचि लेते रहे है, इसलिये हमने सोचा कि केवल प्राथनापत्र भेजते रहनेके स्थानपर हमे अपने भावो और विचारोको अधिक प्रत्यक्ष रूपमे प्रगट करनेके अवसरकी तलाश करनी चाहिए।

१ सन् १८८७ में मद्रासमें हुए तृतीय अधिवेशनके।

२ शिष्टमण्डलके नेता गाधीजी थे और वह नवम्बर २९, १९०५ को दुपहरबाद ३ बजे लॉर्ड सेल्बोर्नसे मिला था। उसके सदस्य थे सव श्री अब्दुल गनी अध्यक्ष ब्रिटिश भारतीय सघ, हाजी हबीब, मन्त्री, प्रिटोरिया समिति, श्री इ० एस० कुवाडिया मूनस्वामी मूनलाइट और अय्यूब हाजी बेग मुहम्मद।

मै परमश्रेष्ठको जो वक्तव्य दूगा उसकी चर्चा करनेसे पहले मुझे ऐसी दो बातोका जिक्र कर देनेके लिए कहा गया है, जो आपके हालके ट्रान्सवालके दौरेमे हुई थी। बताया जाता है कि परमश्रेष्ठने पॉचेफस्ट्रूममे कहा था कि "जबतक कि अगले वष प्रातिनिधिक विधानसभा इस प्रश्नपर विचार नही कर लेगी तबतक किसी ऐसे ब्रिटिश भारतीयको उपनिवेशमे नही आने दिया जायेगा जो शरणार्थी न होगा।" यदि यह समाचार सत्य हो तो यह भारतीय समाजके निहित अधिकारोके सम्बन्धमे भारी अन्याय होगा। मुझे आशा है कि मै आज इसकी सत्यता प्रतिपादित कर सकगा। कहा जाता है कि एर्मेलोमें परमश्रेष्ठने "कुली दूकानदार" शब्दोका प्रयोग किया था। ये शब्द इस उपनिवेशके ब्रिटिश भारतीयोको बहुत बुरे लगे है। परन्तु ब्रिटिश भारतीय सघने उन्हे आश्वासन दिया है कि सम्भवत परमश्रेष्ठने इन शब्दोका प्रयोग नही किया होगा, अथवा यदि किया भी होगा तो परमश्रेष्ठ जानबूझकर ब्रिटिश भारतीय दूकानदारोको बुरी लगनेवाली बात नही कह सकते। नेटालमें "कुली" शब्दके प्रयोगसे बडा अनथ हो चुका है। एक बार तो बात इतनी बढ गई थी कि उस समयके न्यायाधीश सर वाल्टर रैगको बीचमे पडकर इस शब्दका प्रयोग गिरमिटिया भारतीयोकी चर्चाके अतिरिक्त, अन्य किसी भी प्रसगमे रोक देना पडा था, क्योकि यह शब्द न्यायालय तक पहुँचा दिया गया था। परमश्रेष्ठ जानते ही होगे, इस शब्दका अथ है—"मजदूर' या "बोझ ढोनेवाला"। इसलिए, व्यापारियोके सबधमे इसका प्रयोग न केवल बुरा लगता है, बल्कि ये दोनो शब्द परस्पर विरोधी भी है।

शान्ति रक्षा अध्यादेश

अब म उस वक्तव्यपर आता हूँ जिसे ब्रिटिश भारतीय सघ परमश्रेष्ठकी सेवामे उपस्थित कर रहा हे। मै पहले शान्ति रक्षा अध्यादेशको लेता हूँ। ट्रान्सवालके ब्रिटिश शासनाधीन क्षेत्रोका अग बननेके तुरन्त पश्चात उन सेवाओकी चचा हर जबानपर थी, जो कि सर जाज व्हाइटके साथ आये हुए डोली वाहका और भारतीय आहत सहायक दलने नेटालमे की थी। सर जॉज ह्वाइटने प्रभुसिहकी प्रशसा शानदार शब्दोमे की थी। वह एक वक्षपर चढकर बैठा रहता था और जब जब अम्बलवाना पहाडीपर बोअर तोप चलती थी तब तब बिना चूके घटा बजाकर लोगोको चेतावनी दे देता था। जनरल बुलरने आहत सहायक दलकी प्रशसामे जो खरीते[१] भेजे थे वे जब प्रकाशित हुए उस समय शासन उन सैनिक शासकोके हाथमे ही था जो कि भारतीयोको जानते थे। इस कारण, शरणार्थियोका जो पहला जत्था बन्दरगाहोपर पडा प्रतीक्षा कर रहा था उसे देशके भीतर आनेमे कोई कठिनाई नही हुई, परन्तु शहरी जनता डर गई और उसने शरणार्थियो तक के आनेपर पाबन्दी लगानेकी पुकार मचा दी। परिणाम यह हुआ कि देशमे स्थान स्थानपर एशियाई दफ्तर खुल गये, ओर भारतीय लोगोको तबसे आजतक चन नही मिला। जो प्रत्येक अथमे विदेशी थे उन्हे तो साधारणतया बन्दरगाहोपर प्राथनापत्र देते ही, जहा का तहा अनुमतिपत्र मिल जाता था, परन्तु भारतीयोको शरणार्थी होनेपर भी एशियाइयोके निरीक्षकको लिखना पडता था, जिसे प्राथनापत्रोको औपनिवेशिक कार्यालय भेजना पडता था, और तब जाकर परवाने जारी होते थे। इस कारवाईमे समय बहुत लग जाता था—दो से छ महीने और कभी-कभी तो एक वष या इससे भी अधिक तक समय निकल जाता था। तिस पर औपनिवेशिक कार्यालयने यह नियम कर दिया था कि ब्रिटिश भारतीय शरणार्थियोको

१ सर रेडवर्स हेनरी बुलरके कथनानुसार बोअर युद्धके समय, स्पियन कॉपकी हारके बाद, भारतीय आहत-सहायक दलके स्वयसेवकोने खतरा उठानेक लिए बाध्य न होनेपर भी गोलाबारोकी सीमाके अन्दर और गोलेकी सीधमें काम किया था। देखिए खण्ड ३ पृष्ठ २३८।

प्रति सप्ताह अमुक सख्यामे ही परवाने दिये जा सकते ह। इस काय प्रणालीका फल यह निकला कि सवत्र भ्रष्टाचार फैल गया और परवानोके दलालोका एक गिरोह खडा हो गया जो भोले शरणार्थियोको नोचने खसोटने लगा। यह बदनामी सब जगह फल गई कि जो शरणार्थी ट्रासवालमे घुसना चाहे उसे १५ से ३० पौड तक, या इससे भी अधिक, खच करना पडता हे। ब्रिटिश भारतीय सघका ध्यान इस ओर गया, उसने प्राथनापत्रपर प्राथनापत्र दिये, और अतमे एशियाइ दफ्तरोको समाप्त कर दिया गया। परन्तु दुर्भाग्यवश अनुमनिपत्र देनेकी पद्धति जारी रही, और मुरय अनुमतिपत्र-सचिव सदा ओपनिवेशिक कार्यालयके निर्देशोके अधीन ही रहा हे। इस प्रकार जो शाति रक्षा अध्यादेश खतरनाक लोगो आर राजनीतिक अपराधियोपर लागू करनेके लिए बनाया गया था वह ओपनिवेशिक कायालयके प्रभावमे भारतीय प्रवासी-प्रनिबधक अधि नियम बन गया, और आजतक वैसा ही बना हुआ है। इसलिए वतमान शासनमे भी, असली शरणार्थियो तक के लिए परवाना प्राप्त करना अत्यत कठिन है। वह बिरले लोगाको ही मिल पाता है वह भी महीनोके विलम्बसे। प्रत्येक व्यक्तिको, उसकी हैसियत चाहे जो हो, एक विशेष फामपर प्राथनापत्र भरना, दो आदमियोका हवाला देना, ओर फामपर अपना अँगूठा लगाना पडता हे। इसके बाद जाच की जाती है, और फिर अनुमतिपत्र दिया जाता है। मानो इतना पर्याप्त नही था, इसलिए श्री लवडे और उनके मित्रोके आक्षेपोके कारण, मुरय अनुमतिपत्र सचिवको हिदायत मिली कि वह यूरोपीयोके हवाले दिये जानेका आग्रह रखे। यह ब्रिटिश भारतीय शरणार्थियोसे देशमे प्रवेश करनेका अधिकार छीन लेनेके समान था। ऐसे बीस भारतीय भी खोज निकालना मुश्किल होगा जिन्हे सम्मानित यूरोपीय नाम और शकल सूरत दोनासे जानते हो। ब्रिटिश भारतीय सघको सरकारसे पत्र-व्यवहार करना पडा और इस बीच परवाने देना रोक दिया गया। हालमे जाकर यह अनुभव किया गया हे कि यूरोपीयोके हवाले देनेपर जोर देना भारी अन्याय था।

बच्चोका प्रवेश

परन्तु यूरोपीय हवालोके अतिरिक्त अन्य कठिनाइया भी मौजूद है। अब १६ वर्षसे कम आयुके लडको तक का उपनिवेशमे आनेसे पहले परवाने लेनेके लिए कहा जाता है। फलत , दस वर्ष और इससे भी कम आयुके बच्चाका सीमावर्ती नगरोमे अपने माता पितासे पथक कर दिये जाना कोई असाधारण घटना नही रही है। समझमे नही आता कि ऐसा नियम क्यो मढा गया हे।

उच्चायुक्त **क्या आपकी नजरमें कभी कोई ऐसा मामला आया हे जिसमें माता-पिताने पहले ही बतला दिया हो कि हमारे साथ बच्चे ह और फिर उन बालकोको देशमें आनेका अनुमतिपत्र देनेसे इनकार किया गया हो?**

श्री गाधी हा, और माता पिताओको हलफनामे दने पडे, और उसके बाद ही बच्चाका आने दिया गया।

जहातक म जानता हूँ, यदि माता पिताको आनेका अधिकार हो तो प्रत्येक सभ्य देशमे नाबालिग बच्चाका भी उनके साथ आनेका अधिकार माना जाता हे। कुछ हो, १६ वर्षसे कम आयुके बच्चो तक को, यदि वे सिद्ध न कर सके कि हमारे माता पिताका देहात हो चुका हे अथवा हमारे माता पिता युद्धसे पहले ट्रान्सवालमे रहते थे, उपनिवेशमे आने या रहने नही दिया जाता। यह बडी सगीन बात है। जैसा कि परमश्रेष्ठ जानते हैं, सयुक्त कुटुम्ब प्रणाली सारे भारतमे प्रचलित है। भाई और बहन और उनके बच्चे पीढी दर पीढी एक ही मकानमे रहते चले आते है, और कुटुम्बका सबसे बडा व्यक्ति, नामको और वस्तुत , दोनो प्रकार, सारे परिवारका कर्त्ता और पालक होता है। इसलिए यदि भारतीय अपने सम्बन्धियाके बालकाको अपने साथ उपनिवेशमे ले आने है

तो इसमें असाधारण बात कुछ नहीं है। हमारा निवेदन है कि यदि ऐसे बच्चोंको, जिन्हें अबतक छेड़ा नहीं गया था, देशसे निकाल दिया गया या उपनिवेशमें प्रविष्ट नहीं होने दिया गया तो यह बहुत गम्भीर अन्याय होगा। इसके अतिरिक्त, सरकार चाहती है कि जो भारतीय यहां रहते हैं उनकी सम्बन्धिनी स्त्रियोंको भी पुरुषोंके समान ही पंजीकृत किया जाये। ब्रिटिश भारतीय संघने इस प्रकारकी कारवाइयोंका तीव्र प्रतिवाद किया है, और यहां तक कहा है कि हम इस प्रश्नपर अदालत तक में लड़नेको तैयार हैं, क्योंकि हमें सलाह दी गई है कि यहांके निवासी भारतीयोंकी पत्नियोंको अपना नाम पंजीकृत कराने और ३ पौंड देनेकी आवश्यकता नहीं है।

खास मुनीमों आदिका प्रवेश

किसीको कितनी ही आवश्यकता क्यों न हो, सरकार नये अनुमतिपत्र नहीं देती। हम सब समाचारपत्रोंमें परमश्रेष्ठकी यह दृढ़ घोषणा पढ़कर अत्यन्त प्रसन्न हुए थे कि जो भारतीय पहलेसे इस देशमें बसे हुए हैं उनके निहित अधिकारोंको छेड़ा या छुआ न जाये। बहुत से व्यापारियोंको अपना व्यापार चलानेके लिए विश्वस्त मुनीम आदि निरन्तर भारतसे बुलाते रहना पड़ता है। यहां बसी हुई आबादीमें से विश्वस्त आदमियोंको चुनना सरल नहीं होता। सभी स्थानों और जातियोंके व्यापारियोंका अनुभव यही है। इसलिए यदि, जबतक प्रातिनिधिक शासन स्थापित नहीं हो जाता तबतक, नये भारतीयोंके लिए देशका द्वार बन्द रखा जायेगा तो यह कारवाई निहित अधिकारोंमें भारी हस्तक्षेप होगी। यह भी समझमें नहीं आता कि योग्य और शिक्षित व्यक्तियोंको, उनके शरणार्थी होने न होनेका विचार किये बिना प्रार्थनापत्र देनेपर अनुमतिपत्र क्यों न दिया जाये। इन सब कठिनाइयोंके बावजूद हमारे भारतीय विरोधी मित्र यह कहते कभी नहीं थकते कि जो ब्रिटिश भारतीय ट्रान्सवालमें कभी नहीं रहते थे उनकी देशमें बाढ़ आ गई है। उनको यह कहनेकी आदत-सी पड़ गई है कि जो कोई भी भारतीय देशमें पहले मौजूद था वह पंजीकृत किया जा चुका था। मुझे इस प्रश्नपर अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती, क्योंकि परमश्रेष्ठको यह पहले बतलाया जा चुका है कि इस आक्षेपके सम्बन्धकी सब बातें झूठी हैं। परन्तु १८९३ के एक मामलेका जिक्र करनेके लिए परमश्रेष्ठ मुझे क्षमा करें। शायर और ड्यूमा मजदूरोंके दो बड़े ठेकेदार थे। एक बार वे देशमें ८०० भारतीय मजदूर एक साथ लाये थे। और कितनोंको वे लाये मुझे मालूम नहीं। उस समयके सरकारी न्यायवादीने जोर दिया कि उन सबको पंजीकरणका प्रमाणपत्र लेना और ३–३ पौंड देना चाहिए। शायर और ड्यूमाने इस बातका उच्च न्यायालयमें परीक्षण किया। उस समयके मुख्य न्यायाधीश श्री कौटजने फैसला दिया कि कानूनके अनुसार इन आदमियोंको ३ पौंड देनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये "व्यापार करनेके लिए" यहां नहीं आये, और यदि ये आदमी ठेकेकी मियाद खतम होनेके बाद यहीं रह गये तो भी मैं सरकारकी सहायता नहीं कर सकूंगा। यह तो केवल एक उदाहरण है, जिसका खण्डन नहीं किया जा सकता। इसमें सैकड़ों भारतीय ३–३ पौंड दिये बिना इस देशमें रह गये थे। ब्रिटिश भारतीय संघ निजी अनुभवके आधारपर बराबर यह कहता रहा है कि सैकड़ों भारतीय, जिन्होंने व्यापार करनेके परवाने नहीं लिए, अपने आपको बिना पंजीकृत कराये और बिना ३–३ पौंड दिये ही देशमें रह गये थे।

बाजार और बस्तियाँ

अब मैं १८८५ के कानून ३ पर आता हूँ। बहुधा कह दिया जाता है कि इस देशमें ब्रिटिश सरकारकी स्थापनाके पश्चात भारतीयोंको व्यापारके परवानोंके विषयमें रियायत मिल गई है। परन्तु यह बात सत्यमें जितनी दूर है उतनी और कोई नहीं हो सकती। युद्धसे पहले, हम केवल

परवानेकी रकम देकर जहा चाहे वहा व्यापार कर सकते थे। उस समय ब्रिटिश सरकारकी लम्बी बाह इतनी सशक्त थी कि वह हमारी रक्षा कर सकती थी, और युद्ध शुरू होनेके ऐन मोके तक, उस समयकी सरकारके लगातार यह धमकी देते रहनेपर भी कि ब्रिटिश भारतीय व्यापारियो-पर मुकदमा चलाया जायेगा, कोई कारवाई नही की गई थी। यह ठीक हे कि अब सर्वोच्च न्यायालयके निर्णयके कारण भारतीय व्यापारपर कोई पाबन्दिया नही है, परन्तु ऐसा सरकारकी कारवाइयोके बावजूद हो रहा है।[1] सरकार अतिम क्षणतक कोइ सहायता करनेसे इनकार करती रही और 'बाजार सूचना' के नामसे एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, जिसमे कहा गया था कि एक नियत दिनके बाद जिस किसी भारतीयके पास युद्ध छिडनेके समय बस्तियोके बाहर व्यापार करनेका परवाना नही रहा होगा उससे बस्तियोमे चले जानेकी ही नही, बल्कि वही व्यापार भी करनेकी अपेक्षा रखी जायेगी। यह विज्ञप्ति प्रकाशित होनेके बाद प्राय प्रत्येक नगरमे बस्तिया कायम कर दी गई, और जब सरकारसे न्याय पानेका एक एक प्रयत्न निष्फल हो गया तब आखिरी सहारेके तौरपर, इस प्रश्नको अदालतमे परख देखनेका निश्चय किया गया। तब सरकारका सम्पूर्ण तन्त्र हमारे खिलाफ खडा कर दिया गया। युद्धके पहले भी ऐसा ही एक मुकदमा लडा गया था और तब ब्रिटिश सरकारने कानूनका अर्थ लगवानेमे भारतीयोकी सहायता की थी। उसका फसला वर्तमान सर्वोच्च न्यायालयसे अब प्राप्त हुआ हे। ब्रिटिश शासनकी स्थापनाके पश्चात ये सब शक्तिया हमारे विरुद्ध हो गइ। यह भाग्यकी क्रूर विडम्बना है, और इसे छिपानेका कुछ लाभ नही कि हमने इसे बहुत महसूस किया हे। ओर मैं कह दू कि, जसा कि अब प्रकट हुआ हे, ऐसा उस समयके महान्यायवादीके सरकारको यह बतला देनेपर भी हुआ कि वह काननका जो अर्थ लगाना चाह रही हे वह ठीक नही है, यदि यह मामला सर्वोच्च न्यायालयमे गया तो इसका निर्णय ब्रिटिश भारतीयोके ही पक्षमे होगा। इसलिए यदि ब्रिटिश भारतीयोको बस्तियोमे नही भेजा गया और वे जहा चाहे वही उन्हे व्यापार करने और रहने दिया गया हे तो, जैसा कि मने कहा है, यह सरकारके इरादोके बावजूद हो रहा है। जहातक भारतीयोका सम्बन्ध है, १८८५ के कानून ३ का अर्थ, प्रत्येक मामलेमे, कठोरतापूर्वक हमारे विरुद्ध लगाया गया हे और इस कानूनमे हमारे अनकूल जो गजाइश रह गई है उसका लाभ भी हमे नही होने दिया गया। उदाहरणार्थ, जो "गलिया, मुहल्ले या बस्तिया सरकार द्वारा पथक किये जाये," उनमे भारतीयोको जमीनका मालिक होनेकी मनाही नही की गई। परन्तु सरकार दृढतापूर्वक "गलियो और मुहल्ला" शब्दोपर विचार करनेसे इनकार करती और "बस्तियो" शब्दको पकडकर बैठी रही है, और ये बस्तिया भी मीलोके फासलेपर कायम की गई है। हम बहुतेरा अनुरोध करते रहे ह कि सरकारको गलियो और मुहल्लोमे भी हमे जमीनका मालिक बननेका हक देनेका अधिकार हे, और उसे उस अधिकारका प्रयोग हमारे पक्षमे करना चाहिए, परन्तु हमारा सारा अनुरोध व्यर्थ हुआ। जो जमीन जोहानिसबर्ग, हीडेलबर्ग, प्रिटोरिया और पाचेफस्टम आदिमे धार्मिक प्रयोजनोके काम आती रही हे उसे भी सरकारने न्यासियोके नाम नही होने दिया, यद्यपि स्वास्थ्य रक्षाकी दृष्टिसे मस्जिदोके स्थानोको सब प्रकार स्वच्छ रखा जाता है। इसलिए हमारा निवदन है कि इस समय, जबकि नये कानून विचाराधीन है, हमे कुछ सुविधाएँ दे दी जाये।

वर्गीय कानून

सन १८८५ के कानून ३ के स्थानपर जो कानन बनाया जानेवाला है उसके सम्बन्धमे सर आर्थर लाली द्वारा तैयार किये गये खरीतेके कारण हमे बहुत अधिक कष्ट हुआ हे। उसमे

१ यहाँ मूल अंग्रेजीमें कुछ भूल मालूम होती है। शायद इस अर्थकी शब्दावली रही होगी "यह सरकारके अच्छे इरादोंके कारण नही, बल्कि उसके विरोधी इरादोंके बावजूद हो रहा है।"

ब्रिटिश भारतीयो अथवा एशियाइयोके लिए विशेष रूपसे कानून बनानेपर जोर दिया गया है। उसमे अनिवाय पथक्करणपर भी जोर दिया गया है ओर ये दोनो बाते ब्रिटिश भारतीयोको बार बार दिये गये आश्वासनोके विरुद्ध है। मै अधिकतम आदरके साथ कहना चाहूँगा कि सर आथर लालीने नेटालमे जो कुछ देखा उससे वे पथभ्रात हो गये ह। नेटालका उदाहरण देकर कहा गया है कि ट्रासवाल भी ऐसा ही हो जायेगा, परन्तु नेटालके जिम्मेदार राजनीतिज्ञ हमेशा मानते रहे है कि भारतीयोके कारण ही नेटाल सँभला रहा। सर जेम्स हलेटने वतनी मामलाके आयोग (नेटिव अफेयस कमिशन) के सामने कहा था कि व्यापारीके रूपमे भी भारतीय अच्छा नागरिक हे और वह थोकफरोश गोरे व्यापारियो और वतनी लोगोमे अच्छे बिचौलियेका काम करता है। सर आथर लालीने यहा तक कहा था कि ब्रिटिश भारतीयोके साथ यदि कोई वादे किये भी गये होगे तो वे उन हालातसे अनजान होनेके कारण कर दिये गये होगे, जो कि आज मौजूद हैं, और इसलिए उन्हे पूरा करनेकी अपेक्षा उन्हे तोड देना ही अधिक बडा कतव्य होगा। म अत्यन्त आदरके साथ निवेदन करनेका साहस करता हूँ कि वादोके सम्बन्धमे ऐसा सोचना गलत है। यद्यपि हम महारानीकी १८५८ की घोषणापर महान प्रतिज्ञापत्र (मैग्ना कार्टा)के रूपमे विश्वास करते है, परन्तु इस समय हम पचास बरस पहले किये हुए वादोका जिक्र नही कर रहे है। उस घोषणाको एकाधिक बार पुष्ट किया जा चुका है। वाइसरायपर वाइसराय दढतापूवक कहते रहे है कि इस प्रतिज्ञाका पालन किया जायेगा। औपनिवेशिक प्रधान मन्त्रियोके सम्मेलनमे श्री चेम्बरलेनने इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन किया था और प्रधान मन्त्रियोको बतला दिया था कि विशेषत केवल ब्रिटिश भारतीयोको प्रभावित करनेवाले किसी कानूनको स्वर्गीया सम्राज्ञीकी सरकार सहन नही करेगी, ऐसा कानून सम्राटके करोडो राजभक्त प्रजाजनोको सवथा अनावश्यक रूपसे अपमानित करनेवाला होगा और इसलिए जो भी कानून पास किया जाये वह सव-सामान्य रूपका होना चाहिए। इसी कारणसे आस्ट्रेलियाके प्रथम प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमपर निषेधाधिकारका प्रयोग किया गया था। प्रथम नेटाल मताधिकार अधिनियम (नेटाल फ्रैचाइज ऐक्ट) भी इसी कारण निषिद्ध ठहरा दिया गया था, और इसी कारण नेटालके उपनिवेशको, केवल एशियाइयोपर लागू होनेवाला एक विधेयक पेश करनेके बाद, उसका मसविदा फिर तयार करना पडा था। ये सब मामले पुराने जमानेके नही, हालके बरसोके हैं। यह भी नही कहा जा सकता कि इस सबको बदलनेके लिए आज कोई नये हालात सामने आ गये ह। युद्धसे ठीक पहले भी मन्त्रियोने इस आशयकी घोषणाएँ की थी कि युद्धका एक कारण ब्रिटिश भारतीयोके अधिकारोकी रक्षा करना भी है। अन्तिम बात यह है, परन्तु इसका महत्त्व कुछ कम नही है कि स्वय परमश्रेष्ठने भी युद्ध छिडनेसे ठीक पहले यही विचार प्रकट किया था। इसलिए यद्यपि हमारा विनम्र मत यह है कि सर आथर लालीने इस प्रश्नपर जिस प्रकार विचार किया वह अति अन्यायपूण और ब्रिटिश परम्पराओसे असगत है, तथापि यह प्रमाणित करनेके लिए कि हम गोरे उपनिवेशियोके साथ सहयोग करना चाहते हैं हमने पहले ऐसा कोई कानून न होते हुए भी यह सुझाव रखा है कि अब एक प्रवासी अधिनियम केप या नेटालके अधिनियमोके आधारपर बना दिया जाये, परन्तु उसमे ये दो अपवाद रखे जाये कि एक तो शिक्षणकी कसौटीमे प्रधान प्रधान भारतीय भाषाओको भी सम्मिलित कर लिया जाये और, दूसरे, पहलेमे जमे हुए ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोको यह सहूलियत दी जाये कि वे जिन व्यक्तियोको अपना व्यापार चलानेके लिए आवश्यक समझे उन्हे अस्थायी रूपसे भारतसे बुला सके। इससे वह भय एकदम दूर हो जायेगा जिसे कि एशियाई हमलेका नाम दिया गया है।

१ देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ४८८।

हमने यह सुझाव भी दिया हे कि व्यापारके जो परवाने इतनी अधिक शिकायतका कारण बने हुए ह उन्हे जारी करने न करनेका अधिकार स्थानिक निकायो या नगर परिषदोको दे दिया जाये परन्तु उनपर अतिम नियन्त्रण सर्वोच्च न्यायालयका रहे। वर्तमान सब परवानोपर यह नया कानून लागू न हो, क्योकि ये परवाने निहित अधिकारोको प्रकट करते है। हम अनुभव करते ह कि ये दो कानून बनाकर १८८५ के कानून ३ को वापस ले लिया जाता तो भारतीयाके साथ कुछ, केवल कुछ, न्याय हो जाता। हमारा निवेदन है कि हमे जमीनका मालिक बनने, और स्वास्थ्य रक्षा तथा इमारतोकी बाहरी शकल सूरत आदिके साधारण नगरपालिका नियमोका पालन करते हुए जहा चाहे वहा रहनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए, और जबतक नया कानून बने तबतक शान्ति रक्षा अध्यादेशका प्रयोग नये कानूनकी भावनाके अनुसार करना और १८८५ के कानून ३ का अर्थ उदारतासे लगाना चाहिए। मुझे यह कानून ब्रिटिश सविधानकी उस भावनाके विरुद्ध लगता हे जो कि बचपनसे मुझे सिखलाई गई है, और मेरे देशवासी यह नही समझ सकते कि जो ब्रिटिश झडा विदेशियो तक की रक्षा करता हे उसके नीचे उसीके प्रजाजनोको फुट-भर जमीन तक का, जबतक वे उसका सदुपयोग करते है, मालिक होनेसे क्यो रोक दिया जाता है। इसलिए मेरे सघने जो शर्ते पेश की है उनके अनुसार सरकारके लिए यह सम्भव होना चाहिए कि वह इस उपनिवेशकी कानून पुस्तकमे से ऐसे कानून निकाल दे, जिनसे ब्रिटिश भारतीयोका अपमान होता हे। जब हमे अपने खाने कपडे और जीवन मत्युके प्रश्नोपर विचार करना पड रहा हे तब म पैदल चलनेकी पटरियोके नियमो जसे प्रश्नोकी चर्चा करना नही चाहता। राजनीतिक अधिकारोकी चाह हमे नही हे परन्तु हम अन्य ब्रिटिश प्रजाजनाके साथ शान्ति और मित्रतापूवक शान और सम्मान सहित अवश्य रहना चाहते ह। इसलिए हम अनुभव करते ह कि जिस क्षण सम्राटकी सरकार विभिन्न वर्गोमे भेद सूचक कानून बनानेका निश्चय करेगी उसी क्षण उस स्वतत्रताकी समाप्ति हो जायेगी जिसे हमने ब्रिटिश सम्राटके शासनमे रहते हुए एक अमूल्य पैतक सम्पत्ति मानना सीखा हे।

वक्तव्य[1]

रगदार लोगो और, इसी कारण, भारतीयोपर लागू होनेवाले कानूनाके अलावा ये कानन भी मौजूद है शान्ति-रक्षा अध्यादेश तथा १८८६ मे सशोधित १८८५ का कानून ३।

यद्यपि शान्ति-रक्षा अध्यादेश, जैसा कि नामसे ज्ञात होता है, खतरनाक लोगाको उप-निवेशमे दूर रखनेके लिए बनाया गया था, तथापि उसका उपयोग मख्यतया ब्रिटिश भारतीयोका ट्रान्सवाल-प्रवेश रोकनेके लिए किया जा रहा है।

कानूनका उपयोग सदैव कठोर एव अत्याचारपूर्ण ढगसे किया जाता रहा हे—और यह तब होता रहा हे जबकि मख्य अनुमतिपत्र-सचिव चाहते ह कि ऐसा न किया जाये। उन्हे उपनिवेश-कार्यालयमे हिदायते लेनी पडती है। इसलिए कानूनको कठोरताके साथ उपयोगमे लानेका कारण विभागका मुख्य अधिकारी नही, बल्कि वह प्रणाली हे जिसके अन्तर्गत यह कानून उपयोगमे लाया जाता हे।

(क) अभी सैकडो शरणार्थी आनेकी प्रतीक्षामे ह।

(ख) लडकोके लिए, चाहे वे अपने माता-पिताओके साथ हो या उनके बिना, अनुमति-पत्र लेना जरूरी है।

१ यह दिसम्बर २ के और इसके पूर्व आनेवाला वक्तव्य ९ दिसम्बर १९०५ के 'इडियन ओपिनियन' में छपा था।

(ग) पुराने ३ पौंडी पंजीयनवाले जो लोग बिना अनुमतिपत्रोंके देशमें आते हैं, वे यद्यपि शरणार्थी हैं, फिर भी उन्हें वापस भेजा जा रहा है और उनसे बाकायदा अर्जियाँ मांगी जा रही हैं।

(घ) ट्रान्सवाल निवासियोंकी स्त्रियोंसे भी आशा की जाती है कि वे, यदि अकेली हैं तो, अनुमतिपत्र लें और पंजीयनके लिए ३ पौंडी शुल्क अदा करें — चाहे वे अपने पतियोंके साथ हों चाहे उनके बगैर। (अब इस सम्बन्धमें सरकार और ब्रिटिश भारतीय संघके बीच पत्र-व्यवहार हो रहा है।)

(ङ) सोलह वर्षसे कम आयुके बच्चोंको, यह सिद्ध न कर सकनेपर कि उनके माता पिता मर गये हैं या वे ट्रान्सवालके निवासी हैं, वापस भेज दिया जाता है या अनुमतिपत्र देनेसे इनकार कर दिया जाता है। इस तथ्यकी ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता कि उनकी परवरिश शायद ऐसे सम्बन्धी करते हों जो उनके अभिभावक हैं और जो ट्रान्सवालमें रहते हैं।

(च) गैर शरणार्थी भारतीयोंको, चाहे वे किसी भी हैसियतके क्यों न हों, उपनिवेशमें प्रवेश नहीं करने दिया जाता। (इस अन्तिम प्रतिबन्धके फलस्वरूप जमेजमाये व्यापारियोंको अत्यन्त असुविधाका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसी कारण वे विश्वासपात्र व्यवस्थापकों और मुंशियोंको भारतसे नहीं बुला सकते।)

१८८५ का कानून ३

स्वर्गीया सम्राज्ञीके मन्त्रियोंकी घोषणाओं और नागरिक शासन-व्यवस्था स्थापित करनेके बाद राहत देनेके उनके आश्वासनोंके बावजूद कानूनकी पुस्तकमें यह कानून अभी मौजूद है और पूर्ण रूपसे अमलमें लाया जा रहा है, यद्यपि बहुत-से कानूनोंको जिन्हें ब्रिटिश संविधानके प्रतिकूल समझा गया था ट्रान्सवालमें ब्रिटिश सत्ताकी उद्घोषणा होते ही रद कर दिया गया था। १८८५ का कानून ३ ब्रिटिश भारतीयोंके लिए अपमानजनक है और वह केवल गलतफहमीके कारण ही स्वीकार कर लिया गया था। यह भारतीयोंपर निम्नलिखित पाबन्दियाँ लगाता है :

(क) यह उन्हें नागरिक अधिकारोंके उपभोगसे वंचित करता है।

(ख) यह, उन सड़कों, हलकों या बस्तियोंको छोड़कर जो कि भारतीयोंके रहने-बसनेके लिए अलग छोड़ दी गई हैं, अन्यत्र अचल सम्पत्तिके स्वामित्वपर रोक लगाता है।

(ग) इसका उद्देश्य सार-सफाईके खयालसे बस्तियोंमें भेजकर ब्रिटिश भारतीयोंका अनिवार्य पृथक्करण है।

और (घ) यह प्रत्येक भारतीयपर, जो व्यापार या इसी प्रकारके अन्य उद्देश्यसे उपनिवेशमें प्रविष्ट हो, ३ पौंडी कर लागू करता है।

ब्रिटिश भारतीय संघकी ओरसे सादर निवेदन किया जाता है कि शान्ति-रक्षा अध्यादेशको इस प्रकार अमलमें लाया जाये कि :

(क) इससे सभी शरणार्थियोंको अविलम्ब प्रवेशकी सुविधा उपलब्ध हो जाये।

(ख) यदि १६ वर्षसे कम आयुके बच्चोंके माता पिता या अभिभावक उनके साथ हों तो उन्हें हर तरहकी पाबन्दियोंसे मुक्त कर दिया जाये।

(ग) भारतीयोंके परिवारकी स्त्रियोंको प्रवेशाधिकार सम्बन्धी बाधा या पाबन्दीसे बिलकुल मुक्त रखा जाये। तथा

(घ) अधिवासी व्यापारियोंकी प्रार्थनापर सीमित संख्यामें ऐसे भारतीयोंके लिए भी, जो शरणार्थी नहीं, सेवाके अनुबन्ध कालके लिए अनुमतिपत्र उपलब्ध किया जाये, बशर्ते कि

ये व्यापारी अनुमतिपत्र अधिकारीको यह तसल्ली दे सके कि उन्हे ऐसे व्यक्तियोकी सेवाओकी आवश्यकता है।

और (ङ) शिक्षित भारतीयोको, प्राथनापत्र देनेपर, उपनिवेशमे आनेकी अनुमति मिलनी चाहिए।

१८८५ का कानून ३ और शान्ति-रक्षा अध्यादेश इन दोनो कानूनोको तथा ब्रिटिश भारतीयापर असर डालनेवाले अन्य रग सम्बन्धी कानूनोको, जितनी जल्दी हो सके, रद कर देना चाहिए। और उन्हे निम्नलिखित बाताके बारेमे आश्वासन दिया जाना चाहिए

(क) जमीन जायदाद रखनेका उनका अधिकार।

(ख) उपनिवेशके स्वास्थ्य सम्बन्धी आम कानूनोका खयाल करते हुए वे जहा चाहे रह सके।

(ग) किसी भी प्रकारके विशेष शुल्ककी अदायगीसे छूट।

और (घ) आम तौरपर विशेष कानूनोसे मुक्ति तथा नागरिक अधिकारो एव स्वतत्रताका उसी हद तक उपभोग जिस हद तक कि दूसरे उपनिवेशी करते है।

यद्यपि ब्रिटिश भारतीय सघ यूरोपीय निवासियोकी इस आशकासे सहमत नही कि भारतमे होनेवाले अबाध आव्रजनसे वे सकटमे पड जायेगे, फिर भी उनके साथ मेल जोलसे काम करने तथा सोहार्द्र स्थापित करनेकी सच्ची भावनासे उसने सदव यह निवेदन किया हे

(क) शान्ति-रक्षा अध्यादेशकी जगह केप या नेटालके आधारपर एक साधारण प्रवासी-कानून बनाया जाये, बशर्ते कि शैक्षणिक कसौटी महान भारतीय भाषाओको मान्यता दे दे और ऐसे लोगोको जिनकी जरूरत व्यापारमे पहलेसे ही जमे भारतीय व्यापारियाको हो निवास-सम्बन्धी अनुमतिपत्र देनेका अधिकार सरकारको दे दिया जाये।

(ख) एक ऐसा साधारण विक्रेता-परवाना कानून पास किया जाये जो समाजके सभी वर्गोपर लागू हो और जिसके द्वारा नगर परिषदे या स्थानिक निकाय नये व्यापारिक परवाने देनेपर नियन्त्रण रख सके, बशर्ते कि इस प्रकारकी परिषदो या स्थानिक निकायोके निणयोकी समीक्षाके लिए सर्वोच्च न्यायालयमे अपील करनेका अधिकार हो। इस कानूनके अन्तगत, एक ओर तो, केवल उस हालतको छोडकर जब कि मकान या दूकान स्वच्छ अवस्थामे न हो, तत्कालीन परवानोका सरक्षण होगा और दूसरी ओर नये परवानेके लिए नगर-परिषदा या स्थानिक निकायोकी स्वीकृति लेनी पडेगी। फलत परवानोकी अभिवद्धि प्राय उपयुक्त सस्थाओपर निभर करेगी।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २–१२–१९०५ और ९–१२–१९०५

१६२ कटौती और व्यक्ति-कर

गत मगलवारको डबन नगर परिषदकी बैठकमे महापौरने बताया कि नगरपालिकाके जिन विभागोमे वतनी और भारतीय कमचारी काम करते है उन सबके अध्यक्षोके साथ उन्होने भेट की और इस सुझावपर विचार किया कि वतनी और भारतीयोकी मासिक मजदूरीमे दस प्रतिशतकी कमी कर दी जाये। इसे परिषदने भी स्वीकार कर लिया हे और इसपर १० नवम्बरसे अमल शुरू हो जायेगा।

स्पष्ट है कि न तो परिषदने और न विभागीय अध्यक्षोने इस बातपर विचार किया कि जिन अभागे व्यक्तियोपर इस निणयका असर पडेगा उनकी कठिनाई कितनी अधिक बढ जायेगी। जो स्वतन्त्र भारतीय नगर निगममे काम करते है वे प्राय सभी गिरमिटिया वगसे आये है और उनको ब्रिटिश उपनिवेशमे "स्वतन्त्र" ब्रिटिश प्रजा कहलानेका विशेषाधिकार पानेके लिए ३ पौड वार्षिक कर देना पडता है। अब इसके (गरीब आदमीके लिए तो यही बहुत अधिक है) अतिरिक्त १ पौड वार्षिक कर और लगेगा। ये लोग इस अतिरिक्त बोझको कैसे उठायेगे और अपने कर कसे अदा करेगे, यह तो अधिकारी ही जाने। हम केवल इतना ही कह सकते ह कि वेतनमे कटौतीकी इस विधिसे परिषदकी मानव भावनापर कोई अच्छा प्रकाश नही पडता, और यह कि इसपर अमल करनेका यह अवसर विशेष रूपसे असामयिक हे।

उसी बठकमे परिषदने निश्चय किया कि नगरके बिजली इजीनियरके सहायकका वेतन बढाकर ४०० पौड वार्षिक कर दिया जाये। कटौतीकी यह विधि सारे उपनिवेशमे लागू होती है। इसपर हमारे जागरूक सहयोगी 'ट्रेड ऐड ट्रासपोट' ने लिखा है

> **अभीतक 'गजट'ने यह नही बताया कि सरकारने जिन नागरिक कमचारियो (सिविल सर्वेटस) को इसलिए चुना था कि आर्थिक कठिनाईमे उपनिवेशकी सहायता करनेके प्रयोजनसे वे अपने वेतनमे कटौती स्वीकृत कर लेगे, उनमे एक ऐसा भी था जिसने ऐसा करनेसे एकदम इनकार कर दिया, और सरकार, दढ़ रहनेके स्थान पर, इस व्यक्तिकी अपने साथियोके साथ इस सम्मिलित बोझको उठानेमे भाग लेनेकी अनिच्छाके सामने झुक गई। इतना ही नही, उसके साथ यहातक रियायत की कि उसके वेतनमे अच्छी खासी वद्धि कर दी, और इस उदारताके लिए बहाना यह पेश किया कि इस आदमीने एक ऐसे आयोजनमे, जिसका इस कृपापात्रके खास विभागसे सलग्न कत्तव्योसे कोई वास्ता नहीं था, उल्लेखनीय सेवा प्रदान की थी।**

यदि डबन नगर-परिषद पहले उन विभागीय अध्यक्षोके, जो वतनी और भारतीय कमचारियोकी कटौती करानेके लिए तैयार थे, ऊँचे वेतनोमे समुचित कमी करके अपने व्ययमे बचत करती, तो ३,००० पौड प्रतिवषकी जो तुच्छ राशि उन्होने अपने निधनतम कमचारियोपर बोझ लाद कर बचाई है उसकी पूर्ति सुगमतासे हो जाती। उस अवस्थामे अधिकसे अधिक बुरा यह होता कि अब जिस कठिनाईका सामना बहुतोको करना पडेगा उसका सामना केवल थोडेसे व्यक्तियोको करना पडता। परन्तु यह तो वही पुरानी कहानी है "जिसके पास है, उसीको दिया जायेगा, और उसके पास और बहुतायत हो जायेगी, परन्तु जिसके पास नही हे उससे वह भी ले लिया जायेगा जो उसके पास है।"

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २-१२-१९०५

१६३ सर आर्थर लाली मद्रासके गवर्नरके रूपमे

हम सर आथर लालीको, उनके मद्रासका गवनर नियुक्त होनेपर बधाई देते ह। परमश्रेष्ठ इस सम्मानके सवथा अधिकारी हैं। सर आथर सदा दयालु और शिष्ट व्यक्ति ह, ओर जिन लोगाका हिताहित उनके सुपुद किया जाता है उनकी भलाईका सदा खयाल रखते हैं। भारतीयोके विषयमे उनके विचार विचित्र ह, और उन्होने इस प्रश्नपर विचार करते समय जो गलतिया की ह उनकी हमे अक्सर आलोचना करनी पडती हे। परन्तु हमारा सदा यह विश्वास रहा हे कि उनके विचार ईमानदारीसे वसे थे। फिर सर आथरका विश्वास था — यद्यपि हमारा खयाल ह कि वह गलत था — कि वे ट्रासवालवासी यूरोपीयाकी सेवा भारतीय विरोधी नीतिपर चलकर अधिक कर सकेंगे। उनके ऐसे विचार रखनेका कारण यह था कि उनके हृदयमे ट्रान्सवालवासी यूरोपीयोकी सेवा करनेकी इच्छा बहुत तीव्र थी। उनकी यही इच्छा मद्रासमे उनके बलका कारण हो सकती है, क्योकि अब उनकी दयालुता, शिष्टता, सहानुभूति ओर चिता उन करोडो भारतीयोके प्रति परिवर्तित हो जायेगी जिनके वे अगले पाच वर्षोके लिए भाग्य विधाता बने ह। सर आथर लाली लाड ऐम्टहिल द्वारा रिक्त किये गये स्थानको ग्रहण कर रहे हैं। वे मद्रासकी जनतामे लोकप्रिय हो चुके थे। हमे आशा है कि सर आथर उत्तराधिकारमे प्राप्त उन परम्पराओको जारी रखेंगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २–१२–१९०५

१६४ भारतीय स्वय-सैनिक

हमे यह दखकर प्रसन्नता हुई कि भारतीयोको स्वय-सैनिक[2] बनानेके विषयमे हमने जा टिप्पणी लिखी थी उसका 'नेटाल विटनेस' ने उत्साहके साथ समथन किया हे और उसमे इस विपयपर कुछ पत्र भी प्रकाशित हुए ह। हमें लगता हे कि अब इस मामलेका समाचार पत्रोने अपना लिया है और इसको तबतक समाप्त नही होने दिया जायेगा जबतक सरकार अपनी नीतिके बारेमे अपनी सम्मति नही प्रगट कर देगी। १८७५ का कानून २५ विशेप रूपस इसीलिये बनाया गया था कि "प्रवासी भारतीयोका एक पैदल स्वय-सनिक दल जोडकर उपनिवेशके स्वय सैनिक दलका बल अधिकतम बढा दिया जाये।" इस कानूनके अनुसार गवनरको यह अधिकार प्राप्त हे कि "जो प्रवासी भारतीय स्वेच्छासे स्वय-सैनिक दलमे भरती होना चाहे उन्हे वे उनके मालिककी अनुमतिसे भरती कर ले।" उन दिनो उस दलकी शक्ति एक हजार तीन सौ जवानो तक सीमित रखी गई थी। खेतो या बागानका कोई भी मालिक ऐसी सेना सगठित कर सकता था और गवनरकी अनुमतिसे उसका कप्तान नियुक्त हो सकता था। प्रत्येक कुशल स्वयसेवकके लिए बीस शिलिंग प्रति व्यक्तिके हिसाबसे अनुदान नियत किया गया था,

१ देखिए "कुछ और बातें सर आर्थरलालीके खरीतेके विषयमें', खण्ड ४, पृष्ठ २८६ तथा "सर आर्थर लाली और ब्रिटिश भारतीय", पृष्ठ ४५६–७।

२ देखिए "भारतीय स्वयसेवक-दल", पृष्ठ १४०।

और ऐसे किसी भी स्वयसेवकको

> **कुशल नही माना जायगा, जो प्रतिवष बारह दिन तक प्रतिदिन चार घटेके हिसाबसे अथवा चौबीस दिन तक प्रतिदिन दो घटेके हिसाबसे अथवा अडतालीस दिन तक प्रतिदिन एक घटेके हिसाबसे कवायद न कर चुका हो, और एक घटेसे कमकी किसी भी कवायदकी गिनती नही की जायेगी।**

प्रवासी भारतीयोके स्वय-सनिकदलका जो सदस्य वास्तविक सैनिक-सेवा करते हुए घायल होगा अथवा अ य प्रकारसे गम्भीर चोट खा जायेगा उसे मुआवजा देनेका, और जो स्वयसेवक मदानमे लडते हुए अथवा लडाईमे लगे हुए घावोके कारण मर जायेगा उसके नेटालमे पीछे छूटे हुए बाल-बच्चोको पेशन देनेका विधान भी किया गया था। इस प्रकार, यदि सरकार इच्छा-भर करे कि प्रवासी भारतीय उपनिवेशकी प्रतिरक्षामे भाग ले, जिसके लिए कि वे अबसे पहले अपनी तत्परता प्रकट कर चुके है, तो उसके लिए कानूनकी व्यवस्था पहलेसे विद्यमान है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २–१२–१९०५

१६५ डर्बन निगमके भारतीय कर्मचारी

हमने सुना है कि नगर निगमके भारतीय कमचारियोका वेतन प्रतिमास दो शिलिगके हिमाबसे घटा दिया गया है। यदि यह खबर सही हो तो बहुत खेदजनक है। ऐसा क्यो होता हे, यह समझमे नही आता। इसके अतिरिक्त यह भी सुना है कि गोरोका वेतन उतना ही रखा गया है। अधिक निश्चित जानकारी मिलनेपर इस सम्बन्धमे हम विशेष लिखेगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २–१२–१९०५

१६६ हालका सुधार

काल कोठरी (ब्लैक होल) तो एक कलकत्तेकी[1] ही कही जाती है। लेकिन अब एक काल कोठरी स्टैंजरमे[2] बनी है। वह कलकत्तेकी काल कोठरीको भी मात देने लायक है। सरकारी जेलमे केवल ४० कैदियोके रहने लायक जगह है। वहा पिछले सप्ताह २०० कैदी ब द कर दिये गये थे। इसका असर इतना बुरा हुआ कि दुगधके मारे जेलमे घुसना भी मुश्किल हो गया था। कैदी बडे बेचैन थे। क्या यह सुधार है?

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २–१२–१९०५

१ लगभग २० फुट लम्बी, २० फुट चौड़ी एक बन्द जगह जहाँ, कहा जाता है, सिराजुद्दौलाने १७५६ में १४६ अग्रेजोंको रात भर बन्द रखा था, जिनमें से १२३ की मृत्यु हो गई। अब ऐसा माना जाता है कि यह ईस्ट इडिया कम्पनीके किसी अधिकारीके कल्पनाशील मस्तिष्ककी उपज मात्र थी।

२ डर्बनसे ४५ मील उत्तर-पूर्व बसा हुआ एक शहर।

१६७ पीली चमडीपर हमला

न्यूजीलैंडका एक गोरा चीनियोसे इतना चिढ गया है कि उसने एक चीनीको दिन दहाडे बन्दूकसे मार डाला, फिर वह खुद ही पुलिस थानेमे जाकर गिरफ्तार हो गया। उसपर मुकदमा चलाया गया। अदालती पचाने उसको पागल समझकर मृत्यु दण्ड न देनेकी राय दी। परन्तु इसपर वह बोल उठा कि मैने खून पागलपनमे नही किया है। उसकी मान्यता यह है कि चीनियोसे गोरोको बहुत नुकसान पहुँचता है। इसलिए एक उदाहरण प्रस्तुत करनेके इरादेसे उसने खून किया है और वह स्वय फासीपर चढनेके लिए तैयार है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २–१२–१९०५

१६८ नेटाल प्रवासी-अधिनियम

'सोमाली' जहाजके यात्रियोको जो तकलीफे उठानी पडी है उनके बारेमे श्री हेरी स्मिथने हमे लिखा है कि हमने जो शिकायते की है वे सही है। लेकिन जो तकलीफे यात्रियोको भुगतनी पडी, उसमे अपना दोष स्वीकार करनेके बदले वे जहाज मालिकाको दोषी ठहराते है और लिखते है कि कुछ यात्री जानबूझकर अपने लिए तकलीफे बुलाते है। हम इन सब बातोका ब्योरेवार जवाब दे चुके है। वह अग्रेजी विभागमे छप भी चुका है[1]। श्री स्मिथ यह कहनेमे भूल करते है, क्योकि वे प्रवासी-अधिनियमके अमलसे उत्पन्न कष्टोका उत्तरदायित्व दूसरोपर नही डाल सकते। जिन सवारियोको जहाजसे उतरनेकी अनुमति न दी गई हो उनको तकलीफ न हो, इसका प्रबन्ध करना श्री स्मिथका कर्त्तव्य है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २–१२–१९०५

१६९. वन्देमातरम् बगालका शौर्यमय गीत

पश्चिमके प्रत्येक राष्ट्रका एक अपना राष्ट्रगीत है। यह गीत अच्छे अवसरोपर गाया जाता है। अग्रेजीमे "गाड सेव द किग" गीत ही प्रसिद्ध है। उसको गाते समय अग्रेजोमे शौर्य जगता है। जर्मनीका राष्ट्रगीत भी प्रख्यात है। फ्रान्सका "मारसले" गीत इतने ऊँचे दर्जेका है कि वह जब गाया जाता है तब फ्रासीसी लोग उन्मत्त हो जाते है। इस प्रकारके अनुभवोसे बगाली कवि बकिमचन्द्रके मनमे बगाली लोगोके लिए एक गीत बनानेका विचार आया। उन्होने "वन्दे-मातरम" नामका गीत रचा है जो इस समय सारे बगालमे फैला हुआ है। बगालमे स्वदेशी मालके व्यवहार-सम्बन्धी आन्दोलनके सिलसिलेमे विराट सभाएँ की गई है। उनमें लाखो लोग एकत्रित हुए है और सभीने बकिमचन्द्रका गीत गाया है। कहा जाता है कि यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है कि राष्ट्रगीत बन गया है। अन्य राष्ट्रोके गीतोसे यह मधुर है और इसमे

१ देखिए "श्री हैरी स्मिथ और भारतीय", पृष्ठ १४७–८।

विचार उत्तम हैं। दूसरे राष्ट्रोंके गीतोंमें अन्य राष्ट्रोंके बारेमें खराब विचार होते हैं। इस गीतमें ऐसी कोई बात नहीं है। इस गीतका मुख्य हेतु सिर्फ स्वदेशाभिमान पैदा करना है। इसमें भारतको माताका रूप देकर उसका स्तवन किया गया है। जिस प्रकार हम अपनी मामें सभी गुणोंका भाव मानते हैं उसी प्रकार कविने भारत मातामें सभी गुण माने हैं। जिस प्रकार हम माको श्रद्धापूर्वक पूजते हैं उसी प्रकार इस गीतमें भारत माताकी प्रार्थना की गई है। इसमें अधिकतर शब्द संस्कृतके हैं किन्तु सरल हैं। भाषा बंगला है, परन्तु वह भी सरल ही रखी गई है। इसलिए इस गीतको सभी समझ सकते हैं। यह गीत इतने उच्च कोटिका है कि हम उसके शब्दोंको ज्यों का त्यों गुजरातीमें दे रहे हैं और साथ ही हिन्दी विभागमें भी।

[गुजरातीसे]

वन्दे मातरम
सुजला, सुफला, मलयज शीतला,
शस्यश्यामला मातरम — वन्दे मातरम्‌ १
शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीं
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं
सुहासिनी, सुमधुरभाषिणी
सुखदा, वरदा मातरम — वन्दे मातरम्‌ २
सप्तकोटि[1]कंठकलकलनिनादकराले
द्विसप्तकोटि[2]भुजैधृतखरकरवाले
के बोले मा तुमि अबले?
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणी
रिपुदल–वारिणीं मातरम — वन्दे मातरम्‌ ३
तुमि विद्या, तुमि धर्म, तुमि हृदि, तुमि मर्म
त्वं हि प्राणाः शरीरे!
बाहुते तुमि मा शक्ति! हृदये तुमि मा भक्ति!
तोमारइ प्रतिमा गडि मन्दिरे मन्दिरे — वन्दे मातरम्‌ ४
त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
कमला कमलदलविहारिणी
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम!
नमामि कमला, अमला, अतुला,
सुजला, सुफला मातरम — वन्दे मातरम ५
श्यामला, सरला, सुस्मिता, भूषिता,
धरणीं, भरणीं मातरम
वन्दे मातरम

[हिन्दी विभागसे उद्धृत]

इंडियन ओपिनियन, २–१२–१९०५

१–२ ये संख्याएँ तत्कालीन बंगालकी जनसंख्याको दृष्टिमें रखकर लिखी गई थी। बादमें जब यह गीत सारे राष्ट्रने अपना लिया तब सम्पूर्ण भारतकी जनसंख्याको उद्दिष्टकर इनके स्थानपर क्रमश: 'त्रिंशत्कोटि' तथा 'द्विर्त्रिंशत्कोटि' संख्याएँ दे दी गईं।

१७० लॉर्ड सेल्बोर्न और ब्रिटिश भारतीय

ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय सघकी ओरसे गत तारीख २९, बुधवारको एक शिष्टमण्डल लार्ड सेल्बोर्नसे मिला था। उस भेटका विवरण[1] हम अन्यत्र प्रकाशित कर रहे है।

ब्रिटिश भारतीय सघने लार्ड सेल्बोर्नके सामने विस्तारसे परिस्थिति रखकर अच्छा किया है। ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोकी ओरसे लार्ड सेल्बोर्नके सामने जो बाते पेश की गई है, वे हमे बहुत उचित और नरम लगी है। परमश्रेष्ठको भी वे ऐसी ही प्रतीत हुई होगी। वास्तवमे परमश्रेष्ठने इस वक्तव्यकी इस "अत्यधिक तकसगति" को स्वीकार किया कि जो प्रतिबन्ध हर दृष्टिसे अनिवार्य हो, केवल वही प्रभावकारी हो सकते है। यदि इस दृष्टिसे जाच की जाये तो शिष्टमण्डलने परमश्रेष्ठके समक्ष जो निवेदन किया है, उसमे मुख्य रूपसे दो बाते सामने आती है। भारतीय इस बातको मानते है कि ट्रान्सवालमे उनके विरुद्ध पूर्वग्रह है, और वे यह भी मानते है कि इसका कारण भारतीय व्यापारियो द्वारा अनुचित व्यापारिक स्पर्धा और देशमे भारतीयोके अनुचित प्रवेशका भय है (जहातक प्रस्तुत विषयका सम्बन्ध है, यह देखना आवश्यक नही है कि यह भय उचित या अनुचित है)। भारतीय इन दोनो आपत्तियोका निराकरण जिस ढगसे करना चाहते है, वह ढग उन सब लोगो द्वारा प्रशसित होगा जिन्होने शक्तिशाली पूर्वग्रहके कारण अपनी न्यायदृष्टि खो नही दी है। यदि शैक्षणिक कसौटीके लिए भारतीय भाषाओके पक्षमे व्यवस्था करके केप या नेटालके आधारपर सर्वसाधारण ढगका प्रवासी प्रतिबन्धक कानून बनाया जाये तो उससे सब उचित जरूरते पूरी हो जाना सम्भव है। साधारणतया आत्मत्याग जैसी भावनाकी आशा नही की जा सकती। पर ब्रिटिश भारतीय सघ तो इससे भी आगे गया है और उसने सुझाया है कि सभी नये व्यापारिक अनुमतिपत्रोपर उपनिवेशके सर्वोच्च न्यायालयमे सुनवाईके अधिकारके साथ स्थानीय निकायो और नगरपरिषदाका नियन्त्रण स्वीकार किया जायेगा। यह ट्रान्सवालके भारतीय-विरोधी आन्दोलनकारियोके सामने एक स्वीकृति योग्य शान्ति-प्रस्ताव है। यही लोग भारतीय अनुमतिपत्रोके विरुद्ध चिल्लाते है और यही वे लोग है जो नगरपालिकाओके प्रतिनिधि चुनते है अथवा स्वय इस प्रकारके प्रतिनिधि चुने जाते है। भारतीय व्यापारियोके समाजको इनकी ईमानदारी और न्याय बुद्धिपर इतना भरोसा है कि वे अपना भविष्य उनके हाथोमे सोपते हुए हिचकते नही है। इससे अधिक करनेकी आशा उससे नही की जा सकती, और यदि कुछ अधिक किया जाता है और ऐसा मित्रतापूर्ण हाथ बढानेके बावजूद वर्गभेदपर आधारित कानून जान बूझ कर बनाया जाता है, तो यह सारी की-सारी "तकसगति" व्यर्थ चली जायेगी और, जैसा कि शिष्टमण्डलने कहा है, उस स्वतत्रताका अन्त हो जायेगा जिसे ब्रिटिश झडेके नीचे रहते हुए भारतीय अपनी अमूल्य विरासत समझने लगे है। शान्ति-रक्षा अध्यादेशके अमलका ढग जानकर बहुतोको बडा दु ख और आश्चर्य होगा। लार्ड सेल्बोर्नका ध्यान उन बातोकी ओर आकर्षित किया गया था और यद्यपि वे उन बातोपर चुप रहे, हमारा खयाल है कि उन्होने अवश्य ही उनमे से कुछका तीव्र असहमतिकी दृष्टिसे देखा होगा। १६ सालसे कम उम्रके बच्चोसे ऐसी आशा रखना कि यदि उनके माता पिता ट्रान्सवालके निवासी न हो तो उन्हे अपने साथ अनुमतिपत्र रखने चाहिए, अन्यथा उन्हे वापस भेज दिया जायेगा, और भारतीय स्त्रियोसे भी पजीकरणके प्रमाण पत्र निकलवानेकी माग करना — ये बडी ही शर्मनाक बातें है। इस तरहके प्रतिबन्धोसे रूसी

१ देखिए "शिष्टमण्डल लॉर्ड सेल्बोर्नकी सेवामें", पृष्ठ १५०–८।

तरीकोकी तेज गन्ध आती है। हम आशा करते है कि साम्राज्यके उज्ज्वल नाम और यशको ध्यानमे रखते हुए लार्ड सेल्बोर्न अपने वचनके अनुसार मामलेकी छानबीन करेगे और भारतीयोको सन्तोष देगे, जो उन्हे अधिकार और न्यायकी दृष्टिसे मिलना चाहिए, क्योकि लार्ड सेल्बोर्न साम्राज्यके उज्ज्वल नाम और यशके योग्य सरक्षक है।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ९-१२-१९०५

१७१ उद्धरण दादाभाई नौरोजीके नाम पत्रसे[१]

[जोहानिसबर्ग]
दिसम्बर ११, १९०५

ब्रिटिश भारतीय सघकी ओरसे लॉर्ड सेल्बोर्नसे[२] जो शिष्टमण्डल मिला था, उसका पूरा विवरण इस सप्ताहके 'इडियन ओपिनियन' मे आयेगा।

इस भेटमे जो प्रश्न उठाये गये और जिनपर विचार हुआ वे मेरी विनम्र रायमे बहुत महत्त्वपूर्ण है और इनमे सबसे महत्त्वपूर्ण सर आर्थर लाली द्वारा प्रतिपादित वर्ग विधानके सिद्धान्तका प्रश्न और ब्रिटिश भारतीय सघ द्वारा उसका विरोध है। सर आर्थर लालीके सुझावोका मशा है, यूरोपीय विद्वेषसे समझौता कर लेना। ब्रिटिश भारतीय सघका भी यही प्रस्ताव है। यदि कोई बात है, तो ब्रिटिश भारतीय सघका प्रस्ताव सर आर्थर लालीके सुझावकी अपेक्षा अधिक पूर्णताके साथ यूरोपीय दृष्टिकोणको तुष्ट करता है। यह समझना कठिन है कि उन्होने वर्गोके बीच भेदभावपर इतना अधिक जोर क्यो दिया है। परन्तु यदि वह सिद्धान्त मान लिया जाये तो दक्षिण आफ्रिकामे ब्रिटिश भारतीयोपर लगाये जानेवाले नियन्त्रणोका कोई अन्त नही रहेगा। इसलिए यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। ब्रिटिश भारतीय सघने जिन मामलोपर जोर दिया, उनपर लार्ड सेल्बोर्नने खुलकर विचार नही किया, इससे प्रकट होता है कि श्री लिटिलटनने सर आर्थरके सुझावोको अभीतक अगीकार नही किया है।

[अंग्रेजीसे]

इडिया ऑफिस ज्यूडीशियल और पब्लिक रेकर्ड्स ४२८९/१९०६

१ इसे दादाभाई नौरोजीने भारत मन्त्रीके नाम अपने जनवरी १, १९०६के पत्रमें उद्धृत किया था।

२ देखिए 'शिष्टमण्डल लॉर्ड सेल्बोर्नकी सेवामें", पृष्ठ १५०-८।

१७२ केपका प्रवासी-अधिनियम

केपके प्रवासी-अधिनियमके बारेमे हम दूसरे स्तम्भमे एक बहुत महत्त्वपूण परीक्षात्मक मुकदमा उद्धत कर रहे हैं। केपके ब्रिटिश भारतीयोको, इस बारेमे बहुत सावधान रहना होगा कि यह अधिनियम कैसे लागू किया जाता हे। नरोत्तम लालू नामका एक व्यक्ति, जो नौ वर्षोसे नेटालमे रह रहा है, केपमे प्रवेश करनेसे इस आधारपर रोक दिया गया कि वह दक्षिण आफ्रिकाका अधिवासी नही है। यद्यपि उसके पास नेटालका प्रमाणपत्र था, उसका पूव अधिवासी होनेका दावा खारिज कर दिया गया। इसका कारण यह बताया गया कि उसके स्त्री-बच्चे उसके साथ नही थे, और न दक्षिण आफ्रिकामे ही थे। केपके प्रशासकोने अपने अधिकारियोको आदेश दिया है कि जबतक प्रार्थी यह न सिद्ध करे कि दक्षिण आफ्रिकामे उनकी अचल सम्पत्ति है अथवा उनके स्त्री-बच्चे दक्षिण आफ्रिकामें हैं तबतक उनके दावे खारिज किये जाये। न्याय मूर्ति श्री मासडापने एक अच्छा खासा निणय दिया है। उन्होने कहा है कि दक्षिण आफ्रिकामे स्त्री और बच्चोकी उपस्थितिकी शत, यद्यपि यह अधिवासी होनेके पक्षमे एक बहुत बडा तथ्य है, पूणतया आवश्यक नही है। विद्वान न्यायाधीशने यह भी निधारित किया है कि नेटालका अधिवासी होनेका प्रमाणपत्र पूव अधिवासी होनेका मबूत नही हे, क्योकि वह किसी न्यायाधीश या न्याय सम्बन्धी अधिकारीके तय करनेका प्रश्न हे। इस निणयका विशुद्ध परिणाम यह होगा कि केवल वे भारतीय, जो दक्षिण आफ्रिकामे अपना दीघकालीन निवास और वहा आगे भी बने रहनेका अपना इरादा सिद्ध कर सकेगे, उन्हीके अधिवासी होनेके दावे माने जायेगे। यहा तक यह सतोषजनक है। परन्तु जैसा कि खयाल किया गया था, और वह बहुत उचित भी था, उसके विपरीत वे नेटालके अधिवासी होनेका प्रमाण दिखानेपर बिना किसी परेशानीके केपमे प्रवेश करनेमे समथ नही होगे। अब केपका कानून दक्षिण आफ्रिकाके किसी भी भागके अधिवासको मान्यता देता हे। और इस कानूनके सही अमलके हकमे यह बहुत जरूरी हे कि नेटाल सरकार द्वारा प्रदत्त प्रलेख केपमे भी स्वीकार किये जाये, नही तो अनन्त उलझने और परेशानिया उठ खडी होगी। जैसा कि प्रार्थीके वकीलने कहा है, अधिवाससे सम्बन्ध रखने-वाला कानून नेटालमे लगभग वैसा ही है जसा कि केपमे है। इसलिए कोई कारण नही हे कि अधिवासके जो प्रमाणपत्र, जैसा कि सब लोग जानते हैं, बडी जाच पडतालके बाद नेटालमे जारी किये जाते हैं, वे शुभाशा अतरीपके उपनिवेशमे स्वीकार न किये जाये।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६–१२–१९०५

१७३ मध्य दक्षिण आफ्रिकी रेल प्रणाली और यात्री

ट्रान्सवाल सरकारके इस महीनेकी ८ तारीखके 'गजट' मे, मध्य दक्षिण आफ्रिकी रेल प्रणाली (सेंट्रल साउथ आफ्रिकन रेलवे) मे यात्रियोके यातायातको नियन्त्रित करनेके लिए एक उपनियम प्रकाशित हुआ है। यह उपनियम लार्ड सेल्बोनकी उस जाचका परिणाम है जो कि उन्होने 'रैंड पायोनियर्स'[1] और, कुछ महीने हुए, रगदार लोगोके एक शिष्टमण्डलकी शिकायतपर की थी। यह उपनियम शुद्ध अवैयक्तिक है और जाहिरा तौरपर सर्वथा निर्दोष प्रतीत होता है। यह कहता है

> **यात्रियोको चाहिए कि वे, किस डिब्बेमें यात्रा करे या किस जगहपर बैठे, इस बारेमे स्टेशन मास्टर, गार्ड या अन्य सरकारी अधिकारियो द्वारा दी गई हिदायतोको मानें और यदि ऐसा कोई अधिकारी किसी व्यक्तिको किसी डिब्बे या स्थानको रिक्त करनेके लिए कहे तो उसे वहासे चला जाना चाहिए। यदि परिस्थितिवश किसी यात्रीको उससे निचले दर्जेके डिब्बेमें यात्रा करनी पड जाये, जिसका कि उसके पास टिकट हो, तो यातायात प्रबन्धकसे प्रार्थना करनेपर किरायेमे जो अन्तर होगा वह उसे रेलवे विभाग द्वारा वापस कर दिया जायेगा।**

इस उपनियमका पालन करनेसे इनकार करनेपर चालीस शिलिंग तक जुर्माने और सात दिन तक कैदकी सजा दी जा सकती है। रेल प्रणाली अधिकारियोको ये सब अधिकार सदासे प्राप्त थे, परन्तु उपनियम वास्तविकतापर जोर देता है। प्रतीत होता है कि इस उपनियमके व्यावहारिक परिणामस्वरूप रगदार यात्रियोके पास जिस दर्जेके टिकट होंगे उन्हे उससे निचले दर्जेके डिब्बेमे यात्रा करनेको बाध्य होना पड सकता है। इस नियमके पालनका परिणाम किसी दुष्टताके रूपमे प्रकट होगा या नही, यह बहुत कुछ उन लोगोपर निर्भर करेगा जिन्हे यात्राओका नियन्त्रण करनेका अधिकार सौंपा जायेगा, और यदि असुविधा और दुर्व्यवहारको टालना है तो बहुत बडी चतुराईसे काम लेना पडेगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-१२-१९०५

१ ट्रान्सवालमें बसे हुए अनुदार डच लोग।

१७४ लन्दन भारतीय समाज और प्रोफेसर गोखले

प्रोफेसर गोखलेने कुछ ही समयमे इग्लैडको हिला दिया हे। उनके ओर भारतके पितामह दादाभाई नौरोजीके लिए लन्दन भारतीय समाज (लदन इडियन सोसायटी) ने एक सभा की थी[1]। उस समय प्रोफेसर गोखलेने जो भाषण किया था उसका साराश हम नीचे दे रहे ह, क्योकि वह भाषण बडा ही जानने योग्य और विचार करने योग्य है। उसका मुख्य तात्पय यह है कि भारतमे शिक्षाका प्रचार किया जाये। उसी दौरानमे हम अग्रेजीमे लेख लिख चुके है[2]। हम मानते है कि शिक्षाके बिना दक्षिण आफ्रिकामे भी हम लोग सुखी होनेवाले नही है। इस युगमे शिक्षा ही सबसे बडा साधन है। प्रोफेसर गोखलेने स्वय अपने २० वप फर्ग्युसन कॉलेजको अवैतनिक रूपसे दिये है, और इस समय वे जो देश सेवा करते ह, वह कगाली भुगत कर ही। शाही विधान परिषदके सदस्यकी हैसियतसे उनकी मासिक आय[3] १००० रुपये है। उसे भी वे अपने लिए खच नही करते, बल्कि देश हितमे लगा देते ह। अपने भाषणमे वे कहते है

'२० वष पूव जब मैंने विश्वविद्यालय छोडा और देशकी सेवा शुरू की तब राष्ट्रीय काग्रेसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। उस समय आप (श्री बनर्जी) उसके प्रथम अध्यक्ष थे। तबसे लेकर आज तक आप देश सेवा करते है और आज भी अस्वस्थ होते हुए यहा उपस्थित है। आपकी इस मेवाको आपका देश कभी भूल नही सकता। मै आज अधिक कहना नही चाहता। श्री बनर्जी और श्री दादाभाई भारतकी सेवा करते करते वृद्ध हुए है। उनके समक्ष मै क्या बोलू? फिर भी दादाभाईकी जीवनीसे हमे क्या सीखना है, इस विपयपर बोले बिना मुझसे नही रहा जाता। इन्होने हमसे जो शब्द कहे है वे सब तपे हुए है। उन्होने स्वय अपने अनुभवसे वे शब्द कहे है। इस प्रकार बोलनेका अधिकार केवल उनको ही है। आजके जमानेके हम लोगोको इस तरह बोलनेका हक नही है।

हमारी हालत कैसी है यह आप सब जानते है। मै तो यह भी कहता हू कि वह इससे भी ज्यादा खराब होनेवाली है। हमे अपने श्रमपर भरोसा रखना है। हम अपने देशके लिए जो आशा रखते है उसे सफल करना हो तो हमे अपने उत्तरदायित्वका खयाल करना होगा। हमपर मुसीबते है, यह समझ कर बैठे रहनेसे मुसीबते दूर होनेवाली नही है। जवानोको जी-जानसे सघषमे कद पडना है। हमपर बादल घिर आये तो उनसे हमें डरना नही है। ऐसे ही समय खरे मनुष्यकी कसौटी होती हे। यदि हम खरे रहेगे तो परिणाम अच्छा ही होगा। जापान और रूसमें जो घटनाये हो रही हैं उनसे हमे सवक सीखना है। मेरा विचार है कि ऐसा समय आ गया है कि हमारे जवानोको अपने देशके लिए सवस्वका त्याग करनेकी आवश्यकता है। यदि हम सब स्वाथमें डूबे रहे और फिर देशकी हालत न सुधरे तो इसमे औरोको दोप देनेका हमे हक नही है। देशमे सच्ची जरूरत शिक्षाकी है। शिक्षाका अथ ककहरा सीखकर बैठ जाना नही है, बल्कि यह

१ शनिवार नवम्बर ११ १९०५ को श्री डब्ल्यू० सी० बनर्जीकी अध्यक्षतामें।

२ देखिए "भारतमें अनिवार्य शिक्षा", पृष्ठ ९४–५।

३ शाही विधान परिषदके सदस्योंका वेतन उस समय ५,००० रुपये वार्षिक था।

जानना है कि हमारे अधिकार क्या ह, यह समझना हे कि अधिकारोके साथ हमारे उत्तर-दायित्व और कर्त्तव्य क्या है। इस प्रकारकी शिक्षा पाच पचीस व्यक्तियोको मिल जायें, उतना बस नही है। उसे करोडो लोगोमे फैलाना है। यह कसे होगा? उसके लिए हमें तयार होना होगा। उसके लिए हमे अपना समय देना होगा। सरकार इस प्रकारकी शिक्षा देगी, यह आशा नही रखनी है। ऐसे नौजवानोकी सरया दिनोदिन बढनी चाहिए। यह शिक्षा हमे दादाभाइकी जीवनीसे प्राप्त करनी है। तभी हमने उनका सम्मान किया, यह कहा जा सकता है। उनका नम्र स्वभाव, उनकी सादगी उनका त्याग, उनकी आशा, उनकी दढता —— इन सब गुणोका बखान करनेमे फायदा नही है, बल्कि उन गणोका अनुशीलन करना है। हमे देशके लिए बलिदान होनेकी उमग रखनी चाहिए। अगर इस तरहके जोशीले नौजवान बडी सरयामे तैयार हो जाये तो इस दुनियामे ऐसा कोई नही हे जो हमे सता सके। यह होगा तभी हमारे ऊपरसे घटाएँ टलेगी, तभी हम विजय पायेंगे, तभी भारत आगे बढेगा, तभी हमारा दैन्य दूर होगा, और हमारा तेज ससारमे प्रकाशित होगा, ओर तभी आज हम जिसका स्वप्न देख रहे है, कल साकार होगा।'

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १६–१२–१९०५

१७५ ट्रान्सवालके अनुमतिपत्र

भारतीयोको अनुमतिपत्र देनेके सम्बन्धमे बडे फेरफार हो रहे है। जो अनुमतिपत्र कार्यालय जोहानिसबगमे चल रहा है, उसका कब्जा पूरी तरहसे ओपनिवेशिक कार्यालयको देनेका आदेश लॉड सेल्बोनने दिया है। जान पडता है, यह परिवतन ज्यादातर शिष्टमण्डलके[1] प्रयत्नोके कारण हुआ है। अब भारतीयोकी स्थितिका सुधरना या बिगडना इस परिवतनके रूपपर निभर है। हमारी धारणा है कि वह सुधरेगी, भले फिलहाल थोडे समयके लिए हमे कुछ परेशानिया भोगनी पडे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १६–१२–१९०५

१ देखिए 'शिष्टमण्डल लॉर्ड सेल्बोर्नकी सेवामें', पृष्ठ १५०–८।

१७६ पत्र छगनलाल गांधीको

जोहानिसबर्ग
दिसम्बर २१, १९०५

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र और तार दोनों मिले। अगर हेमचन्द निकम्मा हो गया हो, या बर्खास्त कर दिया गया हो,[1] तो गोकुलदाससे काम ले सकते हो। मेरी जोरदार सिफारिश तो यह है कि गोकुलदास तमिल विभागमें चला जाये। अगर वह जाये तो फिर मैं कल्याणदासको भेज सकता हूँ।

यात्राका टिकट बहुत सस्ता है। मैं तुम्हारे अनुमतिपत्रकी कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारी तैयारी पूरी होने तक वह तुम्हें मिल जायेगा। मुझे बहुत खुशी है कि आखिर तुमने आना तय कर लिया है।

डेलागोआ बेसे होरमसजी ईदुलजीने ३ पौंड ७ शिलिंग और ६ पेन्सका एक ड्राफ्ट भेजा है। वे लिखते हैं कि रसीद उन्हें सीधी प्रेससे मिले। तो तुम उन्हें इस रकमकी रसीद भेज देना। इसमें विज्ञापनका पैसा और चंदा दोनों शामिल हैं। उनकी शिकायत है कि कुछ दिनोंसे उनके पास पत्र नहीं पहुँचता। यह देख लेना।

तुमने लिखा कि तुमने एक टोकरी आड़ू भेजे थे। अभीतक तो वे मुझे नहीं मिले हैं।

वीरजी इस महीनेके अन्त तक चले जायेंगे। उन्हें उनका वेतन, छत (डेक) का किराया और जहाजमें भोजनके लिए कुछ दे देना। मामूली तौरपर क्या दिया जाता है, यह मैं नहीं जानता। तुम उनसे बात कर लेना। परन्तु बहुत दाम दिरम करनेकी जरूरत नहीं है। इस महीनेके आखिरी दिन यह सब उन्हें मिल जाये।

तुम्हारा शुभचिन्तक,
मो० क० गांधी

श्री छगनलाल खुशालचन्द गांधी
फीनिक्स

[अंग्रेजीसे]

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४२६७) से।

१ देखिए "पत्र छगनलाल गांधीको", पृष्ठ ९१–२।

१७७ पत्र उच्चायुक्तके सचिवको

जोहानिसबग
दिसम्बर २२, १९०५

महोदय,

मै परमश्रेष्ठका ध्यान उन दो अध्यादेशोके मसविदोकी ओर दिलाना चाहता हूँ जो इस मासकी १५ तारीखके आरेज रिवर उपनिवेशके सरकारी 'गजट' मे प्रकाशित हुए है। उनके नाम ये ह "परवानोके कानूनोमे सशोधन करनेके लिए" और "ऑरेंज रिवर कालोनीकी सीमाके भीतर या बाहर काम या मजदूरी करनेके लिए रगदार लोगोकी भरती या नियुक्तिका नियमन और नियन्त्रण करनेके लिए" अध्यादेशोके मसविदे।

मेरा सघ इन दो अध्यादेशोके विवरणोका विस्तारसे जिक्र करना नही चाहता है, परतु परमश्रेष्ठका ध्यान इस तथ्यकी ओर दिलानेका साहस करता है कि ब्रिटिश भारतीयोके "रगदार लोगो" सज्ञाकी व्याख्याके अतगत आनेके कारण ये दोनो अध्यादेश उनपर भी लागू होते है। व्यावहारिक रूपमे इनमेसे कोई अध्यादेश ब्रिटिश भारतीयोपर लागू नही होगा। इसलिए मेरे सघका खयाल हे कि उक्त व्याख्यासे व्यक्त अपमान नितात अहेतुक है।

इसलिए यदि परमश्रेष्ठ ब्रिटिश भारतीय सघकी तरफसे हस्तक्षेप करनेकी तथा इस अध्यादेशको आपत्तिजनक परिभाषासे, जो उपनिवेशको कोई लाभ तो पहुँचाती नही है, उलटे ब्रिटिश भारतीयोके लिए बहुत ही सतापजनक हे, मुक्त करनेकी कृपा करे तो मेरा सघ आभार मानेगा।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
अब्दुल गनी
अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३०–१२–१९०५

१७८ फसल

फसल तो बेशक बहुत अच्छी है, परतु काटनेवाले थोडे हैं। कायकर्ताओके बिना बहुत से काम करनेको पडे है, और उनमे से प्रत्येक परमावश्यक है। परतु यदि हमे यह चुनाव करना हो कि इन सबमे सबसे पहले कौन-सा काम करना चाहिये तो भारतीयोमे शिक्षा प्रसारका स्थान सवप्रथम रहेगा।

अब बडे दिनकी छुट्टिया चल रही है। यह वष शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा। बहुत-से ब्रिटिश भारतीयोके लिए, जो इन शब्दोको पढेगे, ये दिन गम्भीर आध्यात्मिक चितनके है, अथवा होने चाहिए, क्योकि ईसाइयोके लिए ये दिन पवित्रताके दिन होते ह। इसलिए हम उन भारतीय युवकोके, जो दक्षिण आफ्रिकामे ही जन्मे और पोषित हुए है और दक्षिण आफ्रिका ही जिनका घर है, हृदयोके कोमलतम तारोको झकृत करना चाहते है। उनमे से जो शिक्षित

हो चुके ह, वे अपने माता पिताके, जिनमे से अनेकको स्वय अक्षरज्ञान तक नही है विशेष ऋणी है। अब प्रश्न यह हे कि ये शिक्षित युवक इसकी एवजमे अपने उन देश-भाइयोके लिए क्या करेगे जिन्हे शिक्षा और सस्कृति और उन सब बातोकी जरूरत हे जिनकी अभिव्यक्ति इन दो शब्दोसे होती है? हम इस सचाइकी चर्चा पहले भी कर चुके है[1] कि भारतीय युवकोकी शिक्षा बहुत उपेक्षित है। जो थोडा बहुत किया जा रहा है, वह ईसाई पादरियो द्वारा। दक्षिण आफ्रिकी सरकारोकी सहायता उसमे आशिक ही हे। एक भी महत्त्वपूण स्कूल ऐसा उपलब्ध नही है जो पूणतया भारतीयो द्वारा चलाया जा रहा हो। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमे हमे यह आशा करनेका अधिकार तो है ही कि सरकार पहले कदम उठाये, परन्तु हम अपने पैरोपर खुद भी खडे हो सकते है। यह केवल धनका प्रश्न भी नही है। प्रथम आवश्यकता तो है पर्याप्त सख्यामे ऐसे आत्मत्यागी युवकोकी जो शिक्षाके कामके लिए निष्काम भावसे अपने आपको अर्पित करे। हमे यह शत एक अनिवाय शत जान पडती है। यूरोपीय जगतमे रोमन कैथलिकोमे सर्वोत्तम शिक्षक उत्पन्न हुए है, क्योकि ये शिक्षक न तो वेतन लेते है और न लेनेकी आशा करते है। बर्मी बालकोको बर्मी विचारोके अनुसार पूण शिक्षा मिलती है क्योकि उनके शिक्षक स्वयसेवक होते ह। प्राचीन भारतमे भी इसी नियमका पालन किया जाता था, और आज भी गावकी पाठशालाके गुरु गरीब ही होते है। प्रोफेसर गोखले और पराजपे पूनाके जिस फग्युसन कॉलेजके ऐसे ज्योतिमय नक्षत्र है,[2] वह आधुनिक रूपमे उसी पुरानी प्रथाके पुनरुज्जीवनका उदाहरण है। दक्षिण आफ्रिकामे समग्र भारतीय प्रश्न उस प्रथाकी प्रतिष्ठा किये बिना कभी हल नही होगा। फलत दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय युवकोके सामने उनका कत्तव्य सरल और स्पष्ट है। उनके सम्मुख जो काय पडा है वह एक दिन या कुछ महीनोका नही, बल्कि बरसोका है, और वह बिना कठिन श्रमके पूरा नही किया जा सकता। उन्हे केवल निधनतामे ही सन्तुष्ट नही रहना है बल्कि इस पेशेके लिए अपने आपको प्रशिक्षित भी करना है। इस लक्ष्य तक पहुँचनेके लिए कोई अन्य राजमाग नही है, परन्तु इसी कारणसे निराश हो जानेकी आवश्यकता नही। यदि एक भी युवक अपना जीवन भारतीय बालकोकी उन्नतिके लिए अर्पित करनेका निश्चय कर ले तो वह इस कामको उठा सकता है। यद्यपि सहयोग और धन सदा ही बहुत सहायक रहेगे, फिर भी शिक्षाका क्षेत्र ऐसा है जिसमे एक अकेला अध्यापक भी कई आदमियोका काम कर सकता है। इसलिए किसीको भी यह प्रतीक्षा करनेकी आवश्यकता नही है कि दूसरे लोग आयेंगे और काम शुरू करेगे। कोई भी अन्य धन्धा इतना पवित्र नही हे। सस्कृतके एक श्लोकमे कहा गया है

> **राजत्व और विद्वत्ता कदापि समान नहीं। राजा तो अपने देशमें ही पूजा जाता है, किन्तु विद्वानकी पूजा सवत्र होती है।**[3]

और भी

> **धन खच करनेसे खत्म हो जाता है, किन्तु विद्या दूसरेको देनेसे बढती है।**

१ देखिए "भारतमें अनिवाय शिक्षा" पृष्ठ ९४–५।

२ ये दोनों 'सवटस ऑफ इडिया सोसाइटी' के सदस्य थे और इन्होंने निर्वाह खर्च मात्र लेकर कॉलेजकी सेवा की थी। इस सोसाइटीका स्थापना स्वर्गीय गोखलेने की थी और इसके सदस्य अपना जीवन त्यागपूर्वक नाना प्रकारकी समाज सेवाओंके लिए अर्पण कर देते थे।

३ विद्वत्वं च नृपत्वं च नैवतुल्ये कदाचन।
स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते॥

भारतीय युवकोसे यह अपील करते हुए हम उनका ध्यान उन ज्ञानोज्ज्वल शब्दोकी ओर आकर्षित करेंगे जो कि प्रोफेसर गोखलेने लदन भारतीय समाज (लन्दन इडियन सोसाइटी) के सामने, श्री दादाभाई नौरोजीके और अपने सम्मानमे आयोजित एक स्वागत-समारोहके अवसरपर कहे थे। भारतके इन पितामहका उदात्त उदाहरण अपने श्रोताओके सामने स्पष्टतासे प्रस्तुत करनेके पश्चात, उन्होने कहा था

हमे यह नही भूलना चाहिए कि हमारे चारो ओर बडी बडी घटनाएँ घटित हो रही ह, और यदि हम ससारके इतिहासमें अपनी भूमिका पूरी करना चाहते ह तो हमे अपने आपको उसके योग्य बनाकर दिखलाना होगा। मेरा खयाल है कि अब समय आ गया हे जब कि हमारे कुछ युवकोको अपने देशकी सेवाके लिए सवस्व निछावर कर देना चाहिए। हमारे सामने जो काय पडा है उसकी विशालताका यह जबरदस्त तकाजा है। यदि हम सब अपने-अपने धधोमे लगे रहे, अपना ध्यान मुख्यत व्यक्तिगत स्वार्थोमे लगाये और देशको भाग्य-भरोसे छोड दे तो काम जिस गतिसे चल रहा है उससे ज्यादा शीघ्रतासे न चलनेपर हमे शिकायत करनेका कोई अधिकार नही होगा। जबतक हमारे देशमे शिक्षाका व्यापक प्रसार नहीं होता — और शिक्षासे मेरा मतलब केवल शिक्षाकी प्रारम्भिक बातोसे नही हे, बल्कि अपने अधिकारोके, अपने प्राप्तव्यके, और इन अधिकारोके साथ जो जिम्मेवारिया लगी ह, उनके ज्ञानसे है — जबतक इस शिक्षाका सवसाधारण जनतामे खूब प्रसार नहीं हो जाता, तबतक हमारी आशाएँ अनिश्चित काल तक निरी आशाएँ ही बनी रहेगी। इसलिए हमारी कठिनाइयोका एकमात्र हल यह है कि हम ऐसी शिक्षाकी आवश्यकता — परम आवश्यकताको भलीभाति समझ ले, और हममे से जो इसका प्रसार करनेके योग्य हो वे अपना कत्तव्य समझकर आगे बढे और इस कामको अपने कधोपर उठा ले। मेरा खयाल है कि आज इससे अधिक देशभक्तिका काम दूसरा नही हो सकता। यही वह जिम्मेवारी हे जो हमारे परम श्रद्धेय नेताके वचनोसे हमपर पडी है, और म साहसपूवक कहता हूँ कि देशको ऐसी आशा रखनेका अधिकार है कि उसके कुछ युवक — वे आरम्भमें भले ही थोडे हो, परतु उनकी सख्या निरतर बढ़ती जायेगी — कत्तव्यकी इस पुकारको पूरे ध्यानसे सुनेंगे और उसका प्रत्युत्तर देंगे। इतनी बात यदि पूरी हो जाये तो परिस्थिति समय समयपर कितनी ही अधकारपूण क्यो न प्रतीत हो, अतमे हमारे प्रयत्न अवश्य सफल होगे, क्योकि हमारी सख्या इतनी अधिक है कि यदि हम स्वय ही न लडखडा जाये तो ससारकी कोई भी शक्ति हमारी प्रगतिको नही रोक सकती।

स्मरण रखना चाहिए कि जो सचाई प्रोफेसर गोखलेके इन शब्दोमे व्यक्त हुई है उसपर वे बीस वष अपने जीवनमे अमल कर चुके है, और इन शब्दोमे एक भी बात ऐसी नही जो हम दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोपर लागू न होती हो। तो क्या कोई समयकी पुकार सुनकर आगे आयेगा? जो फसल पककर कटनेको तैयार है वह प्रभत और समद्ध है।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २३-१२-१९०५

१७९ नेटाल-सरकार रेल-प्रणाली और भारतीय

नेटाल-सरकार रेल प्रणालीके कुछ स्टेशनोपर भारतीय यात्रियोको अनावश्यक असुविधाओका सामना करना पडता हे। इस सम्बन्धमे हमारे पास तीन भारतीयोके हस्ताक्षरसे एक शिकायत आई हे। उसे हम इस पत्रके गुजराती-स्तम्भोमे प्रकाशित कर रहे है। पत्र लेखकोने लिखा है

हमे आशा हे कि आप हमारी शिकायतोकी ओर अधिकारियोका ध्यान खीचेगे। १३ दिसम्बरको हमारे मित्र श्री वली आरिफ चार बजेकी डाक-गाडीसे जा रहे थे। हम उन्हे विदा करनेके लिए केन्द्रीय स्टेशनके प्लेटफॉर्मपर जाना चाहते थे, परन्तु वहा खडे पुलिस सिपाहीने हमे वहा जानेसे असभ्यतापूवक रोक दिया। जब हमने उससे पूछा कि तुम हमे क्यो रोकते हो, उसने कठोरतासे जवाब दिया कि म तुम लोगोको नहीं जाने दूगा।

पत्र लेखकोने ऐसा ही और लिखा है। हम मानते है कि ऐसे अवसर हो सकते है जब यात्रियोको विदाई देनेके लिए मित्रोको असीमित सख्यामे भीतर जाने देना सम्भव न हो, परन्तु हमारा कहना है कि जब कभी लोगोको प्लेटफॉमपर जानेसे रोका जाये, उन्हे समुचित उत्तर पाने और कारण जाननेका अधिकार तो होना ही चाहिए। हमे निश्चय हे कि रेल-प्रणालीके प्रबन्धकर्ता भी हमारी यह बात मानेगे। आशा है कि इस मामलेकी जाच की जायेगी और हमारे पत्र लेखकोने जिस व्यवहारकी शिकायत की है उसकी पुनरावत्ति न होने दी जायेगी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३–१२–१९०५

१८० केपके भारतीय व्यापारी

पिछले सप्ताह हमारे केप सवाददाताने भारतीय व्यापारियाके प्रश्नपर लिखा था। हमे अपने पाठकोको यह बतलानेकी आवश्यकता नही कि हमारे विशेष सवाददाताओके लिए जरूरी नही कि वे इस पत्रके विचारो या नीतिके समथक ही हो। नियमानुसार हम किसी भी प्रश्नके सब पहलुओको प्रकट करनेका यत्न करते हैं। यदि हमारे केप-सवाददाताने भारतीय व्यापारियोके प्रश्नपर विस्तारसे चर्चा न की होती तो हमे इस बातपर जोर देनेकी जरूरत न पडती। हमारा विचार हे कि छाटे भारतीय व्यापारियोसे उपनिवेशको लाभ पहुँचा है। इस सम्बन्धमें हम, हालमे सर जेम्स हलेट और कुछ वष पूव सर वाल्टर रैग, स्वर्गीय सर हेनरी बिन्स, और अन्य कई सज्जनो द्वारा प्रकट किये हुए विचारोसे सहमत हैं कि, छोटा भारतीय व्यापारी उसी वगके अपने साथी व्यापारीकी अपेक्षा बहुत अच्छा आदमी है, और वह एक बहुत बडी आवश्यकताकी पूर्ति करता है। इसलिए उसकी स्वतन्त्रतापर कोई भी पाबन्दी लगाना उसके साथ भारी अन्याय होगा और केपके भारतीयोका चाहिए कि इस दिशामे जो भी आक्रमण किया जाये, उसका वे डटकर मुकाबला करे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३–१२–१९०५

१८१ हिन्दू-मुसलमानोके बीच समझौता

श्री हाजी हबीबने इस विषयपर हमे एक पत्र लिखा है। उसे हम अन्यत्र प्रकाशित[1] कर रहे है। कराचीके महाजनोके बारेमे उन्होने जो कुछ लिखा है[2] वह यदि सही हो तो हमे खेद है। हम यह भी मानते है कि हिदुओकी सख्या बडी होनेके कारण उन्हे अधिक नम्रतासे चलना है। श्री हाजी हबीबका कहना है कि अगर हिदू-मुसलमानोके बीच एकता रही होती तो भारतीय काग्रेस जिन जिन अधिकारोको मागती हे वे कभीके प्राप्त हो गये होते। यह हम भी मानते है।

इसमे कोई शक नही कि ऐसी बातोमे सब कौमोके मुखियोको मिलकर कोई समझौता कर लेना चाहिए। और हमे ऐसे आसार भी नजर आ रहे है कि कुछ समयमे ऐसा होकर रहेगा।

फिर भी हम जो कुछ इससे पहले कह गये है उस बातपर तो हमे जोर देना चाहिए। वह बात यह है कि दोनो कौमोके बीच, चाहे जैसा झगडा हो, उसका इन्साफ तीसरेके हाथमे नही जाना चाहिए। भाई भाई आपसमे लड मरे, यह बर्दाश्त करना ज्यादा आसान है। लेकिन दोनोके पास जो कुछ हो वह तीसरा व्यक्ति ले जाये, यह बर्दाश्त नही किया जा सकता। हम सबकी भावना इसी तरहकी होनी चाहिए। जैसाकि जनाब रसूलने बताया है,[3] तीसरे आदमीके बीचमे पडनेसे झगडनेवालोमे से किसीको भी फायदा होना सम्भव नही है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २३-१२-१९०५

१८२ ईश्वरकी लीला अद्भुत है[4]

एक रोचक कहानी

बडे दिनके अवसरपर तमाम यूरोपमे तरह तरहकी पुस्तिकाएँ प्रकाशित होती है। उनमे बहुतसी जानने योग्य बाते होती ह। इग्लैडके प्रख्यात श्री स्टेडने जो पुस्तिका प्रकाशित की है उसमे उन्होने काउट टॉल्सटॉयका जीवन वतात दिया है।[5] हम इस पत्रमे काउट टॉल्सटॉयका परिचय दे ही चुके है। वे यद्यपि लखपती है, फिर भी अत्यत गरीबीकी हालतमे रहते है। ससारमे उन जैसे विद्वान बहुत कम है। उन्होने जो कुछ लिखा है, यह बतानेके लिए कि मनुष्योका

१ ३०-१२-१९०५ के अकमें।

२ श्री हाजी हबीबने शिकायत की थी कि हिन्दू व्यापारियोने मुसलमान व्यापारियोके लिए गोरक्षा निधिमें चन्दा देना अनिवार्य कर दिया है।

३ "मराठा में प्रकाशित समाचारके अनुसार श्री ए० रसूलने मुसलमानोकी एक आम सभाकी अध्यक्षता करते हुए बगालके हिदुओ और मुसलमानोसे अपील की थी कि वे बग भग और स्वदेशी-आन्दोलन सहित सभी प्रश्नोपर एक हो जायें।

४ ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित अग्रेजी अनुवाद — टॉल्स्टॉय शताब्दी स्मारक ग्रन्थ (टॉल्स्टॉय सैटिनरी एडिशन)— में इस कहानीका शीर्षक "गॉड सीज़ दि ट्रुथ बट वेट्स" दिया गया है।

५ देखिए 'काउंट टॉल्स्टॉय', पृष्ठ ५९-६०।

जीवन किस प्रकार सुधर सकता है। इस दृष्टिसे उन्होंने छोटी-छोटी कहानियां भी लिखी हैं। उनमें से एक अच्छी मानी जानेवाली कहानीका अनुवाद हम नीचे दे रहे हैं। उसका नाम वही है, जो हमने इस लेखके शीर्षकमें दिया है। इस कहानीके सम्बन्धमें हम अपने पाठकोंकी सम्मति चाहते हैं। यदि यह पाठकोंको सरस लगी और इससे फायदा मालूम हुआ तो हम इसी तरहकी और कहानियां भी देंगे। कहा जाता है कि इस कहानीकी मुख्य घटनाएँ सच्ची हैं।

[इसके बाद मूल अंग्रेजी कहानीका गुजराती अनुवाद दिया गया है।]

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-१२-१९५०

१८३. पर्यवेक्षण

हम प्रतिवर्ष इस समय दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय मामलोंकी स्थितिका पर्यवेक्षण किया करते हैं। यह पत्र निकाला ही इसलिए गया है, और इस स्थितिको सुधारना ही इसका उद्देश्य है।

हम चाहते तो यह थे कि अपने पाठकोंके सामने उत्साहजनक तलपट पेश कर सकते, परन्तु परिस्थितियां जैसी हैं उनमें ऐसा नहीं हो सकता। भारतीयोंके भाग्यमें ही मेहनत करना, दुःख सहना और बाट जोहते रहना बदा है, और हम यह नहीं कह सकते कि गत वर्ष वे अपने कुछ बोझ उतार फेंकनेमें सफल हो गये। नेटाल, ट्रान्सवाल, केप या ऑरेंज रिवर कालोनी, चाहे जिसे देखें, हमें ऐसी किसी बातकी याद नहीं आ सकती जिसकी गिनती सफलताओंमें की जा सके। हमें जो लेखा पेश करना है, वह नये घाटेको रोकनेका लेखा है। भारतीय समाजकी शक्ति नई दस्तंदाजीको रोकनेमें ही लगी है।

नेटालमें, मानो भारतीयोंके लिए मानव-जनित कष्ट ही पर्याप्त नहीं थे, स्वयं प्रकृति भी उनके लिए क्रूर सिद्ध हुई है। भारतीयोंमें ही सबसे अधिक लोग भयंकर बाढ़के शिकार हुए हैं। इस विपत्तिमें जिन लोगोंकी जानें गई हैं उनकी कुल संख्याका पता तो शायद कभी नहीं लगेगा। परन्तु इससे यह प्रकट हो गया कि भारतीय क्या कर सकते हैं। भारतीय समाजके नेताओंने ही प्रायः सारा सहायता-कार्य हाथमें लिया और कुशलतापूर्वक सम्पन्न किया था।

नागरिकताके मामलोंमें — राजनीतिक स्वतन्त्रता तो नेटालमें भारतीयोंको है ही नहीं — विक्रेता-परवाना अधिनियम पूर्ववत कष्टका सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। हुंडामल[1] और दादा उस्मानके[2] दो मामले इसके प्रमुख उदाहरण हैं। उनसे भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि नेटालमें प्रत्येक भारतीय व्यापारीकी स्थिति कितनी अनिश्चित है।

नगरपालिका कानून संग्राहक विधेयक (म्यूनिसिपल लॉज़ कन्सालिडेशन बिल) भारतीयोंको नगरपालिका मताधिकारसे वंचित कर देता है। व्यक्ति-कर कानून लागू तो सबपर होता है, परन्तु उसका सबसे अधिक विपरीत प्रभाव भारतीयोंपर ही पड़ता है। प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियमका प्रयोग बहुत कठोरतासे किया जा रहा है, और जैसा कि इस पत्रके स्तम्भोंमें हालमें ही प्रमाणित किया गया है, भारतसे जहाजमें आनेवाले भारतीय यात्रीकी अवस्था भी किसी प्रकार ईर्ष्यायोग्य नहीं है।

१ देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ३०१, ३२५ और ३३७।
२ देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १८।

केपमें सरकार प्रवासी-अधिनियमकी प्रतिबन्धक धाराओंकी गलत व्याख्या करके भारतीय लोगोंको अधिकाधिक जकड़ती जा रही है। "अधिवासी" शब्दकी व्याख्या इस प्रकार की गई है कि पुराने बसे हुए भारतीय व्यापारी तक उस गिनतीमें न आने पायें। प्रसन्नताकी बात इतनी ही है कि सर्वोच्च न्यायालयने रक्षा कर ली है, और अब इन व्यक्तियोंके लिए उपनिवेशमें फिर प्रवेश करना या वहां बने रहना सम्भव हो गया है।

ट्रान्सवालमें, जहां कि मुख्य संघर्ष चल रहा है, स्थिति वैसी ही अनिश्चित है जैसी कि गत वर्ष थी। भारतीयोंका जो शिष्टमण्डल लार्ड सेल्बोर्नसे मिला था उसे वे कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सके हैं। हां, उन्होंने शांति-रक्षा अध्यादेशके अमलसे उत्पन्न शिकायतोंको दूर करनेका वचन दिया है।

जहांतक ऑरेंज रिवर कालोनीका सम्बन्ध है, कुछ महीने पूर्व लार्ड सेल्बोर्नने ब्रिटिश भारतीय संघके प्रार्थनापत्रका जो उत्तर दिया था उससे प्रकट होता है कि इस उपनिवेशके द्वार भारतीयोंके लिए — वे चाहे कोई भी क्यों न हों — अब भी नहीं खोले जायेंगे।

परन्तु भारतीय जनताके सामाजिक जीवनमें उन्नतिके लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। लोगोंमें परस्पर अधिक मिलकर काम करने और भारतीय युवकोंको अधिक अच्छी शिक्षा देनेकी उत्सुकता है। श्री बर्नार्ड गब्रियल प्रथम भारतीय हैं जिन्हें उपनिवेशमें जन्म लेनेपर भी ऊँची शिक्षा मिली है और जो इंग्लैंडसे बैरिस्टर बनकर आये हैं। समाजको अधिकार है कि वह उनसे अच्छे कामकी आशा रखे।

प्रोफेसर परमानन्दका आगमन और यहां हुआ उनका स्वागत इस बातके सूचक हैं कि भारतीय समाज चाहता है कि शिक्षित और सुसंस्कृत भारतीय उसके बीच ज्यादा आयें। आशा है कि समाजकी यह इच्छा निकट भविष्यमें ही कार्यान्वित हो जायेगी और समाजकी शिक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताएँ स्वयं ही पूरी करनेकी दिशामें केन्द्रित प्रयत्न किये जाने लगेंगे।

यह पर्यवेक्षण निराशापूर्ण तो बहुत है, परन्तु इसमें आशाके चिह्नोंका अभाव नहीं है। अनिवार्य पृथक्करणके सिद्धान्तकी स्थापना करके भारतीय समाजको नीचा दिखानेके प्रयत्न, बार-बार किये जानेपर भी अबतक असफल रहे हैं। समाचारपत्र भारतीय शिकायतोंको पहलेसे अधिक मुस्तैदीसे प्रकाशित करने लगे हैं। भारतीयोंसे स्वयंसैनिकका काम लिया जानेका प्रश्न पहले उठाया तो हमने था, परन्तु अन्य समाचारपत्रोंने भी उसका अच्छा स्वागत किया।

नेटाल जेल-आयोगके सामने गिरमिटिया भारतीयोंकी दशाके विषयमें जो बातें प्रकट की गई थीं उनका भी नेटाली पत्रों द्वारा कुछ प्रचार हुआ है, और यद्यपि स्वयं ये घटनाएँ असलियतको बहुत कम प्रकट करती हैं तथापि इतना तो निश्चित रूपसे बतला ही देती हैं कि समाजको उसी मार्गपर चलना होगा जो उसने संघर्षके आरम्भ होनेपर अपने लिए निर्धारित कर लिया था अर्थात् संघर्षको औचित्यके साथ — जैसा कि लार्ड सेल्बोर्नने भी माना है — धैर्यके साथ और फिर भी दृढ़तासे जारी रखना।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०–१२–१९०५

१ देखिए "पॉचेफस्ट्रूमके भारतीयोंका वक्तव्य" पृष्ठ १०१–३।

१८४ ऑरेंज रिवर कालोनी

हम जिम्मेदार अधिकारियोका ध्यान उन कुछ अध्यादेशाके मसविदाकी आर जा ऑरेंज रिवर कालोनीके १५ दिसम्बर १९०५ के सरकारी 'गजट' मे प्रकाशित हुए ह, और कुछ नगर विनियमोकी आर आकृष्ट करना चाहते है। प्रथम अध्यादेशका शीषक है, "परवानोके कानूनोम सशाधन करनेके लिए"। इसके अनुसार प्रत्येक रगदार व्यक्तिको एक नियत अवधि तक अपने पास एक परवाना रखना पडेगा जो समय समयपर फिर नया कराया जा सकेगा। एक और अध्यादेश "आरेज रिवर कालोनीकी सीमाके भीतर या बाहर, काम या मजदूरी करनेके लिए रग दार लागाकी भरती या नियुक्तिका नियमन और नियन्त्रण करनेके लिए" है। जिस प्रणालीसे अध्यादेशके निर्माता रगदार मजदूर उपलब्ध कर सकेगे वह हे मजदूर एजेटाका परवाना देना। ये एजेट 'रगदार मजदूर भरती करने, उन्हे दूसराको देने ओर उनकी तलाश करनेके लिए हरकार या सन्देशवाहक रख सकेगे।" उन हरकारोको भी ५ शिलिगका परवाना लेना होगा। मजदूर एजेटोको जा परवाने दिये जायेगे उन्हे नियमित करनेवाली धाराओके अतिरिक्त, इस अध्यादेशमे परवानाका दुरुपयाग अथवा मजदूर एजेटो द्वारा गलत इस्तेमाल रोकनेके लिए भी साधारण सावधानिया बरतो गई हैं। हमारा खयाल है कि दक्षिण आफ्रिकामे "काफिरोको काम करनेके लिए राजी करनेको" इस प्रकार मजदूर एजेट नियत करनेका रिवाज ही पड चुका हे। कुछ लोग तो इस रिवाजको नरमीसे समझाने बुझानेका नाम देते है, और दूसरे इसे बेगारका सुधरा हुआ रूप बतलाते है। जो नीति इतने लम्बे अरसेसे चली आ रही है उसकी आलोचना हम नही कर सकते, ओर वसा करना हमारे क्षेत्रका विषय भी नही है। परन्तु दुर्भाग्यवश, सदा "रगदार व्यक्ति" शब्दाका जा मतलब आरेज रिवर कालोनीमे समझा जाता हे वह है "वे रगदार व्यक्ति जो कानून या रीति रिवाजके अनुसार रगदार कहलाते हो, या जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता हो, फिर उनकी जाति या राष्ट्रीयता चाहे कुछ भी हो।" इसलिए इन शब्दोमे एशियाई, मलय और दूसरे लोग भी आ जाते हैं। उपर्युक्त दोनो अध्यादेश, उक्त कारणसे, अत्यन्त आपत्तिजनक ह। हम समझ नही सकते कि इन शब्दोमे निहित सोचा-समझा अपमान जारी रखकर खीझ क्यो बढाई जाती है। ब्रिटिश भारतीय सघको जवाब देते हुए लॉड सेल्बोनने माना हे कि आरज रिवर कालोनीमे बहुत कम एशियाई है। इस स्थितिमे यह आपत्तिजनक परिभाषा क्यो कायम रखी जानी चाहिए? यदि व्यवहारमे इसका उपयोग कुछ नही हे तो इसे जारी रखनेका एकमात्र प्रयोजन ऑरेंज रिवर कॉलोनीके निवासियोका वह स्वैर आनन्द हो सकता हे, जो कि उन्हे एशियाई जातियोको इस प्रकार अपमानित और पराजित और अपने आपको विजेता माननेमे मिलता है। ये वही महानुभाव ह जो गणराज्यके जमानेमे भारतीयोके विषयमे यह कहकर खुश हुआ करते थे कि वे अपनी स्त्रियोको आत्मारहित समझते है और उन घिनौनी बीमारियोके लिए बदनाम हैं जिनसे वे पीडित हैं। क्या मूखता तथा अज्ञानपूण पूवग्रहकी यह आग सुलगाते रहना अधिकारियोके लिए उचित है?

हमने ऊपर नगर नियमोका भी जिक्र किया है। हम देखते है कि डैवेट्सडॉप और ब्रैडफोड जैसे सुन्दर नामवाले दोनो नगरोकी नगरपालिकाओमें वही पुरानी कहानी दुहराई जा रही है। ये नियम वैसे ही है जैसे हमने बहुधा इन स्तम्भोमे उद्धृत किये है। इनकी रचना रगदार लोगोका, और यहाँतक कि उनके ढोरो, घोडो, खच्चरो और भेड-बकरियोका भी आवागमन

नियन्त्रित करनेके लिए की गई है। कोई रगदार व्यक्ति "नगरकी शामिल जमीनपर चारसे अधिक ढोरो, घोडो या खच्चरोको और आठसे अधिक भेडो या बकरियोको नही रख सकता, और उसे इसके लिए प्रतिमास प्रति बडा पशु १ शिलिग और प्रति भेड या बकरी ३ पैनी देने पडेगे।" बस्तीका कोई भी रगदार निवासी, टाउन क्लार्कको सूचना दिये बिना, अपने पास किसी अजनबीको नही रख सकता, और न पहले इजाजत लिये बिना अपने यहा किसी मनोरजन या जलसेका आयोजन ही कर सकता है। वह रातको ग्यारह बजेके बाद, "सिवा किसी जरूरी कारणके", बस्तीके अन्दर भी घूम फिर नही सकता। हमने अपने पाठकोको अन्य नगरोके इसी प्रकारके उपनियमोकी याद दिलानेके लिए बहुत कुछ कह दिया है। हम एक बार फिर पूछते है कि जहातक ब्रिटिश भारतीयोका सम्बन्ध है, क्या बहुसख्यक जातिकी रक्षाके लिए इन नियमोकी आवश्यकता है?

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३०–१२–१९०५

१८५ हीडेलबर्गकी जमातमें फूट और मारपीट

कुछ अरसेसे हीडेलबर्गकी जमातमे मसजिदके प्रश्नको लेकर फूट पड गई है और दो पक्ष बन गये है। जमातका झगडा अदालतमे गया ओर वहासे फैसला हो गया, तब भी अभी ऐक्य नही हुआ है।

यह बहुत ही खेदजनक है। हमारा मत है कि मसजिदके झगडेका अदालतमे जाना ही शर्मकी बात है। लेकिन अदालतमे जानेके बाद भी झगडे जारी रहना और भी शर्मनाक है। इस सम्बन्धमे दोष किसका है, इसका विचार करने न बैठकर दोनो पक्षोसे हमारा यही कहना है कि इस तरहके झगडेसे पूरी कौमको कलक लगता है। इस देशमे हमपर सबकी आखे है। ऐसी हालतमे अपनी पीठ खोलकर दिखाना, हम मानते है कि, हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा। हमे आशा है कि अब भी दोनो पक्षोके लोग समझ जायेगे और आपसमे समझौता कर लेगे।

बात कितनी गम्भीर है यह बतानेके लिए हम यहा २३ तारीखके 'ट्रान्सवाल लीडर' मे प्रकाशित विशेष सवाददाताके एक समाचारका अनुवाद दे रहे है

> 'हमारे हीडेलबर्गके सवाददाताने अरबोके[1] गम्भीर मुकदमेके बारेमे एक तार भेजा है। खुशकिस्मतीसे जितना डर था उतना नुकसान नही हुआ। लेकिन झगडा बडा था। हीडेलबर्ग जैसे शान्त शहरमे दोपहरके समय अरबोके व्यवहारसे शान्ति भग हुई। अदालतमे मस्जिदके न्यासियोकी बैठक थी। उसमे झगडा शुरू हुआ। दोनो पक्षोके बीच तकरार यहा तक बढी कि खून-खराबीकी नौबत न आने देनेके लिए पुलिसको बुलानेकी जरूरत पडी। इस घटनाकी खबर बस्तीमे फैल गई और बाजारके चौकमे बहुतसे तमाशबीन यह मारधाड देखनेके लिए इकट्ठा हो गये। श्री कुटसी और श्री गिसोने झगडा मिटानेकी बडी कोशिश की, परन्तु शान्ति भग करनेवाले ठडे नही हुए। कुछ देर तक मामला गम्भीर दिखाई दिया। लाठी और पत्थर चल रहे थे। बैठकमे कोलाहल मच गया था। कटु शब्दोके बाद मुक्केबाजी होने लगी और पुलिस न आ पहुँचती तो क्या होता, यह कहा

१ भारतीय मुसलमान व्यापारी।

नही जा सकता। एक अरबका सिर फट गया था। इस समय पुलिसने लोगोको कमरेसे बाहर निकाला और उत्तेजित अरब पुलिसकी शक्तिके आगे इस तरह तितर-बितर हो गये जैसे हवाके आगे तिनके उड जाते है। पुलिसके बीच-बचावमे ऐसा मालूम हुआ कि झगडा खत्म हो गया, लेकिन बाहर जाते ही दुबारा मारपीट शुरू हो गई और आग बुझानेकी सब कोशिशे बेकार गइ। यह झगडा क्या हुआ, इसका केवल अनुमान ही किया जा सकता हे। परन्तु यह मामला अवश्य ही बडा होगा, क्योकि हमारा सवाददाता लिखता है कि अभी यह हाली ठडी नही हुई हे। टाउन हालके पास अब भी पुलिस खडी हे। इससे कोई डरनेकी बात नही हे। झगडा सिफ अरबामे हे इसलिए गोराके घबरानेका कोई कारण नही है। दोना पक्षाके लोग कहते ह कि वे बाहर मैदानमे लडाई करेगे। कल रात सब-कुछ शान्त था। लेकिन अभी भी झगडा नही मिटा है। इसलिए डर है कि उपद्रव ओर भी होगा।'

इस खबरको पढनेके बाद किसे शम नही आयेगी? हमे यह अनुवाद करते हुए शम आ रही हे ओर हम आशा करते है कि हीडेलबगके भाई वस्तुस्थितिको समझकर लज्जित होगे और शान्त हो जायेगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ३०–१२–१९०५

१८६ वतनियोमे शिक्षण-कार्य

वतनियाके लिए केप कालोनीमे 'इवो' नामका एक अखबार निकलता हे। उसके मालिक श्री टेगो जबावु नामके एक वतनी है। वे अपने भाइयाके लिए बहुत परिश्रम करते जान पडते है। आजकल वतनियोमे शिक्षाका अधिक प्रसार करनेके सम्बन्धमे चचा चल रही हे। इसलिए श्री टेगो जबावु दक्षिण आफ्रिकामे एक विशाल वतनी महाविद्यालयकी स्थापनाके सम्बन्धमे घूम रहे ह। उसमे उनके दो हेतु ह एक तो महाविद्यालयके लिए चन्दा इकट्ठा करना और दूसरा ऐसी अर्जीपर लोगाके हस्ताक्षर प्राप्त करना कि महाविद्यालय होना चाहिए और सरकारका उसके लिए मदद देनी चाहिए।

श्री टेगो जबावुने 'ट्रान्सवाल लीडर'के सम्पादकसे मुलाकात की हे। और इस पत्रमे उसका सारा विवरण प्रकाशित किया गया है। वे वतनियामे से ५०,००० पौड एकत्रित करनेकी आशा करते है और अर्जीपर २,००,००० वतनियोके हस्ताक्षर लेना चाहते है।

श्री टेगो जबावु चाहते है कि वतनियोकी लवडेल स्थित मौजदा सरकारी-पाठशाला तथा उसके आसपासकी जमीन खरीदकर उसमे महाविद्यालय बनाया जाये और वहा ऊँची शिक्षा दी जाये।

१८८६ से १९०० तक लवडेलसे ८३६ वतनियोने केप विश्वविद्यालयकी परीक्षा उत्तीण की है। इनमे से १३ लडके मैट्रिकमे उत्तीण हुए है। लवडेलकी पाठशालामे ७६८ आफ्रिकी शिक्षक तैयार हुए है। उपर्युक्त अवधिमे आफ्रिकियोने लवडेलमे शुल्क आदि मिलाकर ६३,७३४ पौड दिये है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ३०–१२–१९०५

१८७ चीनकी जागृति

जान पडता है कि जापानकी जीतके कारण चीनमे जितना हम मानते है उससे ज्यादा कोलाहल हो रहा है। वहाके लोगोने अपनी सेनाको बहुत अच्छी स्थितिमे रखनेका इरादा किया है। इस समय शाही परिवारके सात विद्यार्थी तोप आदि बनानेके कारखानोमे काम करनेके लिए लन्दन गये हुए है। वहा वे काम सीख रहे ह। कुछ लोग ऋपकी तोपे बनाना सीखनेके लिए जमनी गये है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ३०–१२–१९०५

१८८ पत्र उच्चायुक्तके सचिवको

जोहानिसबग
जनवरी ३, १९०६

सेवामे
निजी सचिव
परमश्रेष्ठ उच्चायुक्त, दक्षिण आफ्रिका
जोहानिसबग

महोदय,

मुझे आपके गत मासकी २० तारीखके उस पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करनेका सम्मान प्राप्त हे जो आरेज रिवर कालोनीके 'गवनमेट गजट' के अभी हालके अकमे प्रकाशित कुछ प्रस्तावित अध्यादेशोके सम्बन्धमे है।

मै परमश्रेष्ठका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करता हूँ कि उक्त अध्यादेश ब्रिटिश भारतीयोपर लागू नही होते, यह मेरे गत मासकी २२ तारीखके पत्रमे नही कहा गया है। मेरे सघका कहना यह है कि उक्त अध्यादेश ब्रिटिश भारतीयोपर सिद्धान्तत तो अवश्य लागू होते है, किन्तु व्यवहारत नही। और इसी कारण पुराने कानूनमे से ली गई परिभाषाओपर [आपत्ति है और] मेरे सघका निवेदन है कि इन परिभाषाओको कायम रखना भारतीय समाजका अनावश्यक अपमान करना है। 'रगदार लोग' शब्दोका जसा अथ ऑरेज रिवर कालोनी और दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे हिस्सोमे समझा जाता है उस दष्टिसे उसमे ब्रिटिश भारतीयोके लगातार समावेशके फलस्वरूप उनके साथ बहुत गम्भीर अन्याय हो रहा है। इसलिए मेरे सघका यह विनम्र विचार है कि जो भी नये कानन बनाये जाये, कमसे-कम उनमे इस परिभाषामे सुधार कर दिया जाये ताकि उसमे भावनाओको ठेस पहुँचानेवाली वह बात न रहे जिसको यह समाज, जिसका प्रतिनिधित्व मेरा सघ करता है, इतनी तीव्रतासे अनुभव करता हे। इसके अलावा, मै नम्रतापूवक परमश्रेष्ठका ध्यान इस तथ्यकी ओर भी आकर्षित

करता हूँ कि ऑरेंज रिवर उपनिवेशकी विधि-संहितामें पहलेसे ही एक ऐसा विशेष कानून है जिसका प्रभाव एशियाइयोंपर, इसलिए ब्रिटिश भारतीयोंपर भी, पड़ता है।

आपका आज्ञाकारी सेवक
अब्दुलगनी
अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०–१–१९०६

१८९ पत्र म० ही० नाजरको

[जोहानिसबर्ग]
जनवरी ५, १९०६

प्रिय श्री नाजर,

मैं हिन्दी और तमिलके सम्पादनके प्रश्नपर छगनलालसे चर्चा करता हूँ। मैं देखता रहा हूँ, पिल्लेको तो जाना ही होगा। उसकी जगह लेनेवाला कोई है नहीं। मैं जितना सोचता हूँ उतना अधिक यही लगता है कि फिलहाल हमें हिन्दी और तमिल दोनोंको अलग कर देना चाहिये। हम ठीक सामग्री नहीं देते। हम ऐसा करनेकी स्थितिमें ही नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि इसमें बाधाएँ हैं। किन्तु मुझे लगता है बाधाओंको स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि हिन्दी और तमिल छोड़नेके लाभ भी बहुत होंगे। जब हम ऐसा निश्चित वक्तव्य दे रहे हैं कि ठीक कार्यकर्ताओंके मिलते ही हम फिरसे हिन्दी और तमिल विभाग शुरू करनेका इरादा करते हैं, तबतक मेरी समझमें डरनेकी कोई बात नहीं है। मैं खुद तमिलके कामके लिए तैयार होनेकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मगनलाल और गोकुलदास भी यही करेंगे किन्तु उस वक्ततक तो मेरे खयालसे दोनों स्थगित कर देना बहुत जरूरी है। तमिल तो हर हालतमें छोड़नी है, तब हिन्दी भी उसके साथ चली जाये। इस बारेमें जितनी जल्दी बने अपनी राय देनेकी कृपा करें।

आपका शुभचिन्तक,

श्री मनसुखलाल हीरालाल नाजर
पो० आ० बाक्स १८२
डर्बन

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४२९५) से।

१९० भविष्यकी थाह

पिछले हफ्ते हमने अभी समाप्त सालमे दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोकी स्थितिका पयवेक्षण[१] किया था। इस हफ्ते हम भविष्यमे पैठकर देखना चाहते है कि शुभतर आशाकी कोई सम्भावना है या नही। हमारा खयाल होता है, ऐसी सम्भावना है। पहले तो इसलिए कि भारतीय पक्ष न्यायपूण है और हर न्यायपूण पक्ष अपना बल आप ही होता ह। अतएव, स्वय भारतीय ही उसको अपनी निराशा और तज्जनित निष्क्रियतासे नष्ट कर सकते ह। दूसरे, यद्यपि लाड सेल्बोननने अपनी ब्रिटिश भारतीय सम्बन्धी नीतिका कोई सकेत नही दिया है, फिर भी उन्होने सम्राटकी सम्पूण प्रजाकी निष्ठापूवक सेवा करनेकी इच्छा व्यक्त की है। उनकी यह इच्छा इस बातकी आशा रखनेका एक बहुत अच्छा आधार है कि जब ट्रान्सवालमे वास्तविक कानून बनेगा, तब वे उसे ऐसा रूप दे देंगे जिससे कमसे कम वतमान असहनीय अनिश्चितता तो समाप्त हो ही जायेगी और वतमान एशियाई कानूनमे निहित मनमाने अपमानका भी अन्त हो जायेगा। अगर ट्रान्सवालमे ऐसी हालत कायम हो जायेगी तो शायद यह खयाल करना अनुचित न होगा कि इससे दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे हिस्सोमे भी भारतीयोकी स्थिति एक हद तक सुधर जायेगी क्योकि अन्य आफ्रिकी उपनिवेश ट्रान्सवालका अनुकरण करते है। किन्तु हमे अधिकार है कि इन सबसे पहले हम नई ब्रिटिश सरकारसे स्थितिमे सुधारकी आशा करे। श्री जॉन मॉर्ले[२] कोटि-कोटि भारतीयोके हितोके रक्षक है। हमारे पास यह खयाल करनेका पर्याप्त आधार है कि यह सरकार अगले आम चुनावको झेल ले जायेगी और ब्रिटिश लोकसभामे अच्छा-खासा कामचलाऊ बहुमत प्राप्त कर लेगी। श्री जॉन मार्लेने जिस कामको भी हाथमे लिया है उसको अबतक कभी बेमनसे नही किया है। सभी जानते है कि उनकी सहानुभूति दुबल पक्षके साथ रहती है। इसलिए वे दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोकी विनम्र अपीलको अवश्य ही भली भाति सुनेंगे। स्वशासित उपनिवेशोकी स्वतन्त्रतामे हस्तक्षेप कितना ही अकतव्य क्यो न हो, दुबल पक्षपर बलवान पक्षके अत्याचारको रोकनेका उपाय अवश्य ही उनके हाथमे है। और यह आशा करनेका आधार भी है कि लॉड एलगिन[३] ब्रिटिश भारतीयोके हितोका बलिदान न करेंगे। परन्तु, अवश्य ही, सबसे ज्यादा जरूरी है भारतीय समाजका आन्तरिक प्रयत्न। हमने बाह्य परिस्थितियोकी ओर सकेत यह दिखानेके लिए किया है कि दक्षिण आफ्रिकामे ब्रिटिश भारतीयोकी स्थिति बिलकुल खराब नही है, किन्तु उस स्थितिमे किसी प्रकारके सुधारका प्रमुख उपाय स्वावलम्बन ही हो सकता है। जबतक स्वय भारतीय हार्दिक सहयोग न दे तबतक कोई भी उपनिवेश मन्त्री, या भारत-मन्त्री, या उच्चायुक्त, भारतीयोकी कोई बडी भलाई नही कर सकता, चाहे वह उनसे कितनी ही सहानुभति रखता हो और उनकी कितनी ही सहायता करना चाहता हो। भारतीयोको अपनी लडाइया लडनेमे अपने उद्देश्यकी उपयोगिता, सहकार और अथक श्रमका परिचय देना ही चाहिए। हमारे गुजराती स्तम्भोसे प्रकट है कि समस्त दक्षिण आफ्रिकामे लोग इन गुणोको अधिकाधिक मात्रामे प्राप्त करनेकी आकाक्षा रखते ह। आज बगालमे जो कुछ हो रहा है[४] उससे हमे अधिक प्रयत्न करनेका पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है। उस प्रान्तके भारतीय अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियोमे भी सहकार, आत्मत्याग और धैयकी अभूतपूव भावनाका

१ देखिए "पर्यवेक्षण", पृष्ठ १७६–७।
२ (१८३८–१९२३), भारत-मन्त्री, १९०५–१०।
३ उपनिवेश मन्त्री १९०५–८।
४ यह सकेत बग-भगके विरुद्ध आन्दोलनकी ओर है

प्रदशन कर रहे है। इग्लैडमे अपने प्रचारके दौरानमे प्रोफेसर गोखले और लाला लाजपतरायने यह दिखा दिया है कि किसी सदुद्देश्यके निमित्त केवल दो सच्चे कायकर्त्ता भी कितना काम कर सकते है। तब भला यह कैसे हो सकता है कि जो प्रगतिशील धारा आज भारतीय राष्ट्रको अपने लक्ष्यकी ओर आगे बढनेके लिए प्रेरित कर रही हे, उसके साथ साथ दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय साहसपूवक आगे न बढे और अयथा आचरण करे?

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ६–१–१९०६

१९१ ब्रिटिश भारतीयोका दर्जा

जैसी कि हमने आशा की थी भारतीय राष्टीय महासभाने अपनी हालमे हुई बनारसकी बैठकमे, इस महादेशके निवासी ब्रिटिश भारतीयाके साथ होनेवाले बर्तावके बारेमे एक प्रस्ताव पास करके दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोके प्रति अपने कतव्यका पालन किया हे। इस प्रस्तावमे निवेदन किया गया है कि मुसीबतोसे राहत पानेके एक साधनके तोरपर नेटालमे गिरमिटिया मजदूर भेजना तबतक बद रखा जाये जबतक कि यह 'सर्वाधिक ब्रिटिश" उपनिवेश भारतीयोकी वतमान असहनीय निर्योग्यताओको दूर करने ओर उन्हे साम्राज्यमे बराबरीका सदस्य माननेको तैयार नही हो जाता। हम, एक बार फिर, इस तरह सावजनिक रूपसे इस विषयकी ओर ध्यान दिलाने और शिमलामे लाड कजन द्वारा अपने बजट भाषणमे इस सम्बन्धमे घोषित नीतिका अनुमोदन करनेपर काग्रेसको हृदयसे बधाई देत ह।

जो लोग भारतमे होनेवाली घटनाओमे अपनेको परिचित रखते आये ह, उनके ध्यानमे यह बात आई होगी कि खास तोरसे १८९७ मे सम्पूण भारतीय प्रजाने, जिसमे आग्ल भारतीय और भारतीय दोनो शामिल ह और भारतके समस्त समाचारपत्रोने, चाहे वे अग्रेजीमे निकलते हो अथवा देशी भाषाओमे, निरतर उन्ही भावनाओको प्रकट किया है जो काग्रेसके इस प्रस्तावमे व्यक्त की गई है। दुर्भाग्यवश, भारतमे शासन प्रणाली कुछ ऐसी हे कि जिम्मेदार अफसरोको सावजनिक मामलोपर अपनी राय खुले आम जाहिर करनेके मौके बहुत ही कम मिल पाते है—फिर वे विषय कितने भी गम्भीर क्यो न हो। इसका स्वाभाविक नतीजा यह है कि उनकी रायोको जानना बहुत कठिन होता हे। मुख्यत इसी कारण ब्रिटिश ससदके दोनो सदनोके सदस्योको हम भारत-मत्रीसे प्रश्न पूछते और इस प्रकार भारत सरकारके मनमे क्या है, उसकी झलक पानेका प्रयत्न करते देखते है। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय उनके पक्षका जोरदार समथन करनेवाले पूव भारत सघ, सर म० मे० भावनगरी, सर विलियम वेडरबन और सर चार्ल्स डिल्कके कुछ कम कृतज्ञ नही है जिन्होने निरन्तर पत्र व्यवहार और सामयिक प्रश्नो द्वारा उपनिवेशोमे ब्रिटिश भारतीयाके दर्जेके बारेमे भारत सरकारकी कुछ न कुछ राय जाननेमे सफलता प्राप्त की है। हमारे पाठक उक्त सघकी उन कई बैठकोको भूले न होगे जो खास तौरसे इसी विषयपर बातचीत करनेके लिए बुलाई गई थी, ओर जिनमे वक्ताओने यह बताया था कि उनकी भारत मन्त्री तथा उपनिवेश मन्त्रीसे व्यक्तिश क्या बातचीत हुई थी। पर इस विषयमे भारत सरकारके विचारोपर उचित प्रकाश तभी डाला गया जब एक प्रभावशाली प्रतिनिधिमण्डल लॉर्ड जाज हेमिल्टनसे मिला और लॉर्ड महोदयने उसे

१ भारत मत्री, १८९५–१९०३।

एक स्पष्ट उत्तर दिया। तबसे बराबर जोरदार कोशिशे की जाती रही है और उनका नतीजा यह निकला है कि लॉर्ड कर्ज़नने भारतीय जनताको सब स्थिति बताना मुनासिब समझा और पिछले बजट सम्बन्धी भाषणके अवसरका उपयोग इस मामलेकी गोपनीयताको भग करनेमे किया (यद्यपि नेटाल सरकार न जाने किस कारण इसकी गोपनीयताकी रक्षा अब भी तत्परताके साथ कर रही है)। उन्होने इस मामलेमे अपनी सरकारका रुख और रवया सार्वजनिक रूपसे घोषित कर दिया। इस तरह अपने सरक्षणमे स्थित लाखो लोगोको लार्ड कर्जनने यह सतोष प्रदान किया कि वे और उनके सलाहकार स्थितिकी गम्भीरताके प्रति पूर्णरूपसे सजग है और सम्राटके उन लाखो 'वफादार और प्यारे' प्रजाजनोके हकमे इन्साफ हासिल करनेके प्रयत्नोमे कोई भी कसर बाकी न रखेगे जो साम्राज्यके अन्दर अपनी साम्पत्तिक स्थिति सुधारनेके अभिप्रायसे इन उपनिवेशोमे आये है।

उस अवसरपर लार्ड कर्जनने अपनी महत्त्वपूर्ण घोषणामे ये शब्द कहे थे

> **हमने नेटाल सरकारको सूचित कर दिया है कि उस उपनिवेशमें प्रवासके बारेमे जो भी कारवाइया हमे जरूरी मालूम हो, उन्हे किसी भी समय करनेका हम अपना पूरा अधिकार सुरक्षित रखते है। हेतु यह है कि हमारे भारतीय प्रवासियोके प्रति उचित व्यवहार किया जाये। और हमने हालमें ही गिरमिटके अन्तर्गत मजदूरोका प्रवास सरल बनानेकी कारवाइयोमें तबतक योग देनेसे पुन इनकार कर दिया है जबतक कि नेटालके अधिकारी अपने रुखमे बहुत कुछ सुधार नही कर लेते।**

लेकिन इस मामलेमे एक मुद्देकी बात है—और वह मुख्य बात है—जिसपर अभी तक काफी जोर नही दिया गया है। ऐसा जान पडता है कि दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोके प्रति व्यवहारके प्रश्नको सौदेकी सतहसे जरा भी ऊपर नही उठाया गया है और नेटाल सरकारने गिरमिटकी शर्तोंके अन्तर्गत विशेष सेवाओके परे ब्रिटिश प्रजाके रूपमे भारतीयोके अधिकारोकी भी यथासम्भव उपेक्षा की है और भारत सरकारने भी इस पहलूपर यथोचित जोर नही दिया है। लॉर्ड कर्जनने यह माना है कि "दक्षिण आफ्रिकामे भारतीयोके प्रति सामान्यत अधिक अच्छा बरताव प्राप्त करनेके लिए गिरमिटियोकी जरूरत हमारे हाथमे एक प्रबल साधन सिद्ध हो सकती है", परन्तु जैसा हमने कहा है, इस रियायतका अर्थ होगा जोर जबदस्तीसे कुछ राहत पाना, न कि उच्च साम्राज्यीय भावनाके आधारपर। इससे तो यह प्रतीत होता है कि अगर गिरमिटिया मजदूरोकी उपलब्धि बन्द कर दी जाये तो भारत सरकार अपने दक्षिण आफ्रिकावासी प्रजाजनोकी रक्षा करनेमे अपनेको असहाय अनुभव करेगी। यदि ऐसी बात हो तो ब्रिटिश भारतीयोकी स्थिति सचमुच सोचनीय हो जायेगी। लेकिन ब्रिटिश झडेके नीचे ऐसा होना बहुत ही असगत होगा। इस समय हमे श्री जान मार्ले जैसे हमदर्द, ईमानदार और बहुत ही योग्य भारत-मन्त्री मिले है और लॉर्ड एलगिन जैसे उदार विचार तथा परम अनुभवी राजनीतिज्ञ उपनिवेश मन्त्री, जो स्वय, भारतके वाइसराय भी रह चुके है। जब हम याद करते है कि भारतके वर्तमान वाइसराय लार्ड मिटो कभी कैनडाके गवर्नर जनरल थे तब उचित रूपसे यह आशा की जा सकती है कि ब्रिटिश भारतीयोके दर्जेका सवाल निकट भविष्यमे ही निश्चित और सतोषजनक रूपसे हल हो जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६–१–१९०६

१९२ ऑरेंज रिवर कालोनीमे भारतीय

लाड सेल्बोनने ब्रिटिश भारतीय सघके आवेदनपत्रका[1], विलम्ब किये बिना, शिष्टता पूण उत्तर दिया हे। इस आवेदनपत्रमे 'रगदार लोग' शब्दोकी परिभापाके प्रति, जो ऑरेंज रिवर उपनिवेशके सरकारी 'गजट' मे चन्द अध्यादेशोके मसविदोमे अभी हालही प्रकाशित हुई है, विरोध प्रकट किया गया हे। हमारा खयाल यह है कि लॉड सेल्बोनने सघके आवेदन पत्रको गलत समझ लिया है। आवेदनपत्रमे यह नही कहा गया है कि "जिन अध्यादेशोका इसमे जिक्र हे उनमे से कोई भी अध्यादेश ब्रिटिश भारतीयोपर लागू नही होता हे।" उसमे तो यह कहा गया हे कि "व्यवहारत" वे लागू न होगे। ये दो वक्तव्य बिलकुल भिन्न है। फिर, परमश्रेष्ठने इस आधारपर, कि यह पुरानी सरकारकी विरासत हे, 'रगदार लोग' की परिभाषाका औचित्य स्थापित किया हे। परन्तु ब्रिटिश भारतीय इस परिभाषापर आपत्ति उसी कारण करते है। उनकी स्थिति इस प्रकार है। अध्यादेश व्यवहारत उनपर लागू न होगा। बोअर सरकारने भारतीयोको काफिर लोगोका समकक्ष बतलाकर उनका अपमान किया था। अब उस अनावश्यक अपमानको जारी रखनेका कोई अवसर नही रहा। यह तक अकाटय मालूम होता है। दु खकी बात हे कि परमश्रेष्ठ दूसरोका चित्त न दुखानेकी इच्छा रखते हुए भी सघकी बहुत मुनासिब प्राथनाका स्वीकार न कर सके।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ६–१–१९०६

१९३ व्यक्ति-करकी अदायगी

व्यक्ति करका आजतक जसा क्षीण स्वागत हुआ हे, उसे देखते हुए यह नही जान पडता कि लोग उसको कुछ उत्साहके साथ चुका रहे हैं, और आशा भी ऐसी ही थी। गड-बडी तो अगले महीनेके अतमे शुरू होगी। अधिकारियोको कर देनेमे समथ और असमथ लोगोमे भेद करना आसान नही होगा। लेकिन हर हालतमें एक बात तो साफ है सरकार बालूसे भी तेल निकालनेके लिए कृतसकल्प प्रतीत होती है। कुछ समय पहले, एक भारतीयने उपनिवेश सचिवसे पूछा था कि जो लोग आवश्यक 'पौंड' की प्राप्तिके लिए अपनी अल्प फसलोपर निभर करते है, क्या सरकार उनको करकी अदायगीके लिए कुछ और समय देगी। उसको इसका उत्तर यह दिया गया कि सरकार ऐसा करनेके लिए तैयार नही है, अलबत्ता, वे लोग चाहे तो अपनी खडी फसलोको गिरवी रखकर कज ले सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यही खयाल करेगा कि एक सभ्य देशमे जो व्यक्ति "रोज कमाता और रोज खाता" है और जिसके पास फसल बोनेके बाद कुछ नही बचता, उससे कर अदा करनेकी उम्मीद नही की जायेगी। किन्तु ऐसी दीनावस्था अधिकारियोको अपेक्षाकृत समृद्धिके रूपमे दिखाई पडती है। जिस राज्यको ऐसे नीचे स्तरपर उतर आना पडता है उसमें, स्पष्टत, कोई बडी खराबी है। अधिकारी

1. देखिए 'पत्र उच्चायुक्तके सचिवको', पृष्ठ १७१।

इससे भी एक कदम आगे जा सकते हैं और कह सकते है कि निधनतम व्यक्ति कर चुकानेके लिए चीर फाडके निमित्त अपना तन गिरवी रखकर रुपया प्राप्त कर सकता है। परन्तु हम यहा यह बता दे कि इस कानूनकी धारा १४ (४) के अनुसार

> **जो व्यक्ति यह साबित कर देगा कि वह गरीबीके कारण कर नहीं चुका सकता, वह फिलहाल इस करसे मुक्त कर दिया जायेगा, किन्तु बादमे कर चुकाने योग्य होनेपर भी यदि वह कर नही चुकायेगा तो सरकार उसके इस बहानेके कारण उसपर मुकदमा चलाने या उसके विरुद्ध कारवाई करनेसे न रुकेगी।**

इसलिए ऐसा प्रतीत होता हे कि वे लोग, जिनकी स्थिति ऐसी है जैसी सवाददाताने बताई है, अपनेको गरीब बता सकते है और बादमे अपनी फसलोकी बिक्रीसे कर चुका सकते हैं। उन्हे अपनी कच्ची फसलोपर कज लेने (और बेजा ब्याज देने) की जरूरत नही होगी, क्योकि काननमे ऐसी ही अनिश्चित स्थितिके लिए व्यवस्था की गई है।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २०-१-१९०६

१९४ मनसुखलाल हीरालाल नाजर[1]

दिसम्बर १८९६ के कुसमयमे, जब मनसुखलाल हीरालाल नाजर डबनमे उतरे तब वे बिलकुल अजनबी थे। वे यहा शान्तिपूण जीवन बिताना चाहते थे, परन्तु जब उन्होने देखा कि उस कठिन कालमे उनके स्वदेशवासियोको पथदशककी आवश्यकता है तो उन जैसा देशभक्त चुप बैठा न रह सका। उस समय डबनमे भारतीय विरोधी प्रदशन[2] जोरपर था। भारतीयोके प्रवेशके खिलाफ नगर सभा भवनमे विरोध सभाएँ की गइ। 'नादरी' तथा 'कूरलैड'[2] जहाजोके भारतीय मुसाफिरोको धमकिया दी गईं कि वे नेटालके तटपर उतरनेका प्रयत्न करेंगे, ता परिणाम भयानक होगा। तभी नाजर घटना स्थलपर पहुँचे और भारतीयोने उनका स्वागत अपने त्राताके रूपमे किया। कोई भी नही जानता था कि वे कौन ह, किन्तु भारतीय नेता उनके आकषक व्यक्तित्वसे और उस अधिकारमय ढगसे जिससे वे लोगोके तत्कालीन कतव्यके बारेमे बोलते थे, तुरन्त उनकी ओर आकर्षित हो गये। यह कहना कठिन है कि यदि श्री नाजर उस समय न आये होते तो भारतीय समाजने क्या किया होता। वे श्री लाटनके साथ, जो भारतीयोके सलाहकारके रूपमे काम कर रहे थे, आवश्यक परामश करते रहे और मुझे खुद श्री लॉटनने बताया है कि श्री नाजरने उस समय उनको जो सहायता और सलाह दी वह अत्यन्त मूल्यवान सिद्ध हुई। उस दिनसे लेकर मत्यु पयन्त श्री नाजरने सदा लोकहितको अपने हितोके मुकाबले पहला स्थान दिया। उनका एकान्त जीवन बितानेका स्वप्न कभी पूरा नही हुआ और यद्यपि लोगोको यह जाननेका मौका कभी नही मिला, परन्तु अपने देश-बन्धुओके हिताथ वे मरते वक्त तक कगाल ही रहे। वे कभी कभी बहत दिनो तक लगातार डबनसे दूर सिडनहमके[3] एक एकान्त

१ जनवरी २०, १९०६ को स्वर्गवास हुआ।

२ देखिए खण्ड २ पृष्ठ १६६ और आगे।

३ डबनका एक उपनगर।

गहमे पडे रहते थे और थोडेसे दूध और बिस्कुटोसे ही दिन काट देते थे। श्री नाजरने किसी प्रकारका दिखावा किये बिना जो सेवाएँ की है, उनका स्वरूप और मूल्य केवल समय आनेपर ही प्रकट होगा।

वे उन्नीसवी सदीके छठे दशकके आरम्भमे पैदा हुए थे। वे कायस्थ जातिके थे जो भारतकी एक अत्यन्त सुसस्कृत जाति हे। उनके वशकी परम्पराएँ ऊँची थी। जसा कि उनके पारिवारिक नामसे प्रकट है, नाजर लोग पहले मुगल बादशाहोके विश्वसनीय कमचारी रहे होगे। इस सस्मरणके नायकके पिता स्वर्गीय श्री हीरालाल नाजर पश्चिमी सूबेके[1] उन लोगोमे से थे जिन्होने सबसे पहले अग्रेजी शिक्षा पाई थी और वे सरकारके एक परखे हुए सेवक थे। वे सिविल इजीनियर थे और उन्होने अपनी योग्यतासे तथा चरित्र बलसे इतना विश्वास प्राप्त कर लिया था कि सरकारने उनको बम्बईके किलेकी गुप्त रक्षा व्यवस्थाकी जानकारी हासिल कर लेनेकी इजाजत दे दी थी। श्री नाजर स्वर्गीय न्यायमूर्ति नानाभाई हरिदासके बहुत नजदीकी रिश्तेदार थे। उनकी शिक्षा बम्बईमे हुई थी और मैट्रिककी परीक्षा विशेष योग्यताके साथ पास करनेके बाद वे बम्बईके एलफिन्स्टन कालेजमे पढे थे। वे प्राय अपने दर्जेमे अव्वल आते थ और लक्षणोसे लगता था कि वे जीवनमे बहुत उन्नति करेगे। परन्तु उनके मनमे बेचैनी थी, इसलिए उन्होने अपना अध्ययन कभी पूरा नही किया। उन्होने श्री दादाभाई नौरोजी और उस जमानेके दूसरे महान भारतीय देशभक्तोसे अपना जीवन देशकी सेवामे लगा देनेकी प्रेरणा प्राप्त की थी। इसलिए उन्होने एक उपस्नातक सघ (अडर ग्रैजुएटस असोसिएशन) नामकी सस्था खोली, जो सर फीरोजशाह मेहता[2] जसे तेजस्वी व्यक्तिकी अध्यक्षतामे पहलेसे मोजद स्नातक सघ (ग्रैजुएटस असोसिएशन) का मुकाबला करती थी। उन्होने विश्वविद्यालय सम्बन्धी सुधारके बारेमे जो प्राथनापत्र लिखे और सरकारको भेजे थे उनसे उनकी ओजपूण लेखन कला और राजनीतिक मनोवत्तिका पता लगता है। उन्होने ग्रट मैडिकल कालेजमे भी चार साल तक शिक्षा प्राप्त की थी। इससे उन्हे चिकित्सा शास्त्रका अच्छा ज्ञान हो गया था जो उनके जीवनके पिछले दिनोमे बहुत उपयोगी साबित हुआ। श्री नाजर नौकरी करना नही चाहते थे। वे श्री दादाभाई नौरोजीके विचारोके कायल थे, इसलिए उनकी धारणा थी कि भारतकी मुक्ति आन्तरिक और बाह्य दोनो ओरसे ही होनी जरूरी है। वे यह भी मानते थे कि शिक्षाको पद प्राप्तिका साधन नही बनाना चाहिए और न उसे व्यापारसे ही अलग रखना चाहिए। इसलिए वे और उनके योग्य भाई इग्लैंड चले गये और पूरी शक्तिसे व्यापारिक सघषमे कद पडे। परन्तु श्री नाजर सदा राजनीतिज्ञ पहले थे और अन्य सब कुछ बादमे। इसलिए उन्होने लन्दनमे भी अपनी सावजनिक सेवा जारी रखी। वे कई उपयोगी सस्थाओसे घनिष्ठ रूपसे सम्बद्ध थे और क्रिश्चियानियामे[3] जो प्राच्य विद्या परिषद (ओरिऐटल काग्रेस) हुई उसके प्रतिनिधि चुने गये थे। वे स्वर्गीय प्रोफेसर मक्समूलर तथा दूसरे कई प्राच्य विद्या विशेषज्ञोके सम्पकमे आये और प्राच्य साहित्यके अपने प्रामाणिक ज्ञानकी बदौलत उनकी निगाहोमे ऊँचे उठे। लेकिन श्री नाजर इसके अलावा कुछ और भी थे। वे बहुत ऊँचे दरजेके पत्रकार थे। किसी समय 'एडवोकेट ऑफ इडिया' पत्रसे उनका बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध था और उसमे उन्होने पारिश्रमिक लिये बिना बहुत-से लेख लिखे थे। वे भारतके बहुतसे प्रसिद्ध पत्रोको भी सवाद भेजते रहते थे, मानो नेटालमे इसी तरहका जीवन बितानेकी तैयारी कर रहे हो।

१ बम्बई।

२ भारतीय काग्रेसके एक प्रमुख नेता, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९५।

३ १९२५से इसका नाम ओस्लो है और यह नार्वेकी राजधानी है।

उन्होंने एकसे अधिक बार यूरोपका भ्रमण किया था। किन्तु उनको वहा व्यापारिक मामलोमे वाछित सफलता नही मिली। इसलिए वे दक्षिण आफ्रिकामे आ गये। उन्होने नेटालको अपना देश बना लिया था और यहा उन्होने जो कुछ किया वह सबको मालूम ही है। वे अपने व्यवसायका विकास करनेके बजाय तन मनसे सार्वजनिक कामोमे जुट पडे। १८९७ मे वे ब्रिटिश भारतीयोकी शिकायतोको व्यक्त करनेके लिए विशेष प्रतिनिधि बनाकर इग्लैंड भेजे गये। वहा वे स्वर्गीय सर विलियम विल्सन हटर, सर लेपेल ग्रिफिन[२], माननीय दादाभाई नौरोजी, सर मचरजी भावनगरी और दूसरे कई लोक-नेताओसे मिले। सर विलियम हटर तो श्री नाजरकी योग्यता और सौम्यतासे इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होने 'टाइम्स' मे श्री नाजरके कार्यका जिक्र करते हुए एक विशेष लेख लिखा। स्वर्गीय लार्ड नार्थब्रुक, लार्ड रे तथा दूसरे आग्ल भारतीयोने धीरजसे उनकी बाते सुनी और उनके परिश्रमका फल यह निकला कि पूर्व भारत सघने बडी सरगर्मीसे ब्रिटिश भारतीयोके मामलेको हाथमे ले लिया। मै इस सम्बन्धमे श्री नाजरके कार्यपर जोर देना नही चाहता। म कोई मतभेदकी बात कहना नही चाहता। उनका सबसे अधिक अमर कार्य तो गुप्त रूपसे ही किया गया था और वह काम था दक्षिण आफ्रिकाकी दो जातियोके बीच पारस्परिक सद्भावके कोमल पौधेको सीचना। उन्होने दोनोके बीच कडीका काम किया। वे एक ऊँचे दर्जेके राजनीतिज्ञ थे। उनकी प्रवृत्ति उत्तेजना फैलानेकी तनिक भी न थी। उनका सब कार्य शान्तिपूर्ण होता था। वे एक जातिकी खूबिया दूसरीको बताया करते थे। उन्होने हर मौकेपर अपने देश बन्धुओके अधिकारोकी जोरदार वकालत की, परन्तु साथ ही उनका ध्यान उनकी जिम्मेदारियोकी ओर भी खीचा और उनको सदा बुद्धिमत्ता और धीरजसे काम करनेकी सलाह दी। वे विशेष रूपसे गरीबोके मित्र थे। भारतीयोके सबसे गरीब वर्गको उनके रूपमे एक सच्चा सलाहकार और मित्र मिला था। उन दिनो जब नेटाल भारतीय आहत-सहायक दलका[३] सगठन किया गया तब उनको दिलकी बीमारी थी। इसलिए उनको सभीने यह सलाह दी कि दलके काममे उनका अमली हिस्सा लेना जरूरी नही है। परन्तु उन्होने किसीकी नही सुनी और उसके लिए सदस्यके रूपमे अपनी सेवाएँ अर्पित की। वहा उन्होने अपने चिकित्सा शास्त्र ज्ञानका एक सत्कार्यमे प्रयोग किया।

उनकी मददके बिना यह पत्र कभी न निकल पाया होता। श्री नाजरने इसकी प्रारम्भिक सकटावस्थामे लगभग समस्त सम्पादकीय भार अपने ऊपर ले रखा था और उन्होने इसके सम्बन्धमे जो कार्य किया, बहुत कुछ उसके कारण ही यह पत्र उदार नीति और गम्भीर विचारोके लिए प्रसिद्ध है।

मेरा कथन है कि वे एक सच्चे योगी और विश्व-प्रेमी हिन्दू थे, जो जाति और धर्म सम्बन्धी भेदोको मानते ही न थे। इससे जो भारतीय इस विवरणको पढेगा, वह भली भाति समझ जायेगा कि वे क्या थे। उनको जीवनमे शान्ति देनेवाली एक-मात्र पुस्तक थी 'भगवद् गीता'। उनको उसके तत्वज्ञानसे प्रेरणा मिली थी। मूल गीता उनको लगभग कण्ठस्थ थी और इस लेखके लेखककी यह निजी जानकारी है कि वे गीताकी शिक्षाओके प्रभावसे ही कठिनतम परीक्षाओमे भी लगभग पूर्णत शान्त चित्त बने रह सकते थे। और वे ऐसी बहुत सी परीक्षाओमे से निकले थे। एक कट्टर हिन्दूको उनके कुछ तौर तरीके विचित्र मालम होगे, किन्तु

१ (१८४०-१९००) भारतीय मामलोके विशेषज्ञ और काग्रेसकी ब्रिटिश समितिके एक प्रमुख सदस्य। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९६।

२ भारतीय नागरिक सेवाके सदस्य और पजाबके एक अधिकारी।

३ १८९९-१९०२ के बोअर युद्धमें गाधीजीने इसका सगठन किया था। देखिए खण्ड ३ पृष्ठ १४७-५२।

निस्सन्देह उनमे भिन्न-भिन्न बातोका विचित्र मिश्रण था। उस मतात्माके चरित्रकी छानबीन करना इस लेखके लेखकका उद्देश्य नही है। श्री नाजरकी टक्करका व्यक्ति भारतीयोको बहुत खोजके बाद ही मिल सकेगा। वे प्रशसासे घणा करते थे और अपनी प्रशसा नही चाहते थे। कोई उनकी प्रशसा करता या निन्दा, उससे उनकी सावजनिक प्रवत्तियोपर कोई असर नही पडता था। ऐसे निस्वाथ कायकर्त्ता हमे सवत्र सुगमतासे नही मिलते। सभी जातियोमे वे इने गिने ही होते है। समय ही बतायेगा कि श्री नाजरकी मत्युसे भारतीय समाजको और, क्या मै कहूँ कि, यूरोपीय समाजको भी कितनी हानि उठानी पडी है।

मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २७–१–१९०६

१९५ काले और गोरे लोग

उक्त शीपकसे इसी[1] महीनेकी ५ तारीखको श्री एच० डब्ल्यू० मैसिघमने 'डेली न्यूज' मे रगदार जातियोके प्रति दक्षिण आफ्रिकी गोराके रुखके बारेमे एक जोरदार लेख लिखा है। श्री मैसिघमने मानव हितकी उसी भावनाके साथ, जिसे हम उनके नामसे सम्बद्ध करनेके आदी है, रग भेदके प्रश्नपर लोगोमे फैले हर एक भ्रमका निराकरण किया है और दक्षिण आफ्रिकाकी रगदार जातियोकी बहुत बडी सेवा की है। हम उनके इस विषयपर विचारनेके तरीकेमे कोई भी दोष नही पाते, परन्तु उनके लेखके उस हिस्सेमे, जहाँ उन्होने ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोके सवालका जिक्र किया है, कुछ त्रुटियाँ है। हम उनको ही यहा बताना चाहते ह। प्रकट है कि श्री मैसिघमकी रायमे १८८५ के कानून ३ मे भारतीयोके द्वारा जमीनकी मिल्कियत लेनेका निषेध नही है। निस्सन्देह उनकी यह दलील बिलकुल गलत है। श्री मैसिघमकी यह मान्यता भी गलत है कि भारतीयोको "अब भी शहरोमे पैदल पटरियोपर चलनेकी अनुमति" है। यह कानूनकी दष्टिसे सही नही है, क्योकि एक विख्यात कानूनी फैसलेके अनुसार किसी भारतीयको नगरपालिकाकी पैदल-पटरियाका इस्तेमाल करनेका अधिकार नही है और पुलिसका कोई भी सिपाही, जो उसे पैदल-पटरीपर चलता देखे, उसको अशिष्टतासे बीच सडकपर चलनेकी आज्ञा दे सकता है। यहा बसी हुई रगदार जातियाके बारेमे विचार करते वक्त दक्षिण आफ्रिकी गोरोमे अहम्मन्यताके साथ उपहास करनेकी दुर्भाग्यपूण परम्परा पड गई है। श्री मैसिघमने उसका जो सामयिक विरोव किया हे उसका मूल्य उपयुक्त त्रुटियोसे कदापि कम नही होता।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३–२–१९०६

१ "इसी" शब्दसे स्पष्ट है कि यह लेख प्रकाशनसे कमसे-कम तीन दिन पूर्व जनवरीमें लिखा गया था। देखिए श्रीमैसिंघमके लेखका परिशिष्ट।

१९६ सर डेविड हटर

हमे यह लिखनेमे प्रसन्नता होती है कि सर डेविड हटरने नेटालमे ही अपना अधिवास जारी रखनेका इरादा किया है और यह रजामदी भी जाहिर की हे कि दौरेसे लोटनेपर साथी नागरिक कहेगे तो वे अपनी मर्जी ताकपर रखकर भी ससदमे प्रवेश करनेका विचार करेगे। लोग उनसे अपना प्रतिनिधित्व करनेका अनुरोध करेगे, यह निश्चित है, क्योकि सभी मानते है कि वे ससदीय सेवाके लिए विशेष रूपसे उपयुक्त है। यद्यपि उनके निर्वाचनमे नेटालके भारतीय अधिवासी मत न दे सकेगे, फिर भी वे श्री हटरके समथनमे अपनी आवाज उठायेगे ही। भारतीय सर डेविडके बहुत ऋणी है, क्योकि वे देख चुके है कि सर डेविड नेटाल गवनमेट रेलवेके जनरल मैनेजरकी हैसियतसे उनके साथ सदा शिष्ट व्यवहार ही न करते थे बल्कि उनका खयाल भी रखते थे। मुख्यत उन्हीकी न्यायभावनाके फलस्वरूप भारतीयोको रेलवेमे सामान्य सुविधाएँ प्राप्त हुई है, अन्यथा जैसी उपनिवेशके अनेक लोगोकी इच्छा थी, उनको सिफ तीसरे दर्जेके डिब्बोमे ही सफर करनेको मजबूर होना पडता। अगर कुछ रेलवे अधिकारियोका बर्ताव वैसा नही है जैसा होना चाहिए, तो इसमे सर डेविडका कोई दोष नही है। उन्होने भारतीयोकी शिक्षामे भी सक्रिय और व्यावहारिक दिलचस्पी ली हे। सर डेविड एक भले अग्रेज है और इस उपनिवेशने उनका सम्मान करके अपना ही सम्मान किया है। हमारी कामना है कि सर डेविडकी जल और थल यात्रा सुखमय हो ओर वे शीघ्र वापस लौटे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३–२–१९०६

१९७ हमारे तमिल और हिन्दी स्तम्भ

हमे यह घोषणा करते हुए खेद होता हे कि हम फिलहाल अपने पत्रके तमिल और हिन्दी स्तम्भ बन्द करनेके लिए विवश हो रहे है। चूकि आवश्यक सम्पादको और कम्पोजीटरोकी स्थायी सेवाएँ प्राप्त करना मुश्किल था, इसलिए हमे इन स्तम्भोको जारी रखनेके लिए बडी-बडी कठिनाइयोसे सघष करना पडा है। हम इस बातको दु खके साथ अनुभव करते रहे है कि कुछ समयसे हमारे तमिल और हिन्दी स्तम्भोका स्तर वैसा नही रहा हे जैसा हम चाहते है। इसलिए हम तबतक अनिच्छापूवक यह माग ग्रहण करनेके लिए मजबूर हो गये है, जबतक हमारे कायकर्ता मण्डलके कुछ सदस्य, जो अभी यह काम सीख रहे है, तयार नही हो जाते और दोनो महान भाषाओके प्रति न्याय करनेके योग्य नही बन जाते।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३–२–१९०६

१९८. ईरानके शाह

ईरानके शाहने अपनी प्रजाको नया सविधान दिया हे और कहा है कि जिस तरह राज्य पश्चिमी देशोमे चलता है उसी तरह नियमित ढगसे वे भी चलाना चाहते ह। उन्होने लोगोको शासन व्यवस्थामे हिस्सा दिया है। यदि इस प्रकार ठीक काम चला तो सम्भव हे ईरानकी बादशाही बहुत बढ जायेगी। इसमे सन्देह नही कि यह सब जापानकी जीतका[1] ही असर है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ३–२–१९०६

१९९ पत्र उपनिवेश-सचिवको

जोहानिसबग
फरवरी ९, १९०६

सेवामे
उपनिवेश सचिव
प्रिटोरिया

महोदय,

मेरे सघको अनेक सूत्रोसे सूचना मिली है कि अनुमतिपत्र-कार्यालयमे परिवतन[2] हानेके बाद, भारतीय समाजको मेरे सघके द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकारसे किसी प्रकारकी चेतावनी दिये बिना निम्नलिखित रद्दोबदल किये गये हैं

(१) उन बच्चोकी नाबालिगीकी उम्र, जो इस देशमे प्रवेश करना चाहत हैं, सोलह वषसे नीचेके बदले बारह वषसे नीचे कर दी गई है।

(२) अभिभावकोके हलफनामे स्वीकार नही किये जाते हैं। दूसरे शब्दोमे, वे ही बच्चे, जिनके माता-पिता ट्रान्सवालमे रहते है, यहा प्रवेश पा सकते है।

(३) अब प्रिटोरियासे बाहरके शरणार्थियोके गवाहोसे भिन्न भिन्न जिलाके आवासी मजिस्ट्रेटो द्वारा जिरह की जा रही है। परिणामस्वरूप अनेक शरणार्थियोके प्राथनापत्र अभी अनिश्चित् समयके लिए लटक गये हैं।

भारतीय समाजपर जो इस प्रकार अचानक ही ये तब्दीलिया लाद दी गई ह, उनका मेरा सघ आदरपूवक विरोध करता है। जा भी परिवतन विचाराधीन रहे ह उनके सम्बन्धमे, साधारणतया मेरे सघका सूचना मिलती रही है और कुछ मामलोमे सरकारने मेरे सघसे सलाह-मशविरा करनेका सौजन्य भी दिखाया है। अतएव मेरे सघको इस घटनासे अप्रिय आश्चय हुआ है कि अनुमतिपत्र सम्बन्धी विनियमोमें भारतीय समाजपर असर करनेवाले भारी परिवतन कर डाले गये हे और ऐसा करनेके पूव किसी प्रकारकी सूचना नही दी गइ। और इतनेपर भी भारतीय समाजको इन बातोका पता तभी चल पाया है जब वास्तविक घटनाएँ सामने आई हैं।

१ रूस और जापानके युद्धमें, देखिए "रूस और भारत", पृष्ठ १३७–८।

२ देखिए 'ट्रान्सवालके भारतीय और अनुमतिपत्र", पृष्ठ २०१–२।

स्वय तब्दीलियोके बारेमे, सघकी ओरसे निवेदन है कि उनका मशा समाजको गहरी क्षति पहुचाना ही है। यह समझ पाना कठिन है कि नाबालिगीकी उम्र और भी कम क्यो कर दी गई है। मेरा सघ आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करता है कि ब्रिटिश साम्राज्यके और किसी भी हिस्सेमे, जहा कही माता पिताओको प्रवेशका अधिकार दिया गया है, १६ वषसे कम उम्रवाले बच्चोका प्रवेश वर्जित नही है।

भारतीय समाजके लिए यह बात बहुत बडा महत्त्व रखती है कि अधिवासी भारतीयोको अपने बच्चे साथ लानेमे किसी प्रकारकी बाधा या कठिनाई न हो। उदाहरणाथ, यह बात समझमे नही आती कि तेरह या पद्रह वषके बालकको अपने माता पिताके पास आकर रहने और उनकी सरक्षतामे शिक्षा प्राप्त करनेसे क्यो रोका जाये। मेरा सघ आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर भी दिलाता है कि यह नियम ट्रान्सवालकी गैर एशियाई जातियोपर लागू नही होता।

जहातक दूसरे परिवतनकी बात है, अबतक अनाथ बच्चोको अपने अभिभावकोके साथ आनेकी अनुमति थी। नये कानूनके अनुसार ऐसे बच्चोको भी ट्रान्सवालमे प्रवेश करनेसे रोका जायेगा। मेरे सघके लिए इस बातकी ओर ध्यान दिलाना जरूरी नही कि ऐसा नियम केवल मुसीबते ही ढा सकता है।

तीसरे रद्दोबदलके बारेमे निवेदन है कि यदि आवासी मजिस्ट्रेटोको जाच पडतालका काम करना है तो उससे लगभग अनन्त विलम्ब होगा। ऐसे शरणार्थी भी है जिनकी अर्जिया पिछले नौ महीनेसे पडी हुई है, और यदि इस प्रकारके सभी प्राथनापत्र भिन्न भिन्न जिलोमे आवासी मजिस्ट्रेटोको सौपे जायेगे, तो बहुत ज्यादा देर लग जायेगी। और फिर अगर प्रत्येक नगरका काम पृथक् पथक उठाया जायेगा तो गवाहिया ली जानेकी विधिमे कोई एकरूपता न रह जायेगी।

मेरा सघ आगे निवेदन करता है कि जब गवाह लोग प्रिटोरियाके बाहरके निवासी है तब अगर सभी जगहोके गवाहोके बयान लेने और उनसे पूरी जिरह करनेके लिए एक ही अधिकारी नियुक्त किया जाये तो मामलोका निपटारा बहुत कुछ शीघ्रतासे होगा और काय-विधिमे एकरूपता सुलभ होगी।

इसके अतिरिक्त मेरा सघ आपको यह बतलाना चाहता है कि यह देखते हुए कि लगभग ७५ फी सदी शरणार्थी जोहानिसबग या उनके आसपासके जिलोमे आकर बसेगे, न्यायकी खातिर यह आवश्यक है कि जोहानिसबगमे अनुमतिपत्र चाहनेवालोकी जरूरते रफा करनेके लिए किसी-न किसी अधिकारीको समय-समयपर वहा जाते रहना चाहिए। मेरे सघकी विनम्र सम्मतिमे, जहाँतक जोहानिसबगके शरणार्थियोका सम्बध है, केन्द्रीय कार्यालय भले ही प्रिटोरियामे रहे, लेकिन अनुमतिपत्र देने और अँगूठेका निशान लेनेका यान्त्रिक काय जोहानिसबगमें किया जाये।

इस प्रश्नके सम्बधमे कुछ भी मालूम नही हो पाया है कि भारतीय स्त्रियोके पास अलगसे अनुमतिपत्र रहे या नही।

मेरा सघ निवेदन करता है कि इस आवेदनपत्रमे कही हुई बाते अत्यत महत्त्वपूण है, और वह विश्वास करता है कि उनपर समुचित ध्यान दिया जायेगा। सविनय निवेदन है कि उत्तर शीघ्र भेजा जाये।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
अब्दुल गनी
अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १७–२–१९०६

२०० पत्र टाउन क्लार्कको

जोहानिसबग
फरवरी १०, १९०६

सेवामे
टाउन क्लाक
जोहानिसबग

महोदय,

मेरे सघका ध्यान जोहानिसबग ट्रामवे प्रणालीके प्रबन्धककी कुछ सिफारिशोकी ओर आकर्षित किया गया है कि जो उन्होने रगदार लोगो द्वारा बिजलीकी ट्रामोके उपयोगके सम्बन्धमे नगर परिषदसे उसकी मजूरीके लिए की है।

मेरे सघका खयाल है कि इन सिफारिशोको करते वक्त प्रबन्धकने रगदार लोगोकी, विशेषत ब्रिटिश भारतीय समाजकी, जिससे मेरे सघका सम्बन्ध है भावनाओका कोई ध्यान नही रखा है। मेरा सघ अनुभव करता है कि इन सिफारिशोका उद्देश्य ब्रिटिश भारतीयोकी जरूरत पूरी करना नही हे। यदि रगदार नौकर अपने मालिकोके माथ यात्रा करते समय ट्रामाकी छतोका उपयोग कर सकते है तो यह समझना बहुत कठिन हे कि दूसरे रगदार लोग उनका उपयोग क्यो नही कर सकते। विशेष ट्रामगाडिया चलानेका सुझाव व्यावहारिक नही हे, क्योकि तब रगदार लोगोको उसी प्रकारकी सेवा उपलब्ध न रहेगी जिसका उपयोग यूरोपीय समाज करेगा। मेरे सघकी विनम्र सम्मतिमे यह सिफारिश बहुत ही अपमानजनक है कि मामूली ट्रामोके पीछे रगदार लोगोके उपयोगके लिए और पासले ढोनेके लिए छकडे जोड दिये जाये। मेरा सघ निवेदन करता है कि ट्रामोके उपयोगके सबधमे ब्रिटिश भारतीयोको वे ही सुविधाएँ प्राप्त करनेका अधिकार है जो जोहानिसबगकी दूसरी जातियोको प्राप्त ह। साथ ही, मेरा सघ द्वेषभावके वतमान अस्तित्वको पूरी तरह स्वीकार करता है और इसलिए सुझाव देता है कि ट्रामोका भीतरी भाग केवल यूरोपीयाके लिए सुरक्षित कर दिया जाये। इससे छते दूसरी जातियोके लिए रह जायेगी। असलमे तो, ट्रामगाडियोके भीतरी भागोमे भी विभाग क्यो न बनाये जाये, इसका कोई कारण नही। किन्तु यदि वे न बन सके तो, मेरे सघका विश्वास है, ऊपर दिया गया सुझाव नगर परिषद द्वारा मजूर कर लिया जायेगा। म यह उल्लेख कर दू कि इस समय जैसी स्थिति है, रगदार लोग नगरपालिकाकी ट्रामोका उपयोग करनेके लिए कानून द्वारा पूरी तरह स्वतन्त्र है। वे ट्रामोका उपयोग नही करते, इसमे केवल उनकी सहनशीलता ही बाधक है।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
अब्दुल गनी
अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सघ

महाप्रबन्धककी जिन सिफारिशोका ऊपर उल्लेख किया गया है वे निम्नलिखित है

१ रगदार लोग जब घरेलू नौकर हो और अपने मालिक या मालकिनके साथ हो तो उनको उन्हीं गाडियोमें यात्रा करने दी जाये जिनमें गोरे लोग करते ह और यह

जरूरी कर दिया जाये कि वे गाडीकी छतपर बैठे और पीछेकी सीटका उपयोग करे जो हर जीनेके अखीरमे होती है, अर्थात हर एक सिरेपर बनी चार सीटोपर बठे। उनसे किराया मामूली लिया जाये।

२ जहाँ किसी मागपर रगदार लोगोके लिए विशेष गाडिया फायदेके साथ चलानेके लायक काफी आमदरफ्त हो वहा एशियाई लोगोको गाडियोके भीतर और काफिरोको बाहर बिठानेकी, या इसके विपरीत, व्यवस्था की जा सकती है। इसका प्रयोग अभी फोर्ड्सबग और न्यूटाउनके मार्गोपर किया जाये।

३ यदि बादमे यह मालूम हो कि विशेष गाडियोको फायदेके साथ चलानेके लायक रगदार लोगोकी काफी आमदरफ्त नही हे तो मामूली गाडियोके साथ इकमजिले छकडे जोडनेका प्रयोग किया जाये और ये छकडानुमा गाडियाँ और मामूली गाडिया, जो रगदार लोगोके लिए प्रयुक्त होगी, पासले बाटनेके काममे भी लाई जायें। प्रस्ताव है कि यह काम किसी बादकी तारीखको आरम्भ किया जाये।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १७-२-१९०६

२०१ ईसाइयो और मुसलमानोके सम्बन्धमें लॉर्ड सेल्बोर्नके विचार

लाड सेल्बोनने अभी हालमे गिरजेकी एक सभामे यह कहा बताते है

ऐसा जान पडता है कि हमारी जातिके लोग दो बातें भूल जाते हैं और इसलिए वे धमकी जितनी परवाह वस्तुत करते ह उससे बहुत कम परवाह करनेके दोषी ठहराये जाते ह। जो आचार उनके धमको व्यक्त करते ह उनके बारेमे वे बहुत उदासीन रहते है। और उनको यह खुलेआम जतानेमें सकोच होता है कि वे ह किस पक्षमे। ऐसा अक्सर हुआ है कि मेरे मित्र अपनी पूव यात्रामे मुसलमानोकी धमनिष्ठासे प्रभावित हुए ह। मुसलमान दिनमे खास वक्तपर जहा भी होता है, अपना मुसल्ला बिछा लेता है और घुटने टेककर नमाज पढता है। मेरे मित्रने उसकी इसी बातपर कहा कि मुसलमान ईसाईसे बहुत ज्यादा अच्छा आदमी होता है। मेरे साथ ऐसी घटना अनेक बार हुई है। पर तु उसके इस निष्कषका समथन तथ्योसे नही होता। सम्भावना यह है कि मुसलमान अधिकाश ईसाइयोसे बहुत ज्यादा बुरा आदमी हो, पर उसने एक बात पकड ली है, जिसे हम भूल जाते ह, और वह है कि अगर किसीको दुनियामे अपना प्रभाव जमाना है तो उसे लोकमतसे नहीं डरना चाहिए और यह प्रकट करनेमे भी सकोच नही करना चाहिए कि वह किस पक्षमे है।

अगर परमश्रेष्ठके भाषणकी यह रिपोट सही है, तो हमे खेदके साथ कहना पडता है कि वे एक बडे अविवेकके दोषी ह। "सम्भावना यह है कि मुसलमान ज्यादातर ईसाइयोसे बहुत ज्यादा बुरा आदमी हो", ऐसी बात सम्राटके प्रतिनिधिको सम्राटकी मुस्लिम प्रजाके बारेमे न कहनी चाहिये। अपने पदके कारण परमश्रेष्ठको भाषणकी वह स्वतत्रता प्राप्त नही है, जिसका दावा उनसे कम हैसियतके लोग कर सकते है और उनके द्वारा प्रकट किये गये इस विचारसे

नबीके बहुतेरे अनुयायियोको दु ख होगा। कि तु अविवेक लॉड सेल्बोनके सावजनिक भाषणोकी विशेषता नही है और यह कहना ही उचित होगा कि शायद यह उनके भाषणकी सही रिपोट नही है। शायद "सभावना यह है" के बजाय उन्होने कहा हो कि "यह सभव है"। अगर पिछली बात सही है तो उनका कथन बिलकुल आपत्तिजनक नही है। बहरहाल अभीतक यह समाचार हमे नही मिला है कि परमश्रेष्ठने अपने वक्तव्यमे सशोधन किया है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १०–२–१९०६

२०२. ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय

ऐसे समय, जब कि किसीको आशा नही थी कि श्री दादाभाई नौरोजीको हमारे मामलो-पर ध्यान देनेकी जरा भी फुरसत होगी, उन्होने हमारे पक्षमे जो चि ता दिखाई है उससे हमारे ऊपर उनके अहसानोका भार और भी बढ गया है। पिछली डाकसे 'इडिया' का जो अक आया है उसमे वह पत्र फिर प्रकाशित हुआ है जो भारत मन्त्री और उपनिवेश-मन्त्रीको एक साथ भेजा गया था। पत्रमे ब्रिटिश भारतीय सघके उस शिष्टमण्डलके सम्बन्धमे विचार व्यक्त किये गये है जो कुछ समय पूव लाड सेल्बोनसे मिल चुका है।[1] इससे हमे यह स्मरण हो आता है कि भारतका यह प्रहरी चुनावोके भीषण सघषके बीचमे भी, दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भार तीयोके हितोके सम्ब धमे जागरूक रहा है। उन्होने दोनो म न्त्रियोको पत्र भेजनेके लिए चुनाव-परिणामोकी घोषणाका इतजार नही किया, बल्कि जो अत्यल्प अवकाश पाया उसका भी एक भाग ब्रिटिश भारतीय सघ द्वारा अपनाये गये रुखका औचित्य बतानेमे लगाया। भारतके इस महान देशभक्तने अपने देशवासियोकी हित-साधनाके लिए जो प्रयत्न किये है, हमारे लिए उनकी सराहनाका प्रयास करना व्यथ है, परन्तु हम दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोसे अनुरोध करते है कि वे श्री दादाभाईके कायमें सहायक होकर अपना तात्कालिक कत्तव्य पूरा करे। इसके लिए अपने सगठनकी त्रुटिया दूर करके वे अपनी उद्योग और एकताकी भावनाका और भी अधिक विकास करे, जिसके बिना श्री दादाभाईका समस्त काय ही विफल हो जायेगा।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १०–२–१९०६

१ देखिए "शिष्टमण्डल लॉर्ड सेल्बोर्नकी सेवामें", पृष्ठ १५०–५८।

२०३ पत्र छगनलाल गाधीको

जोहानिसबग
फरवरी १३, १९०६

चि० छगनलाल,

मैने तुम्हे कुछ दिन हुए कुमारी नायफलीसका नाम ग्राहकोमे दज करनेके लिए भेजा था। अगर अभीतक दज न किया हो तो कर लेना। उनका पोस्ट ऑफिस बॉक्स ५८८९, जोहानिसबग है। जनवरी १ से, सारे पिछले अक भी उन्हे मिलने चाहिए।

मानजी एन० गेलानीने मुझे लिखा है कि उन्हे इस सालके दूसरे और तीसरे अक नही मिले है। उन्हे हालमे पत्र नियमित रूपसे मिलता रहा है। इसलिए तुम उन्हे अक दो और तीन भेजकर मुझे सूचित करना कि अक भेज दिये है। उनका पता बॉक्स ११०, प्रिटोरिया है।

लदनके श्री रिचका पता बदलकर ४१ स्प्रिगफील्ड रोड, सेट जान्स वुड, लन्दन कर दिया जाये।

श्री नाजरके सामानकी बिक्रीका पैसा किसने अदा नही किया है, इसकी सूचना दो।[1]

म आगेसे ऐसे परिवतनोकी इत्तिला तुम्हे दू या उनके बारेमे हेमचदको लिखा करूँ? मै तुम्हे बहुत-से ऐसे यान्त्रिक कामकी जिम्मेदारीसे बरी करना चाहता हूँ, किन्तु ऐसा सावधानीके साथ करना चाहता हूँ। अगर अन्तमे ये हिदायते हेमचदके पास जानेवाली है तो सीधे उसके पास भेजनेसे कुछ बचत होगी। तुम्हारा आजका मुख्य काम गुजराती सम्पादनकी देख भाल, और जितने जल्दी बने हिसाबके खातेको बाकायदा करके रोकड बाकी निकालना और हर इमारतकी लागत जानना है। इमारतोकी लागत जानकर आजतककी खतौनीको बाकायदा करनेके कामकी प्रगतिकी सूचना देना।

'इडियन ओपिनियन' का यह अक मैने कल तुम्हे सुधार कर भेजा है। मै चाहता हूँ कि इन सब सुधारोको सावधानीसे देखो और भविष्यमे उन्हे टालो। हमे चाहिए कि गुजराती-विभागको एकदम अद्वितीय बनाये और अगर इसके लिए हिसाबको छोडकर केवल इसपर ही अपनी शक्ति तुम्हे लगानी पडे तो सब कुछ छोडकर इसीपर जुटना चाहिए। गुजरातीके केवल सात पष्ठ है। ऐसा क्यो? अब गोकुलदास कितनी गुजराती कपोजिंग कर पाता है? लगकर काम करता है? उससे कहो, मुझे लिखे।

श्री मदनजीतको २ पौड १० शिलिग देनेके तुम्हारे सुझावके बारेमे मेरी समझमे उन्हे उतना तो देना ही चाहिए और अगर वे हमसे सम्पक बनाये रखें तो ज्यादा भी दे सकते है। यदि वे ऐसा न करे तो कुछ भी देना असम्भव होगा। वे दूर हिन्दुस्तानमे काम कर रहे है, यह तो मै खूब समझ सकता हूँ, लेकिन उनके लेख 'ओपिनियन' मे आने चाहिए। मैंने उनसे साफ कहा था कि उनसे पत्रको मदद पहुँचानेकी आशा रखी जायेगी। अगर वे ऐसा

१ देखिए "मनसुखलाल हीरालाल नाजर", पृष्ठ १८७–९०।

न करे तो म नही समझता, हम उन्हे कुछ भी देनेके लिए बँधे है। उन्होने मुझे नही लिखा।

प्रिटोरियासे कल दो कागज भेजे है, जरूरत पडे तो उन्हे छापना।[1]

तुम्हारा शुभचिंतक,
मो० क० गा०

श्री छगनलाल खुशालचद गाधी
मारफत 'इडियन ओपिनियन'
फीनिक्स

मूल अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४३०७) से।

२०४ पत्र टाउन क्लार्कको

२१–२४ कोर्ट चेम्बर्स
नुक्कड रिसिक व ऐंडर्सन स्ट्रीट्स
पो० ऑ० बॉक्स ६५२२
जोहानिसबर्ग
फरवरी १३, १९०६

सेवामे
टाउन क्लार्क
पो० ऑ० बॉक्स ३४४
क्रूगर्सडॉप

महोदय,

आपकी इसी महीनेकी १० तारीखकी चिट्ठी, सख्या २४९/६५५८/०६ मिली।

मुझे आशा है कि आप उपनियम मजूर होते ही मुझको इत्तिला देगे। इस बीच, जैसा मै आपको सूचित कर चुका हूँ, मेरे मुवक्किलका भोजनालय चालू है।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

क्रूगर्सडॉप नगर-परिषदके रेकर्डस से।

१ यह पंक्ति गुजरातीमें गांधीजीके हाथकी लिखी हुई है।

२०५ पत्र कार्यवाहक मुख्य यातायात प्रबन्धकको

जोहानिसबर्ग
फरवरी १४, १९०६

[सेवामें]
कार्यवाहक मुख्य यातायात प्रबन्धक
जोहानिसबर्ग

महोदय,

श्री एम० एम० मूसाजीने मेरे संघको उस पत्र-व्यवहारकी प्रतिलिपियाँ दी हैं जो आपके विभाग और उनके बीचमें साढ़े आठ बजे जोहानिसबर्गसे रवाना होनेवाली गाड़ीके सम्बन्धमें हुआ है।

आपने श्री मूसाजीको इत्तिला दी है कि "रंगदार यात्रियोंको साढ़े आठ बजे प्रिटोरियासे जोहानिसबर्ग जानेवाली गाड़ीसे यात्रा करनेकी इजाजत नहीं है।" और मेरा खयाल है, वापसी यात्रापर भी यही बात लागू होती है।

इस इत्तिलासे मेरे संघको आश्चर्य भी हुआ है और दुःख भी। यह मनाही भारतीय व्यापारी समुदायके लिए अधिकारका ऐसा अपहरण है जिससे उसकी गतिविधिमें गम्भीर बाधा पड़ेगी। आम भारतीय समाजके लिए यह अत्यन्त अपमानजनक है।

मेरा संघ इस परिणामपर पहुँचे बिना नहीं रह सकता कि एक बड़े प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगोंके द्वेषभावकी तृप्तिकी इस पद्धतिके फलस्वरूप रंगदार लोगोंकी स्थिति बिलकुल असहनीय हो जायेगी। यदि आप मुझे यह बतानेकी कृपा करेंगे कि क्या आपका इरादा यही है, तो मेरा संघ कृतज्ञ होगा, और यदि ऐसा हो तो क्या आप कृपया मुझे यह बतायेंगे कि यह रोक किस कानून या कायदेके मुताबिक लागू की गई है। प्रसंगवश मुझे यह कहनेकी इजाजत दी जाये कि जिस तरीकेसे समय-समयपर ऐसे प्रतिबन्धक नियम सम्बन्धित समाजके इस भागपर किसी चेतावनी या सूचनाके बिना लगा दिये जाते हैं उससे बहुत खीज और असुविधा होती है। मेरे संघका खयाल है कि ब्रिटिश भारतीयोंको उन कानून-कायदोंकी जानकारी पहलेसे पानेका हक है जो उनके सम्बन्धमें बनाये जायें।

मैं उत्तर शीघ्र देनेकी प्रार्थना करता हूँ।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
अब्दुल गनी
अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-२-१९०६

२०६. 'लीडर' को जवाब

जोहानिसबर्ग
फरवरी १६, १९०६

सेवामें
सम्पादक
'लीडर'

महोदय,

मेरे देशबन्धुओं द्वारा ट्रामोंके उपयोगके प्रश्नपर मेरे संघने टाउन क्लार्कको जो पत्र[1] भेजा है उसके विषयमें आपने छोटा-सा अग्रलेख लिखा है। उसपर मैं चन्द बातें कहनेकी स्वतन्त्रता लेता हूँ। आपने क्रोधमें लिखा है और धमकियोंका प्रयोग किया है। मैं ये दोनों बातें नहीं कर सकता, परन्तु आपके सामने कुछ तथ्य रखनेकी धृष्टता करूँगा — आप चाहें उन्हें मानें, चाहे उनका निराकरण कर दें

(१) मेरे संघने कभी दावा नहीं किया कि सब भारतीयोंको ट्राम गाड़ियोंका उपयोग करने देना चाहिए। इस अधिकारका दावा तो सिर्फ उन्हींके लिए किया गया है जो अच्छे और स्वच्छ वस्त्र पहनते हों।

(२) भारतमें जो भी स्थिति हो, मुझे आपके सामने यह प्रदर्शित करनेकी जरूरत नहीं कि कोई आदमी पैदाइशी "कुली" नहीं होता, और जहाँतक ट्राम गाड़ियोंके उपयोगका सवाल है, मुसाफिरोंकी वेशभूषा ही उसकी कसौटी हो सकती है।

(३) ट्रामोंके प्रश्नपर दो जातियोंके बीच बराबरीका सवाल उठाना क्या आपको निरर्थक नहीं लगता?

(४) मेरे संघने जोर देकर अस्वीकार किया है कि अत्यधिक सुसंस्कृत भारतीयोंसे भी अनिच्छुक यूरोपीयोंका, चाहे वे कोई हों, सम्पर्क स्थापित करानेका उसका कोई इरादा है, और इसीलिए उसने सुझाव रखा है कि गाड़ियोंका भीतरी भाग केवल यूरोपीयोंके लिए सुरक्षित कर दिया जाये। उसका दावा है कि जो भारतीय अच्छी पोशाकमें हों, वे गाड़ियोंकी छतोंका उपयोग "असमानता" के पवित्र सिद्धान्तका उल्लंघन किये बिना, वाजिब तौरसे कर सकते हैं।

(५) मेरे संघने सहनशीलताकी जो बात कही है वह बिलकुल तर्कसंगत है। जैसा कि मेरे संघको बताया गया है, "जनताकी इच्छा", जहाँतक वह कानूनके रूपमें परिणत की गई है, भारतीयोंको ट्रामगाड़ियोंपर चढ़नेके अधिकारका दावा करनेकी छूट देती है इसलिए यह दावा कानून-सम्मत होनेके कारण "बेहूदा" नहीं समझा जा सकता।

इस बारेमें क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? क्या ट्राम-सवालके गोरोंके लिए केप टाउन या नेटाल जाते ही रंगदार लोगोंके साथ ट्रामपर चढ़ना तर्कसम्मत हो जाता है? क्या यह तर्कसंगत है कि रंगदार नौकर, जो "ऊँची जातियों" के न हों, इन शब्दोंका चाहे जो भी मतलब हो, ट्रामगाड़ियोंपर चढ़ें? क्या यह तर्कसम्मत है, जैसा कि नगर-परिषदकी बैठकमें श्री साउटरने कहा, कि टट्टू गाड़ियोंकी सवारी करनेवाले गोरे रंगदार कोचवानोंकी बगलमें बैठें?

१ देखिए "पत्र : टाउन क्लार्कको", पृष्ठ १९४–५।

हीरक जयन्तीके अवसरपर उपनिवेशोके प्रधान मन्त्रियोके सम्मेलनमे[1] श्री चेम्बरलेनने जिस नीतिकी रूपरेखा बताई थी, वही मेरे सघके दावेका आधार है। परम माननीय महानुभावने कहा था

हम आपसे यह भी कहते ह कि आप अपने मानसमें उस साम्राज्यकी, जो किसी प्रजाति या रगके पक्ष या विरोधमें कोई भेद नहीं करता, परम्पराओका ध्यान रखें। और सम्राज्ञीकी सम्पूण भारतीय प्रजाओको, या सम्पूण एशियाइयोको ही, उनके रग या जातिके कारण, बहिष्कृत करना उन लोगोके लिए एक ऐसा अपमानजनक काय होगा कि सम्राज्ञीके लिए उसपर स्वीकृति देना अत्यन्त व्यथाजनक हो जायेगा। यह बात नहीं कि कोई आदमी हमसे भिन्न रगका होनेके कारण ही आवश्यक रूपसे अवाछनीय आव्रजक है, बल्कि वह तो इसलिए अवाछनीय है कि वह गदा है या दुराचारी है, या कगाल है, या उसमे कोई ऐसी आपत्तिजनक बात है जिसकी किसी ससदीय अधिनियमके अनुसार व्याख्या की जा सकती है और जिसके द्वारा उन सब लोगोके सम्बन्धमे, जिन्हे आप वस्तुत अलग रखना चाहते ह, पृथक्करणकी व्यवस्था की जा सकती है।

आपका, आदि,
अब्दुल गनी
अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २४-२-१९०६

२०७ ट्रान्सवालके भारतीय और अनुमतिपत्र

निश्चय ही ट्रान्सवालमे ब्रिटिश भारतीयोकी दशा बडी ही अनिश्चित और दु खपूण है। हम दूसरे स्तम्भमे एक पत्र[2] प्रकाशित करते है जो ब्रिटिश भारतीय सघके अध्यक्षकी ओरसे ट्रान्सवालके उपनिवेश सचिवको भेजा गया है। इसे पढकर बहुत दु ख होता है। भारतीयोके अनुमतिपत्र सम्बन्धी नियम समय समयपर बदले जाते रहे है और इससे उनको बडी असुविधाएँ हुइ है। लेकिन नये परिवतन बिलकुल आकस्मिक और रहस्यमय है। उपर्युक्त पत्रमें जिन नियमोका हवाला दिया गया है वे, श्री अब्दुल गनीके कथनानुसार, भारतीय समाजपर किसी पूव सूचनाके बिना ही थोप दिये गये है और, अगर श्री अब्दुल गनीको प्राप्त जानकारी सही है तो, ये सभी भारतीयोपर लागू होगे। इसका नतीजा यह होगा कि जो लोग ऐसे किन्ही नियमोकी जानकारीके बिना दक्षिण आफ्रिकामे आ गये है उनपर बहुत विपरीत प्रभाव पडेगा। उनको शायद न नेटालमे कोई सरक्षण मिलेगा और न केपमे ही। वे ट्रान्सवालमे प्रवेश करनेके निश्चित इरादेसे आये होगे और यदि ये नियम लागू किये गये और गत कालसे प्रभावकारी समझे गये तो उनसे सम्बन्धित लोगोको बीमारी, मुसीबत, खच और परेशानीका सामना करना पडेगा। एक

१ १८९७ में, देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३९१।
२ देखिए "पत्र उपनिवेश सचिवको" पृष्ठ १९२-३।

ब्रिटिश उपनिवेश या अधीनस्थ राज्यमें कमसे कम इतनी उम्मीद तो की ही जाती है कि कानून काफी सोच विचार और उचित चेतावनीके बाद बनाये जायेंगे। केप और नेटालके स्वशासित उपनिवेशोंमें भी, जब प्रवासी प्रतिबन्धक कानून पास किया गया, तब सम्बन्धित लोगोंको काफी पहले चेतावनियाँ दी गई और कानून बन जानेके बाद भी वह तुरन्त सख्तीके साथ लागू नहीं किया गया। दोनोंमें जहाजी कम्पनियोंको और उस कानूनसे प्रभावित समाजको कानूनका अमली रूप समझनेका समय दिया। केपके अधिकारियोंने कहीं अब जाकर, अर्थात् पास होनेके दो साल बाद सूचना दी है कि अब उनका इरादा कानूनपर पूरे तौरसे अमल करनेका है। परन्तु जाहिर है कि ट्रान्सवालमें अधिकारी उतावलीसे काम करनेमें विश्वास रखते हैं। शान्ति रक्षा अध्यादेश सैनिक कानूनके समयका अवशेष है, इसलिए वह सरकारको स्वच्छन्द सत्ता प्रदान करता है। युद्धकालमें तो ऐसी सत्ताका प्रयोग प्रायः उचित ठहराया जाता है, परन्तु जब ट्रान्सवालमें शान्ति है, तब एक निरापद समाजके विरुद्ध उस अध्यादेशका उक्त पत्रमें वर्णित ढंगसे प्रयोग करना ब्रिटिश संविधानसे सम्बद्ध तरीकोंके अनुकूल नहीं है। उसमें रूसी तरीकोंका आभास मिलता है। खुद नियमोंको कसौटीपर कसा जाये तो वे निस्सन्देह कष्टप्रद हैं। ऐसा लगता है कि बच्चोंकी नाबालिगीकी उम्र एकाएक घटाकर बारह सालसे भी नीचे कर दी गई है और अब आगे वे अनाथ, जिनके रिश्तेदार ट्रान्सवालमें बसे हों, ट्रान्सवालमें बिलकुल प्रवेश न करने पायेंगे। इसके अतिरिक्त नियमोंके अनुसार, किसी शरणार्थीके दावेके समर्थनमें जो गवाह पेश किये जायेंगे उनकी जाँच एक ही अधिकारीसे करानेके बजाय, अब यह अधिकार विभिन्न जिलोंके मजिस्ट्रेटोंको हस्तान्तरित कर दिया गया है। जाँचकी कारवाई पूरी हो जानेके बाद भी, अनुमतिपत्र प्राप्त करनेके मामूली कामके लिए, सब शरणार्थियोंको प्रिटोरिया जाना होगा। अभी उस दिन परमश्रेष्ठ लार्ड सेल्बोर्नने भारतीय शिष्टमण्डलसे कहा था कि सभी प्रतिबन्धात्मक कानून उचित होने चाहिए। वे तभी स्वीकार करने योग्य और प्रभावकारी हो सकते हैं। जैसे ये कानून हैं वैसे कानून क्या कभी उचित माने जा सकते हैं, भले ही हम कितनी ही खींचतान क्यों न करें?

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७–२–१९०६

२०८ जोहानिसबर्गकी ट्रामें और भारतीय

अन्यत्र वह पत्र[1] छापा जा रहा है जो ब्रिटिश भारतीय संघ, जोहानिसबर्गके अध्यक्षने टाउन क्लार्क, जोहानिसबर्गको लिखा है। वह रंगदार लोगों द्वारा बिजलीसे चलनेवाली ट्रामोंका उपयोग करनेके सम्बन्धमें प्रस्तावित विनियमोंके विषयमें है। हमें श्री अब्दुल गनीकी दलीलका समर्थन करनेमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। महाप्रबन्धकने जो सिफारिशें की हैं वे बिलकुल मनमानी हैं, और इस बातसे कि उन्हें अस्थायी रूपसे वापस ले लिया गया है, भारतीयोंको सुरक्षाकी झूठी भावनामें पड़कर शिथिल नहीं हो जाना चाहिए। वे इसलिए नहीं वापस ले ली गई हैं कि नगर परिषदको जनरल मैनेजरकी अपेक्षा भारतीयोंका अधिक लिहाज है, बल्कि इसलिए कि, जैसा कहा जाता है, अभी उनके लिए समय ही उपयुक्त नहीं है — क्योंकि अभी कुछ समय तक ट्रामें चलेंगी ही नहीं। जोहानिसबर्ग या अन्य स्थानोंमें सार्वजनिक ट्रामोंके उप-

१ देखिए 'पत्र : टाउन क्लार्कको', पृष्ठ १९४–५।

योगका सवाल सिर्फ भावनाका सवाल नही है, बल्कि उसका आर्थिक महत्त्व भी है। भारतीय व्यापारियो और दूसरे रगदार लोगोका सावजनिक वाहनोपर वही अधिकार है जो जोहानिसबगके किसी भी दूसरे समाजका है। वे देशका अग है, करदान इत्यादिके रूपमे उनसे भी नागरिकताका भार वहन करनेको कहा जाता है और जोहानिसबग नगरपालिका, नगरपालिकाकी ट्रामोका उपयोग करनेके अधिकारसे उनको वचित करनेमें कठिनाई महसूस करती है। जो भी नियम बनाये जायेंगे उनपर लेफ्टिनेट गवनरकी मजूरी लेनी होगी, और हमे आशा है कि जिन नियमोकी ओर हमने सावजनिक ध्यान आकर्षित किया है वे अगर परमश्रेष्ठके पास भेजे ही गये तो वे उन्हे नामजूर करनेके अपने विशेषाधिकारका प्रयोग करनेमे हिचकिचायेंगे नही।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७–२–१९०६

२०९ पत्र छगनलाल गाधीको

[जोहानिसबग]
शनिवार, फरवरी १७, १९०६

चि० छगनलाल,

थोडी गुजराती आज भेज रहा हूँ। और कल भेजी जायेगी। जहातक बनेगा, हर हफ्ते "जोहानिसबगकी चिटठी" भेजूगा। उसका स्थान तो एक ही रखना ठीक होगा। जहातक बने, गुजराती विभागके हिस्से कर लेने चाहिए और हमेशा हर जगह उसी किस्मके लेख आये, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए।

तुम हफ्तेमे एक दिन कही बाहर जानेके लिए जरूर रखो, जिससे उस स्थानका पत्र भी दिया जा सके। मुझे हर हफ्ते एक पत्र अवश्य तफसीलवार लिखा करो। हेमचन्द कैसा चल रहा है?

सारी गुजराती सामग्री ढगसे सुधारी जाये। नेटालके 'गजट' से जायदादोकी विज्ञप्ति भी किसी हफ्तेमे नही चूकनी चाहिए।

तुमने जो गुजराती टाइप मँगाया है, वह कितना मँगाया है, सो लिखना। यानी कितने पृष्ठ बढाये जा सकेंगे? अगले वष १२ पष्ठ दे सकने योग्य टाइप हमें चाहिए। इस हिसाबसे यदि और आवश्यकता हो, तो मुझे सूची भेजना, ताकि टाइप मँगाया जा सके।

ब्रायन गैब्रियलके बारेमे पत्र पढा होगा। मेरा खयाल है कि वह आये तो ठीक होगा।

तुम उद्की बात ध्यानमे रखना। कम्पोज करनेमे तुम्हारी आखोको तकलीफ हो तो बिलकुल मत करना।

मोहनदासके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमें मूल गुजराती प्रतिकी फोटो नकल (एस०एन० ४३१०) से।

२१० पत्र   छगनलाल गाधीको

[जोहानिसबग]
रविवार, फरवरी १८, १९०६

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। कल सामग्री भेजी है। आज भी भेज रहा हूँ। मैंने "जोहानिसबगकी चिट्ठी" भेजी है। उसमे "रायटरके तारसे जान पडता है कि " यहासे अलग शीषक देना। "रायटरके तार समाचार"—इस स्तम्भमे जितना बनेगा, उतना हर हफ्ते दूगा। तुम उसमे और जोड सकते हो। "जोहानिसबगकी चिटठी" तो अलग ही दूगा, और जहातक होगा उसमे केवल स्थानीय समाचार ही दूगा। ऐसे पत्रोके लिए मैंने दूसरी जगह भी लिखा है।

हेमचदको मैंने नही लिखा, यह ठीक हुआ। उसका वही पूरा उपयोग करना। और म भी उसे लिखगा। तुम्हारे नीचे एक आदमी चाहिए ही, और वह समझदार होना चाहिए। हेमचद कुछ बिगाडे, तो उसकी फिक्र नही, कितु तुम उसपर जिम्मेदारी डालते रहना। अपने ऊपर बहुत बोझा पडे तो हमे अपने कामोमे पहले कौन-सा काम करना है, उसके बाद कौन-सा काम करना है—इस प्रकार विचार कर देखना चाहिए, फिर जितना बने उतना करना चाहिए। यदि ऐसा विचार करोगे, तो सब सरल हो जायेगा। तब, पहले तो तुम्हे गुजराती अखबार सुधारना है। वह तुम्हारा ही काम है। दूसरा है हिसाब, वह भी तुम्हे ही सँभालना है। तीसरा, वसूली, चौथा, फुटकर छपाईका काम (जॉब), पाचवा, फिलहाल गुजराती [टाइप] केसोको बद रखना, हालाकि इसका खयाल हमेशा रखना है। उर्द फिलहाल छोड देना। तुम्हे अपनी जमीनके लिए अमुक समय देना ही चाहिए। वसूली तथा दूसरा जो भी काम हो, उसके लिए तुम्हे दो दिनसे अधिक जाना ही नही है। फिलहाल पैसेकी आमदकी तरफ ध्यान नही देना है। हिसाब नियमित हो जानेपर ही दूसरा कुछ करनेका विचार करना है। गुरुवार प्रूफके लिए तथा मगल और बुध केवल अध्ययन करने और गुजराती लिखनेमें लगाओगे तो ठीक होगा। सोमवार तथा शुक्रवार या शनिवार गाँवमे जानेके लिए रखो, तो काम चल सकेगा। फिलहाल एकदम परगाव न जा सको तो चिता नही। बाहरके अखबारोमे से तुम थोडा अनुवाद करो, तो काम चलेगा। तुम्हे मुख्य खबरे नेटालकी देनी चाहिए। वे मेरे देखनेमे नही आती। वहाकी स्थानीय खबरे आयेगी तो ठीक होगा। यहाँकी खबरे और अखबारोके अनुवाद म भेजता रहूँगा। विशेष खूबी सामग्रीके सयोजनमे है। बने तो केवल बुधवार ही अध्ययनमे लगाओ, तो भी काम चल जायेगा। या मैं भल रहा हूँ, तुम सोमवार दो तो अच्छा। क्योकि सोमवारको जब टाइपका वितरण (डिस०)[1] हो तब तुम सामग्रीसे लस हो सकते हो। ज्यादा कामसे बिलकुल घबराना नही है। तुमने सबके सामने अपनी बाते रख दी, यह अच्छा किया। बिना मॉगे मा भी रोटी नही देती। उनसे कहोगे तो करेगे।

छापाखानेकी जमीन साफ रखने और वह भी अपने ही हाथसे साफ करनेकी मै बडी ही जरूरत समझता हूँ। छापाखानेके समयके बाद भी यदि आधा घटा दिया जाये, तो ठीक। यदि दूसरे समय न दें, तो तुम भाइयोको ही देना है। हेमचन्द देगा, और उसे म लिखगा। वेस्ट भी देगे। सैमसे और भी बात करके उसके गले उतारना। बीन रफ्ता रफ्ता ही इसे समझेगे। यह काम तुरन्त शुरू होनेकी आवश्यकता मानता हूँ।

१ डिस्ट्रिब्यूशन, अर्थात् टाइप अक्षरोको उनके विभिन्न खानोंमें बाँटनेका काम।

मैं अब भी इस रायपर निश्चित हूँ कि फुटकर काम छोड दिया, उसीमे अच्छा है। और तुम प्रेसमे हो, यह ठीक है। अब चूकि फुटकर कामकी चिंता नही रही इसलिए दफ्तरमे आदमी न हो, उसकी भी चिंता नही रही। वतनियोके बदले जहातक बने, भारतीय हो, तो ठीक मानता हूँ। फिर भी जैसा ठीक हो, वैसा ही करना। उसमे मेरी अक्लपर निभर न रहना। श्री आइजकको समझाऊँगा।

श्री ब्रायनके बारेमे जैसा तुम कहते हो वैसा ही मेरे मनमे भी है। यदि वे आये, तो फिलहाल तो कम्पोजिगका काम ही करे। तुम आनंदलालसे भी दिक्कतोकी पूरी बात करना और उससे हमदर्दी प्राप्त करना। उसकी सलाह भी लेना। उससे वह खुश भी रहेगा। मन खुला रखना।

कालाभाईको अभीतक कमरा न मिला हो, तो तुरन्त ही प्रबंध करना।

विज्ञापन हमारे हाथसे निकल गया, उसके बारेमे जाच पडताल करूँगा।

तुम्हारे जूते इत्यादिकी खोज कल (सोमवारको) करूँगा। बाहरके पत्रोको पढकर व्यवस्था करनेका काम हेमचंदको ही सौपना। वीरासामीसे कहना कि मुझे हुक्म अभीतक नही मिला। जैसे ही मिला, मै तुरन्त भेजगा।

अब मुझे लिखनेको नही बचता। तुम वेस्टके साथ विशेष रूपसे मिलना। पहले तुम दोनोको एक जी हो जाना है, क्योकि तुम दोनो ही योजनाको ज्यादा समझते हो। आनन्द-लालको, जैसे बने, अपने साथ मिलाना। सैमको समझाना और बीनपर धीरे धीरे सिचन करना। वे मुझे चाहते ह। योजना नही समझते। भले आदमी है, इसलिए छोडते नही है। पसेकी तरफ ज्यादा ध्यान है, क्योकि उनमे सच्ची सादगी नही है। फिर भी पैसेके लिए मरते हो, सो नही। वे आगे चलकर अच्छा करेगे। हमेशा हर हफ्ते कमसे कम एक पत्र नियमित लिखते रहना, जिसमे तुम्हारे मनकी सब बाते हो।

मोहनदास

[पुनश्च]

मेरा इस महीनेमे आना सम्भव नही होगा।

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रतिकी फोटो नकल (एम०एन० ४७८३) से।

२११ पत्र छगनलाल गाधीको

जोहानिसबग
फरवरी १९, १९०६

चि० छगनलाल,

चर्चापत्र वापस भेज रहा हूँ। सभीके ऊपर टीपे लिख दी ह। उन्हे देखना। वली मुहम्मद हालीका उन्हीसे सम्बन्धित पत्र पोरबन्दर भेज देना और उन्हे लिखना कि ऐसा पत्र 'ओपिनियन' मे नही छापा जाता, फिर भी तुमने उसे पोरबन्दरके निदेशक (डायरेक्टर) को भेज दिया है। सारे पत्र मेरे पास देखनेके लिए भेजना जरूरी नही है। उनमे से जिन पत्रोमे शका हो, केवल वही मुझे भेजे जाये।

प्राय नीचेके नियमोका पालन पर्याप्त होगा

(१) जो अपने विरोधमे हो उनको छापनेकी परिपाटी रखना — जसे हबीब मोटनका, हाजी हबीबका।

(२) लम्बे व्याख्यानोसे डरना।

(३) लिखनेवालेपर ध्यान रखना। उसकी सामग्री लेनी ही चाहिए, ऐसा लगे और वह लम्बी हो, तो सक्षेप करना।

(४) स्थानीय समाचारोके पत्र लेना।

नाईके टटेसे सम्बधित पत्रोको लेनेके लिए मैने इसलिए लिखा कि वह बात डडीके लोगोके लिए उपयोगी है। उसे एकदम बद करना ठीक नही।

मोहनदासके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मल गुजराती प्रतिकी फोटो नकल (एस०एन० ४३११) से।

२१२ पत्र छगनलाल गाधीको

जोहानिसबग
फरवरी २१, १९०६

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। रेलवे नोट नही मिला। केप टाउनके विज्ञापन जाये, तो कोई हज नही। मै उन्हे लिखता हूँ। श्री नाजरका बाकी सामान पडा है। उसकी बाबत मोतीलालसे मिलकर फैसला करना। भट्ट और आदमजी सेठको भी लिखता हूँ। 'ओपिनियन' के लिए पढनेका काम बुधवारको फीनिक्समे रखना अधिक ठीक मानता हूँ। उससे तुम बुधवार तक की सामग्री पढ सकोगे। लिखने योग्य जो बात पढनेमे आये उसे एक कागजपर टाक लिया जाये और लिखने और समाचारपत्रोको पढनेका काम बुधवारसे ही शुरू किया जाये। ऐसा विभाजन करनेसे, मेरा खयाल है, ठीक होगा। सोमवार अथवा मगलवार और शनिवार गावके लिए रखना ठीक जान पडता है। बुध, गुरुके सिवा दूसरे दिनोमे मेरे लिखे हुए के सिवा कुछ दूसरा, विशेषकर 'ओपिनियन' के लिए, न पढनेका नियम रखनेसे तुम बहुत समय बचा सकोगे, ऐसा लगता है। अब हिसाब किताबकी स्थिति कैसी है?

मोहनदासके आशीर्वाद

[पुनश्च]

तुम्हारे जूते और कपडे बहुत करके आज अब्दुल गनी सेठके हाथ भेजूगा। हेमचद तुम्हारे अथवा आनदलालके साथ रहे, तो बहुत अच्छा।

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रतिकी फोटो नकल (एस०एन० ४३१२) से।

१ एक यूरोपीय ग्राहकके आ जानेसे डडीके एक भारतीय नाईने एक भारतीय व्यापारीकी हजामत अधूरी छोड दी। इसपर वहाके भारतीय समाजने उस नाईका बहिष्कार करनेका निश्चय किया।

२१३. दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश भारतीय[१]

ट्रान्सवाल और ऑरेंज रिवर उपनिवेशमें ब्रिटिश भारतीयोके सम्बन्धमें वक्तव्य

जोहानिसबग
फरवरी २२, १९०६

चूकि नई सरकार आ गई हे, राज्याज्ञा वापस ले ली गई है और ट्रान्सवाल तथा आरेज रिवर उपनिवेशके लिए एक नया शासन विधान तैयार किया जा रहा है इसलिए मुझ भारतीय प्रश्नको नई सरकारके समक्ष प्रमुख ढगसे प्रस्तुत करना अत्यावश्यक प्रतीत होता है।

ऐसा लगता हे कि निषेध सम्बन्धी अधिकार सम्राटके लिए सुरक्षित रखे जाने तथा किसी भी प्रकारके वर्गीय कानूनको सम्राटकी स्वीकृतिके लिए उठा रखनेसे सम्बन्ध रखनेवाली साधारण धाराएँ पर्याप्त नही है। यह देखते हुए कि रगदार लोगोके विरुद्ध तीव्र द्वेषभावना — इतनी तीव्र कि लगभग सनक जैसी — फैली हुई है, इन दकियानूसी कानूनोसे, जो भूले भटके ही कार्यान्वित किये जाते है, काम चलनेका नही। अगर ब्रिटिश भारतीयोकी रक्षाका उचित खयाल रखे बिना उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्वीकृत कर दी गई तो उसके अन्तगत उनकी दशा आजकलकी अपेक्षा कही बदतर हो जायेगी।

नेटालका अनुभव बतलाता हे कि किसी स्वशासित समाजमे किसी वग विशेषको मताधिकारसे वचित रखनेका अथ उसको पूण रूपसे मिटा देना है। केवल वे ही सदस्य चुने जाया करते है जो मतदाताओकी भावनाओका प्रतिनिधित्व करते है। इसलिए ब्रिटिश भारतीयोको कुछ प्रभावकारी प्रतिनिधित्व देना होगा या वहा रहनेवाले भारतीयोके नागरिक अधिकारोका दूसरे ढगसे पूण सरक्षण करना होगा।

ट्रान्सवालमे स्थिति दिनपर दिन बिगडती जा रही हे। परवाना सम्बन्धी प्रतिबन्ध केवल भारतीयोपर ही लागू किये जा रहे है और, जैसा कि 'इडियन ओपिनियन' के पष्ठोसे प्रकट होगा, वे बहुत ही ज्यादा कष्टकर है।

रेलवे प्रशासनने रगदार लोगोके लिए मनाही करना शुरू कर दिया है कि कुछ रेलगाडियोसे वे कतई यात्रा न करे। जिन ब्रिटिश भारतीय व्यापारियोको रेलगाडियोके इस्तेमालकी आवश्यकता निरन्तर पडा करती है, उनके हकमे इस निषेधका क्या अथ होगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। जोहानिसबग बडे बडे फासलोवाला स्थान है। वहाँ बिजलीकी ट्रामगाडी अभी हालमे ही चालू की गई है। रगदार लोग, जिनके लिए घोडागाडियोका किराया चुकाना मुश्किल है, व्यवहारत इन ट्राम गाडियोका इस्तेमाल नही कर पाते।

१ यह वक्तव्य गांधीजी द्वारा श्री दादाभाई नौरोजीको भेजा गया था और उन्होने उसकी एक प्रति भारत मन्त्रीको २० मार्चको प्रेषित की थी।

ये मामले भावुकता-रंजित नही है, बल्कि ऐसे है जिनका ब्रिटिश भारतीय समाजपर गहरा असर पडता है। अगर सम्राटकी सरकार द्वारा कोई दृढ कारवाई नही की जाती तो घटनाओके मौजूदा रफ्तारसे चलते रहनेका नतीजा यह होगा कि बोअर-शासन व्यवस्थाके अ तगत जो-कुछ भी थोडी-बहुत सुविधा उन्हे सुलभ थी, जाती रहेगी। जायदादकी मिल्कियतके बारेमे निषेधाज्ञा, विशेष पजीकरणका तीन पौडी कर, पदल पटरी नियम इत्यादि अब भी ट्रासवालके विधि ग्रथका विरूप कर रहे ह।

जहातक आरेज रिवर कालानीकी बात है, वहा उन भारतीयोको छोडकर, जो घरेलू नौकरी कर रहे है, अन्य किसी भी भारतीयके प्रवेशको वर्जित करार देनेवाला पुराना कानून आज भी प्रचलित है और समचे उपनिवेशमे ऐसे उपनियम गढे जा रहे है जो उस उपनिवेशमे रहनेवालोकी गतिविधिपर और अधिक प्रतिबन्ध लगानेवाले है।

[अंग्रेजीसे]

प्रिटोरिया आर्काइव्ज एल०जी०फाइल सख्या ९२–९४, एशियाटिक्स (१९०२–१९०६)

२१४ पत्र छगनलाल गाधीको

जोहानिसबग
फरवरी २२, १९०६

चि० छगनलाल,

मैने पिछले हफ्ते श्री किचिनको एक चिट्ठी[1] भेजी थी, उसके जवाबमे उनका पत्र मिला है। उन्होने त्यागपत्र दे दिया है और वे अगले महीनेके अन्तमे सम्पादकीय विभागसे अलग हो जायेगे। मैने श्री बीनको एक चिटठी लिखी है, मेरा खयाल है, वह चिटठी तुम पढोगे। फिर भी म चाहता हूँ कि तुम श्री किचिनसे सम्पक बनाये रखो, क्योकि उनके पास बहुत-सी बाते सीखनेकी ह। मैने उनका पत्र तुम सबको दिखानेकी इजाजत उनसे मागी है—यदि हुआ तो तुम वह पत्र देखोगे ही।

श्री उमर यहा है। वे कहते है डेलागोआ-बेके पास माबेलीके कुछ ग्राहकोको अखबार नियमित नही मिलता, एक ही बारमे कई अक मिल जाते है। ऐसा क्यो होता है, जानते हो?

नीचे दिये गये लोगोके नाम नये ग्राहकोमे लिख लो—श्री इब्राहीम अब्दुल्लाकी पेढी, बॉक्स २८ डेलागोआ-बे, श्री अब्दुल गनी मूसा, अमरेली, काठियावाड, भारत। मेरा खयाल था कि जिसका पहले नाम लिया, वह पेढी ग्राहक है ही किन्तु श्री उमरका कहना है कि वह ग्राहक नही है। इन दोनोका पैसा तुम्हे श्री उमर डबनसे लौटनेपर देगे।

केप टाउनके श्री गुलका पत्र आया है। वे चाहते है कि मै उन्हे केप टाउनकी सूची भेज दू, ताकि वे वहा वसूली कर सके। ग्राहकोकी सूची पतेके साथ और विज्ञापनदाताओकी सूची उनपर जो रकम निकलती है, उसके उल्लेखके साथ मेरे पास भेजो।

१ यह उपलब्ध नहीं है।

तुम्हारा भेजा हुआ पत्र-व्यवहारका दस्ता मिला है, उसे देखकर शनिवारको आगे रवाना कर दूगा।

तुम्हारा शुभचिन्तक,
मो० क० गाधी

श्री छगनलाल खुशालचन्द गाधी
मारफत 'इडियन ओपिनियन'
फीनिक्स

टाइप की हुई मूल अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४३१३) से।

२१५. सम्राट्का भाषण

सम्बन्धित व्यक्तियोके कथनानुसार जीवित मानवोकी स्मृतिमे, सम्राटके भाषणकी प्रतीक्षा इतनी चिन्ता अथवा आशाके साथ शायद कभी नही की गई, जितनी इस सप्ताह साम्राज्यीय ससदके उदघाटनके अवसरपर सम्राट एडवर्ड द्वारा दिये गये भाषणकी। और इसमे सन्देह नही कि वह एक दूरगामी महत्त्वकी घोषणा है। जिनको उदार दलकी नीतिसे भय है, उनकी चिन्ता और भी गहरी हो जायेगी, और जिनको उदार दलसे बहुत बडी आशाएँ थी उनकी आशाएँ, जहातक वादोका सम्बन्ध है, पूर्ण होगी।

भारतके पल्ले निराशा पडेगी। भारतके बारेमे तो उसमे फक्त इतना ही जिक्र है कि सैनिक प्रशासन विषयक कागजात प्रकाशित कर दिये जायेगे। बग-भगका बिलकुल उल्लेख नही है, और यदि आये हुए समुद्री तारमे सब बाते सक्षेपमे पूरी दी गई है तो अकालका भी कोई जिक्र नही है। परन्तु यह विश्वास करनेका पूरा कारण है कि जब एक आमूल सुधारवादी प्रधानमन्त्रीके[1] हाथमे बागडोर है और जॉन मॉर्ले जैसे योग्य राजनीतिज्ञ भारत-मन्त्री है तब भारत पूर्ण रूपसे उपेक्षित नही रहेगा।

परन्तु हमारे लिए तात्कालिक महत्त्वका विषय यह है कि सनदोकी वापसीका और ट्रान्सवाल तथा ऑरेंज रिवर उपनिवेश — दोनोको तुरन्त स्वायत्तशासन देनेका, जिसका प्रस्ताव किया गया है, दक्षिण आफ्रिकाके इन हिस्सोके निवासी ब्रिटिश भारतीयोकी स्थितिपर क्या प्रभाव पडेगा। यह मान लेना तो उचित ही होगा कि जो सविधान उदारदलीय मन्त्रियो द्वारा बनाया जायेगा, वह यथासम्भव गोरे अधिवासियोके अनुकूल होगा। यह अन्यथा हो ही नही सकता। उनको अपने आन्तरिक मामलोका यथासम्भव पूर्ण नियन्त्रण दे दिया जायेगा। दुर्बल पक्षोके अधिकारोकी पूर्ण सुरक्षाकी नीति भी इन्ही उदार सिद्धान्तोके आधारपर बनाई जानी चाहिए। इसलिए, हमारे विचारसे, भारतीयोके प्रतिनिधित्वके सवालपर सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। एक पूर्ण प्रातिनिधिक सरकारमे भारतीयोको सर्वथा प्रतिनिधित्व न देना उनको उन विधायकोकी दयापूर्ण देखरेखमे छोड देना होगा, जिनके हृदयोमे उनके लिए कोई दया नही होगी, क्योकि उन्हे अपने आश्रितोके कल्याणमे कोई दिलचस्पी न होगी। स्वर्गीय सर जॉन रॉबिन्सनके इस सुन्दर तर्कके[2] बावजूद, कि ऐसी प्रणालीमे प्रत्येक सदस्य भारतीयोका सदस्य

१ सर हेनरी केम्बेल-बैनरमेन, इग्लैडके प्रधान मन्त्री १९०५–८।

२ देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३८७।

होगा, प्रतिनिधित्व हीनताका परिणाम नेटालमे बहुत प्रतिकूल हुआ है। यदि भावी सविधानमे भारतीयोका ध्यान न रखा गया तो उक्त दोनो उपनिवेशोमे भारतीयोके साथ कभी भी न्याय होनेकी आशा समाप्त हो जायेगी। ट्रासवालमे भारतीय हितोके विरुद्ध आदोलनकी लहर चल रही है। आरेज रिवर कालोनीके द्वार भारतीयोके लिए बिलकुल बन्द ही कर दिये गये है और यदि उनके बारेमे कानून बनानेका अधिकार इन उपनिवेशोके उत्तरदायी विधायकोको सौप दिया जायेगा तो आज भारतीयोको जिन कठिनाइयोका सामना करना पड रहा है, वे और भी बढ जायेगी। दोनोके सविधानोमे परम्परागत निषेधाधिकार तथा गैर यूरोपीय जातियोके लिए विशेष धाराके रूपमे सरक्षण होगे, परन्तु अमलमे ये सरक्षण बहुत ही अप्रभावकारी सिद्ध हुए है, क्योकि ब्रिटिश मन्त्रियोने महामहिम सम्राटको निषेधाधिकारका प्रयोग करनेकी सलाह देनेमे सदैव अनिच्छाका अनुभव किया है। ऐसी परिस्थितिमे, अगर भारतीयोको अन्य जातियोके समान ही साम्राज्यका महत्त्वपूर्ण अग समझना है तो, हमारी समझसे यह निहायत ही जरूरी है कि, उनके तथा अन्य दुबल जातियोके हकोकी हिफाजत खास तौरपर की जाये।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-२-१९०६

२१६ ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय

ब्रिटिश भारतीयोकी स्थिति किसी तरह ईर्ष्या योग्य नही है। वे चारो ओरसे अत्यन्त अपमानजनक प्रतिबन्धोसे घेरे जा रहे है। अगर कोई भारतीय ट्रान्सवालका स्थायी निवासी है और इस देशमे पुन प्रवेश करना चाहता है तो उसको हर कदमपर निराशाका सामना करना पडता है और वह अपना दावा उसी हालतमे साबित कर सकता है जब उसके पास धीरज और धनका बाहुल्य हो। इस देशमे निवासका अनुमतिपत्र प्राप्त करनेसे पूर्व उसको मारा मारा फिरना पडता है। उसको गहरी जाच पडतालमे से गुजरना होता है और उसकी बातकी कोई कीमत नही मानी जाती। इसलिए ट्रान्सवालकी पवित्र भूमिपर पाव रखनेसे पूर्व उसको अपनी बात गवाहोके बयानो और कागजोके सबूतोसे पुष्ट करनी होती है। अगर सयोगसे उसकी पत्नी उसके साथ है, तो उसे साबित करना पडता है कि वह उसका पति है। अगर उसके बच्चे उसके साथ है तो, चाहे जितने छोटे क्यो न हो, उनके अलग अनुमतिपत्र लेने होगे और साबित करना पडेगा कि वह उनका पिता है। अगर उसके बच्चे बारह सालसे कम उम्रके नही है तो वे किसी हालतमे भी उसके साथ नही आ सकते। ये वे प्रारम्भिक झझटे है जिनमे होकर ट्रान्सवालमे पुन प्रवेश करनेसे पूर्व प्रत्येक भारतीयको गुजरना पडता है — उस ट्रान्सवालमे, जो अब उसका अपना देश बन गया है। और इस देशमे पहुँचकर वह क्या देखता है?

बिजलीकी ट्रामोके बारेमे जोहानिसबर्ग नगर परिषदकी बैठकके विवरणसे स्पष्ट मालूम पड जाता है कि उसको किस स्थितिका सामना करना है। अगर वह किसी गोरे मालिकका नौकर है तब तो उसको ट्रामोका उपयोग करने दिया जायेगा, अन्यथा उसे सामान्य गाडियो तक का उपयोग नही करने दिया जायेगा। नगर-परिषदकी बैठकमे दिये गये भाषण पढनेमे तो बहुत अच्छे लगते है, परन्तु वे है बहुत दु खद। यात्राकी सीधी-सादी सहूलियतके मामलेमे, कई

वक्ताओने जातियोकी समानताका पूरा सवाल ही उठा लिया। अगर कोई रगदार आदमी न्याय पानेकी चेष्टा करता है, तो तुरन्त शोर मच जाता है कि वह ट्रान्सवालमे गोरोकी बराबरीका दावा करना चाहता हे। स्थिति बिलकुल उपहासास्पद है। जोहानिसबगमे एक शक्तिशाली समाज हे। उसके पास साहस, व्यवसाय-बुद्धि और साधन हैं पर जब रगका सवाल आता है तो वह अपनी विवेक बुद्धि खो बैठता है, और वहा खतरेका सन्देह करने लगता है, जहा कोई खतरा है ही नही। जोहानिसबगके लोग शकित है कि अगर उनके साथ ट्रामोमे रगदार लोग भी यात्रा करने लगेगे तो उनकी प्रधानता और श्रेष्ठता खतरेमे पड जायेगी। इससे हमे विद्रोहके उस निराधार भयकी याद आ जाती है जो भारतके गवनर जनरल लाड एलनबरोके[1] जमानेमे व्याप्त था। उस जमानेमे, अगर कोई छोटी सी बात भी हो जाती थी तो तुरन्त हाय तोबा मच जाती और घबराहट फल जाती थी। यहातक कि अपने खरीतेमे परमश्रेष्ठने बडी सजीव भाषामे लिखा था कि सनिक पत्तियोकी खडखडाहट या झीगुरोकी झनकार भी सुनते है तो डर जाते ह। लाड एलनबरोने शताब्दीके पाचवे दशकके प्रारम्भमे सैनिकोके सम्बन्धमे जो लिखा हे, उससे जोहानिसबगके कुछ लोगोकी हालत ज्यादा भिन्न नही हे। श्री मैकी निवेन और उनके पाच समथकोने थोडा न्याय करनेकी वकालत व्यथ ही की। सवालके आर्थिक पहलूके बारेमे उनका तक अमान्य कर दिया गया और छ के विरुद्ध सोलहके बहुमतसे नगर परिषदने उस अन्यायको स्थायी रूप देनेका फसला किया, जो ट्राम-प्रणालीके मुख्य प्रबन्धकने, अपनी सिफारिशोके रूपमे, रगदार समाजके प्रति किया था।[2] एक वक्ताने कहा कि रगदार लोग कोई कर नही देते, इसलिए उन्हे ट्रामोका उपयोग करनेका कोई अधिकार नही है। ऐसी विद्वत्ताका लाभ सुसस्कृत जोहानिसबगको नगर परिषदके सदस्योसे मिलता है। उक्त सदस्य आसानीसे यह बात भूल गया कि भारतीय जोहानिसबगमे मकानोमे ही रहते है, और उनके लिए उनको किराया और कर दोनो ही देने पडते ह। हम उनको सूचित करना चाहते है कि लगभग ४,००० रगदार लोगोको, जो मलय बस्तीमे रहते है, अपने कब्जेके बाडोका मामूलीसे ज्यादा किराया और कर अदा करना पडता है। उनमे और जोहानिसबगके दूसरे अधिवासियोमे फक यह है कि उनको ज्यादा कर देकर भी वे सेवाएँ प्राप्त नही है जो दूसरोको है। मलय बस्तीकी सडकोसे जो भी गुजर चुका है, इसकी तसदीक कर सकता है। ट्रान्सवालमे स्थायी रूपसे आबाद भारतीयको, जो अभी लौटा है, यहा पहुँचनेपर पता चलेगा कि वह न केवल ट्रामोके उपयोगसे वचित कर दिया गया है, बल्कि अपनी पसन्दकी किसी रेलगाडीसे यात्रा भी नही कर सकता, क्योकि रेल प्रशासनने भी रगदार लोगो द्वारा कुछ सावजनिक रेलगाडियोका उपयोग वर्जित कर दिया है। एक अन्य स्तम्भमे हम वह पत्र व्यवहार छाप रहे है जो कायवाहक मुख्य यातायात प्रबन्धक और ब्रिटिश भारतीय सघके अध्यक्षके बीच हुआ है।[3] इससे यह मालम होता है कि रेल प्रशासनने स्टेशन-मास्टरोको सूचना दे दी है कि वे जोहानिसबग और प्रिटोरियाके बीच चलनेवाली कुछ रेल-गाडियोमे भारतीयो तथा दूसरे रगदार लोगोको बैठनेकी इजाजत न दे। श्री अब्दुल गनीने रेलवे प्रशासनको इसके सम्बन्धमे कडा विरोधपत्र भेजा हे और हम केवल आशा कर सकते है कि भारतीयोको अपमानित करनेका यह बिलकुल नया तरीका खत्म कर दिया जायेगा। किन्तु इसमे सवाल सिफ व्यापारियोकी बेइज्जतीका ही नही है, उनकी असुविधा और हानिका भी है।

१ १८४२–४४।

२ देखिए 'पत्र टाउन क्लार्कको' पृष्ठ १९४–५।

३ देखिए पत्र कार्यवाहक मुख्य यातायात प्रबन्धकको' पृष्ठ १९९।

इस तरह वण-द्वेषने एक नया रूप ले लिया है, अर्थात अब सामाजिक अपमानके साथ-साथ भारतीयोकी आर्थिक क्षति भी होने लगी है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २४–२–१९०६

२१७ प्रतिबन्धकी लहर

ऐसा जान पडता है कि दुनिया-भरमे विभिन्न राज्य प्रतिब धकी नीतिका अनुसरण कर रहे है। तीस साल पहले, अमेरिकी प्रजात त्रके तत्कालीन राष्टपतिने[1] यह सिद्धा त निश्चित किया था कि हर आदमीका अमेरिकामे स्वागत है और वह उसकी धरतीपर पग रखते ही उसका नागरिक हो जाता है। आज अमेरिका दूसरी ही नीतिपर चल रहा है। इग्लैड तक ने विदेशियोके आगमनपर प्रतिब ध लगाना जरूरी समझा हे और हमने दैनिक समाचारपत्रोमे प्रकाशित समुद्री तारोमे पढा है कि कुछ दिन पहले रूसियोके अत्याचारोसे भाग कर आये हुए कुछ यहूदियोको इग्लैडमे प्रविष्ट नही होने दिया गया। इनमे से एक यहूदीने कहा "मै रूस लौटनेकी अपेक्षा आत्महत्या कर लेना अधिक पस द करता हूँ। इस स्थितिसे बचनेके लिए ही मैने अपना सब धन खच कर दिया है।" तारीख १३ के 'नेटाल गवनमेंट गजट' मे जमन दक्षिण पश्चिम आफ्रिकी सरक्षित राज्यके एक आज्ञापत्रका अनुवाद छपा है। इसके अनुसार यदि दूसरी बातोके साथ, प्रवेशार्थी रगदार जातिका है तो "जमन दक्षिण पश्चिम आफ्रिकी सरक्षित राज्यमे उसका प्रवेश उपयुक्त अधिकारियो द्वारा वर्जित किया जा सकता है।" उसमे और भी सामा य निपेधात्मक धाराएँ है। इस प्रकार समस्त आफ्रिकामे, किसी न-किसी रूपमे, रग-भेदकी समस्या गम्भीर रूप लेती जा रही है। इस सम्ब धमे यहा एक बात स्मरण करना उपयोगी होगा। कुछ समय पहले, जमन सम्राट्ने ही यह विचार प्रचारित किया था कि जापानकी विजयमे पीतवणकी प्रभुत्व-वद्धिके प्रयत्न बीज रूपमे छिपे है। यद्यपि यूरोपके कुछ हिस्सोमे अभीतक इस विचारको मान्यता प्राप्त है फिर भी सामान्य धारणा यह है कि जमन सम्राटका यह कथन अविवेकपूण था और इस प्रकारका कोई भय है ही नही। इसके साथ ही अगर यूरोपके बडे-बडे राष्ट्रो द्वारा रग भेदका युद्ध चलाया जायेगा तो यह कहना असम्भव है कि जापान अपने नागरिकोका खुल्लमखुल्ला अपमान होता देख कर भी सदा मौन बठा रहेगा। यूरोपके लिए यह बात तक विरुद्ध होगी कि वह एक ओर जापानको प्रथम कोटिकी शक्ति मानता रहे और दूसरी ओर उसके अधिवासियोके साथ ऐसा व्यवहार करे, मानो वे असभ्य हो।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २४–२–१९०६

१ यूलीसिस सिमोर ग्राट (१८२२–८५), सयुक्त राज्य अमेरिकाके १८ वे राष्ट्पति (१८६९–७७) थे। माच ३० १८७० को सविधानका १५ वाँ सशोधन हुआ। इसके द्वारा व्यवस्था की गई कि जाति, रग अथवा पूर्व दासताके कारण किसीको मताधिकारसे वंचित नही किया जा सकता।

२१८ अनुमतिपत्रका काठ[१]

ट्रान्सवालम प्रवेशके अनुमतिपत्र प्राप्त करनेमे गरीब शरणार्थियोके रास्तेमे जो कठिनाइया उपस्थित की जाती है, उनके बारेमे हम इतना सुनते और पढते है कि हमने अगले हफ्तेसे उपयुक्त शीषकसे एक नया स्तम्भ आरम्भ करनेका निश्चय किया है। हम इसमें उन सब ब्रिटिश भारतीय शरणार्थियोकी नामावली छापेंगे जिनको आवेदनपत्र भेजे दो माससे अधिक हो जानेपर भी अभी-तक अनुपतिपत्र नही दिये गये है। यह बात नही है कि हम ऐसे आवेदनपत्रोपर विचार करनेके लिए दो मासका समय उचित समझते है, लेकिन चूकि हमारे सुननेमे आता है कि बहुतसे आवेदन-पत्रोको छ माससे ज्यादा समय हो गया है, इसलिए हमने अपेक्षाकृत बडी बुराईको चुनने और प्रकाशित करनेका निश्चय किया है। तुलनात्मक दष्टिसे दो मास पुराने आवेदनपत्र, फिलहाल, सामान्य समझे जा सकते है, किन्तु उनसे पुराने आवेदनपत्रोके विषयमे यह कहनेमे हमे हिचकिचाहट नही है कि उनकी मुद्दत ही शरणार्थियोके हितोके प्रति अधिकारियोकी घोर उदासीनता प्रकट करती है। इसलिए जो लोग ट्रान्सवालके अनुमतिपत्र-अधिकारियोकी सनकोसे परेशान ह उन सबसे हमारा निवेदन है कि वे हमे अपने नाम, पते और आवेदनपत्रोकी तिथिया भेजकर अपनी मदद स्वय करे। हम यह नही कहते कि ये सब लोग प्रामाणिक शरणार्थी है, पर हम यह अवश्य कहते है कि इन सबको एक निश्चित और स्पष्ट उत्तर पानेका हक है, जिससे उन्हे अनिश्चितताकी अवस्थामे न रहना पडे। हमे मालूम हुआ है कि कुछ ऐसे लोग भी ह जिनके पास पुरानी डच सरकार द्वारा जारी किये गये पजीकरण प्रमाणपत्र है। उनको आज अपने अपनाये मुल्कसे देश निकाला मिला हुआ है। लॉड सेल्बोनने दो वादे किये है। उन्होने एक वादा गोरे समाजसे यह किया है कि कोई गैर शरणार्थी भारतीय ट्रान्सवालमे न बसने दिया जायेगा और इसका पालन धर्माचारकी भाति किया जा रहा है। परमश्रेष्ठने दूसरा वादा भारतीय समाजसे किया है और वह है कि शरणार्थियोके सब आवेदनपत्रोपर अत्यन्त शीघ्रतासे विचार किया जायेगा और उनको देशमे प्रवेश करनेकी पूरी सुविधाएँ प्रदान की जायेगी। हमे जो जानकारी प्राप्त है, वह यदि सही है तो उनका पिछला वादा अभी पूरा होना शेष है। हमे आशा है कि हमारे पाठक एक ऐसी स्थितिको, जो असह्य हो गई है, सुलझानेमे हमारी मदद करेगे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २४–२–१९०६

२१९ लदनकी मैट्रिक परीक्षामे तमिल[२]

इस उपनिवेशके तमिल अधिवासियोने लन्दन विश्वविद्यालयको इस आशयका प्राथनापत्र भेजा था कि विश्वविद्यालयकी मट्रिक परीक्षाके वकल्पिक विषयोमें तमिलको भी एक विदेशी भाषाके रूपमे मान्य किया जाये। हमे उसका उत्तर लन्दन विश्वविद्यालयके वैदेशिक पीठ-स्थविर (रजिस्ट्रार) के सचिवसे प्राप्त हो गया है। यद्यपि इस विषयमे सयुक्त परिषदे प्रमुख सभा

१ ब्रिटेन, फ्रास चीन और अमेरिकामें उन्नीसवीं शताब्दीमें प्रचलित विशिष्ट अपराधियोको दण्ड देनेका उपकरण, जो अग्रेजीमें "पिलरी" कहा जाता है। इसमें बन्द अपराधीके सिर और हाथ छेदोसे बाहर निकाल दिये जाते थे ताकि आम लोग उसको देखें और उसका उपहास करें।

२ खण्ड ४, पृष्ठ ४४३ भी देखिए।

(सिनेट)से कोई सिफारिश नही कर पाई ह तथापि हमारा यह विचार है कि इस कारणसे मामलेको यही छोड देनेकी आवश्यकता नही है। लदन विश्वविद्यालय जसी पुरानी सस्थाओसे कोई परिवतन कराना बहुत कठिन है, किन्तु यदि ससार भरका तमिल समाज अपने प्रयत्नको दढतापूवक जारी रखेगा, तो हमे सदेह नही कि तमिल भाषा, जिसमे भव्य साहित्य है और जो भारतकी इटालियन है, लदनकी मटिक परीक्षाके पाठयक्रममे शामिल कर ली जायेगी। हम विश्व विद्यालयसे प्राप्त उत्तर दूसरे स्तम्भमे छाप रहे है।[1]

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २४–२–१९०६

२२० पत्र दादाभाई नौरोजीको

ब्रिटिश भारतीय सघ

२५ व २६ कोट चेम्बस
रिसिक स्ट्रीट
जोहानिसबग
फरवरी २६, १९०६

सेवामे
माननीय दादाभाई नौरोजी
२२ कैनिगटन रोड
लन्दन

प्रिय महोदय,

म ट्रान्सवाल और आरेज रिवर कालोनीमे भारतीयोकी स्थितिका परिचय देनेवाला एक विवरण[2] साथ भेज रहा हूँ।

मेरा खयाल है कि एक सयुक्त शिष्टमण्डलको इस स्थितिके बारेमे नये मन्त्रियोसे[3] भेट करनी चाहिए।

आपका विश्वासपात्र,
मो० क० गाधी

नत्थी–१

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो नकल (जी० एन० २२७०) से।

१ यह यहाँ नहा दिया जा रहा है।

२ देखिए "दक्षिण आफ्रिकामें ब्रिटिश भारतीय", पृष्ठ २०७–८।

३ जॉन मॉर्ले और लॉर्ड एल्गिन।

२२१ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी[1]

फरवरी २६, १९०६

ट्रामका मुकदमा

आजकल जोहानिसबगमे भारतीयोके बीच ट्रामकी चर्चा चल रही है। फोर्ड्सबगमे बहुत से भारतीय रहते है, और फोड्सबगसे मार्केट स्क्वेयर तक बिजलीकी ट्राम चलती है। इसलिए लोग सहज ही सवाल पूछते है कि भारतीय ट्राममे क्यो नही बैठ सकते। और काले लोगोको टामसे दूर रखना अधिकारियोको भी मुश्किल जान पड रहा है। जोहानिसबगकी परिषदने जो विचार किये थे वे ठडे पड गये है। और 'काले लोग इस ट्राममे बैठ सकते है', इस आशयकी तख्तिया लगी हुई ट्रामे चलाई जा रही है। एक ओर गोरे यह जताते है कि उन्हे भारतीयोके साथ बैठनेमे आपत्ति है और दूसरी ओर उक्त तख्तियोवाली ट्रामोमे काले लोगोके साथ बहुतेरे गोरे भी बैठते दिखाई देते है। इस सम्बन्धमे श्री कुवाडियाके नामसे एक परीक्षात्मक मुकदमा चलानेकी तजवीज हो रही है। श्री कुवाडिया परीक्षात्मक मुकदमा बनानेके विचारसे श्री मैकिनटायरके साथ बिना तख्तीवाली ट्राममे बैठने गये थे। उन्हे एक ट्राममे बैठने दिया गया। दूसरी ट्राममे बैठते समय कडक्टरने कहा कि अगर वे श्री मैकिनटायरके नौकर है, तो बैठ सकते है, लेकिन यदि एक साधारण नागरिकके नाते बैठना हो, तो बैठनेकी इजाजत नही मिलेगी। इस विषयपर अखबारोमे भी चर्चा चल रही है। 'स्टार' अखबारमे श्री दारूवालाने जो लेख लिखा था, उसके विरुद्ध एक गोरेने कडा लेख लिखा। श्री दारूवालाने उसका माकूल जवाब दिया है। और दूसरे दो गोरोने भी लिखा है। उनमे से एकने विरोधमे और दूसरेने पक्षमे लिखा है।

ट्रान्सवालके लिए उत्तरदायी शासन

ट्रासवालको जल्दी ही उत्तरदायी शासन प्राप्त हो जायेगा। इसके कारण अग्रेज गोरोमे खलबली मच रही है, क्योकि, डर यह है कि, उत्तरदायी शासनाधिकार मिलनेसे डच लोगोका बल बढेगा, और इसके कारण खानवालोको धक्का पहुँचेगा। इसके बावजूद सारे जोहानिसबगमे सब कही इमारते बाधनेके काम हो रहे है। इससे पता चलता है कि यहाके लोगोने अभी हार नही मानी है, बल्कि आशा लगाये है कि सम्पन्नता आयेगी। व्यापार बिलकुल मन्द है, वह और भी मन्द होगा। पहले वतनी लोग और डच लोग हर शनिवारको रुपये पैसेका भारी लेनदेन करते थे। डच लोग तो कगाल बन गये है, और वतनी भी पहले जितने खुले हाथो पैसा खच करते थे, उतना अब नही करते।

लॉर्ड सेल्बोर्नको निवेदनपत्र

ब्रिटिश भारतीय सघने लाड सेल्बोनको अनुमतिपत्रो, ट्रामो और रेलगाडियोके विषयमे लिखा है। लाड सेल्बोनने उसका जवाब अपने हस्ताक्षरोसे निजी तौरपर दिया है। उन्होने लिखा है कि वे इन तीनो मामलोकी पूरी जाच करेगे और फिर पत्र लिखेगे। इससे यह आशा की जा सकती है कि लॉड सेल्बोन कुछ-न कुछ सुनवाई जरूर करेगे।

१ ये सवादपत्र "जोहानिसबर्ग सवाददाता द्वारा प्रेषित" रूपमें **इडियन ओपिनियनमे** समय समयपर प्रकाशित किये जाते थे।

मलय बस्ती

मलायी बस्तीकी स्थिति बहुत शमनाक हो गई है। गन्दगी खूब रहती है। धनका झूठा लोभ करके एक ही कोठरीमें बहुत से लोग भरे रहते है। पाखानो तथा अहातोमें बडी बदबू रहती है। ऐसी हालतमें अगर लम्बे समय तक बारिश होती रहे, तो प्लेग शुरू हुए बिना रह नही सकता। यह जरूरी है कि समझदार लोग इसपर अच्छी तरह विचार करे। यह काफी नही है कि वे अपने-अपने मकान साफ रखे, बल्कि उन्हे दूसरोको भी वैसा करनेके लिए समझाना चाहिए। अगर ऐसा न हुआ तो हम भारतीय बस्ती तो खो ही बैठे है, मलायी बस्ती भी हमारे हाथसे निकल जायेगी। यही नही, बल्कि तेरह मील दूर क्लिपस्प्रूटमे रहने जाना पडेगा। यह अपेक्षा नही रखनी चाहिए कि अधिकारीगण खास तौरपर मेहनत करके सफाई रखवाया करेंगे। उनका स्वाथ तो इस बातमे है कि हमारे घर किसी तरह अधिक गन्दे रहे, क्योकि मकान गन्दे होगे तो वे हमपर गन्दगीका आरोप लगाकर हमे हटा सकते है।

जोहानिसबर्गमे नई मस्जिद

जोहानिसबगमे इधर कई सालोसे भारतीय मुसलमानोकी एक ही मस्जिद थी, लेकिन अब सूरतके खोजा लोगोने एक बडी निधि इकट्ठा करके अपनी बस्तीमे एक जमीन खरीदी है और उसपर नई मस्जिद बनानेकी तैयारिया हो रही है।

ट्राम गाड़ियाँ

डॉक्टर क्राउज यहाकी नगर परिषदके सदस्य है। उन्होने अपने मतदाताओसे भेटके समय कहा है कि उनका बस चले तो वे भारतीयोको और काले लोगोको ट्राममे बैठने न दे, लेकिन कानूनन वे उन्हे रोक नही सकते। इसलिए वे स्वय विरोध करनेमे असमथ है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ३–३–१९०६

२२२. अभिनन्दन-पत्र[१] अब्दुल कादिरको

डबन

[फरवरी २८, १९०६]

आप भारत जा रहे है। आपने नेटाल भारतीय काग्रेसके अध्यक्ष रहते हुए भारतीय समाजकी जो सेवाएँ की है उनको अकित किये बिना ही इस अवसरको निकल जाने देना हम नेटाल भारतीय काग्रेसके सदस्योके लिए सम्भव नही है।

आप एक ऐसे अध्यक्षके बाद पदासीन हुए थे, जिन्होने अपनी कमठतासे काग्रेसका बहुत काय किया था। और हमे यह कहनेमे कोई सकोच नही है कि आप उस उत्तराधिकारको निभानेमे योग्य सिद्ध हुए। काग्रेसकी आर्थिक स्थिति आज सुदृढ है। उसे ऐसा बनानेमे आपने थोडा योगदान नही किया है। आपके अध्यक्ष कालमे हमने अनेक राजनीतिक लडाइया लडी

१ यह अभिनन्दनपत्र एक रजत मजूषामें रखा गया था और इसे नेटाल भारतीय काग्रेसकी एक बैठकमें आदमजी मियाँखाँने पढ़ा था। बैठक पद विरत होनेवाले अध्यक्षके भारत जानेके अवसरपर उनका विदाई सत्कार करनेके लिए आयोजित की गई थी। इसी तरहका अभिनन्दनपत्र उन्हे डर्बनके हायर ग्रेड भारतीय स्कूलकी ओरसे भी दिया गया था।

है। और तमाम सकटोमे हमने आपको सदा एक तत्पर नेता पाया है। आपने काग्रेसकी बैठकोकी अध्यक्षता सदैव कुशलता और दूरदर्शितासे की है। और जब जब धनकी माग हुई समाजके नेताकी हैसियतसे आपने सदा अपना योग दिया है।

अब आप अपने सु-अर्जित विश्रामका उपभोग करनेके लिए भारत जा रहे है। इसलिए हम कामना करते है कि हम सबकी जन्मभूमिमे आपका और आपके आत्मीयोका अल्पवास सुखमय तथा सफल हो। हम आशा करते है कि आप शीघ्र ही हमारे बीच लौटकर फिरसे अपने समाजके कल्याणके काय उठा लेगे।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३-३-१९०६

२२३ भाषण अब्दुल कादिरकी विदाईपर

श्री अब्दुल कादिरको मानपत्र भेंट करनेके बाद गाधीजीने जो भाषण दिया उसका विवरण नीचे दिया जा रहा है

डबन
[फरवरी २८, १९०६]

श्री मो० क० गाधीने सभामे पहले अग्रेजीमे और फिर गुजरातीमे भाषण दिया। उन्होने कहा कि श्री अब्दुल कादिर एक ऐसे पुरुष है, जिन्होने नेटालके भारतीय समाजकी बहुत सेवा की है। उन्होने राजनीतिक मामलोमे जो हिस्सा लिया है उसका ज्ञान कदाचित आज शामकी इस सभामे उपस्थित अनेक सज्जनोकी अपेक्षा मुझे अधिक है। उनसे पूव काग्रेसकी अध्यक्षताका भार जिन्हे उठाना पडा वे योग्य और समथ व्यक्ति थे, जिन्होने समाजके लिए उत्तम काम किया था, और उनका अनुसरण करना कोई सरल काम नही था। परन्तु मुझे यह कहते हुए बिलकुल सकोच नही कि यह उत्तरदायित्व योग्य व्यक्तिके कधोपर पडा। काग्रेसकी आर्थिक स्थिति दृढ करनेके लिए श्री अब्दुल कादिरने बहुत परिश्रम किया, और यह अधिकतर उनकी कोशिशोका ही फल है कि हमे इतनी सफलता प्राप्त हुई है।

श्री गाधीको इस सिलसिलेमे एक घटना याद आई। जब श्री अब्दुल कादिर और काग्रेसके अन्य सदस्य चन्दा इकट्ठा कर रहे थे, वे टोगाट गये। वहा उनके एक देशवासीने चन्दा देनेमे आनाकानी की। परन्तु श्री अब्दुल कादिर हार माननेवाले नही थे। इसलिए सुबह तक वे और उनके साथी वही डटे रहे। रातको भूमिपर बिछे हुए टाटपर सोये। सबेरे जब "शत्रु" ने "हार" मान ली, उन्हे अपने धैयका फल मिल गया[1]।

ऐसा है हमारे अतिथिका चरित्र। जब कभी कोई काम आ पडा, श्री अब्दुल कादिर अपना समय और ध्यान देनेके लिए तत्पर मिले। श्री गाधीने कामना की कि श्री अब्दुल कादिर और उनके परिवारकी भारत-यात्रा आनन्दमयी हो और वे कुशलतापूवक लौटे।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३-३-१९०६

१ देखिए, खण्ड ३, पृष्ठ १०६।

२२४ राजवंशके सदस्योंका आगमन

हम महाविभव ड्यूक ऑफ कनाट, उनकी पत्नी और राजकुमारी पैट्रीशियाका हार्दिक स्वागत करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि राज कुटुम्बके तीन सदस्य विदेशोंमें हैं — दो तो महामहिम सम्राटके उपनिवेशोंमें गये हैं और तीसरे एक ऐसे देशमें जो इंग्लैंडका मित्र है। इंग्लैंडके भावी राजा और रानी भारतमें भ्रमण कर रहे हैं और अपने दयालु तथा मधुर स्वभावसे भारतीयोंके प्रेम भाजन बन रहे हैं। राजकुमार ऑर्थर जापान और ब्रिटेनके बीच मित्रताका सम्बन्ध दृढ़ कर रहे हैं। और हमारे राजकीय मेहमान, अपने सामान्य चातुर्यसे दक्षिण आफ्रिकियोंके प्रिय बनते जा रहे हैं। राज कुटुम्बके तीन सदस्योंको लगभग एक ही समय इंग्लैंडसे बाहर जानेकी आज्ञा देकर महामहिम सम्राट और साम्राज्ञीने यह प्रकट कर दिया है कि जिस साम्राज्यपर वे इतनी योग्यतासे शासन करते हैं उसके कुशल क्षेमका उनको कितना ध्यान है। यह साम्राज्यके उज्ज्वल भविष्यका एक सुखद लक्षण है कि स्वर्गीया महारानी विक्टोरियाके उत्कृष्ट गुण उनके बच्चोंमें आ गये हैं। हम सर्वशक्तिमान प्रभुसे, जो हम सबका पिता है, प्रार्थना करते हैं कि वह उनको दीर्घायु करे, ताकि वे साम्राज्यकी परम्पराओंका पालन करते रहें।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३–३–१९०६

२२५ भारतीय और उत्तरदायी शासन[1]

ट्रान्सवालको पूर्णतम और अत्यन्त व्यापक रूपका उत्तरदायी शासन दिया जायेगा, इसलिए ट्रान्सवालकी खानों और खेतोंमें चीनी मजदूरोंको कामकी अनुमति देने या न देनेका निर्णय करने और उद्योगपर सामान्य तौरपर नियन्त्रण रखनेका अधिकार विवादसे परे है, लेकिन यह निहायत जरूरी है कि वर्तमान अध्यादेश उसको विरासतमें न मिले। नये विधानमें ऐसी निर्योग्यता रखना अनुपयुक्त और असम्मानजनक होगा जिससे यह ध्वनि निकलती जान पड़े कि हम मानते हैं, ट्रान्सवाल हमारी अधिकार कल्पनाके विपरीत कार्य करेगा। किन्तु हर एक स्वयंशासित उपनिवेशके संविधानमें रक्षित सत्ताके अनुसार गवर्नरको यह हिदायत करनेका प्रस्ताव किया गया है कि बाहरसे लाये गये श्रमिकोंके बारेमें जो भी कानून बनाये जायें, वे साम्राज्यीय संसदमें विचार तथा स्वीकृतिके लिए सुरक्षित रखे जाने चाहिए। वर्तमान अध्यादेशसे मिलते जुलते कानूनका निषेध किया जा सकता है, यद्यपि हम कल्पना नहीं करते कि ऐसी विशेष स्थिति उत्पन्न होगी।

ये बातें श्री एस्क्विथने चीनी विवादके अवसरपर कहीं। उनसे भारतीय प्रश्नसे मिलते जुलते एक प्रश्नके बारेमें इंग्लैंडकी सरकारकी स्थिति संक्षेपमें स्पष्ट हो जाती है। चीनी श्रमिक अध्यादेश साम्राज्यकी परम्पराओंके प्रतिकूल है, और ऐसे ही भारतीय विरोधी कानून भी हैं। फर्क केवल यह है कि भारतीय विरोधी कानून अधिक आपत्तिजनक है और उसको रद करना अपेक्षाकृत

१ यह इंडिया के अप्रैल ६, १९०६ के अंकमें भी प्रकाशित हुआ था।

सरल भी है, क्योकि यह डच सरकारकी देन है परन्तु चीनी श्रमिक अध्यादेश पिछली सरकार की रचना है। फिर भी उदारदलीय कोषमन्त्रीको यह कहनेमे हिचकिचाहट नही हुई कि यह नेटालकी शीघ्र स्थापित होनेवाली उत्तरदायी सरकारको विरासतके रूपमे नही सौपा जाना चाहिए। तब, यदि ट्रासवालको "एक पूर्णतम और अत्यन्त व्यापकरूपका उत्तरदायी शासन" देना ही है, तो जहातक एशियाई विरोधी कानूनका सम्बन्ध है, उसके सम्मुख बिलकुल कोरा क्षेत्र उपस्थित किया जाना चाहिए। जैसा कि दो साल पहले सर विलियम वेडरबनने श्री चेम्बरलेनसे अत्यन्त स्पष्ट रूपसे कहा था, सम्राट्की सरकारका कर्तव्य डच सरकारके उन सब कानूनोको खत्म कर देना है जिनसे युद्धकी उत्तेजना प्राप्त हुई थी। फिर यह ट्रान्सवालके लोगोपर छोड देना चाहिए कि वे ब्रिटिश सरकारके विचारार्थ, जैसा पसन्द करे, वैसा कानून पेश करे। अगर यह सुझाव मजूर नही किया जाता, तो फिर भारतीय स्थितिकी रक्षाका दूसरा एक यही उपाय रह जाता है कि निषेधाधिकारकी सामान्य धाराके साथ ही नये सविधानमे एक रक्षात्मक धारा जोड दी जाये। श्री एस्क्विथके शब्दोमे ऐसा करना अनुपयुक्त और असम्मानजनक होगा, क्योकि इससे टान्सवालके विरुद्ध इस आरोपका आभास मिलेगा कि वह साम्राज्यकी "अधिकार-कल्पना" के "विपरीत कार्य" करना चाहता है। अगर इस सवालपर साम्राज्य सरकार निहस्तक्षेपकी नीतिका अनुसरण करना चाहती है और उत्तरदायी शासनकी स्थापनासे पूर्व भारतीय विरोधी कानून वापस नही लिया जाता है तो उत्तरदायी सरकार उस कानूनको मिटानेसे इनकार करनेकी पूर्ण अधिकारी होगी, जिसको सम्राटकी सरकारने छूनेका भी साहस नही किया।

पुनरावृत्तिका खतरा होनेपर भी भारतीय स्थितिपर विचार कर लेना ज्यादा अच्छा होगा। १८८५ के कानून ३ और सिर्फ एशियाइयोके लिए बनाये गये अन्य कानूनो और उपनियमोको रद कर देनेकी माग भारतीय हमेशा करते आये है। किन्तु उनकी इस मागके साथ इस शतकी जोरदार घोषणा भी जुडी रहती है कि वे देशमे, जैसा कि कहा जाता है, भारतीयोको भर देना नही चाहते और न गोरोका व्यापार, विशेषत काफिरोके साथ चालू व्यापार, ही हथियाना चाहते है। उन्होने अपने लिए केवल उचित क्षेत्र मागा है, कोई रियायत नही। अपनी सचाई प्रमाणित करनेके लिए उन्होने सामान्य ढगके प्रतिबन्धात्मक कानूनका सिद्धान्त भी स्वीकार कर लिया है। केप या नेटालमे जिस ढगका प्रवासी-प्रतिबन्धक कानून है, उस ढगके कानूनसे नये लोगोके प्रवेशका सवाल पूर्ण रूपसे हल हो जायेगा, बशर्ते कि उसमे प्रमुख भारतीय भाषाओको मान्यता दी गई हो और वर्तमान व्यवसायोको चलानेके लिए जितने लोगोकी आवश्यकता हो, उतने लोग देशमे लानेकी छूट रहे। जहातक व्यापारकी बात है, भारतीयोका सुझाव है कि व्यापारके नये अनुमतिपत्र देनेका नियन्त्रण स्थानीय निकायोके हाथमे रहे और उनके निर्णयोपर सर्वोच्च न्यायालयको पुनर्विचार करनेका अधिकार हो। अधिकसे अधिक इस सीमा तक न्यायोचित रूपसे प्रतिबन्ध लगाये जा सकते है। एशियाई विरोधी आन्दोलनके मूलमे व्यापारिक ईर्ष्या और भारतीय आक्रमणका हौआ ही है। यदि ये दो "खतरे" दूर कर दिये जाये तो भारतीयोकी स्वतन्त्रताको और भी कम करने अथवा उनको "अनावश्यक रूपसे अपमानित करनेका" कोई औचित्य नही रह सकता। भारतीयोको भूसम्पत्ति खरीदने अथवा स्वतन्त्रतापूर्वक चलने फिरनेसे वचित रखना या उनके साथ प्राचीन गुलामोकी तरहका सलूक जारी रखना निश्चय ही अग्रेजोकी उचित-अनुचितकी कल्पनासे असगत होगा।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३-३-१९०६

२२६ केपके भारतीय व्यापारी

हमारे केपके सवाददाताने केपके छोटे भारतीय दूकानदारोकी कुछ आलोचना की थी। उसपर हमने अपने विचार कुछ समय पूर्व इन स्तभोमें प्रकाशित किये थे। हमारे इन विचारोके उत्तरमे उक्त सवाददाताने हमे एक पत्र भेजा है। इसको हम सहर्ष छाप रहे है। निश्चय ही हमारा यह खयाल है कि सर जेम्स हुलेटकी[1] गवाही केपपर भी उसी प्रकार लागू है जिस प्रकार नेटालपर। भारतीय वहा भी वैसे ही है जसे नेटालमे। और यदि उनके व्यापारसे नेटालको आम तौरपर लाभ हुआ है तो केपमे भी, जहा आर्थिक स्थितिया उसी प्रकार ह, उनसे लाभ हुए बिना नही रह सकता। किन्तु खास मुद्दा, जिसकी ओर हमने निरतर ध्यान दिलाया है, यह है कि निदको द्वारा भारतीय व्यापारियोपर लगाये गये बहुत से आरोप सत्य सिद्ध नही किये जा सकते है। हमने दक्षिण आफ्रिका अथवा उसके किसी भी हिस्सेमे भारतीयो अथवा दूसरे व्यापारियोको भर देनेकी नीतिका समर्थन कभी नही किया है, किन्तु हमारा यह विश्वास अवश्य है कि यह मसला प्रतिबन्धात्मक कानूनोके बिना भी तय किया जा सकता है। अगर हमारे सवाददाता केप कालोनीके विभिन्न जिलोके यूरोपीय और भारतीय व्यापारियोका तुलनात्मक विवरण तैयार कर सके तो इससे निश्चय ही सवालका हल करनेमे मदद मिलेगी। हमारे पास जो जानकारी है, उससे तो हमारा खयाल यही होता है कि केपमे भारतीय व्यापारी बहुत अल्पमतमे है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३–३–१९०६

२२७ मध्य दक्षिण आफ्रिकी रेल-प्रणालीमें[2] भारतीय यात्री

एक सवाददाताने हमारे गुजराती स्तभोमें लिखा है कि पिछली २६ फरवरीकी शामको जोहानिसबगसे डबनको जो गाडी रवाना हुई, उसके दूसरे दर्जेके एक डिब्बेमे उसने सात भारतीय यात्री बैठे देखे। उनमे एक भारतीय महिला भी थी। वह आगे कहता है कि उसमे आठवा यात्री जर्मिस्टनमे आ गया, जिससे दूसरे यात्रियोको बडी तकलीफ हुई। रातको यात्रामे दूसरे दर्जेके एक सामान्य डिब्बेमे मुश्किलसे छ यात्री समा सकते है। हम समझते है, यात्रियोको लम्बी यात्राओमे रातकी गाडियोमे सोनेकी जगह लेनेका हक होता है। हमारे सवाददाताने यह नही लिखा कि उसने जिसका उल्लेख किया है उस अवसरपर गाडीमे असाधारण भीड थी। किन्तु जो भी हो, इतने यात्रियोको, जबकि उनमे से एक नारी थी, पशुओकी तरह भर देनेके औचित्य-पर हम सन्देह किये बिना नही रह सकते। ऐसे मामलोमे भारतीय महिलाको भी हक है कि उसका कुछ विशेष ध्यान रखा जाये। भारतीयलोगोको वह स्थान पानेका अधिकार है, जिसके

१ देखिए खण्ड ४, पृष्ठ २६८।

२ सी० एस० ए० आर० या सेंट्रल साउथ आफ्रिकन रेलवे।

लिए वे पैसा देते हैं। उनको नाम भरके लिए दूसरे या पहले दर्जेकी सुविधाएँ देना और वस्तुतः उनसे वंचित रखना हास्यास्पद होगा। हम रेलवे अधिकारियोंका ध्यान अपने संवाददाता द्वारा की गई शिकायतकी ओर आकर्षित करते हैं और हमें इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वे, ऐसी शिकायतें भविष्यमें न हों, इसके लिए जरूरी कदम उठायेंगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३–३–१९०६

२२८ मिडिलबर्गसे गुजरनेवाले भारतीयोंको सूचना

सुननेमें आया है कि मिडिलबर्ग स्टेशनसे गुजरनेवाले भारतीयोंका परवाना हमेशा देखा जाता है। साधारणतया ट्रान्सवालकी सरहदपर बसे हुए स्टेशनोंके सिवा और कहीं ऐसा नहीं होता, सिर्फ मिडिलबर्गमें ही इस तरहकी कार्यवाही होती पाई जाती है। इस विषयमें मिडिलबर्गके हमारे पाठक अधिक जानकारी भेजेंगे, तो हम उसे छापेंगे। इस बीच मिडिलबर्ग जानेवाले मुसाफिरोंको ऊपर दी हुई हकीकत ध्यानमें रखनी चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३–३–१९०६

२२९ जोहानिसबर्ग की चिट्ठी

मार्च ३, १९०६

ट्रामका मुकदमा

इस पत्रके छपनेसे पहले बहुत करके ट्रामके परीक्षात्मक मुकदमेका[1] फैसला हो चुका होगा। कई कठिनाइयोंके बाद धर्मके वकीलने श्री कुवाडियाका हलफनामा मंजूर करके जिस ट्रामवालेने उन्हें बैठनेसे रोका था उसके नाम सम्मन जारी किया है। यह मामला ७ मार्चको चलनेवाला है। इस बीच अखबारोंमें ट्रामपर विवाद चल रहा है। एक गोरेने श्री दारूवालाको एक उद्धत पत्र लिखकर यह जताया है कि गोरे ट्राममें काले लोगोंको कभी अपने साथ नहीं बैठने देंगे। दूसरे कुछ लोगोंने लिखा है कि अगर काले लोगोंको ट्राममें बैठने दिया गया, तो यह माना जायेगा कि उन्हें गोरोंकी बराबरीका दर्जा दिया गया है। इसलिए उन्हें कभी बैठने नहीं देना चाहिए। इस तरह दो-चार मुफ्तखोर अखबारोंमें लिखते रहते हैं। इस बीच खास काले लोगोंके लिए चलनेवाली ट्रामगाड़ीमें गोरे बिना किसी दुरावके बैठते हैं। ऐसे शहरकी बलिहारी!

चीनी मजदूर

इस समय सब लोगोंके मनमें यह सवाल चल रहा है कि चीनी लोगोंको निकाल देंगे या रखेंगे। विलायतके तारसे पता चलता है कि जिसे पसन्द न हो, उस चीनीको सरकारने

१ देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ २१५–६।

वापस भेजनेका हुक्म दिया है। इस परिस्थितिके कारण खानोके मालिक घबरा गये है और उन्होने अपनी थैलियोके मुह सिकोड लिये ह। इससे व्यापार भी मन्द हो गया है। इसके साथ ही नेटालके काफिरोकी बगावतका असर यहाके काफिरोपर पडा हे। इससे किसी भी तरफ सहूलियत[१] नही रही।

उपनिवेश सचिवकी सेवामे शिष्टमण्डल

भारतीयोके अनुमतिपत्रोके बारेमे एक शिष्टमण्डल उपनिवेश सचिवके पास जानेवाला है। धारणा है कि कुछ राहत तो मिलेगी ही। सम्भव हे कि अनुमतिपत्र वगरह देनेके लिए कोई अधिकारी एक बार जाहानिसबग आयेगा।

एशियाइयोके सरक्षक श्री चमने आ पहुचे है, ओर उन्होने अपना पद सँभाल लिया ह।

लेफ्टिनेट गवनरने मलायी बस्तीके बारेमे शिष्टमण्डलसे मिलना स्वीकार किया है। कुछ दिनोमे मिलेगे।

लॉर्ड सेल्बोर्न

लाड सेल्बोन मसेरूसे वापस लौट आये है। उनसे मिलनेके लिए मसेरूमे लगभग २०,००० बसूटो काफिर इकट्ठे हुए थे। ये काफिर बहुत होशियार है। इनकी अपनी ससद है, जो 'पीटसो' कहलाती है। पीटसोका शीघ्रलिपिक (शाटहैड रिपोटर) एक बसूटो है। लाड सेल्बोनने जो भाषण किया था, उसका विवरण उस काफिर लिपिकने तैयार किया था।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १०-३-१९०६

२३० पत्र छगनलाल गाधीको

जोहानिसबग
रविवार, [माच ४, १९०६]

चि० छगनलाल,

अपने कतव्यमे जरा भी मत चूकना। बहीखातोकी स्थिति ठीक रखनेकी पूरी जरूरत है। सिलक वगैरह निकलनी चाहिए। चिटठी पत्रमे श्री बीनकी मदद लो। गुजरातीमे हेमचदको लगा दो। हेमचदको डबनमे रखना बिलकुल जरूरी नही है। कल्याणदासको अभी तुरन्त नही भेज सकता। ब्रायन गैब्रियल बहुत करके आयेगा। जो वसा हो जाये, ता ठीक है। हमे आद मियोकी कुछ कमी रहती है, वह मिटेगी। तुम्हारा बोझा किस तरह हलका किया जाये, सो तुम्ही अधिक जान सकोगे। डबन केवल एक ही दिन जाओ तो भी फिलहाल काफी है। मुरय काम वसूलीका है।

गुजराती सम्पादन जसा अग्रेजीमे है, वैसा रखना चाहिए। सम्पादकीय, अर्थात अग्रलेख, पहले, उसके बाद छोटी-छोटी सम्पादकीय टिप्पणिया। इसके बाद बडे विषयोके अनुवाद आदि। बादमे जोहानिसबगकी चिट्ठी और दूसरे पत्र और अन्तमे रायटरके तार।

१ वापारको पुनरुज्जीवित करनेके लिए। देखिए 'जोहानिसबर्गकी चिट्ठी', पृष्ठ २१५-६।

वतनियोका विद्रोह' शीषक लेख तुमने पहले दिया। वसा नही होना चाहिए था। क्योकि उसे खबरोके विभागमे आना चाहिए था। वतनियोके विद्रोहका सवाल मैने तुम्हे सौपा है, इसलिए म उसपर ध्यान नही देता। किन्तु तुम्हे उसके सम्बन्धमे पूरा अध्ययन करना चाहिए। यदि तुम उसे टाक लिया करो तो गुरुवारकी ताजीसे ताजी खबरोका एक स्तम्भ या उससे अधिक दे सकते हो। उपयुक्त नियमके अनुसार इस बार अग्रलेख "नेटाल भारतीय काग्रेस" है।

अन्तमे हमे गुजरातीकी अनुक्रमणिका देनी है।

हाजी सुलेमान शाह मुहम्मदका विज्ञापन हमे नही मिलेगा, इसलिए उसे निकाल देना। श्री गुलका आधा कर देना। उन्होने आजिजीसे इसके लिए कहा है। उनकी स्थिति अभी अच्छी नही है। मुझे ऐसा दीखता है कि अब केप टाउनके बहुत से विज्ञापन निकल जायेगे। किन्तु उससे मै तनिक भी नही घबराता। दूसरे मिलेगे। मै अपना प्रयास जारी ही रखता हूँ।

श्री आइजक इस महीनेमे वहा आ पहुँचेगे। उनके लिए मेज कुर्सी अपने कार्यालयमे रखना।

मोहनदास के आशीर्वाद

[पुनश्च]

श्री अ० कादिरके भाषणका अनुवाद तुम करोगे, ऐसा मानकर मैने नही किया। तुम कर लेना।

मूल गुजराती प्रतिकी फोटो नकल (एस० एन० ४३१४) से।

२३१ पत्र छगनलाल गाधीको

जोहानिसबर्ग
मार्च ५, १९०६

चि० छगनलाल,

कल्याणदासके नाम तुम्हारा पत्र मैने पढ लिया है। मुझे मालूम हुआ है कि आर० पीरखा नही चाहते कि अब बहुत समय बीत जानेकी वजहसे कोई भी आडर पूरा किया जाये। मुझे सूचित करो कि ट्रान्सवालके किन किन आडरोको अभीतक पूरा नही किया गया। मुझे यह भी बताओ कि किन आडरोकी दरोमे, बाहर करवानेके कारण, हेर फेर करना पडेगा और इन दरोका अन्तर क्या होगा।

कुमारी नायफ्लीस कल शाम मुझसे मिली। उन्होने मुझसे कहा कि उन्हे पिछले अको समेत पहले हफ्तेका 'इडियन ओपिनियन' का अक मिल चुका है और अब कोई अक नही मिल रहा है। तुम्हे याद होगा, मने एक भारतीय उपाहारगृहके मालिकका आडर तुम्हे भेजा था। उसी सम्बन्धमे एक तार किया है। मैने तुमसे कहा था, आज या आजके पहले उसका इश्तहार उसे मिल जायेगा, ऐसा मैने उससे वादा किया है। इसलिए उसने आज आकर पूछ ताछ की। जब मै फीनिक्समे था तब तुमने इसकी चर्चा नही की और दफ्तरके नाम तुम्हारी कोई चिटठी भी मैने नही देखी। मेरा खयाल है, मैने अपने पत्रमे तुम्हे लिखा था कि अगर तुम वक्तपर वह काम न कर पाओ तो उसे लेना ही नही चाहिए। यदि तुमने अबतक तार न दे दिया हो तो सूचित करो कि क्या किया जाये। आज मै एक नाटकका इश्तहार भेजूगा। मण्डली खेल अगले बुधवारको करेगी। स्वाभाविक है कि इश्तहार और कायक्रम उसे इसके पहले मिल जाये। इसलिए अगर यह

काम लेना असम्भव हो तो काम शुरू करनेके पहले मुझे तार कर देना। एक बार वचन देनेपर उन्हे पूरा करना मै बहुत ही जरूरी मानता हूँ।

मोहनदासके आशीर्वाद

श्री छगनलाल खुशालचन्द गाधी
मारफत 'इडियन ओपिनियन'
फीनिक्स

मूल अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४३१५) से।

२३२. पत्र छगनलाल गाधीको

जोहानिसबग
माच, ५, १९०६

चि० छगनलाल,

श्री गुल लिखते ह कि वे केप टाउनके ग्राहको ओर विज्ञापनदाताओकी सूचीका इन्तजार कर रहे है। आशा करता हूँ कि यदि अबतक न भेजी गई हो तो तुम उसे तत्काल रवाना कर दोगे।

दादा उस्मान तुमसे इग्लैड, भारत और दक्षिण आफ्रिकाके प्रमुख समाचारपत्रोके नाम मागेगे। तुम हेमचन्दसे कह सकते हो, हम जिन पत्रोको 'इडियन ओपिनियन' भेजते ह उनकी सूची बना दे। श्री दादा उस्मानको वह सूची दे देना।

छपाईका फुटकर काम लेते वक्त इस बातका बहुत खयाल रखना है कि नकद पैसा मिले बिना अजनबियोके आडर स्वीकार न किये जाये। इनकार करनेमे हिचकनेकी जरूरत नही है। उधारखाता काम सिफ ऐसे आसूदा और नियमित ग्राहकोका ही लिया जाये जो पत्रके मददगार भी हो। इस मामलेमे दुविधाका काम नही है।

देखता हूँ, श्री उमरका डेलागोआ-बेके बारेमे लिखा गया लेख प्रकाशित नही हुआ। वह इस हफ्ते प्रकाशित होगा, ऐसा मानकर चलता हूँ। कल उनका लिखा हुआ दूसरा लेख भी मैने भेजा था। वह अगले हफ्तेके लिए सुरक्षित रखा जाये, यह तो साफ ही है।

अब्दुल कादिरवाली बठकके[1] विवरणकी सूचना तुमने घोषित नही की और इस हफ्तेके अकमे भाषणका[2] अनुवाद दिया जायेगा। भरोसा है कि तुम यह कर रहे हो।

मोहनदासके आशीर्वाद

श्री छगनलाल खुशालचन्द गाधी
मारफत 'इडियन ओपिनियन'
फीनिक्स

मूल अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४३१६) से।

१ और २ देखिए क्रमश "भाषण अब्दुल कादिरकी विदाईपर" और "अभिनन्दन पत्र अब्दुल कादिरको" पृष्ठ २१६-७।

Side elevation as it will appear
when complete with additional Room as
Suggested
Proposed additional Room
Existing Room
Kitchen
A
A
B

घरका नक्शा

२३३. पत्र ए० जे० बीनको

जोहानिसबग
मार्च ५, १९०६

प्रिय श्री बीन,

मेरा खयाल है ब्रायन गैब्रियल महीनेके अन्त तक कामपर आ जायेंगे। उन्होंने साथका नक्शा[1] मेरे पास भेजा है। वे जिस घरमें आचड थे उसमें, इसके मुताबिक परिवर्तन कराना चाहते हैं। कृपया आप इन्हें समझकर मुझे लिखिए कि इन परिवर्तनोंमें कितना खर्च आयेगा। मेहरबानी करके मुझे सूचित करें कि क्या उस घरमें स्नानघर, पाखाना और टंकी है। क्या मकानकी दीवारें पक्की हैं? मैं जानबूझकर यह काम आपके सुपुर्द इसलिए कर रहा हूँ कि छगनलालपर और बोझ न पड़े, उसे कामके अधिक होनेकी शिकायत है। अगर मुमकिन हो तो वापसी डाकसे इसका जवाब दें। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे पत्रपर[2] विचार कर रहे हैं और उसका अनुकूल उत्तर मुझे देंगे।

कूनेकी किताब[3] शनिवारको चली जानी थी। उसे अब आज भेजा जा रहा है।

आपका शुभचिन्तक,
मो० क० गांधी

श्री ए० जे० बीन
मारफत 'इंडियन ओपिनियन'
फीनिक्स

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४३१७) से।

१ बाँये पृष्ठपर उद्धृत।

२ यह उपलब्ध नहीं है।

३ लुई कूने कृत द न्यु साइंस ऑफ हीलिंग ऑर द डॉक्ट्रीन ऑफ द वननेस ऑफ ऑल डिज़ीज़ेस (नवीन चिकित्सा शास्त्र अथवा समस्त रोगोंकी एकताका सिद्धान्त)।

२३४ पत्र ए० जे० बीनको

जोहानिसबर्ग
मार्च ७, १९०६

प्रिय श्री बीन,

श्री मनरिंगके बारेमें आपका पत्र मिला। मुझे अफसोस है कि वे अपने साथ हुई बातचीतकी वजहसे अपनी स्थिति अनिश्चित समझ रहे हैं। जब मैं वहाँ गया तब मेरा इरादा उनसे बातें कर लेनेका था, किन्तु समय नहीं मिला और मैं बातें नहीं कर सका। मने सभी लोगोंसे जो कुछ कहा था, वह म सोचता रहा हूँ। परिस्थिति ऐसी थी कि मैं उस समय पिल्ले या और किसीके बारेमें बात कर रहा था। निःसन्देह मैंने यह कहा था कि कोई सिखाता है या और कुछ करता है, इस कारण उसे ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जैसे ही वह काम उसने पूरा किया कि उसे जाना पड़ेगा, प्रेसके लोगोंमें से हरएक, जबतक छापाखाना सचमुच निठल्ला नहीं हो जाता, अपनेको पूरी तरहसे सुरक्षित समझ सकता है। मैं यह नहीं जानता कि तब श्री मैनरिंग वेतनके आधारपर वहाँ थे या योजनाके अंग थे। जब श्री मैनरिंगने योजनाको छोड़ दिया और फिर बादमें लौटे तब उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। म सोचता हूँ, जब वे लिये गये मैंने छगनलालसे कहा — वह पत्र[1] उसके पास होगा — कि अब अगर श्री मनरिंगको कामपर लें तो मासिक आधारपर। मेरा कहना ठीक न हो, किन्तु ऐसा मुझे ध्यान है। किसी भी हालतमें मेरा इरादा लोगोंको ऐसा आश्वासन देनेका हरगिज नहीं था कि जो योजकोंमें नहीं हैं वे सारी परिस्थितियोंमें अपनेको सुरक्षित मान सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता था कि किसीके स्थानपर दूसरेको कर देनेका अर्थ उसे निकाल बाहर करना बिलकुल नहीं है। उस रायपर मैं अब भी कायम हूँ। मैं नहीं जानता, श्री मैनरिंग क्या करनेकी बात सोच रहे हैं। मेरी हद तक, मैं पूरी तरह रजामंद हूँ कि वे ३ पौंड मासिकपर बने रहें कमसे कम इस वर्षके अन्त तक। मुझे मालूम है, आप चाहते हैं कि उन्हें इससे अधिक मिले, और अगर योजक सहमत हों तो मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है। और यदि योजक इस बातको मंजूर करें तो आप मान सकते हैं कि मैं इस पत्रसे बँधा हुआ हूँ और श्री मैनरिंग निश्चित रहें कि मेरी व्यक्तिगत राय चाहे जिस तरह बदल जाये, वे अपने आपको कमसे-कम इस वर्षके अन्त तक बहाल समझें। मैं श्री मैनरिंगको इस विषयमें अलगसे लिख रहा हूँ।[2]

आपका शुभचिन्तक,
मो० क० गांधी

श्री ए० जे० बीन
मारफत 'इंडियन ओपिनियन'
फीनिक्स

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४३१८) से।

१ यह पत्र उपलब्ध नहीं है।
२ यह उपलब्ध नहीं है।

२३५ पत्र छगनलाल गांधीको

जोहानिसबर्ग
मार्च ९, १९०६

चि० छगनलाल

तुमने मुझसे उन लोगोंके नामोंकी सूची मांगी है जिन्होंने श्री नाजरकी जायदादका पैसा अदा नहीं किया है। क्या तुमने सारे मामलेकी सूची नहीं बनाई थी? १५ पौंड ५ शिलिंगका मतलब मेरी समझमें नहीं आया। मुझे कुछ ऐसा ध्यान है कि तुमने मुझसे कहा था कि सारे बिल तुमने काट दिये हैं। यदि सूची तुम्हारे पास नहीं है तो मैं भेज दूंगा, मगर यह नहीं कह सकूंगा कि पैसा किसने दिया है, किसने नहीं। बेशक थानू महाराजसे तुम्हें लेना है। भट्ट और सुभाबको परेशान मत करना, किन्तु कमसे कम वह मुनाफा तो उन्हें दिया ही जायेगा। मियांखांसे तुम्हें ले लेना है। कागज वापस कर रहा हूँ।

आज गुजरातीमें तुम्हारा जो पत्र मिला उसमें तुमने जिस पत्र व्यवहारकी चर्चा की है वह नहीं मिला। अभी अभी वह मिल गया।[1]

मैं उस्मान आमदको लिखूंगा।

निःसन्देह हम 'इस्लाम गजट' से उद्धरण लेना नहीं चाहते।

नाटकवालोंका काम तुम कर सकोगे तुम्हारा ऐसा तार मिल गया। तुम न करते तो भी मुझे पूरा सन्तोष रहता। मैं चाहता यह हूँ कि तुम इस बातके प्रति सावधान रहो कि वचन देनेपर पूरा किया जाये। मैं यहांसे बिना यह जाने कि तुम कर सकोगे या नहीं, काम भेज दे सकता हूँ, मगर यदि तुम उसे न कर पाओ तो तुम्हें हमेशा उसे न करनेका अधिकार है।

अगर उस्मान आमदसे तुम्हें सन्तोष नहीं मिलता तो तुम्हें काम स्वीकार करनेसे इनकार कर देना चाहिए। यह परिस्थिति उन्हें बिलकुल साफ साफ समझा देनी चाहिए कि हमें बाहरसे कराये गये कामका नकद चुकाना करना पड़ता है। डर कर हम कुछ भी न करें। हम सिर्फ उचित ढंग अपनाये रह कर ही लोगोंको सन्तोष देना चाहते हैं और उस मर्यादामें रहकर यदि कोई सन्तुष्ट नहीं हो पाता तो दोष हमारा नहीं है। इसलिए हमको इतना ही करना है कि दूसरोंके खयालसे असुविधाएँ स्वीकार करें, सदा शिष्ट रहें और जहां आवश्यक हो कष्ट उठायें। इससे अधिक कुछ करणीय नहीं है।

मुझे अभीतक कुवाडिया और पटेलके पत्र नहीं मिले हैं। वे जब मिलेंगे तब उन्हें नामँजूर कर दूंगा, किन्तु उनके जवाबमें एक टिप्पणी तुम्हें भेज दूंगा।

कांग्रेस या ब्रिटिश भारतीय संघसे उन्हें निःशुल्क भेजी जानेवाली प्रतियोंका खर्च न हम ले सकते हैं, न लेना चाहते हैं।

मगनलालका तार नहीं आया, यह परेशानीकी बात है।

हम अभी तो श्री दाउद मुहम्मदका चित्र नहीं देना चाहते। मगर अब्दुल कादिरका दे देना चाहिए — भले ही अगले सप्ताहमें दें।

१ यह वाक्य गांधीजीके स्वाक्षरोंमें है।

उपाहार गृहके विज्ञापनके सिवाय तुमने उसके नाम कोई बिल मुझे नही भेजा है। मैंने तुम्हे बिल भेजनेको भी लिखा था। मेहरबानी करके भेजो। जब कोई काम करो तो उसका बिल भेजनेकी खबरदारी भी रखनी चाहिए। काम देते ही मुझे नकद पैसे मिलनेवाले थे। तुम्हारे पाससे बिल ही न आये तो नकद पैसे कैसे ले सकता हूँ [?]

मोहनदासके आशीर्वाद

सलग्न[1]

श्री छगनलाल खुशालचन्द गाधी
मारफत **'इडियन ओपिनियन'**,
फीनिक्स

गाधीजीके हस्ताक्षर-युक्त टाइप की हुई मूल अग्रेजी प्रतिकी फोटो नकल (एस० एन० ४३२१) से।

२३६ पत्र छगनलाल गाधीको

जोहानिसबर्ग
मार्च ९, १९०६

चि० छगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। श्री बीनके विषयमे म समझ गया हूँ। तुमने सैमको पत्र नही दिया, यह ठीक किया है। ऐसे विषयोमे मै हमेशा तुम्हारे विचार जानना चाहता हूँ। श्री बीन अत्याग्रह करे यह मै नही चाहता हूँ। मैंने अतिम पत्र[2] कल ही लिखा है। उसके बाद और नही लिखूगा। श्री किचिनको भी औपचारिक रूपसे ही लिखा है।[3] उनके लिए मुझे जरा दु ख होता है। क्योकि, उनके कहनेके मुताबिक, उन्हे अपनी सब व्यवस्था उलट देनी पडेगी। उन्होने बहुत खर्च किया है। मेरे मनमे यह बात थी कि वे फीनिक्ससे नही जायेगे। इसलिए यदि वे रहे तो ठीक -- ऐसा मनमे होता रहता है। फिर भी उनको दुराग्रहपूर्वक रखनेका इरादा नही है। तुम अब श्री बीनको अधिक समझाना छोड दोगे, यह ठीक है। मै अपनी जो भावनाएँ व्यक्त करता हूँ उनमे से जितना योग्य जान पडे उतनेपर ही अमल करना चाहिए। यह समझ कर ही मै अत्यन्त स्वतत्रतापूर्वक, मेरे मनमे जैसे विचार आते है वैसे व्यक्त करता हूँ।

सारे बहीखाते तुम्ही रखते हो, इसलिए इसका कामपर क्या असर हुआ है। बहीखाते तुरन्त तैयार हो जाये, ऐसा चाहता हूँ।

ब्रायन गैब्रियल इस महीनेके अतमे वहा आयेगे वे ऐसा लिखते है।

चि० कल्याणदासको अभी वहा भेज सकना मुश्किल दिखता है। मुझपर बहुत बोझ रहता है और उसे भेज देनेसे बहुत ही बढ जाना सम्भव है। इसके सिवाय वह खुद भी

१ यह उपलब्ध नही है।
२ और ३ ये पत्र उपलब्ध नही है।

वहा प्रफुल्लित रहेगा या नही, इसमे भी शका है। फिर भी यदि बने तो जाडेके दिनोमे भेजूगा, वह भी थोडी मुद्दतके लिए।

'ओपिनियन' की फाइल भेजना। श्री आइज़कका उपयोग ख़ूब करना।

मोहनदासके आशीर्वाद

[पुनश्च]

चिट्ठियाँ मिल गई है। उनमे से कुछ छापने योग्य नही है। दोनो पटेलोको नीचेके अनुसार लिख देना। "आपका पत्र मिला। ऐसी सामग्री बहुत आती है। उसे 'ओपिनियन' मे छापनेकी जरूरत नही जान पडती। उससे एक दूसरेके विरोधमे लिखा पढी चलती है और क्लेश बढता है। 'ओपिनियन' मुख्यत राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नोकी चर्चासे सम्बन्धित पत्र है। इसलिए ज्यादा धम सम्बधी विषय दाखिल करना अनुचित मालूम होता है।" उन्हे ऐसा पत्र बालाबाला लिख देना। इस बाबत उन्हे अखबारमे जवाब देना जरूरी नही है। उस्मान आमदको लिखना कि मैने सीधे उन्हे पत्र लिखा है।

साथमे नया नाम है। उसका पैसा नही आया।

मोहनदास

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रतिकी फोटो नकल (एस० एन० ४३२०) से।

२३७ पत्र उपनिवेश-सचिवको

[डबन
माच १०, १९०६ से पहले]

सेवामे
उपनिवेश-सचिव
मैरित्सबग

महोदय,

नेटाल भारतीय काग्रेसकी समितिको गत मासकी २७ तारीखके 'नेटाल गवनमेंट गजट' मे प्रकाशित उस सरकारी सूचना सख्या १५० को पढकर बहुत व्यथा और चिन्ता हुई है जिसके अनुसार १९०६ के कानून ३ द्वारा सशोधित १९०३ के प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम सख्या ३० के अन्तगत जारी पासो और प्रमाणपत्रोके सम्बन्धमे विभिन्न शुल्क लगाये गये ह।

हमारी समिति सूचनामे दी गई शुल्क सूचीके विरुद्ध सादर, किन्तु तीव्र विरोध प्रकट करती है।

निवेदन है कि यह शुल्क उन ब्रिटिश भारतीयोपर करके समान है जिनको इस उपनिवेशमे रहने या इसमे होकर गुजरनेका अधिकार है।

सुविदित है कि यह कानून पूरी तरहसे नही तो बहुत-कुछ ब्रिटिश भारतीयोके विरुद्ध लागू किया गया है। उसके अन्तगत विभिन्न पास और प्रमाणपत्र देनेमे उन लोगोके हितका उतना खयाल नही रखा जाता जो उसकी धाराओसे प्रभावित होते है, बल्कि उन्हीका ज्यादा खयाल रखा जाता है जिनको उनका अमलमे लाया जाना अभीष्ट है।

हमारी समिति अत्यन्त आदरपूवक यह विचार व्यक्त करती है कि जो शुल्क लागू करने ह, वे बहुत ज्यादा ह।

हमारी समिति सरकारको इस तथ्यका स्मरण दिलाती है कि परम माननीय स्वर्गीय हैरी एस्कम्बके जीवन कालमे अभ्यागत पासोपर एक पौड शुल्क लगानेका प्रयत्न किया गया था। इसपर उस शुल्कको लागू करनेके विरुद्ध आपत्ति करते हुए एक आदरपूण आवेदनपत्र भेजा गया और उन महानुभावने शुल्क लगानेके सम्बधमे निकाली गई सूचना तुरत वापस ले ली।

उस समय अधिवास प्रमाणपत्र एक पौडी शुल्कसे मुक्त था।

इसके अतिरिक्त हमारी समिति आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर भी आर्कषित करती है कि जो ब्रिटिश भारतीय समुद्र तटसे दूरस्थ उपनिवेशोमे रहते है उनको नेटालमे से गुजरनेके विशिष्ट अधिकारके लिए १ पौड शुल्क दिये बिना कमसे-कम इस उपनिवेशमे से गुजरनेका हक है।

दर असल, स्वाथकी दृष्टिसे भी, इस तथ्यको ध्यानमे रखते हुए, कि ऐसे भारतीयोसे नेटालकी सरकारी रेलवेको कुछ निश्चित आमदनी होती है, सरकारको कोई निषेधक शुल्क न लगाना चाहिए।

सन १९०६ के कानून ३ मे १ पौडका शुल्क उचित समझा गया है। मेरी समिति निवेदन करती है कि अभ्यागत पास, नौकारोहण पास या अधिवास प्रमाणपत्रका १ पौड शुल्क कभी उचित नही माना जा सकता। और, यदि किसी अधिवासी ब्रिटिश भारतीयकी पत्नीको उपनिवेशमे रहने या प्रवेश करनेका अधिकार है, और यदि शिक्षा सम्बधी परीक्षामे उत्तीण भारतीय भी उपनिवेशमे अधिकारसे प्रवेश कर सकता है तो, मेरी समितिकी विनीत सम्मतिमे, यह कठोर ही नही, बल्कि अपमानजनक भी प्रतीत होता हे कि अधिवासी भारतीयकी पत्नीको या शिक्षित भारतीयको इसलिए ५ शिलिग देना पडे — जो आखिरकार कर ही है — कि उसे कानूनके अथके अतगत निषिद्ध प्रवासी न माना जाये।

हमारी समिति निकासी-पास (ट्रान्जिट पास) का अथ नही समझती।

हमारी समितिका विश्वास हे कि सरकार सूचनाको वापस लेनेकी और अबतक लागू शुल्कको चालू रहने देनेकी कृपा करेगी।

हमारी समिति आशा करती है कि चूकि यह मामला आवश्यक है, आप इसपर जल्दी ध्यान देगे।

आपके आज्ञाकारी सेवक,
ओ० एच० ए० जौहरी
एम० सी० आगलिया
सयुक्त अवतनिक मन्त्री, ने० भा० का०

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १०–३–१९०६

२३८ "एशियाइयोकी बाढ़"

दक्षिण आफ्रिकाके सहयोगी व्यापार मण्डलोकी काग्रेस पिछले हफ्ते डबनमे हुई थी। उसने फिर भारतीयोके बारेमे एक प्रस्ताव पास किया है। प्रिटोरियाके श्री ई० एफ० बोकने यह प्रस्ताव किया था

> **दक्षिण आफ्रिकी व्यापार-मण्डलोकी यह काग्रेस सम्पूण दक्षिण आफ्रिकाके व्यापारपर एशियाइयोकी निरन्तर बाढके प्रभावको, जो अधिकाधिक हानिकर होता जा रहा है, भयके साथ देखती है और विश्वास प्रकट करना चाहती है कि दक्षिण आफ्रिकाकी गोरी आबादीके हितोके रक्षार्थ इस सम्ब धमे यथासम्भव यूनतम समयके भीतर विविध सरकारोकी सगठित कारवाई अत्य त आवश्यक है।**

श्री जी० मिचलने प्रस्ताव किया कि "निर तर" शब्द निकाल दिया जाये और प्रस्ताव इस सशोधनके साथ पास हो गया। सहयोगी व्यापार मडलोकी काग्रेस जैसी महत्वपूण सस्था द्वारा पास किये हुए इस प्रकारके प्रस्तावका वजन होना ही चाहिए, और आशका है कि तथ्योकी दष्टिसे बिलकुल निराधार होते हुए भी प्रस्तावका उपयोग दक्षिण आफ्रिकाके व्यापार मण्डलोकी ओरसे प्रकट की गई प्रामाणिक सम्मतिके रूपमे किया जायेगा।

अगर प्रस्तावपर शातिके साथ विचार किया जाये तो जान पडेगा कि एशियाइयोकी बाढसे सम्पूण दक्षिण आफ्रिकाके व्यापारपर हानिकारक प्रभाव नही पड सकता, क्योकि भारतीय प्रवासी चाहे कितने ही गरीब हो, आखिर उपभोक्ता तो होगे ही। किन्तु हमारे खयालसे प्रस्ताव निर्माता यह कहना चाहते होगे कि भारतीयोकी बाढके कारण भारतीय व्यापारियोकी सरया बढी है और उसका ऐसा प्रभाव पडा है। यद्यपि भारतीयोकी बाढ और भारतीय व्यापार, दोनो सवालोपर इन स्तम्भोमे कई बार पूरी तरह विचार किया जा चुका है, फिर भी हम यह दिखानेके लिए इनपर पुन विचार करना चाहते है कि वास्तविक स्थितिके सम्बन्धमे वक्ताओकी जानकारी कितनी कम थी। जहातक केप कालोनी और नेटालका सम्बन्ध है, और जसा प्रवास-कार्यालयके रोजाना कागजातसे मालम पडता है, भारतीय प्रवासियोपर बडी प्रभावपूण रोक है और प्रतिबन्धोको लागू करनेका तरीका दिन ब दिन अधिकाधिक कष्टप्रद बनाया जा रहा है। प्रोफेसर परमान दके पत्रसे, जिसे हम दूसरे स्तम्भमे छाप रहे है पता चलेगा कि प्रवासी-अधिकारी व्यक्तिका कोई लिहाज नही करते। विद्वान प्रोफेसरको, जिनका नाम और यश उनसे पहले ही यहा पहुँच चुका था, एलिजाबेथ बन्दरगाहमे, धरतीपर पग रखनेकी इजाजत देनेसे पहले शिक्षा-सम्बन्धी कसौटीसे गुजरनेके लिए मजबूर किया गया। क्या इससे भी ज्यादा सख्ती सम्भव है?

आरेज रिवर कालोनी तो इस नाप जोखमे कही आती ही नही, क्योकि किसीने कभी यह नही कहा कि वहा कोई उल्लेखनीय भारतीय आबादी या भारतीय व्यापार है। फिर भी हम देखते ह कि प्रस्ताव सारे दक्षिण आफ्रिकापर लागू किया गया है।

ट्रान्सवालके सम्ब धमें तो लॉड सेल्बोन तथा दूसरे सरकारी अधिकारियोने कई बार स्पष्ट शब्दोमे कहा है कि किसी भी गैर शरणार्थी ब्रिटिश भारतीयको ट्रान्सवालमे प्रवेश करनेकी अनुमति नही दी जा रही है। हमारा "अनुमतिपत्रका काठ"[1] स्तम्भ यह प्रमाणित करेगा।

१ देखिए "अनुमतिपत्रका काठ, पृष्ठ २१३।

एक वक्ताने कहा कि परामशदाता मण्डलोकी नियुक्ति प्रवासियोकी बाढ जारी होनेका प्रमाण है। क्या हम उन्हे बताये कि ये मण्डल इसलिए नही स्थापित किये गये है कि प्रवासियोकी बाढ जारी है बल्कि उस आन्दोलनके उत्तरमे स्थापित किये गये है जो ट्रान्सवालके कुछ स्वार्थी दलोने खडा किया था। और इसमे भारतीय शरणार्थियोकी भावनाओ और सुविधाओकी पूणत उपेक्षा की गई। ये मण्डल उससे अधिक प्रभावकारी ढगसे काम नही कर सके जितने प्रभावकारी ढगसे अबतक अनुमतिपत्र-अधिकारियोन किया है। उसी वक्ताने यह भी कहा कि "वह इस बातका प्रमाण दे सकता है कि कुछ एशियाई गैर-काननी रूपसे आ रहे ह, यह बात सरकार पहलेसे ही जानती थी।" यह वक्तव्य या तो सत्य है या असत्य। अगर यह सत्य है तो सरकारके प्रति, और भारतीय जनताके प्रति भी, वक्ताका कत्तव्य है कि वह नामोके साथ विस्तत जानकारी दे। अगर यह असत्य है तो उसे एक सम्मानित व्यक्तिकी तरह इसको वापस ले लेना चाहिए। इस प्रकारके गम्भीर वक्तव्योका, जिनका समथन करनेके लिए कोई तथ्य न हो, और जो सयक्त व्यापार सघकी काग्रस जैसी सावजनिक सस्थाके सामने रखे गये हो, खण्डन करना आवश्यक है, और हम जोरोके साथ कहना चाहते ह कि टान्सवालमे भारतीयोकी कोई ऐसी गर कानूनी बाढ नही आई है, जिसका उल्लेख वक्ताने किया है। हम यहा जनताका ध्यान इस तथ्यकी ओर खीचना चाहते ह कि जोहानिसबगके ब्रिटिश भारतीय सघने इस विषयमे सावजनिक जाचकी माग की थी। किन्तु वह सरकारने इस कारण मजूर नही की कि सरकारको पूण विश्वास था कि भारतीयोकी ऐसी कोई बाढ नही आई। जहाँतक नेटालमे भारतीय व्यापारमे कथित वद्धिकी बात है, भारतीय परवानोपर अत्यन्त प्रभावकारी एव अत्याचारमूलक रोक लगी हुई है। जसा कि काग्रेसके सदस्योको अवश्य ज्ञात होगा, नेटाल विक्रेता परवाना अधिनियमके अन्तगत प्रत्येक भारतीय परवाना-अधिकारीकी दयापर निभर है। उन्हे यह भी मालूम होगा कि दो सम्मानित भारतीयोके[1], जो बहुत पुराने व्यापारी ह, परवाने मनमाने तौरपर छीन लिए गए ह, यद्यपि वस्तुस्थिति यह है कि व्यवसायमे यरोपीयोसे उनकी कोई प्रतिद्वन्द्विता नही थी।

टान्सवालमे भी स्थिति इससे अच्छी नही है, फिर इसका कारण यही क्यो न हो कि ट्रान्सवालमे भारतीयोकी आबादी इतनी ज्यादा नही है जितनी नेटालमे है, और उस उपनिवेशमे शरणार्थियोको भी प्रवेश करनेमें कठिनाईका अनुभव होता है। साथ ही, हमे यह स्वीकार करनेमे कोई बाधा नही कि परीक्षात्मक मकदमेमे, सर्वोच्च न्यायालयने जो निणय दिया हे उससे भी एक हद तक — यद्यपि किसी उल्लेखनीय सख्यामे नही — भारतीय परवानोमे वद्धि हुई है। किन्तु भारतीयोने कहा है कि १८८५ के कानून ३ तथा सम्पूण वर्गीय काननोको रद कर दिया जाये तो वे नये व्यापारिक परवानोका नियन्त्रण नगरपालिकाओको दे देनेका सिद्धान्त मान लेगे। इसमे उन्होने बहुत बडे सयमका परिचय दिया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उक्त प्रस्तावकी बहसमे जिन आठ वक्ताओके भाग लेनेकी खबर है, उनम केवल दो केप टाउनके थे और भारतीय व्यापार यूरोपीय व्यापारपर कोई प्रभाव डाल रहा है यह सिद्ध करनेके लिए उन्होने कोई तथ्य या आकडे प्रस्तुत नही किये प्रतीत होते। इस तरह हर दष्टिसे जाच करनेपर प्रस्ताव बिलकुल अनावश्यक है, और निश्चय ही वह तथ्योपर आधारित नही है। इसका एक ही उपाय है और वह ट्रान्सवालके लोगोके पास है, किन्तु उन्होने अभीतक तो उसको माननेसे इनकार ही किया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आठ वक्ताओम से पाच ट्रान्सवालके थे और

१ दादा उस्मान और हुडामल, देखिए क्रमश खण्ड ३, पृष्ठ १८, और खण्ड ४, पृष्ठ ३८५-८६।

यह बात स्पष्ट है कि यह प्रस्ताव — जैसा कि उसमे कहा गया है — सामान्यत दक्षिण आफ्रिकाके हितमे नही, वरन केवल ट्रान्सवालके हितमे पास किया गया है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०–३–१९०६

२३९ एक अन्तर

हम सहयोगी व्यापार मण्डलोकी काग्रेसकी कारवाईपर अपने विचार प्रकट करते हुए प्रोफेसर परमानन्दकी उन कठिनाइयोकी ओर ध्यान आकर्षित कर चुके है, जो केप कालोनीमे से गुजरते हुए, उनके सामने आई थी।[1] जैसा कि विदित होगा, उनको ईस्ट लन्दनमे उतरनेकी अनुमति देनेके पूर्व परीक्षा लेकर नाहक ही अपमानित किया गया।

हम एक दूसरे स्तम्भमे श्री उमर हाजी आमद जौहरीका एक पत्र[2] छाप रहे है। उससे पता चलता है कि अत्यन्त प्रतिष्ठित भारतीयोको भी दक्षिण आफ्रिकामे कितना अपमान सहना पडता है। श्री जौहरी दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोके एक नेता है। वे नेटालकी प्रसिद्ध पेढी ई० अबूबकर आमद ऐंड ब्रदसका प्रतिनिधित्व करते है। वे एक सुसस्कृत भारतीय है और यूरोप तथा अमेरिकाकी यात्रा कर चुके है। किन्तु फोक्सरस्टके अनुमतिपत्र-अधिकारीके लिए इन बातोका कोई महत्व न था। उसने श्री जौहरीके अनुमतिपत्रकी जाच मात्रसे सन्तुष्ट न होकर गुस्ताखीसे उनको अपने रजिस्टरमे अँगूठेकी निशानी लगानेके लिए कहा। हम स्वीकार करते है कि हमे इस प्रकारकी कारवाईका कोई कारण दिखाई नही देता। श्री जौहरी उचित रूपसे यह पूछ सकते है कि किसी जुर्मका, सिवा इसके कि उनकी चमडीका रग भरा है, दोषी न होते हुए भी क्या उनके साथ अपराधीके समान व्यवहार किया जायेगा।

और अभी कुछ पहले जब एक जापानी प्रजाजनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया था तब दक्षिण आफ्रिकाके लोगोमे बहुत रोष फैला था। हमारे सहयोगी 'ट्रान्सवाल लीडर' ने, एक रोषपूर्ण सम्पादकीयमे श्री नोमूराको अनुमतिपत्र देनेमे विलम्ब करने और उनको अँगूठेकी निशानी देनेकी अपमानजनक प्रक्रियामे से गुजारनेपर अधिकारियोकी बडी लानत मलामत की थी और ट्रान्सवालके लोगोकी ओरसे उक्त सज्जनसे सार्वजनिक रूपसे क्षमा मागी थी।

हमारा विश्वास है कि श्री नोमूरा इस क्षमा-याचनाके अधिकारी थे। परन्तु हम जिन घटनाओकी ओर अब ध्यान आकर्षित कर रहे है, उनके प्रति और इस घटनाके प्रति जनताके रुखमे जो फर्क है उसको स्पष्ट किये बिना नही रह सकते। हमे भय है कि प्रोफेसर परमानन्द या श्री जौहरीके पक्षमे एक हल्की-सी आवाज भी न उठाई जायेगी। निष्कर्ष स्पष्ट है। श्री नोमूरा जिस राष्ट्रके है वह स्वतन्त्र है और ब्रिटेनका मित्र है। परन्तु प्रोफेसर परमानन्द और श्री जौहरी आखिर ब्रिटिश भारतीय ही है। किन्तु थोडासा विचार करनेसे प्रकट हो जायेगा कि ब्रिटिश प्रजाजन भी जनताकी कमसे कम उतनी ही परवाहके अधिकारी है। और, यदि जैसी नीतिकी ओर हमने ध्यान खीचा है वैसी ही पर अमल होता गया तो अन्तमे साम्राज्य छिन्न-भिन्न हुए बिना न रहेगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०–३–१९०६

१ देखिए पिछला शीर्षक।

२ यहाँ नही दिया जा रहा है।

२४० लज्जाजनक

पिछली २७ फरवरीके 'नेटाल गवनमेंट गजट' मे प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके अन्तगत एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है। कानूनसे प्रभावित लोगोको इसके सम्बन्धमे कई कागज पत्र लेने पडते ह। विज्ञप्तिके द्वारा इन कागज पत्रोको लेनेकी कई तरहकी फीसे लगा दी गई है। हम नाममात्रकी फीसकी कोई परवाह नही करते, यद्यपि ऐसी तुच्छ-सी फीस भी वसूल करनेकी वधतापर हमे सन्देह है। परन्तु उपयुक्त विज्ञप्ति तो नेटालके खाली खजानेको भरनेकी लज्जा जनक चेष्टा मात्र हे, और कुछ नही है। अधिवास (डोमीसाइल) प्रमाणपत्र, अभ्यागत (विजिटिग) पास या नौकारोहण (एम्बार्केशन) पास — हरएकका एक पौड देना होगा। शिक्षा सम्बन्धी परीक्षा पास करनेकी योग्यताका प्रमाणपत्र, पत्नीकी छूटका प्रमाणपत्र ओर निकासीका पास (इसका अथ जो भी हो) — इनमे से हरएककी फीस पाच शिलिग होगी। इस प्रकार यद्यपि कानूनकी रूसे कोई भारतीय नेटालमे प्रवेश करने या इस उपनिवेशमे रहनेका अधिकारी भले ही हो, किन्तु वह अबसे उसका मल्य दिये बिना ऐसा कर नही सकता।

१८९७ मे इस तरहका कर लगानेकी कोशिश की गई थी, परन्तु स्वर्गीय परममाननीय एच० एस्कम्बने[1] इसके विरुद्ध नेटाल भारतीय कांग्रेसका विरोध उचित समझकर उस करको तुरन्त वापस ले लिया था।

इस विज्ञप्तिके बनानेवालोको यह नही सूझा प्रतीत होता कि उनकी भारतीयोसे इतनी भारी फीसे ऐठनेकी कोशिशसे उपनिवेशका घाटा कम होना आवश्यक नही है। एक टान्सवाल-वासी भारतीय भारतको लौटना चाहता है। इसके लिए उसे केप, डबन या डेलागोआ बे से गुजरना ही पडेगा। सबसे ज्यादा लोग डबनके रास्तेसे जाते है। भारतीय मुसाफिरोका यातायात अच्छा खासा होता है। नेटाल सरकारको इस बातकी सावधानी बरतनी चाहिए कि वह कही भारतीयोसे एक पौड ज्यादा ऐठनेके प्रयत्नमे उस मुर्गीको न मार डाले जो नेटालसे गुजरनेवाले भारतीय यात्रियोके यातायातके रूपमे सोनेका अडा देती है। उसकी स्वाथ वत्तिसे हमारा इतना अनुरोध काफी है।

इन्साफकी दष्टिसे तो मामला सोलहो आने भारतीयोके पक्षमे है। प्रवासी-अधिनियम सभी लोगोपर एक सा लागू माना जाता है, फिर चाहे वे किसी देशके हो। परन्तु वस्तुत वह, एकमात्र नही तो मुख्यत, भारतीयोके विरुद्ध लागू किया जाता है। इसलिए विज्ञप्तिमे जिन फीसोको लगानेकी तजवीज है वे भारतीय समाजपर विशेष करके रूपमे है। हम इस आर्थिक परेशानीमे सरकारके साथ सहानुभूति प्रकट करते है। किन्तु उसने राज्यका खजाना भरनेका जो तरीका अपनाया है, उसका समथन नही कर सकते।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०–३–१९०६

१ सर हैरी एस्कम्ब (१८३८–९९), नेटालके सर्वोच्च न्यायालयके एक प्रमुख वकील, और बादमें महान्यायवादी। १८९७ में नेटालके प्रधानमंत्री थे।

२४१ व्यक्तिकर सम्बन्धी शिकायत

हमारे गुजराती स्तम्भोसे प्रकट होता है कि व्यक्तिकर देनेवाले भारतीयोको यूरोपीय एव भारतीय करदाताओके बीच कथित व्यवहार भेदके कारण बहुत खीज होती है। एक पीडित व्यक्ति कहता है

> **जब कोई यूरोपीय व्यक्तिकर देने जाता है, उसे पाच मिनट भी रुकना नही पडता। इसके विपरीत भारतीयको प्राय सारा दिन लगा देना पडता है, तब कही उससे करकी रकम ली जाती है और उसका काम निबटाया जाता है।**

अगर यह सच है कि जो भारतीय करदाता कर देना चाहते ह उनको कर अदा करने तथा उसकी रसीद पानेमे करीब करीब पूरा दिन बिताना पडता है तो सरकार द्वारा की गई व्यवस्थामे कोई जबरदस्त खराबी है और हम अधिकारियोका ध्यान इस शिकायतकी ओर आकर्षित करते है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १०–३–१९०६

२४२ जर्मन पूर्वी आफ्रिका जहाज प्रणालीके भारतीय यात्री

हमारे गुजराती स्तम्भो द्वारा एकाधिक सवाददाताओने उस असुविधाकी ओर ध्यान दिलाया है जो डबनकी पिछली यात्रामे 'सोमाली' जहाजके मुसाफिरोको हुई थी। उनमे से एक लिखता है

> **'सोमाली' जहाजके, जो २० जनवरीको रवाना हुआ, मुसाफिरोको भोजन बनाने वगरहकी अनेक कठिनाइयोका सामना करना पडा। जहाजके खलासी मुसाफिरोके आरामके बारेमे बिलकुल लापरवाह थे, और कप्तानसे शिकायते की जातीं तो वह सुनता ही नही था।**

हम जमन पूर्वी आफ्रिका जहाज प्रणालीके एजेटोका ध्यान उपयुक्त शिकायतोकी ओर आकर्षित करते है। अगर वे कोई खुलासा देना चाहे तो उसे छापनेमे हमे खुशी होगी। कुछ भी हो, हमे विश्वास है कि इसकी पूरी जाच की जायेगी, और इस तथ्यको देखते हुए कि भारतीयोसे इस जहाज प्रणालीको काफी मदद मिलती है स्वाथकी नीतिमे भी भारतीय यात्रियोका लिहाज करना जरूरी होगा।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १०–३–१९०६

२४३ नेटाल भारतीय कांग्रेस

नेटाल भारतीय कांग्रेसमे बहुत फेरफार हुए हैं। श्री अब्दुल कादिर आठ साल तक कांग्रेसका सभापति पद सँभालनेके बाद देशको विदा हो गये ह। उनकी मुरादे पूरी हो, और वे सही-सलामत वापस आये, यही हमारी कामना हे। भारतीयोने श्री अब्दुल कादिरका अच्छा सम्मान किया। वह उनके योग्य ही था। उनका सम्मान करके कौमने अपना मान बढाया हे। कई वक्ताओने श्री अब्दुल कादिरकी उदारतापर जोर दिया था और वह बिलकुल उचित था।[1] श्री अब्दुल कादिरने गम्भीरता और नम्रताके साथ कुर्सीकी प्रतिष्ठाका निर्वाह किया है। कांग्रेसको अच्छी बुनियादपर खडा करनेमे उनका पर्याप्त हाथ रहा है। इस सबके लिए उन सज्जनको जितना भी मान दिया जाये, थोडा ही होगा।

श्री अब्दुल कादिरके जानेके साथ ही श्री आदमजी मियाखाने भी अपना अवैतनिक सयुक्त मन्त्रीका पद छोड दिया। श्री आदमजी भारतीय व्यापारी समाजमे जो बहुत थोडे पढे-लिखे लोग हैं, उनमे से एक है। वे कांग्रेसकी स्थापनाके समयसे ही उसकी सेवामे हाथ बँटाते रहे ह। सन १८९६ मे, जब हमारे लोगोकी हालत बहुत गम्भीर थी, श्री आदमजीने बडे चातुय, उत्साह और सौम्यताके साथ काम किया था। उनके जमानेमे कांग्रेसके सदस्योमे बडा उत्साह था। श्री आदमजीने थोडेसे समयके अन्दर १,००० पौड इकट्ठा करनेमे मुरय भाग लिया था। इतना ही नही, बल्कि राजनीतिक मामलोमे भी उन्होने उतनी ही लगनका परिचय दिया था। जब 'कूरलैंड' और 'नादरी' जहाजोके खिलाफ डबनके लोगोने प्रदशन[2] किया था, तब श्री आदमजीने धैय और दढतासे काम लिया। बादमे जब स्वर्गीय श्री नाजरने और श्री खानने कांग्रेसके मन्त्रीका पद छोडा तब श्री उमर हाजी आमद झवेरीके साथ श्री आदमजी मियाखा सयुक्त मन्त्री बनाये गये, और उस समयसे पिछले हफ्ते तक उन्होने श्री झवेरीके साथ रहकर कांग्रेसकी सेवा की है। श्री आदमजीके पदत्यागका एक कारण उनकी अस्वस्थता है, और दूसरा सूरती भाइयोको मौका देनेकी इच्छा है। श्री आदमजी मियाखाकी अस्वस्थताके लिए हमे खेद है और हम ईश्वरसे यह प्राथना करते हैं कि वह उन्हे तन्दुरुस्ती दे। श्री आदमजीके पदत्यागका दूसरा कारण उनके लिए अधिक गौरवास्पद है। उनकी एक ही इच्छा रही है कि देशका कल्याण हो।

श्री अब्दुल कादिरकी जगह श्री दाउद मुहम्मद सभापति नियुक्त हुए ह, और श्री आदमजीकी जगह श्री मुहम्मद कासिम आगलियाकी नियुक्ति की गई है। कांग्रेस-भवनमे हुई विराट सभाने जोरके हषनादके साथ उनका स्वागत किया है। व्यापारी समाजमे विशेष भाग सूरतियोका है। इसलिए इस बार दो सूरती सज्जनोका एक साथ बडे पदोपर आना ठीक ही हुआ है। श्री अब्दुल कादिर और श्री आदमजी जैसे जागरूक लोगोकी जगह सम्भालना मुश्किल काम है लेकिन हमे उम्मीद है कि दोनो नये सज्जन अपना काम भली-भांति सँभालेगे।

श्री दाउद मुहम्मद शुरूसे ही कांग्रेसके मुरय सदस्योमे रहे हैं। उन्होने कांग्रेसकी बहुत अच्छी सेवा की है। वे सबसे पहले कांग्रेस मण्डलके अधिकारी बने थे। उनकी होशियारी किसीसे छिपी नही है। उनमे कई गुण हैं। यदि अपने इन सब गुणोका उपयोग वे कांग्रेसकी सेवामे करेगे, तो हमे विश्वास है कि उनके कारण कांग्रेसका तेज बढेगा।

१ देखिए "अभिनन्दन पत्र अब्दुल कादिरको", पृष्ठ २१६-७।

२ १३ जनवरी १८९७ को, देखिए खण्ड २, पृष्ठ १६६-७८।

श्री मुहम्मद कासिम आगलिया शिक्षित है। उन्हे राजनीतिक कायकी जानकारी है। यद्यपि कांग्रेसमे उन्होने अभीतक अधिक काम नही किया है, तो भी उनमे मन्त्रीकी योग्यता है। अभी तो कांग्रेसके सदस्योमे खूब उत्साह है। हमे आशा है कि इस उत्साहसे लाभ उठाकर श्री दाउद मुहम्मद, श्री उमर हाजी आमद झवेरी और श्री मुहम्मद कासिम आगलिया कांग्रेसका काम अच्छी तरह करेगे।

एक अरसेसे कांग्रेसमे उगाहीका काम नही हुआ है। कुछ राजनीतिक काम करने जरूरी है। ये सब काम मेहनत करनेपर आसानीसे हो सकते है। जिस तरह इग्लडमे नया मन्त्रि-मण्डल है, उसी तरह कांग्रेसमे भी नया मन्त्रिमण्डल है। सयोग ऐसा है कि जिससे भलाईकी आशा करनेका हमे हक है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १०–३–१९०६

२४४ फ्राइहीडको नेटालसे अलग करनेके लिए आन्दोलन

विलायतमे उदारदलीय मन्त्रिमण्डल बननेसे डच लोगोमे बडी हिम्मत आ गई है, और वे यह मानने लगे है कि अब वे जो मागेगे, सो मिल सकेगा। जब फ्राइहीडको ट्रान्सवालसे हटाकर नेटालमे जोडा गया था तब डच लोगोने विरोध किया था, पर सुनवाई नही हुई। अब उन लोगोने फिरसे बडी अर्जी भेजनेका निणय किया है। उन्हे नेटालके कानून पसन्द नही है, और ट्रान्सवालके साथ रहना उन्हे अच्छा लगता है। अगर फ्राइहीड ट्रान्सवालमे मिलाया जाये तो उससे भारतीयोको बहुत लाभ होगा। आज तो ट्रान्सवाल और नेटाल दोनोके बुरे कानून उनपर लागू होते है और दोनोमे से एकके भी अच्छे कानूनोका लाभ उन्हे नही मिलता।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १०–३–१९०६

२४५ श्री जॉन मॉर्ले और भारत

श्री जॉन मॉर्ले भारतके बारेमे बोल दिये है। श्री रॉबर्ट्सने उनसे बगालके विभाजनके बारेमे पूछा था। जवाबमे उन्होने कहा कि बगालके टुकडे हो चुके है। उसकी सीमा निश्चित करनेके बारेमे लोगोकी भावनाको ठेस नही पहुँचानी चाहिए थी। लेकिन अब जो हो चुका है, उसमे फेरफार करनेकी जरूरत नही मालूम होती। राज्य-कारोबारमे बहुत दिनोसे एक उत्तेजना चली आ रही थी, अब उसके शान्त होनेकी आवश्यकता है। शासनके कामकाजमे लोगोको हिस्सेदार बनानेका समय अभी आया नही है।

ये वचन निराशा पैदा करनेवाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बगालकी जनताको इन्साफ नही मिलेगा। अगर लगाम शुरूसे ही श्री मार्लेके हाथमे होती, तो विभाजन होता ही नही। इससे मालूम होता है कि श्री मॉर्लेसे जो यह आशा रखी जाती थी कि वे बहुत हिम्मतके साथ, बिना डरे जो करना चाहिए सो करेगे, वह टूट गई है। फिर भी इसका सार यह

निकलता है कि उनके कार्यकालमें नये कानून बनाते समय भारतीय प्रजाकी भावनाका ध्यान रखा जायेगा। किन्तु श्री मॉर्लेने बताया है कि हम शासनके काम-काजमें हाथ बँटाने योग्य नहीं है। उनकी इस बातका यह अर्थ निकल सकता है कि हम स्वराज्यके लायक अभी नहीं बने हैं। ऐसी बातोंपर से यह अनुमान लगाना उचित न होगा कि श्री मॉर्लेसे भारतको कोई लाभ नहीं पहुँचेगा। श्री मार्लेके विचार साधारण आंग्ल भारतीयोंके विचारोंसे मिलते जुलते हैं। उनके इन विचारोंको बदलनेके लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे तभी कुछ फर्क हो सकता है। यह आशा रखना कि चूंकि उन्होंने आयरलैंडके लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए हमारे लिए भी जरूर करेंगे, व्यर्थ प्रतीत होता है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०–३–१९०६

२४६. नेटालमें अधिवासी-पास आदिके नये नियम

२७ फरवरीके 'नेटाल गवर्नमेंट गजट' में निम्नलिखित नियमावली प्रकाशित हुई है।

प्रवासी कानूनके अनुसार जिन लोगोंको प्रमाणपत्र इत्यादिकी जरूरत होगी उनसे नीचे लिखे अनुसार शुल्क लिया जायेगा

	पौ०	शि०	पें०
शुल्क-मुक्ति पत्र (एक्जेम्पशन सर्टिफिकेट) का यानी किसी व्यक्तिको उपनिवेशमें प्रविष्ट होनेकी विशेष अनुमतिका शुल्क	०	५	०
भाषा-ज्ञान प्रमाणपत्र शुल्क	०	५	०
अधिवासी प्रमाणपत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) का	१	०	०
अभ्यागत पास (विज़िटिंग पास) का	१	०	०
नौकारोहण या जहाजपर चढ़नेकी अनुमति (एम्बार्केशन पास) का	१	०	०
स्त्रीके लिए अलग पासका	०	५	०
नेटालमें होकर जानेके प्रमाणपत्रका	०	५	०

अगर ये कर जारी रहे, तो बहुत बुरा होगा। हमें आशा है कि नेटाल भारतीय कांग्रेस इस मामलेको तुरन्त हाथमें लेगी।

इस तरहका कर लगानेका विचार स्वर्गीय श्री हैरी एस्कम्बने किया था, पर कांग्रेसने सख्त लिखा पढ़ी की, जिससे वह वापस ले लिया गया था।

नेटाल भिखारी बन गया है। इसलिए अब सरकार जहां तहांसे पैसा बटोरनेके लिए हाथ पैर पटक रही है। सरकारने इन करोंको लगानेका नया रास्ता खोज निकाला है। यह अपने हाथसे अपने पैरों कुल्हाड़ी मारने जैसी बात हुई है। ट्रान्सवालमें रहनेवाले भारतीयोंको देश जानेके लिए नेटालका रास्ता आसान पड़ता है। उनके नेटाल होकर जानेसे सरकारी रेलवेकी आमदनीमें वृद्धि होती है। अगर वे लोग डेलागोआ-बेके रास्ते जायें, तो नेटाल सरकारको उतना घाटा होनेकी सम्भावना है। हमें आशा है कि अगर इस तरहका दण्ड जारी रहा तो भारतीय मुसाफिर नेटाल रेलवेका बहिष्कार करेंगे और डेलागोआ-बेके रास्ते जाया करेंगे।

नेटाल सरकारको इस तरहका कर लगानेका कोई अधिकार नही है। नेटालवालोके स्वाथके लिए इस कानूनको अमली रूप दिया गया है। इसलिए अगर इसका बोझ किसीपर डालना है, तो गोरोपर डालना चाहिए। अगर कोई भारतीय थोडे समयके लिए नेटाल आता है, तो नेटाल सरकारका फज है कि उसकी मदद करे, न कि उसे दण्ड दे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन १०–३–१९०६

२४७ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

माच १०, १९०६

ट्रामका परीक्षात्मक मुकदमा

ट्रामके परीक्षात्मक मुकदमेकी सुनवाई पिछले बुधवारको मजिस्ट्रेट श्री कारकी अदालतमे हुई। वादी श्री कुवाडियाकी ओरसे श्री गाधी वकील थे और प्रतिवादीकी ओरसे नगर परिषदके वकील श्री हाइल हाजिर थे। मुकदमा धमके वकील [सरकारी वकील] श्री ब्लेनके हाथमे था। उन्होंने काले गोरेका भेद न रखते हुए मुकदमेकी पैरवी अच्छी तरह की। श्री कुवाडियाने अपने बयानमे बताया कि प्रतिवादीने उन्हे ट्राममे बैठनेसे रोका और कहा कि काले लोगोकी ट्राममे बैठना। इस कारण यह मुकदमा चलाना पडा है। नगर परिषदके वकीलने इस तथ्यको कबूल कर लिया, इसलिए श्री मैकिनटायरके बयान लेनेकी जरूरत नही रही। प्रतिवादीने बयान देते हुए कहा कि उसे नगर परिषदका हुक्म है कि भारतीय अथवा दूसरे काले आदमीको, अगर वह किसी गोरेका नौकर न हो, अथवा नौकर होनेपर भी अपने मालिकके साथ न हो, तो उसे ट्राममे न बैठने दिया जाये। इसलिए उसने मना किया था। इसके बाद श्री ब्लेनने अदालतसे निवेदन किया कि जोहानिसबगके ट्राम प्रणालीके उपनियमोके अनुसार भारतीयोको किसी भी ट्राममे बैठनेका हक है, इसलिए प्रतिवादीने अपराध किया है।

श्री हाइलने अपने निवेदनमे स्वीकार किया कि ट्राम प्रणालीके उपनियमोमे भारतीयोको बैठनेकी मनाही नही है। पर बोअरोके समयकी सफाई समितिका कानून है, जिसके अनुसार किसी भी काले आदमीके लिए ट्राम या मोटर या बग्घी या जो भी सवारी खास कर गोरोके लिए हो, उसमे बैठना गुनाह है। वह कानून अभीतक रद नही हुआ है। इसलिए उसके आधारपर भारतीयोको ट्राममे बैठनेसे रोका जा सकता है। जवाबमे श्री ब्लेनने कहा कि वह कानून अब लागू नही हो सकता और परिषदने जो उपनियम स्वीकार किये है, उनके अनुसार भारतीयोको हक है। श्री कारने इस मामलेका फैसला सोमवार तक मुल्तवी रखा है। अगर सोमवारको परिणामका पता चला, तो मै सूचना दूगा।

बादमे खबर मिली है कि हम ट्रामवाले मामलेमे जीत गये है, और नगरपालिकाने अपील की है।

ट्रान्सवालके लिए उत्तरदायी शासन

जोहानिसबगमे उत्तरदायी शासन सम्बन्धी हलचल अभी चल रही है। बोअर लोगोकी समिति और उत्तरदायी दल (रिस्पॉसिबल पार्टी) तथा प्रगतिशील दल (प्रोग्रेसिव पार्टी) के मुखिया सर जॉज फेरारके घरपर मिले थे। इसमे उनका इरादा यह था कि तीनो पक्षोके

बीच एकता स्थापित हो जाये, तो ठीक हो। इस बैठकमे क्या हुआ, सो अभी मालूम नही हो सका है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनमे एकमत नही हो पाया, इसलिए वे बिना किसी फसलेके उठ गये।

इस बीच यहा एक दूसरी बडी हलचल हो रही है। गोरे लोगोका एक शिष्टमण्डल विलायत भेजने और सम्राट एडवडको एक बहुत बडी अर्जी देनेका फैसला किया गया है। उसपर हजारो दस्तखत कराये जा रहे हैं। प्राथियोकी मागके अनुसार, जो भी विधान बने उसमे यह शत होनी चाहिए कि हर मतदाताको समान हक रहे और सदस्योका चुनाव मतदाताओकी सख्याके अनुसार हो।

इस अर्जीका हेतु यह है कि इससे अग्रेज जनताका बल बढे। अग्रेजोकी तुलनामे सख्याकी दृष्टिसे बोअर लोग कम है। बोअर लोगोकी माग है कि सदस्य गावके हिसाबसे बनने चाहिए। यदि ऐसा हो, तो बहुत-से गावोमे बोअरोकी आबादी अधिक होनेसे उनकी सत्ता बढ सकती है। इस तरह उन्होने लडाईमे जो कुछ खोया है, वह उत्तरदायी व्यवस्थामे उन्हे वापस मिल जायेगा। यह कशमकश बडी तगडी है। मेहनत और लगनमे कोई किसीसे कम बैठनेवाला नही है। बोअरोको उदार मन्त्रिमण्डलका बहुत जोर है। "साड साड लडे बिरवाई कौ चूरा होय" वाली कहावतके अनुसार इसमे बेचारे काले लोग कुचल न जाये तो अच्छा। मगर नगाडोकी आवाजमे तूतीकी आवाज कौन सुनेगा?

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन १७-३-१९०६

२४८ "कानून-समर्थित डाका"[1]

हम एक दूसरे स्तम्भमे एक ऐसे मुकदमेका विशेष विवरण[2] प्रकाशित कर रहे है जिसमे ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्यायालयके सामने पिछले सोमवारको बहस हुई थी। हमारे सवाददाताने उसे "कानून-समर्थित डाका" कहा है और इस टिप्पणीके लिए यह शीषक ग्रहण करनेमे कोई हिचकिचाहट नही है। १८८५ के कानन ३ के सम्बन्धमे ब्रिटिश भारतीय सघ द्वारा अनेक शिकायते प्रस्तुत की गई ह। किन्तु हमारे सवाददाताने जिस मुकदमेका विवरण भेजा है, उसके समान निदय या कठोर एव अन्यायपूण कोई अन्य मामला हमारे ध्यानमे नही आता। जिस कानूनके अन्तगत ऐसा स्पष्ट अन्याय किया जा सकता है, नरम भाषामे कहे तो भी वह कानून नितान्त अमानवीय है। जब श्री ल्यूनाडने अपने जोरदार भाषणमे जजोसे कानूनका दयापूण अथ लगाने और यदि सम्भव हो तो, अभागे अभियुक्तोको न्याय प्रदान करनेकी प्राथना की तब स्पष्टत उनके खयालमे कानूनकी निदयताकी बात थी। स्वर्गीय श्री अबूबकर आमद उन भारतीयोमे से थे जो दक्षिण आफ्रिकामे सवप्रथम आकर बसे थे। वे एक अग्रगण्य भारतीय व्यापारी थे, और नेटाल तथा दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे हिस्सोमे उनकी बहुत बडी भू-सम्पत्ति थी। अपने समयमे यूरोपीयो और भारतीयो दोनोमे उनका आदर था — और वह आदर बहुत

१ यह १३-४-१९०६ के **इंडियामे** भी प्रकाशित हुआ था।

२ यहाँ नही दिया जा रहा है।

उचित भी था। वे सभी अर्थोमे सुसस्कृत थे। ट्रान्सवालमे भी उनकी कुछ जमीन जायदाद थी। वे उसकी वसीयत अपने भाई और लडकेके नाम कर गये। ये दोनो प्रसिद्ध और सुशिक्षित ह। वसीयत करनेवालेने वारिसोके लिए जो कुछ छोडा था, उसको उनसे छीन लेना अब सम्भव हो गया हे। और विपरीत इच्छाके बावजूद ट्रान्सवाल सर्वोच्च यायालयके यायाधीश इस अयायका निराकरण करनेमे असमथ रहे। ट्रान्सवालकी जनताको अपने सर्वोच्च यायालयमे जसे जज प्राप्त है उनसे अधिक पवित्र और स्वतत्र जजोको पाना कठिनतासे ही सम्भव है। वे किचिमात्र भी विद्वेषमे नही बहे है और हम जानते है कि वे आजसे पहले भी निभय फैसले देते आये है। इस मामलेमे पैरवी भी दक्षिण आफ्रिकाके योग्यतम वकीलने की और उहोने उसमे पूरे हृदयसे मेहनत की। फिर भी, जसा कि जजोने स्वय ही स्वीकार-सा कर लिया हे, वे न्याय करनेमे असमथ ही रहे। कारण खोजने दूर नही जाना है। १८८५ का कानून ३ एक ऐसे विधानमण्डलका पास किया हुआ हे जिसको ब्रिटिश भारतीयोकी ही नही, किसी भी रगदार व्यक्तिकी भावनाओका, कोई खयाल नही था। स्पष्टत जो कुछ हुआ वह अब्रिटिश या और सभ्यताके समस्त ज्ञात नियमोका उल्लघन मात्र था। बोअर-युद्धके पहले ब्लूमफॉटीनमे जो सम्मेलन[1] हुआ था उसमे भी यह विचारका एक विषय था और जब स्वर्गीय राष्ट्रपति क्रूगर मताधिकारकी बात माननेके लिए तैयार प्रतीत होते थे, तब लाड मिलनरने ही श्री चेम्बरलेनको इस आशयका समुद्री तार भेजा था — " रगदार लोगोका क्या होगा ? " युद्धसे पहले तो उहे उनकी इतनी फिक्र थी, किंतु समयके साथ साथ लाड महोदयके विचार भी बदल गये। आशा तो यह थी कि वे शासन सँभालते ही जो काम करेगे उनमे से एक इस घणित कानूनकी वापसीका भी होगा। किंतु लाड महोदय निणयको टालते गये। ब्रिटिश भारतीयोने उनसे भेट की, और उहोने उनको तबतक टाला जबतक कि ट्रासवालके गोरे अधिवासियोके आन्दोलनके फलस्वरूप उनके लिए विधान सहितामे से १८८५ के कानून ३ को निकालना असम्भव हो गया, और आजतक वह ट्रान्सवालके उस ब्रिटिश शासनपर, जिसके प्रधान परमश्रेष्ठ थे, अमिट कलकके रूपमे मौजद है। ब्रिटिश भारतीय जिस भयानक अन्यायके नीचे जिदगी बसर कर रहे है, क्या उसको उदारदलीय सरकार स्थायित्व प्रदान करेगी ?

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १७–३–१९०६

१ ट्रान्सवालके डचेतर गोरोको मताधिकार देनेके विवादास्पद विषयपर १८९९ में केपके गवर्नर लॉर्ड मिल्नर और ट्रासवालके राष्ट्रपति क्रूगरके बीच बातचीत हुई थी।

२४९ व्यक्ति-कर

लेडीस्मिथका एक सवाददाता हमारे गुजराती स्तम्भोमे लिखता है

फरवरी २८ के 'गवनमेट गज़ट' मे व्यक्तिकरके बारेमे एक सूचना छपी है। उसके अनुसार वतनियोके सिवा बाकी लोगोको, जो उस तिथि तक कर न चुकायेंगे, जुर्माना देना होगा। इससे भारतीयोमे आतक फल गया है। लेडीस्मिथवासी भारतीयोने तो कर चुका दिया है, परन्तु वे गरीब भारतीय जो अभी अभी गिरमिटसे मुक्त हुए ह, और खेतो तथा दूर दराज जगहोमे रह रहे ह, इसका आशय नही समझ सकते और व्यक्ति कर अदा नहीं कर पाये ह। इन लोगोको सूचित करना लाजिमी है। पुलिस अफसर (सार्जेंट इन चाज) व्यक्तिकर ले लेता है और उन्हे रसीद दे देता है। तब वह उनको मजिस्ट्रेटके सामने ले जाता है और वहा उनपर जुर्माने किये जाते ह। अगर वे जुर्माना नही अदा करते तो उन्हे जेल जाना पडता है। एक घटना मेरी उपस्थितिमे ही हुई। मोतई नामक एक भारतीय लेडीस्मिथसे पाच-सात मील दूर रहता था। एक मित्रने उसे सूचित किया कि उसे कर चुका देना चाहिए। इसलिए उसने अपने कानकी बालिया ढाई शिलिंग मासिक ब्याजपर एक पौडमे गिरवी रख दी और कर अदा कर दिया। उसको रसीद दे दी गई और तब वह मजिस्ट्रेटके पास ले जाया गया। उसपर दस शिलिंग जुर्माना किया गया। अब वह रकम कहासे लाये? उसके पास एक पास था। वह उसको अदालतमें छोड गया है और जुर्मानेकी रकम लानेका वादा कर गया है

अबतक लगभग बारहसे लेकर पन्द्रह लोगोपर जुर्माना किया जा चुका है।

हम इस ओर सरकारका ध्यान आकर्षित करते है। यदि हमारे सवाददाता द्वारा दी गई सूचना ठीक है, तो यह व्यक्तिकरकी वसूलीसे सम्बन्धित अधिकारियोके लिए अत्यन्त बदनामीकी बात है। इन गरीब लोगोको न केवल कर चुकानेके लिए बाध्य करना, बल्कि जब वे कर देने आये तब उनपर जुर्माना ठोक देना, हमे अन्यायकी पराकाष्ठा मालूम होती है। हमारी रायमे दण्डात्मक धारा उनपर लागू नही होती जो अपनी इच्छासे कर दे देते है, बल्कि उनपर लागू होती है जो उसकी अदायगीसे बचना चाहते है। दनिक पत्रोमे इस आशयके समाचार छपे ह कि भारतीय अत्यन्त शीघ्रतासे कर चुका रहे ह। जैसा कि हमारे सवाददाताने लिखा है दूर दराज जगहामे रहनेवाले लोगोसे यह आशा करना निदयता है कि वे विज्ञापित समयसे पूव अदायगीकी जगहोमे पहुचकर कर चुका देगे। हमे इस सम्बन्धमे सन्देह नही है कि बहुतोको अपनी इस जिम्मेदारीका पता भी नही है, और जसा कि हमारे सवाददाताने लिखा हे, यदि यह सत्य है कि उन्हे सूचित किया जाना लाजिमी है तो सरकारसे अधिकारियोको यह आदेश देनेकी उम्मीद करना उचित ही होगा कि जो लोग कर दे उनसे वे रकम ले ले और उनको व्यक्ति कर कानून भग करनेके कथित अपराधमे गिरफ्तार करके उनपर जुर्माने न कराये। हमे सरकारकी दया भावनामे काफी विश्वास है और हम अनुभव करते है कि वह इस अन्यायको बन्द कर देगी, जो कानूनके नामपर किया जा रहा है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७–३–१९०६

२५० भारतीय स्वयंसेवकोंकी आवश्यकता

नेटालका वतनी आन्दोलन[1] मन्द गतिसे जारी है। इसमें सन्देह नहीं कि इसके भड़कनेका तात्कालिक कारण व्यक्ति कर लगाना है, यद्यपि इसकी आग सम्भवतः अरसेसे सुलग रही थी। गलती चाहे जिसकी हो, खबर है कि इसपर उपनिवेशको दो हजार पौंड प्रतिदिन खर्च करना पड़ रहा है। गोरे उपनिवेशी उसको काबूमें लानेकी चेष्टा कर रहे हैं और अनेक नागरिक सैनिकोंने शस्त्र धारण कर लिये हैं। शायद आज और किसी सहायताकी जरूरत न पड़े, परन्तु इस उपद्रवपर सरकारको और प्रत्येक विचारवान उपनिवेशीको भी विचार करना चाहिए। नेटालमें भारतीयोंकी आबादी एक लाखसे ज्यादा है। यह भी साबित किया जा चुका है कि वे युद्धकालमें अत्यन्त कुशलतापूर्वक काम कर सकते हैं।[2] आकस्मिक संकटोंमें वे बेकार हैं, इस भ्रमका निवारण हो चुका है। इन अकाट्य तथ्योंके बावजूद क्या सरकारके लिए शक्तिके इस स्रोतको, जिसे वह चाहे जिस काममें ले सकती है, बेकार जाने देना बुद्धिमत्ताकी बात है? हमारे सहयोगी 'नेटाल विटनेस' ने भारतीय समस्यापर हालमें ही एक बहुत ही विचारपूर्ण अग्रलेख लिखा है और यह प्रमाणित किया है कि उपनिवेशियोंको भारतीय प्रतिनिधित्वके सवालपर किसी न किसी दिन, गम्भीरतासे विचार करना ही होगा। यद्यपि भारतीय उपनिवेशमें किसी राजनीतिक सत्ताकी आकांक्षा नहीं रखते, फिर भी हम उक्त मतसे सहमत हैं। वे इतना ही चाहते हैं कि उनको उपनिवेशके साधारण काननोंके अन्तर्गत पूर्ण नागरिक अधिकारोंका आश्वासन दिया जाये। यह ब्रिटिश प्रदेशवासी प्रत्येक ब्रिटिश प्रजाजनका जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए। किन्हीं परिस्थितियोंमें किसीको भी शरणार्थी माननेसे इनकार करना उचित हो सकता है, किन्तु शिष्ट और शारीरिक दृष्टिसे सक्षम शरणार्थियोंपर निर्योग्यताएँ थोपना आर्थिक या राजनीतिक, किसी भी दृष्टिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए, जब कि भारतीय प्रतिनिधित्वका सवाल निस्सन्देह बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे खयालसे भारतीयोंको स्वयंसेवक बनानेका सवाल और भी ज्यादा महत्वका है, क्योंकि वह अधिक व्यावहारिक है। आजकल यह बात पूरी तरह मानी जाती है कि ऐसे बहुत-से काम हैं जिनके लिए शस्त्र धारण करना जरूरी नहीं है, किन्तु फिर भी जो उतने ही उपयोगी और सम्मानप्रद हैं जितना राइफल उठानेका काम है। अगर सरकार, भारतीयोंको उपेक्षित रखनेके बजाय स्वयंसेवकोंके काममें नियुक्त करेगी तो वह नागरिक सेनाकी उपयोगिता बहुत कुछ बढ़ा सकेगी और उपद्रवके समय, भारतीयोंपर विश्वास रख सकेगी कि वे अच्छा काम करेंगे। हमें इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीयोंको देशसे बाहर खदेड़ देना असम्भव है, सरकार यह बात समझती है। तब जो सामग्री उपलब्ध है वह उसका सर्वोत्तम उपयोग क्यों नहीं करती और इस प्रकार एक उपेक्षित समाजको राज्यकी स्थायी एवं परम मूल्यवान पूँजी क्यों नहीं बना लेती?

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७–३–१९०६

१. बम्बाटाके नेतृत्वमें ज़ुलू विद्रोह, देखिये "भाषण: कांग्रेसकी सभामें", पृष्ठ ३०१।

२. इससे बोअर युद्धमें भारतीय आहत सहायक दल द्वारा किये गये कार्यकी ओर संकेत है। देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १३८–३९।

२५१ अन्तर्राज्य वतनी महाविद्यालय

वतमान लवडेल मस्थाको केन्द्र बिन्दु बनाकर एक अन्तर्राज्य वतनी कालेजके निर्माणके लिए 'इम्वो' के सम्पादक श्री टेंगो जबावुने कुछ मास पहले जो आन्दोलन चलाया था उससे काफी उत्साह पदा हुआ है। श्री जबावु और आन्दोलनके सघटनमन्त्री श्री के० ए० हाबट हाटन, दोनो दक्षिण आफ्रिकाका दोरा कर रहे ह। उनके तीन उद्देश्य है — विभिन्न दक्षिण आफ्रिका सरकारोका सहानुभतिपूण सहयोग प्राप्त करना विवेकपूण व्याख्या और उदाहरण द्वारा इस विषयपर वतनियोमे स्वस्थ जनमत उत्पन्न करना, और, इनमे सबसे महत्वपूण है, निकट भविष्यमे इस गम्भीर कायको आरम्भ करनेके लिए धन एकत्र करना। अमेरिकाकी टस्केजी सस्थामे श्री बुकर टी० वाशिंगटनने जो उत्तम और शिक्षाप्रद काय किया है उसकी ओर इन स्तम्भो द्वारा हम पहले भी ध्यान आकर्षित कर चुके है।[1] यह प्रस्ताव है कि इस नये महाविद्यालयको जो काय सौपा जायेगा उसे अमेरिकी सस्थाके समान ही औद्योगिक प्रशिक्षणकी दिशामे विकसित किया जाये। इस सबसे अच्छा ही परिणाम निकल सकता है और इसमे आश्चयकी कोई बात नही कि दक्षिण आफ्रिकी महान वतनी प्रजातियोके जैसे जागत होते हुए राष्ट्रोमे एक ऐसा उत्साह व्याप्त हो रहा है जो धार्मिक जोशसे कुछ कम नही। उनके लिए यह काय निश्चय ही पुनीत और पुण्यमय है, क्योकि इससे विचारोमे प्रगतिके द्वार खुलते है और आध्यात्मिक विकासको बहुत बल मिलता है। इस कायमे दिलचस्पी लेनेवाली विभिन्न धार्मिक सस्थाओ और राज्योसे मिलनेवाली सहायताके अलावा केवल वतनियोसे ही ५०,००० पौडकी भारी रकम एकत्र करनेका विचार है। आत्मत्यागके इस उदाहरणसे दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोको बहुत कुछ सीखना हे। अगर अपनी सम्पूण आर्थिक अक्षमताओ और सामाजिक असुविधाओके बावजूद दक्षिण आफ्रिकाके वतनी इस स्थानीय कायको पूण कर सकते ह तो क्या ब्रिटिश भारतीय समाजके लिए यह लाजिमी नही कि वह इससे हृदयमे शिक्षा ग्रहण करे और शैक्षणिक सुविधाओको आगे बढानेके लिए जिस शक्ति और उत्साहसे अबतक काम होता रहा है उससे कही अधिक शक्ति और उत्साहसे काम करे? शैक्षणिक मामलोमें सुधार स्वय हमे ही करना होगा ओर हम अपने पाठकोपर जोर देगे कि वे प्रश्नके इस पहलूपर गौर करे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७–३–१९०६

१ देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ४६८–७१।

२५२ सर विलियम गैटेकर

हमे यह लिखते हुए दु ख होता है कि मिस्रमे ल् लगनेके कारण मेजर जनरल सर विलियम गैटेकरकी मत्यु हो गई है। सर विलियमका भारतीयोकी कृतज्ञतापर एक खास हक था। वे बम्बईमे बनाई गई प्रथम प्लेग-समितिके अध्यक्ष थे। उन्होने कठिनसे-कठिन मामलोमे कौशल और सावधानीसे काम लिया, जिससे सारा सघष और कडवाहट टल गई। आग्ल भारतीय चरित्रमे जो-कुछ उत्तम है और जिसका प्रतिनिधित्व माउटस्टुअट एलफिन्स्टन, मनरो, टाड, स्लीमन फाब्स, लारेस तथा ब्रिटिश शासनके अ य अनेक उत्साही और शिष्ट व्याख्याता करते है, उसके वे अनुपम उदाहरण थे। जबतक ब्रिटेन स्वर्गीय सर विलियमके माद्दके उदात्त महापुरुषोको ज म दे सकता है, तबतक यह आशा शेष है कि भारत अपने शासकोसे वह सहानुभूतिपूण व्यवहार, जिसकी उसे आवश्यकता है, प्राप्त करेगा।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १७–३–१९०६

२५३. आस्ट्रेलियामे बस्तीकी कमी

आस्ट्रेलियाके गोरे उस टापूपर उतरनेवाले किसी भी व्यक्तिसे ईर्ष्या करते है। वे अपने जाति-भाइयोको भी नही आने देते। काले लोगोके तो वे शत्रु है। इसका परिणाम यह हुआ है कि उत्तरी हिस्सेमे केवल ८२० गोरे आबाद है। अर्थात प्रति ७०० मीलपर एक गोरेकी बस्ती हुई। आदमी जमीनको बटोरकर तो नही रख सकता। अगर लोग पर्याप्त सख्यामे न हो। तो जमीन उजाड पडी रहती है, यानी उसे निकम्मी दौलत कहना होगा। इस कारण आस्ट्रेलियाके लोग अब जागने लगे है। राष्ट्रपति रूजवेल्टने[१] आस्ट्रेलियाके लोगोको लिखा है कि उनके देशको खाली रखनेसे नुकसान होगा। ससद-सदस्य श्री रिचड आथरने कहा है कि आस्टेलिया और एशिया एक दूसरेके पडोसी है इसलिए आस्ट्रेलियामे एशियाके लोगोको जगह दी जानी चाहिए। ये विचार फैलने लगे है। इस बातसे यह अनुमान किया जा सकता है कि धीरे धीरे ऐसे देशोमे भारतीय जाकर बस सकेगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १७–३–१९०६

१ थियोडॉर रूजवेल्ट (१८५८–१९१९) अमरिकाके गणतत्रीय राष्ट्रपति, १९०१–९।

२५४ ट्रान्सवालके भारतीयोपर निर्योग्यताएँ[१]

उपनिवेश-सचिवसे शिष्टमण्डलकी भेंट

पिछले शनिवार १० तारीखको एक भारतीय शिष्टमण्डल सहायक उपनिवेश सचिवसे मिलनेके लिए गया था। उसके सदस्य श्री अब्दुल गनी, श्री हाजी हबीब और श्री गाधी थे। श्री चैमने और श्री बर्जेस मौजूद थे। शिष्टमण्डलकी बातचीत सवा ग्यारहसे एक बजे तक चली। उसमे उसने नीचे लिखी मागे की थी

१ अनुमतिपत्र प्राप्त करनेमे बहुत समय जाता है। वह नही लगना चाहिए। अनुमतिपत्र जल्द जारी होने चाहिए।

२ जाचके लिए अर्जिया मजिस्ट्रेटके पास भेजी जाती है। इससे बहुत तकलीफ होती है। जाच होती नही और अर्जिया पडी रहती है।

३ वास्तवमे अलग-अलग गावोमे पहुँचकर एक ही अधिकारीको जाच करनी चाहिए, जिससे एक-सी जाँच हो, और जल्दी निणय हो। गावके लोगोको उज्र करना हो तो वे खुशीसे करे। लेकिन फैसला तुरत होना चाहिए।

४ जिनके पास पुराने प्रमाणपत्र हो उनके लिए गवाहोकी जरूरत नही रहनी चाहिए, प्रमाणपत्रकी जानकारी देते ही उन्हे फौरन अनुमतिपत्र मिलना चाहिए।

५ औरतोके लिए अनुमतिपत्रकी कोई जरूरत नही होनी चाहिए। औरते तो गोरोके साथ कोई होड नही करती। और उनकी जाच करना तो उनका घोर अपमान करने जैसा है। भारतीय औरते ट्रान्सवालमे बहुत कम है, और वे सब अपने मर्दोके साथ है, इसलिए इस सम्बन्धमे शक नही करना चाहिए।

६ सरहदपर अनुमतिपत्र और प्रमाणपत्र दोनो मागे जाते ह। यह जुल्म कहा जायेगा। जिसके पास अनुमतिपत्र हो, उसे तुरन्त निकल जाने देना चाहिए। इसी तरह जो प्रमाणपत्र दिखाये उसे भी जाने देना चाहिए।

७ सरहदपर अनुमतिपत्रवालोसे अँगूठेके निशान लिये जाते है। यह व्यथका अपमान कहा जायेगा।

८ कानन बना है कि बारह सालसे कम उम्रके लडके भी उसी हालतमे आ सकेगे, जब उनके मा बाप ट्रान्सवालमे हो। यह कानून अत्याचारपूण माना जायेगा। शुरूसे ही १६ सालसे कम उम्रके लडके आते रहे है, इसलिए उन्हे आने देना चाहिए। अगर इसमे कोई परिवतन करना हो तो भी जो लडके इस कानूनके अनुसार आ ही पहुँचे है उन्ह तो किसी अडचनके बिना अनुमतिपत्र मिलना ही चाहिए। नये कानूनकी सूचना काफी समय पहले देनेकी जरूरत है। जिसके मा बाप मर गये हो उसके रिश्तेदारोको ही अभिभावक मानना चाहिए।

९ जिसने अनुमतिपत्र खो दिया हो, उसके लिए प्रमाणपत्र अथवा दूसरा दाखिला देना जरूरी हे। ऐसे लोगोको यदि भारत जाना हो तब तो उन्हे खास तौरपर यह हथियार मिलना ही चाहिए, नही तो उन्हे वापस लौटनेमे बहुत परेशानी होती है। यदि सरकारको

१ यह लेख ‘ विशेष रूपसे प्रेषित ’ रूपमें छपा था ।

शक हो तो लोगोको बन्दरगाहपर प्रमाणपत्र भेजनेकी व्यवस्था करे। ट्रान्सवालमें अनुमतिपत्रके खो जानेपर परवाने वगैरह प्राप्त करनेमे बडी परेशानी होती है।

१० मुद्दती अनुमतिपत्र तो मागते ही मिल जाने चाहिए। लोगोको काम काजके सिलसिलेमें जाने-आनेकी पूरी छूट जरूरी है।

११ जोहानिसबगमे अनुमतिपत्र देनेके लिए हर हफ्ते एक बार किसी अधिकारीको आना चाहिए। लोगोको जहातक हो सके उतनी कम तकलीफ होनी चाहिए। बहुतेरे लोगोको अनुमतिपत्रोके लिए ही प्रिटोरिया जानेकी आवश्यकता पडती है।

१२ रेलवेमे जोहानिसबग या प्रिटोरियासे [भारतीयोको] सुबह ८॥ बजेकी गाडीके टिकट देना बन्द हो गया है। यह बहुत अनुचित बात है। विश्वास है कि इसकी सुनवाई तुरत होगी।

१३ रेलगाडीके एक ही डिब्बेमे औरत मद दोनोको बैठाया जाता है और बहुत लोगोको भर दिया जाता है, इसे तो सरासर बुरा माना जायेगा।

१४ प्रिटोरियाकी ट्रामके बारेमे श्री मूअरने कहा था कि खुलासा किया जायेगा। अब उसमे फेरफार करनेकी जरूरत है। अखीरकी एक या दो बेचोपर भारतीय बैठे, तो गोरोको उसपर कोई एतराज नही करना चाहिए।

१५ जोहानिसबगमे परीक्षात्मक मुकदमा चलाया गया है। उसमे सफलता न मिले तब भी ट्राममे बैठनेका अधिकार तो मिलना ही चाहिए।[१]

१६ प्रिटोरियाके बाजारसे काफिरोको निकाला जा रहा है। यह गलत चीज है। कानून कुछ भी क्यो न हो, पर कई सालोसे भारतीयोको वतनी किरायेदारोसे आमदनी होती रही है। इसमे नुकसान न हो, इसका खयाल रखना सरकारके लिए लाजिमी है।

इन बातोका जवाब देते हुए श्री कर्टिसने[२] कहा कि सारी बाते मै श्री डकनके सामने रखूगा। मै अभीसे कोई फैसला नही दे सकता। सरकार भारतीयोको तकलीफ देना नही चाहती। जैसे भी बनेगा, राहत पहुँचाई जायेगी। बहुत करके मजिस्ट्रेटोसे कहा जायेगा कि वे १५ दिनमे शरणार्थियोकी अर्जिया जाच लिया करे। इस बीच न जाचे तो सरक्षक (प्रोटेक्टर) फैसला दे देगा। हम मानते है कि औरतोको भी तीन पौड देने चाहिए।

इसके जवाबमे शिष्टमण्डलने कहा कि अगर औरतोके बारेमे सरकारका यह खयाल है, तो हम मुकदमा लडनेको तैयार है।

श्री कर्टिसने कहा कि अगर दसो अँगुलियोकी निशानी अनुमतिपत्रपर दी जाये तो बहुत सुविधा होगी।

शिष्टमण्डलने इसे माननेसे साफ इनकार किया। आखिर श्री कर्टिसने कहा कि सारी बातोका खुलासा यथासम्भव शीघ्र ही किया जायेगा। इसके बाद शिष्टमण्डल आभार मानकर विदा हुआ।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १७-३-१९०६

१ देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी" पृष्ठ २१५-६।
२ लॉयनेल कर्टिस, सहायक उपनिवेश सचिव।

२५५ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

माच १७, १९०६

जोहानिसबर्गमे आग

इस हफ्ते जोहानिसबगकी रिसिक स्ट्रीटमे बहुत बडी आग लग गई थी। उसमे मोटरकार वगैरह बनानेका बहुत सा कीमती सामान जल गया है। लगभग ३०,००० पौडका नुकसान हुआ है। पूरा बीमा नही कराया गया था, इसलिए मालिककी भारी हानि हुई है।

अनुमतिपत्र

अनुमतिपत्र सम्बन्धी तकलीफ ज्यादा बढ गई है। अब सरक्षक मियादी अनुमतिपत्र देनेसे भी इनकार करता है। हालमे ऐसे दो उदाहरण सामने आये है। हाविकके एक व्यापारीने थोडी मुद्दतका अनुमतिपत्र मागा। सरक्षकने देनेसे साफ इनकार किया है। इसी तरह डेलागोआ-बेके सुपरिचित व्यक्ति श्री मगाके भतीजेको भी अनुमतिपत्र देनेसे इनकार किया गया है। इस मामलेमे कारवाई चल रही है। लेकिन अनुभव यह हो रहा है कि अनुमतिपत्रकी लडाई पूरी तरह लडनी पडेगी।

इस बीच जोहानिसबगमे भारतीयोकी आबादी दिनपर दिन घटती जा रही है। कमाईके जरिये कम हो जानेसे लोगोको लौटना पड रहा है।

चीनी मजदूर

चीनियोके आनेपर प्रतिबन्ध लगनेके समाचारसे यहाके खान मालिकोको बहुत चिन्ता हो गई है। उनका मन उचट गया है, इसलिए जनतामे निराशा छा गई है। इस नगरका भविष्य क्या होगा, कहा नही जा सकता।

इस स्थितिके कारण भुखमरी बढी है। बहुतेरे लोग बेरोजगार होकर बैठ गये है, और उन्हे सूझ नही पड रहा है कि पेट कैसे पाले।

किसीका अपराध किसीको दण्ड

यहाकी अदालतमे एक जानने योग्य मुकदमा चला है। डाक्टर किनकेड स्मिथकी मोटर उनका नौकर चला रहा था। श्री क्लाक डाकर्टी नामक इजीनियर अपनी बाइसिकलपर थे। इतनेमे डाक्टर स्मिथके चालकने गाडी जरा अपनी तरफको घुमाई, जिससे गाडी श्री डाकर्टीकी बाइसिकलसे टकरा गई और श्री डाकर्टी गिर पडे। उन्हे ऐसी चोट आई कि अस्पतालमे जाना पडा। मोटरकी टक्करके समय डॉक्टर खुद गाडीमे नही थे। श्री डाकर्टीने डाक्टर स्मिथपर यहाके उच्च न्यायालयमे २,००० पौडके हर्जानेका दावा किया। न्यायमूर्ति ब्रिस्टोने फैसला दिया है और श्री डाकर्टीको ७५० पौड दिलाये है। फसला सुनाते हुए माननीय न्यायाधीशने कहा है कि कसूर डाक्टर स्मिथका नही है, पर उनके आदमीने गलती की है इसलिए उन्हे उसकी सजा भुगतनी होगी। लोगोको चाहिए कि वे बहुत सावधानीसे नौकर रखे। नौकरसे कोइ गफलत हो और उसके कारण किसी तीसरे आदमीको नुकसान पहुचे तो उसकी भरपाई मालिकको

१ श्री सुलेमान मगा, एक नवयुवक भारतीय वकील।

करनी पडती है। अगर डॉक्टर स्मिथका नौकर उनके ही कामसे न जा रहा होता, और तब उसने गफलत की होती, तो डाक्टर स्मिथको रकम न चुकानी पडती।

जो नौकर रखते है उन्हे इस मामलेसे नसीहत लेनी चाहिए। खास तोरपर मोटरके मामलेमे देखा यह गया है कि चालक अक्सर अपनी उद्धतता अथवा अप्रवीणताके कारण गलती करते है। इससे नुकसान मालिकको भोगना पडता है। यह हमेशा याद रखने योग्य है।

डॉ० अब्दुर्रहमान

केप टाउनके सुपरिचित डाक्टर अब्दुरहमान आगामी मगलवारको यहा आनेवाले है। वे यहा तथा प्रिटोरियामे काले लोगोकी सभामे भाषण देगे और तुरत ही केप टाउन लौट जायेगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २४-३-१९०६

२५६ पत्र दादाभाई नौरोजीको[1]

ब्रिटिश भारतीय सघ

२५ व २६ कोट चेम्बस
रिसिक स्ट्रीट
जोहानिसबग
माच १९, १९०६

सेवामे
माननीय श्री दादाभाई नौरोजी
२२ कनिगटन रोड
लदन
इग्लैड

[महोदय,]

मै आपका ध्यान 'इडियन ओपिनियन' के १० माचके अकमे नेटाल सरकारके नाम प्रकाशित एक विरोधपत्रकी[2] ओर खीचना चाहता हूँ। यह विरोधपत्र प्रवासी प्रतिबधक कानूनके अतगत दिये जा रहे प्रमाणपत्रो और पासोपर वशके बाहर लगाये गये शुल्कके सम्बधमे नेटाल भारतीय काग्रेसने नेटाल सरकारको भेजा है।

यह शुल्क सरासर अयायपूण है और उसका लेशमात्र औचित्य नही है, यह तो कहनेकी आवश्यकता ही नही है।

दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजको दूसरा गम्भीर आघात टान्सवालमे पहुँचाया गया है।[3] आप १७ माचके 'इडियन ओपिनियन' के अकमे १८८५ के कानून ३ के अतगत ट्रान्सवालके

१ इस पत्रका मसविदा दादाभाई नौरोजीने सदैवकी तरह भारत मत्री और उपनिवेश मंत्रीको भेजा था।
२ देखिए 'पत्र उपनिवेश सचिवको', पृष्ठ २२९-३०।
३ देखिए 'कानून समर्थित डाका पृष्ठ २४०-१।

सर्वोच्च न्यायालयके समक्ष सुने गये मुकदमेका अहवाल देख सकेंगे। 'ओपिनियन' में मुकदमेका पूरा विवरण और उसपर टिप्पणियाँ दी गई हैं।

इन दोनोंपर तत्काल ध्यान देना आवश्यक है।

आपका विश्वस्त,
मो० क० गांधी

टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रति (जी० एन० २२७१) से।

२५७ नेटालका शीघ्र दूकानबन्दी अधिनियम

शीघ्र दूकानबंदी अधिनियमका असर अब महसूस होने लगा है। हमारा कभी यह मत नहीं रहा कि शीघ्र दूकानबंदी अधिनियम किसी भी परिस्थितिमें उपयुक्त नहीं होगा। इसके प्रतिकूल हमारी धारणा है कि एक सुचिंतित कानून समाजके लिए सदैव बड़ा लाभप्रद होगा, किंतु वर्तमान अधिनियम उपभोक्ताओं अथवा छोटे फुटकर विक्रेताओंकी सुविधाका पर्याप्त विचार किये बिना बनाया गया है। नतीजा यह हुआ है कि गरीब गृहस्थोंको बड़ी असुविधा हो गई है और छोटे व्यापारियोंको बहुत बड़ी क्षति पहुँची है। सम्भवतः इससे केवल उन लोगोंको लाभ पहुँच सकता है, जो बड़े फुटकर विक्रेता हैं। हम 'नेटाल मर्क्युरी' के प्रतिनिधिके इस कथनसे पूरे सहमत हैं:

> **बड़े व्यापारी धीरे धीरे छोटे व्यापारियोंको निगलते जा रहे हैं और इन बड़े व्यापारियोंकी तादाद अँगुलियोंपर गिनी जा सकती है। वास्तवमें यदि इस प्रकारके कानूनसे भले उपनिवेशियोंको एक ओर ढकेल कर उन्हें ईमानदारीके साथ जीविकोपार्जनसे वंचित कर दिया गया तो यह एक दुर्भाग्यकी बात होगी।**

इसके लिए जो प्रतिकार सुझाया गया है वह है अधिनियमको स्थगित करना। अनुभवसे यह ज्ञात हुआ है कि दूकानोंको साढ़े पाँचके बादतक खुला रहने देना चाहिए और शनिवारको दूकान बंद करना एक भयानक भूल है। इस मामलेमें 'नेटाल विटनेस' ने जो रुख ग्रहण किया है उसे एक तरहसे विद्वेषपूर्ण ही कहा जा सकता है। वह यह कहकर इस विषयपर अपना मंतव्य समाप्त करता है:

> **यह एक सुविदित तथ्य है कि नगरके अरब और भारतीय दूकानदारोंको बहुत हानि पहुँची है। यूरोपीय इसे भली भाँति याद रखें।**

हमारा सहयोगी यूरोपीयोंसे अनुरोध करता है कि वे सिर्फ इस बिनापर इस अधिनियमके खिलाफ आंदोलन न करें कि इसका भारतीय व्यापारपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारतीयोंको क्षतिग्रस्त देखनेकी जल्दीमें 'विटनेस' यह बात पूर्णतः भूल गया है कि भारतीयोंको क्षति पहुँचानेमें उन छोटे छोटे गोरे व्यापारियोंको, अकेले जिन्हें ही भारतीय प्रतियोगिता महसूस हो सकती है, न केवल हानि पहुँचेगी बल्कि वे पूर्णतः मिट जायेंगे, क्योंकि भारतीयोंका मितव्ययी स्वभाव उन्हें तो मुसीबतसे किसी प्रकार बचा सकता है पर छोटे गोरे व्यापारी, जो बचत करनेकी असमर्थताके लिए बुरी तरह प्रसिद्ध हैं, सर्वथा असहाय हो जायेंगे।

असली इलाज भारतीयोको चोट पहुँचानेके लिए छोटे गोरे फुटकर व्यापारियोको नष्टकर देना नही है, बल्कि भारतीयो और य्रोपीयो — दोनोके लिए दूकान ब द करनेके उचित समयका निर्धारण करना है जिससे बडी फुटकर दूकानोके ब द हो जानेके बाद वे जीविकोपाजनका अवसर पा सकें। बडी फुटकर दूकानोको सदा ही छोटी फुटकर दूकानोके मुकाबले बहुत पहले ब द करना पडेगा। 'विटनेस' ने स्थितिको पूवग्रहपूण दृष्टिसे देखा है, इसलिए वह यह कल्पना करनेकी भूल भी कर बैठा है कि बिजलीका खच बचनेसे दूकानदारोको कोई लाभ होगा। हम 'विटनेस' को यह बात समझ लेनेका श्रेय प्रदान करते है कि कोई दूकानदार बिजली जलानेका खच तबतक बदाश्त नही करेगा जबतक कि वह उतने घटोम होनेवाले व्यापारके लाभसे खच निकालनेके अलावा कुछ बचा भी न सकता हो।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २४–३–१९०६

२५८ रगदार लोगोका प्रार्थनापत्र

'केप आफ गुड होप, ट्रान्सवाल और आरेज रिवर कालोनीके निवासी' रगदार ब्रिटिश प्रजाजनोने जो प्राथनापत्र सम्राटकी सेवामे भेजा है उसकी एक प्रति हमको भी भेजनेकी कृपा की गई है।

जान पडता है कि प्राथनापत्र दूर दूरतक प्रचारित किया जा रहा है और उसपर उक्त तीनो उपनिवेशोके सब रगदार लोगोके हस्ताक्षर कराये जा रहे है। प्राथनापत्रका स्वरूप अ भारतीय है, यद्यपि रगदार लोग होनेके कारण ब्रिटिश भारतीयोपर इसका बहुत गहरा असर पडता है। हम समझते है कि समस्त दक्षिण आफ्रिकामे ब्रिटिश भारतीय इस देशकी अ य रगदार जातियोसे पृथक और प्रभिन्न रहे है, यह एक बुद्धिमत्तापूण नीति थी। यह ठीक है कि ब्रिटिश भारतीयो और अ य रगदार जातियोकी बहुत-सी शिकायते लगभग एक समान है, कि तु जिन दष्टिकोणोसे दोनो वग अपनी अपनी मागे पेश कर सकते है, उनमे कोई समानता नही है। जहा ब्रिटिश भारतीय अपनी मागोके समथनमे १८५८ की राजकीय घोषणाका उपयोग कर सकते है और प्रभावकारी रूपमे करते भी है, वहा अन्य रगदार लोग ऐसा करनेकी स्थितिमे नही है। जहा आरेज रिवर कालोनीमे कुछ वर्गोके रगदार लोग सम्पत्ति और यातायातके मामलेमे पूरे अधिकारोकी माग कर सकते है वहा ब्रिटिश भारतीयोको किसी प्रकारका आधार उपलब्ध नही है। इसी प्रकार, ट्रान्सवालमे दूसरी रगदार जातियोके कई वग, भ् सम्पत्ति रखनेके अधिकारी ह, पर तु १८८५ के कानन ३ के अनुसार ब्रिटिश भारतीयोको ऐसा करना वर्जित है। इसलिए यद्यपि भारतीय और अ भारतीय रगदार समाजोको अलग-अलग रहना चाहिए, और वे अलग-अलग रहते भी है एव उनके अलग अलग सगठन भी है, तथापि दोनो अपने सामा य अधिकारोपर जोर देनेमे एक दूसरेको निस्स देह शक्ति प्रदान कर सकते है। इसलिए जो कागज हमारे सामने है हमे उसका स्वागत करनेमे कोई सकोच नही है। जिन्होने प्राथनापत्र तैयार किया है उ होने इसमे केवल शुद्ध तथ्योका ही समावेश किया है। हमे इसके लिए उनको बधाई अवश्य देनी चाहिए। हमे सदैव ही यह लगा है कि दक्षिण आफ्रिकाके रगदार लोगोका मामला इतना अधिक सुदढ और न्यायसगत है कि उसके सम्ब धमे केवल तथ्य दे देना अ य किसी भी तकसे कही ज्यादा प्रभावकारी है। प्राथनापत्रमे बहुत सी बाते नही दी गई है, कि तु उसमे वक्तव्योसे

निकाले जानेवाले निष्कष काफी स्पष्ट है। प्राथियोने स्पष्ट रूपसे सिद्ध कर दिया है कि दक्षिण आफ्रिकाके एक हिस्से, अर्थात केप आफ गुड होप उपनिवेशमे, उनको प्रातिनिधिक सस्थाओके आरम्भसे ही मताधिकार प्राप्त है। उन्होने यह भी सिद्ध किया है कि १८९२ मे मताधिकार कानूनपर पुर्नविचारके समय भी उसमे रगके कारण निर्योग्यता लगानेके उद्देश्यमे कोई परिवतन नही किया गया। परिणामस्वरूप, इस समय, केपमे १४,००० कानन सम्मत रगदार मतदाताओके नाम सूचीमे दज है। प्राथियोने आगे कहा कि

> **उन्होने इस अधिकारका उपभोग आवश्यक जायदाद और शिक्षा प्राप्त करनेमें प्रलोभन माना है और, उनका नम्रतापूवक निवेदन है कि, उन्होने उस अधिकारका उपयोग धम एव रगके भेद बिना सम्पूण समाजके हितके लिए गौरवास्पद रूपसे और औचित्यकी भावनाके साथ किया है।**

परन्तु उनका कहना है कि ज्योही वे आरेज रिवर कालोनी या ट्रासवाल उपनिवेशमे प्रवास करते है त्योही उनपर और उनकी सतानोपर, रगभेदके कारण निर्योग्यताका प्रतिबध लगा दिया जाता है। प्रार्थियोने मताधिकारको अपने कायक्रममें सर्वोच्च स्थान दिया है। यह उचित ही किया है क्योकि, उन्हीकी भाषामे,

> **इन अधिकारोसे वचित होनेपर महामहिम सम्राटके रगदार प्रजाजन एक बडी हद तक अपनी उन शिकायतोको, जिनसे वे पीडित हो, सावजनिक रूपसे प्रकट करने और वधानिक साधनोसे दूर करानेके अधिकारसे भी वचित हो जाते ह। और ये शिकायते ऐसी नहीं ह जो कानूनी अदालतकी शरणमें जाकर दूर कराई जा सकती हो।**

इस बयानकी सचाई बहुत से उदाहरण देकर सिद्ध की जा सकती है। जिस देशमे लोक सस्थाएँ ह उसमे वे लोग अभागे है जिनको लोक प्रतिनिधियोके चुनावमे मत देनेका अधिकार प्राप्त नही है। मताधिकार वचित लोग अपना या अपने प्रतिनिधियोका कोई दोष न होते हुए भी धीरे धीरे दब जाते है, क्योकि शासनमे स्वाथ उभर आते ह। ब्रिटिश भारतीयोने अपने बारेमें भ्रम दूर करनेके उद्देश्यसे यह स्पष्ट कर दिया है कि उनको राजनीतिक सत्ताकी आकाक्षा नही है, परतु उनको इससे हानि हुई है और अब उन्होने यह जाना है कि चकि नेटाल और दूसरे उपनिवेशोमे लोक प्रतिनिधियोके चुनावमे उनकी कोई आवाज नही है, इसलिए उनकी नागरिक स्वतत्रतामे भी बहुत कमी हो गई है। रगदार लोगोका प्राथनापत्र महत्वपूण दस्तावेज है। उसपर बहुत लोग हस्ताक्षर कर रहे ह, और आशा की जाती है कि उसमे निहित प्राथनापर ध्यान दिया जायेगा और विचार किया जायेगा, जिसके वह निसन्देह योग्य है। उदारदलीय मन्त्रियोने अनेक बार साम्राज्यके दुबल सदस्योको सहायता देनेकी इच्छा प्रकट की है। नये उपनिवेशोको सविधान देनेमे उनका विवेक मुक्त है और उनको अपने सिद्धान्तोको आचरणमे उतारनेका एक अलभ्य अवसर प्राप्त है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २४-३-१९०६

२५९ 'कलर्ड पीपल्' का प्रार्थनापत्र

प्रिटोरियामे "कलड पीपल्" [रगदार लोगो] की बैठक हुई थी। इस अकमे हम उसका विवरण दे रहे ह। उनके द्वारा दी गई अर्जीका अनुवाद भी छाप रहे है। हम "कलड पीपल्" शब्दका प्रयोग कर रहे ह क्योकि उसका अनुवाद 'काले लोग' करनेसे उसमे वतनियोका समावेश हो जाता है। इस बैठकमे वतनी नही थे। उसमे खास तौरपर "केप बाय" कहलानेवाले लोग थे, और वे लोग थे, जिनके मा बापमे से कोई न कोई गोरा ह। उसमे कुछ मलायी भी शरीक हुए है।

"कलड पीपल" के इस सघमे भारतीयोका समावेश नही है। भारतीय हमेशा इस बठकसे दूर रहे ह। हम मानते है कि भारतीयोने इसमे समझदारीसे काम लिया है। यद्यपि उनकी और भारतीयोकी मुसीबते लगभग एक ही प्रकारकी है, फिर भी दोनोके इलाज एक नही ह। इसलिए मुनासिब यह है कि दोनो अपने अपने ढँगसे लडाई लडे। हम १८५७ की[1] घोषणाका उपयोग अपने पक्षमे कर सकते है। "कलड पीप्ल्" नही कर सकते। वे अपने पक्षमे यह जबरदस्त दलील द सकते ह कि वे इसी देशकी सतान है। उनकी रहन सहन बिलकुल यूरोपीय ह। वे इस तथ्यका उपयोग भी अपने पक्षमे कर सकते है। हम भारत मत्रीके नाम अर्जी भेज सकते है। वे यह नही कर सकते। चूकि वे अधिकतर ईसाई है, इसलिए अपने पादरियोकी मदद ले सकते ह। हमे उनकी मदद नही मिल सकती। स्पष्ट ही "कलड पीप्ल" ने एक बडी लडाई छेडी है। अतएव हमारे लिए इतनी टिप्पणी लिखना जरूरी हो गया है।

प्रिटोरियामे उनकी जो बैठक हुई थी, उसमे उन्होने कुछ अतिरेकपूण बाते की थी और लाड मिलनरके बारेमे अपमानजनक शब्दोका उपयोग किया था। 'टाइम्स आफ नेटाल' ने इसकी कडी आलोचना की है। उनके सभापतिने कहा कि काले लोगोपर जुल्म ढानेसे बोअरोने राज्य खोया, और अगर काले लोगोपर जुल्म जारी रहा, तो अग्रेज राज्य खोयेंगे। यह धमकी बेकार है। इसमे बोलनेवालेका मशा यह था कि "कलड पीप्ल' मुकाबला करेगे। उनमे मुकाबला करनेकी ताकत भी नही हे। मनुष्यको हमेशा अपनी ताकतका ध्यान रखकर ही काम करना चाहिए।

"कलड पीपल" का प्राथनापत्र बहुत अच्छा है। उसमे उन्होने पर्याप्त जानकारी दी है, और उसके सिवा और कुछ नही दिया। जो जानकारी दी है, वह इतनी ठोस है कि उसके विषयमे दलील देनेकी जरूरत नही। उन्होने यह सिद्ध करके दिखाया है कि आजतक वे केप कालोनीमे पर्याप्त अधिकारोका उपभोग करते आये है। तो फिर ट्रान्सवालमे ओर आरेज रिवर कालोनीमे उन्हे वे अधिकार क्यो न मिले?

इस प्राथनापत्रपर समथन प्राप्त करनेके लिए वे लाग डाक्टर अब्दुरहमानको[2] विलायत भेजना चाहते है। यह कदम बहुत अच्छा और जरूरी है। इस समय हर समाजको अपनी बात सुनानेके लिए जितना हो सके उतना प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रयत्नके लिए यहासे एक दो व्यक्तियोको जाना चाहिए।

हमे यह देखना चाहिए कि "कलड पीप्ल्" के इस आन्दोलनका परिणाम क्या होगा। हो सकता है कि जब वे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक हद तक उसका कुछ अच्छा फल

१ स्पष्टत १८५८ के स्थानपर भूलसे १८५७ लिखा गया है।

२ आफ्रिकी राजनैतिक सघके अध्यक्ष और केप टाउनकी नगरपालिकाके एक सदस्य।

निकले। और अगर उनकी सुनवाई हुई, तो सम्भव है कि उसमें बहुत हद तक भारतीयोंका भी समावेश होगा।

वे जैसा कर रहे हैं हमें भी वैसा करनेकी बहुत आवश्यकता है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४–३–१९०६

२६० हीडेलबर्गकी जमातको दो शब्द

हीडेलबर्गकी जमातके बीच जो अनबन चली आ रही है, उसके विषयमें हम कई पत्र छाप चुके हैं। दोनों पक्षोंको जो कहना था, सो हमने कहने दिया है। अब इस विषयमें और भी चिट्ठी पत्री छापते रहना, मानो केवल कलह जारी रखना है। इसलिए इस सप्ताहके बाद हम इस प्रश्नकी चर्चा करनेवाले पत्र छापना बन्द कर देंगे।

हम जो पत्र छाप चुके हैं उनसे पता चलता है कि दोनों पक्षोंमें थोड़ा बहुत दोष हो सकता है। हम उसका विवेचन नहीं करना चाहते। दोष किसीका भी हो, पर हम यह देख सकते हैं कि कलह एक न कुछ बातपर है और चलता रहता है। इसका मुख्य कारण जिद है। हम दोनों पक्षोंसे विनती करते हैं कि मुखियोंको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे कलहके कारण समाप्त हो जायें और लोग परस्पर मिलजुल कर रहने लगें। घरके झगड़ोंके अलावा इस देशमें हमपर इतने अधिक संकट हैं कि हमें उन संकटोंमें घरके झगड़े दाखिल करके और वृद्धि नहीं करनी चाहिए। दोनों पक्ष आपसमें समझौता करके सब्रसे काम लें तो कलह शीघ्र समाप्त हो जायेगा। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्षोंके सेठिए आपसमें मिलकर हीडेलबर्गकी जमातमें पैठे हुए इस कलहको मिटायेंगे, और दोनों पक्षोंको फिरसे मिला देंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४–३–१९०६

२६१ केपमें चेचक

केपका समाचार है कि वहाँ काले लोगोंमें चेचक फैल गई है। इस सम्बन्धमें केपके मुखियोंको जाँच करके तत्काल परिणाम देनेवाले उपाय करने चाहिए। चेचकके बीमारकी सार-सँभाल कुछ नियमोंका ध्यान रखनेसे सहज ही हो सकती है। दूसरोंको छूत न लगे, इसके लिए अलग कोठरीमें रखकर सावधानीके साथ बीमारकी शुश्रूषा करनेसे छूतका डर बहुत कुछ दूर किया जा सकता है। ऐसी बीमारीको छिपानेसे कोई फायदा नहीं होता बल्कि आखिर जिस समाजमें यह बीमारी फैलती है उसे नुकसान सहना पड़ता है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४–३–१९०६

२६२ सिडनीमे प्लेग

तारसे समाचार मिला है कि सिडनीमे प्लेगके पाच केस हो चुके ह। जहाजपर दो केस होनेकी खबरका तार भी इसी हफ्ते मिला है, ओर उसमे कहा गया है कि ये केस रगदार लोगामे हुए है। फिर भी अनुभव यह रहा है कि जब भारतके बाहर कही दूर प्लेगके केस हुए ह, तब कई जगहोमे एक साथ केस होने लगे है। और, जहा हम लोगोको तग करनेके लिए ऐसे केसका बहाना ही खोजा जाता हो, वहा हमे बहुत सोच समझकर चलना चाहिए। हम कई दफा कह चुके है कि अधिकतर प्लेगके मुरय कारण गदी और खराब हवा हुआ करते है। अतएव घर साफ रखना, पाखानोमे गन्दगी न होने देना, पाखानेपर हर बार राख अथवा रेत डालना सारी जमीनको कृमिनाशक पानीसे धोना घरमे हवा-प्रकाश खूब आने देना ओर नियमित रूपसे सादा भोजन करना — इन सूचनाओको ध्यानमे रखते हुए इनके अनुसार व्यवहार करनेवालेको डरनेकी जरूरत नही है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २४–३–१९०६

२६३ साबुनके लिए प्रमाणपत्र

२१–२४ कोट चेम्बस
नुक्कड, रिसिक व ऐडसन स्ट्रीट्स
पो० आ० बाक्स ६५२२
जोहानिसबग
माच २६, १९०६

यह प्रमाणित किया जाता है कि मै कुछ समयसे न्यू सोप मैन्युफैक्चरिग कम्पनी, बम्बई द्वारा निर्मित साबुनका इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैने इसे गुणमे पूरा पूरा सन्तोषजनक पाया है। मुझे मालूम हुआ है, इस साबुनको तैयार करनेमे पशुओकी चर्बी इस्तेमाल नही की जाती। मेरी रायमे इस कारणसे इस साबुनकी उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ जाती है।

मो० क० गाधी

गाधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुई मूल अग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ९१५) से।
सौजन्य वेणीलाल गाधी।

२६४ प्रार्थनापत्र लॉर्ड एलगिनको

डबन
माच ३०, १९०६

सेवामे
परममाननीय अल आफ एलगिन
महामहिम सम्राटके प्रधान उपनिवेश मन्त्री
लन्दन

नेटाल उपनिवेशके फ्राइहीड निवासी दादा उस्मानका प्राथनापत्र

नम्र निवेदन हे कि,

१ आपका प्रार्थी एक ब्रिटिश भारतीय प्रजा हे।

२ आपका प्रार्थी पिछले २४ वर्षोसे दक्षिण आफ्रिकाका अधिवासी है।

३ आपके प्रार्थीने १८९६ मे फ्राइहीडके उस भागमे सामान्य दूकानदारके रूपमे अपना व्यापार शुरू किया था, जो उस समय भारतीय बस्तीके नामसे प्रसिद्ध था।

४ आपके प्रार्थीने वहा मकान बनवाया, जिसके मूल्यका अनुमान ३०० पौड है।

५ भूतपूव बोअर सरकारने उक्त स्थानसे आपके प्रार्थीको हटाकर एक नई बस्तीके लिए निश्चित स्थानमे भेजनेकी कई बार चेष्टा की, किन्तु ब्रिटिश सरकारके हस्तक्षेपके कारण आपके प्रार्थीके लिए उसी स्थानपर अपना व्यापार जारी रखना सम्भव हुआ।

६ आपके प्रार्थीने नियमित परवाना लेकर उसके अनुसार सदा फ्राइहीडमे व्यापार किया है।

७ आपके प्रार्थीके पास लगभग ३,००० पौड कीमतका कपडा तथा किरानेका भण्डार था।

८ ऐसी स्थिति थी आपके प्रार्थीकी, जब फ्राइहीड नेटालमे सम्मिलित किया गया।

९ फ्राइहीडको नेटालमे मिलानेकी शर्तोमे व्यवस्था है कि १८८६ मे सशोधित १८८५ का कानून ३, जो ट्रान्सवालके एशियाई-विरोधी कानूनके नामसे प्रसिद्ध है, बना रहेगा।

१० ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्यायालयने इस कानूनकी जो व्याख्या की है,[1] उसके अनुसार तो व्यापारके सम्बन्धमे ब्रिटिश भारतीयोके लिए कोई क्षेत्र सीमित नही है और वे अन्य ब्रिटिश प्रजाजनोकी तरह ही व्यापार-सम्बन्धी परवाने लेनेके लिए स्वतन्त्र है।

११ परन्तु फ्राइहीड स्थानिक निकायने उक्त स्थानपर आपके प्रार्थीका परवाना नया करनेसे इनकार कर दिया। उसने आपके प्रार्थीको इस शतपर फ्राइहीडमे व्यापार करने दनेकी इच्छा प्रकट की कि प्रार्थी एक पृथक् बस्तीमे निकाय द्वारा निश्चित स्थानमे जाकर व्यापार करे।

१२ उक्त स्थान फ्राइहीडसे बहुत दूर है और व्यापारके लिए बिलकुल उपयुक्त नही है।

१३ आपके प्रार्थीके लिए ऐसे स्थानपर व्यापार करना असम्भव है जो कस्बेके व्यापारिक भागसे दूर है।

१४ आपके प्रार्थीने अपने उक्त स्थानपर अच्छी साख पैदा कर ली है।

१५ आपके प्रार्थीने अपने परवानेको नया करानेकी कई कोशिशे की, परन्तु उसे नया करनेसे इनकार कर दिया गया।

१ देखिए खण्ड ४, पृष्ठ १२६।

१६ आपके प्रार्थीको उक्त स्थानपर व्यापार करनेसे रोकनेके लिए स्थानिक निकायने नेटालका १८९७ का कानून १८ जारी किया, जिसे विक्रेता-परवाना अधिनियम कहा जाता है।

१७ इसलिए आपके प्रार्थीको दोहरे प्रतिबन्धोका सामना करना पड रहा है — अर्थात ट्रान्सवाल कानूनका भी और नेटाल कानूनका भी। इनसे फ्राइहीडमे ब्रिटिश भारतीयोकी स्थिति उससे भी ज्यादा खराब हो गई है, जितनी ट्रान्सवाल तथा नेटालके दूसरे भागोमे है।

१८ १८९७ के कानून १८ के अनुसार आपके प्रार्थीको अपने परवानेके लिए परवाना अधिकारीको आवेदनपत्र देना पडा। वही अधिकारी टाउन क्लार्क भी है, इसलिए स्वभावत वह स्थानिक निकायसे आदेश ग्रहण करता है।

१९ परवाना अधिकारीने परवाना नया करनेसे इनकार कर दिया।

२० इसलिए, आपके प्रार्थीने कानूनके अनुसार स्थानिक निकायसे अपील की।

२१ स्थानिक निकायके ज्यादातर सदस्य हमारे प्रतियोगी व्यापारी तथा आपके प्रार्थीसे द्वेष माननेवाले व्यक्ति है। उसने परवाना-अधिकारीके निर्णयको पक्का करार दे दिया है।

२२ परवाना-अधिकारीने अपनी अस्वीकृतिके निम्नलिखित कारण बताये है

> **१ कस्बेकी भूमिपर बने मकानोके लिए परवाना देनेका अधिकार परवाना-अधिकारीको नही है — और ऐसी भूमिपर बने मकानोके लिए परवाने देनेका अधिकार तो और भी नहीं है जो स्थानीय निकाय द्वारा पहले कभी पट्टेपर नही दी गई।**
>
> **२ मेरी अस्वीकृतिका दूसरा कारण यह है कि ऐसा करनेसे मुझे १४ मार्च १९०५ के 'गवर्नमेंट गजट' में प्रकाशित सरकारी विज्ञप्ति सख्या १९१ तथा उसके अनुसार बने और उत्तरी जिलोमे जारी कानूनोके एकदम विरुद्ध कार्य करना पडता। उनमे भारतीयोको पृथक बस्तियोके अतिरिक्त अन्यत्र परवाने देनेकी स्पष्ट मनाही की गई है।**
>
> **३ मने परवाना देनेसे इसलिए भी इनकार किया कि ऐसा करनेमे मने समस्त समाजके सर्वोत्तम हितो और उसकी अभिव्यक्त भावनाओके अनुकूल कार्य किया है — भले इसमें प्रार्थीके वकील अपवाद रूप हो।**

साथ नत्थी किये गये कागजातसे[1] यह बात अधिक पूर्ण रूपमे प्रकट होगी।

२३ परवाना-अधिकारीने जो पहला कारण बताया है वह पूर्णत भ्रामक है, क्योकि आपके प्रार्थीको पृथक बस्तीके अतिरिक्त और सर्वत्र व्यापार करनेका परवाना अस्वीकार किया गया है।

२४ दूसरा कारण भी, ट्रान्सवालके सर्वोच्च-न्यायालयके उपयुक्त निर्णयके अनुसार निकम्मा है।

२५ तीसरा कारण ही असली कारण है — अर्थात यह कि आपका प्रार्थी एक ब्रिटिश भारतीय है।

२६ १८९७ के उक्त कानून १८ के अन्तर्गत उपनिवेशके सर्वोच्च न्यायालयमे अपील भी नही हो सकती, और स्थानिक निकायका निर्णय ही अन्तिम समझा जाता है।

२७ आपके प्रार्थीने स्थानिक निकायसे उसके ऐसे निर्णयका कारण जानना चाहा, पर निकायने कोई कारण बतानेसे इनकार कर दिया — जैसा कि प्रार्थीके वकील और टाउन क्लार्कके बीच हुए पत्र-व्यवहारसे प्रकट होता है। पत्र-व्यवहारकी एक प्रति इसके साथ नत्थी है।[2]

२८ इसपर आपके प्रार्थीने तबतक व्यापारके लिए एक अस्थायी परवाना जारी करनेकी अर्जी दी, जबतक कि प्रार्थी राहतके लिए अन्य कारवाइयाँ नही कर लेता। स्थानिक निकायने यह भी अस्वीकार कर दिया।

१ और २ यहाँ नही दिये गये है।

२९ आपके प्रार्थीको बताया गया कि उसे स्थानिक निकायकी कारवाईके विरुद्ध कानूनन काई राहत नही मिल सकती।

३० इसलिए आपके प्रार्थीको अपनी दूकान ब द कर देनेको विवश होना पडा है और इससे उसपर सारे माल, ऋण और उसके नौकरोका बोझ आ पडा है।

३१ जहातक निकायका सम्ब ध है आपका प्रार्थी सम्मानपूवक निवेदन करता है कि स्थानिक निकायका काय ज्यादतीभरा, अन्यायपूण तथा निरकुश है, क्याकि आपके प्रार्थीके परवानेको नया करनेसे इनकार करके उसको, बिना किसी अपराधके, और बिना किसी क्षति पूर्तिके, जीविकाके साधनोसे वचित कर दिया गया है।

३२ आपके प्रार्थीका यह भी निवेदन है कि उसे जो स्पष्ट क्षति पहुँची हे वह, ब्रिटिश विधानके अन्तगत, लाइलाज नही रहनी चाहिए।

३३ इसलिए आपका प्रार्थी प्राथना करता है कि सम्राटकी सरकार प्रार्थीकी ओरसे हस्त क्षेप करे और जिस रूपमे उसे उचित प्रतीत हो प्रार्थीका कष्ट दूर कराये।

और याय तथा दयाके इस कायके लिए प्रार्थी सदैव दुआ करेगा, आदि।

दादा उस्मान

डबन, तारीख ३०
माच, १९०६

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १४–४–१९०६

२६५ शीघ्र दूकानबन्दी अधिनियम

कुछ लेखक शीघ्र दूकानबन्दी अधिनियमको लेकर नेटालके अखबारोमे तिलका ताड बना रहे है। उनमेसे अनेक खुशीसे फूले नही समाते कि अ तत उनकी स्थिति ऐसी हो गई हे कि वे भारतीय व्यापारियाको क्षति पहुँचा सकते ह। हमारा सहयोगी 'नेटाल ऐडवर्टाइजर, हमसे सहमत होकर, कहता हे कि अगर शीघ्र दूकानब दी अधिनियम भारतीय समाजको अहितकर ढगसे प्रभावित करनेको है तो छोटे छोटे गोरे व्यापारियोपर वह और भी अधिक गम्भीर असर डालने वाला है। अगर वह इतनेपर ही रुक जाता तो हमे कुछ न कहना होता। परतु, वह आगे सुझाता है

> **इस विषयपर विचार विमश करने और एशियाई आव्रजन तथा स्पर्धापर कोई कारगर प्रतिब ध लगानेका उपाय सोचनेके लिए व्यापारियो और कामकाजी लोगोकी एक आम सभा नगर भवनमें बुलाई जानी चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो हमे कोई स देह नहीं कि परिस्थितिके वास्तविक तथ्य इस तरह प्रकट होगे कि कुछ लोग आश्चयमे पड जायेंगे, और उनसे कोई सचमुच कारगर तथा उपयोगी कारवाई की जा सकेगी। हमारा विचार है, यह बात हँसी खेलमें उडा देनेकी नहीं है। यह आत्म रक्षाका — नेटालके सभी वर्गोके गोरे लोगोके लिए जीवन-मरणका सवाल है।**

हम इस सुझावपर शान्तिपूवक विचार करेगे।

नगर भवनमे आम सभा हो, इसमे हमे कोई आपत्ति नही है। लेकिन, क्या इससे हमारे सहयोगीका अभिलषित लक्ष्य सिद्ध हो जायेगा ? क्या जन समुदायने कभी भी किसी विषयपर ठडे दिलसे विचार किया है ? आम सभा तो किसी ऐसे आदोलनको ही बल दे सकती हे जो तथ्योपर आधारित हो, परतु वह कभी छान बीन करके सच्चे तथ्योको प्राप्त करनेकी चेष्टा नही करती। अक्सर यह गाली गलौज और मनोवेगोको उभाडनेवाली बातोसे परिचालित होती है। अतएव, जब सावजनिक सभाओका आयोजन किसी ऐसी परिस्थितिपर विचार करनेके लिए किया जाता है जिसे पहले ही निश्चत रूपसे जान नही लिया गया हे, तब वे खतरनाक साबित होती है। हम इस कथनको स्वीकार कर लेगे कि प्रश्न "गोरे लोगोके लिए आत्मरक्षा और सच्चे जीवन मरणका है।" तो फिर, तथ्योकी खोज और उनपर कारगर कारवाई करनी होगी। अभी जो एक बात बिलकुल स्पष्ट है, वह यह है कि भारतीय व्यापारी पूरी तरह परवाना-अधिकारी और स्थानिक निकायोकी दयापर निभर है। दूसरा तथ्य भी सवथा स्पष्ट है, अर्थात अनेक मामलोमे परवाना अधिकारी और स्थानिक निकायोने अत्यत मनमाने ओर अन्यायपूण ढगसे काम किया है। तीसरा तथ्य यह है कि श्री हेरी स्मिथ उत्तरोत्तर बढती सतकतासे भारतीय आव्रजकोके प्रवेशकी निगरानी कर रहे है, और कोई भी भारतीय, अपना पूव अधिवास सिद्ध किये बिना, न जल मागसे और न थल मागसे उपनिवेशमे प्रवेश कर सकता है। इससे अधिक और क्या चाहिए ? अगर यह इन दो कानूनोके अमलका सवाल है तो, निश्चय ही, किसी आम सभासे बात बननेकी नही है। इसका एकमात्र उपचार है कोई जाच आयोग, और हम खुले दिलसे इसका स्वागत करेगे। अगर नेटालकी यूरोपीय आबादी, दरअसल, यह महसूस करती है कि भारतीय व्यापारी फूल-फल रहे है, वे अनुचित स्पर्धा कर रहे ह और सख्त कानून पर्याप्त सख्तीसे लागू नही किये जा रहे है, तो कुछ निष्पक्ष व्यक्तियोकी एक छोटी सी समिति तथ्योको शीघ्र ही स्पष्ट कर देगी। और अगर वह सिद्ध कर दे कि हमारे सहयोगी द्वारा आशकित परिस्थिति जैसी कोई चीज मौजूद है, तो वह उपयुक्त अवसर होगा कि ऐसे आयोगके निष्कर्षोपर विचार विमश करनेके लिए आम सभाका आयोजन किया जाये।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१-३-१९०६

२६६ न्यायका दुर्ग

पाचेफस्ट्रूमकी दौरा-अदालतके सामने अभी हालमे एक बहुत महत्वपूण मुकदमेकी सुनवाई हुई है। पाचेफस्ट्रूममे दो यूरोपीयोने एक भारतीय व्यापारीसे रुपया ऐठनेकी कोशिश की। तरीका यह अपनाया गया था कि भारतीय उन दोनोमे से एककी पत्नीके पास ले जाया गया और वहा उसपर बलात्कारकी चेष्टा करनेका इल्जाम लगाया गया। यह षडयत्र करीब करीब सफल हो गया। जालसाजोने भयत्रस्त भारतीयसे ३०० पौड चेकसे वसूल कर लिए, परन्तु सौभाग्यसे भारतीयने तत्काल अपने वकीलसे कानूनी सहायता ली। वकीलने उसको चेककी अदायगी रोक देने और मामलेकी सूचना पुलिसको देनेकी सलाह दी। उसने इसपर तुरन्त अमल किया। दोनो यूरोपीय गिरफ्तार कर लिये गये और साथ ही वह स्त्री भी। परिणाम हुआ, न्यायमूर्ति वेसेल्सके सामने एक सनसनीखेज मामलेकी पेशी और भारतीयकी प्रतिष्ठाकी पुन स्थापना। रकम ऐठनेका आरोप साबित हो गया और दोनो मुलजिमोको तीन तीन वषके कठोर कारावासकी

सजा हो गई। रुपया ऐठनेके सम्बन्धमे भारतीयके वक्तव्यके समर्थनमे कोई गवाही नही थी, किन्तु उसके विरुद्ध दो डच कदी थे जिन्होने जोर देकर कहा था कि उक्त भारतीय उस नारीपर बलात्कारकी चेष्टा कर रहा था। भारतीयने दढतासे यह बात झूठ बताई और कहा कि उसे पहले मकानमे धोखसे ले जाया गया और तब उसपर झूठा इल्जाम लगाया गया।

ऐसी विषम परिस्थितियामे एक भारतीयको न्याय मिल सका, यह सार्वत्रिक बधाईका विषय है। क्योकि इससे ब्रिटिश भारतीयोको बहुत सन्तोष प्राप्त हुआ है। अत्यन्त प्रभावपूर्ण ढगसे एक बार फिर साबित हो गया है, कि जहातक उच्च न्यायालयका सम्बन्ध है, ब्रिटिश न्यायका स्रोत यथासभव शुद्धतम है। निर्भय और निष्पक्ष न्यायाधीशोकी एक दीर्घ शृखलाके फलस्वरूप परम्पराएँ बन गई है और ब्रिटिश विधानका आन्तरिक भाग हो गई है। हमे यह कहनेमे कोई सकोच नही है कि साम्राज्यकी सफलताके बहुत बडे रहस्योमे से एक रहस्य है उसकी निष्पक्ष न्याय देनेकी क्षमता। जसे मामलेका उल्लेख हमने ऊपर किया है, वैसे मामलोसे विविध ब्रिटिश उपनिवेशोमे प्रचलित न्याय व्यवस्थाकी अनेक त्रुटियोकी पूर्ति होती है। ऐसी बाते प्रकाश स्तम्भकी भाति भारतीयो और उन लोगोको, जो अस्थायी निर्योग्यताओसे पीडित और उनके परिणामस्वरूप सतप्त हो, सकेत देती है कि उनको तबतक आशा न छोडनी चाहिए, जबतक तोडे हुए वादोकी ठडी सतहपर शुद्ध न्यायकी तेज धूप पड रही है।

न्यायमूर्ति वेसेल्सने मुकदमेका खुलासा करते हुए न केवल इस मामलेपर विचार किया है बल्कि उनको क्षुद्रसे क्षुद्र ब्रिटिश प्रजाजनाके पूर्ण एव निष्पक्ष सुनवाई पानेके अधिकारका भी साधारण जिक्र करना आवश्यक जान पडा। उन्होने कहा (हम यह विवरण 'पाचेफस्ट्रूम बजट' पत्रमे से उद्धत कर रहे है)

> **जब मने इस देशमे यह सुना — उन्होने यह उसी अदालतमे उसी दिन सुना था — कि गोरे और कालेकी साक्षीमे जब भेद पाया जाये तब हमे गोरेकी साक्षी सत्य माननी चाहिए, तो मुझे दुख हुआ। यह एक भ्रान्ति है, एक असत्य है। म समझता हूँ कि यदि अदालती पच आज कालेके विरुद्ध गोरेके बयानको सत्य मानेगे तो वे बहुत अनुचित काम करेगे। हमे काले लोगोकी स्वतन्त्रता और सम्पत्तिकी रक्षा अपनी पूर्ण शक्तिसे करनी चाहिए। जब हम गोरे और काले लोगोके हितोपर विचार करे तो हमारे लिए एक क्षणके लिए भी न्याय भावनासे विचलित होनेसे बढकर घातक बात और कोई न होगी। इस देशमें बडेसे बडे गोरेको जो न्याय सुलभ है वही सच्चा न्याय कालेको भी प्राप्त होना चाहिए। उसमे इस सिद्धान्तको सदा अपने सामने रखना चाहिए और अगर वादी काला आदमी है तो हमें बन्दीको छोड न देना चाहिए।**

प्रत्येक सच्चे साम्राज्य प्रेमीको ब्रिटिश न्यायकी गौरव-रक्षा इतने श्रेष्ठ ढगसे करनेके लिए न्यायाधीश वेसेल्सका हृदयसे कृतज्ञ होना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३१-३-१९०६

२६७ भारतीय स्वयसेवक

हाल ही मे नागरिक सेनाके बारेमे जो सभा हुई थी, उसमे भाषण करते हुए प्रतिरक्षा मन्त्री श्री वॉट ने "अपना बाध तोड दिया" है। उनसे यह प्रश्न किया गया था

> **उपनिवेशके विविध भागोमें जिन अरबोकी दूकानें ह क्या सरकार उनको नागरिक सेनाकी सुरक्षित टुकडियोमें भरती करनेका विचार कर रही है, और यदि ऐसा कर रही हे तो क्या वह उन्हे बन्दूके भी देगी?**

हमे बताया गया है कि श्री वॉटने इसका जो उत्तर दिया उसपर हर्षध्वनि की गई। बताया जाता है कि उन्होने कहा

> **मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि नागरिक सेनामें केवल यूरोपीय ही ह। अगर मुझे अपनी एव अपने कुटुम्बकी रक्षाके लिए अरबोपर निर्भर रहना पडे तो निश्चय ही दुःख होगा। किन्तु मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि सरकारके हाथमें यह अधिकार है कि वह युद्धकालमें समस्त रगदार आबादी — भारतीयो, वतनियो और अरबोको किसी भी आवश्यक काममें लगा दे।**

इसके बाद उनसे एक और प्रश्न पूछा गया

> **क्या सरकार यह मानती है कि जब यूरोपीय व्यापारी सेवाके लिए बुला लिए जायेंगे तो सभी जिलोका व्यापार अरबोके हाथोमे चला जायेगा? इसके सम्बन्धमे वह क्या करना चाहती है?**

श्री वॉटका उत्तर पहले उत्तरसे मेल खाता हुआ ही था

> **मेरी समझसे यह मामला ऐसा है जिसमें नेताओकी राय ली जानी चाहिए। अगर मैं नेता होता तो सरकारको सलाह देता कि वह दूकानोके खुलने और बन्द होनेका समय नियमित कर दे। म यह ध्यान रखता कि यूरोपीयोके साथ अरबोकी अपेक्षा बुरा बरताव न किया जाये। म यह व्यवस्था भी करता कि अरबोसे उनके हिस्सेका काम लिया जाये — बन्दूकें उठानेका नही तो खाइया खोदनेका ही सही।**

हमे सन्देह नही है कि श्री वॉट प्रतिरक्षा-मन्त्रीकी हैसियतसे यह जानते है कि युद्धमे खाइया खोदना भी उतना ही जरूरी है जितना बन्दूक उठाना। फिर यदि वे अपने और अपने कुटुम्बकी सुरक्षाके लिए अरबोपर निर्भर रहना नही चाहते तो वे उनसे खाइया खुदवाना क्यो चाहते है? स्वर्गीय श्री हैरी एस्कम्बके अनुसार, जो प्रतिरक्षामत्री ही थे, दोनो काम एक जैसे सम्मानपूर्ण है। चाहे श्री वॉट, पुनर्विचारके पश्चात, अरबो अथवा भारतीयोसे अपनी अथवा उपनिवेशकी रक्षाका काम खाइया खुदवानेके रूपमे या किसी अन्य रूपमे करवाना पसन्द करे या न करे, उनसे वे तबतक युद्ध सम्बन्धी काम लेनेकी आशा कैसे कर सकते है जबतक उनको पहलेसे उसका प्रशिक्षण न दे? सेनाके असैनिक शिविर अनुचरोमे भी उचित अनुशासनकी आवश्यकता होती है, अन्यथा वे मददगार होनेके बजाय एक निश्चित मुसीबत बन जाते है। लेकिन एक ऐसे मन्त्रीसे हमे सामान्य विवेक अथवा न्यायसे काम लेनेकी आशा नही हो सकती जो अपने-आपको इतना भूल जाता है कि निर्दोष लोगोके पूरे समाजको व्यर्थ ही अपमानित कर बैठता है।

एक मंत्रीके रूपमें उनका काम यह है कि वे अपनी व्यक्तिगत द्वेष भावनाको अपने मनमें ही रखें। उनके विविध अवसरोंपर दिखाये गये रुखके मुकाबले हम हालमें प्रकाशित 'नेटाल ऐडवर्टाइजर' के सम्पादकीय लेखका स्वागत करते हैं। हम इस लेखको अन्यत्र छाप रहे हैं। हमारा सहयोगी भारतीयों तथा अन्य रंगदार लोगोंको वह श्रेय देकर उचित ही करता है जिसके वे अधिकारी हैं। उसने नागरिक सेना काननकी धारा ८३ की ओर संकेत करते हुए कहा है कि रंगदार टुकड़ीका कोई साधारण सदस्य तबतक बारूदी हथियारसे सज्जित न किया जायेगा **जबतक ऐसी टुकड़ियोंको यूरोपीयोंके अलावा दूसरोंके विरुद्ध लड़नेकी आज्ञा न दी जाये।** इससे अब स्पष्ट हो जाता है कि यदि अभाग्यवश किसी भारतीय दलको सशस्त्र करनेकी आवश्यकता आ ही गई तो अनभवहीन लोगोंके हाथोंमें वे हथियार व्यर्थ साबित होंगे। अधिकारी कुछ समय पूर्व दिये गये हमारे सुझावोंको[1] क्यों नहीं मान लेते और भारतीयोंका एक स्वयंसेवक दल क्यों नहीं संगठित करते? हमें विश्वास है कि विशेषकर उपनिवेशमें उत्पन्न भारतीय — जो नेटालके उतने ही अपने बच्चे हैं जितने कि गोरे लोग — अपना फर्ज भली भांति अदा करेंगे। उपनिवेशी लोग यह आग्रह क्यों नहीं करते कि उनको अपने जीवटका प्रमाण देनेका मौका अवश्य दिया जाये।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१–३–१९०६

२६८ ट्रान्सवालका संविधान

ट्रान्सवालके मामलोंके सम्बन्धमें जिस जांच समितिकी बहुत चर्चा थी, उसको नियुक्त करनेमें ब्रिटेनकी सरकारने जरा भी विलम्ब नहीं किया है। इसके सदस्योंमें से दो — सर वेस्ट रिजवे[2] और लार्ड सैंडहर्स्टको[3] भारतीय मामलोंका अनुभव है। जांचका दायरा यह पता लगाने तक सीमित है कि नये संविधानका आधार क्या हो। सरकारके लिए "बिना जानकारीके संविधान बना देना सम्भव नहीं है और यह जानकारी वह आपसे पानेकी आशा करती है।" अन्य बातोंके साथ सदस्योंको इस बातपर भी विचार करना पड़ेगा कि "किन हितोंमें सामंजस्य और किनमें विभेद है", एवं राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियां कैसी हैं। यद्यपि यह कहना कठिन है कि जांचकी सीमामें रंगदारोंके मताधिकारका प्रश्न आता है या नहीं, फिर भी आशा की जानी चाहिए कि आयुक्तोंको इस कठिन और नाजुक सवालपर सलाह देनेका पूरा अधिकार होगा। टान्सवालमें तथा अन्यत्र जो घटनाएँ घट रही हैं उनसे इन स्तंभोंमें व्यक्त किये गये इन विचारोंकी गुरुता प्रकट होती है कि भारतीय अधिकारोंकी रक्षाके किसी अन्य उपायके अभावमें, भारतीयोंको प्रतिनिधित्व देना आवश्यक जान पड़ता है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१–३–१९०६

१ देखिए "भारतीय स्वयंसेवकोंकी आवश्यकता", पृष्ठ २४३।
२ श्रीलंका (सीलोन) के भूतपूर्व गवर्नर।
३ बम्बईके भूतपूर्व गवर्नर।

२६९ ट्रान्सवालकी खानोके लिए भारतीय मजदूर

प्रस्ताव है कि भारतसे मजदूर मगानेके लिए भारत सरकारसे वार्ता की जाये। इस सम्बन्धमे समुद्री तारोसे ट्रान्सवालके अखबार भरे पड़े है। हमे खुशी है कि जो आग्ल भारतीय इग्लैंडमे है वे इस प्रस्तावके विरुद्ध है। और इसके दो कारण है पहला कारण यह है कि भारतीय खान-मजदूरोमे मृत्यु सख्या बहुत ज्यादा होगी, और दूसरे भारतको स्वय अपने खान उद्योगके लिए सभी भारतीय खान मजदूरोकी आवश्यकता है। यह स्मरणीय है कि, जब लाड मिलनरने लाड कर्जनसे रेल निर्माणके लिए दस हजार भारतीय मागे थे तब लाड कर्जनने कहा था कि वे तबतक कोई सहायता नही देगे जबतक ट्रान्सवालवासी ब्रिटिश भारतीयोकी शिकायते दूर नही कर दी जाती।[1] यह दो साल पहलेकी बात है। लाड कर्जनकी इनकारीके वक्त ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोकी स्थिति जैसी थी आज उससे बेहतर नही है। इसलिए तीन पर्याप्त कारण है जिनके आधारपर ट्रान्सवालकी खानोके लिए भारतीय मजदूर नही दिये जाने चाहिए। हम समझते है कि किसी भी हालतमे ट्रान्सवालके प्रवासी ब्रिटिश भारतीयोकी निर्योग्यताओके निवारणके बदले भारतीय श्रमिकोकी स्वतत्रताको बेच देना कोई श्रेयस्कर काय न होगा और उससे बहुत बुरी मिसाल कायम होगी। हमारी सम्मतिमे, हर सवालपर उसके गुणावगुणके आधारपर ही विचार किया जाना चाहिए। हमे इसमे कोई सन्देह नही कि ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय अपनी स्वतत्रतामे वृद्धि करवानेसे इनकार कर देगे यदि उसके कारण उनके ज्यादा गरीब देशवासियोकी स्वतन्त्रतापर अन्यायपूर्ण और अस्वाभाविक प्रतिबन्ध लगते हो। हम यह भी अनुभव करते है कि हजारो भारतीय खान मजदूरोको ट्रान्सवालमे लानेसे स्थिति, जो आज भी अनेक कठिनाइयोसे भरी हुई है, और भी जटिल हो जायेगी इसलिए हम आशा और विश्वास करते है कि श्री मॉर्ले और लाड मिटो अपने सरक्षितोके हितोकी हानि करके ट्रान्सवालकी सहायता करनेके प्रत्येक प्रस्तावका दृढतापूर्वक विरोध करेगे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३१–३–१९०६

२७० केपके भारतीय

मार्च १६ के केप 'गवनमेंट गजट' मे १९०२ के केप प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम सशोधनका विधेयक छपा है। जहातक ब्रिटिश भारतीयोका सम्बन्ध है यह विधेयक निश्चय ही एक प्रतिगामी कदम है।

१९०२ के कानूनकी सकल्पना गुप्त रूपसे की गई थी और जनताके सामने उसे अशोभनीय जल्दबाजीके साथ लाया गया था — यहातक कि, केप विधानसभाके अनेक सदस्योने सदनसे उसको पास करानेमे इतनी उतावलीपर आपत्ति की थी। फिर भी कानून पास कर दिया गया। अब इस विधेयक द्वारा उसे सशोधित करनेका प्रस्ताव किया गया है। ब्रिटिश भारतीयोने सरकारसे इसके सम्बन्धमे निवेदन किया तो उनको करीब करीब विश्वास करा दिया गया कि सरकार शीघ्र ही कानूनको उनकी सुझाई दिशामे बदलेगी और शायद सदनसे महान भारतीय भाषाओको

१ देखिये खण्ड ४, पृष्ठ १०९–१०।

शैक्षणिक परीक्षाके लिए मान्यता देने और जो लोग उपनिवेशमे बस चुके हृ उनके हितके लिए घरेलू नौकरो तथा दूसरोके प्रवेशकी उचित व्यवस्था करनेके लिए कहेगी। लेकिन कानूनमे ऐसा कोई सुधार करनेके बजाय इस विधेयकसे ब्रिटिश भारतीयोकी स्वतत्रतापर और भी अधिक प्रतिबन्ध लगेगा, ऐसा खयाल है। यह कहनेसे कि यह सभीपर एक-सा लागू है, भारतीयोपरसे इसका घातक प्रभाव चला नही जाता। यह मुख्यत उन्हीके लिए बनाया गया है। वतमान कानूनमे प्रवासीकी कोई परिभाषा नही है। इसलिए उसमे यह सामान्य काननी परिभाषा लागू होती है कि प्रवासी वह है जो यहाँ बसनेकी नीयतसे प्रवेश करता है। इससे निष्कष यह निकलता है कि कानूनमे मन्त्रीको पूरा अधिकार है कि वह यात्रियोको अभ्यागत पास दे दे, और जो भारतीय या दूसरे लोग अस्थायी रूपसे, उपनिवेशमे आना चाहे उनको परेशान किये बिना प्रवेश करने दे। विधेयकमे यह सब बदल दिया गया है, और प्रवासीकी परिभाषा इस प्रकार की गई है — "कोई भी व्यक्ति जो इस उपनिवेशमे खुश्की या समुद्रकी राह बाहरसे आकर प्रवेश करता है अथवा प्रवेश करनेकी माग करता है।" हमारी समझसे ऐसी परिभाषामे, जो बिलकुल अस्वा-भाविक है, उन यात्रियोके लिए, जो उपनिवेशसे गुजरना या इसमे अस्थायी रूपसे रहना चाहते हो, व्यवस्थाकी कोई गुजाइश न रह जायेगी। इससे एक दूसरा भी बहुत बडा अन्तर होता है। जब कि १९०२ का कानून दक्षिण आफ्रिकामे स्थायी रूपसे आबाद लोगोपर लागू नही होता, इस विधेयकमे सिफ उन लोगोको छट है, "जो मन्त्रीको सन्तोष दिला दे कि वे उपनिवेशमे स्थायी रूपसे बस गये है और पूववर्ती धाराकी क ड और च उपधाराओके अन्तगत नही आते।" इसलिए प्रतिबन्ध ओर कठोर हो गये हृ और उनसे इस उपनिवेशमे ब्रिटिश भारतीयोके प्रवेशके मागमे अनन्त बाधाएँ आती है। 'अधिवास' का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयकी व्याख्यापर छोडनेके बजाय अब मन्त्रीके हाथमे छोड दिया जायेगा। अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक ऐसे मामलेपर टीका की थी कि जो केपमे हुआ था और जिसके सर्वोच्च न्यायालयमे ले जा पानेके कारण एक भारतीय दक्षिण आफ्रिकामे अपना अधिवासका दावा सिद्ध कर सका था। अगर वह बेचारा मन्त्रीकी दयापर छोड दिया गया होता तो उसको बहुत मुसीबते झेलनी पडती। फिर इसमे 'अधिवास' सिफ केप उपनिवेश तक सीमित है। इसलिए जो भारतीय अब भी ट्रान्सवाल या नेटालमे है, वे इस उपनिवेशमे प्रवेश नही कर सकेगे। हम विश्वास करते हृ कि केप टाउनकी ब्रिटिश भारतीय समिति इस मामलेको अपने हाथमे लेगी और लोगोको उचित राहत दिलानेका प्रयत्न करेगी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१–३–१९०६

२७१ कुमारी बिसिक्सकी[1] मृत्यु

हम कत्तव्यवश यह दु खद समाचार दे रहे है कि एक ऑपरेशनके बाद जोहानिसबगकी कुमारी ऐ० एम० बिसिक्सकी मत्यु हो गई। कुमारी बिसिक्स एक सुयोग्य अग्रेज महिला थी। उन्होने जोहानिसबग शाकाहार आन्दोलनमे प्रमुख भाग लिया था और वे थियोसाफिकल सोसाइटीकी एक प्रधान सदस्या थी। भारतीयोके प्रति वे अनेक प्रकारसे गहरी सहानुभूति रखती थी। उनकी मत्युपर बहुत शोक प्रकट किया जायेगा।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३१–३–१९०६

२७२ ट्रान्सवालमे अनुमतिपत्र सम्बन्धी जुल्म

हमें पता चला है कि टासवालमे अनुमतिपत्र सम्बधी जुल्म दिन दिन बढता जा रहा है। मालूम होता है कि अब अस्थायी अनुमतिपत्र देना बिलकुल बद कर दिया गया है। श्री इस्माइल मगाके भतीजे श्री सुलेमान मगा ने, जो हाल ही विलायतसे डबन आए थे, डेलागोआ बे जानेके लिए अस्थायी अनुमतिपत्र मागा था। लेकिन उपनिवेश सचिवने उनकी अर्जी मजूर नही की और श्री सुलेमान मगाको समुद्री मागसे जाना पडा। यह जुल्म कुछ कम नही कहा जायेगा।

जापानके श्री नोमूराको अस्थायी अनुमतिपत्र मिलनेमे दिक्कत हुई थी, और उन्होने इसके लिए समूचे ट्रान्सवालको थर्रा दिया। श्री नोमूराकी तुलनामे श्री सुलेमान मगाका अधिकार ज्यादा था, क्योकि वे ब्रिटिश प्रजा है। शिक्षाके लिहाजसे भी श्री नोमूराकी तुलनामे श्री सुलेमान मगाका हक अधिक था, फिर भी उन्हे ट्रान्सवालसे गुजरनेकी इजाजत नही मिली।

यह तो मौजूदा तकलीफोका केवल एक नमना है। जो खबरे हमारे पास आ रही है, वे सब सच हो तो कहना होगा कि लाड सेल्बोनने जो वचन दिया है, उसका पालन होनेके बजाय भग हो रहा हे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ३१–३–१९०६

१ देखिए पादटिप्पणी, पृष्ठ ३६।

२७३ लडाईके दावे

जिन लोगोको लडाईके कारण क्षति पहुँची थी, उन्होने सरकारके सामने अपने दावे पेश किये थे। इन दावोकी जाचके लिए जो आयोग नियुक्त किया गया था, उसके सदस्योने जाच पूरी कर ली है। उनकी रिपोर्टसे पता चलता है कि लगभग ९०,००० दावे दायर हुए थे, और दावेदारोने २० ००,०००[1] पोडका दावा किया था। उन्हे ९५,००,०००[1] पौड दिये गये है। इनमे से ५० ००,००० पौड आरेज रिवर कालोनीके डच नागरिको (बगस) और २०,००,००० पौड ब्रिटिश प्रजाजनोको तथा दूसरोको दिये गये है। शेष रकम ट्रासवालके और फ्राइहीडके डच नागरिकोको मिली है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ३१–३–१९०६

२७४ भारतीय मामलोके लिए ब्रिटिश ससद-सदस्योकी नई समिति

सर विलियम वेडरबन भारतका हित करनेका एक भी अवसर चूकते नही है। 'इडिया' समाचारपत्रके पिछले अकसे पता चलता है कि उन्होने सभा करके भारत सम्बन्धी एक ससद-समिति (इडियन पालमेटरी कमिटी) को फिर खडा किया है। ऐसी एक समिति कुछ साल पहले थी, जो पिछली ससदके समय लगभग टूट गई थी। इस समितिमे भारतका हित चाहनेवाले सदस्य सम्मिलित होते है। इस बार जो समिति बनी है वह बहुत जबरदस्त है। उसमे कई प्रख्यात सदस्य सम्मिलित हुए है। सर हेनरी कॉटन श्री हरबट राबट्स, श्री पिकस गिल, श्री ओ'डोनल आदि सुप्रसिद्ध सदस्य इस समितिमे दाखिल हुए ह, और उनका यह खयाल है कि नई ससदमे भारतके साथ न्याय होगा। इस सबके लिए हमे सर विलियम वेडरबनका आभार मानना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ३१–३–१९०६

२७५ सर जॉर्ज बर्डवुडकी बहादुरी और एक क्लबका हल्कापन

लन्दनमे सेट स्टीवन्स क्लब एक बहुत पुराना और मशहूर क्लब है। सर जॉज बडवुड उसके एक प्रसिद्ध सदस्य थे। उन्होने भारतमे कई वर्षो तक नौकरी की है, और भारतीयोके प्रति सदा प्रेमभाव रखा है। उन्होने एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीयका नाम स्टीवन्स क्लबकी सदस्यताके लिए पेश किया, पर दूसरे सदस्योने इसपर आपत्ति की। इस कारण उन्होने सेट स्टीवन्स क्लबकी सदस्यतासे त्याग पत्र दे दिया है। सर जाज बडवुड धन्य ह। ऐसे आग्ल भारतीयोके कारण ही भारतवासी अग्रेजी राज्यको सहन कर रहे ह।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ३१–१–१९०६

१ इसमें कुछ भूल है क्योंकि जो रकम चुकाई गई वह दावोंसे अधिक नहीं हो सकती।

२७६. कैडबरी बन्धुओकी उदारता

नौकरोको कैसे रखना चाहिए

कडबरी कोकोवाले कैडबरी बन्धुओकी पेढी सारी दुनियामे मशहूर है। उन्होने एक छोटेसे कामसे जबदस्त धधा खडा कर लिया है। वे आजकल लदनके 'डेली न्यूज' पत्रके मालिक हैं और क्वेकर सम्प्रदायके है। वे जो मुनाफा कमाते है उसमे से अपने नौकरोकी स्थिति बराबर सुधारते चले आ रहे है। उन्होने ६०,००० पौडकी एक रकम निकालकर अपने नौकराको पेशन देनेके लिए एक बडी निधि कायम की है। उनके यहा बहुत नौकर है, और उन नौकरोमे कई बहुत पुराने और वफादार है। जब इस प्रकार नौकरोकी चिता की जाती है तो इसमे आश्चय ही क्या कि नौकर बडी लगनके साथ, अपना ही काम समझ कर अपने मालिकका काम करे?

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ३१–३–१९०६

२७७. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

डॉ० अब्दुर्रहमानका भाषण

गत २१ माचको रगदार लोगोकी एक बडी सभा मिलनर हालमे हुई थी। डाक्टर अब्दुरहमान इस सभाके लिए खास तौरपर पधारे थे। डाक्टर अब्दुरहमान आफ्रिकी राजनीतिक सघ (आफ्रिकन पालिटिकल आर्गनाइज़ेशन) के सभापति हैं। वे केप टाउन नगरपालिकाके सदस्य भी है। श्री डैनियल इस सभाके सभापति थे। हाल खचाखच भर गया था। लगभग ५०० व्यक्ति हाजिर थे। उनमे कुछ भारतीय भी थे। श्री अब्दुल गनी, श्री उमर हाजी आमद झवेरी, श्री हाजी वजीर अली, श्री गाधी वगरह भी हाजिर थे।

उनके भाषणकी खास-खास बाते नीचे देता हूँ।

सभाका उद्देश्य

"आज हम इसलिए इकटठे हुए है कि हमे सम्राटके नाम अपने अधिकारोके विषयमे अर्जी भेजनी है। इसके लिए एक अर्जी तैयार की गई है, जिसपर सब 'रगदार लोगो' की सहिया ली जा रही है। जब ट्रासवालमे और आरेज रिवर कालोनीमे होनेवाली तकलीफोका हमे केपमे पता चला, तब हमने सोचा कि हमे आपके लिए जितनी बने उतनी मेहनत करनी चाहिए। इसमे हमारा भी स्वाथ है क्योकि अगर आपके अधिकार छीने जायेगे, तो आखिर केपमे भी वैसा ही हो सकता है।

दु खोकी कथा

"ट्रान्सवाल और आरेज रिवर कालोनीमे रगदार लोगोको बहुत दु ख उठाने पडते है। लेकिन उनमे मुख्य दु ख यह है कि 'रगदार लोगो' को मतदानका हक नही है और दीवानी हक तो बहुतेरे छीन लिए गये है। हम हमेशा गुलामीकी हालतमे रहेगे, तो हमारी परिस्थिति

दिन ब दिन खराब होती जायेगी। आदमीपर उसकी मर्जीके खिलाफ कर लगानेमे और उसकी जेबमे हाथ डालकर पैसोकी चोरी करनेमे कोई फक नही है। इसलिए अगर रगदार लोगोको मतदानका हक न हो, तो उनसे कर बिलकुल न लिए जाने चाहिए।

दु खका इलाज

"अब इस तरहकी तकलीफोको मिटानेका सबसे अच्छा रास्ता सम्राटके नाम अर्जी भेजनेका है। यहा हम बहुत कुछ कर चुके है। इग्लडमे इस समय नया मत्रिमण्डल है। सबको अपनी तकलीफोके दूर होनेकी आशा बॅध रही है। हम आज ही से महान प्रयत्न करेगे, तो इसमे शक नही कि धीरे धीरे हमे अपने अधिकार मिल जायेगे।

अधिकार मिलनेके कारण

"हम ऐसे अधिकारोके योग्य है। दक्षिण आफ्रिकाकी लडाईमे ईसो बहुत बडा आदमी हुआ है। उसने ब्रिटिश सरकारकी वफादारीके लिए अपनी जान गँवा दी। जब बहुतेरे बोअरोने ब्रिटिश सरकारका विरोध किया तब काले लोग वफादार बने रहे। केपमें काले लोग गोरोकी भाति ही मतदानका उपभोग कर रहे है, पर उन्होने कभी उसका दुरुपयोग नही किया। ब्रिटिश अधिकारी कह गये ह कि जो लडाई हुई वह भी हमारी खातिर ही हुई। ऐसी हालतमे हमपर जुल्म नही होना चाहिए।

एक दिक्कत

"हमारी स्थिति इतनी मजबूत है कि सम्भवत हमे ये अधिकार मिलने ही चाहिए। लेकिन इसमे एक दिक्कत मालूम होती है। जब डच लोगोके साथ सधि हुई, तब उसमे यह शत रखी गई कि उत्तरदायी शासन मिलनेसे पहले वतनी लोगोको मताधिकार नही देना चाहिए। सारा दारोमदार इसपर है कि वे "वतनी" का अथ क्या करते है। जितने लोग दक्षिण आफ्रिकामे पैदा होते ह वे सब "वतनी" कहे जाते हो, तो जो गोरे यहा पैदा होते ह वे भी "वतनी" कहलायेगे। लेकिन ऐसा अथ तो कोई नही करेगा। "वतनी" शब्दका अथ सब जगह एक ही होता है। और वह यह है कि, जिसके माता पिता वतनी हो वह "वतनी" है। अगर यह अथ सही हो, तो डच लोगोके साथ हुई सन्धिमे हमारा समावेश बिलकुल नही है। डचोके साथ जो सधि हुई, उसमे इतनी गुजाइश भी जो रह गई सो लॉड मिलनरकी बदौलत ही। फिर भी जब ब्लूमफॉटीनमे सभा हुई थी तब लॉड मिलनरने कहा था — 'यदि सबका भला हो, तो भी रगदार लोगोका क्या होगा?' यही सवाल हमे अभी पूछना शेष है।"

सभाके प्रस्ताव

इस प्रकार भाषण हो जानेके बाद दो प्रस्ताव पास हुए। एक रगदार लोगोकी अर्जी मजूर करनेका और दूसरा डॉक्टर अब्दुरहमानको प्रतिनिधिकी तरह लॉड सेल्बोनके पास भेजनेका।

इन दोना प्रस्तावोके मँजूर हो जानेपर 'गॉड सेव द किंग' का गीत गाकर सभा समाप्त हुई।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ३१–३–१९०६

२७८ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

माच ३१, १९०६

डॉ० अब्दुर्रहमान

डाक्टर अब्दुरहमान ग्यारह दिन रहकर केपको रवाना हो गये है। प्रिटोरियामे वे सर रिचड सालोमन और जनरल स्मटससे मिले थे। और ३० माचको वे जोहानिसबगमे लाड सेल्बोनसे मिले। डाक्टरने उनके सामने ट्रान्सवाल तथा आरेज रिवर उपनिवेशमे रहनेवाले केपके रगदार लोगोकी शिकायते पेश की। लाड सेल्बोनके उत्तरका सार यह था कि वे अभी तत्काल तो कुछ भी कर सकनेमे असमथ ह, जब नया विधान बनेगा तब यथासम्भव सहायता करगे। वे बडे विनयशील ह और सदभावना रखते है। लेकिन सवाल यह है कि जब नया विधान बनेगा तब वे यहा होगे भी या नही।

डॉक्टर अब्दुरहमानसे मिलनेके लिए ब्लूमफॉटीन स्टेशनपर केपके बहुतसे रगदार लोग हाजिर थे।

ट्रामका मुकदमा

ट्राम प्रणालीका जो मुकदमा मजिस्ट्रेटकी अदालतमे जीता था, उसपर नगर परिषदने अपील करनेकी सूचना दी थी।[1] अब उसके वकीलने सूचित किया है कि नगर-परिषद अपील नही करना चाहती। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अभी एक और मुकदमा लडनेके बाद भारतीयाको ट्राममे चलनेकी छूट मिलेगी। क्योकि नगर परिषदका खयाल है कि पिछले मुकदमेमे उसने अच्छी तरह मोर्चा नही लिया। इसलिए मुझे डर है कि हमारे लोगोको अभी और राह देखनी होगी।

घरोकी जाच

डॉक्टर पोटरने घरोकी कडी जाच शुरू की है। डोरनफॉटीन जैसे मुहल्लेमे एक गोरेका पूरा मकान बन्द करवा दिया है और उसे अपना मकान गिरा देनेके लिए मजबूर किया है। इसलिए जहा जहा भारतीयोके घर खराब हो वहा मकान मालिकोको चेतकर चलना है।

चीनी मजदूर

चीनियो सम्बन्धी खलबली अभीतक जारी है। खानवालोके मन अस्थिर है। इस कारण व्यापार दिनपर दिन कमजोर होता जा रहा है, और सम्भव है कि अभी कमसे-कम एक साल तक व्यापारकी हालत ऐसी ही रहेगी।

सैकडो गोरे मजदूर, राज, चित्रकार आदि कामके अभावमे बैठे हुए है। ब्लूमफॉटीनके रेलवे विभागमे ५०० मजदूर थे। अब उनमे से ३०० बचे ह। उनमे से १५० को सरकारने चले जानेकी सूचना दी है।

झूठे अनुमतिपत्रसे अथवा बिना अनुमतिपत्रके दाखिल होनेके बाबत दो भारतीय गिरफ्तार हुए है। उनके मुकदमे ९ अप्रैलको शुरू होनेवाले है। दोनो जमानतपर छूटे है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७–४–१९०६

१ देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ २३९–४०।

२७९ पत्र छगनलाल गांधीको

जोहानिसबर्ग
अप्रैल ६, १९०६

प्रिय छगनलाल,

तुम्हारी चिट्ठी मिली। क्या तुम्हारी चिट्ठीका यह अर्थ निकालूँ कि मेरी भेजी हुई गुजराती सामग्री तुम्हें बुधवारको जाकर मिली? अगर ऐसा हो तब तो कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि मैंने इसका बहुत खास प्रबन्ध किया था कि इतवारको लिखी हुई सामग्री चार बजेसे पहले डाकमें छोड़ दी जाये। शनिवारको लिखी गई सामग्री समयपर रवाना की गई थी। मैंने तुमसे तारीखकी मोहरवाले लिफाफे भेजनेको कहा था, ताकि बातकी यहाँ जाँच पड़ताल कराई जा सके।

पूरे पृष्ठ, आधे पृष्ठ और चौथाई पृष्ठके विज्ञापनोंकी दरें देनेमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए? मेरी समझमें ये दरें कितना टाइप लगता है, इसपर तो निर्भर नहीं करतीं। कोई व्यक्ति निश्चित स्थानका पैसा देता है तो फिर हमें चाहिए कि हम जहाँतक बने, उतनी ही जगहमें उसकी जरूरतकी सब बातें दे दें। ऐसी स्थितिमें जगहकी दरें देना कठिन नहीं होना चाहिए। तुमसे दरें मिलते ही केप टाउनसे खासा विज्ञापन मिलनेकी सम्भावना है। इसलिए इसमें देरी मत करना।

श्रीमती मैकडानल्डके बारेमें तुम्हारे निर्णयकी राह उत्सुकतासे देख रहा हूँ।

मगनलाल अच्छा हो रहा है, जानकर खुशी हुई। उसे अपनी शक्तिसे अधिक काम नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर उसे बहुत कमजोरी लगे तो अभी और एक दो दिन काम न करे, क्योंकि अगर फिर पटकनी खा गया तो उसकी तबीयत पहलेसे भी ज्यादा खराब हो जायेगी और उसको कमजोरीका अनुभव होगा।

मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि श्री भायातका पत्र प्रकाशित मत करना। पिछले हफ्ते मैंने वह पत्र यह लिखकर वापस कर दिया था कि इसे छापना नहीं है। श्री भायातका जो पत्र तुमने मुझे भेजा है, मैं उसे अब नष्ट कर रहा हूँ।

कुछ ध्यानमें नहीं आता, आर० के० नायडू कौन हैं। लॉरेंसकी मारफत यह पैसा पानेका प्रयत्न करो। मैंने यह तो तुमसे कह ही दिया है कि जो लोग पैसा चुकानेमें लगातार लापरवाही कर रहे हैं तुम उन्हें अपनी मर्जीसे तकाजेके पत्र भेज सकते हो।

तुम्हारा शुभचिंतक,
मो० क० गांधी

सलग्न १

श्री छगनलाल खुशालचन्द गांधी
मारफत **इंडियन ओपिनियन**
फीनिक्स

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४३४५) से।

२८० पत्र उपनिवेश-सचिवको

डबन
[अप्रल ७, १९०६ के पूव]

सेवामें
माननीय उपनिवेश सचिव
पीटरमरित्सबग

महोदय,

हमें आपके गत मासकी २४ तारीखके पत्रकी प्राप्ति सूचना देनेका मान प्राप्त हुआ है। पत्रमे आपने उस विषयपर, जिसकी हमने अपने पिछले मासकी १० तारीखके पत्रमें[1] चर्चा की थी, विस्तारसे लिखा है। इसके लिए हमारी कांग्रेसकी समिति आपकी आभारी है।

हमारी समिति खुले तौरपर स्वीकार करती है कि उन पासो और प्रमाणपत्रोका, जिनकी चर्चा हमारे पत्रमें की गई है, उद्देश्य इस तरहके पास रखनेवाले लोगोके गमनागमनको सुविधा जनक बनाना है।

हमारी समितिका निवेदन है कि ऐसे पास उन लोगोके सन्तोषके लिए दिये जाते ह, जो अधिनियम लागू करनेके पक्षमे हैं।

हमारी समितिका दावा है कि यद्यपि अधिनियमसे प्रभावित कुछ लोगोका आव्रजन वर्जित है, तथापि उनका उपनिवेशसे होकर गुजरना, निकलना या यहा अस्थायी रूपमे रहना वर्जित नही है। यद्यपि वे लोग, जो उपनिवेशमे रहनेके अधिकारी है, अधिवासी प्रमाणपत्र आदि लेनेके लिए बाध्य नही है, फिर भी जिस सख्तीसे अधिनियम लाग किया जा रहा है उससे भारतीयोके लिए प्रमाणपत्र रखना निता त आवश्यक हो गया है।

हमारी समिति यह जानती है कि ज्यादातर ट्रान्सवालके भारतीय ही अभ्यागत पास लेते है। यह स्वाभाविक है, क्योकि दोनो उपनिवेशोमे परस्पर काफी व्यापार होता है।

हमारी समितिकी नम्र राय है कि अभ्यागत-पास देकर ट्रान्सवालके भारतीयोको हर तरहकी सुविधा देनी चाहिए। अभ्यागत और नौकारोहण — दोनो किस्मके पास जिनपर इतना शुल्क लगा दिया गया हे कि वह दिया ही न जा सके, रेलवेके लिए अधिक राजस्व प्राप्त करनेके साधन ह। स्वर्गीय श्री एस्कम्बके प्रशासन कालमे जब इसी प्रकारके शुल्क लगाये गये थे, यह सारा सवाल उठाया गया था, और हमारी समितिके निवेदन करनेपर, उ हे तत्काल वापस ले लिया गया था।

हमारी समिति महसूस करती है कि पत्नियोके पासो तथा नौकारोहण एव अभ्यागत पासोके लिए शुल्क लेना एक अत्यन्त गम्भीर बात है। इसलिए वह इसपर पुर्नविचार करनेकी प्राथना करती है।

आपके आज्ञाकारी सेवक,
ओ० एच० आमद जौहरी
एम० सी० आगलिया
अवैतनिक सयुक्त म त्री, नेटाल भारतीय काग्रेस

[अंग्रेजीसे]
इंडियन ओपिनियन, ७–४–१९०६

१ देखिए 'पत्र उपनिवेश सचिवको", पृष्ठ २२९–३० ।

२८१ पत्र 'लीडरको'[1]

भारतीय कब भारतीय नहीं होता?

[जोहानिसबर्ग
अप्रैल ७ १९०६ के पूर्व]

सेवामें
सम्पादक
'लीडर'
जोहानिसबर्ग

महोदय,]

कुछ दिन पहले जापानी प्रजाजन श्री नोमूरासे आपने सार्वजनिक रूपसे माफी मागी थी, क्योंकि मुख्य अनुमतिपत्र सचिवने उक्त सज्जनको अस्थायी अनुमतिपत्र देनेसे इनकार कर दिया था। क्या मैं एक ब्रिटिश प्रजाके लिए आपकी सहानुभूति प्राप्त कर सकता हूँ? मुझे मालूम हुआ था कि श्री सुलेमान मगा[2] एक ब्रिटिश भारतीय है। वे बैरिस्टरीका अध्ययन कर रहे हैं। डेलागोआ बेमें बसनेवाले अपने रिश्तेदारोंसे मिलनेके लिए इंग्लैंडसे आये थे। मुझसे उनके लिए अनुमतिपत्रकी अर्जी देनेके लिए कहा गया था, जिससे डर्बनसे डेलागोआ बे जाते हुए वे ट्रान्सवालसे गुजर सकें। सरकारने अनुमतिपत्र देनेसे इनकार कर दिया और अपने निर्णयका कोई कारण बतानेसे भी वह अबतक इनकार ही करती गई है। श्री नोमूराका प्रतिनिधित्व करनेका श्रेय भी मुझे मिला था। उनका दर्जा निश्चय ऊँचा था, परन्तु सम्भवत श्री मगाका दर्जा ज्यादा ऊंचा है। वे डेलागोआ-बेके एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय व्यापारीके पुत्र हैं और स्वयं मिडिल टेम्पलके एक सदस्य है। फिर भी, ब्रिटिश भारतीयके रूपमें वे ट्रान्सवालसे गुजर नहीं सके।

अब मुझे मालूम हुआ है कि श्री मगाको ब्रिटिश भारतीय समझनेमें मैंने भूल की थी। समुद्रकी राह डेलागोआ बे पहुँचकर उन्होंने सरकार द्वारा अनुमतिपत्र पानेके लिए दूसरा निष्फल प्रयत्न किया, सरकार अपना निर्णय बदलनेको तैयार न हुई। वे पुर्तगाली भारतमें पैदा हुए थे, इसलिए उन्होंने पुर्तगाली नागरिकके अधिकारोंका दावा किया। इस हैसियतसे उन्होंने डेलागोआ-बेकी सरकारके सचिवको लिखा, और उक्त सचिवके हस्तक्षेपसे ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेका अस्थायी अनुमतिपत्र उन्हें मिल गया है। पोर्तुगाली प्रजा श्री मगाकी विजय हो गई है, ब्रिटिश प्रजा श्री मगा अपमानित किये गये हैं। ऐसा है वह पुरस्कार जो अपने असाधारण धैर्य और सहनशीलताके लिए ब्रिटिश भारतीय समाजको सरकारकी ओरसे मिला करता है।

[आपका, आदि,
मो० क० गांधी]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-४-१९०६

१ बिना तिथिका यह पत्र "निरर्थक भेद-भाव" (डिस्टिंक्शन विदाउट डिफरेंस) शीर्षकसे लीडरके ७ अप्रैलके अंकमें प्रकाशित हुआ था।

२ देखिए "ट्रान्सवाल अनुमतिपत्र अध्यादेश", पृष्ठ २८८-९ और पत्र विलियम वेडरबर्नको", पृष्ठ २८३-६।

२८२ पत्र छगनलाल गांधीको

जोहानिसबर्ग
अप्रैल ७, १९०६

चि० छगनलाल,

श्री बीनकी मारफत मुझे पासल मिल गया है। मै चाहता हूँ, तुम हेमचन्दसे काम लो और उसे कहो कि दफ्तरी बातोके बारेमे वह मुझे लिखा करे। मुझे सब बातोकी ठीक खबर मिलती रहना बहुत जरूरी है। तुमपर कितना बोझ है, इसका मुझे पूरा भान है, मगर जो सहयोग तुम्हे प्राप्त है, उसका लाभ उठाकर बोझ हल्का करना न-करना तुम्हारे हाथमे है। बेशक गोकुलदाससे भी तुम कह सकते हो कि वह मुझे थोडा-सा लिख दिया करे। मेरी भेजी हुई सारी सामग्रीकी पहुँच मुझे मिलनी चाहिए, ताकि अगर कुछ गडबड हो जाये और समय हो तो मै और सामग्री भेज सकू। श्रीमती मैकडानल्डके बारेमे तुम्हारी सम्मति जाननेको बहुत ही उत्सुक हूँ। सो हेमचन्द या गोकुलदास या आनन्दलालके जरिये भी सूचित की जा सकती है। कितनी तफसीले है, जिनपर मुझे ध्यान देना चाहिए, मगर तुम्हारी तरफसे जानकारी पाये बिना म वसा नही कर सकता। मोतीलालने लिखा है कि बम्बईसे कोई नया आदमी आया है। नाम धोरीभाई है। उसका कहना है कि उसे छापाखानेका काम अच्छी तरह आता है। वह रहनेकी जगह और ४ पौड माहवारपर काम करनेको तयार है। अगर तुम्हे लगे कि काम बहुत है तो इस आदमीको देखना चाहिए। कुछ भी हो, तीन बाते निहायत जरूरी है

(१) हिसाब बा-कायदा रखा जाये।
(२) अखबारमे सामग्रीकी कमी न रहे।
(३) तुमपर अत्यधिक बोझ न पडे।

इन तीनमे से एककी भी उपेक्षासे सब उलट पुलट हो जायेगा। तुम्हारे जरूरतसे ज्यादा काम करनेका एक परिणाम दफ्तरी लिखा पढीकी उपेक्षा है। जसे, दरे तुम्हे एकदम भेजनी चाहिए थी। तो मै चाहता हूँ कि इसपर सावधानीसे सोचो और परिस्थिति ठीक करो। इसी विचारसे मने श्रीमती मैकडॉनल्डका नाम सुझाया है। वे बहुत उत्तम काम करनेवाली है। व्यवस्थित है और परिश्रममे तुम्हारा या श्री वेस्टका मुकाबिला करती है। मुझे इसमे कोई सदेह नही कि वे हिसाब किताब सँभाल सकेगी। शायद मै अगले हफ्ते वहा आऊँगा। ईस्टरकी छुट्टिया खत्म होनेके पहले मै टिकट खरीद लेना चाहता हूँ, मगर आनेके पहले श्रीमती मैकडॉनल्डके बारेमे तय कर लेना चाहता हूँ, ताकि अगर जरूरत हो तो उन्हे साथ ला सकू। आज कुछ गुजराती सामग्री भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ कि सोमवार तक तुम्हें मिल जायेगी। अगर तुम और श्री वेस्ट दोनो, और दूसरे भी, किसी निणय तक पहुँचकर इस मामलेमें तार कर दो तो बहुत अच्छा हो। आनन्दलाल, मगनलाल और सैमसे भी पूछ लेना। अगर बदलेमे 'वीकली

स्टार' या 'साप्ताहिक लीडर' या 'साप्ताहिक रड डेली मेल' आये तो श्री आइजकके पास भिजवाना।

मोहनदासके आशीर्वाद

श्री छगनलाल खुशालचद गाधी
मारफत 'इडियन ओपिनियन'
फीनिक्स

मल अग्रेजी प्रतिकी फोटो नकल (एस० एन० ४३४७) से।

२८३. शरण-स्थल

दक्षिण आफ्रिका जिस उथल पुथलमे से गुजर रहा है, उसमे विभिन्न उपनिवेशोके यायालय प्रमुख सुरक्षा स्थलोका काम कर रहे ह। हम एक भारतीयके मुकदमेमें न्यायमूर्ति वेसेल्सका फैसला छाप चुके ह।[1] इस अकमे हम एक चीनीके मुकदमेमे यायमूर्ति मेसनका फैसला 'ट्रान्सवाल लीडर' से उद्धत करते हैं। चूकि ट्रान्सवाल इस समय बहुत ही अत्याचारपूण कानूनोसे पीडित है, इसलिए इस उपनिवेशमे यायाधीशोको अपनी परम्परागत स्वतत्रताका प्रयोग करने और प्रजाकी स्वाधीनताकी रक्षा करनेकी आवश्यकता है।

विदेशी श्रम विभागमे पुलिसका एक चीनी सिपाही तकलीफदेह साबित हुआ है। इसलिए, ऐसा जान पडता है, वह विदेशी श्रम विभागके अधीक्षककी आज्ञासे वारटके बिना गिरफ्तार कर लिया गया। उसको हथकडिया पहनाई गइ और एक काल कोठरीमे बन्द कर दिया गया। फिर चीनी श्रम-अध्यादेशकी एक धाराके अतगत उसको उसके देश वापस भेजनेका हुक्म जारी कर दिया गया। डबन भेजे जानेसे पूव उस अभागे सिपाहीको कानूनी सहायता लेने अथवा अपने मित्रोसे भेट करनेकी अनुमति नही दी गई। अगर वह छुपे तौरपर और अधीक्षकके पीठ पीछे वकालत नामेपर हस्ताक्षर न कर देता तो उसको शायद राहत न मिलती और वह अपने मामलेकी सुनवाईके बिना ही चीन चला गया होता। सिपाही खतरनाक आदमी था या नही, यह अप्रासगिक है। हम मामलेकी सत्यता और असत्यतापर भी विचार नही करते। हमने जो तथ्य ऊपर दिये हैं, वे स्वीकार किये जा चुके है।

विदेशी श्रम-विभागके अधीक्षकको सूचित कर दिया गया था कि अभियुक्त द्वारा नियुक्त वकील सर्वोच्च यायालयमे बन्दी प्रत्यक्षीकरणकी आज्ञा निकालनेकी दरखास्त देगे। तिसपर भी न्यायालयका आदेश निकलनेके पूव ही वह आदमी डबनको रवाना कर दिया गया। तथापि, अधीक्षकको सर्वोच्च न्यायालयमे स्वय हाजिर होने तथा सिपाहीको भी हाजिर करनेका आदेश दिया गया। मुकदमेकी सुनवाई प्रिटोरियामे ३० माचको न्यायमूर्ति मेसनके समक्ष हुई। उस अवसरपर अधीक्षकने यह कहकर आवेदनपत्रको विफल करनेकी पुन चेष्टा की कि चीनी श्रम-अध्यादेशके अनुसार परवानेके बिना इस देशमे, किसी भी चीनीका प्रवेश निषिद्ध है और चूकि अब ऐसे परवाने बन्द कर दिये गये है, इसलिए उसके लिए सिपाहीको पेश कर सकना बिलकुल असम्भव है।

1 देखिए न्यायका दुर्ग' पृष्ठ २५९-६०।

उस चीनीकी तरफसे श्री स्मटसने बहस की, और न्यायमूर्ति मेसनने फैसला देते हुए अधीक्षककी कारवाईकी तीव्र भर्त्सना की। उन्होंने कहा

तत्वत और वस्तुत इस मुकदमेकी एक अत्यन्त गम्भीर बात यह है कि विदेशी श्रम-विभागके अधीक्षकने चीनी सिपाहीसे किसीको नहीं मिलने दिया और इस प्रकार अपनी सत्ताका अत्याचारपूर्ण प्रयोग किया। मैं इसे निस्सन्देह एक बहुत ही गम्भीर बात मानता हूँ। मेरे खयालसे इस प्रकार किसी भी व्यक्तिके गैरकानूनी ढँगसे हटाये जाने और उसके साथ गैरकानूनी व्यवहारको रोकनेका एकमात्र उपाय प्रत्येक व्यक्तिके इस अधिकारको मान्य करना है कि उसका जो भी मित्र उससे मिलना चाहे वह उससे मिल सके। अधीक्षकके कार्यका परिणाम इस प्रकारकी किसी भी कारवाईको विफल करनेवाला था और उसने कुलीको, उस सूचनाके बावजूद जो कुलीके वकीलोंने उसको दी थी, उपनिवेशके बाहर भेज कर अनुचित काम किया।

विद्वान न्यायाधीशने अधीक्षकको आदेश दिया है कि वह उस चीनीको हाजिर करे और यह बताये कि जब चीनीकी रक्षाके लिए अदालतके सामने आवेदनपत्र दिये जानेकी बात उसको मालूम थी, तब वह उक्त चीनीको उपनिवेशसे निर्वासित करके अदालतकी मान हानि करनेके अपराधमें दण्डित क्यों न किया जाये? न्यायाधीशने यह भी आदेश किया है कि मुवक्किलने वकीलके सम्बन्धमें दरखास्तपर जो खर्च किया है वह सब श्री जेमिसन[1] देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह आदेश, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने इसलिए दिया है कि अधीक्षकने किसी भी आदमीको आवेदक तक न पहुँचने देनेमें अपनी शक्तिका अन्यायपूर्ण प्रयोग किया है।"

यहाँ एक तरफ एक अधिकारी है — बहुत प्रभावशाली पदपर आसीन, दूसरी तरफ पुलिसका एक गरीब सिपाही है। फिर भी सिपाही ट्रान्सवालमें सर्वोच्च न्यायाधिकरणके सामने अपनी फरियादकी सुनवाई करनेके अपने अधिकारका उपयोग कर सका है। खुद अधीक्षकको ऐसी संस्थापर गर्व होना चाहिए जो सम्राट्के छोटेसे छोटे प्रजाजनके स्वातन्त्र्यकी इस प्रकार रक्षा करती है, क्योंकि यह बात सहज ही कल्पनामें आ सकती है कि उसने उस चीनीके साथ जो कुछ किया, वही उसके साथ उससे बड़े अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। सम्भव है यह श्री जेमिसनकी समझकी भूल हो परन्तु प्रजाके स्वातन्त्र्याधिकारकी रक्षा न हो, इसके बजाय यह ज्यादा अच्छा है कि उन्हें स्वयं हानि उठानी पड़े।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७–४–१९०६

१ अधीक्षक, विदेशी श्रम विभाग।

२८४ गिरमिटिया कर

पिछले सप्ताह हमने 'टाइम्स ऑफ नेटाल' से एक ऐसे अभियोगकी रिपोट उद्धत की थी, जो तीन पौंडी वार्षिक कर वसूल करनेके लिए उपनिवेशके प्रवासी कानूनके अ तगत चलाया गया था। हमे 'नेटाल विटनेस' को पढनेसे पता चलता है कि अभियोग खुद उसपर ही नही था बल्कि उसकी पत्नीपर भी था। कानूनमे कर वसूल करनेके लिए केवल एक विधि दी गई है "परवानेकी रकम प्राप्त करनेके लिए नियुक्त किसी भी अफसर या क्लाक आफ पीस द्वारा सरसरी कारवाई।" मालूम होता है कि इस कारवाईके दरमियान अदालतकी आज्ञासे मुकदमा चलानेवाले सार्जेंटने भारतीय स्त्रीके निजी गहने जमानतके तौरपर ले लिए है। उसको करकी अदायगीके लिए तीन महीनेकी मुहलत दी गई है। अगर इस मियादके अ दर कर न चुकाया गया तो उसके जेवर बेच डाले जायेगे। न्यायाधीश और मुकदमा चलाने वाला सार्जेंट दोनो लिहाज करनेवाले व्यक्ति थे, फिर भी इस अभियोगसे यह बात स्पष्टत प्रकट हो गई है कि गिरमिटिया मजदूर जब मुक्त हो जाते है तो उनको इस करके लग जानेसे कितनी गम्भीर कठिनाईका सामना करना पडता है। जबतक गरीब स्त्रीके पास कुछ भी गहना या निजी सामान है, तबतक उसे कर देना ही पडेगा — फिर चाहे वह कुछ कमा रही हो या न कमा रही हो, या अन्यथा दे सकती हो या न दे सकती हो। नेटालमे पाच वष सेवा करनेके बाद गिरमिटिया मजदूरोको यह इनाम दिया जाता है!

[अग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७–४–१९०६

२८५ नेटालमे राजनीतिक उपद्रव

पिछले सप्ताह नेटालमे जबरदस्त घटनाएँ घटी है। उनका प्रभाव बरसो तक मिटनेवाला नही है। परिणामस्वरूप, नेटालका दिमाग चढ गया है। स्वराज्यकी जीत हुई है। लेकिन अग्रेजी राज्यको धक्का लगा है।

नेटालमे व्यक्ति करके कारण काफिरोने विद्रोह किया। सार्जेंट हट और आमस्ट्राग[१] इस विद्रोहमे मारे गये। नेटालमे फौजी कानूनकी घोषणा हुई और वतनियोके साथ सख्ती होने लगी। फौजी कानूनके अनुसार कुछ वतनियोकी जॉच पडताल हुई और उनमें से १२ को तोपसे उडा देनेकी सजा दी गई। आसपासके वतनियो और उनके राजाको अपने लोगोको तोपसे उडते हुए देखनेके लिए बुलाया गया। यह काम २९ माचको होनेवाला था।

इस बीच विलायतसे लॉड एलगिनने नेटालके गवनरको तार किया कि फिलहाल वतनियोको तोपसे उडाना मुल्तवी रखा जाये। नेटालके राज्यकर्त्ताओको यह बात अच्छी नही लगी। उन्होने गवनरको अपने त्यागपत्र सौप दिये। गवनरने उनसे कहा कि जबतक लाड एलगिनका दूसरा जवाब न आये, तबतक वे ठहरे। उन्होने यह बात मान ली।

१ नेटालके पुलिस सब इन्सपेक्टर हंट और ट्रूपर आर्मस्ट्रॉग।

इस सारी बातके प्रकट होते ही समूचे दक्षिण आफ्रिकामे एक शोर मच गया। समाचारपत्रोने कडे लेख लिखे कि लाड एलगिनके हस्तक्षेपके कारण स्वराज्यके सविधानको आघात पहुँचा है। अगर नेटालको स्वतत्र सत्ता प्राप्त है, तो फिर नेटालके राजकाजमे बडी सरकार दखल नही दे सकती। नेटालके राज्यकर्त्ताओके त्यागपत्रपर उन्हे सब ओरसे शाबाशी दी गई। चारो तरफ सभाएँ हुइ और बडी सरकारके विरुद्ध भाषण हुए।

साम्राज्य-सरकारकी मान्यता यह थी कि विद्रोहको समाप्त करनेमे उसने नेटालकी मदद की थी। इसलिए वतनियोको न्याय मिलता है या नही, इसे देखनेका काम उसीका था। अत सजा मुल्तवी करनेके लिए लिखनेमे कोई गलती नही हुई। लेकिन दक्षिण आफ्रिकाको उत्तेजित देखकर बडी सरकारकी सारी दलीले सो गइ और लाड एलगिन दब गये।

उन्होने गवनरको लिखा है कि जाच करनेसे पता चला है कि वतनियोको उचित न्याय मिला है। अब सरकार नेटालके राज्यकर्ताओके काममे दखल देना नही चाहती। वे जो ठीक समझे सो करे। लॉड एलगिनने गवनरको दोषी ठहराया है। उन्होने कहा है कि अगर गवनरने शुरूमे ही पूरी हकीकत भेज दी होती, तो इस प्रकार हस्तक्षेप करनेकी नौबत न आती। दो प्राणियोके लिए बारह प्राण गये है। बारह वतनियोको सोमवारके दिन तोपसे उडा दिया गया है।

इस उपद्रवमे केवल एक ही व्यक्तिने अपना दिमाग ठडा रखा है, और वे ह श्री मोरकम। श्री मोरकमने मैरित्सबगकी सभामे कहा था कि लाड एलगिनने सही कदम उठाया था। प्राण बचानेकी बात थी। इसपर राज्यकर्ताओको त्यागपत्र देनेकी कोई जरूरत न थी। फौजी कानूनके जारी होनेसे पहले हट और आमस्ट्राग मारे जा चुके थे। अतएव वतनियोकी जाँच सर्वोच्च न्यायालयके सम्मुख होनी चाहिए थी। सारी सभा श्री मोरकमके विरुद्ध थी। लोग चिल्ल पो मचा रहे थे, पर बहादुर श्री मोरकमको जो कुछ कहना था, वह उन्होने कहा ही।

इस सबका परिणाम क्या होगा? काफिर मारे गये, यह बात भुला दी जायेगी। उन्हे न्याय मिला है या नही, यह नही कहा जा सकता। लेकिन जहाँ-जहा स्वराज्य दिया गया है, वहा वहा लोगोके दिमाग और अधिक चढ जायेगे। वे अधिक मनमानी करेगे और अब साम्राज्य सरकार दखल देते हुए डरेगी। कहावत है कि सापका डसा रस्सीसे डरता है, इसलिए साम्राज्य सरकार अब शायद ही कभी हस्तक्षेप करे। इसमे नुकसान काले लोगोका ही है। उन्हे मताधिकार नही है। जहा मताधिकार है वहा वे उसका पूरा उपयोग नही कर पाते। इस कारण उपनिवेशी उनपर अधिक प्रतिबन्ध लगायेगे और जो उपनिवेशियोको खुश रखकर न्याय पाना चाहेगे, वे ही पा सकेगे। आनेवाले वर्षोमे दक्षिण आफ्रिकामे बहुत उथल-पुथल होने को है। भारतीयो और दूसरे काले लोगोको बहुत सोचना और सोच-समझकर चलना है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ७–४–१९०६

२८६ ट्रान्सवालमे जमीनका कानून

एक महत्वपूर्ण मुकदमा

टान्सवालमे, पृथक् बस्तीके बाहर, एक ही जमीन एक भारतीयके नामपर पजीकृत थी। वह थी प्रसिद्ध सेठ स्वर्गीय अबूबकर आमदके नामपर, प्रिटोरियाकी चच स्ट्रीटमे। स्वर्गीय श्री अबूबकरने वह जमीन १८८५ के जन महीनेमे खरीदी थी। उसके दस्तावेज पजीयक कार्यालयमे १८८५ के जून महीनेकी १२ तारीखको दाखिल हुए थे। भारतीयोके विरुद्ध जो कानून बना, वह १७ जूनसे अमलमे आया। उपर्युक्त दस्तावेजके पजीकृत होनेमे कुछ अडचन पैदा हुई। तिसपर ब्रिटिश एजेटने हस्तक्षेप किया और उस समयके स्टेट अटर्नीने एक पत्र लिखा, तब पजीयकने २६ जून को दस्तावेज पजीकृत किये। सन १८८८ मे श्री अबूबकर गुजर गये। तबसे अबतक उस जमीन-पर श्री अबूबकरके वारिसोका अथवा उनके न्यासियोका कब्जा था और वे ही उसका उपभोग करते थे। कानूनके अनुमार व्यक्तिके मर जानेपर उसकी मिल्कियतका प्रबन्ध सरकारके द्वारा होना चाहिए। लेकिन इस मिल्कियतके मामलेमे ऐसा नही हुआ, और जमीन वारिसोके नाम पर दज हुए बिना ज्योकी त्यो पडी रही। जमीन बेकार पडी थी इसलिए सन् १९०५ मे यह तय हुआ कि उसपर घर बनानेके लिए उसे लम्बी मद्दतके पट्टेपर दे दिया जाये। टान्सवालके कानूनके अनुसार हर लम्बी मुद्दतके पट्टेका पजीयकके दफ्तरमे पजीयन होना चाहिए। अतएव जमीन वारिसोके नामपर दज करानेकी कारवाई शुरू करनी पडी, क्योकि कानूनके अनुसार जमीन मत मनुष्योके नामपर दज नही रह सकती। चूकि वारिस भारतीय थे, इसलिए पजीयकने जमीन उनके नामपर दज करनेसे इनकार कर दिया। इसपर पजीयकके खिलाफ न्यायालयमे अपील की गई। पजीयकने वारिसोके नामपर जमीन दज न करनेके दो कारण बताये। पहला यह कि, जमीन १८८५ का कानून ३ पास होनेके बाद पजीकृत हुई और चूकि उस कानूनके अनुसार भारतीय अपने नामपर जमीन नही रख सकता इसलिए स्वर्गीय श्री अबूबकरके नामपर जो दस्तावेज पजीकृत हुआ वह गैर कानूनी था। अत वह रद होना चाहिए। दूसरा कारण यह कि, स्वर्गीय श्री अबूबकरके नामका दस्तावेज कानून सम्मत माना जाये, तो भी चूकि वारिस भारतीय है, इसलिए १८८५ के कानून ३ के मुताबिक वे जमीन अपने नामपर नही करा सकते। पजीयककी दूसरी दलील मान्य करके न्यायमूर्ति फाक्सने, जिनके सामने यह अपील पेश हुई थी, अपील रद कर दी। इसपर वारिसोकी ओरसे सर्वोच्च न्यायालयमे अपील की गई। वारिसोकी तरफसे श्री लेनड और श्री ग्रेगोरस्की बरिस्टर किये गये थे। वारिसोकी ओरसे यह माग की गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय यदि वारिसोके नामपर जमीन दज करनेकी आज्ञा न दे, तो भी २१ वषकी मुद्दतका पट्टा पजीकृत करने और इस बीच दस्तावेज स्वर्गीय श्री अबूबकरके नाम रहने देनेका आदेश दे। श्री लेनडने बहुत जोरदार दलीले दी, और न्यायाधीशोने भी बहुत सहानुभूति दिखाई, लेकिन लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि वे वारिसोको न्याय नही दे सकते। न्यायाधीशोने बताया कि १८८५ का कानून ही बहुत बुरा है। और उस कानूनके विरुद्ध जाकर न्याय प्राप्त करना हो तो केवल ससदसे ही प्राप्त किया जा सकता है। इस तरहका फैसला हो जानेसे वारिसोके पास जमीनको बचानेका तत्काल एक ही उपाय रह गया था, और वह था, जमीन किसी भी गोरेके नामपर दज कराकर कब्जा अपने हाथमे रखना। यह कारवाई उन्होने की है। इससे उनके उपभोगमे कोई बाधा नही आयेगी। फिर भी सर्वोच्च न्यायालयके फसलेकी दष्टिसे वह उनके नामपर नही लिखी जा सकती, इससे उन्हे अत्याचारकी अनुभूति हुए बिना नही

रहेगी। अब केवल ससदके द्वारा राजनीतिक लडाई लडनी रह गई है। हम जानते है कि वे यह लडाई लडेगे। उपर्युक्त फसलेसे यह तो स्पष्ट हो गया है कि सन १८८५ का कानून बडा जुल्मी कानून है। न्यायाधीशोने भी इसे कबूल किया है। सर हेनरी कॉटनने इस सम्बन्धमे एक सवाल ससदमे पूछा है। देखे, उसका नतीजा क्या निकलता है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ७–४–१९०६

२८७ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

अप्रल ७, १९०६

अनुमतिपत्र

अनुमतिपत्रकी तकलीफ अभी बढती ही जा रही है। लोगोकी कही सुनवाई नही होती। शरणार्थियोकी अर्जिया जहा-की-तहा पडी धूल खा रही है। फेरफार होते ही रहते है। इस तरह जलती आगमे घी होमा गया है। श्री सुलेमान मगा डेलागोआ बेके प्रसिद्ध व्यापारी श्री इस्माइल मगाके रिश्तेदार है। वे इग्लैडमे बैरिस्टरीकी परीक्षाके लिए पढ रहे है। वे अपने रिश्तेदारोसे मिलनेके लिए, कुछ दिन हुए, विलायतसे यहा आये है। उनका डबनमे उतरकर ट्रान्सवालके रास्ते डेलागोआ बे जानेका इरादा था। उनकी तरफसे श्री गाधीने मुद्दती अनुमतिपत्रके लिए अर्जी दी, लेकिन उपनिवेश-सचिवने अनुमतिपत्र देनेसे इनकार कर दिया। कुछ दिन डबनमे राह देखनेके बाद श्री मगा समुद्रके रास्ते डेलागोआ-बे गये। वहासे उन्होने फिर खुद ही अर्जी दी, पर इनकारीका जवाब मिला। अबतक इस खयालसे काम होता रहा कि श्री मगा ब्रिटिश प्रजाजन हैं। श्री मगा विलायतका जोश लेकर आये थे। वे चुपचाप बैठे रहनेवाले नही थे। दमनमे[1] जन्म होनेके कारण पुर्तगाली प्रजा होनेका लाभ उठाकर, वे डेलागोआ-बे मे सरकारी सचिवके पास पहुँचे और उससे उन्होने अपने लिए अनुमतिपत्रकी माग की। इसपर सचिवने तत्काल ब्रिटिश वाणिज्य दूतके नाम पत्र लिखा और उन्होने फौरन ही अनुमतिपत्र दिलवा दिया। मतलब यह कि अगर श्री मगा ब्रिटिश प्रजाजन होते तो वे ट्रान्सवालकी स्वर्णभूमिपर पैर नही रख सकते थे, लेकिन पुर्तगाली प्रजा होनेके कारण तुरन्त आ सके।

श्री मगा एक दिन जोहानिसबर्गमे रहकर वापस डेलागोआ बे चले गये है। शासनके ऐसे बेहूदे व्यवहारके बारेमे सघने[2] सरकारको और लॉर्ड सेल्बोनको भी लिखा है। लॉर्ड सेल्बोनने पत्रकी पहुँच भेजते हुए उत्तर दिया है कि वे इस मामलेकी जाँच कर रहे है। श्री गाधीने भी 'ट्रान्सवाल लीडर'[3] मे पत्र लिखा है। श्री सुलेमान मगाके मामलेमे ऐसा अन्याय हुआ है कि उससे, सम्भव है, सोती हुई अग्रेज सरकारकी आँखे कुछ तो खुलेगी ही। जापानी प्रजाजन श्री नोमूराको अनुमतिपत्र देनेसे इनकार किया गया था तो समूचा ट्रान्सवाल थर्रा उठा था।[4] लेकिन उसी हैसियतके ब्रिटिश प्रजाजनका क्या कोई हाल पूछनेवाला ही नही है?

१ भारतमे पुर्तगाली अधिकृत क्षेत्र।

२ ब्रिटिश भारतीय सघ।

३ देखिए "पत्र 'लीडर'को", पृष्ठ २७२।

४ देखिए "ट्रान्सवालमे अनुमतिपत्र सम्बन्धी जुल्म", पृष्ठ २६५।

रेलवेकी अड़चन

अलीवाल नाथके प्रसिद्ध व्यापारी श्री मुहम्मद सूरती दो दिन जोहानिसबगमे रह गये है। उन्हे जर्मिस्टनसे आनेवाली रेलगाडीमे तकलीफ हुई। वे पहले दर्जेके एक डिब्बेमे बैठे थे। वहा उनका अपमान करके उन्हे दूसरे डिब्बेमे बठाया गया। श्री मुहम्मद सूरतीको पता नही था कि ट्रान्सवालमे काले लोगोके लिए अलग डिब्बे होते है। फिर वे खुद जिस डिब्बेमे बैठे थे उसमे कोई गोरा नही था, फिर भी गाडने उन्हे तग किया। इसपर उन्होने रेलवेसे न्यायकी माग की है।

प्रिटोरियासे ८-३० बजे जोहानिसबग आनेवाली और जोहानिसबगसे प्रिटोरिया जानेवाली गाडीमे भी, भारतीय यात्रियोको नही चलने दिया जाता। इसके सम्बन्धमे ब्रिटिश भारतीय सघका शिष्टमण्डल रेलवेके महाप्रबन्धकसे मिलने गया था। उसने माग की कि यह गाडी सिफ गोरोके लिए सुरक्षित रखी गई है, इसलिए भारतीय इसमे बैठनेका आग्रह न रखे, तो अच्छा हो। महाप्रबन्धकके पास इसका कानूनन कोई बचाव नही था। शिष्टमण्डलने जवाब दिया कि इस मामलेमे भारतीय जनता पीछे नही हट सकती। जिस तरह गोरोको सुविधा चाहिए उसी तरह भारतीयोको भी चाहिए। इसका अगले आठ-दस दिनोमे निबटारा होना सम्भव है।

ट्रामका मुकदमा

जोहानिसबगके ट्रामवाले मामलेका अभी अन्त नही हुआ है। हमारे लोगोको ट्राममे नही बैठने दिया जाना, इसलिए उन्होने फिर मुकदमा दायर किया है। श्री कुवाडिया जब ट्राममे बैठ रहे थे, उन्हे बैठनेसे रोका गया। इसलिए उन्होने फिरसे हलफनामा पेश किया है। मुकदमेकी तारीख एक दो दिनमे निश्चित होगी।

पृथक् बस्तीमे गन्दगी

मलायी बस्तीमे बसे हुए भारतीयोपर डा० पोटरने इस हफ्ते छापा मारा था। चूकि लोग बहुत घिचपिच रहते है, इसलिए उनमे से बहुत से लोगोको पकड कर ले जाया गया। इस सम्बन्धमे तथा अपना घर-आगन और पाखाना साफ रखनेके विषयमे हमारे लोग बहुत ही लापरवाह होते है। इसका फल सभीको भोगना पडता है। जबतक हम इसमे पक्का सुधार नही करेगे तबतक हमारी मुसीबते दूर नही होगी। और अगर इस बीच प्लेग या छूतसे फैलनेवाले कोई और रोग आ घेरे तो बहुत अधिक मसीबतें भोगनी होगी। ऐसा लगता है कि हमारे लोग १९०४ के प्लेगके अनुभव भूल गये है।[२]

गोरोका उत्साह

नये सविधानके बारेमे गोरोने सम्राटके नाम जो अर्जी तैयार की है, उसपर बहुत थोडे समयमे ३५,००० हस्ताक्षर हो चुके है और अब भी हो रहे है। ऐसे ही उत्साहकी छूत हमे भी लगनेकी जरूरत मालूम होती है। फूटकी छूतकी अपेक्षा यदि हमे यह छूत लगे तो हमारी हालत कुछ और ही हो सकती है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १४-४-१९०६

१ ऑरेंज नदीके तटपर स्थित एक नगर।

२ देखिए खण्ड ४, पृष्ठ १५८-९, १८७-८ और ३८९-९१।

२८८ उद्धरण दादाभाई नौरोजीके नाम पत्रसे[1]

[जोहानिसबर्ग
अप्रैल १० १९०६]

[प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके अन्तर्गत दिये जानेवाले पासों और प्रमाणपत्रोंकी प्राप्तिके लिए लगाया गया निषेधार्थक शुल्क] एक सर्वथा अन्यायपूर्ण शुल्क, जिसे लगानेका किंचित्‌मात्र भी औचित्य नहीं है। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजपर एक दूसरी गहरी चोट ट्रान्सवालमें की गई है।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल आफिस रेकर्ड्स, सी० ओ० ४१७, जिल्द ४३४, व्यक्तिगत।

२८९ पत्र छगनलाल गांधीको

जोहानिसबर्ग
अप्रैल १०, १९०६

चि० छगनलाल,

हुसैन खाका पत्र वापस कर रहा हूँ। इसपर अंग्रेजीके स्तम्भमें लिखा जायेगा। गुजराती स्तम्भमें कह दो कि इस मामलेपर अंग्रेजी स्तम्भमें विचार किया जा रहा है।

कलतक तुम्हारा पत्र आयेगा, ऐसा कुछ अन्दाज लगाये हूँ। मैं शायद शुक्रवारको सवेरेकी गाड़ीसे रवाना हूँगा।

श्री किचिनसे अभीतक स्थितिके सम्बन्धमें बात कर रहा हूँ। वे शायद फिरसे काम करने लगें।

आशा है, मगनलाल पहलेसे बहुत अच्छा होगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

सलग्न १

श्री छगनलाल खुशालचन्द गांधी
मारफत 'इंडियन ओपिनियन'
फीनिक्स

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो नकल (एस० एन० ४३४९) से।

१ दादाभाईको लिखा गांधीजीका पत्र उपलब्ध नहीं है। उनके पत्रके इस उद्धरणको दादाभाई नौरोजीने उपनिवेश मन्त्रीके नाम अपने १० अप्रैलके पत्रमें प्रयुक्त किया है। पत्रके साथ उन्होंने १७–३–१९०६ का **इंडियन ओपिनियन** का अंक प्रेषित किया था और उसमें १०–३–१९०६ के **इंडियन ओपिनियन** का हवाला भी दिया था।

२९० पत्र छगनलाल गाधीको

२१–२४ कोट चेम्बस
नुक्कड, रिसिक व ऐडसन स्ट्रीटस
पो० ऑ० बॉक्स ६५२२
जोहानिसबग
अप्रैल ११, १९०६

चि० छगनलाल,

तुम्हारी चिटठी मिली। जवाबमे बहुत नही लिख रहा हूँ। मै शुक्रवारको सवेरेकी गाडीसे रवाना हो रहा हूँ। शनिवारकी दुपहरको वह मुझे वहा[1] पहुँचा देगी। फीनिक्सके लिए जोहानिसबगकी गाडीके आनेके बाद जो गाडी छटती है उसीको पकड लूगा।

लगता है, विज्ञापनकी दरोके बारेमे तुमसे जो पूछा था वह तुम अभीतक ठीकसे नही समझे हो। जब म वहा पहुँच तो याद दिलाना, मै तुम्हे परिस्थिति समझा दूगा। इसी बीच तुम अपने विचार लिखकर रख छोडो — जो तुम्हे कहना है और जो तुम सुझाना चाहो, वह सब। गलतफहमीका कोई डर न रखो क्योकि तुम जो कुछ लिख रखोगे म उस सबके विषयमें प्रश्न कर सकूगा और तुम सब समझाकर कह सकोगे। मै यह भी चाहता हूँ कि स्वतन्त्र रूपसे, बिना दूसरेसे सलाह मशविरा किये तुम अपने विचार लिख डालो, और मेरा मशा है कि सबसे ऐसा ही करनेको कहू। यह पत्र मगनलालको दे देना, ताकि अगर वह इस लायक तन्दुरुस्त हो गया हो तो जो-जो उसे सूझे, वह भी विस्तारसे लिख डाले, और, किसी भी हालतमे, तुम जो प्रश्न मुझसे पूछना चाहो उन्हे भी लिख रखना।

कायक्रम नही बदला तो तार करनेका विचार नही है।

मोहनदासके आशीर्वाद

श्री छगनलाल खुशालचन्द गाधी
फीनिक्स

मूल अग्रेजी प्रतिकी फोटो नकल (एस० एन० ४३४८) से।

१ डर्बन।

२९१ पत्र विलियम वेडरबर्नको[1]

ब्रिटिश भारतीय सघ

२५ व २६ कोट चेम्बस
रिसिक स्ट्रीट
जोहानिसबग
अप्रैल १२, १९०६

सर विलियम वेडरबन
पैलेस चेम्बस
लदन

महोदय,

ट्रान्सवालमे ब्रिटिश भारतीयोकी स्थिति दिन प्रति दिन अधिक असुरक्षित एव दु खद होती जा रही है। यह आवश्यक है कि जो-कुछ यहा हो रहा है उसे सक्षेपमे दोहरा दू और ठोस काम करनेकी अपील करूँ।

यह तो सत्य है कि ब्रिटेनकी सरकार सम्राटके ट्रान्सवाल उपनिवेशमे हस्तक्षेप करनेमे सोच-विचारसे काम लेगी, किन्तु मेरा विचार है कि हस्तक्षेप न करनेवाली इस नीतिकी अवश्यमेव कोई सीमा होनी चाहिए। ट्रान्सवालमे एक शान्ति रक्षा अध्यादेश जारी है जिसके अतगत ब्रिटिश भारतीयोके आव्रजनको अत्यन्त स्वेच्छाचारिताके साथ नियन्त्रित किया गया है।

(क) अध्यादेशका उद्देश्य शान्ति रक्षा करना, और, इसीलिए, बागियो तथा ऐसे लोगोको, जो ब्रिटिश सरकारसे द्वेष रखते हो, दूर रखना था। किन्तु आज, वस्तुत, उसका उपयोग केवल ब्रिटिश भारतीयोके आव्रजनपर रोक लगानेके लिए किया जाता है।

(ख) ब्रिटिश भारतीय सघने इस स्थितिको स्वीकार कर लिया है कि उन भारतीयोको, जो शरणार्थी नही ह और जिनमे शैक्षणिक योग्यता नही है, बाहर ही रखा जाये।

(ग) वास्तवमे उन शरणार्थियोका भी, जो युद्धके पहले उपनिवेशमे थे और जिन्होने उपनिवेशमे रहनेकी अनुमति प्राप्त करनेके लिए ३ पौड मूल्य चुकाया था, प्रवेश रोका जा रहा है, केवल अत्यन्त कठिन परिस्थितियोमे ही उन्हे आने दिया जाता है।

(घ) ऐसे लोगोको अनुमतिपत्र अधिकारी द्वारा अनुमतिपत्र जारी किये जानेसे पहले महीनो तटवर्ती नगरोमे इतजार करना पडता है।

(ड) देशमे प्रवेश करनेके लिए अनुमतिपत्र प्राप्त करनेसे पहले उन्हे अत्यन्त कष्टकर जाच-पडतालसे गुजरना पडता है। फिर वे अँगूठेका निशान लगानेके लिए बुलाये जाते है और उनके साथ अय सख्तिया बरती जाती है।

(च) ट्रान्सवालमे प्रवेशकी अनुमति देनेसे पहले उनकी पत्नियोसे भी माग की जाती है कि वे लिखित प्रमाणपत्र पेश करे।

१ यह एक परिपत्र जान पडता है। इसकी एक नकल दादाभाई नौरोजीको भेजी गई थी। उन्होंने अन्तिम अनुच्छेद निकालकर एक वक्तव्यके रूपमें इसे ८ मई १९०६ को उपनिवेश मन्त्रीके पास भेजा था।

(छ) उनके ११ वर्षसे अधिक आयुके बच्चोंको साथ जानेसे सर्वथा रोक दिया जाता है।

(ज) ऐसे शरणार्थियोंके बारह वर्षसे कम उम्रके बच्चोंको आनेकी अनुमति देनेसे पहले अनुमतिपत्र लेनेके लिए बाध्य किया जाता है। अभी हालमें एक छः वर्षके बच्चेको — बावजूद इसके कि उसके पिताके पंजीयन प्रमाणपत्रमें यह लिखा था कि उसके दो पुत्र हैं — उसके पितासे जबरन अलग कर फोक्सरस्टमें रोक दिया गया, क्योंकि उसके पास अलग अनुमतिपत्र नहीं था।

(झ) केवल तीन मास पूर्व १६ वर्षसे कम आयुके बच्चोंको ट्रान्सवालमें प्रवेशकी स्वतन्त्रता थी बशर्ते कि उनके माता पिता, या यदि उनके माता पिता मर गये हों तो वे अपने जिन संरक्षकोंके साथ हों, वे ट्रान्सवालके अधिवासी हों। अब, जैसा कि ऊपर कहा गया है सहसा भारतीयोंपर नया विनियम लागू कर दिया गया है और केवल उन बच्चोंको, जो बारह वर्षसे कम आयुके हैं, प्रवेशकी अनुमति दी जाती है। इसका परिणाम है कि १६ वर्षसे कम आयुके वे बहुत से लड़के, जो काफी खर्च करके दक्षिण आफ्रिकामें आये हैं, अपने ट्रान्सवालके अधिवासी माता पिताके पास रहनेके बजाय भारत वापस जानेके लिए बाध्य हैं।

(ञ) करीब तीन मास पूर्व उन भारतीयोंको, जो दक्षिण आफ्रिकाके अन्य भागोंमें जानेके लिए ट्रान्सवालसे गुजरना चाहते थे या जो कोई काम करना चाहते थे, अनुमतिपत्र खुले आम और बड़ी संख्यामें दिये जाते थे। अब इस तरहके अनुमतिपत्र अत्यधिक जाँच पड़तालके बाद ही दिये जाते हैं। डेलागोआ बेके एक प्रसिद्ध भारतीय व्यापारीके पुत्र श्री सुलेमान मंगा,[1] जो इस समय इंग्लैंडमें बैरिस्टरी पढ़ रहे हैं, हालमें ही डेलागोआ बेमें अपने सम्बन्धियोंसे मिलनेके लिए वहाँसे वापस आये थे। वे डर्बनमें उतरे और उन्होंने अनुमतिपत्र प्राप्त करनेके लिए प्रार्थनापत्र दिया ताकि वे ट्रान्सवाल होते हुए डेलागोआ-बे जा सकें। उन्हें अनुमतिपत्र देनेसे इनकार कर दिया गया। उनके मामलेपर इस दृष्टिसे विचार किया गया जैसे कि वे एक ब्रिटिश भारतीय हों। इसलिए वे जल-मार्गसे डेलागोआ-बे गये। वहाँ उन्होंने फिर ट्रान्सवाल सरकारकी मारफत एक अस्थायी अनुमतिपत्र प्राप्त करनेका प्रयत्न किया क्योंकि वे जोहानिसबर्ग और प्रिटोरिया देखना चाहते थे। किन्तु उनका प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए उन्होंने विचार किया कि उनका जन्म पुर्तगाली भारतमें हुआ है, इसलिए उन्हें पुर्तगाली सरकारसे प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने वैसा ही किया और उन्हें तुरन्त अनुमतिपत्र दे दिया गया। इसलिए इसका अर्थ यह हुआ कि एक ब्रिटिश भारतीय, चाहे वह किसी भी स्थितिका क्यों न हो, ट्रान्सवालसे सही-सलामत नहीं गुजर सकता, किन्तु यदि कोई भारतीय विदेशी सत्तासे सम्बन्ध रखता है तो उसे माँगते ही अनुमतिपत्र मिल जाता है।

(ट) ऊपरके कथनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि अच्छी स्थितिके भारतीय ट्रान्सवालमें बसनेके लिए अनुमतिपत्र प्राप्त करनेमें असमर्थ हैं, अर्थात शान्ति रक्षा अध्यादेशको इस तरह अमलमें लाया जाता है कि जहाँ युद्धके पूर्व कोई भी भारतीय ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेको स्वतन्त्र था, वहाँ अब सम्राटके उपनिवेश ट्रान्सवालमें उस भारतीयका भी प्रवेश वर्जित है जो स्वशासित उपनिवेश केप या नेटालकी शैक्षणिक परीक्षा उत्तीर्ण करनेमें समर्थ होनेके कारण वहाँ प्रवेश कर सकता है। यहाँ सवाल ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध पूर्वका कानून विरासतमें प्राप्त करनेका नहीं है, बल्कि एक ऐसे अधिनियमको जानबूझकर अमलमें लानेका है जो फौजी कानूनके ठीक बाद पास किया गया था और जिसका भारतीयोंसे कोई सम्बन्ध नहीं था।

स्वर्गीय श्री अबूबकर आमदने, जो दक्षिण आफ्रिकामें सर्वप्रथम बसनेवाले भारतीयोंमें से थे, अपने ब्रिटिश भारतीय उत्तराधिकारियोंके लिए जो सम्पत्ति छोड़ी थी उसे १८८५ के कानून ३ के

१ "ट्रान्सवाल अनुमतिपत्र अध्यादेश", पृष्ठ २८८-९ भी देखिए।

अन्तगत उनके उत्तराधिकारियोको अपने नाम पजीयन करानेसे रोक दिया गया है।[1] भारतीयोके स्वामित्वके सम्बन्धमे कानून इस तरह अमलमे लाया जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि टान्सवालके वतनी, जसा कि सवथा उचित है, जहा चाहे, कही भी जमीन जायदादका स्वामित्व प्राप्त करनेको स्वतत्र है। केपके रगदार लोग भी ट्रान्सवालमे अचल सम्पत्ति रखनेको स्वतत्र ह। पाबन्दी केवल एशियाइयोपर लगाई गई है।

युद्धके पहले भारतीय ट्रान्सवालकी किसी भी रेल सेवाके उपयोगसे वचित नही थे। अब रेल माग निकाय (रेलवे बोड) ने स्टेशन मास्टरोको सूचनाएँ भेजी है कि वे प्रिटोरिया और जोहानिसबगके बीच चलनेवाली एक्सप्रेस गाडीके लिए भारतीयो तथा रगदार लोगोको टिकट न दे।[2] इस प्रकार भारतीय व्यापारियोके लिए भारी असुविधा खडी कर दी गई है। बहुत अधिक सम्भव है कि अन्तत राहत मिलेगी ही, किन्तु यह सूचना बताती है कि सरकारका झुकाव किस ओर है।

प्रिटोरियाके समान ही जोहानिसबगमे ब्रिटिश भारतीय तथा रगदार लोग नगरपालिकाकी ट्रामगाडियोका उपयोग करनेमे असमथ है।[3]

नेटालमे स्थिति सक्षेपमे इस प्रकार है विक्रेता परवाना अधिनियम सबसे अधिक शरारतकी जड है। मुद्दतसे जमे हुए श्री दादा उस्मान नामक एक ब्रिटिश भारतीय व्यापारीकी युद्धके पहले फ्राइहीडमे, जब वह ट्रान्सवालका एक भाग था, एक दूकान थी, [और] वे वहा बिना किसी रुकावटके व्यापार करते थे। जब फ्राइहीड नेटालमे मिलाया गया तब वहाके एशियाई विराधी कानूनोकी विरासत भी नेटालने पाई। इस प्रकार फ्राइहीडमे १८८५ का कानून ३ तथा नेटाल विक्रेता-परवाना अधिनियम दोनो ही लागू है। इनके अन्तगत कारवाई करके श्री दादा उस्मानका परवाना छीन लिया गया है और उनका फ्राइहीडका व्यापार बिलकुल ठप हो गया है।[4] इस प्रकारकी भीषण कठोरताका एक मामला लेडीस्मिथ जिलेमे भी हुआ। वहा कासिम मुहम्मद नामक एक व्यक्ति एक खेती (फाम) मे कुछ समयसे व्यापार कर रहा है। गत वष उसके नौकरने रविवासरीय व्यापार कानूनका उल्लघन किया था। उसने पडोसके एक दूकानदार द्वारा भेजे गये जाली ग्राहकोको एक साबुनकी टिकिया और चीनी बेची थी। यह साबित हो गया था कि दूकानदार खुद गैरहाजिर था। इस अपराधके कारण इस वषका उसका परवाना नया नही किया गया।[5] अपील निकायने परवाना अधिकारीके निणयको बहाल रखा। निकायका कहना था कि उसने एक गोरेके मामलेमे जिन सिद्धान्तोका अवलम्बन किया था उन्हीके अनुसार परवाना-अधिकारीने फसला दिया है। किन्तु यह सत्य नही है। उक्त गोरेके बारेमे यह पाया गया था कि उसने अपने उपकिरायेदारोको शराबका व्यापार करनेकी अनुमति दी थी और यह शराब वतनियोको बेची जाती थी। उसपर यह इल्जाम भी लगाया गया था कि उसने अपने अहातेमे अफीम बेची थी। गोरे व्यक्तिने जानबूझकर उपयुक्त कानूनका जो उल्लघन किया था उसके मुकाबले रविवासरीय व्यापार कानूनका प्राविधिक उल्लघन वास्तवमे कानून भग ही नही था।

तीसरा मामला श्री हुडामलका है। उन्हे डबनमे एक स्थानका परवाना दूसरे स्थानके लिए बदलनेसे इनकार कर दिया गया था।[6] विक्रेता परवाना अधिनियमके अन्तगत बीसियो मामलोमे

१ देखिए 'कानून समर्थित डाका' पृष्ठ २४०–१।
२ देखिए पत्र कार्यवाहक मुख्य यातायात प्रबन्धकको, पृष्ठ १९९।
३ देखिए "पत्र टाउन क्लार्कको, पृष्ठ १९४–५।
४ देखिए 'प्रार्थनापत्र लॉर्ड एलगिनको', पृष्ठ २५६–८।
५ देखिए एक मुश्किल मामला', पृष्ठ २८७–८।
६ देखिए खण्ड ४ पृष्ठ ३८५–८६।

जो-कुछ किया गया, उसके ये तीन उदाहरण भर है। श्री चेम्बरलेनने उक्त कानूनके अन्तगत होनेवाली क्रूरताओके बारेमे नेटाल सरकारसे निवेदन किया था। उसका परिणाम यह हुआ कि नेटाल सरकारने हिदायते निकाली कि कानून कडाईके साथ लागू न किया जाये, नही तो, इसमे परिवतन कर दिया जायेगा। ऊपर जो उदाहरण दिये गये है उनसे बढकर क्रूरताके उदाहरण देना सम्भव नही है। ब्रिटिश भारतीय तो केवल इतना ही चाहते है कि परवाना-अधिकारियो तथा परवाना निकायाके, जिनमे मुख्यतया व्यापारी ही है, निणयोपर सर्वोच्च यायालयको विचार करनेका फिरसे अधिकार दे दिया जाये।

प्रवासी प्रतिब धक अधिनियमके अन्तगत अब जो नियम बनाये गये ह, उनके द्वारा प्रत्येक अधिवासीको, जो अधिवासी प्रमाणपत्रका हकदार है, प्रमाणपत्र प्राप्त करनेके लिए १ पौडका शुल्क देना पडेगा। जो भारतीय नेटालकी यात्रा करना चाहते ह उनके अभ्यागत पासोपर[१] तथा जो भारतीय भारतको जानेवाला जहाज पकडनेके लिए नेटालसे गुजरते है उ हे वहासे गुजरनेका अधिकार देनेके लिए नौकारोहण पासोपर इसी तरहका शुल्क लागू किया गया है। यह कर लगानेकी एक अप्रत्यक्ष प्रणाली है और इससे गरीब भारतीयोको अत्यधिक असुविधा और हानिया उठानी पडती है।

मेरा खयाल है कि भारतीय ससदीय समितिको ये मामले बार बार काग्रेस तथा भारतीय मन्त्रियोके सामने रखने चाहिए।

आपका विश्वस्त,
मो० क० गाधी

मूल अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलसे।
सौजन्य भारत सेवक समिति।

२९२ पत्र छगनलाल गाधीको

[जोहानिसबग
अप्रल १३, १९०६][२]

चि० छगनलाल,

तुमको थोडी गुजराती सामग्री और विज्ञापन आदि भेज रहा हूँ। जहातक बने, सारे विज्ञापन इसी बार आ जाये, श्री वेस्टसे ऐसा करनेको कहना।

पिछली बार जितना बडा कारमनका था, उतना ही गार्लिक हेटजका छापना। मैंने उनके विज्ञापनके ऊपर जो लिख दिया है, उसका ध्यान रखना। जीवनजी को ६ इच देना। दूसरोके बारेमे कहने लायक कुछ नही है।

श्री हरिलाल ठाकुरको अपने साथ लाऊगा। शामकी आखिरी गाडीसे चलगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

१ देखिए "पत्र उपनिवेश-सचिवको", पृष्ठ २२९-३०।

२ मूल प्रतिमे तारीख अप्रैल २३ १९०६ है। यह गलत जान पड़ती है, क्योकि पत्रमे गार्लिक हेट्जके जिस विज्ञापनका उल्लेख हुआ है, वह २१-४-१९०६ के **इडियन ओपिनियन** मे प्रकाशित हुआ था। पत्र निश्चय ही प्राय एक सप्ताह पूर्व, सम्भवत १३ अप्रैलको, जिस दिन गाधीजी फीनिक्सके लिए रवाना होनेको थे, लिखा गया होगा। देखिए 'पत्र छगनलाल गाधीको', पृष्ठ २८१।

[पुनश्च]

भाई सुलेमानका ठीक प्रबन्ध करना। शेष गुजराती सामग्री मुझे वही देनी पडेगी। दूसरा उपाय नही है।

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रतिकी फोटो नकल (एस० एन० ४३५३) से।

२९३ एक मुश्किल मामला

विगत ३० माचको लेडीस्मिथमे परवाना सम्बन्धी जिस मुकदमेकी अपीलकी सुनवाई हुई थी, उसका सार हमने पिछले सप्ताह छापा था। क्लिप रिवर डिविजनमे, विटेक्लेफॉटीन नामक फामपर पिछले तीन सालसे एक भारतीय व्यापारी व्यापार करता था। बादमे 'बर्डेट ऐंड कम्पनी' नामसे एक यूरोपीय पेढीने उसके निकट ही अपनी दूकान खोल ली। 'नेटाल विटनेस' मे छपी खबरसे मालूम पडता है कि पेढीके साझेदारोमे सार्जेन्ट बैटरबग भी है, जो उस डिवीजनका सरकारी अभियोक्ता है। पुलिसने भारतीय व्यापारीकी अनुपस्थितिमे उसके एक कमचारीको फास लिया और रविवारको व्यापार करनेके अपराधमे सजा दे दी। उसने साबुनकी एक टिकिया और कुछ चीनी बेची थी। भारतीय दूकानदारको जब लौटनेपर यह मालूम हुआ कि उसके कमचारीने रविवारको व्यापार करनेका अपराध किया है तो उसने उसको बर्खास्त कर दिया। जब उस दूकानके परवानेके नवीनीकरणका समय आया तो परवाना-अधिकारीके सामने बर्डेट ऐंड कम्पनीने उसको परवाने देनेके विरुद्ध इस बिनापर उज्रदारीकी कि उसने रविवासरीय कानूनका उल्लघन किया है। परवाना-अधिकारीने इस ऐतराजको मान लिया और परवाना देनेसे इनकार कर दिया। बेचारे भारतीय दूकानदारने उसके निणयके विरुद्ध परवाना निकायके सामने अपील की, परन्तु उसकी अपील उसके वकीलकी जोरदार पैरवीके बावजूद खारिज कर दी गई और निकायने फैसला देते हुए कहा कि परवाना अधिकारीने ऐसा इसलिए किया कि, दूकानदारके कमचारीने रविवासरीय नियमोका उल्लघन किया था और निकायने इसी तरहके एक दूसरे मामलेका हवाला दिया जिसमे परवाने के लिए दिया गया एक यूरोपीयका आवेदनपत्र अस्वीकार किया जा चुका था। परन्तु हमारा खयाल तो यह है कि निकायने जिस यूरोपीयके मामलेकी चर्चा की है उसका इस मामलेसे कोई सम्बन्ध नही है, क्योकि इसमे कुछ बुनियादी बाते नही मिलती। इस मामलेमे भारतीय दूकानदारने खुद अपराध नही किया। उसने गलतीको दुरुस्त करनेका एकमात्र सम्भव उपाय भी किया और आखिर यह बात तो एक मामली आदमीको भी साफ दिखाई देती है कि सारा ऐतराज एक ऐसी प्रतिद्वद्वी व्यापारी पेढीने उठाया, जिसका भारतीय दूकानको हटानेमे स्वाथ है। फिर यह तथ्य भी कुछ कम महत्वपूण नही है कि उक्त पेढीके साझेदारोमे लेडीस्मिथका सरकारी अभियोक्ता भी है और उसीने भारतीय दूकानदारके कमचारीपर अभियोगका सचालन भी किया था। अपीलकर्ता भारतीय दूकानदारके वकीलने निकायके सामने यह ऐतराज उठाया था कि बर्डेट ऐंड कम्पनी निकायके सामने इस मामलेमे हस्तक्षेप नही कर सकती। दरअसल यह दु खकी बात है कि निकायने अपीलको मँजूर नही किया। हमे यह खयाल अवश्य ही आता है कि अपने फैसलेसे निकायने इस तरहके विरोधको जसा कि इस मामलेमे किया गया है उत्तेजन ही दिया है। भारतीय दूकानदारका नौकर काननकी धाराको भँग करनेपर पहले ही दण्डित किया जा चुका है। अब उसी अपराधमे वह स्वय परवानेसे वचित कर दिया गया है। यह सजा कतई अपराधके अनुरूप नही है। परन्तु इस मामलेसे तो यही सिद्ध होता है कि नेटालका विक्रेता-

परवाना अधिनियम कितना उत्पीडक और अन्यायपूर्ण है। दादा उस्मानकी दरखास्तमे जो तक उठाये गये थे उनकी इस लेडीस्मिथके मामलेसे पुष्टि हो गई है।[1] जबतक सर्वोच्च न्यायालयमे अपीलका अधिकार फिर नही दिया जाता तबतक विक्रेता परवाना अधिनियमके अन्तर्गत किसीको भी न्याय मिलनेकी सँभावना नही है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १४–४–१९०६

२९४ ट्रान्सवाल अनुमतिपत्र अध्यादेश

शान्ति रक्षा अध्यादेश, जैसा कि उसके नामसे ही प्रकट होता है, ऐसे समय पास किया गया जब ट्रान्सवालकी सीमाके अन्दर शान्तिको खतरा था। परन्तु वह तभीसे ब्रिटिश भारतीयोके सिरपर सदा नगी तलवारकी तरह झल रहा है जो किसी भी समय गिर सकती है। हमारे ट्रान्सवालके सवाददाताने हमारे पाठकोका ध्यान एक ताजी घटनाकी ओर आकर्षित किया है।[2] ऐसा जान पडता है कि डेलागोआ-बेके एक बहुत प्रसिद्ध भारतीयके पुत्र श्री सुलेमान मगा कुछ वर्षोसे इग्लैडमे बैरिस्टरीकी शिक्षा पा रहे थे। वे अब बरिस्टर हो गये ह ओर अभी इग्लैडसे डेलागोआ-बेमे अपने रिश्तेदारोसे मिलनेके लिए आये ह। वे डबनमे उतरनेके बाद, डेलागोआ-बे जाते हुए ट्रान्स वालसे गुजरना चाहते थे। इसलिए उन्होने जोहानिसबगके एक वकीलको अपने लिए अनुमतिपत्रकी दरखास्त देनेकी हिदायत की। प्रतीत होता है कि उनके वकील श्री गाधीने यह मान लिया कि वे ब्रिटिश भारतीय है, और दरखास्त दे दी। कुछ दिनोके विलम्बके पश्चात् उनके पास उत्तर आया कि उनके मुवक्किलको अस्थायी अनुमतिपत्र नही दिया जा सकता। तब उन्होने उपनिवेश-सचिवको दरखास्त दी और वहासे भी उनको वही उत्तर मिला। उसमे दरखास्तकी अस्वीकृतिका कोई कारण नही बताया गया था। तब श्री मगा डेलागोआ-बेके एक जहाजपर सवार हो गये। वे युवा और उत्साही थे एव इग्लैडसे ताजे लौटे थे, इसलिए इस प्रकार अपनी दरखास्तकी अस्वीकृति बर्दाश्त न कर सकते थे। अपने थोडे दिनोके प्रवासमे वे ट्रान्सवालकी राजधानी और स्वण खान केन्द्रको देखना चाहते थे। इसलिए उन्होने पुन बन्दरगाहपर एशियाई सरक्षकको दरखास्त दी, परन्तु उनको वहासे भी वही जवाब दिया गया जो उनके वकीलको दिया गया था। तब, वस्तुत पुतगाली प्रजा होनेके कारण, उन्होने खुद अपनी सरकारसे अपील की और उसने अपने प्रजाजनकी शीघ्र सहायता की और श्री मगा महामहिम सम्राटके ब्रिटिश वाणिज्य दूतका अनुमतिपत्र लेकर ट्रान्सवालमे प्रविष्ट हो गये।

यह सरकारको प्राप्त निरकुश सत्ताके बहुत ही स्पष्ट दुरुपयोगका एक नमूना है। यहा हम एक जापानी प्रजाजन श्री नोमूराके एक ऐसे ही मामलेको याद कर सकते है। उक्त सज्जनने ट्रान्सवालमे अपना व्यापारिक माल बेचनेकी दष्टिसे एक अस्थायी अनुमतिपत्रके लिए दरखास्त दी। मुख्य अनुमतिपत्र-सचिवने उसे अस्वीकार कर दिया। प्रत्यक्ष है, उन्होने अपने मनमे सोचा कि जब एक ब्रिटिश प्रजाजनको ऐसी सहूलियते प्राप्त नही है तब वे श्री नोमूराको ही कैसे दे सकते है? मामलेपर सावजनिक रूपसे चर्चा की गई और 'ट्रान्सवाल लीडर' ने श्री नोमूरासे साव

१ देखिए "प्रार्थनापत्र लॉर्ड एलगिनको" पृष्ठ २५६–८।

२ देखिए 'पत्र लीडर को", पृष्ठ २७२।

जनिक रूपसे माफी मांगी।[1] उच्चायुक्तने मुख्य अनुमतिपत्र-सचिवको तुरन्त आदेश दिया कि वे श्री नोमूराको अनुमतिपत्र दे दें और वह अनुमतिपत्र डर्बनमें उनके घर जाकर खुद उनको दिया गया।

श्री मगाका मामला श्री नोमूराके मामलेसे ज्यादा सबल है। वह जिस रूपमें पहले उपनिवेश-सचिवके सामने रखा गया उस रूपमें वह एक ब्रिटिश प्रजाजन और विद्यार्थीकी ट्रान्सवालसे सिर्फ गुजरनेकी अनुमति मांगनेकी दरखास्त थी। उन्हें उपनिवेशमें कोई काम नहीं करना था, इसलिए किसीके साथ उनकी प्रतियोगिता नहीं हो सकती थी। हम पूछते हैं कि क्या एशियाई विरोधी सम्मेलनका कोई अत्यन्त कट्टर सदस्य भी कभी श्री मगा जैसे व्यक्तिकी अर्जी अस्वीकार करनेकी बात सोच सकता था? फिर भी जबतक श्री मगा ब्रिटिश प्रजाजन समझे गये और जबतक एक विदेशी सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया तबतक ट्रान्सवाल-सरकारने उनके मामलेको ध्यान देने योग्य नहीं माना।

किन्तु ज्यों ही मालूम हो गया कि श्री मगा पुर्तगाली प्रजाजन हैं, त्यों ही उनको अनुमतिपत्र दे दिया गया। इस मामलेका विशुद्ध निचोड़ यह है कि वर्तमान ट्रान्सवाल सरकारके हाथों ब्रिटिश भारतीयोंको न्याय नहीं मिल सकता। उनको अपमानित किया जा सकता है, उनको सब प्रकारकी असुविधाओंमें डाला जा सकता है, उनकी दरखास्तें संक्षिप्त कारवाईके बाद रद की जा सकती हैं, उन्हें सरकारके मनमाने निर्णयोंके कारण नहीं बताये जा सकते हैं, प्रामाणिक शरणार्थी होते हुए भी उनकी ट्रान्सवालमें पुनः प्रवेशकी मांगोंपर विचार करनेमें महीनों लग सकते हैं, और उनकी जीविकाके साधन तक सरकारकी निरंकुश मर्जीपर निर्भर रहने दिये जा सकते हैं। तब भी, हमें लॉर्ड सेल्बोर्न विश्वास दिलाते हैं कि उनकी इच्छा भारतीयोंके साथ कठोर व्यवहार करने या शान्ति रक्षा अध्यादेशकी धाराओंको किसी भी तरह अनुचित रूपसे बरतनेकी नहीं है।[2] इसलिए भारतीय समाजको पूरा अधिकार है कि वह लॉर्ड सेल्बोर्नसे उसके साथ कुछ न्याय करनेकी अपील करे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४–४–१९०६

२९५ एक परवाना सम्बन्धी प्रार्थनापत्र

हमारे पाठकोंको फ्राइहीडवासी एक ब्रिटिश भारतीयके परवाना सम्बन्धी तथ्योंका स्मरण होगा। इस मामलेसे सम्बद्ध भारतीय व्यापारी श्री दादा उस्मान परवाना-अधिनियमकी स्थितिके कारण उस न्यायको, जिसका उन्हें हक था, पानेमें असफल रहे, इसलिए उन्होंने महामहिमके मुख्य उपनिवेश मन्त्रीको प्रार्थनापत्र[3] भेजा है और इसकी एक प्रति हमारे पास भी समीक्षाके लिए भेजी है। प्रार्थनापत्र बिना नमक-मिर्चका, एक तथ्यपूर्ण वक्तव्य है, परन्तु वह बहुत स्पष्ट रूपमें प्रकट कर देता है कि विक्रेता परवाना अधिनियमके अमलका सामान्य प्रश्न उसकी तहमें है। जबतक उपनिवेशकी कानूनकी पुस्तकसे उसे हटा नहीं दिया जाता तबतक ब्रिटिश भारतीय व्यापारी आरामसे नहीं बैठेंगे। परवाना-अधिकारियोंके हाथोंमें मनमाने अधिकार सौंप देना भारतीय

१ देखिए "एक अन्तर", पृष्ठ २३३।

२ देखिए 'ट्रान्सवालके भारतीय और अनुमतिपत्र' पृष्ठ २०१–२।

३ देखिए "प्रार्थनापत्र लॉर्ड एलगिनको", पृष्ठ २५६–८।

व्यापारियोंके लिए न्यायपूर्ण नहीं है और परवाना अधिकारियोंके लिए तो वह और भी कम न्यायपूर्ण है। हम मनमाने व्यापारिक अधिकार नहीं मांगते, पर हम यह जरूर चाहते हैं कि प्रत्येक व्यापारिक प्रार्थनापत्रपर उसके गुणावगुणके अनुसार विचार किया जाये और जहाँ ऐसे प्रार्थनापत्रके विरुद्ध पूर्वग्रहके सिवा और कोई कारण न दिया जा सके वहाँ उसे स्वीकार किया जाये। हमारे सामने जो मामला है वह और भी कठिन हो गया है, क्योंकि प्रार्थीको दुधारी निर्योग्यतासे संघर्ष करना पड़ रहा है। ब्रिटिश भारतीय होनेके कारण उनको फ्राइहीडमें नेटाल कानूनकी सम्पूर्ण निर्योग्यताओंको झेलना पड़ता है और एक भी सुविधा नहीं मिलती क्योंकि फ्राइहीडके नेटालमें मिला दिये जानेपर भी वहाँ ट्रान्सवालका १८८५ का कानून ३ जारी है। यह स्थिति बहुत ही असंगत है, और आशा है कि लॉर्ड एलगिन प्रार्थीको पर्याप्त न्याय दिलायेंगे।

उपनिवेशके घरेलू मामलोंमें हस्तक्षेपका प्रश्न स्वभावतः ही खड़ा किया जायेगा। पर जो लोग प्रातिनिधिक संस्थाओं द्वारा शासित उपनिवेशमें सर्वथा प्रतिनिधित्वहीन हैं उनके मामलेमें हस्तक्षेप न करनेका सिद्धान्त ठहर नहीं सकता। नेटालको स्वशासनका अधिकार इस अघोषित मान्यताके आधारपर प्राप्त है कि वह अपना शासन करनेमें समर्थ है। पर जब उपनिवेशमें बसनेवाली प्रजाके एक वर्गको जरा भी न्याय नहीं मिलता तब वहाँ स्वशासन नहींके बराबर ही समझना चाहिए। स्वशासनका अर्थ है, आत्म-नियन्त्रण, यदि विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं तो उनके साथ जिम्मेदारियाँ भी अवश्य उठानी चाहिए, और अगर बिना जिम्मेदारियोंका पालन किये इन विशेषाधिकारोंका पूरी सीमा तक उपभोग किया जाता है तो जिस सत्ताने उन्हें प्रदान किया है उसे निश्चय ही यह प्रबन्ध करनेका अधिकार है कि उन जिम्मेदारियोंका समुचित रूपसे पालन किया जाये।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४–४–१९०६

२९६. परवाना सम्बन्धी विज्ञप्ति

कहा जाता है कि सरकारने व्यापारी-परवाना अधिकारियोंके मार्ग-दर्शनके लिए कुछ नियम बनाये हैं। इन नियमोंकी ओर एक गुजराती संवाददाताने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। हमारे संवाददाताके कथनानुसार अधिकारियोंको आदेश दिये गये हैं कि वे आगेसे भारतीयोंको परवाने जारी करते समय परवानोंके दूसरे अर्द्धांशोंपर उनकी अँगुलियों व अँगूठेकी निशानी और हस्ताक्षर ले लिया करें। हम समझते हैं कि ऐसा शिनाख्तकी गरजसे किया गया है। अगर हमारी जानकारी ठीक है तो हमारे मनमें पहला सवाल यह उठता है कि यह नई निर्योग्यता सिर्फ भारतीयोंपर ही क्यों लगाई गई है? इस मामलेमें शिनाख्तकी क्या जरूरत है? क्या इसका अर्थ यह है कि नेटाल-सरकार वर्तमान भारतीय व्यापारियोंके हटनेके बाद भारतीयोंका व्यापार जारी रहने देना नहीं चाहती? दूसरे शब्दोंमें, क्या वह परवाना-अधिकारियोंको यह बताना चाहती है कि भारतीय व्यवसाय उनके वर्तमान मालिकोंके साथ ही खत्म हो जायेंगे? यदि यह बात है तो इसका अभिप्राय यह है कि जल्दी या देरसे, हर भारतीय व्यापारीको अपना चलता व्यवसाय बेचनेके बजाय लाचार होकर अपना माल ही बेच डालना होगा। फिर सरकारको इस प्रकार एकका पक्ष लेकर कानूनके अमलमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? यदि परवाना-अधिकारियोंको दूसरे खयाल छोड़कर केवल न्यायकी दृष्टिसे अपने विवेकका उपयोग

करना है तो सरकार, जसी विज्ञप्तिपर हम यहा विचार कर रहे है वैसी विज्ञप्तिया निकालकर उनके विवेकपर प्रतिबन्ध कैसे लगा सकती है? परवाना अधिनियमके अन्तगत स्थिति अधिकाधिक असह्य होती जा रही है और यदि इग्लैडकी सरकार राहत नही देती तो नेटालके ब्रिटिश भारतीयोको अपना कारोबार कभी-न कभी पूण रूपसे बन्द करना ही पडेगा।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १४-४-१९०६

२९७ नेटालका विद्रोह

जिन बारह वतनियोको मत्यु दड[1] दिया गया था, उन्हे गोलीसे उडा दिया गया। नेटालकी जनता खुश हुई। श्री स्मिथका नाम रह गया। और बडी सरकारको नीचा देखना पडा। इस सम्बन्धमे श्री चर्चिलने जो भाषण दिया वह बहुत अच्छा था। उन्होने यह सिद्ध कर दिया है कि बडी सरकारका नेटालसे खुलासा मागनेका अधिकार है। क्योकि अगर वतनी ठीक काबूमे न रहे, तो बडी सरकारके लिए फौज भेजना कत्तव्य है। उसके बाद श्री स्मिथके इस्तीफे आदिकी जो घटनाएँ हुई है उनका कारण केवल श्री चेम्बरलेनके हिमायतियाके भाषण ओर उनके दल द्वारा दक्षिण आफ्रिकाके सभी समाचारपत्रोका नियन्त्रण है। श्री चर्चिलने कहा है कि जैसा काम श्री स्मिथने किया है, यदि वैसा करनेका रिवाज चल पडे तो इग्लैड और उपनिवेशोके बीच स्नेह कभी निभ नही सकता।

जिस समय श्री चर्चिल इस प्रकार भाषण कर रहे थे, उस समय नेटालमे इस खेदजनक कहानीका तीसरा प्रकरण रचा जा रहा था। बारह वतनियोको मारा गया फिर भी विद्रोह शान्त होनेके बदले अधिक भडक उठा। काफिरोके राजा बम्बाटाको पदच्युत करके उसके स्थानपर दूसरेको बैठाया गया, क्योकि बम्बाटाका व्यवहार अच्छा न था। बम्बाटाने मौका पाकर नये राजाका अपहरण किया और विद्रोह शुरू कर दिया। यह उपद्रव ग्रे टाउनमे चल रहा है। जिस प्रदेशमे बम्बाटा लूटमारके लिए निकला है वह घनी झाडियोवाला विकट प्रदेश है। उसमे वतनी लम्बे समय तक छिपकर रह सकते है। उन्हे खोज निकालना और लडाई करना मुश्किल है।

जिस एक टुकडीने बम्बाटाका पीछा किया उसमे बारह काफिरोको गोलीसे उडानेवाले अग्रेज भी थे। बम्बाटाने इस टुकडीको घेर लिया। टुकडीके लोग बडी बहादुरीसे लडे लेकिन आखिर वे हारे और बडी मुश्किलसे निकल पाये। उनमे से कुछ मारे गये। मरनेवालोमे बारह काफिरोको गोली मारनेवाले भी थे। ईश्वरकी ऐसी ही लीला है। जो मारनेवाले थे, उन्हे दो दिनके अन्दर मौतके मुहमे जाना पडा।

जिस समय यह लिखा जा रहा है, बम्बाटा आजाद है। उसके साथी-सगी भी बढते जा रहे है। इसका परिणाम क्या होगा, कुछ समझमे नही आ रहा है।

उपनिवेशके ऐसे सकटके समयमें हमारा कत्तव्य क्या है? वतनियोका विद्रोह सच्चा है या नही, इसका विचार हमे नही करना है। हम ब्रिटिश शक्तिके कारण नेटालमे बसे हुए है। हमारा अस्तित्व ही उसपर निभर है। अतएव यथासम्भव मदद करना हमारा कत्तव्य है।

१ देखिए "नेटालमे राजनीतिक उपद्रव" पृष्ठ २७६-७।

अखबारामे चचा चली थी कि अगर नियमित लडाई छिड जाये, तो क्या भारतीय उसमे हाथ बॅटायेगे? हम अपने अग्रेजी लेखमे[1] लिख चुके है कि भारतके लोग हाथ बॅटानेको तैयार है। और हम मानते है कि जो काम हमने बोअर-युद्धमे किया था वैसा ही इस समय भी करना जरूरी है। यानी, अगर सरकार चाहे तो हमे आहत सहायकोकी टुकडी खडी करनी चाहिए। यदि सरकार हमेशाके लिए "स्वयसेवा" का प्रशिक्षण देना चाहे, तो वह भी हमे स्वीकार करना चाहिए।

स्वाथकी दष्टिसे देखनेपर भी यह कदम मुनासिब माना जायेगा। बारह वतनियोके किस्सेसे पता चलता है कि हमे जो कुछ भी न्याय प्राप्त करना है सो स्थानीय सरकारसे ही। उसे प्राप्त करनेके लिए, पहला काम यह है कि हम अपने कतव्यका पालन करे। इस देशकी साधारण प्रजा अपनेको लडाईके लिए तैयार रखती है, तो हमे भी उसमे हाथ बॅटाना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १४–४–१९०६

२९८ फेरीवालोपर खतरा

डबनकी नगर परिषदने यह प्रस्ताव पास किया है कि परवाने देनेवाले अधिकारी फेरी वालोको नया परवाना न दे, और जिनके पास परवाने है जहातक बने उनकी सख्या भी कम की जाये, क्योकि फेरीवालोके व्यापारसे दूकानदाराको नुकसान पहुँचता है। अबतक नगर-परिषद गुप्त सिफारिश किया करती थी। अब वह खुला हुक्म देती है कि अधिकारीको क्या करना चाहिए। मतलब यह हुआ कि अब नगर परिषद ही ऊपरी और निचली अदालतोके फैसले देनेवाली बन गई है।

फिर ऐसा हुक्म जारी करनेका मतलब यह होता है कि लोगोको मुसीबत भले ही उठानी पडे, दूकानदारोको लाभ होना ही चाहिए। ऐसे कानूनके खिलाफ बहुत ही कडी लडाई लडी जायेगी तभी कुछ राहत मिलेगी।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १४–४–१९०६

१ देखिए "भारतीय स्वयसेवक, पृष्ठ २६१–२।

२९९ लेडीस्मिथ परवाना-निकाय

हम उस मामलेके बारेमे लिख ही चुके ह जिसमे हमें ऐसा लगा कि एक निर्दोष भारतीय व्यापारीके साथ घोर अयाय किया गया हे।[१] अपील अदालतने अपने फैसलेके समथनमे जिस मैकिलिकनके मामलेका उल्लेख किया था, उसकी बहुत कुछ जानकारी अब हमे प्राप्त हो गई है। हमारे सामने उस मुकदमेके मल कागजातकी सही नकल मोजूद है। हमे उससे पता लगता हे कि मैकिलिकनके परवानेको नया करनेसे इनकार करनेके कारण बहुत मजबूत थे और वे इस प्रकार ह

१ **क्योकि प्रार्थीकी जमीनपर बने हुए एक घरमे परवानेके बिना शराब बेचते हुए एक वतनी मद और औरत पकडे गये थे और १९ अक्टूबर १९०३ को दण्डित किये गये थे —— जब कि उसका परवाना सिफ फुटकर चीजोकी दूकानका ही था। उसमे बियरके कमसे-कम तीन बडे बडे पीपे पाये गये थे। इस गर-कानूनी व्यापारकी जानकारी प्रार्थीको अवश्य रही होगी।**

२ **क्योकि उसी जगह प्रार्थीको ७ नवम्बर १९०३ को अफीम बेचनेके अपराधमें १५ जनवरी, १९०४ को सजा दी गई थी। यह व्यापार कुछ समयसे चल रहा था जिससे इलडसलागटेकी खानके भारतीयोकी मानसिक शक्तिका भयानक ह्रास हुआ था और उ हे दूसरे नुकसान भी पहुँचे थे। इसके अलावा खान मनेजरको तबतक लगातार चिन्ता बनी रही जबतक उसको अपने नौकरोके साथकी गई बुराईका स्रोत न मिल गया।**

इस प्रकार परवानेका उक्त प्रार्थी अवैध ढगसे बेची जानेवाली शराबसे वतनियोको प्रत्यक्ष रूपसे विष देनेका और भारतीय खनिकोको कानूनके विरुद्ध अफीम बेचकर बदहवास बनानेका दोषी था। इनमे से हर मामलेमे दोष स्वय उक्त प्रार्थीका था। इस मामलेसे भारतीय मामलेकी तुलना करना और भारतीयको परवानेसे वचित करनेके लिए इसको नजीरके रूपमे पेश करना शब्द व्यभिचार मात्र है। निकायके लिए यह ज्यादा सम्मान और ईमानदारीकी बात होती कि वह असली कारण —— रगभेदको —— अपनी अस्वीकृतिका आधार बनाता।

भारतीय आवेदकने अपने प्राथनापत्रके पक्षमे जो प्रमाणपत्र पेश किये थे, उनमे से कुछ हमारे पास भी भेजे गये है। डबनके एक प्रमुख व्यापारीने परवाना अधिकारीको लिखा है "हम उनको एक अत्यन्त सम्माननीय, विश्वस्त और सरल भारतीय और जिलेमे परवाना देने योग्य व्यक्ति समझते है।" इसलिए जहा मकिलिकन अपने चरित्रके कारण निश्चित रूपसे व्यापारी परवानेके अयोग्य था, वहा भारतीयका चरित्र निर्दोष है। लेडीस्मिथके उस गरीब भारतीयपर जो कुछ बीती है वह कदाचित् नेटालमे भारतीयोके लिए कोई असाधारण अनुभव नही है। इसलिए हमे विश्वास है कि नेटाल भारतीय काग्रेस, जो भारतीय समाजकी हित रक्षाके निमित्त सदैव सजग रहती है, इस मामलेको सरकारके ध्यानमे लाने और न्याय प्राप्त करानेसे न चूकेगी।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २१–४–१९०६

१ देखिए "एक मुश्किल मामला , पृष्ठ २८७–८।

३०० ट्रान्सवालके अनुमतिपत्र

हम श्री मगाके मामलेकी ओर इन स्तम्भोमे ध्यान आकर्षित कर चुके है।[1] आज हम उसीपर अपने सहयोगी 'रैंड डेली मेल का अभिमत अ यत्र प्रकाशित कर रहे है। इस सम्बन्धमे हमारे सहयोगीने जो बाते कही है वे कठोर तो है, पर बिलकुल उचित ह। हम लेखकको अपना विश्वास साहसके साथ प्रकट करनेपर बधाई देते है।

हमारे जोहानिसबगके सवाददाताने अपनी "टिप्पणियो" मे एक दूसरे मामलेका जिक्र किया है। उससे ऐसी स्थितिपर प्रकाश पडता है जो बिगडती ही गई तो ब्रिटिश भारतीय शरणार्थियोको भी अपनी शिकायत दूर कराना असम्भव सा हो जायेगा। हमारे सवाददाताने एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश भारतीय शरणार्थीके मामलेका जिक्र किया है जिसको अनुमतिपत्र नही दिया गया——यद्यपि प्रार्थीने अपना पूव निवास साबित करनेके लिए इज्जतदार यूरोपीयोकी गवाही पेश की थी। जहातक हम जानते है, एक शरणार्थीको पुन प्रवेशकी अनुमति देनेसे साफ इनकार करनेका यह पहला ही मामला है। इससे भी अधिक गम्भीर बात तो यह है कि जहातक भारतीयोका सवाल हे अनुमतिपत्र अध्यादेशके मामलेमें, पिछले कुछ दिनोसे गोपनीयताका रूसी तरीका अपनाया जा रहा है। हमारे सवाददाताका कहना हे कि श्री मगाके मामलेकी तरह इस मामलेमे भी, अनुमतिपत्र अधिकारीने अपनी अस्वीकृतिके कारण बतानेसे इनकार किया है। फलत भविष्यमे ब्रिटिश भारतीयोको कारण सूचित किये बिना ही ट्रान्सवालसे बाहर रखा जायेगा।

और यह सब यही खत्म नही होता। गुजराती स्तम्भोमे एक सवाददाताने हमारा ध्यान एक ऐसे मामलेकी ओर आर्कषित किया हे जिसमे फोक्सरस्टमे एक छ सालका बच्चा अपनी मातासे अलग कर दिया गया, क्योकि बच्चेका कोई अनुमतिपत्र नही था। हमे ज्ञात हुआ कि अभागे पिताके पजीकरण पत्रकमे उसके दो पुत्र होनेका उल्लेख था।

हम लाड सेल्बोनका ध्यान भारतीयोकी गम्भीर स्थितिकी ओर आर्कषित करते है। परमश्रेष्ठके शब्दोको कायरूपमे परिणत करनेका समय आ पहुँचा है। बुद्धिसगत पूवग्रहोका आदर किया जाये, यह हमारी इच्छा है, और इसमे हम किसीसे पीछे नही ह। इसलिए हमने उन एशियाइयोका आव्रजन नियमित करना वाछनीय माना है जो पहले ट्रान्सवालमे नही रहे है। लेकिन, प्रिटोरियाके अधिकारी एशियाई विरोधी दलको खुश करनेके लिए जिस तरह भटक रहे है, उसका अथ है एक बिलकुल ही भिन्न योजना। और यदि वे समझते ह कि भारतीय अपनी शिकायत दूर करानेका गम्भीर प्रयत्न किये बिना ही अपने निहित अधिकार पैरो तले कुचल जाने देगे, तो वे बडी भल करते ह।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २१–४–१९०६

१ देखिए "ट्रान्सवाल अनुमतिपत्र अध्यादेश', पृष्ठ २८८–९।

३०१ डर्बन नगर-परिषद और भारतीय

'नेटाल मर्क्युरी' लिखता है, डर्बन नगर परिषदकी परवाना समितिने "इच्छा प्रकट की है कि परवाना-अधिकारी फेरीके नये परवाने न दे और फेरीके वर्तमान परवानामे भी जितनी कमी करना सम्भव हो, करे, क्योकि इस वर्गके व्यापारी दूकानदारोके वैध व्यापारमे हस्तक्षेप करते है।" परवाना समितिकी यह सिफारिश विक्रेता-परवाना अधिनियमके अनुसार किये गये निर्णयोका परिणाम है। दादा उस्मानके मामलेके फैसले[१] तथा उक्त कानूनके अन्तर्गत दूसरे मामलोमे जो फैसले हुए है उनके कारण नगर परिषदे अपनी दमन नीतिमे साहसी बन गई है। पहले वे परवाना अधिकारियोको गोलमोल सुझाव दिया करती थी, अब खुल्लम-खुल्ला हिदायते देने लगी है। इसलिए यह परवानोके प्रार्थनापत्रोपर नगर परिषदो द्वारा अपने अधिकारियोको आदेश देने और फिर उन अधिकारियोके उस निर्णयपर, जो असलमे उन्हीका निर्णय है, स्वय अपील सुननेका प्रश्न है। इस तरह वे परवाना अधिनियमको एक कोरा मजाक बना देगी। फिर, जिन हिदायतोका हमने ऊपर जिक्र किया है उनसे साफ जाहिर होता है कि विक्रेता-परवाना अधिनियमपर अमल करते समय सामान्य समाजका ध्यान न रखकर केवल दूकानदारोका ध्यान रखा जाता है। चूकि उनके व्यापारमे बाधा पडनेकी सम्भावना है, इसलिए फेरीके नये परवानोको जारी नही करना है और जो वर्तमान फेरीके परवाने है उनमे कमी करना है। फेरीवाले एक आवश्यकताकी पूर्ति करते है और उन गृहस्थोके लिए, जिन्हे अपनी सभी वाछित वस्तुएँ अपने दरवाजेपर मिल जाती है, एक वरदान है—यह सब-कुछ नगर परिषदोके लिए तबतक अर्थहीन है जबतक कि एक विशेषाधिकार सम्पन्न वर्गका सवर्धन किया जा सकता है। हमारे तर्कपर एतराज किया जा सकता है कि परवाना-समितिके निर्देश सब सामान्य है, पर यही बात हमारे तर्कके विषयमे भी कही जा सकती है। वह भारतीय और यूरोपीय—दोनो तरहके फेरीवालोपर लागू होता है। परन्तु वास्तवमे ऐसी नीतिका असर मुख्यतया भारतीयोको ही सहना होगा, क्योकि फेरी लगाना उनकी अपनी विशेषता है और डर्बनमे ज्यादातर फेरीवाले भारतीय है। फिर भी कानूनको लागू करनेमे हम इन ज्यादतियोका स्वागत करते है, क्योकि वे खुद ही अपने पीछे अपना सर्वनाश लायेगी।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २१–४–१९०६

१ देखिए "प्रार्थनापत्र लॉर्ड एलगिनकी सेवामे", पृष्ठ २५६–८।

३०२ म० द० आ० रेल-प्रणालीमे[1] यात्राकी कठिनाइयाँ

क्लाक्सडापके एक सवाददाताने हमारे गुजराती स्तम्भोमे उन कठिनाइयोका जिक्र किया है जो क्लाक्सडाप और जोहानिसबगके बीच चलनेवाली रेलगाडियोमे यात्रा करते समय भारतीय यात्रियोको होती हैं। हमारे सवाददाताकी शिकायत है कि भारतीय मुसाफिरोको, फिर चाहे वे किसी भी श्रेणीके क्यो न हो, रेलगाडियोमे तबतक जगह नही दी जाती जबतक उनमे "रगदार" या "सुरक्षित" तख्तिया लगे डिब्बे जुडे न हो। हमारा सवाददाता आगे कहता है कि अधिकारियोकी कारवाईके परिणामस्वरूप बहुत कम भारतीय मुसाफिर कुछ आरामके साथ यात्रा करते हैं। सब गाडियोमे तख्तिया नही लगी होती, इसलिए अगर किसी भारतीय मुसाफिरकी कोई खास गाडी निकल जाती है और वह दूसरी गाडीसे, जिसमें सुरक्षित स्थान नही है, यात्रा करना चाहता हे तो वह प्राय ऐसा करनेमे असमथ रहता है। हमारे सवाददाताका कथन है कि ऐसी गाडीमे यात्रा एक इसी शतपर की जा सकती हे कि मुसाफिर पूरे समय बराबर गलियारेमे खडा रहे। यह मामूली बात नही है। क्योकि यात्रामे आठ घटेसे ऊपर लगते है। अगर हमारे सवाददाताकी शिकायत सच्ची है तो यह स्पष्ट हे कि रगदार मुसाफिरोके आरामकी तरफ काफी ध्यान नही दिया जाता।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २१–४–१९०६

३०३ वीसूवियसका ज्वालामुखी

इटलीमे वीसूवियसका जो ज्वालामुखी सुलग रहा है, वह हमे कुदरतकी ताकतका भान कराता है और यह सूचित करता है कि हमे घडीभर भी अपनी जिन्दगीका भरासा नही करना चाहिए। फ्रान्सकी कूरिअर खानकी हालकी दुघटना भी, जिसमे अनेक व्यक्ति जिन्दा दफन हो गये, हमे इसी सत्यका साक्षात्कार कराती है। लेकिन खानकी दुघटनाके बारेमे लोग इजीनियरोका दोष निकाल सकते है। और यह सोचकर अपनेको बहला सकते ह कि अमुक सावधानी रखी जाती, तो जो लोग दबकर मरे, वे न मर पाते। ज्वालामुखीके विषयमे कोई ऐसी बात नही कह सकते। किन्तु इस समय इस विषयमे हम अधिक कहना नही चाहते। भारतसे दूर आये हुए लोगोको ऐसे विचारोका पूरा भान हो सकेगा, यह मानना तो बेकार है। लेकिन इस ज्वालामुखीके सुलगते समय एक वैज्ञानिकने जिस बहादुरीका परिचय दिया, उसकी ओर हम पाठकोका ध्यान खीचना चाहते है। ज्वालामुखीके पास ही हवाकी गतिविधि मापनेका एक केन्द्र है। प्रोफेसर मेटयूसी वहा रहते है। वह जगह बडे खतरेकी है। पवतसे निकलनेवाला लावा उस जगहको किसी भी समय जमीदोज कर सकता है। फिर भी प्रोफेसर मेटयूसीने अपनी जगह नही छोडी और अपने स्थानपर बैठे-बैठे वे ज्वालामुखीके समाचार नेपल्स भेजते रहते हैं। इस प्रकार खतरेकी स्थितिमे बैठे रहना कोई मामूली बहादुरी नही है। वहा

१ सेंट्रल साउथ आफ्रिकन रेलवे।

रहनेके लिए कोई उन्हे विवश नही कर रहा हे। अगर अपने जीवनकी रक्षाके लिए हजारो लोगोकी तरह वे भी अपनी जगह छोडकर भाग खडे हो, तो कोई उन्हे कुछ कहनेवाला नही है। फिर भी उन्होने वहासे हटनेसे इनकार कर दिया है। जब दक्षिण आफ्रिकामे अथवा भारतमे ऐसा करनेवाले भारतीय बडी सख्यामे पैदा होगे, तब हमारे कष्टोकी अवधि बहुत लम्बी नही रहेगी।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २१–४–१९०६

३०४ विलायत जानेवाला भारतीय शिष्टमण्डल

नेटाल भारतीय काग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव हम पिछले हफ्ते छाप चुके है। काग्रेस भवन खचाखच भरा था और लोग बडा उत्साह दिखा रहे थे। काग्रेसके कायकताओके लिए यह गौरवकी बात है। आजकल नया उदारदलीय (लिबरल) मन्त्रिमण्डल शासन कर रहा है। अपने दु खकी कहानी सुनानेके लिए उसके पास जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमे लगता है कि यह शिष्टमण्डल, जो आयोग यहा आनेवाला है उसके आ जानेके बाद जा सकता है। दूसरे अगर शिष्टमण्डल जाता हे, तो हम जानते है कि कमसे कम तीन व्यक्तियोका जाना जरूरी है। इससे वजन पडेगा और मन्त्रिमण्डल ठीकसे बात सुनेगा। ऐसे काम बिना पैसेके नही हो सकते। इसमे कुछ लोगोकी मदद ओर काफी पैसा खच करनेकी जरूरत है। इस सारे कामके लिए समचे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय मदद करे तभी कुछ हो सकता है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २१–४–१९०६

३०५ जहाजसे नेटालमे उतरनेवाले भारतीयोको सूचना

हम प्राय देखते ह कि हकदार भारतीयोको जहाजसे डबन बन्दरगाहपर उतरनेमे बडी कठिनाईका सामना करना पडता है। इस सम्बन्धकी कुछ कठिनाइया लोग आसानीसे दूर कर सके, इस विचारसे हम नीचे लिखी सिफारिशे करते है

कानूनन जो मनुष्य नेटालका निवासी है, उसकी स्त्रीको आनेमे जरा भी अडचन नही होनी चाहिए। लेकिन प्रवासी अधिकारी किसी स्त्रीको तभी उतरने देता है, जब वह उस निवासीके साथ अपने विवाहका कानूनी सबूत पेश कर दे। इसलिए जिसकी स्त्री आनेवाली हो, उसे पहलेसे हलफनामा लिखकर उसपर प्रवासी अधिकारीके हस्ताक्षर प्राप्त करके तयार रखना चाहिए। ऐसा करनेसे स्त्रीको जहाजके आते ही उतारा जा सकेगा।

यही कारवाई बच्चोके लिए भी करनी चाहिए। हलफनामा दाखिल करनेवाले पिताको याद रखना चाहिए कि लडके या लडकीकी उमर सोलह सालके अदर होनी चाहिए। लडकेकी अथवा लडकीकी उमर इतनी है, इस आशयका हलफनामा दाखिल करा लेना ही काफी नही माना जाता। क्योकि उस उमरको मानना या न मानना प्रवासी अधिकारीपर निभर करता है। अतएव अगर दिखनेमे ही लडके या लडकीकी उम्र १६ सालसे ऊपरकी लगती हो, तो हलफ-

नामा करानेके बाद भी अड़चन उपस्थित हो सकती है। और अगर दोमें से एक भी विवाहित हो, तो १६ सालसे कम उमर होनेपर भी माता पिताके हकके आधारपर वह आनेका हकदार नहीं बनता।

नेटालका निवासी खुद आना चाहे और उसके पास अधिवासी प्रमाणपत्र न हो, तो उसे भी तकलीफ उठानी पड़ती है। इसके लिए अधिकारीके सामने पहलेसे ही पक्के सबूत पेश करने पड़ते हैं। तिसपर भी ऐसा मनुष्य तुरन्त उतर सके, इसका तो एक यही उपाय है कि वह जमानतके १०० पौंड जमा करके उतरे, और बादमें सबूत पेश करे, अथवा १० पौंडका अभ्यागत पास लेकर उतरे और बादमें सबूत दे। १०० पौंड जमा करानेपर सरकारको एक पौंड शुल्क नहीं देना पड़ता। लेकिन १० पौंडका पास लेनेके लिए नये नियमके अनुसार एक पौंडका शुल्क देना जरूरी है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-४-१९०६

३०६ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

जोहानिसबर्ग
अप्रैल २१, १९०६

मलायी बस्ती सम्बन्धी शिष्टमण्डल

मैं पिछले हफ्ते कह चुका हूँ कि मलायी बस्तीके बारेमें सर रिचर्ड सॉलोमनके[1] पास जो शिष्टमण्डल गया था, उसकी जानकारी दूँगा, सो अब दे रहा हूँ।

श्री हाजी वजीरअली सर रिचर्डसे मिले और उन्होंने नीचे लिखी हकीकत पेश की

बोअर सरकारने मलायी लोगोंको जमीन दी तब उन्होंने उसे सुधार कर तैयार किया, और जब उन्होंने घर बनानेके लिए अर्जी दी, तब बोअर सरकारने उन्हें बिना किसी शर्तके घर बनाने दिये। नतीजा यह हुआ कि मलायी बस्तीमें कई अच्छे और पक्के घर बन गये हैं। साथ ही, वहाँके निवासियोंने जमीन सुधारी है, और आसपास बस्ती बढ़ी है। जब मलायी बस्तीका स्थान निश्चित हुआ था उस समय उसके आस-पास गोरे बढ़ रहे थे। किन्तु उस समय उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। यद्यपि बस्तीके निवासियोंने अपनी जमीनोंको कई बरस पहले दुरुस्त कर लिया था, फिर भी उनको कोई पट्टा नहीं दिया गया है। पिछले सितम्बर महीनेमें इस आशयका एक कानून पास हुआ है कि बस्तीका स्वामित्व जोहानिसबर्गकी नगर पालिकाको सौंप दिया जाये। दूसरी तरफ, सरकार फ्रीडडापमें रहनेवाले डच लोगोंको निश्चित अधिकार देना चाहती है। सम्भव है कि नगरपालिकाको मलायी बस्ती सौंपनेका परिणाम बस्तीके निवासियोंके हकमें बहुत बुरा ठहरे।

जब डच लोगोंको हक दिये जाते हैं, तब मलायी बस्तीके निवासियोंको, जो हमेशा वफादार रहे हैं ये हक मिलने ही चाहिए।

अगर मलायी बस्तीके लोगोंको स्थायी पट्टा दिया जाये, तो अनुमान किया जा सकता है कि वे जमीनको और भी सुधारेंगे और उसपर अधिक सुन्दर मकान बनायेंगे।

१ ट्रान्सवालके स्थानापन्न लेफ्टिनेंट गवर्नर।

इस हकीकतको सुनकर सर रिचडने वचन दिया कि वे इस मामलेकी ठीक ठीक जाच करायेंगे, और बादमें जवाब भेजेंगे। उन्होने सदभावना प्रकट की है, पर मालूम होता है कि आजकल सरकारके पास सदभावनाकी विपुलता हो गई है, क्योकि श्री विन्स्टन चर्चिलने भी भावना तो अच्छी ही प्रकट की है, किन्तु वे महानुभाव क्या करेंगे, सो तो वे ही जानें।

अनुमतिपत्रो सम्बन्धी हालत जसी थी वैसी ही है। यहाके अखबार 'रड डेली मेल' मे श्री मगाके मुकदमेके बारेमे बहुत कडी टीका छपी ह। उसने दो अग्रलेख लिखे है। माना जा सकता है कि अनुमतिपत्र कार्यालयपर उसका असर धीरे धीरे होगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८-४-१९०६

३०७ 'इडियन ओपिनियन' के बारेमे

इडियन ओपिनियन के भविष्यके बारेमें विचार करनेके लिए भारतीयोकी बैठक सोमवार २३ अप्रैल १९०६ को डबनमें श्री उमर हाजी आमद झवेरीके घर हुई थी। श्री अब्दुल्ला हाजी आमद झवेरी सभापति थे। **इडियन ओपिनियन** की वर्तमान स्थितिके सम्बन्धमें जानकारी देनेकी विनती की जानेपर गाधीजीने यह बताया था

डबन
अप्रैल २३, १९०६

'ओपिनियन' कुछ वर्षोसे चल रहा है। इसके सस्थापक श्री मदनजीत ह। उन्होने इस पत्रके लिए मेहनत की, और अपना सब कुछ इसमे लगा दिया। पत्र शुरू करते समय यह खयाल नही हो पाया था कि इसमे पैसेकी जिम्मेदारी कितनी होगी। आगे चलनेपर यह मालूम हुआ कि इसे चलानेके लिए बहुत पैसेकी जरूरत है। जोहानिसबग निगम (कॉरपोरेशन) के खिलाफ लडे गये मुकदमेके मेरे पास १,६०० पौड आये थे। वह रकम लगा देनेपर भी कमी पूरी नही हुई।[1] हर महीने ७५ पोडका नुकसान होने लगा। उसे पूरा करनेकी मेरी ताकत नही थी। इसलिए पत्रका दूसरी तरहसे चलानेके बारेमे सोचना पडा। यह तय हुआ कि छापाखाना बाहर ले जाया जाये[2] और कायकर्ता बहुत ही गरीबीसे रहे। इस निणयके समय श्री मदनजीतको जवाबदेहीसे मुक्त कर दिया गया। उन्हे यह डर था कि ऐसा करनेसे पत्र नही चल सकेगा, इसलिए उन्होने उससे हाथ हटा लिया। अब जिम्मेदारी सिफ मेरी रही। श्री मदनजीतका नाम जैसा का-तैसा चला आ रहा है क्योकि वे स्वय स्वदेशाभिमानी ह और उन्होने नि स्वाथ भावसे पत्र शुरू किया है। वे भारतमे अब भी देश-सेवाका काय करते रहते है।

ऊपर जैसा कहा गया है उस प्रकार यह अखबार कुछ समयसे चल रहा है। लेकिन वैसा करनेमे भी, मै देखता हूँ, ऐसी स्थिति आ गई है कि यदि सँभाला न गया तो उसमे नुकसान होगा, और जो लोग ३ पौडमे अपना गुजर चला रहे है उन्हे उतनी रकम देनेकी भी व्यवस्था न रहेगी। मै आया तब ग्राहक सख्या ८८७ थी और विज्ञापन घट गये थे। मै सोचता हूँ कि चाहे जिस तरह भी हो जबतक छापाखानेके आदमी टिके रहेगे नवतक मै अग्रेजी भाग

१ देखिए आत्मकथा' भाग ४ अध्याय १३।
२ छापाखाना दिसम्बर १९०४ मे फीनिक्स ले जाया गया।

तो निकालता ही रहूँगा। लेकिन यह मैने कभी नही माना कि भारतीय समाजकी ओरसे जरा भी प्रोत्साहन नही मिलेगा। इसलिए म अब भी आशा लिए हूँ कि पत्रमे आवश्यक सहायता मिलेगी।

पत्रके मुख्य तीन हेतु है। एक तो हमारे दुख शासनकर्त्ताओके सामने गोरोके सामने, इग्लैडमे, दक्षिण आफ्रिकामे और भारतमे जाहिर करना। दूसरा यह कि हममे जो भी दोष हो उन्हे बताना और उन्हे दूर करनेके लिए लोगोसे कहना। तीसरा, और कहे तो सबसे बडा, उद्देश्य हिन्दू-मुसलमानोके बीचका भेद तोडना और साथ ही गुजराती, तमिल, कलकत्तेवाले जैसी खाइयोको पाटना। भारतमे राज्यकर्त्ताओकी विचारधारा दूसरे प्रकारकी मालूम होती है। वहा यह नही दीखता कि वे हममे एकता पदा होने देना चाहते है। दक्षिण आफ्रिकामे हम सब थोडे-थोडे ह, हमपर एक सी मुसीबते ह कोई कोई बन्धन भी यहा ढीले हो गये ह, इसलिए हम एक दिल होनेका प्रयोग यहा बहुत ही आसानीसे कर सकते है। इन विचारोको प्रजामे दढ करना भी इस पत्रका हेतु है। इस उद्देश्यको सफल करनेके लिए सभी समझदार भारतीयोकी मददकी आवश्यकता है। मतलब यह कि यदि इस पत्रको आवश्यक प्रोत्साहन मिले तो मै देखता हूँ कि इससे बहुत से काम हो सकते है। मुझे लगता है कि सभी पढे-लिखे और सामर्थ्यवाले लोगोको ग्राहक बनना चाहिए। दक्षिण आफ्रिकामे कमसे कम २०,००० गजराती है। उनमे मे यदि २५ प्रतिशत ग्राहक बन जाये तो काई अनोखी बात न होगी। पढे-लिखे लोग स्वय ग्राहक बन जाये, इतना ही काफी नही है, उन्हे पत्रके उद्देश्योको सफल बनानेके लिए पूरी कमर कसनी चाहिए। वे दूसरोको समझा सकते ह। पत्र शिक्षाका बडा साधन है। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह अखबार मेरा नही बल्कि हरएक भारतीय भाईका है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–४–१९०६

३०८ मुस्लिम युवक मण्डलसे

काग्रेस हॉलमें श्री पीरन मुहम्मदकी अध्यक्षतामें डबनके मुस्लिम युवक मण्डल (यग मैन्स मोहम्मडन असोसिएशन) की बैठक हुई थी। उसमें श्री एम० सी० आगलियाने मण्डलके सम्बन्धमें कुछ सुझाव दिये थे और उनपर गाधीजीकी राय माँगी थी। साथ ही यह कहा था कि मण्डलके लिए विधान बनानेका काम गाधीजीको सौंपा जाये। इस प्रसगपर बोलते हुए गाधीजीने कहा

अप्रल २४ १९०६

इस मण्डलका उद्देश्य यदि शिक्षा प्रचार नीति-प्रचार और आन्तरिक सुधार करना हो तब तो इसका मस्लिम युवक मण्डल नाम ठीक है। ईसाई युवक मण्डल (यग मैन्स क्रिश्चियन असोसिएशन) जगत-प्रसिद्ध है। उसे बहुतेरे समझदार लोगोकी ओरसे प्रोत्साहन मिलता है। यह मण्डल भी वैसा ही काम कर सकता है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–४–१९०६

३०९ भाषण काग्रेसकी सभामे

नेटाल भारतीय कांग्रेसकी एक सभा काग्रेस भवनमें यह विचार करनेके लिए की गई कि जूलू लोगोने बम्बाटाके नेतृत्वमें जो विद्रोह किया है उसके सम्बन्धमें एक आहत सहायक दलकी सेवाएँ देनेका प्रस्ताव सरकारके सम्मुख रखना उचित है या नही। काग्रेस अध्यक्ष श्री दाऊद मुहम्मद सभापति थे। गाधीजीका यह भाषण सभाकी रिपोर्टसे लिया गया है। इस सभामें अन्य लोगोने भी भाषण दिये थे।

डबन

अप्रल २४, १९०६

श्री गाधीने बोअर युद्धमे भारतीयोके योगदानका उल्लेख किया। उन्होने कहा कि यह सभा भारतीयोके स्वयसेवक भर्ती होनेके आम सवालके सम्बन्धमे नही की गई है। उनका खयाल है कि भारतीय समाजके रूपमे जो रक्षात्मक शक्ति उपलब्ध हे उसका उपयोग न करके सरकार उपनिवेशके प्रति अपने स्पष्ट कर्तव्यकी उपेक्षा कर रही है। श्री वाटने कहा है कि वे भारतीयोसे अपना बचाव कराना नही चाहते। उन्होने साथ ही यह भी कहा हे कि वे भारतीयोका उपयोग खाइया खोदनेके लिए करेगे। इस सम्बन्धमे स्वर्गीय श्री एस्कम्बने हमे आश्वासन दिया था कि खाइया खादना और घायलोकी शुश्रूषा करना वसे ही सम्मानप्रद ओर आवश्यक काय है जैसा बन्दूक उठाना। किन्तु आज हमे श्री वॉटके विचारोके सम्बन्धमे कुछ नही कहना है। हमे तो यही विचार करना है कि हमको वतमान सकटमे सरकारके सम्मुख अपनी सहायता देनेका प्रस्ताव रखना है या नही, भले ही वह सहायता कितनी ही तुच्छ क्यो न हो। यह सच है कि हमारे ऊपर निर्योग्यताएँ लगी हुई है ओर हम परेशान ह। वतनी लोगोके विद्रोहके सम्बन्धमे भी दो राये हो सकती ह। किन्तु हमारा कतव्य है कि हम ऐसे किसी खयालसे प्रभावित न हो। यदि हम नागरिकताके अधिकारोका दावा करते ह तो हम उन अधिकारोके साथ जुडी हुई जिम्मेदारियोमे हिस्सा लेनेके लिए बाध्य है। इसलिए उपनिवेशके सामने मौजद खतरेको दूर करनेमे मदद देना हमारा कर्त्तव्य है। भारतीयोने बोअर युद्धमे अच्छा काम किया था। जनरल बुलरने उसकी सराहना की थी। वक्ताने सलाह दी कि भारतीयोको इस बार भी सरकारके सम्मुख वैसा ही प्रस्ताव रखना चाहिए।

एडवोकेट श्री गैब्रियलने तब निम्न प्रस्ताव पेश किया

नेटाल भारतीय काग्रेसके तत्वावधानमे की गई ब्रिटिश भारतीयोकी यह सभा इसके द्वारा सभापतिको अधिकार देती है कि वे वतनियोके विद्रोहके सम्बन्धमें सरकारको सहायताका वैसा ही प्रस्ताव भेजे जसा बोअर युद्धमें भेजा गया था।

श्री लाजरस गैब्रियलने पूछा कि जो लोग प्रस्तावके पक्षमे मत देगे क्या वे अपनी सेवाएँ देनेके लिए बाध्य है।

श्री गाधीने कहा कि प्रस्तावका अथ यह नही है। किन्तु उसके पक्षमे मत देनेवाला प्रत्येक सदस्य उस कदमको सफल बनानेमे सहायता देनेके लिए बँधा हे। दलको बनाना वतमान सदस्योका काम है, बशर्ते कि सरकार इस प्रस्तावको स्वीकार करनेकी कृपा करे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–४–१९०६

३१० पत्र उपनिवेश-सचिवको

डबन
अप्रल २५, १९०६

सेवाम
माननीय उपनिवेश-सचिव
पीटरमैरित्सबग

महोदय,

इस महीनेकी २४ तारीखको नेटाल भारतीय काग्रेसके तत्वावधानमे ग्रे स्ट्रीटके काग्रेस भवनमे ब्रिटिश भारतीय सघकी एक सभा हुई थी। उसमे ढाई सौसे अधिक भारतीय उपस्थित थे। उक्त सभामे बैरिस्टर श्री बर्नाड गब्रियल द्वारा प्रस्तुत और बी० इब्राहीम इस्माइल कम्पनीके श्री इस्माइल कोरा द्वारा अनुमोदित सलग्न प्रस्ताव सवसम्मतिसे पास किया गया।

म सरकारका ध्यान इस ओर आदरपूवक आर्काषित करता ह कि प्रस्तावमे उल्लिखित अवसरपर बहुत से ब्रिटिश भारतीयोने अपनी सेवाएँ देनेका प्रस्ताव किया था और आहृत सहायक दलोके नायकोके रूपमे उनकी सेवाए स्वीकार भी की गई थी। नेटाल भारतीय काग्रेसके विचारसे, अगर आवश्यक हो तो, वतमान सकटके लिए भी, इसी तरहका सहायक दल सगठित करना सम्भव ह। काग्रेसका विश्वास है कि सरकार यह प्रस्ताव स्वीकार करनेकी कृपा करेगी। यह निवेदन भी कर द कि सभाके अतमे कोई चालीस ब्रिटिश भारतीयोने आहत-सहायता अथवा, जिनके लिए उहे उपयुक्त समझा जाये, ऐसे अय कार्योके लिए अपने नाम दिये ह।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
दाऊद मुहम्मद

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–४–१९०६

३११ 'नेटाल मर्क्युरी'को भेट

नेटाल भारतीय काग्रस द्वारा नियुक्त एक समितिने यह निश्चय किया था कि साम्राज्य सरकारके सम्मुख भारतीयोकी शिकायतें पेश करनेके लिए एक शिष्टमण्डल भेजा जाये। इस शिष्टमण्डलमें गाधीजी, इस्माइल कोरा और ट्रान्सवाल एव केपके प्रतिनिधि शामिल किये जानेवाले थे। **नेटाल मर्क्युरी** के एक सवाददाताने गाधीजीसे भेट की थी। निम्नलिखित उद्धरण उसकी रिपोर्टसे दिया जा रहा है

[अप्रैल २६, १९०६ के पूव]

इस विपयमे भेट करनेपर श्री गाधीने कहा कि शिष्टमण्डल सम्भवत अगले दो महीनेके भीतर रवाना हो जायेगा। ट्रान्सवाल और केपने अभी उत्तर नही दिया है। उनका इरादा यह है कि वे समस्त दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोकी शिकायते ब्रिटिश सरकारके सम्मुख रखें और उनका उचित निराकरण करवाएँ। वे उन निर्योग्यताओको भी पेश करेगे जो ब्रिटिश

भारतीयोपर लगी हुई है। कोई औपचारिक कायक्रम नही बनाया गया हे, किन्तु वे यहा तबतक रहेगे जबतक वे आयोगकी गतिविधियोको देख नही लेते। यह आयोग इसी ७ तारीखको रवाना हुआ हे। यदि आवश्यक होगा तो वे स्वय आयोगके सम्मुख पेश होगे।

[अंग्रेजीसे]

नेटाल मर्क्युरी, २६–४–१९०६

३१२ एक भारतीय प्रस्ताव

हाल ही मे नेटाल भारतीय काग्रेसके तत्त्वावधानमे जो सभा हुई थी उसका वतनियाके विद्रोहके सिलसिलेमे भारतीयोकी सेवाएँ समर्पित करनेका प्रस्ताव[2] पास करनेपर बधाई दी जानी चाहिए। स्थानीय अखबारोमे अनेक सवाददाताओने यह चिता व्यक्त की थी कि यदि विद्रोह फला तो उनको स्वय अपनी और भारतीयो दोनोकी रक्षाका भार वहन करना होगा। यह प्रस्ताव उसका पूरा जवाब हे। पिछले मगलवारको काग्रेस हालमे जो भारतीय इकटठे हुए थे उन्होने प्रकट कर दिया ह कि उनमे विवेक प्रचुर मात्रामे मौजूद है और जहा समस्त समाजकी, जिसके वे भी एक अग ह सामूहिक भलाईका सवाल उपस्थित हो, वहा वे अपनी निजी शिकायतोको भुला सकते है। हमे विश्वास है कि सरकार उनकी सेवाएँ स्वीकार करनेमे आनाकानी न करेगी और भारतीय समाजको एक बार फिर अपनी योग्यता सिद्ध करनेका मौका देगी।

परन्तु यह प्रस्ताव स्वीकार हो या न हो इससे इस बातका महत्व बहुत स्पष्ट हो जाता है कि भारतीयोको पहलेसे उचित प्रशिक्षण देकर उनकी उपनिवेशके बचावमे उचित भाग लेनेकी इच्छाका सदुपयोग किया जाना चाहिए। हम कई बार कह चुके है कि अतिरिक्त रक्षा कार्योके लिए भारतीय समाज जो मूल्यवान सहायता दे सकता है उसका उपयोग न करना अत्यन्त मूखताकी बात है। अगर वतमान भारतीय आबादीको उपनिवेशसे निकालना सम्भव नही है तो उसको उपयुक्त सैनिक शिक्षण देना निस्सन्देह सामान्य समझदारीकी बात है। एक भावपूण भारतीय कहावत है "आग लगे खोदे कुआ, कैसे निकसे तोय।" फिर भारतीय भी चाहे वे कितने ही इच्छुक और सामथ्यवान क्यो न हो, आप उनको एकदम खाई खोदनेवाले कुशल दलके रूपमे भी तैयार नही कर सकते। क्या श्री वाट और उनके साथी मन्त्री इस मामलेमे अपने कत्तव्यके प्रति सजग होगे?[3]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८–४–१९०६

१ कदाचित् ट्रान्सवालको उत्तरदायी शासन देनेके प्रश्नपर विचारके लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सर वेस्ट रिजवेकी अध्यक्षतामें नियुक्त सविधान समिति। शिष्टमण्डल समितिसे २९ मईको मिला था, देखिए 'वक्तव्य संविधान समितिकी सेवामें प्रस्तुत', पृष्ठ ३४५–५४।

२ देखिए 'भाषण काग्रेसकी सभामें" पृष्ठ ३०१।

३ देखिए "भारतीय स्वयसेवक', पृष्ठ २६१।

३१३ नेटाल दूकान-कानून

नेटाल दूकान कमचारी सघके मन्त्रियोने जो लम्बा लेख दूकान कानूनपर लिखा है उसको हमारे सहयोगी 'नेटाल ऐडवर्टाइजर' ने बहुत महत्त्व दिया है। इसमे मन्त्रियोने यह दिखानेका यत्न करते हुए कि इससे एशियाई व्यापारको क्षति पहुँची है, इस कानूनका औचित्य सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। इससे उस व्यापारको क्षति पहुँची है या नही, इसपर हम विवाद नही करना चाहते। हमने कानूनके आधारभूत सिद्धान्तको स्वीकार कर लिया है। हमारे खयालसे यह ठीक ही है कि दूकानोके खुलने तथा बन्द होनेके समयपर सरकारका नियन्त्रण हो। किन्तु हम यह खयाल किये बिना नही रह सकते कि विधान द्वारा वस्तुत जो घट निश्चित किये गये है, वे सब तरहसे असुविधाजनक ह। उनको निश्चित करनेमे उस जनताका, जो इन व्यापारियोको आश्रय देती हे, कुछ खयाल नही किया गया है। शनिवारको दोपहरके बाद दूकान बन्द करा देना नितान्त मूखता है। खैर, यह सब तो हमने यो ही कह दिया। हम समझते है कि कानूनको व्यवहार योग्य बनानेके लिए उसमे शीघ्र ही सशोधन करना पडेगा।

लेकिन सघके जिम्मेदार अधिकारियोने जिस गैर जिम्मेदाराना ढँगसे भारतीय व्यापारियोके सम्बन्धमे चर्चा की है उसपर, हमे लगता है, कुछ विचार प्रकट करना जरूरी है। मन्त्रियोने कहा हे कि इस कानूनके पहले भारतीय व्यापारी अपनी दूकाने प्रति सप्ताह १०३ घटे खुली रखते थे जब कि कानून बननेके बादसे वे सिफ ५३ घटे प्रति सप्ताह ही खुली रखते है। इस प्रकारके निराधार वक्तव्यके समथनमे कोई प्रमाण नही दिया गया है। यह वक्तव्य स्वत ही गलत है। १०३ घटे प्रति सप्ताहका मतलब है १७ घटे १० मिनिट प्रति दिन। अगर अब हम यह मान ले कि भारतीय दूकानदार (खाने-पीने और कपडे पहनने आदिकी जरूरत न होनेपर भी) ६ बजे सुबह अपनी दूकान खोलता है, तो प्रतिदिन १७ घटेसे ज्यादा दूकान खुली रखनेके लिए उसको रातके ११ १० बजेके बाद ही दूकान बन्द करनी पडेगी। हमे ऐसे भारतीय व्यापारियोके नामोकी सूची पाकर प्रसन्नता होगी जो कानून बननेके पूव ६ बजे सुबहसे ११ १० बजे रात तक अपनी दूकाने खुली रखते थे। हमने ब्रिटिश लोकसभाके आयरिश सदस्योके बारेमे जरूर सुना है कि वे सारी रात सदनमे अथक रूपसे बैठे रहते थे और 'कोला'की[1] गुठलीके एक टुकडेसे भूख मिटा लेते थे। किन्तु हमने यह नही सुना कि कोई भारतीय व्यापारी अपने कमचारियोके साथ, बिस्तरेसे उठते ही (अगर उन्हे बिस्तर रखनेका श्रेय दिया जा सके) ६ बजे सुबह अपनी दूकानकी ओर दौड पडता हो और ११ १० बजे रात तक थडेपर खडा रहता हो। हमने भारतीयोके बारेमे बहुत से अत्युक्तिपूण विवरण पढे है, परन्तु नेटाल दूकान कमचारी सघका यह विवरण अवश्य ही बढ गया है। फिर भी हम यह माननेको तैयार है कि कुछ भारतीय दूकानदार आजकलकी अपेक्षा ज्यादा समय तक दूकान खुली रखते थे। परन्तु अगर प्रमाणकी आवश्यकता हो तो हम यह भी सिद्ध करनेके लिए तयार है कि उस श्रेणीके यूरोपीय व्यापारी उनसे ज्यादा नही तो उनके बराबर ही उसी ढँगका गुनाह किया करते थे।

करीब करीब उपयुक्त अत्युक्तिके समान ही मन्त्रियोके अन्य वक्तव्य भी है। हम उनसे निवेदन करते है कि वे उनको छपानेके लिए दौडनेसे पहले उनके तथ्योका अध्ययन कर लिया करे।

१ एक आफ्रिकी पेड जिसकी गुठली नशा उतारनेके लिए खाई जाती है।

हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय व्यापारी आखिर इतना अधम तो नहीं है जितना वे उसे चित्रित करते हैं।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-४-१९०६

३१४ इस पत्रकी आर्थिक स्थिति

हमारे पाठकोंको यह जानकर सन्तोष होता होगा कि यह अखबार ज्यों ज्यों दिन बीतते जाते हैं त्यों त्यों बढ़ता जाता है। शुरू शुरूमें हम गुजरातीके चार ही पृष्ठ देते थे। उसके बाद पांच पृष्ठ देने लगे। तमिल और हिंदी विभागोंको बन्द करनेके बाद आठ पृष्ठ देने शुरू किये। और इस हफ्ते हम बारह पृष्ठ दे रहे हैं। यह बात आसानीसे समझी जा सकेगी कि पत्रको इस तरह बढ़ाते जानेसे खर्च भी बढ़ता है। परन्तु हम प्रोत्साहनके बिना बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। श्री उमर हाजी आमद झवेरीके घर जो बैठक हुई उससे इस पत्रकी स्थितिका कुछ अन्दाज हो सकेगा।[1] हमारा खयाल है कि इसकी मदद करना हरएक भारतीयका फर्ज है। पत्रके प्रकाशनसे सम्बन्धित सभी लोगोंकी स्थिति ऐसी है कि वे अपना निर्वाह दूसरे साधनोंसे कर सकते हैं। फिर भी, हम मानते हैं कि वे पत्रके साथ इसीलिए बँधे हुए हैं कि वे अपने हृदयोंमें स्वदेशाभिमानकी चिनगारी जगाये रखते हैं। लेकिन अगर समाजकी ओरसे पर्याप्त सहारा मिले तो पत्र और भी अधिक काम कर सकेगा। हम अपने ग्राहकोंसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि अगर हरएक ग्राहक एक एक ग्राहक बढ़ा दे, तो ग्राहक सूची दुगुनी होते देर न लगेगी। अपने पाठकोंको हम यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आमदनीमें जो भी वृद्धि होगी, उसका सारा लाभ पत्रको सुधारनेमें खर्च किया जायेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-४-१९०६

३१५ दक्षिण आफ्रिकाके नौजवान भारतीयोंसे विनय

आजकल दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय नौजवानोंकी मण्डलियाँ बन रही हैं। इसे हम अपनी सुधरती हुई हालतका लक्षण मान सकते हैं। एक ओर डर्बनमें मुस्लिम युवक संघ (यंगमेन्स मोहम्मडन सोसाइटी) बना है, दूसरी ओर जोहानिसबर्ग आदि स्थानोंमें सनातन धर्म-सभाकी स्थापना हुई है। यह एक सन्तोषजनक बात है। लेकिन हमें दोनों सभाओंको चेतावनी देनेकी जरूरत मालूम होती है।

यह सदाका एक नैसर्गिक नियम है कि जो सभा स्थापित होती है, उसके लोगोंके मन निर्मल हों और सब सभाकी भलाईमें अपनी भलाई मानें, तभी सभा पनप और टिक सकती है।

किसी भी देशका आधार उसके नौजवानोंपर होता है। पके हुए विचारोंके बुजुर्ग अपने विचारोंमें फेरफार नहीं करते। वे पुराने विचारोंपर डटे रहते हैं। हर कौमको ऐसे लोगोंकी

१ देखिए "इंडियन ओपिनियनके बारेमें", पृष्ठ २९९-३००।

जरूरत होती है। क्योंकि ऐसे लोग नौजवानोके खौलते खूनको ठडा कर सकते है। लेकिन अगर उनसे यह लाभ होता है, तो कभी कभी उनके कारण हानि भी होती है, अर्थात, जरूरत पडनेपर वे कुछ कामोको करनेमे आनाकानी कर जाते ह। उन्हे वही करना ठीक मालूम होता है। लेकिन ऐसे समय अच्छे नौजवान मददगार साबित होते ह, और आगे आते ह। प्रयोग तो उन्हीसे हो सकते है। अतएव, जहा एक ओर नौजवानोके मण्डलोको बढावा देना जरूरी है, वहा उन्हे चेतावनी देना भी जरूरी है।

अगर इन नौजवान मण्डलोके सदस्य सच्चे दिलसे, देशका भला करनेके इरादेसे ही काम करेगे, तो वे बहुत बडे बडे काम कर सकेगे। हममे गन्दगी ज्यादा है। श्री पीरन मोहम्मदने काग्रेसकी बैठकमे इसका विवेचन भी किया है। इस गन्दगीको दूर करनेमे नौजवान घर घर जाकर, लोगोको नम्रतापूवक समझाकर बहुत मदद कर सकते है। कुछ गरीब भारतीय शराब पीते ह। उनकी स्त्रियोको भी इसकी लत पड जाती है। अगर हमारे नौजवान उनको इससे मुक्त करनेका बहुत जरूरी काम अपने ऊपर ले ले, तो वे बहुत कुछ कर सकते ह। इसी सिलसिलेमे हमे यह भी कहना चाहिए कि हमारे जो पाठक गुजराती है, उन्हे यह नही सोचना चाहिए कि उनसे मद्रासी समाजके पीनेवालोके बीच काम नही हो सकेगा। हमे तो यह भी कहना चाहिए कि कुछ गुजराती हिन्दुओको भी शराबकी लत लग रही है। उन्हे समझानेमे हिन्दू और मुसलमान सब मदद कर सकते ह।

साथ ही, ऐसे युवक मण्डलोको शिक्षाकी ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। हमारे नौजवानामे भी शिक्षा बहुत कम है। हम अक्षरज्ञानको शिक्षा नही मानते। हमे दुनियाके इतिहासका, भिन्न भिन्न सविधानोका और इसी तरहका दूसरा ज्ञान होना चाहिए। इतिहासके उपयोगसे हम यह जान सकते है कि दूसरी जातियाकी उन्नति क्या हुई। हम दूसरी जातियाकी स्वदेशाभिमानकी उमगका अनुकरण कर सकते है। युवकोके मण्डल ऐसे अनेक काम कर सकते ह। हम मानते है कि ऐसा करना उनका कत्तव्य है, ओर हमे आशा है कि ये मण्डल अच्छे काम करके अपने कत्तव्यका पालन करेगे, लोगोका उपकृत करेगे और हमपर आनेवाले सकटोमे पूरा पूरा हाथ बँटायेगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८-४-१९०६

३१६ मोम्बासाकी सभा

भारतके कष्टका अन्त नही है। भारतीय जहा जाता है, गोरे भी वहा उनके साथ पहुँचते ही है। अगर गोरोसे कष्ट न हो, तो हम आपसमे लडने लगते ह। इससे बचे, तो महामारीमे फँस जाते है, और अगर कही इन तीनो मुसीबतोसे बरी रहे, तो अकाल हमारे पीछे पडा ही है।

अपने मोम्बासावासी भाइयोकी बैठकके जो समाचार हम इस अकमे दे रहे है, उनके कारण मनमे ये विचार उठते ह। मोम्बासाके आगे नरोबीका जो उपजाऊ प्रदेश है, उसपर गोरोकी दृष्टि पडी। इसलिए उन्होने वहासे भारतीयोको खदेडनेका अथवा वहा उनके पैर न जमने देनेका प्रयत्न किया। मालूम होता है कि इसमे उन्हे सफलता मिली है। इसपर से भारतीयोने वहा एक बडी सभा की है, और ऐसे इरादेके विरुद्ध कदम उठानेके लिए तैयार हो गये है। वहा लोगोमे इतना अधिक जोश था कि उन्होने आधे घटेमे २०,००० रुपये इकट्ठे कर लिए और वकीलपर खच करनेके लिए हर महीने ४०० रुपयेकी गारटी दी।

एक ओरसे हम कष्ट देखते है, तो दूसरी ओर हम एक हो जाते हैं। यदि अपने कष्टोके परिणाम-स्वरूप हम इस तरह एक हो तो क्षणभर के लिए हम यह कह सकते है कि कष्टका आना अच्छा। हम हिम्मतके साथ एक होकर दुनियाके हर हिस्सेमे लडेगे, तो हमारे कष्ट दूर होगे, हम उन्हे भूल जायेगे और एक राष्ट्र बनेगे।

इस सभाके सभापतिने अपने भाषणमे यह कहा है कि हमे दक्षिण आफ्रिकामे गोरोके बराबर अधिकार है। यदि श्री जीवनजी इस पत्रको पढते है तो उन्हे हमारे दुखोका पता होना चाहिए। हमे दुखके साथ उन्हे यह जताना पड रहा है कि हमारी राजनीतिक स्थिति हमारे मोम्बासाके भाइयोकी तुलनामे खराब है। नेटालमे भारतीयोको जमीन मिल सकती है, किन्तु वहा उन्हे दूसरी तकलीफे है। और भारतीयोसे जमीनका हक छीन लेनेकी तयारी भी चल रही है। ट्रान्सवालमे अथवा आरेज रिवर कालोनीमे आज भी जमीन नही मिलती।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८–४–१९०६

३१७ नेटालका विद्रोह और नेटालको मदद

बम्बाटा अभी आजाद है। कहा जाता है कि उसके साथ ३०० आदमी है। उसके साथकी लडाईके बारेमे कई भाषण हो चुके है। नेटालके मन्त्रियोने कहा है कि वे विलायतसे मदद नही मँगवायेगे। तारकी खबर है कि जोहानिसबगमे एक बहुत बडी सभा हुई है। उससे जान पडता है कि वहाके लोग नेटालको पर्याप्त मदद देनेके लिए तयार है। इस सबका मतलब यह होता है कि नेटालकी ताकत और स्वतन्त्रता बढेगी। ऐसे अवसरपर भारतीयोने सरकारको जो मदद भेजी है वह मुनासिब है और अगर मददका प्रस्ताव न किया जाता, तो बदनामी होती। जिन्होने लडाईपर जानेके लिए नाम लिखाये है, उन्होने बहुत उत्साह दिखाया है। उनमेसे कई तो उपनिवेशमे जन्मे है। हमारे लिए यह सन्तोषकी बात है कि वे दूसरे भारतीयोके साथ सम्मिलित होते है। नेताओका कर्त्तव्य है कि वे उन्हे आगे बढनेके लिए प्रोत्साहित करे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८–४–१९०६

३१८ चीनमे हलचल

'टाइम्स' का सवाददाता लिखता है कि चीनी दिनपर-दिन ज्यादा निरकुश होते जा रहे है। वे गोरोका सामना करते है। चीनी अखबार बहुत तीखे लेख लिखते है, और जापानी लेखक इसमे मदद करते है। उदार दलवालोने ट्रान्सवालकी खानोके चीनियोके बारेमे जो भाषण किये है, उनका असर चीनियोपर और भी बुरा हुआ है, और वे गोरोके विरुद्ध अधिक भडक गये है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८–४–१९०६

३१९ तम्बाकूसे हानियाँ

'इडियन रिव्यू' के पिछले अकमे पेरिसके प्रसिद्ध डाक्टर कार्टेजका तम्बाकूपर एक लेख छपा है। वे लिखते हैं कि तम्बाकूसे कई नुकसान होते हैं, खासकर पाचन शक्ति घट जाती है और आखपर बडा असर होता है। उससे स्मरणशक्ति नष्ट हो जाती है, और कई विशिष्ट गुण नही आ सकते। इसके अलावा अभी-अभी यह पता चला है कि तम्बाकूके कारण श्रवण शक्ति भी कम हो जाती है। डाक्टर कार्टेजने सप्रमाण बतला दिया है कि श्रवणेद्रियके ततुओमे जो गडबडी दिखाई दी है उसका कारण तम्बाकू है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–४–१९०६

३२० सान्फ्रान्सिस्कोकी हालत

भूकम्पके कारण इस शहरका ज्यादातर हिस्सा बरबाद हो गया है। जो एक दिन राजा थे वे रक बन गये ह। अच्छे-अच्छे साहूकार बे घरबार हो गये ह और उनके पास कपडे लत्ते भी नही बचे। इस प्राकृतिक कोपके कारण लखपती और गरीब दोनो साथ-साथ रह रहे हैं। काले-गोरेका भेद भी नही रहा। शहरमे भोजन-सामग्री बहुत ही कम है। रोटी जसी चीज भी मुश्किलसे मिलती है। सारगी बजानेवाला अब अपने महलमे रहनेके बजाय गलियोमे मारा मारा फिर रहा है। उसके शरीरपर कपडे नही है। फिर भी वह अपनी सारगी थामे हुए गलीमें भटका करता है।

हालके तारसे पता चलता है कि ऐसी आफतमे होते हुए भी नगरवासी अपने नगरको पहलेकी तरह सुहावना बनानेमे जुट पडे ह, और परिणामस्वरूप फौलादकी खपत बहुत बढ गई है।

[गजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–४–१९०६

३२१ जवाब मुस्लिम युवक सघको

जब यह विवरण[1] मुझे मिला तब मै फीनिक्समे था। मत्रीकी मॉग थी कि इसे अक्षरश छापा जाये, इसलिए मैने इसे समूचा छापनेकी अनुमति दी है। लेकिन मुझे अपने नौजवान भाइयोसे दो बाते कहनेकी जरूरत मालूम होती है। विवरण हमेशा ऐसा होना चाहिए, जिससे दूसरोको सीखनेको मिले। मै उक्त विवरणमे ऐसा कुछ नही देखता।

मेरे बारेमे जो टीका की गई है उसे मै स्वीकार करता हूँ और उसे छापनेमे मुझे जरा भी हिचकिचाहट नही है। मैने ऐसा कही नही कहा कि भगी आदिमे से लोग मुसलमान बने है और न ऐसा मुझसे कहा जा सकता है। मैने गोरोकी भावनाका विरोध करनेके बदले उनका पक्ष लिया था। फिर भी मैने जो कुछ कहा उसमे गलती हुई हो, तो उसे क्षमा करनेके लिए मै अपने भाइयोसे कह चुका हूँ।[2]

मेरे या इस पत्रके विरुद्ध जो भी पत्र आये है, सो सब छापनेकी इजाजत मैने दी है। जो पत्र मेरे पक्षमे है, मैने उन्हे छापनेकी मनाही कर दी थी। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि यदि आगे भी कौमके अन्दर फूट फैलानेवाले लेख आये, तो वे नही छापे जायेंगे। अगर दूसरा गुजराती पत्र या दूसरे छापेखाने शुरू हो, तो इससे मुझे हमेशा खुशी होगी। इस छापेखानेका एकमात्र हेतु लोक-सेवा करना है। वैसी सेवा करनेवाले दूसरे प्रतिस्पर्धी खडे हो, तो इस छापेखानेके लोगोके लिए यह गवकी बात होगी।

हिन्दू श्मशान कोषके पैसोकी जो पहुँच छपी है, उसकी छपाई दी गई है। यही चीज डामेल मदरसेकी सूचीके बारेमे हुई है। यह पत्र ऐसी मुसीबतोके बीच निकल रहा है कि सब भारतीयोको इसकी पूरी मदद करनी चाहिए। इसकी जगह इतनी अनमोल है कि इसमे जो हिस्सा मुफ्त छापा जाता है, वह लोगोको शिक्षा और ज्ञान देनेवाला होना चाहिए।

सक्षेपमे, अपने नौजवान भाइयोसे मुझे यही विनती करनी है कि उन्हे सावजनिक काममें उत्साह दिखाना चाहिए। यह पत्र समूची कौमकी सेवा करता है। यदि वे इसकी मदद करेंगे, तो ऐसा माना जायेगा कि उन्होने अपना फज अदा किया, और उससे पत्रको ताकत मिलेगी, और वह ताकत फिरसे कौमके ही काम आयेगी।

आशा है, मेरे भाई मेरे इस लेखका बुरा न मानेंगे, बल्कि इसका सच्चा अथ करेंगे। इसे लिखनेमे भी मेरा हेतु सेवा करना ही है।

मो० क० गाँधी

२९–४–१९०६[3]

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–४–१९०६

१ यह डर्बनके मुस्लिम युवक संघकी अप्रैल १६ और २४ को हुई दो सभाओंकी रिपोर्ट। इन सभाओंमें कुछ वक्ताओंने शिकायत की थी कि **इडियन ओपिनियन**में मुसल्मानोंके कामके लेख, उनके संघकी कार्यवाहियों, चन्देकी सूचियों, अखबारोंको प्रेषित पत्रों आदिको पर्याप्त महत्त्व नही दिया जाता। उनका कहना था कि अगर हमारा अपना पत्र होता तो ऐसा न होता। इस आलोचनाके उत्तरमें गाधीजीने यह वक्तव्य दिया।

२ देखिए खण्ड ४ पृष्ठ ४९०।

३ स्पष्टत यह तारीख गलत है, क्योंकि यह पत्र २८–४–१९०६ के अकमें प्रकाशित हुआ था।

३२२ पत्र छगनलाल गांधीको

जोहानिसबर्ग
अप्रैल ३०, १९०६

चि० छगनलाल,

आज कुछ और गुजराती सामग्री भेज रहा हूँ। आज सवेरे कुछ सामग्री भेजनेका इरादा था लेकिन कल्याणदास दफ्तर देरीसे आया और मैं दफ्तरके काममें लग जाना चाहता था, इसलिए उसे डाकमें नहीं छुड़वा सका। फिर भी वक्त रहते सामग्री पहुँच जानेकी उम्मीद है।

११ ३० पर प्रिटोरिया रवाना हो रहा हूँ। इसलिए बहुत नहीं लिख सकता।

कल्याणदास बुधके सवेरे रवाना होगा मंगलको नहीं। उसकी इच्छा यहाँ एक दिन रहनेकी है। इसलिए गुरुवारको वह तुम्हारे पास पहुँचेगा। तुम काफिर लड़केको उसे मिलने और सामान ले जानेके लिए तीसरे पहरकी गाड़ीपर भेज देना। मैं जानता हूँ गुरुवारको तुम सब, अखबारके काममें व्यस्त रहोगे।

सम्भव हो तो गोकुलदास शुक्रवारको निकले। अगर छुट्टी दी जा सके तो वह ४ ३० की गाड़ीसे रवाना हो सकता है और डाक गाड़ी पकड़ सकता है। टिकिट तो एक-तरफा ही खरीदे। अगर शुक्रवारको न निकल पाये तो शनिवारको बिलानागा निकले, ताकि यहाँ रविवारको आ जाये। कोशिश शुक्रवारको ही भेजनेकी करो, क्योंकि मुझपर कामकी भीड़ बहुत रहेगी।

शहरका काम कल्याणदास एकदम हाथमें ले ले। उसके लिए दूसरे दर्जेका सालाना पास निकलवा दो। अगर, जैसा कि तुम कहते थे उसे बीचमें ही लौटना पड़ा तो पैसा वापस मिल सकता है। फिलहाल तुम्हारा सारा ध्यान खाता बहीपर होना चाहिए।

आज दिनकी गाड़ीमें या रातको घरपर अधिक विस्तारसे लिख सकूँगा।

तुमने बुखारसे पीछा छुड़ा लिया, यह खुशीकी खबर है।

मोहनदासके आशीर्वाद

श्री छगनलाल खुशालचन्द
मारफत 'इंडियन ओपिनियन'
फीनिक्स

गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो नकल (एस० एन० ४३५४) से।

३२३ नेटाल भूमि-विधेयक

नेटालकी ससदमे "भूमि धारा विधेयक' के रूपमे दूरगामी महत्त्वका एक विधेयक विचाराथ प्रस्तुत किया जायेगा। यह नेटाल सरकारका इस विधेयकको ससदसे पास करानेका दूसरा प्रयत्न है। जहातक भाडेदारोकी हैसियतसे भूमिपर कब्जेका सम्बध है भारतीय समाजके लिए सबसे महत्त्वकी धारा वह हे जिसके द्वारा लाभदायक कब्जेका अथ यूरोपीयो तक सीमित कर दिया गया हे। इस तरह जो भूमि भारतीय भाडेदारोके कब्जेमे होगी उसका कब्जा अलाभदायक कब्जा माना जायेगा और फलस्वरूप उसपर भारी कर लगाया जा सकेगा। यह बात तो सभीने स्वीकार की है कि भारतीयोमे अय दोष भले ही हो परन्तु वे काहिल नही है। वे पैदाइशी खेतिहर है। सभी मानते है कि उन्होने इस उपनिवेशकी कुछ निकृष्टतम भूमि खेतीके योग्य बनाई है। उन्होने घने जगलोको बागोके रूपमें बदल दिया है और अपनी उत्पादन शक्तिसे नेटालके गरीब गृहस्थो तक बागोकी पदावार सरलतापूवक पहुँचाना सम्भव कर दिया है। क्या उनपर उनके गुणोके कारण ही कर लगाया जायेगा? क्या सरकारके इस कायसे यूरोपीयोके कब्जेकी जमीनोमे वृद्धि होगी? हमे इसमे सदेह है। और अगर हमारा सदेह युक्तिसगत है तो हम यह निर्विवाद रूपसे कह सकते है कि सरकार 'लाभदायक कब्जा' शब्द समुच्चयकी उल्लिखित परिभाषाको कायम रखनेका आग्रह करके 'न खाय न खाने दे' की नीतिका अनुसरण करेगी। सरकार ऐसे कानूनोसे नेटाली भारतीयोके सवालको हल न कर सकेगी। मत्रियो और लोकमत निर्माता नेताओका कत्तव्य है कि वे समूचे सवालपर गम्भीरतापूवक और शातिपूवक विचार करे और उसको अभी हालके आवेशपूण भारतीय विरोधी काननके बजाय निपुणतासे हल करे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ५–५–१९०६

३२४ केपके विक्रेता-परवाने

अप्रैल २० के 'केप गवनमेट गजट' मे सामान्य वस्तु विक्रेताओके व्यापारको नियमित करनेके लिए एक विधेयकका मसविदा प्रकाशित किया गया है। हम बिना हिचकिचाहट इस कदमका स्वागत करते है। यह मान लेनेपर कि व्यापारिक परवाने अधाधुध जारी करनेपर कुछ प्रतिबन्ध लगाना जरूरी है, प्रस्तुत विधेयक अनिन्द्य है। इससे निहित अधिकारोकी रक्षा होती है, और इसमे नये परवानोके प्रार्थियोके साथ अयाय न होने देनेकी उचित सावधानी रखी गई है। इससे यह निणय करनेका अन्तिम अधिकार लोगोके हाथोमे आ जाता है कि वे अपने बीचमे एक नया व्यापारी लाये या न लायें। प्रस्तुत विधेयक वर्तमान व्यापारियोकी अनुचित प्रतियोगितासे रक्षा करता है और साथ ही इससे उनको नये उद्योगोके लिए उचित सुविधाएँ भी मिलती है। यह नेटाल विक्रेता-परवाना अधिनियमके समस्त दोषोसे मुक्त है। इससे निहित अधिकारोकी सुरक्षाका पूरा ध्यान रखते हुए नेटालके कानूनसे जो कुछ कभी प्राप्त हो सकता था, वह सब प्राप्त हो जाता है। हमे आशा है कि नेटाल सरकार इस कानूनका

अनुकरण करेगी और उपनिवेशकी विधान सहिताको उस कानूनसे मुक्त कर देगी जिसकी निन्दा सभी विचारशील लोगोंने की है और जिससे महामहिम सम्राटकी प्रजाके एक वर्गमें बहुत तीव्र खीज उत्पन्न हुई है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-५-१९०६

३२५ ब्रिटेन, तुर्की और मिस्र

हालके तारोंसे पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार और तुर्क सरकारके बीच फिरसे कड़वाहट बढ़ गई है। मिस्रकी सीमाका निश्चय नहीं हो पाया है, इसीलिए यह सारी झंझट है। पहला झगड़ा अकाबाके पास शुरू हुआ। फिर सिनाई ताल्लुकेमें टाबा याम[1] पर कब्जा करनेके लिए तुर्क फौज गई। इसपर ब्रिटिश राजदूत सर निकोलस ओ'कोनरको ब्रिटिश सरकारने लिख भेजा कि वह तुर्क सरकारसे टाबासे फौज हटा लेनेकी सख्त माँग करे। किन्तु तुर्क सरकारने इस माँगपर कोई ध्यान नहीं दिया, और मुकाबलेपर डटे रहनेमें जर्मन सम्राट्ने उसे प्रोत्साहित किया। अब तुर्क सिपाही अकाबामें किला बना रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो लड़ाईकी तैयारी कर रहे हों। इसपर ब्रिटिश सरकारने मिस्रमें अपनी सेना बढ़ाना शुरू कर दिया है। ब्रिटिश सरकारको इस बातका भी डर लग रहा है कि मिस्रके लोग भी तुर्क सरकारके पक्षमें हैं। अगर ब्रिटिश और तुर्क सरकारके बीचकी इस तनातनीसे लड़ाईका मौका आया, तो यह इस तरहका पहला ही मौका होगा। ऐसा नहीं लगता कि तुर्क सरकार भी पीछे हटेगी। 'विटनेस' के नाम आये तारसे ऐसा मालूम होता है कि राफाके पास जो सीमा सूचक खम्भे खड़े थे, उन्हें तुर्क फौजने उखाड़ फेंका है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५-५-१९०६

३२६ हमारा कर्त्तव्य

'एजेक्स' नामसे किसी व्यक्तिने 'ऐडवर्टाइजर' को एक पत्र लिखा है। उसका अनुवाद हमने इस अंकमें दूसरी जगह दिया है। वह सभी भारतीयोंके लिए विचारणीय है। 'एजेक्स' का पत्र हमारे विरुद्ध उत्तेजना फैलानेवाला है। उसने सब कुछ मजाक उड़ाते हुए लिखा है, जिसका तात्पर्य यह है कि लड़ाईके समय भारतीय किसी कामके नहीं।

हमें इस आरोपपर पूरी तरह विचार करना चाहिए। हमने नेटालकी सरकारको सूचना भेजकर ठीक ही किया है। उससे हम अपना सिर कुछ तो ऊँचा रख ही सकते हैं। लेकिन इतना काफी नहीं है। हमें लगता है कि हम लोगोंको और भी ज्यादा मेहनत करके लड़ाईके वक्त उसमें हाथ बँटा सकनेकी हालतमें आ जाना चाहिए। नागरिक सेनाके कानूनकी रूसे

[1] दमिश्क और मक्काके बीच तुर्की रेलवेकी सुरक्षाके लिए तुर्क सेनाने टाबापर कब्जा कर रखा था। बादमें राफा और अकाबाके बीच एक नई सीमापर समझौता हो गया।

गोरोको लाजिमी तौरपर लडाईमे जाना पडता है। हम भी अपनी ताकत और तयारी दिखा सके, तो आसानीसे हमारे दु ख कटनेकी सभावना है। दु ख कटे चाहे न कटे, लेकिन नेटालपर या दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे किसी हिस्सेपर सकट आनेकी हालतमे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयाको उसमे हाथ बॅटानेके लिए तैयार होना ही चाहिए। अगर ऐसा न हुआ, तो इसमे कोई शक नही कि यह हमारा दोष माना जायेगा।

सुना जाता है कि स्वाजीलैडमे बलवा शुरू हो गया है। नेटालकी सरकारने बडे पैमानेपर गोला-बारूद मँगवाया है। इस सबसे जाहिर होता है कि नेटालका विद्रोह अभी लम्बे समय तक चलेगा।[1] और अगर वह ज्यादा फैला, तो समूचे दक्षिण आफ्रिकापर उसका असर पडेगा। इस बार नेटालको ट्रान्सवालकी मदद पहुँच चुकी है। केपने मदद देनेको कहा है और विलायतसे भी वचन आ गया है। यदि हम ऐसे समय अलग रहे, तो इसमे शक नही कि उसका बहुत ही बुरा असर होगा। हम मानते है कि इस विषयमे हरएक भारतीयको बहुत गम्भीरताके साथ सोचना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ५–५–१९०६

३२७ मोम्बासाका उदाहरण

मोम्बासासे वहाके समाचारपत्रके दो और अक आये है। उनसे पता चलता है कि मोम्बासाके भारतीय अपने अधिकाराके लिए भरपूर कोशिश करना चाहते है। उन्होने जो काम शुरू किया है, वह हम सबके लिए अनुकरणीय है। हम मोम्बासाके भारतीयोकी सफलता चाहते है।

पिछले अकोसे पता चलता है कि वहाकी सभामे[2] दक्षिण आफ्रिकाके बारेमे जो गलत-फहमी हुई-सी लगती थी, जान पडता है उसमे कसूर अखबारवालोका था। वहाके भारतीय यह जानते है कि दक्षिण आफ्रिकामे हमे गोरोकी बराबरीके अधिकार नही है। लेकिन अधिक महत्त्वकी बात तो उक्त समाचारपत्रमे उसके सम्पादकने जो लिखी है, वह मालूम होती है। सम्पादक लिखते है कि भारतीयोमे एकता नही है, और जबतक एकता नही होगी, वे अधिकार पाने योग्य बन नही सकेंगे। उनमे फट-फाट बहुत है। अगर कमिश्नरको गोरोके बारेमे कुछ जानना हो, तो वह फौरन जान सकता है कि कौन-सा गोरा सब गोरोकी ओरसे बोल सकता है। लेकिन जब कमिश्नरको भारतीयोके बारेमे कुछ जानना हो तब उसे अलग-अलग जातियोके पाच-सात लोगोको बुलाना पडता है। अगर ऐसा है, तो कहना होगा कि यह दु खद है। हम सब एक ही देशके है। हम अलग-अलग जातियोके है, यह चीज हमे भूल जानी चाहिए। जबतक एक देशकी बात हमारे ध्यानमे नही रहेगी, तबतक हमपर आनेवाले सकट दूर नही होगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ५–५–१९०६

१ देखिए "नेटालका विद्रोह" पृष्ठ २९१–२।

२ देखिए "मोम्बासाकी सभा" पृष्ठ ३०६–७।

३२८ मजदूरोका रहन-सहन

जो लोग समझदार है उनमे आजकल खुली हवाकी कीमत बढ रही है। जहा बडे शहर बसे ह वहा मजदूरोको सारा दिन कारखानेमे बन्द रहकर काम करना पडता है। शहरामे जमीनकी कीमत ज्यादा होनेसे कारखानाकी इमारते छोटी होती है और मजदूरोके रहनेके घर भी तग होते है। इस कारण मजदूरोकी शारीरिक हालत निरतर बिगडती जाती है। लन्दन मे हीसबरोके डाक्टर न्यूमनने दिखा दिया है कि जहा एक कोठरीमे ज्यादा लोग रहते ह वहा एक हजारपर ३८ आदमी मरते है, उतने ही लोग दो कोठरियोमे रहे, तो २२ आदमी मरते है, अगर उतने ही लोगोके लिए तीन कोठरिया हो, तो ११ आदमी मरते ह और चार कोठरिया हो, तो सिफ पाच आदमी मरते है। इसमे अचरजकी कोई बात नही। आदमी अनाजके बिना कुछ दिन बिता सकता है, पानीके बिना एक दिन बिता सकता है, पर हवाके बिना एक मिनट बिताना असम्भव है। जिस चीजका इतना अधिक उपयोग है अगर वह चीज शुद्ध न हो, तो उसका बुरा परिणाम निकले बिना रह नही सकता। इस विचारके कारण कैडबरी ब्रदस, लीवर ब्रदस वगैरह बडे कारखानेदारोने जो हमेशा अपने मजदूरोकी बहुत चिन्ता रखते ह, अपने कारखाने शहरासे हटाकर खुली जगहोमे बसाये ह। मजदूराके रहनेके लिए भी बहुत अच्छे घर बनाये ह और वहा बाग-बगीचे, पुस्तकालय वगैरह सब सुविधाएँ है। इतना सारा खच करनेपर भी उन्हे अपने व्यापारमे लाभ रहा है। इससे प्रेरणा लेकर अब इग्लडमे चारो तरफ ऐसी हलचल बढ रही है।

यह बात भारतीय नेताओके लिए विचारणीय है। हम साफ हवाकी कीमत नही समझते, इस कारण बहुत नुकसान उठाते है। हमारे बीच प्लेग जैसी बीमारिया फैल सकनेका भी यह एक प्रबल कारण है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ५-५-१९०६

३२९ भारतीय व्यापार-सघ

पिछले अकमे हम इस विषयपर श्री उमर हाजी आमद झवेरीका पत्र प्रकाशित कर चुके है। वह पत्र विचार करने योग्य है। अग्रेजी व्यापार सघ (चेम्बर ऑफ कामस) का कितना प्रभाव है, इसे दक्षिण आफ्रिकाकी स्थितिको जाननेवाला हर भारतीय समझ सकता है। अगर भारतीयोने शुरूसे अग्रेजोके सघोमे हाथ बँटाया होता, तो आज भारतीय व्यापारियोकी हालत कुछ और ही होती। उससे बहुत सुधार हो जाते। हम जानते ह कि जब भारतीय व्यापारी पहली बार दक्षिण आफ्रिकामे दाखिल हुए तब अग्रेज उन्हे अपने सघमे भरती होनेके लिए निमन्त्रित करते थे। अब हालत यह है कि हम प्रवेश करना चाह, तो वे नामजूर कर देगे।

श्री उमर झवेरीने अब यह विचार प्रकट किया है कि अगर हम अग्रेजोके सघमे प्रवेश न पा सके, तो भी हम अपना निजी व्यापार-सघ बना सकते ह। अगर ऐसा सघ स्थापित करके व्यापारी उसमे लगनसे काम करे और आवश्यक सुधार कर ले तथा इस तरहका सघ

जो कहे उसके अनुसार दूसरे भारतीय व्यापारी चले, तो वह बहुत काम कर सकेगा। अंग्रेजोके सघका इसलिए बहुत प्रभाव पडता है कि दूसरे व्यापारी उसकी सत्ता स्वीकार करते है। अगर हम ऐसी हालत पैदा न कर सके, तो सघकी स्थापना करना या न करना बराबर ही माना जायेगा। अतएव दृढ विचार करके अनुभवी और परोपकारी भारतीय व्यापारी इकट्ठे होकर भारतीय व्यापार-सघकी स्थापना करे, तो लाभ हो सकता है, और यह माना जा सकता है कि भारतीय व्यापारियोकी स्थितिको सुधारनेके लिए एक अच्छा रास्ता अपनाया गया है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ५–५–१९०६

३३० जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

मई ५, १९०६

मलायी बस्ती

मै यह खबर दे चुका हूँ कि मलायी बस्तीके बारेमे शिष्टमण्डल जाकर लौट आया है।[1] लेफ्टिनेट गवनरने उसका जवाब भेजा है। उसमे कहा गया है कि मलायी बस्तीका कुछ हिस्सा रेलवेवाले ले लेगे। बाकी हिस्सा जोहानिसबगकी नगरपालिका लेगी। जिन लोगाके मकान बस्तीमे ह उन्ह दोनो विभागोकी ओरसे हर्जाना मिलेगा, और उपनिवेश-सचिव बस्तीके निवासियोके लिए दूसरी बस्ती बनायेगे। इस जवाबका कोई मतलब नही होता। इतना तो शिष्टमण्डलके जानेसे पहले भी सब लोग जानते थे। स्थानीय सरकारकी ओरसे तत्काल किसी प्रकारका इसाफ मिलता नही दिखता।

रेलवेकी परेशानी

जोहानिसबगसे प्रिटोरिया जानेवाली ८–३० की और ४–४० की गाडीमे और प्रिटोरियासे आनेवाली सुबह ८–३० की गाडीमे भारतीय और दूसरे काले लोगोको यात्रा करनेकी जो मनाही है, उसके बारेमे ब्रिटिश भारतीय सघकी ओरसे उसके अध्यक्ष और मत्री, मुख्य प्रबधक श्री प्राइससे मिलकर आये है। लगभग एक घटे तक बातचीत हुई। श्री प्राइसका कहना है कि फिलहाल गोरोमे इतनी तीव्र उत्तेजना है कि इस मामलेमे भारतीयोको बहुत दबाव नही डालना चाहिए। आखिर उन्होने यह मध्यम माग सुझाया कि यदि किसी भारतीयको किसी खास कामसे इन गाडियोमे जाना जरूरी ही हो, तो उसे स्टेशन मास्टरसे कहना चाहिए। वह गाडके साथ बठनेका प्रबध कर देगा। लेकिन श्री प्राइसकी सलाह यह है कि फिलहाल, जहातक बन सके, भारतीयोको इन तीन गाडियोमे कम ही जाना चाहिए। उन्होने यह मजूर किया है कि इस प्रकारकी रुकावटे बढाई नही जायेगी। इस बारेमे एक जानने योग्य मामला हुआ है। एक काला आदमी दूसरे दर्जेके डिब्बेमे जा रहा था। उसके पास एक गोरी महिला बैठी थी। यह देखकर बाउकर नामक एक गोरेका खून खौल उठा। उसने उस काले आदमीको वहासे हट जानेको कहा। काले आदमीने अपना टिकट दिखाया। लेकिन इससे बाउकरको सन्तोष नही हुआ। उसने गाडसे कहा। गाडने बीचमे पडनेसे इनकार कर दिया। इसपर बाउकरने

१ देखिए ' जोहानिसबर्गकी चिट्ठी ', पृष्ठ २९८–९ ।

दूसरे गोरे यात्रियोको इकट्ठा करके काले आदमीको धमकी दी कि उसे जबरदस्ती निकाल बाहर किया जायेगा। इसपर गार्डने लाचार होकर बेचारे काले आदमीको उसकी जगहसे हटा दिया। इसमे किसी अधिकारीको दोष नही दिया जा सकता। जबतक गोरे अधिक उत्तेजित है, तबतक ऐसी बाधाएँ आती ही रहेगी। दूसरे एक गोरेने "कुली-यात्री" (कुली ट्रैवेलर) शीर्षकसे 'ट्रान्सवाल लीडर' मे जो लिखा है उसका अनुवाद नीचे दे रहा हूँ

> **श्री बाउकरने काले आदमीके बारेमे लिखा है; इसके लिए गोरोको उनका उपकार मानना चाहिए। कुछ समय पहले मै पाचेफस्ट्रूमसे पाक जा रहा था। उस गाडीमें दो 'कुली' भी थे। यह सच है कि वे दूसरे डिब्बेमें बैठे थे। लेकिन इससे रोग दूर नहीं होता, क्योकि उनके जानेके बाद फिर उसी डिब्बेमें गोरोको बैठना होगा। फिर, उन दोनो कुलियोने अपने हाथ गाडीमें टंगे हुए रूमालोसे पोछे। बादमे इन्हीं रूमालोसे गोरोको भी अपने हाथ पोछने पडेंगे। और मुझे तो विश्वास है कि कोई भी अच्छा गोरा 'कुली' द्वारा काममे लाये गये प्याले या तौलिएका उपयोग करना नही चाहेगा। दरअसल रेलवेवालोको चाहिए कि वे 'पब्लिक' का कुछ खयाल रखें।**

लोग इस तरह कई अखबारोमे लिखते पाये जाते है। ऐसे मौकोपर भारतीयोके लिए एक ही रास्ता है कि वे धीरज रखे।

श्री रिच तथा सर्व श्री जॉर्ज और जेम्स गॉडफ्रे

यहाके अखबारमे तारसे प्राप्त खबर छपी है कि श्री रिच विलायतमे अपनी परीक्षा पास कर चुके है। इसी तरह श्री जॉर्ज और श्री जेम्स गाडफ्रे भी अपनी अंतिम परीक्षामे पास हो गये है। अब कुछ ही समयमे वे दोनो भाई बरिस्टर बनकर वापस आयेंगे।

चीनियोंकी हालत

जो चीनी खानोमे काम कर रहे है उन्हे यदि वहाका काम पसन्द न हो तो, सरकारके खर्चसे वापस भेजनेकी विज्ञप्ति जल्दी जारी करनेके लिए केन्द्रीय सरकार जोर डाल रही है। दूसरी तरफ खानमालिक कहते है कि वे अपनी बस्तियोमे इस तरहकी विज्ञप्ति नही चिपकाने देंगे। अगर खानवालोने इस तरह विरोध किया तो सम्भव है कि भारी झगडा खडा हो जाये।

ट्राम सम्बन्धी मामला

ट्राम सम्बन्धी परीक्षात्मक मुकदमा अभी खत्म नही हुआ है। श्री कुवाडियाका मामला फिरसे न्यायाधीशकी अदालतमें चलनेवाला है। संघके वकीलने शनिवार १२ तारीखकी पेशी निश्चित कराई है।

सविधान समिति

सर जोज़ेफ वेस्ट रिजवेका आयोग ट्रान्सवाल पहुँच गया है। इस समय वह प्रिटोरियामे है। ब्रिटिश भारतीय संघने पूछा है कि भारतीयोकी हालतके बारेमे संघ जो प्रमाण पेश करना चाहे, आयोग उन्हे लेगा या नही? अगर आयोग प्रमाण लेना स्वीकार करेगा तो उसके सामने सारी स्थिति पेश की जा सकेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२–५–१९०६

३३१ पत्र छगनलाल गांधीको

जोहानिसबर्ग
मई ५, १९०६

चि० छगनलाल,

तुम्हारी चिट्ठी मिली। तुम्हें इस हफ्ते जोहानिसबर्गकी चिट्ठी नहीं मिली — आश्चर्य है। मैंने निस्सन्देह भेजी थी। जो लेख मैंने भेजे थे उन सबकी मेरे पास सूची है। 'इंडियन ओपिनियन' मिलते ही मैं उसे मिलाकर देखूँगा और तुम्हें सूचित करूँगा। अगर गुजराती और अंग्रेजीकी प्रति मेरे पास पेशगी शुक्रवारको भेजी जा सके तो बहुत अच्छा हो। क्योंकि तब वे मुझे इतवारको सुबह मिल जायेंगी और उनका उपयोग कर सकूँगा। तुमने बहुत-सी कतरनें भेजी हैं। गुजरातीमें उनका उपयोग कर रहा हूँ। किन्तु सचमुच तो उनमें से कुछका उपयोग इसी हफ्तेमें हो जाना चाहिए था। अगर हो गया हो तो मुझे उनके बारेमें कुछ नहीं लिखना चाहिये। अगर पेशगी प्रति मिले तो यह लिखना रविवारको किया जा सकता है। प्रतियाँ भेजते हुए तुम वहाँ भी उनपर निशान लगा सकते हो कि तुमने हालके अंकमें उनका उपयोग किया है अथवा नहीं। आशा करता हूँ कल गोकुलदास रवाना हो चुका होगा। फिर मैं उसे सोमवारके कामके लिए तैयार कर सकूँगा, किंतु कोई तार न होनेसे मुझे डर है कि वह रवाना नहीं हुआ। मुझे यह बताओ कि क्या श्री आइज़कने, जो काम तुमने उन्हें सौंपे थे, किये हैं। अगले हफ्ते श्री नाजरको चीजोंकी सूचीकी याद दिलाना। मैं तुम्हारी चिट्ठी फाड़ रहा हूँ इसलिए मुमकिन है मैं इसके बारेमें बिलकुल भूल जाऊँ। दूसरे कामोंकी हद तक तुम्हें सर्वसाधारण देखरेख करनी चाहिए और अपना बाकी समय हिसाब किताब ठीक करनेमें लगाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आपसे किसी निश्चित तिथि तक हिसाब तैयार कर लेनेका वादा कर दो।

कल्याणदासको तुम्हारे लिए शक्तिकी मीनार हो सकना चाहिए। अगर वह तुम्हारे साथ रहनेको तैयार है तो रहे, मगर मैं चाहता हूँ यदि वह हेमचन्दके साथ रहे तो उसका असर हेमचन्दपर ज्यादा ठीक पड़ेगा। दोपहरको वह प्रायः फीनिक्समें भोजन नहीं करेगा। इसलिए बहुत हुआ तो वह ब्यारी [वहाँ] करेगा। सो वह अलग भी कर सकता है, मगर तुम चाहो तो मिलकर दूसरी बात भी निश्चित कर सकते हो। मैं प्रसन्न हुआ कि तुम अपनी जमीनको सुथरी बनानेकी ओर ध्यान दे रहे हो। यह बहुत जरूरी काम है और मैं चाहता हूँ कि अब चूँकि तुम्हें अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता रहेगी, तुम व्यवस्थित रूपसे अपना समय इसमें लगाओ। तुम्हारे इन दो एकड़ोंमें जरा भी घासपात नहीं होना चाहिए। बगीचेके बारेमें सामको लिखूँगा[1]। बागवानीके बारेमें जो कतरन तुमने भेजी है, उसे वापस कर रहा हूँ। मेरा खयाल है श्री वेस्टके पास एक छोटीसी किताब[2] है। ऐसे मामलोंमें तुम्हें अगुआई करनेकी बान डालनी

१ यह उपलब्ध नहीं है।

२ श्री वेस्टका कहना है कि उल्लिखित पुस्तक दू कासकी लिखी हुई थी। दू कासको नेटालका व्यावहारिक अनुभव था। उनका, डर्बनसे कुछ ही दूर, हिलैरीमें एक सुन्दर बगीचा था। फीनिक्समें लगाये गये कई फल-फूलोंके पौधे वहींसे मँगाये गये थे। पुस्तकका नाम मुझे याद नहीं आता, परन्तु प्रकाशक शायद पीटरमैरित्सबर्गके पी० डेविस ऐंड सन्स थे।

चाहिए। म मोहनलालको एक साप्ताहिक चिट्ठीके बारेमे लिखूगा। व्याससे भी मैने कहा। उन्हे फिलहाल 'ओपिनियन' निशुल्क भेजनेकी जरूरत मुझे नही लगती। उन्हे अनुभव करने दो कि ये पत्र लिखना उनका कर्त्तव्य है।

नाटकवालोसे अभीतक मैने पसा वसूल नही पाया। जबतक मै वसूली कर न लू तुम काम मत करना।

जोहानिसबर्गके पत्रके सिलसिलेमे क्या वह सीधा आनन्दलालको तो नही मिला। क्योकि मुझे लगता है मैने अपने गुजराती लेखोकी पहली किश्त आनन्दलालके नाम भेजी थी

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४३५६) से।

३३२ पत्र छगनलाल गाधीको

रविवार
[मई ६, १९०६]

चि० छगनलाल,

मुझे तुमको बहुत कुछ लिखना है, किन्तु आज समय नही। तुम्हे फिलहाल एकदम हिसाबमे भिडना है। इसके साथ गुजराती सामग्री भेज रहा हू। उसे देखकर और श्री हरिलाल ठाकुरको दिखाकर चि० आनन्दलालको दे देना। उसे अलग पत्र लिखनेकी इस समय फुरसत नही है। दूसरा पत्र आज रातको लिखूगा, वह उसे सीधा भेज दगा। गुजरातीमे गलत न छपे, इसका ध्यान रखना। अपनी निगाह रखना, किन्तु सारा बोझा श्री ठाकुरपर डालना। मै उन्हे लिखनेवाला हूँ कि गुजरातीकी सब सामग्री वे तुमको दिखाये। किन्तु तुम्हे उसपर फिलहाल एकदम बहुत समय नही देना है। शुक्रवार तक मैने २० नाम और प्राप्त कर लिये है। भेजूगा। उनमे से ६ व्यक्तियोका पसा भी आ गया है। चि० कल्याणदास मगलकी सुबह आयेगा। वह वहा बुधवारकी शामको पहुँचेगा। बुधवारकी शामको तुम, या कोई और, उसे फीनिक्स स्टेशनपर मिल जाओ, तो काफी है। चि० कल्याणदासको डबनका सारा काम सोप देना। तुम पखवाडेमे एक बार सम्पादककी टिकटसे जाओ, तो काफी है। हिसाबके ऊपर मुख्य ध्यान तुम्हे ही देना चाहिए।

चि० गोकुलदासको जितनी जल्दी बने, भेजना। अथवा शनिवारको भेजना।

मोहनदासके आशीर्वाद

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती प्रतिकी फोटो नकल (एस० एन० ४३५७) से।

१ यह पत्र अपूर्ण है।

३३३ पत्र लॉर्ड सेल्बोर्नको[1]

[जोहानिसबग
मई १२, १९०६ के पूव]

महोदय,

आपका गत मासकी ३० तारीखका क्रमाक १५/४/१९०६ पत्र मिला। मेरे सघका यह मत हे कि जो शिकायत[2] परमश्रेष्ठकी सेवामे बढाई गई थी उसकी वैसी जाच नही की गई जैसी परिस्थितियोके अनुसार आवश्यक थी। जहातक टालमटोलकी बात है मेरा सघ नये विभागकी कारगुजारीपर निगाह रखेगा। इस बीच आपका ध्यान सादर इस तथ्यकी ओर आकर्षित करता हूँ कि प्राथनापत्र महीनोसे विचाराथ पडे हुए है। एक तरफ इतनी देरदार की जाती है और दूसरी तरफ प्राथियोकी सुविधाका खयाल रखनेका दावा किया जाता हे। इन दोनोका मेल बैठाना मेरे सघके लिए कठिन ही है।

जहातक श्री सुलेमान मगाके मामलेका सम्ब-ध है, मेरे सघने पूरे तथ्योका पता लगाया है और मेरे सघका खयाल है कि इस बारेमे परमश्रेष्ठको जो सूचना दी गई थी, वह किसी भी तरह पूण नही है। प्राथनापत्रके सम्बन्धमे जो महत्त्वपूण तथ्य दिये गये थे, उनमे एक भी गलत नही था। प्राथनापत्र श्री गाधीके द्वारा दिया गया था और मेरे सघको मालूम है कि श्री मगाके एक मित्रसे उन्हे निर्देश प्राप्त हुए थे। प्राथनापत्रकी आधारभमि यह नही थी कि श्री मगा अपने चाचाको देखने जाना चाहते थे बल्कि यह कि वह डेलागोआ बे जाते समय ट्रान्सवालसे गुजरना चाहते थे। उन्हे अस्थायी अनुमतिपत्रकी प्राथनाका अस्वीकृतिसूचक उत्तर १४ माचको मिला। रिश्तेदारके परिचयके सम्ब-धमे अ-तर तो प्राथनापत्रकी अस्वीकृतिके बाद हुआ था। उपर्युक्त पत्रके उत्तरमे श्री गाधीने अनुमतिपत्र अधिकारीको अपना आश्चय प्रकट करते हुए जो पत्र लिखा, उसमे वे चाचाको पिता लिख गये। जैसा वे कहते है पूववर्ती पत्रका हवाला न लेनेके कारण ही उनसे ऐसा हो गया। कुछ भी हो इसमे धोखा देनेका सवाल ही नही उठता, क्याकि रिश्तेका फक इतना हल्का है कि उसे सिफ एक गलती ठहराया जा सकता है। बल्कि सच पूछिए तो, जसा अब पता चला है, डेलागोआ बेमे श्री मगाके न पिता थे, न चाचा बल्कि एक चचेरे भाई थे। इसी कारण एक दूसरी अशुद्धि भी हो गई कि श्री मगाको उसमे ब्रिटिश भारतीय कहा गया, जबकि वह दरअसल पुतगाली भारतीय थे। यह सब इसलिए हुआ कि निर्देश देनेवाला श्री मगाका एक ऐसा मित्र था जो उ-हे घनिष्ठ रूपमे नही जानता था। परन्तु इनमे से किसी भी तथ्यका कोई सीधा प्रभाव प्राथनापत्रपर नही पडता था। दूसरे पत्रमे इस आशयकी सूचना दी गई थी, कि श्री मगा इग्लडसे आनेवाले एक छात्र है। इस मामलेको बादमे जो रूप दिया गया, उससे तो यही दु खदायी तथ्य सामने आता है कि एक ब्रिटिश भारतीयकी हैसियतसे श्री मगा वह न पा सके जो इस बातका पता लगनेपर कि वे पुतगाली प्रजा है अनायास मिल गया। मेरे सघकी तुच्छ सम्मतिमे, श्री सुलेमान मगाका मामला इस दष्टिसे बहुत महत्त्वपूण है कि उससे प्रकट हो जाता है कि ट्रान्सवालमे ब्रिटिश भारतीय समाज किस कठिन परिस्थितिमे हे। अनुमतिपत्र नामजूर करनेका जो कारण

१ यह "ब्रिटिश भारतीय सघका उत्तर' शीर्षकसे **इडियन ओपिनियन** में छपा था।
२ देखिए "पत्र विलियम वेडरबर्नको' पृष्ठ २८३-६।

दिया गया था उसे बतानेसे भी सघको इनकार कर दिया गया। मेरे सघको तो पहली बार आपके पत्रसे ही इसका पता चला। तथ्योके उक्त विवरणसे पता चलता हे कि डेलागोआ-बेके रिश्तेदारके वणनमे फेरफार अस्वीकृतिका कारण नही बन सकता क्योकि जब निणयकी घोषणा हुई तब चाचाको पिता बतानेकी भूलका पता नही लग पाया था। मेरे सघका यह निवेदन हे कि अस्थायी अनुमतिपत्र या जिसे अभ्यागत पास' कह सकते ह, देनेमे काफी ढिलाईसे काम लिया जाना चाहिए और हर हालतमे प्रार्थियोको यह भी बता दिया जाना चाहिए कि उनके प्राथनापत्र क्या नामजूर हुए है। इस मामलेमे हुए पत्र व्यवहारकी जो प्रति मेरे सघने प्राप्त की है, उसे इसके साथ नत्थी करता हू।[1]

एशियाई नाबालिग पुरुषोकी आयु सीमाके बारेमे मेरे सघका सादर निवेदन है कि आपके पत्रमे जिन बुराइयोका जिक्र किया गया है, वे आयुकी सीमा घटा देनेसे दूर नही होगी। जो धोखा देनेका इरादा रखते ह वे तो धोखा देते ही रहेगे फिर चाहे आयु-सीमा सोलहकी हो या बारहकी। मानव स्वातन्त्र्यको बाधनेवाले कानूनोका दुरुपयोग तो अनिवाय है किन्तु मेरा सघ सादर निवेदन करता है कि ये बुराइया भी कोई विस्तत पमानेपर नही है और इनसे सदैव बचाव किया जा सकता है। क्या म यह कहनेका और साहस कर सकता हूँ कि आयु-सीमामे कमी करना अपराधी व्यक्तियो द्वारा किये गये अपराधोके लिए निर्दोष व्यक्तियोको दण्ड देना हे।

बिना किसी आयु या यौन भेदके सभी व्यक्तियोके लिए अनुमतिपत्र लेनेकी शतके बारेमे मेरा सघ यह समझता है कि यह सिफ ब्रिटिश भारतीयो या एशियाइयोपर ही लाग होती है, क्योकि मेरे सघको इस बातकी जानकारी है कि अनेक यूरोपीय बच्चो और स्त्रियोने बिना किसी अनुमतिपत्रके इस देशमे प्रवेश किया है। मेरे सघका निवेदन है कि पत्नियो और पाच वष तक के यानी गोदके बच्चोके लिए अनुमतिपत्र लेकर चलनेकी शतकी कोई आवश्यकता नही है और इससे बहुत अधिक सताप ही पैदा होनेवाला है। इसलिए मेरा सघ सादर एक बार फिर परमश्रेष्ठ द्वारा सहानुभूतिपूण हस्तक्षेपके लिए अनुरोध करता है।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
अब्दुल गनी
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १२-५-१९०६

१ ये यहाँ नही दिये जा रहे है।

३३४ भारतीय स्वयंसेवा

वतनी विद्रोहके सम्बन्धमें भारतीय समाजकी दिलसापर 'नेटाल ऐडवर्टाइजर' में जो पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ है, उसकी ओर सामान्यत हमारा ध्यान देना उचित नही होगा। परन्तु चकि हमारे सहयोगीके सवाददाताओंने जिस विषयपर विचार व्यक्त किये हैं वह भारतीय समाज ओर उपनिवेश — दोनोके लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारा उनके द्वारा उठाये गये मुद्दोपर विचार करना कोई गुनाह नही है। कुछ सवाददाताओने अन्धाधुन्ध गालियाकी जो बौछार की है उससे हमारा कोई सरोकार नही है।

एक सवाददाताने व्यगपूर्वक यह सुझाव पेश किया है कि भारतीयोको सेनाकी अगली पक्तिमे रखा जाये ताकि वे भाग न जाये, और फिर उनकी और वतनियोकी लडाई देवताओके देखने योग्य होगी। हम सवाददाताकी बातपर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहते है। और यह सुझाते है कि यदि यह तरीका अपनाया जाये तो निस्सन्देह भारतीयोके लिए उससे बढिया कोई दूसरी बात न होगी। अगर व कायर है तो उनकी जो गति होगी वे उसके पात्र होगे। यदि वे वीर है तो वीरोके लिए अगली पक्तिमे रहनेसे अच्छी दूसरी बात नही हो सकती। परन्तु दुख तो यह है कि सरकारने और यूरोपीय उपनिवेशियोने, जिन्होने सरकारकी नीतिका सचालन किया है, भारतीयोको आवश्यक अनुशासन और प्रशिक्षण देनेकी प्रारम्भिक सावधानी भी नही बरती है। इसलिए भारतीयोसे बन्दूक चलाने अथवा युद्ध-सम्बन्धी कोई भी काय बहुत कुशलतापूर्वक करनेकी आशा रखना व्यवहारत असम्भव हे। पिछले युद्धमे भारतीय आहत सहायक-दलने आवश्यक प्रशिक्षण तथा अनुशासनके बिना भी बहुत अच्छा काम किया था वह इसीलिए कि जिन भारतीय नेताओने दलमे योग दिया था वे डा० बथके द्वारा पहले ही प्रशिक्षित और तयार किये जा चुके थे।

दूसरे सवाददाताने सुझाव दिया है कि भारतीयोको हथियार न दिये जाये क्योकि यदि ऐसा किया गया तो वे अपने हथियार वतनियोके हाथ बेच देगे। यह सुझाव धूर्ततापूर्वक दिया गया है और वस्तुत निराधार है। भारतीयोको कभी हथियार नही दिये गये, इसलिए यह कहना स्पष्ट मूर्खता है कि यदि उनको हथियार दिये गये तो वे एक विशेष दिशामे काम करेगे। यह भी सुझाया गया है कि यह प्रस्ताव सस्ती वाहवाही लूटने तथा कुछ ऐसी चीज प्राप्त करनेके लिए किया गया है जो काग्रेसकी सभाकी कार्यवाहीमे प्रकट नही की गई है। प्रथम वक्तव्य निन्दात्मक है, और उसके गलत साबित होनेका सर्वोत्तम माग यही है कि ये सवाददाता सरकारको हमारा प्रस्ताव माननेके लिए तैयार करे और तब देखे कि प्रतिक्रिया पर्याप्त है अथवा नही। दूसरे वक्तव्यको तो समझना ही कठिन है। अगर उसका मशा लोगोपर यह छाप डालनेका है कि भारतीय युद्ध कालमे सेवा करके अपनी शिकायतोको दूर करानेकी आशा रखते है तो वक्तव्य ठीक है और इस उद्देश्यके लिए किसी भी भारतीयको लज्जित नही होना चाहिए। इससे ज्यादा अच्छी और प्रशसनीय और क्या बात हो सकती है कि वतमान सकटके अवसरपर भारतीय अपने उपनिवेशवासी अन्य भाइयोके साथ कन्धेसे कन्धा मिलाकर खडे हो और यह साबित करे कि वे नागरिकताके उन सामान्य अधिकारोके, जिन्हे वे गत अनेक वर्षोसे मागते आ रहे है, अयोग्य नही है। परन्तु यह भी उतना ही सच है कि यह प्रस्ताव बिना शत, शुद्ध कर्त्तव्यके रूपमे, और इस बातका खयाल किये बिना किया गया है कि हमारी शिकायते दूर होगी या

नही। इसलिए हमारे खयालसे प्रत्येक उपनिवेशीका विशेष उद्देश्य होना चाहिए कि वह भारतीय समाजके इस प्रस्तावका समर्थन करे और इस प्रकार अपने विवेक एव दूरदर्शिताका परिचय दे क्योकि यह गम्भीरतापूर्वक नही कहा जा सकता कि युद्धके लिए एक लाख पूर्णत वफादार और अच्छे प्रशिक्षणके योग्य भारतीयोके उपयोगसे आख मूदकर इनकार करनेमे कोई बुद्धिमानी या नीति कुशलता है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १२-५-१९०६

३३५ भारतीयोके अनुमतिपत्र

अनुमतिपत्र अध्यादशके अमलके सम्बन्धमे ब्रिटिश भारतीय सघने जो आवेदनपत्र भेजा था, अब उसका उत्तर लाड सेल्बोननने दे दिया है। परमश्रेष्ठके उत्तरमे जो तथ्य एव तर्क दिये गये है, उनका निराकरण करते हुए सघने फिर एक पत्र भेजा है। हम यह कहे बिना नही रह सकते कि लाड सेल्बोनका उत्तर अत्यन्त निराशाजनक है। सघने अपने उत्तरमे[1] श्री मगाके मामलेकी विशद चर्चा की है। इसलिए श्री मगाकी अनुमतिपत्रकी दरखास्तको अस्वीकार करनेका जो विचित्र कारण दिया गया है, उसपर हम इससे ज्यादा कुछ कहनेकी आवश्यकता नही समझते।

लाड सेल्बोनके पत्रसे यह प्रत्यक्ष है कि उम्रकी सीमा मनमाने तौरपर सोलहसे बारह कर दी गई है, क्योकि जसा सघने कहा है, कुछ लोगो द्वारा नियमोका उल्लघन उम्रकी सीमा घटानेका कोई कारण नही हो सकता। जो स्त्रिया अपने पतियोके साथ आती है उनके लिए अलग अनुमतिपत्र लेना आवश्यक करके भारतीयोकी भावनाकी बिलकुल उपेक्षा की गई है। यह एक नई बात है जिसका कतई कोई औचित्य नही है। एशियाई विरोधी दलने भारतीय स्त्रियोकी बाढके विषयमे एक शब्द भी नही कहा है। जैसा सुविदित है, ट्रान्सवालमे बहुत कम भारतीय स्त्रिया है, और वे किसी प्रकार व्यापारमे प्रतियोगिता नही करती। उनका काम केवल अपनी घर गृहस्थीकी व्यवस्था तक सीमित है। इसलिए हमे स्पष्ट रूपसे स्वीकार करना पडता है कि लाड सेल्बोनने पत्नियोके लिए अलग अनुमतिपत्र लेनेके बारेमे जो उत्तर दिया है उसके लिए हम तैयार नही थे। क्या यह कोई नई बात मालूम हुई है कि 'शान्ति रक्षा अध्यादेशके अनुसार आयु और लिंगका विचार किये बिना ट्रान्सवालमे सभीको अनुमतिपत्र लेना जरूरी है?" अगर यह कोई नई बात नही मालूम हुई है तो अभीतक भारतीय स्त्रियोसे कोई अनुमतिपत्र क्यो नही मागा जाता था? और भारतीय बच्चोको अभी कुछ समय पहले तक अनुमतिपत्रोकी छूट क्यो दी गई थी?

और जैसा कि सघने बताया है शान्ति रक्षा अध्यादेश सबपर लागू नही है, क्योकि जब यूरोपीय महिलाएँ अपने पतियो और १६ सालसे कम उम्रके बच्चे, अपने माता पिताओके साथ यात्रा करते है तो वे अनुमतिपत्र लेने या साथ रखनेसे मुक्त होते है। परमश्रेष्ठने भारतीय महिलाओके विषयमे भारतीयोकी विशेष भावप्रवणताका भी खयाल नही किया है। हमे यह कहनेमे जरा भी हिचक नही है कि यह कानून अनुचित अपमानजनक और बिलकुल अनावश्यक है। अगर इसको लागू किया गया तो इससे ऐसा क्षोभ पैदा होगा जिसको दूर करना कठिन होगा। दरअसल यह आश्चर्य है कि इन नये कायदोको जारी करनेके बाद भी परमश्रेष्ठ अपने उत्तरकी समाप्ति इन शब्दोके

१ देखिए "पत्र लॉर्ड सेल्बोर्नको" पृष्ठ ३१९-३२०।

साज कर सकते है कि अनुमतिपत्र देनेका काम "सभी परिस्थितियोमे प्रार्थियाकी सुविधाका यथासभव खयाल रखते हुए" किया जा रहा है। जबतक जायुकी सीमा फिर वही नही कर दी जाती, जबतक भारतीय स्त्रिया अनावश्यक अपमानसे मुक्त नही की जाती, और जबतक भारतीय शरणार्थियोके प्राथनापत्रोपर, मिलते ही, तुरत विचार नही किया जाता तबतक, हमारी विनम्र सम्मतिमे यदि परमश्रेष्ठ तनिक भी न्याय दिखाये तो यह नही कह सकते कि अनुमतिपत्र-सम्बन्धी नियम किसी भी अशमे ओचित्यके साथ लागू किये जा रहे है। जिन अधिकारियोको कानूनपर अमल कराना हे, हम उनकी कठिनाइयोका भली भाति समझ सकते ह, परतु यदि उनकी तादाद कम है ता सरकारका कत्तव्य हे कि वह कमीका पूरा करे जिससे प्राथनापत्रोपर विचार करनेमे विलम्ब न हो। कमचारियोकी इस तरहकी बढती अस्थायी ही होगी क्योकि कभी न-कभी शरणार्थियोके प्राथनापत्र समाप्त हो ही जायेगे। कार्यालयमे जो काम जमा हा गया हे यदि उसको निबटाना है तो कुछ और आदमी रखकर उस जमा कामको निबटानेकी व्यवस्था क्यो नही की जाती?

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १२–५–१९०६

३३६ रगदार लोगोका प्राथनापत्र

ट्रासवाल और ऑरेज रिवर कालोनीका जो नया विधान बन रहा है उसके सम्बन्धमे रगदार लोगोकी निगरानी समितिने ब्रिटिश लोकसभाको भेजनेके लिए एक प्राथनापत्र तैयार किया है। जनताको यह नही बताया गया है कि आफ्रिकी राजनीतिक सघने सम्राट सप्तम एडवडको जो प्राथनापत्र भेजा था, यह उसीके सिलसिलेमे है या यह कोई अलग और स्वतन्त्र कारवाई है। कुछ भी हो दोनो प्राथनापत्रोमे लगभग समान हितोकी हिमायत है। एकमात्र अन्तर यह है कि जहा सम्राटको भेजा गया प्राथनापत्र वतनी लोगाके परे अन्य रगदार लोगोके सम्बन्धमे है, वहा वतमान प्राथनापत्रमे वतनी लोग भी शामिल कर लिये गये जान पडते है। इसमे सन्देह नही कि अगर यहा सघ राज्य बनना है और ब्रिटिश झडेके अधीन रहना है तो अततोगत्वा दक्षिण आफ्रिकाको स्वर्गीय श्री रोडस[2] द्वारा बताई गई नीति ही अपनानी होगी। परन्तु श्री चर्चिलने जो बात कई बार कही है, उसको देखते हुए प्रार्थियोकी प्रार्थनाको स्वीकार करना सम्भव होगा इसमे हमे सन्देह है—यद्यपि दोनो प्राथनापत्रोसे भलाई ही हो सकती है क्योकि उनसे उत्तरदायी शासनके अतगत दोनो उपनिवेशोकी ससदोके अधिवेशन होते ही इस विषयपर विचार करनेका रास्ता साफ हो जायेगा।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १२–५–१९०६

१ देखिए 'रगदार लोगोका प्रार्थनापत्र," पृष्ठ २५१–२।

२ सेसिल रोड्स १८९० से १९०६ तक केपके प्रधानमत्री थे। उनकी नीति थी कि डच और ब्रिटिश लोगोको मिलाकर साम्राज्यके अन्तर्गत स्वशासित दक्षिण आफ्रिकी सघ-राज्य बनाया जाये और धीरे धीरे उसकी सीमाओमें वतनी प्रदेशोको भी मिलाया जाये। साम्राज्यके अन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त शासनमें उनका विश्वास था।

३३७ भारतको स्वराज्य

भारतीय स्वराज्य सघ (इडियन होम रूल सोसाइटी) के उपसभापति श्री पारेखने इग्लैडके न्यकसिल नगरमे इस आशयका भाषण किया है कि भारतको स्वराज्य दिया जाना चाहिए। उसमे व कहते ह कि भारतको पूण स्वतत्रता दी जाये और गोरे भारत छोड दे। आजकलकी राजनीति न राज्यकताओके लिए लाभप्रद है और न जनताके लिए। ऐसी प्रणालीसे नौकरीके लिए जानेवालोके नीति विचारमे कभी कभी बहुत बिगाड होता है। कहा यह जाता हे कि भारतका प्रबन्ध ससदकी सत्ताके अधीन है। लेकिन असलमे वह सत्ता बहुत ही कम है, अथवा यो कहिए कि नाममात्रको है। भारतके लाखो लोगोकी शिकायते सुननेका समय ससदके पास बिलकुल नही होता इसलिए अधिकारी वग अपनी मर्जीके मुताबिक सत्ताका उपयोग करता हे। अगर स्वराज्य दिया जाये, तो निश्चित रूपसे भारतके लोगोकी हालत सुधरेगी।

भारतमे बार बार अकाल पडते है। इसका कारण अनाजका अभाव नही है, अनाजका अभाव हो, तो वह देशके किसी एक भागमे होगा। सारे देशमे अकाल पडनेका कारण कुछ और ही हे। अनाज तो है पर लोगोके पास उसे खरीदनेके लिए पसा नही है। भारत भुखमरीसे पीडित है, इसका कारण पसोका अकाल हे अनाजका नही। वहाकी सरकार अपनी रैयतके प्रति अपने कत्तव्यका पालन नही करती, ओर अग्रेजी राज्य लोगोके कल्याणके लिए है, यह कहना एक ढाग और दिखावा है। अत न्याय ओर मानवताके कल्याणके लिए भारतको स्वराज्य दिया जाना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १२–५–१९०६

३३८ चीनी वापस जा सकेगे

चीनियोको उनके देश वापस जाने देनेके बारेमे सरकार जो विज्ञप्ति चिपकाना चाहती थी, उसके सम्बन्धमे ट्रान्सवालके खान मालिकोकी ओरसे जोरदार आवाज उठाई गई थी। ८ तारीखके दिन बॉक्सबगमे आम सभा की गई थी। उसमे यह बताया गया था कि चीनियोको स्वदेश लौटनेके लिए सरकारको पैसे नही देने चाहिए। मार्केट स्क्वेयरकी सभा, रड अग्रगामी दलकी सभा तथा क्रूगसडापके व्यापार मण्डल (चेम्बर आफ कामस) ने भी इसी आशयके प्रस्ताव पास किए थे।

एक खानवालेने सरकारी अधिकारीको अपने क्षेत्रमे इस प्रकारकी विज्ञप्ति लगानेसे रोका था, और ट्रान्सवालके उच्च न्यायालयमे परीक्षात्मक मुकदमा दायर किया था। उसका फैसला देते हुए मुख्य न्यायाधीशने कहा है कि सरकारको इस तरहकी विज्ञप्ति लगवानेका पूरा हक है। अजदारकी अर्जी खचके साथ खारिज कर दी गई है। इस मतलबके परिपत्र जारी किए गये ह कि खान मालिकोको चीनियोके हर मुहल्लेमे विज्ञप्ति लगवानेमे सरकारी अधिकारियोकी मदद करनी चाहिए।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १२–५–१९०६

३३९. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

मई १४, १९०६

ट्राम सम्बन्धी परीक्षात्मक मुकदमा

ट्राम सम्बन्धी मामला आज चलनेवाला था, लेकिन नगरपालिकाने मजिस्ट्रेटके सामने भी बैरिस्टर लानेका प्रस्ताव किया है इसलिए मामला अगले शुक्रवार तक मुल्तवी कर दिया गया है। इस मामलेपर सर रिचर्ड सालोमन और लार्ड सेल्बोर्न बहुत ध्यान दे रहे हैं।

रेलगाड़ीकी तकलीफ

ट्रान्सवालकी रेलोंमें मुसाफिरोंको एक डिब्बेसे दूसरे डिब्बेमें हटानेका जो अधिकार गार्डोंको मिला है, यहाँके व्यापार संघने उसका विरोध किया है। यह कानून सबपर लागू होता है। अतएव संघके विरोधसे भारतीयोंको सहज ही फायदा हो सकता है। एक गोरेको थोड़ी तकलीफ हुई थी, उसीकी वजहसे यह सब हुआ है। संघकी बैठकमें भी कड़े भाषण हुए हैं।

अलीवॉल नार्थके श्री अहमद सूरती कुछ दिन पहले जर्मिस्टनसे पार्क स्टेशन जा रहे थे। उस समय गार्डने उन्हें परेशान किया। उन्होंने इसकी शिकायत की है। रेलवे अधिकारियोंसे जवाब मिला है कि गार्डको झिड़की दी गई है। मैं लिख चुका हूँ कि ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष और मन्त्री महाप्रबन्धकसे मिल आये हैं। अँगुली पकड़कर पहुँचा पकड़ना — इस कहावतके अनुसार महाप्रबन्धक सूचित करते हैं कि प्रिटोरियासे शामको पाँच बजे छूटनेवाली गाड़ीमें भी भारतीय अथवा दूसरे काले मुसाफिर न जायें। संघने लिखा है कि यह मुमानियत मंजूर नहीं की जा सकती, क्योंकि पाँच बजेवाली गाड़ी एक सुविधाजनक गाड़ी है और भारतीय उसपर से अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे।[1]

आयोगकी बैठकें

सर जोजेफ वेस्ट रिजवेके आयोगकी तीन बैठकें जोहानिसबर्गमें हुई हैं। उनमें प्रगतिशील दल (प्रोग्रेसिव पार्टी) और रैंड अग्रगामी दल (रैंड पायोनियर्स) ने प्रमाण पेश किये हैं। मेजर बारनेटने ब्रिटिश भारतीय संघको लिखा है कि आयोग जब दूसरी बार जोहानिसबर्ग आयेगा, तब संघकी ओरसे भी प्रमाण लेगा। रंगदार लोक संघ (कलर्ड पीपल्स असोसिएशन) की ओरसे श्री डैनियल भी प्रमाण पेश करनेकी तजवीज कर रहे हैं।

भारतीयोंकी गन्दगी

फोर्ड्सबर्गमें पायोनियर और पार्क रोडके कोनेपर एक भारतीयकी साग सब्जी और फलकी दूकान है। उसपर आरोप यह था कि जिस कोठरीमें खानेकी चीजें थीं, उसीमें वह सोता था। सिपाहीने बयान देते हुए कहा कि जिस कोठरीमें अभियुक्त और दूसरा एक आदमी सोया था, उसीमें उसने फल रोटी और साग सब्जी देखी थी। उसी कोठरीमें एक परदेके पीछे एक कुतिया और उसके आठ पिल्ले भी थे। दूकानमें से बहुत बदबू आ रही थी। अदालतने उस आदमीको पाँच पौंडका जुर्माना अथवा तीन सप्ताहकी कैदकी सजा सुनाई। 'स्टार' में इस मामलेका विवरण छपा था। वह एक गोरेने मुझे बताया और कहा — 'ऐसे लोग तुम्हारे देशवासियोंको मुसीबतमें डालते हैं। ऐसे लोगोंके बचावमें तुम्हें क्या कहना है?" मेरे पास बचावमें कुछ नहीं था। उस अखबारको लेते हुए मुझे अपना सिर शर्मसे झुका लेना पड़ा था।

१. देखिए 'जोहानिसबर्गकी चिट्ठी' पृष्ठ ३१५-६।

ट्रान्सवालकी विधानसभा

ट्रांसवालकी विधानसभाकी बैठक २५ तारीखसे शुरू होगी। उसमें जो काम किया जायेगा, सो जानने योग्य होगा। क्योंकि सम्भव यह है कि इस विधानसभाकी यह आखिरी बैठक होगी। अगले वर्ष नई विधानसभा बननेकी आशा है।

चीनी भित्तिपत्र

गिरमिटिया चीनियोंको स्वदेश जानेके लिए पैसे देनेके बारेमें हर खानके अहातेमें भित्तिपत्र लगानेका जो हुक्म जारी हुआ था, उसके सिलसिलेमें खानवाले सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँच चुके हैं। श्री लियोनार्डने उनकी ओरसे बहुत मेहनत की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालयने फिर अपनी स्वतन्त्रता और न्यायबुद्धिका परिचय दिया है। मुख्य न्यायाधीश सर जेम्स रोज इनसने फैसला देते हुए कहा है कि सरकारको खानोंमें ऐसी सूचनाएँ लगानेका पूरा अधिकार है। अदालतने खानोंकी अर्जी खर्चके साथ खारिज कर दी है, सूचनाएँ हर भाषामें तथा चीनी भाषामें लगाई गई हैं। अब देखना यह है कि इसका असर क्या होता है। कुछ लोगोंका खयाल है कि इस सूचनाका लाभ उठाकर बहुतसे चीनी वापस अपने देश चले जायेंगे। दूसरे कुछ लोगोंकी राय है कि चीनियोंके मनपर इसका कोई असर नहीं होगा। अगर चीनी बड़ी संख्यामें चले जायेंगे, तो खानवालोंको बहुत भारी धक्का लगेगा। कुछ खान-मालिक खानें बन्द कर देनेकी धमकी दे रहे हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९–५–१९०६

३४० पत्र: दादाभाई नौरोजीको

२१–२४ कोर्ट चेम्बर्स
नुक्कड़ रिसिक व ऐंडर्सन स्ट्रीट्स
पो० ऑ० बॉक्स ६५२२
जोहानिसबर्ग
मई १६, १९०६

माननीय श्री दादाभाई नौरोजी
[लन्दन]

मान्यवर,

इस पत्रका उद्देश्य आपको श्री ए० एच० वेस्टका परिचय देना है। ये इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेसके प्रबन्धक और 'इंडियन ओपिनियन' के सह-सम्पादककी तरह काम करते रहे हैं। पत्र जिस योजनाके अन्तर्गत प्रकाशित किया जाता है श्री वेस्ट उसके संस्थापकोंमें एक हैं। ये वहाँ कुछ दिनोंके लिए स्वजनोंसे मिलने-जुलने आ रहे हैं और इस बीच यथाशक्ति कुछ सार्वजनिक काम भी करेंगे।

आपका सच्चा
मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० २२७२) से।

३४१. एक एशियाई नीति

प्रख्यात लेखक 'एल० ई० एन०' ने 'रँड डेली मेल' में अपने योग्यतापूर्ण लेख समाप्त कर दिये हैं। ये उन्होंने उपनिवेशोंमें आबाद एशियाइयोंके सम्बन्धमें लिखे हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि इस प्रश्नको हल करनेके निमित्त निम्नलिखित उपाय किये जाने चाहिए:

(१) जहाँतक सम्भव हो, और चाहे कितनी ही हानि उठानी पड़े, स्थायी निवासियोंके रूपमें एशियाई लोगोंको यहाँ न आने दें।

(२) गिरमिटिया मजदूरोंकी जरूरत हो तो उनकी गिरमिटकी अवधि पूरी होनेपर उनकी वापसीपर जोर दें।

(३) जो एशियाई पुराने जमानेकी हालतोंमें इस देशकी आबादीका भाग बन गये हैं उनके साथ न्यायोचित ही नहीं, बल्कि उदार बरताव किया जाये।

(४) अस्थायी दर्शकों या यात्रियोंकी गतिविधिपर कोई परेशान करनेवाली रुकावटें न लगाई जाएँ। लेखक यह कहकर अपनी लेखमाला समाप्त करता है:

> **ऐसी नीतिके साथ सन्तापजनक रुकावटें नहीं रहनी चाहिए, जिनसे शिक्षित व्यक्तियोंका अपमान हो। ये रुकावटें उस कानूनकी अपेक्षा ज्यादा परेशान करनेवाली और हानिकर हैं जिसके द्वारा अपेक्षाकृत ज्यादा गरीब वर्गके हजारों लोग देशमें प्रवेश करनेसे चुपचाप रोक दिये गये हैं। पूर्वी दुनियाके सुसंस्कृत यात्रीके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जो न्यूयार्क जहाज घाटमें एक कँगले प्रवासीके साथ भी नहीं किया जाता। उसको एक अपराधीकी भाँति अपनी अँगूठा निशानी देना मंजूर करनेके लिए मजबूर करना अथवा तुरन्त किसी बस्तीमें भेज देनेकी धमकी देना, जैसी ट्रान्सवालके उग्रतावादी देते हैं, उचित नहीं है।**

जो बातें पेश की गई हैं उनमें से एकको छोड़ कर हम सबसे हृदयसे सहमत हैं। असलमें 'एल० इ० एन०' की बताई नीति वही है जिसको भारतीय समाज स्वीकार कर चुका है। किन्तु जो अपवाद हमारे दिमागमें है वह बहुत ही गम्भीर है। यदि भारतसे गिरमिटिया मजदूर लाने हैं — चाहे रँडकी खदानोंके लिए, चाहे नेटालकी खेतियोंके लिए तो वे वापसीकी धाराके अन्तर्गत नहीं लाये जाने चाहिए। यदि ऐसे मजदूर न लाये गये होते तो दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंका सवाल शायद कभी उठता ही नहीं। किन्तु यदि गिरमिटिया मजदूरोंका देशमें लाना दक्षिण आफ्रिकाके किसी भागकी समृद्धिकी दृष्टिसे पूर्णतः आवश्यक समझा जाये, तो न्यायोचित यही है कि उनको इस प्रकार लानेके बाद और स्वर्गीय श्री एस्कम्बके शब्दोंमें, उनके जीवनके सर्वोत्तम पाँच वर्ष यहाँ खपानेके बाद, उनको इस देशमें बसने और अपनी पसन्दका कोई खरा धन्धा चुनकर अपनी सेवाओंका पुरस्कार भोगनेकी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। स्वर्गीय सर विलियम विलसन हंटरको भी जो अपने अत्यन्त नरम विचारोंके लिए प्रसिद्ध थे और जिनकी ख्याति यह थी कि वे सदा सभी बातोंपर बुद्धिमत्तापूर्वक विचार करते हैं, गिरमिटिया मजदूरोंकी हालतको "खतरनाक रूपसे गुलामीके नजदीक" माननेमें कोई हिचक नहीं हुई थी। इसलिए ऐसे लोगोंका कमसे-कम अधिकार यह है कि उनको उस देशमें रहनेकी स्वतन्त्रता दी जाये जिसकी सेवा वे इतनी अच्छी तरहसे कर चुकते हैं। इसलिए हमारा खयाल यह है कि यदि लेखक महोदयने मुक्त भारतीयोंके प्रवासके

प्रश्नपर उसके गुणावगुणकी दष्टिसे विचार किया होता तो उनके लेखोका महत्व और भी ज्यादा बढ जाता। क्योकि जहा प्रवास साम्राज्यकी नीतिका मामला है, वहा गिरमिटिया मजदूराका प्रश्न करार और बातचीतका है।

एक प्रश्नपर विचार करनेमे जिन बातोका खयाल रखना होता है, वे दूसरे प्रश्नपर भी लागू हो, यह जरूरी नही है। दक्षिण आफ्रिकामे, जहा टान्सवाल और नेटाल बहुत कुछ गिरमिटिया मजदूरोपर निभर है, फिर वे भारतसे आये या एशियाके अन्य भागोसे, इस अतरको खयालमे रखना अत्यत आवश्यक है।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १९–५–१९०६

३४२ दक्षिण आफ्रिकामे दूकान-बन्दी आन्दोलन

सभी जानते है कि नेटालमे निश्चित समयपर दूकाने बन्द करनेका कानून बन चुका है। हम यह कह चुके ह कि केपकी धारासभामे इस प्रकारका विधेयक पेश होनेवाला है। अब जोहानिसबगसे समाचार मिले है कि टान्सवालमे भी इस तरहकी हलचल शुरू हो गई है। मेसानिक टेम्पलमे बडे-बडे यरोपीय लोगोकी सभा हुई थी। सर जाज फेरार उसके सभापति थे। जोहानिसबगके महापौर उसमे हाजिर थे। इस सभामे तय किया गया हे कि निश्चित समयपर दूकाने बन्द करनेका कानून बनना चाहिए। भारतीय व्यापारियोको इस विषयमे चेतकर चलना चाहिए। कानून बने और हमारे लिए लाजिमी हो जाये, उससे पहले हम कदम उठा ले इसीमे हमारी शोभा है। नेटालके दूकान व्यवस्थापकोका कहना हे कि यदि हम, लाजिमी हो जानेके बाद अपनी दूकाने बन्द करते है तो कोई खास बात नही करते। एक हद तक यह बात ठीक भी है। पाचेफस्ट्रूमके भारतीय व्यापारियोने नियमानुसार दूकाने बन्द करनेका प्रस्ताव पास किया था। इसपर हम उन्हे बधाई भी दे चुके है। पर हमारे प्रतिनिधिने लिखा है कि वहाके भारतीय व्यापारियोने नियमानुसार दूकाने बन्द करना फिर छोड दिया हे। अगर ऐसा हुआ है तो हमे इसका अफसोस है। पाचेफस्टमके भारतीय व्यापारियो और दूसरी जगहोके व्यापारियोको खास तौरपर हमारी सलाह यह हे कि अगर वे कानन बननेसे पहले चेत जाये और दूकाने बन्द करनेके बारेमे गोरे व्यापारियोके साथ समझौता कर ले, तो बहुत अच्छा होगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १९–५–१९०६

३४३ पाँचेफस्ट्रूम और क्लार्क्सडॉर्प[1]

पाचेफस्ट्रूममे फिलहाल व्यापार मन्दा दिखाई पडता है। वहाके भारतीयोको खास दिक्कत है बग्घीकी और सावजनिक बगाचोमे न जा सकनेकी। भारतीयोके लिए बग्घी तत्काल प्राप्त करना मुश्किल होता हे। इसका कोई कानूनी उपाय हो सकनेकी कम सम्भावना है। क्योकि पहले जब यह घटना घटी थी उस समय पाचेफस्ट्रमकी नगरपालिकाने जो उपनियम बनाया था, वह अब भी लागू है। बगीचेवाले मामलेका इलाज तो भारतीयोके हाथमे ही हे। हमे बगीचेमे जानेसे रोका नही जा सकता। इस विषयमे मजिस्ट्रेटकी अदालतमे ही मुकदमा दायर किया जाये, तो चल सकता है।

पाचेफस्टमके भारतीयोने अग्रेज व्यापारियोसे मेलजोल करके दूकानोके मामलेमे गोरो जैसा कुछ प्रबन्ध किया हो, तो जान पडता हे, उसे उन्होने तोड दिया ह। यह ठीक नही हुआ। जिस तरह शुरू किया था उसी तरह पार भी लगाना चाहिए था। गोरे हमसे सीधा व्यवहार नही करते तो हम भी सीधा व्यवहार न करे, ऐसा नही होना चाहिए।

क्लाक्सडाप और पाचेफस्ट्रूम दोनोकी तुलना की जाये तो क्लाक्सडापके भारतीय भण्डार बढिया है। क्लाक्सडापके भण्डारोकी रचना सुन्दर दिखती है, और बाहरका दिखावा भी सुहावना हे। कोई वजह नही कि पाँचेफस्ट्रूममे भी ऐसा क्यो न हो। क्लाक्सडाप और पाँचेफस्ट्रूम दोनो जगहोके भारतीय भण्डार सुघडतामे और दूसरी तरहसे बहुत कुछ यरोपीय भण्डारो जसे ही पाये गये है। लेकिन भण्डारोके पीछेके अहातेमे और रहनेकी स्थितिमे हेरफेर करना जरूरी है। अहातेमे रहनेके लिए जो कोठरिया बनी है वे अधिक साफ और प्रशस्त होनी चाहिए, और स्नानघर आदि स्थान बिलकुल साफ रहने चाहिए।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १९–५–१९०६

३४४ हमारे अवगुण

हमारे जोहानिसबगके सवाददाताने भारतीयोकी गन्दगीकी जो खबरे भेजी है, वे सबके लिए विचारणीय है। अगर पिछले बीस सालोके अखबारोको कोई आज देखे, तो पता चलेगा कि भारतीयोके विरुद्ध सबसे बडा आरोप गन्दगीका है। इसमे गोरोने जितनी बाते बढा चढा कर कही है उन सबका जवाब हम दे चुके है। लेकिन हमारे जोहानिसबगके सवाददाताने जिस मामलेकी ओर हमारे पाठकोका ध्यान खीचा है, वह सचमुच ही हमे नीचा दिखानेवाला है। जिस कोठरीमे सोना, उसीमे शाक सब्जी रखना, उसीमें रोटी रखना -- ये बहुत भयकर बाते है। अदालतने इसपर जो सजा दी है उसके खिलाफ कुछ कहनेको नही रहता। जिस आदमीने यह गुनाह किया है, उसने अनजाने ऐसा किया है सो भी नही कहा जा सकता। हम ऐसी बातोकी ओर दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयाका ध्यान बार बार खीचना चाहते है। अमलमे ऐसी गन्दगीका उपाय हमारे ही हाथो होना चाहिए। हम खुद ऐसे गुनाहासे दूर रहे इतना ही काफी नही है बल्कि हमारा

१ यह हमारे विशेष प्रतिनिधिकी यात्रापर आधारित था।

फज है कि अपने अडोसी पडोसिया परिचितो और जिन जिनपर हमारी बातका असर पडता है उन सबको ऐसी भूलोमे दूर रहनेके लिए समझाये। इस प्रकारके सुधार करनेके लिए हम समितिया बनाये, तो वह भी गलत नही कहा जायेगा। हम मानते ह कि, जो समितिया हालमे कायम हुई ह, उनका मुख्य कतव्य यही है। हम ऐसी बातोकी ओर मुस्लिम सघ और हिदू सनातन धम सभाका ध्यान विशेष रूपसे खीचते है। हमारे बडे बडे व्यापारी, जो सचमुच अगुआ है इस मामलेमे बहुतसे सुधार कर सकते ह। सबसे पहले तो वे अपने भडारोके पीछेकी जगहोको साफ करवा सकते है और यो वे छोटे व्यापारियो और फेरीवालोपर अपना प्रभाव डाल सकते ह।

यह कहना गलत न होगा कि कुछ कानून तो हमने निमत्रित किये है। और अगर अब भी हम न चेतेगे तो ज्यादा सख्तीका सामना करना पडेगा। हम आपसमे बातचीत करते समय अपनी तुलना यहूदियोके साथ करते है। तुलना करते हुए हम यह कहते है कि यहूदियोकी रहन सहन हमसे ज्यादा गदी है, फिर भी उन्हे कोई नही सताता। इस बातमे सिफ आधी सचाई है, और अध सत्य आदमीको सदा भुलावेमे डालता है। यहूदियोकी रहन सहन गरीबीमे हमसे खराब रहती है, इसमे कोइ शक नही। लेकिन हाथमे पैसा आ जानेपर वे उसका उपयोग अधिक अच्छी तरह कर सकते है। धनका गलत सग्रह करनेके बदले वे उसका उपयोग उचित स्थानोमे करते ह। डबनमे, जोहानिसबगमे अथवा केप टाउनमे, हम जहा भी देखते ह, हमे साफ दिखाई देता है कि जिन यहूदियोने पैसा कमाया है वे उसका उपयोग करना भी जानते ह। उनके घर बहुत साफ और सुदर है। उनकी रहन सहन ऊँचे दर्जेकी है। वे दूसरे यूरोपीयोके साथ आसानीसे घुलमिल सकते है। अपने इस व्यवहारके कारण वे ज्यादा पैसा भी कमा सके है। और वह यहा तक कि, आज जोहानिसबगमे वे राज्यकर्त्ताओ जितना ही प्रभाव रखते ह। दुनियामे अधिकसे अधिक धनवान लोग उनमे मिल सकते ह।

मनुष्य जातिमे यह विशेषता है कि वह अपने जसे अवगुण दूसरोमे खोज लेती है और फिर यह जानकर सतोषका अनुभव करती है कि दूसरोमे भी उसके जसे अवगुण मौजद ह। जो समझ सकते है, जिनके मनमे देशके लिए दद है जिन्हे दूसरोकी बहादुरीको देखकर जोश आता है, ऐसे गुणीजनोको सदभावनापूवक दूसरोके अवगुणोका खयाल न करते हुए उनके गुणोका ही ध्यान रखना चाहिए और उनके अनुसार चलकर दूसरोको चलानेकी कोशिश करनी चाहिए।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १९–५–१९०६

३४५ भारतकी स्थितिपर 'रैंड डेली मेल'के विचार

पिछले कुछ हफ्तोंसे जोहानिसबर्गके 'डेली मेल' में कोई व्यक्ति 'एल० ई० एन०' नामसे दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकी स्थितिके बारेमें लिखा करता है। पिछले हफ्तेमें उसका अन्तिम लेख छापा गया है। उसमें उसने भारतीयोंके बारेमें नीचे लिखे विचार प्रकट किये हैं।

१ इसके बाद अधिकतर एशियासे आनेवाले लोगोंको दक्षिण आफ्रिकामें आनेसे रोका जाये।

२ अगर एशियाके मजदूरोंकी जरूरत पड़े, तो उन्हें इकरारके अनुसार गिरमिटकी अवधि पूरी होनेपर लाजिमी तौरसे भारत या उनका जो भी देश हो वहाँ वापस भेजा जाये।

३ एशियाके जो लोग इस देशमें आकर बसे हैं उनके प्रति उदारताका बरताव किया जाये।

४ कुछ समयके लिए आनेकी इच्छा करनेवाले भारतीयपर किसी प्रकारकी सख्ती न की जाये।

इस प्रकार विचार प्रकट करनेवाला लेखक प्रभावशाली है और उसने दूसरे कई अखबारोंमें भी लिखा है। गिरमिटिया मजदूरोंको लाजिमी तौरपर वापस भेजनेकी बातको छोड़कर इस लेखककी दूसरी सब बातें बहुत कुछ मानने योग्य हैं। और इस प्रकारकी माँग हम कबसे करते आ रहे हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९–५–१९०६

३४६ बालकोंके अनुमतिपत्रके बारेमें सूचना

सोलह सालसे कम उम्रवाले बालकोंको फिलहाल अनुमतिपत्र नहीं दिये जाते। लेकिन ब्रिटिश भारतीय संघ इसके लिए लड़ रहा है। सम्भव है कि १६ सालसे कम, लेकिन १२ सालसे अधिक उम्रके जो बालक इस समय दक्षिण आफ्रिकामें आ चुके हैं उनको कोई अड़चन नहीं होगी। इसलिए जिन लोगोंके १२ सालसे अधिक उम्रके लड़के दक्षिण आफ्रिकाके किसी भी बन्दरगाहमें हों, वे उनके नाम पते हमारे पास भेज दें। हम उन नामोंको यथास्थान पहुँचा देंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९–५–१९०६

३४७ चीनियोंको वापस भेजनेका सवाल

हम अपने पाठकोंको यह बता चुके हैं[1] कि ब्रिटिश सरकारने चीनियोंको वापस उनके देश भेजनेका सवाल अपने हाथमें ले लिया है और वह उसके लिए खर्च देनेको भी तैयार हो गई है। इसके कारण ट्रान्सवालमें बहुत खलबली मची है। और गोरे खान मालिक इस बातकी व्यवस्था करनेमें लगे हैं कि चीनियोंका वापस भेजनेसे रोकनेके लिए एक शिष्टमण्डल विलायत भेजा जाये। जनरल बोथाने चीनियोंके जुल्मोंको देखकर सरकारके पास यह शिकायत भेजी है कि चीनी लोग किसानोंपर जुल्म करनेमें बाज नहीं आते, व और अधिक क्रूर बनते जा रहे हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि वे कबतक इस तरह जुल्म करते रहेंगे। अगर ट्रान्सवालकी सरकार और खानवाले इन लोगोंको इनके अत्याचारपूर्ण व्यवहारसे नहीं रोकेंगे तो बोअर लोग ब्रिटिश सरकारको इसकी खबर करेंगे। वे यह भी कहते हैं कि अगर सरकार इस मामलेमें कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं देगी तो वे चीनियोंको वापस भिजवानेकी बात कहनेके लिए ब्रिटिश सरकारके पास शिष्टमण्डल भेजेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १९–५–१९०६

३४८ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

[मई १८, १९०६ के बाद[2]]

ट्रामका परीक्षात्मक मुकदमा

पिछले शुक्रवार, १८ तारीखको मजिस्ट्रेट श्री क्रासकी अदालतमें जोहानिसबर्गकी नगर पालिकाके विरुद्ध श्री इब्राहीम सालेजी कुवाडियाका मुकदमा चला था। श्री कुवाडियाने बयान देते हुए कहा कि वे ब्रिटिश भारतीय संघके कोषाध्यक्ष हैं। ७ अप्रैलको जब वे बिजलीकी ट्रामपर चढ़ रहे थे, कंडक्टरने उन्हें रोक दिया। नगरपालिकाकी ओरसे कंडक्टरने बयान दिया, और नगरपालिकाका कथन पूरा हो गया। इस बार नगरपालिकाकी तरफसे बैरिस्टर श्री फीथम खड़े हुए थे और श्री कुवाडियाकी तरफसे संघके वकील श्री ब्लेन, और उनको सलाह देनेके लिए श्री गांधी हाजिर थे। श्री फीथमने दलील देते हुए कहा कि सन १८८७ में बोअर सरकारने चेचककी बीमारीके मौकेपर कुछ कानून जारी किये थे। उन कानूनोंके अनुसार काले लोग, अगर वे गोरोंके नौकर न हों तो गोरोंके साथ नहीं बैठ सकते। वे कानून आज भी कायम हैं इसलिए भारतीय ट्राममें नहीं बैठ सकते। मजिस्ट्रेट श्री क्रासने यह दलील नहीं मानी, और जोहानिसबर्गकी नगरपालिकाके गाड़ियोंके लिए बनाये गये नियमोंके आधारपर श्री कुवाडियाको ट्रामगाड़ीका उपयोग करनेका हक है यह फैसला देते हुए उन्होंने कंडक्टरको पांच

१ देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ २१५–६।

२ मूल पत्रमें तिथि १४–५–१९०६ है जो गलत जान पड़ती है। नगरपालिकाके विरुद्ध श्री कुवाडिया द्वारा दायर किये गये मुकदमेकी १८ मईको हुई सुनवाईके उल्लेखसे यह स्पष्ट है कि पत्र उस दिन अथवा उसके बादकी तारीखको लिखा गया। अन्तके कुछ अनुच्छेदोंमें मई २२, १९०६ की तारीख पड़ी है।

शिलिंगका जुर्माना, और जुर्माना न देनेपर एक दिनकी कैदकी सजा सुनाई। कंडक्टरने पाँच शिलिंग उसी वक्त दे दिये।

इस मामलेमें यह भी पता चला कि भारतीय [श्री कुवाडिया] को हैरानके लिए नगर परिषदने ट्रामगाडी गोरोंके लिए है, ऐसा एक परवाना जारी किया था, और श्री फीथमने उसे बड़े जोशमें आकर पेश किया था। लेकिन जैसा कि कहावत है दूसरोंके लिए गड्ढा खोदनेवाला खुद ही उसमें गिरता है, इस मामलेमें नगर परिषद धोखा खा गई। जारी किया गया परवाना जिस दिन श्री कुवाडिया ट्राममें बैठने गये थे उसके चार दिन बाद जारी हुआ था। इसलिए जब श्री फीथमको इस गलतीका भान हुआ, तब वे शर्मिन्दा हुए।

इस बार अखबारोंके संवाददाता हाजिर थे इसलिए यहाँके सब अखबारोंमें लगभग पूरा विवरण छपा है। इस प्रकार भारतीयोंकी विजय तो पूरी मिली पर ऐसा लगता है कि नगर परिषदने उसका फल हमारे हाथसे छीन लिया है। शुक्रवारको जितनी खुशी हुई, शनिवारका 'गवर्नमेंट गजट' देखनेपर उतना ही रंज हुआ। उस गजटमें जोहानिसबर्गकी नगरपालिकाकी ओरसे एक कानून छपा है। उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि नगरपालिकाने ट्रामके बारेमें जो कानून बनाये थे, वे रद कर दिये गये हैं। बस देखा जाये तो इस प्रकारके कानूनमें कोई दोष दिखाई नहीं देता। लेकिन इसका कानूनी अर्थ नीचे लिखे अनुसार होता है।

हमारी दलील यह थी कि जोहानिसबर्गकी नगरपालिकाके कानून चेचक सम्बन्धी कानूनके बाद बने हैं और चूँकि चेचकवाले कानून उनके विरुद्ध हैं, इसलिए वे रद माने जायेंगे। लेकिन चूँकि अब नये कानूनोंको वापस ले लिया गया है इसलिए यह दलील दी जा सकती है कि नगरपालिकाकी मान्यताके अनुसार चेचकवाले कानून फिर सजीव हो उठे हैं।

इसे खुला दगा कहना होगा। इसका नतीजा यह हुआ कि हमें फिरसे सारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वह बहुत मुश्किल और खर्चीली होगी। फिर भी अगर भारतीय जनताको ऐसी हार स्वीकार न करनी हो, तो लड़े बिना छुटकारा नहीं है।

यहाँकी नगर परिषदमें श्री लेन नामक एक सदस्य हैं। उन्होंने कल नगर परिषदमें ट्राम-वे समितिके अध्यक्षसे कुछ सवाल पूछे हैं। उनमें उन्होंने इसका आँकड़ा माँगा है कि नगर-परिषदने ऐसे मुकदमे लड़कर नागरिकोंको कितने खर्चके गड्ढेमें उतारा है और, यह सूचित किया है कि अगर नगर परिषदको अपनी इज्जतका थोड़ा भी खयाल हो, तो अब उसे भारतीयोंको नहीं सताना चाहिए।

अनुमतिपत्रके मामलेमें लॉर्ड सेल्बोर्नका जवाब

ब्रिटिश भारतीय संघके दूसरे पत्रका जवाब लॉर्ड सेल्बोर्नने दिया है। कह सकते हैं कि वह संक्षिप्त और अशिष्ट है। उसमें यह कहा गया है कि अनुमतिपत्रके बारेमें तत्काल वे अधिक कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि स्त्रियोंको भी अनुमतिपत्र लेने होंगे। फिर भी मैं मानता हूँ कि भारतीय कौम ऐसा कानून स्वीकार नहीं करेगी, और लॉर्ड महोदयके ऐसे विचार अमलमें नहीं आ सकेंगे।

विलायतसे आया हुआ आयोग

इस आयोगके सामने भारतीयोंका शिष्टमण्डल मंगलवार २२ तारीखको दिनमें ३–१५ बजे जानेवाला है। उस समय जो होगा उसका विवरण, समय रहा तो इस अंकमें दूँगा।

मंगलवार, २२–५–१९०६

संविधान समितिके पास भारतीय शिष्टमण्डल

आज भारतीय शिष्टमण्डल संविधान समितिसे मिल आया। शिष्टमण्डलमें श्री अब्दुल गनी (अध्यक्ष), श्री हाजी वजीर अली श्री इब्राहीम सालेजी कुवाडिया (जोहानिसबर्ग), श्री इस्माइल पटेल (क्लार्क्सडार्प), श्री इब्राहीम खोटा (हीडेलबर्ग) श्री इब्राहीम असात (स्टैंडर्टन), श्री ई० एम० पटेल (पॉचेफस्ट्रूम) तथा श्री मो० क० गांधी उपस्थित थे। श्री हाजी हबीबने तार दिया था कि अधिक काम होनेके कारण वे आखिरी घड़ी तक नहीं निकल सके।

शिष्टमण्डलकी ओरसे वक्तव्य तैयार किया गया था। वह आयोगके सदस्योंके सामने पेश किया गया। आयोगके अध्यक्षने उसे पढ़नेके बाद कुछ प्रश्न पूछे और कहा कि यदि किसीको और ज्यादा प्रश्न पूछने हों तो वह पूछ सकता है। उस परसे श्री हाजी वजीर अलीने कहा कि भारतीयोंको मताधिकारके बजाय अपने साधारण अधिकारोंकी ज्यादा जरूरत है। उन्हें ट्राममें भी नहीं बैठने दिया जाता और बहुत अपमान होता है।

अध्यक्ष महोदयने जब विशेष स्पष्टीकरणके लिए कहा तो श्री गांधीने ट्रामका इतिहास सुनाया और कहा कि ट्रामसे ज्यादा दुःख देनेवाली बात यह है कि भारतीयोंको जमीन खरीदनेका अधिकार बिलकुल नहीं है। इतना ही नहीं, उन्हें यदि धार्मिक कार्योंके लिए भी जमीनकी आवश्यकता हो, तो वह भी उनके नामपर नहीं चढ़ती। प्रिटोरिया जोहानिसबर्ग हीडेलबर्ग, वगैरह जगहोंपर जमीनें हैं, उन्हें नामपर चढ़ानेकी आपत्ति उठा ही करती है। भारतीयोंको काफिरोंकी बराबरीका मानना चाहते हैं, यह बहुत ही अन्याय है। ट्रान्सवालमें बहुतसे कानून हैं। उनमें कहीं भी 'वतनी' शब्दमें भारतीयोंका समावेश नहीं किया गया है।

फिर आयोगके अध्यक्षने कहा कि ट्रामका इतिहास और दूसरी बातें सब लिखकर सचिवके नाम भेज दीजिए, तब उसपर आयोग ध्यान देगा। इसके बाद शिष्टमण्डल विदा हुआ।

फिर लॉर्ड सैंडहर्स्ट, जो बम्बईके गवर्नर रह थे, बाहर निकले और उन्होंने बम्बई वगैरहके बारेमें समाचार पूछकर कहा कि मुझे बम्बई बहुत पसन्द है। मेरी वहाँ फिर जानेकी इच्छा होती है।

आयोगके समक्ष पेश किया गया वक्तव्य अगले सप्ताह दूँगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६–५–१९०६

३४९ पत्र ‘ट्रान्सवाल लीडर’को[1]

जोहानिसबर्ग
मई २१, १९०६

सेवामें,
सम्पादक
‘ट्रान्सवाल लीडर’
[जोहानिसबर्ग]

महोदय,

ब्रिटिश भारतीय सेवक सुझावपर चलाये गये ट्रामगाड़ी अभियोगके सम्बन्धमें आपने जो अग्रलेख लिखा है, उसके बारेमें मैं यह कहनेकी अनुमति चाहता हूँ कि न्यायाधीशके निर्णयसे ट्रामगाड़ियाँ हर दर्जेके रंगदार लोगोंके लिए उपलब्ध नहीं हो जातीं। उदाहरणके लिए इस कानूनमें वे वतनियोंके लिए उपलब्ध नहीं और इससे वह कानून भी अछूता रहता है जिसके अनुसार कंडक्टर उन मुसाफिरोंको बिठानेसे इनकार कर सकता है जो शराब पिये हों, खराब कपड़े पहने हों अथवा उनका बैठना अन्यथा आपत्तिजनक हो। इसलिए जब आप यह कहते हैं कि आपकी ‘टिप्पणी मामलेके अत्यन्त व्यापक रूपोंको ध्यानमें रखकर लिखी गई है’ तब आप परिषदके पक्षको दुर्बल कर देते हैं। क्योंकि कभी किसीने भी यह नहीं कहा कि ट्राम गाड़ियोंका उपयोग किसी भेदभावके बिना सभीको करनेका अधिकार होना चाहिए।

किन्तु, महोदय नगर परिषदने एक ऐसे तरीकेसे जो सम्माननीय नहीं है भारतीयोंको उनकी जीतके फलसे वंचित कर दिया है। क्योंकि ‘गवर्नमेंट गजट’ के इसी अंकमें एक उपनियम छपा है जिससे ट्रामगाड़ियोंसे सम्बन्धित उपनियम मंसूख हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि अब ट्रामगाड़ियाँ यातायातके नियन्त्रण सम्बन्धी उपनियमोंके बिना ही चलाई जायेंगी, किन्तु उसका अर्थ यह भी है कि अब ब्रिटिश भारतीयोंके लिए सामान्य उपनियमोंके अन्तर्गत नगरपालिकाकी ट्रामगाड़ियोंमें बैठनेके अधिकारका दावा करना सम्भव न होगा। और नगरपालिका, मैं आशा करता हूँ, यहाँ तक उपस्थित करेगी कि इस मंसूखीसे पुरानी सरकारके चेचक सम्बन्धी वे कायदे फिर बहाल हो जाते हैं जो, न्यायाधीशके फैसलेके अनुसार, अब मंसूख किये गये उपनियमोंकी मौजूदगीमें लागू नहीं होते थे। अंग्रेजोंका यह गर्व उचित ही है कि वे अनुचित प्रहार कभी नहीं करते। मुझे अत्यन्त आदरके साथ यह कहना है कि नगर-परिषदने उक्त विधिको अपनाकर उस गर्व-योग्य परम्पराका त्याग कर दिया है। मुझे यही दिखाई देता है और आशा है कि प्रत्येक दूसरे करदाताको भी ऐसा ही दिखाई देगा।

तब नगर परिषदकी कारवाईके बाद फिलहाल, मेरे पेश किये हुए तथ्योंके अलावा भी, आपका यह भय निराधार है कि ट्रामगाड़ियोंका उपयोग ‘हर दर्जेके रंगदार लोग’ करेंगे।

१ यह ‘ट्रामका मामला’ शीर्षकसे छापा गया था।

फिर भी मै आपस पूछता हूँ कि नगर परिषदने अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिए जो साधन ग्रहण किये ह क्या आप उनका समथन करते ह?

आपका, आदि,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीस]

टासवाल लीडर, २१-५-१९०६

३५० साम्राज्य-दिवस

पिछले गुरुवारको साम्राज्य भरमे स्वर्गीया सम्राज्ञीका जन्मदिन मनाया गया। यद्यपि सालपर साल बीतते जाते है फिर भी उस श्रेष्ठ महिलाकी स्मति सदाकी तरह ताजी बनी है। भारत ओर वहाके लोगामे उनकी गहरी दिलचस्पी थी और बदलेमे उन्हे भारतकी कोटि कोटि जनताका सम्पूण हार्दिक स्नेह प्राप्त था। जब १८५८ के राजघोषणापत्रमे इस बातका अवाञ्छनीय उल्लेख किया गया कि सरकारको देशी धर्मो और प्रथाओका प्रभाव कम करनेका अधिकार है, तब उन्होने सारा घोषणापत्र फिरसे लिखवाया। और इस कृत्यके द्वारा उन्होने भारतके धर्मोमे अपनी दिलचस्पी ओर उनके प्रति सहिष्णुताको व्यक्त किया। अपने एक पत्रमे महारानीने लाड डर्बीको[1] लिखा

> **ऐसा आलेख उदारता, नम्रता और धार्मिक सहिष्णुताकी भावनाओसे भरा हुआ होना चाहिए और उसमें उन विशेष अधिकारोका सकेत होना चाहिए जो भारतीयोको ब्रिटिश सम्राटकी प्रजाके साथ समानताके आधारपर प्राप्त होगे और उस सुख-समृद्धिका जिक्र भी होना चाहिए जो सभ्यताके पीछे-पीछे आयेगी।**

ये सिद्धात थे जिनपर साम्राज्यकी नीव रखी गई थी। केवल व्यापार विस्तार और भूमिपर प्रभुत्व प्राप्त करना सच्चे साम्राज्यवादियोका लक्ष्य नही हुआ करता। उनके सामने एक महान ओर उच्च आदश होता है। जान रस्किनके शब्दोमे वह आदश हे "यथासम्भव अधिकसे अधिक सख्यामे पूण प्राणवान तेजस्वी नयन तथा सुखी हृदयवाले मानव-प्राणियोका प्रादुर्भाव करना।' हम इस आदशको अपने दक्षिण आफ्रिकाके जन-नायकोके सामने रखेगे और उनसे अनुरोध करेगे कि वे जातीय विद्वेष ओर रग भेदकी भावनाओको दूर कर दे। महान ब्रिटिश साम्राज्य न तो अत्याचारपूण तरीकोसे अपनी वतमान गौरवपूण स्थितिमे पहुँचा है और न वफादार रिआयाके साथ अनुचित व्यवहारसे उस स्थितिको कायम रखना ही सम्भव हे। ब्रिटिश भारतीय अपने सम्राटके प्रति सदैव गहरी भक्ति रखते रहे ह और उनको अपने प्रजावगमे सम्मिलित करके साम्राज्यने कुछ खोया नही है। ग्रेट ब्रिटेनके लिए भारत सम्पत्तिका एक विशाल भण्डार है, जब कि उसके हजारो निवासी बिना कुछ कहे भुखमरीके कारण मौतके मुहमे समाते जा रहे है। हमारा सुझाव है कि यदि साम्राज्यके मामलोमे महारानी विक्टोरियाकी प्रबुद्ध भावनाका अधिक उपयोग किया जाये, तो हम इतनी महान सामाज्य निर्मात्रीके अधिक योग्य अनुयायी बन जायेगे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २६-५-१९०६

१ एडवर्ड स्टनली डर्बी (१७९९-१८६९) १८५२, १८५८ और १८६६ में इग्लैडके प्रधानमत्री।

३५१ नेटाल गवर्नमेंट रेलवे एक शिकायत

एक सवाददाताने हमे गुजरातीमे पत्र लिखा है, उसका अनुवाद नीचे दिया जाता है

मई १, १९०६ को जो रेलगाडी ६ बजे शामको डबनसे रवाना हुई, उसमें श्री कुंदनलाल शिवलाल महाराज नामके एक भारतीय सज्जनने एस्टकोटसे एनसडेलके लिए दूसरे दर्जेका टिकिट लिया। वे सुरक्षित डिब्बेमें एक जगहपर बठ गये। पर चूकि उस गाडीसे जानेवाले दूसरे दर्जेके गोरे मुसाफिर बहुत थे, स्टेशन मास्टरने श्री कुंदनलालको अपने डिब्बेसे निकलकर तीसरे दर्जेके डिब्बेमे जा बठनेको मजबूर किया।

हमारा सवाददाता आगे लिखता है कि पीडित मुसाफिर द्वारा इस मामलेपर महा प्रबधकका घ्यान आकर्षित किया जा चुका है। हमे आशा है कि इस शिकायतकी जाच पूरे तौरसे की जायेगी। एस्टकोटके स्टेशन मास्टरके कथित व्यवहारका उचित ठहरानेकी काई भी वजह दिखलाई नही पडती।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २६–५–१९०६

३५२ नेटालका भूमि-विधेयक

पिछले सालकी तरह इस साल भी गोराकी आटमे हमारे बच जानेकी सम्भावना है। नेटालके नये विधेयकोमे जमीनपर कर लगानेका विधेयक पेश होनेके बारेम हम पहले खबर दे चुके है। यह विधेयक नेटालकी ससदमे पेश हो चुका है। लेकिन जब समितिमे इसकी छान बीन हुई, तो यह रद कर दिया गया। ससदके एक सदस्य श्री रेथमनने यह प्रस्ताव रखा था कि इस विधेयकसे रेलवेकी सीमासे दूर रहनेवाले लोगोका बहुत नुकसान हागा, इसलिए यह रद किया जाना चाहिए। इस प्रस्तावके पास हो जानेसे नेटाल-सरकारकी हार हुई है। असलमे यह ऐसा मौका है जब पदाधिकारियोको इस्तीफा देना चाहिए। उन्होने यह नही किया और पदोपर कायम है। लेकिन भूमि-करवाला विधेयक अभी कुछ समयके लिए लटका रहेगा। देखना है कि आगे क्या होता है। हालाकि यह उम्मीद की जा सकती है कि उक्त विधेयक इस सत्रमे पास नही होगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २६–५–१९०६

३५३ चीनी-जागृतिकी एक निशानी

चीनके पूर्वमें वीहाइवी नामका एक द्वीप है। चीनकी सरकारने अंग्रेज सरकारको यह द्वीप कुछ शर्तोंपर दिया था। उनमें एक शर्त यह थी कि जबतक पोर्ट आर्थर रूसके अधिकारमें रहेगा तबतक गोरे इस द्वीपपर रह सकेंगे, वगैरह। रूस जापानकी लडाईके कारण अब रूसको पोर्ट आर्थर छोडना पडा है। इसलिए ब्रिटेनसे कहा गया है कि वह उक्त द्वीप छोड दे। ब्रिटेनने उस द्वीपपर जो भारी पूंजी लगाई है, चीन उसे लौटानेसे इनकार करता है। इस मामलेको लेकर चीन, जर्मनी[1] और अंग्रेज सरकारके बीच बडी राजनीतिक खटपट होना सम्भव है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६–५–१९०६

३५४ पीला भय

हम लिख चुके हैं कि कुछ जापानी आस्ट्रेलिया देखने गये हैं। यद्यपि वहां उनके प्रति आदरकी भावना दिखाई जाती है, तो भी ऐसा लगता है कि अन्दर ही अन्दर आस्ट्रेलियाइयोंकी भावना जापानियोंके विरुद्ध है। मेलबोर्नसे भेजे गये एक तारकी खबरसे पता चलता है कि वहां पहुंचे हुए जापानी यात्री दलके अधिकारीने एक लडाकू जहाज देखनेके लिए निवेदन किया था, सो अस्वीकृत कर दिया गया। क्योंकि, आस्ट्रेलियाके भूतपूर्व रक्षा मन्त्रीके कथनानुसार वे जापानियोंपर विश्वास नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि जापानी किसी दिन आस्ट्रेलियापर अधिकार करनेका प्रयत्न कर सकते हैं। वहांके मुख्य समाचारपत्रोंकी खबरोंमें मालूम होता है कि इस प्रकारकी राय बहुतेरे आस्ट्रेलियाइयोंकी है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६–५–१९०६

३५५ अमेरिकाके धनाढ्य

यह एक जानी मानी बात है कि अमेरिकामें धनाढ्य लोग बडी संख्यामें हैं। आम तौरपर यह देखा जाता है कि धन कमानेमें यूरोपके लोग सबसे आगे हैं। यूरोपवाले नई नई खोजों और कलाओंकी मददसे समूची दुनियाके बाजारको अपने पंजेमें से छूटने नहीं देते। फिर भी यह कहना गलत न होगा कि धन कमानेकी दौडमें यूरोपके लोग अमरीकियोंमें बहुत पीछे हैं। इसके कुछ कारण भी हैं। यूरोपवालोंकी तुलनामें अमेरिकावाले धनके जालमें अधिक उलझे हुए हैं, और देखा यह गया है कि जब एक बार धन बडे पैमानेपर इकट्ठा हो जाता है, तब वह बढता ही जाता है। दीर्घ दृष्टिसे सोचें, तो यह बात समझमें भी आ सकती है। अब इन अमेरिकियोंमें से कुछ इतने अधिक धनाढ्य हो गये हैं कि अमेरिकी सरकारको कानून द्वारा सम्पत्तिकी सीमा निश्चित करना अनुचित नहीं मालूम होता। अमेरिकाके राष्ट्रपति रूजवेल्टके

१ जर्मनीने १८९७ में क्याउचाउपर कब्जा किया। उसके बाद वह औपनिवेशिक सत्ताके रूपमें चीनके तटवर्ती द्वीपोंमें दिलचस्पी लेने लगा।

एक भाषणमे इसका पता चलता है। उन्होने कहा है कि एक आदमीके पास दस लाख या बीस लाख पौंड हो तो उसे हम अनुचित नही मानते, लेकिन आज तो यह बात इस हद तक पहुच गई है कि अमेरिकामे बहुत से ऐसे है जिनके पास अरबोकी सम्पत्ति है। उन्होने कहा है कि ऐसे अरबपति कभी सरकारपर भी बहुत प्रभाव डाल सकते है। वे चाहे तो देशके सवि धानको जैसे न्यायालयोको, नगरपालिका अथवा ससदके चुनाव वगैराको अपने पैसेके जोरसे अपनी इच्छाके मुताबिक प्रभावित कर सकते है। यह स्थिति खतरनाक जान पडती है, इसलिए यह सोचा गया है कि कानूनके द्वारा धनकी सीमा निश्चित की जानी चाहिए। एक आदमी दस लाख पौडसे अधिक न रख सकेगा। अगर किसीके पास इससे अधिक हो, तो वह अपनी इच्छा नुसार उसे अपने सगे-सम्बन्धियो आदिमे अमुक प्रकारसे हिस्से करके बाट दे। राष्ट्रपति रूजवेल्टके इन विचारोके कारण अमरिकाके अरबपतियोमे एक खलबली मच गई है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६–५–१९०६

३५६ चीनकी स्थितिमें परिवर्तन

यह तो निर्विवाद है कि सुधार दिनपर-दिन आगे बढता जा रहा है। यूरोपके सुधारोने भारतपर कितना प्रभाव डाला है, इससे कम ही लोग अपरिचित होगे। जापानने जो सारी दुनियाको आकर्षित करनेवाली उन्नति की है उससे इस सुधारकी गतिको बढावा मिला है। जिधर देखिए उधर जापानकी चर्चा सुनी जाती है। ऐसी स्थितिमे जापानके पडोसी चीनपर इन सुधारोका प्रभाव पडना स्वाभाविक ही है।

चीनमे जगह जगह सुधारके अकुर फूटने लगे है। एक ओर चीनमे रहनेवाले जापानियोके कारण चीनियोका ध्यान शिक्षाकी तरफ गया है। दूसरी ओर सकडो चीनी नौजवान विद्या और कला सीखनेके लिए परदेश जाने लगे है। जापानमे रहनेवाले कुछ चीनी विद्यार्थी हर प्रकारकी शिक्षा प्राप्त करनेके लिए, कुछ कला कौशल सीखनेके लिए, अमेरिका तक भी पहुँचे है। ये विद्यार्थी वहासे केवल कला कौशल ही सीखकर आते है सो बात नही। जानने लायक बात तो यह है कि वे कला कौशलके साथ अमेरिका, जापान और यूरोपके सुधरे हुए विचार भी अपने साथ लाते है। साथ ही, इन देशोमे उत्पन्न स्वतन्त्रताके जोशने भी उनके खौलते हुए खूनपर पूरा प्रभाव डाला है। इसके परिणामस्वरूप ये विद्यार्थी चीनकी उन्नतिके लिए महान प्रयत्न करने लगे है।

वे जगह जगह सभाएँ और भाषण करके लोगोके दिलोपर अपने विचारोकी छाप डाल रहे है। नये नये पत्र निकाल कर चारो तरफ उपदेशकोको भी भेजते है और इस तरह अनेक प्रकारसे लोगोके मनपर सस्कार डालते है, तथा स्वतन्त्रताके और सुधरे हुए विचारोके बीज बोते है। इसके सिवा ऐसा नही लगता कि वे राजनीतिक परिवर्तनोकी आशा नही करते। वे विदे-शियोको अपने देशसे दूर हटानेका आन्दोलन चलाने लगे है। इससे गोरे सोचमे पड गये है। कही कही अमेरिकी मालका बहिष्कार कुछ कुछ सफलताके साथ चल रहा है, यह भी इस नई हवाका ही नतीजा है। इस नई जागृतिमे कुछ जापानी भी आगे बढकर हाथ बँटाते है।

स्वाभाविक है कि उन्नतिकी ये किरणे हर सुधारकी प्रगति चाहनेवालेको रुचे। फिर भी कुछ यूरोपीय ऐसा कहते है कि यह जोश हदसे ज्यादा है और गलत रास्ते ले जा सकता

है। अतएव इसपर अकुश लगना चाहिए। इस दृष्टिसे एक-आध लेखकने यह सुझाव दिया है कि चीनी सरकारसे कहकर कुछ समाचारपत्रोंपर, जो अवाछनीय विचार फैलाकर गलत और हानिकारक उत्तेजना फैलाते है अकुश लगवाये जाने चाहिए, और सम्भव हो, तो उन्हे बन्द भी करना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६–५–१९०६

३५७ भारतमे युवराजकी यात्रा

माननीय युवराज, युवराज्ञी और उनका दल भारतकी अपनी यात्रा पूरी करके विलायत पहुँच गये है। लन्दनमे उनके स्वागतके लिए एक बडा समारोह किया गया था। उस अवसरपर माननीय युवराजने जो भाषण किया था, वह ध्यान देने योग्य है। उन्होने भारतके लोगोका आभार माना और उनकी वफादारीकी प्रशसा की। अन्तमे उन्होने कहा

> **मै मानता हूँ कि यदि भारतवर्षका राज्य चलानेमे हम प्रजासे सहानुभूति बरते, तो हमारे लिए राज्य चलाना आसान होगा, और ऐसी भावना रखनेपर मुझे विश्वास है कि हमें उसका बदला भी खूब मिलेगा। भारत जानेवाला हर अंग्रेज भारत और इंग्लैडके बीच अधिक मेल पैदा करनेमे मदद कर सकता है और प्रेम तथा भाईचारेको बढ़ा सकता है।**

इस भाषणका सही रहस्य समझनेकी जरूरत है। इस भाषणसे प्रकट होता है कि युवराज कोमल हृदय है। उनके मनमें भारतीयोके प्रति सहानुभूति है। उन्होने हमारी मुसीबतोको समझ लिया है। और चूंकि राज-काजके मामलेमे वे खुद ज्यादा दखल नहीं दे सकते, इसलिए अपनी ओरसे उपयुक्त इशारा करके उन्होने भारतके शासकोको समझाया है कि उन्हे सख्तीसे काम लेते समय सोचना चाहिए। युवराजके इस भाषणका[1] समर्थन भारतमत्री श्री जान मार्लेने किया था, इसलिए यह आशा की जा सकती है कि थोडे समयमे हमे भारतमें कुछ-न-कुछ राहत मिलेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६–५–१९०६

३५८ बसूटोलैंडमे भारतीयोका बहिष्कार

ब्लूमफॉंटीनमे 'फ्रेंड डेली मेल' का सवाददाता सूचित करता है कि बसूटोलैंडमे भारतीयोको व्यापारके परवाने नही दिये जायेगे। एक बार सरकारने कोई बारह परवाने देनेका विचार किया था, पर अब वह विचार छोड दिया गया है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६–५–१९०६

१ युवराज (प्रिंस ऑफ वेल्स) के सम्मानमें लन्दनके गिल्ड हॉलमें १७ मई १९०६ को एक भोज दिया गया था। युवराजके बाद श्री मॉर्ले भी बोले थे। उन्होने युवराजके कथनका "कि यदि भारतवर्षका राज्य चलानेमें हम प्रजासे सहानुभूति बरतें ..." वगैरहका समर्थन किया था। देखिए **इंडिया** २५–५–१९०६।

३५९ चीनी मजदूर

हम लिख चुके है कि बाअर निसानाके प्रति चीनी मजदूराके दुष्ट व्यवहारके बारेमें जनरल बाथाने टान्सवाल सरकारको पत्र लिखा था। उसक जवाबमे मर रिचड साॅलामनन लिखा है कि म आपक पत्रके लिए आभारी हूँ। मुझे चीनियाके निदयतापूण व्यवहारके लिए खेद है। म खानाके अधिकारियाको सुझाऊँगा कि व ऐसी व्यवस्था करे, जिसम चीनियाको विस्फाटक पदाथ न मिल सके। चीनियोके व्यवहारको सुधारनेके लिए जितना भी सम्भव होगा प्रयत्न किया जायेगा। मेरी यह आन्तरिक धारणा है कि जहा चीनी काम करत है, वहा उन्हे अकुशमे रखनेकी मैने जो सिफारिश की है, उसपर अमल होने ही ऐसे अत्याचार बन्द हो जायेगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २६–५–१९०६

३६० दूकान-बन्दीका कानून

श्री रेथमनने नेटालकी विधानसभामे यह माग की थी कि गाववालाको दूकाने बन्द करनेके कानूनमे हेरफेर करके आधी छुट्टीका दिन स्वय निश्चय करनेका अधिकार दे दिया जाये। इसके उत्तरम नेटालकी सरकारने कहा है कि एक साल तक यह कानून जैसा है वसा ही रहने दिया जायेगा। इससे जान पडता है कि अन्ततोगत्वा इस कानूनमे कुछ न-कुछ परिवतन अवश्य किया जायेगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन २६–५–१९०६

३६१ नेटालका चेचक-अधिनियम

ऊपरके इस अधिनियमकी धाराएँ हम पहले दे चुके है। इस कानूनकी कठोरताके बारेमें गोरोने जो आपत्ति की है, उसके सम्बन्धमे भी हमने अपने पत्रमे इशारा किया था। यह मामला बहुत-कुछ आगे बढा है और इसपर चर्चा चल रही है।

विरोधी पक्षवाले कहते है कि यह बात निश्चित रूपसे नही कही जा सकती कि चेचकका टीका लगानेसे आदमी चेचकका शिकार होता ही नही। यही नही, बल्कि चेचकके टीकेसे बहुत बार नुकसान भी हुआ है। ऐसे उदाहरण दिये गये है, जिनमें चेचकके टीकेकी लसीके कारण छोटी उम्रके बालकोमे गर्मीकी बीमारी हुई है। साथ ही एक ऐसा विचित्र उदाहरण भी दिया गया था कि जिसमे टीका लगानेके बाद एक बालकका कद कई सालो तक बिलकुल नही

१ देखिए "चीनियोको वापस भजनेका सवाल", पृष्ठ ३३२।

बढा। इस प्रकारके कइ उदाहरण दकर कानूनका विराध करनेवाले कहते ह कि टीका लगानेसे किसी प्रकारका लाभ हाता हे इसे व मान नही सकते। इसलिए कानूनकी धारामे एक स्व विवेककी धारा (काशन्स क्लॉज) रखनी चाहिए। अथात अगर लाग मजिस्ट्रेटके सामने जाकर अन्त करणसे स्वीकार कर कि वे चेचकके टीकेका लाभप्रद नही मानते, तो ऐसे लोगापर चेचकका कानून लागू नही हो सकेगा। यह धारा इग्लडके कानूनमे भी है। गोरे यहा भी कुछ सभाएँ करके उक्त धारा शामिल करनेके बारेमे जोरास चर्चा कर रहे ह। बहुत सम्भव है कि इस हलचलके परिणामस्वरूप उक्त धारा कानूनमे शामिल कर ली जाये।

भारतीयाकी दष्टिसे दखे, और चेचकका टीका लगानेसे नुकमान होना है या फायदा, इस सवालको छोड भी दे, तो भी यह मच ही है कि प्रस्तावित धारा न रही तो कुछ भारतीयाको कुछ न कुछ अत्याचार महन करने ही हाग।

[गुजरातीमे]

इडियन आपिनियन २६–५–१९०६

३६२ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

मई २६, १९०६

अनुमतिपत्रके विषयमे लॉर्ड सेल्बोर्नका जवाब

लाड सल्बानका ब्रिटिश भारतीय सघने फिरसे लिखा था। उन्होने जवाब भेजा हे कि उसका वे तत्काल इससे ज्यादा जवाब नही दे सकते। इसका अथ यह है कि औरतोको अनुमतिपत्र लेना पडेगा और बच्चे केवल १२ वर्षसे कम उम्रके ही आ सकेगे।

इलाज

यह जवाब बहुत खेदजनक हे। फिर भी स्त्रियाको अलगसे अनुमतिपत्र निकलवाना आवश्यक नही हे और लडकाके बारेमे मवप जारी रहना चाहिए।

ब्रिटिश भारतीय सघकी माँग

सघने पजीयक श्री चमनेको पत्र लिखा है कि आखिर १२ वषकी उम्रके भीतरके जो लडके फिलहाल अलग अलग बन्दरगाहोमे आनेका रास्ता देखते हुए बैठे है, उन्हे तो अवश्य अनुमति मिलनी चाहिए। सघने सूचित किया है कि ऐसे लडके १०० से अधिक नही होगे।

अनुमतिपत्रके विषयमे महत्वपूर्ण मुकदमा

एक ओर इस प्रकार दबाया जा रहा है और दूसरी तरफसे कानून मदद करता है। आदम इब्राहीम नामका एक १२ वषसे कम उम्रका लडका है। उसका पिता जोहानिसबगमे है। वह लडका परिचयपत्र (लेटर ऑफ नोटिफिकेशन) लेकर आया है। उसे अभीतक अनुमतिपत्र नही मिला। वह प्रिटारिया नही गया। इस बीच उसके ऊपर कल श्री क्रासके सामने ३ पौडका पजीयनपत्र न लेनेका मुकदमा चलाया गया। उसमे उसके वकील श्री गाधीने यह आपत्ति की कि लडकाके लिए ३ पौडका पजीयनपत्र लेना आवश्यक नही है। और चाहे जो हो, तो भी जो व्यक्ति स्वय व्यापार नही करता, उसे पजीयनपत्र चाहिए ही नही। न्यायाधीशने इस आपत्तिको मजूर करके मुकदमा खारिज कर दिया है।

मुकदमका परिणाम

इस मुकदमपर अगर अपील न हा ता यह निश्चित है कि जा लडक फिलहाल ट्रास वालमें ह उनक पास यदि अनुमतिपत्र या पजीयनपत्र न हा, ता भी उनक रहनेम काइ आपत्ति नही हागी। वास्तवमें इस मुकदमके द्वारा अनुमतिपत्रका अन्तिम फसला नहा हाता। किन्तु इसका ऐसा अथ निकल सकता है। यह सम्भव है कि लडकाक अनुमतिपत्रका मुकदमा कभी न कभी लडना पड।

ट्रामका मुकदमा

इसके बारेमें अब भी चचा हाती रहती है। श्री लेनने परिषदम सवाल पूछा है। अभी परिषदन उसका जवाब नही दिया है। श्री गाधाने उसके विषयमे लीडर का जा पत्र लिखा है उसका भावाथ नीचेक अनुसार है

आप लिखत ह कि मजिस्ट्रेटने जा फसला दिया ह वह असन्ताषजनक है। क्याकि उसक कारण अब चाहे जसा (गन्दा) आदमी हा बैठ सकेगा। वतनी भी बैठ सकेगा। किन्तु अदालतका फैसला ऐसा नही है। वतनीका ट्रामम बठनेका कानूनन अधिकार नहीं है ऐसा न्यायालयने जाहिर किया ह। और ट्रामक नियमके मुताबिक गन्दे कपडेवाला अथवा शराब पिये हुए लागाका बैठनेकी मनाही है। इसलिए न्यायालयके फसलेक आधारपर केवल साफ रहनेवाल भारतीय अथवा गर वतनी काले ही बठ सकेंगे।

किन्तु इस जीतका भी परिषदने अनुचित रूपसे छीन लिया है। शुक्रवारका न्यायाधीशने फैसला दिया और शनिवारका गवनमेंट गजट म खबर मिली कि नगर परिषदने ट्रामके नियम वापस ले लिये ह। इसका यह अथ हुआ कि अब इस उपनियमके आधारपर भारतीय मुकदमा नही चला सकेंगे और शायद परिषद ऐसा भी विचार करती हा कि अब १८९७ का चचकका कानून भारतीयापर लागू हो जायेगा।

हमेशा माना गया है कि अंग्रेजी प्रजा किसीकी पीठमें छुरा नही मारती। किन्तु जैसा मुझे लगता है और ऐसा ही दूसरे करदाताआका भी लगना चाहिए नगर परिषदने भारतीय कोमकी पीठमें छुरा मारा है। आप फैसलेके नतीजेपर खेद प्रकट करते ह। किन्तु मैंने जा उदाहरण दिये हैं उनके सम्बन्धमें भी फिलहाल ता खेद करने योग्य कुछ नही बचा। किन्तु परिषदने जिस अनीतिपूर्ण तरीके स आजकी स्थिति पैदा की है उसे क्या आप पसन्द करत हैं?

अब ट्रामके मामलेकी तीसरी अवस्था शुरू हुई है।

रेलगाड़ियोंकी तकलीफ

यह तकलीफ ता हमें हमेशा ही रही है। म लिख चुका ह कि महाप्रबन्धकने प्रिटोरियासे जोहानिसबग जानेवाली शामकी ५–५ की गाडीमें काले आदमी न जाये, ऐसा लिखा था। इसके जवाबमें सघने लिखा और महाप्रबन्धकने उत्तर दिया कि गाडीमें काले आदमियाके लिए छूट रखी जायेगी। इसी तरह जोहानिसबगसे जानेवाली शामकी ४–४० की गाडीके लिए भी छूट मागी है। यदि इसके बारेमें भी ऐसा ही जवाब आया, ता भी प्रिटोरिया जोहानिसबगके बीचकी सुबहकी गाडीमें तो फिलहाल मुमानियत रहेगी ही।

१ देखिए 'पत्र ट्रान्सवाल लीडरको' पृष्ठ ३३५–६।

विलायत जानेवाला शिष्टमण्डल

सर विलियम वेडरबन तथा हमारे दूसरे हितचिंतकाको पत्र लिखे गये थे कि हम शिष्ट-मण्डल विलायत भेजे या नही। उसके जवाबमे उन लोगोने तार भेजा है कि जबतक उनका पत्र न आये, रुके। उनके पत्रकी १५ जून तक आ जानेकी सम्भावना है।

भारतीयका खून

आजके अखबारमे यह खबर है कि हैदर नामके एक एशियाईको क्लीवलैंड स्टेशनके पास गत रातको मार डाला गया। जान पडता है मत व्यक्तिको किसीने छुरा मारा है। खूनी कौन है, अथवा खून किस कारण हुआ, यह मालूम नही पडा। अखबारमे यह भी बताया गया है कि हैदर कगाली हालतमे था। वह काम ढूढ रहा था।

वतनियोंके लिए नई बस्ती

वतनियोको जल्दी-जल्दी क्लिपस्प्रूटमे ले जानेकी हलचल हो रही है। नगरपालिकाने नियम भी बनाये है। किन्तु अफवाह यह है कि यद्यपि कुछ वतनियोने वहा जमीन ली है, तो भी वे अपनी बस्तीमे जानेके बदले अभी नगरमे अपने मालिकाके यहा रहते ह।

नगरपालिकाके नये नियम

[illegible] नगरपालिका विधान सभाके चालू सत्रमे नय। कानून पास कराना चाहती है। उसमे उसने एशियाई 'बाजार' पर भी अधिकारकी माग की हे।

[गुजरातीमे]

इडियन ओपिनियन, २–६–१९०६

३६३ पत्र लक्ष्मीदास गाधीको[1]

जोहानिसबग
मई २७, १९०६

आदरणीय भाई साहब,

आपका १७ अप्रैलका पत्र मिला। क्या लिखू, कुछ समझमे नही आता। आपकी मेरे खिलाफ धारणा बन गई है। बनी हुई धारणाका तो काई इलाज नही। म लाचार हूँ। मै आपके पत्रका पूरा जवाब ही दे सकता हूँ।

१ आपसे जुदा होनेका मेरा कोई खयाल नही है।
२ वहाकी चीजोपर मै कोई हक नही जताता।
३ कुछ भी मेरा है, यह मेरा दावा नही है।
४ मेरे पास जो-कुछ भी है, वह सब लोक सेवामे लगाया जा रहा है।
५ वह उन रिश्तेदारोको सुलभ है, जो लोक सेवा करते है।

१ यह पत्र मूलत गुजरातीमें था। इसका अनुवाद श्री वालजी गोविन्दजी देसाईने और उनके कथनानुसार सशोधन स्वय गाधीजीने किया था। मूल गुजराती प्रति उपलब्ध न होनेसे यह अनुवाद अग्रेजीसे किया गया है।

६ अगर मन अपना मब कुछ लोकोपयोगके लिए मर्मापित न कर दिया होता तो मै आपकी धनेच्छा पूरी कर मकता था।

मैंने तो यह कभी नही कहा कि मने भाइयो या दूसरे रिश्तेदारोके लिए बहुत-कुछ किया है। मै जो-कुछ बचा सका वह सब मने उनको दे दिया। और यह बात घमण्डमे नही कही और सिफ मित्रोसे कही है।

भरोसा रखिये, अगर आप मेरे पहले गुजर गये तो मै कुटुम्बके भरण पोषणका भार खुशी-खुशी उठा लूगा। इस बारेमे आपको डरनेकी जरूरत नही है।

इस समय मेरी हालत आपकी इच्छाके अनुमार आपको रुपये भेजने लायक नही है।

हरिलालकी शादी हो, तो ठीक है, न हो तो भी ठीक है। कममे-कम फिलहाल तो मने पुत्रके तौरपर उसके बारेमे सोचना छोड दिया है।

अगर जरा भी सभव हो तो मै मणिके विवाहके लिए भारत आनेको तयार हूँ। परन्तु अपनी वतमान हालतकी कोई कल्पना आपको नही दे सकता। समयकी इतनी तगी है कि समझमे नही आता, क्या करूँ। कृपाकर विवाहकी तिथि तारमे सूचित कीजिए, जिससे मै निकलनेके लिए तैयार रहूँ।

शायद आपको यह बता देना उचित होगा कि मै रेवाशकर भाईका ऋणी हूँ।

आप मुझे भले ही छोड दे, फिर भी मै तो वही रहूँगा जो हमेशा रहा हू।

मुझे याद नही आता कि जब मै वहा था तब मने आपसे जुदा होनेकी इच्छा जाहिर की थी। मगर की भी हो तो अब मेरा मन बिल्कुल साफ है — मेरी आकाक्षाएँ अब ज्यादा ऊँची है और मुझे किसी किस्मके दुनियाई सुख भोगकी इच्छा बिल्कुल नही है।

मै अपनी वतमान प्रवत्तियोको जिन्दगीके लिए जरूरी समझता हूँ, इसीलिए उनमे लगा हू। अगर ऐसा करते-करते मुझे मौतका सामना करना पडे तो मै शान्त चित्तसे करूगा। भय अब मुझे है ही नही।

मुझे शुद्ध हृदयके लोग प्रिय है। जगमोहनदासके लडके छोटे कल्याणदासकी आत्मा प्रह्लादके जैसी है। इसलिए वह मुझे ऐसे पुत्रसे ज्यादा प्यारा है, जो सिफ इसलिए पुत्र है कि वह पुत्र रूपमे जन्मा है।

[अग्रेजीसे]

मो० क० गाधी "सिलेक्टेड लेटस (१), नवजीवन, १९४९" से।

३६४ वक्तव्य[1] सविधान समितिको

[जोहानिसबग
मई २९, १९०६]

गोरोका प्रभुत्व

(१) ब्रिटिश भारतीय सघने गोरोके प्रभुत्वके सिद्धान्तको सदा स्वीकार किया है और इसलिए वह जिस समाजका प्रतिनिधित्व करता है, उसकी ओरसे किन्ही राजनीतिक अधिकारोकी प्राप्तिके लिए जोर देनेकी उसकी इच्छा नही है। तथापि पिछला अनभव बताता है कि

१ परिशिष्ट और यह वक्तव्य सविधान समितिके समक्ष प्रस्तुत किया गया था, देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी" पृष्ठ ३३२–४।

प्रतिनिधियोंको चुननेमें जिन समाजोंका कोई हाथ नहीं है स्वशासनका उपभोग करनेवाले उपनिवेशमें उनकी अत्यधिक उपेक्षा की गई है।

बोअरोंके भारतीय विरोधी विधानका इतिहास

(२) इस समय ट्रान्सवालमें ब्रिटिश भारतीयोंकी अनुमानिक जनसंख्या १२००० से अधिक है। युद्धके पहले बालिग भारतीयोंकी जनसंख्या १५,००० थी।

(३) प्रथम भारतीय निवासी ट्रान्सवालमें नौवें दशकके प्रारम्भमें आये।

(४) तब उनपर किसी प्रकारका प्रतिबन्ध नहीं था।

(५) किन्तु कारोबारमें उनकी सफलताने गोरे व्यापारियोंमें ईर्ष्या उत्पन्न कर दी और जल्दी ही व्यापार संघने जिसमें ब्रिटिश तत्वोंकी प्रमुखता थी भारतीय विरोधी आन्दोलन शुरू कर दिया।

(६) फलस्वरूप स्वर्गीय राष्ट्रपति क्रूगरकी सरकारने स्वर्गीया महारानीकी सरकारसे ब्रिटिश भारतीयोंकी स्वतन्त्रतापर प्रतिबन्धक विधान लागू करनेकी अनुमति मांगी। उन्होंने लंदन समझौतेमें प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द 'वतनियों' की व्याख्यामें एशियाइयोंको सम्मिलित करनेका प्रस्ताव किया।

(७) महारानीके सलाहकारोंने इस दावेको अस्वीकृत कर दिया किन्तु व्यापारी वर्गके भारतीयोंको पूर्णतया स्वतन्त्र छोड़कर स्वच्छताके आधारपर शेष एशियाइयोंके निवासको 'बाजार' और बस्तियोंमें सीमित करनेका विधान बनानेके बारेमें वे असम्मत नहीं थे।

(८) इस पत्र-व्यवहारके परिणामस्वरूप १८८५ का कानून ३, १८८६ के संशोधनके साथ पास किया गया।

(९) जैसे ही यह प्रकट हुआ ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे इसका कड़ा विरोध किया गया।

(१०) उस समय यह बात समझमें आई कि स्वर्गीया महारानीकी सरकारकी धारणाओंके विपरीत सभी ब्रिटिश भारतीयोंपर इस कानूनको लादनेका प्रयत्न किया जा रहा है।

(११) तब स्वर्गीया महारानीकी सरकारकी ओरसे भूतपूर्व बोअर सरकारके नाम कठोर प्रतिवेदनोंका क्रम चला और उसकी परिणति मामलेको ऑरेंज रिवर उपनिवेशके तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशके पंच फैसलेपर छोड़नेमें हुई।[1]

(१२) इसलिए १८८५ से १८९५ के बीच वह लगभग एक मृत पत्र रहा यद्यपि बोअर सरकार सदा १८८५ के कानून ३ को लागू करनेकी धमकी देती रही।

(१३) पंच फैसलेने कानूनकी स्थितिको निश्चित नहीं किया, बल्कि उसमें १८८५ के कानून ३ की व्याख्याका प्रश्न भूतपूर्व गणतन्त्रकी अदालतोंपर छोड़ दिया।[2]

(१४) ब्रिटिश भारतीयोंने फिर ब्रिटिश सरकारसे संरक्षणकी प्रार्थना की।

(१५) यद्यपि श्री चेम्बरलेनने पंच फैसलेमें दखल देनेसे इनकार कर दिया, तथापि उन्होंने स्वर्गीया महारानीकी ब्रिटिश प्रजाके पक्षको नहीं छोड़ा। ४ सितम्बर १८९५ के अपने खरीतेमें उन्होंने कहा

> **अन्तमें मैं कहूँगा कि यद्यपि मैं सच्चे दिलसे पंच फैसलेको मानने और उसके द्वारा दो सरकारोंके बीचके कानूनी और अन्तर्राष्ट्रीय विवादके एक प्रश्नको हल होने देनेका इच्छुक हूँ, तथापि मैं भविष्यमें व्यापारियोंके बारेमें दक्षिण आफ्रिकी गणतन्त्रके सामने**

१ १८८८ में, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३८२।

२ देखिए यही शीर्षक।

मत्रीपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और सरकारको यह विचार करनेका निमत्रण देनेकी अपनी स्वतत्रता सुरक्षित रखता हूं कि क्या एक बार कानूनी स्थिति मा य हो जानेपर परिस्थितिपर नये दृष्टिकोणसे विचार करना और उसके अपने नागरिकोके हितमे भारतीयोके साथ अधिक उदारता बरतना तथा उ हे उस व्यापारिक ईर्ष्याभावके अनुमोदनके आभाससे भी मुक्त करना अच्छा न होगा जिसे म कुछ कारणोसे गणतत्रमें सत्तारूढ वगसे उदभ्त नहीं समझता।

यह बात १८९५ की है।

(१६) इस प्रकार ऐसे प्रतिवेदनोके कारण, जो युद्धके समय किये जाते रहे, उक्त कानून कभी पुरअसर तरीकेपर लागू नही किया गया और भारतीय उसमे निर्धारित प्रतिबधके बावजूद जहा चाहे वहा रहते और व्यापार करते रहे।

(१७) किन्तु १८९९ मे जब उसके लागू किये जानेका समय सिरपर आ गया था युद्धके पहले ब्लूमफॉटीन परिषदमे अ य बातोके साथ यह भी चर्चाका एक विषय था। लाड मिलनरने इसे इतना महत्त्वपूण माना कि जब युटलैंड निवासियोके मताधिकारके प्रश्नपर किसी समझौतेकी सम्भावना दिखाई दी, तब लाड मिलनरने तार किया कि रगदार ब्रिटिश प्रजाकी स्थितिका प्रश्न अभीतक जैसाका तैसा बना है।

(१८) लाड लैसडाउनने इस युद्धका सहायक कारण घोषित किया।

(१९) युद्ध समाप्त होनेपर और फ्रेनिखन (वरीनिगिग) की सधिके समय बडी सरकारने बोअर प्रतिनिधियोको सूचित किया कि दोनो उपनिवेशोमे रगदार लोगोकी स्थिति वही होनी चाहिए जसी केपमे है।

वर्तमान स्थिति

(२०) किन्तु आज स्थिति युद्धके पहलेसे अधिक खराब है।

(२१) जिस प्रगतिशील दलसे भारतीय कमसे-कम सहराजभक्त और युद्धके पहलेके सहदु खी होनेके नाते समचित न्यायकी अपेक्षा कर सकते है, उसने इस बातको अपने कायक्रमके अगके रूपमे घोषित किया है कि ब्रिटिश भारतीयोकी स्वतन्त्रतापर निश्चित रूपसे प्रतिब ध लगाये जाने चाहिए। यदि उसकी इच्छाएँ कायरूपमे परिणत हुइ तब तो, आजकी परिस्थिति बदसे बदतर हो जायेगी।

(२२) डच दलसे अब किसी भी प्रकारके औचित्यकी अपेक्षा रखना असम्भव है।

(२३) इस हालतमे उत्तरदायी सरकारके अतगत बिना विशिष्ट सरक्षणके भारतीयो और उन्ही जैसी स्थितिके अन्य लोगोके लिए न्यायकी गजाइश बहुत कम है।

उपाय

(२४) इसलिए जान पडता है कि ब्रिटिश भारतीयोके हितोके सरक्षणके लिए उन्हे मताधिकार प्रदान करना सर्वाधिक स्वाभाविक उपाय है।

(२५) यह बात जोर देकर कही गई है कि फ्रेनिखनकी सधि एसी किसी व्यवस्थाके विधानका निषेध करती है।

(२६) किन्तु सादर निवेदन है कि "वतनी" शब्दका अर्थ चाहे जो अथ हो उसमे ब्रिटिश भारतीयोका समावेश कदापि नही किया जा सकता।

(२७) उपनिवेशकी विधान संहिता इस कानूनामें भरी पड़ी है जो "वतनियों" पर लागू होते हैं, किन्तु जो एशियाइयों या ब्रिटिश भारतीयोंपर निश्चय ही लागू नहीं होते।

(२८) यह तथ्य कि १८८५ का कानून ३ खास तौरपर एशियाइयोंके लिए है और वह "वतनियों" पर लागू नहीं होता यह भी प्रकट करता है कि ट्रान्सवालके कानूनोंने प्रायः "वतनियों" और "एशियाइयों" में सदा अंतर किया है।

(२९) वस्तुतः 'वतनी' शब्दके मान्य अर्थके कारण ट्रान्सवालमें वतनियोंको जमीन-जायदाद रखनेका हक है, एशियाइयोंका नहीं।

(३०) इस प्रकार जहाँतक फ्रेनिखन सधिका सम्बन्ध है, भारतीयोंका मताधिकारसे वंचित रखनेका कोई औचित्य नहीं दिखाई देता।

(३१) किन्तु ब्रिटिश भारतीय संघकी समिति अच्छी तरह जानती है कि गोरी कौम लगभग सर्वसम्मतिसे ब्रिटिश भारतीयोंके लिए संविधानमें मताधिकारकी व्यवस्था रखे जानेके खिलाफ है।

(३२) इसलिए यदि ऐसा करना असम्भव माना जाये तो यह नितांत आवश्यक है कि समस्त वर्ग विधानके निषेधाधिकारमें सम्बन्धित परम्परागत संरक्षणकी धाराके अतिरिक्त एक विशेष धारा भी होनी चाहिए जो एक जीती जागती वास्तविकता हो और जो यदा कदा ही काममें लाई जानेके बजाय ब्रिटिश भारतीय अधिवासियोंको उनके जमीन जायदाद रखने तथा आने-जाने और व्यापार करनेके अधिकारों सम्बन्धी पूरी-पूरी सुरक्षाका आश्वासन दे। अलबत्ता उसमें सर्वसामान्य रूपके ऐसे बचावोंकी व्यवस्था हो जिनकी जरूरत समझी जाये, और वे बचाव जाति तथा रंगके भेदके बिना सबपर लागू किये जाये।

(३३) तब और केवल तभी, अंग्रेजी राज्यमें साधारण रूपसे निहित प्रत्येक ब्रिटिश प्रजाको प्राप्य नागरिक अधिकारके सिवा, सम्राट्के सलाहकार ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति सम्बन्धी उन्हें विशिष्ट रूपमें दिये गये वचनोंकी रक्षा कर सकेंगे।

(३४) ऊपर जो कुछ कहा गया है उसमें से बहुत-सा ऑरेंज रिवर उपनिवेशके ब्रिटिश भारतीयोंपर लागू है।

(३५) सिवा घरेलू नौकर होनेके वहाँ भारतीयोंको कोई अधिकार नहीं है। उनकी लगभग सारी ही नागरिक स्वतन्त्रता एक विशद एशियाई विरोधी कानूनने छीन रखी है।

(हस्ताक्षर) अब्दुल गनी
अध्यक्ष ब्रि० भा० सं०
ई० एस० कुवाडिया
एच० ओ० अली
इब्राहीम एच० खोटा
ई० एम० पटेल
ई० एम० जोसप
जे० ए० पटेल
मो० क० गांधी

परिशिष्ट 'क'

वक्तव्यमें आये हुए तथ्योंके प्रमाणोंके लिए शिष्टमण्डल संविधान समितिसे निम्न सन्दर्भोंको देखनेकी प्रार्थना करता है —

(१) ट्रान्सवाल हरी किताब (ट्रान्सवाल ग्रीन बुक) सं० १ १८९४।
(२) ट्रान्सवाल हरी किताब, सं० २, १८९४।
(३) 'ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी शिकायतोंपर सरकारी रिपोर्ट' (नीली बुक), १८९९में प्रकाशित।
(४) सरकारी रिपोर्ट (ब्लू बुक), जिसमें ट्रान्सवालके भारतीयोंसे सम्बन्धित पत्र-व्यवहार है। क्रमांक २२३९।
(५) 'वतनियों और कुलियों'से सम्बन्धित कानून और फोक्सराट प्रस्ताव आदि (एक पृथक् सरकारी प्रकाशन)।
(६) अध्याय ३३ पृष्ठ १९९ 'आरेंज रिवर उपनिवेशके कानून'।

परिशिष्ट 'ख'

नीचे बोअर तथा ब्रिटिश शासनके अन्तर्गत ट्रान्सवालमें भारतीयोंकी स्थितिका मिलान दिया गया है।

युद्धके पहले	ब्रिटिश शासनाधीन
१ भारतीय बिना किसी प्रतिबन्धके देशमें आ सकते थे।	१ जो युद्ध शुरू होनेके पहले चले गये थे उन प्रामाणिक शरणार्थियोंको छोड़कर अन्यका प्रवेश निषिद्ध है। और इन लोगोंको भी धीरे-धीरे तथा उनकी अर्जियों पर विचार करनेमें बड़ी देरी लगाकर आने दिया जाता है। छोटे बच्चोंके लिए भी अनुमतिपत्र आवश्यक हैं और उनपर प्रत्येक भारतीयको अपने अँगूठेकी छाप देनी पड़ती है।
२ पंजीकरण शुल्क देनेकी बाध्यता नहीं थी।	२ अब ३ पौंड पंजीकरण शुल्क देना ही पड़ता है। अन्यथा १०० पौं० तक अधिकतम जुर्माना और छः महीने तककी कैदका नियम सख्तीसे लागू किया जाता है। अब भारतीय स्त्रियोंसे भी पंजीकरण शुल्क वसूल करनेकी कोशिश हो रही है और उन्हें भी अनुमतिपत्र लेनेपर बाध्य किया जा रहा है।
३, भारतीय गोरे लोगोंके नामपर जमीन जायदाद रख सकते थे।	३ एशियाइयों द्वारा जमीन-जायदाद रखनेकी मुमानियतके कानूनका वहाँ भी सख्तीसे पालन किया जाता है जहाँ धार्मिक कामोंके लिए जमीनकी आवश्यकता है।
४ जोहानिसबर्गमें बस्ती या बाजारोंमें भारतीयोंके पास ९९ वर्षकी अवधिके पट्टेपर जमीनें थीं।	४ अस्वच्छ क्षेत्रके आयुक्तके प्रतिवेदनपर ये पट्टे छीन लिये गये हैं और उन्हें यह आश्वासन भी नहीं दिया गया कि जोहानिसबर्गके किसी अन्य उपयुक्त भागमें उन्हें उतनी जमीन मिलेगी।

५ जाँच आदिके लिए अलग एशियाई विभाग नही था।	५ एशियाई पजीयक कार्यालय स्थापित। इसकी कार्यपद्धति मनमानी है और व्यक्तिगत प्रार्थनापत्र, अनुमति पत्र आदिके निर्णयमें देरी करता है।
६ अनेक कठोर कानूनी प्रतिबधोपर बहुत हद तक ब्रिटिश हस्तक्षेपके कारण अमल नही किया जाता था।	६ वे बोअर कानून जिनपर अमल नही होता था, लागू किये गये तथा अध्यादेशो और प्रशासनिक अनुशासनोके द्वारा अधिक कठोर बना दिये गये। द्वेष बुद्धिपूर्वक ब्रिटिश भारतीयोकी कानूनी स्थिति काफिरो असभ्य और अर्द्ध सभ्य जातियोके समान कर दी गई।

आगे दिया गया परिशिष्ट विधान समितिके सुझावपर तैयार किया गया था।

नागरिक निर्योग्यताएँ

१ आयुक्ताका यह खयाल मालूम होता है कि ब्रिटिश भारतीयोको ट्रान्सवालमे पूण अधिकार प्राप्त ह।

२ दुर्भाग्यवश, जसा कि वक्तव्यके साथ सलग्न सूचीसे स्पष्ट हो जाएगा ब्रिटिश भारतीयोको बहुत कम अधिकार प्राप्त है। नागरिक निर्योग्यताएँ नीचे दी जा रही ह

भूमिका स्वामित्व नही

३ (१) ब्रिटिश भारतीय अपने लिए निर्धारित बस्तियो या मोहल्लोको छोडकर कही जमीन-जायदाद नही रख सकते। यह नियम लबे अरसेके पट्टोपर भी लागू है।

(२) मोहल्ले निर्धारित नही है कि तु यूरोपके यहूदी बाडोकी तरह नगरसे बहुत दूर बस्तिया निर्धारित है, और उनमे भी एक दो स्थानोको छोडकर भारतीय माहवारी किरायेदार ह। केवल प्रिटोरिया और पॉचेफ्स्ट्रूममे इक्कीससाला पट्टे मिलते ह। जर्मिस्टनमे उ हे नोटिस दिये गये है कि वे गुमटियोमे दूसरे किरायेदार न रखे। नोटिस इस तरह हे

> **इत्तला दी जाती है कि आपको वतनियो या दूसरोको अपने यहा किरायेपर रखनेकी इजाजत नहीं है। किसी दूसरेको किरायेपर रखना उस शतनामेको तोडना है जिसके मुताबिक आपका बाडेपर कब्जा है। इससे आपका बाडेका अनुमतिपत्र रद किया जा सकता है और आप इस बस्तीसे निकाले जा सकते ह।**

(३) इस प्रतिबधपर इस हद तक अमल किया जाता है कि भारतीय अपनी मसजिदे तक भारतीय न्यासियोके नामपर नही बदलवा पाते।

पजीयन शुल्क

(४) इस देशमे पहुँचनेपर भारतीयोको ३ पौड पजीकरण शुल्क देना पडता है। अब सरकारने धमकी दी हे कि स्त्रियो और बच्चोको भी पजीयन प्रमाणपत्र लेने पडेगे।

पैदल पटरी और ट्राम गाड़ियाँ

(५) प्रिटोरिया और जोहानिसबगमे भारतीयाको पैदल पटरियोपर चलनेकी काननन मनाही है। फिर भी वे रियायतके तौरपर उसका उपयोग करते है। अभी हालमे उ हे उनका उपयोग करनेसे रोकनेका प्रयत्न हुआ है।

(६) प्रिटोरियामे भारतीयोको ट्रामगाडियोके उपयोगकी इजाजत नही है।

(७) जोहानिसबगमे उन्हे सवसामान्य गाडियोमे बैठनेसे रोका जाता है, किन्तु रगदार लोगाके लिए कभी कभी खास पिछलग्गू डिब्बे लगा दिये जाते ह।

(८) भारतीयोकी ओरसे दावा किया गया था कि सामान्य उपनियमाके अन्तगत वे ट्राम-गाडियामे यात्रा करनेका आग्रह रख सकत ह। नगर परिपदने दावेका विराध इस आधारपर किया कि भूतपूव डच सरकारके द्वारा १८९७ मे जो कुछेक चेचक सम्बन्धी विनियम बनाये गये थे, वे अभी लागू ह। दा बार जोहानिसबगमे इस मामलेकी न्यायाधीशके सामने कसोटी हुई और हर बार नगर परिपदकी हार हुई। इसलिए अब उसने ट्रामगाडियोके यातायात सम्बन्धी उपनियमोका रद करके भारतीयाका जवाब दिया है। अपना उद्देश्य सिद्ध करनेके लिए नगर परिपद अब बिना किन्ही उपनियमोके नगरपालिकाकी गाडिया चला रही हे। सवसामान्य कानूनके अन्तगत भारतीय अपना अधिकार सिद्ध कर सकेंगे या नही यह दखनेकी बात है।

ध्यान देने याग्य बात है कि उपनियमोका उक्त रद किया जाना निम्न प्रकार चालाकीसे विज्ञापित किया गया था।

> **इन प्रस्तावित सशोधनोका सामान्य साराश प्रस्तुत करते हुए और यह कहते हुए कि वे परिषदके कार्यालयमे देखे जा सकते ह १९०१ की १६ वीं घोषणा धारा २२ के अनुसार ९ मई १९०६ के पहले एक विज्ञप्ति नगरपालिकाकी सीमामे प्रचारित एक समाचारपत्रमे प्रकाशित की गई थी।**

तारीख ९ को नगर परिषदकी एक बठक हुई। स्पष्ट ही इत्तला ऐसे ढगसे विज्ञापितकी गई थी कि सम्बन्धित लोगोका प्रस्तावित सशोधनाको चुनौती देना लगभग असम्भव हो गया था — मुख्यत दो कारणासे। पहला, समाचारपत्रोके सामान्य स्तम्भोमे उनका कोई विवरण प्रकाशित नही हुआ था और दूसरा, प्रस्ताव टामवे या बिजली समितिकी बजाय, जो साधारणतया टामवे नियमासे सम्बन्धित रहती ह ओर भूतकालमे रही ह, काय समिति (वक्स कमिटी) के मारफत आया था। काय समितिने परिषदकी उक्त बैठकमे निम्न बहानेसे सशोधन प्रस्तुत किया

> **चूकि ट्राम-पद्धतिको नगरपालिकाने अपने हाथमे ले लिया है, इसलिए अब ट्रामगाडियोपर लागू होनेवाले यातायात उपनियमोकी आवश्यकता नही रहती, क्योकि वे गर-सरकारी ट्रामगाडियोके लिए ही थे। अत उपनियमोको तदनुरूप सशोधित करनेका प्रस्ताव है।**

प्रस्ताव एक लबी-चौडी कायसूचीके अतमे उस समय प्रस्तुत किये गये जब जागतसे जागत सदस्य, भी विशेषत उनकी निरापद सी भूमिकाके कारण, इस भलावेमे डाला जा सकता था। प्रस्ताव बिना किसी टीकाके पास हो गये। तारीख १८ के 'गवनमेट गजट' मे सूचना प्रकाशित हुई कि रद करनेवाली प्रस्तावित उपधाराको स्वीकार करके कानूनकी ताकत दे दी गई है। इस प्रकार सारी बात करीब-करीब भारतीयोके पीठ पीछे नौ दिनोकी अवधिमे, तमाम व्यावहारिक प्रयोजनोके लिए, बिना चेतावनी दिये निश्चित हो चुकी थी।

(९) अब जोहानिसबगमे मलायी बस्तीके नामसे प्रसिद्ध बस्तीको जिसमे भारतीय निवासियोकी बडी सख्या है, बेदखल करके भारतीयोको जोहानिसबगसे तेरह मील दूर भेजनेका प्रयत्न किया जा रहा है।

अनुमतिपत्र अध्यादेश

पहले भारतीय ट्रान्सवालमे आनेके लिए स्वतत्र थे अब शाति रक्षा अध्यादेशको, जो एक शुद्ध राजनीतिक कानून है, भारतीयोके प्रवेशको रोकनेके लिए प्रयुक्त करके उसे अपने सही

उद्देश्यसे विलग किया जा रहा है। नये भारतीयोका देशमे प्रवेश रोका जा रहा है। इतना ही नही, बल्कि ट्रान्सवालके निवासियोपर निम्न असाधारण परेशानिया लाद दी गई है

(क) अध्यादेशका अमलमे लानेके बारेमे कोई प्रकाशित नियम नही है।

(ख) यह लागू करनेवाले अधिकारियोकी सनक ओर पूवग्रहके अनुसार बदलता रहता है।

इसलिए आजका तौर तरीका इस प्रकार हे

(१) जो भारतीय युद्धके पहले टासवालमे थे ओर जो पजीयनके ३ पौड दे चुके है उन्हे भी, जबतक वे पूरी तरह यह सिद्ध नही कर पाते कि वे यहासे युद्ध शुरू हो जानेपर गये थे वापस नही आने दिया जाता।

(२) जिन्हे ट्रान्सवालमे आने दिया जाता है उन्हे अपनी अर्जियोके अतिरिक्त अनुमतिपत्रोपर भी अपने अँगूठोके निशान देने पडते ह और जब जब वे ट्रान्सवालमे आते है, उन्हे ऐसा करना पडता है। अपनी स्थिति और इस तथ्यके बावजूद कि वे अग्रेजीमे अपने हस्ताक्षर कर सकते है या नहीं यह प्रत्येक भारतीयपर लागू होता है। एक इग्लड होकर आये हुए भारतीय सज्जनका जो अच्छी तरह अग्रेजी बोलते है और जाने-माने व्यापारी है, दो बार अँगूठेका निशान देना पडा।

(३) ऐसे भारतीयोकी पत्नियो और बारह सालसे कम उम्रके बच्चोको अब अलग अनुमतिपत्र लेने पडते है।

(४) ऐसे भारतीयाके बारह सालके या उससे ज्यादा उम्रके बच्चोको अपने माता पिताके साथ आने अथवा रहने नही दिया जाता।

(५) भारतीय व्यापारियोको बाहरसे भरोसेके मुनीम या प्रबन्धक बुलानेकी इजाजत नही मिलती — जबतक वे लोग उक्त पहली धाराके अन्तगत न आते हो।

(६) जिन्हे आनेकी इजाजत मिलती भी हे उन्हे प्रवेशके लिए महीनो रुकना पडता है।

(७) सम्भ्रान्त भारतीयोको अस्थायी अनुमतिपत्र देनेसे भी इनकार कर दिया जाता है। श्री सुलेमान मगा जो लन्दनमे वकालत पढ रहे ह ट्रान्सवालके मागसे डेलागोआ बे जाना चाहते थे। उन्हे ब्रिटिश प्रजा मानकर इसकी इजाजत नही दी गई। जब यह मालूम हुआ कि वे पुतगाल राज्यकी प्रजा ह तब स्पष्ट ही अन्तर्राष्टीय उलझनोसे डर कर उन्हे अनुमतिपत्र दे दिया गया।

(८) ऐसी भयानक स्थिति है, ट्रान्सवालमे रहनेवाले ब्रिटिश भारतीयोकी। वह रोज रोज बदतर होती जा रही हे और यदि सम्राटकी सरकार उनके सरक्षणके लिए राजी और तैयार नही होती तो अन्तिम परिणाम यही होगा कि धीरे धीरे उनका लोप हो जायेगा।

यूरोपीय क्या करेंगे

(२) यदि यूरोपीय स्वतन्त्र छोड दिये जाये तो वे क्या करेगे, यह नीचेके तथ्योसे प्रकट हो जायेगा

(क) एशियाई प्रश्नपर विचार करनेके लिए जो विशिष्ट राष्ट्रीय परिषद (नेशनल कन्वेन्शन) हुई थी उसने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किये

१ इस देशमे वतनी कौमोकी अधिकता, वतनी नीति निश्चित करनेकी कठिनाइयो, वतमान यूरोपीय प्रजाकी रक्षा और भविष्यमे उनके प्रवास (इमिग्रेशन) को प्रोत्साहन देनेकी आवश्यकताके विचारसे यह परिषद इस सिद्धान्तपर बल देती है कि मजदूर आयात अध्यादेश (लेबर इम्पोर्टेशन आर्डिनेन्स) की धाराओके अतिरिक्त एशियाई प्रवास, निषिद्ध होना चाहिए।

२ सारे प्रश्नके बारेमें एक स्थायी और अन्तिम निपटारेके महत्वको देखते हुए और मामले-पर पुर्नविचारके प्रयत्नोको रोकनेके लिए यह परिषद सिफारिश करती है कि सरकारसे प्राथना की जाये कि वह सभी एशियाई व्यापारियोको युद्धके पहलेके कानूनन प्राप्त निहित स्वार्थोके मुआवजेकी व्यवस्था करके, बाजारोमे भेजनेके औचित्यपर विचार करे।

३ यह परिषद एशियाइयोको बाजारोसे बाहर व्यापार करनेकी इजाजत देनेवाले व्यापारिक परवाने निरतर देते रहनेसे उत्पन्न गम्भीर खतरेको समझकर सरकारसे प्राथना करती है कि वह भविष्यमे ऐसे परवानोको रोकनेके लिए तत्काल आवश्यक कानून बनानेकी व्यवस्था करे और एशियाई प्रश्नपर विचार करनेके लिए प्रस्तावित आयोगकी नियुक्तिके विषयमे यह परिषद सरकारसे उसमे सरकारी कमचारियोके अतिरिक्त दक्षिण आफ्रिकाकी वतमान परिस्थितियोको भली-भाति जाननेवाले व्यक्तियोको सम्मिलित करनेकी आवश्यकताका आग्रह करती है।

४ यह परिषद अपनी इस रायपर कायम है कि सभी एशियाइयोको बाजारोमे रहनेपर बाध्य किया जाना चाहिए।

(ख) प्रगतिशील दलकी घोषित नीति निम्नलिखित है

जिन्हे इकरारनामेकी समाप्तिपर वापस जाना है उन गिरमिटिया मजदूरोका छोडकर ट्रान्सवालमे एशियाइयोके प्रवासपर रोक लगाना और एशियाई व्यापारिक परवानोका नियन्त्रण।

(ग) पोचैफस्ट्रूमके लोग एक बार इकट्ठे हुए, ऊधम मचाया और भारतीय भण्डारोकी खिडकिया तक तोड डाली।

(घ) बाक्सबगके यूरोपीय, भारतीयोको उस वतमान बस्तीसे जिसमे वे लडाईसे पहले बस चुके थे शहरसे बहुत दूर ऐसी जगह हटा देना चाहते है जहा व्यापार एकदम असम्भव है, और उन्होने एकाधिक बार यह धमकी दी है कि यदि कोई भारतीय बस्तीके बाहर दूकान खोलनेकी कोशिश करेगा तो शारीरिक बलका प्रयाग किया जायेगा।

पिछला अनुभव — एक समतुल्य उदाहरण

(१२) मुख्य वक्तव्यमे शिष्टमण्डलने कहा है कि पिछले अनुभवसे यह मालूम होता है कि मताधिकारसे वचित करना और परम्परागत निषेधाधिकार, दोनो ही, भारतीयोको सरक्षण देनेमे एकदम अपर्याप्त सिद्ध हुए है।

(१३) अब हम उदाहरण देते है

नेटालमे उत्तरदायी शासन देनेके बाद, भारतीय मताधिकारसे लगभग वचित कर दिये गये थे। स्वर्गीय सर जान राबिन्सनने विधेयकके समथनमे कहा कि भारतीयोको मताधिकारसे वचित करके नेटाल ससदका प्रत्येक सदस्य भारतीयोका न्यासी हो गया है।[१]

विधेयकके ससदीय अधिनियम बनते ही न्यास इस तरह निभाया गया

(क) कानून लागू होनेके बाद आनेवाले सभी गिरमिटिया भारतीयोपर इकरारनामेकी समाप्तिपर भारत न लौटने अथवा नया इकरारनामा न भरनेकी परिस्थितिमे — ३ पौड वार्षिक कर लगाया गया।

१ देखिए खण्ड ३ पृष्ठ ३८७।

(ख) एक प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम बनाया गया जिसके द्वारा जो उपनिवेशके पूव निवासी न रहे हो और जि हे किसी एक यूरोपीय भाषाका ज्ञान न हो ऐसे सभी व्यक्तियोके नेटाल प्रवेशपर पाब दी लगाई गई।

(ग) एक व्यापारी परवाना अधिनियम बनाया गया जिसने नगर परिषदो और परवाना निकायाको व्यापारी परवानोपर अकुश रखनेकी निरकुश सत्ता दे डाली। उससे सर्वोच्च यायलयके अधिकार क्षेत्रका भी उच्छेद कर दिया गया है। प्रकट रूपमे वह यद्यपि सभी व्यापारियाके लिए हे फिर भी उसका अमल सिफ भारतीयोके विरुद्ध किया जाता है। और उसके अ तगत कोई भी भारतीय, फिर वह चाहे जितना जमा हुआ क्यो न हो, वषके अ त तक अपने परवानेकी दष्टिसे सुरक्षित नही है।

इन तमाम कानूनासे साम्राज्यीय सरकार ब्रिटिश भारतीयोकी रक्षा करनेमे अपनेको असमथ पाती है।

ट्रान्सवाल और ऑरेंज रिवर उपनिवेशमे अनोखी स्थिति

(१४) भारतीयाको सविधानके अ तगत मताधिकार दिया जाये या नही, कि तु निहित स्वार्थोकी रक्षा के लिए विशिष्ट धारा निता त आवश्यक है।

(१५) किसी भी उपनिवेशकी स्वराज्य प्राप्त होनेके समय ऐसी परिस्थिति नही थी जैसी ट्रान्सवाल और आरेंज रिवर उपनिवेशकी है।

(१६) वे सब कारण जिनसे युद्ध हुआ था दूर नही हुए हैं। उनमे एक कारण टा स वालका भारतीय विरोधी कानून था।

(१७) ब्रिटिश सरकारका यह वचन कि भारतीय और रगदार लोगोके साथ दोना उप निवेशामे वैसा ही बरताव होना चाहिए जसा केपमे हाता है, अभीतक पूरा नही किया गया।

(१८) जब भारतीयाकी निर्योग्यताएँ हटानेके विषयमे ब्रिटिश सरकार और स्थानिक सरकाराके बीच वार्ताए हाने ही वाली थी उसी समय सम्राटकी सरकारके नये मत्रियोने दोनो उपनिवेशोको उत्तरदायी शासन दनेका निश्चय कर लिया। इसलिए वार्ताए स्थगित कर दी गई है, या बिलकुल छाड ही दी गई ह।

(१९) केपमे परिस्थिति यह है कि भारतीयोको यूरोपीयोके बराबरीके अधिकार ह, अर्थात

(क) जैसा मतदानका अधिकार यूरोपीयोको है वसा ही उन्हे है।

(ख) वे उसी प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके अ तगत है जिसके अन्तगत यूरोपीय ह।

(ग) उ हे यूरोपीयोके समान जमीन जायदाद रखने और व्यापार करनेका अधिकार है।

(घ) उन्हे एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाने आनेकी पूरी स्वत त्रता है।

जोहानिसबग, आज तारीख २९ मई, १९०६।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २–६–१९०६

३६५ भारतीय मुसाफिर

पिछले कुछ दिनासे हमारे गुजराती पत्र-व्यवहारवाले स्तम्भ भारतीय डेक मुसाफिरोकी जो जमन पूव आफ्रिकी कम्पनीके जहाजोका इतना अधिक प्रतिपालन करते ह, शिकायतासे पूर्णत भरे रहते है। हमारे सवाददाताओने अत्यधिक भीड, स्वच्छताकी अपर्याप्त व्यवस्था और छत (डेक) के मुसाफिरोके प्रति आम लापरवाहीकी शिकायते की ह। उनमे कुछका कहना हे कि जब जहाज किसी बन्दरगाहपर पहुचते ह तब मुसाफिराका बडी असुविधाका सामना करना पडता हे। वे बिलकुल खुलेमे हाते ह और उनसे अपना सामान खुद हटानेका कहा जाता ह। हम कम्पनीके स्थानीय एजेटोका ध्यान इन शिकायताकी ओर आकर्षित करते ह। हम जानते ह कि गरीब भारतीय मुसाफिराका यात्राका जो तरीका मजबूरीकी हालतमे चुनना पडता है उससे थाडी बहुत असुविधाका होना अनिवाय है। मुसाफिरोके लिए छतपर जो स्थान रहता हे उससे अधिक सुविधाकी उम्मीद करना असम्भव हे। साथ ही साथ यह एक कुख्यात तथ्य है कि छतपर की जानेवाली यात्रासे कम्पनीको सबसे ज्यादा लाभ और सबसे कम तकलीफ होती हे। इसलिए कम्पनीके व्यवस्थापकोका कर्तव्य है कि परिस्थितियोके अनुसार जितना आराम छतके मुसाफिराको देना सम्भव हो, दे — और किसी दृष्टिसे नही, तो सिर्फ धनोत्पादनकी ही दृष्टिसे सही।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २–६–१९०६

३६६ एक अनुमतिपत्र सम्बन्धी मामला

हमारे जोहानिसबर्ग-सवाददाताने जोहानिसबर्गकी अदालतमे श्री क्रासके सामने पेश हुए एक मुकदमेका विवरण भेजा है। आदम इब्राहीम नामक बारह सालसे कमका एक लडका मजिस्ट्रेटके सामने पेश किया गया, क्योकि वह बिना पंजीयन प्रमाणपत्रके ट्रान्सवालमे था।

मुकदमेका रूप कुछ अजीब था, क्योकि अभीतक ऐसे सब मुकदमे शान्ति रक्षा अध्यादेशके अन्तगत चलाये जाते थे। यद्यपि इस कानूनसे बचना कम सहज था, तथापि जुर्माने या कारावासके रूपमे उसमे कोई दण्ड नही था। इधर, १८८५ के कानून ३ के अन्तगत अभियुक्तपर १०० पौड तक के जुर्माने या छ मास तक के कठोर या सादे कारावासका विधान है। खैर यह खुशीकी बात है कि अभियुक्तके वकीलको यह साबित करनेमे कोई कठिनाई नही हुई कि लडकेपर ट्रान्सवालमे प्रवेश करनेके लिए पंजीयन शुल्क नही लग सकता।

इस प्रकार सरकार द्वारा भारतीयोपर लगाई गई बेडिया जितनी ही पीडाकारी होती जाती ह, न्यायके हथौडेकी मुक्तिकारी चोट, जान पडता है, उतनी ही भारी पडती है। प्रशासन जिसे प्रसन्नता-से नष्ट करना चाहे, उसकी न्याय विभाग रक्षा करता है। क्या लॉर्ड सेल्बोर्न अब भी कहेगे कि कानूनका अमल, जिसके बारेमे सिद्ध कर दिया गया है, कि वह अवध है, उचित तरीकेसे हो रहा है और जो इससे प्रभावित है, उनका समुचित खयाल रखा जाता है?

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २–६–१९०६

३६७ स्वर्गीय डॉक्टर सत्यनाथन

हमे मद्रासके प्रोफेसर सत्यनाथनकी मत्युका समाचार दु खके साथ प्रकाशित करना पड रहा है। भारतसे हमारे पास परिवतनमे आये हुए समाचारपत्र स्वर्गीय प्रोफेसर महोदयके कायकी सरा हनासे भरे पडे है। डा० सत्यनाथन कतव्य पालन करते हुए तथा भरपूर जवानीमे परलोकवासी हुए। उनकी जीवनचर्या उज्ज्वल थी इसलिए उनका जीवन बडी बडी सम्भावनाओसे पूण था।

दिवगत महानुभाव मद्रास विश्वविद्यालयके एम० ए०, एलएल० बी० और बहुत शुद्ध अ त करणसे बने ईसाई थे। मस्तिष्क और हृदय दोनोके उत्कृष्ट गुणोके कारण सभी वगके लोग उनका सम्मान करते थे, और उनको सरकारका इतना गहरा विश्वास प्राप्त था कि वे लोकशिक्षा विभागके स्थानापन्न उपनिदेशक बना दिये गये। ऐसे भारतीयकी मत्युसे भारतीय समाजका एक ऐसा पुरुष उठ गया है जिसकी क्षति भारतीय समाज आसानीसे सहन नही कर सकता। हम दिवगत महानुभावके परिवारके प्रति उसके शोकमे समवेदना प्रकट करते ह। यह क्षति उस परिवारकी ही नही, वास्तवमे समस्त राष्ट्रकी है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २–६–१९०६

३६८. केपमे प्रवासी अधिनियम

हमारे केपके सवाददाताने जो समाचार भेजा है उससे अनुमान होता है कि थाडे समयके लिए जानेवाले भारतीयोको अब केपमे अडचन नही होगी। थोडे समयके लिए जानेकी जसी सुविधा नेटालमे हे वसी अबतक केपमे नही दिखाई देती थी।

कि तु दूसरी तरफ, हमारे मवाददाताके कथनानुसार प्रवासी कानूनमे जो परिवतन विधान सभाके इस सत्रमे होनेवाला है उससे बहुत नुकसान होगा। हम पहले लिख चुके ह कि नया कानून पास हो गया तो अधिवासका हक किसे प्राप्त है, यह तय करनेका अधिकार अदालतके बदले अधिकारीके हाथमे चला जायेगा। यदि ऐसा हुआ तो बात बहुत मुश्किल हो जायेगी। फिर अभी तो दक्षिण आफ्रिकाके निवासी केपमे प्रवेश कर सकते है। कि तु नये कानूनके मुताबिक केपका वतनी ही केपमे प्रवेश कर सकेगा, जैसा नेटालमे होता है। इन दोनो परिवतनोके विरुद्ध ब्रिटिश भारतीय समिति (लीग) को सघष करना चाहिए। हम यह उम्मीद करते है कि समितिके सदस्य तुर त कारवाई करेगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २–६–१९०६

३६९ सर हेनरी कॉटन और भारतीय

'इडिया' से हमने जो अश उद्धत किया है, उससे हमारे पाठकोको पता चलेगा कि आसामके भूतपूव कमिश्नर सर हेनरी कॉटन हमारे लिए ससन्मे खब लड रहे है। इसके लिए हम उनका आभार मानते है। इस अवसरपर हमे यह बता देना चाहिए कि सर हेनरी काटनके पीछे काम करनेवाळी [भारतीय राष्ट्रीय] काग्रेसकी ब्रिटिश समिति हे। उक्त समिति जो सवाल तयार करती है, वही सर हैनरी काटन ससदमे पेश करते है। ओर ब्रिटिश समितिके अगुआ है, सर विलियम वेडरबन तथा भारतके पितामह दादाभाई नौरोजी। मतलब यह कि, उक्त समितिके भी हम बहुत आभारी है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २–९–१९०६

३७० नेटालका विद्रोह

'टाइम्स ऑफ नेटाल'मे एक पुराने उपनिवेशीने जो लिखा है उसका अनुवाद हमने दूसरी जगह दिया है। उसका भावाथ यह है कि भारतीय लोग लडाईमे तो नही जा सकते, किन्तु जो लडाईमे गये ह उन्हे जिन चीजोकी आवश्यकता हो, वे चीजे देकर मदद कर सकते ह। जिस तरह बोअर युद्धके समय एक कोष जारी किया गया था और भारतीयोने उसमे मदद दी थी, उसी तरह इस समय भी करना चाहिए। इस समय कुछ चन्दा इकटठा करके सरकारको भेजा जाये अथवा जो कोष खुला हुआ हो उसमे चदा दिया जाये तो अच्छा होगा, और उतना फज अदा हुआ, ऐसा समझा जायेगा। हम आशा करते है कि नेतागण इस प्रश्नको हाथमे ले लेगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २–६–१९०६

३७१ नया सानफ्रान्सिस्को

खुदा पलमे चाहे सो करे, यह कहावत हमारे हिदी पाठकोके सामने पहली ही बार आ रही है, सो बात नही। एक घडीमे रावका रक और रकका राव बननेके उदाहरण इतिहासमे बहुत मिलते है। यह तो एक व्यक्तिकी बात हुई। कितु राजा रकका यह नियम पूरे शहर अथवा देशपर भी लागू होता है। सानफ्रान्सिस्कोकी हालकी घटना इसकी साक्षी भरती है। तीन लाख, बल्कि उससे भी अधिक व्यक्ति एक क्षणमे बे-घरबार हो गये! महल मदिरोमे सुख चैनसे रहनेवाले हजारो लोगोको, जिन्हे रात और दिनकी भी खबर नही होती थी, आज टूटी फटी झोपडी भी नसीब नही है! अति विशाल सुन्दर हवेलिया और सुदर-सुन्दर मुहल्ले एक क्षणमे धराशायी हो गये और मिट्टीका ढेर बनकर कालको नमन कर रहे है। बाग बगीचो और बगलोके स्थानपर वीरान मैदान छा गया है। असरय व्यक्ति पलभरमे बे घरबार और खाने पीनेके मोहताज हो गये है। ईश्वरकी इस अज्ञात गतिसे कौन विस्मित नही होगा? किन्तु इससे भी अधिक आश्चयचकित करनेवाली बात दूसरी ही है। ऐसी भयानक होनहारका आघात खानेपर भी हिम्मतके साथ कमर कसकर खडा रहना सच्ची बहादुरी है। ऐसा कठिन काम सानफ्रान्सिस्कोकी प्रजाने अपने सिर लिया है। उद्यम और लगनशीलताके लिए प्रख्यात अमरीकी जनता अपनी दढता प्रकट करने लगी है।

प्रकृतिके ऐसे कोपके समय दुनियासे मदद लिये बिना सानफ्रान्सिस्कोके पुनर्निर्माणके हेतु नये उत्साहसे प्रयत्न शुरू कर दिया गया है। एक सुन्दर और रमणीक सानफ्रान्सिस्कोके द्वारा ससारकी शोभा बढानेके नकशे तैयार होने लगे ह। एक नया और दिव्य नगर बनानेके लिए जबरदस्त योजनाएँ बनने लगी है। दूर दूरके देशोसे हजारो मनुष्य यह नया शहर बनानेके लिए बुलाये गये है। इतना अधिक लोहा मँगवाया गया है कि सारे देशके लोहा बाजारमे तेजी आ सकती हे। नये ढगका और इतना बडा बन्दरगाह बनानेकी योजना की जा रही है कि वैसा बन्दरगाह दुनियामे कही कही ही होगा। मुहल्लोकी रचना इस प्रकार की जानेवाली हे कि जिससे नये शहरकी शोभा बढे। इस तरह अनेक प्रकारसे वहाके लोगोने प्रकृतिके कोपका मुकाबला करनेके लिए कमर कसी है। मनुष्यकी जो बुद्धि बहते हुए जल प्रपातासे यान्त्रिक बल पदा करके हजारा मील दूर रेलगाडियो और कारखानोको चलानेमे समथ हुई है, बडे बडे महासागरोको पार करनेवाले जहाज और आकाशको छूनेवाले गुब्बारे बना सकी हे, विश्वमण्डलके दूसरे ग्रहोके निवासियोसे बात करनेके प्रयोग कर रही है वह पृथ्वीके गभमे होनेवाली हलचलकी गतिको पहचानकर भूकम्पको नही रोक पाती — यह दु खके योग्य है, फिर भी ऐमे सवनाशी भूकम्पके साथ भी मनुष्य हिम्मतके साथ जूझनेके लिए कमर कस रहा है यह सचमुच खुशीकी बात है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २–६–१९०६

३७२ पत्र उपनिवेश-सचिवको

डबन
जून २, १९०६

सेवामे
माननीय उपनिवेश सचिव
पीटरमरित्सबग

महोदय,

नेटाल भारतीय काग्रेस द्वारा आहत — सहायक दल[1] खडा करनेकी दित्साके बारेमे आपका गत मासकी ३० तारीखका पत्र मिला।

इस दित्साको स्वीकार करनेके लिए हमारी काग्रेसकी समिति सरकारकी कृतज्ञ है। हमारी समितिने, जैसा कि सरकारकी इच्छा हे नेटाल नागरिक सनिक दलके मुख्य चिकित्साधिकारीसे पत्र व्यवहार आरम्भ कर दिया है। उपयुक्त पत्रकी प्रतिलिपि[2] साथ बन्द है।

आपके आज्ञाकारी,
ओ० एच० ए० जौहरी
एम० सी० आगलिया
सयुक्त अवतनिक मन्त्री, ने० भा० का०

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ९–६–१९०६

१ देखिए 'पत्र उपनिवेश सचिवको" पृष्ठ ३०२।
२ देखिए अगला शीर्षक।

३७३ पत्र प्रधान चिकित्साधिकारीको

डर्बन
जून २ १९०६

सेवामे
प्रधान चिकित्साधिकारी
नेटाल नागरिक सैनिक दल
पीटरमरित्सबर्ग

महोदय,

नेटाल भारतीय कांग्रेसके नाम सरकारका एक पत्र आया है। उसमे लिखा हे कि भारतीय आहत सहायक दलके सम्बन्धमे कांग्रेसके द्वारा की गई दिल्साको सरकारने मजूर कर लिया है।

सरकारका कथन है कि प्रारम्भिक प्रयोगके रूपमे इस टुकडीमे २० डोलीवाहक रहे। हमारी समिति सूचित करना चाहती है कि आप जो स्थान और समय बताये उसपर २० आदमी आपकी सेवामे उपस्थित रहेगे। हम मानते हैं कि आप उनके लिए आवश्यक साजो-सामान वर्दियो और यातायातकी व्यवस्था भी करेगे।

सरकारने हमारी समितिको सूचित किया हे कि इस दलका वेतन प्रति व्यक्ति डेढ शिलिंग रोजाना होगा। जब दिल्सा की गई थी तब जिस समाजका प्रतिनिधित्व कांग्रेस कर रही है उसका इरादा खुद वेतन देनेका था। इसलिए हमारी समितिको भरोसा है कि सरकार भारतीय समाजको अपने आदमियोका वेतन स्वय चुकानेकी अनुमति देनेकी कृपा करेगी। साथ ही, हमारा विनम्र निवेदन है कि प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह एक पौडसे कम वेतनपर यह सेवादल खडा नही किया जा सकता। और हमे कहनेका निर्देश किया गया है कि इतनी रकम हमारा समाज तबतक चुकाते रहनेको राजी है जबतक दलकी सेवाओकी आवश्यकता रहे।

हम यह भी कह देना चाहते है कि अधिकतर व्यक्ति सेवा करनेको हर तरहसे तयार होनेपर भी आहत सहायक दलके कामके लिए प्रशिक्षित नही है, और इसमे उनका कोई कसूर भी नही है।

आपके आज्ञाकारी सेवक
ओ० एच० ए० जौहरी
एम० सी० आगलिया
सयुक्त अवैतनिक मन्त्री, ने० भा० का०

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-६-१९०६

३७४ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

जून ६, १९०६

ट्रामके मामलेकी कहानी

ट्रामके मामलेने दूसरा रूप धारण कर लिया है। नगर-परिषद ओर भारतीयोके बीच कशमकश चल रही है। दोनोमे से एक भी पक्ष हार माननेको तैयार नही है।

ट्रामगाडियोके लिए कानूनकी जरूरत नही है इस बहाने नगर परिषदने कानून रद कर दिया। दूसरी ओर उसकी एक समितिने नया कानून बना डाला। मुझे जो निजी समाचार मिले है उनसे मालूम होता है कि परिषदकी उस समितिमे श्री डकन[1] भी गये थे। समितिकी इच्छा थी कि कानूनमे ऐसी धारा शामिल की जाये जिससे भारतीयोको ट्राममे बैठनेकी छूट न रहे। वे चाहे तो पृथक ट्राममे बठे। परन्तु जिन भारतीयोको विशेष रियायती परवाने दिये गये हो वे सब टामगाडियोमे बठ सके। कहा जाता है कि समितिके इस विचारका श्री डकनने विरोध किया। उन्होने कहा कि भारतीय समाजने रेलगाडीके सम्बन्धमे सब्र कर लिया, उसी तरह ट्राममे भी छट रहेगी तो वह सब्र कर लेगा। अधिक सख्ती हुई तो वह उत्तेजित हो जायेगा और उसका परिणाम ठीक न होगा। समिति अभी भी नियम बना रही है। कुछ दिनोमे नियम प्रकाशित होनेवाले हैं। तब ज्यादा बाते मालम हो सकेंगी।

इस तरह नगर-परिषद कारवाइया करती रहती है। इस बीच भारतीय समाजने एक और काम किया है। सघके प्रमुख श्री अब्दुल गनी और इस समाचारपत्रके वतमान अग्रेज सम्पादक श्री पोलक ट्राममें बैठने गये। कडक्टरने श्री अब्दुल गनीको रोका। तब श्री अब्दुल गनीने कहा कि जबतक बल प्रयोग नही किया जायेगा, वे स्वय नीचे नही उतरेगे। इसपर कडक्टरने पुलिसको बुलाया। पुलिसको भी वही उत्तर मिला। अन्तमे ट्रामका निरीक्षक आया। उसने विनयपूवक बात चीत की। आखिर यह तय हुआ कि ट्राम रोकनेका आरोप लगाकर श्री अब्दुल गनीपर मुकदमा चलाया जाये और इस बातको मानकर श्री अब्दुल गनी तथा श्री पोलक गाडीसे उतर गये। यह खबर जैसे ही निरीक्षकने नगर परिषदको दी, टाउन क्लाकने [उन दोनोको] तुरन्त मिलनेके लिए चिटठी भेजी। उसने कहा कि अब भारतीय बहुत कर चुके, उन्हे नगर परिषदको अधिक हैरान नही करना चाहिए। कुछ ही दिनोमे उस सम्बन्धमे कानून प्रकाशित हो जायेगा, और यदि वह ठीक न लगे तो उन्हे उसका विरोध करना चाहिए। टाउन क्लाकने प्राथनाकी है कि अब नगर परिषदको तकलीफ न दे तो अच्छा होगा।

विलायतको शिष्टमण्डल

विलायतको शिष्टमण्डल भेजनेके बारेमे सर विलियम वेडरबनका दूसरा तार आया है। उसमे उन्होने लिखा है कि यद्यपि हमारी तरफसे काम करनेवाली समितिको अपनी सफलताकी बहुत आशा नही है फिर भी वह सिफारिश करती है कि जिस जहाजसे सविधान समिति यहासे रवाना हो, उसीसे अकेले श्री गाधीको भेजा जाये। सविधान-समिति, सम्भव है, जुलाईके आरम्भमे विलायत जायेगी। इस शिष्टमण्डलमे किन व्यक्तियोको भेजा जाये, इस विषयमे विचार करनेके लिए पिछले बुधवारकी

१ उपनिवेश-सचिव।

रातको समितिकी बठक हुई थी। उस बठकमे प्रस्ताव हुआ है कि जोहानिसबगके सब भारतीयोकी सभा बुलाकर चदा इकटठा करनेकी व्यवस्था की जाये। यदि धन एकत्रित हो जाये तो श्री गाधीके अलावा प्रिटोरिया समितिके मत्री श्री हाजी हबीब तथा हाजी वजीर अलीको भी भेजा जाये। बैठक वेस्ट ऐड हालमे दो बजे होनेवाली है — यह सूचना दी जा चुकी हे।

खनिकोकी मॉग

खनिकोका जो शिष्टमण्डल सविधान-समितिके सामने गया था उसने यह सिफारिश की हे कि अब भारतीयोको बिलकुल न आने दिया जाये और न उन्ह व्यापार आदिके दूसरे परवाने ही दिये जाये।

अनुमतिपत्रकी दिक्कत

अनुमतिपत्रोकी दिक्कतसे तग आकर सघने अपना आखिरी कदम उठाया है। उसने सरकारका लिखा हे कि यदि अब अनुमतिपत्रकी परेशानी खतम नही होती, तो सघ चार प्रकारके परीक्षात्मक मुकदमे चलाना चाहता हे। मुकदमे निम्न प्रकारके होगे

(१) जो यह सिद्ध कर सके कि उन्होने बोअर सरकारको तीन पौड दे दिये है उन्हे बिना अनुमतिपत्रके आनेकी छूट होनी चाहिए।

(२) जिन्हे आनेकी छूट है, ऐसे लोगोके १६ वषसे कम उम्रके लडके-लडकियोको भी आनेकी छूट होनी चाहिए, और वह भी बिना अनुमतिपत्रके।

(३) जिन्हे आनेकी छट हा, उनकी स्त्रियोको भी विना अनुमतिपत्रके आनेकी छ्ट होनी चाहिए।

(४) सरकार खुदमुख्त्यारीसे जिसे मर्जी हो उसे ही अनुमतिपत्र देती है। यह नही होना चाहिए। अनुमतिपत्र किसे दिये जाये इस बाबत स्पष्ट तथा बाकायदा नियम होने चाहिए।

यदि सरकारने इसके बारेमे सन्तोषजनक जवाब न दिया तो सघने इन सबके बारेमे परीक्षात्मक मुकदमा दायर करनेकी सूचना दी है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ९–६–१९०६

३७५ पत्र दादाभाई नौरोजीको

डबन,
नेटाल,
जून ८, १९०६

सेवामे
माननीय दादाभाई नौरोजी
कैनिगटन रोड
लदन

मान्यवर,

मुझे आपका पिछला तार मिला था, जिसमे सुझाव था कि मै उसी जहाजसे इग्लैड रवाना हो जाऊँ जिससे आयोग-सदस्य जानेवाले है।

मै तदनुसार तैयारी कर रहा था, तभी नेटाल सरकारका पत्र मिला कि उन्होने ‘ भारतीय डोलीवाहक दल ” बनानेके विषयमे भारतीय समाजका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इसलिए अब मेरे किसी भी दिन मोर्चेपर जानेकी सम्भावना है।

इस परिस्थितिमें हम सबने सोचा है कि स्वयंसेवक दलका संगठन इंग्लैंड यात्रासे बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह जरूरी समझा गया है कि मैं दलके साथ रहूँ — कमसे कम प्रारम्भिक अवस्थामें। यह स्पष्ट है कि नेटाल सरकार आहत-सहायता कार्यमें भारतीयोंकी शक्तिकी कसौटी करना चाहती है।

इसलिए लगता है फिलहाल इंग्लैंड जानेका कोई भी विचार मुझे छोड़ देना पड़ेगा।

इस कारणसे यहाँ हम लोग आशा किये हैं कि जो समिति दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय हितोंकी देखभाल कर रही है वह सरकारके सामने परिस्थिति पेश करनेके लिए जरूरी कदम उठायेगी।

ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे संविधान समितिके[1] सामने पेश किया गया वक्तव्य आपने देख लिया होगा। इस सम्बन्धमें जो कुछ कहा जा सकता है, वह सब उसमें सार रूपमें मौजूद है। वह वक्तव्य इसी २ जूनके 'इंडियन ओपिनियन' में निकला है।

आपका विश्वस्त,

मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० २२७३) से।

३७६ भारतीय और वतनी विद्रोह

आखिर सरकारने भारतीय समाजका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और उसे अपने पानीका परिचय देनेका अवसर दिया है। प्रयोगके लिए सरकार बीस डोलीवाहकोंका एक दल चाहती है। इसका उत्तर नेटाल भारतीय कांग्रेसने तत्काल भेज दिया है।[2] कांग्रेसने हमारे खयालसे, यह प्रस्ताव करके बहुत अच्छा किया है कि जबतक यह दल प्रयोगकी अवस्थामें रहेगा तबतक डोलीवाहकोंकी मजदूरी भारतीय समाज देगा।

सरकारने इस प्रस्तावको स्वीकार करनेके साथ साथ बारूदी हथियार काननमें संशोधन करके भारतीयोंको शस्त्र देनेकी व्यवस्था कर दी है। इसी बीच श्री मेडनने इस आशयका वक्तव्य भी दिया है कि सरकार भारतीयोंको उपनिवेशकी रक्षामें भाग लेनेका अवसर देना चाहती है।

अब भारतीयोंको यह दिखानेका शानदार अवसर मिला है कि वे नागरिकताके कर्त्तव्योंको समझ सकते हैं। साथ ही दलको संगठित करनेकी बातमें ऐसा कुछ नहीं है जिसपर अनुचित गर्व किया जाये। मोर्चेपर बीस या दो सौ भारतीयोंका भी जाना मशक दशवत है। भारतीयोंका वह त्याग सूक्ष्मतम ही माना जायेगा और वह उचित ही होगा। किन्तु इस घटनाके पीछे जो सिद्धान्त है उससे इसका महत्त्व प्रकट होता है। सरकारने भारतीयोंका प्रस्ताव स्वीकार करके अपने सद्भावका परिचय दिया है। अब यदि भारतीय इस अग्नि परीक्षामें उत्तीर्ण हो जाते हैं तो भविष्यके लिए सम्भावनाएँ बहुत बड़ी हैं। यदि उनको नागरिक सेनामें स्थायी रूपसे शामिल कर लिया जाये तो यूरोपीयोंको यह शिकायत करनेका कोई कारण न रहेगा कि उपनिवेशकी रक्षाका प्रधान भार यूरोपीयोंको ही उठाना पड़ता है। और तब भारतीय भी यह अनुभव न करेंगे कि उनको नागरिक सेनामें शामिल होनेकी इजाजत न देकर उनके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया जाता है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-६-१९०६

१ देखिए "वक्तव्य संविधान-समितिको", **पृष्ठ** ३४५-३५४।

२ देखिए "पत्र उपनिवेश सचिवको", **पृष्ठ** ३५८।

३७७ फौजियोंको मदद

काफिरोंके खिलाफ लडाईमें गये हुए सिपाहियोंकी मददके लिए डर्बन महिला मण्डलने एक विशेष निधि शुरू की है। इस निधिमें सभी प्रमुख लोगोंने चन्दा दिया है। उनमें कुछ भारतीय नाम भी दिखाई पडते हैं। हमारी सलाह है कि और भी अधिक भारतीय व्यापारियों तथा दूसरे भारतीयोंको उसमें चन्दा देना चाहिए। हम पिछले सप्ताह लिख चुके हैं कि एक व्यक्तिने हमें मैरित्सबर्गमें ऐसी निधि इकट्ठा करनेकी सलाह दी है। उनका कहना है कि हम और तरहसे लडाईमें पूरा हाथ नहीं बँटा सकते तो इस तरहसे सहायता कर लें।

फौजियोंकी जिन्दगी कठिन होती है। उन्हें सरकार जो वेतन, भत्ता आदि देती है, वह हमेशा काफी नहीं होता। इसलिए लडाईमें न जानेवाले हमेशा अपनी भावना जाहिर करनेके लिए और उन्हें जरूरी चीजें पहुँचानेके लिए निधि इकट्ठा करते हैं, और उससे मेवे, तम्बाकू, गर्म कपडे आदि लेकर भेजते हैं। ऐसी निधिमें मदद करना हमारा कर्त्तव्य है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९–६–१९०६

३७८ नेटालमें भारतीयोंकी स्थिति[1]

[जून १३, १९०६ के पूर्व]

नेटालके भारतीय समाजको दो चीजें बहुत अधिक तकलीफ देती हैं। इनमें पहली है विक्रेता-परवाना अधिनियम।

जब यह अधिनियम पास हुआ था तब स्वर्गीय सर हेनरी बिन्सने इसका कडा विरोध किया था और कहा था कि यह कारवाई अब्रिटिश है और सर्वोच्च न्यायालयके सामान्य क्षेत्रसे इसका विलग रखा जाना एक खतरनाक सिद्धान्त है। अनुभवने इस भविष्यवाणीका औचित्य प्रकट कर दिया है। प्रारम्भिक अवस्थामें इस अधिनियमके प्रशासनमें ब्रिटिश भारतीयोंके व्यापारको रोकनेकी धुनका अतिरेक दिखलाई पडता था। न्यूकैसिलके परवाना अधिकारीने सभी भारतीय परवानोंको नया करनेसे इनकार कर दिया था। वे परवाने संख्यामें नौ थे। उनमें से छः परवाने बहुत अधिक खर्च और परेशानीके बाद नये कर दिये गये। परिणामस्वरूप और उपनिवेश कार्यालयके दबावके कारण सरकारने परवाना-अधिकारियोंके नाम एक चेतावनी जारी की कि यदि वे अधिनियमका उपयोग बुद्धिमानी और नरमीके साथ तथा वर्तमान परवानोंका ध्यान रखते हुए नहीं करेंगे तो सरकार कानूनका संशोधन करने और उसे सर्वोच्च न्यायालयके कार्यक्षेत्रमें रखनेको बाध्य हो जायेगी। इस गश्ती चिट्ठीका असर कुछ समय तक रहा। अधिक रहना सम्भव नहीं था।

१ **नेटाल मर्क्युरीने** सुझाव दिया था कि भारतीयोंको अपनी शिकायतें संक्षेपमें लिख कर जनताके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। इससे जनता अपना मत बनानेकी अधिक अच्छी स्थितिमें होगी। यह वक्तव्य इसी सुझावके फलस्वरूप १३–६–१९०६ के **नेटाल मर्क्युरीमें** प्रकाशित हुआ था। बादमें यह **इंडियन ओपिनियनमें** उद्धृत किया गया था।

तबसे तीन मिसाली मामले ऐसे हुए है, जिनसे जाहिर हो जाता है कि शासनने कितनी सख्तीसे काम लिया है।

(१) श्री हुडामल,[1] जो उपनिवेशमे कुछ समयसे व्यापार करते आ रहे है अपनी दूकान बदल कर ग्रे स्ट्रीटसे वेस्ट स्ट्रीट ले जाना चाहते थे। स्वास्थ्य और सफाईकी दृष्टिसे दूकान हर एतराजसे बरी थी। उसका मालिक एक भारतीय था और दूकान ऐसी इमारतोके समूहमे थी, जिनमे कई वर्षोसे भारतीय व्यापारी ही रहे है। हुडामल नफीस चीजोके व्यापारी थे। वे पूर्वी देशोके रेशम और दूसरी नफीस चीजोका व्यापार करते थे। उनकी किसी यूरोपीयसे स्पर्धा नही थी। उनकी दूकान सावधानीके साथ साफ-सुथरी रखी जाती थी। फिर भी नगर परिषदने एक स्थानसे दूसरे स्थानमे परिवर्तनकी इजाजत नही दी।

(२) श्री दादा उस्मान फ्राइहीडमे युद्धके कई वर्ष पहलेसे व्यापार कर रहे थे। जहा वे व्यापार करते थे उसे बोअर राज्यकालमे पृथक बस्ती या 'बाजार' माना जाता था। फ्राइहीड जब नेटालमे शामिल कर लिया गया, तब परवाना निकायने, जबतक वे शहरसे दूरकी एक दूसरी बस्तीमे न चले जाये नया परवाना देनेसे इनकार कर दिया। उस बस्तीमे कुछ भी व्यापार कर सकना उनके लिए बिलकुल असम्भव था। इसलिए फ्राइहीडका व्यापार श्री दादा उस्मानके हकमे बहुत नुकसानदेह साबित हुआ है। इस मामलेमे, और पहलेमे भी, प्रार्थियोके प्रतिष्ठित होनेके सबूतमे सम्माननीय यूरोपीयोके अनेक प्रमाणपत्र पेश किये गये थे। स्मरण रखना चाहिए कि फ्राइहीडमे श्री दादा उस्मानकी दूकान ही एकमात्र भारतीय दूकान थी। परिस्थितिको और भी दुखदायी बनानेवाली एक बात यह भी है कि नेटालके इस जिलेमे ट्रासवालके एशियाई विरोधी कानून जैसे के तैसे ले लिये गये है। इसलिए फ्राइहीडमे रहनेवाले ब्रिटिश भारतीयोको न केवल नेटालके कानूनसे लागू होनेवाली निर्योग्यताए भोगनी पडती है बल्कि साथ ही उनपर ट्रान्सवालके कानूनसे उत्पन्न निर्योग्यताएँ भी लद जाती है।

(३) श्री कासिम मुहम्मद लेडीस्मिथके निकट एक खेतीकी बस्तीमे तीन वर्षोसे व्यापार कर रहे है। कुछ दिनो तक वहा केवल उनकी ही दूकान थी। अभी अभी बर्डेट ऐंड कम्पनी नामकी एक यूरोपीय पेढीने भी पास ही एक दूकान खोल ली है। श्री कासिम मुहम्मदकी अनुपस्थितिमे उनके नौकरको फँसा कर उसपर रविवासरीय व्यापार अधिनियम तोडनेका आरोप लगाया गया। नौकरने फँसानेवालोको साबुनकी एक बट्टी और कुछ चीनी बेच दी थी। इस [सम्बन्धमे दी गई] सजाको हथियार बनाकर बर्डेट ऐंड कम्पनीने श्री कासिम मुहम्मदका परवाना फिरसे जारी किया जानेकी प्रार्थनाका विरोध किया। परवाना-अधिकारीने उनकी आपत्तिको मान लिया और नया परवाना देनेसे इनकार कर दिया। निकायके सामने अपील की गई। उसने परवाना-अधिकारीके निर्णयको बहाल रखा। अदालतने कहा कि वह किसी पक्षपातसे प्रेरित नही है, श्री कासिम मुहम्मदके साथ वह वैसा ही बरताव करना चाहती है जैसा उसने किसी यूरोपीयके साथ किया था। यह गलत था। उस यूरोपीयको अपने पडोसकी खानमे काम करनेवाले भारतीयोको कानूनके खिलाफ अफीम बेचनेपर सजा दी गई थी, और उसके खिलाफ दूसरे आरोप भी लगाये गये थे। श्री कासिम मुहम्मदके नौकरके द्वारा रविवासरीय कानूनका प्राविधिक उल्लघन करने और उक्त यूरोपीय द्वारा स्वय अफीम कानून तोडनेमे अपार अन्तर है। श्री कासिम मुहम्मदने भी प्रतिष्ठित यूरोपीय पेढियोके उत्तम प्रमाण पेश किये थे।

१ देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ३८५-६।
२ देखिए खण्ड ३ पृष्ठ १८।

ऊपरके तीनो मामलोमे प्रार्थियोको उनके परवाने न देने और इस तरह उन्हे शायद उनकी जीविकाके साधनसे वचित करनेमें औचित्यका लेश भी नही है। ये सब निहित स्वार्थ थे, फिर भी हमारी रायमे सावजनिक निकायोने न्याय और अधिकारकी समस्त मान्यताओको कुचलनेमे आगा पीछा नही किया। यदि सर्वोच्च न्यायालयका अधिकार क्षेत्र सुरक्षित रखा जाता, तो ऐसा जबरदस्त अन्याय कभी सम्भव न होता। जिन व्यापारियोकी दूकाने गन्दी हो, अथवा भद्दी ही हो, या जो अपने व्यापारका समझने योग्य लेखा जोखा प्रस्तुत न कर सके, या जो अपने साहूकारोको धोखा देनेके लिए बदनाम हो, उनपर आपत्ति करना समझमे आ सकता है, जनताकी भावना और पूर्वग्रहको ध्यानमे रखकर भारतीय व्यापारियोको नये परवाने देनेमे बहुत ज्यादा हिचकिचाना भी समझा जा सकता है, किन्तु उक्त उदाहरणोमे लोगोके साथ किये गये व्यवहारका औचित्य सिद्ध करना कठिन है। इस सन्दर्भमें, हालमें प्रकाशित केपके विधेयकका अध्ययन कर लेना बहुत ही उचित होगा और उससे इस प्रश्नपर बहुत प्रकाश पडेगा। यद्यपि इस विधेयकपर कोई तर्कसगत आक्षेप नही किया जा सकता, फिर भी इससे ब्रिटिश परम्पराओ अथवा उचितानुचितके प्रारम्भिक विचारोका ठेस पहुँचाये बिना वह सब-कुछ हो जायेगा जो नेटाल अधिनियमके द्वारा उद्दिष्ट था।

सरकारने परवाना देनेवाले अधिकारियोके नाम इस आशयकी गश्ती चिट्ठी भेजी है कि दिये गये परवानाके प्रतिपत्रोपर शिनाख्तको पक्का बनानेके लिए भारतीय प्रार्थियोके अगठेके निशान लिये जाये। इससे एक अतिरिक्त कठिनाई सामने आ गई है। सरकार वर्तमान परवानेदारोके व्यापारसे हटते या मरते ही उनके कारोबार को चलते हुए धन्धेके रूपमे न बेचकर एकदम बेच देनेका इरादा करती है। भारतीयोके साथ इस तरहका भेदभाव करनेका इसके सिवा कोई दूसरा कारण समझमे नही आता। किसी व्यापारीके लिए इसका क्या अर्थ है सो कहनेकी नही, कल्पना करनेकी बात है।

प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियम

इस अधिनियमके अन्तर्गत हालमे सरकारने ऐसे नियम बनाये है, जिनके बलपर खालिस लूट जैसा शुल्क लादा गया है। जो भारतीय नेटालका निवासी है और नेटालमे वापस लौटना चाहता है वह प्राय अपने साथ कुछ लिखित प्रमाण रखता है। उसे सरकार पर्याप्त सबूत मिलनेपर अधिवासी प्रमाणपत्र दे देती है। इसके लिए अभीतक नाममात्रको २ शिलिंग ६ पेंसका शुल्क लिया जाता था, किन्तु अब इसे बढाकर एक पौड कर दिया गया है। इसी प्रकार, जो कुछ दिनाके लिए उपनिवेशमे आना चाहते है या भीतरी राज्योके निवासी होनेके कारण भारत जाते हुए नेटालसे गुजरना चाहते है उनको भी सुविधाएँ दी जाती है। इन्हे अभ्यागत पास या नौकारोहण पास कहते है। अभी हाल तक १० पौड जमा कर देनेपर ये बिना किसी शुल्कके जारी कर दिये जाते थे। जमा की हुई रकम उपनिवेश छोडनेपर वापस कर दी जाती थी। अब इन पासोपर भी एक पौड शुल्क लगा दिया गया है। यह कर असाधारण है। ब्रिटिश भारतीय नेटालसे गुजर कर रेलवेकी आमदनी बढाते है, इस विशेषाधिकारके बदले अब उन्हे एक पौड शुल्क भी देना पडेगा। अभ्यागतोपर भी यही तक लागू होता है। यह देखते हुए कि कानून आकर बसनेपर प्रतिबन्ध लगाता है, कुछ दिन ठहरनेपर नही, यह सोचना स्वाभाविक है कि जो उपनिवेशमे कुछ दिन रहना चाहते है वे वापस हो ही जाये, इस बातको पक्का करनेका खर्च सरकारी खजानेपर पडना चाहिए। किन्तु सरकारने दूसरा ही दृष्टिकोण अपनाया है। वह मानती है कि जो आदमी आरजी तौरपर नेटालकी यात्रा करता है, उसपर भी प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम लागू किया जा सकता है, और इसलिए उपनिवेशमे यात्राकी अनुमति देना उसे एक बहुत बडी सुविधा देना है। कानूनमे इस मान्यताका कोई समर्थन नही मिलता। ऐसे उदाहरण मिलते है जिनमे

जोहानिसबर्गके ब्रिटिश भारतीयोंने १ पौंड देकर नौकारोहण पास लिये और बादमें उन्हें इरादा बदलकर अपनी भारत यात्रा अनिश्चित कालके लिए स्थगित कर देनी पड़ी। इस तरह जिस नौकारोहण पासके लिए उन्होंने एक पौंड शुल्क दिया था, उसका कोई उपयोग न करनेपर भी उन्हें उसके शुल्कसे हाथ धोना पड़ा, और जब वे भारत जाना चाहेंगे उस समय उन्हें फिर नौकारोहण पास जारी कराना पड़ेगा और उसके लिए फिरसे शुल्क देना पड़ेगा। अतः ऐसे शुल्कका अर्थ यही लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश भारतीयोंपर अप्रत्यक्ष रूपसे कर लगानेका प्रयत्न किया जा रहा है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६–६–१९०६

३७९. वफादारीका प्रतिज्ञापत्र

हम, नीचे हस्ताक्षर करनेवाले, गम्भीरता और ईमानदारीके साथ घोषणा करते हैं कि हम महामहिम सम्राट एडवर्ड सप्तम, उनके उत्तराधिकारियों और वारिसोंके प्रति वफादार रहेंगे और सच्ची निष्ठा रखेंगे तथा नेटाल उपनिवेशके सक्रिय नागरिक सेनाकी अतिरिक्त सूचीमें डोलीवाहककी हैसियतसे वफादारीके साथ तबतक सेवा करेंगे जबतक कि हम कानूनन उसकी सदस्यतासे पृथक न हो जायें। हमारी सेवाकी शर्तें ये होंगी कि हममें से प्रत्येकको भोजन वर्दी, सामग्री तथा १ शिलिंग ६ पेंस प्रतिदिन मिलेगा।

मो० क० गांधी, यू० एम० शेलत, एच० आई० जोशी, एस० बी० मेढ, खान मुहम्मद, मुहम्मद शेख, दादा मियाँ, पूती नायकन, अप्पासामी, कुंजी, शेख मदार, मुहम्मद, अलवार, मुत्तुसामी, कुप्पुसामी, अजोध्यासिंह, किस्तमा, अली, भाई-लाल, जमालुद्दीन।[1]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६–६–१९०६

१ देखिए "भारतीय डोलीवाहक दल" पृष्ठ ३७८।

३८० लॉर्ड सेल्बोर्न

जर्मिस्टनके नये नगर भवनका शिलान्यास करते हुए लाड सेल्बानने एक अथगभित भाषण दिया है। उसमे नैतिक तथा राजनीतिक दोनो प्रकारकी सीखोका समावेश है। राजनीतिक दष्टिसे देखे तो वह भाषण गाराको लक्ष्य करके दिया गया है। इसलिए हमारे लिए विचार करने योग्य सामग्रा उसमे कम ही है। कि तु नैतिक दष्टिसे लाड सेल्बोनके शब्द मनन करने योग्य ह। इसलिए हम उनका साराश नीचे दे रहे ह

राजकीय मामलोमे प्रवत्त हमारी (गोरी) जनताके जीवनके लिए नगरपालिकाओका असर बहुत जरूरी है। नगरपालिकाएँ राज काज चलानेके लिए व्यक्तियोको तैयार करनेवाली पाठशालाएँ ह। वहा हमारी सारी कौमके स्वत त्रता रूपी बीजको पोषण मिलता है। अग्रेज लोग सरल किन्तु पराधीन राज्यकी अपेक्षा, निष्ठुर कि तु स्वाधीन राज्य पद्धतिको अधिक पस द करते है। नगरपालिकाए हर समय और हर जगह लोकमत जाहिर करनेका मुख्य स्थान है। नगरपालिका निर्वाचित सदस्योको ही नही निवाचको तथा निर्वाचनके सम्ब धमे चर्चा करनेवालाको भी एक तरहका शिक्षण देती है। उचित आलोचना किस तरह की जाये, यह निवाचकोको भूलना नही चाहिए। यह प्रदेश ऐसा हे जहा विशेष प्रकारके तूफान उठा करते है। तूफान प्राकृतिक और राजनीतिक दो तरहके होते ह। जिस प्रकार प्राकृतिक तूफानोके समय स्थिरता बनाये रखनेवाला स्थिरचित्त व्यक्ति कहलायेगा, उसी प्रकार राजनीतिक तूफानोके समय स्थिर वत्ति रखनेवाला, स्थिर नीतिका व्यक्ति माना जायेगा। शुभ और अशुभ दोनो अवसरोपर जो व्यक्ति अपने आचरणमे स्थिरता दिखाता है, उसीको म विश्वासपात्र मानता हूँ। लोग उसके शब्दा या कामोका सीधा अथ करे या उलटा, उसे यह सिद्ध कर दिखाना चाहिए कि वह अपने सिद्धान्तोपर अडिग है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १६–६–१९०६

३८१ श्री सीडन[1]

न्यूजीलैडके प्रधान मत्री श्री सीडन ६१ वषकी आयुमे किसी भी प्रकारकी बीमारी भोगे बिना इस ससारसे विदा हो गये। वे एक होशियार राजनीतिज्ञ अग्रेज थे। उन्होने लम्बी अवधि तक न्यूजीलैडके निवाचित प्रधान मत्रीका पद भोगकर नाम प्राप्त किया था और अपनी देख-रेखमे देशको सम्पन्न बनाया। उ हे उपनिवेशीय राजनीतिज्ञोमे अग्रगण्य माना जा सकता है। यद्यपि वे बडी सरकारकी अवगणना करके भी उपनिवेशकी सत्ता बढानेका प्रयत्न करते रहते थे फिर भी च् कि उनका रुख ब्रिटिश साम्राज्यके हितोके लिए घातक नही था, इसलिए ब्रिटिश राजनीतिज्ञोमे उ हे सदा प्रमुख कायके योग्य माना जाता था।

जयन्ती, औपनिवेशिक-सम्मेलन और राज्याभिषेक सम्मेलनके समय उपनिवेशोके प्रधान मत्रियोमे उनपर सबसे पहले नजर पडती थी। ऐसे राजनीतिज्ञके देहावसानका समाचार ब्रिटिश

१ 'ओस्वेस्ट्री ग्रेज जहाज द्वारा आस्टेलियाके दौरेसे न्यूजीलैड वापस जाते समय जून १०, १९०६ को रिचर्ड सीडनका देहान्त हुआ।

राज्यके प्रत्येक भागमें शोक उत्पन्न करेगा। श्री सीडनके देहान्तके इस शोकमय अवसरपर महामहिम एडवर्डने प्रजाके नाम शोक सन्देश भेजा है। नेटाल सरकारने भी शोक सन्देश भेजा है। इससे मालूम होता है कि वे कितने विख्यात थे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६-६-१९०६

३८२ पत्र टुकड़ी नायकको

डर्बन
जून १८, १९०६

मुख्य नायक एन० चिआजरी
पॉइंट
[डर्बन]

प्रिय महोदय,

हलका नं० ४ के नेता कप्तान ड्रेने[1] दलके उन सदस्योंको, जो स्वयं वर्दियोंका प्रबन्ध करनेमें समर्थ नहीं हैं, वर्दियाँ देनेके निमित्त उपर्युक्त हलकेमें रहनेवाले भारतीय व्यापारियोंसे चन्दा उगाहनेके प्रयत्न किये हैं। फलतः हम बड़े हर्षके साथ आपको सूचित करना चाहते हैं, कप्तान ड्रेने जितनी रकमका अनुमान बाँधा था उससे अधिक अब हम इकट्ठी कर चुके हैं। साथमें जो सूची नत्थी है उसका अवलोकन करनेपर आपको यह बात प्रकट हो जायेगी। आवश्यकता थी ७० पौंड १५ शिलिंगकी, और चन्देमें आये हैं ८६ पौंड ७ शिलिंग।

हम ५० पौंडकी नकद रकम उपयुक्त प्रयोजनके लिए इस पत्रके साथ आपके हवाले करते हैं। अगर आपको अधिककी आवश्यकता पड़ेगी तो हम बची हुई रकम आपके पास भेज देंगे।

यदि आप चन्दा देनेवालोंकी जानकारीके लिए उन व्यक्तियोंके नाम, जिन्हें वर्दियाँ दी जायें, हमें लिख भेजनेकी कृपा करेंगे तो हम आपके आभारी होंगे।

विद्रोह पूरी तौरपर विफल हो ही चुका है। यदि इस लिहाजसे अब इस रकमकी जरूरत न रह गई हो तो, हम मानते हैं, यह हमें लौटा दी जायेगी।

हम यह भी कहना चाहेंगे कि अगर वर्दियाँ खरीदी जायें तो वे हलका नं० ४की मिल्कियत रहें।

अन्तमें हम कप्तान ड्रेको धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने हमें इस बातका अवसर दिया है कि हम उन नागरिकोंके कार्यकी सराहना — छोटे ही रूपमें सही — व्यक्त कर सकें, जो हलका नं० ४ में रहनेवाले अपने सहनागरिकोंके जान-मालकी हिफाजत करनेके लिए आगे बढ़े हैं।

आपके विश्वस्त,
एस० पी० मुहम्मद व कम्पनी

[सलग्न]

१ इन्होंने २ जूनको कांग्रेस भवनमें अपने हलकेके भारतीय निवासियोंकी एक सभामें व्याख्यान दिया था। समाजके अन्य नेताओंके अतिरिक्त गांधीजी भी उसमें बोले थे। उसमें यह निश्चय किया गया था कि वर्दियोंके लिए ७०पौंड चन्देसे एकत्रित किये जायें और १६व्यक्ति आहत सहायक कार्यके लिए दिये जायें।

चंदा देनेवालोंके नाम

	पौ० शि० पें०
अबूबकर आमद ऐंड क०	१०–१०–०
एम० सी० कमरुद्दीन ऐंड क०	१०–१०–०
दाउद मुहम्मद	१० १०–०
ई० इब्राहीम इस्माइल	८– ८–०
पा० दाउजी मुहम्मद	७–१०–०
जी० एच० मियाँखाँ	६– ६–०
पारसी रुस्तमजी	६– ६–०
एस० पी० मुहम्मद	४– ४–०
एम० सी० आगलिया	२– २–०
हुसेन कासिम	२– २–०
अब्दुल हक ऐंड आमद	२–१०–०
ए० हक मुहम्मद इस्माइल	२– २–०
ए० एम० पारुक	२– २–०
एम० एस० रादेरी	१– १–०
जी० एच० रादेरी	१– १–०
ई० ए० तैयब	१– १–०
एन० कोतवाल	२– २–०
ईस्ट इंडियन ट्रेडिंग कम्पनी	२– २–०
दादा अब्दुल्ला ऐंड क०	१– १–०
अब्दुल हक काजी साहब	१– १–०
आई० बी० तिमोल	१– १–०
एक मित्र	०–१५–०
कुल मीजान पौ०	८६–७–०

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३–६–१९०६

३८३ पत्र गो० कृ० गोखलेको

स्टजर पडाव
जून २२, १९०६

प्रिय प्रोफेसर गाखले,

मै यह पत्र स्टैंजरके[१] सन्निक पडावसे लिख रहा हू। भारतीय डोलीवाहक दलको कल कूच करनेका हुक्म मिला हे। इस बार इस दलके सामने जो काम हे वह ज्यादा मुश्किल तरीकेका है। कुछ भी हो, मेरे लिए यह पूरी तौरसे जरूरी था कि यदि यह दल बने ही ता मै इसके साथ रहूँ। इसलिए मेरे इग्लैड आनेका प्रश्न स्थगित ही रखना होगा।

मै आपके लम्बे पत्र ओर आपके दिये सुझावोके लिए कृतज्ञ हूँ।

मेरा खयाल है कि श्री मार्लेसे आपकी मुलाकाताका[२] परिणाम हमे समयपर ज्ञात हा ही जायेगा। अपनी यात्रामे यदि आप दक्षिण आफ्रिकासे गुजर सके तो आपका यह शानदार काम और भी खिल उठेगा। म जानता हू कि यह स्वार्थीपनका विचार है। परन्तु यह देखते हुए कि आजकल मेरा सम्पूण काय एकमात्र दक्षिण आफ्रिकासे सम्बन्धित है, आप मुझे ऐसे विचारके लिए क्षमा करेगे।

आपका सच्चा,
मो० क० गाधी

प्रो० गो० कृ० गोखले
लन्दन]

हस्तलिखित मूल अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकलसे।
सौजन्य भारत सेवक समिति (सवन्टस आफ इडिया सोसाइटी)।

३८४ अनुमतिपत्रका एक महत्त्वपूर्ण मुकदमा

न्यायकी एक बार पुन विजय हुई हे और ट्रान्सवालके एशियाई अनुमतिपत्र विभागकी ज्याद तियोपर फोक्सरस्टके प्रधान मजिस्ट्रेटके हाथो कल्याणकर रोक लगी हे। इस मुकदमेके बारेमे हमारे जोहानिसबगके सवाददाताने जो साराश भेजा है उससे मालूम होता है कि हीडेलबगके एक प्रतिष्ठित भारतीय व्यापारी श्री ए० एम० भायातके भाई श्री ई० एम० भायातको टान्सवालमे पुन प्रवेशके लिए अनुमतिपत्र न्नेनेसे इनकार किया गया, यद्यपि उन्होने साबित कर दिया था कि वे बस्तीके एक पुराने निवासी हैं और ट्रासवालमे बसनेके लिए, मूल्यके रूपमे, डच सरकारको तीन पौड अदा कर चुके है। श्री भायातके प्राथनापत्रको अत्यधिक प्रभावशाली यूरोपीय समथन प्राप्त हो चुका था। उन्हे

१ डर्बनके ४५ मील उत्तर पूर्व एक कस्बा।

२ प्रो० गोखले जिन्होने दिसम्बर १९०५ में, काग्रेसके बनारस अधिवेशनकी अध्यक्षता की थी इस समय इंग्लैडमें थे। वे बगभग आदि विविध भारतीय समस्याओ और सुधारोके सम्बन्धमें भारत मत्री श्री मॉर्लेसे अनेक बार मिले थे।

ट्रान्सवाल जाकर अपने भाईका स्थान ग्रहण करना था। क्योंकि उनके भाईका स्वास्थ्यके खयालसे भारत जाना जरूरी हो गया था। ऐसे प्रमाणके होते हुए भी श्री भायात अनुमतिपत्र प्राप्त न कर सके। इसका कथित कारण यह बताया गया कि चूंकि युद्ध छिड़नेके कुछ वर्ष पूर्व ही वे ट्रान्सवाल छोड़कर जा चुके थे इसलिए उन्हें शरणार्थी नहीं कहा जा सकता। ब्रिटिश भारतीय संघके द्वारा मामला लॉर्ड सेल्बोर्नके पास भेजा गया, परन्तु परमश्रेष्ठने भी राहत देनेसे इनकार कर दिया। हमारे लिए यह दुःखद आश्चर्यका विषय है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण मामलेमें उच्चायुक्त न्याय करनेसे इनकार कर दे। भारतीयोंको यह शिकायत करनेका अधिकार है कि परमश्रेष्ठने भारतीय समाजके प्रति वह उचित सम्मान नहीं दिखाया जिसके, उन्होंने कुछ ही समय पहले कहा था, भारतीय सही तौरपर अधिकारी हैं।

इस इनकारीसे चिढ़कर श्री भायातने उपनिवेशकी अदालतसे अपील की, जिसका फैसला पूर्ण रूपसे श्री भायातके पक्षमें हुआ। शान्ति रक्षा अध्यादेशकी मजिस्ट्रेट द्वारा की गई व्याख्याका अर्थ यह है कि, जो भारतीय पुरानी सरकारको तीन पौंड दे चुके हैं वे ट्रान्सवालमें, उक्त रकमकी अदायगीका प्रमाण देकर, बिना अनुमतिपत्रके प्रवेश कर सकते हैं।

इस मुकदमेने एक बार फिर प्रदर्शित कर दिया है कि ट्रान्सवालमें सरकारसे न्याय पाना किसी भारतीयके लिए कितना कठिन है। जबसे इस उपनिवेशमें ब्रिटिश शासनकी स्थापना हुई है तबसे ब्रिटिश साम्राज्यके उस भागमें भारतीयोंको अपने अस्तित्वके अधिकारके लिए संघर्ष करना पड़ा है। अनेक बार वे उपनिवेशकी अदालतोंकी सहायता द्वारा अनिच्छुक सरकारसे न्याय हासिल करनेको मजबूर हो चुके हैं। लॉर्ड सेल्बोर्नको ब्रिटिश भारतीय संघकी यह शिकायत बुरी लगी कि परवाना सम्बन्धी परीक्षात्मक मुकदमेमें सरकारने भारतीयोंका विरोध किया। शायद उसमें बुरा लगनेका कुछ आधार था भी, क्योंकि गणराज्यके उच्च न्यायालय द्वारा किया गया एक फैसला मौजूद था, जिसे अमलमें लानेके लिए वर्तमान सरकारने अपनेको बाध्य महसूस किया। पर वर्तमान मामलेमें तो ऐसा कोई पूर्वोदाहरण भी नहीं था। शान्ति रक्षा अध्यादेश ब्रिटिश सरकारकी रचना है। भारतीय प्रवासियोंके आव्रजनपर प्रतिबन्ध लगानेकी गरजसे उसे उसके उचित क्षेत्रसे खींचतान कर लागू किया गया। किसी पूर्वोदाहरणका विचार किये बिना स्वयं ही आगे बढ़कर राहत देना सरकारके अपने हाथमें था। फिर भी एक भारतीय व्यापारीको बहुत व्यय करना पड़ा है, वह परेशानीमें फँसा है और उसे प्रारम्भिक न्यायपूर्ण व्यवहार पानेके लिए भी उपनिवेशकी अदालतोंका सहारा लेनेको मजबूर होना पड़ा है। हमें कौतूहल है कि लॉर्ड सेल्बोर्न ट्रान्सवालकी शासन-सत्ताकी इस नवीनतम कारवाईको किस प्रकार न्यायसंगत ठहराते हैं।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३–६–१९०६

३८५ भारतीय स्वयसेवक

युद्धमे भारतीय भाग ले अथवा न ले, इस बातकी काफी चर्चा इस पत्रमे हो चुकी हे। सरकारने २० आदमियोका दल स्वीकार किया है और काग्रेसने उतने आदमी तैयार कर दिये ह। इसका असर प्रमुख गोरोके मनपर बहुत अच्छा हुआ है। हमने इतना किया, इससे कुछ प्रमुख गोरे मानने लगे है कि ऐसे कामोके लिए हममे स्वाभाविक क्षमता है, और इस आधारपर उनकी राय है कि हम स्थायी स्वयसेवकोमे भरती होनेकी माग करे।

इस सुझावमे और जो डोलीवाहक दल तयार हो चुका है उसमे बहुत अन्तर है। डोली ले जानेवाली टुकडी थोडे ही दिनोके लिए हे। उस टुकडीको सिफ डोली लाने लेजानेका काम दिया जानेवाला है और उस कामकी जरूरत न रहनेपर उसे छुट्टी मिल जायेगी। इन लोगोको हथियार रखनेकी इजाजत भी नही है। स्वयसेवक दलका काम इससे बिलकुल अलग है और अपेक्षाकृत महत्त्वपूण है। वह दल स्थायी होगा। उसमे शामिल होनेवालोको हथियार मिलेंगे और हर वष निर्धारित दिनोमे फौजी काम सीखनेके लिए जाना पडेगा। उन्हे अभी तो लडाईका काम नही करना पडेगा। लडाई हमेशा नही होती। अन्दाजन बीस वषमे एक बार लडाई होती है, ऐसा लोग कहते है। नेटालमे वतनी-विद्रोह हुए आज बीस वषसे अधिक समय हो गया है। इसलिए स्वयसेवकोको भरती होनेमे किसी भी प्रकारकी जोखिम नही है। उसे एक तरहकी वार्षिक सैर कहा जा सकता है। उसमे दाखिल होनेवालेको पूरा व्यायाम मिलता है, जिससे उसका शरीर नीरोग रहता है और तन्दुरुस्ती अच्छी हो जाती है। स्वयसेवकोमे भरती होनेवालेको सदा अच्छा आदर मिलता है। उसे लोग चाहते है और 'नागरिक सनिक' कहकर बखान करते है।

यदि भारतीय इस अवसरका लाभ उठाये तो, हमारे विचारसे, यह बात बहुत अच्छी होगी। इससे सहज ही राजनीतिक लाभ मिलना सम्भव है। वैसा लाभ हो या न हो, किन्तु यह काम करना हमारा कतव्य है, इसमे कोई सन्देह नही है। सैकडो प्रमुख गोरे इस काममे भाग लेते है और इसमे गौरव मानते है। सरकार कानूनन किसी भी व्यक्तिको इसके लिए बाध्य कर सकती है। हम जिस देशमे रहते है उस देशके सुरक्षा कानूनोका हमे पालन करना चाहिए। इस तरह चाहे जिस दष्टिसे देखे, यह ठीक मालूम होता है कि यदि हम स्वयसेवकोमे शामिल हो सके, तो हमारे ऊपर जो लाछन लगाया जाता है वह इमसे हमेशाके लिए दूर हो जायेगा।

आज पन्द्रह वर्षोसे भारतीयोपर गोरे यह तोहमत लगाते आये है कि यदि नेटालकी रक्षामे अपनी जान देनेकी नौबत आ पडे तो भारतीय लोग अपने कत्तव्यका स्थान छोडकर घर भाग जायेगे। इसका जवाब हम कहकर नही दे सकते। इसका एक ही तरीकेसे स्पष्टीकरण किया जा सकता है और वह है करके दिखाना। वैसा करनेका आज समय आया जान पडता है। किन्तु वह किस तरह किया जाये? गिरमिटसे छूटे हुए गरीब लोगोको स्वयसेवक बनाकर नही। व्यापारी वगका कत्तव्य है कि वह स्वय इस आन्दोलनमे भाग ले। हर दूकानसे एक व्यक्ति दिया जाये, तो भी काफी व्यक्ति तयार हो सकते ह। ऐसा करनेसे व्यापारको धक्का नही लगेगा। जो आदमी शामिल होगे उनकी स्थिति सुधरेगी, उत्साह बढेगा और माना जायेगा कि उन्होने नागरिककी हैसियतसे अपना कत्तव्य पूरा किया।

कुछ लोगोका खयाल है कि लडाईमे जाने अथवा उसके लिए तैयारी करनेमे जानकी अधिक जोखिम है। यह निरा भ्रम हे। इसके प्रमाण हम अगले सप्ताह देना चाहते है।[1]

१ देखिए "भारतीय लड़ाईमें जायें या नहीं?", पृष्ठ ३७६।

तबतक हम नेताओके सामने उपयुक्त विचार रख रहे है और हमे आशा है कि वे उसपर अवश्य सोचेगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २३–६–१९०६

३८६ सुलेमान मगाका मुकदमा

श्री सुलेमान मगाके[1] अनुमतिपत्रके बाबत जो मुकदमा हुआ था उसका पूरा विवरण हमने अग्रेजीमे दिया था। उसके आधारपर सर हेनरी काटनने ससदमे सवाल पूछा था। श्री चर्चिलने[2] जवाब दिया कि उसके बारेमे तत्काल तजवीज की जायेगी। यह सवाल और जवाब बहुत महत्त्वपूण है। लाड सेल्बोन क्या जवाब देते ह, यह देखना है। सम्भव है कि अनमतिपत्र मम्बन्धी राहतका मिलना न मिलना बहुत कुछ उनके जवाबपर निभर करेगा।

श्री चर्चिलने जो जवाब दिया कि जाच कराई जायेगी, उससे ऐसा माना जा सकता है कि बडी सरकार अपनी जवाबदेही एकदम अस्वीकार नही करेगी।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २३–६–१९०६

३८७ लेडीस्मिथके गिरमिटिया भारतीय

लेडीस्मिथके गिरमिटिया भारतीयोपर किये गये अत्याचारोका विवरण हमारा लेडीस्मिथका सवाददाता दे चुका है। यह हकीकत हमने अग्रेजी विभागमे भी दी थी।[3] वह सरक्षक श्री पालकिग हानके पढनेमे आया इसलिए उन्होने हमे सूचित किया है कि उस मामलेकी पूरी जाच की जा रही है। यह प्रसन्नताका समाचार है और उम्मीद की जा सकती है कि गरीब भारतीयोको कुछ न कुछ न्याय मिलेगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २३–६–१९०६

३८८ भारतीय डोलीवाहक दल

इस टुकडीके वेतनके सम्बन्धमे काग्रेसने जो पत्र लिखा था, उसका उत्तर अवैतनिक मन्त्री श्री उमर हाजी आमद झवेरी तथा श्री मुहम्मद कासिम आगलियाको मिला है। उसमे सरकारने लिखा है कि वह काग्रेसकी वेतन चुकानेकी माग स्वीकार करती है।

श्रीमती नानजी तथा श्रीमती गैब्रियलने मिलकर टुकडीके सदस्योके लिए रेडक्रासके पट्टे बनाये है। ये पट्टे बायी भुजापर पहने जाते है। इनसे यह जाना जाता है कि ये केवल जख्मियोकी

१ देखिए 'एक अनुमतिपत्र–सम्बन्धी मामला' पृष्ठ ३५५।

२ श्री विन्स्टन चर्चिल, जो उस समय सहायक उपनिवेश–मन्त्री थे।

३ देखिए **इडियन ओपिनियन,** ९–६ १९०६।

सेवा करनेवाले व्यक्ति है। वतनियोके विद्राहमे इन पट्टोका बहुत महत्त्व नही हे, कि तु यूरोपीय लोगोमे तो यह परिपाटी रूढ है कि इस पट्टेवाले व्यक्तिपर हथियार नही उठाया जा सकता।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २३-६-१९०६

३८९ कियायेके बारेमे महत्त्वपूर्ण मुकदमा

नेटालके सर्वोच्च न्यायालयमे मासिक किरायेदारोको नोटिस देनेके बारेमे एक महत्त्वपूण मुकदमेका फैसला हुआ है। साधारण मा यता यह है कि किरायेदारको चाहे जिस तारीखसे एक महीनेकी सूचना देना काफी है और किरायेदार भी ऐसी सूचना देकर घर छोड सकता है। जान पडता हे कि ऐसा ही वकीलोका भी खयाल था। किन्तु सर्वोच्च यायालयने फैसला दिया है कि सूचना उसी तारीखसे दी जानी चाहिए जिस तारीखको किरायेदार आया हो, अर्थात यदि कोई किरायेदार अमुक महीनेकी छठी तारीखको आया हो, तो वह घर छोडनेकी एक महीनेकी सूचना छठी तारीखसे ही दे सकता है अथवा छठी तारीखमे शुरू होनेवाली पेशगी सूचना दे सकता है। इसी तरहकी सूचना देनेके लिए मकान मालिक भी बाध्य हे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २३-६-१९०६

३९० जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

श्री भायातके अनुमतिपत्रका मुकदमा

जैसा श्री सुलेमान मगाका मामला था, वैसा ही श्री इब्राहीम भायातका भी हुआ है।। श्री मगाको मियादी अनुमतिपत्र पानेका पूरा हक था, फिर भी अनुमतिपत्र अधिकारीने नही दिया। कि तु अ तमे उन्होने डेलागोआ बे से अनुमतिपत्र प्राप्त किया। श्री इब्राहीम भायात ट्रा सवालके पुराने निवासी है और बहुत से नामी गोरोसे उनकी जान-पहचान है। उनकी अर्जीको बहुतमे व्यक्तियोका समथन प्राप्त था। फिर भी चकि वे ठीक लडाईके समय नही, बल्कि एक वष पहले ट्रान्सवाल छोडकर चले गये थे इसलिए अनुमतिपत्र देनेसे इनकार किया गया। यह तो जुलमकी हद हो गई। श्री भायातको अपने भाईके व्यापारके लिए हर हालतमे जाना था, इसलिए उन्होने मुकदमा दायर करना तय किया। उ होने श्री बे सनकी सलाह ली थी और फोक्सरस्टमे श्री लिखटनस्टाइनने परवी की थी। श्री भायातके बचावमे नीचे लिखी दलीले दी गइ

(१) श्री इब्राहीम भायात ट्रा सवालके पुराने निवासी ह।

(२) उ होने डच सरकारको तीन पोड दे दिये थे, और, तीन पौड देकर टा सवालमे सदाके लिए रहनेका हक प्राप्त कर लिया था।

(३) ल दन समझौतेके अनुसार ऐसे लोगोको स्थायी रूपसे रहनेका अधिकार है।[1]

१ लन्दन समझौतेकी शर्तोंके अनुसार जबतक कोई यक्ति खतरनाक या राजद्रोही न समझा जाये तबतक उसके विरुद्ध गवर्नर अपने विवेकाधिकारका उपयोग नही कर सकता। समझौतेकी शर्तोंके द्वारा सभी ब्रिटिश प्रजाजनोको भूतपूर्व गणराज्यमें मुक्त और अबाध प्रवेशका भी अधिकार दिया गया था।

(८) चूंकि श्री भायातकी शादी ट्रान्सवालमें हुई है, इसलिए वे ट्रासवालके स्थायी निवासी माने जायेंगे।

इन दलीलोके सामने अनुमतिपत्र अधिनियम थोथा पड गया और मजिस्ट्रेटने यह फैसला दिया कि ऐसे व्यक्तियोको अनुमतिपत्रकी आवश्यकता नही है।

यह बहुत अच्छा परिणाम निकला है, और इससे अनुमतिपत्र कार्यालयकी करारी हार हुई है। इसके जवाबमें लॉड सेल्बोन कौन सी दलील पेश करते हैं, यह हमें देखना है।

इस मुकदमेका नतीजा यह हुआ है कि जो भारतीय पहलेसे टान्सवालके निवासी ह और जिनके पास डचो द्वारा पजीकृत प्रमाणपत्र ह वे ट्रासवालमे बिना अनुमतिपत्रके आ सकते ह। इससे बहुत-से न्यक्तियाका कष्ट दूर होगा।

फिर भी मुझे कहना चाहिए कि उपयुक्त मुकदमेमे घोटाला है। फोक्सरस्टके न्यायाधीश भले है और उन्होने दया करके कानूनका अथ हमारे पक्षमे किया है। पजीकृत लोगोको भी अनुमतिपत्र लेना चाहिए, ऐसा कहनेवाले बहुत से बडे बडे बैरिस्टर हैं। और इस बातमे काफी मुश्किले हैं, इसमे कोई शक नही। फिर भी इस न्यायाधीशके फसलेके विरुद्ध अब सरकार अपील नही कर सकती इसलिए जबतक भारतीय सावधानीसे मजबूत मुकदमा लेकर जायेंगे तबतक उन्हे कोई रुकावट नही होगी। सम्भव है, लोगाके लिए कोमाटीपोटके बदले फोक्सरस्ट आना अधिक आसान होगा, क्योकि सब न्यायाधीश एक ही तरहका फैसला देंगे, ऐसा माननेका कारण नही है। जबतक इस मुकदमेका फैसला सर्वोच्च न्यायालयमे नही होता तबतक यह न माना जाये कि इस बातका अन्तिम फैसला हो गया है। साथ ही यह भी खयाल रखना है कि यह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालयमे ले जाने योग्य नही है।

जोहानिसबर्गकी नगरपालिकाका नया कानन

जोहानिसबगकी नगरपालिका विधानसभाके इसी सत्रमे अपने लिए नया कानून पास कराना चाहती है। उसके द्वारा वह एशियाई बस्ती अथवा 'बाजार' मुकरर करनेकी सत्ता चाहती है, और जिन्हे परवाना पानेका अधिकार हे उन्हे, यदि उनके मकान खराब हो या उन्होने कोई गुनाह किया हो तो, परवाना न देनेका अधिकार मागती है। नगर परिपदका निणय जिन्हे मजूर न हो वे न्यायाधीशके पास अपील कर सकते हैं। इन दोनो बातोका विरोध करना आवश्यक नही दिखता। बाजार' मुकरर करनेका अख्तियार मिलनेसे नगर परिषदका उसमे भेजनेका अख्तियार नही मिल जाता।

लॉर्ड सेल्बोर्न

यहाके समाचारपत्रोसे मालूम होता है कि लॉड सेल्बोनको दक्षिण आफ्रिकासे हटानेकी तजवीज हो रही है। आमूल सुधारवादी (रैडिकल) पक्षके सदस्योकी मान्यता है कि लॉड सेल्बोन उदारदलीय विचारोको ठीक तरहसे अमलमे नही लाते।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३–६–१९०६

३९१ भारतीय लडाईमें जायें या नही ?

पिछले अकमे हम इस विषयमे विवेचन कर चुके ह।[1] उसके अतिम हिस्सेमे हमने बतलाया था कि हममे से ज्यादातर लोग प्राय भयके कारण ही पीछे रहते है। यदि लोग ऐसा चाहते है कि हम नेटाल, दक्षिण आफ्रिका अथवा ब्रिटिश राज्यके किसी भी हिस्सेमे सुख और इज्जतसे रहे, तो हमे लडाईके काममे भाग लेनेके लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हे समझानेके लिए हम कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहते है जिनसे स्पष्ट मालूम हो जायेगा कि डरनेका कोई भी कारण नही। क्रीमियाकी लडाई बडी ही खून खराबीकी थी, किन्तु आकडासे पता चलता है कि जितने मनुष्य अपनी लापरवाही अथवा गलत तरीकेसे रहकर मरे है उससे क्रीमियाकी लडाईमे भाले या गोलीसे कम मरे है। लेडीस्मिथके आक्रमणके समय भी ऐसी गणना की गई थी। उसमे भी मालूम हुआ है कि बोअरोकी गोलियोकी अपेक्षा ज्वर और दूसरी बीमारियोसे औसतन अधिक मनुष्य मरे। ऐसा ही अनुभव प्रत्येक लडाईका है।

फिर, जो लडाईमे अपने शरीरकी अच्छी सम्भाल रखते है और नियमसे रहते है, वे बहुत ही निरापद रह सकते ह। और जो लडाईमे बहादुरी दिखाने अथवा खूनकी प्यास लेकर ही नही जाते, उनको इस समय जो तालीम मिलती है वैसी तालीम दूसरी जगह कभी नही मिलती। लडाईमे जानेवाले व्यक्तिको कठिन दुख सहना सीखना पडता है। बहुत से मनुष्योके साथ हिलमिलकर रहनेकी आदत जबरदस्ती डालनी पडती है। सादी खुराक खाकर सुख मानना वह सहज ही सीख जाता है। नियमपूवक सोना बठना भी उसे अनिवाय रूपसे सीखना पडता है। अपने वरिष्ठ अधिकारीकी आज्ञा बिना विवादके माननेकी आदत पडती है। नियमपूवक चलना फिरना भी वहा आ जाता है और बहुत ही तग जगहमे भी स्वास्थ्यके नियमोका निर्वाह करते हुए रहना जानना पडता है। ऐसे उदाहरण देखनेमे आये ह कि बहुत लापरवाह और उद्धत व्यक्ति भी युद्धमे जानेके बाद सुधरकर, अपने मन और शरीरपर सयम रखना सीख कर, वापस आये है।

भारतीय कौमके लिए तो लडाईमे जाना सहज बात होनी चाहिए, क्योकि हम चाहे मुसलमान हो चाहे हिन्दू, हम ईश्वरपर बहुत आस्था रखते है। हमे अपने कर्त्तव्यका भान ज्यादा है इसलिए लडाईमे जानेकी बात सहज ही हमारी समझमे आनी चाहिए। हमारे देशमे अकाल और प्लेगसे लाखो मनष्य मरते है उससे हम लोग नही डरते। इतना ही नही जब हमे बताया जाता हे कि उसके विषयमे हमारा कर्त्तव्य क्या है, तब भी हम अत्यन्त लापरवाही करते है, घर-बार गन्दे रखते है और पैसोसे चिपटे पडे रहते है। ऐसी अधम जिन्दगी बिताते हुए तिल तिलकर मरना पसन्द करते है। ऐसे जो हम ह उन्हे यदि लडाईमे जाकर कदाचित मरना पडे तो उससे डरना क्या चाहिए? नेटालमे गोरे जो करते है उसे देखकर हमे बहुत सबक लेना है। शायद ही उनमे कोई ऐसा कुटम्ब हो जिसमे से काफिर विद्रोहमे एक न एक आदमी न गया हो। उनसे सीखकर हमे अपने मनमे जोश भरनेकी पूरी आवश्यकता है। यह एक ऐसा अवसर आया है जब प्रमुख गोरे चाहते है कि हम उपयुक्त कदम उठाये। यदि हम इसमे चूक जायेगे तो पीछे पछताना होगा। इसलिए हम सारे भारतीय नेताओको सलाह देते है कि वे इस विषयमे अपने कतव्यका भली भाति पालन करे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ३०–६–१९०६

१ देखिए "भारतीय स्वयसेवक", पृष्ठ ३७२–३।

साजेंट मेजर गाधी

३९२ उद्धरण दादाभाई नौरोजीके नाम पत्रसे[1]

जन ३०, १९०६[2]

मै 'इडियन ओपिनियन की एक प्रति निशान लगाकर अलग लिफाफेमे भेज रहा हूँ। उसमे नगर-निगम सग्राहक विधेयक (म्युनिसिपल कारपोरेशन्स कसालिडेशन बिल) के सम्बन्धमे नेटाल उपनिवेशके गवनरके नाम लाड एलगिनके पत्रोकी नकल उपलब्ध है। लाड एलगिनके खरीतेपर विचार करनेके लिए हालमे नगरपालिका सघकी जो बैठक हुई उसमे किये गये निणयकी ओर म आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। निणयका आशय यह है कि "रगदार की परिभाषामे कोई परिवतन नही किया जाना चाहिए। इस निणयसे भारतीय समाजके दलित ओर अपमानित होते रहनेका खतरा जैसा-का-तैसा बना रहता है। आशा है कि भारत मन्त्री और भारत-सरकार उपनिवेश मत्री द्वारा दिये गये सुझावको कार्यान्वित करानेका आग्रह करेगे। साथ ही यह भी इगित करना चाहता हूँ कि लाड एलगिनने विधेयककी उस धाराका कोई उल्लेख नही किया है, जिसके द्वारा उन सबके मतदानका अधिकार छीन लिया गया है जिन्हे ससदीय मताधिकार प्राप्त नही है। आपको निस्सदेह याद होगा कि स्वर्गीय श्री हैरी एस्कम्बकी तीव्र इच्छापर नेटालके भारतीय समाजने उन सब भारतीयोका मताधिकारसे वचित रखा जाना स्वीकार कर लिया था, जिनके नाम उस समय ससदीय मतदाताओकी सूचीमे शामिल नही थे। इसमे यह खयाल स्पष्ट था कि मताधिकारसे वचित रखनेकी सीमा बढाई नही जायेगी। आपको एक बार फिर याद दिला देना ही पर्याप्त होगा कि यदि नेटाल निवासी ब्रिटिश भारतीयोको नगरपालिका मताधिकारसे इस तरह वचित रखा जाता है तो उनकी स्थिति, जैसी भारतमे होनी, उससे खराब होगी। भारतमे बेशक ऐसी प्रातिनिधिक सस्थाओका लाभ उन्हे प्राप्त है। कुछ नगरपालिकाओ द्वारा ब्रिटिश भारतीयो और यरोपीयोमें ईर्ष्याजनक और मनमाने भेदभाव का विवरण 'इडियन ओपिनियन' के स्तभोमे अनेक बार प्रकाशित हो चुका है। उसे देखते हुए यह प्रकट है कि यदि नेटालके भारतीय समाजके नागरिक अधिकारोपर यह कुठाराघात रोकनेके उपाय तत्काल नही किये गये तो उक्त समाज जबरदस्त अन्यायका शिकार हो जायेगा।

दादाभाई नौरोजीके अग्रेजी पत्रकी फोटो नकल (जी० एन० २३१६) से।

१ और २ मूल प्राप्त नही है। दादाभाई नौरोजीने इस अनुच्छेदको भारत मन्त्रीके नाम लिखे अपने २४ जुलाईके पत्रमें "जोहानिसबर्गके एक समाचारदातासे प्राप्त पत्र के अशके रूपमें उद्धत किया था। समाचारदाता स्वय गांधीजी थे। यद्यपि इस पत्रमें दी हुई तारीखको गाधीजी मोर्चेपर थे पर यह असम्भव नही कि उन्होंने इसे पहले ही लिख रखा हो।

३९३ भारतीय डोलीवाहक दल[1]

[जुलाई १९, १९०६ के पूव]

दलका सगठन

वतनियोके विरुद्ध की जानेवाली सैनिक कारवाईके सम्ब धमे, प्रयोगके तौरपर नेटाल सरकारके आदेशसे यह दल बनाया गया हे। इसमे बीस[2] भारतीय है, जिनके नाम निम्नलिखित है

मो० क० गाधी (सार्जट मेजर), यू० एम० शेलत (सार्जेंट) एच० आई० जोशी (सार्जेंट), एस० बी० मेढ (सार्जेंट), प्रभु हरि (कॉरपोरल), खान मुहम्मद जमालुद्दीन मुहम्मद, शेख मदार, शेख दादामिया मुहम्मद ईसप पूती नायकन, अप्पासामी किस्तमा, कुप्पुसामी, बोमाया, कुजी, अजोध्यासिह।

मजहबके लिहाजसे दलमे छ मुसलमान और चौदह हिदू है। भौगोलिक दष्टिसे पाच बम्बई प्रेसिडेसीसे, बारह मद्रास प्रेसिडेसीसे, दो पजाबसे और एक बगाल प्रेसिडेसीसे आये हुए है। यह भी कह देना चाहिए कि बारह मद्रासियोमे एक इसी उपनिवेशमे पैदा हुआ है।

जहातक हैसियतका सम्ब ध हे, इनमे से तेरह कभी न कभी नेटालमे गिरमिटके अधीन रहे है और अब आजाद होकर माली, घरेलू नोकर आदिके रूपमे काम कर रहे है। पेशेके लिहाजसे इनमे से दो इजिन चालक ह एक सुनार है, तीन एजेट और मुनीम है, जिहोने भारतमे उच्च शिक्षा प्राप्त की है, और एक बैरिस्टर हे।

अब यह सुविदित हे कि सरकारने वर्दी और भोजनका प्रब ध किया है और नेटाल भारतीय काग्रेस उनको वेतन देती है।

मोर्चेपर

जून २२ को यह दल सुबहकी गाडीसे स्टजरके लिए रवाना हुआ ओर वहा बी० एम० आर० टुकडीसे, जो कि कनल आरनाटके अधीन थी जा मिला। कनल आरनाट उस समय स्टैजरकी छावनीमे डेरा डाले हुए थे। टुकडीके सार्जेंट मेजरसे सलाह-मशविरा करनेके बाद कनल आरनाटने आदेश दिया कि इस डालीवाहक दलको यूरोपीय भोजन मिला करे और मासके बदले चावल, दाल तथा पिसा मसाला दिया जाये। इस पत्रमे पाठकोकी जानकारीके लिए एक व्यक्तिका दैनिक राशन नीचे दिया जाता है

डबल रोटी या बिस्कुट १ पौड चीनी ५ औस, चाय ½ औस काफी ½ औस, मक्खन १ औस, नमक ½ औस मुरब्बा २ औस, पनीर २ औस, आलू ४ औस, प्याज २ औस, दक्षिण आफ्रिकी ज्वारका आटा ४ औस, चावल १ पौड, मसूरकी दाल ½ पौड तथा काली मिच।

चूकि कनल आरनाटकी सैनिक टकडीके साथ कोई चिकित्साधिकारी नही था, इसलिए कनलने थोडी मात्रामे तत्कालिक आवश्यकताकी औषधिया और कुछ पट्टिया देनेका आदेश दिया। हमारे पास रेडक्रासकी पट्टिया देखकर बहुत से सैनिकोने, जो दुघटनाजनित मामली चोटोसे पीडित थे या

१ मोर्चेपरसे गांधीजाने दो सवादपत्र भेजे थे, जो ‘ हमारे मोर्चा स्थित विशेष सवाददाता द्वारा प्रेषित” रूपमें **इडियन ओपिनियन**में छपे थे। यह उनमेंसे पहला सवादपत्र था।

२ वस्तुत सूचीमें केवल १८ यक्तियोंके नाम है।

मलेरिया ज्वरसे ग्रस्त थे, उसी दिन आवेदन किया। इसलिए दवाइयां अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई, और दलके कार्यका एक अंश छावनीमें ही शुरू हो गया।

२२ तारीखकी रात छावनीमें बीती और हम सब लोगोंको बाहर, खुलेमें सोना पड़ा। हममें से हर एकको एक एक कम्बल दिया गया था, पर वह सर्दीकी रक्षा करनेके लिए काफी न था। इसलिए भारतीय समाज द्वारा खोले गये सुख सुविधा निधि (कम्फर्टस फंड) के जरिये हमें जो लबादे (ओवरकोट) दिये गये थे उनकी बहुत कद्र की गई।

जून २३ को सुबहके नाश्तेके बाद सारी टुकड़ी, जिसमें डर्बन सुरक्षित सैन्यदल, भारतीय दल तथा पृष्ठ रक्षक सैन्यदल शामिल थे, आगे बढ़ी।

हमें अपना सामान लादकर चलना पड़ता था। यह अनुभव हममें से अधिकांशके लिए नया था और फिर हमें ज्यादातर चढ़ाईपर ही चलना पड़ता था, इसलिए हममें से कुछको यह बहुत खला। रास्तेमें हम सर जेम्स हलेटके बागसे गुजरे और सैनिकोंको मधुर नार्तीजी[1] फल, जिनसे बागके वृक्ष लदे हुए थे भरपेट खानेकी अनुमति दी गई। इस सामयिक भेंटके लिए दाताका तीन बार जय-जयकार कर टुकड़ी आगे बढ़ी और बागानसे एक मील आगे उसने डेरा डाला। तारीख २४ को ६–३० बजे सुबह ही कूच आरम्भ हो गया। इस बार हमें अपना सामान गाड़ियोंपर रखनेकी इजाजत मिल गई, जिससे बड़ी राहत मिली। टुकड़ीने ओटीमाटीपर जो उस सुन्दर घाटीकी एक पहाड़ी है, डेरा डाला। हमारे पास ही एक स्वच्छ झरना बह रहा था। यह इरादा नहीं था कि टुकड़ी मापूमलो तक जाये। बल्कि उसे ओटीमाटी छावनीमें सैनिक कारवाई करनी थी। किन्तु हमारे दलको प्रथम रक्षक दलके साथ मापूमूलो जानेका आदेश था। इसलिए २५ जूनको हम अपने निर्देशके बारेमें अनिश्चित स्थितिमें थे, किन्तु हमारा दोपहरका भोजन मुश्किलसे आधा पका था कि आदेश मिला — हम कुछ गाड़ियोंके साथ जो उधर जा रही थीं, मापूमूलोके लिए रवाना हो जायें। इसलिए हमें खाना पीना छोड़, आदेश मिलनेसे पन्द्रह मिनटके अन्दर ही सामान बांधकर कूचकर देना पड़ा। हमने ५ बजे शामको मापूमूलो पहुँचकर उस स्थानके सैनिक अधिकारी कप्तान हाउडेनको अपने आगमनकी सूचना दी। कप्तान हाउडेनने दलके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, और कॉरपोरल लिटिल, जिनको हमारी देखभालका काम सौंपा गया था १० बजे रात तक हमारे लिए तम्बुओंका बन्दोबस्त करनेमें लगे रहे। हमें एक घंटिकाकार तम्बू और पांच गश्ती तम्बू दिये गये जो तीन रात तक खुलेमें सो चुकनेके बाद न्यूनाधिक रूपमें विलास सामग्रीके समान लगे, यद्यपि हममें से अधिकांशके लिए वे बहुत आवश्यक थे। कर्नल स्पार्क्स भी आये और उन्होंने हमारे हाल चाल पूछे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१–७–१९०६

1 दक्षिण आफ्रिकाका सतरेके समान एक फल।

३९४ भारतीय डोलीवाहक दल[१]

[जुलाई १९, १९०६के पूर्व]

अतिरिक्त असैनिक सेवा कार्य

२६ तारीखको हमे अपना काम सौप दिया गया था। हममे से ९ को उन गाडियोके साथ अतिरिक्त सेवाके लिए नियुक्त किया गया था जो पासकी नदीसे पानी लाती थी। कुछ मापूमूलोके जिला सार्जेट डा० सेवेजकी देखरेखमे सारे शिविरको दवा छिडककर नीरोग करनेके लिए रोक लिये गये थे और हममे से तीन चार उन बहुत-से वतनी विद्रोहियोके घावोकी शुश्रूषापर नियुक्त हुए जि हे कोडे लगाये गये थे। हममे से एकने कप्तान हाउडेनके मरीजोकी दैनिक हाजिरी भरनेमे मदद दी। फिर भी डोलीवाहनका काम तो अभी आना था। ऊपरके कामोसे कुछमे आशिक बाधा आई अथवा वे मुल्तवी कर दिये गये, क्योकि थ्रिग्स पोस्टमे बी० एम० आर० टुकडीके द्वारा होनेवाले कामके बारेमे प्रकाश स देशके अनुसार हमे एक डोलीवाहक टुकडी ओटीमाटी भेजनी थी। इसलिए २७ के सवेरे जल्दी ही सार्जेट मेजर गाधी और सार्जेट जोशीके निरीक्षणमे दलका आधा हिस्सा दो डोलियोके साथ ओटीमाटी रवाना हुआ। हमे वहा किसी एक बेहोश सवारको डोलीमे ले जानेकी हिदायत मिली। भाग्यसे दलके थ्रिग्स पोस्ट पहुँचनेके पहले सवारकी हालत ठीक हो गई, कि तु दुर्भाग्य वश फोडर नामका एक दूसरा सवार किसी सहयोगी सवारके हाथसे जाघमे गोली लगनेके कारण घायल हो गया। किन्तु किसी तरह बडे धैयके साथ घोडेपर सवारी करके वह शिविर तक पहुँच गया। डोलीवाहक दलको एन० एम० सी० के श्री स्टोक्सको उक्त सवारकी परिचया और अ य बीमारोकी शुश्रूषामे मदद करनी पडी, जि हे सयोगवश या किसी दूसरे तरीकेसे छोटी मोटी चोटे आ गई थी और जि हे उपचारकी जरूरत थी। २८ तारीखको ओटीमाटीके सहायक दलको डबनकी सुरक्षित सेनाके फौजी सटन और सवार फोडरको मापूमूलो ले जाना था। सटनका अँगूठा किसी गाडीके पहियेसे कुचल गया था। फोडरको डोलीमे लेजाना था क्योकि उसका घाव बहुत नाजुक था। उसे ले जानेका काम जितना सोचते थे उससे कही कठिन निकला। इन घायलोको ले जानेमे जितने लोग उपलब्ध थे उन सबकी शक्ति पूरी तरहसे लग गई। खासकर इसलिए कि पूरा रास्ता चढाईका था। हम मापूमूलो पहुचने ही वाले थे कि हमारे दलके कप्तानने खबर भेजी कि यदि सम्भव हो तो फोडरको आहत सहायक गाडीसे पहुँजाया जाये, नही तो पहाडीके आसपासके वतनियोको यह भ्रम हो सकता है कि विद्रोही कमसे-कम हमारे एक मनुष्यको घायल करनेमे तो सफल हो ही गये है। यह स देश सुननेपर घुडसवार फोडरने बडी खुशीसे गाडीमे बठना स्वीकार कर लिया और थके हुए डोलीवाहक भी उसे मापूमूलोकी सीधी पहाडीपर चढानेकी जिम्मेदारीसे बरी होनेके कारण खुश हुए। इस थोडेसे व्यवधानके बाद पूरा दल फिरसे अपने उसी काममे लग गया जिससे उसने श्रीगणेश किया था और ३ जुलाईकी सुबह तक उसीमे लगा रहा। ३ जुलाई एक ऐसा दिन है जिसे दलके सदस्य कभी नही भूलेगे।

सख्त काम

जुलाई २ को ९ बजे रातमे दलको हुक्म हुआ कि वह ढाई बजे रातको उमवोटी घाटीमे कारवाई करनेवाली मिली जुली टुकडीके साथ जाये। हमे अपने साथ दो दिनकी रसद अपने कम्बल और पाच डोलिया ले जानी थी। हमने ऐसा किया और तीसरी तारीखको तीन बजे सुबह कूच शुरू हुआ। टुकडीके साथ कोई गाडी नही थी ओर पदलोके सिवाय, जो पहले ही आगे चले गये थे हमे जिनके पीछे चलना था वे सभी घुडसवार थे। जो लोग हमारे पीछे थे उनका काम हमारी रक्षा

१ यह मोर्चेसे भेजा हुआ गाधीजीका दूसरा और आखिरी विवरण था।

करना था। हममेसे किसीके पास हथियार नही थे और चूकि घुडसवार हमारे आगे-आगे सरपट भागते चले जा रहे थे और हम उनके पीछे थे, हमारे और उनके बीचमे बहुत जल्दी बहुत फक पड गया। फिर भी हम चलते और शक्तिभर उनसे मिलनेकी कोशिश करते रहे, परन्तु यह एक असम्भव काय था। इसके कारण पष्ठरक्षक टुकडी और हमारे बीचमे प्राय बहुत अतर होता था। जब दिन निकला, तब घुडसवारोकी गति स्वाभाविक रूपसे और भी तेज हो गई और हमारे और उनके बीचका अतर बढने लगा। फिर भी घुडसवारोके पीछे दौडने या विद्रोहियाके असेगाई हथियारोसे घायल होनेके सिवाय हमारे लिए कोई दूसरा चारा नही था। शायद एक बार हम बाल बाल बचे। ७ बजे हमसे कुछ दूरीपर टुकडिया कारवाई कर रही थी। हम भी आगे बढ रहे थे, उस समय हमे एक काफिर मिला जो राजभक्तिका चिह्न धारण किये हुए नही था। वह असेगाई हथियारसे लस था ओर अपनेको छुपाये हुए था। फिर भी हम लोग कुशलतापूवक आगेकी पहाडीपर की और टुकडियासे जब वे नीचेकी झाडिया अपनी कडाबीनोसे साफ कर रही थी, जा मिले। इस तरह हमे एक ऐसा कूच पूरा करना पडा जो जान पडता था, कभी खत्म ही न होगा। हमे बार-बार उमवोटी नदीको पार करना पडता था। इसके लिए भारी जूते और पट्टिया निकालनी पडती थी। इस दष्टिसे यह बहुत ही कठिन काम था। एक व्यक्ति एक बहुत ही गम्भीर दुघटनामे पड गया होता, परतु बाल बाल बच गया, और जब वह नदी पार करके निकला तो उसकी पट्टिया गायब हो चुकी थी और उसके अँगूठेसे खूनकी धार बह रही थी। फिर भी वह हम लोगोके साथ वीरतापूवक कूच करता गया। शाम होते होते एक घाटीके चढावके पास टुकडी रुक गई और उसने वहा डेरा डाला।

"थककर चूर"

हम सब थककर चूर हो गये थे। सौभाग्यसे हमारे दलमे कोई हताहत नही हुआ था। यदि ऐसा होता, तो यह कहना कठिन है कि हम इस थकी हुई हालतमे घायलोको ले जानेमे किस हद तक सफल होते। यद्यपि, इन पक्तियोके लेखकको पूण विश्वास है कि हमारा दल प्रधान रूपसे अपने कतव्यसे प्रेरित था इसलिए भगवानने हमे ऐसा कोई भी काम करनेकी पूरी पूरी ताकत भी दी होती। कमसे कम जब हम जैसे-तैसे आगे बढ रहे थे तब हँसते हुए घुडसवारोने करुणा और उपहास मिश्रित शब्दोमें हमसे पूछा कि यदि ऐसी हालतमे हमे किसी घायलको सचमुच ले जाना पडे, तो हम क्या करेगे, उस समय हमने उन्हे यही उत्तर दिया था। चार तारीखके सवेरे हम टुकडीके उन दो विभागोके साथ जानेके लिए बाट दिये गये जिन्हे दो अलग अलग हिस्सोमे काम करना था। हमे अभी भी बिना किसी वास्तविक बचावके कूच करना था। परिस्थितियाँ जैसी थी, उनमे यह अनिवाय भी था। फिर भी एक दलको अपेक्षाकृत कम कष्ट हुआ। एक दिन पहले उन्हे शायद २५ मीलसे कम नही चलना पडा था। ४ तारीखको उन्हे १२ मीलसे अधिक नही चलना पडा। किन्तु सार्जेंट शेलतके अधीनस्थ दूसरे दलका वह दिन भी वैसा ही कठिन गुजरा। फलस्वरूप हममेसे अधिक तर लोगोके पावमे छाले आ गये और पाच तारीखको हम जसे-तैसे मापूमूलो तक, जो १५ मील दूर था, चल सके। टुकडीने इस आशासे कि घासके मैदानमे एक ही रात काटनी है, दो दिनोकी रसद साथ रखी थी, इसलिए वास्तवमे दलके सभी लोग लगभग भूखो मरनेकी हालतमे आ गये थे। फलत हम सब लोगोको मापूमूलो वापस जाना पडा।

थके-माँदे और पैरोमे छाले

मापूमूलो पहुँचकर हमने एक दिन आराम पा सकनेकी आशा की थी किन्तु वहा पहुँचनेपर जब दूसरे ही दिन हमे थ्रिंग्स पोस्ट कूच करने और अपने डेरे खुद वहा ले जानेका हुक्म मिला, तो

हमें जो आश्चर्य हुआ, उसकी, वर्णनके बजाय, कल्पना करना ही अच्छा होगा। हममें से ९ या १० व्यक्तियोंके लिए वह शारीरिक असाध्यता ही थी। सार्जेंट मेजरने पी० एम० ओ० को सूचित किया कि जो लोग चलनेमें बिलकुल असमर्थ हैं उनके लिए यदि वाहनका प्रबंध नहीं किया जाता, तो दूसरे दिन कूच जारी रखना असम्भव होगा। बात कर्नल स्पार्क्सके सामने पेश हुई। उन्होंने कहा कि जिनके पाँवोंमें छाले हैं ऐसे डोलीवाहक थ्रिग्स पोस्ट जानेवाली खाली गाड़ीमें जा सकते हैं। इस प्रकार ६ जुलाईको हम लोग थ्रिग्स पोस्टकी यात्रा करनेमें समर्थ हुए। वहाँ हम कैप्टन पियर्सनके मातहत रखे गये, जिन्होंने हमारे साथ हर तरहका अच्छा सलूक किया। पैरोंमें छालेवाले डोली वाहकोंको वाहन मिल जानेके कारण हम फिर चलनेके लायक हो गये। इस तरह हम लोग ८ तारीखके सवेरे अपने कामपर हाजिर हो सके। शनिवारकी शामको आज्ञा मिली थी कि हमें अपनी डोलियोंके साथ दूसरे दिन टुगेला घाटी जानेवाली तोपोंके साथ रवाना होना है। उमवोटी घाटीमें हमने जो काम किया था उसके मुकाबलेमें यह काम सरल था और कूच १६ मीलसे शायद अधिक लम्बा न था। हम उसी दिन डेरेमें वापस आ गये।

असम्भव कार्य

१० तारीखको साढ़े आठ बजे सवेरे पैदल टुकड़ीके साथ हमें ओटीमाटी रवाना होना पड़ा और यद्यपि काम बहुत कठिन था हमें इस समय तक इसकी आदत हो गई थी। हमें अपने साथ दो दिनकी रसद ले जानी थी। हमारा रास्ता साधारणतया एक अगम घाटीमें से होकर जाता था। आहतवाहक गाड़ियोंका नीचे उतरना असम्भव था और हमें कभी कभी बिलकुल खड़ी चट्टानोंसे उतरना पड़ता था। सवारोंको अपने घोड़ोंकी अगुवाई करनी पड़ी। और रास्ता इतना लम्बा जान पड़ा कि ऐसा लगता था, नीचे कभी नहीं पहुँचेंगे। फिर भी लगभग १२ बजे बिना काफिरोंसे लड़नेका मौका आये हम लोगोंने दिनकी यात्रा समाप्त कर ली। किन्तु घाटी उतरते समय एक घटना हुई, जिसने हमारे डोली ले जानेकी सामर्थ्यको कसौटीपर कस दिया। डी० एल० आई० के एक सैनिकको एक मित्र काफिर लड़का रास्ता दिखा रहा था। कहते हैं गुमराह करनेके शकपर उसने लड़केको गोली मार दी। वतनी बुरी तरह घायल हुआ। उसे ले जानेकी जरूरत पड़ी और वह काम हमें सौंपा गया। हुक्म हुआ कि उसे उसी दिन मापूमूलो ले जाया जाये। हमें मदद करने और रास्ता दिखानेके लिए चार मित्र वतनी दिये गये। किन्तु जैसे ही सैनिक आँखोंसे ओझल हुए, उनमें से तीन हमें छोड़कर चलते बने और चौथेने, यद्यपि वह हमारे साथ रहा, इस भयके कारण हमारे साथ मापूमूलो जानेसे साफ इनकार कर दिया कि बिना संरक्षणके शत्रु हमें काटकर फेंक देंगे। भाग्यसे फौज अभी पहुँचके बाहर नहीं थी, इसलिए सार्जेंट मेजरने उचित अधिकारीको मामलेकी खबर दी और नया हुक्म हुआ कि घायल काफिरको दूसरे दिन ले जायें और तबतक हम उसकी सेवा शुश्रूषा करें और उसे खिलायें-पिलायें। रातमें सारी सेना घाटीमें ही रही और दूसरे दिन मापूमूलो जानेका हुक्म पाकर हम पुनः अपनी कीमती जिम्मेदारीको सँभालकर कूच करने लगे। मददके लिए हमें २० काफिर बेगारिये दिये गये। रास्तेके ज्यादातर हिस्सेमें उन्होंने बहुत कठिनाईसे हमें मदद की, और वह भी इसलिए कि डॉक्टर सेवेज संयोगसे हमारे साथ थे। हमारे साथी वतनी बहुत दुराग्रही और अविश्वासी सिद्ध हुए। यदि हर क्षण सावधानी न बरती जाती, तो उन्होंने घायलको ले जानेके बजाय कहीं न-कहीं छोड़ दिया होता। वे अपने कष्टमें पड़े हुए देशवासीकी कोई परवाह करते हुए नहीं जान पड़े।

भारतीयोंकी सूझबूझ

फिर भी भारतीय डोलीवाहक उसे बड़े उत्तम ढंगसे मापूमूलो ले गये। हमारी सारी सूझ बूझ इस कूचमें कसौटीपर कसी गई। जब हम एक सँकरी और खड़ी पगडंडीका अत्यन्त कठिन भाग

तय कर चुके, तब जिस जापानी डोलीमें हम घायलका ले जा रहे थे वह उसके बहुत ही अधिक वजनदार होनेके कारण टूट गई। सौभाग्यसे घायलको कोई चोट नही आई। रेलवेकी जिस डोलीमें हम उसे पहले ले जा रहे थे, वह उसके वजनसे टूट ही चुकी थी। अब हम क्या करते? खुशकिस्मतीसे हमारे साथ कुछ कुशल कारीगर थे। हमने कामचलाऊ तौरपर रेलवेकी डोलीको सुधार लिया और अपने घायलको लगभग चार बजे शाम तक मापूमूलो पहुँचा दिया। शायद यह दूरी पन्द्रह मीलसे अधिक ही थी।

मापूमूलोमें एक दिन आराम करनेके बाद १३ तारीखको हम थ्रिंग्स पोस्ट वापस पहुचे। किन्तु हमें फौरन १४ तारीखको मापूमूलोके पास एक स्थानपर जाना पड़ा, जहा हम इस समय खेमा लगाये हुए है। मैसिनी और उसके सहयोगी मुखियाकी गिरफ्तारीके कारण विद्रोह खत्म हुआ जान पडता है और हम लोग रोज हर दलको विसर्जित करनेके हुक्मकी प्रतीक्षा करते हुए आराम कर रहे ह। इस तरह जुलाईकी तीसरी तारीखसे हमारा दल सारी महत्त्वपूण कारवाइयोमें साथ रहा है, और अब, उनकी समाप्तिपर, इन टिप्पणियोंका लेखक भरोसेके साथ इस बातका दावा कर सकता है कि हमारा छोटा सा दल, जो भी काम उसे दिया जाये और जिस कामको कोई भी ऐसा दल कर सकता हो, उस कामको करनेमें समथ है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८–७–१९०६

३९५ भाषण आहत-सहायक दलके सत्कारके अवसरपर

भारतीय डोलीवाहक दलको ६ सप्ताह मोर्चेपर काम करनेके बाद जुलाई १९ को विघटित कर दिया गया था। उसके लौटनेपर नेटाल भारतीय कांग्रेसने एक स्वागत समारोहका आयोजन किया। उसमें दलके कार्यकी प्रशसा की गई, जिसका गांधीजीने उत्तर दिया। समारोहकी कार्यवाहीका एक अश नीचे दिया जाता है

डबन

जुलाई २०, १९०६

श्री गाधीने उत्तरमें दलकी ओरसे कांग्रेसका आभार मानते हुए कहा कि दलने जो कुछ किया है वह उसका कर्त्तव्य था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यदि भारतीय समाज दलका वास्तविक मूल्य समझना चाहता हो तो उसे सरकारकी मारफत ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि दलको स्थायी रूप मिल जाये। दलमें भरती होनेकी योग्यता प्राप्त करनेके लिए मेहनत करके शरीरको ठीक तरहसे कसना चाहिए। यदि व्यापारी लोग उसमें शामिल न हो सकें तो न सही, पढे लिखे दूसरे भारतीय, व्यापारियोंके नौकर, मुनीम वगैरह तो सहज ही शामिल हो सकते ह। लडाईके समय उन्हें अनुभव हुआ कि गोरे लोग भारतीय सदस्योंके साथ बहुत ही प्रेमसे व्यवहार करते थे और काले गोरेका भेद नही रहा था। यदि और भी अधिक लोगोंका स्थायी दल बन जाये तो उस तरहका भाईचारा बढ सकता है और उससे गोरोके मनमें भारतीयोंसे जो चिढ है वह दूर हो सकती है। इसलिए उन्होंने बहुत ही आग्रहपूर्वक आहत सहायक दल बनानेके लिए परामर्श दिया।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८–७–१९०६

३९६ वक्तव्य हीरक जयन्ती पुस्तकालयके सम्बन्धमे

काग्रेस भवनमें नेटाल भारतीय काग्रेसकी एक सभा हुई थी। उसमें अ य बातोके साथ डोली वाहक दलके सदस्योको चाँदीके तमगे देनेका भी निश्चय किया गया। हीरक जयन्ती पुस्तकालयकी व्यवस्थाका प्रश्न उठनेपर गाधीजीने निम्नलिखित वक्तव्य दिया था, जो उस सभाके कार्य विवरणसे लिया गया है

डबन

जुलाई २३, १९०६

हीरक जयतीके समय भारतीय समाजकी ओरसे हीरक जयन्ती पुस्तकालयकी स्थापना की गई थी। उसका स्वामित्व तथा उसके सचालनका काम एक विशेष समितिको सौपा गया था और पुस्तके काग्रेस भवनमे रखी गई थी।[1] लल्लूभाई पुस्तकालयका काम चकि अभी चल नही रहा है इसलिए उन पुस्तकोको काग्रेस भवनमे रखनेके सम्बन्धमे मै लल्लूभाई पुस्तकालयके प्रमुख श्री रविशकर भट्टसे मिला हूँ और उन्होने उन पुस्तकोको लौटा देना स्वीकार किया है। इस सम्बन्धमे मुझे और भी एक दो सज्जनोसे मिलना है। उनकी ओरसे स्वीकृति प्राप्त होनेके बाद गाडी भेजकर पुस्तकें मँगवा ली जायेगी।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८-७-१९०६

३९७ ट्रान्सवालके अनुमतिपत्र

शान्ति रक्षा अध्यादेशपर ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्यायालयने हालमे जो निणय[2] दिये ह, उनसे उत्पन्न हुई कानूनी स्थितिपर और अधिक विचार करना आवश्यक हो गया है। भायातके मुकदमेपर पुर्नविचार करनेके लिए महान्यायवादीका आवेदनपत्र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है, फलत उस मामलेमे उठाया हुआ सवाल अनिर्णीत ही रह जाता है। इसलिए जब कि फोक्सरस्टका मजिस्ट्रेट अपने ही फैसलेके कारण डच पजीकरण प्रमाणपत्रोको अनुमतिपत्रोके समान स्वीकार करनेके लिए बाध्य है, उसके मतके समथनके लिए सर्वोच्च न्यायालयकी कोई घोषणा हमारे पास नही है। और महान्यायवादीने जो विवाद उठाया है, उसके कारण कानूनकी स्थिति भारतीय शरणार्थीके लिए दु खपूण अनिश्चितताकी स्थिति बन गई है। दूसरे मजिस्ट्रेट अनजाने ही उस तकको महत्त्व दे सकते है जो ताजकी ओरसे उठाया गया है। उस दशामे यह हो सकता है कि डच प्रमाणपत्र रखनेवाला एक भारतीय फोक्सरस्टसे होकर सुरक्षित रूपमे ट्रान्सवालमे फिरसे प्रवेश पा ले, और उसी प्रकारकी योग्यता रखनेवाला दूसरा व्यक्ति, उदाहरणाथ, कोमाटीपोटसे गुजरते हुए रोक दिया जाये। हमारी धारणा है कि अत्यन्त उग्र एशियाई विरोधी भी ऐसी शोचनीय स्थितिका समथन नही करेगा। पजीकरण कानूनपर सर्वोच्च न्यायालयका फैसला भारतीय समाजके पूरे दावेका समथन करता है। क्या लाड सेल्बोन अब भी दावा कर सकते ह कि ट्रान्सवाल सरकार शान्ति-रक्षा अध्यादेश और

१ देखिए खण्ड २ पृष्ठ ३५६-८ तथा खण्ड ४ पृष्ठ ३५७-८।

२ देखिए अनुमतिपत्रका एक महत्त्वपूर्ण मुकदमा, ३७०-१।

१८८५ के कानून ३ को लागू करनेमे उचित मनोवत्तिसे काम ले रही है ? हमे विश्वास है कि सतत जागरूक ब्रिटिश भारतीय सघ इस प्रश्नपर महामहिमसे उत्तर देनेके लिए निवेदन करेगा।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–७–१९०६

३९८ पत्र विलियम वेडरबर्नको

[जोहानिसबग]
जुलाई ३०, १९०६

सर विलियम वेडरबन, बरोनेट
८४/५ पैलेस चेम्बस
लन्दन, इग्लैड

प्रिय महोदय,

म अभी मोर्चेसे लौटा हूँ। यद्यपि अब सविधान समितिके प्रतिवदनकी दृष्टिसे मेरा कोई उपयोग नही हो सकता, तो भी ब्रिटिश भारतीय सघकी राय है कि मुझे एक-दो व्यापारियाके साथ इग्लैड जाना ही चाहिए। इसका उद्देश्य जो शाही फरमान दिया जाये उसे आवश्यक रूपसे प्रभावित करना नही, बल्कि ब्रिटिश भारतीय स्थितिका अधिकारियोके सामने खुद पेश करना होगा। इसलिए यदि आप कृपया तारसे खबर दे कि ऐसे शिष्टमण्डलके किसी प्रकार भी उपयागी हो सकनेकी सम्भावना है या नही, तो आभारी होऊँगा। यदि उसे गैर जरूरी समझे तो हम "अनावश्यक" शब्दसे यह अथ समझ लेगे। यदि आप सोचते हो कि ऐसा शिष्टमण्डल आना चाहिए तो कृपया तारमे 'ठीक" लिख दे। क्या आनेके लिए सितम्बरका अन्त या अक्तूबर ठीक होगा ?

आपका सच्चा,

टाइपकी हुई दफ्तरी अग्रेजी प्रतिकी फोटो नकल (जी० एन० २२८४) से।

३९९ पत्र दादाभाई नौरोजीको

२१–२४ काट चेम्बस
नुक्कड, रिसिक व ऐडसन स्ट्रीट्स
जोहानिसबग
जुलाई ३०, १९०६

मान्यवर नौरोजी,

मै अभी मोर्चेसे लौटा हूँ। जिस पत्रमे आपने सूचित किया है कि भारत-मन्त्री और उपनिवेश मन्त्रीको आपने हमारा सविधान समितिकी सेवामे प्रस्तुत वक्तव्य[1] भेज दिया है, वह मिला। आपके सूचनाथ सर विलियम वेडरबनके नाम अपने पत्रकी[2] नकल साथ भेज रहा हूँ।

१ देखिए वक्तव्य सविधान समितिको', पृष्ठ ३४५–५४।
२ देखिए पिछला शीर्षक।

एडिनबरा विश्वविद्यालयकी एम० ए० परीक्षामें अपनी पौत्रीकी सफलतापर मेरी बधाई लीजिए।

आपका सच्चा,
मो० क० गांधी

[पुनश्च]

यह पत्र इतनी देरसे लिखा गया था कि पिछले हफ्तेकी अंतिम डाकसे भी नहीं भेजा जा सका।[1]

माननीय दादाभाई नौरोजी
लन्दन, इंग्लैंड

गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइपकी हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० २२७४) से।

४०० पत्र प्रधान चिकित्साधिकारीको[2]

[जोहानिसबर्ग
जुलाई ३१, १९०६]

सेवामें
कर्नल जे० हिस्लाप
प्रधान चिकित्साधिकारी
नेटाल नागरिक सेना
पीटरमैरित्सबर्ग
नेटाल

महोदय,

भारतीय डोलीवाहक दल इस महीनेकी १९ तारीखको विघटित कर दिया गया और २० को डर्बन पहुँचा।

दलको मापूमुलो कैम्पको कीटाणुनाशक दवाओंसे शुद्ध करने, चोटों और घावोंकी मरहम पट्टी करने, सेनाके साथ चलने तथा डोली वाहनका काम करनेको कहा गया। ज्यादातर डोलीवाहक टुगेला, ओटीमाटी तथा उमवोटी घाटियोंके सैनिक अभियानमें सेनाके साथ रहे। मेरी नम्र रायमें उन्होंने तत्परता और कुशलतासे काम किया। दल बनानेमें नेटाल भारतीय कांग्रेसका उद्देश्य यही प्रकट करनेका था कि भारतीय नेटालके अधिवासियोंके रूपमें अपनी जिम्मेदारियोंको समझते हैं।

१ यह गांधीजीके स्वाक्षरोंमें है।

२ गांधीजीके इस तारीखके पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करते हुए उत्तरमें कर्नल हिस्लॉपने नागरिक सेनाके नायककी ओरसे आहत सहायक दलके सदस्योंको धन्यवाद दिया और "केवल डोलीवाहकोंके रूपमें ही नहीं बल्कि सफाईके अधिक महत्त्वपूर्ण कार्यके सिलसिलेमें भी नागरिक सेनाके चिकित्सा विभाग द्वारा की गई बहुमूल्य सेवाओंकी," प्रशंसा की।

इसके अलावा उसका यह भी उद्देश्य था कि नेटाल नागरिक सेनाके एक स्थायी अंगके रूपमें भार-तीयोंका उपयोग करनेके लिए सरकारको राजी किया जाये। मैं मानता हूँ कि मेरे देशवासी आहत सहायता तथा अस्पताली कार्यके सर्वथा योग्य हैं। घुड़सवार फाइटरको हम ओटीमाटीसे लाये थे। उन्हें लानेके अतिरिक्त, उनकी सेवा शुश्रूषा भी हमें ही करनी पड़ी थी, और वे हमसे इतने सन्तुष्ट हुए थे कि स्वस्थ होनेपर इन आदमियोंके कार्यकी प्रशंसा करनेके लिए वे मुझे खोजकर मेरे पास आये।

दलमें कुछ अंग्रेजी पढ़े लिखे कर्तव्य कुशल भारतीय थे। मजदूर श्रेणीके भारतीय भी थे। पर सब होशियार थे और भारतीय समाज उन्हें जो कुछ दे रहा था उससे नागरिक जीवनमें कहीं अधिक कमाने योग्य थे। चूंकि समाज इस बातके लिए उत्सुक था कि उसकी सेवाएँ स्वीकार की जायें और कोई कठिनाई पैदा न हो, इसलिए लोगोंको राजी किया गया कि वे १ शिलिंग ६ पेंस दैनिक लेकर काम करना स्वीकार कर लें, और इसे उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। किन्तु मेरी सम्मतिमें एक पौंड प्रति सप्ताहसे कमपर होशियार आदमियोंको प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

मैं यह भी मानता हूँ कि डोली वाहक टोलियोंके नायक माने जानेवाले लोगोंको ५ शिलिंग प्रतिदिन मिलना चाहिए।

दलके सब लोग अप्रशिक्षित और बिना जाँचे-परखे थे। किन्तु उन्हें भी जिम्मेदारीभरा स्वतन्त्र काम दिया गया और अपनी निःशस्त्र स्थितिमें ही उन्होंने खतरेका सामना किया। अगर सरकार एक स्थायी आहत सहायक दल बनाना चाहे तो मेरी सम्मतिमें उसके लिए विशेष प्रशिक्षण बिलकुल आवश्यक है और आत्मरक्षाके हित दलके सब सदस्योंको सशस्त्र भी किया जाना चाहिए।

मेरा भारतीय समाजसे पिछले तेरह वर्षोंसे घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है और उसी हैसियतसे मैंने ये बातें आपके विचारार्थ पेश करनेका साहस किया है।

[आपका विश्वासपात्र,]
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११–८–१९०६

४०१ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

[अगस्त ४, १९०६ के पूर्व]

विलायतको शिष्टमण्डल

ब्रिटिश भारतीय संघकी समितिकी बैठक गत शुक्रवार, तारीख २७ को हुई थी। उसमें सर्वश्री अब्दुल गनी, ईसप मियाँ, कुवाडिया, मुहम्मद शहाबुद्दीन, गुलाम साहब मुहम्मद हुसैन, भीखूभाई तथा प्रिटोरियाके हाजी हबीब और आमद तयब, हीडेलबर्गके आमद भायात और डर्बनके उमर हाजी आमद झवेरी उपस्थित थे।

कुछ चर्चाके बाद यह निश्चय हुआ कि शिष्टमण्डल भेजना अब भी जरूरी है। हमारा जितना सम्बन्ध संविधान समितिकी रिपोर्टसे है उसकी अपेक्षा ट्रान्सवालमें संविधान बन जानेके बाद जो कानून बनाये जायेंगे, उनसे हमारा अधिक सम्बन्ध होगा। श्री हाजी हबीबके प्रस्तावपर यह निश्चित हुआ कि नेटाल भारतीय कांग्रेसने शिष्टमण्डलके खर्चके लिए जो १००० पौंडकी रकम स्वीकार की है उसमें से २५० पौंडकी सहायता माँगी जाये। प्रत्येक व्यक्ति १२० पौंड ले सकता है और बाकी पैसा पूरे शिष्टमण्डलपर खर्च किया जा सकता है। केपकी ओरसे जो मदद मिले उसका उपयोग कांग्रेस करे। इस तरहका पत्र लिखनेकी जिम्मेदारी मन्त्रीको दी गई। शिष्टमण्डलमें दो व्यक्ति जायें तो लगभग ५०० पौंड तक खर्च पड़ेगा। समितिका विचार है कि ट्रान्सवालकी तरफसे श्री गांधी तथा कोई एक व्यापारी होना चाहिये। गाँव गाँवसे चन्दा एकत्रित करनेका प्रस्ताव हुआ है और गाँव-गाँव जानेवाले सदस्योंके नाम भी दिये जा चुके हैं। मन्त्रीको जगह जगह पत्र लिखनेकी आज्ञा हुई है और ट्रान्सवालके सारे मुख्य शहरोंमें पत्र पहुँच गये हैं। इसलिए यदि ठीक चन्दा इकट्ठा हो गया, और नेटालकी भारतीय कांग्रेसने चंदा करके २५० पौंड तक खर्च करना तय कर लिया, और यदि शिष्टमण्डल न भेजनेके विषयमें विलायतसे कोई पत्र नहीं आया तो सितम्बरमें[1] शिष्टमण्डलके जानेकी सम्भावना है।

मुआवजेके दावे

'ट्रान्सवाल गजट' में मुआवजेके दावेदारोंकी[2] जो सूची प्रकाशित हुई है, वह मैं संलग्न कर रहा हूँ। उसकी ओर सभी पाठकोंका ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है, नहीं तो उसमें सूचित रकमोंका यदि वर्षके अन्त तक दावा नहीं किया गया तो वे डूब जायेंगी।

ट्रान्सवाल घुड़सवार राइफल टुकड़ीकी वापसी

काफिरोंके विद्रोहको दबानेके लिए यहाँसे जो टान्सवाल घुडसवार राइफल टुकडी (ट्रान्सवाल माउंटेड राइफल्स) नेटाल भेजी गयी थी, वह वापिस आ गई है। बड़ी धूम धामसे ट्रान्सवालके लोगोंने उसका स्वागत किया है। बड़ी बड़ी सभाएँ की गईं और उन्हें बड़ी दावतें दी गईं। धूम-धाम अभी भी चल रही है। भारतीय डोलीवाहक दलको भंग करनेके बारेमें और उसके अच्छे कामके बारेमें यहाँके सभी समाचारपत्रोंमें रायटरके तार छपे हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४-८-१९०६

१ शिष्टमण्डल अक्तूबरमें गया।
२ बोअर-युद्धकी क्षति पूर्तिके।

४०२ गुप्त न्याय

हमारे जाहानिसबगके सवाददाताने पिछले सप्ताह हमारा ध्यान विशेष रूपसे इस बातकी ओर खीचा था कि एशियाइयाके विषयमे अनुमतिपत्र विभागने जो काम किया है उसका श्री लवडेने समथन[1] किया हे और समुद्र तटपर एक निरीक्षण अधिकारीकी नियुक्तिपर अपनी स्वीकृति दे दी ह। जाहिरा तौरपर जितना दिखाई पडता है उससे कही ज्यादा घटनाके पीछे छिपा हुआ है। जनताको इस तथ्यका बिलकुल ज्ञान नही है कि कुछ ऐसे सलाहकार मण्डल भी ह जो लगभग गुप्त ह और जो एशियाई पजीयन अधिकारी (रजिस्ट्रार आफ एशियाटिक्स) के जिसके द्वारा अनुमतिपत्र जारी होते ह, कायपर नियन्त्रण रखते हैं। इसलिए नाममात्रके लिए अनुमतिपत्र जारी करनेका जिम्मेदार अधिकारी यद्यपि पजीयक ही है, फिर भी वास्तवमे वह इन परामश-निकायाकी कठपुतली है और इनके आदेशोका पालन यन्त्रवत किया करता है। स्पष्टत श्री लवडे इन मण्डलोके प्रधान ह यद्यपि सरकारने सावजनिक तौरपर उनकी नियुक्ति नही की है। यही कारण हे कि ब्रिटिश भारतीयोके रास्तेमे, जिन्हे ट्रान्सवालमे पुन प्रवेश करनेका वैध अधिकार है, असख्य कठिनाइया खडी की जा रही है।

यदि शरणार्थियोके आवेदनपत्रोके विषयमे बहुत अधिक सख्ती बरती जाती है तो इसपर हमे कोई आपत्ति नही है। लेकिन हमे सख्त आपत्ति है उस गोपनीयतासे जो इन परामश-निकायोकी कारवाइयोको छिपाये रहती है। हमे ज्ञात नही कि जिन दलोका इन मामलोसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध है उनकी बाते मण्डलोमे सुनी गई ह या नही या उन्ह पेश करनेका मौका दिया गया है या नही। यह तो केवल निकाय ही जानते हैं कि वे कैसी गवाही लेते हैं और बस्तीमे ब्रिटिश भारतीयोके पुन प्रवेश पानेके दावोको सिद्ध करनेके लिए किन प्रमाणोको काफी मानते हैं। आज जसी व्यवस्थामे तो, बिलकुल अनजानमे ही क्यो न हो पक्षपात होना सम्भव है। जो दावे आसानीसे साबित किये जा सकते है किन्तु जिन्हे अस्वीकार कर दिया गया है उनके बारेमे हमारे पास चारो ओरसे कडी शिकायते आ रही ह। ये निकाय जिन्हे ब्रिटिश भारतीय शरणार्थियोके आवेदनपत्रोका मनमाने ढगसे निणय करनेका अधिकार दिया गया है, नन्हे-नन्हे बच्चोको बस्तीसे बाहर रखते है।

ऐलानिया प्रतिपक्षियोको उनके विरोधियो या उन लोगोके न्यायका काम सौपना, जिनकी वे आज तक अथक निन्दा करते आये हैं, न्याय करनेका एक विचित्र तरीका है। ब्रिटिश भारतीयोके प्रति ट्रान्सवाल शासनका कमसे कम इतना फज तो है ही कि वह उन्हे निश्चित रूपसे उनकी स्थिति बता दे। ब्रिटिश भारतीय अनुमतिपत्रोके सम्बन्धमे लुक छिपकर जो जाच की जाती है उससे तो काय विधिके सुपरिभाषित एव ठीक तरहसे समझे बूझे कठोरतम नियम कही ज्यादा अच्छे हैं। आज तो कोई भी भारतीय इस बातमे अपनेको सुरक्षित नही समझ सकता कि अपने पूव निवासका प्रमाणपत्र पेश करनेके बाद वह बिना किसी कठिनाईके ट्रान्सवालमे पुन प्रवेश पा सकेगा। अभागे ब्रिटिश भारतीय शरणार्थियोके लिए ट्रान्सवाल शासनने जो स्थिति पैदा कर रखी है वह अत्यन्त असन्तोषजनक और अतीव असम्मानप्रद है। वह तो नेटाल या केप बस्तीसे भी बहुत आगे बढ गई है जहा प्रवासियोके आव्रजनके सम्बन्धमे चाहे जसे प्रतिबन्ध क्यो न हो हर व्यक्ति

अपनी कानूनी स्थितिको जानता है और उसके लिए अदालतमे लड सकता है। यह ऐसी स्थिति है जिसे मिटाना प्रत्येक न्याय एव विवेक-प्रेमीका कर्त्तव्य हे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ४-८-१९०६

४०३ श्री बाइटका वसीयतनामा

स्वर्गीय श्री बाइटके वसीयतनामेका[1] सक्षिप्त विवरण हम पिछले अकमे दे चुके है। वह हमारे समृद्ध भारतीयोके लिए समझने जैसा है। श्री बाइटने दक्षिण आफ्रिकामे करोडो रुपये पैदा किये और उसका अधिकाश लाभ दक्षिण आफ्रिकाको दिया है। स्वय परदेशी होते हुए भी उन्होने ब्रिटिश झडेकी छायामे नाम और धन उत्पन्न किया था, इसलिए उन्होने अपने वसीयतनामेमे विलायतमे भी अपनी सम्पत्तिका उदारतापूवक उपयोग करनेकी व्यवस्था की। इस तरह अच्छे कामोपर वे लाखो पोड लगानेको लिख गये ह। उसका मुख्य अश शिक्षापर खच करनेके लिए है। इसके लिए जोहानिसबगमे उन्होने हजारो एकड जमीन दी हे। वहा एक विशाल शिक्षा सस्था बनवाई जायेगी। जोहानिसबगका विश्वविद्यालय भी उन्हीकी दानशीलताका परिणाम है। यह उदारता गोरोकी बढतीका एक सबल कारण है। वे जिस तरह पैसा कमाना जानते ह, उसी तरह उसका उपयोग करना भी जानते है। हम दोनो बातोमे पिछडे हुए है, और विशेषत ठीक जगह खच करनेमे। हम खच भी करते है तो अनुचित तरीकेसे ओर अधिकतर अपना स्वाथ साधनेके लिए या मौज शौकमे।

दक्षिण आफ्रिकाका उदाहरण ले तो ऐसे बहुत थोडे भारतीय दिखाई पडते ह जिन्होने अपने पसेका उपयोग अपनी सन्तानको सच्चा शिक्षण देनेके लिए किया हो। इसलिए हमे चाहिए कि हम श्री बाइटकी मिसाल अपने सामने रखे। दक्षिण आफ्रिकामे भारतीय बच्चोको शिक्षाके सम्पूण साधन देना हमारा पहला कर्त्तव्य है। दूसरा कर्त्तव्य हे, स्त्री शिक्षाकी ओर ध्यान देना। जबतक स्त्रिया माताके रूपमे अपने धमको नही समझ पाती तबतक भारतीय पिछडे ही रहेगे। हमारा तीसरा कर्त्तव्य यह हे कि धन्धोमे लगे हुए प्रौढ रातको पढनेके लिए कुछ समय निकाल सके। इस सबके लिए पैसेकी जरूरत है। यदि श्री बाइटका अनुकरण करनेके लिए भारतीय तैयार हो जाये तो उपयक्त बाते आसानीसे की जा सकती है। दक्षिण आफ्रिकामे हम अधिकार मागते है, यह उचित है वह नही मिलते, यह अन्याय है। फिर भी हमे इतनी बात स्वीकार करनी चाहिए कि हक प्राप्त करनेकी हममे पूरी पूरी योग्यता नही है। ताली एक हाथसे नही बजती। यदि हममे कोई दोष न होता तो इस देशमे हम जितने कष्ट भोग रह ह उतने नही भोगने पडते।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ४-८-१९०६

1. जुलाई २८, १९०६ के **इडियन ओपिनियन**मे प्रकाशित एक गुजराती समाचारके अनुसार श्री बाइट अपने वसीयतनामेमें दक्षिण आफ्रिकामें सचार और परिवहन प्रणालियोमें सुधारके लिए १२,००,००० पौंड जोहानिसबगमें एक विश्वविद्यालयकी स्थापनाके लिए २,००,००० पौंड ट्रान्सवालमें शिक्षाके लिए २०,००० पौंड और केप कालोनी और किम्बरलेमें शिक्षा प्रसारके लिए १५-१५ हजार पौंड लिख गये है।

४०४ मिस्त्र और नेटालकी तुलना

कैसा सुधार!

काफिरोके विद्रोहमे नेटालकी सेनाने जो काम किया उसकी विलायतमे चचा हो रही हे। वहाके लोगोका खयाल है कि गोरोने बहुत ही जुल्म किया है। उसके विरुद्ध 'स्टार' ने मिस्त्रमे ब्रिटिश सरकारकी सेनाके द्वारा किये गये कामोका विवरण दिया हे। मिस्त्रमे जिन मिस्त्रियोने विद्रोह किया था और उनमे से जो पकडे गये थे उन्हे कोडे लगानेका हुक्म दिया गया था। उन्हे सहनशक्तिकी हद तक कोडे लगाये गये थे और सो भी खुले मैदानमे, हजारो मनुष्योके सामने। उसी समय, जिन लोगोको फासीकी सजा हुई थी उन्हे फासी भी दी गई थी। और जब फासी पाया हुआ व्यक्ति लटकता होता, उस समय दूसरोपर कोडाकी मार चलती थी। कहा जाता है कि ऐसे प्रसगोपर सजा पाये लोगोके सगे सम्बन्धी रोने रोते मूर्छित हो जाते थे। यदि यह विवरण सही हो तो नेटालके बारेमें विलायतमे चर्चा होनेका कोई कारण नही रहता।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ४–८–१९०६

४०५ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

अगस्त ४, १९०६

एलगिनका सविधान

टासवालको नया सविधान देनेके सम्बन्धमे जो प्रस्ताव हुआ है और उसकी जो हकीकत जाहिर हुई है हर व्यक्तिकी जबानपर आजकल उसीकी चर्चा है। पिछले वष दिये गये श्री लिटिलटनके सविधान और अब दिये गये लाड एलगिनके सविधानमे बहुत अतर हे।

श्री लिटिलटनके सविधानके मुताबिक राज्य कारोबार अभी ब्रिटिश अधिकारियोके हाथमे ही रहनेवाला था। लाड एलगिनके सविधानके अनुसार राज्य कारोबार जो सदस्य निर्वाचित होकर आयेगे और उनमे जिस पक्षका बहुमत होगा उनके हाथमे होगा। यह मुख्य भेद है। और इसलिए श्री लिटिलटनका सविधान प्रातिनिधिक शासनवाला है, अथात् उसमे जनताकी इच्छा जाहिर करनेवाले व्यक्ति जायेगे, और श्री एलगिनका सविधान उत्तरदायी शासनवाला है अर्थात् उसमे सत्ताधिकारी चुने हुए सदस्योके प्रति जिम्मेदार होगे। अर्थात उसमे लोगो द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अधिकारियोको हटा सकेंगे। लका और मारिशसमे प्रातिनिधिक शासन है। नेटाल और केप कालोनीमे उत्तरदायी शासन है।

दूसरा बडा अतर यह है कि लाड एलगिनके सविधानके मुताबिक बोअर लोग राज्यसत्ताका उपभोग कर सकने योग्य स्थितिमे आ गये है अर्थात केपकी तरह ट्रान्सवालमे बोअर या ब्रिटिश लोग सत्ता प्राप्त कर सकते है। अभी यह सविधान गढा नही गया है। किन्तु श्री चर्चिलने उसके गढे जानेकी सूचना दी है। सम्भव है कि इसमे तीन हफ्ते लग जाये। और नये सविधानके अनुसार बनी हुई ससदकी बठक, सम्भव है जनवरीके पहले न हो।

भारतीयोकी स्थिति

नई व्यवस्थामे हमारी स्थिति क्या होगी इसका उत्तर देना बहुत मुश्किल है। तारसे श्री चर्चिलका जो भाषण आया है उससे कुछ समझमे नही आ सकता। आज स्थिति इतनी खराब है कि उससे अधिक खराब होना सम्भव नही हे। कितु इतना तो निश्चित हे कि यदि नया सविधान बनना हे तो वह जनवरीके पहले तो बन ही नही सकता।

नेटाल और ट्रान्सवाल

नेटाल और ट्रासवाल दोनोको एक कर दिया जाये, ऐसी बातचीत चल रही है। कुछ अनुभवी और प्रभावशाली लोगोका ऐसा मत है। श्री सूटर नामक एक सज्जन है। उन्होने 'डेली मेल' के सवाददाताको इसके विषयमे अपने विचार बताये ह। उन्होने कहा है कि यदि नेटाल और ट्रान्सवाल दोनो मिल जाते है तो नेटालकी भारतीय नीति बदलनी पडेगी। 'डेली मेल' के सम्पादकने कहा है कि जबतक नेटाल गिरमिटिया मजदूरोको दाखिल करता हे, तबतक उसको दूसरे राज्यसे मिलाना बहुत कठिन हे।

दक्षिण आफ्रिकाकी व्यवस्था

लोगोके लेखे इन सारे विचारोकी जडमे दक्षिण आफ्रिकाकी गरीबी है। व्यापारकी मन्दीके कारण अभी जमीनोकी कीमत मिट्टी मोल हो गई है। वह किस तरह सुधर सकती है इसका विचार करनेमे लोग हजार तरहकी ऊटपटाग बाते करते ह। कितु इन सबका तात्पय इतना ही निकलता है कि इस समय जो हालत हे उसमे दो वर्षो तक बहुत अन्तर नही पडेगा। अथशास्त्री जिन्हे प्राकृतिक नियम कहते ह और आस्तिक जिन्हे ईश्वरीय आज्ञा कहते ह उनके अनुसार हर स्थितिमे हर घडी परिवतन हुआ ही करता है। जो चढता है उसे गिरना ही चाहिए। ऐसी ही स्थिति देशकी होती है। दक्षिण आफ्रिकाने अपने कालक्रममे अच्छा समय देखा है, अब खराब समय देखनेकी बारी आई है। बुरे वष तो अभी दो भी नही बीते। स्थिति बदलनेमे कभी तीन कभी पाच, कभी सात वष लगते है। यदि यह सही है, तो वतमान परिस्थितिको बदलनेके लिए अभी कमसे कम डेढ वष और चाहिए। इस अरसेमे जो धीरजके साथ अपनी चादरके मुताबिक पाव पसारकर जीवन-यापन करगे वे जीत जायेगे। दूसरे इस भयकर बाढमे बहकर मर जायेगे।

धारासभामे एशियाइयोके बारेमे चर्चा

आज विधान परिषदमे श्री डकनने नीचे लिखी हकीकत पेश की है[१]

परिषदके अगले सत्रमे सरकार एशियाई पजीयन अधिनियम पेश करना चाहती है। इस अधिनियमके जरिये इस उपनिवेशमे बसे हुए एशियाई लोगोके बारेमे ब्रिटिश सरकारकी नीतिका पालन हो जायेगा। पहली बात तो यह होगी कि फिलहाल जो लोग इस देशमे बसे हुए ह उन्हे उचित न्याय मिले। ब्रिटिश सरकारका दूसरा विचार यह हे कि इस प्रश्नकी जिम्मेदारी उत्तरदायी शासनको सौप दी जाये कि एशियाइयोको इस देशमे आने दे या नही, और यदि आने दे तो उनपर क्या प्रतिबन्ध लगाये जाये। यह सरकार अभीतक ब्रिटिश सरकारकी स्वीकृतिसे जिस नीतिपर चलती आई है उसका आधार था पिछली डच सरकार द्वारा बनाये हुए कानून और अनुमतिपत्र

१ उपनिवेश सचिवके भाषणका यह पाठ *इडियामे* प्रकाशित एक अग्रेजी विवरणसे मिलाया जा चुका है।

कानून[1]। अनुभवसे यह देखा गया है कि ये दोनो कानून एशियाइयोको बाहर रखनेमे पूरी तरह सशक्त नही ह। क्योकि इसमे कतई शक नहीं है कि जि हे इस देशमे आनेका हक नहीं था ऐसे एशियाई, झूठे प्रमाण पेश करके, दाखिल हो गये ह। जो ट्रासवालमें पहले नहीं आये ऐसे एशियाई झूठ मूठ यह कहकर दाखिल हो गये कि वे ट्रासवालमे पहले आये थे। पजीयनके बारेमे कानून अनिश्चित हे और जब-जब उस कानूनको पूरी तौरपर लागू करनेका प्रयत्न किया गया है, तब तब अदालतोमे मुकदमे चले ह। इसलिए हमे दो उद्देश्योकी पूर्ति करनी हे। एक तो यह कि जो लोग लडाईके पहले इस देशमे थे उनके साथ याय किया जाये और उत्तरदायी सरकार आनेके पहले ऐसा प्रब ध किया जाये कि नये एशियाई न आ सके। अर्थात जो अभी ट्रासवालमे ह उन सबका फिरसे पजीयन किया जाये। वे पजीयनपत्र ले ले ताकि कोई उ हे कुछ रोक न सके। इसी समय ऐसे एशियाइयोपर से कुछ प्रतिब ध उठा लिये जायेगे। जमीनके बारेमे कोई बडा परिवतन नही होगा। कि तु कायदेमे ऐसी छूट रहेगी कि जिस जमीनपर धार्मिक इमारत बनाई जायेगी वह जमीन मकान बनानेवालेके नामपर चढ सकती हे। और जो १८८५ के कानून ३ के पहले जमीनके मालिक हो गये होगे, उनके वारिसोको भी उस जमीनकी मालिकीका हक मिलेगा। इसके अलावा अनुमतिपत्रके कानूनमें भी कुछ परिवतन करनेका इरादा है जिससे थोडे समयके लिए आनेकी इच्छा करनेवाले एशियाइयोको अडचन न हो।

ऊपरकी बाते इतनी जबरदतस और भयकर ह कि ब्रिटिश भारतीय सघकी समितिकी बठक उनके बारेमे तुरत कदम उठाने जा रही है। इस समय शिष्टमण्डलका तत्काल विलायत जा सकना बहुत ही सदिग्ध हे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ११–८–१९०६

४०६ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

अगस्त ४, १९०६ [के बाद][2]

शिष्टमण्डल

हमने पिछले सप्ताह श्री डकनका जो वक्तव्य दिया था उसके कारण फिलहाल विलायत जानेवाला शिष्टमण्डल रुक गया है।[3] शिष्टमण्डलके विषयमे बहुत लोगोके मनमे यह सन्देह है कि वह केवल सविधान समितिको विवरण देनेके लिए विलायत जानेवाला था और चकि अब ट्रासवालके लिए कैसा सविधान बने, यह निश्चित हो गया हे, इसलिए शिष्टमण्डल भेजनेका कोई सबब ही नही बचा। यह विचार गलत है, क्योकि शिष्टमण्डल सविधानके सम्ब धमे कुछ भी कर नही सकता था। जो भी कानून बननेवाले है वे अब इसके बाद बनेंगे। उन कानूनोके बारेमे बडी सरकारके सामने

१ शाति रक्षा अध्यादेश।

२ मालूम होता है कि तिथि भूलसे पिछले अककी ही रह गई है। यह सवादपत्र ४ अगस्तके बाद ही लिखा गया होगा।

३ देखिए पिछला शीर्षक।

जाकर हमें जो कुछ कहना है, वह अभी भी कहा जा सकता है। इसलिए जबतक ट्रान्सवालकी संसदका सत्र शुरू नहीं हुआ है और जबतक यह मालूम नहीं पड़ा है कि कौन कौनसे नये कानून बनेंगे, तबतक शिष्टमण्डल विलायत जाये तो जा सकता है और कुछ लाभ उठा सकता है। यह तो मैंने केवल ट्रान्सवालके बारेमें कहा। किन्तु शिष्टमण्डल जब जायेगा तब सारे दक्षिण आफ्रिकाका सवाल उठाना उसका फर्ज होगा। ये सवाल तभी उठ सकते हैं, जब शिष्टमण्डल जाये। इसके सिवा, यदि हमारे हिमायतियोंके सामने भी, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये बातें पेश हों तो वे अधिक समझ सकेंगे और इससे अधिक काम कर सकेंगे। हमें इसके अलावा सभी पक्षोंसे मदद मिलेगी। कांग्रेसकी समिति,[1] पूर्व भारतीय संघ तथा दूसरी संस्थाएँ हमारे लिए संघर्ष करती हैं। उन सबको एकत्र करके एक समितिकी स्थापना की जाये तो उससे भी लाभ मिलनेकी सम्भावना है। इससे यह समझा जा सकता है कि शिष्टमण्डल जाये तो उसका कुछ न कुछ असर हुए बिना नहीं रहेगा।

जैसा कि ऊपर कह चुका हूँ, श्री डंकनका बयान अभी तत्कालके लिए शिष्टमण्डलको रोक रहा है। इस सम्बन्धमें पिछले सप्ताह विलायतको पत्र भेजा जा चुका है। श्री गांधीने इस सम्बन्धमें 'रैंड डेली मेल' को एक पत्र[2] लिखा है। वह प्रकाशित हुआ है। ब्रिटिश भारतीय संघने उस विधेयककी प्रतिलिपि मांगी है जिसका उल्लेख श्री डंकनने किया है। उसके प्राप्त होते ही तत्काल प्रार्थनापत्र भेजे जायेंगे। मामला अत्यन्त कठिन है और हम पूरी तरह मुकाबला करनेपर ही इस नये वारसे बच सकते हैं।

एक तरफ अनुमतिपत्रके बारेमें भारतीयोंके विरुद्ध नया कायदा बनानेकी बात चल रही है और दूसरी तरफ सख्ती बढ़ती जा रही है। श्री बर्जेस बन्दरगाहोंमें जाकर जांच कर रहे हैं और बहुत से मनुष्योंको वापस जाना पड़ा है, ऐसी अफवाह है। बड़ी मुसीबत उठाकर भी अनुमतिपत्र नहीं मिलता। स्थिति ऐसी दिख रही है कि श्री लवडे जिसे अनुमतिपत्र लेने देते हैं उसे ही मिल सकता है। बच्चोंको पंजीकरण प्रमाणपत्र देना बन्द हो गया है। सच कहें तो इस हिसाबसे उन्हें आनेकी भी छूट होनी चाहिए। इस सम्बन्धमें प्रश्न किया गया है। श्री लिखटन्स्टाइनने उपनिवेश सचिवको एक सख्त पत्र लिखा है, और उसमें कितने ही उदाहरण ऐसे दिये गये हैं जिनसे परवाना कार्यालयोंमें होनेवाली तकलीफोंका स्पष्ट चित्र सामने आ सकता है। उनमें से कुछ उदाहरण मैं नीचे दे रहा हूँ

(१) २१ जूनको शेख दाउदके पंजीकरणके बारेमें सूचित करते हुए लिखा गया है कि सलाहकार समितिकी बैठकमें निर्णय किया जायेगा। सलाहकार समितिकी बैठक निश्चित नहीं है। १० जुलाईको उसीके बारेमें यह जवाब मिला कि प्रार्थनापत्र सलाहकार समितिको भेज दिया गया है।

(२) हाफिज मूसाके नाबालिग लड़केके बारेमें अर्जी देनेपर उसकी उम्र आदिके प्रमाण मांगे गये। २१ जूनको प्रमाण पेश किये गये। २६ जूनको जवाब मिला कि इसके बारेमें नेटालमें खोज बीन की जायेगी।

(३) शकूर नानजीकी उम्र १६ वर्षकी है — एक अपरिचित डाक्टर तथा प्रिटोरियाके जिला सर्जनने ऐसा प्रमाण दिया फिर भी उसे परवाना देना मंजूर नहीं किया गया।

(४) इब्राहीम आमदके बारेमें यह डॉक्टरी प्रमाण दिया गया है कि उसकी उम्र १२ वर्षकी है, फिर भी परवाना कार्यालय यही शोर मचा रहा है कि उसकी उम्र १६ वर्षकी है।

इस तरह १४ प्रमाण दिये गये हैं। देखें, श्री लिखटन्स्टाइनको इनका क्या जवाब मिलता है।

१ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समिति।

२ देखिए पत्र 'रैंड डेली मेलको' पृष्ठ ३९७९।

रेलगाडीकी मुसीबत

प्रिटोरिया और जोहानिसबगके बीचमे चलनेवाली कुछ रेलगाडियोमे भारतीयोको या तो बिलकुल जगह नही दी जाती अथवा गाडके डिब्बेमे बिठाया जाता हे। ब्रिटिश भारतीय मघ इस विषयमे अभी लिखा पढी कर ही रहा हे। सघने वहाके मुख्य प्रब धकका मान रखनेके लिए सुबह साढे आठ वजे आने जानेवाली गाडियोके सम्ब धमे लगाया गया प्रतिब ध कुछ ममयके लिए मान लिया हे। मुरय प्रब धकने साढे पाच बजे शामकी गाडीपर भी वह प्रतिबन्ध माननेके लिए लिखा है। ब्रिटिश भारतीय सघने उस प्रतिब धको माननेसे इनकार कर दिया हे इसलिए लिखा पढी अभी जारी हे।

[गजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १८–८–१९०६

४०७ पत्र दादाभाई नौरोजीको[१]

जोहानिसबग
अगस्त ६, १९०६

माननीय दा० नौरोजी

प्रिय महोदय,

उपनिवेश सचिव श्री डकनने विधान परिषदमे एक वक्तव्य दिया है। उसकी नकल मै इसके साथ आपको भेज रहा हू।

यह वक्तव्य अत्य त असाधारण है। अगर इसके आधारपर विधेयक पेश किया गया तो भारतीय समाजके साथ भयकर अ याय होगा। प्रस्तावित कानूनमे याय और समुचित व्यवहारका लेश भी नही है। अगर मीठे शब्दोका जामा हटा दिया जाये तो उसका अथ यह होगा कि उपनिवेशके हर भारतीयको अब नीसरी बार, बिना किसी आनाकानीके, अपनेको पजीकृत करवाना पडेगा। मजहबी कामोके लिए जमीनका पजीकरण भारतीय यासियोके नाम हो जायेगा। मगर यह तो किसी प्रकारका लाभ नही हुआ, क्योकि सर्वोच्च न्यायालय फैसला दे चुका है कि १८८५ के कानून ३ के बावजूद ऐसी जमीनका पजीकरण भारतीयोके नाम हो सकता है। जो एकमात्र राहत दी जानेको है वह एक व्यक्ति विशेपके मामलेमे है जिसके बारेमे म आपको पहले ही लिख चुका हूँ।[२] मेरा मतलब स्वर्गीय अब्बकर आमदकी जायदादके मामलेसे है। और

१ मालूम होता है गाधीजीने यह पत्र और १३ अगस्तका पत्र (पृष्ठ ४०३) दोनो ही दादाभाई नौरोजी तथा कुछ अ य यक्तियोको लिखे थे। ये **इडिया**को भी भेजे गये थे। पत्रोपर जहाँ तहाँ टीपे मिलती है नो शायद दादाभाईकी लिखी हुई है उनसे मालूम होता है कि उन्हाने सितम्वर ६ १९०६ को इनका उत्तर दिया था। दादाभाई नौरोजीने पहला पत्र पहले अनुच्छेदके आखिरी सात शब्द और अतिम दो अनुच्छेद निकालकर और दूसरे पत्रसे आखिरी दो अनुच्छेद जोड कर श्री मॉर्ले और लॉर्ड एलगिनको भेज दिया था। यह जानकारी **इडिया**के उस प्रास्ताविक टिप्पणीसे मिलनी है जो उसने ‘ एक सुविज्ञ सवाददाता का एक वक्तव्य प्रकाशित करते हुए लिखी थी। वक्त य कुछ शाब्दिक परिवर्तनोको छोडकर ठीक वहा था जो दादाभाई नौरोजाने दोनो उपनिवेश मन्त्रियोको भेजा था।

२ देखिए पत्र दादाभाई नौरोजीको ’ पृष्ठ २४९–५०।

अगर यह राहत मिल भी गई तो इसमे न्यायसगत और समुचित व्यवहारकी कोई बात नही है। यह तो किसी खास ब्रिटिश प्रजाजनके प्रति ब्रिटिश सरकार द्वारा सामान्य कर्त्तव्य निभानेका मुद्दा हुआ।

अगर प्रस्तावित कानून पास कर दिया गया तो, वस्तुत, ब्रिटिश भारतीयोकी स्थिति अबसे बहुत बदतर हो जायेगी। यह नही भूलना चाहिए कि तीन पौडी पजीकरण कोई वार्षिक कर नही है। जो लोग उपनिवेशमे ह वे ३ पौड अदा कर चुके ह और १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत उनसे फिर अदायगीकी अपेक्षा नही की जा सकती। अतएव, प्रस्तावित छूट बिलकुल निरर्थक है, क्योकि वह नये प्रवासियोपर लागू नही होगी। उनका आगमन तो तबतक सर्वथा वर्जित है, जबतक आगामी उत्तरदायी सरकार कोई बहुत कडे प्रतिबन्ध लगानेवाला प्रवासी कानून नही बना लेती। मुझे यह कहनेमे जरा भी हिचक नही होती कि अभ्यागत अनुमतिपत्र देनेकी बात भी धोखेकी टट्टी है क्योकि ऐसे अनुमतिपत्र मौजूदा कानूनके अन्तर्गत भी विधिवत दिये जा सकते है। और जहा वे दिये जाने चाहिए वहा नही दिये जाते -- यह तो सरकारके लिए अपयशकी बात है जिससे वह नया कानून बनाकर मुक्त नही हो सकती। मुझे बहुत अधिक आशका है कि साम्राज्य सरकारने वास्तविक स्थिति नही समझी है और स्थानीय सरकारने साम्राज्य सरकारको स्पष्टत, इस बातका विश्वास दिला दिया है कि श्री डकन द्वारा निर्दिष्ट दिशामे कानून बना कर वह दरअसल रियायतें दे रही है।

मैंने पहले कहा है कि प्रस्तावित कानूनके अन्तर्गत स्थिति बहुत बदतर होगी। ऐसा इसलिए कहता हूँ कि मै जानता हू, नये कानूनसे बेहद उपद्रव होनेकी सम्भावना है। भारतीयोका पजीकरण डच शासनकालमे भी हुआ था, लेकिन, तब पजीकरण सरल था। ब्रिटिश शासनकी स्थापनाके बाद उनका पजीकरण फिर हुआ। इस बार पजीकरण पहलेसे बहुत ज्यादा जटिल था और प्रतिष्ठित भारतीयोको अँगूठेके निशान लगाने पडे थे। कहनेकी आवश्यकता नही कि अगर तीसरी बार पजीकरण किया गया तो वह और भी सख्त होगा। और, यह सब केवल इसलिए कि चन्द भारतीय, जो युद्धके पहले यहाके निवासी नही थे चोरी छिपे उपनिवेशमे घुस आये है, और अगर उन्होने ऐसा किया है तो उन भ्रष्टाचारी कर्मचारियोके कारण, जो किसी समय अनुमति पत्र विभागके कर्ता धर्ता थे। मामला इतना गम्भीर हो गया था कि ब्रिटिश भारतीय सघके द्वारा उठाये जानेपर उन कर्मचारियोको गिरफ्तार करके उनपर फौजदारी मुकदमा चलाया गया। मेहरबान पचो (जूरियो)-ने तो उन्हे छोड दिया, लेकिन सरकारको उनके अपराधके बारेमे इतना विश्वास हो गया था कि वे दोनो कर्मचारी बरखास्त कर दिये गये।

इसलिए, मै आशा करता हूँ कि जबतक उत्तरदायी शासन देनेके पूर्व ही ब्रिटिश भारतीयोके साथ कोई ठोस न्याय नही किया जा सकता और जबतक ब्रिटिश सरकार, अपने युद्ध पूर्वके वादेके अनुसार अपने ही शब्दोमे, उन्हे केपके ब्रिटिश भारतीयोके दर्जेमे नही रखती तबतक यह बेहद बेहतर होगा कि १८८५ के कानून ३ को पूर्ववत छोड दिया जाये और सारे मामलेपर उत्तरदायी सरकार ही गौर करे।

परन्तु इन विचारोके बावजूद सरकार स्वर्गीय अबूबकर आमदके मामलेमे न्याय करनेको स्वतन्त्र है। इस मामलेसे, आखिर, समग्र भारतीय समाजका तो सम्बन्ध नही है।

यहा एक अकल्पित स्थिति उठ खडी होनेके कारण, दक्षिण आफ्रिकासे शिष्टमण्डलके जानेकी बात स्थगित रखनी होगी। क्योकि सारी शक्ति ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोके साथ अन्याय करनेवाले इस प्रस्तावको रोकनेपर लगा देना जरूरी होगा।

मेरे नम्र विचारसे भारत मन्त्री तथा उपनिवेश मन्त्रीसे व्यक्तिगत मुलाकात जरूरी है।

आपका सच्चा,
मो० क० गाधी

[पुनश्च]

मेरे पास अखबाराकी कतरने नही बची ह। आज बकाकी छुट्टीका दिन हानेस म मॅगा भी नही सकता।[1]

मो० क० गा०

गाधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुई मल अग्रेजी प्रतिकी फाटा नकल (जी० एन० २२७५) मे।

४०८ पत्र "रैंड डेली मेल" को[2]

[जाहानिसबग
अगस्त ९, १९०६ के पूव]

[सेवामे
सम्पादक
'रड डेली मेल']

महोदय,

श्री डकनने अपने असाधारण वक्तव्यमे — मै तो उसे असाधारण ही कहूँगा — जिस एशियाई विधेयककी पूव सूचना दी है, उसके सम्बन्धमे आपके अग्रलेखपर मै अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। मुझे भरोसा है, आप इसकी अनुमति देगे। अपने सक्षिप्त वक्तव्यमे उन्होने अपने श्रोताओसे तीन बार कहा कि सरकार अधिवासी एशियाई प्रजाके साथ उचित और न्याय्य व्यवहार' करना चाहती है और इसी कारण जिस विधेयकका उन्होने जिक्र किया है वह विधान परिषदके अगले सत्रमे पेश किया जानेवाला है।

आपका खयाल है कि जो अध्यादेश पास होनेवाला है उससे अधिवासी एशियाई प्रजाके साथ उदार व्यवहार होगा।

प्रस्तावित विधेयकमे, मुझे भय है, उदारता नाम मात्रको नही है। उलटे, वह 'उचित और न्याय्य व्यवहार' की मर्यादासे भी बहुत दूर रह जायेगा। पुन पजीयन तो, निश्चय ही, ऐसे व्यवहारका अग नही है और वह बिलकुल निरथक है। जो भारतीय बस्तीमे प्रवेश कर चुके है, अधिकाशत उनमेसे प्रत्येकका दुबारा पजीयन हो ही चुका है। दरअसल, दूसरा पजीयन तो अनुमतिपत्र विभागको दी गई एक सहूलियत थी, जिसे उस समय खूब पसन्द किया गया था। एशियाइयोके धोखा देकर बस्तीमे प्रवेश करनेकी कथित बुराईका तीसरा पजीयन कोई इलाज नही है। अधिवासी एशियाई प्रजाके वतमान पजीयन प्रमाणपत्रोकी जाच करना और जिनके पास न हो उनपर मुकदमे चलाना काफी आसान है। सबके सब लोग धोखा धडीसे घस आये है, इस आरोपका ब्रिटिश भारतीय सघने प्रतिवाद किया है। कानून चाहे जितनी सख्तीसे बनाये जाये और उनपर अमल चाहे कितनी अच्छी तरहसे क्यो न किया जाये कुछ ऐसे व्यक्ति सदा ही रहेंगे

१ यह गाधीजीके स्वाक्षरोमें है।

२ यह ता० ११-८-१९०६ के **इडियन ओपिनियनमे** पुन प्रकाशित किया गया था।

जो उन्हें तोड़नेपर आमादा होंगे। इसलिए सम्पूर्ण समाजको जरायम पेशा करार देना — क्योंकि यही पुनः पंजीयनका मंशा है — 'उचित' या 'न्याय्य' नहीं है।

परन्तु श्री डंकन कहते हैं कि नये पंजीयनके बदलेमें वे एशियाइयोंको चार उपहार देनेवाले हैं अर्थात्, (१) तीन पौंडके करका निर्मूलन, (२) धार्मिक कार्योंके लिए एशियाइयोंको भूमिका स्वामित्व रखनेकी अनुमति (३) जिन एशियाइयोंके पास १८८५ का कानून ३ लागू होनेके पूर्व जमीन थी उनको उसे अपने वारिसोंके नाम दाखिल खारिज करानेकी अनुमति और (४) एशियाई अभ्यागतोंके लिए अस्थायी अनुमतिपत्र जारी करनेका अधिकार।

अब, पहली रियायतको मैं निरी धोखेकी टट्टी ही कहूँगा। याद रखना चाहिए कि यह उन्हीं लोगोंको मिलती है, जो बस्तीके निवासी हैं अथवा शायद उन्हें भी, जिन्हें युद्धके पूर्व ट्रान्सवालके निवासी होनेके नाते पुनः प्रवेश पानेका अधिकार है। यहाँ रहनेवाले लोगोंने तो ३ पौंडका शुल्क दे ही दिया है, और जो अबतक बस्तीके बाहर हैं उनमें से भी अधिकतर दे चुके हैं। वर्तमान कानून ऐसा कोई अधिकार नहीं देता कि तीन पौंडका शुल्क दुबारा लिया जाये। यह कोई वार्षिक कर नहीं है, बल्कि ऐसा शुल्क है जो १८८५ के कानून ३ के अनुसार उन सब एशियाइयोंको केवल एक बार देना पड़ता है जो बस्तीमें बसना चाहते हैं।

इसी तरह धार्मिक कार्योंके लिए जमीनपर कब्जा रखनेके प्रस्तावित अधिकारमें भी कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि ऐसा वर्तमान कानूनके अन्तर्गत भी किया जा सकता है। वरिष्ठ न्यायालयने फैसला दे दिया है कि रंगदार लोग, एक संस्थाके रूपमें, धार्मिक कार्योंके लिए जमीन रख सकते हैं।

तीसरी बात अवश्य एक रियायत होती, यदि वह एशियाइयोंके किसी भी बड़े समुदायपर लागू हो सकती। श्री डंकन अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरहकी एक ही जमीन है। उसके वारिसोंको ट्रान्सवालमें बागके लिए निर्धारित भूमिके दो पंचमांशपर अधिकार दे देना सामान्य कर्त्तव्यका पालनमात्र होगा, और कुछ भी हो, ऐसा करनेसे समाजको नहीं, बल्कि एक व्यक्तिका ही न्याय प्राप्त होगा।

चौथी बात भी कोई रियायत नहीं है। श्री नोमूरा तथा श्री मंगाको मुसीबत उठानी पड़ी, सो इसलिए नहीं कि अस्थायी अनुमतिपत्र देनेका कोई अधिकार मौजूद नहीं था, बल्कि इसलिए कि अधिकारका उपयोग करनेकी अनिच्छा थी। इसलिए कठिनाई कानूनमें नहीं, उसपर अमल करनेमें है।

मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार मैंने स्पष्ट रूपसे यह दिखा दिया है कि उपनिवेश-सचिवने पिछले शनिवारको जो पूर्व अनुमान व्यक्त किया है उसके पीछे अधिवासी एशियाई आबादीके साथ "उचित और न्याय्य व्यवहार" करनेका कोई सवाल नहीं है। इसके विरुद्ध जिन्होंने ब्रिटिश प्रजा होनेके नाते समान व्यवहारके आश्वासनकी सचाईमें विश्वास करके ट्रान्सवालमें आनेका साहस किया है उन गरीब एशियाइयोंपर शासकोंने फिरसे नंगी तलवार लटका दी है। लॉर्ड मिलनर तथा सम्राटके अन्य प्रतिनिधियोंने युद्धके पूर्व, और बादमें भी, जो वादे किये थे उनकी पूर्तिका कोई लक्षण श्री डंकनके वक्तव्यमें नहीं है।

मैं जो-कुछ पहले कह चुका हूँ उसे यदि दोहरा सकूँ तो पूछूँगा कि ब्रिटिश भारतीय (यदि उन्हें दूसरे एशियाइयोंसे अलग कर लें तो) क्या चाहते हैं? वे इस सिद्धान्तको मानते हैं कि ट्रान्सवालको आव्रजनपर नियन्त्रण रखनेका अधिकार है, और यद्यपि डच शासनकालमें ऐसी बात नहीं थी, फिर भी यदि ब्रिटिश प्रजाजनोंपर लागू केप या आस्ट्रेलियाई प्रवासी कानूनके अन्तर्गत जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, वैसे ही प्रतिबन्ध उनपर लगाये जायें, तो उसके लिए वे बिलकुल तैयार हैं। किन्तु इसके साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि जो ब्रिटिश भारतीय इस देशमें बस गये हैं उनको

पूरी नागरिक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए — यानी, बेरोकटोक घूमने फिरनेकी स्वतन्त्रता, जमीनकी मालिकीकी स्वतन्त्रता और व्यापारकी स्वतन्त्रता। जमीनकी मालिकीकी स्वतन्त्रतामें ऐसे प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं जिनसे जमीनका सट्टा व्यापार न हो। व्यापारकी स्वतन्त्रतामें भी स्वच्छता निर्वाह और न्यायसंगत व्यापारके हितमें नगरपालिकाके जो प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक हो लगाये जा सकते हैं। जब ब्रिटिश भारतीयोंके ये प्रारम्भिक अधिकार मान लिये जायेंगे तभी सम्राट्के किसी प्रतिनिधिको यह कहनेका अधिकार प्राप्त होगा कि ब्रिटिश भारतीयोंके साथ "उचित और न्याय्य व्यवहार" किया जा रहा है, उसके पहले नहीं।

याद रहे, उपर्युक्त वक्तव्यमें किसी राजनीतिक अधिकारका दावा करनेका कोई प्रयत्न नहीं है। ब्रिटिश भारतीय केवल ऐसे अधिकार मांगते हैं जिन्हें वे लोग भी सरलतासे दे सकते हैं जो 'श्वेत दक्षिण आफ्रिका' के सुभाषितमें विश्वास रखते हैं। हाँ शर्त यह है कि दक्षिण आफ्रिका, लॉर्ड सेल्बोर्नके शब्दोंकी न्यारयाके अनुसार, "न केवल बाहरसे, बल्कि अन्दरसे भी गोरा हो।

आपका, आदि,

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

रैंड डेली मेल, ९–८–१९०६

४०९ "उचित और न्याय्य व्यवहार"

पिछले शनिवारको ट्रान्सवालकी विधानसभाके स्थगित होनेपर, प्रस्तावित एशियाई कानूनके सम्बन्धमें उपनिवेश-सचिव श्री डंकनने एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य दिया। अपने वक्तव्यमें जो 'ट्रान्सवाल लीडर' के सिर्फ आधे स्तम्भमें छपा है श्री डंकनने तीन बार दुहराया है कि ट्रान्सवालके एशियाई अधिवासी 'उचित और न्यायसंगत व्यवहार" पानेके अधिकारी हैं। इसके बाद उन्होंने ऐसे व्यवहारकी अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है। हमने श्री डंकन जैसी भ्रमोत्पादक व्याख्या कभी नहीं देखी। हम आशामात्र कर सकते हैं कि उन्होंने १८८५ के कानून ३ को गलत रूपमें समझा है और इसीलिए वे इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि जिस कानूनकी पूर्व कल्पना उन्होंने पिछले शनिवारको दी थी, उसके द्वारा सचमुच वे बहुत राहत दे रहे हैं। अब हम यहाँ यह दिखानेकी चेष्टा करेंगे कि प्रस्तावित कानूनसे ट्रान्सवालमें बसे हुए एशियाई परिवारोंको कोई सहायता मिलना तो दूर रहा उलटे निरी उत्तेजना ही बढ़ेगी और आज जो भी सुविधाएँ मिली हुई हैं, शायद वे भी छिन जायेंगी।

श्री डंकनने चार बातोंका वादा किया है

(१) बस्तीके सम्पूर्ण एशियाइयोंका फिरसे पंजीयन।
(२) तीन पौंडी पंजीयन शुल्कका निर्मूलन।
(३) एशियाई धार्मिक सम्प्रदायोंको धार्मिक कार्योंके लिए भूमि रखनेकी अनुमति।
(४) जिन एशियाइयोंके पास १८८५ के कानून ३ के जारी होनेसे पहलेकी जमीनें हैं वारिसोंको उन्हें अपने नाम दाखिल-खारिज करानेकी अनुमति।

इनमेंसे पहला प्रस्ताव बहुत ही शरारत भरा और बेहद खतरनाक है। चूंकि सरकार इसे जैसे तैसे पास कराना ही चाहती है इसीलिए लोगोंको झांसा देनेके लिए अन्तिम तीन बातें

रख दी गई है। और पहली बात भी श्री डकनने ऐसी चतुराईसे रखी हे कि मानो वह एशियाइयोके हितमे की जा रही हो।

जरा पिछला इतिहास देखे। जिन भारतीयोके पास डच सरकार द्वारा दिये हुए पजीयन प्रमाणपत्र थे उनको कानूनन नये प्रमाणपत्र नही लेने पडते थे। किन्तु जब उसी प्रणालीको सबके लिए लागू करनेके उद्देश्यसे, लाड मिलनरने तत्कालीन मुख्य अनुमतिपत्र सचिवके कहनेपर ३ पोडी शुल्क वसूल करनेके लिए १८८५ का कानून ३ जारी करनेका निश्चय किया, तब ब्रिटिश भारतीयोने पजीयनके नये प्रमाणपत्र, जिनपर अँगूठेकी छाप भी हो, लेना स्वीकार किया। तबसे उस पद्धतिका समान रूपसे अनुसरण किया जा रहा है। यहा स्मरण रखना होगा कि, कानूनी सलाहपर अमल करते हुए मुरय अनुमतिपत्र सचिवने स्वीकार किया था कि भारतीयोपर नये प्रमाणपत्र लेनेका कोई कानूनी ब धन नही हे। इसलिए जब ब्रिटिश भारतीय सघने प्रस्तावको स्वीकार किया तब स्वभावत उसकी कृतज्ञतापूवक कद्र की गई।

पर तु नये पजीयनके सिलसिलेमे भारतीयोको जो जो मुसीबते झेलनी पडी, वे अब भी अनेक भारतीयोके मनमे ताजी है। वे भूल नही पाये ह कि एक दिन बडे तडके उन्हे अपने घरोसे सचमुच ही बाहर निकाल दिया गया था। श्री डकन अब कहते ह कि वह पजीयन निरथक था। क्यो सो हम नही जानते। इसलिए फिरसे सारे एशियाइयोको पजीकृत करानेका प्रस्ताव किया गया है — मानो वे जरायम पेशा लोग हो। श्री डकन कहते ह कि बहुतसे ऐसे एशियाइयोने, जो पहले कभी ट्रान्सवालमे नही रह — क्या ही अच्छा होता कि वे एशियाइ एशियाईमे भेद करके यह स्पष्ट करते कि वे ब्रिटिश भारतीयो, चीनियो अथवा अ य एशियाइयो, किनके सम्ब धमे कह रहे है — झूठे बयान देकर उपनिवेशमे प्रवेश किया हे। तकके लिए हम मान लेते है कि बात ऐसी ही है। लेकिन नया पजीयन उस बुराईको किस प्रकार दूर कर देगा? और थोडेसे अपराधियोके लिए सारे निरपराधियो को क्यो तग किया जाये?

और यहा श्री डकनको याद दिलाना होगा कि यदि कुछ एशियाइयोने इस प्रकार उपनिवेशमे प्रवेश किया है तो उसका कारण यह है कि एक समय एक मुरय एशियाई कार्यालयमे भ्रष्टाचारका बोलबाला था। पर तु वस्तुस्थिति यह है कि ब्रिटिश भारतीय सघने इस आरोपका जोरोसे खण्डन किया है कि बहुतेरे एशियाइयोने झूठे बयान दाखिल करके बस्तीमे प्रवेश किया है। कुछ भी हो, यह यायिक जाचका विषय है और ऐसे मामलोके निपटारेके लिए शा ति रक्षा अध्यादेश काफी स्पष्ट हे।

दूसरी रियायत भी कोई रियायत नही है। हमे आशा हे कि श्री डकनने पजीयन शुल्कको वार्षिक कर नही समझ रखा हे। यह शुल्क ऐसा है जो सिफ एक बार दिया जायेगा। सभी भारतीय, जो इस बस्तीमे रहते है और जि हे कानूनन पजीयन शुल्क देना है, शुल्क दे चुके है। तब फिर यह रियायत किसे दी जा रही है? निश्चय ही यह भावी नये आव्रजकोके लिए नही है, क्योकि जबतक उत्तरदायी शासन अपनी मर्जीसे निर्धारित शर्तोपर उपनिवेशके द्वार नही खोलता, तबतक वे उनके लिए पूरी तरहसे ब द है। इसलिए ३ पौडी शुल्कके निमलनकी बात बिलकुल निरथक है।

इस विषयपर बोलते हुए श्री डकनने फरमाया कि जब जब पजीयन कानूनको गम्भीरता पूवक लागू करनेकी कोशिश की गई, वह असफल रही हे। इस कथनको ठीक नही कहा जा सकता। हा, जब सरकारने कानूनके अथमे वह तात्पय घुसेडनेकी चेष्टा की, जिसका भूतपूव डच सरकारने इरादा भी नही किया था, तब वह अवश्य असफल सिद्ध हुआ। कानूनमे उ ही एशियाइयोके पजीयन-की व्यवस्था है जो ट्रा सवालमे व्यापारके उद्देश्यसे या अ यथा बसना चाहते है। स्थानीय सरकार

इससे और आगे बढ़कर सभी भारतीयोंका पंजीयन करना चाहती थी, फिर चाहे वे बच्चे हो, पत्नियाँ हो और व्यापार करना चाहते हों या न चाहते हों। सर्वोच्च न्यायालयने सरकारकी इस कोशिशको सफल न होने दिया। तो क्या इस बिनापर कानूनको अस्पष्ट और अनिश्चित कहा जायेगा? किसी भी निष्पक्ष व्यक्तिसे इसका उत्तर "कदापि नहीं" ही प्राप्त होगा। यह सिर्फ उन्हींके लिए अस्पष्ट है जो भारतीयोंपर ऐसी निर्योग्यताएँ थोपना चाहते हैं, जिनका स्वर्गीय राष्ट्रपति क्रूगर तथा उनकी सरकारने कभी सपनेमें भी खयाल नहीं किया था।

तीसरी रियायत धार्मिक कार्योंके लिए सुरक्षित भूमिके बारेमें है। विटवाटर्सरैंड उच्च न्यायालयने फैसला किया है कि कोई भी रंगदार व्यक्ति इस तरहकी जमीन रख सकता है, और तथ्यकी बात तो यह है कि ब्रिटिश भारतीयोंने ऐसी अनुमतिके लिए अब सरकारको परेशान करना भी छोड़ दिया है, और वे ट्रान्सवालमें भारतीय न्यासियोंके नामसे मसजिदकी जायदादका नियमित पंजीयन करवानेवाले हैं। अतएव उनको सरकारसे कोई अधिकार या संरक्षण लेनेकी आवश्यकता नहीं है। अतः इस मामलेमें भी एशियाइयोंको किसी प्रकारकी रियायत नहीं दी जा रही है।

चौथी निःसन्देह एक रियायत है। किन्तु एशियाई समाज जैसा है उसपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सिर्फ एक ही व्यक्तिको फायदा पहुँचानेके लिए है। ट्रान्सवालमें सिर्फ एक ही जायदाद १८८५ के कानून ३ के लागू होनेके पहलेसे एक भारतीयके कब्जेमें है — क्षेत्रफलमें, बागके लिए निर्धारित की गई भूमिका दो तिहाई अंश।[1] इस मामलेमें यदि रियायत की जाती है और वारिसोंको जायदादपर काबिज रहने दिया जाता है तो यह ब्रिटिश सरकारका अपने प्रजाजनके प्रति निरे कर्तव्यका निर्वाह मात्र माना जायेगा। ऐसे प्रस्तावको एशियाई समाजके प्रति रियायत जैसे बड़े नामसे विभूषित करना उसकी बुद्धिका अपमान करना है।

इसलिए जहाँतक १८८५ के कानून ३ का सम्बन्ध है, श्री डंकन द्वारा प्रस्तावित ढंगसे उसका मंसूख किया जाना बिलकुल अनावश्यक है और उससे बेहिसाब कठिनाइयाँ खड़ी हो जायेंगी, जिनसे आज शायद ब्रिटिश भारतीय मुक्त हैं।

शान्ति-रक्षा अध्यादेशके विषयमें श्री डंकनने कहा कि अभ्यागतोंको अनुमतिपत्र देनेकी व्यवस्था की जायेगी। हम आदरपूर्वक कहना चाहेंगे कि यह भी निरी धोखेकी टट्टी है। अभीतक इस प्रकारके अनुमतिपत्र देनेके लिए किसी धाराकी जरूरत नहीं पाई गई। यह ठीक है कि उन्हें देनेमें सरकारने बाधाएँ खड़ी की थीं, किन्तु उससे तो उसे और भी बदनामी मिली है। अब अस्थायी अनुमतिपत्र देनेकी, जिन्हें देनेका पहलेसे सरकारको कानूनन अधिकार है, किन्तु भारतीय-विरोधी लोगोंके आन्दोलनके भयसे जिन्हें देनेसे वह अभीतक इनकार करती आई है, मीठी-मीठी बातें करके वह उस कलंकसे मुक्त नहीं हो सकती।

इसके अतिरिक्त श्री डंकन यह भी कहते हैं कि उनके वक्तव्यमें जिस नीतिकी व्याख्या की गई है, वही साम्राज्य सरकारकी नीति रही है — और वही स्थानीय सरकारकी भी नीति है। यह कथन तथ्योंके अनुरूप नहीं है। क्योंकि, लॉर्ड मिलनरकी नीति तो यह थी कि उत्तरदायी शासन देनेके पहले ही एशियाई कानूनको ब्रिटिश परम्पराओंके अनुकूल बना दिया जाये और जो भारतीय शिक्षा अथवा अन्य निपुणताओंके कारण योग्य हों, उन्हें ट्रान्सवालमें सम्राटकी अन्य प्रजाओंके समान बराबरीका स्थान दिया जाये। श्री लिटिलटनके खरीतेमें भी इस प्रकारकी नीतिका निर्देश किया गया था। इसलिए श्री डंकनका वक्तव्य स्पष्ट ही उस इरादेसे पीछे जानेवाला है जो लॉर्ड मिलनर या, बादमें, श्री लिटिलटनने व्यक्त किया था।

१ पृष्ठ ३९८ पर बागके लिए निर्धारित भूमिका क्षेत्रफल दो पंचमांश होनेका उल्लेख है।

हम पूछते हैं कि 'उचित और न्याय्य" व्यवहारके विषयमें तीन बार दोहराई हुई घोषणाका सचमुच कोई आधार है या वह लार्ड लिटनके इन शब्दोंको, कि जो बातें वादोंके रूपमें सुनाई जाती हैं, वे व्यवहारमें तोड़नेके लिए होती हैं", चरितार्थ करेगी और श्री डंकनकी घोषणाका परिणाम केवल शब्दोंमें ही खप जायेगा?

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ११–८–१९०६

४१० भाषण : हमीदिया इस्लामिया अंजुमनमें

मलायी बस्तीकी सत्रहवीं गलीके सभा भवनमें जोहानिसबर्गकी हाल ही में स्थापित हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके तत्त्वावधानमें भारतीयोंका एक सम्मेलन हुआ था। आमन्त्रित व्यक्तियोंमें ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष श्री अब्दुल गनी और मन्त्री श्री गांधी, सम्मिलित थे। ट्रान्सवालवासी भारतीयोंकी वर्तमान राजनीतिक स्थिति समझानेके लिए अंजुमनके अध्यक्षके निवेदन करनेपर गांधीजीने एक भाषण दिया था, जिसकी संक्षिप्त रिपोर्ट निम्नलिखित है :

जोहानिसबर्ग,
अगस्त १२, १९०६

श्री गांधीने शुरूमें हमीदिया इस्लामिया अंजुमनका आभार मानते हुए अंजुमनकी स्थापनाके सम्बन्धमें अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। हमीदिया इस्लामिया अंजुमन ब्रिटिश भारतीय संघके मुकाबलेमें खड़ी की गई है, ऐसी गलत चर्चा लोगोंमें चल रही थी। उसपर खेद प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि यह बात बिलकुल गलत है, ऐसी अंजुमनकी स्थापनासे तो उलटे ब्रिटिश भारतीय संघकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और भविष्यमें वे एक दूसरेके सहायक बन जायेंगे।

ट्रान्सवालके भारतीयोंकी वर्तमान राजनीतिक स्थितिके प्रश्नपर आते हुए उन्होंने श्री डंकनके बयानको लेकर विस्तारपूर्वक समझाया कि मामला बहुत ही भयंकर है। श्री डंकनके बयानके विरुद्ध मजबूत मोर्चा बांधनेकी जरूरत बताते हुए उन्होंने विलायतको शिष्टमण्डल भेजना स्थगित करनेकी सलाह दी। ब्रिटिश भारतीय संघकी कमजोर आर्थिक स्थिति बताकर उन्होंने उपस्थित सदस्योंसे निवेदन किया कि वे उसकी आर्थिक सहायता करें। उन्होंने कहा कि मुसलमान लोग शिक्षामें पिछड़े हुए हैं, इसलिए ऐसी समितियोंके बननेसे उन्हें बहुत फायदा होगा और आशा है आप शिक्षाके विषयमें आगे बढ़नेकी कोशिश करेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २५–८–१९०६

४११ पत्र दादाभाई नौरोजीको[१]

पो० ऑ० बाक्स ६६८
जोहानिसबर्ग
अगस्त १३, १९०६

मान्यवर,

'इंडियन ओपिनियन' के प्रस्तुत अंकमें[२] १८८५ के कानून ३ में श्री डंकन द्वारा प्रस्तावित संशोधनोंकी पूरी जानकारी प्रकाशित हुई है। श्री लिटिलटन तथा श्री मार्लेके खरीताके कुछ अंश तथा १८८५ के कानून ३ का सम्पूर्ण पाठ भी दिया गया है।

यह तो एक नजरसे ही स्पष्ट हो जायेगा कि श्री डंकन अपने प्रस्तावित संशोधनसे खरीताकी व्याप्तिको बहुत ज्यादा सीमित कर रहे हैं। पुनः पंजीयनके बारेमें श्री लिटिलटन और लॉर्ड मिलनरने कोई जिक्र तक नहीं किया है, और उन दोनोंने यह व्यक्त किया है कि, कमसे कम, उच्चतर श्रेणीके भारतीयोंको तो पूरे अधिकार मिलने ही चाहिए। इससे श्री डंकनका यह कहना कि वे साम्राज्य सरकारके इरादोंको कार्यरूप दे रहे हैं, वस्तुस्थितिसे दूर हो जाता है। हाँ, अगर उदारदलीय मन्त्रिगण पूर्ण रूपसे बदल गये हों और अब उनका यह विचार हो कि ब्रिटिश भारतीयोंकी स्वतन्त्रताको अनुदार दलका मन्त्रिमण्डल जिस हद तक कम करनेको तैयार था उससे भी अधिक घटा दिया जाये तो बात दूसरी होगी।

मेरी धारणा तो निश्चय ही यह है कि जबतक ट्रान्सवाल सम्राट्के उपनिवेश विभागके शासनतन्त्रमें है तबतक सम्राटकी सरकारको चाहिए कि वह न्याय भावनापर आधारित कानून बनाये, भले ही जैसा कि लॉर्ड मिलनरने कहा है, यह "सरकारी बहुमतका उपयोग करके हो, और बादमें इसे बदलनेका भार उत्तरदायी मन्त्रिमण्डलपर—अगर उसमें ऐसा करनेकी हिम्मत हो तो—छोड़ दिया जाये।"

आपका सच्चा,
मो० क० गांधी

मूल अंग्रेजी पत्रकी फोटो नकल (जी० एन० २२७६) से।

१ मूलमें दादाभाई नौरोजीका नाम नहीं है, पर यह पत्र दादाभाई नौरोजीके संग्रहमें पाया गया है। पत्र दादाभाई नौरोजीको, पृष्ठ ३९५-६ भी देखिए।

२ अगस्त ११, १९०६ का अंक।

४१२ प्रार्थनापत्र लॉर्ड एलगिनको

डर्बन,
अगस्त १३, १९०६[1]

सेवामें,
परमश्रेष्ठ, परममाननीय लार्ड एलगिन, पी० सी०, आदि
महामहिमके प्रधान उपनिवेश मन्त्री
लन्दन, इंग्लैंड

सविनय निवेदन है कि

आपके प्रार्थी परमश्रेष्ठका ध्यान नेटाल संसद द्वारा अभी हालमें पास किये गये नगर निगम संघटन विधेयककी ओर आकर्षित करते हैं।

आपके प्रार्थियोंने कृतज्ञतापूर्वक इस बातका लक्ष्य किया है कि इस विधेयकके विषयमें भारतीय समाजने जो आपत्तियाँ उठाई थीं उनमें से कुछको परमश्रेष्ठने अपने खरीतेमें मान लिया है।

फिर भी आपके प्रार्थियोंको दुःख है कि विधेयकके विरुद्ध उठाई गई एक आपत्तिपर परमश्रेष्ठने विचार नहीं किया है और वह है — नगरपालिकाके चुनावोंमें मतदाताओंके रूपमें ब्रिटिश भारतीयोंका मताधिकार छीननेका प्रस्ताव।

जब नेटाल संसदमें यह विधेयक विचाराधीन था, तब भारतीय समाजने विधेयकके बारेमें अपनी आपत्तियाँ प्रकट करते हुए एक प्रार्थनापत्र दिया था। उसकी एक प्रति परमश्रेष्ठकी जानकारीके लिए यहाँ नत्थी है।[2]

नेटाल निवासी ब्रिटिश भारतीय अनुभव करते हैं कि यदि उन्हें नगरपालिका-मताधिकारसे वंचित कर दिया गया तो यह एक बड़ी गम्भीर शिकायत होगी और नेटालके जिम्मेदार राजनीतिज्ञों द्वारा की गई उन घोषणाओंके प्रतिकूल होगी जो भारतीयोंको संसदके मताधिकारसे वंचित करते समय की गई थीं। उस समय यह बात मान ली गई थी कि यद्यपि भारतमें संसदीय संस्थाएँ नहीं हैं तथापि नगरपालिकाएँ तो अवश्य हैं, और भारतमें नगरपालिकाओंके हजारों मतदाता हैं।

प्रस्तावित मताधिकारके अपहरणके पक्षमें कोई वैध तर्क नहीं दिया गया है। भारतीय नेटाल उपनिवेशमें कोई राजनीतिक सत्ता पानेकी आकांक्षा नहीं रखते। किन्तु वे अन्य करदाताओंके बराबर ही कर देते हैं, इसपर भी जब उनकी नगरपालिका सम्बन्धी स्वतन्त्रतामें हस्तक्षेप किया जाता है तब वे, स्वभावतः, नापसन्द करते हैं।

प्रायः यह कहा जाता है कि नेटालकी भारतीय आबादी, सामान्यतः, केवल गिरमिटिया वर्गकी है। सादर निवेदन है कि ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि इस समय नेटालमें ऐसे

१ छपे हुए प्रार्थनापत्रपर जिसमें हस्ताक्षरकर्ताओंके नाम नहीं दिये गये हैं, यही तिथि है, लेकिन **इंडियन ओपिनियनमें,** जिसके १८-८-१९०६ के अंकमें यह उद्धृत किया गया था इसपर १५ अगस्तकी तिथि दी गई है।

२ यह यहाँ नहीं दिया जा रहा है। देखिए खण्ड ४ पृष्ठ ४२७-८।

स्वतन्त्र भारतीयाकी आबादी लगभग पन्द्रह हजार है, जो अपना राह भाडा स्वय देकर यहा आये है। इस आबादीका सबसे बडा भाग डबनमे पाया जाता है। ये लाग अत्यन्त सम्मानित वगके है। इनमे अधिकाश व्यापारी और व्यापारिक पेशेसे सम्बद्ध लोग ह। उनमे कुछ ऐसे भी लोग है जिन्होने अग्रेजी भाषामे उच्च शिक्षा प्राप्त की है।

आपके प्रार्थी सविनय निवेदन करते ह कि ऐसे वगके लोगोको मताधिकारसे वचित करना उनके दर्जेको अनावश्यक रूपसे गिरा देना होगा।

इसलिए, आपके प्रार्थी सादर प्राथना करते है कि परमश्रेष्ठ प्रार्थनापत्रकी विषय सामग्रीपर सहानुभूतिपूवक विचार करने और मुनासिब राहत दनेकी कृपा कर।

न्याय एव दयाके इस कायके लिए अपना कतव्य समझकर आपके प्रार्थी सदा दुआ करेगे, इत्यादि।

डबन, आज तारीख १३ अगस्त, सन उन्नीस सौ छ।

[दाउद मुहम्मद
अध्यक्ष
ओ० एच० ए० झवेरी
एम० सी० आगलिया
अवतनिक सयुक्त मन्त्री,
नेटाल भारतीय काग्रेस]

मूल अग्रेजी प्रतिकी फाटो नकल (सी० ओ० १७९, जिल्द २४३) से।

४१३ पत्र हाजी इस्माइल हाजी अबूबकर झवेरीको

पा० आ० बॉक्स ६५२२
जोहानिसबग
अगस्त १४ १९०६

सेठ श्री हाजी इस्माइल हाजी अबूबकर,

आप दोनोके नामोपर कुछ ही दिनोमे प्रिटोरियाकी जमीन चढ जायेगी। ऐसी आशा करनेके ठोस कारण ह। उमर सेठने उँम सम्बन्धमे आपको लिखा है, इसलिए म ज्यादा खुलासा नही कर रहा हूँ।

उमर सेठसे मै हमेशा वहाके खचके सम्बन्धमे झगडा किया करता हूँ। इस समय दक्षिण आफ्रिकामे समय बहुत ही कठिन है, अभी और भी कठिन आयेगा। जमीनकी कीमत ६६ फी सदी गिर गई है तथा और भी अधिक गिरे तो आश्चय नही। हमे जो किराया मिलता था वह ५० प्रतिशतसे भी अधिक घट गया है, तथा और भी घटेगा। वेस्ट स्टीटके जैसे मकानमे सभी गुत्त्रिगाओंने पूण दूसरी मजिलकी दूकान अभी खाली पडी है। ऐसे समयमे यदि आप अपना घर-खच और दूसरा खच कम नही करेगे तो जो है वह भी खत्म हो जायेगा। आज भी पूजीपर रहने जमा ही है। व्यापारमे लाभ होता है, इसलिए सन्तोष है। किन्तु यह लाभ है तो उधर माल उधारीपर है। व्यापारका मुनाफा, जबतक शुद्ध लाभ न निकाला गया हो और वह भी नगद न बन गया हो, तबतक अनिश्चित माना जाता है। मुझे कहना चाहिए कि उमर सेठ स्वय बहुत गरीबीकी हालतमे रहते

ह। आपके नामको शोभा देने लायक घर नही, न वैसा खान पान ही है। और आजकल वे मेरे साथ रहकर मुझसे भी ज्यादा कष्टमय जीवन व्यतीत करते है। यह देखकर कभी कभी मेरे मनमे छोटेपनकी दु खद भावना जागत होती है, फिर भी मै यह समझकर चलने देता हूँ कि उसमे फायदा है। जैसे कल रातको उमर सेठ केवल रोटी मक्खन, पापड और कोकोपर ही रहे, और सोनेके लिए मेरे साथ साढे तीन मील पदल आये। मै यह नही कहता कि आप भी इस हद तक कम खच करे। लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि वहा आपका खच प्रतिमाह २५ पौडसे अधिक नही होना चाहिए। कुछ खच ऐसा हे जिसे घटानेसे लोग चर्चा करेगे। लेकिन चर्चा करनेवालोको दुश्मन समझे। चर्चा करनेवाले आपकी गहस्थी नही चलाते। यानी हमारा जो अपनी स्थिति समझ सकते ह, कतव्य है कि वक्तका विचार करे। अधिक क्या लिखू? मै आपका हित बहुत चाहता हूँ, इसीलिए इस तरह लिख रहा हूँ।

तबीयत अच्छी रहती होगी।

आपने जायदाद बेचनेके सम्बन्धमे हस्ताक्षर करके जो कागज भेजा हे उसमे गवाहके हस्ताक्षर नही थे, इसलिए फिरसे हस्ताक्षर करनेकी आवश्यकता है। अब वापस भेजता हू। उसमे गवाहके हस्ताक्षर करवाकर और प्रान्तके साहबकी मुहर लगवाकर भेज दीजियेगा।

मो० क० गाधीके सलाम

हाजी इस्माइल हाजी अबूबकर झवेरी
[पोरबन्दर]

[पुनश्च]

साथका कागज यदि प्रान्तके साहबके हस्ताक्षरके लिए प्रान्त कार्यालयके वकीलको भेज देगे तो भी काम चल जायेगा।

मो० क० गाधी

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजराती पत्रकी फोटो नकलसे।
सौजन्य झवेरी बन्धु डबन।

४१४ भारत भारतीयोके लिए

यह आवाज भारतमे आज हजारो मुखोसे निकल रही हे। भारत आज एक ही राष्ट्र है, यह कोई नही कह सकता। किन्तु कामना तो सबकी यही है कि वह एक राष्ट्र कहलाये। ऐसा करनेके लिए स्वदेशाभिमानी भारतीय अपनी-अपनी समझसे उपाय सुझा रहे ह। इनमे कलकत्तेसे निकलनेवाले 'इडियन वल्ड' नामक प्रसिद्ध मासिक पत्रके सम्पादक भी ह। उन्होने कहा हे कि जबतक भारतके विभिन्न प्रदेशोमे रहनेवाले भारतीयोमेसे ज्यादातर लोग एक ही भाषा नही बोलने लगते, तबतक वास्तविक रूपमे भारत एक राष्ट्र नही बन सकता। विभिन्न प्रदेशोमे अग्रेजी बोलनेवाले लोग काफी मिल जाते ह, किन्तु उनकी सख्या बहुत ही थोडी हे, और हमेशा थोडी ही रहेगी। इसका मुख्य कारण यह है कि यह भाषा कठिन हे और विदेशी है। साधारण मनुष्य उसे ग्रहण नही कर सकता। इसलिए यह सम्भव नही कि अग्रेजीके जरिये भारत एक राष्ट्र बन जाये। अत भारतीयोको भारतकी ही कोई भाषा पसन्द करनी पडेगी। गुजराती, बगाली, तमिल आदि

बोलनेवाले भारतीय ह तो बहुत, फिर भी इनमेसे किसी एकके सारे भारतमे फलनेकी बहुत कम सम्भावना है। बाकी बच गई हिदी भापा। यह भाषा उत्तर भारतमे सब लाग बोलते है। उसकी माता सस्कृत और फारसी होनेके कारण वह हिदू और मुमलमान दोनोको अनुकूल पड सकती हे। इसके सिवा, चूकि फकीर ओर सयासी यही भाषा बोलते ह इमलिए इसका प्रसार सब जगह होता है। अनेक अग्रेज भी इसे सीखते ह। इस भापाका फलाव बहुत हे। भाषा अपने आपमे बहुत मीठी नम्र और ओजस्वी है। इसमे बहुत सी पुस्तके लिखी गई ह और अब भी लिखी जा रही ह। इसलिए 'इडियन वल्ड' के सम्पादक महोदयने सुझाया हे कि हरएक पाठशालामे स्वभापाके अतिरिक्त इस भाषाका शिक्षण दिया जाना चाहिए। माता पिताको भी चाहिए कि वे अपने बच्चामे बचपनसे ही हिन्दी भाषा बोलनेकी आदत डाले। तभी भारत वास्तविक रूपमे एक राष्ट्र बन सकेगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १८-८-१९०६

४१५ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

अगस्त १८, १९०६

श्री भाभाका मुकदमा

श्री मुहम्मद सुलेमान भाभाका अनुमतिपत्र सम्बधी मुकदमा फोक्सरस्टमे चल रहा था। उसके बारेमे अपील की गई थी। लेकिन चूकि वकील उस अपीलके विरुद्ध थे इसलिए वह वापस ले ली गई है। वकीलकी सलाहसे श्री भाभाने निश्चित अवधिमे ट्रान्सवालकी हद छोडनेसे इनकार किया था, इसलिए उनपर अदालतमे फिरसे मुकदमा चला। मजिस्ट्रेटके मामने दलील पेश की गई कि उनके हुक्मके अनुसार श्री भाभाके टान्सवालमे रहनेमे कोई आपत्ति नही होनी चाहिए, क्योकि उन्हे इस देशमे प्रवेश करनेका अधिकार पहलेसे है। मजिस्ट्रेटने यह दलील स्वीकार नही की और श्री भाभाको कमसे कम, अयात एक महीनेकी साधारण कदकी सजा सुना दी। अब श्री भाभाने फिरमे अपील की है, ओर ऐसी आशा की जाती है कि वे इस अपीलमे जीतेगे।

जमीनके बारेमे महत्त्वपूर्ण निर्णय

सर विलियम स्मिथके सामने इस हफ्तेमे एक दरखास्त आइ थी। उमपर उन्होने जो निणय दिया वह महत्त्वपूण हे। यहाके सुपरिचित सेठ मुहम्मद कासिम कमरुद्दीनने श्री चेम्बरलेनका देहान्त हो जानेसे अपनी सारी जमीन दूसरे यूरोपीयके नामपर चढवानी चाही। पजीयकने ऐसा करनेसे इनकार कर दिया। तब उन्होने अदालतसे आज्ञा मागी। पहले तो न्यायाधीशने स्वय ही यह आपत्तिकी कि ऐसा करनेके लिए वारिसकी सम्मति चाहिए। न्यायाधीश स्मिथके सामने यह दलील दी गई कि उस जमीनपर वारिसका कोई हक नही था। इस दलीलको न्यायाधीश महोदयने मान्य करके दूसरे यूरोपीयके नामपर उक्त जमीन चढानेका हुक्म दे दिया। इससे यह समझा जा सकता हे कि यदि पर्याप्त सावधानीसे गोरोके नाम जमीन रखी गई हो तो असली मालिकको कोई नुकसान नही हो सकता।

मलायी बस्ती

नगर परिषदको मलायी बस्तीके बारेमे बस्ती समितिकी तरफमे अर्जी दी गई थी। उसके उत्तरमे नगर परिषदने कहा है कि मलायी बस्ती जहा है वहा नही रहने दी जायेगी, वहाके

रहनेवालोंको लम्बी अवधिका पट्टा नहीं दिया जायेगा, परन्तु उन्हें क्लिपस्प्रूटमें पट्टेपर जमीन दी जायेगी। समितिने इस जवाबका विरोध करना तय किया है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २५–८–१९०६

४१६. स्वर्गीय उमेशचन्द्र बनर्जी

श्री उमेशचन्द्र बनर्जीके देहावसानका समाचार हम दुःखपूर्वक प्रकाशित करते हैं। उनकी गिनती आधुनिक कालके सबसे बड़े भारतीय देशभक्तोंमें थी। वे उन देशभक्तोंमें थे जिन्हें नौरोजीकी परम्पराका कहा जा सकता है और जो अपने समय एवं बुद्धि बलका पूरा उपयोग अपने देशके हितके लिए किया करते थे। श्री बनर्जी बंगालके अग्रगण्य बैरिस्टरोंमें से थे और उन्होंने अपने सूक्ष्म कानूनी ज्ञान तथा नैय्यायिक वाग्मिताके कारण अपने कार्यकालके आरम्भमें ही ख्याति पा ली थी। इससे उन्हें असाधारण प्रभावकी प्राप्ति हुई, जिसका उपयोग उन्होंने अपने देशके लाभके लिए किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके जन्मदाताओंमें से एक थे, और उसके प्रथम अध्यक्ष भी थे। वे अपने जीवनके अन्तिम दिन तक उसकी सेवा करते रहे और मुक्तहस्त होकर अपना धन सार्वजनिक कार्योंमें लगाते रहे।

श्री बनर्जीका पाश्चात्य शिक्षामें बहुत विश्वास था। वे स्वयं उसकी एक श्रेष्ठ उपज थे। इसलिए उन्होंने क्रायडनमें एक मकान खरीदा था। वहाँ वे अपना आधा समय अपने बच्चोंकी शिक्षाकी देखरेखमें खर्च करते थे। फलतः उनके लड़कों एवं लड़कियोंको उदार शिक्षा मिली है जिसका उपयोग वे भी अपने पिताकी भाँति सार्वजनिक सेवामें कर रहे हैं।

श्री बनर्जीके जैसे जीवनसे वर्तमान पीढ़ीके भारतीय युवकोंको अनेक शिक्षाएँ मिलती हैं। अतः स्वर्गीय आत्माके प्रति भारतीय अपनी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि उनके उदाहरणके अनुकरणके रूपमें ही दे सकते हैं। हम आदरपूर्वक श्री बनर्जीके कुटुम्बके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं। उसकी क्षति भारतकी भी क्षति है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २५–८–१९०६

४१७ फर्ककी हिमायत

जाहानिसबग स्टार ' मे हाल मे ही " रगदार लोगाकी गुडागिरी पर एक बडा कडा अग्र-लेख प्रकाशित हुआ था। लेखकके विचारोका आधार केप टाउनमे हुए हालके दगे थे। हमारे सहयोगीने ' रगदार लोगो " और मलायी तथा अय लागोक बीच, जिन सबका भी ' रगदार' ही कहा जाता हे, भेद करनेकी सावधानी बरती है। किन्तु इसमे कोई सदेह नही हो सकता कि अखबारके सामाय पाठककी दष्टिमे " रगदार लोगो " का अथ है — मलायी ब्रिटिश भारतीय तथा अय सब एशियाई। 'स्टार' द्वारा किये गये इस भेदमे ही गहीत हे कि जनताके मस्तिष्कमे यह भ्रम मौजूद है।

एशियाइयो और दूसरोको " रगदार लोगो " की श्रेणीमे रखनेसे दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भार तीयोके साथ बहुत सा अनुचित अयाय हुआ है। सबसे ज्वलत उदाहरण तो वह है जो श्री विन्स्टन चर्चिलने दिया हे। सहायक उपनिवेश मत्रीने इस बिनापर ब्रिटिश भारतीयोका मताधिकारसे वचित किया जाना उचित ठहराया हे कि डच लाग 'वतनी ' शब्द — इस प्रसगमे 'रगदार लोग — का अथ किसी भी गैर-यरोपीय दशके निवासी मानते थे। हम जानते ह कि लाड मिलनरने उक्त सज्ञाके ऐसे प्रयोग, या दुष्प्रयोग का विरोध किया है, परतु उनका विराध उपर्युक्त अयायमे ब्रिटिश भारतीयोकी रक्षामे सहायक नही हुआ ह।

इस समय ट्रासवाल और आरेज रिवर कालोनीकी विधान पुस्तकोमे ऐसे कानून ह जो केवल इसलिए ब्रिटिश भारतीयापर लागू होते ह कि रिवाजके अनुसार 'रगदार लोग सज्ञा ब्रिटिश भारतीयापर लागू हे यद्यपि कानूनके भावसे लोग यही समझते है कि इसको ब्रिटिश भारतीयोपर, जो दोहरी पीडा भोगते ह लागू करना बिलकुल अनावश्यक है। वे उन निर्योग्यताओसे भी पीडित ह, जो " रगदार लोगा ' पर लागू है, और इस कारण भी कि वे एशियाई है। इस तरह नाजायज सोना सम्बन्धी कानून (इल्लीसिट गोल्ड लॉ) और ट्रान्सवालके पदल पटरी सम्बधी विनियम उनपर इसलिए लागू होते है कि वे " रगदार लोग " है, और १८८५ का कानून ३ उनपर इसलिए लागू होता हे कि वे एशियाई ह। अतएव, वास्तवमे उनकी स्थिति उन ' रगदार लोगो " से गई गुजरी है जो एशियाई नही है।

हम समझते ह कि हमने ऊपरके उदाहरणोसे काफी साफ तौरपर दिखा दिया हे कि यदि ब्रिटिश भारतीयोके साथ याय करना इष्ट है, तो उनको आइन्दा " रगदार लोगो "की श्रेणीमे नही रखना चाहिए। यह बात हम किसी अप्रिय तुलनाकी इच्छा किये बिना कर रहे ह। अपने अस्तित्वके अधिकारकी लडाईमे " रगदार लोगो " और ब्रिटिश भारतीयोको भिन्न भिन्न स्थलोपर प्रहार करना है। उनको पृथक पथक मार्गोसे याय प्राप्त करना है और यदि सरकार तथा प्रचारक उन दोनोके बीच भेद करनेके महत्त्वको स्वीकार कर ले तो अच्छा होगा।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २५-८-१९०६

४१८ हिन्दुओके श्मशानकी स्थिति[1]

श्री डोघर्टीने हिन्दुओके श्मशानकी स्थितिके बारेमे हमे एक पत्र लिखा है। डबनके हिन्दुओका ध्यान हम उसकी ओर आकर्षित कर रहे है। यदि इस श्मशानकी स्थिति वसी ही हो जसी श्री डोघर्टीने बताई है तो हिन्दुओके लिए यह बहुत ही लज्जा और कलककी बात मानी जायेगी। श्मशान स्वच्छ तथा अच्छी स्थितिमे रखना हर हिन्दूका कत्तव्य है। ऐसा न करनेसे कानून और स्वास्थ्यके नियमका तो उल्लघन होता ही है, मनुष्य जातिके नाते ऐसी बातोके विषयमे हमे जो कोमल भावना रखनी चाहिए, उस नियमका भी उल्लघन होता है। हमे श्मशानकी स्थितिके विषयमे और भी अनेक पत्र मिले है। वे चुटीले है और उनमे हिन्दू जातिकी आलोचना की गई है, इसलिए हमने उन्हे प्रकाशित नही किया। किन्तु हमे हर हिन्दूसे कहना चाहिए कि और बातोमे चाहे जैसे झगडे हो मरण जैसी स्थितिके समय अपनी वत्तियोको कोमल ओर पवित्र रखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक ह। और यदि ऐसा न करे, तो यह हमारी बहुत बडी कमी मानी जायेगी इसे प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २५–८–१९०६

४१९ ईरानका मामला

हालमे ईरानके शाहने ऐलान किया है कि आर्थिक दिवालियेपनकी परिस्थितिसे निकलनेके लिए प्रजा परिषद बुलवाई जायेगी। ईरान इस स्थितिमे पहुँचा इसका मुख्य कारण शाहका उडाऊ पन है। इस वषके प्रारम्भमे प्रजा वतमान राज्यके विरुद्ध इतनी उत्तेजित थी कि सैकडो व्यापारी और मुल्ला तेहरान छोडकर चले गये थे। इसस घबराकर शाहने मुल्लो, व्यापारियो और जमीदारोकी चुनी हुई परिषद बुलानेका वचन दिया हे, किन्तु कोषके सम्बन्धमे जो गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो गई है वह शायद ही सुधरे। वतमान शाह मजफ्फरुद्दीनने १० वषके भीतर ईरानको इस स्थितिमे ला छोडा है। ईरानका सारा राजस्व शाहके हाथमे हे। पहलेके शाहोने थोडा बहुत निजी धन जोड लिया था। वतमान शाहके पास २० लाख पौड थे। हिसाब लगानेपर मालूम हुआ हे कि निजी धन खच हो गया है और वार्षिक आयके १५ लाख पौड भी खच हो जाते है। इतना ही नही, इसके अतिरिक्त ४० लाख पौडका कज भी हो गया है। देश दिनोदिन गरीब होता जा रहा हे। करका बोझ मुख्यत मजदूर वगपर हे। पिछले दो चार वर्षोमे यूरोपके दौरो और महलकी शान शौकतपर बहुत दौलत उडाई गई हे। ईरानकी ऐसी खराब स्थिति हो गई है कि उसका वणन करते हुए जोहानिसबगके 'रैंड डेली मेल' ने कहा है कि इस गम्भीर स्थितिका रूस लाभ न उठा ले, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। क्योकि, भारतके पडोसमे रूस पाव जमा ले तो अग्रेज सुखसे नही बैठ सकेगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन २५–८–१९०६

१ देखिए 'हिन्दू श्मशान', पृष्ठ ४२६।

४२० पत्र उपनिवेश-सचिवको

जाहानिसबग
अगस्त २५, १९०६

सेवामे
माननीय उपनिवेश-सचिव
प्रिटोरिया

महोदय

मै ब्रिटिश भारतीय सघकी ओरसे २२ तारीखके 'गवनमेट गजट' मे प्रकाशित एशियाई कानून सशाधन अध्यादेशका जो अभी मसविदेके रूपमे हे सम्मानपूवक विराध करता हू।

मेरे सघकी नम्र सम्मतिमे उपयुक्त प्रस्तावित अध्यादेशसे भारतीय समाजमे सख्त नाराजगी पदा होगी और उसकी कोमल भावनाओको ऐसी चोट पहुचेगी जिसका अदाज लगाना कठिन है।

आदरपूवक निवेदन है कि इस मसविदेमे ब्रिटिश शासका द्वारा सजीदगीके साथ बार बार किये गये वादे बिलकुल मसूख हो जाते है और यह श्री लिटिलटन एव लाड मिलनरके खरीताके विरुद्ध पडता है।

इस मसविदेसे ब्रिटिश भारतीयाको मिलता कुछ भी नही, बल्कि उनसे बहुत कुछ छिन जाता हे, और वह भी एसे तरीकेसे जा, श्री चेम्बरलेनके शब्दोमे, ट्रासवाल वासी ब्रिटिश भारतीयके लिए "अनावश्यक रूपसे अपमानजनक" है।

मेरा सघ सम्मानपूवक आग्रह करता है कि यदि अध्यादेशके इस मसविदेका उद्देश्य यह है कि जो ब्रिटिश भारतीय उपनिवेशमे कानूनी अधिकारसे न रह रहे हा उनको हटा दिया जाये, तो उनके पास इस समय जो भी कागजपत्र हो उनके निरीक्षणमात्रसे उनकी भावनाआको चाट पहुँचाये बिना, यह जरूरत बिलकुल पूरी हो जायेगी और इससे उपनिवेश उस भारी खचसे भी बच जायेगा जो प्रस्तावित अध्यादेशमे दिये गये तन्त्रपर होना आवश्यक है।

मेरे सघको यह कहनेमे कोई हिचकिचाहट नही है कि इस मसविदेसे उस शक्तिका अचूक पता चल जाता हे जो एक प्रबल दलको उन असहाय लोगाके विरुद्ध प्राप्त हे जिन्हाने उनको नाराज करनेकी कोई बात नही की है। इससे यह भी प्रकट होता हे कि उक्त दल पूरी कठोरतासे और उन असहाय पीडितोकी भावनाओकी जरा भी परवाह किये बिना उस शक्तिका प्रयोग करना चाहता है। यह भाषा कठोर तो मालूम होगी, परतु यदि इसपर ब्रिटिश भारतीयोके दृष्टिकोणसे विचार करे तो प्रयुक्त भाषासे उन ब्रिटिश भारतीयोकी सच्ची भावनाएँ व्यक्त होती है जिन्हाने अध्यादेशका अध्ययन किया है।

मेरा सघ अध्यादेशके मसविदेकी अन्य अत्यत आपत्तियोग्य बातोके अतिरिक्त उसके निम्न पहलुओकी ओर सरकारका सच्चा ध्यान आकर्षित करता है

(क) १८८५ के कानून ३ मे "एशियाई" शब्दकी जो अपमानजनक और गलत परिभाषा दी गई है और जिसमे अज्ञानवश तथाकथित "कुलिया अरबो मलायी लोगो तथा तुर्की राज्यके मुसलमान प्रजाजनो" को शामिल कर लिया गया है उसपर मसविदेकी धारा २ से ब्रिटिश सरकारकी स्वीकृतिकी मुहर लग जाती है। ऐसी परिभाषा एशियाइयोके लिए अपमानजनक है क्योकि

उसमें सिर्फ कुलियोंकी ही बात की गई है और एशियाके सम्पूर्ण अधिवासियोंके लिए इस शब्दका प्रयोग स्थायी हो जाता है। यह परिभाषा अवास्तविक है, क्योंकि यहाँ अरब और तुर्की राज्यके मुसलमान प्रजाजन शायद ही हैं। इससे मलायी लोगोंके साथ घोर अन्याय होता है, क्योंकि १८८५ के कानून ३ के अनुसार आजतक वे कभी नहीं सताये गये हैं और न उनको कभी यह दुर्भाग्य ही प्राप्त हुआ है कि वे ब्रिटिश भारतीयोंकी भाँति व्यापारमें यूरोपीयोंके प्रतिद्वन्द्वी गिने जायें।

(ख) जब कि मसविदेसे उपनिवेशवासी प्रत्येक एशियाईको असंख्य परेशानियाँ होती हैं, उससे ट्रान्सवालके युद्धसे पहलेके निवासियोंकी, जो अभीतक उपनिवेशमें नहीं लौटे हैं, स्थिति पहलेकी भाँति ही अनिश्चित, अस्पष्ट और दुःखजनक बनी रहती है।

(ग) उसमें कप्तान हैमिल्टन फाउलके मेहनतसे किये गये पंजीकरणका भी ध्यान नहीं रखा गया है। यहाँ इसका उल्लेख किया जा सकता है कि कप्तान फाउलने पंजीकरणका जो कार्य किया था, उसकी व्यवस्था भारतीय समाजकी सलाहसे की गई थी। भारतीयोंने लॉर्ड मिलनरकी सम्मतिको नम्रता एवं शिष्टतासे मानकर पंजीकरण मंजूर कर लिया था, यद्यपि, जैसा कि स्वीकार किया गया था, जो लोग पिछली सरकारको तीन पौंड [कर] दे चुके थे उनके सम्बन्धमें इसके पीछे कोई कानूनी बल नहीं था। इसकी और समाजके अन्य स्वेच्छापूर्वक किये गये कार्योंकी अध्यादेशके मसविदेमें चर्चा भी नहीं है।

(घ) धारा ३ में जान-बूझकर उन सुविधाओंको भी कम कर दिया गया है, जो शान्ति रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत भारतीय समाजको प्राप्त थीं। जैसा कि सरकार अच्छी तरह जानती है इस आशयका एक अदालती फैसला मौजूद है कि जिस ब्रिटिश भारतीयके पास पंजीकरणका पुराना डच प्रमाणपत्र है उसको नया अनुमतिपत्र लिये बिना उपनिवेशमें प्रवेश करनेका अधिकार है। धारा ३ की उपधारा २ से यह फैसला रद हो जाता है।

(ङ) जब कि १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत और सर्वोच्च न्यायालयके हालके फैसलेके अनुसार ट्रान्सवालमें व्यापारके उद्देश्यसे बसनेके इच्छुक बालिग मर्दोंको ही पंजीकरण कराना आवश्यक है, वर्तमान अध्यादेशसे ८ सालसे ऊपरका प्रत्येक भारतीय स्त्री-पुरुष पंजीकरणके लिए बाध्य होगा। यदि मेरे संघकी आशंका ठीक है तो यह कानून नारीकी शालीनतापर, उसका जो अर्थ मेरे लाखों देशवासी समझते हैं उस अर्थमें, आघात करनेवाला होगा। मेरा संघ जिस समुदायका प्रतिनिधित्व करता है उसकी युगोंसे प्रेमपूर्वक पोषित भावनाएँ बुरी तरह कुचल जायेंगी। यदि पंजीकरण कानूनपर अमल किया गया तो इसका यही अर्थ होगा कि सम्राटकी सरकारने प्रत्येक भारतीयको अपराधी घोषित कर दिया है। जहाँतक मेरे संघकी जानकारी है, ब्रिटिश उपनिवेशोंमें मुक्त भारतीय आबादीके सम्बन्धमें इस प्रकारका कानून अज्ञात है।

(च) तीन पौंडी शुल्ककी माफी तो, मेरे संघकी नम्र सम्मतिमें, जलेपर नमक छिड़कनेके समान है, क्योंकि उपनिवेशमें इस समय रहनेवाले प्रायः सभी एशियाई पंजीकृत हैं और कई तो ३ पौंडी कर दो-दो बार दे चुके हैं।

(छ) धारा १७ की उपधारा ४ में लेफ्टिनेंट गवर्नरको अधिकार दिया गया है कि वह अस्थायी अनुमतिपत्र प्राप्त किसी ब्रिटिश भारतीयको मद्य-परवाना अध्यादेशकी शर्तोंसे मुक्त कर सकता है। यह जलेपर नमक छिड़कनेकी दूसरी मिसाल है। मेरे संघको ऐसे किसी स्वाभिमानी भारतीयका पता नहीं है जो ऐसी महँगी छूट चाहता हो।

प्रस्तावित अध्यादेशमें आपत्तियोग्य और भी अनेक बातें गिनाई जा सकती हैं, परन्तु मेरे संघका विश्वास है कि ऊपर यह दिखानेके लिए काफी लिखा जा चुका है कि ब्रिटिश भारतीयोंके लिए इस अध्यादेशका क्या मतलब है।

मेरे सघको यह कहनेके लिए क्षमा किया जाये कि धारा २१ मे जो छूट देनेकी व्यवस्था है उसको भारतीय समाज छूट ही नही मानता। यदि सरकार एक ब्रिटिश प्रजाजनको अपनी पैत्रिक सम्पत्तिपर अधिकारकी अनुमति देकर अपने सीधे-सादे कर्त्तव्यका पालन करना चाहती है तो यह सामान्य समाजके लिए कोई छूट नही है। जहातक धार्मिक कार्योंके लिए ब्रिटिश भारतीयो द्वारा अचल सम्पत्तिके अधिकारकी अनुमति देनेका सवाल है, मेरे सघको सलाह दी गई है कि हालमे ही एक मुकदमेमे विटवॉटर्सरैड उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसलेके बाद इस व्यवस्थाकी कोई आवश्यकता नही रह जाती।

शीघ्र ही उपनिवेशमे उत्तरदायी सरकारकी स्थापना की जायेगी। इसलिए मेरा सघ सम्मानपूर्वक अनुरोध करता है कि यदि सरकार ब्रिटिश शासकोंके बार बार दिये गये वचनोंके अनुसार वास्तविक एव पर्याप्त राहत देनेको तैयार नही है तो १८८५ के कानून ३ को ज्यो का त्यो रहने दिया जाये और सम्राट सरकारकी सलाहसे सम्पूर्ण स्थितिको सम्भालनेका काम उत्तरदायी शासनपर ही छोड दिया जाये।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

अब्दुल गनी

अध्यक्ष

ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १–९–१९०६

४२१ पितामह चिरजीवी हो[1]!

आगामी चार सितम्बरको भारतके वयोवृद्ध देशभक्त माननीय दादाभाई नौरोजीकी बयासीवी वर्षगाठ है। वे हमारे देशके लिए उससे भी ज्यादा "महान वृद्ध पुरुष" है जितने इग्लडके लिए स्वर्गीय श्री ग्लैड्स्टन थे। श्री नौरोजीके अथक रूपसे भारतके पक्षमे लडते रहने, आशाके विरुद्ध भी आशावान बने रहने और स्वेच्छासे निर्वासितका जीवन व्यतीत करनेका, तथा नवयुवकोके लिए भी गौरवदायी उनकी अविरल कार्यशक्तिका नजारा भव्य, उन्नयनकारी और स्फूर्तिप्रद है। जबतक भारतमे श्री नौरोजी जैसा एक भी व्यक्ति पैदा होता है, तबतक न्यायपूर्वक कोई भी यह नही कह सकता कि भारतकी अधोगति हो रही है। भारतकी सेवा ही उनके जीवनका श्वास है। वही उनका धर्म है और वही उनका एकमात्र धन्धा। उन्होने जिस प्रकार अपना सर्वस्व भारतके लिए अर्पित कर दिया है वह अनुपम है। हमारा यह खयाल होना स्वाभाविक है कि उन्हे लक्ष्यके प्रति अपने उत्कट प्रेम और निष्ठासे ही उम्रके भारको इतनी सरलतासे ढोनेकी शक्ति प्राप्त हुई है। हम यह भी कह सकते है कि उनके इतने विशुद्ध आत्मत्यागके कारण उनपर जो ईश्वरीय अनुग्रह है, यह उसका परिणाम भी है। हम दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोको तो ऐसे जीवनसे अनेक शिक्षाएँ मिलती है। उन्होने समस्त भारतके समक्ष अपना जो जीवन रखा है उसका हमे अनुकरण करनेकी चेष्टा करनी चाहिए। इससे बडी कोई श्रद्धाजलि हम लोग इन महान वृद्ध पुरुषको नही दे सकते, और न इनपर और अधिक

१ यह और इसके बाद दिये गये तीनो लेख २७ अगस्त १९०६ के पूर्व लिखे गये थे। देखिए पत्र छगनलाल गाधीको पृष्ठ ४१७।

ईश्वरीय अनुग्रहके लिए इससे अधिक हार्दिक हमारी कोई प्रार्थना नहीं हो सकती है। हमें पूरा निश्चय है — वस्तुत हम जानते है — कि हमें उनका जीवन कार्य प्रिय है, हम उनके पद-चिह्नोपर चलना चाहते है और उनकी मृत्युके पश्चात भी हम उनको अपनी स्मृति और अपने कार्योंमे जीवित रखेंगे — यह जानकर उनको जितना आनन्द होगा उतना किसी अन्य बातसे नही। इस पत्रसे सम्बन्धित लोग तो अनेक बार अपनी परीक्षाकी घडियोमे उनका स्मरण करके ऊपर उठे है। वस्तुत इन महान भारतीय देशभक्तके ऊँचे उदाहरणके कारण ही हमारा यह उद्योग सभव हुआ है। हम सर्वशक्तिमान प्रभुसे हार्दिक प्रार्थना करते है कि वह भारतके इन पितामहको दीर्घजीवन प्रदान करे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १–९–१९०६

४२२ घृणित[१]

किसी कानूनके सम्बन्धमे घृणित विशेषणका प्रयोग बडा ही कठोर प्रयोग है। तथापि, शान्तिपूर्वक सोचनेपर भी, हमें इसी मासकी २२ तारीखके असाधारण ट्रान्सवाल 'गवर्नमेंट गजट'में प्रकाशित एशियाई अध्यादेशके मसविदेके लिए इतना उपयुक्त कोई अन्य शब्द नही मिलता। ट्रान्सवाल विधान परिषदको स्थगित करते समय श्री डकनने जो भविष्यवाणी की थी, यह उसीकी पूर्ति की गई है। विचाराधीन विधेयकके द्वारा ट्रान्सवालके भारतीय समाजकी बुरीसे बुरी आशकाएँ मूर्तिमन्त हो गई है। इससे उपनिवेशवासी अभागे भारतीयोके साथ किये गये कितने ही पवित्र वादे टूट जाते है, न्याय तथा औचित्यका अंग्रेजी सिद्धान्त भी धूलमे मिल जाता है, और मानव जाति न्याय और अन्यायकी जिन सामान्य धारणाओसे पिछले कितने ही युगोसे परिचित है वे भी कुचल जाती है। दूसरे स्तम्भमे हम ब्रिटिश भारतीय सघका कठोर शब्दावलीयुक्त विरोध' छाप रहे है, परन्तु इस प्रकारके सरकारी कागजके लिए भी उसकी भाषा कतई सख्त नही है। श्री डकनकी भाषासे हमने जितनी कल्पना की थी यह अध्यादेश उससे बहुत आगे जाता है। इससे भारतीयोके मस्तिष्कमे इतनी अशान्ति उत्पन्न हो गई है जितनी दक्षिण आफ्रिकामे किसी कानूनसे कभी नही हुई थी। उसके गृह जीवनकी पवित्रतामे हस्तक्षेप होनेका खतरा है। इसके सामने १८८५ का कानून ३ बिलकुल फीका पड जाता है। इसका सबसे दुखद अश तो यह तथ्य है कि बोअर सरकारने हकीकतको बिना समझे, अधिक हानि पहुचानेकी भावना न रखते हुए और ऐसे लोगोके प्रति जो उसकी प्रजा न थे, जो कुछ किया था उसीको ब्रिटिश सरकार तथ्योका पूर्ण ज्ञान रखते हुए, भारतीय समाजको हानि पहुँचानेके निश्चित इरादेसे और ब्रिटिश प्रजाके सम्बन्धमे कर रही है। अपने तरीकोमे मौजूदा सरकार बोअर सरकारसे भी आगे बढ जाना चाहती है और अब वह अपने कानूनके अन्तर्गत उन लोगोको भी ले लेगी जो डचोके शासनमे इसकी सीमाके बाहर थे — जैसे स्त्रिया, बच्चे और गैर व्यापारी। हमे यह देखकर बडा दुख हुआ है कि हमारे सहयोगी 'जोहानिसबर्ग स्टार' ने इस कानूनका स्वागत किया है और वस्तुत वह इसकी कठोरतापर खुश है। इससे वर्तमान कानूनके बारेमे उसका अज्ञान प्रकट होता है और इसलिए वह ऐसी सामान्य बातोको,

१ देखिए 'पत्र उपनिवेश सचिवको' पृष्ठ ४११–३।

जिन्हें भारतीय समाज अपमानजनक समझता है, 'रियायत' का नाम देता है। 'स्टार' की भाषामें 'मद्य परवाना अध्यादेश' से "प्रतिष्ठित एशियाई यात्रियों" को मुक्त करनेकी व्यवस्था 'एक विवेकसम्मत संशोधन' है। दक्षिण आफ्रिकाके एक भूतपूर्व उच्चायुक्तके एक भूतपूर्व निजी सचिव द्वारा सम्पादित पत्रकी ऐसी भाषा देखकर वर्तमान स्थानीय सरकारसे न्याय-प्राप्तिकी कोई आशा शेष नहीं रहती। एशियाई कानूनका संशोधन युद्धके पूर्व और पश्चात् भारतीय समाजसे किये गये वादोंकी पूर्तिके लिए नहीं किया जा रहा है, वरन श्री लवडे और उनके साथियोंको प्रसन्न करनेके लिए किया जा रहा है, जो प्रायः एशियाई नीतिका नियंत्रण करते आते हैं। क्या ब्रिटिश सरकार, उपनिवेशके अपने अधीन रहते हुए भी, प्रस्तावित अन्याय चुपचाप होने देगी? यदि स्थानीय सरकारमें न्याय करनेका साहस नहीं है तो वह ब्रिटिश भारतीय संघके प्रस्तावको मानकर और उत्तरदायी सरकार बनने तक १८८५ के कानून ३ को वर्तमान रूपमें जारी रखकर यह मनमाना अन्याय करनेसे बच सकती है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १-९-१९०६

४२३. उपनिवेशी भारतीय अंकित कर लें!

जर्मन सैनिकोंकी मुसीबतोंके बारेमें हर अडाल्फ स्टाइनका कहना है:

रेलमार्गके अभाव (दक्षिण पश्चिमी आफ्रिकामें) के कारण युद्धभूमि तक अधिक सामग्रीका पहुँचना असम्भव हो गया है और युद्धके आरम्भसे ही सेनाको कम खाद्य पदार्थ प्राप्त होते रहे हैं, और युद्ध आरम्भ हुए ढाई वर्ष हो गये हैं। सैनिक महीनोंसे रोटी और नमकके बिना गुजर कर रहे हैं और बीच बीचमें ऐसा समय भी आया है जब उन्हें खच्चरोंके मांसपर रहना पड़ा है। ये खच्चर, तोपखाने ढोनेके लिए थे, परन्तु भूखे सैनिकोंको भोजन मुहैय्या करनेके लिए इन्हें कत्ल करना पड़ा। इन सैनिकोंको, अक्सर बिना एक बूँद पानी या किसी अन्य पेयके, चालीस-चालीस घंटों तक लड़ना या कूच करना पड़ा है। उनकी वर्दियोंके चिथड़े हो गये हैं और उनके बदले हर तरहके बचे खुचे कपड़े दे दिये गये हैं, जिससे वे भौंडे दिखाई पड़ते हैं। उनके जूते घिस गये हैं और उनकी जगह मारे हुए बैलोंके चमड़ेसे बनी सैंडल काममें लाई जा रही हैं। फिर भी, इन मुसीबतोंकी परवाह न करते हुए, सेनाने बिना डिगे अपने कर्तव्यका पालन किया है।

दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके लिए, विशेषतः उनके लिए जो इस उप-महाद्वीपमें जन्मे और पले हैं, इन पंक्तियोंमें बहुत अर्थ भरा हुआ है। यह याद रखना चाहिए कि ये सैनिक — इनमें से कुछ — सामान्य नागरिक पेशोंसे सेनामें आये हैं। कोई भी देश अपने निवासियों द्वारा मुसीबत उठाये और आत्मोत्सर्ग किये बिना महान नहीं बना है। हम प्रायः दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीयोंकी निर्योग्यताओंकी बात करते हैं और हमें उनकी शिकायत करने और उनसे राहत पानेका हक है; किन्तु जैसा कि एक सम्मानित मित्रने इन स्तम्भोंमें कुछ महीने पहले लिखा था, ब्रिटिश भारतीयोंका उद्धार अन्ततोगत्वा उनके अपने प्रयत्नोंसे ही होगा और यह

तभी होगा जब भारतकी उठती पीढी अपने जातीय कर्तव्यको समझेगी और वैसी सब कठिनाइयो और मुसीबतोको सहनेके लिए तैयार होगी, जैसी कि दक्षिण पश्चिमी आफ्रिकामे जर्मन सैनिक सहन कर रहे है।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १–९–१९०६

४२४ केप परवाना अधिनियम

केप सरकारके इस मासकी २१ तारीखके 'गजट' से हमे ज्ञात होता है कि केप परवाना विधेयक ससदका अधिनियम बन गया है और इसके बाद वह निश्चित रूपसे अन्य सभी व्यापारियोके समान भारतीय व्यापारियोपर लागू होगा। विधेयकमे इतने परिवर्तन हो चुके है कि इस अधिनियममे मूल विधानकी खोज निकालना सम्भव नही है। निस्सन्देह कुछ बातोमे यह सख्त है। सर्वोच्च न्यायालयमे अपील करनेका अधिकार निश्चित रूपसे छीना नही गया है, पर विचारणीय प्रश्न यह है कि परवाना निकायो द्वारा जो फैसला दिया जायेगा वह क्या इस योग्य होगा कि सर्वोच्च न्यायालय उसपर पुनर्विचार करे? फिर, मूल विधेयकमे इच्छुक प्रार्थियोके लिए करदाताओके बहुमतकी स्वीकृति प्राप्त करनेके रूपमे जो बचाव रखा गया था, वह खत्म कर दिया गया है। साथ ही हिसाब केवल अंग्रेजीमे ही रखनेका नियम हटा दिया गया है। हमने इस धाराको कभी भी कोई महत्त्व नही दिया, यह निर्दोष थी, और हम यहा यह बता दे कि यद्यपि हिसाब रखनेके विषयमे कुछ स्पष्ट नही कहा गया है, फिर भी यदि प्रार्थी नगरपालिकाके अधिकारियोको सन्तोषजनक ढगसे यह नही बता सके कि वे अपने व्यापारका समझमे आने योग्य हिसाब रखनेमे समर्थ है तो नगरपालिकाके अधिकारियोका उन्हे परवाने देनेसे इनकार करना सर्वथा उचित होगा। व्यापारिक परवानोपर लगाये गये सुनियमित नियन्त्रणको हमने सदैव न्यायसगत माना है। इसलिए हम सोचते है कि अधिनियमका निष्पक्ष परीक्षणका अवसर दिया जाना चाहिये। परन्तु बहुत कुछ तो इस बातपर निर्भर करेगा कि परवाना निकाय अपने नवप्राप्त अधिकारोका किस प्रकार उपयोग करते है। स्वर्गीय श्री एस्कम्बके शब्दोमे हम विश्वास करते है कि 'एक राक्षसकी शक्ति' प्राप्त कर लेनेपर वे उसका उपयोग दैत्यकी भाति ही नही करेगे बल्कि न्यायको क्षमाशीलतासे आर्द्र रखेगे।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १–९–१९०६

४२५ पत्र छगनलाल गांधीको

जोहानिसबर्ग
अगस्त, २७, १९०६

चि० छगनलाल,

आज रात मैं तुम्हें तीन सम्पादकीय लेख भेज रहा हूँ। निस्सन्देह जो दादाभाईके[1] बारेमें है उसका पहला, जो जोहानिसबर्गके[2] बारेमें है उसका दूसरा और उपनिवेशमें जन्मे हुए भारतीयों सम्बन्धी टिप्पणीका[3] स्थान तीसरा होना चाहिए। लिखनेके लिए तो बहुत है किन्तु बहुत थक गया हूँ और समय भी नहीं है कि तुम्हें ज्यादा कुछ दे सकूँ। एक या दो लेख शायद कल भेज सकूँगा। वे गुरुवारको तुम्हारे पास पहुँच जायेंगे। अब करीब ५ बज गये हैं, तुम्हें कुछ गुजराती देनेकी मैं कोशिश करूँगा कमसे कम दादाभाईके बारेमें एक लेख। सम्भव हो तो अगले हफ्ते दादा भाईकी तसवीर पूरककी तरह दो। ब्रायन गब्रियलके पास नेगेटिव है, उन्हें बिना कुछ लिये काम कर देना चाहिए। ब्लाक अच्छा छपे। पूरकके बारेमें मैं तो तुम्हें तार देनेवाला था, किन्तु सोचता हूँ हम जल्दी न करें। अगले हफ्ते वह बहुत अच्छा निकल सकेगा। केप अधिनियमके[4] बारेमें मैं एक और लेख दे रहा हूँ। इस तरह तुम्हारे पास ४ लेख हो गये।

मोहनदासके आशीर्वाद

श्री छगनलाल खशालचन्द गांधी
फिनिक्स
नेटाल

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४३६८) से।

१ देखिए "पितामह चिरजीवी हों!" पृष्ठ ४१३-४।
२ देखिए 'घृणित!', पृष्ठ ४१४।
३ देखिए "उपनिवेशी भारतीय अंकित कर लें!", पृष्ठ ४१५-६।
४ देखिए 'केप परवाना अधिनियम' पृष्ठ ४१६।

४२६ तार 'इंडिया'को

जोहानिसबर्ग
अगस्त २८, १९०६

एशियाई अध्यादेशका जो मसविदा प्रकाशित किया गया है, सब पिछले वादोंका भंग करता है और बोअर शासनसे लिये गये वर्तमान कानूनसे बदतर है। स्त्रियों और आठ सालसे ऊपरके बच्चोंके लिए पंजीयन कराना जरूरी करके वह भारतीयोंकी भावनाको धक्का पहुँचाता है। भारतीयोंने, जिन्हें दो बार पंजीयन करानेके लिए कानूनन बाध्य किया जा चुका है पिछली बार लॉर्ड मिलनरको प्रसन्न करनेके लिए स्वेच्छासे पंजीयन करा लिया था। यह तीसरा पंजीयन अनावश्यक भी है और अत्याचारपूर्ण भी। प्रस्तावित अध्यादेशका मंशा मनमाना अपमान करना है, जिसके सामने सिर झुकानेसे भारतीय पुराने कानूनका जारी रहना पसन्द करते हैं। गैरकानूनी प्रवेशके आरोपका प्रतिवाद और एक जाँच आयोगकी नियुक्तिका निवेदन किया जाता है।

[अंग्रेजीसे]

इंडिया, ३१-८-१९०६

४२७ जापानके वीर कोडामा

गत मास टोकियोमें बिना किसी बीमारीके एकाएक जनरल कोडामाका देहान्त हो गया। वे जापानकी समुराई नामक क्षत्रिय जातिमें पैदा हुए थे, और इसलिए स्वभावतः ही कुशल सैनिक थे। इसके सिवा वे एक नामी रणनीतिज्ञ थे। उनके मरनेसे जापानकी सेनामें एक बड़ी कमी आ गई है।

सन् १८७२ में वे जापानी सेनामें भरती हुए। वहाँ तुरन्त ही उनकी कुशलता प्रकट हुई और उसके कारण वे सेनामें बढ़ने लगे। सन् १८८० में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नलका ओहदा मिला। आगे चलकर १९०४ में वे जनरल हुए। पिछले रूसी-जापानी युद्धके समय वे मार्शल ओयामाके मुख्य सरदार थे। जापानी लोगोंके स्वभावके अनुसार लड़ाईके समय वे हमेशा बहुत ही धैर्यवान और गम्भीर रहते थे, कभी भी उतावली नहीं करते थे। लाईयांगके खूँख्वार युद्धके समय जब रूसी सेनाने जापानियोंपर भयंकर हमला किया, उस समय वे नाश्ता कर रहे थे। रूसी हमला सेनापति कोडामाके डेरेकी तरफ ही शुरू हुआ था। इसलिए साथी सैनिकोंने अपने सरदारको सुरक्षाकी दृष्टिसे निर्भय स्थानपर जानेको कहा। तब उन्होंने उत्तर दिया — "ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे भागता हुआ समझकर मेरे सिपाही भयवश शंकित हो जायेंगे। इसलिए यहीं रहना अच्छा है।" अपने नायककी ऐसी हिम्मतसे सैनिकोंकी हिम्मत बढ़ी और वे रूसी छापेको पीछे ढकेलनेमें कामयाब हुए।

सेनापति कोडामाका शारीरिक गठन और रूप-रंग अंग्रेजों जैसा था। १६ वर्षकी उम्रमें जापानकी सरकारने उन्हें पश्चिमी युद्ध-कलाका अभ्यास करनेके लिए यूरोप भेजा था। उस

युद्ध ज्ञानकी परीक्षा उन्होने चीनी लडाईके समय दी। उस समय उन्होने जो सेवा की थी, उसकी कद्र करके मिकाडोने उन्हे 'बरन' का खिताब प्रदान किया। वे जापानके सुयोग्य पुरुष माने जाते थे, और धारणा थी कि जापानके प्रधान मन्त्रीकी जगह पहुँचेगे। मृत्युके समय उनकी उम्र ५३ वर्षकी थी।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १-९-१९०६

४२८ पत्र छगनलाल गाधीको

जोहानिसबर्ग
सितम्बर १, १९०६

चि० छगनलाल,

तुम्हारा विस्तृत पत्र मिला, हरिलालके बारेमे तुम्हारा तार भी। अनुमतिपत्रके बारेमे मुझे दुःख है, किन्तु उसमे कुछ नही किया जा सकता। श्री पोलकको मने तुम्हारी टीका पढकर सुनाई, वे उसपर हँसे। कहते है जब वे वहा थे तब तुम्हे उनसे बात करनी थी। श्री मेढ[1] खुद थोडे ही दिनोके लिए काम चाहते है इसलिए यदि तुम उन्हे कुछ दिनोके लिए रखना चाहो तो वे बिलकुल राजी होगे और तुम्हे सहायता मिलनी चाहिए, इसे म एकदम मजूर करता हू। बेशक मुझे लगता है कि तुम्हे मददके लिए कोई न कोई चाहिए, नही तो मुझे डर है कि तुम बीमार पड जाओगे या कोई काम विशेषत हिसाब जो अब हो जाना चाहिए पडा रह जाने दोगे। लेकिन अगर तुम श्री मेढको सिर्फ कुछ दिनोके लिए ही रखो तो उन्हे केवल ३ पौड देना बहुत खराब होगा। उन्हे ४ पौड मासिक कहो और यदि वे पूरी कुशलतासे काम करे तो दूसरे महीनेके उन्हे ५ पौड मिलने चाहिए। मेरा खयाल है, श्री वेस्टके लौटनेके बाद भी तुम्हे लगभग ६ महीनेके लिए उनकी जरूरत पडेगी। यद्यपि मै यहासे गुजराती सामग्री भेजता रहूँगा, जो राजनीतिक आन्दोलन चल रहे है उनसे मेरी स्थिति बहुत अनिश्चित हो जाती है। शायद मुझे इग्लैड जाना पडे या शायद जेल जाना पडे। आज म श्री डकनसे मिला। मैने उन्हे सूचित कर दिया है कि यदि कानून बन जाता है तो पजीयन कराने या जुर्माना देनेके बजाय मै सबसे पहले जेल जाना पसन्द करूगा। मुझे भरोसा है कि यहा लोग भी दृढ है। किन्तु मुझे तो ऐसे मामलोमे स्वभावत ही आगे होना चाहिए। यदि यह हुआ तो इसका अर्थ शायद तीन महीनेका कारावास होगा। इसलिए बिना मुझपर निर्भर रहे तुम्हे अच्छी तरह काम चलाते रहनेकी तैयारी कर लेनी चाहिए। श्री उस्मान लतीफके नामे जो हिसाब है उसका मुझे ध्यान है, आगे पीछे रकम वसूल कर सकूगा, ऐसा सोचता हूँ। सुलेमान आमदकी बहिया तुम २०० पृष्ठकी या १०० की, अपनी सुविधाके अनुसार, छाप सकते हो। नाटकके इश्तहार कल दोपहरका मिल गये थे। क्या तुम उन्हे पार्सलके बजाय डाकसे नही भेज सकते थे? म सचमुच प्रसन्न हुआ हूँ कि हरिलालने डेकका टिकट लिया और सब प्रबन्ध खुद ही कर लिया। तुमने जो कागजात पता बदल कर यहा भेजे थे मुझे मिल गये

१ सुरेन्द्र बापूभाई मेढ, जिन्होंने कई वर्ष तक दक्षिण आफ्रिकामें गाधीजीके साथ और बादमें मणिलाल गाधीके साथ काम किया था।

ह। ठाकरशीकी मृत्यु सुनकर मुझे सचमुच बहुत दुःख हुआ। यह आश्चर्यजनक है कि किस तरह जवान इतनी जल्दी उठ जाते हैं। इन घटनाओंका मैं कारण पा गया हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है, किन्तु अगर उनकी चर्चा करूँ तो वह अरण्यरोदन ही होगा। उस्मान आमदको खर्चका अन्दाज भेज देना चाहिए। श्मशान कोष सम्बन्धी लेखको लेकर मेरे पास एक शिकायत आई है।[1] मैंने मोतीलालको लिख दिया है और उसकी चर्चा गुजराती स्तम्भोंमें करूँगा।[2] उसके बारेमें उसका शिकायत करना, और खास कर तुम्हारे खिलाफ, हास्यास्पद है। मुझे उम्मीद है, शेलतके लेखको तुमने काफी छाट दिया होगा। मुझे बताये बिना उनका कोई भी लेख छापना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। मैंने उनसे कह दिया है कि ठीक न होंगे तो मैं उन्हें स्थान नहीं दूँगा। वुडस ऐंड सनकी पेढीवालोंसे तुम्हें कह देना चाहिए कि उनके हाथ पर्चे, पत्रके साथ बाटनेसे हमें रोक दिया गया है। विज्ञापनके बारेमें मैं दादा उस्मानको लिखूँगा। मुझे तुम्हारे भेजे हुए प्रूफ समाचारपत्रके साथ ही मिले।

मोहनदासके आशीर्वाद

[पुनश्च]

कूनेकी किताब वहाँ श्री वेस्टकी कोठरीमें या तुम्हारे पास हो तो मुझे भेजना।[3]

श्री छगनलाल खुशालचन्द गांधी
फीनिक्स
नेटाल

मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४३७२) से।

४२९ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

जोहानिसबर्ग
सितम्बर ३, १९०६

श्री डंकनसे मुलाकात

श्री डंकनने भारतीय शिष्टमण्डलको एशियाई अधिनियमके सम्बन्धमें मुलाकात देना स्वीकार किया था। इसलिए सर्वश्री अब्दुल गनी, ईसप मियाँ, हाजी वजीर अली, पीटर मनलाइट और गांधी, जिन्हें ब्रिटिश भारतीय संघकी समितिने इसके लिए नियुक्त किया था, शनिवारको प्रिटोरिया गये थे। वहाँ उनके साथ श्री हाजी हबीब प्रिटोरियाकी समितिकी ओरसे शामिल हो गये। श्री डंकन ११ बजे मिले। इस सम्बन्धमें कुछ लिखनेसे पहले मुझे यह बता देना चाहिए कि जब हम प्रातः साढ़े आठ बजेकी गाडीमें बैठने लगे तभी मुश्किलें शुरू हो गई। गाडीके सम्बन्धमें सारा इन्तजाम करनेका जिम्मा श्री चमनेने लिया था, और उन्होंने इन्तजाम कर भी दिया था। किन्तु इस सम्बन्धमें स्टेशन मास्टरको कोई जानकारी नहीं थी। कंडक्टरको भी पता नहीं था। इसलिए उसने यह कहकर रोक दिया कि शिष्टमण्डलके सदस्य सूचना दिये बिना आये हैं। आखिर उन्हें जर्मिस्टन तक दूसरे दर्जेमें बैठना पडा और जर्मिस्टनसे पहले दर्जेका डिब्बा

१ देखिए "हिन्दुओंके श्मशानकी स्थिति", पृष्ठ ४१०।
२ देखिए "हिन्दू श्मशान" पृष्ठ ४२६।
३ यह वाक्य गांधीजीके हस्ताक्षरोंमें गुजरातीमें है।

मिला। श्री डकनके साथ बहुत बातचीत हुई। शिष्टमण्डलने श्री डकनको बताया कि एशियाई अधिनियम भारतीयोको किसी भी प्रकार स्वीकार न होगा। वे अपने नामोका पजीकरण दुबारा कराये, यह सम्भव नही है। भारतीयोने राहत मागी थी। उसके बदले उनके लिए सरकार और भी कठिन कानून बनाना चाहती है, यह तो अयाय ही माना जायेगा। स्त्रिया और बच्चोके पजीकरणकी बात कभी सम्भव नही हे। ऐसा डचाके समयमे नही था, और न अग्रेजी साम्राज्यके किसी दूसरे भागमे है। अनुमतिपत्रोके सम्बधमे जो अयाय होता है उसके सम्बधमे शिष्टमण्डलने तफसीलवार स्थिति बताई। श्री हाजी वजीर अली और श्री हाजी हबीब बहुत जोशके साथ बोले। श्री डकनने कहा कि इन सब बातोपर सरकार विचार करेगी और तब जवाब देगी। मलायी लोगाके सम्बधमे सवाल करनेपर श्री डकनने जवाब दिया कि मलायी लोगोपर १८८५ का कानून कभी लागू नही किया गया था, इसलिए उसे अब लागू करना है या नही, इस सम्बधमे सरकार विचार करेगी, यद्यपि वास्तविक दष्टिमे देखे तो यह उनके ऊपर लागू होना चाहिए।

श्री ईसप मियाको कुछ अपनी बात कहनी थी। श्री डकनने कहा कि उहे दूसरी बठकमे जाना है, इसलिए वे इसके लिए कभी फिर मिले।

दादाभाई जयन्ती

जोहानिसबगमे ब्रिटिश भारतीय सघकी समितिकी बैठक पिछले शुक्रवारको हुई थी। इसमे लगभग तीस व्यक्ति आये थे। बठकमे सवसम्मतिसे निश्चय किया गया कि परममाननीय दादाभाई नौरोजीको उनकी ८२ वी सालगिरहपर तारसे बधाईका सदेश भेजा जाये। इसके अनुसार ४ सितम्बरको[1] माननीय दादाभाई नौरोजीको बधाईका तार[2] भेज दिया गया है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ८–९–१९०६

४३० बधाई दादाभाई नौरोजीको

[जोहानिसबग
सितम्बर ४, १९०६]

जम दिवसपर ब्रिटिश भारतीय सघ आपको हार्दिक बधाई देता है। प्राथना है देशकी सेवाके लिए आप दीर्घायु हो।

[अग्रेजीसे]

इडिया, ५–१०–१९०६

१ यह पत्र सम्भवत सितम्बर ३ को प्रारम्भ और ४ या उसके बाद समाप्त किया गया हो।
२ देखिए अगला शीर्षक।

४३१ अपराध

ट्रान्सवाल सरकारके एशियाई अध्यादेशके मसविदेको हम पहले ही 'घणित' बता चुके है।[1] इस अध्यादेशको और उसके बारेमे प्राप्त शिकायतोकी ज्यादा गहरी जाचके बाद यह आवश्यक है कि सरकारकी प्रस्तावित कारवाईको इससे भी कठोर शीषक दिया जाये। यदि इस अध्यादेशके सम्बधमे आगे कारवाई की जायेगी तो वह मानव-जातिके विरुद्ध अपराध होगा।

ट्रान्सवालमे आज स्त्री बच्चे सब मिलाकर १३,००० से अधिक भारतीय नही है। स्त्रियो बच्चोके पास कोई ऐसा दस्तावेज नही हे जिससे उनको देशमे प्रवेश करनेका अधिकार दिया गया हो, क्योकि अनुमतिपत्र सम्बन्धी नियमोके अनुसार उन्हे ऐसे दस्तावेजोकी आवश्यकता नही है। परतु अध्यादेशमे अनुमतिपत्रकी जो परिभाषा की गई है उसके अनुसार वे ट्रासवालके वैध निवासी नही है। तब क्या वे उपनिवेशसे निर्वासित कर दिये जायेगे, क्या स्त्रियोको उनके पतियोसे और बच्चोको उनके माता-पिताओसे अलग कर दिया जायेगा? कदाचित ऐसा न होगा। फिर भी अध्यादेश प्रशासन विभागको स्त्री बच्चोके अपमानका और निर्वासनका भी, अधिकार सौप दिया गया हे। यह पुराना अनुभव है कि निरकुश सत्ता अच्छेसे-अच्छे लोगोके भी हाथोमे जानेपर उनके मानव स्वभावके स्तरको गिराती हे ओर अक्सर, उनके न चाहते हुए भी, उन्हे ऐसे काय करनेको बाध्य करती है जिनको वे इससे भी ज्यादा उत्तरदायित्वकी अन्य परि-स्थितियोमे कदापि न करते। ईसाई धम-प्रवक्ताने हमारे खयालसे जिसके धार्मिक सिद्धान्तोका अनुगमन करनेका दम ट्रासवाल सरकार भरती है, जब प्रलोभनकी निन्दा की थी तब उन्होने एक साधारण सत्य ही प्रकट किया था।

बात यही खतम नही होती। अध्यादेशका परिणाम यह होगा कि अध्यादेशसे पहले जारी किया गया प्रत्येक अनुमतिपत्र और पजीकरणका प्रमाणपत्र व्यथ हो जायेगा — अर्थात जिनके पास ये कागज होगे उनमेसे प्रत्येकको एशियाई पजीकरण-अधिकारीके सामने जाना और उसको सन्तुष्ट करना होगा कि वह ही उसका कानूनसम्मत मालिक हे। ट्रासवालके भारतीय जानते ह कि इसका अथ क्या है, उनसे सब प्रकारके अनावश्यक और प्राय अपमानजनक सवाल पूछे जायेगे और तीसरा प्रमाणपत्र मिलनेके पूव उनको एक कडी परीक्षासे गुजरना होगा। और यह सब किसलिए? इसीलिए कि कुछ भारतीय जिनकी नतिक भावनाएँ सरकारी गलतियो एव अनावश्यक सख्तियोसे कुठित हो चुकी है, ट्रासवाल उपनिवेशमे अधिकारके बिना प्रविष्ट हो गये है।

इस अध्यादेशको जारी करनेका एकमात्र प्रकट कारण उस निराशाजनक अयोग्यतापर परदा डालना हे, जिससे वतमान कानूनोका प्रशासन किया जाता है। अन्यथा हमारी मान्यता है कि वतमान कानून धोखे धडीसे प्रवेशके सब मामलोसे निपटनेके लिए काफी है। 'शान्ति-रक्षा अध्यादेश' मे एक धारा है जिसके अन्तगत नियुक्त अधिकारियोको अनुमतिपत्रोके निरीक्षणका अधिकार प्राप्त है। यदि कोई अनुमतिपत्र नही पेश कर सकता है तो उसको गिरफ्तार और अन्तत उपनिवेशसे निर्वासित किया जा सकता हे। जो लोग उपनिवेशसे न निकलेगे उनके लिए बहुत कठोर दण्डका विधान है। हमारी मान्यता हे कि यदि इन धाराओपर विवेकपूवक अमल किया

१ देखिए "घणित", पृष्ठ ४१४।

जाये तो शीघ्र पता चल जायेगा कि एशियाई विरोधी आन्दोलनकारियोके वक्तव्योमे सत्य कितना है। यह एक विचित्र बात है कि इस उपलब्ध समथ साधनको इस्तेमाल करनेके बजाय सरकारने छुपकर उपनिवेशमे प्रवेश करनेवाले लोगोका पता लगानेके उद्देश्यसे एक अपमानजनक कानून बनानेकी योजना की है।

ट्रान्सवालमे उन्नीस वषकी प्रतिष्ठावाले एक पत्र लेखकने हमारे गुजराती स्तभोमे एक माकूल सवाल किया हे, जिसको हम इस अकमे अन्यत्र अनुवाद करके दे रहे है। वह पूछना है कि ट्रान्सवालके ब्रिटिश शासन तथा रूसी शासनमे क्या अन्तर है? हमारी रायमे अन्तर यह है कि जहा रूसमे अधिकारी, जब कभी उनका अनुकूल जँचता हे, लोगोको सीधे तौरपर और खुलेआम मौतके घाट उतार देते है तहा ट्रान्सवालके अधिकारी भारतीयोसे छुटकारा तो पाना चाहते ह किन्तु खुले तौरपर ओर ईमानदारीके साथ वैसा कर नही सकते, इसलिए उनकी हत्या करने या उन्हे निर्वासित कर देनेके सीधे तरीकेको छोड कर वे उनको तिल तिल करके मारना चाहते ह। इसके लिए वे ऐसी तरकीबे करते है कि विनम्र भारतीय भी, तग आकर यहासे अपने आप देश छोडकर चला जाये या ऐसे साधन ग्रहण करे जिससे वही मतलब हल हो। इस तरह अधिकारी घोषित कर सकते है "हम उन लोगोकी नागरिक हत्याके दोषी नही है, वे तो अपनी मर्जीसे चले गये है। हम यह विचार सरकारके सामने सचाईके साथ गौर करनेके लिए पेश करते है और अभी, जबकि समय बाकी है, उससे माग करते ह कि वह इस नितान्त मिथ्या स्थितिको त्याग दे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८–९–१९०६

४३२ पितामह

दक्षिण आफ्रिकाकी विविध सस्थाओने, माननीय दादाभाई नौरोजीको, उनकी बयासीवी वषगाठ-पर बधाईके सदेश[1] भेजकर अपने कतव्यका पालन मात्र किया है। उनका जन्म दिवस सारे भारतमे एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया है। आज लाखो भारतीयोके हृदयोमे उन महापुरुषका जसा आदर-पूण स्थान है वैसा आधुनिक कालके किसी अन्य व्यक्तिका नही। अत उनकी वषगाठके समय भारतमे वर्षोसे जो होता आ रहा हे उसकी आवत्ति, चाहे जितनी साधारण ढगसे क्यो न हो, किये बिना दक्षिण आफ्रिकाका भारतीय जीवन अपूण है। उन वद्ध देशभक्तको इन आत्मप्रेरित श्रद्धाजलियोसे बडा सतोष होगा और विगत अर्धाधिक शताब्दीसे वे बिना जरा भी शिकायतके जो काय करते आ रहे ह वह आगे ही बढेगा। हमें आशा है कि एक बार आरम्भ हो चुका है, तो दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय हर साल ये बधाइया भेजते रहेगे, और हम यह भी आशा करते है कि उन्हे यह दिवस मनानेका सौभाग्य अभी वर्षो तक प्राप्त होता रहेगा। हम इस अकके साथ एक परिशिष्ट छाप रहे है, जिसमे माननीय दादाभाई नौरोजीका एक चित्र है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८–९–१९०६

१ देखिए 'बधाई दादाभाई नौरोजीको' पृष्ठ ४२२।

४३३ रूस और भारत

श्री ईसप मियाने ट्रान्सवालके अंग्रेजी राज्यकी स्थितिका रूसकी स्थितिके साथ मिलान किया है।[1] यह तुलना करने लायक हे। जिस तरह रूसमे लोगोपर राज्याधिकारी जुल्म करते है, उसी तरह टासवालमे भारतीय प्रजापर राज्याधिकारी जुल्म करते ह। रूसमे लोगोके खून होते है व लोगोपर खुलेआम हमला होता हे। ब्रिटिश राज्यमे लोगोके दु ख यद्यपि चूहेके काटनेकी तरह तत्काल जाहिर नही होते फिर भी परिणाम वैसे ही खराब कहे जा सकते है, जैसे रूसमे।

रूसी लोग अपनेपर होनेवाले जुल्मोका प्रतिकार कैसे करते ह और हम कैसे करते है, यह जानने योग्य है। अंग्रेजी राज्यमे हम लोग अर्जिया लिखते है, समाचारपत्रोमे लिखकर आदोलन करते है, राजवशियोसे न्याय प्राप्त करते ह। यह सब ठीक है और करना भी चाहिए। इससे कुछ फायदा भी होता है। इससे अधिक हमे और भी कुछ करना चाहिए, क्या हम यह बता सकते ह? इस प्रश्नके उत्तरके बारेमे हम बादमे सोचेगे। फिलहाल तो रूस क्या करता है, यह देखना हे। वहाके धनी गरीब सिर्फ अर्जिया लिखकर ही नही बठे रहते। उनके दु ख ऐसे ह कि उनके कारण वहा अराजकतावादी काफी सख्यामे उत्पन्न हो गये ह। उनकी यह मान्यता है कि राज्य करनेवाले सब अत्याचारी होते है, इसलिए राज्यसत्ताको नष्ट कर देना चाहिए। इसके लिए रूसके लोग छिपी और खुली रीतिसे राज्याधिकारियोकी हत्या कर डालते ह। ऐसा करना उनकी भूल है। और इस तरह बिना विचारेकी गई उग्र प्रवृत्तियोके कारण वहा राजा और प्रजा दोनोके मनमे निरन्तर अशान्ति बनी रहती है। किन्तु ऐसा साहस करनेवाले स्वय बडे बहादुर और देशभक्त होते है, यह तो सभी कबूल करते ह।

छोटी उम्रकी लडकिया भी ऐसा साहस करती है। अभी अभी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। उसमे जो बालाएँ अमर हो गई है उनके जीवन चरित्र दिये गये ह। ऐसी लडकिया, मरना तो है ही, ऐसा समझकर मरनेकी तैयारी करती है और अपने मनमे देशभक्ति रखकर सम्पूर्ण बलिदानका सकल्प करके, जिसे देशका शत्रु मानती है उसकी हत्या कर डालती है, और बादमे यातनाएँ भोगती हुई अधिकारियोके हाथो मृत्यु प्राप्त करती है। वे ऐसी जोखिम उठाकर देशकी सेवा करती ह। इसमे उनका तनिक सा भी स्वार्थ नही रहता। वह देश अत्याचारसे मुक्ति पायेगा इसमे आश्चर्य नही। वह तत्काल ही मुक्त नही हुआ, इसका केवल यही कारण है कि, जैसा हमने ऊपर बताया है, स्वदेशाभिमान गलत मार्गपर भटककर खूरेजीपर उतर आया है। ईश्वरीय नियमके अनुसार विचार करे तो, इससे लोगोको तुरत लाभ नही मिल सकता।

क्या हम इतने स्वदेशाभिमानका परिचय देते है? हमे दु खके साथ कहना पडता हे— नही। इसमे किसीको दोष नही दिया जा सकता। अभी हमने वैसा करनेकी शिक्षा नही ली। राजनीतिके मैदानमे अभी हम बच्चे है। जनताका सुख ही हमारा सुख है, इस नियमको हम कम समझते ह। किन्तु अब हमारे सामने उस स्थिति से निकल जानेका समय आ गया है। हमे खूरेजी करनेकी जरूरत नही है। हमारे लिए प्राणघातक साहस करनेकी जरूरत नही रही। किन्तु अपने शरीरको कष्ट देनेकी जरूरत है। उसका सर्वोत्तम उदाहरण ट्रासवालका नया कायदा है। यह कायदा अत्याचारकी हद जाहिर करता हे। इस कायदेके बनानेवालोको सजा

१ देखिए **इडियन ओपिनियन**, ८-९-१९०६।

देना हमारा कर्तव्य नही है। ऐसा करेगे तो रूसके लोगाने जो गलती की है वही हम भी करेगे। भारतीय जनता विनम्र है, और हम चाहते ह कि वह सदा विनम्र रहे। तब हम क्या करे, इसका जवाब भारतीय शिष्टमण्डलने श्री डकनको दिया है। उसने श्री डकनसे कहा है कि यदि बहुत विनयपूवक समझानेपर भी सरकार अपना कायदा अमलमे लायेगी तो भारतीय जनता उसे स्वीकार नही करेगी। लोग पजीयन नही करायेगे जुमाना भी नही देगे बल्कि जेल जायेगे। हम मानते है कि यदि टान्सवालमे भारतीय इस निश्चयपर अटल रह, तो उनके बन्धन तुरन्त टूट जायेगे। जेल उनके लिए महल बन जायेगी। उसमे बेइज्जती होनेके बजाय उनकी आबरू बढेगी। और सरकारको मालूम हो जायेगा कि भारतीय प्रजाका अपमान हमेशा ही निभय रहकर नही किया जा सकता। अर्जी देनेके बाद जो हमे करना चाहिए और जिसे हम नही करते सो यह हे कि हम अपने शरीर सुखका त्याग नही करते। हम अपने मौज शौकमे डूबे रहकर उसे छोड नही सकते। दूसरोके लिए अपने सुखका बलिदान करना हमारा कर्त्तव्य हे। इसीमे सच्ची खूबी है, इसीमे खुदा राजी हे और इसीसे हमारा सच्चा कर्त्तव्य पूरा हाता है — यह हम नही समझते। शिष्टमण्डलका प्रस्ताव[1] एक उत्तम कारवाई है। हम उम्मीद करते है कि भारतीय प्रजा इस सुनहरे अवसरको जाने नही देगी और दक्षिण आफ्रिकाके हरएक भारतीयको इससे प्रोत्साहन मिलेगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ८–९–१९०६

४३४ ट्रान्सवालमे नकली अनुमतिपत्र

हमारे पास नकली अनुमतिपत्रोके विषयमे कुछ सामग्री आई है। उसे छापनेकी हमे जरूरत नही जान पडती। लिखनेवाले भाई सूचित करते है कि कोई कोई भारतीय नकली अनुमति पत्रोके आधारपर प्रवेश करनेका प्रयत्न करते है। इससे निर्दोष व्यक्तियोको कष्ट होता है और गलत ढगसे प्रवेश करनेवाले सजा भोगते है। बारबटनमे कुछ ही समय पहले आठ भारतीयोको ३० पौड जुर्माना हुआ और उन्हे वापस जाना पडा। हमारे विचारसे यह दण्ड अनुचित है, फिर भी हम मानते ह कि प्रत्येक भारतीयको बहुत सावधानीसे काम लेना चाहिए। हम लोग अनुमतिपत्रोका जितना अनुचित उपयोग करेगे, कष्ट उतना बढता जायेगा। जो ट्रान्सवालमे प्रवेश नही कर पा रहे है, हमे उनके लिए खेद है। उनसे हमारी सहानुभूति है। किन्तु जबतक कानून उनके खिलाफ है, तबतक धीरज रखना जरूरी है। अपना स्वाथ साधनेके प्रयत्नमे हम दूसरोको हानि न पहुँचाये, इसे सदा याद रखना चाहिए। हमे आशा है कि बारबटनके मामलोसे प्रत्येक पाठक सबक लेगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ८–९–१९०६

१ देखिए "सार्वजनिक सभा" पृष्ठ ४३०–४।

४३५ हिन्दू-श्मशान

हिदुओके श्मशानकी स्थितिके बारेमे हमने पहले लिखा है[१]। जान पडता हे कि कुछ लोगोने उसका अथ यह किया है कि उसमे हम व्यवस्थापकोको उलाहना देना चाहते है। हम फिरसे उस लेखको पढ गये ह। कितु उसका वसा अथ हम नही कर सके। फिर भी हमारे लेखका भूलसे भी यह अथ न हो, इसलिए हम स्पष्ट करना चाहते ह कि हमने अपनी आलोचनामे व्यवस्थापकोको दोषी नही माना है। हमारी जानकारीके अनुसार उहोने श्मशानको स्वच्छ और व्यवस्थित रखनेका पूरा प्रयत्न किया है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ८–९–१९०६

४३६ पत्र उपनिवेश-सचिवको

ब्रिटिश भारतीय सघ

जरूरी

[जोहानिसबग]
सितम्बर ८, १९०६

महोदय,

मै परमश्रेष्ठसे परममाननीय भारत मत्री और परमश्रेष्ठ भारतके वाइसरायके नाम सलग्न तारोको[२] उनकी सेवामे भेजनेकी प्राथना करता हूँ।

आप देखेगे, भारतके परमश्रेष्ठ वाइसरायके नामके तारका पाठ अय दो तारोसे अलग है। मेरे सघने मुझे अधिकार दिया है कि मै तारोका खच चुका दू। आपका पत्र पानेपर मै सेवामे चेक भेज दूगा। चूकि बात अत्यावश्यक हे, मै विनम्रतापूवक निवेदन करता हूँ कि ये तार आज ही भेज दिये जाये।

आपका, आदि,
अब्दुल गनी
अध्यक्ष

[अग्रेजीसे]

प्रिटोरिया आकाइव्ज एल० जी० फाइल स० ९३ एशियाटिक्स

१ देखिए 'हिदुओके श्मशानकी स्थिति', पृष्ठ ४१० ।
२ देखिए आगेके शीर्षक ।
३ भारत तथा उपनिवेश–मन्त्रियोके नाम ।

४३७ तार उपनिवेश-मन्त्रीको[1]

[जोहानिसबर्ग]
सितम्बर ८, १९०६

सेवामें
उपनिवेश मंत्री

विधान परिषदमें जिस गतिसे एशियाई अध्यादेश पास किया जा रहा है उससे ब्रिटिश भारतीय भयभीत हैं। अध्यादेश भारतीयोंकी स्थिति काफिरोंसे हीन तथा उच्च राज्यमें प्राप्त स्थितिसे बहुत हीन बनाता है। ब्रिटिश भारतीय संघ एकदम रवाना होनेवाले शिष्टमण्डलके पहुँचने तक शाही स्वीकृति रोकनेकी प्रार्थना करता है। संघ आश्वासनपूर्ण उत्तरका प्रार्थी है।

ब्रिभास[2]

[अंग्रेजीसे]

प्रिटोरिया आर्काइव्ज एल० जी० फाइल सं० ९३ एशियाटिक्स

४३८ तार भारतके वाइसरायको

[जोहानिसबर्ग]
सितम्बर ८, १९०६

सेवामें
परमश्रेष्ठ वाइसराय
भारत

विधान परिषदमें विचाराधीन एशियाई अध्यादेशसे ब्रिटिश भारतीय भयभीत। ट्रान्सवाल अध्यादेश अप्रतिष्ठाकारक और अपमानजनक। भारतीयोंकी स्थितिको अछूतोंसे भी बदतर बनाता है। ब्रिटिश भारतीय संघ वाइसरायके सक्रिय हस्तक्षेपकी प्रार्थना करता है, क्योंकि परमश्रेष्ठ उनके कल्याणके लिए प्रत्यक्ष रूपसे उत्तरदायी हैं।

ब्रिभास

[अंग्रेजीसे]

प्रिटोरिया आर्काइव्ज एल० जी० फाइल सं० ९३ एशियाटिक्स

१ यह तार भारत-मन्त्रीको भी भेजा गया था।

२ ब्रिटिश भारतीय संघ। मूल अंग्रेजी शब्द बिआस है, जो ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन का संक्षिप्त रूप है।

४३९ भाषण "खूनी कानून" पर

एशियाइ अधिनियम सशोधनके मसविदेपर विचार करनेके लिए कुछ गण्यमान्य भारतीयोकी एक सभा हुई थी। उसमें गाधीजीने मसविदेका पूरा अर्थ समझाया था। सब लोगोको वैसा ही धक्का पहुँचा जैसा गांधीजीको पहुँचा था। इसी पृष्ठभूमिपर निम्नलिखित भाषण दिया गया था। सभी उपस्थित सज्जनोने एक सार्वजनिक सभा करनेका प्रस्ताव किया जिसमें इस खूनी कानूनका मुकाबला करनेके तरीकोपर विचार और उन्हे अमलमें लानेका निश्चय किया जा सके।

यह भाषण स्वय गाधीजीका ही पुनर्निर्मित है। सितम्बर ११ को हुई सार्वजनिक सभामें (देखिए पृष्ठ ४३०–४) दिए गये भाषणके समान इससे प्रकट होता है कि इस अन्यायपूर्ण अधिनियमके विरोधका उनकी दृष्टिमें कितना महत्त्व था।

[जोहानिसबग
सितम्बर ९, १९०६ के पूव]

यह मामला बहुत ही गभीर है। यह विधेयक यदि पास हो गया और हमने इसे मान लिया तो इसका अनुकरण सारे दक्षिण आफ्रिकामे किया जायेगा। मुझे तो इसका उद्देश्य ही यह मालूम होता हे कि इस देशसे हमारी हस्ती मिटा दी जाये। यह कानून कोई आखिरी कारवाई नही है, बल्कि तग करके हमे दक्षिण आफ्रिकासे खदेडनेके लिए पहला कदम है। अत हमपर केवल ट्रान्सवालमे बसनेवाले १०-१५ हजार भारतीयोकी ही जिम्मेदारी नही हे, बल्कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय मात्रकी है। फिर यदि हम इस विधेयकका रहस्य पूरी तरहसे समझ सके तो सम्पूण भारतकी प्रतिष्ठाकी जिम्मेदारी भी हमपर आ जाती है। क्योकि इस विधेयकसे हमारा ही अपमान होता है सो बात नही, इसमे सारे भारतका अपमान निहित है। अपमानका अथ ही यह है कि निर्दोषका मान भग हो। यह कहा ही नही जा सकता कि हम इस कानूनके योग्य है। हम निर्दोष है, और राष्ट्रके एक भी निर्दोष व्यक्तिका अपमान सारे राष्ट्रके अपमानके समान है। अत इस कठिन अवसरपर यदि हम उतावली करे, अधीर हो, क्रोध करे तो उतनेसे तो इस हमलेसे नही बच सकेंगे। बल्कि यदि शान्तिपूवक उपाय ढूढकर समयसे उनका उपयोग करे, एकतासे रहे और अपमानका सामना करनेमे जो दु ख हो उन्हे सहन करे, तो मै मानता हू कि ईश्वर स्वय हमारी सहायता करेगा।

[गुजरातीसे]

मो० क० गाधी **दक्षिण आफ्रिकाना सत्याग्रहनो इतिहास**, अध्याय ११, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद।

४४० भाषण हमीदिया इस्लामिया अंजुमनमें[1]

हमीदिया इस्लामिया अंजुमनकी बैठकमें गांधीजीने ट्रान्सवालकी राजनीतिक स्थितिका विवेचन किया। निम्न उद्धरण उस बैठककी कारवाईके विवरणसे लिया गया है।

जोहानिसबर्ग
सितम्बर, ९, १९०६

गांधीजीने कहा कि उपनिवेश सचिवको हमने जो तार[2] दिया था उसका जवाब आया है। (वह जवाब पढ़कर सुनाया।) उसी प्रकार आदेशके अनुसार विलायत भी एक तार[3] भेज चुका हूँ। और अब बगैर शिष्टमण्डल भेजे छुटकारा नहीं है क्योंकि असह्य तथा जुल्मी कानून हमपर लाद दिया गया है। यह दुःख सहा नहीं जा सकता। ट्रान्सवालमें हमारी स्थिति पहलेसे ही बहुत खराब है, तिसपर अध्यादेशका मसविदा आ जानेसे वह और भी ज्यादा खराब हो गई है। इसलिए मैं सबको सलाह देता हूँ कि हम अब दुबारा पंजीयन न करवायें।

इसमें यदि हमपर सरकारी कानून भंगका आरोप लगे तो खुशी-खुशी जेल भोगें। इसमें बुरा कुछ नहीं है। अंग्रेजोंकी एक विशेषता उनकी बहादुरी है। इसलिए यदि हम सामूहिक रूपमें बहादुर बनकर अच्छी तरह मुकाबला करेंगे तो आशा है कि सरकार कुछ भी नहीं कर सकेगी। दोगले (हाफकास्ट) और काफिर भी, जो हमसे सभ्यतामें गिरे हुए हैं, सरकारका विरोध करते हैं। उनपर पासका नियम लागू है, फिर भी वे पास नहीं लेते।

अब मैं और अधिक न कहकर सबको सलाह देता हूँ कि आपको दुबारा पंजीयन नहीं करवाना है और यदि सरकार जेल भेजती है तो मैं आपसे पहले जानेको तैयार हूँ। अध्यादेशके मसविदेके अंतर्गत नया पंजीयन स्वीकार न करनेसे जिन भारतीयोंको सरकार परेशान करेगी उनका काम मैं मुफ्त करूँगा।

अगले मंगलवारको आम सभा होनेवाली है। इसलिए सभी लोग काम-काज बन्द करके उसमें हाजिर रहें।

इतना सब विस्तारपूर्वक समझानेके बाद श्री गांधीने जल्दी ही निधि इकट्ठा करने और निधिकी देख-रेखके लिए समिति नियुक्त करनेकी सूचना दी तथा यह भी कहा कि यह समिति हर महीने हिसाब प्रकाशित करे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२-९-१९०६

१ **इंडियन ओपिनियनमें** इस रिपोर्टका शीर्षक "कर्तव्यकी पुकार" था।

२ यह उपलब्ध नहीं है।

३ देखिए "तार उपनिवेश-मन्त्रीको", पृष्ठ ४२७।

४४१ सार्वजनिक सभा

ब्रिटिश भारतीयोकी एक सार्वजनिक सभा एशियाई अधिनियम सशोधन अध्यादेशके मसविदेके विरुद्ध आपत्ति प्रकट करनेके लिए बुलाई गई थी । इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश भारतीय सघके अध्यक्ष श्री अब्दुल गनीने की थी । अध्यादेशके खिलाफ कई लोग बोले और उन्होने उसके कानून बन जानेकी अवस्थामें उसकी अवज्ञा करनेकी अपील की । गाधीजीके भाषणकी रिपोर्ट नीचे दी जाती है

जोहानिसबग
सितम्बर ११, १९०६

बादमे ब्रिटिश भारतीय सघके अवतनिक मन्त्री श्री मो० क० गाधी (जोहानिसबग) ने सभामे भाषण दिया। उन्होने बताया कि कुछ आलोचकोका खयाल हो सकता है कि हमारे प्रस्तावोमे जिस तक श्रृखलाकी रूपरेखा व्यक्त हुई है उसमे दोष है, क्योकि हमने अपनी शिकायते दूर करने की माग की है ओर बादमे एकदम यह धमकी दी है कि यदि हमारी प्राथना मजूर नही की गई तो हम जेल जायेंगे। किन्तु श्री गाधीने दावा किया कि उक्त तक श्रृखलामे कोई वास्तविक दोष नही है, क्योकि हम धमकी नही दे रहे ह। यह तो सिफ थोडे से अमलकी बात है, जिसका मूल्य बहुत से भाषणो और लेखोके बराबर होता है। उन्होने कहा कि, मैंने इस मामलेपर पहले गम्भीरता और आन्तरिकतासे विचार किया है, और तब हमे जो कदम उठाना चाहिए उसके सम्बन्धमे अपनी राय दी है। मै अनुभव करता हूँ कि यदि हमारी प्राथना स्वीकार नही की जाती तो जो रास्ता तय किया गया है उसे स्वीकार करनेको हम बद्ध कतव्य ह। श्री गाधीने दावा किया कि उस दिन जिन विशेषणाका प्रयोग किया गया था उनमेसे हरएक उस अवसरपर साथक था। यदि मुझको कोई और भी कठोर विशेषण मिला होता तो म उसका प्रयोग करता। मैंने दक्षिण आफ्रिकाके समस्त एशियाई विरोधी कानूनोका अध्ययन किया हे, किन्तु मैंने अपने अबतक के पूरे अनुभवमे प्रस्तुत अध्यादेशके समान कोई कानून नही देखा। आरेज रिवर कालोनीका अध्यादेश कडा हे, किन्तु वह भी इस कानूनसे, जो यहा अब पश किया गया है, ज्यादा अच्छा है। यह तो इतना बुरा है कि कोई भी स्वाभिमानी भारतीय इसके अधीन रह ही नही सकता। म स्वीकार करता हू कि मैंने जो गम्भीर कदम उठाया है उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर हे ओर मै पूरी जिम्मेदारी ग्रहण करता हूँ। म महसूस करता हूँ कि मने भारतीयोको वफादार ब्रिटिश प्रजाके रूपमे यह कदम उठानेकी सलाह देकर उचित ही किया है। इस सम्बन्धमे हमारी सब कारवाइया वफादारीसे पूण हैं। हमपर अराजभक्तिकी छाया भी नही ठहर सकती। कुछ लोग कह सकते ह कि हम मूख ह, और यदि अपने देशभाइयोपर मेरा पूण विश्वास न होता तो मै खुद कहता कि हमारी कारवाई मूखतापूण है। किन्तु म अपने देशभाइयोको जानता हूँ, मै जानता हूँ कि म उनपर विश्वास कर सकता हू और मै यह भी जानता हूँ कि जब कोई बहादुरीका कदम उठानेका मौका आयेगा, तब उनमे से प्रत्येक व्यक्ति वह कदम उठायेगा।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २२–९–१९०६

सभामें श्री हाजी हबीबने प्रस्ताव किया कि उनको अध्यादेशका विरोध करनेकी शपथ लेनी चाहिए। गाधीजीने इस सुझावका फलितार्थ बताते हुए एक भाषण दिया जिसका साराश उन्होने अपनी गुजराती पुस्तक **दक्षिण आफ्रिकाना सत्याग्रहनो इतिहासमें** इस प्रकार दिया है

मै सभाको यह बात समझा देना चाहता हूँ कि हमने आजतक जो प्रस्ताव स्वीकार किये ह और जिस तरीकेसे स्वीकार किये हैं, उन प्रस्तावो ओर उस तरीकेमे तथा इस प्रस्ताव और इसके तरीके मे भारी अन्तर है। यह प्रस्ताव अति गम्भीर है। क्याकि, दक्षिण आफ्रिकामे हमारा अस्तित्व तभी रह सकता है जब हम इसपर पूरी तरह अमल करे। प्रस्तावका स्वीकार करनेकी जो रीति हमारे भाईने सुझाई है वह जितनी गम्भीर हे, उतनी ही नवीन है। मै खुद इस रीतिस प्रस्ताव करवानेके विचारसे यहा नही आया था। इस यशके अधिकारी अकेले सेठ हाजी हबीब है ओर इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीपर है। म उन्हे मुबारकबाद देता हूँ। उनका सुझाव मुझे बहुत रुचा है। पर यदि आप उस सुझावको स्वीकार कर लेते ह तो उसकी जिम्मेदारीमे आप भी साझी हो जायेंगे। यह जिम्मेदारी क्या है, इसे आपको समझना ही चाहिए, और भारतीय समाजके सलाहकार और सेवकके नाते इसे पूरी तरहसे समझा देना मेरा धम है।

हम सब एक ही सिरजनहारको माननेवाले है। उसे मुसलमान भले ही खुदाके नामसे पुकारे, हिन्दू भले ही ईश्वरके नामसे भजे, पर वह है एक ही स्वरूप। उसे साक्षी करके उसको बीचमे रखकर हम कोई प्रतिज्ञा करे या शपथ ले, यह कोई छोटी-मोटी बात नही है। इस तरहसे शपथ लेनेके बाद भी यदि हम बदलते है तो समाजके, जगतके और खुदाके प्रति गुनहगार होगे। मै तो मानता हूँ कि सावधानीसे, शुद्ध बुद्धिसे मनुष्य कोई प्रतिज्ञा करे और बादमे तोड दे, तो वह अपनी इन्सानियत, अथवा मनुष्यता खो बैठता है। और जैसे पारा चढा हुआ ताबेका सिक्का रुपया नही है, यह मालूम होते ही सिफ सिक्का ही मूल्यरहित नही होता, बल्कि उसका मालिक भी दण्डका पात्र हो जाता है, वसे ही झूठी शपथ लेनेवाला अपनी प्रतिष्ठा ही नही खोता, वह लोक और परलोक दोनोमे दण्डका पात्र हो जाता है। सेठ हाजी हबीब हमे ऐसी ही शपथ लेनेकी बात सुझा रहे है। इस सभामें एक भी ऐसा व्यक्ति नही जो बालक या नासमझ माना जा सके। आप सब प्रौढ है, दुनिया देखे हुए ह, बहुतेरे तो प्रतिनिधि है और थोडी बहुत जिम्मेदारी भी भोग चुके है। अत इस सभामे एक भी व्यक्ति ऐसा नही है जो यह कहकर छूट जाये कि मैंने बिना समझे प्रतिज्ञा की थी।

मै जानता हूँ कि प्रतिज्ञाएँ, व्रत आदि किसी गम्भीर प्रसगपर ही लिये जाते है, और लिये भी जाने चाहिए। उठते बैठते प्रतिज्ञा करनेवाला निश्चय ही प्रतिज्ञा भग कर सकता है। परन्तु यदि हमारे समाज जीवनमे इस देशमे प्रतिज्ञाके योग्य किसी अवसरकी कल्पना मै कर सकता हू तो वह अवसर यही है। बहुत सावधानीसे और डर डरकर कदम रखना बुद्धिमानी है। किन्तु डर और सावधानीकी भी सीमा होती है। उस सीमापर हम पहुँच चुके है। सरकारने सभ्यताकी मर्यादा तोड दी है। उसने हमारे चारो ओर जब दावानल सुलगा रखा है तब भी यदि हम बलिदानकी पुकार न करे और आगे पीछे देखते रहे तो हम नालायक और नामद साबित होगे। अत यह शपथ लेनेका अवसर है, इसमे तनिक भी शका नही। पर यह शपथ लेनेकी हममे शक्ति है या नही, यह तो हरएकको अपने लिए सोचना होगा। ऐसे प्रस्ताव बहुमतसे पास नही किये जाते। जितने लोग शपथ लेगे उतने ही उससे बँधते है। ऐसी शपथ दिखावेके लिए नही ली जाती, उसका यहाकी सरकार बडी सरकार या भारत सरकारपर क्या असर होगा, इसका कोई तनिक भी खयाल न करे। हरएकको अपने हृदयपर हाथ रखकर उसे ही टटालना

है। और तब यदि अ तरात्मा कहती है कि शपथ लेनेकी शक्ति हे, तभी शपथ ली जाये, और वही शपथ फलेगी।

अब दो शब्द परिणामके विषयमे। अच्छीसे अच्छी आशा बाधकर तो यह कह सकते ह कि यदि सब लोग शपथपर कायम रहे और भारतीय समाजका बडा हिस्सा शपथ ले सके तो यह अध्या देश एक तो पास नही हागा, और यदि पास हो गया तो तुरन्त रद हुए बिना नही रहेगा। समाजको अधिक कष्ट न सहना पडेगा। हो सकता है कि कुछ भी कष्ट न सहना पडे। पर शपथ लेनेवालेका धम जैसे एक ओर श्रद्धापूवक आशा रखना है, वसे ही दूसरी ओर निता त आशारहित होकर शपथ लेनेको तैयार होना है। इसलिए मै चाहता हूँ कि हमारी लडाईमे जो कडवेसे कडवे परिणाम सामने आ सकते ह, उनकी तसवीर इस सभाके सामने खीच दू। मान लीजिए कि यहा उपस्थित हम सब लोग शपथ लेते है। हमारी सख्या अधिकसे-अधिक तीन हजार होगी। यह भी हो सकता हे कि बाकीके दस हजार शपथ न ले। शुरूमे तो हमारी हँसी होनी ही है। इसके अलावा इतनी चेतावनी दे देनेपर भी यह बिलकुल सम्भव है कि शपथ लेनेवालोमे से कुछ या बहुत स पहली कसौटीमे ही कमजोर साबित हो जाये। हमे जेल जाना पडे। जेलमे अपमान सहने पडे। भूख प्यास, सर्दी गर्मी भी सहनी पडे। सरत मशक्कत करनी पडे। उद्धत स तरियोकी मार भी खानी पडे। जुर्माने हो। कुर्कीमे माल असबाब भी बिक जाये। यदि लडनेवाले बहुत थोडे रह गये, ता आज भले हमारे पास बहुत पसा हो, कल हम कगाल बन सकते है। हमे निर्वासित भी किया जा सकता है। जेलमे भूखे रहते और दूसरे कष्ट सहते हुए हममे से कुछ बीमार हो सकते है और कोई मर भी सकते है। अर्थात, थोडेमे कहा जा सकता हे कि, जितने कष्टोकी आप कल्पना कर सकते है वे सभी हमे भोगने पडे — ओर इसमे कुछ भी असम्भव नही है — फिर भी समझदारी इसीमे है कि यह सब सहन करना होगा, यह मानकर ही हम शपथ ले। मुझसे कोई पूछे कि इस लडाईका अन्त क्या होगा, और कब होगा तो मै कह सकता हूँ कि अगर सारी कौम लडाईमे पूरी तरह उत्तीर्ण हो गई तो लडाईका फसला तुर त हो जायेगा और यदि सकटका सामना होनेपर हममे से बहुतेरे फिसल गये तो लडाई लम्बी होगी। लेकिन इतना तो मै हिम्मतके साथ और निश्चयपूवक कह सकता हू कि मुटठीभर लोग भी यदि अपनी प्रतिज्ञा पर दढ रहे तो इस लडाईका एक ही अ त समझिए — अर्थात इसमे हमारी जीत ही होगी।

अब मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारीके बारेमे दो शब्द। मै एक ओर तो प्रतिज्ञाकी जोखिमे बता रहा हू, पर साथ ही आपको शपथ लेनेकी प्रेरणा भी दे रहा हूँ। इसमे मेरी अपनी जिम्मेदारी कितनी हे, इसे मै पूरे तौरपर समझता हूँ। यह भी सम्भव है कि आजके जोश या गुस्सेमे आकर इस सभामे उपस्थित लोगोका बडा भाग प्रतिज्ञा कर ले, पर सकटके समय कमजोर साबित हा, और मुटठीभर लोग ही अन्तिम ताप सहन करनेके लिए बच जाये। फिर भी मुझ जैसे आदमीके लिए तो एक ही रास्ता होगा, मर मिटना, पर इस कानूनके आगे सिर न झुकाना। मै तो मानता हूँ कि फज करो ऐसा हो — ऐसा होनेकी सम्भावना तो बिलकुल ही नही है, फिर भी फज कर ले — कि सब गिर गये और म अकेला ही रह गया, तो भी मेरा विश्वास हे कि प्रतिज्ञाका भग मुझसे हो ही नही सकता। इस कथनका तात्पय आप समझ ले। यह घमण्डकी बात नही, बल्कि खास तौरसे इस मचपर बैठे हुए नेताओको सावधान करनेकी बात है। अपनी मिसाल लेकर मै नेताओसे विनयपूवक कहना चाहता हूँ कि अकेला रह जानपर भी दढ रहनेका निश्चय या वैसा करनेकी शक्ति न हो, तो इतना ही नही कि आप प्रतिज्ञा न करे, बल्कि लोगाके सामने अपना विरोध जाहिर कर दे और आप अपनी सम्मति यहा न दे। यह प्रतिज्ञा यद्यपि हम सब साथ मिलकर करना चाहते है फिर भी कोई इसका यह अथ कदापि

न करें कि एक या अनेक व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें, तो दूसरे सहज ही बन्धन मुक्त हो सकते हैं। हरएक अपनी अपनी जिम्मेदारीको पूरी तरहसे समझकर स्वतन्त्ररूपसे प्रतिज्ञा करे, और यह समझकर करे कि दूसरे कुछ भी करें, मैं खुद तो मरते दम तक उसका पालन करूँगा ही।"

[गुजरातीसे]

मो० क० गांधी **दक्षिण आफ्रिकाना सत्याग्रहनो इतिहास** अध्याय १२, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद

सभामें स्वीकृत प्रस्ताव[1]

ब्रिटिश भारतीयोंकी यहाँ समवेत यह सार्वजनिक सभा सम्मानपूर्वक ट्रान्सवालकी विधान-परिषदके माननीय अध्यक्ष और सदस्योंसे अनुरोध करती है कि वे मसविदारूप एशियाई अध्यादेशको, जो १८८५ के कानून ३ में संशोधन करनेके लिए रखा गया है और अब सम्मान्य सदनके सम्मुख प्रस्तुत है, इन बातोंको देखते हुए मंजूर न करें

प्रस्ताव १

(१) जहाँतक ट्रान्सवालके भारतीय समाजका सम्बन्ध है, यह अत्यन्त विवादास्पद कानून है।

(२) इससे ट्रान्सवालके भारतीय समाजका दर्जा गिरता है और उसका अपमान होता है, जिसका पात्र वह अपने गत इतिहासको देखते हुए कतई नहीं है।

(३) वर्तमान व्यवस्था एशियाइयोंकी कथित भरमारको रोकनेके लिए काफी है।

(४) ब्रिटिश भारतीय समाजने कथित भरमारके सम्बन्धमें दिये गये वक्तव्योंका खण्डन किया है।

(५) यदि सम्मान्य सदनको इस खण्डनसे सन्तोष नहीं है, तो यह सभा माँग करती है कि कथित भरमारके प्रश्नकी खुली जाँच एक अदालती और ब्रिटिश जाँच समितिसे करा ली जाये।

ब्रिटिश भारतीयोंकी यहाँ समवेत यह सार्वजनिक सभा सम्मानपूर्वक उस मसविदारूप एशियाई अधिनियम-संशोधन अध्यादेशके विरुद्ध आपत्ति प्रकट करती है, जिसपर अभी ट्रान्सवालकी विधान परिषदमें विचार किया जा रहा है, और स्थानीय सरकारसे तथा ब्रिटिश अधिकारियोंसे नम्रतापूर्वक प्रार्थना करती है कि वे मसविदारूप अध्यादेशको निम्न कारणोंसे वापस ले लें

प्रस्ताव २

(१) यह महामहिमके प्रतिनिधियोंकी भूतकालीन घोषणाओंके स्पष्ट विरुद्ध है।

(२) इसमें ब्रिटिश एशियाइयों और विदेशी एशियाइयोंमें कोई भेद स्वीकार नहीं किया गया है।

(३) इससे भारतीयोंका दर्जा दक्षिण आफ्रिकाकी आदिम जातियों और रंगदार लोगोंसे भी नीचा हो जाता है।

१. पाँचवें प्रस्तावके अनुसार प्रस्ताव २, ३ और ४ ट्रान्सवालके गवर्नर द्वारा उपनिवेश मन्त्री और भारत मन्त्रीको भेजे गये थे। ट्रान्सवालके गवर्नरसे यह प्रार्थना भी की गई थी कि वे इनका सारांश भारतके वाइसरायको भेज दें। (देखिए पृष्ठ ४३४ और कमांड ३३०८ फरवरी १९०७)।

(४) इससे ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थिति १८८५ के कानूनके अन्तर्गत जैसी थी उससे खराब हो जाती है और इसलिए बोअरोंके शासनमें जैसी थी उससे भी खराब हो जाती है।

(५) इससे पासों और जासूसीकी एक ऐसी प्रणाली आरम्भ होती है जो दूसरे सब ब्रिटिश प्रदेशोंमें अज्ञात है।

(६) इससे उन जातियोंपर, जिनपर यह लागू होता है, अपराधी और संदिग्ध होनेका ठप्पा लग जाता है।

(७) अनधिकृत ब्रिटिश भारतीयोंकी ट्रान्सवालमें भरमारका खण्डन किया जाता है।

(८) यदि यह खण्डन स्वीकार नहीं किया जाता है तो इस कड़े और अवांछनीय कानूनको लादनेसे पहले एक अदालती, खुली और ब्रिटिशोचित जाँच करा ली जाये।

(९) यह कानून अन्यथा ब्रिटिश लोगोंके लिए अशोभनीय है और इससे निर्दोष ब्रिटिश प्रजाजनोंकी स्वतन्त्रतामें बेजा कमी होती है और यह ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंको देश छोड़कर चले जानेका अनिवार्य निमन्त्रण है।

(१०) यह सभा आगे और खास तौरसे परम माननीय उपनिवेश मन्त्री और भारत मन्त्रीसे प्रार्थना करती है कि वे इस अध्यादेशके मसविदेपर सम्राटकी मंजूरी स्थगित कर दें और इसके सम्बन्धमें ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय समाजकी ओरसे एक शिष्ट मण्डलसे भेंट करें।

प्रस्ताव ३

यह सभा इस प्रस्तावके द्वारा इंग्लैंड जाने और मसविदारूप एशियाई अधिनियम संशोधन अध्यादेशके सम्बन्धमें ब्रिटिश साम्राज्यके अधिकारियोंके सम्मुख ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी शिकायत पेश करनेके लिए एक प्रतिनिधि दलकी नियुक्ति करती है और ब्रिटिश भारतीय संघकी समितिको ओरसे उसे सदस्योंकी संख्या बढ़ाने या सदस्यतामें हेरफेर करनेका अधिकार देती है।

प्रस्ताव ४

विधानसभा, स्थानीय सरकार और साम्राज्य अधिकारियों द्वारा मसविदारूप एशियाई अधिनियम-संशोधन अध्यादेशके सम्बन्धमें ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय समाजकी विनीत प्रार्थना अस्वीकृत कर दी जानेकी अवस्थामें, ब्रिटिश भारतीयोंकी यहाँ समवेत यह सार्वजनिक सभा गम्भीरतापूर्वक और खेदपूर्वक यह निश्चय करती है कि इस मसविदारूप अध्यादेशके अपमान-जनक, अत्याचारपूर्ण और अ-ब्रिटिश विधानोंके सामने झुकनेकी अपेक्षा ट्रान्सवालका प्रत्येक ब्रिटिश भारतीय अपने आपको जेल जानेके लिए पेश करेगा और तबतक ऐसा करना जारी रखेगा जबतक अत्यन्त दयालु महामहिम सम्राट कृपा करके राहत नहीं देंगे।

प्रस्ताव ५

यह सभा अध्यक्षको निर्देश देती है कि वे पहले प्रस्तावकी नकल विधान परिषदके अध्यक्ष और सदस्योंको और सब प्रस्तावोंकी नकलें उपनिवेश सचिव, परमश्रेष्ठ कार्यवाहक लेफ्टिनेंट गवर्नर, और परमश्रेष्ठ उच्चायुक्तको भेज दें, तथा परमश्रेष्ठ उच्चायुक्तसे प्रार्थना करें कि वे दूसरे, तीसरे और चौथे प्रस्तावोंकी संलिपि साम्राज्य-अधिकारियोंको समुद्री तारसे प्रेषित कर दें।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५–९–१९०६

४४२ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

जोहानिसबग
सितम्बर, ११, १९०६

ट्रान्सवालमे एशियाई कानूनका लेकर आजकल जा आदोल्न चल रहा है उसके सम्बन्धमे मगलवारको दोपहर २ बजे एम्पायर नाटकघरमे एक विशाल सभा हुई थी। उसमे लगभग ३ हजार भारतीय इकटठे हुए थे। श्री अब्दुल गनी अध्यक्ष थे। उपनिवेश मन्त्रीको आमन्त्रण दिया गया था, और उन्होने श्री चमनेको उसमे उपस्थित रहनेके लिए भेजा था।

श्री अब्दुल गनीने अपने भाषणमे कहा,

टान्सवालमे ऐसा समय कभी नही आया था। इस समय हमे बहुत मेहनत करनी चाहिए। म लम्बा भाषण नही देना चाहता। हमारे पास काम बहुत है। लाड सेल्बोनने लडाईके समय कहा था कि भारतीयोके अधिकारोकी रक्षा लडाईका एक उद्देश्य है। ब्रिटिश झडेके नीचे किसीको तकलीफ नही होनी चाहिए। सबके समान हक होने चाहिए।

फिर उन्होने ही कुछ समय पहले यहूदियोकी सभामे ऐसा भी कहा था कि दूसरे राष्टोके लोगोका दुख दूर करना भी ब्रिटिश सरकारका काम है। लोगोको रहनेकी अडचन, जमीन खरीदनेकी मनाही और अन्य दूसरे अपमान ब्रिटिश राज्यमे कदापि नही होने चाहिए। लॉड सेल्बोनके ऐसे भाषणो और हमपर जुल्म करनेवाले कानूनोके बीच किस तरह मेल बैठता है, यह पूछनेका हमे हक है।

यह कानून कितना सख्त और भावनाओको चोट पहुँचानेवाला है इस सम्बन्धमे हम सरकारको लिख चुके ह। किन्तु आज मै आपके सामने श्री ग्रेगरोवस्कीकी राय रखना चाहता हू। श्री ग्रेगरोवस्की लिखते ह

> **यह कानून डच कानूनकी अपेक्षा बहुत सख्त है। इसमे एक भी धारा भारतीयोके लिए लाभदायक नही है। इस कानूनसे भारतीयोकी स्थिति काफिरोसे भी खराब हो जाती है। हर काफिरको 'पास' नही रखना पडता। लेकिन अब हर भारतीयको 'पास' रखना पडेगा। शिक्षित काफिर इस प्रकारके कानूनसे मुक्त ह। भारतीय चाहे शिक्षित हो, चाहे जितना बडा व्यक्ति हो, फिर भी उसे 'पास' रखना ही पडेगा। ऐसा मालूम होता है कि वह 'पास' कदियो वगरहके 'पास' से मिलता जुलता होगा। १८८५ के कानून [३] मे जितने रास्ते खुले रखे गये थे, वे सब इस कानूनके द्वारा बन्द कर दिये गये ह। काफिर जमीनके मालिक हो सकते ह, लेकिन भारतीय नही हो सकते। ऐसा कानून उदारदलीय सरकार स्वीकार करेगी, यह सम्भव नही जान पडता।**

हम लाग जो कुछ कहते है वह श्री ग्रेगरोवस्कीके कथनसे ज्यादा सख्त नही है।

जब ऐसी परिस्थिति आ गई हे और जब इस परिस्थितिमे इग्लैडकी सरकार हमारी पुकार नही सुनती, तो हमे क्या करना चाहिए, यह सोचनेकी बात है। आज आपके सामने कुछ प्रस्ताव पेश किये जायेंगे। आप विलायत एक शिष्टमण्डल भेज, इस सम्बन्धमे हम एक प्रस्ताव स्वीकार

१ एशियाई कानून सशोधन अध्यादेशका मसविदा।

करनेवाले है, इसलिए उसपर मुझे ज्यादा कुछ नही कहना है। आजका मुख्य प्रस्ताव तो एक ही है कि अपनी अर्जीमे यदि हम सफल न हो तो हमे क्या करना चाहिए? आज तक अपनी फरियादकी सुनवाई न होनेसे हम कष्ट भोगते रहे है। लेकिन इस कानूनके कष्ट असह्य है। इसलिए हम यह प्रस्ताव करना चाहते है कि यदि इग्लडकी सरकार भी हमपर जुल्मकी वर्षा करना चाहती हो, तो जुल्म भोगनेकी अपेक्षा जेलमे जाना ज्यादा अच्छा है। हमेशा जब बहुत दुख पडता है तभी मनुष्यको सच्चा इलाज मिलता है। हमारे लिए वह समय आ गया है। और हम सबका यही कतव्य है कि हम आज इस स्पष्ट निणयपर आ जाये कि हम इस कानूनको स्वीकार नही करेगे, बल्कि जेल जायेगे। जेल जानेमे लज्जित होने योग्य कोई बात नही। और मै खुदासे प्राथना करता हूँ कि वह हमे इतनी ताकत और बुद्धि दे जिससे हमारा प्रस्ताव बरकरार रहे।

यह समय हमारे लिए कथनीका नही, करनीका है। इस समय हमे साहस करना होगा और उस साहसमे नम्रता बरतनी होगी। किसी भी प्रकारके कडवे शब्द न कहे जाये, न सुने ही जाये।

अध्यक्ष महोदयके भाषणके बाद नीचे लिखे प्रस्ताव[1] स्वीकार किये गये

प्रस्ताव १

यह सावजनिक सभा नम्रतापूवक विधान-परिषदसे प्राथना करती है कि एशियाई कानून पास न किया जाये, क्योंकि,

(१) भारतीय कौमकी रायमे यह कानून बहुत ही आपत्तिजनक है।

(२) यह कानून अकारण भारतीय कौमको गिरानेवाला व उसका अपमान करनेवाला है।

(३) यदि भारतीय बिना परवानेके ट्रान्सवालमे प्रवेश करते हो, तो उन्हे रोकनेके लिए मौजूदा कानूनमे बहुत व्यवस्था है।

(४) भारतीयोके जत्थे के-जत्थे बिना परवानेके ट्रान्सवालमे प्रवेश करते है, इस अफवाहको भारतीय कौम स्वीकार नही करती।

(५) यदि विधान-परिषदको ऊपरके तथ्य सच न मालूम होते हो तो भारतीय कौम प्राथना करती है कि इसकी न्यायपूण और ब्रिटिश पद्धतिके अनुरूप जाच की जाये।

प्रस्ताव २

यह सावजनिक सभा नम्रतापूवक एशियाई अध्यादेशके खिलाफ आवाज उठाती है और स्थानीय सरकार एव बडी सरकारसे प्राथना करती है कि वे इस कानूनको वापस ले ले, क्योंकि,

(१) यह कानून महामहिम सम्राट् द्वारा दिये गये पिछले वचनोके खिलाफ है।

(२) यह कानून ब्रिटिश भारतीय और अन्य एशियाइयोके बीच जरा भी भेद नही करता।

(३) इस कानूनसे काफिरो और अन्य काले लोगोकी अपेक्षा भारतीयोकी स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है।

१ मूल प्रस्तावोके लिए देखिए ' सार्वजनिक सभा ", पृष्ठ ४३०-४।

(४) डच सरकारके समय भारतीयोंकी जो स्थिति थी वह इस कानूनसे और भी खराब हो जाती है।
(५) किसी भी दूसरे ब्रिटिश उपनिवेशमें इस पास-सम्बन्धी कानूनके समान कानून नहीं है।
(६) इस कानूनसे भारतीय समाजके सभी लोग ऐसे मान लिये जाते हैं, मानो वे जरायमपेशा हों।
(७) ट्रान्सवालमें बगैर परवानेके भारतीय लोग आते हैं, इस बातसे भारतीय कौम इनकार करती है।
(८) यदि यह इनकार स्वीकार न हो, तो भारतीय समाज माँग करता है कि ऐसी बाकायदा जाँच कराई जाये, जो ब्रिटिशोंको शोभा दे।
(९) यह कानून दूसरे रूपमें भी गैरवाजिब है। यह भारतीय कौमकी स्वतन्त्रताका अपहरण करता है, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय कौमको जुल्म करके निकाल दिया जाये।
(१०) यह सभा उपनिवेश-मन्त्री और भारत मन्त्रीसे विनती करती है कि जबतक एक भारतीय शिष्टमण्डल उनसे मिल न ले तबतक इस अध्यादेशको बड़ी सरकारकी स्वीकृति न दी जाये।

प्रस्ताव ३

यह सभा ब्रिटिश भारतीय संघको अधिकार देती है कि वह एक शिष्टमण्डल विलायत भेजे, जो वहाँ जाकर इंग्लैंडकी सरकारके समक्ष भारतीयोंकी फरियाद पेश करे।

प्रस्ताव ४

यदि विधान परिषद, स्थानीय सरकार और इंग्लैंडकी सरकार भारतीयोंकी प्रार्थनाकी सुनवाई न करे, तो इस सभाका प्रत्येक व्यक्ति अन्तःकरणसे तथा सच्ची निष्ठासे यह प्रतिज्ञा करता है कि इस जुल्मी कानूनको स्वीकार करने और उसकी उन धाराओंके अनुसार, जो अंग्रेजोंको शोभा नहीं देतीं, चलनेके बजाय वह जेल जाना पसन्द करता है, और जबतक सम्राट छुटकारा न दें तबतक वह जेलमें ही रहेगा।

प्रस्ताव ५

यह सभा अध्यक्षको पहला प्रस्ताव विधान-परिषदको, और शेष प्रस्ताव उच्चायुक्त महोदयको तथा उनकी मारफत तारसे विलायत भेजनेका अधिकार देती है।

मंगलवारकी शाम तक कानूनकी स्थिति

उपर्युक्त सभामें जो और भी भाषण हुए उनकी रिपोर्ट व नाम वगैरह मैं इस सप्ताहके अंकके लिए नहीं दे सकता। सिर्फ इतना ही बतलाता हूँ कि पीटर्सबर्ग, क्लार्क्सडॉर्प, क्रूगर्सडॉर्प, प्रिटोरिया वगैरा सभी मुख्य मुख्य नगरोंसे प्रतिनिधि आये थे। कानूनके बारेमें सबसे बड़ा डर यही था कि उसके लिए इंग्लैंडकी सरकारकी स्वीकृति आ गई है। इस सम्बन्धमें सर रिचर्ड सालोमनने पूरा आश्वासन दिया है कि जबतक यह कानून विलायत नहीं जाता और वहाँ मंजूर नहीं होता तबतक अमलमें नहीं आयेगा। इसलिए शिष्टमण्डलको वहाँ जाने और प्रार्थनापत्र आदि पेश करनेके लिए पूरा मौका है। इस कानूनमें दूसरा परिवर्तन यह हुआ है कि वह १६ वर्षसे कम उम्रवाले

लडकोपर लागू नही होगा, मतलब यह कि ऐसे लडकोपर मुकदमा नही चलाया जा सकता। तीसरी बात यह जोडी गई है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरेके लडकेको अपना बना कर लायेगा तो उसपर मुकदमा चलाया जा सकेगा और न सिफ उसको सजा होगी, बल्कि, उसका परवाना व पजीयन भी रद किया जायेगा, तथा उसे देशसे निकाल दिया जायेगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १५–९–१९०६

४४३ पत्र विधान-परिषदके अध्यक्षको

[जोहानिसबग]
सितम्बर ११, १९०६

सेवामे
माननीय अध्यक्ष
विधान परिषद
प्रिटोरिया

महोदय,

आज शाम जोहानिसबगमे ब्रिटिश भारतीयाकी सावजनिक सभा हुई। मै उसके निर्देशपर माननीय सदनके सहानुभूतिपूण विचाराथ पहले प्रस्तावकी प्रतिलिपि सलग्न कर रहा हूँ। यह प्रस्ताव सभा द्वारा सवसम्मतिसे पास किया गया था।

निवेदन है कि यह माननीय सदनको पढकर सुना दिया जाये।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
अब्दुल गनी
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय सावजनिक सभा

[अग्रेजीसे]

प्रिटोरिया आर्काइव्ज एल० जी० फाइल स० ९३ एशियाटिक्स

१ देखिए सार्वजनिक मभा' पृष्ठ ४२०–४।

४४४ पत्र ट्रान्सवालके लेफ्टिनेंट गवर्नरको

ब्रिटिश भारतीय सघ

पा० आ० बॉक्स ६५२२
जोहानिसबग
सितम्बर १२, १९०६

सेवामे
परमश्रेष्ठ लेफ्टिनेट गवनर
ट्रान्सवाल और जोहानिसबग

महोदय,

जोहानिसबगके एम्पायर थियेटरमे ब्रिटिश भारतीयोकी सावजनिक सभामे पारित एक प्रस्तावके अनुसार मै परमश्रेष्ठके सूचनाथ प्रस्ताव २, ३, ४ और ५[1] सलग्न कर रहा हूँ।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
अब्दुल गनी
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रेजीसे]

प्रिटोरिया आर्काइव्ज एल० जी० फाइल्ज १९०२–१९०६

४४५ जवाब 'रैंड डेली मेल'को

[जोहानिसबग
सितम्बर १२, १९०६]

[सम्पादक]
रैड डेली मेल

महोदय,

ब्रिटिश भारतीयोकी जो सावजनिक सभा[1] कल हुई थी, उसके सम्बन्धमे आपने अपने अग्र-लेखमे मुझपर प्रश्नको उलझा देनेका दोषारोपण किया है। परन्तु मेरा खयाल तो ऐसा है कि यह दोष मेरा नही, आपका है। जो बात मैंने तथा अन्य प्रत्येक वक्ताने कही थी वह बिलकुल साफ थी।

आपके पत्रमे मेरे कथनका जो विवरण प्रकाशित हुआ है वह इस प्रकार है

उन्होने पूरे ३५ करोड लोगोको इस देशमे लानेको नहीं कहा था, बल्कि उन्होने तो यह कहा था कि जो लोग इस देशमें प्रविष्ट हो चुके है, उन्हे ठीक वही सरक्षण और वे सब अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो यहा आये यूरोपीयोको सुलभ है।

उस सभामे यह बात बहुत ही उत्कटताके साथ कही गई थी कि यहा बसे हुए ब्रिटिश भारतीयोके साथ समुचित व्यवहार किया जाये। परन्तु महोदय क्या मै कह सकता हूँ कि आपने ब्रिटिश तथा अन्य सभी एशियाइयोको शामिल करके तथा आव्रजनके प्रश्नको उठाकर असल

१ देखिए "सार्वजनिक सभा" पृष्ठ

बातको इरादतन विकृत रूप दे दिया है। ट्रान्सवालमे जो मुट्ठीभर ब्रिटिश भारतीय है उनके लिए जब यह जीवन और मरणका प्रश्न बन बठा है, तब हम इस प्रकारके किसी भी मामलेको कैसे उठा सकते ह? अपने मुद्देपर जोर डालनेके अभिप्रायसे मने यह बात अवश्य कही थी कि अगर विदेशी लोग, जो सदा ही वाछित प्रकारके लोग नही होते, बेरोक टोक और अनुमतिपत्र प्राप्त किये बगैर ही ट्रासवालमे आ सकते ह और सभी प्रकारमे अधिकारोका उपभोग कर सकते है, तो यह बात विवेकसम्मत ह कि भारतीयोको, जो ब्रिटिश प्रजाजन माने जाते ह, प्रवेशका प्रथमाधिकार प्राप्त हो।

फिर, आप तफसीलमे जानेके प्रति सदेहपूण अरुचिका जिक्र करते है। इसका कोई अवसर न था, क्योकि वे बाते ब्रिटिश भारतीयोके द्वारा की गई आपत्तिमे आ गई ह और उसे आप प्रकाशित कर चुके है। अध्यादेशके अगा और उपागोको परिवर्तित करनेका चाहे जितना प्रयत्न क्यो न किया जाये, वह मान्य नही हो सकता, क्योकि उसका मूल सिद्धान्त ही — अर्थात, शिनाख्तके ऐसे दस्तूरके अन्तगत, जो केवल अपराधियोपर ही लागू किया जाता है, बिना अपवादके प्रत्येक भारतीयको हुक्म दिया जाना कि वह अपना 'पास' अपने साथ ही रखे — दूषित है। हम विनम्र और सहनशील तो ह ही परन्तु यदि हम इस प्रस्तावित पतनकारी कानूनको बिना किसी प्रकारकी आपत्तिके स्वीकार कर लेने ह तो हम भारतकी अयोग्य सन्तान कहलायेगे।

[आपका, आदि,
मो० क० गाधी]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २२–९–१९०६

४४६ पत्र 'स्टार'को

[जोहानिसबग
सितम्बर १४, १९०६ के पूव]

सेवामे
सम्पादक
'स्टार'

महोदय,

एशियाई अध्यादेशके मसविदेके बारेमे किये गये ब्रिटिश भारतीय विरोधपर अपने अग्रलेखमे आपने ब्रिटिश भारतीय सघको सलाह देनेकी कृपा की है। आपकी रायमे ब्रिटिश भारतीय सघका नेतत्व बहुत 'बुद्धिमत्तापूण' नही है।

एक पुरानी कहावत है कि 'हमारे लिए क्या अच्छा है, यह सदा हमारे पडोसी सबसे ज्यादा जानते है।' मुझे सन्देह नही कि इस सिद्धान्तके अनुसार आपकी यह राय सही है कि ब्रिटिश भारतीय सघका नेतत्व ठीक नही है। फिर भी इस समय सघके नेताओके बारेमे आपकी जो राय है उसमें मझे इतनी दिलचस्पी नही जितनी कि ब्रिटिश भारतीय विरोधपर आपके रुखमे है।

आपका विचार है कि नये अध्यादेशके विरुद्ध समाजको शिकायतकी कोई गुजाइश नही है, क्योकि उसमे सिफ नये पजीयनका सवाल है और इससे महामहिमकी प्रजाके किसी वगपर नई नर्योग्यताएँ नही लगती। मै इन दोनो बातोसे सहमत नही हूँ। जिस प्रकार भारतीय आव्रजनको

रोकनेके लिए शान्ति-रक्षा अध्यादेशके प्रशासनको विकृत किया गया है उसी प्रकार इस नये अध्यादेशके द्वारा १८८५ के कानून ३ के क्षेत्रको भी विकृत कर दिया गया है। यह एक ऐसी मांगको पूरा करनेके लिए है जो डच राज्यमें कभी नहीं की गई थी। डच कानून व्यापारियोंके लिए बनाया गया था। उसकी नीति उन प्रवासियोंको दण्डित करना था जो व्यापार करना चाहते थे, न कि आव्रजनको परिमित करना। इसी कारण पहले उसके द्वारा २५ पौंडका पंजीयन कर लगाया गया था, जो बादमें ब्रिटिश सरकारके हस्तक्षेपके कारण घटाकर ३ पौंड कर दिया गया।

वर्तमान अध्यादेशसे १८८५ के कानून ३ का सिर्फ संशोधन करनेकी अपेक्षा की जाती है। वह कानूनका क्षेत्र वही रखनेके लिए है, बदलनेके लिए नहीं। परन्तु इस अध्यादेशमें शिनाख्तकी ऐसी पद्धतिकी व्यवस्था है, जो अमलमें उन लोगोंके लिए अत्यन्त कष्टकारक होगी, जिन्हें वह माननी पड़ेगी। पंजीयनका प्रयोजन भारतीय आबादीकी गणना करना नहीं, बल्कि निम्नलिखित है :

उपनिवेशमें रहनेवाले प्रत्येक भारतीयको अपने पास एक पंजीयन प्रमाणपत्र रखना होगा, जिसमें शिनाख्तके अपमानजनक विवरण होंगे। उसे अपने नवजात बच्चेका स्थायी पंजीयन कराना होगा और शिनाख्तके लिए ऐसे विवरण देने होंगे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा बनाये जानेवाले अधिनियमके अनुसार आवश्यक हों। शिनाख्तकी इन्हीं शर्तोंके साथ आठ वर्षसे अधिक आयुवाले बच्चोंका पंजीयन कराना होगा।

यह सब बिलकुल नया है और १८८५ के कानून ३ में इसका कभी इरादा तक नहीं रहा। फिर भी आपको यह कहते हुए कोई संकोच नहीं कि अध्यादेश अधिवासी भारतीय समाजपर कोई निर्योग्यता नहीं लादता।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सत्याग्रहकी नीति कोरी धमकी[1] नहीं है। यह मेरे देशवासियोंका असहनीय परिस्थितियोंको स्वीकार न करनेका शुद्ध संकल्प है। और अगर इससे, जैसा आपका संकेत है, 'उनके सामूहिक रूपमें निर्वासनका महँगा झगड़ा' उठ खड़ा होगा, तो यह एक बड़ी राहत होगी। यह ब्रिटिश नीतिका एक नया अतिक्रमण होगा, अलबत्ता साम्राज्यवादियोंके नई विचारधारावाले दलके लिए — जिसके आप निस्सन्देह अग्रणी हैं — इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ेगा। मेरे देशवासी बहुत समय तक पीछे रह चुके हैं। इसमें उनकी विचारशीलता नहीं थी, जैसा कि आपका कहना है, बल्कि विचारहीनता थी। अपने अलगावको छोड़नेसे उनको कुछ भी लाभ न हो तो ज्यादा हानि भी न होगी। अपने खयालसे वे पहले ही अपना लगभग सब कुछ खो चुके हैं।

अगर दक्षिण आफ्रिकावासी आपके उकसानेके फलस्वरूप भारतीय प्रश्नमें कुछ दिलचस्पी लेने लगें तो मैं दावेसे कहता हूँ कि, आपके उपर्युक्त सुझावके बावजूद, उनकी आँखें खुल जायेंगी। उन्हें यह भी समझमें आ जायेगा कि उन्होंने ब्रिटिश भारतीयोंको कितना गलत समझा है और इनके प्रति कितने भारी अपराध किये हैं।

आपका, आदि,
अब्दुल गनी
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रेजीसे]

स्टार, २२–९–१९०६

१. यह स्टारकी एक सम्पादकीय टिप्पणीके जवाबमें है कि "निष्क्रिय प्रतिरोधकी नीतिका सुझाव या तो कोरी धमकी है या उस नीतिके महत्त्वकी निरी अस्पष्ट धारणापर आधारित है . . . ।"

४४७ ट्रान्सवालका नया विधेयक

जोहानिसबगकी सावजनिक सभामे सवसम्मतिसे जो प्रस्ताव स्वीकार किये गये वे 'जोहानिसबगकी चिटठी' मे आ गये है।[१] हमारा सवाददाता सूचित करता है कि इस सभामे सारे ट्रासवालसे प्रतिनिधि आये थे। इस तरह सवसम्मतिसे जो प्रस्ताव स्वीकार किये गये उसपर हम बधाई देते है और उस कायमे उनकी पूरी सफलता चाहते ह। हमारी मा यता है कि यदि यह आदोलन सगठित रूपमे जारी रखा गया तो सरकारको यह विधेयक वापस लेना पडेगा। विधान सभामे अध्यादेशके मसविदेके दो वाचन स्वीकार हो चुके है। नये मसविदेमे विशेष परिवतन यह हे कि स्त्रियोको विधेयकसे मुक्त किया गया है। विधेयक तीसरे वाचनके लिए धारासभाके सामने पेश किया गया था। कि तु तब वहा ब्रिटिश भारतीय सघकी ओरसे प्राप्त एक तार पढा गया और कुछ बहसके बाद तय हुआ कि अमुक अमुक सशोधन करके इस विधेयकके अतिम मसविदेपर फिरसे विचार किया जाये। पर तु हमारा सवाददाता प्रश्न करता हे कि यदि इस विधेयकको विलायतकी सरकारकी ओरसे मजूरी मिल चुकी हो और यदि यह स्वीकृत होकर कानून बन जाये तो भारतीयोको क्या करना चाहिए? उस परिस्थितिमे, हम यह कामना करते है कि, इस सावजनिक सभामे एक स्वरसे जो चौथा प्रस्ताव स्वीकार हुआ है, उसकी जबतक सच्ची सुनवाई नही होती तबतक ईश्वर भारतीयोको उसपर अडिग रहनेकी शक्ति और दृढता दे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १५-९-१९०६

४४८ वक्तव्य एशियाई अध्यादेशपर[२]

[सितम्बर १७, १९०६ के पूव]

परिस्थिति, जैसी आशका की जा रही थी उससे, कही ज्यादा खराब है। यदि विधेयक पास कर दिया गया तो उसका अथ यह होगा कि जो वचन आज तक दिये गये ह सभी भग हो जायेगे। उसका मशा राहत पहुँचानेके स्थानपर अत्यधिक सताप पहुँचाना है—सो भी किचिन्मात्र औचित्यके बगर।

१८८५ का कानून ३ अपने वतमान रूपमे इस अध्यादेशकी अपेक्षा कही अच्छा है, क्योकि नये कानूनके अतगत उन स्त्रियो, बच्चो और वयस्कोके लिए, जो यहा व्यापारके हेतु नही आये ह, पजीकरण कराना लाजिमी होगा, यद्यपि १८८५ के कानूनके अतगत वे इस बधनसे मुक्त ह। तीन पौडी शुल्कसे मुक्ति देना जलेपर नमक छिडकनेके समान है क्योकि उन सब व्यक्तियोने जिनका पजीकरण हो चुका है, तीन पौड चुका ही दिये ह। इस बातको भुला न देना चाहिए

१ देखिए जोहानिसबर्गकी चिट्ठी पृष्ठ ४३५-८।

२ यह वक्तव्य दादाभाई नौरोजीके पास भेजा गया था और उन्होने इसे १७ सितम्बरको उपनिवेश-सचिवको भेजा था। चौथे अनुच्छेदको छोडकर शेष पूरा वक्तव्य कुछ दिनो बाद **इडियामें** 'एक सुविज्ञ दक्षिण आफ्रिकी सवाददाता द्वारा प्रेषित रूपमे प्रकाशित हुआ था।

कि अगर यह कानून पास हो गया, तो इसके फलस्वरूप एक तीसरे पंजीकरणकी आवश्यकता पडेगी। सो क्यो? केवल इसलिए कि कुछ एशियाई-विरोधी आदोलनकारियाने कहा है कि बहुत से भारतीय बिना किसी अधिकारके यहा आ गये है। ब्रिटिश भारतीय सघने इस आरोपको, जहातक वह समस्त भारतीय समाजपर लागू है अस्वीकार किया है। परन्तु यदि यह मान भी लिया जाये कि लोग एक बहुत बडी सख्यामे आ गये है तो इस बुराइको, अबतक जारी किये गये अनुमतिपत्रोकी जाच करके, दूर किया जा सकता है।

'जोहानिसबर्ग स्टार' कहता है और प्रत्यक्षत अधिकारके साथ कि शिनाख्तका जो तरीका अब अपनाया जानेवाला है वह बहुत ही सख्त होगा। भारतीय समाजने बिलकुल अहेतुक ही — और लार्ड मिलनरको प्रसन्न रखनेके अभिप्रायसे — अधिकारियोको अगूठा निशानी लेने दी है। सरकार अब और कितना आगे जाना चाहती है और अभी और कितना अपमान लादना चाहती है इसका अनुमान लगा सकना सम्भव नही है।

इस अवसरपर मै इस मामलेमे और ज्यादा विचार करना नही चाहता। 'इडियन ओपिनियन' के अगले अकमे[२] इससे बहुत अधिक जानकारी प्रकाशित की जायेगी, और मै आपका ध्यान उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ।

श्री डकनके वक्तव्यसे यह विदित होगा कि सम्राटकी सरकारने प्रस्तावित काननके सिद्धान्तको पहले ही स्वीकार कर लिया है। यदि ऐसा है तो मै इतना ही कह सकता हूँ कि उसने मामलेपर तनिक भी विचार नही किया है। उसने पिछले खरीताका जिनके द्वारा बहुत सी बातोका वायदा किया गया है अध्ययन नही किया है। शुरूसे आखिर तक इन खरीतोमे समाजके पंजीकरणकी, मानो वह केवल अपराधियोका बना हो, कोई चर्चा नही की गई है। अध्यादेशके मसविदेमे ब्रिटिश एशियाइयो तथा अन्य लोगोके बीच कोई अन्तर नही माना गया है। आप देखेगे कि इस अध्यादेशके मसविदेकी एक उपधारामे अस्थायी अनुमतिपत्रोके स्वामियोको यह वचन दिया गया है कि सरकार चाहे तो उन्हे मद्य अध्यादेशसे मुक्त कर सकती है। यह धारा भारतीय समाजका अकारण अपमान करनेवाली है। कोई भी स्वाभिमानी भारतीय इस प्रकारकी रियायत कभी नही मागेगा। यह सोचकर बडा दुःख होता है कि यदि महाराजकुमार रणजीतसिहजी भी ब्रिटिश शासनाधीन ट्रान्सवालमे प्रवेश करना चाहे तो उन्हे अनुमतिपत्रके लिए अर्जी देनी पडेगी और फिर उन्हे एक प्याला शराब प्राप्त करनेके लिए मद्य अध्यादेशके बन्धनसे बरी किये जानेके हेतु सरकारके सामने गिडगिडाना पडेगा। अनेक वर्षोके बाद साम्राज्यने ऐसी उदारदलीय सरकार पाई है। पर क्या यह सरकार साम्राज्यके निबल और असहाय सदस्योकी रक्षा इस प्रकार करेगी?

[अंग्रेजीसे]

इडिया, २८-९-१९०६

१ देखिए पत्र उपनिवेश-सचिवको पृष्ठ ४११-३।

२ देखिए क्रमौगापर पृष्ठ ४६२-३।

४४९ पत्र अखबारोको[1]

[जोहानिसबग]
सितम्बर १९, १९०६ [2]

[महोदय,]

मेरा खयाल है कि निम्नलिखित तथ्य उपनिवेशके काम-काजकी दिल दहलानेवाली स्थिति प्रकट करते है। यदि आपका भी खयाल मेरे ही जैसा हो तो मुझे भरोसा है प्राथमिक न्यायकी दष्टिसे आप इन्हे प्रकाशित ही नही करेगे, बल्कि टिप्पणी भी लिखेगे।

तारीख १४ को काफिर मेलसे पूनिया नामकी एक भारतीय स्त्री अपने पतिके साथ, डबनसे जोहानिसबग जा रही थी। उसके पतिके पास अनुमतिपत्र था। पजीकरण प्रमाणपत्र भी था, जिसमे उसकी स्त्रीका उल्लेख था। फिर भी पत्नीको अनुमतिपत्र न होनेके आरोपमे फोक्सरस्टमे गिरफ्तार करके रोक लिया। इसलिए बेचारे पतिको भी रुकना पडा। दोनोने हवालातमे रात बिताई। दूसरे दिन सुबह पत्नीका मुकदमा हुआ। उसको मामूली चोर बदमाशकी भाति कठघरेमे खडा होना पडा। गिरफ्तार करनेवाले पुलिस सिपाहीने निम्नलिखित गवाही दी

> **मुझे हिदायत है कि उपनिवेशमें अनुमतिपत्रके बिना प्रवेश करनेवाले सब भारतीयोको —चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, बालिग हो या नाबालिग— गिरफ्तार कर लिया जाये। इसमें उम्रकी कोई सीमा नहीं है। यह हिदायत उस हालतमें लाग है जब स्त्रियाँ अपने पतियो और बच्चे अपने माता-पिताओके साथ हो। पजीकरण प्रमाणपत्रमें पत्नीका जिक्र होनेसे स्थितिमें कुछ अतर नही पडता।**

गवाहीके सिलसिलेमे मालूम हुआ कि पतिकी गवाहीके अनुसार पत्नी युद्धके दिनोमे और उसके बाद भी ट्रान्सवालमे उसके साथ मौजूद थी। मजिस्ट्रेटने निणय देते हुए कहा कि उसके सामने पत्नीको उसी दिन ७ बजे शामसे पहले उपनिवेशसे चले जानेकी आज्ञा देनेके सिवा कोई चारा नही है, क्योकि उसके पास अनुमतिपत्र नही है। तथापि, पत्नी वकीलकी सलाहसे निर्वासनकी आज्ञाका उल्लघन करके जोहानिसबग चल दी। इसलिए वह जर्मिस्टनमे गिरफ्तार कर ली गई। अभीतक यह खबर नही मिली है कि इस मामलेमे अतमे क्या हुआ।

किन्तु म जो कुछ कहना चाहता हूँ उसका इस मामलेकी आगेकी कारवाईसे कोई सम्बन्ध नही है। बात यह है क्या सरकार, ट्रान्सवालकी जनताके नामपर, ब्रिटिश भारतीय स्त्रियो और बच्चोके लिए आतकका राज कायम करेगी? मुकदमेमे यह बात स्वीकार की गई कि यह कोई एकाकी मामला नही है। याद रखिए कि अनुमतिपत्र सम्बन्धी प्रामाणिक एव मुद्रित नियमोके अनुसार जब स्त्रिया अपने पतियोके साथ या १६ सालसे कम उम्रके बच्चे अपने माता-पिताओके

१ गाधीजीने यह पत्र जोहानिसबर्गके तीनो दैनिकोंको लिखा था। "अनुमतिपत्रका एक निन्दनीय मामला" शीर्षकसे यह **इडियन ओपिनियनमें** भी उद्धत किया गया था।

२ प्रथम अनुच्छेदको छोड़कर यह पत्र 'हमारे जोहानिसबर्ग सवाददाता द्वारा प्रेषित, सितम्बर १९, १९०६ का विशेष सवाद' के रूपमें २०-९-१९०६ के **नेटाल मर्क्युरीमें** प्रकाशित हुआ था।

साथ हो तो उनको अनुमतिपत्र लेनेकी आवश्यकता नही है। क्या अब भारतीय स्त्रियोंको अनुमतिपत्र कार्यालयमे जाना पडेगा और थका डालनेवाली तथा झझलाहट पदा करनेवाली जाचके पश्चात अपना अनुमतिपत्र हासिल करना पडेगा? और फिर गोदके बच्चोंका क्या होगा? यह कोई अलिफ लैलाका किस्सा नही है। जो बच्चे मुश्किलसे रेगकर चल सकते है उनको भी फोक्सरस्टमे रोका गया है। क्या श्री लवडे और उनके साथियो तक को इस सबकी जरूरत है? क्या आपको है?

आपका, आदि,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

स्टार, १९–९–१९०६

४५० पत्र डॉ० एडवर्ड नडीको

२१–२४ कोट चेम्बस
जोहानिसबग
सितम्बर २०, १९०६

प्रिय डा० नडी,

यदि अदालतमे जानी मानी प्रतिष्ठा और योग्यतावाले व्यक्ति हो तो आपके दोनो प्रश्नोपर[1] मेरा उत्तर स्वीकारात्मक है।

आपका सच्चा,
मो० क० गाधी

[डॉ० एडवड नडी
जेकब चेम्बस
कोट रोड
जोहानिसबग]

[अग्रेजीसे]

प्रिटोरिया आर्काइव्ज़ एल० जी० फाइल स० ९३ एशियाटिक्स

१ प्रश्न निम्नलिखित थे

‘ (क) इस उपनिवेशमें कुछ भारतीयोंके गैरकानूनी तरीकेसे आनेकी बात कही गई है और उनकी सख्याके बारेमें ब्रिटिश भारतीयोंके प्रतिनिधियों और एशियाई विभागके अधिकारियोंका अदाज मेल नही खाता। यह देखते हुए क्या आप किसी ऐसे आयोग या अदालतका निर्णय स्वीकार कर सकेंगे जिसका एक व्यक्ति न्यायाधीश और दूसरा व्यक्ति गैरसरकारी अदालती जॉच करनेमें समर्थ तथा निष्पक्ष हो?

(ख) जो भारतीय कानूनन इस उपनिवेशमें लौट सकते हैं किन्तु जिन्हे किसी कारण ट्रान्सवालमें प्रवेशकी अनुमति प्राप्त नही हो सकी है वे इस समय चाहे भारतमें हो चाहे और कही, क्या उनके बारेमें उक्त आयोगके एकमत फैसलेको निर्णायक मान सकेंगे? यदि अदालतके दोनो सदस्योंमें मतभेद हो तो उस हालतमें कोई भी पक्ष सर्वोच्च न्यायालयके सामने अपील कर सकता है।

४५१ पत्र 'लीडर'को[1]

जोहानिसबग
सितम्बर २१ १९०६

सम्पादक
'लीडर'

महोदय,

अभी हालमे फोक्सरस्टमे पूनिया नामकी एक स्त्री अनुमतिपत्र न होनेपर गिरफ्तार की गई थी, यद्यपि वह अपने पतिके साथ थी। इस घटनाके सम्बन्धमे मने अखबारोको एक पत्र[2] लिखा था। आपके अपने डबन सवाददाताने आपको जो कुछ लिख भेजा ह वह साराशत, मेरे पत्रका स्पष्टीकरण हे। आपका सवाददाता कहता है "ट्रासवालके नियमोमे परिवतनका कारण यह था कि

१ यह २९-९-१९०६ के **इडियन ओपिनियन**में भी पुन प्रकाशित हुआ था ।

२ देखिए पत्र अखबारोको' पृष्ठ ४४४-५ । इस सम्बधमें २१-९-१९०६ के **नेटाल मर्क्युरीमे** पूनिया सम्बन्धी घटनाके बारेमें यह स्पष्टीकरण छपा था

ट्रान्सवालके अधिकारियोंने फोक्सरस्टमें एक भारतीय स्त्रीको रोक लिया था जिसपर श्री मो० क० गाधीने **रेड डेली** में आपत्ति की है। वह नेटालके कलके अखबारोमें छपी हे । स्पष्ट है कि इस घटनाका गलत अर्थ निकाला गया है। श्री गाधीके पत्रसे यह प्रतीत होता है कि सीमापर अनुमतिपत्र बिना आनेवाली एशियाई स्त्रीको रोकना अभूतपूव घटना है । उसम ट्रासवाल सरकारकी पुलिसको दी गई हिदायतोको स्त्रियोके विरुद्ध युद्ध बताया गया है । कितु डबनके प्रवासी अधिकारियोंने इसको बिलकुल गलत बताया है । उन्होने स्पष्ट किया हे कि ट्रान्सवालके नियमोंके अनुसार प्रत्येक एशियाई प्रवासीके पास चाहे वह बालिग हो या नाबालिग पुरुष हो या स्त्री अनुमतिपत्र होना आवश्यक है । तभी उसको उपनिवेशमें प्रवेश करनेकी इजाजत दी जायेगी । इसके अतिरिक्त जो पुरुष अपनी पत्नीको अपने साथ ला रहा है उसको यह भी सिद्ध करना है कि उसका उस स्त्रीके साथ विवाह हुआ है । नेटालमें स्थिति कुछ भिन्न है । वहाँ जो स्त्री अपने पतिके साथ आती है उसको अलग अनुमतिपत्र दिखाना आवश्यक नही होता । फिर भी पुरुष को इसका विश्वासजनक प्रमाण देना पडता है कि वह स्त्री उसकी पत्नी है और उसको इस आशयका प्रमाणपत्र हो साथ नही लाना होता बल्कि इस सम्बधमे बारीकीसे व्यक्तिगत छानबीन भी की जाती हे । प्राय पतिके पजीकरण-प्रमाणपत्रपर पत्नीका हुलिया दर्ज कर दिया जाता है ताकि वह उसके व्यक्तिगत पासका काम दे जाये और उससे तत्काल उसकी शिनाख्त हो जाये । किंतु प्रतीत होता है कि हुलिया मुसलमान स्त्रियोके बारेमें कभी कभी दर्ज नही भी किया जाता । उनका मुँहपर बुर्का डालकर निकलना मजहबी फर्ज है । ऐसा कभी कभी ही होता है, या कभी नही होता कि स्थानीय प्रवासी अधिकारी इन स्त्रियोके बुर्क हटानेका आग्रह करें । जहाँ कही सम्भव होता है प्रवासियोकी धार्मिक भावनाओका हर तरह खयाल रखा जाता है ।

ट्रान्सवालमें जहाँ कुछ समयसे एशियाइयोके पृथक्करणकी नीति पूरे जोरसे बरती जा रही है रगदार प्रवासियोका प्रवेश और भी ज्यादा कठिन हो गया है । और यही कारण है कि वहाँ पुरुषोकी भाँति स्त्रियोके लिए भी अनुमतिपत्र रखना जरूरी कर दिया गया हे । एक समय था जब कि अध्यादेशकी धारामें केवल "एशियाई" का उल्लेख होनेके कारण स्त्रियो और बच्चोको पासोके बिना आने दिया जाता था, किंतु बादमें इसमें सशोधन करके स्त्रियो और पुरुषो दोनोको शामिल कर लिया गया है । मालूम हुआ था कि उपनिवेशमें जो भारतीय रह रहे है प्रकटत उनकी पत्नियोंके रूपमें स्त्रियाँ लाई जा रही है। किंतु वे पत्नियाँ जैसी कुछ नही थी बल्कि दुश्चरित्र स्त्रियाँ थी । और अब ट्रासवालके अधिकारी स्त्रियोके लिए भी अनुमतिपत्र लेनेपर

जो भारतीय इस समय उपनिवेशमें रहते है वे स्त्रियोको पत्नियोके रूपमे ला रहे ह ये वस्तुत उनकी पत्नियो जैसी कुछ नही होती, प्राय दुश्चरित्र स्त्रिया होती ह।" भारतोय स्त्री जातिपर इस दुष्टतापूण लाछनपर सही बैठने लायक एक ही वाक्यका प्रयाग म कर सकता हूँ—सो यह कि, यह एक लज्जाजनक असत्य है। आपको उस प्रवासी-अधिकारीका नाम छाप दना चाहिए जिसने, बताया जाता है, यह बहुमूल्य कारण दिया है। म उसको चुनौती देता हूँ कि वह किसी एक भी ऐसी स्त्रीका नाम प्रकाशित करे। मुझे शान्ति रक्षा अध्यादशके प्रशासनका बहुत बडा अनुभव है, कि तु मुझे यह कहनेमे कोई हिचक नही हे कि इसपर अमलके पूरे अरसेमे मेरी जानकारीमे ऐसी एक भी दुश्चरित्र स्त्री उपनिवेशमे आपके सवाददाताके सुझाये हुए तरीकेस प्रविष्ट नही हुई है। मने सरकारी तौरपर जानकारी मागी है, जा आपके पाठकाकी सेवामे प्रस्तुत की जायेगी।[1] इस बीच, क्या यह कुछ आश्चयकी बात नही ह कि टा सवालके नियमाके सम्ब धमे स्पष्टीकरण इतनी दूर स्थित डबनसे चलकर यहा आये ?

आपका, आदि

मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

ट्रा सवाल लीडर, २२–९–१९०६

४५२ स्वर्गीय न्यायमूर्ति बदरुद्दीन तैयबजी

इधर कुछ दिनोसे भारत अपने योग्यतम सपूतोको खोता जा रहा है। अभी कलकी ही बात हे कि हमे स्वर्गीय श्री उमेशच द्र बनर्जीके देहावसानकी बात[2] लिखनी पडी थी। आज हमको उन्हीके समान प्रतिष्ठित दूसरे देशभक्त न्यायमर्ति बदरुद्दीन तैयबजीकी मत्युका समाचार देना पड रहा है। स्वर्गीय श्री बनर्जीके समान ही श्री बदरुद्दीन तैयबजी भी नौरोजी परम्पराके थे।

वे बम्बईकी तरफके एक सवप्रथम बैरिस्टर थे जि हाने १८६७ मे बरिस्टरी शुरू की थी। वे ही पहले भारतीय थे जिनका नाम बम्बईके उच्च न्यायालयमे एडवोकेटके रूपमे दज हुआ था। स्वर्गीय श्री बदरुद्दीन तैयबजी निजी अध्यवसाय और योग्यताके कारण शीघ्र ही अपने व्यवसायके उच्च शिखरपर पहुँच गये। वे राष्ट्रीय काग्रेसके सस्थापकोमे थे और उसके तीसरे अधिवेशनके अध्यक्ष थे। उनका उदूका ज्ञान अनूठा था। अग्रेजी या उदू दोनो भाषाओके वक्ताके रूपमे वे समान रूपसे चमके। बम्बई उच्च न्यायालयके न्यायाधीशके रूपमे उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी और उनके फैसले सदैव सही और न्याययुक्त माने जाते थे। अपने सहधर्मियोके बीच उनके समाज-सुधारक काय अत्य त

जोर देते है क्योकि इस सावधानीके बिना वे यह अनुभव करते हैं कि लोग असीमित सख्यामें स्त्रियोको केवल यह कहकर ला सकते है कि वे उनकी विवाहिता है।

"कुछ भी हो जो स्त्री फोक्सरस्टमें रोकी गई थी उसका उदाहरण ट्रासवालमें अनधिकृत प्रवेशको सीमित करनेकी अधिकारियोकी कारवाईका अकेला उदाहरण नही है। और स्थानीय रूपसे प्राप्त सूचनासे निश्चय ही यह प्रकट होता है कि ट्रासवालके एक अखबारकी 'सरकारका स्त्रियोके विरुद्ध युद्ध' टिप्पणी तभी उचित है जबकि कोई ट्रान्सवालके नये कानूनोको उस दृष्टिसे देखे।"

१ देखिए 'पत्र लीडरको" पृष्ठ ४५६ और पृष्ठ ४६१।

२ देखिए स्वर्गीय उमेशच द्र बनर्जी पृष्ठ ४०८।

प्रशसनीय थे और वे स्त्री शिक्षाके दृढ पक्षपाती थे। उन्होने न केवल मुसलमानोमे अपने भाषणसे स्त्री शिक्षाका प्रचार किया, बल्कि स्वय अपने कुटुम्बमे भी उसका उदाहरण पेश किया। उनकी अपनी लडकियोने विश्वविद्यालयकी प्रथम कोटिकी शिक्षा प्राप्त की है।

हम स्वर्गीय श्री तैयबजीके कुटुम्बके प्रति अपनी सादर समवेदना प्रकट करते हैं।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२–९–१९०६

४५३ ट्रान्सवालके भारतीयो द्वारा विरोध

पुराने एम्पायर नाटक घरमे जो विशाल भारतीय सभा[1] हुई थी, उसका परिणाम प्रकट होने लगा है। 'रैंड डेली मेल' ने ट्रासवाल अध्यादेशके मसविदेके विरुद्ध किये गये उस आन्दोलनकी, जिसकी परिणति जोहानिसबर्गमे हुए हालके महान प्रदर्शनमे हुई, बग भग आन्दोलनसे झूठी तुलना की है और उक्त सभाकी हँसी उडाई है। इस उपहाससे प्रकट होता है कि सभाका महत्त्व अनुभव किया गया है। 'स्टार' तो इस सभाके कारण बौखला गया है। वह दक्षिण आफ्रिकियोको भडकाता है कि ब्रिटिश भारतीयोने अध्यादेशके विरुद्ध जो सत्याग्रह करनेका निश्चय किया है उसके जवाबमे उन्हे ट्रासवालसे भारतीयोको बलपूर्वक निकाल देनेका आन्दोलन आरम्भ करना चाहिए।

न तो 'डेली मेल' ने और न 'स्टार' ने अध्यादेशको समझने या उसका अध्ययन करनेका कष्ट उठाया है। उनके लिए यह पंजीयन करानेकी एक निर्दोष प्रणाली है। यदि इस अध्यादेशको 'पंजीयन अध्यादेश' का गलत नाम देनेके स्थानपर 'सदिग्धो या अपराधियोकी पहचानका अध्यादेश' नाम दिया गया होता तो कदाचित हमारे सहयोगियोने इसकी भयकरताका अनुभव किया होता। जैसा कि 'डेली मेल' कहता है, यह जरूरी नही है कि हम सरकारपर जानबूझकर भारतीयोका अनावश्यक अपमान करनेका दोषारोपण करे। अध्यादेश स्वय स्पष्ट है। यह बात समझ ली जानी चाहिए कि भारतीयोके पास पहलेसे ही ऐसे पंजीयन प्रमाणपत्र है, जिनमे अँगूठेके निशानके साथ तफसीलसे सब बाते दी गई है, ताकि प्रमाणपत्रवालेकी ठीक पहचान की जा सके। नये अध्यादेशमे अब पहचानकी एक ऐसी प्रक्रियाकी व्यवस्था की गई है, जिसका आयोजन भविष्यमे समय-समयपर बदलते रहनेवाले विनियमोके अनुसार होगा।

'स्टार' जिसे, मालूम पडता है, सरकारका विश्वास प्राप्त है, हमे सूचित करता है कि शिनाख्तकी नई प्रणाली प्रमाणपत्रोके अनुचित उपयोग या दुरुपयोगका पता लगानेके लिए काफी सख्त होगी। 'स्टार' द्वारा दी गई सूचनाके बिना भी यह अनुमान करना सर्वथा उचित है कि नई प्रणाली वर्तमान प्रणालीसे अवश्यमेव ज्यादा कठोर होगी, क्योकि श्री डकनने हैरतमे डाल देनेवाले आत्मविश्वासके साथ घोषणा की है कि वर्तमान प्रणाली अपर्याप्त है। हमारे पास यह विश्वास करनेके कारण है कि अध्यादेशके प्रथम वाचनके समय तक प्रचलित प्रणालीकी जानकारी श्री डकनको नही थी। पर यह तो प्रसगवश कह दिया गया है, और भारतीय मामलोके बारेमे ट्रान्सवालमे जो उपेक्षा और अज्ञता आम तौरपर देखनेको मिलती है उसके अनुरूप ही है।

भारतीय समाजने ब्रिटिश शासनके अन्तर्गत पहला पंजीयन अपनी इच्छासे कराया था। इस आत्मोत्सर्गपूर्ण शिष्टाचारको सरकारने गलत समझा है। उसने समझा कि भारतीय ऐसे दब्बू

१ देखिए "सार्वजनिक सभा", पृष्ठ ४३०–४।

स्वभावके ह जो किसी भी दबाव और अपमानका सहन कर लेंगे। अगर 'स्टार' समझता है कि भारतीय हर तरहका अपमान सहनेके लिए ही पैदा हुए है तो इस तरहकी सभा, जिसने हमारे सहयोगीको उत्तेजित किया हे, आवश्यक थी — भले उसकी इस धारणाके निराकरणके लिए ही क्या न हो।

न ता 'डेली मेल' के उपहाससे ओर न 'स्टार' की तीव्र धमकियासे टान्सवालके भारतीयोका अपने पवित्र निश्चयसे विरत होना चाहिए। धमकियो और उपहासकी तो आशका थी ही। नि सदेह सघष समाप्त होने तक हमे दानाका अधिकाधिक सामना करना पडेगा। ट्रान्सवालके विभिन्न केन्द्रोसे जो सूचनाएँ हमे मिल रही है उनसे मालूम होता है कि इस ऐतिहासिक सकल्पका पूण करनेका निश्चय ज्यो का-त्या दृढ है। परमात्मा इस परीक्षामे हमार पीडित देशबन्धुओकी सहायता करे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २२-९-१९०६

४५४ ट्रान्सवाल अनुमतिपत्र अध्यादेश

अन्यत्र हम सरकार बनाम भाभाके मुकदमेके बारेमे सर्वोच्च न्यायालयके फसलेका पूण पाठ[1] छाप रहे ह। याद होगा कि कुछ समय पहले श्री ई० एम० भयात अपने पुराने डच पजीयन प्रमाण पत्रके बलपर ट्रासवालमे प्रविष्ट हुए थे। फोक्सरस्टके मजिस्ट्रेटने निणय दिया था कि इस प्रकारका प्रमाणपत्र शान्ति-रक्षा अध्यादेशकी शर्तोके अन्तगत ट्रान्सवालमे निवास करनेका कानूनी अधिकार देता है। इसपर महान्यायवादीने पुनर्विचारके लिए सर्वोच्च न्यायालयसे प्राथना की, पर सर्वोच्च न्यायालयने पुनर्विचारकी दरखास्त खारिज कर दी और श्री भयातके मामलेमे जो मुद्दा उठाया गया था वह अनिर्णीत ही रह गया।[2]

वही मुद्दा उपयुक्त मामलेमे भी सर्वोच्च न्यायालयके सामने उठाया गया और इस बार, ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्यायाधिकरणसे इसपर निणय लेनेमे, कोई कठिनाई नही हुई। फैसला ब्रिटिश भारतीयोके दावेके विरुद्ध गया है, और इसपर हमे आश्चय नही हुआ है। किन्तु सर्वोच्च न्याया लयने मुख्य मुद्देपर अपील करनेवालेके पक्षमे फैसला दिया है। वह फैसला हे कि यदि अनुमति पत्र रखनेसे छूट पानेके लिए कोई प्राथनापत्र दिया जाता है और मजिस्ट्रेट उसकी जाच करनेपर निर्वासन आदेश देता है तो वह आदेश और भी प्रमाण उपलब्ध होनेपर मजिस्ट्रेटको अपने निणयपर पुनर्विचार करनेसे नही रोकता। किन्तु सर्वोच्च न्यायालयने फैसला दिया कि श्री भाभाके मामलेमे मजिस्ट्रेटका निणय सही था, यद्यपि वह गलत पक्षपर आधारित था। इसके परिणामस्वरूप मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई कारावासकी सादी सजापर हिचकिचाहटके साथ अदालतकी स्वीकृतिकी मुहर लग गई, यद्यपि सर्वोच्च न्यायालयने अपील करनेवालेके साथ बहुत सहानुभूति प्रकट की। मुख्य न्यायाधीशने सुझाव दिया कि ताजको यह सजा माफ कर देनी चाहिए और चूकि यह एक परीक्षात्मक मुकदमा था और मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायमूर्ति मेसन दोनोका विचार था कि श्री भाभाके पास पुराना डच प्रमाणपत्र है, इसलिए उन्हे अनुमतिपत्र मिल जाना चाहिए।

१ यहाँ नही दिया गया।

२ देखिए 'ट्रान्सवालके अनुमतिपत्र' पृष्ठ ३८४।

लेफ्टिनेंट गवर्नरने दयाके अपने परमाधिकारका उपयोग किया है और श्री भाभाकी सजा माफ कर दी है। और बहुत सम्भव है कि श्री भाभाको ट्रान्सवालमें शान्तिपूर्वक रहने दिया जायेगा। इसलिए जहाँतक व्यक्तिका सवाल है, इससे आखिर न्याय हो ही जायेगा।

किन्तु इस मामलेका भारतीय स्थितिपर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इससे प्रकट होता है कि शान्ति-रक्षा अध्यादेशके प्रशासनमें कहीं कोई भारी त्रुटि है। हमें मिडिलबर्गमें ब्रिटिश भारतीय शिष्टमण्डलको दिये गये लॉर्ड सेल्बोर्नके पवित्र वचन प्राप्त हैं कि ट्रान्सवालमें युद्धके पूर्व निवास करनेवाले सब भारतीयोंको देशमें प्रवेश करनेका अधिकार होगा।[1] हमें उपनिवेश सचिवका आश्वासन प्राप्त है कि ऐसे निवासियोंको देशमें प्रवेश करनेका अधिकार है। फिर भी हम देखते हैं कि श्री भाभाको ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेमें बहुत ज्यादा कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा। इस तरहके अनेक मामले हैं जिनमें पंजीयनके प्रमाणपत्रोंका सबूत होनेपर भी लोगोंको अनुमतिपत्र नहीं मिले हैं। तब क्या हम यह आशा नहीं कर सकते कि लॉर्ड सेल्बोर्नका आश्वासन कार्य रूपमें परिणत होगा और जिन लोगोंको समुद्र तटपर प्रतीक्षा करते काफी लम्बा समय हो गया है, उन्हें ट्रान्सवालमें पुनः प्रवेश करनेकी अनुमति दी जायेगी?

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२–९–१९०६

४५५. ट्रान्सवालमें भारतीय स्त्रियोंकी मुसीबतें

भारतीय स्त्रियोंको ट्रान्सवालमें अनुमतिपत्रोंकी परेशानी होती ही रहती है। अपने अंग्रेजी विभागमें हम एक घटनाकी हकीकत दे रहे हैं। मगरे और उसकी पत्नी पूनिया दोनों १४ सितम्बरको ट्रान्सवाल जा रहे थे। फोक्सरस्टमें जाँच करनेवाली पुलिसने पत्नीको उतार दिया क्योंकि उसके पास अलग अनुमतिपत्र नहीं था। मगरेने अपना अनुमतिपत्र व पंजीयनपत्र दिखाया। पंजीयन-पत्रमें पत्नीका नाम दर्ज था फिर भी उसे जानेकी आज्ञा नहीं दी गई। इसलिए पति पत्नी दोनों उतरे और कैदमें रहे। १५ तारीखको मुकदमा चलाया गया। उसमें पुलिस अधिकारीने अपने बयानमें कहा कि यदि स्त्रियों और बालकोंके पास — फिर वे चाहे जिस उम्रके हों और अपने पति अथवा माँ बापके साथ सफर कर रहे हों या अकेले हों — अनुमतिपत्र न हो तो उन्हें पकड़नेका उसे आदेश है। बयानसे यह भी मालूम हुआ कि पत्नी ३१ मई १९०२ को ट्रान्सवालमें थी। इतना होनेपर भी मजिस्ट्रेटने इस बिनापर, कि स्त्रीने बयान नहीं दिया, उसे उसी दिन ७ बजेसे पहले देश छोड़नेका आदेश दिया। इस तरह इस राज्यमें पत्नीको पतिसे और बालकोंको अपने माता पितासे जुदा किया जाता है। इस सम्बन्धमें तत्काल प्रभावशाली कारवाई करना जरूरी है। हमें आशा है कि आवश्यकता पड़नेपर यह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालयमें ले जाया जायेगा। हम मानते हैं कि ऐसे कानूनके सामने आत्मसमर्पण करनेकी अपेक्षा मर्दोंका जेल जाना हजार गुना बेहतर है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२–९–१९०६

१ सितम्बर ४ को मिडिलबर्गमें मानपत्र भेंट किये जानेपर लॉर्ड सेल्बोर्नने यह आश्वासन दिया था। देखिए **इंडियन ओपिनियन,** ८–९–१९०६।

४५६ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी[1]

ट्रान्सवालकी विराट सभा

'रैंड डेली मेल'का कहना है कि एम्पायर नाटक घरमे भारतीयोकी जैसी सभा हुई थी, वैसी ट्रान्सवालमे शायद ही कभी हुई हो। नाटक घर खचाखच भर गया था। कमसे-कम तीन हजार व्यक्ति उपस्थित होगे। बहुतेरे लोग भीतर जा ही न सके। दूकानदारा और फेरीवाला — सभीने दस बजेसे काम बन्द कर दिया था। दरवाजे यद्यपि २ बजे खुलनेवाले थे, फिर भी लागाने ११ बजे से इकटठा होना शुरू कर दिया था। १२ बजे नाटक घर खोलना पडा। डेढ बजे तो उस विशाल नाटक घरमे घुसनेकी गुजाइश ही नही थी। इतने लोग होते हुए भी कोई किसीसे लडाई-झगडा नही करता था। सब जगह शान्ति थी। सब धीरजके साथ कामकी शुरुआतका रास्ता देखते बैठे या खडे थे। ऐसी सभा और ऐसा उत्साह कभी देखनेमे नही आया।

इससे यद्यपि भारतीयाके दु खोका दिग्दशन होता हे, फिर भी यह स्वीकार करना हागा कि सभाकी इस सफलताका मुख्य श्रेय हमीदिया इस्लामिया अजुमनको है। इस अजुमनका भवन हिन्दू मुसलमान सबके लिए खोल दिया गया था। उसमे आठ दिन पहलेसे सभाएँ होने लगी थी, और सभी भारतीय नेता उसमे इकटठा होकर विचार विमश करते थे। बठके प्राय रातके बारह बजे तक चलती रहती। हमीदिया इस्लामिया अजुमनसे दक्षिण आफ्रिकाकी सभी युवक मण्डलियोको सबक लेना चाहिए।

इस सभामे बहुत जगहोसे प्रतिनिधि आये थे। मिडिलबग स्टडटन, क्लाकसडाप आदि स्थानासे तार व पत्र आये थे, जिनमे सभाके प्रति सहानुभूति व उससे सहमति व्यक्त की गई थी। उपनिवेश-मन्त्री और श्री चमनेको सभामे उपस्थित होनेके लिए निमन्त्रित किया गया था। श्री चैमने हाजिर थे। उन्हे अध्यक्षके दाहिनी ओर कुर्सी दी गई थी। इसके अतिरिक्त प्रिटोरियाके वकील श्री लिखटन-स्टाइन, श्री इजरेयलस्ट्रम, श्री लिटमैन लैड्सबग, स्टुअट कैम्बेलके मैनेजर आदि गोरे उपस्थित थे। तीनो समाचारपत्रोके सवाददाता भी आये थे।

ठीक तीन बजे अध्यक्ष श्री अब्दुल गनीने अपना भाषण शुरू किया। सबको यही महसूस हुआ कि इस बार श्री अब्दुल गनीने तो हद कर दी। उनका भाषण सरल हिन्दुस्तानीमे सक्षिप्त और लच्छेदार था। उन्होने जो बाते कही वे मध्यममागकी और जोशीली थी। उनकी आवाज जोरदार और सबको भली भाति सुनाई पडने लायक थी। लोगोने उनके भाषणका तालियोसे स्वागत किया। जब उन्होने जेल जानेकी बात की तब सबने एक स्वरसे कहा — "हम जेल जायेंगे लेकिन फिरसे पजीयन नही करवायेगे।"

श्री अब्दुल गनीका अग्रेजी भाषण डा० गाडफ्रेने पढकर सुनाया।

श्री नानालाल शाह

पहला प्रस्ताव पेश करनेका काम श्री नानालाल वालजी शाहके सुपुर्द था। श्री शाहका भाषण अग्रेजीमे था। उसका साराश निम्नानुसार है

आज हम बहुत गभीर कामके लिए इकटठा हुए ह। श्री डकनने कहा है कि इस नये कानूनकी जरूरत है। उन्होने इसका कारण यह बताया है कि जो पजीयनपत्र दिये गये ह उन्हे बेचा जा सकता है और इसलिए उन पजीयनपत्रोके आधारपर ऐसे लोग

१ यह सवाद विशेष रिपोर्ट के रूपमें छपा था।

आ जाते ह जिन्हे आनेका हक नही है। हम इसके लिए बकका उदाहरण ले। यदि बैंकको मालूम हो कि उसके नामसे कुछ जाली नोट भी चल रहे ह, तो क्या वह सारे नोटोको रद कर देगा? हमसे श्री डकन कहते है कि आपके पजीयनपत्र झूठे ह। फिर भी हम बदल देगे। यह कसा कानून? लेकिन म यह कहना चाहता हूँ कि पजीयनपत्र झूठे ह ही नही।

अपना पजीयनपत्र निकालकर श्री शाहने कहा, "इस पजीयनपत्रपर मेरा नाम है, मेरी पत्नीका नाम है, मेरी जाति है, मेरा धधा है, मेरी उँचाई है, मेरी उम्र हे।" और, उन्होने कागज पटककर कहा

इसपर मेरे अँगूठेकी निशानी है। क्या इतना काफी नही है? क्या इस पजीयनपत्रको दूसरा व्यक्ति काममे ला सकता हे? क्या सरकार अब हमारे माथेपर कलकका टीका लगाना चाहती है? म अपना पजीयनपत्र कभी नही दूगा। मैं पजीकृत नही हूँगा। वसा करनेकी अपेक्षा मुझे जेल जाना पसद है और म वहा जाऊँगा। (तालिया)।

श्री सी० के० टी० नायडूने श्री शाहका समथन किया और तमिल भाषामे तमिल लोगोको समझाया।

श्री अब्दुल रहमान

दूसरे प्रस्तावका समथन करनेके लिए श्री अब्दुल रहमान खडे हुए। उन्होने सक्षेपमे बताया कि हमे लगता है कि ब्रिटिश सरकारके राज्यमे हमपर डच सरकारकी अपेक्षा ज्यादा जुल्म हो रहा हे। सर हेनरी काटनने कहा है कि डच सरकार यदि हमे कोडे मारती थी, तो ब्रिटिश सरकार बिच्छूके डक मारती है।[1]

डॉक्टर गॉडफ्रे

श्री अब्दुल रहमानका समथन करते हुए डॉ० गॉडफ्रेने कहा कि,

लाड मिलनर, लॉड राबर्ट्स, श्री चेम्बरलेन आदिने जो हमे बडे बडे वचन दिये थे, उनपर पानी फिर गया है। (शम!)।

भारतीय समाजने डबनके भारतीय विद्यार्थियोको स्वर्गीया महारानीकी तसवीर दी थी।[2] उसे दिखाते हुए डॉक्टरने कहा,

इन महारानीको हम पूजते ह। इनकी घोषणापर ट्रान्सवाल सरकारने पानी फेर दिया है। ब्रिटिश झडेके नीचे समान हक, स्वतत्रता तथा न्याय मिलना चाहिये। किन्तु हमें गुलामी, अन्याय और अधिकारोका अपहरण मिला है। (अफसोस!)। म यह बिलकुल माननेको तयार नहीं कि बहुतेरे भारतीय बिना अनुमतिपत्रके या झूठे अनुमतिपत्रोसे आये ह। म श्री लवडे तथा उनके भाई-बन्दको चुनौती देता हूँ कि यदि उनमे हिम्मत हो तो वे भले इसके विपरीत बात साबित करके दिखाये। हम यह जुल्म सहन करनेवाले नहीं ह। उसके बजाय हम जेल जायेगे। कोई यह न समझ ले कि हम डरकर भाग जायेगे।

१ सन् १९०४ में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस, बबइके २० वें अधिवेशनमें उन्होने कहा था, 'भारतीय उपनिवेशियोके प्रति उनके [ब्रिटिश शासकोके] तीर श्री क्रूगरकी तोपोसे भी अधिक भयानक रहे है और जहाँ वे कोड़े मारते थे वहाँ ये बिच्छुके डक मारते है।'

२ देखिए खण्ड ३ पृष्ठ १९०–१ और पृष्ठ १९२ के सामने दिया गया चित्र।

यदि कानून पास हो जायेगा तो हम सब अदालतमें जाकर कहेंगे कि हमें पकड़िए। (तालियाँ)।

पाचेफस्टमके श्री गेटाने गुजरातीमें दूसरे प्रस्तावका समर्थन किया।

श्री ईसप मियाँ

श्री ईसप मियाँका काम तीसरा प्रस्ताव पेश करना था। उन्होंने कहा

ट्रान्सवालमें अंग्रेजी राज्य रूसके राज्यसे भी ज्यादा खराब है। मैं स्वयं श्री डंकनसे मिलने प्रिटोरिया गया था। उन्होंने बहुत-सी बातें कही थीं। लेकिन किया कुछ भी नहीं। उलटे हमें दगा दिया है। हमें एक शिष्टमण्डल विलायत भेजना ही चाहिए। वहाँ हम शोर मचायेंगे, और उतनेपर भी यदि सरकारने नहीं सुना तो हम जेल जायेंगे। मैं ट्रान्सवालमें उन्नीस वर्षोंसे हूँ। लेकिन जो जुल्म मैंने पिछले तीन वर्षोंमें देखे हैं वैसे कभी नहीं देखे।

श्री ई० एस० कुवाडिया

इस प्रस्तावका समर्थन करते हुए श्री इब्राहिम सालेजी कुवाडियाने नीचे लिखे अनुसार भाषण दिया

एशियाई अध्यादेशके मसविदेके सम्बन्धमें अध्यक्ष आदि महोदयगण कह चुके हैं, इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरे लिए बोलनेको कुछ नहीं रह जाता। इतना तो साफ है कि जिस सरकारके राज्यमें जुल्म नहीं है वहाँकी प्रजा सुखी है, और वहाँ प्रजा और सरकार दोनों आरामसे रहते हैं। उसी प्रकार हमारे इन्हीं अंग्रेज मित्रोंके द्वारा उकसाये जानेपर लड़ाईसे पहले हमारी भूतपूर्व सरकार (बोअर सरकार) ने हमारे लिए जुल्मी कानून बनाया था। लेकिन चूँकि उस सरकारके मनमें हमारे लिए दया थी, इसलिए वह उस कानूनको अमलमें नहीं लाई। अंग्रेजोंके साथ लड़ाई चली तबतक उसकी मेहरबानीसे हम चैनसे रहे। अतः उसके लिए हमें बोअर सरकारका एहसान मानना चाहिए। अब चूँकि हमारी सरकारने इस उपनिवेशको जीत लिया है इसलिए हमें आशा थी कि अब तो हमें सब हक मिल जायेंगे और इसी आशाके मुताबिक हमारी सरकारने हमें वचन भी दिये थे। लेकिन दुर्भाग्यसे हम आज उससे उलटा ही देख रहे हैं और हमारे खिलाफ ऐसे कानून बनाये जा रहे हैं जो हमसे सहन नहीं किये जा सकते। अतः हमारा कर्त्तव्य है कि यदि सरकार हम लोगोंके लिए उचित कानून बनाये तो हमें उसके अधीन रहना चाहिए, किन्तु यह कानून वैसा नहीं है। हमारी सरकारने जबसे इस उपनिवेशको जीत लिया है तबसे वह खासकर हम लोगोंपर एकके बाद एक सख्त प्रतिबन्ध लगाती जा रही है। उन प्रतिबन्धोंको हमने आजतक सहन किया। किन्तु हमारा मन भर गया है। जैसे नदीमें बाढ़ आनेपर नदीके भर जानेसे पानी बाहर निकल जाता है, यानी नदीमें जगह ही नहीं रहती, उसी प्रकार अब हममें ऐसे जुल्मी कानूनोंको सहन करनेकी शक्ति नहीं रही। इसलिए अब हमें इस अध्यादेशके मसविदेके विरोधमें सख्त कदम उठाना चाहिए, यद्यपि हमसे यह कहा जा रहा है कि हम उनकी रैयत हैं और हमारे फायदेके लिए यह कानून बनाया जा रहा है। यदि यह बात है तो इस सम्बन्धमें मुझे इतना ही

कहना है कि हमारी सरकार हमें ब्रिटिश रयत नहीं बनाती, बल्कि इससे हमारी मयत निकालना चाहती है। इसलिए श्री ईसप मियाने विलायत शिष्टमण्डल भेजनेके सम्बन्धमे जो प्रस्ताव रखा है उसका म समथन करता हूँ और कहता हूँ कि जसे भी हो, जल्दी ही शिष्टमण्डल विलायत भेजकर इस सम्बन्धमें टक्कर लेनी चाहिए।

क्रूगसडॉपके श्री ए० ई० वानियाने इस प्रस्तावका समथन किया और प्रिटोरियाके श्री मणिलाल देसाईने समथनमे भाषण दिया।

जेलका प्रस्ताव

श्री हाजी हबीब भाषण देनेको खडे हुए तो सभाने तालियोसे स्वागत किया। उनका भाषण इतना तीखा और जोशीला था कि जो गुजराती नही समझते थे वे भी कहते थे कि हम उनका मतलब समझते ह। कभी कभी श्री हाजी हबीब रसप्रद अग्रेजी शब्दोका उपयोग करते थे। उनके भाषणसे लोगोमे बहुत जोश आया था। उसका सार निम्नप्रकार है

चौथा प्रस्ताव सबसे जरूरी है। उसीपर सब कुछ निभर है। हमारे लिए जेल जानेमे शम जसी कोई बात नही। उसमे प्रतिष्ठा है। श्री तिलक जेल गये। उसके पहले उन्हे बहुत लोग नही जानते थे। अब उ हे आधी दुनिया जानती हे। अग्रेज सरकारसे न्याय नही मिलेगा। वह हमे मीठे शब्दोसे मारती है। उससे हमे धोखा नही खाना हे। हमसे "सिम्पथी" (हमदर्दी) दिखाती है। लेकिन हम "सिम्पथी" नही चाहते। हम "जस्टिस" (इन्साफ) चाहते ह। अग्रेज दूसरोको उपदेश देनेको तैयार होते ह। ईसाई प्रजाको खुश करनेके लिए तैयार हो जाते ह। देखिए, तुर्कीका मामला। तुर्कीके साथ जोर जबरदस्ती करनेमे अग्रेज पीछे नहीं हटते, परन्तु अपनी रैयतके हितके लिए उसी जोरो जबरदस्तीका प्रयोग नही करते। यहाँ भी पराई प्रजाओको — अगर वे गोरी या ईसाई हो तो — आनेकी छूट है। गोरे तो उनके लिए जन्नतसे आये ह, और हम, वे मानते ह, और कहीसे। यह कानून बहुत ही खराब है। यदि यह कानून पास हो जायेगा तो सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि मै हरगिज फिरसे पजीकरण नहीं कराऊँगा, बल्कि जेल जानेवाला पहला आदमी रहूँगा। (तालिया)। आपको भी म वही सलाह देता हूँ। क्या आप सब लोग शपथ लेनेको तैयार ह? (सारी सभा ने उठकर कहा — हा, हम जेल जायेगे)। हम ऐसा करेगे तभी जीतेगे। डच सरकारके समयमें भी हमने इसको आजमाया था। एक समय हमारे लगभग ४० व्यक्ति बिना परवानेके व्यापार करनेकी बिनापर पकडे गये थे। मैने उन्हे सलाह दी थी कि सब जेलमे रहे, लेकिन जमानत देकर न छूटें। म तुरत ब्रिटिश एजेंटके पास गया था। उन्होने यह कदम पसन्द किया था और स्वय न्याय दिलवाया था। यह वही अग्रेज सरकार है। अब राज चूँकि उसके हाथमें आ गया है, इसलिए हमारे लिए फिर जेल जानेका प्रसग आया है। इसलिए वहा जायेगे, जायेंगे और जायेंगे।

सभाने इस सकल्पका तालियोसे स्वागत किया।

श्री हाजी वजीर अली

चौथे प्रस्तावका समथन करनेके लिए जब श्री हाजी वजीर अली खडे हुए तब सारा नाटक-घर तालियोसे गूज उठा। कुछ समय बीतनेके बाद ही तालिया बन्द हुइ। फिर श्री अली अग्रेजीमे गजना करके जो कुछ बोले उसका साराश यहा दे रहा हूँ

म जिस प्रस्तावका समथन करनेके लिए खडा हुआ हूँ वह छोटा-मोटा नहीं है। उसकी जिम्मेदारी बहुत है। म ग्यारह बच्चोका बाप हूँ। फिर भी इस जिम्मेदारीको उठानेको तयार हूँ। जसा श्री हाजी हबीबने कहा है, म भी फिर से पजीयन करवानेके बजाय जेल जाऊँगा, और इसमे अपनी प्रतिष्ठा समझूगा। हमे सरकारने दगा दिया है। हमारी अर्जीके जवाबमे सरकारने कहा कि हम तुम्हे जवाब देगे। शिष्टमण्डलसे भी यही कहा था। फिर भी दो दिन बाद विधेयक परिषदमें पेश किया गया और चार दिन बाद पास कर दिया गया। (शम)। उस विधेयकमे औरतोका भी पजीयन करवाना था। किन्तु हमीदिया अजुमनके प्रयत्नसे वह तो निकाल दिया गया है।

ब्रिटिश झडा (यूनियन जैक) निकालकर बोले

मने बचपनसे सीखा है कि इस यूनियन जेकके नीचे मेरी सदा रक्षा की जायेगी। उसीके अनुसार आज हम माग कर रहे ह। दिल्ली दरबारके समय सम्राट एडवडने कहा था कि वे हमे सम्राज्ञीकी सरकारके समान हक देगे। हमारी प्रतिष्ठाकी रक्षा करेगे। क्या उस वचनमे ट्रासवाल शामिल नही है? हम इतना ही चाहते ह कि यहा बसे हुए भारतीय सुख शान्तिसे रहे। पराये देशोके गोरोकी अपेक्षा हमे ज्यादा हक होने चाहिए। हममे से कोई कोई बिना अनुमतिपत्रके दाखिल हुए होगे। उसके लिए वे बडबडाते ह। म हिम्मतके साथ कहता हूँ कि मुझे तीन सिपाही दे तो म अभी बिना अनुमतिवाले एक हजार गोरोको पकडकर दे दू। म पच्चीस वषसे दक्षिण आफ्रिकामें हूँ। मने केपमें मताधिकार और अन्य अधिकार भोगे ह। मने ट्रासवालमे जैसा जुल्म देखा है वसा कही नही देखा। और ट्रासवाल तो अभी ताजका उपनिवेश है। जब यह देश बोअर लोगोके हाथमे था, तब ब्रिटिश गोरे अपनी अर्जीमें मेरी सही करवानेके लिए आये थे। अब वे हमारे विरुद्ध हो गये ह। हमे उनकी तरह बन्दूक नहीं उठानी है, लेकिन उनके समान हम जेल जायेगे।[1] (तालिया)।

श्री मूनलाइट मुदलियारने इस प्रस्तावका तमिल भाषणमे समथन किया। डाक्टर गाडफ्रेने समथन करते हुए कहा

भारत ब्रिटिश हुकूमतका ताज है। उसी तरह हम जोहानिसबगकी जेलमें जाकर उस जेलके ताज बनेगे। हमें पकडनेके लिए आयें उतना इनजार भी नहीं करेगे।

श्री अस्वातने समथन करते हुए सबको सलाह दी कि सब भारतीय अपने देश लिखकर भेज दे कि हम सब जेल जानेकी तैयारी कर रहे है।

क्रूगसडापके श्री ए० ई० छोटाभाईने गुजरातीमे समथन किया और कहा कि क्रूगसडॉपके लोग पजीयन करवानेके बदले जेल जानेको तैयार है।

श्री उमरजी साहबने भी समथन किया।

पीटसबगके श्री तार मुहम्मद तैयबने कहा कि पीटसबगके लोग पजीयन करवानेके बजाय जेल जानेको तैयार है।

श्री इमाम अब्दुल कादिरने भी समथन किया।

जमादार नवाबखाने समथन करते हुए कहा कि उन्होने लडाईमे सरकारी नौकरी की है। वे अब नये सिरेसे पजीयन करवानेका अपमान सहनेकी अपेक्षा जेल जाना पसन्द करेगे।

१ मालूम पडता है, यहाँ हैम्डन और बनियन जैसे जेल जानेवाले ब्रिटेन वासियोका उन अग्रेजोंके साथ मुकाबला किया गया है जो दक्षिण आफ्रिकामें बोअरोसे लडे थे।

श्री गाधीने कहा कि जेल जानेकी सलाह देनेकी जिम्मेदारी उनकी है। यह कदम गभीर है, फिर भी आवश्यक है। इससे हमे भय हो सो बात नही। बल्कि हमारा कहना हे कि भाषण देने, अर्जिया देनेके अलावा अब काम करनेका भी समय आया है। लोग प्रस्ताव पास करते ह तो उसपर अटल रहना भी जरूरी है। और यदि अटल रहे तो समझ लो कि हम आज ही जीत गये।

फिर सारी सभाने खडे होकर ऊँचे स्वरसे जेल जानेका प्रस्ताव स्वीकार किया।

श्री भीखूभाई डी० मलीयाने पाचवा प्रस्ताव पेश किया और छोटा-सा भाषण दिया। उसका अनुमोदन पीटसबगके श्री जुसब हाजी वलीने किया।

इस सभाका काम शामको ५–३० पर समाप्त हुआ। फिर श्री चैमने अध्यक्षसे अनुमति लेकर उठे और उन्होने निमत्रणके लिए कृतज्ञता प्रकट की।

श्री लाइशनसाईने अध्यक्ष महोदयका आभार माननेका प्रस्ताव पेश किया और कहा कि ऐसी सभा मैने कभी नही देखी थी। उन्होने आशा व्यक्त की कि उदारदलीय मत्रिमण्डल न्याय करेगा। श्री इजरेयलस्ट्रमने समथन करते हुए सहानुभूति व्यक्त की और लडाई जारी रखनेकी सलाह दी।

सभा छ बजनेसे पाच मिनट पहले समाप्त हुई और सम्राट एडवडका तीन बार जय जयकार किया गया। अतमे 'ईश्वर हमारे राजाकी रक्षा करे" (गॉड सेव द किंग) गाया गया।

भारतीयोको यह सभा सदा याद रहेगी।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २२–९–१९०६

४५७ पत्र 'लीडर'को

[जोहानिसबग]
सितम्बर २२ १९०६

[सम्पादक
'लीडर'
महोदय,]

मैने अपने इसी महीनेकी २१ तारीखके पत्रमे[1] आपसे वादा किया था कि भारतीय महिला पूनियाके साथ किये गये व्यवहारके सम्बन्धमे सरकारसे प्राप्त कोई भी उत्तर आपको प्रेषित कर दूगा। मने एशियाई पजीयकको एक तार भेजा, जिसका पाठ नीचे दे रहा हूँ

> **'लीडर' मे एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ है कि औरतोसे अलग अनुमतिपत्र लेनेकी अपेक्षा करनेका कारण यह है कि उपनिवेशमे भारतीय ऐसी स्त्रियोको भी अपनी पत्निया बता कर ले आते ह जो वास्तवमे उनकी पत्निया न होकर दुश्चरित्र स्त्रियाँ हुआ करती ह। क्या आप तार द्वारा सूचित करनेकी कृपा करेगे कि आपका कार्यालय उपर्युक्त अभियोगमे विश्वास करता है या नही? म आपके उत्तरको प्रकाशित करना चाहता हूँ।**

पजीयकने निम्नलिखित उत्तर भेजा है

> **आपके इसी महीनेकी २१ तारीखके तारके सम्बधमे सूचित करता हूँ कि इस विभागके किसी कमचारीने वसा कोई वक्तव्य नहीं दिया, जसा कि आपने सवादमें उल्लिखित किया है।**

1 देखिए 'पत्र लीडरको पृष्ठ ४४१।

मै विश्वास करता हूँ कि आपके डर्बन स्थित सवाददाताने जिस समाजपर ऐसा बबरता पूर्ण लाछन लगाया है, उसके साथ न्याय करनेके लिए आप या तो उस अधिकारीका नाम प्रकाशित करेगे जिसने आपके सवाददाता द्वारा उल्लिखित जानकारी दी, या उसे अपने द्वारा दिये गये वक्तव्यको वापस ले लेनेको कहेगे।[1]

[आपका, आदि,
मो० क० गाधी]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २९-९-१९०६

४५८ पत्र प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिकारीको

[जोहानिसबग]
सितम्बर २२, १९०६

सेवामे
मुख्य प्रवासी प्रतिबन्धक अधिकारी
डबन

[महोदय,]

म इसके साथ 'ट्रासवाल लीडर' की एक कतरन नत्थी कर रहा हूँ। उसमे उन कुछ धाराओका उल्लेख है जो ट्रासवालके एशियाइयाको अनुमतिपत्र देनेके सम्बन्धमे बनाई गई ह।

१ गाधीजीके पत्रके जवाबमे ९-१०-१९०६ के **ट्रान्सवाल लीडर**में निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रकाशित हुआ था

ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोको ट्रान्सवाल उपनिवेशमें प्रवेश करनेके लिए अनुमतिपत्र देने तथा इस आरोपके बारेमें कि जिन महिलाओको पत्नियाँ बताया जाता है वे प्राय दुश्चरित्र हुआ करती है चद रोज पहले कुछ वक्तव्य प्रकाशित हुए थे। उनके सम्बन्धमें गत सोमवारका **नेटाल मर्क्युरी** इस प्रकार लिखता है

> जोहानिसबर्गसे श्री मो० क० गाधीने हमारे पिछले महीनेकी २१ तारीखके अकमें प्रकाशित एक लेखके विषयमें पत्र भेजा है। उक्त लेखमें पूनिया नामकी एक भारतीय महिलाको उनके पास अनुमतिपत्र न होनेकी बिनापर, फोक्सरस्टमें रोक लिये जाने का विवरण छपा था। श्री गाधी लेखकी कतिपय बातोसे जिन्हे वे ट्रान्सवालकी भारतीय महिलाओपर अनुचित लाछन लगाना मानते है असन्तुष्ट है। घटना के उपरान्त हमने डबनमें सुलभ सभी सूत्रोसे जानकारी प्राप्त करनेका प्रयास किया। लेकिन यह स्पष्ट होगा कि यहाँ नेटालमें ट्रान्सवालके मामलोकी पूरी जानकारी करनेके लिए वैसी ही सुविधाएँ—उदाहरणार्थ जिस तरहकी सुविधाएँ श्री गाधीको सुलभ है—नही है जैसी श्री गाधीके निवासस्थान जोहानिसबर्गमें है। और किसी भी निराधार तथा अतिरजित वक्तव्यका कारण यही है। श्री गाधी जोरदार शब्दोमें इस बातको अस्वीकार करते है कि ट्रान्सवालके अधिवासी भारतीय दुश्चरित्र औरतोको अपनी पत्नियाँ बताकर उन्हे ट्रान्सवालमें प्रवेश दिलानेकी चेष्टा कर रहे है। इस बात को साबित करनेके लिए उन्होने सरकार तथा अन्य सूत्रोसे पूछताछ की है और उसका फल हुआ है अस्वीकृति। अत, वक्तव्य अवश्य ही वापस ले लिया जाना चाहिए क्योंकि यह निश्चित तथ्योके अनुरूप नही है। जनता इस बातसे अवगत हो जाये यह अच्छा है, और श्री गाधी भी हमें आश्वस्त करते है कि उन्हे इस तरहका एक भी मामला ज्ञात नही है।

हमारे डबन स्थित सवाददातासे प्राप्त समाचारोके आधारपर इस अखबारमें भी उसी तरहके वक्तव्य प्रकाशित किये गये थे और अनुमानत वे उसी सूत्रसे प्राप्त भी हुए थे। अत यह उचित ही है कि इस प्रत्याख्यानको समान रूपसे प्रचारित किया जाये।

बादमें यह १३-१०-१९०६ के **इडियन ओपिनियन** में उद्धृत किया गया।

कहा जाता है कि 'लीडर' के डबन स्थित सवाददाताको किसी प्रवासी अधिकारीने यह कारण बताया है कि ट्रासवालमे भारतीय ऐसी भारतीय स्त्रियोको, जो दुश्चरित्र है अपनी पत्नियोके रूपमे ले आये है। यदि आप मुझे बता दे कि इसके लिए आपके विभागका कोई अधिकारी जिम्मेवार है तो म आपका आभारी हूँगा।

मै यह भी कह द् कि मने प्रिटोरियाके एशियाई पजीयकमे भी दरियाफ्त किया है और उन्होने इस वक्तव्यका खण्डन किया है।[१]

[आपका, आदि,
मो० क० गाधी]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ६–१०–१९०६

४५९ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

सितम्बर २५, १९०६

ट्रान्सवालमे भारतीय समाजका पिछला सप्ताह ऐसा बीता, जैसे किसी बीमारको सन्निपात हो गया हो ओर वह बिस्तरपर छटपटा रहा हो। शिष्टमण्डल जाने ही वाला था। सब निश्चित हो गया था। इतनेमे, अब मालूम हुआ हे, लाड सेल्बोनका तोपके गोलेके समान एक द्व्यर्थी पत्र आ गया जिससे फट पड गई। सभीने यह समझा कि 'द्वारकाकी छाप'[२] वाला कायदा पास हो गया है, इसलिए अब शिष्टमण्डल न जाये, यही ठीक है। मगलवारकी दुपहर तक परिस्थिति ऐसी थी। शामको उच्चायुक्तकी ओरसे टेलीफोन आया कि लॉड एलगिनने कानन पसन्द किया हे, इसका यह अथ नही है कि उन्होने उसे पास कर दिया है। इसपर फिर नई योजना बनी। उसी रातको कुछ भारतीय एक साथ श्री हाजी वजीर अलीसे मिले और उनकी सम्मति लेकर उन्होने यह सोचा कि शिष्टमण्डलमे अकेले उनको ही भेजनेके लिए समाजसे सिफारिशकी जाये। बुधवारको उस विचारपर अमल किया गया। लेकिन पिछले सप्ताह हर भारतीयके सामने यह स्पष्ट हो गया कि मनुष्यका वश सब जगह नही चलता। श्री ग्रेगरोवस्की तथा श्री लिखटनस्टाइनकी निश्चित राय थी कि शिष्टमण्डलमे श्री गाधीको अवश्य जाना चाहिए और शिष्टमण्डल भेजा जाये, इसमे तो शक ही नही है। प्रिटोरियाके समाजकी ओरसे इस बातपर जोर दिया गया कि डर या लालचसे लोगोमे फूट न पडे और वे नये पजीयनपत्र न ले ले, इसके लिए ट्रासवालमे श्री गाधीका रहना जरूरी है। यह दूसरी राय थी। नेटालसे सबको सख्त तार मिला कि मूल विचारके अनुसार शिष्टमण्डल भेजना बिलकुल जरूरी है। इसलिए शुक्रवारको सभा हुई और सवसम्मतिसे निणय हुआ कि श्री अली और श्री गाधी दोनो जाये। श्री अब्दुल गनीको भी जाना चाहिए, यह सबका विचार था। लेकिन कुछ सबल कारणोसे उनका जाना सम्भव न देखकर अत्यन्त खेदपूवक उस विचारको छोडना पडा। श्री गाधीने जाना स्वीकार करनेके साथ सभी नेताओसे यह पत्र लिखवाया कि चाहे जैसी भी मसीबत हो वे चौथे प्रस्तावको निभायेगे। यह पत्र अगले अकमे दिया जायेगा।

१ देखिए पिछला शीर्षक।
२ सबसे ऊँची और अटल मुहर।

लॉर्ड सेल्बोर्नका दूसरा पत्र

उपर्युक्त प्रस्ताव स्वीकार होनेके साथ ही लार्ड सेल्बोर्नका पत्र मिला। उसमें उन्होंने विशेष तफसीलके साथ बताया है कि नया अध्यादेश इस हफ्ते रवाना होगा और विलायत पहुँचनेके बाद यदि उसे सम्राटकी मंजूरी मिलनी होगी तो मिल जायेगी। इसमें ज्यादा डरनेकी बात नहीं है। सम्भावना तो इस बात की है कि शिष्टमण्डलके लौटनेसे पहले विधेयक मंजूर होकर वापस नहीं आयेगा।

शिष्टमण्डलका खर्च

शिष्टमण्डलका खर्च समितिने ९०० पौंड तक मंजूर किया है। उसमें से ३०० पौंड श्री अलीके घर खर्च वगैराके लिए मंजूर किये गये हैं। श्री अलीने इस विषयमें कहा है कि यदि उन्हें आवश्यक मालूम हुआ तो वे उसमें से कुछ रकम विलायतमें सार्वजनिक काममें भी लगायेंगे। शेष ६०० पौंड रहे, सो शिष्टमण्डलके खर्चमें काम आयेंगे। और समितिको उसका तफसीलवार हिसाब दिया जायेगा।

शिष्टमण्डलके सदस्य

शिष्टमण्डलके सदस्य श्री गांधीके बारेमें यहाँ लिखनेकी आवश्यकता नहीं। श्री हाजी वजीर अलीका जन्म १८५३ में मारिशसमें हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा भी मारिशसमें हुई। १८६८ में उन्होंने व्यवसाय शुरू किया और मुद्रककी हैसियतसे 'कमर्शियल गजट' के दफ्तरमें भरती हुए। उन्होंने १८७३ में जहाज गोदामके कारकुनका काम किया और वे १८७६ में चार्ल्स जेकब व सन्सके यहाँ जहाजी कारकुन बने। इसके बाद इन्होंने मक्का शरीफकी यात्रा की और वे हाजी बने। १८८४ में केप टाउनमें आये और वहाँ अपना सोडावाटरका धन्धा शुरू किया। १८८५ में उन्होंने सार्वजनिक काम शुरू किया। मलायी लोगोंका कब्रिस्तान सरकार बहुत दूर ले जाना चाहती थी। लेकिन मलायी लोगोंने उसका विरोध किया। उस समय हुल्लड़का डर था। श्री अलीने मध्यस्थता की और शान्ति स्थापित हुई। कब्रिस्तानकी जगह दूर थी, सो पास नियत की गई। श्री अली केप टाउनमें विधानसभा और नगरपालिका, दोनोंके मतदाता थे। वे चुनावोंमें हमेशा खासा हिस्सा लेते थे। १८९२ में केप टाउनसे किम्बर्ले वगैरह गये। वहाँ काले लोगोंके संघके प्रमुख बने। जब केपमें चुनावका कानून बना तब बाइस हजार काले आदमियोंकी सहीसे एक अर्जी विलायत भेजी गई थी। उसमें श्री अलीका मुख्य हाथ था। १८९२ के बादसे श्री अली जोहानिसबर्गमें रह रहे हैं। ट्रान्सवालमें श्री अली ब्रिटिश राजदूत और दूसरे प्रसिद्ध लोगोंसे भारतीयोंकी समस्याके सम्बन्धमें मिल चुके हैं। उन्होंने हमीदिया इस्लामिया अंजुमनकी स्थापना की और अभी वे उसके अध्यक्ष हैं। यह समिति बहुत अच्छा काम करती है। इसके बहुत से सदस्य हो गये हैं और यह उत्साहपूर्वक काम कर रही है, यह सब जानते हैं। श्री अलीका बड़ा कुटुम्ब है। उनके ग्यारह बच्चे हैं। वे स्वयं उन्हें उत्तम शिक्षा देते हैं।[1]

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६–१०–१९०६

१ हाजी वजीर अली', पृष्ठ ४७२–३ भी देखिए।

४६० पत्र डी० सी० मैल्कमको

जोहानिसबग,
सितम्बर २६, १९०६

सेवामे
श्री डी० सी० मल्कम
गवनरका कार्यालय,
जोहानिसबग

प्रिय महोदय,

सघके नाम अपने इसी २४ तारीखके पत्रके सदभमे यह बतानेकी कृपा करे कि क्या इसका यह अथ है कि एशियाई अध्यादेशको तार द्वारा शाही स्वीकृति मिल गई हे ?

आपका विश्वासपात्र
अब्दुल गनी
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रेजीसे]
इडियन ओपिनियन, ६–१०–१९०६

४६१ पत्र डॉ० एडवर्ड नडीको[1]

२१–२४ कोट चेम्बस
जोहानिसबग
सितम्बर २६ १९०६

[डॉ० एडवड नडी
जेकब चेम्बस
कोट रोड
जोहानिसबग]

प्रिय डॉ० नडी,

मेरी मायता है कि किसी भी उपनिवेशको प्रवासका, ब्रिटिश प्रजाके प्रवासका भी, नियमन करनेका पूरा अधिकार है, पर वगभेद करनेका नही।

आप इस पत्रका जैसा चाहे वैसा उपयोग कर सकते है।

आपका सच्चा,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

प्रिटोरिया आकाइव्ज एल० जी० फाइल स० ९३ एशियाटिक्स

१ पत्र डॉ नडीके निम्नलिखित पत्रके उत्तरमें लिखा गया था

' कृपया इस प्रश्नपर अपना मत लिख भेजे कि क्या कानून बनाकर किसी देश अथवा उपनिवेशको किसी विशिष्ट कौम या वर्गके लोगोके प्रवेशपर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार है, विशेषत जब आने वाले प्रवासी उसी राजाकी प्रजा हो ?

यदि जैसा कि आपने मुझसे कहा था इस प्रश्नपर आपके मतको लेकर गलतफहमी हुई है तो उस भ्रमका निराकरण उचित होगा। यदि आप उत्तरके साथ आवश्यकतानुकूल मुझे उसके उपयोगकी अनुमति भी दे तो बहुत प्रसन्नता होगी।"

४६२ पत्र 'लीडर'को

[जोहानिसबग]
सितम्बर २७, १९०६

[सम्पादक
'लीडर'
महोन्य,]

भारतीय नारी जातिपर लगाये गये लाछनसे सम्बन्धित जो पूछताछ आपके पत्रमे प्रकाशित[1] हुई थी, आशा है आप उमकी श्रखलाको पूरा करनेके लिए निम्नलिखित उत्तरको स्थान देगे जो मझे डबनके प्रमुख प्रवासी प्रतिबन्धक अधिकारीसे प्राप्त हुआ है

> **प्रवास सम्बन्धी नियम बनानेमे ट्रान्सवाल सरकारका क्या इरादा था, यहाँ इस बातको कोई नही जानता, इसलिए यह सभव है कि इस विभागने उसके बारेमे कभी कुछ कहा हो।**

[आपका, आदि,
मो० क० गाधी]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ६–१०–१९०६

४६३ पत्र डॉ० एडवर्ड नडीको[2]

२१–२४ कोट चेम्बस,
जोहानिसबग,
सितम्बर २७, १९०६

[डॉ० एडवड नडी
जेकब चेम्बस
कोट रोड
जोहानिसबग]

प्रिय डा० नडी,

वगभेदसे मेरा तात्पय यह है कि लोगोपर एशियाई, रगदार या भारतीय होनेके नाते ही लागू होनेवाला कोई कानून नही होना चाहिए।

जैसा कि चेम्बरलेनने निर्धारित किया है, सारे नियमोको सवसामान्य रूपका होना चाहिए।

आपका सच्चा,
(सही) ह० मो० गाधी[3]
वास्ते – मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

प्रिटोरिया आर्काइव्ज एल० जी० फाइल स० ९३ एशियाटिक्स

१ देखिए 'पत्र '**लीडर**'को पृष्ठ ४४६ और पृष्ठ ४५६–७।"

२ यह पत्र डॉ० नडीको इस जिज्ञासाके उत्तरमें लिखा गया था कि 'वर्ग भेद से गाधीजीका क्या तात्पय था। देखिए पत्र डॉ० एडवर्ड नडीको", पृष्ठ ४६०।

३ गाधीजीके ज्येष्ठ पुत्र।

४६४ कसौटीपर

लार्ड सेल्बोर्नने ट्रान्सवालके नवीन एशियाई अध्यादेशके बारेमें ब्रिटिश भारतीय संघको जो पत्र भेजे हैं, उनकी प्रतिलिपियाँ प्रकाशित करनेका अवसर हमें मिला है। उनमें से एकमें कहा गया है कि लॉर्ड एलगिन अध्यादेशको स्वीकार कर चुके हैं और प्रस्तावित शिष्टमण्डलका इंग्लैंड भेजनेसे कोई उपयोगी कार्य सिद्ध होना सम्भव है, ऐसा परमश्रेष्ठका खयाल नहीं है।

हम लॉर्ड एलगिनके निर्णयपर ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंको सच्चे हृदयसे बधाई देते हैं। यह निर्णय एक उदार उपनिवेश मन्त्रीके लिए कोई श्रेयकी बात नहीं है — विशेषतः तब जब यह अनुभव किया जाता है कि उपनिवेश मन्त्री किसी समय भारतमें वाइसरायकी गद्दीको सुशोभित कर चुके हैं। लेकिन लार्ड सेल्बोर्नने हमें बताया है कि बुराईसे बहुत बार भलाई निकल आती है, और यदि ब्रिटिश भारतीय समाज अपने प्रति सच्चा है, तो लार्ड एलगिनके महत्त्वपूर्ण निर्णयसे अवश्य ही अच्छा नतीजा निकलेगा। जोहानिसबर्गके एम्पायर नाटकघरमें, जो अब मौजूद नहीं है, जिस महती सभाका आयोजन किया गया था उसके ऐतिहासिक चतुर्थ प्रस्तावमें[1] परमश्रेष्ठने जान डाल दी है। वह प्रस्ताव एक कसौटी होगा जिसपर ट्रान्सवालके भारतीयोंकी राष्ट्रीय एवं आत्मसम्मानकी भावना कसी जायेगी। स्पष्टतः लार्ड एलगिनने लार्ड सेल्बोर्नकी प्रेरणासे भारतीय चुनौतीको स्वीकार कर लिया है। अब एक तरफ पाशविक शक्ति होगी, दूसरी तरफ सीधा सादा अनाक्रमक प्रतिरोध। ब्रिटिश भारतीयोंका उद्देश्य न्याय संगत है और वह चौथा प्रस्ताव कार्यरूपमें परिणत करनेसे और, लॉर्ड एलगिनकी स्वीकृतिके बावजूद, अध्यादेशकी त्रासजनक शर्तों, तथा अध्यादेशमें प्रस्तावित 'गम्भीर तथा मनमाने अन्याय" के आगे झुकनेसे इनकार करनेसे और भी अधिक न्यायसंगत और पुनीत हो जायेगा। हमें इस उद्धृत वाक्यांशको सम्मानपूर्वक दुहरानेमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, यद्यपि अपने एक पत्रमें लॉर्ड सेल्बोर्न इससे सहमत नहीं हैं कि अध्यादेशसे इस प्रकारका कोई अन्याय होता है। हमें परमश्रेष्ठके इस आश्वासनको मान ही लेना चाहिए कि परमश्रेष्ठके समय समयपर प्रकट किये विचारोंका अध्यादेशसे कोई विरोध नहीं है। यह तो केवल वे ही जानते होंगे कि अपने मनमें क्या कुछ रखकर उन्होंने यहूदियोंकी सभामें उदात्त भावनाएँ व्यक्त कीं और बोअर युद्धके समय संरक्षकताकी बातें कीं।

इसी प्रकार हम परमश्रेष्ठके अध्यादेश सम्बन्धी निर्णयपर आपत्ति करनेकी अनुमति चाहते हैं। जिन्हें अध्यादेशका पालन करना है वे ही जान सकते हैं कि वह न्याययुक्त है या अन्याय-युक्त। लॉर्ड सेल्बोर्नने ब्रिटिश भारतीयोंकी आपत्तिका जो उत्तर दिया है उसमें ऐसी अनेक बातें भरी हैं जिनपर ब्रिटिश भारतीयोंके दृष्टिकोणसे बहस की जा सकती है, परन्तु इस विवादपर काफी तक पहले ही किये जा चुके हैं। अब समय तर्कका नहीं, कार्यका है।

पहली जनवरीका दिन महामहिम सम्राटके लाखों प्रजाजनोंके लिए सुखद आशाका दिन होगा। इसी तरह ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके लिए भी, वह ऐसा ही दिन होगा, यद्यपि उसी अर्थमें नहीं। उन्हें अपनी शक्तियाँ संघटित करनी होंगी और बलका संचय करना होगा। उस महत्त्वपूर्ण तारीखको उन्हें भवितव्यका सामना करनेके लिए तैयारी करनेकी जरूरत होगी। अब भारतीय समाज कसौटीपर है। हमें आशा करनी चाहिए कि वह इस कसौटीपर खरा

१ देखिए "सार्वजनिक सभा" पृष्ठ ४३०-४।

उतरेगा। यदि समूची दुनियामे नही, तो कमसे कम दक्षिण आफ्रिकामे तो भारतीय समाजके कायसे ही भारतीयोके चरित्रका निणय होगा। सभाने इस ऐतिहासिक प्रस्तावको पास करके एक ऐसी जिम्मेदारी ली है जिसे, परिणाम जो भी हो, ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयाको निभाना ही चाहिए।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २९–९–१९०६

४६५ पूनिया काण्ड

हमारे सहयोगी 'रड डेली मेल' ने अभागी ब्रिटिश भारतीय नारी पूनियाकी जारदार वकालत करके इस विषयको ऐसा महत्व दिया है जो इस मामलेकी परिस्थितियोके लिहाजसे बिलकुल मुनासिब हे।[1] निश्चय ही श्री गाधीने परिस्थितिकी गुरुता कम ही बताई थी, क्योकि उन्होने एक दुर्भाग्यपूण काण्डके शायद सबसे दुखद पहलूका जिक्र ही नही किया था —— अथात यह कि फोक्सरस्टके आरोप कार्यालयमे उस स्त्रीकी दसो अगुलियाकी निशानिया ली गइ और जर्मिस्टनमे वह फिर वैसा ही करनेके लिए मजबूर की गई। चूकि तथ्य निर्विवाद है, इसलिए उस स्त्रीको गिरफ्तार करनेवाले सिपाही मैक'ग्रेगर द्वारा निर्दिष्ट नियमाका उचित ठहरानेका निन्दनीय प्रयत्न किया गया हे, और हमे यह देखकर दुख होता हे कि 'नेटाल मक्युरी' ने, हमे विश्वास हे कि अनजाने ही, इस प्रयत्नका समथन किया हे। 'ट्रासवाल लीडर' को 'नेटाल मर्क्युरी' के अनुच्छेदका साराश तार द्वारा भेजा गया था। इसका उत्तर[2] श्री गाधीने भेजा है जिसमे भारतीय स्त्रियापर लगाये गये नीचतापूण आरोपका खण्डन किया हे और उसको एक कुत्सित असत्य बताया है। इसके बाद उन्होने एशियाई पजीकरण अधिकारीको तार दिया हे। पजीकरण अधिकारीने तुरन्त इस आशयका जवाब दिया है कि पत्रोमे जैसा वक्तव्य प्रकाशित हुआ है, वैसा कोई वक्तव्य उनके विभागसे सम्बन्धित किसी अधिकारीने नही दिया है। हमे आशा हे कि 'नेटाल मक्युरी', जो सदा न्याय बुद्धिसे काम लेता हे, इस मामलेमे उस अधिकारीका नाम प्रकाशित करेगा, जिसने यह वक्तव्य दिया था, या फिर इस निन्दाजनक आरोपको वापस ले लेगा।

यदि अनुमतिपत्र अध्यादेशके अमलके बारेमे सामान्य जनताको उतना ही ज्ञान होता जितना कि हमे है, तो वह पूनिया काण्डकी गम्भीरता तथा उस निष्ठुर अन्यायका अनुभव करती जो केवल उस स्त्रीके साथ ही नही, वरन समग्र भारतीय समाजके प्रति किया गया है। यह विश्वास करनेका कारण है कि इस दुखदायी काण्डमे सिपाहीका वक्तव्य इस बारेमे

१ रेड डेली मेलने १९ सितम्बरको "पत्र अखबारोको (पृष्ठ ४४४–५) प्रकाशित करते हुए लिखा था 'जिस सरतीकी शिकायत की गइ है वह ब्रिटिश भारतीय समाजको कोमलतम भावनाओको चोट पहुँचानेवाली है। कोई राष्ट्र अपनी स्त्री जातिका उतना आदर नही करता जितना भारतकी जनता करती है। ट्रासवालका कोई व्यक्ति ऐसे नाजुक सवालपर बुरी भावनाको उत्तेजित करके झगड़ा पैदा करना और एक मानी हुई कठिन समस्याको और कठिन बनाना नही चाहता। हमें लगता है कि गोरे लोग भी पूनिया काण्डके बारेमें जाँच और स्पष्टीकरणकी वैसी ही जोरदार माँग करेंगे जैसी श्री गाधीजीने की है। एशियाइयोके आव्रजनको रोकनेका दृढ निश्चय तो है पर जनताने सरकारको स्त्रियोके विरुद्ध युद्ध छेड़नेका अधिकार नही दिया है।'

२ देखिए 'पत्र 'लीडर को पृष्ठ ४५६–७।

प्रथम प्रामाणिक वक्तव्य है कि ब्रिटिश भारतीय स्त्रियोको भी अनुमतिपत्र लेने चाहिए — फिर चाहे वे अपने पतियोके साथ भी हो। पूनियाके पतिने जोर देकर कहा कि उसे इस बातका कोई ज्ञान नही था कि अपनी पत्नीका भी अनुमतिपत्र लेना जरूरी है। परन्तु हम मान ले कि वह जानता था कि अलग अनुमतिपत्र आवश्यक है, फिर भी यह प्रश्न बिलकुल उचित है कि भारतीय स्त्रियोके लिए अनुमतिपत्रकी जरा भी जरूरत होनी ही क्यो चाहिए। मुख्य अनुमतिपत्र सचिव द्वारा जारी किये गये मुद्रित निर्देशामे व्यवस्था है कि अनुमतिपत्र प्राप्त पतियोकी पत्नियाको, अपने पतियोसे अलग, अनुमतिपत्र लेनेकी जरूरत नही है इसी प्रकार १६ सालसे कम उम्रके बच्चोको अपने माता पिताओसे अलग अनुमतिपत्र लेनेकी आवश्यकता नही है। यदि ऐसी बात है तो फिर यह देखते हुए कि भारतीय पत्नियोपर भी वही अनुमतिपत्र अध्यादेश लागू होता है, उनके लिए अलग निर्देश क्या जारी किये जाने चाहिए?

यदि भारतीय स्त्रियोके विषयमे निश्चित लिखित निर्देश भी जारी कर दिये जाये तो, हमारे विचारसे, ब्रिटिश भारतीयोका यह परम कर्तव्य होगा कि वे भारतीय स्त्रियोके लिए ऐसे अनुमतिपत्र न ले और उन अनुमतिपत्रोको लेनेमे जो अपमान और अनादर होगा उससे उनकी रक्षा करे। क्या भारतीय स्त्रियोको अलग आवेदनपत्र देने होगे और अपनी अँगूठा निशानिया लगानी होगी? क्या उन्हे एशियाई कार्यालय द्वारा अभीष्ट ऐलान करनेके लिए तथा यह हलफिया बयान देनेके लिए कि वे अपने पतियोकी पत्निया है शाति रक्षा मजिस्ट्रेटोके सामने चक्कर काटने पडेगे? और शायद उन्हे यह भी साबित करना पडेगा कि वे शरणार्थी है, क्योकि क्या यह एशियाई कार्यालयका नियम नही है कि ब्रिटिश भारतीय शरणार्थियोके अलावा और किसीको अनुमतिपत्र न दिये जाये? यह भी कल्पना कीजिए कि एक स्त्रीके प्रार्थनापत्रमे विलम्ब हुआ या वह अस्वीकृत कर दिया गया तो क्या उसके पतिको भी, जिसके पास वैध अनुमतिपत्र हो, तबतक उपनिवेशके बाहर रहना होगा जबतक कि उसकी पत्नीका प्रार्थनापत्र स्वीकृत न हो जाये या पत्नीके प्रार्थनापत्रकी अस्वीकृतिकी दशामे उसको उपनिवेशसे बिलकुल बाहर ही रहना पडेगा? दक्षिण आफ्रिकामे भारतीय नारियोके विरुद्ध कभी कोई शिकायत नही रही है। अलबत्ता वह अब, पहली बार, एक गुमनाम प्रवासी अधिकारीकी पापपूर्ण कल्पनामे आई है। परन्तु यदि भारतीय समाजके कुछ निकृष्ट लोग उपनिवेशमे कुछ दुश्चरित्र स्त्रियोको ले भी आये, तो क्या इससे जोहानिसबर्गके सैकडो ईमानदार भारतीय अधिवासियोकी स्त्रियोको अनुमतिपत्र-कार्यालय द्वारा अपेक्षित कष्टदायक प्रक्रियाओमे से गुजारना उचित होगा? यदि अधिकारियोने उन निर्देशोपर अमल करते जानेका आग्रह किया जिनके जारी किये जानेकी बात कही जाती है, तो हमे यह कहनेमे कोई हिचकिचाहट नही है कि उनका यह कृत्य आगसे खिलवाड करनेके तुल्य होगा और वे ऐसी स्थिति पैदा कर देगे जो उनके तथा दूसरे दक्षिण आफ्रिकियोके लिए स्वभावत भारी पछतावेका कारण हो सकती है।

हम 'रैड डेली मेल' के अग्रलेख लेखककी भावनाओको प्रबलताके साथ पुन प्रतिध्वनित कर सकते है कि पूनियाको जैसी सख्ती सहनी पडी वैसी सख्ती ब्रिटिश भारतीयोकी कोमलतम भावनाओपर चोट करती है। हम समझते है कि हमारे सहयोगीने इस काण्डकी ओर खास ध्यान दिलाकर लोगोकी एक सेवा ही की है। हमे आशा है कि सिपाही मक'ग्रेगरने जिन निर्देशोका हवाला दिया है, उसका प्रतिकार करते हुए अधिकारी दूसरे निश्चित निर्देश जारी करेगे, और परिवर्तित निर्देशोका यथासम्भव पर्याप्त विज्ञापन करेगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-९-१९०६

४६६ ट्रान्सवाल अनुमतिपत्र अध्यादेश

तारीख १५ को शान्ति रक्षा अध्यादेशके अन्तगत किन्ही हाफिजी मूसा तथा उनके पुत्र मुहम्मद हाफिजी मूसाका मुकदमा फोक्सरस्टके मजिस्ट्रेटके इजलासमे पेश हुआ, पितापर यह आरोप था कि उसने अनुचित साधनोसे प्राप्त अनुमतिपत्र द्वारा ट्रासवालमे प्रवेश करनेके लिए अपने पुत्रको, जो ग्यारह सालसे कम उम्रका माना गया हे, उकसाया है, और लडकेपर यह आरोप था कि उसने अनुचित साधनोसे प्राप्त अनुमतिपत्र द्वारा उपनिवेशमे प्रवेश किया है। इस आशयकी गवाही पेश की गई कि ५ जुलाईको पिता और पुत्रने साथ साथ यात्रा की और वे फोक्सरस्टसे गुजरे। वहा उनकी जाच की गई। पिताने अपना अनुमतिपत्र पेश किया ओर पुत्रने, ऐसा कहा जाता है, भाइमा नामके व्यक्तिको दिया गया अनुमतिपत्र पेश किया। निरीक्षक सिपाही यह कहनेमे असमथ था कि उपयुक्त अनुमतिपत्र लडकेने ही पेश किया था। लडकेके अँगूठोकी निशानिया ली गइ और प्रिटोरिया भेजी गइ। और चूकि वे भाइमाको दिये गये अनुमतिपत्रके अर्द्धाशपर मौजूद अँगूठेकी निशानियोसे नही मिली, इसलिए पिता और पुत्र दानो पॉचिफस्ट्रूममे गिरफ्तार कर लिये गये। एशियाई पजीयन कायालयके प्रधान लिपिक श्री कोडीके बयानसे यह भी प्रकट हुआ कि हर उम्रके ब्रिटिश भारतीयाको, चाहे वे पुरुष हा या स्त्री — स्त्रियाको, भले ही वे अपने पतियोके साथ हो, और बच्चोको, भले ही वे अपने माता पिताओके साथ हा — अपने अलग अलग अनुमतिपत्र पेश न करनेपर गिरफ्तार कर लिया जाये, यह अनुमति पत्र कार्यालयका निर्देश है। पिता पुत्र दोनोने इस बातसे इनकार किया कि पुत्रने भाइमाके नाम दिये गये अनुमतिपत्रसे उपनिवेशमे प्रवेश किया हे। मजिस्ट्रेटने पिताको बरी कर दिया, किन्तु पुत्रको अपराधी ठहराया और ५० पौड जुर्मानेकी या तीन मासकी सादी कैदकी सजा सुना दी। अपील दज कर ली गई हे। यह मामला बडे महत्त्वका समझा जाता हे, क्योकि अपने पिताके साथ सफर करते हुए कच्ची उम्रके एक लडकेको इतनी सख्त सजा दी गई है, यद्यपि मजिस्ट्रेट बाल अपराधियाके मामलोमे प्राप्त छूटके विशेषाधिकारोको ध्यानमे रखकर काय करते हैं।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २९–९–१९०६

४६७ डेलागोआ-बेके भारतीय

डेलागोआ बेमे भी ज्यो ज्यो अग्रेज घुसते जा रहे ह त्या त्यो भारतीयाकी मुसीबतोकी आशका बढती जा रही है। हमारा सवाददाता सूचित करता हे कि भारतीयोको वहासे हटाकर बस्तियामे भेजनेकी हलचल चल रही है। यह भी विदित हुआ है कि इस प्रकारकी हलचलके विरुद्ध भारतीय सख्त कारवाई करेगे। सवाददाता यह भी सूचित करता है कि डेलागोआ बेमे इस सम्बन्धमे टक्कर लेनेके लिए एक समिति तयार हुई है। हमे आशा है कि यह समिति जागत रहकर अपना काम करती रहेगी। हषका विषय है कि इस अवसरपर श्री कोठारी जसे सज्जन डेलागोआ बेमे मौजूद ह। श्री कोठारी बम्बईके उच्च न्यायालयके वकील और देशाभिमानी है। उन्होने डेलागोआ बेमे रहकर अपने समयका बहुत अच्छा उपयोग किया हे। उन्होने पुतगाली भाषा सीख ली है ओर हम मानते है कि उनका यह अभ्यास देश सेवा करनेमे बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। जहा जहा शिक्षित भारतीय बसे हुए ह वहा-वहा उनका कत्तव्य है कि अपनी शिक्षाका उपयोग देशसेवामे करे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २९-९-१९०६

४६८ चेतावनी

पहली सितम्बरके 'क्रूगसडाप स्टडड' मे नगर परिषदने एक भारतीय मामलेका विवरण प्रकाशित कराया हे। वह खेदजनक ओर समाजको लज्जित करनेवाला है। एक प्रतिष्ठित भारतीयने सूचनाके बावजूद जरूरी सुधार नही किया। उसके सोनेके कमरेमे कपडेकी छत लगी हुई थी और टट्टीकी जमीन ऐसी नही थी कि जिसमे गदा पानी भिदे बिना रह जाये। टट्टीमे बाल्टी नही थी, फिर भी उसका उपयोग किया गया था। सूचनाकी परवाह नही की गई, इसलिए नगर परिषदकी समितिने मुकदमा चलानेका आदेश जारी किया। नतीजा क्या हुआ, यह हमे नही मालूम। लेकिन एक प्रतिष्ठित भारतीय अपने घरको इतनी खराब हालतमे रखता है यह हमे नीचा दिखानेवाला है। भारतीय समाजपर गोरे लोग कई इल्जाम लगाते ह। उनमे गन्दगीका इल्जाम एक हे। ऐसे उदाहरण उन इल्जामोको सिद्ध करते है। और फिर ये उदाहरण प्रतिष्ठित व सम्पन्न भारतीयोके यहा मिलते है, तो उनका बुरा प्रभाव पडे बिना रह ही नही सकता। आशा हे, ऊपर जिस मामलेका उल्लेख किया गया है उससे भी सभी भारतीय सबक लेगे, और अपना घरबार साफ रखेगे। हमारे घरबारकी हालत जैसी चाहिए वसी नही होती, इससे इनकार नही किया जा सकता। स्पष्ट ही हमे ऐसी बातामे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए जिनमे हमारे दोष ज्यादा दिखाई पडते हो।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २९-९-१९०६

४६९ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

चाबुक

एम्पायर नाटकघरकी विराट सभा समाप्त हो गई। नाटकघर अब जल गया है। सभामें तीन हजार मनुष्य एकत्रित हुए थे, तालियाँ बजी थीं, उत्साह बतलाया गया था, अच्छा प्रभाव पड़ा था। लेकिन वह सब अब तो एक स्वप्नके समान गायब जान पड़ रहा है! इस नाटकघरमें एकत्रित सभी लोगोंने निश्चय किया था कि एक शिष्टमण्डल विलायत जाना ही चाहिए। इसके लिए धन संग्रह करनेमें जरा भी कठिनाई नहीं होगी। लोगोंपर पूरा विश्वास रखनेवाले इस संवाददाताने यही मान लिया था कि ऐसी बातें करनेवाले लोग छः सात हजार पौंड एक दिनमें ही इकट्ठा कर सकेंगे। परन्तु मुझे खेदके साथ कहना चाहिए कि आजतक शिष्टमण्डल और आन्दोलनके लिए आवश्यक कोषमें कोषाध्यक्ष श्री गुलाम मुहम्मदके पास एक हजार पौंड भी जमा नहीं हुए। जिनके पास पैसे इकट्ठे हुए हैं वे भी यह कहते उनसे चिपके हैं कि अभी दूसरे तो देते ही नहीं हैं। एक जगहसे तार आया है कि हम उगाही करनेवाले हैं। दूसरी जगहसे सूचना मिली है कि फलाँ सेठ पैसे देगा, उसके बाद भेजेंगे। तीसरी जगहसे खबर आई है कि एक जमात चन्दा नहीं दे रही है इसलिए हम नहीं भेजना चाहते। इस भाँति तरह तरहके कारणोंसे पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। इसके लिए कोई यह भी नहीं कह सकेगा कि पैसे जमा रखनेकी व्यवस्था ठीक नहीं है। भिन्न भिन्न कौमोंके करीब पच्चीस गण्यमान्य अगुओंकी एक समिति बनायी गई है। इस समितिकी मंजूरीके बिना एक भी चेक देना सम्भव नहीं है। चेकमें हस्ताक्षर करनेवाले चार व्यक्ति हैं, और समितिपर हर महीने तफसीलके साथ हिसाब प्रकाशित करनेका बन्धन है। मतलब यह कि एक तरफ तो हमारे दुःखोंकी सीमा नहीं और दूसरी ओर हमने बहुत ही सावधानीपूर्वक व्यवस्थापक वर्ग नियुक्त किया है, फिर भी यदि चन्दा इकट्ठा नहीं होता, तो इससे ज्यादा लज्जाकी कौन-सी बात होगी? यह समाचार प्रत्येक भारतीयकी परीक्षाका है और यदि हम इस परीक्षामें खोटे सिद्ध हुए तो हमें उसके लिए सख्त सजा भोगनी पड़ेगी। इसमें हमारी ही दुर्दशा हो सो बात नहीं, हमारे समाजको भी हमारे पापका परिणाम चखना पड़ेगा। चन्दा एकत्रित नहीं हुआ इतना ही नहीं, शिष्टमण्डलमें जानेवाले लोगोंके नाम भी निश्चित हो गये हों, सो नहीं कहा जा सकता।

श्री भाभाका मुकदमा

श्री भाभाके मुकदमेकी सर्वोच्च न्यायालय तक की रिपोर्ट दी जा चुकी है। न्यायाधीशोंकी सिफारिशके अनुसार श्री भाभाको दी गयी सजाएँ माफ कर दी गई हैं। और श्री भाभाको ट्रान्सवालमें रहनेका परवाना और पंजीयनपत्र मिल गये हैं। श्री भायातके मुकदमेके आधारपर आये हुए दूसरे तीन चार भारतीयोंको भी परवाने मिल चुके हैं। पुराने पंजीयनवाले दूसरे भारतीयोंका, जो अब भी बाहर हैं, क्या हाल होगा, कहा नहीं जा सकता। संभावना तो यह है कि जो ढील पहले होती रही थी वह अब नहीं होगी।

नादान बालकको कठोर दण्ड

सितम्बर १५ को फोक्सरस्टमें पॉचेफस्ट्रूम-निवासी श्री हाफिजी मूसा और उनके ११ वर्षके लड़के मुहम्मदपर अनुमतिपत्रका मुकदमा चला था। श्री हाफिजी मूसापर यह आक्षेप लगाया गया था कि उन्होंने झूठे अनुमतिपत्रमें अपने लड़केको दाखिल किया, और उनके लड़केपर यह आरोप था कि वह झूठे अनुमतिपत्रसे दाखिल हुआ।

जिस सिपाहीने इन दोनोकी जाच की थी वह अपने बयानमे नही बता सका कि उसने लडकेको देखा या नही। लेकिन लडकेके अगूठोके निशान लगवाये गये थे, यह उसके बयानसे साबित होता था। मजिस्ट्रेटने पिताको निर्दोष ठहराया है और लडकेको ५० पोड जुर्माने या तीन महीनेकी सादी कैदकी सजा दी है। ऐसे बालकको इतनी बडी सजा देना बहुत ही भयकर माना जायेगा। मजिस्ट्रेट यदि जरा भी दूरदेशीसे काम लेते तो उनकी समझमे आ जाता कि ऐसी सजा नादान बालकको नही दी जा सकती। इस सम्बन्धमे सर्वोच्च न्यायालयमे अपील की गई है ओर सम्भव है कि लडका छूट जायेगा।

श्री क्विन और भारतीय

श्री क्विन जाहानिसबगके महापोर आर व्यापार सघके अध्यक्ष भी है। उन महोदयने अपनी मासिक रिपोटमे एशियाई अध्यादेशका वाजिब कहा हे। बहुतेरे भारतीय बिना अनुमतिपत्रके दाखिल हो गये है। इससे यह सिद्ध होता हे कि इस तरहका अध्यादेश आवश्यक था। यूरोपवाले [कम खच] रहन सहनमे एशियाइयोका मुकाबला नही कर सकते। यदि इस कानूनको सरत माना जाये तो, उसमे दोष उन्ही लागोका हे। श्री नीवेनने पूनियाके[१] मामलेका उदाहरण देकर कहा था कि औरतापर जुल्म हो, यह तो व्यापारी सघ नही चाहेगा। इसके उत्तरमे क्विन महोदयने कहा कि ये लाग जानते है कि इ हे अनुमतिपत्रके बिना आने नही दिया जायेगा फिर भी आते है, इसलिए यह इ ही लोगाकी गलती हे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २९-९-१९०६

४७० ट्रान्सवालका कानून

बडी सरकारकी स्वीकृति

शिष्टमण्डलका जाना स्थगित

"मनचेता अधबिच रहे, हर चेतै सो हाय" ट्रासवालके भारतीयोके सम्बन्धमे यही पक्ति साथक हुई हे।

लॉर्ड एलगिनका उत्तर

इस बार, सोमवार यानी १ अक्तूबरको, जो शिष्टमण्डल भारतीयोकी पुकार लेकर विलायत जानेवाला था, उसके जहाजसे रवाना हो जानेकी सम्भावना थी। वास्तवमे शिष्टमण्डल पिछले सोमवारको ही जानेवाला था। लेकिन उसमे विघ्न आ गया और एक सप्ताहकी देरी हुई। जहाजका पास प्राप्त करनेकी तैयारी हो रही थी। सब जगह पत्र लिख दिये गये थे कि सोमवारको शिष्टमण्डल रवाना होगा। इतनेमे, यानी मगलवारको सबेरे, लाड सेल्बोनका नीचे लिखे अनुसार पत्र[२] आया

> **लॉड सेल्बोनके द्वारा लाड एलगिनने कहलाया हे कि नये सशोधनोके द्वारा भारतीयोको जितनी सुविधाएँ दी जानी चाहिए वे नये कानूनसे नहीं प्राप्त होती, यह लाड एलगिन समझते ह, फिर भी उन्होने उस कानूनको पसन्द किया हे, क्योकि उसके**

१ देखिए "ट्रान्सवालमें भारतीय स्त्रियोंकी मुसीबत", पृष्ठ ४५०।

२ पत्रपर २४ सितम्बर १९०६ की तारीख थी। इसपर उनके निजी सचिव डी० सी० मैल्कमके हस्ताक्षर थे।

द्वारा एशियाइयोकी बहुत कुछ असुविधाएँ दूर हो जायेगी। इससे ज्यादा सुधार ऐसे समयमे नही किया जा सकता जब स्वराज्य दिया ही जानेवाला है। लाड एलगिनने यह भी कहलाया है कि जो प्रतिनिधि विलायत जायेगे उन्हे अपने विचार प्रकट करनेका पूरा मोका दिया जायेगा। लेकिन उससे कुछ लाभ होगा, ऐसा वे नहीं मानते।

पत्रका अर्थ

इस पत्रका अथ यही हुआ कि लॉड एलगिनने शिष्टमण्डलको न भेजनेके लिए कहा हे। कानून पास हो जानेके बाद यदि शिष्टमण्डल गया तो स्पष्ट ही उससे कुछ लाभ न होगा। इस पत्रका अथ यह भी होता है कि भारतीय प्रजाने जो जोर दिखाया है और कानूनका मुकाबला करनेका प्रस्ताव किया है उसे दबाया जाये। यह अग्रेजोका रिवाज है कि जो लोग अधिक बढते दिखाई दे उनकी ओर सख्त नजर की जाये और उन्हे जोरसे पछाडा जाये। लॉड सेल्बोनने लॉड एलगिनको यह सलाह दी होगी कि यदि शिष्टमण्डल विलायत जायेगा और उससे लाड एलगिन मिलेगे तो भारतीयोको कानून रद हो जानेकी आशा बँधेगी। इस बीचमे वे अपनी शक्ति भी बढा लेगे। इसलिए शक्तिका जो अकुर फूटने ही वाला है, उसे इसी समय जला दिया जाये तो ठीक होगा। इस सलाहको मानकर लाड एलगिनने शिष्टमण्डलकी कहानी सुने बिना ही कानूनको पसन्द किया है।

अधीनस्थ यानी पराजित प्रजाओपर अग्रेजी शासन इसी प्रकार चलता रहा है। बहुत हद तक इस व्यवहारमे वे सफल हुए है। क्योकि पराजित और हततेज प्रजा बोलनेमे ही शूर होती है और जब कभी काम करनेका समय आता है, फिसल जाती है।

हमारा कर्तव्य

इस समय भारतीय प्रजाका क्या कतव्य हे, इसपर विचार करे। कानून भग करनेका जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया है वह उत्साहवधक भी है और उत्साहनाशक भी। यदि उसपर भारतीय प्रजा डटी रही, तो उससे उसका ट्रान्सवालमे मान बढेगा और उसके बहुतेरे दुख दूर हो जायेगे, इतना ही नही, सम्पूण दक्षिण आफ्रिकामे उसका फायदा दिखाई देगा और हमारी जन्मभूमिमे भी सैकडो व्यक्तियोको फायदा होगा। लेकिन यदि प्रस्ताव भग कर दिया गया, तो जिन्होने शपथ ली है, उनकी प्रतिज्ञा टूटेगी, सारी कौमकी नाक कटेगी, बदतर कौमकी ओरसे जो अर्जिया भेजी जायेगी उनका असर घट जायेगा, और स्थिति आजसे भी बदतर हो जायेगी। गोरे हँसेगे, सो तो अलग ही, वे थूकेगे, हमे लाते मारेगे और नामर्द कहगे। हम एक राष्ट्र ह, यह तो फिर माना ही न जायेगा।

साहसके बिना सिद्धि नहीं मिलती

महान काय करनेमे सदा ही ऐसी जोखिम उठानी पडती है। हम बडी जोखिम उठाकर व्यापार करते है, तब यदि लाभ हुआ तो वह भी बडा होता है, और यदि नुकसान हुआ तो वह हमे मटियामेट कर देता है। हमारे कवि[१] लिख गये है कि साहससे सिकन्दरने बादशाही भोगी, साहससे कोलम्बसने अमेरिकाको खोज निकाला। साहसके बिना सिद्धि नही मिलती। अग्रेज कौम स्वय साहसी है और साहसी राष्ट्रोकी ही तारीफ करती है। इसलिए हरएक भारतीयका निश्चित कर्त्तव्य है कि वह दुबारा [पजीयनपत्र] लेने जानेके बजाय जेल जाये और एम्पायर नाटकघरमे जो शपथ ली है उसका दृढतापूर्वक पालन करे।

१ आधुनिक गुजराती गद्य और पद्यके जनक नर्मदाशकर लालशकर दवे (कवि नर्मद) की ओर सकेत है जिन्हें गाधीजी अक्सर उद्धृत किया करते थे।

लॉर्ड सेल्बोर्नका दूसरा पत्र

उपर्युक्त सलाहका समर्थन करनेवाला लॉर्ड सेल्बोर्नका दूसरा पत्र आया है। उसका अनुवाद भी नीचे दिया गया है। ऊपर जिस पत्रका अनुवाद दिया गया है, वह लार्ड सेल्बोर्नने लार्ड एलगिनकी ओरसे लिखा है। अब वह खुद लिख रहे हैं। उसे देखिए

> **आपके संघ द्वारा दी गई दलीलोंसे मालूम होता है कि आप नये कानूनको समझते नहीं। जो प्रमाणपत्र जारी हो चुके हैं वे ठीक हैं या नहीं, इसकी जाँच करनेके लिए ही यह कानून बनाया गया है। इस कानूनके अनुसार वर्तमान पंजीयनपत्र वापस लेकर नये दिये जायेंगे, जिससे उनसे सही-सही परिचय मिल सके, और सही परिचयके अभावमें आज जो तकलीफें उठानी पड़ती हैं वे न उठानी पड़ें। जबतक स्वराज्यकी स्थापना नहीं हो जाती, तबतक देशमें अधिक भारतीयोंका प्रवेश नहीं होना चाहिए और उसके लिए यदि पंजीकरण करना आवश्यक हो, तो वह पूरा होना चाहिए।**
>
> **'एशियाई' शब्दकी परिभाषा और लड़ाईके पहले ट्रान्सवालमें रहनेवाले भारतीयोंकी स्थिति जैसी की तैसी रहती है। शराबके सम्बन्धमें जो संशोधन किये गये हैं वे भारतीयोंके लिए नहीं, बल्कि ऐसे अन्य एशियाइयोंके लिए हैं जिन्हें यह कानून बाधक है। नया कानून स्त्रियोंपर लागू नहीं होगा, सिर्फ मर्दोंपर ही लागू होगा।**
>
> **नया कानून जानबूझ कर अन्यायपूर्ण बनाया गया है और वह लार्ड सेल्बोर्नके पिछले भाषणोंके विरुद्ध है, इसे लार्ड सेल्बोर्न स्वीकार नहीं करते।**

इस उत्तरसे मालूम होता है कि लार्ड सेल्बोर्नने नये कानूनको जानने या आज क्या स्थिति है, उसे समझनेकी तकलीफ नहीं की। जहाँ इतना अन्धेर हो, वहाँ हमारा एक ही कर्त्तव्य होना चाहिए, और वह यह कि जेल जानेके चौथे प्रस्तावपर अमल किया जाये। सरकार यह तत्काल समझ लेगी कि बगैर दुःखके हजार व्यक्ति जेल जाना मंजूर नहीं करेंगे।

निधिकी आवश्यकता

लेकिन जैसे जेल जानेकी आवश्यकता है, वैसे धनकी भी आवश्यकता है। शिष्टमण्डलके जानेसे जो खर्च होता उससे अब ज्यादा खर्च होगा। जो व्यक्ति जेलमें जायेंगे उनके सम्बन्धमें तार भेजना, उनके जानेके बाद व्यवस्था करना, यह सब बिना खर्चके नहीं होगा। फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि लड़ाई दो-चार दिनमें समाप्त हो जायेगी। मतलब यह कि धनकी पूरी आवश्यकता होगी। इस सम्बन्धमें हमारे लोग पिछड़े हुए हैं, यह पहले कहा जा चुका है। इसके लिए पूरी खबरदारी बरतना और एकता कायम रखना बहुत जरूरी है।[1]

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-९-१९०६

१ निम्नलिखित अनुच्छेद **इंडियन ओपिनियन**के सम्पादक द्वारा जोड़ दिया गया था

छपते-छपते प्राप्त समाचार

'ऊपरकी बातोंसे मालूम होता है कि अब शिष्टमण्डलको भेजनेकी आवश्यकता नहीं रही। परन्तु हमें अभी-अभी तार मिला है जिससे मालूम होता है कि अध्यादेशको बड़ी सरकारकी स्वीकृति नहीं मिली है। इस तरह स्वीकृति प्राप्त होनेमें करीबन पाँच सप्ताह लग जाना सम्भव है। ऊपर जिन पत्रोंका उल्लेख किया गया है उन्हें पढ़नेसे मालूम होता है कि कुछ गलतफहमी हो गई है। इस सम्बन्धमें अगले सप्ताह विशेष स्पष्टीकरण पाना सम्भव है।'

४७१ तार ट्रान्सवाल गवर्नरको[1]

[जोहानिसबर्ग
सितम्बर ३०, १९०६][2]

ब्रिटिश भारतीय संघको लार्ड एलगिन द्वारा एशियाई अध्यादेशकी मजूरीपर खेद। उसकी नम्र सम्मतिमे मजूरीका कारण अध्यादेशके सम्बन्धमे गलतफहमी है। संघके खयालसे भारतीय समाजको कोई राहत नही दी जा रही। इसलिए संघने अत्यन्त सम्मानपूर्वक साम्राज्य सरकारके सम्मुख अध्यादेशके बारेमे भारतीय दृष्टिकोण रखनेके लिए युगलश्री गाधी और अलीका शिष्टमण्डल भेजनेका निश्चय किया है और प्रार्थना है कि सुनवाई होने तक सम्राट्की मजूरी रोक ली जाये।[3] शिष्टमण्डल अगली डाकगाडीसे रवाना हो रहा है।

ब्रिभास

[अंग्रेजीसे]

प्रिटोरिया आर्काईव्ज एल० जी० फाइल स० ९३ एशियाटिक्स

१ यह ब्रिटिश भारतीय सघकी प्रार्थनापर ट्रान्सवालके गवर्नर द्वारा २ अक्तूबरको उपनिवेश मन्त्रीके पास भेज दिया गया था।

२ शिष्टमण्डल १ अक्तूबरको इग्लैड जानेके लिए केप टाउनको रवाना हुआ। प्रत्यक्ष है यह तार उससे एक दिन पहले भेजा गया था। शिष्टमण्डल अपने साथ यह प्रमाणपत्र ले गया था ' यह प्रमाणित किया जाता है कि ब्रिटिश भारतीय सघके अवैतनिक मन्त्री श्री मो० क० गाधी और हमीदिया इस्लामिया अजुमनके अध्यक्ष श्री हाजी वजीर अली इग्लैड जाने और साम्राज्य अधिकारियोके सामने एशियाई अधिनियम सशोधन अध्यादेशके सम्बन्धमें भारतीयोका दृष्टिकोण रखने एव इग्लैडमें दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीयोके मित्रोसे भेंट करनेके लिए प्रतिनिधि चुने गये है।

३ पीछे यह ज्ञात हुआ कि यह मजूरी केवल ऐसा अध्यादेश पेश करनेके प्रस्तावपर थी, किन्तु स्वय अध्यादेशपर सम्राट्की मजूरी अभी शेष थी।

४७२ भाषण विदाई सभामे[1]

लन्दन जानेवाले शिष्टमण्डलके सदस्योको विदाई देनेके लिए ब्रिटिश भारतीय सघकी सभा हुई थी उसमें गांधीजीने अध्यक्ष श्री अब्दुल गनीके भाषणका जो उत्तर दिया था, उसका कुछ सार निम्नलिखित है

जोहानिसबग
सितम्बर ३०, १९०६

श्री गाधीजीने कहा कि म नेताओ और उनके अनयायियोके इस गम्भीर वचनका खयाल करके जा रहा हूँ कि वे किसी भी हालतमे नये अध्यादेशकी शर्ते पूरी नही करेगे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ६–१०–१९०६

४७३ हाजी वजीर अली[2]

श्री हाजी वजीर अली २३ नवम्बर १८५३ को मॉरिशस द्वीपमे पदा हुए और उनकी शिक्षा दीक्षा वहाकी सरकारी शालाओमे हुई। सन १८६४ मे उन्हाने 'कमर्शियल गजट' के दफ्तरमे मुद्रकके रूपमे काम शुरू किया और १८६८ मे उन्हे श्री पी० आदमकी पेढीमे जहाज गोदामके कारकुनकी हैसियतसे काम मिला। कुछ दिनो वे श्री जोशुआ ब्रदसके यहा और बाद एक अन्य पेढीमे क्रमश सहायक जहाज मुशी ओर जहाज मुशीका काम करते रहे। १८८३ मे, जसा हर दीनदार मुसलमानको लाजिम है, उन्होने मक्काकी यात्रा की और हाजी बने। सन १८८४ मे वे दक्षिण आफ्रिका आये और केप टाउनके बन्दरस्थानपर उतरे, जहा उन्हाने सोडा वाटर बनानेका अपना खुदका धन्धा शुरू किया। तबसे आजतक वे सदा देशकी राजनीतिमे सक्रिय भाग लेते रहे है और उन्होने रगदार लोगो, विशेषकर अपने सहधर्मियो, मलाइयो और अपने देशभाइयो — ब्रिटिश भारतीयो — की हालतको सुधारनेका प्रयत्न किया है। एक बार केप सरकारने मलाइयोका कब्रिस्तान शहरसे बहुत दूर निश्चित कर दिया था। मलाइयाने इसपर दगा कर दिया। श्री हाजी वजीर अलीके प्रयत्नोसे वह शान्त हुआ और अन्ततोगत्वा मुख्यत उन्हीके प्रयत्नासे एक ऐसा स्थान चुना गया जिससे मलायी समाज सन्तुष्ट हुआ।

१ यह **इडियन ओपिनियनके** ट्रान्सवाल स्थित प्रतिनिधि (श्री पोलक) की 'जोहानिसबर्ग टिप्पणियाँ" का एक अश है। अपनी पुस्तक **महात्मामें** तेंदुलकरने एक दूसरे भाषणका विवरण भी दिया है हम बशक अपनी शक्तिभर प्रयत्न करेंगे, किन्तु हमारी प्रार्थना स्वीकृत होनेकी सम्भावना नहीं सी है। इसलिए हमें मुख्यत चौथे प्रस्तावपर ही निर्भर रहना होगा। हम इग्लैंडके अपने सभी मित्रोको अपना मामला समझायेंगे। आप भी पजीयन न करायें और अपना कर्तव्य निबाहें। आन्दोलन चलानेके लिए धन इकट्ठा करना ही है। मगर इससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि हिन्दू और मुसलमान पूरी तरह एक होकर रहें। (पृष्ठ ९६ खण्ड १ झवेरी और तेंदुलकर बम्बई अगस्त १९५१) इस भाषणका स्रोत व तारीख उपलब्ध नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह हमीदिया अजुमन हालमें दिये गये भाषणका अश है या ऊपर दिया गया ब्रिटिश भारतीय सघवाला भाषण ही है।

२ "शिष्टमण्डलके व्यक्ति सक्षिप्त परिचय शीर्षकसे प्रकाशित लेखका एक अश। उसमें गाधीजीपर जो लिखा गया था वह यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 'जोहानिसबगकी चिट्ठी" पृष्ठ ४५९ भी देखिए।

केप टाउनमे रहते हुए श्री अली ससद और नगरपालिका दोनोके मतदाता थे। १८९२ मे वे रगदार जनमघ (कलर्ड पीपल्स आर्गेनाइजेशन) के अध्यक्ष चुने गये और मताधिकार कानून सशोधन (फ्रैंचाइज ला अमेडमेट) के सिलसिलेमे उन्होने प्रमुख रूपसे काय किया। २२,००० रगदार लोगोके हस्ताक्षरोसे प्राथनापत्र तैयार करके लदन भेजा गया। बादमे श्री अली जोहानिसबग चले गये। वहा भी वे ट्रासवालके ब्रिटिश भारतीयोकी स्थितिके बारेमे काय करते आ रहे है। युद्धके पूव उन्होने बडे बोअर कमचारियो और ब्रिटिश एजेटोसे मुलाकाते करके ब्रिटिश भारतीयोको राहत दिलानेके लिए बहुत कुछ किया था।

श्री अली हमीदिया इस्लामिया अजुमनके सस्थापक और अध्यक्ष ह। यह सस्था जोहानिस बगके मुसलमानोमे उत्तम और उपयोगी काय कर रही है। एम्पायर नाटकघरकी सावजनिक सभाका आयोजन करनेमे इसका प्रमुख हाथ था। अजुमन फूलती फलती हालतमे हे और सैकडो मुसलमान उसके सदस्य हैं।

श्री अली यद्यपि सर्वांग सम्पूण वक्ता नही है, लेकिन अग्रेजी भाषापर उनका बहुत अच्छा अधिकार है। उनकी आवाज उत्तम हे और वे प्राय धाराप्रवाह बोलते ह। उन्होने एक मलायी महिलासे विवाह किया है और उनके ११ बच्चे ह। स्त्री-शिक्षापर उनके विचार उदार हैं और रगभेदकी बाधाओके बावजूद वे अपनी लडकियोको अच्छी शिक्षा देनेका प्रयत्न करते रहे हैं।

[अग्रेजीमे]

इडियन ओपिनियन, ६–१०–१९०६

४७४ हॉगकॉगमे ईश्वरीय प्रकोप

सानफ्रान्सिस्को जैसा सुदर शहर एक क्षणमे धूलमे मिल गया और पल भरमे हजारो मनुष्य दबकर मर गये इस समाचारकी याद अब भी पीडा दे रही है। ऐसा ही भूकम्प चिलीमे हुआ है जिससे वालपारियो आदि स्थानोमे लाखो मनुष्य बेघर-बार हो गये ह और उनके भूखो मरनेकी नौबत आ गई है। यह गजबकी कहानी अभी पूरी भी नही हुई है कि एशियासे आवाज आ रही है कि वहाकी सताने अमेरिकासे कम अभागी नही हैं। चीनके दक्षिण, हागकागके समुद्रमे जगह जगह आधी और तूफान आनेके समाचार पिछले सप्ताह प्रकाशित हो चुके हैं। कई वाहन और जहाज खराब हो गये हैं, कई टूट-फटकर नष्ट हो गये ह। छोटी डोगिया और नावे पूरी-की पूरी समुद्रमे समा गई हैं और हजारो प्राणियोकी प्यारी जाने चली गई ह। बदरगाहके प्रवेश-द्वारमे पानी भर जानेसे नदिया शहरके रास्तोमे बहने लगी ह और मुसीबतसे घिरे हुए लोग नावोकी मददसे जान बचानेके लिए छटपटा रहे ह। कहा जाता है कि इस तूफानमे ५० जहाज और वाहन डूब गये। मछुओकी ६०० डोगिया सैर करने निकली थी, उनमे से कुछका ही पता चला है। कुछ नही तो १०,००० लोग मौतके मुहमे समा गये हैं। यह सब दो-तीन घटोमे ही हो गया। यह सुनकर विचारवान लोग दुखी होंगे। "ईश्वर पलकमे खलक करे" — वाचनमालाकी ये बातें प्रत्यक्ष दीखने लगी ह। ईश्वरकी गति गहन है। उसके कामोमे मनुष्यको हमेशा कुछ न-कुछ सार ग्रहण करनेको मिलता है। जब ऐसी घटना ताजी हो तब सदगुणीको आवाजे सुनाई पडने लगती है कि, "भले आदमी, अच्छा रास्ता पकड। मौत कब

आयेगी, यह कहा नही जा सकता, इसलिये सत्कम रूपी सम्बल इकटठा कर ले।" यही घटना उलटे रास्ते जानेवालेको चेताती है "नादान, अभिमान छोड और ईश्वरसे डरकर चल। कालको निवाला भरनेमे कुछ भी देर नही लगेगी।"

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ६–१०–१९०६

४७५ ट्रान्सवालके भारतीयोका कर्त्तव्य

ट्रासवालकी स्थितिके सम्बन्धमे हमने दूसरी जगह पूरा विवरण दिया है, इसलिए इस जगह हमे ज्यादा कुछ नही कहना है। यह समय इतना नाजुक है कि ट्रासवालके बाहर रहनेवाले सभी भारतीय चोक गये ह। सभीको लग रहा है कि ट्रान्सवालमे भारतीयोने जो कदम उठाया है वह बहुत ही मुश्किल हे। उसके सफल होनेपर ही उसे सही कहा जा सकता है। भारतीयोने जो प्रस्ताव पास किया है वह अनोखा है और नही भी हे। कानूनके सामने आत्म समपण करनेके बजाय जेल जानेका जो निणय किया गया है वैसा निणय आजतक भारतीयोने दुनियामे कही भी किया हो, सो दीख नही पडता। इससे हम उस कदमको अनोखा कहते है। दूसरी ओर हमने यह भी कहा है कि उसमे अनोखापन नही है। इसका कारण यह है कि इससे मिलते जुलते उदाहरण बहुतसे मिलते ह। हम कई बार नाराज होनेपर हडताल करते ह, और भारतमे कई बार हडतालको हम अपना कत्तव्य मान लेते है, खासकर देशी राज्यामे हडताल द्वारा हम न्याय प्राप्त करते है। वहा हडतालका अथ इतना ही होता हे कि हमारे राजाने जो कदम उठाया है वह हमे पसन्द नही है। कानूनके विरोधका ऐसा रिवाज हममे तबसे चला आ रहा है जब अग्रेज लोग जगली थे। इसलिए सच कहा जाये तो ट्रासवालके भारतीयोने जो प्रस्ताव पास किया है उसमे नयापन कुछ नही हे और इसलिए हमे घबडाना नही चाहिए।

इतना ही नही, दक्षिण आफ्रिकामे भी ऐसे उदाहरण मिलते है। स्वर्गीय राष्टपति क्रूगरने जब भारतीयोको मलायी बस्तीसे हटाकर टोबियानस्कीके फामपर ले जानेकी योजना की थी, तब एमरिस ईवान्सने, जो ब्रिटिश एजेट थे, हमे स्पष्ट सलाह दी थी कि हम राष्टपतिके आदेशको कतई न माने। इससे यह हुआ कि पुलिसकी जाच पडताल और जासूसोके घरामे घुस जानेके बावजूद हम लोग अटल रहे और सफल हुए।

परवानेकी तकलीफ थी, तब भी भारतीयोने बेधडक बिना परवानेके शहरोमे व्यापार किया। वे बोअर सरकारसे नही दबे और विजयी हुए। उस सरकारने हमे बस्तीमे भेजनेका बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह भेज नही सकी।

लडाईके बादके उदाहरण ढढना चाहे, तो वे भी मिल सकते है। लाड मिलनरने जब भारतीयोपर 'बाजार' सूचना रूपी तलवार उठाई थी उस समय एक बार तो लोग घबडा गये थे। लेकिन फिर विचार किया और अन्तमे बस्तीमे नही जानेका निणय किया। पॉचेफस्ट्रूममे सम्मन भी जारी किये गये थे लेकिन उन्हे वापस लेना पडा था। मूअर साहबने लोगोके फोटोवाले पास शुरू किये थे, लेकिन उन्हे लेनेमे लोगाने आनाकानी की और उस नियमको उठाना पडा।

दूसरी कौमोंके उदाहरण चाहें तो वे भी हमें सहज ही मिल जाते हैं। हाटेन्टॉट लोगोंके लिए पासका नियम है। उन्होंने इस नियमका विरोध किया है और वे पास नहीं लेते। सरकार उन लोगोंका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। नेटालके काफिरोंपर मकान कर लगा हुआ है, फिर भी जूलू लोगोंकी कुछ कौमें ऐसी हैं जो बिलकुल परवाह नहीं करतीं। उनसे सरकार कर नहीं ले रही है, यह गुप्त रूपसे सभी जानते हैं।

इन सब उदाहरणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे लिए डरनेका कोई कारण नहीं है। फिर भी उपर्युक्त उदाहरणोंमें और भारतीय लोगोंके प्रस्तावोंमें कुछ अन्तर है। इन सब उदाहरणोंमें किसी भी कौमने मिलजुलकर सामूहिक प्रस्ताव नहीं किया था। फिर, लोगोंने कानूनको न माननेकी बात तो पसन्द की थी, लेकिन यह तय नहीं किया था कि इसका परिणाम कैसे भोगा जाये। जैसे कि हॉटेन्टाट लोगोंको यदि कोई पास न लेनेके सम्बन्धमें पकड़ता है तो उनमेंसे कुछ जुर्माना देते हैं, और कुछ जेल चले जाते हैं। ट्रान्सवालके भारतीयोंने यह निर्णय किया है कि वे नया पंजीयनपत्र लेनेके बजाय जेल जाना मंजूर करेंगे। उनके लिए दूसरे दो रास्ते खुले हैं—या तो जुर्माना दें या देश छोड़ दें। इन दोनोंको समितिने गम्भीरतापूर्वक विचार करके नामंजूर कर दिया है। इसीमें नयापन है इसीमें खूबी है और इसीमें बल है। यदि जुर्माना देने लगे, तो सरकार इतना ही चाहती है। यदि देश छोड़ दें तो गोरे लोग तालियाँ बजायेंगे खुश हो जायेंगे और झंडे फहरायेंगे। यह सब हमें नहीं करना है। क्योंकि इसमें हमारी बदनामी और नामर्दगी जाहिर होगी। जेल जाना एक विशिष्ट बात है, यह एक पवित्र कदम है और इसीके द्वारा भारतीय प्रजा अपनी प्रतिष्ठा कायम रख सकेगी। इससे यदि हमारा व्यापार डूब जाये, तो क्या हुआ? मकान और सामान जल जायें तो व्यापारी संतोष मानकर बैठ जाता है, और फिर जवाँमर्दीसे व्यापार शुरू करके पेटके लायक कमा लेता है। जिसके हाथ पैर हैं और बुद्धि है, ऐसे मनुष्यके लिए इस देशमें कभी भूखों मरनेका प्रसंग नहीं आता। और कौम या देशके भलेके लिए यदि सौ सवा सौ व्यक्ति भिखारी बन जायें, तो उसमें नई बात कौनसी है? अंग्रेज ऐसे ही व्यक्तिकी इज्जत करते हैं। उनमें ऐसे महापुरुष हो गये हैं और होते हैं, इसीलिए तेज झलकता रहता है। वाट टाइलर, जान हैम्डन, जान बनियन आदि ऐसे ही वीर थे जिन्होंने अंग्रेजी राज्यकी नींव डाली है। वे कौन थे और उन्होंने क्या किया, यह हम और कभी कहेंगे।[1] लेकिन जबतक हम उनका अनुकरण नहीं करते तबतक हम अधम स्थिति ही भोगते रहेंगे। इस समय हमारी कौमको अपना पुरुषार्थ बतानेका मौका मिला है। हम आशा करते हैं कि वह मौकेको हाथसे नहीं जाने देगी, रणमें भी जूझेगी और सम्पूर्ण बलिदानका संकल्प करके केसरिया बाना धारण करेगी। भारतका वह भी समय था जब कि कोई लड़का रणसे हारकर भाग आता, तो उसकी माता उसका मुँह देखनेसे भी इनकार कर देती थी। हमारी जगन्नियन्तासे प्रार्थना है कि ट्रान्सवालका हर भारतीय अपने उस समयकी याद रखे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६–१०–१९०६

१ देखिए ' टाइलर हैम्डन और बनियन ' पृष्ठ ४८८–९० ।

४७६ तार उपनिवेश-मन्त्रीको[1]

जोहानिसबग
अक्तूबर ८, १९०६

ब्रिटिश भारतीय सघ सरकारी 'गजट' मे प्रकाशित फ्रीडडाप बाडा अध्यादेश पढकर दु खी है। फ्रीडडापमे एशियाइयोके नाम पट्टोके तबादले और उनके निवासपर प्रतिब ध अ यायपूण। निवदन हे सवका विरोधपत्र पहुँचने तक शाही मज्री स्थगित रखी जाये।

[अग्रेजीसे]

क लोनियल आफिस रेकडस २९१, खण्ड १०३

४७७ प्रार्थनापत्र लॉर्ड एलगिनको[2]

जोहानिसबग
अक्तूबर ८, १९०६[3]

सेवामे
परमश्रेष्ठ परममाननीय अल आफ एलगिन
सम्राटके मुरय उपनिवेश म त्री
ल दन

ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय सघके अध्यक्षकी हैसियतसे अब्दुल गनीका प्राथनापत्र

नम्र निवेदन है कि,

(१) ट्रा सवाल ब्रिटिश भारतीय सघ २८ सितम्बरके ट्रा सवाल 'गवनमेट गजट'मे प्रकाशित १९०६ के फ्रीडडॉप बाडा अध्यादेशके सम्ब धमे लॉड महोदयसे आदरपूवक यह प्रायना करता है।

(२) प्रार्थीके ध्यानमे आया है कि यह अध्यादेश तबतक लागू न होगा 'जबतक गवनर 'गजट' मे यह घोषित न करे कि सम्राटकी सरकारकी इच्छा उसका निषेध करनेकी नही है।"

१ यह ८ नवम्बरको ट्रान्सवालके गवर्नरको भेजा गया था और उ होने ब्रिटिश भारतीय सघके अनुरोधपर, इसे तार द्वारा उपनिवेश म त्रीको भेज दिया था। अनुमानत इस तारका मसविदा गाधीजोने १ अक्तूबरको इंग्लैंडके लिए रवाना होनेके पहले और २८ सितम्बरको फ्रीडडॉप बाड़ा अध्यादेशके सरकारी गजट में प्रकाशित होनेके बाद तैयार किया होगा। बादमें यह ब्रिटिश भारतीय सघ द्वारा भेजा गया होगा।

२ यह १३-१०-१९०६ के **इडियन ओपिनियन** और २-११-१९०६ के **इडियामें** भी प्रकाशित किया गया था।

३ यद्यपि यह आवेदनपत्र गाधीजीके इग्लड रवाना होनेके एक सप्ताह बाद दिया गया था तथापि सम्भव है कि २८ सितम्बरके गजट में अध्यादेशके प्रकाशित होनेपर गाधाजीने भारतीयोंके लिए एक वहुत गम्भीर प्रश्नके सम्ब धमें यह आवेदनपत्र तैयार किया हो और इसको उचित समयपर भेजनेका काम ब्रिटिश भारतीय सघको सौंप दिया हो।

इसलिए प्रार्थीने आप महानुभावकी सेवामें एक तार[1] भेजा था और प्रार्थना की थी कि सम्राटकी इच्छा तबतक घोषित न की जाये जबतक संघको आप महानुभावके सम्मुख अपनी बात निवेदन करनेका अवसर नहीं मिलता।

(३) संघ उपर्युक्त अध्यादेशकी अनुसूचीकी धारा ५, ८ और ९ का आदरपूर्वक विरोध करता है।

(४) उल्लिखित धाराएँ इस प्रकार हैं :

५. यह पट्टा किसी रंगदार व्यक्तिको हस्तान्तरित न किया जा सकेगा और यदि वह किसी ऐसे व्यक्तिके नाम पंजीकृत होगा तो यह पट्टा इस तथ्यके कारण ही अमलके बाहर और खत्म हो जायेगा।

८. उक्त बाड़ा या उसका कोई भाग या उसपर बना मकान किसी भी रंगदार व्यक्ति या एशियाई उपकिरायेदारको नहीं दिया जायेगा। इस शर्तको तोड़नेपर परिषद धारा ४ में बताये गये तरीकेसे लिखित सूचना देकर तुरन्त इस पट्टेको खत्म कर सकेगी।

९. पट्टेदार किसी रंगदार व्यक्ति या एशियाईको, जो किसी यूरोपीयका कानून-सम्मत नौकर न हो और उस समय उक्त बाड़ेमें न रहता हो, उस बाड़ेमें, या उसके किसी भागमें न तो रहने देगा और न कब्जा करने देगा। यदि पूर्वकथित नौकर जैसे व्यक्तिके अलावा कोई दूसरा रंगदार व्यक्ति या एशियाई उक्त बाड़ेमें रहता या उसके किसी भागपर कब्जा रखता पाया जायेगा तो परिषद पट्टेदारको धारा ४ में बताये गये तरीकेसे यह सूचना दे सकती है कि वह उस व्यक्तिको सूचना मिलनेके बाद तीन सप्ताहके भीतर उस बाड़ेमें या उसके किसी भागमें रहनेसे या उसपर कब्जा रखनेसे मना कर दे और यदि इस अवधिकी समाप्तिपर ऐसा व्यक्ति उस बाड़ेमें रहता, उसपर या उसके किसी भागपर कब्जा रखता पाया जायेगा तो परिषद पुरन्त पट्टेदारको पहले बताये गये तरीकेसे सूचना देकर यह पट्टा खतम कर सकती है।

(५) फलतः, अध्यादेशसे इस प्रकार घरेलू नौकरोंके सिवा अन्य ब्रिटिश भारतीयोंका निवास निषिद्ध हो जाता है।

(६) इस तरहके निषेधसे ब्रिटिश भारतीयोंके लिए एक नई निर्योग्यता पैदा हो जायेगी।

(७) संघकी विनम्र सम्मतिमें संकल्पित प्रतिबन्ध लगानेका कोई औचित्य नहीं है।

(८) इसके अलावा संघ महानुभावका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करता है कि ब्रिटिश भारतीय अध्यादेशसे प्रभावित क्षेत्रमें पिछले बहुत वर्षोंसे बाड़ोंपर काबिज रहे हैं, जो उनको मूलतः फ्रीडडार्पके डच नागरिकोंसे प्राप्त हुए थे।

(९) ऐसे बाड़ोंमें कुछ ब्रिटिश भारतीयोंने पुख्ता इमारतें बना ली हैं और कुछ इस समय पट्टेपर लिये हुए बाड़ोंमें या तो रहते हैं, या व्यापार करते हैं।

(१०) यदि वे धाराएँ, जिनपर आपत्ति की गई है, मंजूर कर दी गईं, तो ऐसे सभी लोगोंपर, जिनका उल्लेख इस आवेदनपत्रमें पहले किया जा चुका है और जिनके स्वार्थ स्थापित हो चुके हैं, विपरीत प्रभाव पड़ेगा और कुछका तो सारा धंधा ही चौपट हो जायेगा।

(११) संघ यह बतानेकी धृष्टता करता है कि जब कुछ समय पूर्व इस अध्यादेशके मसविदेपर रिपोर्ट देनेके लिए फ्रीडडार्प आयोगकी बैठक हुई थी तब ऐसी कोई भी धाराएँ

1. देखिए पिछला शीर्षक।

शामिल करनेपर, जैसी कि ऊपर बताई गई है, ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे आयोगके सम्मुख आपत्तियाँ पेश की गई थीं।

(१२) संघ महानुभावका ध्यान इस तथ्यकी ओर भी आकर्षित करता है कि अध्यादेश-से प्रभावित क्षेत्र मलय बस्तीसे लगा हुआ है जिसमें एशियाइयोंकी, मुख्यतः ब्रिटिश भारतीयोंकी बड़ी आबादी है। फ्रीडडार्प और मलय बस्तीके निवासियोंके सम्बन्ध सदा ही सन्तोषजनक रहे हैं।

(१३) संघ अनुभव करता है कि यदि उल्लिखित धाराएँ महानुभाव द्वारा मंजूर कर दी गईं तो उनकी मंजूरी दूसरी नगरपालिकाओंके लिए नजीर बन जायेगी और उसके फल-स्वरूप ब्रिटिश भारतीय अन्ततः नौकर-चाकरोंके दर्जेमें पहुँच जायेंगे और जबरदस्ती बस्तियोंमें भेज दिये जायेंगे।

(१४) इसलिए प्रार्थी नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता है कि उल्लिखित अध्यादेश नामंजूर कर दिया जाये, या ऐसी अन्य राहत दी जाये जो महानुभावको उचित प्रतीत हो।

और न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए प्रार्थी सदा दुआ करेगा, आदि, आदि।

जोहानिसबर्ग, तारीख ८ अक्तूबर, १९०६

अब्दुल गनी
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय संघ

दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४३८४) से।

४७८. शिष्टमण्डलकी यात्रा — १

[जहाजपर
अक्तूबर ११, १९०६ के पूर्व]

नये एशियाई कानूनके सम्बन्धमें विलायत जानेवाले शिष्टमण्डलका चुनाव हुआ। उसमें क्या-क्या मुसीबतें आईं, उसे 'इंडियन ओपिनियन' के पाठक जानते हैं। श्री अब्दुल गनी, श्री अली और श्री गांधी, तीन व्यक्ति जायें यह लोगोंने पहलेसे ही तय कर दिया था। लेकिन आखिर श्री अब्दुल गनी तैयार नहीं हुए और श्री अली तथा श्री गांधीको ही जाना पड़ा।

प्रारम्भमें ही विघ्न

ऊपर कहे अनुसार शिष्टमण्डलमें दो व्यक्ति जायें, ऐसा स्पष्ट निर्णय २८ सितम्बर शुक्रवारको हुआ। 'आर्माडेल कासिल' से चलनेका निश्चय हुआ और शनिवार, २९ सितम्बरको जहाजके टिकट खरीदे गये। सोमवार, अक्तूबर १ को केप मेलसे जाना था। उसका टिकट भी ले लिया गया। लेकिन एक घंटे बाद स्टेशन मास्टरने कहलाया कि इस मेलसे शिष्टमण्डल नहीं जा सकता, रातको ९ बजे गाड़ी जाती है, उससे जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि केप मेलसे जाना टल गया, तो 'आर्माडेल कासिल' से नहीं जा सकते और शिष्टमण्डलको एक सप्ताहकी देरी हो जायेगी। श्री गांधीने तत्काल इसकी सूचना टेलीफोनसे महाप्रबन्धकको दी और यह बताया कि जाना कितना जरूरी है। महाप्रबन्धक स्टेशन मास्टरकी रोकका मतलब समझ नहीं पाये, इसलिये उन्होंने कहा कि मैं पता लगाकर टेलीफोन करूँगा। एक घंटेके बाद सूचना मिली कि स्टेशन मास्टरने गलती की है और शिष्टमण्डल केप मेलसे जाये तो कोई हर्ज नहीं है।

रेलगाडीपर

शामको ६–१५ बजे गाडीपर चढे। पहलेसे तय किये हुए लोग स्टेशनपर पहुँचानेके लिए आये थे। उनमे श्री अब्दुल गनी, श्री ईसप मिया, श्री कुवाडिया, श्री उमरजी, श्री शहाबुद्दीन, श्री फेन्सी, श्री भीखूभाई आदि सज्जन थे। श्री भीखूभाई नारियल वगैरह लाये थे। सबसे हाथ मिलाकर विदा ली।

श्री हाजी वजीर अलीकी हालत

श्री हाजी वजीर अली पिछले दिनोके कामके कारण थके हुए थे। इसलिये वे पस्तहिम्मत हो रहे थे। उन्हे सन्धिवातका रोग है। उसमे रास्तेमे तकलीफ होगी यह भय उन्हे तभी था जब शिष्टमण्डलकी बात चल रही थी और वह रेलगाडीसे ही सत्य साबित होने लगा। श्री हाजी वजीर अलीके जोडोमे ऐंठन शुरू हुई। मुझसे जितनी भी सेवा करते बनी वह की। मैंने उनके जोडोको दबाया व पकडा। लेकिन उससे दर्दमे कमी नही हुई। श्री अली अपना खाना साथ लाये थे। उन्होने वही खाया। कॉफी पी। दूसरा कुछ लेनेकी उनकी इच्छा न थी। मै सलूनमे खानेको गया। वहा उबाले हुए आलू और मटर थे। वे लिये और रोटी खाई। श्री भीखूभाईने जो मेवा बाध दिया था, वह भी खाया। मुझे जो कुछ लिखना था, वह लिखा। श्री अली १० बजे सोये। मै लिखकर बारह बजे सोया। श्री अलीकी रात अध-निद्रामे बीती। मगलवारका सबेरे उठते ही उनकी पीडा बहुत बढ गई। साथ ही बुखार भी चढ आया ओर खासी भी शुरू हो गई।

केप मेलकी व्यवस्था

जहाजमे जसी व्यवस्था रहती है, केप मेलमे भी लगभग वैसी ही व्यवस्था रखी जाती है। सवेरेस ही खाना शुरू हो जाता है। स्नान तक की व्यवस्था वहा रहती है। यात्री फुहारेसे भी स्नान कर सकते है। इस ट्रेनमे सिर्फ पहले दर्जेके लोग ही जा सकते है।

केप टाउनमे

केप टाउनमे गाडी बुधवारको २ बजे पहुँची। वहा श्री यूसुफ हमीद गुल, श्री आमद गुल, श्री लछाराम और श्री अब्दुल कादिर स्टेशनपर मिलने आये थे। श्री यूसुफ हमीद गुलने अपने यहा खाना बनवाया था। वह खाकर हम ४–४५ बजे रवाना हुए थे। ये तीनो सज्जन जहाजपर भी आये थे।

'आर्मडेल कासिल'

यूनियन कासिल प्रणालीके काफिलेमे आर्मडेल कासिल बडेसे बडे जहाजोमे से है। इसका वजन १२,९७३ टन, इसकी शक्ति १२,५०० हॉर्स पावर और लम्बाई ५९० फुट ६ इच है। इसकी चौडाई ६४ फुट ६ इच और उँचाई ४२ फुट ३ इच है। उसमे पहले वर्गके ३२०, दूसरे वर्गके २२५ और तीसरे वर्गके २८० यात्री चल सकते है। हर वर्गके यात्रियोके लिए विशाल एव सुदर भोजन-कक्ष है। उनमे हवाके आने जानेके लिए व्यवस्था भी उत्तम है। हर वर्गके लिए पढनेको पुस्तके मिलती है और पढनेके लिए अलग अलग कमरे बने हुए है। स्नानकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और गर्म तथा ठडा पानी जितना चाहे उतना मिल सकता है। पाखाने बहुत ही साफ रखे जाते है और उनमे सूचना लगी रहती है कि कोई यात्री बैठक न बिगाडे। पहले और दूसरे वर्गके चार चार विभाग है। हमारा टिकट पहले वर्गके तीसरे विभागका है और हरएकको वापसी टिकटके लिए ७९ पौंड १५ शि० देना पडा है।

खानेकी व्यवस्था

इन जहाजोमे न जाने क्यो ऐसी व्यवस्था होती है कि मानो यात्रियोको सारे दिन खाते ही रहना है। सवेरे ६ बजे नौकर काफी, रोटी और मेवे लाता है। साढे आठ बजे सलूनमे कलेवा किया जाता है। उसमे करीबन दस तरहकी चीजे होती है। ग्यारह बजे छत (डेक) पर चाय और बिस्कुट आते है। एक बजे फिर सलनमे दोपहरका खाना शुरू होता है। उसमे भी दस पन्द्रह चीजे होती ह। शामको चार बजे चाय, बिस्कुट और रोटी वगैरह, साढे छ बजे सलूनमे खाना और रातको नो बजे या कुछ देरसे यात्रीकी रुचिके अनुसार चाय, काफी, बिसकुट वगरा चीजे। यह सब जहाजके किरायेमे शामिल है। इसके अलावा यात्रीको बीचमे या कलेवेके समय शराब वगरह चाहिये, तो वह अलग। उसके पैसे देने पडते है। ऐसे यात्री, जो शराब वगैरह न लेते हो, क्वचित ही मिलते है।

यात्री

हमारे साथी यात्रियामे तीन व्यक्ति विशिष्ट है। उनके नाम देना जरूरी हे। एक तो ट्रासवालके कायवाहक लेफ्टिनेट गवनर सर रिचड सालोमन और लेडी सॉलोमन है। वे खास तौरसे लाड एलगिनसे मिलने जा रहे है। दूसरे दक्षिण आफ्रिकाके प्रख्यात खगोल शास्त्री सर डेविड गिल है और तीसरे केप सर्वोच्च न्यायालयके न्यायाधीश सर जॉन बकेनन ह। इनके अलावा लाड वामर भी हमारे साथ है।

श्री अली और मैने कैसे समय बिताया, श्री अलीकी स्थिति कैसी है और हमने खानेकी क्या व्यवस्था की है, इसका विवरण हम दूसरे भागमे देगे। इस बीच, परेशानीसे बचनेके लिए यहा म इतना बता देता हूँ कि श्री अलीकी तबीयत अब सुधर गई है और वे जब मै यह लेख लिख रहा हूँ, डेकपर मजा कर रहे है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १०–११–१९०६

४७९ शिष्टमण्डलकी यात्रा — २

[जहाजपर
अक्तूबर ११, १९०६]

हमने क्या किया

मै पहले भागमे बता चुका हूँ कि जब हम जहाजपर चढे तबतक श्री अलीकी तबीयत सुधरी नही थी। उन्हे बिस्तरपर ही रहना पडा। अपने साथ वे जो गोलिया लाये थे, वे उन्होने ली और मुझसे सोप लिनिमेटकी मालिश करवाई। उससे कुछ फक तो दिखाई दिया, लेकिन दद नही गया। तीसरे दिन डॉक्टरको तबीयत बताई। उसने पसीना आनेकी दवा फेनासिटीन दी। उससे सधिया नरम पडी, और चौथे दिन श्री अली बिस्तरसे उठे। लेकिन फिर भी पूरा आराम नही हुआ। फिर मैने उन्हे डाक्टर कूनेका उपचार आजमानेकी सलाह दी। डॉ० कूनेके उपचारके मुताबिक श्री अली गरम और ठडे पानीसे स्नान करते है। सवेरे खाना नही खाते। पहले वे सवेरे उठकर काफी लेते थे, कलेवेके समय दलिया, कॉफी और मेवे लेते थे।

जहाज 'आर्माडिल कासिल' से

दोनो समयका खाना बन्द करके उन्होंने एक बजे खाना शुरू किया। दवा बन्द कर दी। इस उपचारका आज तीसरा दिन है (ता० ११ अक्तूबर)। श्री अली उससे ठीक हैं। एक बजे भख लगती हे ओर जो बद्धकोष्ठ था तथा अजीण रहता था वह अब नही है। वे बीडी भी एक बजेके पहले नही पीते। आज भी यद्यपि तबीयत बिलकुल ठीक नही कही जायेगी, फिर भी सधिवातपर काबू पा लिया है, और घूमने फिरनेमे कुछ ही तकलीफ होती है। उनकी खुराक सादी है। दोपहरमे मछली और आलू, पुडिग और काफी तथा सोठका पानी (जिजर एल) लेते है। शामको चार बजे चायका एक प्याला, साढे छ बजे मछली, हरी सब्जी, पुडिग ओर सोठका पानी और काफी लेते है। इतना खानेके बाद और भी किसी चीजकी इच्छा उन्हे रहती हो, सो नही मालूम होता। पाठकोको यदि यह जाननेकी जिज्ञासा हुई हो कि मै क्या खाता हूँ, तो मने तीन दिन तक तो तीन वक्त खानेका नियम रखा था। लेकिन उतना खानेकी आवश्यकता न समझ अब एक बजे दूध, रोटी, आलू, उबला हुआ मेवा और मलाई तथा सोडा या सोठका पानी, चार बजे कोको और शामको साढे छ बजे आलू, उबली हुई हरी सब्जी, ओर उबला हुआ मेवा और सोडा या सोठका पानी ले लेता हूँ। रोटी और दूसरा मेवा नही खाता। इसका कारण यह है कि मेरी हिली हुई दाढमे दद हे। इस खुराकसे बिलकुल सतोष रहता है और काम बहुत हो सकता है। इसका मुख्य कारण मै यह मानता हूँ कि एक बजे तक पेटमे कुछ न जानेसे उपयक्त खुराकसे सतोष हो जाता है और वह बस होती हे। यह खुराक कुछ तो मेरे नियमके बाहरकी मानी जायेगी, फिर भी चकि ठीक ही रहता हूँ, इससे सिद्ध होता हे कि जो खाना भूख लगनेपर खाया जाता है, वह तकलीफ नही देता।

श्री अली जस्टिस अमीर अलीकी पुस्तक 'इस्लामकी स्फूर्ति' (स्पिरिट ऑफ इस्लाम) और वाशिगटन इरविगकी पुस्तक 'मुहम्मद और उनके बादके लोग' (मुहम्मद ऐड हिज सक्सेसस) पढ रहे है। म तमिलका अभ्यास करता हूँ और फॉब्स कृत 'रासमाला' अथवा 'गुजरातका इतिहास' और 'विदेशी प्रवासी रिपोट' (एलियन इमिग्रेशन रिपोट) पढ रहा हूँ। अब चूकि मदीरा नजदीक आ गया है, इसलिए 'ओपिनियन' की डाक शुरू की है। हम दाना दूसरे यात्रियोके सम्पकमे कम आते ह। सर रिचड सालोमनके साथ कभी-कभी कुछ बातचीत होती है। हमारे साथ चीनी राजदूत, उनकी नौ वषकी लडकी तथा एशियाई कानूनके सम्बन्धमे चीनी शिष्टमण्डलके प्रतिनिधि श्री जेम्स है। चीनी राजदूत अपनी राजकीय पोशाक पहनते है। खुद स्वभावसे मिलनसार, विनोदी और होशियार है। उनकी लडकीको अग्रेजी शिक्षा अच्छी मिली है। इसलिए वह हँसी मजाक करती कराती हे और यात्री उसके साथ खुलकर व्यवहार करते है।

जहाजमे साधारण स्थिति

दूसरे यात्री बडे आनन्दसे दिन बिताते है। आज एक सप्ताहसे खेल चल रहे ह। उनपर इनामोके लिए चन्दा किया गया है। हम दोनोको एक एक गिन्नीकी चपत लगी है। खेलोमे छतका क्रिकेट, चकरी फेकना, चम्मचमे अडा लेकर दौडना आदि होते है। ये खेल १२ तारीखको पूरे होगे, और १४ तारीखको इनाम बँटेगा। रातके समय यात्री नाच करते है। उस समय हमेशा बड बजता है। खेलमे रिचड सालोमन भी भाग लेते ह। हम उनमे भाग नही ले सके। इसका मख्य कारण है श्री अलीकी तबीयत और मेरा अध्ययन। रविवारको खेल बन्द रहते है। सलूनमे 'चच' लगता हे ओर वहा ईसाई-प्रथाके अनुसार खुदाकी इबादत की जाती है।

विचार तरग

यह सब देखकर मेरे मनमे हर समय प्रश्न उठता रहता है कि अग्रेज राज्य क्यो करते है। तब कवि नमदाशकरका[१] यह काव्य याद आता है

राज करे अग्रेज देश रहता ह दबकर,
दबे न क्योकर देश, देहका देखो अ तर
वह पॅचहत्था ज्वान, पाच सौको भी पूरे।[२]

आदि। ओर जस जैसे देखता जाता हूँ, वैसे वैसे समझमे आता जाता हे कि "अग्रेज पूरे पाच हाथ लम्बा और पाच सौके लिए काफी" ही नही, वह सब तरहसे पूरा है। वह साहबी करनेमे भी चमकता हे और गरीबीमे भी चमकता हे। हुक्म करनेवाला भी वही हे ओर हुक्म मानने वाला भी वही है। वह बडेसे बडा और छोटेसे छोटा बनकर रहता है। पसा कमाता भी वही है, और उडाता भी वही है। मण्डलीमे कैसे रहना, कैसे बोलना चाहिए, यह भी वह जानता हे। दूसरोके सुखपर उसका सुख निभर है, यह वह समझ सकना है। जिस मनुष्यको युद्धमे देखा, वह यहा अलग ही दिखाई देता है। युद्धमे जो आदमी अपना सब काम अपने हाथसे करता है, लम्बी लम्बी मजिले तय करता हे, सूखी रोटी खाकर सुख मानता हे, वही यहा कुछ काम नही करता। बटन दबाते ही तुरन्त नौकर उसकी सेवामे हाजिर होता है। उसको खानेके लिए तरह तरहकी चीजे चाहिए। नित्य नये कपडे पहनता है। यह सब उसे शोभा देता हे। लेकिन इससे वह छक नही जाता। वह दरियाकी तरह अपनेमे सब कुछ पचा सकता है। यद्यपि वह धमको बहुत कुछ नही समझता फिर भी जब मण्डलीमे बठता है तब अदबसे काम लेता हे, और जैसे भी हो, रविवारका पालन करता हे। ऐसी जाति राज्य क्यो न करे?

यह जहाज एक गावके समान है। इसमे एक हजार व्यक्ति होगे। फिर भी न काई आवाज है, न गडबडी। सब अपना-अपना काम करते रहते है। केवल लहरे गाया करती है ओर याद दिलाती ह कि उनकी गति निरन्तर चलती ही रहती हे। विशेष विचार तीसरे भागमे करूँगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १७–१०–१९०६

१ देखिए पादटिप्पणी पृष्ठ ४६९।
२ अंग्रेजो राज करे देशी रहे दबाई
देशी रहे दबाई, जोने बेनां शरीर भाई
पलो पाच हाथ पूरो, पूरो पाचसेंने।

४८० नये नगरपालिका-कानूनके सम्बन्धमें दो शब्द

जोहानिसबर्ग नगरपालिकाको कुछ अधिकार देनेवाला कानून हम दूसरी जगह दे रहे हैं। उसके विरुद्ध कहनेको कुछ नहीं रहता। वह कानून सबपर लागू होता है, और, कहा जा सकता है कि शहरकी स्वास्थ्य-रक्षाके हेतु अथवा ऐसे ही दूसरे कारणोंसे आवश्यक है। बहुतेरे कानूनोंके सम्बन्धमें तो हमें अपने ही विरुद्ध खड़े होनेकी जरूरत है। हम अपना आँगन साफ न रखें और उससे हमें दुःख उठाना पड़े, तो उसके लिए हम दूसरोंको दोष नहीं दे सकते। उपर्युक्त कानूनसे यह मालूम होता है कि यदि हम स्वच्छताके नियम भंग करेंगे तो बड़ी कठिनाई होगी। यदि हम पहलेसे नहीं चेतेंगे तो फिर हमारे ही हाथों हमारा सिर फूटेगा। हमारे परवाने छिन जायेंगे और हम हाथ मलते रह जायेंगे। जिनके आस पास दुश्मन रहते हों उन्हें बहुत ही चेतकर रहना पड़ता है। यहाँकी भाषामें कहें तो ऐसे लोगोंको लागर[1] रचकर रहना पड़ता है। हमारी यही हालत है। स्वच्छता आदिके सम्बन्धमें हमें गोरोंसे बढ़ जाना है। यह स्थिति अभी नहीं आई है। लेकिन यदि हम नींदमें उठें, आलस्य छोड़ें, लगनशील बनें और थोड़ा सा लोभ छोड़ें तो हम गन्दगीके पाशसे छूट सकते हैं। गन्दगी रूपी नासूर हमें सदा ही पीड़ा देता है, और क्षीण कर डालता है। नासूरको चीरते समय जैसे पहले दर्द होता है और बादमें हम सुखी होते हैं, उसी तरह गन्दगी रूपी नासूरको चीरनेकी आवश्यकता है। यह काम हमीदिया व हिन्दू आदि सभाओंका है, और वह भी सिर्फ ट्रान्सवालमें ही नहीं, सभी जगह। क्या ये सभाएँ जागेंगी?

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३–१०–१९०६

४८१ दावानल

आजकल दक्षिण आफ्रिकाके सार्वजनिक मण्डलोंमें एशियाई सवालको लेकर विशेष चर्चा होने लगी है। ऐसी चर्चा में जहाँ जरा सा भी मौका हाथ आता है, भारतीयोंको तुरन्त आगे रख दिया जाता है। इन निन्दकोंमें व्यापार-संघ मुख्य हैं। डेलागोआ-बेमें व्यापार संघकी एक सभा हुई थी, जिसके समक्ष भारतीयोंको पृथक बस्तियोंमें भेजनेका सुझाव पेश किया गया था। यह हम पहले कह चुके हैं। अभी[2] मैरित्सबर्गमें व्यापार-संघकी एक बैठक हुई थी। उसमें संघने भारतीय व्यापारियोंके सम्बन्धमें अपने कुछ विचार प्रकट किये। अध्यक्षने अपने भाषणमें कहा था कि रंगदार व्यापारियोंकी संख्या बढ़ी है और गोरोंकी संख्या घटी है। अध्यक्ष श्री ग्रिफिनने बोलते समय आँकड़ोंका खयाल रखा होगा, सो नहीं जान पड़ता। भारतीय व्यापारियोंकी संख्या इतनी बढ़ी है कि उसे सुनकर चौंक जायेंगे, ऐसा कहनेसे पहले उन्हें साबित करना चाहिए था कि एशियाई व्यापारियोंकी संख्या इतनी बढ़ी है। फिर श्री ग्रिफिन यह भी कहते हैं कि गाँवोंमें

१ आक्रमणसे रक्षाके लिए बैलगाड़ियोंका घेरा, या अन्य प्रकारकी तात्कालिक किलाबन्दी।

२ २ अक्तूबर १९०६को।

भारतीय इतने जम गये ह कि वे निकायमे अपने प्रतिनिधि भेज सकते ह। यह बात भी ऊपरकी बातकी तरह ही बेबुनियाद है। लेकिन मान ले कि सही है तो उसमे बुरा क्या हुआ? क्या भारतीय देशकी समृद्धिमे वद्धि नही कर रहे है? जिस तरह यूरोपीय व्यापारियोको सरक्षण चाहिए उसी तरह भारतीय व्यापारियोको भी उसकी उतनी ही आवश्यकता है। भाषणमे श्री ग्रिफिनके मुहसे यह भी निकला कि दूकान कानून भारतीयोको मारनेका हथियार बन गया है। दूकान कानून भारतीयोके लिए बनाया गया है, यह इससे भी स्पष्ट हो जाता है। लेकिन खूबी तो यह है कि भारतीयोको कुचलनेके लिए कानून बनाया गया, फिर भी भारतीय फूले फले है, यह स्वय गोरे लोग ही स्वीकार करते है। यदि स्थिति यह है तो भारतीयोमे कुछ न कुछ कुशलता होनी ही चाहिए। और यदि वह कुशलता है तो फिर भारतीयोसे वह गुण सीखनेकी अपेक्षा उन्हे बदनाम करनेमे शक्ति लगानेसे क्या लाभ होगा?

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १३-१०-१९०६

४८२ पत्र रामदास गाधीको[१]

[आमाडेल कासिल
अक्तूबर २०, १९०६ के पूर्व]

चि० रामदास,

मुझे अब तुम्हारे पत्र मिलने ही चाहिए।

मोहनदास

रामदास गाधी
'इडियन ओपिनियन'
फीनिक्स, नेटाल

गाधीजीके स्वाक्षरोमे मूल गुजरातीसे
सौजन्य श्रीमती सुशीला बहन गाधी

१ यह पत्र गाधीजीने जिस कार्डपर लिखा है उसकी दूसरी तरफ उनके जहाजका चित्र है।

४८३ शिष्टमण्डलकी यात्रा — ३

[जहाजपर
अक्तूबर २०, १९०६ के पूव]

विशेष विचार तरग

इस यात्रा विवरणके सिलसिलेमे अग्रेजोकी समद्धिके कारणोपर कुछ प्रकाश डाला गया है। मै जानता हूँ कि जसे ढालके दो पहलू होते है उसी तरह अग्रेजोके रहन सहनके भी दो पहलू ह। उलटा पहलू देखना हमारा काम नही। कहावत हे कि हम पानी और दूध अलग करके दूध ही लेता है। उसी प्रकार हमे भी अपने शासकोके अच्छे गुणोको समझकर उन्हीका अनुकरण करना हे। इसलिए हमने जिस तरीकेसे विचार करना शुरू किया है उसीको यदि चालू रखे तो मालूम होगा कि जहाजपर सारे दिन सब लोग आनन्द विनोद ही नही करते रहते। जिन्हे काम हे वे भी, बिना किसी टीमटामके, मानो काम करना भी स्वाभाविक ही है अपना काम करते रहते है। जहाजपर ऐसे यात्री भी है जो पुस्तके पढा करते है। उनकी पढाई विनोदके लिए नही बल्कि इसलिए होती हे कि पढना आवश्यक हे। लेकिन पढना समाप्त हो जानेके बाद वे भी आनन्द-विनोदमे शामिल हो जाते है। जहाजके कमचारी अपना काम नियमित रूपसे करते रहते है, एक मिनटकी भी टालमटूल नही करते। अपने आसपासकी टीमटाम देखकर वे हैसियतको भूल नही जाते। उन्हे ईर्ष्या नही होती। वे अपने काममे मशगूल रहते है। ऊपर जो भी लिखा गया है उसमे से बहुत-से काम तो हम करते है, और कुछ बातोमे तो हम अग्रेजोसे भी बढ जाते है। लेकिन यदि समग्ररूपसे देखे और सभी बातोकी तुलना करे तो अग्रेजोकी जमा बाजू हमसे बढ जायेगी। जिस जहाजमे हम बैठे है उसको बनानेकी शक्ति हममे नही हे। यदि बना ले तो चलाना नही जानते। सावजनिक जीवनकी शुद्धतामे हम उनका मुकाबला नही कर सकेगे। इतने सारे लोग बिना हल्लागुल्ला किये एक साथ काम कर सकते है, यह शक्ति हम शायद ही दिखा सकेगे। उनके रहन सहनकी पद्धति ऐसी है कि उससे वे काफी समय बचा सकते है, और इस जमानेमे समय बचाना पसा बचानेके बराबर है। इस जहाजमे छापाखाना है। उसमे उनके कायक्रम और भोजन सूची छपती रहती है। थोडा लिखनेके लिए टाइपराइटर रहता है। खाना पकानेका काम ज्यादातर यन्त्रसे होता है। इससे शुद्धि रहती हे और समय बचता है। जिस तरहका जीवन वे बिताते है — बिताना चाहते है — उसके लिए यह सब आवश्यक है। इससे हमे उनके दोषपर दष्टि न डालकर, ईर्ष्या न करके, यह समझना चाहिए कि उन्हे जो कुछ भी मिला है वे उसके लायक है, और उनके लिए ज्यादातर वैसा करना आवश्यक है। यह किस तरह किया जाये, इसपर विचार करनेकी यह जगह नही। यात्रा करते करते जो तरगे मेरे मनमे उठी ह उन्हे मने उसी रूपमे पाठकोके समक्ष रख दिया हे।

जहाजकी गति तथा हवा

इस काफिलेके जहाज सामान्यत तेजीसे चलनेवाले है। हम प्रति दिन अन्दाजन ३७० मील चलते ह। चार दिन हवा ठडी रही। लेकिन जैसे जसे ऊपर चढ रहे ह, गर्मी बढती जा रही हे। फिलहाल हम भूमध्य रेखाके पास है। इससे गर्मी सख्त है ओर ऐसी गर्मी इस हिस्सेमे सदा ही

कि इतनी गर्मी होनेके बावजूद ज्यादा गर्मी नही मालूम होती। कोठरियो (कैबिनो) की खिडकियोसे हवा आनेकी व्यवस्था रहती है, जिससे उनमे सारी रात ठडक रहती है। खानेमे भी वे लोग रुचिके अनुसार परिवतन करते है और हर यात्रीको पखा दिया जाता है।

सर रिचर्ड सॉलोमनसे बातचीत

हम मदीरा पहुँचनेकी तैयारीमे थे। उस समय सर रिचड सालोमनसे हमारी बातचीत हुई। सारी बातचीतके बीच उन्होने बतलाया कि किसी समय वे आयोग नियुक्त करनेके बारेमे सोचेगे। उन्हे यह सूचना मिली है कि भारतीयोने हर बन्दरगाहपर एजेट मुकरर कर दिये है, जो आनेवाले लोगोको ट्रान्सवालका भगोल बतलाकर दाखिल कर देते ह, और इस प्रकार बहुतसे लोग दाखिल हुए है। इसका अथ यह हुआ कि सारी कोम दगाबाज हे ओर उसकी सजा देनेके लिए ही नया कानून बनाया गया है। दूसरे दिन सर रिचडने श्री अलीको नया कानन स्वीकार करनेकी सलाह दी। इससे लगता हे कि सर रिचडने आयोग नियुक्त करनेका विचार छोड दिया हे। मेरे खयालसे उसका कारण यह है कि उन्हे उत्तरदायी सरकारका प्रथम गवनर बननेका लाभ हे। तब यदि आयोग वगैरह नियुक्त करके हमारी दलीलोको मान ले तो सम्भव हे उससे उनका नुकसान हो जायेगा। इसलिए वे हमारे लिए कुछ करना नही चाहते।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८–११–१९०६

४८४ कुछ प्रश्न

ट्रान्सवालके नये कानूनके सम्बन्धमे बहुतेरे प्रश्न पूछे गये है। उनमे से महत्त्वपूण प्रश्न और उनके उत्तर हम नीचे दे रहे ह

प्रश्न

१ कानूनका विरोध किस तरह किया जाये?
२ उसमे बचाव क्या किया जा सकता है?
३ जमानत देकर छटना चाहिए या नही?
४ सजा क्या हो सकती है?
५ पहले फेरीवालोको पकडा जायेगा या दूसरोको?
६ व्यापारियोका क्या हाल होगा?
७ अगले वष परवानोका क्या होगा?
८ जेल जानेसे भी फायदा न हो, तो?
९ कोई कोई लोग नये पजीयनपत्र ले ले तो?
१० पजीयन करानेमे क्या हज हे?

उत्तर

१ बहुतेरे भारतीयोकी राय है कि पहली जनवरी को सभी भारतीयोको अदालत या जेलके दरवाजेपर उपस्थित होकर कहना चाहिए कि हमे पकडो, हम नये पजीयनपत्र नही लेना चाहते। लडाई इस तरहसे नही की जा सकती है। इस तरह सभी लोग हाजिर हो जायेगे तो उन्हे कोई पकडनेवाला नही होगा। पकडना या न पकडना यह सरकारकी मर्जीपर है। उसके नियमके

अनुसार तो जनवरीके पहले बहुतेरोको पजीयनपत्र ले लेने चाहिए। यदि इस अवधिमे किसी भी भारतीयने पजीयनपत्र न लिया तो सरकारको फिक्र होगी। सम्भव है, वह नेताओ से पूछे। लेकिन सरकार पूछे या न पूछे, सघको तो पत्र लिखना ही होगा कि भारतीयोमे से कोई भी पजीयनपत्र लेने नही जायेगा। इसपर यदि सरकारको मुकदमा चलाना हो तो, बेहतर होगा कि, वह अगुओपर चलाया जाये। सरकार इस पत्रको माने या न माने, यदि वह पजीयनपत्र न लेनेकी बिनापर एक या ज्यादा व्यक्तियोको गिरफ्तार करती है, तो श्री गाधीको अपने वचनके अनसार पैरवी करनेको जाना होगा। वहाँ बचावमे और कुछ कहना नही है। वहा वे सिफ पिछला इतिहास सुनायेगे और बतलायेगे कि पजीयनपत्र न लेनेमे न लेनेवालेका गुनाह नही हे, बल्कि उसे श्री गाधीका या सघका गुनाह माना जाना चाहिए, क्योकि उन्हीकी सलाहसे यह हुआ हे। इसपर, सम्भव हे लोगोको उकसानेकी बिनापर श्री गाधीको ही गिरफ्तार किया जाये, या फिर गिरफ्तार किये गये लोगोको थोडी सजा ही दी जाये अथवा जुर्माना किया जाये। जुर्माना तो हमे देना नही है, अत जेल जाना ही रहा। इस मामलेके तार सारी दुनियामे जाये और ऐमे जो दूसरे मामले हो, उनके तार भी भेजे जाये।

२ ऊपर जो बताया गया है उसके सिवा बचाव करनेको और कुछ नही रहता। यदि सरकारी वकील कानूनमे गलती करे तो उसका फायदा जरूर उठाया जा सकेगा।

३ जब जेल जानेका प्रस्ताव किया जा चुका है तब जमानत देकर छटनेकी बात ही नही रहती। इस प्रकार जेल जानेमे बदनामी नही है।

४ सजा हमेशा जुर्मानेकी, और जुर्माना न देनेपर जेलकी, या जुर्माने और जेल दोनोकी हो सकती है। और, अगर यह जुर्माना न दिया जाये तो और जेलकी। जुर्माना तो हमे देना ही नही है। किसीको हाथ पकडकर निकाल देनेकी सजा नही दी जा सकती। यदि कोई जेल भोगकर आनेके बाद भी पजीयनपत्र न ले तो वह गुनहगार ठहरता है। यानी, यदि सरकार चाहे तो सबको हमेशाके लिए जेलमे रख सकती है।

५ पहले किसे पकडा जायेगा, यह नही कहा जा सकता।

६ व्यापारी वगके सभी लोगोको जेल जाना पडे, यह सम्भव नही। फिर भी, यदि जाना ही पडे, तो उसमे हज जैसा कुछ नही। ऐसा होनेपर दूकान बन्द ही कर देनी चाहिए, या किसी भरोसेके गोरेको सौपी जा सकती है। सरकार यहातक जाये, सो होगा नही। फिर भी यह माननेकी जरूरत नही कि अमुक बात हो ही नही सकेगी।

७ नये कानूनके अनुसार जिन्होने नये पजीयनपत्र न लिये हो उन्हे परवाने पानेका हक नही है। यदि परवाना न दिया जाये तो परवानेका शुल्क भेजकर हमारा जो भी धन्धा हो उसे चालू रखा जाये। यदि बिना परवानेके व्यापार करनेपर मुकदमा चलाया जाये, तो भी जुर्माना न देकर जेलकी सजा ही भोगी जाये।

८ यह सवाल उठता ही नही। जेल स्वय ही फायदा है तो फिर उसमे दूसरा प्रश्न ही क्या? अँगुलियोकी छाप देनेसे बढकर बेइज्जती और किसमे है? जिसमे हम बेइज्जती मानते है, वह काम हम करेगे ही क्यो? दूसरे चोरी करे तो हम थोडे ही करेगे। हैम्डनने[1] जब कर देनेसे इनकार किया तब उसने ऐसा विचार नही किया था।

९ जो नये पजीयनपत्र लेगे उनकी नाक कटेगी और वे भारतीय समाजके तिरस्कारपात्र बनेगे।

१ देखिए टाइलर, हैम्डन और बनियन पृष्ठ ४८८–९० ।

१० पंजीयनपत्र लेनेमें यह आपत्ति है कि हमारी स्थिति काफिरोंसे भी बदतर हो जायेगी। पंजीयनपत्र लेने या न लेनेसे बिना अनुमतिपत्रवाले लोगोंका फायदा होगा या नुकसान, यह सवाल यहाँ उठता ही नहीं। नये पंजीयनपत्र लेनेमें हमारी ही नाक कटती है। नाक कटानेमें जितनी आपत्ति है उतनी ही आपत्ति पंजीयनपत्र लेनेमें है। जिनसे जेल सहन न की जा सके उनके लिए यही ठीक होगा कि वे ट्रान्सवाल छोड़ दें। देश छोड़नेमें भी नामर्दगी तो है ही, लेकिन पंजीयनपत्र लेनेमें ज्यादा नामर्दगी है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०–१०–१९०६

४८५ आशाकी किरण

सार्वजनिक सभाके प्रस्ताव कहाँतक फायदेमन्द होंगे, इसके बारेमें शायद ही दो मत हों। उनमें से तीसरे और चौथे प्रस्तावोंके बारेमें जानना है। उनका फल मिलनेकी बात अभी दूर है। वह भारतीय समाजकी दृढ़तापर अवलम्बित है। चौथे प्रस्तावपर दृढ़तापूर्वक डटे रहनेमें लाभ ही होगा। और फिर, कौन कह सकता है कि उसका प्रभाव आजसे ही नहीं होने लगा है? एक दफा शिष्टमण्डल भेजनेसे सम्बद्ध तीसरे प्रस्तावको रद कर देनेका विचार किया गया था। आजकी खबरोंसे मालूम होता है कि शिष्टमण्डल समयसे चला गया, यह बहुत ही अच्छा हुआ है। हमारा जोहानिसबर्ग-संवाददाता कहता है कि उपनिवेश मन्त्रीने लॉर्ड सेल्बोर्नको तार भेजा है कि भारतीय शिष्टमण्डलका निवेदन सुने बिना एशियाई कानूनको मंजूरी नहीं दी जायेगी यह ब्रिटिश भारतीय संघको सूचित कीजिए। इतनेमें तीसरे प्रस्तावका काम पूरा हो जाता है। उपनिवेश-मन्त्रीने हमारे निवेदनको जो महत्त्व दिया, उसके कारणोंकी खोज की जाये तो चौथे प्रस्तावका प्रभाव एक मुख्य कारण माना जायेगा। लॉर्ड एलगिनके तारसे तीसरे प्रस्तावकी उपयोगिता सिद्ध होती है और साथ ही चौथे प्रस्तावका प्रभाव भी दिखाई देता है। शिष्टमण्डलको सफलता मिले या न मिले, यह तो सिद्ध होना ही है कि बड़ी सरकारने ट्रान्सवालके भारतीयोंकी ओर कुछ दृष्टि फेरी है। ऐसे समयमें शिष्टमण्डल दरअसल बहुत काम कर सकेगा। चौथा प्रस्ताव जब इतनेमें ही अपना प्रभाव दिखाने लगा है, तो जब उसपर अमल किया जायेगा, तब क्या उसका विलायत और दूसरे हिस्सोंपर असर हुए बिना रह सकता है?

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०–१०–१९०६

४८६ टाइलर, हैम्डन और बनियन

हम इन तीन व्यक्तियोंका उल्लेख कर चुके हैं[१]। इन लोगोंने अपने देशके लिए जो कुछ किया है उसका सौवाँ हिस्सा भी हममेंसे कोई व्यक्ति दक्षिण आफ्रिकामें करे तो हमारी बेड़ी टूट सकती है।

वाट टाइलर बारहवीं सदीमें हुआ। एक बार इंग्लैंडके राजाने किसानोंपर भारी कर लगा दिया। वह कर अन्यायपूर्ण था। टाइलरने वह न देनेका निश्चय किया। उसके साथ बहुत-से किसान

१ देखिए "ट्रान्सवालके भारतीयोंका कर्तव्य", पृष्ठ ४७४–५।

हो गये। फौजने टाइलर और उसकी टोलीका सामना किया। टाइलर मारा गया। लेकिन अंतमें किसानोंके सिरसे करका बोझ भी चला गया। इस घटनाके बाद लोगोंको अपनी सत्ताका जो भान हुआ उसका ज्यादा परिणाम सत्रहवीं सदीमें देखनेको मिला।

उस समय इंग्लैंडमें चार्ल्स राज्य करता था। उसे विदेशोंमें युद्ध करना था। उसका खजाना खाली हो चुका था। इसलिए उसने जहाजी कर (शिपमनी टैक्स) लागू किया। उस समय जॉन हैम्डन नामका एक सम्पन्न और इज्जतदार व्यक्ति था। उसने देखा कि राजाको यदि इस तरह कर दिया जायेगा तो आखिर इस राजाकी माँग और भी बढ़ेगी, और लोग दुःखी होंगे। इसलिए उसने कर देनेसे इनकार कर दिया। बहुत-से लोग उसके साथ हो गये। कुछ लोग कर देनेको तैयार भी हो गये। लेकिन हैम्डन अपनी बातपर दृढ़ रहा। उसपर भारी मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीशोंने उसे सजा देते हुए निर्णय दिया कि हैम्डनने कर नहीं दिया यह गलती की। सजा हो जानेपर भी हैम्डनने कर नहीं दिया। हैम्डन और उसके साथियोंको लोगोंने जेलमें बधाई दी। उसकी तरह और लोग भी दृढ़निश्चय रहे। बहुतोंने कर नहीं दिया। बड़ा विद्रोह उठ खड़ा हुआ। बादशाह घबड़ाया। फिर जाँच शुरू हुई। हजारों लोगोंको जेलमें नहीं बन्द किया जा सकता। इसलिए पिछले निर्णयको दूसरे न्यायाधीशोंसे रद करवाया। हैम्डन छूटा। उसने स्वतन्त्रताके युद्धका जो बीज बोया था उसका विशाल वृक्ष बन गया। उसीके श्रमके परिणामस्वरूप क्रामवेल पैदा हुआ और इंग्लैंडको सच्ची स्वतन्त्रता मिली तथा लोगोंको राज्यव्यवस्थामें हाथ बँटानेका मौका मिला। हैम्डन देशके लिए लड़ते लड़ते मरा फिर भी अमर है।

जॉन बनियन एक साधु पुरुष था। उसे भगवानकी प्रार्थना करनेके सिवा दूसरा कोई व्यसन न था। उसने उस समयके, अर्थात् सत्रहवीं सदीके धर्मका भारी अत्याचार देखा। उसे धर्माध्यक्ष (बिशप) की आज्ञाके अनुसार कार्य करना ठीक नहीं मालूम हुआ। वह सिर्फ खुदाकी आवाजको ही मानता था। वह अपनी पत्नी और बच्चोंको छोड़कर बेडफोर्डकी जेलमें बारह वर्ष रहा। वहाँ उसने अंग्रेजी भाषाकी एक अच्छीमें अच्छी पुस्तक लिखी।[1] उस पुस्तकको पढ़कर लाखों लोग समाधान प्राप्त करते हैं। वह इतनी सरल भाषामें लिखी गई है कि बच्चे और बड़े सभी उसको आसानीसे पढ़ सकते हैं। जहाँ बनियनने जेल भोगी वह अब अंग्रेजोंके लिए तीर्थस्थान बन गया है। बनियनने दुःख भोगा लेकिन उसने प्रजाको दुःखसे छुड़ाया। आज इंग्लैंडमें लोग धार्मिक स्वतन्त्रता भोग रहे हैं सो बनियन जैसे साधु पुरुषोंके प्रतापसे ही।

जिस जातिमें ऐसी त्रिमूर्ति पैदा हो वह क्यों न राज्य करे? इन महापुरुषोंने इतना दुःख उठाया, तब यदि ट्रान्सवालके भारतीयोंको कुछ समय जेल भोगना पड़े, या व्यापारमें नुकसान उठाना पड़े तो उसे ज्यादा नहीं कहा जायेगा। यदि वे इतना न करेंगे, तो उनकी अपकीर्ति होगी, करेंगे तो सहज ही बन्धन छूट जायेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०–१०–१९०६

१ पिलग्रिम्स प्रोग्रेस।

सामग्रीके साधन-सूत्र

कलोनियल आफिस रेकर्ड्स उपनिवेश कार्यालय लन्दनके पुस्तकालयमे सुरक्षित कागजात। देखिए भाग १, पृष्ठ ३५९।

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली गांधी साहित्य और सम्बन्धित कागजातका केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय। देखिए भाग १, पृष्ठ ३५९।

'इंडिया' (१८९०–१९२१) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समिति, लन्दन द्वारा प्रकाशित। देखिए भाग २ पृष्ठ ४१०।

इंडिया आफिस रेकर्ड्स भूतपूर्व इंडिया ऑफिसके पुस्तकालयमें सुरक्षित भारतीय मामलोंसे सम्बन्धित कागजात और प्रलेख जिनका सम्बन्ध भारत-मन्त्रीसे था।

'इंडियन ओपिनियन' (१९०३–) एक साप्ताहिक पत्र जिसका प्रकाशन डर्बनमें शुरू किया गया परन्तु जो बादको फीनिक्समें ले जाया गया। यह १९१४ में गांधीजीके दक्षिण आफ्रिकासे रवाना होने तक लगभग उन्हींके सम्पादकत्वमें रहा।

क्रूगर्सडार्प नगर परिषद रेकर्ड्स, क्रूगर्सडार्प।

पत्र पुस्तिका (१९०५) फीनिक्समें प्राप्त गांधीजीके लगभग एक हजार पत्रोंकी दफ्तरी प्रतियोंका सजिल्द संग्रह। अधिकांश पत्र व्यवसाय सम्बन्धी हैं और १० मई तथा १९ अगस्तके बीच १९०५ में लिखे गये।

'महात्मा' मोहनदास करमचन्द गांधीका जीवन चरित श्री दी० गो० तेंडुलकर, झवेरी और तेंडुलकर, बम्बई १९५१–५४, आठ जिल्दोंमें।

'नेटाल मर्क्युरी' (१८५२–) डर्बनका एक दैनिक समाचारपत्र।

प्रिटोरिया आर्काइव्ज दक्षिण आफ्रिकी सरकारके प्रिटोरियामें सुरक्षित कागजपत्र।

'रैंड डेली मेल' जोहानिसबर्गका एक अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र।

साबरमती संग्रहालय, अहमदाबाद पुस्तकालय तथा संग्रहालय जिनमें गांधीजीके दक्षिण आफ्रिकी काल और १९३३ तक के भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात रखे हैं।

'दक्षिण आफ्रिकाना सत्याग्रहनो इतिहास' (गुजराती) मो० क० गांधी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर अहमदाबाद।

'सिलेक्टेड लेटर्स' मो० क० गांधी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९४९।

भारत सेवक समिति, पूना।

'स्टार' जोहानिसबर्गसे प्रकाशित सान्ध्य दैनिक।

'ट्रान्सवाल लीडर' जोहानिसबर्गसे प्रकाशित एक दैनिक।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१९०५–१९०६)

१९०५

जुलाई १ परवानो और विशेष बस्तियोसे सम्बन्धित तथा अनधिकृत देहाती जमीनो और रिहायशी मकानोपर लगाये गये करके बारेमे नेटालके नये मन्त्रिमण्डलके विधेयकोकी गाधीजीने आलोचना की।

ब्रिटिश भारतीय सघने उच्चायुक्तसे आवदन किया कि लेफ्टिनेट गवनर आरेंज रिवर उपनिवेशमे नगरपालिकाके रगभेद करनेवाले काननोका निषेध कर दे।

जुलाई ८ 'इडियन ओपिनियन' मे गाधीजीने माग की कि भारतमे नमक कर रद कर दिया जाये।

जुलाई १३ ब्रिटिश भारतीय सघने अध्यादेशकी तीसरी उपधाराका, जिसके द्वारा एशियाई बाजारोका नियन्त्रण नगर-परिषदोको दे दिया गया था विरोध किया।

जुलाई १४ गाधीजीने जोहानिसबगकी नगर परिषदसे यह आश्वासन मागा कि भारतीयोको टामगाडियोमे यात्रा करनेकी सुविधाएँ दी जाये।

जुलाई १५ 'इडियन ओपिनियन' मे केप प्रवासी-अधिनियमकी आलोचना की।

जुलाई १७ के बाद 'डेली एक्सप्रेस' को अपना मतभेद प्रकट करते हुए पत्र लिखा कि उसके एक सवाददाताने बोअर युद्धके पूव पीटसबगमे रहनेवाले भारतीय व्यापारिया और फुटकर दूकानदारोकी जा सख्या बताई हे वह गलत है।

जुलाई २० भारतमे बग भग घोषित।

जुलाई २२ गाधीजीने दक्षिण आफ्रिकी राजनीतिज्ञोसे साम्राज्यकी सरक्षामे भारतीयोके योगदानको दष्टिमे रखते हुए ब्रिटिश भारतीयोके साथ किये जानेवाले व्यवहारपर पुर्नविचार करनेका अनुरोध किया।

अगस्त ५ एडविन आर्नोल्ड स्मारक कोषमे १० शिलिग चन्दा दिया।

अगस्त ९ नेटाल विधान परिषदने व्यक्ति कर विधेयक पास किया।

अगस्त १२ गाधीजीने 'इडियन ओपिनियन' मे लॉर्ड सेल्बोनकी इस घोषणाकी सराहना की कि वतनियोके साथ होनेवाला प्रशासनिक अन्याय एक कलक है।

नेटाल विधानमण्डल द्वारा बस्तियो तथा भमि कर सम्बन्धी विधेयकोकी अस्वीकृतिका स्वागत किया और ट्रान्सवालके सर्वोच्च न्यायालयके इस फैसलेपर हष प्रकट किया कि धार्मिक जायदादको वतनियोके नाम चढाया जा सकेगा।

अगस्त १४ गाधीजीने हाजी हबीबको पत्र लिखकर इस बातसे इनकार किया कि उनके धार्मिक व्याख्यानोमे कटु आलोचना अथवा किसीको दु ख पहुँचानेका कोई इरादा था।

अगस्त १९ बग भगके सम्मिलित विरोध और ब्रिटिश मालके बहिष्कारका आह्वान किया।

अगस्त २६ ब्रिटिश विज्ञान प्रगति सघकी प्रशसा की और आशा प्रकट की कि सघकी बैठक कभी न कभी भारतमे भी होगी। कजनकी वाइसरायगिरीके कालपर विचार प्रकट किये।

अगस्त ३० ब्रिटिश भारतीय सघने आरेज रिवर उपनिवेशमे रगदार व्यक्तियोपर लागू होनेवाले नगरपालिकाके बस्ती सम्बन्धी कुछ उपनियमोको भारतीयोपर भी लागू करनेपर आपत्ति की।

सितम्बर १ सघने उस नियमपर आपत्ति की जिसके अनुसार भारतीय शरणार्थियोंको अपने जाननेवाले यूरोपीयोंके नाम देने पड़ते थे।

सितम्बर २ गांधीजीने मिकाडोके शिक्षा-सम्बन्धी आदेशों और सैनिकोंके सदाचारको जापानके अभ्युदयका कारण बताया।

सितम्बर ५ नेटालके भारतीयोंने सरकारके इस प्रस्तावका विरोध किया कि भारतीयोंकी पाठशालाको रंगदार बच्चोंकी शिक्षण संस्थाके रूपमें बदल दिया जाये और शिक्षामें बालकों तथा बालिकाओंके बीच कोई भेद न किया जाये।

पोर्टस्मथमें रूस जापान सन्धिपत्रपर हस्ताक्षर किये गये।

सितम्बर ९ गांधीजी ने 'इंडियन ओपिनियन' में चीनी खनिकोंके प्रति होनेवाले दुर्व्यवहारकी निन्दा की।

सितम्बर १६ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष-पदके लिए प्रस्तावित नामोंमें गोखलेका नाम सबसे उपयुक्त माना।

सितम्बर ३० रंगदार लोगोंके अधिकारोंपर अतिक्रमण करनेवाले विवादग्रस्त कानूनोंको अध्यादेश द्वारा लागू करनेपर ट्रान्सवालकी आलोचना की।

अक्तूबर ७ दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंसे अनुरोध किया कि वे शिक्षाके लिए उपयुक्त व्यवस्था करें।

श्री भावनगरीकी मध्यम मार्गीय सम्मतिके प्रति असहिष्णुताकी निन्दा की और यह मत प्रकट किया कि भारतको पूर्ण न्यायकी प्राप्ति केवल शान्तियुक्त तर्कसे ही हो सकेगी।

व्यापारिक परवानेके लिए की गई दादा उस्मानकी अपील डर्बनके परवाना निकाय द्वारा खारिज।

अक्तूबर ९ पॉचेफस्ट्रूम भारतीय संघने लॉर्ड सेल्बोर्नकी सेवामें मानपत्र तथा वक्तव्य प्रस्तुत किये।

अक्तूबर १४ गांधीजीने पॉचेफस्ट्रूममें लॉर्ड सेल्बोर्नसे मिलनेवाले शिष्टमण्डलका नेतृत्व किया।

दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको प्लेगके प्रकोपके विषयमें चेतावनी दी।

भारतमें नमक कर रद्द कर देनेके तथाकथित प्रस्तावका स्वागत किया।

प्रोफेसर परमानन्दका स्वागत और आतिथ्य किया।

अक्तूबर २८ जोहानिसबर्गके स्वागत-समारोहमें श्रोताओंसे प्रोफेसर परमानन्दका परिचय कराया और अध्यक्षके भाषणका अनुवाद सुनाया।

प्रस्ताव किया कि नेटाल कांग्रेस भारतीय व्यापारियोंके मामलोंकी जाँचके लिए एक परवाना समिति नियुक्त करे।

बंगालमें स्वदेशी आन्दोलनकी प्रगतिपर हर्ष प्रकट किया।

आस्ट्रेलियामें जापानी यात्रियोंको आनेकी अनुमति दी जानेपर हर्ष प्रकट किया।

नवम्बर १ बंगभंगके विरुद्ध आन्दोलनको शक्तिशाली बनानेके लिए बंगालमें साम्प्रदायिक एकताकी पुकार की।

नवम्बर ११ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ओरसे इंग्लैंड जानेवाले गोखले-लाजपत शिष्टमण्डलके बारेमें लिखा और उपनिवेशके राजनीतिज्ञोंसे अपील की कि चूँकि भारत साम्राज्यका एक अभिन्न अंग है इसलिए उसके सम्बन्धमें हर प्रकारके लिहाजसे काम लिया जाये।

जहाज द्वारा दक्षिण आफ्रिका जानेवाले भारतीय यात्रियोंकी कठिनाइयोंकी ओर ध्यान दिलाया।

नवम्बर १३ एशियाई राष्ट्रीय सम्मेलनके शिष्टमण्डलने ट्रान्सवालके लेफ्टिनेंट गवर्नरसे भेंट करके यह माँग की कि उपनिवेशमें प्रवेशके लिए दिये गये प्रार्थनापत्रोंपर नियन्त्रण-निकाय विचार करे।

नवम्बर १८ गांधीजीने ब्रिटिश उपनिवेशोंमें जापानके विरुद्ध किये जानेवाले भेदभावकी ओर ध्यान आकृष्ट किया।

केप उपनिवेशकी ब्रिटिश भारतीय समितिमें प्रवासी अधिनियमका विरोध करनेको कहा।

नवम्बर २५ व्यक्ति-कर सम्बन्धी नियमोंके संशोधन और गरीब भारतीयोंके प्रति उनके विवेक पूर्ण प्रयोग की माँग की।

नवम्बर २९ ब्रिटिश भारतीय शिष्टमण्डलका नेतृत्व किया और लॉर्ड सेल्बोर्नके सामने वक्तव्य प्रस्तुत किया।

दिसम्बर २ स्टैंजरमें जेलकी हालतोंकी आलोचना की।

"वन्दे मातरम्" को भारतके राष्ट्रीय गानके रूपमें अपना लेनेकी सिफारिश की।

दिसम्बर ४ मद्रासके मनोनीत गवर्नर सर आर्थर लालीको इंग्लैंड होकर भारत जानेके अवसरपर ब्रिटिश भारतीय संघके मन्त्रीकी हैसियतसे विदाई दी।

दिसम्बर ६ केप उपनिवेशके सर्वोच्च न्यायालयने फैसला दिया कि नेटालके भारतीयोंको, परिवार साथ न हो तो भी, केप उपनिवेशमें अधिवासका अधिकार है, बशर्ते कि वे लम्बे अरसेसे वहाँ रह रहे हों।

दिसम्बर २२ ऑरेंज रिवर उपनिवेशके अध्यादेशोंके मसविदोंमें ब्रिटिश भारतीयोंको रंगदार लोगोंके दर्जेमें रखे जानेपर ब्रिटिश भारतीय संघने उच्चायुक्तके समक्ष विरोध प्रकट किया।

दिसम्बर २२ के बाद उच्चायुक्तने भारतीयोंकी इस प्रार्थनाको अस्वीकृत कर दिया कि 'रंगदार लोग' की परिभाषाको संशोधित किया जाये।

दिसम्बर २३ गांधीजीने गोखलेकी सलाहका हवाला देते हुए भारतीय नवयुवकोंसे शिक्षाके काममें योग देनेकी सिफारिश की और भारतमें साम्प्रदायिक झगड़ोंके निपटानेमें किसी अन्य दलके हस्तक्षेपकी निन्दा की।

दिसम्बर ३० १९०५ के कामका सिंहावलोकन किया और भारतीयोंसे अनुरोध किया कि वे संघर्षको "औचित्यके साथ, धैर्यके साथ और फिर भी दृढ़ताके साथ" जारी रखें।

हीडेलबर्गके भारतीय समुदायमें आपसी दंगोंकी निन्दा की।

श्री पोलक और कुमारी डूसके विवाहके अवसरपर वर सखा बने।

१९०६

जनवरी १ १८ वर्ष या उससे अधिक आयुवाले भारतीयोंपर एक पौंडी कर लागू किया गया।

शीघ्र दूकानबन्दी अधिनियम लागू हुआ।

जनवरी २ सानफ्रांसिस्कोमें भूकम्पसे संहार।

जनवरी २० 'इंडियन ओपिनियन' के एक समयके सम्पादक मनसुखलाल हीरालाल नाजरकी मृत्यु।

फरवरी ३ 'इंडियन ओपिनियन' के हिन्दी और तमिल स्तम्भ बन्द कर दिये गये।

फरवरी ९ ब्रिटिश भारतीय संघने अनुमतिपत्र सम्बन्धी विनियमोंमें परिवर्तनका विरोध करते हुए उपनिवेश सचिवको पत्र लिखा।

फरवरी १० संघने जोहानिसबर्ग नगर परिषद द्वारा भारतीयोंपर ट्रामगाड़ियोंके उपयोगके सम्बन्धमें लगाये गये प्रतिबन्धोंका विरोध किया।

फरवरी १४ प्रिटोरिया और जोहानिसबर्गके बीच चलनेवाली विशेष रेलगाड़ियोंपर भारतीयोंकी यात्रा निषिद्ध करार दी जानेपर संघने आपत्ति की।

फरवरी १६ भारतीयों द्वारा जोहानिसबर्गकी ट्रामगाडियोंके उपयोगके प्रश्नपर संघ 'ट्रान्सवाल लीडर' के साथ वाद विवादमें शामिल हुआ।

फरवरी २२ दादाभाई नौरोजीको भेजे वक्तव्यमें गांधीजीने ट्रान्सवाल तथा ऑरेंज रिवर उपनिवेशमें उत्तरदायी सरकारके अधीन भारतीय हितोंकी रक्षाकी आवश्यकतापर जोर दिया।

फरवरी २६ दादाभाई नौरोजीको सुझाया कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी ओरसे एक शिष्टमण्डल ब्रिटिश मन्त्रियोंसे मिले।

फरवरी २८ नेटाल भारतीय कांग्रेसकी ओरसे निवर्तमान अध्यक्ष अब्दुल कादिरको मानपत्र दिये जानेके अवसरपर भाषण दिया।

इस महीनेमें जूलू विद्रोह भडक उठा।

मार्च ७ जोहानिसबर्गमें ट्रामके परीक्षणात्मक मुकदमेकी वकालत की।

मार्च १० के पूर्व नेटाल भारतीय कांग्रेसने उपनिवेश सचिवको प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके अन्तर्गत पासों और प्रमाणपत्रोंपर प्रतिषेधात्मक शुल्क लगानेके विरोधमें पत्र लिखा।

मार्च १० गांधीजीने 'एशियाइयोंकी निरन्तर बाढ़" पर दक्षिण आफ्रिकाकी सहयोगी-व्यापारसंघ कांग्रेसके प्रस्तावकी आलोचना की।

ट्रान्सवालकी अनुमतिपत्र सम्बन्धी शिकायतोंके सम्बन्धमें शिष्टमण्डलके साथ सहायक उपनिवेश सचिवसे भेंट की।

मार्च ११ प्रिटोरियाकी सभामें भाषण दिया।

मार्च १२ ट्रामके परीक्षात्मक मुकदमेमें वकालत की और जीते।

मार्च १६ १९०२ के केप प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियमके संशोधनार्थ सरकारी "गजट" में विधेयक प्रकाशित।

मार्च १७ गांधीजीने जूलू-विद्रोहके अवसरपर भारतीयोंसे अनुरोध किया कि वे सरकारको अपनी सेवाएँ अर्पित करें।

मार्च १९ एक पत्रमें ट्रान्सवालके शान्ति-रक्षा अध्यादेश तथा १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत होनेवाली कठिनाइयों की ओर दादाभाई नौरोजीका ध्यान आकर्षित किया।

मार्च २१ जोहानिसबर्गमें रंगदार लोगोंकी सभामें भाषण दिया।

मार्च २४ साम्राज्यीय सरकारको रंगदार लोगों द्वारा मताधिकार तथा अन्य अधिकारोंके निमित्त भेजे गये प्रार्थनापत्रका अनुमोदन किया।

मार्च ३० केपके रंगदार लोगोंकी कठिनाइयोंके सम्बन्धमें डा० अब्दुर्रहमानने लार्ड सेल्बोर्नसे मुलाकात की।

दादा उस्मानने अपने व्यापारिक परवानेकी अस्वीकृतिके विरुद्ध उपनिवेश-मन्त्रीसे अपील की।

मार्च ३१ से पूर्व साम्राज्यीय सरकार द्वारा ट्रान्सवाल संविधानके सम्बन्धमें आयोगकी नियुक्ति।

मार्च ३१ गांधीजीने ट्रान्सवालकी खानोंमें काम करनेके लिए भारतीय मजदूरोंके आयातकी निन्दा की।

अप्रैल ७ के पूर्व ब्रिटिश भारतीय शिष्टमण्डलने भारतीयोंकी शिकायतोंके सम्बन्धमें जोहानिसबर्गके रेलवे अधिकारियोंसे भेंट की।

ट्रान्सवालमें भारतीयोंके प्रवेशपर लगे प्रतिबन्धोंसे उत्पन्न कठिनाइयोंके विषयमें गांधीजीने 'लीडर' को पत्र लिखा।

अप्रैल १२ ट्रान्सवालमें भारतीयोंकी गिरती हुई दशाके विषयमें विलियम वेडरबर्नको पत्र भेजा।

अप्रल १४ के पूव डबन नगर परिषदने प्रस्ताव पास किया कि परवाना-अधिकारी फेरीवालोको नये परवाने न दे।

नेटाल भारतीय काग्रेसने गाधीजीके नेतत्वमे एक शिष्टमण्डल इग्लैड भेजनेका निश्चय किया।

हाजी वजीर अलीने स्थानापन्न लेफ्टिनेट गवनर सर रिचड सॉलोमनसे मलायी बस्तीके सम्बन्धमे भेट की।

अप्रैल २३ गाधीजीने डबनकी एक सभामे, जो 'इडियन ओपिनियन' के भविष्यपर विचार करनेके लिए हुई थी, उसके उद्देश्योको फिरसे समझाया और भारतीय समाजसे अनुरोध किया कि वह उसे अपनाये।

अप्रैल २४ गाधीजीने शिक्षाकी उन्नतिके लिए मुस्लिम युवक सघकी स्थापनाका स्वागत किया। उन्हे सघके विधानका मसविदा बनानेका काम सोपा गया।

नेटाल भारतीय काग्रेसकी बैठकमे व्याख्यान दिया। उसमे आहत सहायक दल बनानेका प्रस्ताव किया गया।

अप्रैल २६ के पूव साम्राज्य सरकारकी सेवामे प्रस्तावित शिष्टमण्डलके विषयमे 'नेटाल मक्युरी' के प्रतिनिधि द्वारा भेट।

अप्रैल २८ दूकान कानूनपर नेटाल दूकान कमचारी सघके गरजिम्मेदाराना वक्तव्यकी आलोचना की।

हिन्दू धमपर दिये गये अपने व्याख्याना और 'इडियन ओपिनियन' की नीतिपर मुस्लिम युवक सघकी सभाओमे की गई आलोचनाके उत्तरमे वक्तव्य प्रकाशित किया।

मई ५ के पूव जोहानिसबग और प्रिटोरियाके बीच चलनेवाली कतिपय रेलगाडियामे भारतीयोके लिए यात्रा सम्बन्धी निषेधाज्ञाके विषयमे नेटाल सरकार रेल-प्रणालीके महाप्रबन्धकसे मुलाकात की।

मई ५ भारतीय व्यापारी सघकी स्थापनाके विचारका अनुमोदन किया।

मई १२ के पूव ब्रिटिश भारतीय सघने अनुमतिपत्रा ओर अभ्यागत पासोके विषयमे लॉड सेल्बोनको पत्र लिखा।

मई १२ गाधीजीने समथन किया कि "न्यायके ओर मानवताके कल्याणके लिए" भारतको स्वराज्य दिया जाये।

मई १४ के पूव जोहानिसबगमे सविधान आयोगकी तीन बैठके हुइ।

मई १८ के पूव लॉड सेल्बोनने अनुमतिपत्रोके सम्बन्धमे ब्रिटिश भारतीय सघका आवेदन अस्वीकार कर दिया।

मई १८ भारतीयो द्वारा ट्राम गाडियोका उपयोग करनेके पक्षमे कुवाडियाके परीक्षात्मक मुकदमेका निणय।

मई १९ जोहानिसबग नगर परिषदने ट्राम विनियमोको रद करने और भारतीयो द्वारा ट्रामोका उपयोग करनेपर प्रतिबन्ध लगानेके उद्देश्यसे चेचक सम्बन्धी नियमोको पुन लागू करनेकी सूचना दी।

मई २१ गाधीजीने 'ट्रान्सवाल लीडर' मे जोहानिसबग नगर-परिषदकी कायवाहीके औचित्यपर शका प्रकट की।

मई २२ सविधान समितिसे मिलनेवाले प्रातिनिधिक शिष्टमण्डलका नेतत्व किया और उसके सामने भारतीय दृष्टिकोण रखा।

मई २५ के पूर्व लॉर्ड सेल्बोर्नने अनुमतिपत्रोंके विषयमें भारतीयोंके रुखपर पुनर्विचार करनेसे इनकार करया।

मई २५ जिस नाबालिग लड़केपर १८८५ के कानून ३ के उल्लंघनका आरोप था, उसको गांधीजीने रिहा करवाया।

मई २६ महारानी विक्टोरियाके जन्म दिवस समारोहके सिलसिलेमें दक्षिण आफ्रिकाके जन नायकोंसे आग्रह किया कि वे जातीय विद्वेष और रंगभेदकी नीति त्याग दें।

मई २७ अपने बड़े भाई श्री लक्ष्मीदासको एक पत्र लिखा कि उन्हें अब सांसारिक सम्पत्तिके प्रति कोई आसक्ति नहीं है।

मई २९ संविधान समितिके समक्ष वक्तव्य प्रस्तुत किया।

मई ३० ब्रिटिश भारतीय संघने निश्चय किया कि हाजी हबीब और अलीको भी विलायत जानेवाले शिष्टमण्डलमें शामिल किया जाये।
नेटाल सरकारने कांग्रेस आहत-सहायक दल सम्बन्धी दिलासाको मंजूर किया।

जून २ गांधीजीने जहाजोंमें डेकके यात्रियोंको और अच्छी सुविधाएँ देनेकी हिमायत की।
डर्बनमें आहत सहायक दलके लिए कोष एकत्र करनेके हेतु की गई भारतीयोंकी एक सभामें भाषण दिया।

जून ६ के पूर्व लन्दन की ब्रिटिश भारतीय समितिने सुझाव दिया कि भारतीय मामलेका पक्ष करनेके लिए केवल गांधीजी ही लन्दन जायें।
जोहानिसबर्गमें ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष और पालकको ट्रामगाड़ीमें बैठने नहीं दिया गया।
ब्रिटिश भारतीय संघने निश्चय किया कि यदि सरकार अनुमतिपत्रोंके सम्बन्धमें भारतीयोंकी शिकायतें दूर नहीं करेगी तो वह परीक्षात्मक मुकदमे चलायेगा।

जून ८ दादाभाई नौरोजीको सूचित किया कि मोर्चेपर आहत सेवा कार्यके कारण शिष्टमण्डलका इंग्लैंड जाना स्थगित कर दिया गया है।

जून ९ भारतीयोंसे अपील की कि वे सैनिक कोषके लिए चन्दा दें।

जून १३ के पूर्व भारतीयोंकी कठिनाइयोंके सम्बन्धमें 'नेटाल मर्क्युरी' को एक वक्तव्य दिया।

जून १६ भारतीय डोलीवाहक दलकी वफादारीका प्रतिज्ञापत्र 'इंडियन ओपिनियन' में प्रकाशित हुआ।
गांधीजी डाक्टरी परीक्षाके बाद स्वस्थ करार दिये गये।

जून २१ आहत-सहायक दलको कूचका आदेश मिला।

जून २२ सरकार द्वारा गांधीजीको सार्जेंट मेजरका पद दिया गया। आहत सहायक दलके साथ रेलसे रवाना हुए।
दलके सम्बन्धमें गोखलेको पत्र लिखा। उन्हें स्वदेश लौटते समय दक्षिण आफ्रिका आनेका निमन्त्रण दिया।

जून २३ से पूर्व न्यायालयने इस बातकी पुष्टि की कि भायातको शान्ति-रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत अनुमतिपत्र पानेका अधिकार है।

जून २३ — जुलाई १८ आहत-सेवाकार्यके लिए मोर्चेपर नियुक्ति।

जुलाई १९ डोलीवाहक दल विघटित कर दिया गया।

जुलाई २० स्टैंजरमें दलके सदस्योंका सत्कार किया गया।

गाधीजीने डबनमे काग्रेस द्वारा आयोजित स्वागत समारोहमे भाषण दिया और आशा व्यक्त की कि दलको स्थायीरूप दिया जाये।

गाधीजीने सुझाव दिया कि भारतीयोको स्थायी आहत सहायक दलमे भरती होनेकी अनुमति दी जाये।

जुलाई २३ काग्रेसने दलके सदस्योको पदक देनेका निश्चय किया।

गाधीजीने हीरक जयन्ती पुस्तकालयकी सभामे भाषण दिया।

जुलाई ३० गाधीजीने शिष्टमण्डलकी उपयोगितापर वेडरबनकी सम्मति ली।

अगस्त ४ ट्रान्सवाल वापस लौटनेके इच्छुक भारतीय शरणार्थियोकी कठिनाइया बताइ।

लिटिलटन और एलगिनके सविधानाका फक बताते हुए लेख लिखा।

उपनिवेश सचिवने विधान परिषदको सूचित किया कि सरकारका इरादा है कि ट्रान्सवालमे एशियाइयोके पुन पजीयनके लिए विधेयक पेश किया जाये। ब्रिटिश भारतीय सघने इसपर तत्काल कारवाई करनेका प्रस्ताव किया।

अगस्त ६ गाधीजीने प्रस्तावित पुन पजीयनसे ट्रान्सवालके भारतीयाका होनेवाली कठिनाइयोके विषयमे दादाभाई नौराजीको लिखा और सुझाया कि वे उपनिवेश मन्त्री व भारत मन्त्रीसे भेट करे।

अगस्त ७ नेटालके गवनर सर हेनरी मैककलमने डोलीवाहक दलकी सेवाओके लिए गाधीजीको धन्यवाद दिया।

अगस्त ९ के पूव गाधीजीने 'रैंड डेली मेल' के नाम एक पत्रमे भारतीयोके लिए पूण नागरिक स्वतत्रताकी माग की।

अगस्त ११ 'इडियन ओपिनियन' मे पुन पजीयन अध्यादेशके सम्बन्धमे उपनिवेश सचिवके वक्तव्यका विश्लेषण किया।

अगस्त १२ हमीदिया इस्लामिया अजुमनमे राजनीतिक स्थितिपर व्याख्यान देते हुए भारतीयोको प्रेरित किया कि वे अध्यादेशके सम्बन्धमे उपनिवेश मन्त्रीके वक्तव्यका विरोध करनेके लिए सगठित हो जाये।

अगस्त १३ दादाभाई नौरोजीको पत्र लिखा, जिसमे साम्राज्यीय सरकार द्वारा ट्रान्सवालके लिए न्यायभावनापर आधारित कानून बनानेकी आवश्यकता बताई।

नेटाल भारतीय काग्रेसने लॉर्ड एलगिनको नगर निगम सघटन विधेयकके सम्बन्धमे प्राथनापत्र भेजा।

अगस्त १८ गाधीजीने इस पक्षमे विचार व्यक्त किये कि एक राष्ट्रके निर्माणके लिए भारतमे हिन्दुस्तानीको राष्ट्रभाषा स्वीकार किया जाये।

सूचित किया कि मलायी बस्ती समितिने नगर परिषद द्वारा अपनी अर्जीकी अस्वीकृतिके खिलाफ अपील करनेका निणय किया है।

अगस्त २१ केप परवाना कानून 'गजट' मे प्रकाशित कर दिया गया।

अगस्त २२ एशियाई कानून सशोधन अध्यादेशका मसविदा ट्रान्सवाल सरकारके 'गजट' मे प्रकाशित हुआ।

अगस्त २५ आइन्दा ब्रिटिश भारतीयोको रगदार लोगोकी श्रेणीमे न रखनेकी माग की।

ब्रिटिश भारतीय सघने उपनिवेश सचिवको एक पत्र लिखकर अध्यादेशके प्रति अपना विरोध प्रकट किया।

अगस्त २८ अध्यादेशके अंतर्गत पुनः पंजीयनके सम्बन्धमें 'इंडिया' को तार भेजा, जांच आयोगकी नियुक्तिका सुझाव दिया।

सितम्बर १ उपनिवेश सचिवसे मिलने प्रिटोरिया जानेवाले शिष्टमण्डलका नेतृत्व किया।

सितम्बर ४ ट्रान्सवाल विधान-सभा में अध्यादेश पेश किया गया।

सितम्बर ८ गांधीजीने एशियाई अध्यादेशके मसविदेको पास करानेके सरकारी आग्रहको मानव जातिके प्रति अपराध बताया।

ब्रिटिश भारतीय संघने भारत-मन्त्री, उपनिवेश-मन्त्री तथा भारतके वाइसरायको प्रस्तावित अध्यादेशके विरोधमें तार भेजे।

सितम्बर ९ के पूर्व एक सभामें गांधीजीने "खूनी कानून" को भारतीयोंको उपनिवेशसे खदेड़नेका पहला कदम बतलाया और भारतीयोंमें उसका विरोध करनेके लिए कहा।

सितम्बर ९ हमीदिया इस्लामिया अंजुमनकी सभामें गांधीजीने ट्रान्सवालकी राजनीतिक स्थितिपर व्याख्यान दिया और इंग्लैंडको शिष्टमण्डल भेजनेकी आवश्यकतापर जोर दिया, लोगोंको परामर्श दिया कि वे पंजीयन न करायें और सबसे पहले स्वयं जेल जानेका इरादा प्रकट किया।

सितम्बर ११ जोहानिसबर्गमें आयोजित ब्रिटिश भारतीयोंकी सार्वजनिक सभामें अध्यादेशको वापिस लेनेकी माँग की और चेतावनी दी कि यदि यह अध्यादेश कानून बना दिया गया तो भारतीय उसका विरोध करेंगे।

सितम्बर १२ ब्रिटिश भारतीय संघने ट्रान्सवालके लेफ्टिनेंट गवर्नरको सार्वजनिक सभामें पास किये गये प्रस्ताव भेजे।

गांधीजीने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए 'रैंड डेली मेल' को लिखा।

सितम्बर १४ के पूर्व ब्रिटिश भारतीय संघने 'स्टार' को लिखा कि भारतीय असहनीय परिस्थितियोंके सामने न झुकनेको कृतसंकल्प हैं।

सितम्बर १४ भारतीय स्त्री पूनियाको रेलगाड़ीसे यात्रा करते समय पृथक् अनुमतिपत्र न रखनेके अपराधमें फोक्सरस्टमें गिरफ्तार करके रोक लिया गया।

सितम्बर १५ पूनियापर मुकदमा चलाया गया और उसे उपनिवेश छोड़नेकी आज्ञा दी गई। वह जर्मिस्टनमें उस आज्ञाकी अवहेलनाके अपराधमें पुनः गिरफ्तार कर ली गई।

सितम्बर १८ उच्चायुक्तने ब्रिटिश भारतीय संघको सूचित किया कि अध्यादेशको अभीतक औपचारिक स्वीकृति नहीं मिली है।

सितम्बर १९ अखबारोंको पूनियाके मुकदमेके बारेमें पत्र लिखा जिसमें भारतीय स्त्रियों और बच्चोंके प्रति आतंकका राज्य कायम करनेके लिए ट्रान्सवाल सरकारकी आलोचना की।

सितम्बर २० ट्रान्सवालमें भारतीयोंकी अवैध बाढ़की जाँचके लिए अदालती जाँच समिति बैठानेकी बात को तुरन्त मान लेनेकी अपनी रजामंदी घोषित की।

सितम्बर २१ गांधीजीने 'लीडर' के इस वक्तव्यको कि भारतीय दुश्चरित्र स्त्रियोंको अपनी पत्नियाँ कहकर उपनिवेशमें ला रहे हैं चुनौती देते हुए पत्र लिखा।

'नेटाल मर्क्युरी' ने पूनियाके मामलेका सरकारी स्पष्टीकरण प्रकाशित किया।

भारतीयोंकी एक सभामें अन्ततः यह निश्चय किया गया कि गांधीजी तथा अलीको शिष्ट मण्डलके रूपमें इंग्लैंड भेजा जाये।

लॉर्ड सेल्बोर्नने ब्रिटिश भारतीय संघको सूचित किया कि शिष्टमण्डलके इंग्लैंड पहुँचने तक अध्यादेशको स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

सितम्बर २४ लॉर्ड सेल्बोनने ब्रिटिश भारतीय सघको सूचित किया कि लॉर्ड एलगिनकी सम्मतिमे शिष्टमण्डल उपयोगी सिद्ध नही होगा।

सितम्बर २६ सघने ट्रान्सवालके गवनरसे पूछा कि अध्यादेशको सम्राटकी स्वीकृति मिल चुकी है या नही।

सितम्बर २९ के पूव लॉर्ड सेल्बोनने ब्रिटिश भारतीय सघको लिखा कि वे अध्यादेशके सम्बन्धमे उसके दष्टिकोणको नही मानते।

सितम्बर ३० सघने ट्रासवालके गवनरको तार भेजा जिसमे साम्राज्यीय सरकारसे प्राथना की गई थी कि वह एशियाई अध्यादेशको तबतक अपनी स्वीकृति न दे जबतक शिष्टमण्डल भारतीय दष्टिकोण उसके समक्ष प्रस्तुत न कर दे।

शिष्टमण्डलको इग्लैड जानेके अवसरपर विदाई दी गई।

अक्तूबर १ गाधीजी और अली केप टाउन होते हुए इग्लैड जानेके लिए जोहानिसबगमे गाडीपर सवार हुए।

अक्तूबर ३ शिष्टमण्डल केप टाउन पहुँचा और प्रमुख भारतीयो द्वारा स्वागतके बाद 'आर्मडेल कासिल' नामक जहाजसे रवाना हो गया।

अक्तूबर ८ ब्रिटिश भारतीय सघने ट्रासवालके गवनरको उपनिवेश मत्रीके नाम दिये गये उस तारका पूरा मजमून भेजा जिसमे फ्रीडडाप बाडा अध्यादशको तबतक रोक रखनेकी प्राथना की गई थी जबतक शिष्टमण्डल अपनी बात न कह ले।

सघने लॉर्ड एलगिनको फ्रीडडॉप बाडा अध्यादेशके सम्बन्धमे प्राथनापत्र भेजा।

अक्तूबर ९ 'ट्रासवाल लीडर' ने भारतीय स्त्रियोपर लाछन लगानेवाले अपने डबन सवाददाता द्वारा दिये गये वक्तव्यको वापस ले लिया।

अक्तूबर १०-११ गाधीजीने 'इडियन ओपिनियन' के लिए सवादपत्र लिखे। वे तमिल भाषा सीख रहे थे।

अक्तूबर २० एशियाई अध्यादेश तथा सत्याग्रहकी विधियोके सम्बन्धमे किये गये प्रश्नोके गाधीजी द्वारा दिये गये उत्तर 'इडियन ओपिनियन' मे प्रकाशित हुए।

शिष्टमण्डल साउथैम्पटन पहुँचा।

साकेतिका

अ

आ

इ

ई

उ

ऊ

ए

ऐ

ओ

क

झ

ट

ठ

ड

ढ

त

थ

द

ध

न

प

फ

ब

म

व